विनय पिटक

विनय पिटक

विनय पिटक, त्रिपिटक का पहला भाग है, जो बौद्ध भिक्षु समुदाय (संघ) का अनुशासनात्मक ढांचा है। इसमें न केवल प्रत्येक थेरवाद भिक्षु और भिक्षुणी के जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल हैं, बल्कि शिष्टाचार की अनेक प्रक्रियाएं और परंपराएं भी शामिल हैं जो भिक्षुओं के बीच और उनके गृहस्थ अनुयायियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देती हैं, जिन पर वे अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं।

विनय पिटक के पहले भाग को पतिमोक्खा कहा जाता है। यह विभिन्न खंडों में सूचीबद्ध अनुशासनात्मक नियमों की एक सूची है और इसका उद्देश्य पश्चाताप करना है।

जब बुद्ध ने संघ की स्थापना की, तो आरंभ में समुदाय बिना किसी निर्धारित आचरण नियम के सद्भावपूर्वक रहता था। जैसे-जैसे संघ की संख्या बढ़ती गई और यह एक अधिक जटिल समाज में विकसित हुआ, वैसे-वैसे ऐसे अवसर अवश्य उत्पन्न हुए जब किसी सदस्य ने अनुचित व्यवहार किया। जब भी ऐसा कोई मामला बुद्ध के ध्यान में लाया जाता, तो वे भविष्य में दुराचार को रोकने के लिए उस अपराध के लिए उचित दंड निर्धारित करते। इनका उल्लेख महावग्ग और चुलवग्ग में मिलता है।

विनय पिटाका, टिपिटाका का पहला एबटेइलुंग, रहमान का अनुशासन है, बौद्ध मोन्चसगेमिंसचाफ्ट (संघ) का दूसरा भाग है। यह एक नियम के रूप में नहीं है, थेरवाद भिक्खु (मोंचे) और भिक्खुनिस (नॉन) के शासनकाल के दौरान, एक वर्ष से अधिक समय तक वेरफारेन और कॉन्वेंशन डेर एटिकेट, हारमोनिस्चे बेज़ीहुंगेन सवोह्ल ज़्विसचेन डेन मोंचेन अल औच मोंचेन और इह्रेन लाईन अनटरस्टुटज़ेन एन्हेंगर के अनुसार, एक वर्ष से अधिक समय तक अपने सभी मटेरियल का उपयोग करें।

विनय पिटक के सबसे पहले पतिमोक्खा थे। यह एक सूची है जो डिस्प्लिनर्रेगेलन से संबंधित है, एक वर्ष से अधिक समय तक एक वर्ष से अधिक समय तक समाप्त होती है।

संघ के नेतृत्व में बुद्ध को शामिल करने के अलावा, हार्मोनी में जेमिन्सचाफ्ट को शामिल करने के लिए, आपको जो भी कोड प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करें। एक संघ के सभी सदस्यों को एक जटिल उद्यम के रूप में जाना जाता है, जो एक वर्ष से अधिक समय तक रहता है, वे एक वर्ष से अधिक समय तक काम करते हैं। एक वर्ष से अधिक समय से भगवान बुद्ध को एक वर्ष से अधिक समय से सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन एक रीगल उत्सव में एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाले उत्सव में एक और संगीत कार्यक्रम शामिल है। ये चीजें महावग्गा में और चुलवग्गा में थीं।

☐

अंतर्वस्तु

पतिमोक्खा (अनुशासन और स्वीकारोक्ति)
(अनुशासन और स्वीकारोक्ति के नियम)

'पतिमोक्खम' यह आरंभ है, यह मुख (मुखम) है, यह परोपकारी/धार्मिक (कुसलानम) मार्ग/नियमों (धम्मनम) का मूल (पामुखम) है; इसलिए इसे 'पतिमोक्खम' कहा जाता है। - बुद्ध (एमवी-ख2-अध्याय3-श्लोक4)।

ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण के बुनियादी नियम हैं। संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जो मानव चेतना को उच्च स्तर तक विकसित करने में सहायक हो, जिससे आत्मज्ञान, आत्म-साक्षात्कार और अंततः निर्वाण (मुक्ति) प्राप्त हो सके। संघ में शामिल होने वाले नए शिष्यों के दृष्टिकोण, विचार और आचरण में कई कमियाँ होती हैं जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन सकती हैं, इसलिए अनुशासनात्मक नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि भावनाओं, वासनाओं, इच्छाओं और

आसक्तियों को शांत किया जा सके और आंतरिक शांति प्राप्त की जा सके, जो बौद्ध ध्यान के माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए पूर्व शर्त है।

पतिमोक्खा के नियम प्रत्येक उपवास दिवस (उपोसथा) पर पढ़े जाते थे, जो पूर्णिमा और अमावस्या (वास्तव में चंद्रविहीन) को यानी हर छह महीने में एक बार आयोजित किया जाता था। प्रत्येक भाग के पाठ के बाद भिक्षुओं से उनकी गलतियों (यदि कोई हो) को स्वीकार करने और प्रायश्चित/दंड के लिए तैयार रहने को कहा जाता था। मूलतः यह आत्म-शुद्धि (पवित्रता) की ओर ले जाने वाली स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित की एक प्रणाली है।

भिक्षुओं के लिए पतिमोक्खा

पाराजिका धम्म (निष्कासन, सभा, ज़ब्ती आदि के नियम)

निदान : पतिमोक्खा के परिचय/आरंभ का पाठ।
1. परजिका धम्म (पराजय और निष्कासन)
अक्षम्य त्रुटियों के लिए संघ से निष्कासन के नियम। (भिक्षुओं के लिए 4, भिक्षुणियों के लिए 8)

2. संघदिशेष धम्म (व्यवस्था की बैठक)
गंभीर गलतियों के लिए नियम, जिनके लिए संघ की बैठक आवश्यक है। बैठक भी दो भागों में विभाजित है: पहला और दूसरा। (भिक्षुओं के लिए 13, भिक्षुणियों के लिए 17)

3. अनियता धम्म (अनिश्चित)
अनिश्चितकालीन नियम. (भिक्खुओ के लिए 2)

4. निस्सागिया पचित्तिया धम्म (जब्ती)
दंड, स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित के नियम। (भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों के लिए 30)

पाचित्तीय धम्म (स्वीकारोक्ति, प्रायश्चित, प्रशिक्षुओं और विवादों के नियम)

---

5. पचितिया धम्म (स्वीकारोक्ति और तपस्या)
पाप स्वीकार करने और प्रायश्चित करने के नियम। (भिक्षुओं के लिए 92, भिक्षुणियों के लिए 166)

6. पतिदेसानिया धम्म (स्वीकृति के लिए)
शिक्षा के विरुद्ध मामलों के लिए नियम और स्वीकारोक्ति/स्वीकारोक्ति आवश्यक है। (भिक्षुओं के लिए 4, भिक्षुणियों के लिए 8)

7. सेखिया धम्म (प्रशिक्षार्थियों के लिए)
प्रशिक्षुओं के लिए नियम। (भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों के लिए 75)

8. अधिकरण समथ (विवादों के लिए)
विवादों के निपटारे और सद्भाव बनाए रखने के नियम। (भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों के लिए 7 नियम।)

भिक्कुनियों (ननों) के लिए पतिमोक्खा
भिक्खुनी पतिमोक्खा : भिक्खुनी पतिमोक्खा में 311 नियम हैं। इनमें से 181 भिक्खु पातिमोक्खा के साथ साझा किए गए हैं।
पतिमोक्खा अध्याय (ननों के लिए)

---

1. परजिका धम्म (पराजय और निष्कासन)
2. संघदिशेष धम्म (व्यवस्था की बैठक)
3. निस्सागिया पचित्तिया धम्म (स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित)

4. पचितिया धम्म (प्रायश्चित)
5. पतिदेसानिया धम्म (स्वीकारोक्ति)
6. सेखिया धम्म (प्रशिक्षार्थियों के नियम)
7. अधिकरण समथ धम्म (विवादों का निपटारा)

खंडाका

महावग्ग और चुलवग्ग के निम्नलिखित खंडों में अनेक घटनाओं का वर्णन है, जिनके आधार पर बुद्ध ने अनुशासन के विभिन्न नियम बनाए।

महावग्ग (प्रमुख अधिनियम खंड)
(मुख्य भाग)

संघ के आचरण और शिष्टाचार के नियमों के अलावा, इस खंड में कई महत्वपूर्ण सूत्र-जैसे ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें बुद्ध के ज्ञानोदय के तुरंत बाद की अवधि का विवरण, पांच भिक्षुओं के समूह को दिए गए उनके पहले उपदेश और उनके कुछ महान शिष्यों के संघ में शामिल होने और स्वयं ज्ञानोदय प्राप्त करने की कहानियां शामिल हैं।

महावग्ग में 10 अध्याय (या *खंडक*) *हैं:*
प्रथम खंडका (व्यवस्था का गठन)
(भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

1.1 अध्याय 1: बोधि वृक्ष के नीचे कारण-कार्य श्रृंखला का ज्ञान।
1.2 अध्याय 2: अजापाल बरगद के वृक्ष के नीचे बुद्ध की एक पुजारी से मुलाकात।
1.3 अध्याय 3: मुचलिंडा वृक्ष के नीचे नाग द्वारा बुद्ध की रक्षा।
1.4 अध्याय 4: राजयतन वृक्ष के नीचे बुद्ध की अपने पहले शिष्यों, दो व्यापारियों से मुलाकात।
1.5 अध्याय 5: ब्रह्मा (प्रधान देवदूत) सहंपति द्वारा अमरता के मार्ग का प्रचार करने का अनुरोध।
1.6 अध्याय 6: बुद्ध ने अपने पूर्व पांच सहयोगियों को धम्म का उपदेश दिया।
1.7 अध्याय 7: बुद्ध ने एक धनी व्यक्ति के पुत्र यासा को दीक्षा दी।
1.8 अध्याय 8: बुद्ध ने यासा की माता, पहली महिला गृहस्थ शिष्या को दीक्षा दी।
1.9 अध्याय 9: यासा के चार मित्रों, उनके दीक्षा संस्कार की कथा।
1.10 अध्याय 10: यासा के मित्र पचास गृहस्थों के दीक्षा संस्कार की कथा।
1.11 अध्याय 11: मारा (मृत्यु के देवता) के दु:ख की कथा।
1.12 अध्याय 12: बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को दीक्षा देने की अनुमति दी।
1.13 अध्याय 13: मारा (मृत्यु के देवता) का एक और दु:ख।
1.14 अध्याय 14: तीस धनी युवा साथियों का दीक्षा संस्कार। 1.15
अध्याय 15: पहला चमत्कार - बुद्ध ने कश्यप के आश्रम में एक भयंकर सर्प को वश में किया।
1.16 अध्याय 16: दूसरा चमत्कार - चार स्वर्गिक राजाओं ने बुद्ध से मुलाकात की।
1.17 अध्याय 17: तीसरा चमत्कार - इंद्र (स्वर्ग के राजा) ने बुद्ध से मुलाकात की।
1.18 अध्याय 18: चौथा चमत्कार-ब्रह्मा (प्रधान देवदूत) सहमपति फिर से बुद्ध के पास आते हैं
1.19 अध्याय 19: पाँचवाँ चमत्कार-बुद्ध कश्यप के विचारों को समझते हैं।
1.20 अध्याय 20: सैकड़ों भिक्षुओं के दीक्षा संस्कार की ओर ले जाने वाले कई अन्य चमत्कार
1.21 अध्याय 21: सब कुछ जल रहा है - गयासिसा में एक हजार भिक्षुओं को शिक्षा देना
1.22 अध्याय 22: संघ का नेतृत्व स्वर्ग के स्वामी सक्का द्वारा राजा बिमिसार के भोज में किया जाता है
1.23 अध्याय 23: सारिपुत्र को भिक्षु अस्सजी से मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है
1.24 अध्याय 24: सारिपुत्त और मोग्गलाना 250 अनुयायियों के साथ संघ में शामिल होते हैं
1.25 अध्याय 25: शिष्यों के लिए प्रशिक्षकों (उपज्जया) की नियुक्ति और उनके कर्तव्य

दूसरा खंडका (उपोसथ और पतिमोक्खा)

(उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

2.34 अध्याय-34: नए और निवासी भिक्षुओं की परिस्थितियाँ और दिनों की गणना।
2.35 अध्याय-35: उपोसथ दिवस पर न जाना।
2.36 अध्याय-36: कब पाठ न करना।
तीसरा खंडका (वास्सा, रेन्स रिट्रीट)
(वर्षा ऋतु के दौरान निवास स्थान)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

3.1 अध्याय-1: वर्षा प्रणाली की उत्पत्ति।
3.2 अध्याय-2: वर्षा में प्रवेश के लिए दो अवधियों की स्थापना।
3.3 अध्याय-3: वर्षा के दौरान यात्रा निषेध।
3.4 अध्याय-4: वर्षा के दौरान जिले से बाहर न जाना; राजा का पालन करना।
3.5 अध्याय-5: वर्षा के दौरान सात दिनों के भीतर दान के लिए और किसके लिए यात्रा करना।
3.6 अध्याय-6: भिक्षु/भिक्षुनी की बीमारी, संदेह, झूठे सिद्धांत, अपराध, दंड आदि के लिए सात दिन की यात्रा।
3.7 अध्याय-7: भिक्षु की माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार और परिचित व्यक्ति की बीमारी के लिए यात्रा की अनुमति।
3.8 अध्याय-8: मरम्मत और संघ के अन्य कार्यों के लिए लकड़ी लाने के लिए यात्रा की अनुमति।
3.9 अध्याय-9: पशु, सांप, लुटेरे, राक्षस, आग, भोजन की कमी और बाढ़ के कारण गांव छोड़ना।
3.10 अध्याय-10: जब ग्रामीण गांव छोड़ दें।
3.11 अध्याय-11: भोजन या दवा की कमी के कारण गांव छोड़ना। वेश्या, हिजड़ा, राजा, रिश्तेदार आदि द्वारा धन, सोना, संपत्ति, सुख आदि के लिए बहकाए जाने पर गांव छोड़ना।
3.12 अध्याय-12: पशु-बाड़ा, कारवां, जहाज की अनुमति है। पेड़ का खोखला भाग और शाखा, खुली हवा, कब्रिस्तान आदि की अनुमति नहीं है।
3.13 अध्याय-13: वर्षावास के दौरान दीक्षा न लेने का कोई समझौता नहीं करना।
3.14 अध्याय-14: राजा की अवज्ञा न करना; अनेक स्थानों पर वर्षावास न करना; वादे न तोड़ना।
चतुर्थ खण्डका (पवर्णा समारोह)
(वर्षा ऋतु के अंत में होने वाला पवाराना समारोह)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

4.1 अध्याय-1: पवारना की घोषणा और सामंजस्यपूर्वक करने का तरीका।
4.2 अध्याय-2: विनम्रता का अभ्यास।
4.3 अध्याय-3: पवारना के दिनों की संख्या और सेवाओं की संख्या; बीमारों के लिए पवारना।
4.4 अध्याय-4: यदि रिश्तेदार भिक्षु को रोकते हैं।
4.5 अध्याय 5: सभी भिक्षुओं को ऐसा करना चाहिए; अनुमत संख्या 4, 3, 2 और 1 भी हो सकती है।
अध्याय 6: पवाराना (पावराना) सभी भिक्षुओं द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें दोषी भी शामिल हैं
। अध्याय 7-13: जब उपस्थित भिक्षु अनुपस्थित भिक्षुओं से अनभिज्ञ हों
। अध्याय 14: भिक्षुणी के समक्ष नहीं और कुछ अपवादों के साथ केवल पवाराना दिवस पर आयोजित किया जाना चाहिए
। अध्याय 15: आग, लुटेरों, जानवरों आदि के खतरे की स्थिति में
। अध्याय 16: दोषी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए
। अध्याय 17: झगड़ालू, विवादशील और बीमार भिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए
। अध्याय 18: निवास और अन्य मुद्दे।
पांचवां खंडाका (पैर, वस्त्र, सीटें, वाहन आदि)
(पैरों के वस्त्र, सीटों, वाहनों आदि के लिए नियम)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

छठा खंडाका (औषधियाँ)

(दवाइयों के बारे में)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

(कथीना समारोह)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

आठवां खंडाका (पोशाक)

(भिक्षुओं का वस्त्र)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

नौवां खंडका (अधिनियमों की वैधता)

(संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

दसवां खंडक (विभाजन)

(संघ के भीतर विभाजन)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

चुलवग्गा (लघु अपराध धारा)
(लघु खंड)
भिक्षुओं के शिष्टाचार और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन, साथ ही संघ के भीतर किए जा सकने वाले अपराधों से निपटने के नियमों और प्रक्रियाओं का वर्णन।

चुलवग्ग में 12 अध्याय (या *खंडक*) *हैं:*
प्रथम खंडका (फटकार, अधीनता, निर्वासन, सुलह, निलंबन)
I. तज्जनिया कम्मा (निंदा का कार्य)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

द्वितीय खंडका (परिवीक्षा एवं तपस्या 1)
(परिवीक्षा और प्रायश्चित)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

तृतीय खंडका (परिवीक्षा एवं तपस्या 2)
(परिवीक्षा और प्रायश्चित - जारी)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

चौथा खंडका (विवाद)

(भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

4.13 अध्याय 13: तिनवत्थरका (घास से ढकना) के मामले
4.14 अध्याय 14: विवादों का विस्तृत निपटारा, जूरी की नियुक्ति और मतदान के तरीके

पांचवां खंडका (दैनिक जीवन)

(भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

5.1 अध्याय 1: स्नान करते समय, लकड़ी या खंभे से रगड़ना मना है। केवल बहुत बूढ़े लोगों को ही रगड़ने की अनुमति है।
5.2 अध्याय 2: मेकअप न करें, हार न पहनें, चूड़ियाँ न पहनें, अंगूठियाँ न पहनें, चेहरे पर रंग न लगाएँ, लंबे बाल न रखें, शीशा न लगाएँ, नृत्य/गायन न देखें।
5.3 अध्याय 3: धम्म गायन मना है, मंत्रोच्चार मना है।
5.4 अध्याय 4: ऊनी वस्त्र और लंबे ऊनी कपड़े पहनना मना है।
5.5 अध्याय 5: भिक्षुओं द्वारा तोड़े गए आम; आम वर्जित हैं; फिर फल ग्रहण करने के 5 तरीके अनुमत हैं।
5.6 अध्याय 6: साँप के काटने से निकले खून को निकालना अनुमत है। सभी विचित्र प्राणियों के प्रति करुणा फैलाने के लिए
5.7 अध्याय 7: बधियाकरण निषिद्ध
5.8 अध्याय 8: पिंडोला भारद्वाज ने वायु में आरोहण और कटोरा लेकर चमत्कार दिखाया; बुद्ध ने जादुई शक्तियों के सार्वजनिक प्रदर्शन की मनाही की
5.9 अध्याय 9: सोने, चांदी आदि महंगी सामग्रियों के कटोरे निषिद्ध हैं, केवल मिट्टी और लोहे के कटोरे ही अनुमत हैं; कटोरे की देखभाल
5.10 अध्याय 10: भिक्षा के लिए पानी के पात्र न ले जाएं, खोपड़ी को कटोरे के रूप में इस्तेमाल न करें, अपशिष्ट के लिए कटोरे का उपयोग न करें
5.11 अध्याय 11: वस्त्रों की सिलाई; कपड़ा काटने के लिए केवल साधारण ब्लेड का उपयोग, सुई का उपयोग अनुमत है
5.12 अध्याय 12: सुई, दवाइयाँ आदि ले जाने के लिए थैलों का उपयोग अनुमत है
5.13 अध्याय 13: पानी छानने वाले यंत्र और मच्छरदानी का उपयोग
5.14 अध्याय 14: बंद स्नानघर और स्नानघर का उपयोग, उनका विवरण
5.15 अध्याय 15: स्नानघर: स्नान करते समय नग्न अवस्था में निषिद्ध कार्य
5.16 अध्याय 16 स्नानघर: कपड़े टांगने के लिए खंभे और रस्सी का उपयोग अनुमत है; कुआँ अनुमत है
5.17 अध्याय 17: स्नान के लिए पूल और टैंक का उपयोग
5.18 अध्याय 18: फूलों पर सोना निषिद्ध है; इत्र और फूल केवल अभिवादन के लिए अनुमत हैं, पहनने के लिए नहीं
5.19 अध्याय 19: सजावटी दीवान निषिद्ध हैं; कई भिक्षुओं को एक ही कटोरा, एक ही बिस्तर, एक ही चटाई का उपयोग नहीं करना चाहिए
5.20 अध्याय 20: प्रबुद्ध भिक्षु डब्बा पर एक गृहस्थ अनुयायी की पत्नी के साथ व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया; बरी; बुद्ध ने गृहस्थ के लिए कटोरा नीचे किया; फिर स्वीकारोक्ति करने पर सीधा किया गया
5.21 अध्याय 21: राजा द्वारा बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया; गलत प्रथा के रूप में कपड़ों पर चलने से इनकार किया; कुछ शर्तें अनुमत हैं
5.22 अध्याय 22: छोटे जार, झाड़ू अनुमत; मिट्टी के पैर रगड़ने वाले निषिद्ध; पैर रगड़ने वाले, पंखे, फूलदान की अनुमत सूची
5.23 अध्याय 23: मच्छर पंखा अनुमत है; चूमारा मक्खी भगाने वाला निषिद्ध। बीमार के लिए धूप से बचाव की अनुमति है
5.24 अध्याय 24: भिक्षु को छड़ी नहीं रखनी चाहिए; केवल बीमार भिक्षु ही कर सकते हैं
5.25 अध्याय 25: चिंतनशील
5.26 अध्याय 26: भोजन करते समय भोजन न गिराएं
5.27 अध्याय 27: एक महिला एक भिक्षु (लंबे नाखूनों वाले) से यौन संबंध बनाने का अनुरोध करती है; इनकार किया जाता है; खुद को खरोंचती है; पकड़ी जाती है; लंबे नाखून वर्जित, बाल हटाना; स्वच्छता
5.28 अध्याय 28: संचय न करें
5.29 अध्याय 29: भिक्षुओं को उचित वस्त्र धारण करना चाहिए
अध्याय 30: दोहरा पिंगो (जुए जैसा) वर्जित है
। अध्याय 31: टूथब्रश/छड़ी की अनुमति है
। अध्याय 32: जंगल में आग लगाना मना है; जवाबी आग की अनुमति है; पेड़ों पर चढ़ना, कूदना खतरे की स्थिति को छोड़कर वर्जित है

। अध्याय 33: संस्कृत वर्जित है; केवल लोगों की अपनी बोली की अनुमति है; निम्न कलाएँ, जैसे कि भविष्यवाणियाँ, मंत्र, शगुन, ज्योतिष, देवताओं को बलि देना, जादू टोना आदि वर्जित हैं
। अध्याय 34: दवा के रूप में उपयोग को छोड़कर प्याज खाना वर्जित है
। अध्याय 35: पेशाब करने के लिए अलग स्थान निर्धारित करना आवश्यक है
। अध्याय
36: पीतल के बर्तन हथियारों को छोड़कर वर्जित हैं; मिट्टी के बर्तन वर्जित हैं।

छठा खंडका (आवास और फर्नीचर)

(आवासों और फर्नीचर पर)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

6.1 अध्याय 1: एक धनी व्यक्ति भिक्षुओं के लिए आवास बनाता है; अनुमत आवासों की सूची
6.2 अध्याय 2: अनुमत खिड़कियाँ, कीड़ों से बचाव के लिए पर्दे; विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की अनुमति
6.3 अध्याय 3: दीवारों पर प्लास्टर करना, सफेदी करना, रंगाई करना, सेवा कक्ष, भंडार कक्ष, अग्नि स्थान, बाड़ लगाना, छत बनाना
6.4 अध्याय 4: अनाथपिंडिका शिष्य बनता है - संघ के लिए सोने के मूल्य से भरा निवास खरीदता है
6.5 अध्याय 5: वैशाली में आवासों
का निर्माण 6.6 अध्याय 6: सावत्थी में आवासों पर कब्जा
6.7 अध्याय 7: अस्थायी स्थानों का उपयोग
6.8 अध्याय 8: गृहस्थों के घरों में बैठने के लिए गद्देदार सोफे और कुर्सियों की अनुमति
6.9 अध्याय 9: संघ को जेतवन मठ का समर्पण
6.10 अध्याय 10: भोजन समाप्त होने से पहले भिक्षु को उठने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए
6.11 अध्याय 11: आवास स्थानों का आवंटन; भिक्षुओं को बलपूर्वक निष्कासित न किया जाए
6.12 अध्याय 12: एक भिक्षु एक से अधिक आवास स्थान न ले
6.13 अध्याय 13: लंबी चौकी पर बैठना
6.14 अध्याय 14
6.15 अध्याय 15: भिक्षुओं द्वारा सोने के स्थानों पर कब्जा करना; पाँच अहस्तांतरणीय संपत्तियाँ
6.16 अध्याय 16: किता हॉल में भिक्षुओं द्वारा रहने के स्थानों पर कब्जा करना; पाँच अहस्तांतरणीय संपत्तियाँ
6.17 अध्याय 17: आवासों का आवंटन
6.18 अध्याय 18: गृहस्थ शिष्यों की वस्तुओं का उपयोग
6.19 अध्याय 19: अनुमत फर्नीचर के बदले महंगी वस्तुओं का आदान-प्रदान
6.20 अध्याय 20: गीले पैरों से चटाई पर चलना, फर्श पर थूकना, फर्श को ढकना वर्जित है
6.21 अध्याय 21: अकाल के समय भोजन का राशनिंग

सातवां खंडक (विवाद)

(विधानसभा में मतभेद)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

7.1 अध्याय 1: राजा भद्दिया, अनुरुद्ध, देवदत्त आदि बुद्ध के कुलीन परिवार से (भाई/चचेरे भाई) अपने नाई उपाली के साथ संघ में शामिल होते हैं।
7.2 अध्याय 2: भिक्षु देवदत्त (बुद्ध के भाई) स्वार्थ और सम्मान के लिए राजकुमार अजातसत्तु को जादू से प्रभावित करते हैं।
7.3 अध्याय 3: देवदत्त राजकुमार अजातसत्तु को अपने पिता, राजा की हत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं; असफल; बुद्ध को कई तरीकों से मारने का प्रयास करते हैं; असफल;
7.4 अध्याय 4: देवदत्त विभाजन पैदा करते हैं और 500 भिक्षुओं को अपने साथ ले जाते हैं; सारिपुत्त और मोगल्लाना उन भिक्षुओं को वापस लाते हैं।
7.5 अध्याय 5: उपाली को संघ में फूट और विभाजन के बारे में उपदेश देना।

आठवां खंडक (एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

(भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

नौवां खंडका (पतिमोक्खा विधानसभा से बहिष्कार)

(पतिमोक्खा समारोह से बहिष्कार के संबंध में)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

दसवां खंडका (भिक्षुणियों के कर्तव्य)

(भिक्खुनियों के कर्तव्य)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

ग्यारहवाँ खंडका (बुद्ध के बाद राजगृह परिषद)
(राजगृह परिषद पर)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

बारहवाँ खंडका (बुद्ध के बाद वेशालि परिषद)
(वैशाली की परिषद पर)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

टिपिटक >> विनय पिटक >> **निदान**

यह अनुवाद टी.डब्ल्यू.आर.हिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किया गया है।

परम पवित्र और पूर्णतः प्रबुद्ध भगवान बुद्ध को प्रणाम।

पतिमोक्खा

1. निदान (परिचय)

हे आदरणीय महोदय, कृपया मेरी बात सुनें!

आज पूर्णिमा या अमावस्या का पवित्र दिन है, अर्धमाह का पंद्रहवाँ दिन। यदि चैप्टर को उचित लगे, तो वह उपोसथा का आयोजन करे और पतिमोक्खा का पाठ करे। संघ की बैठक की पूर्व-प्राधि के संबंध में क्या स्थिति है? आदरणीय भाई अपनी पवित्रता की घोषणा करें, और मैं पतिमोक्खा का पाठ करूँगा! हम सब सहर्ष ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनेंगे!

जिसने भी कोई गलती की हो, वह उसे स्वीकार करे! यदि कोई गलती न हुई हो तो चुप रहना ही उचित है!

हे पूज्यवर, आपके मौन से ही मुझे पता चलेगा कि आप शुद्ध हैं या नहीं। जैसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य होता है, वैसे ही इस सभा में प्रत्येक प्रश्न तीन बार पूछा जाता है। यदि कोई भिक्षु तीन बार प्रश्न पूछे जाने के बाद जानबूझकर अपने द्वारा किए गए किसी दोष को स्वीकार न करे, तो वह जानबूझकर झूठ बोलने का दोषी है। हे पूज्यवर, भगवान बुद्ध ने जानबूझकर झूठ बोलना आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक बताया है। इसलिए, यदि कोई दोष हो, तो उसे उस भिक्षु को स्वीकार करना चाहिए जो उसे याद रखता है और उससे मुक्ति पाना चाहता है। क्योंकि दोष स्वीकार करने पर वह उसके लिए दंड बन जाता है।

आदरणीय महोदय, अब प्रस्तावना का पाठ किया जाता है।

अत: मैं आप आदरणीय महोदय से यह प्रश्न पूछता हूँ, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

मैं आपसे दूसरी बार पूछता हूं, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

मैं तीसरी बार आपसे पूछता हूं, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

इस मामले में आदरणीय लोग पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

निदान (प्रस्तावना) का पाठ यहीं समाप्त होता है।

टिपिटक >> विनय पिटक >> **पारजिका धम्म**

थानिसारो भिक्कू, टीडब्ल्यूआरहिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किए गए अनुवाद से रूपांतरित।

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

1. पारजिका धम्म (पराजय और निष्कासन)
संघ से निष्कासन के नियम

Bhikkus Rules

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

विस्तृत परजिका: फ़ाइल:वीएन-पीएम-पराजिका-एम 1.पीडीएफ , फ़ाइल:वीएन-पीएम-पराजिका-एम 2.पीडीएफ

पराजिका ने स्कैन किया 1

स्कैन की गई पराजिका 1 का लिंक

पराजिका ने स्कैन किया 2

स्कैन की गई पराजिका 2 का लिंक

पराजिका ने 3 स्कैन किए

स्कैन की गई परजिका 3 का लिंक

पराजिका ने 4 स्कैन किए

स्कैन की गई परजिका 4 का लिंक

पराजिका सारांश
यहां पर उन चार नियमों का पाठ किया जाता है, जो उन कृत्यों से संबंधित हैं जो पराजय का कारण बनते हैं और निष्कासन की आवश्यकता होती है।

1. यदि कोई भिक्षु—भिक्षुओं के प्रशिक्षण और जीविका में भाग लेते हुए, प्रशिक्षण का त्याग किए बिना, अपनी कमजोरी को स्वीकार किए बिना—यौन संबंध में संलग्न होता है, यहाँ तक कि किसी मादा पशु के साथ भी, तो वह पराजित हो जाता है और अब भिक्षु संघ से संबद्ध नहीं रहता।

2. यदि कोई भिक्षु, चोरी माने जाने वाले कार्य में, किसी आबादी वाले क्षेत्र या जंगल से कोई ऐसी वस्तु ले ले जो उसे नहीं दी गई हो — ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा किसी अपराधी को पकड़कर उसे कोड़े मारता, कैद करता या देश निकाला देता है और कहता है, "तुम लुटेरे हो, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम चोर हो" — तो वही भिक्षु भी ऐसी वस्तु लेने पर पराजित हो जाता है और उसका भिक्षु संघ से संबंध समाप्त हो जाता है।

3. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी मनुष्य को जीवन से वंचित करे, या उसके लिए हत्यारा ढूंढे, या मृत्यु के लाभों का गुणगान करे, या उसे मरने के लिए उकसाए (यह कहते हुए): "हे मेरे भले मनुष्य, इस दुष्ट, दयनीय जीवन का तुम्हारे लिए क्या उपयोग है? जीवन से मृत्यु तुम्हारे लिए बेहतर होगी," या इस विचार या उद्देश्य से विभिन्न तरीकों से मृत्यु के लाभों का गुणगान करे या उसे मरने के लिए उकसाए, तो वह भी पराजित हो जाता है और भिक्षु संघ से विमुख हो जाता है।

4. यदि कोई भिक्षु प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना, अपने भीतर श्रेष्ठ मानवीय अवस्था, सच्चे श्रेष्ठ ज्ञान और दृष्टि का दावा करते हुए कहे, "मैं इस प्रकार जानता हूँ; मैं इस प्रकार देखता हूँ," और चाहे बाद में उससे पूछताछ की जाए या न की जाए, वह पश्चाताप करते हुए और शुद्धि की इच्छा रखते हुए कह सकता है, "मित्रों, न जानते हुए भी मैंने कहा कि मैं जानता हूँ; न देखते हुए भी मैंने कहा कि मैं देखता हूँ - व्यर्थ, झूठ, व्यर्थ ही," जब तक कि यह अतिशयोक्ति के कारण न हो, वह भी पराजित हो जाता है और अब भिक्षु संघ से संबद्ध नहीं रहता।

आदरणीय महोदय, पराजय की चार अवस्थाओं का पाठ किया जा चुका है, जिनमें से किसी एक अवस्था में भी भिक्षु के अपंग हो जाने पर उसे अन्य भिक्षुओं के साथ सहवास करने की अनुमति नहीं रहती। पहले जैसा था, वैसा ही पराजय प्राप्त है; वह भिक्षुओं के साथ सहवास में नहीं रह सकता।

उनके संबंध में मैं आदरणीय व्यक्तियों से पूछता हूं, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

मैंने दूसरी बार पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

मैंने तीसरी बार पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

इस मामले में आदरणीय लोग पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

यहां पर पराजिका नियमों का पाठ समाप्त होता है, जो पराजय का कारण बनते हैं और निष्कासन की मांग करते हैं।

भिक्खुनी नियमों का सारांश
पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

भिक्कुनि परजिका: फ़ाइल: परजिका-एफ.पीडीएफ

---

1. यदि कोई भिक्षुणी स्वेच्छा से यौन संबंध बनाती है, भले ही वह नर पशु के साथ हो, तो वह पराजित हो जाती है और अब भिक्षुणी संघ से बाहर हो जाती है।

2. यदि कोई भिक्षुणी, चोरी माने जाने वाले कार्य में, किसी आबादी वाले क्षेत्र या जंगल से कोई ऐसी वस्तु ले ले जो उसे नहीं दी गई हो — ठीक वैसे ही जैसे कोई भिक्षुणी किसी ऐसी वस्तु को लेने पर, जिसे उसे नहीं दी गई हो, उसे कोड़े मारती, कैद करती या देश निकाला देती है, यह कहते हुए, "तुम लुटेरी हो, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम चोर हो" — तो उसी प्रकार कोई भिक्षुणी जो उसे नहीं दी गई हो, वह पराजित हो जाती है और भिक्षुणी संघ से विमुख हो जाती है।

3. यदि कोई भिक्षुणी जानबूझकर किसी मनुष्य को मृत्युदंड दे, या उसके लिए हत्यारा ढूंढे, या मृत्यु के लाभों का गुणगान करे, या उसे यह कहकर मरने के लिए उकसाए, "हे मेरे भले मनुष्य, इस दुष्ट, दुखमय जीवन का तुम्हारे लिए क्या उपयोग है? जीवन से मृत्यु तुम्हारे लिए बेहतर होगी," या इस तरह के विचार या उद्देश्य से विभिन्न तरीकों से मृत्यु के लाभों का गुणगान करे या उसे मरने के लिए उकसाए, तो वह भी पराजित हो जाती है और भिक्षुणी से संबंध समाप्त हो जाता है।

4. यदि कोई भिक्षुणी प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना, अपने भीतर श्रेष्ठ मानवीय अवस्था, सच्चे श्रेष्ठ ज्ञान और दृष्टि का दावा करते हुए कहे, "मैं इस प्रकार जानती हूँ; मैं इस प्रकार देखती हूँ," और बाद में चाहे उससे पूछताछ की जाए या न की जाए, पश्चाताप और शुद्धि की इच्छा से वह कहे, "देवियों, न जानते हुए भी मैंने कहा कि मैं जानती हूँ; न देखते हुए भी मैंने कहा कि मैं देखती हूँ - व्यर्थ, झूठ, व्यर्थ ही," जब तक कि यह अतिशयोक्ति के कारण न हो, वह भी पराजित हो जाती है और अब भिक्षुणी नहीं रह जाती।

5. यदि कोई भिक्षुणी, कामुक अवस्था में, किसी कामुक पुरुष द्वारा कॉलरबोन के नीचे और घुटनों के घेरे के ऊपर रगड़ने, छूने, पकड़ने, स्पर्श करने या सहलाने की अनुमति देती है, तो वह भी पराजित हो जाती है और "घुटनों के घेरे के ऊपर" होने के कारण अब भिक्षुणी संघ से बाहर हो जाती है।

6. यदि कोई भिक्षुणी, यह जानते हुए कि (दूसरी) भिक्षुणी ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा है, न तो स्वयं उस पर आरोप लगाए और न ही समूह को सूचित करे, और फिर—चाहे वह (दूसरी भिक्षुणी) जीवित हो या मर गई हो, निष्कासित हो गई हो या किसी अन्य संप्रदाय में चली गई हो—वह (यह भिक्षुणी) कहे, "हे देवियों, मुझे पहले से ही इस भिक्षुणी के बारे में पता था कि 'यह बहन इस प्रकार की है,' और मैंने स्वयं उस पर आरोप नहीं लगाया और न ही समूह को सूचित किया," तो वह भी पराजित हो जाती है और "दोष छिपाने वाली" होने के कारण अब समूह से संबद्ध नहीं रहती।

7. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसे भिक्षु का अनुसरण करे जिसे धर्म, विनय और गुरु के निर्देशों के अनुसार संयुक्त भिक्षु समुदाय द्वारा निलंबित कर दिया गया हो, और जो अनादरपूर्ण व्यवहार करता हो, जिसने अपने पापों का प्रायश्चित न किया हो, और भिक्षुओं से मित्रता तोड़ ली हो, तो भिक्षुणियाँ उसे इस प्रकार समझाएँ: "हे देवी, उस भिक्षु को धर्म, विनय और गुरु के निर्देशों के अनुसार संयुक्त भिक्षु

समुदाय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। वह अनादरपूर्ण व्यवहार करता है, उसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है, और उसने भिक्षुओं से मित्रता तोड़ ली है। हे देवी, उसका अनुसरण न करें।"

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपने आचरण पर अड़ी रहती है, तो भिक्षुणियों को उसे तीन बार तक फटकारना चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार सुनने के बाद भी वह रुक जाती है, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकती, तो वह भी पराजित हो जाती है और "निलंबित (भिक्षु) की अनुयायी" होने के कारण अब भिक्षुणी संघ से बाहर हो जाती है।

8. यदि कोई भिक्षुणी, कामवासना में लीन होकर, किसी कामवासना में लीन पुरुष को अपना हाथ पकड़ने या अपने वस्त्र के किनारे को छूने की अनुमति दे, या उसके साथ खड़ी हो, उससे बातचीत करे, या उसके साथ किसी गुप्त स्थान में जाए, या उसके पास आने की अनुमति दे, या उसके साथ किसी गुप्त स्थान में प्रवेश करे, या उस अधार्मिक कार्य (शारीरिक संपर्क) के उद्देश्य से अपना शरीर उसे सौंप दे, तो वह भी पराजित हो जाती है और आठों कारणों से भिक्षुणी से संबंध समाप्त हो जाता है।

तिपिटक >> विनय पिटक >> **संघादिसेसा धम्म**

यह पाठ थानिसारो भिक्कू, टीडब्ल्यूआरहिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किए गए अनुवाद से रूपांतरित किया गया है।

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

2. संघदिशेष धम्म
(गंभीर गलतियों के लिए नियम जिनके लिए संगठन की प्रारंभिक और बाद की बैठकों की आवश्यकता होती है)

भिक्षुओं के नियम

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

विस्तृत पाठ: फ़ाइल:VN-PM-Sanghadidesa-M.pdf

संघदिसेसा स्कैन की गई पुस्तक

स्कैन की गई संघदिसेसा पुस्तक का लिंक

संघदिसेसा सारांश

हे आदरणीय महोदय, यहाँ तेरह विषय और वे नियम प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो संघ की प्रारंभिक और बाद की बैठकों के लिए आवश्यक हैं।

1. सपने में वीर्यपात करने के अलावा, जानबूझकर वीर्यपात करने पर समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें होती हैं।

2. यदि कोई भिक्षु कामवासना से ग्रस्त होकर, परिवर्तित मन से, किसी स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करे, या उसका हाथ पकड़े, उसके बालों की लट पकड़े, या उसके किसी अंग को स्पर्श करे, तो इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकों में भाग लेना अनिवार्य है।

3. यदि कोई भिक्षु कामवासना से ग्रस्त होकर, विकृत मन से, किसी स्त्री से यौन संबंध का संकेत देते हुए, युवकों द्वारा युवतियों से कहे जाने वाले अश्लील शब्दों का प्रयोग करे, तो इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें अनिवार्य होंगी।

4. यदि कोई भिक्षु, कामवासना से ग्रस्त होकर, विकृत मन से, किसी स्त्री की उपस्थिति में अपनी कामुकता को संतुष्ट करने की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार बोले: "बहन, यही सर्वोत्कृष्ट सेवा है, जो मेरे जैसे गुणी, उत्तम स्वभाव वाले ब्रह्मचारी अनुयायी की इस कार्य से सेवा करना है" - यौन संबंध का संकेत देते हुए - तो इससे समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें रद्द हो जाएंगी।

5. यदि कोई भिक्षु किसी पुरुष के इरादे किसी स्त्री को या किसी स्त्री के इरादे किसी पुरुष को बताता है, विवाह या प्रेम संबंध का प्रस्ताव रखता है - भले ही वह क्षणिक संबंध के लिए ही क्यों न हो - तो इसमें समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें शामिल होती हैं।

6. जब कोई भिक्षु अपने स्वयं के भीख मांगने से अर्जित धन से, बिना किसी संरक्षक के और अपने लिए ही, कुटिया बनवा रहा हो, तो उसे मानक माप के अनुसार बनवाना चाहिए। यहाँ मानक माप यह है: सुगत स्पैन की लंबाई (बाहरी माप) बारह स्पैन और आंतरिक चौड़ाई (आंतरिक माप) सात स्पैन। भिक्षुओं को एकत्रित होकर स्थान निर्धारित करना चाहिए। भिक्षुओं द्वारा निर्धारित स्थान अशांति रहित और पर्याप्त स्थान वाला होना चाहिए। यदि भिक्षु अपने ही भीख मांगने से अर्जित धन से अशांति वाले और अपर्याप्त स्थान वाले स्थान पर कुटिया बनवाता है, या यदि वह स्थान निर्धारित करने के लिए भिक्षुओं को एकत्रित नहीं करता है, या यदि वह मानक माप का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और अनुवर्ती बैठकें आयोजित करनी होंगी।

7. जब कोई भिक्षु किसी बड़े निवास का निर्माण करवा रहा हो—जिसका कोई प्रायोजक हो और जो उसके स्वयं के लिए नियत हो—तो उसे भिक्षुओं को एकत्रित करके स्थान का निर्धारण करना चाहिए। भिक्षुओं द्वारा निर्धारित स्थान अशांति रहित और पर्याप्त स्थान वाला होना चाहिए। यदि भिक्षु अशांतियुक्त और अपर्याप्त स्थान वाले स्थान पर बड़ा निवास बनवाता है, या यदि वह भिक्षुओं को एकत्रित करके स्थान का निर्धारण नहीं करता है, तो इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और अनुवर्ती बैठकें आयोजित करनी होंगी।

8. यदि कोई भिक्षु—भ्रष्ट, द्वेषी, असंतुष्ट—किसी भिक्षु पर निराधार आरोप लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करे, (यह सोचकर), "शायद मैं उसे इस ब्रह्मचर्य जीवन से विमुख कर दूँ," तो चाहे बाद में उससे पूछताछ की जाए या न की जाए, यदि आरोप निराधार है और भिक्षु अपना द्वेष स्वीकार करता है, तो इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित करनी होंगी।

9. यदि कोई भिक्षु—भ्रष्ट, द्वेषी, असंतुष्ट—किसी मुद्दे के किसी अन्य पहलू का मात्र बहाना बनाकर, किसी भिक्षु पर ऐसा मुकदमा चलाता है जिससे उसकी हार निश्चित हो, (यह सोचकर), "शायद मैं उसे इस ब्रह्मचर्य जीवन से विमुख कर दूँ," तो चाहे बाद में उससे पूछताछ की जाए या न की जाए, यदि मुद्दा अन्यथा प्रासंगिक है, और वह पहलू मात्र बहाना है, और भिक्षु अपनी द्वेष भावना स्वीकार करता है, तो इसके परिणामस्वरूप समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें होंगी।

10. यदि कोई भिक्षु एकजुट समुदाय में फूट डालने का प्रयास करे, या फूट उत्पन्न करने वाले किसी मुद्दे को उठाने पर अड़ा रहे, तो भिक्षुओं को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे पूज्यवर, एकजुट समुदाय में फूट डालने का प्रयास न करें और न ही फूट उत्पन्न करने वाले किसी मुद्दे को उठाने पर अड़े रहें। पूज्यवर समुदाय से मेल-मिलाप कर लें, क्योंकि एक एकजुट समुदाय सौहार्दपूर्ण संबंधों के साथ, बिना किसी विवाद के, एक साथ पाठ करते हुए शांति से निवास करता है।"

और यदि भिक्षुओं द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी वह भिक्षु पहले की तरह ही अपने आचरण पर अडिग रहे, तो भिक्षुओं को उसे तीन बार तक फटकार लगानी चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार लगने के बाद भी वह रुक जाए, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकता है, तो इसके परिणामस्वरूप समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें होंगी।

11. यदि कोई भिक्षु—एक, दो या तीन—जो उस भिक्षु के अनुयायी और समर्थक हों, कहें, "हे आदरणीय महोदय, उस भिक्षु को किसी भी प्रकार से फटकार न लगाएँ। वह धम्म का उपदेशक है। वह विनय का उपदेशक है। वह हमारी सहमति और स्वीकृति से कार्य करता

है। वह जानता है, वह हमारी ओर से बोलता है, और यह हमें प्रसन्न करता है," तो भिक्षुओं को उन्हें इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे आदरणीय महोदय, ऐसा न कहें। वह भिक्षु न तो धम्म का उपदेशक है और न ही विनय का उपदेशक। हे आदरणीय महोदय, समुदाय में फूट का समर्थन न करें। आदरणीय व्यक्तियों का मन समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करे, क्योंकि सौहार्दपूर्ण संबंधों वाला, बिना किसी विवाद के, एक समान पाठ के साथ एकजुट समुदाय शांति से निवास करता है।"

और यदि भिक्षुओं द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे पहले की तरह ही अपना आचरण जारी रखते हैं, तो भिक्षुओं को उन्हें तीन बार तक फटकारना चाहिए ताकि वे रुक जाएँ। यदि तीन बार फटकार सुनने के बाद भी वे रुक जाते हैं, तो यह अच्छी बात है। यदि वे नहीं रुकते हैं, तो इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित करनी होंगी।

12. यदि कोई भिक्षु स्वभाव से उपदेश देने में कठिन हो—जो भिक्षुओं द्वारा (पाटिमोक्खा) पाठ में शामिल प्रशिक्षण नियमों के संदर्भ में उचित उपदेश दिए जाने पर, स्वयं को उपदेश के लिए अनुपयुक्त बना ले, (यह कहते हुए) "हे पूज्यवरों, मुझसे कुछ भी अच्छा या बुरा न कहें; और मैं भी पूज्यवरों से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा। हे पूज्यवरों, मुझे उपदेश देना बंद करें"—तो भिक्षुओं को उसे इस प्रकार उपदेश देना चाहिए: "हे पूज्यवर स्वयं को उपदेश के लिए अनुपयुक्त न बनाएं। हे पूज्यवर स्वयं को उपदेश के लिए उपयुक्त बनाएं। हे पूज्यवर भिक्षुओं को उचित उपदेश दें, और भिक्षु हे पूज्यवर को उचित उपदेश दें; क्योंकि इसी प्रकार भगवान बुद्ध के अनुयायियों का पोषण होता है: पारस्परिक उपदेश और पारस्परिक पुनर्वास के माध्यम से।"

और यदि भिक्षुओं द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी वह भिक्षु पहले की तरह ही अपने आचरण पर अडिग रहे, तो भिक्षुओं को उसे तीन बार तक फटकार लगानी चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार लगने के बाद भी वह रुक जाए, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकता है, तो इसके परिणामस्वरूप समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें होंगी।

13. यदि कोई भिक्षु किसी गाँव या कस्बे पर निर्भर रहकर परिवारों को भ्रष्ट करता है, भ्रष्ट आचरण करता है—जिसका भ्रष्ट आचरण सबके सामने है और जिन परिवारों को उसने भ्रष्ट किया है, वे भी सबके सामने हैं—तो भिक्षुओं को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे पूज्यवर, आप परिवारों को भ्रष्ट करते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं। आपका भ्रष्ट आचरण सबके सामने है और जिन परिवारों को आपने भ्रष्ट किया है, वे भी सबके सामने हैं। हे पूज्यवर, इस मठ को छोड़ दीजिए। आपका यहाँ रहना अब और नहीं चलेगा।"

और यदि वह भिक्षु, भिक्षुओं द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर, भिक्षुओं के बारे में कहे, "भिक्षु पक्षपात करते हैं, घृणा करते हैं, भ्रम में रहते हैं, भय में रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अपराध के लिए वे कुछ को निष्कासित करते हैं और दूसरों को नहीं," तो भिक्षु उसे इस प्रकार चेतावनी दें: "हे पूज्यवर, ऐसा न कहें। भिक्षु पक्षपात नहीं करते, घृणा नहीं करते, भ्रम में नहीं रहते, भय में नहीं रहते। हे पूज्यवर, आप परिवारों को भ्रष्ट करने वाले, भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति हैं। आपका भ्रष्ट आचरण सबके सामने है, और जिन परिवारों को आपने भ्रष्ट किया है, वे भी सबके सामने हैं। हे पूज्यवर, इस मठ को छोड़ दें। आपका यहाँ रहना अब और नहीं चलेगा।"

और यदि भिक्षुओं द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी वह भिक्षु पहले की तरह ही अपने आचरण पर अडिग रहे, तो भिक्षुओं को उसे तीन बार तक फटकार लगानी चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार लगने के बाद भी वह रुक जाए, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकता है, तो इसके परिणामस्वरूप समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें होंगी।

आदरणीय महोदय, तेरह ऐसे मामले जिनका प्रारंभिक और परवर्ती दोनों चरणों में संघ की औपचारिक बैठकों की आवश्यकता होती है, उनका उल्लेख किया जा चुका है; नौ ऐसे मामले जो तुरंत अपराध बन जाते हैं, और चार ऐसे मामले जो तीसरी चेतावनी तक पूरे नहीं होते।

यदि किसी भिक्षु ने इनमें से कोई भी अपराध किया हो, तो जितने दिन वह जानबूझकर अपने पाप को छुपाता है, उतने दिनों तक उसे, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, परीक्षा में रहना होगा। परीक्षा समाप्त होने पर, उस भिक्षु को छह और दिनों तक मनत्ता (तपस्या) करनी होगी। तपस्या समाप्त होने पर, उस भिक्षु को ऐसे स्थान पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ भिक्षुओं का समुदाय बीस सदस्यों का हो। यदि बीस से कम सदस्यों वाले भिक्षुओं का समुदाय, एक भी कम सदस्य होने पर भी, उस भिक्षु को पुनः स्थापित कर दे, तो उसे पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा और वह समुदाय निंदनीय होगा। ऐसी स्थिति में यही उचित प्रक्रिया है।

उनके संबंध में मैं आदरणीय व्यक्तियों से पूछता हूं, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

मैंने दूसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

मैंने तीसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

इस मामले में आदरणीय लोग पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

संघदिशेषों के नियमों का पाठ यहीं समाप्त होता है, जो संघ की प्रारंभिक और बाद की बैठकों के लिए आवश्यक हैं।

भिक्कुनी नियम
पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

भिक्कुनी संघादिसेसा: फ़ाइल: संघदिसेसा-एफ.पीडीएफ

---

1. यदि कोई भिक्षुणी किसी गृहस्थ, गृहस्थ के पुत्र, दास, श्रमिक या यहाँ तक कि किसी ध्यानमग्न भिक्षु के विरुद्ध मुकदमा शुरू करती है, तो ऐसी भिक्षुणी को अपराध के पहले कृत्य में पड़ते ही (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

2. यदि कोई भिक्षुणी राजा, समुदाय, शासी परिषद, शासी समिति या शासी संघ से अनुमति प्राप्त किए बिना जानबूझकर मृत्युदंड प्राप्त किसी महिला चोर को उपसंपदा देती है (जब तक कि वह महिला अनुमेय न हो (अर्थात, पहले से ही किसी अन्य संप्रदाय में या अन्य भिक्षुणियों के साथ दीक्षित न हो) - तो ऐसी भिक्षुणी को भी, अपराध के पहले कृत्य में दोषी पाए जाने के तुरंत बाद (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

3. यदि कोई भिक्षुणी अकेले गांवों में जाए, या अकेले नदी के दूसरे किनारे पर जाए, या अकेले रात बिताए, या अकेले अपने साथियों से पीछे रह जाए, तो ऐसी भिक्षुणी को भी, जैसे ही वह पहला अपराध करती है, (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित करनी होंगी।

4. यदि कोई भिक्षुणी, उस समुदाय से अनुमति प्राप्त किए बिना जिसने यह कार्य किया है, और समुदाय की इच्छा जाने बिना, किसी ऐसी भिक्षुणी को पुनर्स्थापित करती है जिसे धम्म, विनय और गुरु के निर्देशों के अनुरूप सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले समुदाय ने निलंबित कर दिया है: तो ऐसी भिक्षुणी को भी, प्रथम अपराध करते ही, (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें अनिवार्य होंगी।

5. यदि कोई भिक्षुणी कामुक अवस्था में किसी कामुक पुरुष के हाथ से मुख्य या गैर-मुख्य भोजन प्राप्त करके उसका सेवन या चबाती है, तो ऐसी भिक्षुणी को भी, अपराध के पहले कार्य में पड़ते ही, (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसमें समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें शामिल होंगी।

6. यदि कोई भिक्षुणी कहे, "तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि यह पुरुष कामुक है या नहीं, जब तुम कामुक नहीं हो? हे देवी, कृपया जो कुछ भी यह पुरुष दे रहा है - चाहे वह मुख्य भोजन हो या गौण भोजन - उसे अपने हाथ से ग्रहण करो और खाओ या चबाओ": तो ऐसी भिक्षुणी को भी, अपराध के पहले ही कार्य में पड़कर, (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकों में भाग लेना होगा।

7 [5]. यदि कोई भिक्षुणी किसी पुरुष के इरादे किसी स्त्री को या किसी स्त्री के इरादे किसी पुरुष को विवाह या प्रेम का प्रस्ताव देते हुए बताती है—भले ही क्षणिक संबंध के लिए ही क्यों न हो: तो ऐसी भिक्षुणी को भी, अपराध के पहले कृत्य में पड़ते ही (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसमें समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें शामिल होंगी।

8. यदि कोई भिक्षुणी—भ्रष्ट, द्वेषी, असंतुष्ट—किसी भिक्षुणी पर निराधार आरोप लगाकर उसे पराजित करे, (यह सोचकर), "शायद मैं उसे इस ब्रह्मचर्य जीवन से विमुख कर दूँ," तो चाहे बाद में उससे पूछताछ की जाए या न की जाए, यदि आरोप निराधार है और भिक्षुणी अपनी घृणा स्वीकार करती है: तो ऐसी भिक्षुणी को भी, अपराध के पहले कृत्य में पड़ते ही, (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसमें समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें शामिल होंगी।

9 [9]. यदि कोई भिक्षुणी— भ्रष्ट, घृणास्पद, असंतुष्ट— किसी मुद्दे के किसी अन्य पहलू का मात्र एक चाल के रूप में उपयोग करते हुए, किसी भिक्षुणी पर हार का कारण बनने वाला मुकदमा चलाती है, (यह सोचकर), "शायद मैं उसे इस ब्रह्मचर्य जीवन से विमुख कर दूँ,"

तो चाहे बाद में उससे जिरह की जाए या न की जाए, यदि मुद्दा अन्यथा प्रासंगिक है, और वह पहलू मात्र एक चाल के रूप में उपयोग किया गया है, और भिक्षुणी अपनी घृणा स्वीकार करती है: तो यह भिक्षुणी भी, जैसे ही वह अपराध के पहले कृत्य में पड़ जाती है, उसे (अस्थायी रूप से) निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसमें समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें शामिल होंगी।

10. यदि कोई भिक्षुणी क्रोधित और असंतुष्ट होकर कहे, "मैं बुद्ध का त्याग करती हूँ, मैं धम्म का त्याग करती हूँ, मैं संघ का त्याग करती हूँ, मैं प्रशिक्षण का त्याग करती हूँ। शाक्य पुत्री साध्वी कब से एकमात्र साध्वी हो गईं? अन्य साध्वी भी हैं जो विवेकशील, ईमानदार और प्रशिक्षण की इच्छुक हैं। मैं उनके साथ रहकर पवित्र जीवन का अभ्यास करूँगी," तो भिक्षुणियों को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे देवी, क्रोधित और असंतुष्ट होकर ऐसा मत कहो, 'मैं बुद्ध का त्याग करती हूँ, मैं धम्म का त्याग करती हूँ, मैं संघ का त्याग करती हूँ, मैं प्रशिक्षण का त्याग करती हूँ। शाक्य पुत्री साध्वी कब से एकमात्र साध्वी हो गईं? अन्य साध्वी भी हैं जो विवेकशील, ईमानदार और प्रशिक्षण की इच्छुक हैं। मैं उनके साथ रहकर पवित्र जीवन का अभ्यास करूँगी।'" आनंदित होइए, हे महिला। धम्म का भली-भांति वर्णन किया गया है। दुखों के उचित निवारण के लिए पवित्र जीवन का अनुसरण कीजिए।

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपने आचरण को जारी रखती है, तो भिक्षुणियों को उसे तीन बार तक फटकारना चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार सुनने के बाद भी वह रुक जाती है, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकती है, तो जैसे ही वह तीसरी बार अपराध करती है, उसे (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है।

11. यदि कोई भिक्षुणी किसी मामूली बात पर भी क्रोधित होकर, नाराज़ और असंतुष्ट होकर कहे, "भिक्षुणियाँ पक्षपात, घृणा, भ्रम और भय के कारण पक्षपात करती हैं," तो भिक्षुणियाँ उसे इस प्रकार समझाएँ: "हे देवी, मामूली बात पर भी क्रोधित होकर, नाराज़ और असंतुष्ट होकर ऐसा न कहें, 'भिक्षुणियाँ पक्षपात, घृणा, भ्रम और भय के कारण पक्षपात करती हैं। हो सकता है कि आप स्वयं पक्षपात, घृणा, भ्रम और भय के कारण पक्षपात करती हों।"

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपने आचरण को जारी रखती है, तो भिक्षुणियों को उसे तीन बार तक फटकारना चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार सुनने के बाद भी वह रुक जाती है, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकती है, तो जैसे ही वह तीसरी बार अपराध करती है, उसे (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है।

12. यदि भिक्षुणियाँ आपस में बंधी हुई हों, उनका आचरण भ्रष्ट हो, उनकी प्रतिष्ठा भ्रष्ट हो, उनकी बदनामी हो (उनकी आजीविका भ्रष्ट हो), वे भिक्षुणी समुदाय को परेशान कर रही हों, और एक-दूसरे के दोषों को छुपा रही हों, तो भिक्षुणियों को उन्हें इस प्रकार चेतावनी देनी चाहिए: "बहनें आपस में बंधी हुई हैं, उनका आचरण भ्रष्ट है, उनकी प्रतिष्ठा भ्रष्ट है, उनकी बदनामी भ्रष्ट है। हे देवियों, (अपना समूह) अलग हो जाओ। समुदाय बहनों के लिए कठोर एकांतवास की अनुशंसा करता है।"

और यदि वे भिक्षुणियाँ, भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपना अपराध जारी रखें, तो भिक्षुणियाँ उन्हें तीन बार तक फटकारेंगी ताकि वे रुक जाएँ। यदि भिक्षुणियों द्वारा तीन बार फटकारे जाने पर भी वे रुक जाएँ, तो यह अच्छा है। यदि वे न रुकें, तो ये भिक्षुणियाँ भी, जैसे ही वे तीसरी बार अपराध करें, (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दी जाएँगी, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित करनी होंगी। (§¶)

13. यदि कोई भिक्षुणी (पूर्ववर्ती मामले में आलोचना की गई भिक्षुणियों से) कहे, "हे देवियों, आपस में बंधी रहो। अलग मत रहो। समुदाय में अन्य भिक्षुणियाँ भी हैं जिनका आचरण, प्रतिष्ठा और बदनामी तुम्हारे जैसी ही है, जो भिक्षुणी समुदाय को परेशान करती हैं, एक-दूसरे के दोषों को छुपाती हैं, लेकिन समुदाय उन्हें कुछ नहीं कहता। तुम्हारी कमजोरी (पक्षपाती न होने) के कारण ही समुदाय - तिरस्कार, उपहास, असहिष्णुता और धमकियों के साथ - कहता है, 'बहनें आपस में बंधी हुई हैं, उनका आचरण भ्रष्ट है, उनकी प्रतिष्ठा भ्रष्ट है, उनकी बदनामी भ्रष्ट है। हे देवियों, (अपना समूह) तोड़ लो। समुदाय बहनों के लिए कठोर एकांतवास की अनुशंसा करता है,' तो भिक्षुणियों को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे देवी, ऐसा मत कहो, 'हे देवियों, आपस में बंधी रहो। अलग मत रहो। अन्य भिक्षुणियाँ भी हैं। एक ही आचरण, एक ही प्रतिष्ठा और एक ही बदनामी वाली भिक्षुणियाँ समुदाय में एक दूसरे को परेशान कर रही हैं, एक दूसरे की गलतियों को छुपा रही हैं, लेकिन समुदाय उन्हें कुछ नहीं कहता। तुम्हारी कमजोरी के कारण ही समुदाय - तिरस्कार, घृणा, असहिष्णुता और धमकियों के साथ - कहता है, "बहनें आपस में उलझी हुई हैं, उनका आचरण भ्रष्ट है, उनकी प्रतिष्ठा भ्रष्ट है, उनकी बदनामी भ्रष्ट है। देवियों, अपना समूह तोड़ लो। समुदाय बहनों के लिए सख्त एकांतवास की सिफारिश करता है।"

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपने आचरण को जारी रखती है, तो भिक्षुणियाँ उसे तीन बार तक फटकारेंगी ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार दिए जाने पर भी वह रुक जाती है, तो यह अच्छा

है। यदि वह नहीं रुकती है, तो जैसे ही वह तीसरी बार अपराध करती है, उसे (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित करनी होंगी। (§•)

14 [10]. यदि कोई भिक्षुणी एक संयुक्त समुदाय में फूट डालने का प्रयास करे, या फूट उत्पन्न करने वाले किसी मुद्दे को उठाने पर अड़ी रहे, तो भिक्षुणियों को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे देवी, एक संयुक्त समुदाय में फूट डालने का प्रयास न करें और न ही फूट उत्पन्न करने वाले किसी मुद्दे को उठाने पर अड़ी रहें। कृपया समुदाय से मेल-मिलाप कर लें, क्योंकि एक संयुक्त समुदाय सौहार्दपूर्ण संबंधों के साथ, बिना किसी विवाद के, एक साथ पाठ करते हुए शांति से निवास करता है।"

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपने आचरण को जारी रखती है, तो भिक्षुणियों को उसे तीन बार तक फटकारना चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार सुनने के बाद भी वह रुक जाती है, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकती है, तो जैसे ही वह तीसरी बार अपराध करती है, उसे (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है।

15 [11]. यदि उस भिक्षुणी की अनुयायी और समर्थक एक, दो या तीन भिक्षुणियाँ कहें, "हे देवियों, उस भिक्षुणी को किसी भी प्रकार से फटकार न लगाएँ। वह धम्म की प्रतिपादक हैं, वह विनय की प्रतिपादक हैं। वह हमारी सहमति और अनुमोदन से कार्य करती हैं। वह जानती हैं, वह हमारे लिए बोलती हैं, और यह हमें प्रसन्न करता है," तो भिक्षुणियों को उन्हें इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे देवियों, ऐसा न कहें। वह भिक्षुणी न तो धम्म की प्रतिपादक हैं और न ही विनय की प्रतिपादक हैं। हे देवियों, समुदाय में फूट का समर्थन न करें। देवियों के मन समुदाय के साथ मेल-मिलाप करें, क्योंकि सौहार्दपूर्ण संबंधों वाला, बिना किसी विवाद के, एक समान पाठ के साथ एकजुट समुदाय शांति से निवास करता है।"

और यदि वे भिक्षुणियाँ, भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपना अपराध जारी रखती हैं, तो भिक्षुणियाँ उन्हें तीन बार तक फटकारेंगी ताकि वे रुक जाएँ। यदि भिक्षुणियों द्वारा तीन बार फटकारे जाने पर भी वे रुक जाएँ, तो यह अच्छी बात है। यदि वे नहीं रुकतीं, तो ये भिक्षुणियाँ भी, जैसे ही वे तीसरी बार अपराध करती हैं, (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दी जाएँगी, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकें आयोजित करनी होंगी।

16 [12]. यदि कोई भिक्षुणी स्वभाव से उपदेश देने में कठिन हो—जो (पाटिमोक्खा) पाठ में शामिल प्रशिक्षण नियमों के संदर्भ में भिक्षुणियों द्वारा उचित रूप से उपदेश दिए जाने पर, स्वयं को उपदेश के लिए अनुपयुक्त बना ले, (यह कहते हुए) "हे देवियों, मुझसे कुछ भी अच्छा या बुरा न कहें; और मैं भी देवियों से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं कहूँगी। हे देवियों, मुझे उपदेश देना बंद करें"—तो भिक्षुणियों को उसे इस प्रकार उपदेश देना चाहिए: "वह स्वयं को उपदेश के लिए अनुपयुक्त न बनाए। वह स्वयं को उपदेश के लिए उपयुक्त बनाए। वह भिक्षुणियों को उचित उपदेश दे, और भिक्षुणियाँ भी उसे उचित उपदेश दें; क्योंकि इसी प्रकार भगवान बुद्ध के अनुयायियों का पोषण होता है: पारस्परिक उपदेश और पारस्परिक पुनर्वास के माध्यम से।"

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपने आचरण को जारी रखती है, तो भिक्षुणियों को उसे तीन बार तक फटकारना चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार सुनने के बाद भी वह रुक जाती है, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकती है, तो जैसे ही वह तीसरी बार अपराध करती है, उसे (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है।

17 [13]. यदि किसी गाँव या कस्बे पर निर्भर रहने वाली कोई भिक्षुणी परिवारों को भ्रष्ट करने वाली, दुराचारी स्त्री हो—जिसका दुराचार सबके सामने हो और जिन परिवारों को उसने भ्रष्ट किया है, वे भी सबके सामने हों—तो भिक्षुणियों को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे देवी, तुम परिवारों को भ्रष्ट करने वाली, दुराचारी स्त्री हो। तुम्हारा दुराचार सबके सामने हो और जिन परिवारों को तुमने भ्रष्ट किया है, वे भी सबके सामने हों। हे देवी, इस मठ को छोड़ दो। यहाँ तुम्हारा रहना अब बस करो।"

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार उपदेशित किए जाने पर, भिक्षुणियों के बारे में कहे, "भिक्षुणियाँ पक्षपात करती हैं, घृणा करती हैं, भ्रम में रहती हैं, भय में रहती हैं, क्योंकि इस प्रकार के अपराध के लिए वे कुछ को निष्कासित करती हैं और कुछ को नहीं," तो भिक्षुणियाँ उसे इस प्रकार उपदेश देंगी: "ऐसा मत कहो, हे देवी। भिक्षुणियाँ न तो पक्षपात करती हैं, न घृणा में रहती हैं, न भ्रम में रहती हैं, न भय में रहती हैं। हे देवी, तुम परिवारों को भ्रष्ट करने वाली, भ्रष्ट आचरण वाली स्त्री हो। तुम्हारा भ्रष्ट आचरण सबके सामने है, और जिन परिवारों को तुमने भ्रष्ट किया है, उनके बारे में भी सब जानते हैं। हे देवी, इस मठ को छोड़ दो। तुम्हारा यहाँ रहना अब और नहीं चलेगा।"

और यदि वह भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी, पहले की तरह ही अपने आचरण को जारी रखती है, तो भिक्षुणियों को उसे तीन बार तक फटकारना चाहिए ताकि वह रुक जाए। यदि तीन बार फटकार सुनने के बाद भी वह रुक जाती है, तो यह अच्छी बात है। यदि वह नहीं रुकती है, तो जैसे ही वह तीसरी बार अपराध करती है, उसे (अस्थायी रूप से) समुदाय से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए समुदाय की प्रारंभिक और बाद की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है।

टिपिटक >> विनय पिटक >> **अनियता धम्म**

थानिसारो भिक्कू, टीडब्ल्यूआरहिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किए गए अनुवाद से रूपांतरित।

पतिमोक्खा

---

3. अनियता धम्म
(अनिश्चित मामलों से संबंधित नियम)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

विस्तृत पाठ: फ़ाइल:VN-PM-Aniata-M.pdf

महोदय महोदय, अब अनिश्चित मामलों से संबंधित दो नियमों का पाठ किया जाएगा।

1. यदि कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ एकांत में, यौन संबंध के लिए उपयुक्त स्थान पर बैठे, और कोई विश्वसनीय स्त्री अनुयायी उन्हें देखकर यह बताए कि यह तीन स्थितियों में से कोई एक है—हार, सामूहिक सभा या पश्चात्ताप—तो भिक्षु, यह स्वीकार करते हुए कि वह वहाँ बैठा था, इन तीनों स्थितियों में से किसी एक के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है—हार, सामूहिक सभा या पश्चात्ताप—या फिर उसके साथ उस स्थिति के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है जिसका वर्णन विश्वसनीय स्त्री अनुयायी ने किया है। यह स्थिति अनिश्चित है।

2. यदि कोई आसन यौन संबंध के लिए पर्याप्त रूप से एकांत में न हो, परन्तु किसी स्त्री से अश्लील शब्द कहने के लिए पर्याप्त रूप से एकांत में हो, और कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ एकांत में ऐसे आसन पर बैठे, और कोई विश्वसनीय स्त्री अनुयायी उन्हें देखकर यह वर्णन करे कि यह दो स्थितियों में से एक है—सामूहिक सभा या पश्चात्ताप—तो भिक्षु, यह स्वीकार करते हुए कि वह वहाँ बैठा था, उसके साथ दोनों स्थितियों में से किसी एक के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है—सामूहिक सभा या पश्चात्ताप—या उसके साथ उस स्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाएगा जिसका वर्णन विश्वसनीय स्त्री अनुयायी ने किया है। यह स्थिति भी अनिश्चित है।

आदरणीय महोदय, अनिश्चित काल से संबंधित दोनों नियम पढ़े जा चुके हैं।

उनके संबंध में मैं आदरणीय व्यक्तियों से पूछता हूं, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

मैंने दूसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

मैंने तीसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

इस मामले में आदरणीय लोग पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

यहां अनियता (अनिश्चित मामलों के नियम) का पाठ समाप्त होता है।

टिपिटका >> विनय पिटक >> **निस्सागिया पचित्तिया धम्म**

थानिसारो भिक्कू, टीडब्ल्यूआरहिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किए गए अनुवाद से रूपांतरित।

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

4. निस्सग्गिय पचिट्टिय धम्म
(जब्ती, स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित से संबंधित नियम)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

विस्तृत पाठ: फ़ाइल:VN-PM-Nissaggiya-M 1.pdf , फ़ाइल:VN-PM-Nissaggiya-M 2.pdf , फ़ाइल:VN-PM-Nissaggiya-M 3.pdf

---

निस्सागिया स्कैन की गई पुस्तक

स्कैन की गई निस्सागिया पुस्तक का लिंक

हे आदरणीय महोदय, यहाँ ज़ब्ती से संबंधित तीस नियम सुनाए जाते हैं।

भाग एक: वस्त्र के कपड़े से संबंधित नियम

---

1. जब कोई भिक्षु अपना वस्त्र धारण कर लेता है और वस्त्र का ढांचा हटा दिया जाता है (उसके कथिना विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं), तो उसे अतिरिक्त वस्त्र अधिकतम दस दिनों तक अपने पास रखना चाहिए। इससे अधिक समय तक रखने पर वह वस्त्र जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

2. जब कोई भिक्षु अपना वस्त्र धारण कर लेता है और वस्त्र का ढाँचा हटा दिया जाता है (उसके कथिना विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं): यदि वह भिक्षुओं द्वारा अधिकृत किए बिना एक रात के लिए भी अपने तीनों वस्त्रों में से किसी एक से अलग रहता है, तो यह पाप दंड और स्वीकारोक्ति का विषय होगा।

3. जब किसी भिक्षु का वस्त्र पूर्ण हो जाता है और वस्त्र का ढाँचा हटा दिया जाता है (उसके कथिना विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं): यदि उसे असमय वस्त्र प्राप्त होता है, तो वह इच्छा अनुसार उसे ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने के बाद, उसे तुरंत उससे आवश्यक वस्त्र बना लेना चाहिए। यदि वह पर्याप्त न हो, तो वह उसे अधिकतम एक माह के लिए अलग रख सकता है, जब तक कि उसे कमी पूरी करने की आशा न हो। यदि वह उसे इससे अधिक समय तक अपने पास रखता है, भले ही उसे (और वस्त्र की) आशा हो, तो उसे वह वस्त्र त्यागना होगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

4. यदि कोई भिक्षु अपने से असंबंधित किसी भिक्षुणी से प्रयुक्त वस्त्र धुलवाता, रंगवाता या पिटवाता है, तो वह वस्त्र जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

5. यदि कोई भिक्षु अपने से असंबंधित भिक्षुणी के हाथ से वस्त्र स्वीकार करता है - सिवाय विनिमय के - तो वह वस्त्र त्याग दिया जाएगा और उसका पश्चात्ताप किया जाएगा।

6. यदि कोई भिक्षु किसी ऐसे गृहस्थ पुरुष या स्त्री से, जिसका उससे कोई संबंध न हो, उचित अवसर के अतिरिक्त वस्त्र मांगे, तो वह वस्त्र व्यर्थ माना जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा। यहाँ उचित अवसर यह है: भिक्षु का वस्त्र छीन लिया गया हो या नष्ट हो गया हो। यही उचित अवसर है।

7. यदि कोई गृहस्थ पुरुष या स्त्री भिक्षु को अनेक वस्त्र भेंट करे, तो भिक्षु को अधिक से अधिक एक ऊपरी और एक निचला वस्त्र ही स्वीकार करना चाहिए। यदि वह इससे अधिक स्वीकार करे, तो वह वस्त्र त्याग दिया जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

8. यदि कोई गृहस्थ पुरुष या स्त्री, जो भिक्षु से संबंधित नहीं है, किसी भिक्षु के लिए वस्त्र निधि तैयार करता है, यह सोचकर कि "इस वस्त्र निधि से वस्त्र खरीदकर मैं अमुक भिक्षु को वस्त्र पहनाऊँगा": यदि भिक्षु, जिसे पहले आमंत्रित नहीं किया गया है, गृहस्थ के पास जाकर वस्त्र के संबंध में यह शर्त रखता है कि "हे महोदय, यदि आप इस वस्त्र निधि से अमुक प्रकार का वस्त्र खरीदकर मुझे वस्त्र पहना दें तो यह वास्तव में अच्छा होगा" — किसी उत्तम वस्तु की इच्छा से प्रेरित होकर — तो यह त्याग और स्वीकारोक्ति आवश्यक है।

9. यदि दो गृहस्थ—पुरुष या स्त्री—जो भिक्षु से संबंधित न हों, किसी भिक्षु के लिए अलग-अलग वस्त्र निधि तैयार करें और यह सोचें, "इन निधियों से अलग-अलग वस्त्र खरीदकर हम अमुक भिक्षु को वस्त्र पहनाएंगे": यदि भिक्षु, जिसे पहले आमंत्रित न किया गया हो, उनके पास जाकर वस्त्र के संबंध में यह शर्त रखे, "महोदय, यदि आप मुझे इन निधियों से अमुक प्रकार का वस्त्र खरीदकर एक वस्त्र पहना दें, तो यह वास्तव में अच्छा होगा"— किसी उत्तम वस्तु की लालसा से प्रेरित होकर—तो यह त्याग और स्वीकारोक्ति का विषय होगा।

10. यदि कोई राजा, राजाधिकारी, ब्राह्मण या गृहस्थ किसी भिक्षु के लिए दूत द्वारा वस्त्र निधि भेजता है और कहता है, "इस वस्त्र निधि से वस्त्र खरीदकर अमुक भिक्षु को वस्त्र पहनाइए": यदि दूत भिक्षु के पास जाकर कहे, "यह वस्त्र निधि आदरणीय भिक्षु के लिए भेजी जा रही है। आदरणीय भिक्षु इसे स्वीकार करें," तो भिक्षु दूत से कहेगा, "हे मित्र, हम वस्त्र निधि स्वीकार नहीं करते। हम ऋतु के अनुसार उचित वस्त्र स्वीकार करते हैं।"

यदि दूत भिक्षु से पूछे, "क्या पूज्य भिक्षु का कोई सेवक है?" तो भिक्षुओं, यदि भिक्षु को वस्त्र चाहिए, तो वह किसी सेवक की ओर इशारा कर सकता है—चाहे वह मठ का सेवक हो या कोई गृहस्थ अनुयायी—(यह कहते हुए), "हे मेरे मित्र, वह भिक्षुओं का सेवक है।"

यदि दूत प्रबंधक को निर्देश देकर भिक्षु के पास जाए और कहे, "मैंने प्रबंधक को आदरणीय गुरु का संदेश दे दिया है। आदरणीय गुरु उनके पास जाएँ और वे आपको समय पर वस्त्र पहना देंगे," तो भिक्षु वस्त्र की इच्छा से प्रबंधक के पास जाकर दो-तीन बार कह सकता है, "मुझे वस्त्र की आवश्यकता है।" यदि प्रबंधक दो-तीन बार कहने और याद दिलाने पर वस्त्र उपलब्ध करा दे, तो यह अच्छा है।

यदि वह वस्त्र न प्रस्तुत करे, तो भिक्षु को इस उद्देश्य से चार बार, पाँच बार या अधिकतम छह बार मौन खड़ा रहना चाहिए। यदि भिक्षु के चार बार, पाँच बार या अधिकतम छह बार मौन खड़े रहने के बाद सेवक वस्त्र प्रस्तुत करे, तो यह अच्छा है।

यदि वह (उस समय) वस्त्र प्रस्तुत नहीं करता है, और यदि वह (भिक्षु द्वारा) आगे प्रयास करने के बाद वस्त्र प्रस्तुत करता है, तो वह वस्त्र जब्त कर लिया जाएगा और उसे स्वीकार करना होगा।

यदि वह (वस्त्र) प्रस्तुत न करे, तो भिक्षु को स्वयं उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ से वस्त्र निधि भेजी गई थी, या किसी दूत को भेजकर यह कहना चाहिए, "हे पूज्यवरों, आपने भिक्षु के लिए जो वस्त्र निधि भेजी थी, उससे भिक्षु को कोई लाभ नहीं हुआ है। आपका अपने आप से मिलन हो। आपका अपना खोना न हो।" यही उचित उपाय है।

यहां पहला खंड, 'वस्त्र-खंड' समाप्त होता है।

भाग दो: रेशम से संबंधित नियम

11. यदि किसी भिक्षु के पास रेशम के मिश्रण से बना हुआ फेल्ट (कंबल/कालीन) हो, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित किया जाएगा।

12. यदि किसी भिक्षु के पास शुद्ध काले ऊन से बना कोई फेल्ट (कंबल/कालीन) हो, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित किया जाएगा।

13. जब कोई भिक्षु नया कंबल (कंबल/कालीन) बनवा रहा हो, तो उसमें शुद्ध काले ऊन के दो भाग, सफेद ऊन का एक तिहाई भाग और भूरे ऊन का एक चौथाई भाग मिलाना चाहिए। यदि कोई भिक्षु शुद्ध काले ऊन के दो भाग, सफेद ऊन का एक तिहाई भाग और भूरे ऊन का एक चौथाई भाग मिलाए बिना नया कंबल (कंबल/कालीन) बनवाए, तो वह कंबल/कंबल व्यर्थ हो जाएगा और उसे पश्चाताप करना होगा।

14. जब कोई भिक्षु नया फेल्ट (कंबल/कालीन) बनवाता है, तो उसे कम से कम छह साल तक अपने पास रखना चाहिए। यदि छह साल से कम समय में वह दूसरा नया फेल्ट (कंबल/कालीन) बनवाता है, चाहे उसने पहला कंबल हटाया हो या नहीं, तो भिक्षुओं द्वारा अधिकृत न होने पर वह कंबल/कंबल जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

15. जब कोई भिक्षु बैठने के लिए मखमली चटाई बनवा रहा हो, तो उसे रंगहीन करने के उद्देश्य से प्रत्येक तरफ 25 सेंटीमीटर (सुगत स्पैन) पुराने मखमली चटाई का एक टुकड़ा लगाना चाहिए। यदि कोई भिक्षु प्रत्येक तरफ 25 सेंटीमीटर (सुगत स्पैन) पुराने मखमली चटाई का टुकड़ा लगाए बिना नई मखमली चटाई बनवाता है, तो वह चटाई व्यर्थ हो जाएगी और उसे पश्चाताप करना होगा।

16. यदि किसी भिक्षु को यात्रा के दौरान ऊन प्राप्त हो जाए, तो वह चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करने के बाद, यदि कोई और उसे ले जाने वाला न हो, तो वह उसे अधिकतम तीन लीग (48 किमी = 30 मील) तक स्वयं ले जा सकता है। यदि वह इससे अधिक दूरी तक ऊन ले जाए, भले ही कोई और उसे ले जाने वाला न हो, तो ऊन का त्याग करना होगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

17. यदि कोई भिक्षु अपने से असंबंधित भिक्षुणी से ऊन धुलवाता, रंगवाता या कंघी करवाता है, तो यह अपराध जब्त कर लिया जाएगा और इसका प्रायश्चित किया जाएगा।

18. यदि कोई भिक्षु सोना और चांदी स्वीकार करे, या स्वीकार करवाए, या उसे (अपने पास) जमा करने की सहमति दे, तो वह जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित किया जाएगा।

19. यदि कोई भिक्षु विभिन्न प्रकार के मौद्रिक लेन-देन में संलग्न होता है, तो वह (आय) जब्त कर ली जाएगी और उसका स्वीकारोक्ति की जाएगी।

20. यदि कोई भिक्षु विभिन्न प्रकार के व्यापार में संलग्न होता है, तो वह (प्राप्त वस्तु) जब्त कर ली जाएगी और उसका स्वीकारोक्ति की जाएगी।

भाग तीन: बाउल्स से संबंधित नियम

---

21. एक अतिरिक्त भिक्षापात्र अधिकतम दस दिनों तक रखा जा सकता है। उसके बाद, उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

22. यदि कोई भिक्षु भिक्षापात्र में पाँच से कम सुधार होने पर दूसरा नया भिक्षापात्र माँगे, तो वह भिक्षापात्र ज़ब्त कर लिया जाएगा और उसे अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। भिक्षु को वह भिक्षापात्र भिक्षुओं के समूह को सौंप देना होगा। भिक्षुओं के समूह का अंतिम भिक्षापात्र उस भिक्षु को देते हुए कहना होगा, "हे भिक्षु, यह तुम्हारा भिक्षापात्र है। इसे तब तक संभाल कर रखना जब तक यह टूट न जाए।" यही उचित विधि है।

23. बीमार भिक्षुओं के लिए ये औषधियाँ हैं: घी, ताजा मक्खन, तेल, शहद, चीनी/गुड़। इन्हें प्राप्त करने के बाद, भंडारण से अधिकतम सात दिनों के भीतर ही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद, इनका उपयोग न करने पर त्यागपत्र देना होगा और पश्चाताप करना होगा।

24. जब ग्रीष्म ऋतु में एक माह शेष हो, तो भिक्षु वर्षा ऋतु में स्नान करने के लिए वस्त्र प्राप्त कर सकता है। जब ग्रीष्म ऋतु में आधा माह शेष हो, तो वस्त्र तैयार होने पर उसे धारण किया जा सकता है। यदि ग्रीष्म ऋतु में एक माह से अधिक समय शेष हो और वह वर्षा ऋतु में स्नान करने के लिए वस्त्र प्राप्त करे, या आधा माह से अधिक समय शेष होने पर तैयार वस्त्र को धारण करे, तो वह वस्त्र व्यर्थ हो जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

25. यदि कोई भिक्षु स्वयं किसी अन्य भिक्षु को वस्त्र दे दे और फिर क्रोधित होकर उसे वापस छीन ले या किसी और द्वारा छीन लिया जाए, तो वह वस्त्र जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित किया जाएगा।

26. यदि कोई भिक्षु, धागे का अनुरोध करके, बुनकरों द्वारा बुना हुआ वस्त्र प्राप्त कर ले, तो वह वस्त्र जब्त कर लिया जाएगा और उसका प्रायश्चित किया जाएगा।

27. यदि कोई गृहस्थ पुरुष या स्त्री, जो भिक्षु से संबंधित न हो, किसी भिक्षु के लिए बुनकरों से वस्त्र बुनवाए, और यदि भिक्षु, गृहस्थ द्वारा पूर्व आमंत्रित न किया गया हो, बुनकरों के पास जाकर वस्त्र के संबंध में यह शर्त रखे, "मित्रों, यह वस्त्र मेरे लिए बुना जा रहा है। इसे लंबा, चौड़ा, कसकर बुना हुआ, अच्छी तरह फैला हुआ, अच्छी तरह खुरचा हुआ और चिकना बनाइए, और शायद मैं आपको थोड़ा सा उपहार दे सकूँ"; और यदि भिक्षु ऐसा कहकर उन्हें थोड़ा सा उपहार दे दे, चाहे वह भिक्षा के रूप में ही क्यों न हो, तो वह वस्त्र त्याग दिया जाएगा और इसका प्रायश्चित किया जाएगा।

28. तीसरे माह की कत्तिका पूर्णिमा से दस दिन पहले, यदि किसी भिक्षु को अत्यावश्यक रूप से दान किया हुआ वस्त्र प्राप्त हो, तो वह उसे स्वीकार कर ले, यदि वह उसे अत्यावश्यक समझे। एक बार स्वीकार करने के बाद, वह उसे वस्त्र धारण करने की पूरी अवधि तक अपने पास रख सकता है। उसके बाद, उसे त्याग देना होगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

29. कुछ वनवास स्थल संदिग्ध और जोखिम भरे माने जाते हैं। ऐसे स्थलों में रहने वाला भिक्षु, कत्तिका पूर्णिमा का व्रत करने के बाद, यदि चाहे तो अपने तीन वस्त्रों में से कोई एक वस्त्र गाँव में रख सकता है। यदि उसे किसी कारणवश वस्त्र से विमुख रहना पड़े, तो वह अधिकतम छह रातों तक ही रह सकता है। यदि वह इससे अधिक समय तक वस्त्र से विमुख रहता है—जब तक कि भिक्षुओं द्वारा अनुमति न दी गई हो—तो वस्त्र त्याग दिया जाएगा और उसका प्रायश्चित करना होगा।

30. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी समुदाय के लिए आवंटित लाभों को अपने लिए उपयोग में ले लेता है, तो वे लाभ जब्त कर लिए जाएंगे और उनका प्रायश्चित किया जाएगा।

यहां तीसरा खंड, 'बाउल-खंड' समाप्त होता है।

आदरणीय महोदय, ज़ब्ती से संबंधित तीस पचितीय नियमों का पाठ किया जा चुका है।

उनके संबंध में मैं आदरणीय व्यक्तियों से पूछता हूं, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

मैंने दूसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

मैंने तीसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

इस मामले में आदरणीय लोग पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

यहां निस्सागियास-नियमों का पाठ समाप्त होता है, जिसमें जुर्माने और स्वीकारोक्ति का प्रावधान है।

तिपिटक >> विनय पिटक >> **पचित्तीय धम्म**

यह अनुवाद टी.डब्ल्यू.आर.हिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किया गया है।

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

5. पचित्तीय धम्म
(पाप स्वीकार करने और प्रायश्चित करने संबंधी नियम)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

विस्तृत पाठ: फ़ाइल:Vin-PM-Paccitiya-M-1.pdf , फ़ाइल:Vin-PM-Paccitiya-M-2.pdf , फ़ाइल:Vin-PM-Paccitiya-M-3.pdf , फ़ाइल:Vin-PM-Paccitiya-M-4.pdf , फ़ाइल:Vin-PM-Paccitiya-M-5.pdf , फ़ाइल:Vin-PM-Paccitiya-M-6.pdf

---

पचितिया स्कैन की गई पुस्तक

स्कैन की गई पचितिया पुस्तक का लिंक

पचितिया सारांश

अब, आदरणीय महोदय, पचितीय नियमों के बानवे भाग सुनाए जाने शुरू होते हैं।

भाग एक: झूठ अध्याय

---

1. जानबूझकर बोले गए झूठ को स्वीकार करना चाहिए।

2. अपमान स्वीकार करना आवश्यक है।

3. भिक्षुओं के बीच फूट डालने वाली चुगली करने का पाप स्वीकार करना होगा।

4. यदि कोई भिक्षु किसी गैर-दीक्षित व्यक्ति से अपने साथ धम्म का पंक्ति-दर-पंक्ति पाठ करवाए, तो उसे स्वीकार करना होगा।

5. यदि कोई भिक्षु किसी गैर-दीक्षित व्यक्ति के साथ लगातार दो या तीन रातों से अधिक समय तक एक ही घर में सोता है, तो उसे स्वीकारोक्ति करनी होगी।

6. यदि कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ (एक ही घर में) सोता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

7. यदि कोई भिक्षु किसी स्त्री को धम्म के पाँच या छह वाक्यों से अधिक सिखाता है, जब तक कि कोई ज्ञानी पुरुष उपस्थित न हो, तो उसे स्वीकार करना होगा।

8. यदि कोई भिक्षु किसी गैर-दीक्षित व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठ मानवीय स्थिति के बारे में बताए, और वह तथ्यात्मक हो, तो उसे स्वीकार करना होगा।

9. यदि कोई भिक्षु किसी अन्य भिक्षु के गंभीर अपराध की सूचना किसी गैर-दीक्षित व्यक्ति को देता है - जब तक कि भिक्षुओं द्वारा अधिकृत न किया गया हो - तो उसे स्वीकार करना होगा।

10. यदि कोई भिक्षु मिट्टी खोदे या खुदवाए, तो उसे स्वीकार करना होगा।

यहां पहला खंड, 'झूठ खंड' समाप्त होता है।

भाग दो: भूतागामा - जीवित पौधा अध्याय

---

11. किसी जीवित पौधे को नुकसान पहुँचाने का अपराध स्वीकार करना होगा।

12. टालमटोल भरी बातें करना और निराशा पैदा करना स्वीकार किया जाना चाहिए।

13. किसी सामुदायिक अधिकारी की आलोचना करना या उसके बारे में शिकायत करना स्वीकारोक्ति है।

14. यदि कोई भिक्षु समुदाय से संबंधित पलंग, बेंच, गद्दा या स्टूल खुले में रख दे - या रखवा दे - और फिर जाते समय उसे न तो हटाए और न ही हटवाए, या बिना अनुमति लिए चला जाए, तो यह पाप स्वीकार करना होगा।

15. यदि कोई भिक्षु समुदाय से संबंधित किसी आवास में बिस्तर बिछाता है - या बिछवाता है - और फिर जाते समय उसे न तो हटाता है और न ही हटवाता है, या बिना अनुमति लिए चला जाता है, तो यह पाप स्वीकार करना होगा।

16. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर समुदाय से संबंधित किसी आवास में इस प्रकार लेट जाए कि वह वहाँ पहले से मौजूद भिक्षु को परेशान करे, (यह सोचकर), "जिसे भी यह बंधनकारी लगेगा वह चला जाएगा" - और ऐसा केवल इसी कारण से करे, किसी अन्य कारण से नहीं - तो इसका प्रायश्चित करना होगा।

17. यदि कोई भिक्षु क्रोधित और असंतुष्ट होकर किसी भिक्षु को समुदाय के किसी आवास से निकाल दे — या निकलवा दे — तो इसका प्रायश्चित करना होगा।

18. यदि कोई भिक्षु समुदाय से संबंधित किसी आवास में (बिना तख्तों वाली) मचान पर अलग किए जा सकने वाले पैरों वाले पलंग या बेंच पर बैठता या लेटता है, तो उसे स्वीकारोक्ति करनी होगी।

19. जब कोई भिक्षु कोई बड़ा घर बनवा रहा हो, तो वह खिड़की के फ्रेम के चारों ओर और दरवाजे के फ्रेम के चारों ओर (दरवाजे की चौड़ाई के बराबर) दो या तीन परतों का प्लास्टर चढ़ाने और उसे मजबूत करने का काम ऐसी जगह खड़े होकर देख सकता है जहाँ कोई फसल न हो। यदि वह इससे अधिक काम देखे, भले ही वह ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ कोई फसल न हो, तो उसका प्रायश्चित करना होगा।

20. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर जीवित प्राणियों से युक्त जल घास या मिट्टी पर डाले — या डलवाए — तो उसे स्वीकार करना होगा।

यहां दूसरा खंड, 'भूतागामा: जीवित पौधे-खंड' समाप्त होता है।

भाग तीन: भिक्खुनोवादा - उपदेश अध्याय

21. यदि कोई भिक्षु अनाधिकृत रूप से भिक्षुणियों को उपदेश दे, तो उसे स्वीकार करना होगा।

22. यदि कोई भिक्षु, अधिकृत होने पर भी, सूर्यास्त के बाद भिक्षुणियों को उपदेश दे, तो उसे स्वीकार करना होगा।

23. यदि कोई भिक्षु, भिक्षुणियों के निवास स्थान पर जाकर, उचित अवसर के अलावा किसी अन्य समय पर भिक्षुणियों को उपदेश दे, तो यह पाप स्वीकार करना होगा। यहाँ उचित अवसर यह है: एक भिक्षुणी बीमार है। यही उचित अवसर है।

24. यदि कोई भिक्षु यह कहे कि भिक्षु सांसारिक लाभ के लिए भिक्षुणियों को उपदेश देते हैं, तो यह स्वीकार करना होगा।

25. यदि कोई भिक्षु अपने से असंबंधित भिक्षुणी को, विनिमय के अलावा, वस्त्र देता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

26. यदि कोई भिक्षु किसी ऐसे भिक्षुणी के लिए वस्त्र सिलता है या सिलवाता है जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, तो उसे स्वीकारोक्ति करनी होगी।

27. यदि कोई भिक्षु, किसी समझौते के तहत, किसी भिक्षुणी के साथ एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच की दूरी के लिए भी उचित अवसर के अतिरिक्त यात्रा करे, तो इसका प्रायश्चित करना होगा। यहाँ उचित अवसर यह है: यह मार्ग कारवां द्वारा तय किया जाता है और संदिग्ध एवं जोखिम भरा माना जाता है। यही यहाँ उचित अवसर है।

28. यदि कोई भिक्षु, व्यवस्था के अनुसार, किसी भिक्षुणी के साथ नदी के ऊपर या नीचे की ओर जाने वाली नाव में सवार हो जाए - सिवाय दूसरे किनारे पर जाने के - तो यह स्वीकारोक्ति होगी।

29. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी भिक्षुणी के कहने पर दान किया हुआ भिक्षा भोजन खा ले, सिवाय उस भोजन के जो गृहस्थों ने उसके कहने से पहले ही उसके लिए रखा हो, तो उसे पश्चात्ताप करना होगा।

30. यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षुणी के साथ एकांत में बैठे तो उसे स्वीकार करना होगा।

यहां तीसरा खंड, 'भिक्खुनोवदा: उपदेश खंड' समाप्त होता है।

भाग चार: भोजन - खाद्य अध्याय

31. जो भिक्षु अस्वस्थ है, वह सार्वजनिक भिक्षागृह में एक बार भोजन कर सकता है। यदि वह इससे अधिक भोजन करे, तो उसे पश्चात्ताप करना होगा।

32. उचित अवसरों को छोड़कर सामूहिक भोजन करना पाप स्वीकार करना होगा। यहाँ उचित अवसर ये हैं: बीमारी का समय, वस्त्र दान करने का समय, वस्त्र बनाने का समय, यात्रा पर जाने का समय, नाव पर सवार होने का समय, कोई बड़ा अवसर, और वह समय जब भोजन ध्यानमग्न व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये यहाँ उचित अवसर हैं।

33. उचित अवसरों को छोड़कर, समय से पहले भोजन करना पाप स्वीकार करना होगा। यहाँ उचित अवसर ये हैं: बीमारी का समय, वस्त्र दान करने का समय, वस्त्र बनाने का समय। ये यहाँ उचित अवसर हैं।

34. यदि कोई भिक्षु किसी परिवार के निवास पर पहुंचे और उसे रोटी या पका हुआ अनाज दिया जाए, तो वह इच्छा अनुसार दो या तीन कटोरी ग्रहण कर सकता है। यदि वह इससे अधिक ग्रहण करे, तो उसे स्वीकार करना होगा। दो या तीन कटोरी ग्रहण करने के बाद, उसे वहां से ले जाकर अन्य भिक्षुओं में बांट देना चाहिए। यही उचित तरीका है।

35. यदि कोई भिक्षु भोजन करने के बाद (और भोजन की पेशकश को) ठुकरा दे, तो बचे हुए भोजन के अलावा किसी अन्य मुख्य या गैर-मुख्य भोजन को चबाए या खाए तो यह पाप स्वीकार करना होगा।

36. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर और दोष ढूंढने की इच्छा से, किसी ऐसे भिक्षु को मुख्य या गैर-मुख्य भोजन प्रस्तुत करे, जिसने भोजन कर लिया हो और आगे भोजन का प्रस्ताव ठुकरा दिया हो, और कहे, "लो भिक्षु, इसे चबाओ या खा लो" - तो जब वह भोजन खा लिया जाए, तो उसका प्रायश्चित करना होगा।

37. यदि कोई भिक्षु गलत समय पर मुख्य या गैर-मुख्य भोजन चबाता या ग्रहण करता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

38. यदि कोई भिक्षु संचित मुख्य या गैर-मुख्य भोजन चबाता या खाता है, तो उसे स्वीकारोक्ति करनी होगी।

39. ये उत्तम खाद्य पदार्थ हैं: घी, ताजा मक्खन, तेल, शहद, चीनी/गुड़, मछली, मांस, दूध और दही। यदि कोई भिक्षु, जो बीमार नहीं है, अपने लिए इन उत्तम खाद्य पदार्थों का अनुरोध करे और फिर भी इनका सेवन करे, तो उसे प्रायश्चित करना होगा।

40. यदि कोई भिक्षु बिना दिए कोई खाद्य पदार्थ अपने मुँह में ले ले — जल और दाँत साफ करने वाली लकड़ियों को छोड़कर — तो उसे स्वीकार करना होगा।

यहां चौथा खंड, 'भोजन: खाद्य खंड' समाप्त होता है।

भाग पाँच: अकेलाका - नग्न तपस्वी अध्याय

---

41. यदि कोई भिक्षु अपने हाथ से किसी नग्न तपस्वी, पुरुष यात्री या स्त्री यात्री को मुख्य या गैर-मुख्य भोजन देता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

42. यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षु से कहे, "आओ, मेरे मित्र, चलो गाँव या शहर में भिक्षा मांगने चलें," और फिर—चाहे उसे भोजन दिया गया हो या नहीं—उसे यह कहकर विदा कर दे, "चले जाओ, मेरे मित्र। मुझे तुम्हारे साथ बैठना या बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझे अकेले बैठना या बात करना अच्छा लगता है"—और ऐसा केवल इसी कारण से करे—तो यह पाप स्वीकार करना होगा।

43. यदि कोई भिक्षु किसी परिवार के भोजन में हड़बड़ी करते हुए बैठ जाए, तो उसे स्वीकार करना होगा।

44. यदि कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ एकांत स्थान पर अकेले बैठे तो उसे स्वीकार करना होगा।

45. यदि कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ एकांत में बैठे तो उसे स्वीकार करना होगा।

46. यदि कोई भिक्षु भोजन के लिए आमंत्रित होने पर, किसी उपलब्ध भिक्षु से अनुमति लिए बिना, उचित अवसरों को छोड़कर, भोजन से पहले या बाद में परिवारों से मिलने जाता है, तो उसे पश्चात्ताप करना होगा। यहाँ उचित अवसर ये हैं: वस्त्र दान करने का समय, वस्त्र बनाने का समय।

47. जो भिक्षु अस्वस्थ है, वह आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चार माह के निमंत्रण का लाभ उठा सकता है। यदि वह इससे अधिक समय तक इसका लाभ उठाता है—जब तक कि निमंत्रण नवीनीकृत न हो या स्थायी न हो—तो उसे पश्चात्ताप करना होगा।

48. यदि कोई भिक्षु सक्रिय ड्यूटी पर तैनात सेना को देखने जाता है, तो उचित कारण न होने पर उसे स्वीकारोक्ति करनी होगी।

49. किसी कारणवश यदि किसी भिक्षु को सेना में जाना पड़े, तो वह सेना के साथ दो या तीन (लगातार) रातें रह सकता है। यदि वह इससे अधिक समय तक रहे, तो इसका प्रायश्चित करना होगा।

50. यदि कोई भिक्षु किसी सेना के साथ दो या तीन रातें बिताता है और युद्धक्षेत्र में जाता है, तो उसे रोल कॉल, युद्ध संरचना में सैनिकों को देखने या (युद्ध) इकाइयों की समीक्षा देखने जाना चाहिए।

पांचवें खंड का अंत, 'अकेलाका: नग्न तपस्वी खंड।'

भाग छह: सुरपना - मादक पेय अध्याय

51. शराब या किण्वित पेय का सेवन स्वीकार करना होगा।

52. उंगलियों से गुदगुदी करना स्वीकारोक्ति के अधीन है।

53. पानी में खेलने के कार्य को स्वीकार करना होगा।

54. अनादर को स्वीकार करना होगा।

55. यदि कोई भिक्षु किसी अन्य भिक्षु को डराने का प्रयास करे, तो उसे स्वीकार करना होगा।

56. यदि कोई भिक्षु, जो बीमार नहीं है, अपने आप को गर्म करने के लिए आग जलाता है या जलवाता है - जब तक कि कोई उचित कारण न हो - तो इसका प्रायश्चित करना होगा।

57. यदि कोई भिक्षु उचित अवसरों को छोड़कर आधे महीने से कम अंतराल पर स्नान करे, तो उसे पश्चात्ताप करना होगा। यहाँ उचित अवसर ये हैं: ग्रीष्म ऋतु का अंतिम डेढ़ महीना, वर्षा ऋतु का पहला महीना; ये ढाई महीने भीषण गर्मी और बुखार का समय होते हैं; (साथ ही) बीमारी का समय; काम का समय; यात्रा का समय; हवा या बारिश का समय। ये यहाँ उचित अवसर हैं।

58. जब किसी भिक्षु को नया वस्त्र प्राप्त होता है, तो उसे रंगहीन करने के लिए तीन तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाना चाहिए: हरा, भूरा या काला। यदि कोई भिक्षु वस्त्र को रंगहीन करने के इन तीन तरीकों में से किसी का भी प्रयोग किए बिना नए वस्त्र का उपयोग करता है, तो उसे पश्चात्ताप करना होगा।

59. यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षु, भिक्षुणी, महिला प्रशिक्षु, पुरुष नौसिखिया या महिला नौसिखिया के साथ साझा स्वामित्व (विकप्पन) में वस्त्र रखकर, साझा स्वामित्व को रद्द किए बिना उस वस्त्र का उपयोग करता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

60. यदि कोई भिक्षु किसी अन्य भिक्षु का कटोरा, वस्त्र, बैठने का कपड़ा, सुई की पेटी या कमरबंद छिपा दे — या उसे छिपा दे — चाहे मजाक में ही क्यों न हो, तो उसका पाप स्वीकार करना होगा।

छठे खंड, 'सुरपना-मादक पेय खंड' का अंत।

भाग सात: सप्पनाका - पशु अध्याय

61. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी जानवर को जीवन से वंचित करता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

62. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर जीवित प्राणियों से युक्त जल का उपयोग करता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

63. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी ऐसे मुद्दे को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन करता है जिसका उचित रूप से समाधान हो चुका है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

64. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी अन्य भिक्षु के गंभीर अपराध को छुपाता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

65. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को पूर्ण दीक्षा (दीक्षा) देता है, तो वह व्यक्ति स्वीकृत नहीं होता और भिक्षु दोषी होते हैं; और जहाँ तक उसका (गुरु का) सवाल है, उसे स्वीकार करना होगा।

66. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर और व्यवस्था के अनुसार चोरों के कारवां के साथ यात्रा करे, भले ही एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच की दूरी के लिए ही क्यों न हो, तो उसे स्वीकार करना होगा।

67. यदि कोई भिक्षु किसी व्यवस्था के तहत किसी स्त्री के साथ एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच की दूरी के लिए भी यात्रा करे, तो उसे स्वीकारोक्ति करनी होगी।

68. यदि कोई भिक्षु यह कहे कि: "जैसा कि मैं भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए धम्म को समझता हूँ, भगवान बुद्ध जिन कार्यों को बाधक कहते हैं, वे वास्तव में बाधक नहीं होते," तो भिक्षुओं को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: "हे आदरणीय, ऐसा न कहें। भगवान बुद्ध का गलत अर्थ न निकालें, क्योंकि उनका गलत अर्थ निकालना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हे मित्र, भगवान बुद्ध ने अनेक प्रकार से बाधक कार्यों का वर्णन किया है, और उन्हें करने पर वे वास्तव में बाधक होते हैं।"

और यदि भिक्षुओं द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर भी वह भिक्षु पहले की तरह ही अपने आचरण पर अडिग रहे, तो भिक्षु उसे उस पद को त्यागने के लिए तीन बार तक फटकारें। यदि वह तीन बार फटकार सुनने के बाद भी उस पद को त्याग दे, तो यह अच्छा है। यदि वह उस पद को नहीं त्यागता, तो उसे स्वीकार करना होगा।

69. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर ऐसे भिक्षु के साथ संगति करे, संबंध स्थापित करे या एक ही घर में सोए, जिसने नियम का पालन नहीं किया है, जिसने उस मत का त्याग नहीं किया है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

70. यदि कोई नौसिखिया यह कहे कि: “जैसा कि मैं भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए धम्म को समझता हूँ, भगवान बुद्ध जिन कार्यों को बाधक कहते हैं, वे वास्तव में बाधक नहीं हैं,” तो भिक्षुओं को उसे इस प्रकार समझाना चाहिए: “हे नौसिखिए, ऐसा मत कहो। भगवान बुद्ध का गलत अर्थ मत निकालो, क्योंकि उनका गलत अर्थ निकालना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हे मित्र, भगवान बुद्ध ने अनेक प्रकार से बाधक कार्यों का वर्णन किया है, और उन्हें करने पर वे वास्तव में बाधक होते हैं।”

और यदि वह नौसिखिया भिक्षुओं द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पहले की तरह ही व्यवहार करता रहे, तो भिक्षु उसे इस प्रकार चेतावनी दें: "हे मेरे नौसिखिए, आज से तुम भगवान बुद्ध को अपना गुरु नहीं मानोगे, और न ही तुम्हें अन्य नौसिखियों की तरह भिक्षुओं के साथ दो-तीन रातें बिताने का अवसर मिलेगा। चले जाओ! दफ़ा हो जाओ!"

यदि कोई भिक्षु जानबूझकर निष्कासित किए गए किसी नौसिखिए से मित्रता करता है, उससे सेवाएँ प्राप्त करता है, उसके साथ संवाद करता है या उसके साथ एक ही घर में सोता है, तो उसे इसका पश्चात्ताप करना होगा।

सातवें खंड, 'सप्पनाका खंड - पशु अध्याय' का समापन।

भाग आठ: सहधम्मिका - नियम के अनुसार अध्याय

71. यदि कोई भिक्षु, किसी नियम के अनुसार अन्य भिक्षुओं द्वारा अनुज्ञित किए जाने पर, कहे, "मित्रों, मैं इस प्रशिक्षण नियम के अंतर्गत तब तक प्रशिक्षण नहीं लूँगा जब तक मैं इस विषय में किसी योग्य और विद्वान भिक्षु से प्रश्न न कर लूँ," तो यह स्वीकारोक्ति है। भिक्षुओं, प्रशिक्षण प्राप्त भिक्षु को समझना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यही उचित मार्ग है।

72. यदि कोई भिक्षु, जब पतिमोक्खा का पाठ हो रहा हो, कहे, "ये छोटे और मामूली प्रशिक्षण नियम क्यों पढ़े जाते हैं जबकि इनसे केवल चिंता, परेशानी और भ्रम ही उत्पन्न होता है?" तो प्रशिक्षण नियमों की आलोचना स्वीकारोक्ति होगी।

73. यदि कोई भिक्षु, जब प्रति पंचमासिक पतिमोक्ख का पाठ हो रहा हो, कहे, "अभी-अभी मुझे पता चला है कि यह मामला भी पतिमोक्ख में वर्णित है, पतिमोक्ख में शामिल है, और प्रति पंचमासिक पाठ के लिए आता है"; और यदि भिक्षु को यह ज्ञात हो, "वह भिक्षु पहले ही दो या तीन बार पतिमोक्ख का पाठ कर चुका है, इससे अधिक बार भी," तो अज्ञानता के कारण उसे छूट नहीं दी जाएगी। उसने जो भी अपराध किया हो, उसके साथ नियम के अनुसार व्यवहार किया जाएगा; और इसके अतिरिक्त, उसके छल का पर्दाफाश किया जाएगा: "हे मित्र, पतिमोक्ख का पाठ होते समय ध्यान न देना, यह अनुचित है।" छल (१) के लिए, उसे स्वीकार करना होगा।

74. यदि कोई भिक्षु क्रोधित और असंतुष्ट होकर किसी दूसरे भिक्षु को मार डाले, तो उसका पाप स्वीकार करना होगा।

75. यदि कोई भिक्षु क्रोधित और असंतुष्ट होकर किसी दूसरे भिक्षु के विरुद्ध हाथ की हथेली उठाए, तो उसे स्वीकार करना होगा।

76. यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षु पर निराधार संघीशेष (अपराध) का आरोप लगाए, तो उसे स्वीकार करना होगा।

77. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी दूसरे भिक्षु में चिंता उत्पन्न करे, (यह सोचकर कि) "इस तरह, एक पल के लिए भी, उसे शांति नहीं मिलेगी" — और ऐसा केवल इसी कारण से करे, किसी और कारण से नहीं — तो इसका प्रायश्चित करना होगा।

78. यदि कोई भिक्षु अन्य भिक्षुओं की बहस, झगड़े और विवाद करते समय छिपकर उनकी बातें सुनता है, यह सोचकर कि "मैं उनकी बातें सुन लूँगा" - और ऐसा केवल इसी कारण से करता है, किसी और कारण से नहीं - तो यह स्वीकारोक्ति है।

79. यदि कोई भिक्षु, नियम के अनुसार किए गए किसी लेन-देन के लिए (प्रतिनिधि के रूप में) सहमति देने के बाद, बाद में (कार्य के बारे में) शिकायत करता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

80. यदि कोई भिक्षु, जब समुदाय में विचार-विमर्श चल रहा हो, अपनी सीट से उठकर बिना सहमति दिए चला जाए, तो यह स्वीकारोक्ति होगी।

81. यदि कोई भिक्षु, (संयुक्त समुदाय के एक भाग के रूप में कार्य करते हुए) किसी भिक्षु को वस्त्र दे और बाद में शिकायत करे, "भिक्षु मित्रता के अनुसार समुदाय के लाभों का आवंटन करते हैं," तो यह स्वीकारोक्ति होगी।

82. यदि कोई भिक्षु जानबूझकर किसी समुदाय के लिए आवंटित लाभों को व्यक्तिगत रूप से हस्तांतरित करता है, तो उसे स्वीकार करना होगा।

यहां आठवां खंड, 'सहधम्मिका: नियम के अनुसार खंड' समाप्त होता है।

भाग नौ: रत्ना - खजाने का अध्याय

---

83. यदि कोई भिक्षु, बिना पूर्व सूचना दिए, किसी पवित्र कुलीन राजा के (शरण कक्ष) की दहलीज पार कर जाए, जहाँ से राजा नहीं निकला हो, जहाँ से मूल्यवान (रानी) नहीं निकली हो, तो उसे स्वीकार करना होगा।

84. यदि कोई भिक्षु किसी मूल्यवान वस्तु या मूल्यवान समझी जाने वाली वस्तु को, मठ या घर के अलावा किसी अन्य स्थान पर उठाता है या किसी और से उठवाता है, तो उसे पश्चात्ताप करना होगा। परन्तु यदि किसी भिक्षु ने किसी मूल्यवान वस्तु या मूल्यवान समझी जाने वाली वस्तु को, जो मठ या घर में छोड़ी गई हो, उठा लिया हो या किसी और से उठवा लिया हो, तो उसे उसे अपने पास रखना चाहिए, यह सोचते हुए कि "जिसका भी यह है, वह आकर इसे ले जाएगा।" यही उचित मार्ग है।

85. यदि कोई भिक्षु, किसी उपलब्ध भिक्षु से अनुमति लिए बिना, गलत समय पर किसी गाँव में प्रवेश करता है - जब तक कि कोई उपयुक्त आपात स्थिति न हो - तो उसे स्वीकारोक्ति करनी होगी।

86. यदि किसी भिक्षु के पास हड्डी, हाथीदांत या सींग से बनी सुई की पेटी हो, तो उसे तोड़कर स्वीकार करना होगा।

87. जब कोई भिक्षु नया पलंग या बेंच बनवा रहा हो, तो उसके पैर (अधिकतम) आठ उंगलियों की लंबाई के होने चाहिए - सुगत उंगलियों की लंबाई का उपयोग करते हुए - फ्रेम के निचले किनारे को छोड़कर। इससे अधिक होने पर उसे काटकर पश्चाताप करना चाहिए।

88. यदि किसी भिक्षु के बिस्तर या बेंच पर गद्दी लगी हो, तो उसे (गद्दी को) फाड़कर स्वीकार करना होगा।

89. जब कोई भिक्षु बैठने के लिए वस्त्र बनवा रहा हो, तो उसे मानक माप के अनुसार बनवाना चाहिए। यहाँ मानक माप यह है: लंबाई में दो हाथ (सुगत हाथ का उपयोग करते हुए), चौड़ाई में डेढ़ हाथ और किनारी एक हाथ। इससे अधिक होने पर उसे काटकर त्याग देना चाहिए।

90. जब कोई भिक्षु त्वचा पर दाने निकलने पर ओढ़ने वाला वस्त्र बनवा रहा हो, तो उसे मानक माप के अनुसार बनवाना चाहिए। यहाँ मानक माप यह है: लंबाई में चार हाथ (सुगत हाथ का प्रयोग करते हुए) और चौड़ाई में दो हाथ। इससे अधिक होने पर, उसे काटकर त्याग देना चाहिए।

91. जब कोई भिक्षु वर्षा स्नान वस्त्र बनवा रहा हो, तो उसे मानक माप के अनुसार बनवाना चाहिए। यहाँ मानक माप यह है: लंबाई में छह हाथ (सुगत हाथ का प्रयोग करते हुए) और चौड़ाई में ढाई हाथ। इससे अधिक होने पर वस्त्र को काटकर त्याग देना चाहिए।

92. यदि किसी भिक्षु के पास सुगत वस्त्र के माप का या उससे बड़ा वस्त्र हो, तो उसे छोटा करके स्वीकार करना होगा। यहाँ, सुगत वस्त्र का माप इस प्रकार है: लंबाई में नौ हाथ (सुगत हाथ के अनुसार) और चौड़ाई में छह हाथ। यही सुगत वस्त्र का माप है।

नौवें खंड, 'रत्न: खजाना खंड' का अंत।

आदरणीय महोदय, पाप स्वीकार करने से संबंधित बानवे नियम पढ़े जा चुके हैं।

उनके संबंध में मैं आदरणीय व्यक्तियों से पूछता हूं, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

मैंने दूसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

मैंने तीसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

यहां पूजनीय लोग पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

यहां पश्चात्तियों के नियमों का पाठ समाप्त होता है, जो स्वीकारोक्ति से संबंधित हैं।

तिपिटक >> विनय पिटक >> **पतिदेशनीय धम्म**

थानिसारो भिक्कू, टीडब्ल्यूआरहिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किए गए अनुवाद से रूपांतरित।

पतिमोक्खा

---

6. पतिदेसानिया धम्मा
(स्वीकृति अनिवार्य करने वाले नियम)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

पाटिदेसानिया स्कैन की गई पुस्तक

पटिदेसनिया पुस्तक की स्कैन की गई लिंक

पटिदेसानिया सारांश

हे आदरणीय महोदय, यहाँ उन चार नियमों का पाठ किया जाता है जो स्वीकारोक्ति से संबंधित हैं।

1. यदि कोई भिक्षु किसी आबादी वाले क्षेत्र में किसी अपरिचित भिक्षुणी के हाथ से प्राप्त मुख्य या गैर-मुख्य भोजन को अपने हाथ से चबाकर खाए, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: "मित्रों, मैंने एक निंदनीय, अनुचित कार्य किया है जिसे स्वीकार करना आवश्यक है। मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ।"

2. यदि भिक्षुओं को आमंत्रित करके उनके परिवार के घरों में भोजन कराया जा रहा हो, और कोई भिक्षुणी वहाँ निर्देश देते हुए खड़ी हो, जैसे कह रही हो, "यहाँ करी दो, यहाँ चावल दो," तो भिक्षुओं को उसे यह कहकर विदा करना चाहिए: "बहन, जब तक भिक्षु भोजन कर रहे हैं, तब तक चली जाओ।" यदि कोई भी भिक्षु उसे यह कहकर विदा न करे, "बहन, जब तक भिक्षु भोजन कर रहे हैं, तब तक चली जाओ," तो भिक्षुओं को इसे स्वीकार करना चाहिए: "मित्रों, हमने एक निंदनीय, अनुचित कार्य किया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हम इसे स्वीकार करते हैं।"

3. कुछ परिवार प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए हैं। यदि कोई भिक्षु, यदि वह अस्वस्थ न हो और बिना पूर्व आमंत्रण के, प्रशिक्षण के लिए नामित परिवारों के निवास पर प्राप्त मुख्य या गैर-मुख्य भोजन को चबाए या ग्रहण करे, तो उसे यह स्वीकार करना होगा: "मित्रों, मैंने एक निंदनीय, अनुचित कार्य किया है जिसे स्वीकार करना आवश्यक है। मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ।"

4. जंगल में कुछ ऐसे आवास होते हैं जिन्हें संदिग्ध और जोखिम भरा माना जाता है। यदि कोई भिक्षु, जो बीमार न हो, ऐसे आवासों में रहते हुए, बिना पूर्व सूचना के प्राप्त किसी भी प्रकार के मुख्य या गैर-मुख्य भोजन को अपने हाथों से चबाकर खा ले, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: "मित्रों, मैंने एक निंदनीय और अनुचित कार्य किया है जिसे मुझे स्वीकार करना चाहिए। मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ।"

यहां पातिदेसानिया समाप्त होते हैं।

आदरणीय महोदय, उन मामलों के संबंध में चार नियम जिनकी आवश्यकता होती है

स्वीकारोक्ति पढ़ी जा चुकी है।

उनके संबंध में मैं पूज्यजनों से पूछता हूँ, 'क्या आप पवित्र हैं?'

यह मामला?'

मैंने दूसरी बार आदरणीय लोगों से पूछा, 'क्या आप इसमें पवित्र हैं?'

मामला?'

तीसरी बार मैंने पूजनीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इसमें पवित्र हैं?'

मामला?'

पूजनीय लोग इसमें पवित्र हैं। इसलिए वे इसे बनाए रखते हैं।

मौन। इस प्रकार मैं समझता हूँ।

यहां पातिदेसानिया का पाठ समाप्त होता है।

टिपिटक >> विनय पिटक >> **सेखिया धम्म**

पाली भाषा से टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स द्वारा अनुवादित (1881)

अंतर्वस्तु

पतिमोक्खा

---

7. सेखिया धम्मा
(प्रशिक्षार्थियों के नियम)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

पाठ: फ़ाइल:VN-PM-Sekhiya-M.pdf

सेखिया स्कैन की गई किताब

स्कैन की गई सेखिया पुस्तक का लिंक

सेखिया सारांश

महोदय महोदय, अब अनुशासन से संबंधित नियमों का पाठ किया जा रहा है।

प्रथम खंड

1. 'मैं अपने पूरे शरीर पर अंतर्वस्त्र पहनूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
2. 'मैं अपने पूरे शरीर पर अपना वस्त्र धारण करूँगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
3. 'मैं उचित वस्त्र पहनकर घरों के बीच जाऊंगा। यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।'
4. 'मैं उचित वस्त्र पहनकर घरों के बीच बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
5. '(अपने शरीर को) उचित नियंत्रण में रखते हुए मैं घरों के बीच जाऊंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
6. '(अपने शरीर को) उचित नियंत्रण में रखते हुए मैं घरों के बीच बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
7. 'मैं दृष्टि झुकाए घरों के बीच चलूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
8. 'मैं दृष्टि झुकाकर घरों के बीच बैठूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
9. 'मैं अपने वस्त्र ऊपर नहीं खींचे हुए घरों के बीच जाऊँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।
10. 'मैं अपने वस्त्र ऊपर उठाए बिना घरों के बीच बैठूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

पहले भाग का अंत।

दूसरा खंड

11. 'मैं जोर-जोर से हंसते हुए घरों के बीच नहीं जाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

12. 'मैं जोर-जोर से हंसते हुए घरों के बीच नहीं बैठूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

13. 'मैं घरों के बीच से ज़रा सी आवाज़ करते हुए ही जाऊँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

14. 'मैं बहुत कम आवाज़ करते हुए घरों के बीच बैठूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

15. 'मैं अपने शरीर को हिलाए बिना घरों के बीच से गुजरूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

16. 'मैं अपने शरीर को हिलाए बिना घरों के बीच में बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

17. 'मैं अपने हाथों को हिलाए बिना घरों के बीच जाऊंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

18. 'मैं अपने हाथों को हिलाए बिना घरों के बीच में बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

19. 'मैं सिर हिलाए बिना घरों के बीच से गुजरूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

20. 'मैं सिर हिलाए बिना घरों के बीच में बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

दूसरे भाग का अंत।

तीसरा खंड

21. 'मैं अपनी भुजाएँ कमर पर रखे बिना घरों के बीच जाऊँगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

22. 'मैं अपनी भुजाएँ कमर पर रखे बिना घरों के बीच में बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

23. 'मैं अपना सिर ढके बिना घरों के बीच जाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

24. 'मैं अपना सिर ढके बिना घरों के बीच बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

25. 'मैं अपने पैरों की एड़ियों या पंजों पर चले बिना (पैर की उंगलियों के बल) घरों के बीच से गुजरूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

26. 'बिना आलस किए मैं घरों के बीच बैठूंगा।' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

27. 'मैं सचेत मन से भिक्षा ग्रहण करूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

28. 'अपने कटोरे पर ध्यान देने से मुझे भिक्षा प्राप्त होगी।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

29. 'मैं बराबर करी के साथ भिक्षा ग्रहण करूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

30. 'मैं भिक्षा को समान रूप से ग्रहण करूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

तीसरे खंड का अंत।

चौथा खंड

31. 'मैं सचेत मन से अपने कटोरे में रखा हुआ भिक्षा ग्रहण करूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

32. 'मैं अपने कटोरे पर ध्यान देते हुए अपने कटोरे में रखी हुई भिक्षा खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

33. 'मैं घर-घर जाकर भीख मांगते हुए अपने कटोरे में रखी हुई भिक्षा खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

34. 'मैं अपने कटोरे में रखी हुई भिक्षा को बराबर मात्रा में खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

35. 'मैं अपने कटोरे में रखी हुई भिक्षा को ऊपर से दबाए बिना खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

36. 'मैं चावल को स्वादिष्ट बनाने की चाह में न तो करी को और न ही मसाले को चावल से ढकूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

37. 'मैं अपने निजी उपयोग के लिए न तो करी मांगूंगा और न ही चावल, जब तक कि मैं बीमार न होऊं।' यह वह अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

38. 'मैं दूसरों के कटोरे ईर्ष्या भरी नज़रों से नहीं देखूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

39. 'मैं अपने भोजन को बहुत बड़े-बड़े गोलों में नहीं बनाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

40. 'मैं अपने भोजन को गोल-गोल निवालों में बाँटूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

चौथे खंड का अंत।

पांचवां खंड

41. 'जब तक गेंद मेरे करीब न आ जाए, मैं अपने मुंह का दरवाजा नहीं खोलूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

42. 'खाना खाते समय मैं अपना पूरा हाथ मुंह में नहीं डालूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

43. 'जब मेरे मुंह में खाना होगा तो मैं बात नहीं करूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

44. 'मैं भोजन को मुंह में डाले बिना नहीं खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

45. 'मैं भोजन के टुकड़ों को कुतरते हुए ही खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

46. 'मैं अपने गाल फुलाए बिना खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

47. 'मैं अपने हाथों को हिलाए बिना ही भोजन करूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

48. 'उबले हुए चावल के टुकड़ों को बिखेरे बिना मैं खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

49. 'मैं अपनी जीभ बाहर निकाले बिना भोजन नहीं करूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

50. 'मैं अपने होंठों को चटकाए बिना खाना खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

पांचवें खंड का अंत।

छठा खंड

51. 'मैं फुफकारने की आवाज किए बिना खाऊंगा,' यह एक अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

52. 'मैं अपनी उंगलियां चाटे बिना खाना नहीं खाऊंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

53. 'मैं अपने कटोरे को चाटे बिना भोजन नहीं करूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

54. 'मैं अपने होंठ चाटे बिना भोजन नहीं करूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

55. 'मैं भोजन से सने हाथ से पानी का घड़ा नहीं पकड़ूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

56. 'उबले हुए चावल के टुकड़ों से सने कटोरे के पानी को मैं भीतरी प्रांगण में नहीं फेंकूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

57. 'मैं किसी ऐसे व्यक्ति को धम्म का उपदेश नहीं दूंगा जिसके हाथ में धूप से बचाव का चश्मा हो, जब तक कि वह बीमार न हो।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

58. 'मैं हाथ में लाठी लिए किसी व्यक्ति को, जब तक वह बीमार न हो, धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

59. 'मैं किसी ऐसे व्यक्ति को धम्म का उपदेश नहीं दूंगा जिसके हाथ में तलवार हो, सिवाय इसके कि वह बीमार हो।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

60. 'मैं किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके हाथ में हथियार हो, धर्म का उपदेश नहीं दूंगा, जब तक कि वह बीमार न हो।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

छठे खंड का अंत।

सातवां खंड

61. 'मैं बीमार व्यक्ति को छोड़कर चप्पल पहने हुए व्यक्ति को धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

62. 'मैं बीमार व्यक्ति को छोड़कर किसी भी ऐसे व्यक्ति को धम्म का उपदेश नहीं दूंगा जिसने चप्पल पहनी हो।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

63. 'मैं बीमार व्यक्ति को छोड़कर किसी रथ में बैठे व्यक्ति को धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

64. 'मैं बीमार व्यक्ति को छोड़कर, सोफे पर लेटे हुए व्यक्ति को धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

65. 'मैं किसी आलसी व्यक्ति को, जब तक वह बीमार न हो, धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

66. 'मैं सिर पर पगड़ी बांधे हुए व्यक्ति को, जब तक वह बीमार न हो, धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

67. 'मैं सिर ढके हुए व्यक्ति को, जब तक वह बीमार न हो, धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

68. 'मैं, पृथ्वी पर बैठा हुआ, किसी बीमार व्यक्ति को छोड़कर, आसन पर बैठे हुए व्यक्ति को धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

69. 'मैं, जो ऊँची कुर्सी पर बैठा हूँ, बीमार होने पर ही धम्म का उपदेश दूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

70. 'मैं बैठे हुए व्यक्ति को, जब तक वह बीमार न हो, खड़े होकर धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

सातवें खंड का अंत।

आठवां खंड

71. 'मैं अपने आगे चलने वाले व्यक्ति को, जब तक वह बीमार न हो, पीछे चलते हुए धम्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

72. 'मैं किसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को, जब तक वह बीमार न हो, मार्ग के किनारे चलते हुए धर्म का उपदेश नहीं दूंगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

73. 'मैं खड़े होकर शौच नहीं करूंगा, जब तक कि मैं बीमार न हो जाऊं।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

74. 'मैं उगती हुई घास पर शौच नहीं करूँगा और न ही थूकूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

75. 'मैं पानी में शौच नहीं करूँगा और न ही थूकूँगा।' यह एक ऐसा अनुशासन है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

आदरणीय महोदय, अनुशासन संबंधी नियमों का पाठ किया जा चुका है।

उनके सम्मान में मैं पूज्यजनों से पूछता हूँ, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'

मैंने दूसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

मैंने तीसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'

यहां पूजनीय लोग पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

सेखिया धम्म (प्रशिक्षार्थियों के नियम) का पाठ यहीं समाप्त होता है।

तिपिटक >> विनय पिटक >> **अधिकरण समथा**

थानिसारो भिक्कू, टीडब्ल्यूआरहिस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग द्वारा किए गए अनुवाद से रूपांतरित।

पतिमोक्खा

8.अधिकरण-समथा धम्म
(विवादों का निपटारा)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

अधिकारण-समथा सारांश
महोदय, यहाँ मुकदमों के निपटारे से संबंधित सात नियम सुनाए जाते हैं।

1. आमने-सामने फैसला सुनाया जाना चाहिए: इसका अर्थ है कि मुद्दे को सुलझाने की औपचारिक कार्रवाई समुदाय की उपस्थिति में, व्यक्तियों की उपस्थिति में और धम्म और विनय की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

2. सचेतता का फैसला दिया जा सकता है: यह किसी आरोप में दी गई निर्दोषता का फैसला है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि आरोपी को पूरी तरह से याद है कि उसने विचाराधीन अपराध नहीं किया है।

3. अतीत में पागलपन का फैसला दिया जा सकता है: यह किसी आरोप में दी गई निर्दोषता का एक और फैसला है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि आरोपी ने जब अपराध किया था तब वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और इसलिए उसे इसके लिए किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है।

4. स्वीकारोक्ति के अनुसार कार्य करना: यह अपराधों की सामान्य स्वीकारोक्ति को संदर्भित करता है, जिसमें कोई औपचारिक पूछताछ शामिल नहीं होती है। स्वीकारोक्ति तभी मान्य होती है जब वह तथ्यों के अनुरूप हो, उदाहरण के लिए, एक भिक्षु वास्तव में एक पचित्त्य अपराध करता है और फिर उसे उसी रूप में स्वीकार करता है, न कि किसी गंभीर या कम गंभीर अपराध के रूप में। यदि वह इसे दुक्कात या संघादिशेष के रूप में स्वीकार करता है, तो वह अमान्य होगा।

5. बहुमत के अनुसार कार्य करना: यह उन मामलों को संदर्भित करता है जिनमें भिक्षु सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भी सर्वसम्मति से विवाद का निपटारा करने में असमर्थ होते हैं, और - धर्मग्रंथ के शब्दों में - "एक दूसरे को ज़ुबान के हथियार से घायल कर रहे होते हैं।" ऐसे मामलों में, बहुमत के मत से निर्णय लिया जा सकता है।

6. अभियुक्त को आगे की सजा देना: यह उन मामलों को संदर्भित करता है जहां एक भिक्षु औपचारिक पूछताछ के बाद ही अपराध स्वीकार करता है। इसके बाद उसे उसके कार्यों के लिए फटकारा जाता है, अपराध याद दिलाया जाता है और उसे स्वीकारोक्ति करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद, समुदाय द्वारा उसे एक सामुदायिक अनुबंध के रूप में आगे की सजा दी जाती है, जिसके तहत उसे एक भिक्षु के रूप में अपने सामान्य अधिकारों की एक लंबी सूची को एक निश्चित अवधि के लिए त्यागना पड़ता है, जब तक कि समुदाय को यह विश्वास न हो जाए कि उसने सबक को दिल से समझ लिया है।

7. घास से ढकना: यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जिनमें विवाद के दोनों पक्ष यह महसूस करते हैं कि अपने विवाद के दौरान उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया है जो ध्यान के योग्य नहीं है। यदि वे अपने अपराधों के लिए एक-दूसरे से निपटें, तो इसका एकमात्र परिणाम और अधिक विभाजन होगा। इसलिए यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो सभी भिक्षु एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। (टीका के अनुसार, इसका अर्थ है कि सीमा में उपस्थित सभी भिक्षुओं को उपस्थित होना चाहिए। किसी को भी अपनी सहमति नहीं भेजनी चाहिए, और यहां तक कि बीमार भिक्षुओं को भी जाना चाहिए।) पूरे समूह के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाता है कि इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिर प्रत्येक पक्ष का एक सदस्य अपने गुट के सदस्यों के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव रखता है कि वह उनके लिए पश्चात्ताप करेगा। जब दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष का प्रतिनिधि पूरे समूह को संबोधित करता है और एक प्रस्ताव और एक घोषणा (नत्ति-दुतिया-कम्म) के रूप में सामूहिक पश्चात्ताप करता है।

> आदरणीय महोदय, मुकदमों के निपटारे से संबंधित सात नियम सुनाए जा चुके हैं।
>
> उनके आदर में मैं पूज्यजनों से पूछता हूँ, 'क्या आप इस मामले में शुद्ध हैं?'
>
> मैंने दूसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'
>
> मैंने तीसरी बार आदरणीय व्यक्तियों से पूछा, 'क्या आप इस मामले में पवित्र हैं?'
>
> पूजनीय लोग इस मामले में पवित्र हैं। इसीलिए वे मौन रहते हैं। मैं यही समझता हूँ।

अधिकरण-समाथों का पाठ यहीं समाप्त होता है।

आदरणीय महोदय! यह निदान (प्रस्तावना) का पाठ है।

यहां चार पाराजिक नियमों का पाठ किया गया है।

संघदिशेष के तेरह नियम सुनाए जाते हैं।

यहां अनियता के दो नियम सुनाए गए हैं।

यहां तीस निसग्गीय-पाचितीय नियमों का पाठ किया गया है।

यहां बानवे पाचित्टीय नियमों का पाठ किया गया है।

यहां पातिदेसानिया के चार नियम सुनाए गए हैं।

यहां सेखिया के नियम पढ़े जा रहे हैं।

सात अधिकरण-समथ नियम का पाठ किया जाता है।

सूत्रों में संकलित और समाहित भगवान बुद्ध के इतने सारे वचन प्रत्येक छह महीने में पाठ के लिए आते हैं। इसलिए सभी को सामंजस्य, प्रसन्नता और बिना किसी विवाद के उसी के अनुरूप अभ्यास करना आवश्यक है!

भिक्षुओं के उपयोग के लिए पातिमोक्खा का पाठ यहीं समाप्त होता है।

टिपिटका >> विनय पिटक >> **भिक्खुनि पतिमोक्खा**

पाली संस्करण : नीचे दिए गए पाठों में पाली-अंग्रेजी और पाली-देवनागरी संस्करण उपलब्ध कराए गए हैं।

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

भिक्कुनी पतिमोक्खा
भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

विस्तृत पाठ: फ़ाइल: पतिमोक्खा-एफ.पीडीएफ

नोट: भिक्खुनी पाटीमोक्खा में 311 नियम हैं। इनमें से 181 नियम भिक्खु पाटीमोक्खा के साथ साझा किए गए हैं।

इन अतिरिक्त नियमों में से एक तिहाई से अधिक नियम भिक्षुणियों को अन्य भिक्षुणियों के दुर्व्यवहार या लापरवाही भरे व्यवहार का प्रत्यक्ष शिकार होने से बचाने के लिए बनाए गए थे।

दो अतिरिक्त नियम (पाचित्त 6 और 44) भिक्षुणियों को भिक्षुओं या गृहस्थ लोगों की सेवा करने की स्थिति में खुद को रखने से रोकते हैं।

नियमों की उत्पत्ति की कहानियों के अनुसार, अतिरिक्त नियमों (पाचित्तिया 59, 94 और 95) में से तीन को छोड़कर बाकी सभी नियम तभी बनाए गए थे जब भिक्षुणियों ने भिक्षुओं से किसी पथभ्रष्ट भिक्षुणी (भिक्षुणी) के व्यवहार के बारे में शिकायत की थी।

भिक्षुणियों के चार प्रारंभिक कार्य

1. जगह की सफाई करना,
2. दीपक जलाना,
3. पानी पिलाना और
4. सीटों को फैलाना।

पाँच कार्य

1. ब्याज,
2. शुद्धता,
3. (विवेकपूर्वक) उपयुक्त समय,
4. भिक्षुणियों की संख्या और
5. सलाह

उपयुक्त होने के लिए चार विशेषताएं

1. पूर्णिमा का दिन,
2. सभी पराजित भिक्षुणियाँ,
3. समुदाय से बहिष्कृत लोग उपस्थित नहीं हैं और
4. पराजित भिक्षुणियाँ दूर हैं

प्रारंभिक चार कार्यों, पांच कार्यों और उपयुक्तता की चार विशेषताओं के पूर्ण हो जाने पर, हम उन भिक्षुणियों को आमंत्रित करते हैं जिन्हें भिक्षुणी संघ की सहमति प्राप्त हो चुकी है, ताकि वे उच्च संघ के नियमों का पाठ कर सकें।

निदान (परिचय) (प्रस्तावना)

हे परम पूज्य देवियों, ध्यान दें, आज पूर्णिमा का पंद्रहवाँ दिन है, भिक्षुणियों का समुदाय उचित रूप से भिक्षुणियों के नियमों का पाठ कर सकता है।

क्या कार्य हैं? हे परम पूज्य देवियों, अपनी पवित्रता का ध्यान रखें। मैं उच्च कोटि के नियमों का पाठ करूंगा। सभी उपस्थित, ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से सुनें। जिनके मन में कोई धार्मिक अपराध हो, वे उसे प्रकट करें। जिनके मन में कोई अपराध न हो, वे मौन रहें; उनके मौन से ही मैं उनकी पवित्रता जान पाऊंगा। इस प्रकार की सभा में, इसे तीसरी बार तक सुनना चाहिए। तीसरी बार तक सुनते समय, यदि आपको कोई अपराध याद आए, तो उसे प्रकट करें। यदि कोई भिक्षुणी तीसरी बार तक सुनते समय अपने द्वारा प्रकट किए गए किसी

अपराध को प्रकट न करे, तो यह जानबूझकर झूठ बोलने के समान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जानबूझकर झूठ बोलना एक बाधा है। इसलिए, जिन्हें अपने अपराध याद आ रहे हों, उन्हें उन्हें प्रकट करना चाहिए; यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

हे प्रतिष्ठित महिलाओं, मूल पाठ सुनाया जा रहा है, आपकी पवित्रता कैसी है? मैं दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ, आपकी पवित्रता कैसी है? प्रतिष्ठित महिलाएं पवित्र हैं, इसलिए वे चुप रहती हैं, और मैं इसे इसी रूप में दर्ज करता हूँ।

निदान (परिचय) का समापन

पतिमोक्खा अध्याय

हे परम पूज्य महिलाओं, निदान (प्रस्तावना) का पाठ किया जाता है। इसमें आठ गंभीर अपराध, सत्रह गंभीर अपराध जिनके लिए बहिष्कार का दंड दिया जाता है, तीस नियम जो पतन और बहिष्कार का कारण बनते हैं, आठ अपराध जिनके लिए पश्चात्ताप करना आवश्यक है, प्रशिक्षु के लिए नियम और अनुशासन स्थापित करने के सात तरीके बताए गए हैं। ये सभी भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्राप्त हुए हैं और इनका पाठ पखवाड़े में एक बार करना चाहिए। सभी को एकजुट होकर और बिना किसी विवाद के इनका अभ्यास करना चाहिए।

विस्तृत व्याख्या का अंत।

भिक्षुणियों के लिए पतिमोक्खा के नियमों का अंत।

टिपिटका >> विनय पिटक >> भिक्खुनि पतिमोक्खा >> **परजिका धम्म**

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

भिक्कुनी पतिमोक्खा
भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

परजिका धम्म (पराजय और निष्कासन)
(वे अपराध जिनके लिए बहिष्कार उचित है)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

अब आठों अपराधों का वर्णन किया जाता है।

यौन संबंधी चीजों के लिए प्रशिक्षण सिद्धांत

1. यदि कोई भिक्षुणी यौन क्रियाओं में रुचि रखती है और पशु के रूप में उनका अभ्यास करती है, तो यह बहिष्कार के योग्य अपराध है।

चोरी करने के लिए प्रशिक्षण का नियम।

2. यदि कोई भिक्षुणी गाँव या जंगल से कोई ऐसी वस्तु चुराती है जो उसे दी नहीं गई हो, और यदि यह चोरी की श्रेणी में आती है जिसके लिए राजा गिरफ्तार कर सकता है, फाँसी दे सकता है, कैद कर सकता है या देश निकाला दे सकता है, तो वह ऐसा अपराध करती है जिसके लिए उसे समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है।

मानव जीवन को छीनने का प्रशिक्षण सिद्धांत।

3. यदि कोई भिक्षुणी जानबूझकर किसी को हथियार मुहैया कराकर, मृत्यु की प्रशंसा करके, या किसी को यह कहकर मरने के लिए उकसाकर कि, 'हे मनुष्य, इस दुष्ट और अप्रिय जीवन का क्या लाभ, जीना से मरना बेहतर है', किसी मनुष्य के जीवन को छीनती है, तो मृत्यु का गुणगान करना अपराध है, जिसके लिए भिक्षुणी का बहिष्कार किया जा सकता है।

मानवीय स्तर से ऊपर की उपलब्धियों के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत।

4. एक भिक्षुणी, जो स्वयं उन उपलब्धियों को प्राप्त किए बिना ही दूसरों को अपने उच्चतर गुणों का आभास कराती है, कहती है, 'मैं उच्चतर उपलब्धियों और दिव्य दृष्टियों को जानती और देखती हूँ।' बाद में, जब उससे पूछताछ की जाती है या बिना पूछताछ के भी, अपने अपराध को पहचानकर और पवित्रता की तलाश में वह कहती है, 'हे परम पूज्य, अनजाने में मैंने कहा कि मैं जानती और देखती हूँ, मैंने ये व्यर्थ के झूठ अहंकार में बोले।' यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए भिक्षुणी को बहिष्कृत किया जा सकता है।

घुटने के ऊपरी भाग पर किया जाने वाला प्रशिक्षण सिद्धांत।

5. यदि कोई भिक्षुणी इच्छा से प्रेरित होकर किसी पुरुष के स्पर्श, मालिश, पकड़ने, छूने या घुटनों के ऊपर दबाने के लिए सहमति देती है, तो यह बहिष्कृत किए जाने योग्य अपराध है।

अपराध को छिपाने के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत।

6. यदि कोई भिक्षुणी जानती है कि दूसरी भिक्षुणी ने कोई अपराध किया है, तो वह उसके जीवित रहते हुए न तो उस पर आरोप लगाएगी और न ही समुदाय को इसकी सूचना देगी। बाद में वह कहेगी: 'मुझे पहले से ही पता था कि वह बहन ऐसे व्यवहार की है।' भिक्षुणी पर स्वयं आरोप न लगाना और न ही समुदाय को इसकी सूचना देना, बहिष्कृत किए जाने योग्य अपराध है।

बहिष्कृत भिक्षु के साथ संगति करने के लिए प्रशिक्षण संबंधी नियम।

7. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसे भिक्षु के साथ संगति करती है जिसे गुरु के अनुशासन के अनुसार अनादरपूर्ण व्यवहार के कारण बहिष्कृत कर दिया गया है और जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो भिक्षुणियों द्वारा उसे तीसरी बार तक यह सलाह दी जानी चाहिए: 'हे परम पूज्य, इस भिक्षु को गुरु के अनुशासन के अनुसार अनादरपूर्ण व्यवहार के कारण बहिष्कृत कर दिया गया है और जिसे सुधारा नहीं जा सकता, कृपया इसके साथ संगति न करें।' यदि वह संगति छोड़ देती है तो यह अच्छा है; अन्यथा, यह बहिष्करण के योग्य अपराध है।

आठ प्रकार के दुराचार के लिए प्रशिक्षण नियम

8. यदि कोई भिक्षुणी, जो वासना से ग्रस्त है, किसी पुरुष के हाथ पकड़ने, वस्त्र के किनारे को छूने, निकट खड़े होने, बातचीत करने या विचारों का आदान-प्रदान करने, या उसके साथ एकांतवास में जाने, या ऐसे इरादों से शरीर का प्रदर्शन करने जैसे प्रस्तावों को सहन करती है, तो यह कुकर्म बहिष्कृत किए जाने योग्य अपराध है।

पराजिका धम्म (वे अपराध जिनके लिए बहिष्कार उचित है) का अंत।

हे परम पूज्य देवियों, बहिष्कार के आठ अपराध बताए जा रहे हैं। इन अपराधों में से किसी एक का भी दोषी भिक्षुणी बहिष्कृत होने के योग्य है। हे परम पूज्य देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पवित्रता कैसी है? मैं आपसे दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ, आपकी पवित्रता कैसी है? परम पूज्य देवियाँ पवित्र हैं, इसलिए वे मौन हैं, और मैं इसे इसी रूप में दर्ज करता हूँ।

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

भिक्कुनी पतिमोक्खा
भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

संघदिशेष धम्म (व्यवस्था की बैठक)
(बीस से अधिक भिक्षुओं और भिक्षुणियों की सामुदायिक बैठक द्वारा क्षमा किए जाने वाले अपराध)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

संघदिसेसा सारांश

हे सम्मानित महिलाओं, अब सत्रह गंभीर अपराधों का पाठ किया जाएगा।

झगड़े के लिए उपदेश

1. झगड़ालू जीवन जीने वाली भिक्षुणी, जो किसी गृहस्थ, उसके पुत्र, नौकर, मजदूर या कम से कम किसी घुमंतू तपस्वी से झगड़ा करती है, वह पहले अपराध से ही गिर जाती है और गंभीर अपराध से तो वह असहाय हो जाती है।

कपटी स्त्री के साथ संगति करने के लिए नियम।

2. एक भिक्षुणी यह जानते हुए भी कि कोई स्त्री कपटी है, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए और राजा, समुदाय, समूह, संघ या सेना के साथ उचित व्यवस्था किए बिना, उसके साथ संगति करती है और प्रथम अपराध करती है तथा गंभीर अपराध के लिए असहाय हो जाती है।

गांव में अकेले घूमने के लिए नियम।

3. कोई भिक्षुणी, गाँव में अकेले विचरण करते हुए, या अकेले नदी पार करते हुए, या अकेले रात बिताते हुए, या भिक्षुणियों के समुदाय को छोड़कर, प्रथम अपराध से ही गिर जाती है और गंभीर अपराध से असहाय हो जाती है।

बहिष्कृत व्यक्ति को वापस समाज में लाने का नियम।

4. यदि कोई भिक्षुणी, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार, भिक्षुणी समुदाय द्वारा विधिवत बहिष्कृत किसी अन्य भिक्षुणी को कार्य समिति के निर्णयों और बहुमत से किए गए बहिष्करण की अवहेलना करते हुए, पुनः भस्म कर देती है, तो वह प्रथम अपराध के लिए दोषी है और गंभीर अपराध के लिए असहाय हो जाता है।

भोजन ग्रहण करने का नियम।

5. किसी भिक्षुणी द्वारा वासना से ग्रस्त पुरुष के हाथों से खाने-पीने की वस्तुएँ ग्रहण करने पर वह प्रथम अपराध के साथ ही पतित हो जाती है और गंभीर अपराध के साथ असहाय हो जाती है।

भोजन ग्रहण करने का दूसरा नियम।

6. एक भिक्षुणी कहती है: 'हे परम पूज्य, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह पुरुष कामवासना से ग्रस्त है या नहीं; आप निर्जलित हैं, इसलिए आप स्वयं भोजन और पेय पदार्थ ग्रहण करें।' यहाँ वह प्रथम अपराध से ही गिर जाती है और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।

मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण सिद्धांत।

7. कोई भिक्षुणी जो किसी पुरुष को स्त्री का इरादा या किसी स्त्री को पुरुष का इरादा बताती है, या कम से कम अस्थायी संबंध के लिए ऐसा करती है, वह पहले अपराध से ही गिर जाती है और गंभीर अपराध से तो वह असहाय हो जाती है।

दुष्ट क्रोध के लिए प्रशिक्षण सिद्धांत।

8. एक भिक्षुणी क्रोधित और असंतुष्ट होकर दूसरी भिक्षुणी पर आरोप लगाती है कि वह पूर्णतः बहिष्कृत होने की पात्र है, 'इस पवित्र जीवन का क्या लाभ, वस्त्र त्याग दो।' बाद में, पूछताछ करने पर, या बिना पूछताछ के, या पूर्ण जाँच के बाद, आरोप गलत सिद्ध होता है और यह पाया जाता है कि भिक्षुणी क्रोधित थी। यह भिक्षुणी पहले अपराध में ही अपंग हो जाती है और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।

एक नियम के लिए, दूसरे खंड में।

9. एक क्रोधित और असंतुष्ट भिक्षुणी एक छोटी सी बात पर दूसरी भिक्षुणी पर अप्रासंगिक अपराधों का आरोप लगाती है और कहती है कि वह पूर्णतः बहिष्कृत होने की पात्र है, 'इस पवित्र जीवन का क्या लाभ, वस्त्र त्याग दो।' बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है, या नहीं की जाती है, या दूसरे प्रकार के अपराधों की पूरी जांच के बाद, आरोप गलत साबित होता है और पता चलता है कि भिक्षुणी क्रोधित थी। यह भिक्षुणी पहले अपराध के कारण ही गिर जाती है और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।

प्रशिक्षण छोड़ने का नियम।

10. एक भिक्षुणी क्रोधित और असंतुष्ट होकर कहती है, 'मैं स्वयं को ज्ञान से, शिक्षा से, समुदाय से और प्रशिक्षण से विमुख हो जाती हूँ। मैं शाक्यों पुत्रियों से बहुत पीछे हूँ। अन्य भिक्षुणियाँ हैं, जो संकोची और प्रशिक्षण के प्रति सजग हैं, मैं उनके अधीन पवित्र जीवन व्यतीत करूँगी।' अन्य भिक्षुणियों द्वारा उस भिक्षुणी को इस प्रकार सलाह दी जानी चाहिए: 'हे परम पूज्य, क्रोधित और असंतुष्ट भिक्षुणी, ऐसा मत कहो कि मैं स्वयं को ज्ञान से, शिक्षा से, समुदाय से और प्रशिक्षण से विमुख हो जाती हूँ। मैं शाक्यों पुत्रियों से बहुत पीछे हूँ। अन्य भिक्षुणियाँ हैं, जो संकोची और प्रशिक्षण के प्रति सजग हैं, मैं उनके अधीन पवित्र जीवन व्यतीत करूँगी। शिक्षा का अच्छा प्रचार हुआ है, पवित्र जीवन व्यतीत करो, उसमें आनंद लो और अप्रियता का उचित अंत करो।' यदि सलाह देने के बाद भी वह इस विचार पर अड़ी रहती है, तो उसे तीसरी बार तक सलाह दी जानी चाहिए। अगर वह इसे छोड़ देती है तो यह अच्छी बात है, अन्यथा वह बार-बार चेतावनी न मानने के अपराध में तीसरी बार तक दोषी पाई जाएगी और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाएगी।

किसी वैध निर्णय पर क्रोधित होने का नियम

11. यदि कोई भिक्षुणी किसी उचित निर्णय पर क्रोधित और असंतुष्ट होकर कहे, 'भिक्षुणियाँ स्वार्थ, क्रोध, मोह और भय से प्रेरित होती हैं,' तो अन्य भिक्षुणियों द्वारा उसे यह कहकर समझाया जाना चाहिए: 'हे परम पूज्य, किसी उचित निर्णय पर क्रोधित और असंतुष्ट भिक्षुणी, ऐसा न कहिए कि भिक्षुणियाँ स्वार्थ, क्रोध, मोह और भय से प्रेरित होती हैं। हे परम पूज्य, आप स्वयं स्वार्थ, क्रोध, मोह और भय से प्रेरित हो सकती हैं।' भिक्षुणियों को तीसरी बार तक उसे यह विचार त्यागने के लिए समझाना चाहिए। यदि वह इसे त्याग देती है, तो

अच्छा है; अन्यथा वह तीसरी बार तक बार-बार चेतावनी न मानने के कारण अपराध करती है और गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।

बुरे आचरण का पहला नियम।

12. यदि भिक्षुणियाँ गलत आचरण, गलत आस्था और गलत सद्‌गुणों का अभ्यास करती हैं, तो एक-दूसरे की गलतियों को छुपाकर भिक्षुणियों के समुदाय में चिंता उत्पन्न होती है। भिक्षुणियों को उन्हें यह समझाना चाहिए: 'बहनो, तुम गलत आचरण, गलत आस्था और गलत सद्‌गुणों का अभ्यास करती हो, एक-दूसरे की गलतियों को छुपाकर भिक्षुणियों के समुदाय में चिंता उत्पन्न करती हो।'

हे सम्मानित महिलाओं, समुदाय खुलेपन की सराहना करता है। यदि वे लगातार गलत व्यवहार करती हैं, तो उन्हें तीसरी बार तक चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि वे अपना गलत व्यवहार छोड़ देती हैं तो यह अच्छी बात है, अन्यथा वे तीसरी बार तक बार-बार चेतावनी न मानने के अपराध में फंस जाती हैं और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती हैं।

बुरे आचरण के लिए दूसरा नियम।

13. यदि कोई भिक्षुणी कहती है: 'हे श्रेष्ठ देवियों, एकांतवास करो, परन्तु अनेक प्रकार के आचरणों में भली-भांति व्यवहार करो। इस समुदाय में अन्य भिक्षुणियाँ भी हैं जिनका आचरण, आस्था और गुण ऐसे ही हैं, जो एक-दूसरे की कमियों को छुपाकर भिक्षुणियों के समुदाय को चिंतित करती हैं। भिक्षुणियों के समुदाय ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वे तुम्हें नापसंद करती हैं, तुम्हारे बारे में कानाफूसी करती हैं और तुम्हारी कमजोरी के कारण कहती हैं: 'बहनो, तुम गलत आचरण, गलत आस्था और गलत गुणों का पालन करती हो, एक-दूसरे की कमियों को छुपाकर भिक्षुणियों के समुदाय को चिंतित करती हो। हे श्रेष्ठ देवियों, समुदाय खुलेपन की प्रशंसा करता है।' तो उस भिक्षुणी को इस प्रकार समझाया जाना चाहिए: 'हे श्रेष्ठ देवियों, ऐसा मत कहो: 'हे श्रेष्ठ देवियों, एकांतवास करो, परन्तु अनेक प्रकार के आचरणों में भली-भांति व्यवहार करो। इस समुदाय में अन्य भिक्षुणियाँ भी हैं जिनका आचरण, आस्था और गुण ऐसे ही हैं, जो एक-दूसरे की कमियों को छुपाकर भिक्षुणियों के समुदाय को चिंतित करती हैं। भिक्षुणियों के समुदाय ने उन्हें कुछ नहीं कहा।' आपको नापसंद करने वाले, आपके बारे में कानाफूसी करने वाले और आपकी कमजोरी के कारण कहते हैं: 'बहनो, तुम गलत आचरण, गलत आस्था, गलत गुणों का पालन करती हो, एक-दूसरे की गलतियों को छुपाकर भिक्षुणियों के समुदाय को चिंतित करती हो। हे श्रेष्ठ महिलाओं, समुदाय खुलेपन की प्रशंसा करता है।' यदि वह लगातार ऐसा व्यवहार करती है, तो उसे तीसरी बार तक चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि वह इस व्यवहार को छोड़ देती है तो अच्छा है, अन्यथा वह बार-बार, तीसरी बार तक चेतावनी न मानने के अपराध में फंस जाती है और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।

समुदाय में फूट डालने का नियम।

14. यदि कोई भिक्षुणी एकता में संपन्न समुदाय में फूट डालती है, या किसी ऐसे विवाद को जारी रखती है जिसका समाधान फूट उत्पन्न कर सकता है, तो भिक्षुणियों द्वारा उसे यह चेतावनी दी जानी चाहिए: 'हे परम पूज्य, एकता में संपन्न समुदाय में फूट न डालें, किसी ऐसे विवाद को जारी न रखें जिसका समाधान फूट उत्पन्न कर सकता है। हे परम पूज्य, समुदाय की एकता का सम्मान करें। एक एकता में संपन्न, सुखद समुदाय जो एक ही पाठ करता है, अच्छा है।' यदि वह अपने प्रयास में लगी रहती है, तो उसे तीसरी बार तक चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि वह इसे छोड़ देती है तो अच्छा है, अन्यथा वह तीसरी बार तक बार-बार चेतावनी न मानने के अपराध में फँस जाती है और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।

षड्यंत्रकारियों को एकजुट करने का सिद्धांत

15. एक ही भिक्षुणी के बारे में एक, दो या तीन भिक्षुणियाँ कहती हैं: "हे देवियों, इस भिक्षुणी से कुछ मत कहिए, यह विधि के अनुसार उचित बात कह रही है। मैं भी इसके हितों और पसंद से सहमत हूँ। यह जानती है कि वह क्या कह रही है, मैं भी इसके शब्दों से सहमत हूँ।" भिक्षुणियों को इन भिक्षुणियों को समझाना चाहिए: "हे देवियों, ऐसा मत कहिए, यह भिक्षुणी विधि के अनुसार उचित बात नहीं कह रही है। आपको समुदाय में फूट डालने के लिए अपना समर्थन नहीं देना चाहिए। हे देवियों, समुदाय के साथ सद्‌भाव से रहिए। एक ही पाठ करने वाला एकतापूर्ण और सुखद समुदाय अच्छा है।" यदि वे अपने प्रयास में लगी रहती हैं, तो उन्हें तीसरी बार तक समझाया जाना चाहिए। यदि वे इसे छोड़ देती हैं तो अच्छा है, अन्यथा वे तीसरी बार तक बार-बार समझाए जाने पर अनसुना करने के अपराध में फँस जाती हैं और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती हैं।

अनुशासनहीनता के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत।

16. एक अनियंत्रित स्वभाव की भिक्षुणी, भिक्षुणियों द्वारा उचित उपदेश दिए जाने पर भी नहीं सुनती थी। वह कहती थी, "हे श्रेष्ठ देवियों, मुझे अच्छे-बुरे के विषय में उपदेश न दीजिए। मैं भी श्रेष्ठ देवियों को अच्छे-बुरे के विषय में उपदेश नहीं देती।" भिक्षुणियों को उसे समझाना चाहिए: "हे श्रेष्ठ देविका, उपदेश से परे मत बनो। उपदेश के लिए स्वयं को उपलब्ध कराओ और तुम भी भिक्षुणियों को उचित उपदेश दो। भगवान बुद्ध की सभा एक-दूसरे को उपदेश देने और सुधार करने से बढ़ती है। इस प्रकार उपदेश देने पर भी यदि वह सुधरती नहीं है, तो उसे तीसरी बार तक उपदेश देना चाहिए। यदि वह अपना अनियंत्रित स्वभाव त्याग देती है, तो अच्छा है; अन्यथा वह तीसरी बार तक बार-बार उपदेश न मानने के कारण अपराध करती है और गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।"

किसी परिवार को बदनाम करने का दंड।

17. एक भिक्षुणी किसी गाँव या बस्ती में रहती है। उसे अक्सर एक परिवार के यहाँ आते-जाते देखा और सुना जाता है। वह परिवार भी उसके बुरे आचरण को जानता और समझता है। अन्य भिक्षुणियों को उसे समझाना चाहिए: 'हे स्वामिनी, तुम्हें अक्सर एक परिवार के यहाँ आते-जाते देखा और सुना जाता है। वह परिवार भी तुम्हारे इस बुरे आचरण को पसंद नहीं करता। हे स्वामिनी, इस घर को छोड़ दो, यही तुम्हारे भले के लिए है।' वह भिक्षुणी शायद जवाब दे: 'भिक्षुणियाँ स्वार्थ, क्रोध, भ्रम और भय से प्रेरित होती हैं; ऐसे अपराध के कारण एक को निकाल दिया जाता है और दूसरी को नहीं निकाला जाता।' अन्य भिक्षुणियों को उस भिक्षुणी को समझाना चाहिए: 'हे स्वामिनी, यह मत कहो कि भिक्षुणियाँ स्वार्थ, क्रोध, भ्रम और भय से प्रेरित होती हैं। तुम्हें अक्सर एक परिवार के यहाँ आते-जाते देखा और सुना जाता है और वह परिवार तुम्हारे इस आचरण को पसंद नहीं करता। तुम्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए, यही तुम्हारे भले के लिए है।' यदि वह तीसरी बार तक चेतावनी देने के बाद गलत व्यवहार छोड़ देती है, तो यह अच्छा है; अन्यथा, बार-बार तीसरी बार तक चेतावनी न मानने के कारण वह अपराध की श्रेणी में आ जाती है और एक गंभीर अपराध के कारण असहाय हो जाती है।

हे परम पूज्य महिलाओं, सत्रह गंभीर अपराधों का वर्णन किया जाता है, जिनमें नौ प्राथमिक अपराध और तीसरी बार दी गई चेतावनी का उल्लंघन करने के आठ अपराध शामिल हैं। इन अपराधों में से किसी एक का दोषी भिक्षुणी को दोनों समुदायों के समक्ष क्षमा मांगनी पड़ती है। उसके अहंकार को कम करने के लिए, भिक्षुणी को ऐसे स्थान पर पुनर्वासित किया जाना चाहिए जहाँ बीस भिक्षुणियों का समुदाय हो। यदि संख्या बीस से कम हो, तो उसे पुनर्वासित नहीं किया जाता और वे भिक्षुणियाँ निंदनीय होती हैं। यही उचित मार्ग है। हे परम पूज्य महिलाओं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? मैं आपसे दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? परम पूज्य महिलाएं पवित्र हैं, इसलिए वे मौन हैं, और मैं इसे इसी रूप में दर्ज करता हूँ।

संघदिशेष धम्म का अंत (ऐसे अपराध जिनके लिए बीस से अधिक भिक्षुओं और भिक्षुणियों की बड़ी सामुदायिक बैठक की आवश्यकता होती है)।

[टिपिटक]] >> विनय पिटक >> भिक्खुनि पतिमोक्खा >> **निस्सागिया धम्म**

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

भिक्कुनी पतिमोक्खा
भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

निस्सागिया पचित्तिया धम्म (स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित)
(अपराध स्वीकार करना और प्रायश्चित करना)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

हे प्रतिष्ठित महिलाओं, उन तीस अपराधों का पाठ किया जाता है जिनके लिए प्रायश्चित करना होगा।

कटोरे पर अनुभाग

कटोरे जमा करने का नियम

1. यदि कोई भिक्षुणी कटोरे जमा करती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

असमय वस्त्र सामग्री के लिए नियम

2. यदि कोई भिक्षुणी गलत समय पर प्राप्त वस्त्र सामग्री को 'सही समय पर प्राप्त' मान लेती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

वस्त्रों के आदान-प्रदान का नियम

3. यदि कोई भिक्षुणी किसी दूसरी भिक्षुणी से वस्त्रों का आदान-प्रदान करने के बाद कहती है: 'हे परम पूज्य, यह आपका वस्त्र है, इसे ले लीजिए और मेरा वस्त्र लौटा दीजिए, यह मेरा है।' और वह अपना वस्त्र फाड़ देती है, या किसी दूसरी को ऐसा करने के लिए उकसाती है, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

दूसरों को सिखाने का उपदेश

4. यदि कोई भिक्षुणी एक को शिक्षा न देकर किसी दूसरे को शिक्षा दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

वस्तुओं के आदान-प्रदान का नियम

5. यदि कोई भिक्षुणी किसी एक के साथ वस्तुओं का आदान-प्रदान करती है और दूसरे के साथ नहीं, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

समुदाय की वस्तुओं को दान करने का पहला नियम।

6. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिप्रेत संघ की आवश्यक वस्तुओं को दान कर देती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

समुदाय की वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए दूसरा नियम।

7. यदि कोई भिक्षुणी कुशलतापूर्वक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिप्रेत संघ की आवश्यक वस्तुओं का किसी अन्य वस्तु से आदान-प्रदान करती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

समुदाय की वस्तुओं को लोगों में बांटने का पहला नियम

8. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिप्रेत समुदाय के खाद्य पदार्थों को लोगों को देती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

समुदाय की संपत्ति लोगों को देने का दूसरा नियम

9. यदि कोई भिक्षुणी कुशलतापूर्वक समुदाय के उन खाद्य पदार्थों का आदान-प्रदान करती है जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिप्रेत हैं, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

किसी व्यक्ति के साथ समुदाय की वस्तुओं का आदान-प्रदान करने का नियम

10. यदि कोई भिक्षुणी कुशलतापूर्वक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिप्रेत समुदाय के खाद्य पदार्थों का किसी व्यक्ति के साथ आदान-प्रदान करती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

कटोरे पर पहला भाग

<u>वस्त्रों से संबंधित अनुभाग</u>

महत्वपूर्ण वस्त्र के संबंध में नियम

11. महत्वपूर्ण वस्त्र पर सौदेबाजी करने वाली भिक्षुणी अधिकतम चार तांबे के सिक्कों तक ऐसा कर सकती है, यदि वह इससे अधिक करती है, तो यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

महत्वपूर्ण वस्त्र 'गरुपावुरा' यह वह वस्त्र है जो वर्षा ऋतुओं का पालन करने वाली भिक्षुणी को वर्षा ऋतुओं का पालन करने के स्थान पर 'भिक्खुनी नियमों' के पाठ के बाद अर्पित किया जाता है।

एक साधारण वस्त्र के संबंध में उपदेश

12. एक भिक्षुणी किसी मामूली वस्त्र के लिए मोलभाव करते समय अधिकतम साढ़े तीन तांबे के सिक्कों तक ही मोलभाव कर सकती है; यदि वह इससे अधिक मोलभाव करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

महत्वहीन वस्त्र 'लहुपावुराॅआ' यह कोई अन्य वस्त्र है जो वर्षा ऋतु में भिक्षुणियों द्वारा किए गए अनुष्ठान के पाठ के बाद उन्हें अर्पित किया जाता है।

वर्षा ऋतु के समारोह के लिए वस्त्र बनाने हेतु अर्पित की जाने वाली सामग्री के लिए नियम।

13. जिस समय वस्त्र सिले जाते हैं और वस्त्र सामग्री वितरित की जाती है, उस समय एक भिक्षुणी दस दिनों तक अतिरिक्त वस्त्र अपने पास रख सकती है; यदि वह उस अवधि से अधिक रखती है, तो यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

गलतियों की कोई गुंजाइश न छोड़ने का सिद्धांत

14. जब वस्त्र सिले जा रहे हों और वस्त्र सामग्री वितरित की जा रही हो, तो भिक्षुणी को अपनी तीनों वस्त्रों में से किसी एक को एक रात के लिए भी अलग नहीं रखना चाहिए, जब तक कि भिक्षुणियों की सहमति न हो; अन्यथा, यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

मौसम के बाहर वस्त्र पहनने का नियम।

15. जब वस्त्र सिले जा रहे हों और वस्त्र सामग्री वितरित की जा रही हो, तब किसी भिक्षुणी को वस्त्र की आवश्यकता हो सकती है। यदि वह चाहे, तो वस्त्र सामग्री स्वीकार करके शीघ्र ही वस्त्र बना सकती है। उसे अधिकतम एक महीने या एक सप्ताह के भीतर वस्त्र पूरा कर लेना चाहिए; यदि वह समय सीमा से अधिक समय लेती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

किसी अज्ञात व्यक्ति से वस्त्र सामग्री मांगने का नियम।

16. यदि कोई भिक्षुणी बिना किसी कारण के किसी अनजान गृहस्थ या गृहस्थ की पत्नी से वस्त्र सामग्री मांगती है, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है। यहाँ कारण यह है कि उसका वस्त्र चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है।

इसके अतिरिक्त पूर्व नियम के लिए।

17. यदि उक्त पुरुष या स्त्री ने वस्त्रों के लिए आवश्यकता से अधिक सामग्री भेंट की हो, जिससे भिक्षुणी अपनी आवश्यकता से अधिक सामग्री से अपना वस्त्र तैयार कर सके, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

कृपा करने का पहला नियम।

18 किसी भिक्षुणी के लिए, कोई अज्ञात गृहस्थ या उसकी पत्नी कुछ धन एकत्रित करके यह विचार कर सकती है: 'एकत्रित धन से मैं वस्त्र सामग्री खरीदूँगी, वस्त्र तैयार करूँगी और उस नाम की भिक्षुणी को वस्त्र प्रदान करूँगी।' वर्षा ऋतु के आरंभिक समारोह से पहले,

वह भिक्षुणी उस गृहस्थ के पास जाकर एक वैकल्पिक सुझाव दे सकती है: 'महोदय, यदि आप एकत्रित धन से यह सामग्री खरीद लें और करुणावश मुझे इस प्रकार का वस्त्र भेंट कर दें तो अच्छा होगा।' यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

कृपा करने का दूसरा नियम।

19 किसी भिक्षुणी के लिए, दो अज्ञात गृहस्थ या दो अज्ञात गृहस्थों की पत्नियाँ कुछ धन एकत्रित करती हैं और व्यक्तिगत रूप से मनन करती हैं: 'एकत्रित धन से मैं वस्त्र सामग्री खरीदूँगी, वस्त्र तैयार करूँगी और उस नाम की भिक्षुणी को एक वस्त्र प्रदान करूँगी।' वर्षा ऋतु के आरंभिक समारोह से पहले, वह भिक्षुणी उन गृहस्थों के पास जाकर एक वैकल्पिक सुझाव दे सकती है: 'महोदय, अच्छा होगा यदि आप एकत्रित धन से यह सामग्री खरीद लें और मुझे इस प्रकार का एक वस्त्र भेंट करें, दोनों करुणावश।' यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

राजपरिवार के लिए नियम।

20. किसी भिक्षुणी के पास राजा, राजपरिवार का कोई सदस्य, ब्राह्मण या गृहस्थ एक दूत भेजता है और कहता है: 'इस धन से आवश्यक वस्त्र सामग्री खरीदकर उस भिक्षुणी को वस्त्र प्रदान करें।' दूत भिक्षुणी के पास जाकर कहता है: 'हे परम पूज्य, यह धन स्वीकार कीजिए, यह आपके लिए वस्त्र तैयार करने हेतु भेजा गया है।' यदि भिक्षुणी को वस्त्र की आवश्यकता हो तो वह दूत को इस प्रकार उत्तर देती है: 'महोदय, मैं वस्त्र तैयार करने के लिए धन नहीं लेती, मैं उचित समय पर उपयुक्त वस्त्र स्वीकार करती हूँ।' तब दूत पूछता है: 'क्या इस परम पूज्य भिक्षुणी की कोई परिचारिका है?' भिक्षुणी मठ में किसी महिला या गृहस्थ महिला का नाम बता सकती है। दूत नामित परिचारिका के पास जाकर उसे धन और संदेश देता है और भिक्षुणी के पास जाकर कहता है: 'हे परम पूज्य, हमने परिचारिका को सूचित कर दिया है, उचित समय पर उससे संपर्क कीजिए और अपने लिए प्रस्तावित वस्त्र प्राप्त कीजिए।' वस्त्र तैयार करवाने के लिए भिक्षुणी को परिचारिका से दो-तीन बार संपर्क करके उसे याद दिलाना चाहिए और कहना चाहिए, "मुझे वस्त्र चाहिए।" यदि दो-तीन बार याद दिलाने पर वस्त्र तैयार हो जाए तो अच्छा है। चौथी, पाँचवीं और छठी बार तक मौन सूचना देनी चाहिए। यदि तब तक वस्त्र तैयार हो जाए और भेंट कर दिया जाए तो अच्छा है। यदि वह वस्त्र प्राप्त करने के लिए कोई अन्य प्रयास करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है। यदि वस्त्र तैयार न हो, तो भिक्षुणी को स्वयं जाना चाहिए या वस्त्र सामग्री भेजने वालों के पास एक दूत भेजना चाहिए और कहना चाहिए, "महोदय, वस्त्र सामग्री के लिए आपने जो धन भेजा था, उसमें से भिक्षुणी को कुछ नहीं मिला। इस पर आगे कार्रवाई न करें, इस पर क्रोधित न हों।" यही उचित प्रक्रिया है।

वस्त्रों से संबंधित खंड दूसरा है।

<u>सोने से संबंधित अनुभाग</u>

सोने के लिए उपदेश।

21. यदि कोई भिक्षुणी सोना, चांदी या सिक्के उठाती है, या किसी और से उठवाती है, या उन्हें सावधानीपूर्वक रखती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

धन के लेन-देन से संबंधित सिद्धांत।

22. यदि कोई भिक्षुणी विभिन्न तरीकों से धन के लेन-देन में संलग्न होती है,

यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

खरीद-बिक्री का सिद्धांत।

23. यदि कोई भिक्षुणी विभिन्न वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में संलग्न होती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

पांच से कम मरम्मतों के लिए नियम

24. यदि कोई भिक्षुणी पाँच से कम सुधार वाले पात्र से नया पात्र खरीदती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है। उस भिक्षुणी को अपना नया पात्र भिक्षुणियों के समुदाय के सामने त्याग देना चाहिए, और सभी भिक्षुणियों द्वारा पात्र चुनने के बाद बचे हुए अंतिम पात्र को धारण करना चाहिए। उसे कहा जाएगा: 'भिक्षुणी, यह पात्र तब तक तुम्हारा है जब तक यह टूट न जाए।' यही प्रक्रिया है।

औषधीय आवश्यकताओं के लिए सिद्धांत

25. बीमार भिक्षुणियां घी, ताजा मक्खन, तेल, शहद और गुड़ जैसी औषधीय सामग्री ग्रहण कर सकती हैं और उनका सेवन कर सकती हैं, बशर्ते वे उन्हें सात दिनों तक अपने पास रखें। यदि कोई व्यक्ति उन्हें इस अवधि से अधिक समय तक अपने पास रखता है, तो यह प्रायश्चित का पात्र अपराध है।

वस्त्र फाड़ने का नियम।

26. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य भिक्षुणी को वस्त्र देती है और बाद में क्रोधित और अप्रसन्न होकर उसे छीन लेती है या किसी अन्य से छीनवा लेती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

धागा बनाने का आदेश देने का नियम।

27. यदि कोई भिक्षुणी स्वयं बुनकरों को कपड़ा बनाने और वस्त्र बुनने के लिए सूचित करे, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

बुनकरों के लिए प्रमुख सिद्धांत

28. यदि कोई गृहस्थ या गृहस्थ की पत्नी, बुनकरों को किसी गैर-रिश्तेदार भिक्षुणी के लिए विशेष वस्त्र बुनने का आदेश दे, और वर्षा ऋतु से पहले वह भिक्षुणी बुनकर के पास जाकर कहे, "महोदय, क्या यह वस्त्र मेरे लिए बुना गया है? अच्छा होगा यदि आप इसे लंबा और चौड़ा बनाएँ, अच्छी तरह बुनें, बढ़िया फिनिशिंग दें और ब्रश से पॉलिश करें। इस काम के लिए हम आपको थोड़ा सा इनाम देंगे।" यदि वह भिक्षुणी बाद में बुनकर को कम से कम अपने कटोरे में कुछ दान देकर इनाम देती है, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

अतिरिक्त वस्त्र के लिए नियम

29. वर्षा के तीन महीने और अंतिम दस दिन सफलतापूर्वक संपन्न करने वाली भिक्षुणी को एक अतिरिक्त वस्त्र प्राप्त होता है। भिक्षुणी को इस तथ्य से अवगत रहते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए और समारोह समाप्त होने तक इसे अपने पास रखना चाहिए। यदि वह इसे इससे अधिक समय तक अपने पास रखती है, तो यह प्रायश्चित का पात्र अपराध है।

एक व्यक्ति के लिए उपदेश, जो पूरी तरह से जानता हो

30. यदि कोई भिक्षुणी यह जानते हुए भी कि वह समुदाय की ही देन है, समुदाय की देन का उपयोग स्वयं के लिए कर लेती है, तो वह ऐसा अपराध करती है जिसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।

सोने पर तीसरा खंड

हे देवियों, प्रायश्चित के योग्य तीस अपराधों का पाठ किया गया है, अब मैं पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? मैं दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? देवियाँ पवित्र हैं, इसलिए वे मौन हैं, और मैं इसे इसी रूप में दर्ज करता हूँ।

निस्सागीय पचितीय धम्म (पाप जिनके लिए स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित आवश्यक है) का अंत।

[टिपिटक]] >> विनय पिटक >> भिक्खुनि पतिमोक्खा >> **पचित्तिया धम्म**

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

भिक्कुनी पतिमोक्खा

भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

पचितीय धम्म (प्रायश्चित)
(शुद्ध प्रायश्चित)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

पचितिया स्कैन की गई पुस्तक
फ़ाइल:Pacittiya-F.pdf
पचितिया स्कैन की गई पुस्तक का लिंक

पचितिया सारांश

हे सम्मानित महिलाओं, अब उन एक सौ छियासठ अपराधों का पाठ किया जाएगा जिनके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता है।

लहसुन खाने का नियम।

1. यदि कोई भिक्षुणी लहसुन खाती है, तो यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।

शरीर पर मौजूद अवरोधक बालों को हटाने का नुस्खा

2. यदि कोई भिक्षुणी अपने शरीर पर बाधा उत्पन्न करने वाले बालों को मुंडवाती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

हथेलियों पर थप्पड़ मारने का नियम

3. यदि कोई भिक्षुणी हथेलियों पर थप्पड़ मारती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

वार्निश लगाने का नियम

4. यदि कोई भिक्षुणी वार्निश लगाती है, तो यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।

जल से शुद्धिकरण का नियम

5. स्नान करने की इच्छुक भिक्षुणी को पात्र से दो इंच की ऊंचाई तक पानी लेना चाहिए; यदि वह इससे अधिक पानी लेती है, तो यह एक अपराध है जिसके लिए प्रायश्चित करना होगा।

उपस्थिति पर नियम

6. यदि कोई भिक्षुणी भोजन कर रहे भिक्षु को जल पिलाती है या पंखा करती है, तो यह एक अपराध है जिसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।

कच्चे अनाज को ग्रहण करने का नियम।

7. यदि कोई भिक्षुणी कच्चे अनाज की भीख मांगती है, उसे भूनती है, कूटती है, या पकाकर खाती है, या किसी और से ऐसा करवाकर खाती है, तो यह एक अपराध है जिसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।

मल त्यागने का नियम

8. यदि कोई भिक्षुणी मल, मूत्र, कूड़ा या बासी भोजन दीवार या बाड़ के ऊपर से फेंकती है, या किसी और से ऐसा करवाती है, तो वह ऐसा अपराध करती है जिसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।

मल त्यागने का दूसरा नियम

9. यदि कोई भिक्षुणी वनस्पति पर मल, मूत्र, कूड़ा या बासी भोजन फेंकती है या किसी और से ऐसा करवाती है, तो वह ऐसा अपराध करती है जिसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।

नृत्य और गायन के लिए नियम

10. यदि कोई भिक्षुणी नृत्य, गायन या संगीत प्रदर्शन देखने जाती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

लहसुन का पहला भाग

2. रात के अंधेरे के लिए अनुभाग

रात के अंधेरे के लिए उपदेश

11. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य भिक्षुणी के बिना, किसी पुरुष के पास खड़ी होकर अंधेरे में, बिना रोशनी के उससे बात करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

किसी बाड़े में रहने का नियम

12. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य भिक्षुणी के बिना किसी पुरुष के निकट खड़ी होकर किसी एकांत स्थान में उससे बात करे तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

खुले में बात करने का नियम

13. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य भिक्षुणी के बिना, खुले स्थान में किसी पुरुष के पास खड़ी होकर उससे बात करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

परिचारक को विदा करने का नियम

14. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य भिक्षुणी के बिना, सार्वजनिक सड़क पर, किसी निर्धारित स्थान पर, या चौराहे पर किसी पुरुष के निकट खड़ी होकर उससे बात करे, या उसके कान में फुसफुसाए, या साथ वाली भिक्षुणी को विदा करे, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

बिना सूचना दिए चले जाने का नियम

15. यदि कोई भिक्षुणी दोपहर के भोजन से पहले किसी परिवार के पास जाकर बैठ जाए और घर की मालकिन को बिना बताए चली जाए, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

बिना बुलाए बैठने का नियम

16. यदि कोई भिक्षुणी दोपहर के भोजन के बाद किसी परिवार के पास जाती है, बिना बुलाए बैठ जाती है, या वहाँ ऊंघ जाती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

बिना सूचना दिए झूठ बोलने का नियम

17 यदि कोई भिक्षुणी समय से पहले किसी परिवार के पास जाए, चादर बिछाए और स्वामिनी की अनुमति के बिना वहाँ बैठे या सोए, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

दूसरे को नीचा दिखाने का नियम

18. यदि कोई भिक्षुणी किसी गलतफहमी के कारण दूसरी भिक्षुणी का अपमान करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

दूसरे को गाली देने का नियम

19. यदि कोई भिक्षुणी पवित्र जीवन या नरक के विषय में स्वयं को या किसी अन्य को श्राप देती है, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

विलाप के लिए उपदेश

20. यदि कोई भिक्षुणी बार-बार विलाप करके स्वयं को चोट पहुँचाती है, तो यह प्रायश्चित का पात्र अपराध है।

रात का अंधेरा दूसरा है।

नग्नता संबंधी अनुभाग

नग्नता के लिए नियम

21. यदि कोई भिक्षुणी नग्न स्नान करे, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

स्नान वस्त्र के लिए नियम

22. भिक्षुणी के स्नान वस्त्र की लंबाई चार बिन्दु और चौड़ाई दो बिन्दु होनी चाहिए, जो कि उस साध्वी के माप के अनुसार हो। यदि यह इससे अधिक हो, तो प्रायश्चित का भागी माना जाएगा।

अच्छी तरह से गुजरा हुआ व्यक्ति प्रबुद्ध व्यक्ति का पर्यायवाची है।

वस्त्र सिलने का नियम।

23 यदि कोई भिक्षुणी किसी वस्त्र के सिले हुए टाँके खोलकर उसे बिना सिले और बिना सिलवाने का प्रयास किए चार-पाँच दिन के लिए छोड़ दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

ऊपरी वस्त्र के लिए नियम

24. यदि कोई भिक्षुणी लगातार पाँच दिनों तक ऊपरी वस्त्र न पहने तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

उधार लिए गए ऊपरी वस्त्र के लिए नियम

25. यदि कोई भिक्षुणी उधार लिया हुआ ऊपरी वस्त्र पहनती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

अनेक उच्च वस्त्रों की प्राप्ति के लिए उपदेश

26. यदि कोई भिक्षुणी बहुतों को वस्त्र प्राप्त करने में बाधा डालती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

वस्त्र सामग्री को रोके रखने का नियम

27. यदि कोई भिक्षुणी वस्त्र सामग्री का उचित भाग रोकती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

वस्त्र अर्पित करने का नियम

28. यदि कोई भिक्षुणी किसी गृहस्थ, किसी भ्रमणशील तपस्वी या किसी महिला भ्रमणशील तपस्वी को किसी संन्यासी का वस्त्र भेंट करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

वस्त्रों के मौसम को बीतने देने का नियम

29. यदि कोई भिक्षुणी वस्त्र सामग्री की कमजोर अपेक्षाओं के कारण वस्त्रों का मौसम बीतने देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

वस्त्रों के मौसम के विशेषाधिकारों के लिए नियम

30. यदि कोई भिक्षुणी वस्त्र ऋतु के उचित विशेषाधिकारों का आनंद लेने से पीछे हटती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

नग्नता से संबंधित खंड तीसरा है।

<u>साझा करने संबंधी अनुभाग</u>

एक ही बिस्तर साझा करने का नियम।

31. दो भिक्षुणियों का एक ही बिस्तर साझा करना प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

एक ही आवरण साझा करने का नियम

32. यदि दो भिक्षुणियाँ एक ही आवरण साझा करती हैं, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

असुविधा उत्पन्न करने का नियम

33. यदि कोई भिक्षुणी जानबूझकर किसी अन्य भिक्षुणी को असुविधा पहुँचाती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

नर्सिंग के लिए सिद्धांत

34. यदि कोई भिक्षुणी अपने साथ रहने वाली किसी बीमार महिला की देखभाल न करे या किसी और से उसकी देखभाल न करवाए, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

बाहर निकालने का नियम

35. यदि कोई भिक्षुणी किसी भिक्षुणी को अपने घर में ठहराती है और क्रोधित होकर उसे बाहर निकाल देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

संघों के लिए सिद्धांत

36. यदि कोई भिक्षुणी किसी गृहस्थ या गृहस्थ के पुत्र के साथ संगति करे, तो भिक्षुणियों द्वारा उसे यह उपदेश दिया जाना चाहिए: 'हे स्वामिनी, गृहस्थ या गृहस्थ के पुत्र के साथ संगति न करो। एकांतवास करो। भिक्षुणियों का समुदाय एकांतवास की प्रशंसा करता है।' यदि उपदेश दिए जाने के बावजूद भिक्षुणी ऐसा व्यवहार न करे, तो उसे तीसरी बार तक उपदेश दिया जाना चाहिए। यदि वह संगति त्याग दे, तो अच्छा है; अन्यथा, यह प्रायश्चित का अपराध है।

देश के भीतर का सिद्धांत

37. किसी भिक्षुणी का देश के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में असुरक्षित रूप से यात्रा करना जिसे खतरनाक और भयपूर्ण माना जाता है, प्रायश्चित का अपराध है।

देश के बाहर का उपदेश

38. यदि कोई भिक्षुणी देश से बाहर यात्रा पर जाती है और उसे खतरनाक, भयभीत और असुरक्षित माना जाता है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

बरसात के मौसम के लिए नियम

39. वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षुणी का भ्रमण करना प्रायश्चित का अपराध है।

यात्रा पर न जाने का नियम

40. वर्षा ऋतु समाप्त होने पर भिक्षुणी का कम से कम पैंतीस से बयालीस मील की यात्रा पर न जाना प्रायश्चित का अपराध है।

साझाकरण संबंधी अनुभाग चौथा है।

<u>रंगीन घरों के लिए अनुभाग</u>

राजमहल के लिए नियम

41. यदि कोई भिक्षुणी किसी राजमहल, सजे-धजे घर, वन आश्रम, बाग या सुंदर तालाब की सैर पर जाती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

आरामकुर्सी के उपयोग का नियम

42. यदि कोई भिक्षुणी आरामकुर्सी या सोफे का उपयोग करती है, तो यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

सूत कातने का नियम

43. यदि कोई भिक्षुणी सूत कातती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

घरेलू काम करने का नियम

44. यदि कोई भिक्षुणी गृहस्थी कार्य करती है तो प्रायश्चित के लिए यह एक अपराध है।

किसी कानूनी मामले को निपटाने का सिद्धांत

45. एक भिक्षुणी ने कहा, हे आदरणीय महिला, इस कानूनी मामले को सुलझाओ, और भिक्षुणी द्वारा इसे सुलझाने के लिए स्वीकार करने के बावजूद, इसे न तो सुलझाया जाए और न ही किसी अन्य माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास किया जाए, यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

भोजन वितरण का नियम

46. किसी भिक्षुणी द्वारा अपने हाथों से किसी गृहस्थ, किसी भ्रमणशील तपस्वी या किसी महिला भ्रमणशील तपस्वी को भोजन सामग्री वितरित करना प्रायश्चित का अपराध है।

घरेलू वस्त्रों के लिए नियम

47. यदि कोई भिक्षुणी अपने गृहस्थ वस्त्रों का त्याग किए बिना उनका उपयोग करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

आवास के बारे में उपदेश

48. यदि कोई भिक्षुणी अपना निवास छोड़े बिना यात्रा पर जाती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

छद्म विज्ञान सीखने के बारे में उपदेश

49. यदि कोई भिक्षुणी छद्म विज्ञान सीखती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

छद्म विज्ञानों के पाठ के लिए उपदेश

50. यदि कोई भिक्षुणी छद्म विज्ञान का पाठ करती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

<u>मठों पर अनुभाग</u>

मठ में प्रवेश करने का नियम

51. यदि कोई भिक्षुणी यह जानते हुए कि वहाँ भिक्षु हैं, बिना अनुमति के किसी मठ में प्रवेश करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

भिक्षु को डांटने का नियम

52. यदि कोई भिक्षुणी किसी भिक्षु को अपशब्द कहे और गाली दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

किसी समूह का दुरुपयोग करने का नियम

53. यदि कोई भिक्षुणी किसी समूह का अपमान करने का साहस करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

संतोष का सिद्धांत

54. यदि कोई भिक्षुणी, जिसने तृप्तिपूर्वक भोजन कर लिया हो, फिर से भोजन या पोषण ग्रहण करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

परिवार के प्रति स्नेह रखने का उपदेश

55. यदि कोई भिक्षुणी अपने परिवार से स्नेह रखती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

भिक्षुओं की अनुपस्थिति के लिए नियम

56. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसे मठ में वर्षा का अवलोकन करती है जहाँ कोई भिक्षु नहीं हैं, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

संतुष्ट करने में विफल रहने का सिद्धांत

57. यदि वर्षाकालीन व्रत पूरा करने वाली भिक्षुणी, भिक्षुओं को उनके दर्शन, उनसे वाणी और शंकाओं को दूर करने के तीन तरीकों से संतुष्ट नहीं करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

उपदेश के लिए उपदेश

58. यदि कोई भिक्षुणी भिक्षुओं से मिलने नहीं जाती है, या उनसे उपदेश नहीं लेती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

चेतावनी के लिए आने का नियम

59 प्रत्येक पखवाड़े में एक भिक्षुणी को भिक्षुओं के समुदाय से दो बातों के लिए मिलना चाहिए: नियमों के पाठ के बारे में पूछताछ करना और उपदेश प्राप्त करना। यदि वह इससे अधिक समय तक ऐसा करती है, तो यह प्रायश्चित का पात्र अपराध है।

छोटे अंग में फोड़े के लिए नुस्खा

60. यदि किसी भिक्षुणी के किसी छोटे अंग में फोड़ा हो जाए, तो उसे उसका उपचार किसी पुरुष से करवाना चाहिए।

समुदाय को, या यहां तक कि देखने वाले लोगों के समूह को भी सूचित न करना, प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

मठों के लिए छठा खंड

कारावास अनुभाग

कारावास के लिए नियम

61. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसी स्त्री को दीक्षा देती है जो एकांतवास में है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

बच्चे को दूध पिलाते समय बरती जाने वाली विधि

62. यदि कोई भिक्षुणी किसी स्त्री को, जो बच्चे को दूध पिला रही हो, दीक्षा दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

प्रशिक्षु के लिए पहला सिद्धांत

63. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसी स्त्री को दीक्षा देती है जिसने दो वर्षाओं में छह नियमों का पालन नहीं किया है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

प्रशिक्षु के लिए दूसरा सिद्धांत

64. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसी स्त्री को, जिसने दो वर्षाओं में छह नियमों का पालन किया हो, उसकी सहमति के बिना दीक्षा दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

किसी पुरुष के साथ जाने वाली स्त्री के लिए पहला नियम

65. यदि कोई भिक्षुणी किसी पुरुष के साथ गई स्त्री को बारह वर्ष पूरे होने से पहले दीक्षा दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

किसी पुरुष के साथ गई स्त्री के लिए दूसरा नियम

66. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसी स्त्री को दीक्षा दे जो किसी पुरुष के साथ रही हो और पूरे बारह वर्ष व्यतीत कर चुकी हो, परन्तु दो वर्षाओं में छह नियमों का पालन न किया हो, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

किसी पुरुष के साथ गई स्त्री के लिए तीसरा नियम

67. यदि कोई भिक्षुणी किसी पुरुष के साथ गई हुई स्त्री को, जिसने बारह वर्ष और दो वर्षाओं में छह नियमों का पालन किया हो, भिक्षुणी समुदाय की सहमति के बिना दीक्षा दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

भिक्षुणी के साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए पहला नियम

68. यदि कोई भिक्षुणी अपने साथ रहने वाली किसी स्त्री को दीक्षा दे देती है और उसके विकास का ध्यान नहीं रखती या किसी और से ऐसा नहीं करवाती, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

शिक्षक का अनुसरण न करने का नियम

69. यदि कोई भिक्षुणी दो वर्षों तक अपने गुरु का अनुसरण नहीं करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

भिक्षुणी के साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए दूसरा नियम

70. यदि कोई भिक्षुणी अपने साथ रहने वाली किसी महिला को दीक्षा दे दे और उसे अकेला छोड़कर कम से कम बयालीस से पैंतीस मील दूर चली जाए, या उसके लिए ऐसी व्यवस्था करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

कारावास संबंधी खंड सातवां है।

<u>नाबालिग लड़कियों के लिए अनुभाग।</u>

नाबालिग लड़कियों के लिए पहला नियम

71. यदि कोई भिक्षुणी बीस वर्ष से कम आयु की लड़की को दीक्षा देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

नाबालिग लड़कियों के लिए दूसरा नियम

72. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसी लड़की को दीक्षा देती है जिसने बीस वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन छह नियमों का पालन करते हुए दो वर्ष नहीं बिताए हैं, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

नाबालिग लड़कियों के लिए तीसरा नियम

73. यदि कोई भिक्षुणी बीस वर्ष पूर्ण कर चुकी और दो वर्ष तक छह नियमों का पालन कर चुकी किसी कन्या को भिक्षुणी समुदाय की सहमति के बिना दीक्षा दे, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

बारह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए नियम

74. यदि कोई भिक्षुणी बारह वर्ष से कम आयु की लड़की को दीक्षा देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

बारह वर्ष के बच्चों के लिए नियम

75. यदि कोई भिक्षुणी भिक्षुणियों के समुदाय की सहमति के बिना बारह वर्ष की किसी लड़की को दीक्षा देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

क्रोध करने का नियम।

76 यदि किसी भिक्षुणी से कहा जाए कि उसने जो दीक्षाएँ पहले ही प्राप्त कर ली हैं वे पर्याप्त हैं, तो वह पहले तो सहमत होगी और बाद में क्रोधित हो जाएगी; यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

प्रशिक्षु को दीक्षा न देने का पहला सिद्धांत

77. यदि कोई भिक्षुणी किसी प्रशिक्षु को वस्त्र भेंट करने पर दीक्षा देने का वादा करती है, और बाद में न तो उसे दीक्षा देती है और न ही दीक्षा की व्यवस्था करती है, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

प्रशिक्षु को दीक्षा न देने का दूसरा नियम

78. यदि कोई भिक्षुणी किसी प्रशिक्षु को दो वर्ष तक अपने साथ रहने की शर्त पर दीक्षा देने का वादा करती है, और बाद में न तो उसे दीक्षा देती है और न ही दीक्षा की व्यवस्था करती है, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

कष्टदायी जीवन जीने का उपदेश

79. यदि कोई भिक्षुणी किसी दुस्साहसी स्त्री को दीक्षा दे, जो पुरुषों और लड़कों के साथ संगति करती हो और शोकग्रस्त जीवन जीती हो, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

अनुमति न मिलने पर नियम लागू होता है

80. यदि कोई भिक्षुणी माता-पिता या पति की अनुमति के बिना किसी प्रशिक्षु को दीक्षा देती है, तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के लिए नियम

81. यदि कोई भिक्षुणी किसी प्रशिक्षु को प्रोबेशन के तहत दीक्षा देती है, तो यह पक्षपात दिखाने के लिए प्रायश्चित का अपराध है।

वार्षिक दीक्षा के लिए नियम

82. यदि कोई भिक्षुणी प्रतिवर्ष दीक्षा लेती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

एक वर्ष में अभिषेक के लिए नियम

83. यदि कोई भिक्षुणी एक वर्ष में दो भिक्षुओं को दीक्षा देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

नाबालिग लड़कियों के लिए अनुभाग आठवां है

<u>छातों और सैंडल से संबंधित अनुभाग</u>

छतरियों और चप्पलों के लिए नियम

84. यदि कोई भिक्षुणी जो बीमार नहीं है, छाता और चप्पल का उपयोग करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

परिवहन के लिए नियम

85. यदि कोई भिक्षुणी जो बीमार नहीं है, परिवहन के किसी साधन का उपयोग करती है, तो यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

लंगोटी पहनने का नियम

86. यदि कोई भिक्षुणी लंगोटी पहनती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

आभूषण पहनने का नियम

87. यदि कोई भिक्षुणी आभूषण पहनती है, तो यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

इत्र और रंग से स्नान करने का नियम

88. यदि कोई भिक्षुणी इत्र और रंग से स्नान करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

सुगंधित तिल से स्नान करने का नियम

89. यदि कोई भिक्षुणी सुगंधित तिल से स्नान करे तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

एक भिक्खुनी ब्रश से दूसरी भिक्खुनी बनाने का सिद्धांत

90. यदि कोई भिक्षुणी किसी अन्य भिक्षुणी को ऊपर या नीचे की ओर छूती है तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

प्रशिक्षु को भिक्षुणी का वस्त्र पहनाने का उपदेश

91. यदि कोई प्रशिक्षु किसी भिक्षुणी को ऊपर या नीचे की ओर छूता है तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

एक नौसिखिया को भिक्षुणी बनाने का उपदेश

92. यदि कोई नौसिखिया किसी भिक्षुणी को ऊपर या नीचे की ओर छूता है तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

एक गृहस्थ महिला को भिक्षुणी की योनि की सफाई कराने का नियम

93. यदि कोई गृहस्थ महिला किसी भिक्षुणी को ऊपर या नीचे की ओर छूती है तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

भिक्षु के सामने बिना अनुमति के बैठने का नियम

94. किसी भिक्षु के सामने बिना अनुमति के भिक्षुणी का बैठना प्रायश्चित का अपराध है।

भिक्षु की खुदाई के लिए उपदेश

95. यदि कोई भिक्षुणी किसी भिक्षु से ऐसा प्रश्न पूछे जिससे वह असहज हो जाए, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

बनियान न पहनने का नियम

96. यदि कोई भिक्षुणी गाँव में बाहर जाते समय बनियान नहीं पहनती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

छतरियों और सैंडल का अनुभाग नौवां है।

<u>झूठ बोलने वाला अनुभाग</u>

झूठ बोलने का नियम।

97. जानबूझकर झूठ बोलना प्रायश्चित का अपराध है।

दुर्व्यवहार के लिए उपदेश

98. अपशब्दों का प्रयोग करना प्रायश्चित का अपराध है।

निंदा करने का नियम

99. मानहानि करना प्रायश्चित का अपराध है।

जो व्यक्ति पूर्णतः दीक्षित नहीं है, उसके साथ शिक्षा को दोहराने का नियम

100. किसी भिक्षुणी द्वारा पूर्णतः दीक्षित न हुए व्यक्ति के साथ उपदेश दोहराना प्रायश्चित का अपराध है।

जो व्यक्ति पूर्णतः दीक्षित नहीं है, उसके साथ सोने का नियम

101. किसी भिक्षुणी का पूर्णतः दीक्षित न हुए व्यक्ति के साथ सोना प्रायश्चित का अपराध है।

किसी पुरुष के साथ सोने का दूसरा नियम

102. किसी भिक्षुणी का पुरुष के साथ सोना प्रायश्चित का अपराध है।

शिक्षण के लिए सिद्धांत

103. किसी बुद्धिमान महिला के साथ बातचीत किए बिना किसी पुरुष को पाँच या छह वाक्यों से अधिक शिक्षण देने वाली भिक्षुणी प्रायश्चित के लिए अपराध है।

उपलब्धियों की जानकारी देने का सिद्धांत

104. यदि कोई भिक्षुणी अपने मानव से परे की उपलब्धियों के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित करे जो पूर्णतः दीक्षित न हो, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

अपराधों की सूचना देने का नियम

105. यदि कोई भिक्षुणी, समुदाय की सहमति के बिना, किसी अपूर्ण रूप से दीक्षित भिक्षुणी के अपराधों की सूचना देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

मिट्टी खोदने का नियम

106. किसी भिक्षुणी द्वारा पृथ्वी खोदना या किसी अन्य से पृथ्वी खुदवाना प्रायश्चित का अपराध है।

दसवां खंड झूठ बोलने के लिए है।

<u>वनस्पति संबंधी अनुभाग</u>

वनस्पति के लिए सिद्धांत

107. वनस्पति का विनाश प्रायश्चित का अपराध है।

अलग दृष्टिकोण रखने वालों के लिए उपदेश

108. अलग राय रखने वालों को परेशान करना प्रायश्चित का अपराध है।

उत्तेजित करने का उपदेश

109. क्रोध भड़काना और उकसाना प्रायश्चित का अपराध है।

आवास के लिए पहला नियम

110. यदि कोई भिक्षुणी समुदाय से संबंधित पलंग, कुर्सी, तकिया या कुशन ले जाती है, उसका उपयोग करती है और उसे लौटाए बिना या किसी और से लौटाए बिना या इसके बारे में सूचित किए बिना चली जाती है, तो यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

आवास के लिए दूसरा नियम

111. यदि कोई भिक्षुणी समुदाय से संबंधित पलंग बिछाकर उसका उपयोग करे और उसे वापस लौटाए बिना या किसी और से ऐसा करवाए बिना या इसके बारे में सूचित किए बिना चली जाए, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

अतिक्रमण के लिए नियम

112. यदि कोई भिक्षुणी यह जानते हुए कि उससे पहले कोई भिक्षुणी मठ में आ चुकी है, अपने बिस्तर को उसके बिस्तर पर अतिक्रमण करते हुए बिछाती है, यह सोचकर कि यदि उसे असुविधा होगी तो वह स्थान छोड़ देगी, तो यदि यही एकमात्र कारण है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

भगाने का नियम

113. यदि कोई भिक्षुणी क्रोधित और असंतुष्ट होकर किसी अन्य भिक्षुणी को समुदाय से संबंधित मठ से निकाल देती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

महत्वपूर्ण कमरे के लिए नियम

114. यदि कोई भिक्षुणी समुदाय से संबंधित मठ के मुख्य कक्ष के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए बैठती या सोती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

एक विशाल मठ के लिए नियम

115. एक भिक्षुणी जो विशाल मठ का निर्माण कर रही है, उसे मठ के प्रवेश द्वार की सुरक्षा और प्रकाश लाने के उद्देश्य से वनस्पति को साफ करने का इरादा रखना चाहिए। यदि वह इससे आगे वनस्पति को साफ करने का इरादा रखती है, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

जीवित प्राणियों के लिए उपदेश

116. यदि कोई भिक्षुणी यह जानते हुए कि किसी जल में सजीव वस्तुएँ हैं, उसे घास या मिट्टी पर फेंक दे, या किसी और से ऐसा करवाए, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

वनस्पति संबंधी अनुभाग ग्यारहवां है।

भोजन संबंधी अनुभाग

घरों में दान-भोजन रखने के नियम के अनुसार

117. एक भिक्षुणी जो बीमार नहीं है, उसे एक ही घर में भिक्षा भोजन स्वीकार करना चाहिए, यदि वह इससे अधिक करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

किसी समूह में भोजन करने का नियम

118. किसी कारण के बिना किसी समूह में भोजन करना प्रायश्चित के योग्य अपराध है। कारण हैं: बीमार होना, वस्त्र दान करना, यात्रा पर जाना, जहाज पर सवार होना या तपस्वियों के लिए कोई बड़ा बलिदान।

नेत्रहीन माँ के लिए उपदेश

119. चावल के पकौड़े या दूध-चावल से तृप्त होकर किसी परिवार में जाने वाली भिक्षुणी चाहे तो दो कटोरी भरकर ले सकती है; इससे अधिक लेना प्रायश्चित का अपराध है। उसे मठ में लाकर अन्य भिक्षुणियों में बाँट देना चाहिए। यही विधि होनी चाहिए।

असमय भोजन के लिए नियम

120. भिक्षुणी द्वारा असमय भोजन या पोषण ग्रहण करना प्रायश्चित का अपराध है।

संचय के लिए उपदेश

121. भिक्षुणी द्वारा संचित खाद्य पदार्थों या पोषण का सेवन करना प्रायश्चित का अपराध है।

टूथपिक के लिए नियम

122. यदि कोई भिक्षुणी पानी और टूथपिक के अलावा, बिना अर्पित किया हुआ भोजन मुंह में ले जाती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

बर्खास्त करने का नियम

123. यदि कोई भिक्षुणी दूसरी भिक्षुणी को यह कहकर आमंत्रित करे: 'आओ, हे स्वामधिक, हम गाँव या बस्ती में भिक्षा मांगने चलें।' यदि वह बिना यह पूछे कि उसे कुछ मिला या नहीं, भिक्षा मांगने चली जाती है, तो उसे यह कहकर विदा कर दिया जाता है: 'जाओ, स्वामधिक, तुमसे बात करना या तुम्हारे साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे अकेले रहना शांति देता है।' केवल इसी कारण से ऐसा करना प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

भोजन के लिए नियम

124. यदि कोई भिक्षुणी किसी ऐसे परिवार में अतिक्रमण करके बैठ जाए जहाँ भोजन साझा किया जाता है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

ढके हुए, गुप्त रूप से बैठने का नियम

125. यदि कोई भिक्षुणी किसी पुरुष के साथ छुपकर और गुप्त रूप से बैठती है तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

गुप्त रूप से बैठने का नियम

126. यदि कोई भिक्षुणी दूसरों से दूर किसी पुरुष के साथ गुप्त रूप से बैठती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

बारहवां भाग भोजन से संबंधित है।

<u>शिष्टाचार संबंधी अनुभाग</u>

शिष्टाचार का नियम

127. यदि भिक्षा के लिए आमंत्रित कोई भिक्षुणी, अन्य भिक्षुणियों को सूचित किए बिना, भोजन से पहले या बाद में उस परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत शुरू कर दे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है, जब तक कि कोई कारण न हो।

इसके कारण यह हो सकते हैं कि यह वस्त्र भेंट करने का समय है या वस्त्र सिलने का समय है।

महानामा का सिद्धांत

128. एक स्वस्थ भिक्षुणी को चार महीने के अंत में वर्षा ऋतु के समापन समारोह में भाग लेना चाहिए, जब तक कि समापन समारोह दोबारा आयोजित न किया जाए या हमेशा के लिए समापन समारोह आयोजित न किया जाए। यदि वह वर्षा ऋतु के समापन समारोह को लंबा खींचती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

युद्ध में सेना के लिए उपदेश

129. यदि कोई भिक्षुणी उचित कारण के बिना सेना को युद्ध में देखने जाती है,

यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

सेना के साथ रहने का नियम

130. यदि भिक्षुणी किसी कारणवश सेना से मिलने जाती है, तो वह सेना के साथ दो या तीन रातें रह सकती है; यदि वह इससे अधिक समय तक रहती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

युद्ध देखने का उपदेश

131. जब भिक्षुणी दो या तीन रातों के लिए सेना के साथ रह रही हो, तो यदि वह किसी युद्ध, सीमा, युद्धक्षेत्र या सेना को कार्रवाई में देखने जाती है, तो यह प्रायश्चित के लिए एक अपराध है।

नशीले पदार्थों के सेवन के लिए नियम।

132. मादक पदार्थों का सेवन करना प्रायश्चित का अपराध है।

उंगली से कुरेदने का नियम

133. किसी को उंगली से छूना प्रायश्चित का अपराध है।

हंसने का उपदेश

134. पानी में खेलकूद करना प्रायश्चित का अपराध है।

असंवेदनशील होने का नियम

135. असंवेदनशील होना प्रायश्चित का अपराध है।

डराने के लिए सिद्धांत

136. यदि कोई भिक्षुणी दूसरी भिक्षुणी को डराए तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

शिष्टाचार पर तेरहवाँ खंड

आग की चपेट में आया हुआ हिस्सा

आग के लिए उपदेश

137. यदि कोई भिक्षुणी बिना उचित कारण के आग जलाती है, या किसी और से गर्म होने के लिए आग जलवाती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

स्नान के लिए नियम

138. यदि कोई भिक्षुणी उचित कारण के बिना दो सप्ताह के अंतराल में दो बार स्नान करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

इसका उपयुक्त कारण डेढ़ महीने तक चलने वाली भीषण गर्मी, उसके बाद बरसात के मौसम का पहला महीना, कुल मिलाकर ढाई महीने तक चलने वाली भीषण गर्मी, जिससे त्वचा झुलसती है, या बीमारी की अवधि, या काम करने की अवधि, या यात्रा पर निकलने की अवधि, या तेज हवा और बारिश की अवधि हो सकती है।

रंग हटाने का सिद्धांत

139. नई पोशाक प्राप्त करने वाली भिक्षुणी को उस पर नीले, गहरे भूरे या काले रंग में से किसी एक रंग का चिह्न लगाना चाहिए। यदि वह चिह्न लगाए बिना पोशाक का उपयोग करती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

विनिमय के लिए नियम

140. यदि कोई भिक्षुणी जिसने अपना ऊपरी वस्त्र किसी भिक्षु, भिक्षुणी, पुरुष नौसिखिए या महिला नौसिखिए को अर्पित किया हो, अस्वीकृत वस्त्र का उपयोग करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

छिपने का नियम

141. यदि कोई भिक्षुणी मजाक में भी किसी भिक्षुणी का कटोरा, वस्त्र, बैठने की चटाई, सुई का डिब्बा या कमरबंद छिपाती है या किसी अन्य भिक्षुणी से छिपाती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

जागरूकता के लिए उपदेश

142. यदि कोई भिक्षुणी सचेतन होकर किसी सजीव प्राणी का प्राण ले ले, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

जीवित प्राणियों के लिए उपदेश

143. यदि कोई भिक्षुणी यह जानते हुए कि जल में सजीव वस्तुएँ हैं, उसका सेवन करे, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

आंदोलन के लिए उपदेश

144. यदि कोई भिक्षुणी यह जानते हुए कि उचित मुकदमे का फैसला हो चुका है, आगे आंदोलन करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

चोरों के काफिले के लिए नियम

145. यदि कोई भिक्षुणी कम से कम दो गांवों के बीच चोरों के कारवां में यात्रा करने की व्यवस्था करे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

जिस हिस्से में आग लगी है वह चौदहवां हिस्सा है।

<u>विचारों पर अनुभाग</u>

अरिन्हा का उपदेश

146. यदि कोई भिक्षुणी कहे, "जैसा कि मैं भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को समझती हूँ, 'भगवान बुद्ध द्वारा जिन चीजों को बाधक बताया गया है, वे वास्तव में उनका पालन करने वाले के लिए बाधक नहीं हैं।' तो भिक्षुणियों द्वारा उसे यह समझाना चाहिए: 'हे परम पूज्य, ऐसा मत कहो, भगवान बुद्ध के शब्दों का गलत अर्थ मत निकालो, उपदेश का गलत अर्थ निकालना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने विभिन्न तरीकों से समझाया है कि बाधक चीजें खतरनाक हैं और वास्तव में उनका पालन करने वाले संकट में पड़ जाते हैं।' यदि भिक्षुणी समझाने के बाद भी अपने विचार पर अड़ी रहती है, तो उसे तीसरी बार तक समझाया जाना चाहिए। तीसरी बार समझाने के बाद, यदि वह उस विचार को त्याग देती है, तो यह अच्छा है। यदि नहीं, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

उपरोक्त दृष्टिकोण से जुड़ने और साथ रहने का सिद्धांत

147. यदि कोई भिक्षुणी, उस मत की भिक्षुणी को जानते हुए, उसके साथ संगति करे, भोजन करे और उसके साथ रहे, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

कांटे का उपदेश

148. यहां तक कि एक नवोदित भिक्षुणी भी कहती है: 'भगवान बुद्ध द्वारा जिन चीजों को बाधा बताया गया है, वे वास्तव में उनका पालन करने वाले के लिए बाधा नहीं हैं।' भिक्षुणियों को नवोदित भिक्षुणी को समझाना चाहिए: 'हे पूज्य, भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है, भगवान बुद्ध के शब्दों का गलत अर्थ न निकालें। शिक्षा का गलत अर्थ निकालना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने विभिन्न तरीकों से समझाया है कि बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें खतरनाक हैं और वास्तव में उनका पालन करने वाले संकट में पड़ जाते हैं।' यदि भिक्षुणियों द्वारा समझाए जाने पर भी नवोदित भिक्षुणी इस विचार पर अड़ी रहती है, तो यह कहना चाहिए: 'हे पूज्य, आज से भगवान बुद्ध आपके गुरु नहीं हैं, मैं इसकी साक्षी हूं। अन्य नवोदित भिक्षुणियों को विशेष कृपा प्राप्त है और वे भिक्षुणियों के साथ रह सकती हैं।'

दो-तीन रातों के लिए, यह कृपा तुम्हारे लिए नहीं है। अब जाओ और स्वयं को नष्ट कर लो। यदि कोई भिक्षुणी, इस प्रकार नष्ट हुई ननदी को जानते हुए भी, उससे बात करे, उसके साथ भोजन करे और उसके साथ रहे, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

धार्मिकता का सिद्धांत

149. यदि कोई भिक्षुणी अन्य भिक्षुणियों द्वारा उचित रूप से कही गई बात पर इस प्रकार कहे: 'हे देवियों, मैं इस नियम का पालन तब तक नहीं करूंगी जब तक कि मैं इसे किसी विद्वान अनुशासक से स्पष्ट न करवा लूं।' तो यह प्रायश्चित योग्य अपराध है।

भिक्षुओं, नौसिखियों को भिक्षुणियों से सीखना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और बार-बार प्रश्न पूछना चाहिए, यही सही तरीका है।

उपदेशों के प्रति व्याकुलता व्यक्त करना

150. जब उच्च कोटि के नियमों का पाठ किया जाता है, यदि कोई भिक्षुणी कहती है: 'इन संबंधित उपदेशों का पाठ करने का क्या लाभ है, ये संदेह, चिंता और घबराहट उत्पन्न करते हैं।' उपदेशों की निंदा करना प्रायश्चित का पात्र अपराध है।

भ्रमित होने का उपदेश

151. जब उच्च कोटि के नियमों का पाठ पखवाड़े में एक बार किया जाता है, यदि कोई भिक्षुणी कहती है: 'हे देवियों, अब मुझे पता चल गया है, तो इसे प्रवचनों में शामिल किया जाता है।' अन्य भिक्षुणियों ने उसे उच्च कोटि के नियमों का पाठ दो-तीन बार, निस्संदेह इससे भी अधिक बार, सुनते हुए देखा होगा। यह संभव नहीं है कि वह अनभिज्ञता जताकर बच जाए। यदि उसने कोई अपराध किया है, तो उसे उसके लिए और भ्रम में छिपने के लिए उचित दंड दिया जाना चाहिए: 'हे देवियों, इससे आपको कोई लाभ नहीं है, यह एक दुर्लभ अवसर है जो आपको उच्च कोटि के नियमों का पाठ ध्यानपूर्वक सुनने को मिलता है।' वह भ्रम प्रायश्चित का पात्र है।

प्रहार करने का नियम।

152. यदि कोई भिक्षुणी क्रोधित और अप्रसन्न होकर किसी भिक्षुणी को मारती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

मारने की मुद्रा दिखाने का नियम

153. यदि कोई भिक्षुणी क्रोधित और अप्रसन्न होकर किसी भिक्षुणी को मारने के भाव से हथेली उठाती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

झूठे आरोप के लिए नियम

154. यदि कोई भिक्षुणी किसी भिक्षुणी पर गंभीर अपराध का झूठा आरोप लगाती है, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

निराधार आरोप के लिए सिद्धांत

155. यदि कोई भिक्षुणी किसी भिक्षुणी के बारे में संदेह उत्पन्न करती है, उसे क्षण भर के लिए दुखी करने के इरादे से, जब कोई अन्य कारण न हो, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

156. यदि कोई भिक्षुणी गुप्त रूप से भिक्षुणियों की बातें सुनती है, जब वे पक्ष लेती हैं, विवाद करती हैं और लड़ती हैं, छुपकर सुनने के उद्देश्य से, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

विचारों से संबंधित खंड पंद्रहवाँ है।

धार्मिकता पर अनुभाग

हैरानी का सिद्धांत।

157. किसी वैध मामले को निपटाने के लिए अपना प्रतिनिधि मत देने वाली भिक्षुणी का बाद में क्रोधित होना प्रायश्चित का अपराध है।

बिना वोट डाले चले जाने का नियम।

158. किसी कानूनी मामले का निपटारा करते समय, यदि कोई भिक्षुणी अपने स्थान से उठकर बिना अपना वोट दिए चली जाए, तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

शक्तिहीनता के लिए उपदेश।

159. यदि कोई भिक्षुणी, भिक्षुणियों के समुदाय के साथ सामंजस्य में रहते हुए, किसी भिक्षुणी को वस्त्र भेंट करे और बाद में यह कहते हुए पछताए कि: 'भिक्षुणियाँ अपनी इच्छा के अनुसार समुदाय के लाभ भेंट करती हैं।' तो यह प्रायश्चित का अपराध है।

वस्त्र भेंट करने का नियम

160. यदि कोई भिक्षुणी यह जानते हुए कि यह समुदाय के लिए लाभ है, किसी वृद्ध व्यक्ति को वस्त्र भेंट करे, तो यह प्रायश्चित के योग्य अपराध है।

रत्नों के लिए उपदेश

161. यदि कोई भिक्षुणी किसी रत्न या रत्न के समान किसी वस्तु को स्वयं उठाए या किसी अन्य से उठवाए, तो यह प्रायश्चित का पात्र अपराध है। जब कोई रत्न या रत्न के समान कोई वस्तु उठाई जाए, तो उसे यह सोचकर सुरक्षित रख देना चाहिए कि 'यह उसके स्वामी को मिल जाए।'

सुई के मामले के लिए उपदेश

162. यदि किसी भिक्षुणी के पास हड्डियों, दांतों या सींगों से बना सुई का खोल हो, तो उसके टूटने पर प्रायश्चित का अपराध होता है।

बिस्तरों और कुर्सियों के लिए नियम

163. कोई भिक्षुणी जब नया पलंग या कुर्सी बना रही हो, तो उसे नीचे के स्टैंड को अनदेखा करते हुए, उसकी ऊँचाई आठ उंगलियों के बराबर रखनी चाहिए। यदि ऊँचाई इससे अधिक हो, तो यह प्रायश्चित का अपराध है, जिसके कारण पलंग या कुर्सी टूट जाती है।

रुई से भरने का नियम

164. यदि कोई भिक्षुणी पलंग या कुर्सी में रुई भर दे, तो उसे उतारते समय प्रायश्चित का अपराध माना जाएगा।

खुजली छुपाने का नुस्खा

165. त्वचा रोग को छुपाने के लिए वस्त्र बनाते समय भिक्षुणी को निम्नलिखित मापों का पालन करना चाहिए: चार लंबाई के लिए दो चौड़ाई होनी चाहिए। यदि माप अधिक हो और वस्त्र फट जाए, तो प्रायश्चित का दंड मिलेगा।

नंदा के लिए उपदेश

166. जो भिक्षुणी मोक्ष प्राप्त भिक्षुणी के नाप के अनुसार ऊपरी वस्त्र बना रही हो, उसे काट देना चाहिए; ऐसा करना प्रायश्चित का अपराध है। मोक्ष प्राप्त भिक्षुणी के वस्त्र का नाप नौ लंबाई और छह चौड़ाई है।

सोलहवाँ खंड विचारों से संबंधित है।

हे देवियों, प्रायश्चित के योग्य एक सौ छियासठ अपराधों का उल्लेख किया गया है, अब मैं पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? मैं दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? देवियों, आप पवित्र हैं, इसलिए वे मौन हैं, और मैं इसे इसी रूप में दर्ज करता हूँ।

पचितीय धम्म (प्रायश्चित योग्य अपराध) का अंत।

[टिपिटक]] >> विनय पिटक >> भिक्खुनि पतिमोक्खा >> **पतिदेसानिया धम्म**

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

भिक्कुनी पतिमोक्खा
भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

पतिदेसानिया धम्म (स्वीकारोक्ति)
(वे अपराध जिन्हें स्वीकार करना चाहिए)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

पटिदेसानिया सारांश

हे सम्मानित महिलाओं, अब उन आठ अपराधों का पाठ किया जाएगा जिन्हें स्वीकार करना आवश्यक है।

घी (स्पष्ट मक्खन) मांगने के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत

1. यदि कोई भिक्षुणी अस्वस्थ न हो और घी मांगकर उसका सेवन करे, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

तेल मांगने के प्रशिक्षण का सिद्धांत

2. यदि कोई भिक्षुणी बीमार न हो और तेल मांगकर उसका सेवन करे, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

शहद मांगने के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत

3. यदि कोई भिक्षुणी अस्वस्थ न हो और शहद मांगकर उसका सेवन करे, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

गुड़ मांगने के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत

4. यदि कोई भिक्षुणी बीमार न हो और गुड़ मांगकर उसका सेवन कर ले, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

मछली से सवाल पूछने के प्रशिक्षण का सिद्धांत

5. यदि कोई भिक्षुणी अस्वस्थ न होकर मछली मांगकर खा ले, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

मांस मांगने के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत

1. यदि कोई भिक्षुणी अस्वस्थ न होते हुए भी मांस मांगकर खा ले, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

दूध मांगने के प्रशिक्षण का सिद्धांत

7. यदि कोई भिक्षुणी अस्वस्थ न हो और दूध मांगकर उसका सेवन करे, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

दही मांगने के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत

8. यदि कोई भिक्षुणी अस्वस्थ न हो और दही मांगकर उसका सेवन करे, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए: 'हे देवियों, मैंने एक अनुचित अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।'

हे देवियों, जिन आठ अपराधों का प्रायश्चित करना आवश्यक है, उनका पाठ किया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पवित्रता कैसी है? मैं आपसे दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ, आपकी पवित्रता कैसी है? देवियाँ पवित्र हैं, इसलिए वे मौन हैं, और मैं इसे इसी रूप में दर्ज करता हूँ।

पतिदेशीय धम्म (स्वीकार किए जाने वाले अपराध) का अंत।

[टिपिटक]] >> विनय पिटक >> भिक्खुनि पतिमोक्खा >> **सेखिया धम्म**

पतिमोक्खा

अंतर्वस्तु

भिक्कुनी पतिमोक्खा
भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

सेखिया धम्म (प्रशिक्षार्थियों के नियम)
(प्रशिक्षुओं के लिए नियम)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

अब पूजनीय व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण संबंधी उपदेशों का पाठ किया जाएगा।

पूर्णता के लिए अनुभाग

1. मैं हर तरह से पहनने के लिए प्रशिक्षण लेता हूँ।

2. मैं हर क्षेत्र में निपुण होने के लिए प्रशिक्षण लेता हूँ।

3. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, अच्छी तरह से ढके हुए घर में प्रवेश करूँगा।

4. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, अच्छी तरह से ढके हुए घर के अंदर बैठूंगा।

5. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, अच्छी तरह से नियंत्रित घर में प्रवेश करूँगा।

6. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, घर के अंदर अच्छी तरह से संयमित होकर बैठूंगा।

7. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, घर में आँखें नीचे करके प्रवेश करूँगा।

8 मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, घर के अंदर आँखें झुकाकर बैठूँगा।

9 मैं प्रशिक्षण देता हूँ, मैं शव को उठाने वाले घर में प्रवेश नहीं करूँगा।

10. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, घर के अंदर बैठकर शरीर को ऊपर नहीं उठाता।

11. मैं प्रशिक्षित हूं, बिना उपहासपूर्ण हावभाव के घर में प्रवेश करूंगा।

12. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, बिना किसी उपहासपूर्ण हावभाव के घर के अंदर बैठूंगा।

13. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बिना शोर किए घर में प्रवेश करूँगा।

14. मैं अभ्यास करता हूँ, घर के अंदर बिना शोर किए बैठूंगा।

15 मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, और बिना शरीर हिलाए घर में प्रवेश करूँगा।

16. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, घर के अंदर बिना शरीर हिलाए बैठूंगा।

17. मैं अभ्यास करता हूँ, बिना अपने कंधों को हिलाए घर में प्रवेश करूँगा।

18. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, घर के अंदर बिना कंधे हिलाए बैठूंगा।

19. मैं अभ्यास करता हूँ, बिना सिर हिलाए घर में प्रवेश करूँगा।

20. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, घर के अंदर बिना सिर हिलाए बैठूंगा।

21 मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, और हाथ कमर पर रखकर किसी घर में प्रवेश नहीं करूँगा।

22. मैं अभ्यास करता हूँ, घर के अंदर हाथ कमर पर रखकर नहीं बैठूंगा।

23. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, सिर ढककर घर में प्रवेश नहीं करूँगा।

24. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, घर के अंदर सिर ढककर नहीं बैठूंगा।

25. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, किसी घर में अवैध रूप से कब्जा करके प्रवेश नहीं करूँगा।

26. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, घर के अंदर उकडू नहीं बैठूंगा।

ये छब्बीस उचित बातें हैं।

27. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, भिक्षा भोजन को सावधानीपूर्वक ग्रहण करूँगा।

28. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, भिक्षा ग्रहण करते समय कटोरे पर ध्यान रखूँगा।

29. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, चावल के अनुपात में सूप और करी स्वीकार करूँगा।

30. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, कटोरे की क्षमता के अनुसार भिक्षा ग्रहण करूँगा।

31. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, भिक्षा का भोजन सावधानीपूर्वक ग्रहण करूँगा।

32. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, कटोरे पर ध्यान देते हुए भिक्षा का भोजन ग्रहण करूँगा।

33 मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, बिना चुने भिक्षा भोजन ग्रहण करूँगा।

34. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, चावल के अनुपात में सूप और करी का सेवन करूँगा।

35. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, ऊपर से कुचले हुए भोजन का सेवन नहीं करूँगा।

36. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, अधिक सूप और करी प्राप्त करने के लिए सूप या करी को चावल से नहीं ढकूँगा।

37. मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, मैं बीमार न होने पर सूप या चावल नहीं माँगूँगा और उन्हें ग्रहण नहीं करूँगा।

38. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, दूसरे के कटोरे को चिढ़कर नहीं देखूंगा।

39. मैं अभ्यास करता हूँ, चावल के बड़े-बड़े निवाले नहीं लूँगा।

40. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, एक गोल निवाला बनाऊँगा।

41. मैं प्रशिक्षित करता हूँ, निवाला पहुँचने से पहले मुँह नहीं खोलूँगा।

42. मैं अभ्यास करता हूँ कि निवाला लेते समय सभी उंगलियाँ मुँह में न डालूँ।

43. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, मुँह में भोजन रहते हुए बात नहीं करूँगा।

44. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, मुँह में खाना फेंककर नहीं खाऊँगा।

45. मैं अभ्यास करता हूँ, भोजन को बहुत ज्यादा चबाकर नहीं खाता।

46. मैं अभ्यास करता हूँ, मुँह में बहुत अधिक भोजन नहीं ठूँसूँगा।

47. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, हाथ मिलाकर भोजन नहीं करूँगा।

48. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, बिखरा हुआ भोजन नहीं खाऊँगा।

49. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, खाने के लिए जीभ बाहर नहीं निकालूँगा।

50. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, मैं 'कपुकपु' की आवाज़ करते हुए नहीं खाऊँगा।

51. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, `सुरुसुरु' की आवाज़ करते हुए भोजन नहीं करूँगा।

52. मैं अभ्यास करता हूँ, खाना खाते समय अपनी उंगलियाँ नहीं चाटूँगा।

53. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, कटोरा खुरच कर नहीं खाऊँगा।

54. मैं प्रशिक्षण करता हूँ, होंठ चाटकर नहीं खाऊँगा।

55. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, गंदे हाथों से पानी नहीं पीऊँगा।

56. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, घर के अंदर भोजन के कणों के साथ पानी नहीं गिराऊँगा।

भोजन करते समय तीस नियम।

57. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी को हाथ में छाता लेकर प्रशिक्षण नहीं दूंगा।

58. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी को हाथ में छड़ी लेकर नहीं सिखाऊँगा।

59. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी को हाथ में चाकू लेकर प्रशिक्षण नहीं दूंगा।

60. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी को हाथ में हथियार लेकर प्रशिक्षण नहीं दूंगा।

61 मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी अन्य समय जूते पहने हुए किसी को प्रशिक्षण नहीं दूंगा।

62. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, किसी को वाहन में प्रशिक्षण नहीं दूंगा, सिवाय बीमार होने की स्थिति में।

63. मैं प्रशिक्षण देता/देती हूँ, लेकिन किसी बीमार व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को वाहन में यात्रा करना नहीं सिखाऊँगा/सिखाऊँगी।

64. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने की स्थिति को छोड़कर, बिस्तर पर लेटे हुए किसी को प्रशिक्षण नहीं दूंगा।

65. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने की स्थिति को छोड़कर, किसी को आरामकुर्सी पर नहीं बिठाकर सिखाऊँगा।

66. मैं प्रशिक्षण देता/देती हूँ, बीमार होने की स्थिति को छोड़कर, सिर पर टोपी पहने हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दूँगा/दूँगी।

67. मैं प्रशिक्षण देता/देती हूँ, बीमार होने की स्थिति को छोड़कर, सिर ढके हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दूँगा/दूँगी।

68. मैं प्रशिक्षण देता/देती हूँ, बीमार होने की स्थिति को छोड़कर, किसी को भी जमीन पर बैठे हुए आसन पर प्रशिक्षण नहीं दूँगा/दूँगी।

69. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, मैं किसी को ऊँची कुर्सी पर या नीची कुर्सी पर बैठाकर प्रशिक्षण नहीं दूँगा, सिवाय बीमार होने की स्थिति में।

70. मैं प्रशिक्षण देता/देती हूँ, बीमार होने की स्थिति को छोड़कर किसी को भी खड़े होकर नहीं सिखाऊँगा/सिखाऊँगी।

71. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी को आगे चलने के लिए नहीं सिखाऊँगा।

शिक्षण से संबंधित सोलह नियम सुनाए गए।

73. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा पानी खाली नहीं करूँगा या जमा नहीं करूँगा।

74. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी भी स्थिति में खाली नहीं कराऊंगा, पानी नहीं बहाऊंगा या वनस्पति पर थूकूंगा नहीं।

75. मैं प्रशिक्षण देता हूँ, बीमार होने के अलावा किसी अन्य स्थिति में पेशाब नहीं करूँगा, पेशाब नहीं करूँगा या पानी में थूकूँगा नहीं।

तीन विविध नियम बताए गए हैं

हे देवियों, प्रशिक्षुओं के लिए नियम सुना दिए गए हैं, अब मैं पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? मैं दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? देवियों, आप पवित्र हैं, इसलिए वे चुप हैं, और मैं इसे दर्ज कर लेता हूं।

सेखिया धम्म (प्रशिक्षार्थियों के नियम) का समापन।

टिपिटका >> विनय पिटक >> भिक्खुनि पतिमोक्खा >> **अधिकरण समथ धम्म**

पतिमोक्खा
भिक्कुनी पतिमोक्खा
भिक्कुनियों (नन) के लिए अनुशासनात्मक नियम

अधिकरण समथ धम्म (विवादों का निपटारा)

पाली संस्करण: पाली-अंग्रेजी संस्करण और पाली-देवनागरी संस्करण

अधिकरण समाथा सारांश

हे सम्मानित महिलाओं, अब उत्पन्न हुए कानूनी मामले को निपटाने के सात तरीके बताए जाएंगे।

1. अनुशासन का निर्धारण टकराव की स्थिति में ही होना चाहिए।

2. अनुशासन को स्मृति को याद करके स्थापित किया जाना चाहिए।

3. यह सिद्ध करके अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए कि भिक्षुणी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी।

4. वादा करके।

5. बहुमत से कानूनी मामले का निपटारा करना।

6. मामले की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दर्शाकर कानूनी मामले का निपटारा करना।

7. पूरे मामले को छुपाकर।

हे देवियों, अनुशासन स्थापित करने के सात तरीके बताए जा चुके हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? मैं आपसे दूसरी और तीसरी बार पूछता हूँ कि आपकी पवित्रता कैसी है? देवियाँ पवित्र हैं, इसलिए वे चुप हैं, और मैं इसे इसी रूप में दर्ज करता हूं।

अधिकरण समथ धम्म (अनुशासन स्थापित करने के तरीके) का अंत।

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.1

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला। अगला (1.2) >>>>

महावग्ग

परम पवित्र, पूर्णतः प्रबुद्ध भगवान बुद्ध को प्रणाम।

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-1: बोधि वृक्ष के नीचे कारण-कार्य श्रृंखला को जानना।

1. उस समय, बुद्ध नेरंजारा नदी के तट पर, बोधगया के बोधि वृक्ष की तलहटी में उरुवेला में निवास किया, जब वे संबुद्ध (पूर्णतः प्रबुद्ध) हो चुके थे। बुद्ध सात दिनों तक निरंतर बोधि वृक्ष की तलहटी में पालथी मारकर बैठे रहे और ज्ञानोदय के आनंद का अनुभव करते रहे (समाधि अवस्था में)।

2. पटिचसमुप्पदा (कारणों की श्रृंखला)

फिर भगवान बुद्ध ने (इन सात दिनों के अंत में) रात्रि के पहले पहर में प्रत्यक्ष और विपरीत क्रम में कारण-कार्य श्रृंखला (पटिच्चसमुप्पदम) पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

अविज्जा पचाय संखरा,
संखार पचाय विनाणं,
विन्यान पचाय नामरूपम,
नामरूप पचाय संखायातनं,
साशायतन पचाय फस्सो,
फस्सा पकाया वेदना,
वेदाना पकाया तन्हा,
तन्हा पकाया उपादानं,
उपादान पकाया भावो,
भव पकाया जाति,
जाति पकाया जरा मरणं सोका परिदेव दुक्खा डोमनासुपायसा संभवन्ति — एवमेतस्सा केवलस्सा दुक्खक्खनधास्सा समुदयो होति।

ज्ञानहीनता (ज्ञानोदय/सम्मोहन अवस्था का) संस्कारों (गलत आदतों/प्रवृत्तियों) का कारण बनती है।
संस्कार सामान्य चेतना का कारण बनते हैं,
चेतना नामरूपम (मन और शरीर की क्रिया) का कारण बनती है,
नामरूपम छह इंद्रियों (मन, स्पर्श, दृष्टि, कान, नाक, जीभ) की क्रिया का कारण बनता है, छह इंद्रियां (
इंद्रिय विषयों के साथ) संपर्क का कारण बनती हैं, संपर्क (
शरीर के भीतर) संवेदना का कारण बनता है, संवेदना
(या इच्छा) लालसा (या इच्छा) का कारण बनती है,
लालसा (इंद्रिय विषयों, लोगों आदि के साथ) आसक्ति (इंद्रिय विषयों, लोगों आदि के साथ)
का कारण बनती है, आसक्ति (जैसे, खिंचाव बल) का कारण बनती है,
बनने का अस्तित्व (या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म) की ओर ले जाता है, जन्म
(या मृत्यु की ओर) वृद्धावस्था (रोग) और मृत्यु, शोक, विलाप, पीड़ा, निराशा और हताशा का कारण बनता है।
यही इस संपूर्ण दुख के समूह की उत्पत्ति है।

अविज्जायत्वेव असेसविराग निरोध निरोधो,
संखरा निरोध विनाश निरोधो, विनाश निरोध
नामरूप निरोधो,
नामरूप निरोध संशयतन निरोधो,
संयम निरोधो चरण निरोधो,
चरण निरोध वेदना निरोधो,
वेदना निरोध तन्हा निरोधो,
तन्हा निरोध उपादान निरोधो,
उपादान निरोधा भव निरोधो,
भव निरोध जाति निरोधो,
जाति निरोध जरामरण सोकापरिदेवदुक्खदोमनसुपायसा निरुज्जन्ति — एवमेतस्सा केवलस्सा दुक्खक्खनधस्सा निरोधो होति''ति।

अज्ञान (ज्ञानोदय/सम्मोहन अवस्था) के निवारण से, जिसमें कामवासना (इच्छाओं) का पूर्ण अभाव होता है, संस्कार (आदतें/प्रवृत्तियाँ) रुक जाते हैं;
संस्कारों के रुकने से (सामान्य) चेतना रुक जाती है;
चेतना के रुकने से नामरूप (मन और शरीर की जागरूकता) रुक जाती है;
नामरूप के रुकने से छह इंद्रियाँ (इंद्रिय जागरूकता) रुक जाती हैं;
छह इंद्रियों के रुकने से (इंद्रिय विषयों से) संपर्क रुक जाता है;
संपर्क के रुकने से (शरीर के भीतर) संवेदना रुक जाती है;
संवेदना के रुकने से (इच्छा) रुक जाती है;
चाहत के रुकने से (इंद्रिय विषयों, लोगों आदि से) आसक्ति रुक जाती है;
आसक्ति के रुकने से (अस्तित्व का कारण) रुक जाता है;
अस्तित्व के रुकने से, जन्म रुक जाता है
। जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, विलाप, पीड़ा, निराशा और हताशा का अंत हो जाता है।
इस प्रकार दुखों के इस संपूर्ण समूह का अंत हो जाता है।

---

3. यह जानकर भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर यह गंभीर वचन कहा:

जब गहन ध्यानमग्न ब्राह्मण (ज्ञानी) को धम्म (वस्तुओं/घटनाओं का वास्तविक स्वरूप) स्पष्ट हो जाता है,
तो उसके सभी संदेह दूर हो जाते हैं,
क्योंकि वह लाभकारी धम्म (स्वरूप और उसके कारण) को जान लेता है।

4. तब भगवान बुद्ध ने रात के मध्य पहर में कारण-कार्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया, प्रत्यक्ष और विपरीत क्रम में: 'अज्ञान संस्कारों का कारण बनता है, इत्यादि। यही इस समस्त दुख का उद्गम है, इत्यादि। यही इस समस्त दुख का निवारण है।'

5. यह जानकर भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर यह गंभीर वचन कहा:

जब धम्म (वस्तुओं/घटनाओं का वास्तविक स्वरूप)
गहन ध्यानमग्न ब्राह्मण (ज्ञानी) को स्पष्ट हो जाता है,
तो उसके सभी संदेह दूर हो जाते हैं,
क्योंकि वह कारण-कार्य के अंत को समझ लेता है
जो संवेदनाओं से परे की अवस्था (आनंदमय समाधि अवस्था) की ओर ले जाता है।

6. तब भगवान बुद्ध ने रात्रि के तीसरे पहर में कारण-कार्य श्रृंखला पर प्रत्यक्ष और विपरीत क्रम में ध्यान केंद्रित किया: 'अज्ञान संस्कारों का कारण बनता है, इत्यादि। यही इस समस्त दुख का उद्गम है, इत्यादि। यही इस समस्त दुख का निवारण है।' इत्यादि।

7. यह जानकर भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर यह गंभीर वचन कहा:

जब धम्म (वस्तुओं/घटनाओं का वास्तविक स्वरूप)
गहन ध्यानमग्न ब्राह्मण (ज्ञानी व्यक्ति) को स्पष्ट हो जाता है, तो वह सूर्य की तरह आकाश को प्रकाशित करते हुए
, मार (मृत्यु, रोग, अज्ञान के स्वामी) की सेनाओं को विमुख कर देता है ।

बोधि वृक्ष के नीचे घटी घटनाओं का वृत्तांत यहीं समाप्त होता है।

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.2

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.1) | अगला(1.3) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-2: बुद्ध अजापाल बरगद के वृक्ष के नीचे एक पुजारी से मिलते हैं।

1. फिर उन सात दिनों के अंत में, भगवान बुद्ध ध्यान की उस अवस्था से उठे और बोधि वृक्ष की तलहटी से अजपाल बरगद (बकरी चराने वालों का बरगद) की ओर गए। वहाँ पहुँचकर वे सात दिनों तक लगातार अजपाल बरगद की तलहटी में पालथी मारकर बैठे रहे और मोक्ष के आनंद का अनुभव करते रहे।

2. अब एक अहंकारी ब्राह्मण (पुजारी) उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया; प्रणाम और विनम्र शब्दों का आदान-प्रदान करने के बाद वह उनके निकट खड़ा हो गया; फिर उनके निकट खड़े होकर उस ब्राह्मण (पुजारी) ने भगवान बुद्ध से कहा, 'गौतम, किस प्रकार कोई ब्राह्मण बनता है, और वे कौन से गुण हैं जो किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते हैं?'

3. यह सुनकर भगवान बुद्ध ने इस अवसर पर यह गंभीर कथन किया: 'वह ब्राह्मण जिसने अपने आप से सभी पापों को दूर कर लिया है, जो अहंकार से मुक्त है, जो अपवित्रता से मुक्त है, जो आत्मसंयमित है, जो ज्ञान का सिद्ध स्वामी है, जिसने पवित्रता के कर्तव्यों का पालन किया है, ऐसा ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहलाने का औचित्य रखता है, जिसका आचरण संसार में किसी से कम नहीं है।'

अजापाला वृक्ष के नीचे घटी घटनाओं का वृत्तांत यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(1.1) | अगला(1.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.2) | अगला(1.4) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-3: मुचलिंडा वृक्ष के नीचे नाग द्वारा संरक्षित बुद्ध।

1. फिर उन सात दिनों के अंत में, भगवान बुद्ध ध्यान की उस अवस्था से उठे और अजपाल बरगद के वृक्ष की तलहटी से मुचलिंडा वृक्ष की ओर गए। वहाँ पहुँचकर वे सात दिनों तक निरंतर मुचलिंडा वृक्ष की तलहटी में पालथी मारकर बैठे रहे और विमुक्ति/निर्वाण अवस्था का आनंद लेते रहे।

2. उस समय अचानक एक बड़ा बादल छा गया, सात दिनों तक लगातार बारिश हुई, ठंड पड़ी, आंधी आई और अंधेरा छा गया। नागों के राजा मुचलिन्द अपने निवास से निकले और भगवान बुद्ध के शरीर को सात बार अपने कुंडलियों से घेर लिया, और अपना बड़ा फन उनके सिर पर फैलाए रहे, मन ही मन सोचते हुए: 'भगवान बुद्ध को कोई ठंड न लगे! भगवान बुद्ध को कोई गर्मी न लगे! भगवान बुद्ध को मक्खियों, मच्छरों, आंधी, धूप और सरीसृपों से कोई कष्ट न हो!'

3. और उन सात दिनों के अंत में, जब नाग राजा मुचलिंडा ने खुला, बादल रहित आकाश देखा, तो उसने भगवान बुद्ध के शरीर से अपने लबादे खोल दिए, अपना स्वरूप गायब कर दिया, एक युवक का रूप धारण किया, और भगवान बुद्ध के सामने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया।

4. और भगवान बुद्ध ने यह जानकर इस अवसर पर यह गंभीर कथन कहा: 'आनंद से परिपूर्ण, सत्य को जानने वाले, सत्य को देखने वाले का एकांत सुखमय है। इस संसार में द्वेष से मुक्ति, सभी सजीव प्राणियों के प्रति आत्मसंयम, इस संसार में कामवासना से मुक्ति, सभी इच्छाओं से परे जाना, और "मैं हूँ!" के विचार से उत्पन्न अहंकार को त्यागना सुखमय है। यही वास्तव में सर्वोच्च सुख है!'

मुचलिंडा वृक्ष के नीचे घटी घटनाओं का वृत्तांत यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(1.2) | अगला(1.4) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.3) | अगला(1.5) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-4: बुद्ध की राजायतन वृक्ष के नीचे दो व्यापारियों से पहली मुलाकात।

1. फिर उन सात दिनों के अंत में, भगवान बुद्ध ध्यान की उस अवस्था से उठे और मुचलिंडा वृक्ष की तलहटी से राजायतन वृक्ष की ओर गए; वहाँ पहुँचकर वे सात दिनों तक लगातार राजायतन वृक्ष की तलहटी में पालथी मारकर बैठे रहे और विमुक्ति/निर्वाण अवस्था/समाधि का आनंद लेते रहे।

2. उस समय दो व्यापारी, तपस्सा और भल्लिका, उक्काला (उड़ीसा) से उस स्थान की ओर यात्रा कर रहे थे। तब एक देवता, जो (पिछले जन्म में) व्यापारी तपस्सा और भल्लिका के रक्त संबंधी थे, ने उनसे कहा: 'हे मेरे मित्रों, राजयतन वृक्ष की चरणों में भगवान बुद्ध विराजमान हैं, जो अभी-अभी सम्बुद्ध बने हैं। जाओ और भगवान बुद्ध को चावल के केक और शहद के टुकड़े अर्पित करके अपना आदर प्रकट करो। यह तुम्हारे लिए दीर्घकाल तक कल्याणकारी और आशीर्वाददायी होगा।'

3. व्यापारी तपस्सा और भल्लिका चावल के केक और शहद के टुकड़े लेकर भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट खड़े हो गए; उनके पास खड़े होकर तपस्सा और भल्लिका ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा: 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध हमारे इन चावल के केक और शहद के टुकड़ों को स्वीकार करें, ताकि ये हमारे लिए दीर्घकाल तक कल्याणकारी और आशीर्वादमय रहें!'

4. तब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'तथागत हाथों से भोजन ग्रहण नहीं करते। अब मैं चावल की रोटी और शहद के टुकड़े किससे ग्रहण करूँ?' तब चारों महाराजा देवताओं ने, अपनी बुद्धि से, भगवान बुद्ध के मन में उठे विचार को समझकर, चारों दिशाओं से भगवान बुद्ध को पत्थर के चार कटोरे भेंट किए और कहा, 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध चावल की रोटी और शहद के टुकड़े स्वीकार करें!' भगवान बुद्ध ने उन नए पत्थर के कटोरे स्वीकार किए; और उनमें उन्हें चावल की रोटी और शहद के टुकड़े मिले, और उन्हें ग्रहण करके उन्होंने खा लिया।

5. और जब तपस्सा और भल्लिका नामक व्यापारियों ने देखा कि भगवान बुद्ध ने अपना कुंड और हाथ धो लिए हैं, तो वे श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए और उनसे इस प्रकार कहा: 'हे प्रभु, हम भगवान बुद्ध और धम्म की शरण लेते हैं; भगवान बुद्ध हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, जिन्होंने आज से अपने जीवन भर उनकी शरण ली है।' ये संसार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केवल द्वैत युक्त सूत्र द्वारा (बुद्ध के) गृहस्थ शिष्य बने।

(इसके बाद वे दोनों व्यापारी शिक्षा का प्रसार करने के लिए बर्मा (म्यांमार) चले गए।)

राजयतना वृक्ष के नीचे घटी घटनाओं का वृत्तांत यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(1.3) | अगला(1.5) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.4) | अगला(1.6) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-5: ब्रह्मा (प्रधान देवदूत) सहमपति द्वारा अमरता के मार्ग का प्रचार करने का अनुरोध।

1. फिर उन सात दिनों के अंत में, भगवान बुद्ध ध्यान की उस अवस्था से उठे और राजयतन वृक्ष की तलहटी से अजपाल बरगद वृक्ष की ओर गए। और वहाँ पहुँचकर, भगवान बुद्ध अजपाल बरगद वृक्ष की तलहटी में ठहर गए।

2. तब अकेले एकांत में विलीन भगवान बुद्ध के मन में यह विचार आया: 'मैंने इस गहन, समझने में कठिन, हृदय को शांत करने वाले, उच्च कोटि के, तर्क से अप्राप्य, गूढ़ और केवल बुद्धिमानों को बोध कराने वाले सिद्धांत को प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर, यह जनमानस भोगने वाला, इच्छाओं में लीन और उनमें आनंद लेने वाला है। अत:, इस जनमानस के लिए, जो इच्छाओं में लीन, इच्छाओं में लीन और उनमें आनंद लेने वाला है, कारण-कार्य का नियम और कारण-कार्य श्रृंखला समझना कठिन होगा; उनके लिए सभी संस्कारों (पापों) का नाश, सभी आधारों (अस्तित्व के) से मुक्ति, इच्छाओं का नाश, वासना का अभाव, हृदय की शांति और निर्वाण को समझना अत्यंत कठिन होगा! अब यदि मैं इस सिद्धांत का प्रचार करूं और अन्य लोग मेरे उपदेश को न समझ पाएं, तो इससे मुझे केवल अरुचि और झुंझलाहट ही होगी।'

3. और फिर भगवान बुद्ध के मन में निम्नलिखित श्लोक आए, जो पहले कभी नहीं सुने गए थे: 'मैंने इसे बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। बस! अब मैं इसका प्रचार क्यों करूँ? यह सिद्धांत उन प्राणियों को आसानी से समझ में नहीं आएगा जो कामवासना और घृणा में डूबे हुए हैं।'

'वासना में लिप्त, घोर अंधकार से घिरे होने के कारण, वे उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे जो (उनके मन को) घृणित, गूढ़, गहन, समझने में कठिन और सूक्ष्म है।'

4. जब भगवान बुद्ध इस विषय पर विचार कर रहे थे, तो उनका मन शांत रहने और उपदेश न देने की ओर झुका। तब ब्रह्मा (प्रधान देवदूत) सहमपति ने अपने मन की शक्ति से भगवान बुद्ध के मन में उठे विचार को समझकर सोचा, 'हाय! संसार का नाश हो रहा है! हाय! संसार का विनाश हो रहा है! यदि तथागत (बुद्ध), पवित्र, परम संबुद्ध का मन शांत रहने और उपदेश न देने की ओर झुका रहे।'

5. फिर ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मा के लोक से विलीन हो गए और भगवान बुद्ध के सामने (उतनी ही तेजी से) प्रकट हुए जैसे कोई बलवान व्यक्ति अपनी मुड़ी हुई भुजा को फैला सकता है या अपनी फैली हुई भुजा को वापस खींच सकता है।

6. ब्रह्मा (प्रधान देवदूत) सहमपति ने अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार समायोजित किया कि उसका एक कंधा ढक जाए, और अपना दाहिना घुटना जमीन पर रखकर, अपने जुड़े हुए हाथों को भगवान बुद्ध की ओर उठाकर उनसे कहा: 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस उपदेश का प्रचार करें! सिद्ध पुरुष इस उपदेश का प्रचार करें! ऐसे प्राणी हैं जिनके मानसिक नेत्र लगभग धूल से भी धुंधले हैं; परन्तु यदि वे उपदेश न सुनें, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये उपदेश को समझेंगे।'

7. ब्रह्मा सहमपति ने ऐसा कहा; और ऐसा कहने के बाद उन्होंने आगे कहा: 'मगध देश में अब तक जो धर्म प्रकट हुआ है, वह अशुद्ध है, दूषित मनुष्यों द्वारा प्रतिपादित है। परन्तु अब आप अमरता का द्वार खोलें; उन्हें निष्कलंक पुरुष द्वारा प्रकट किए गए सिद्धांत को सुनने दें!'

जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चट्टान पर खड़ा होकर अपने चारों ओर के लोगों को देख सकता है, वैसे ही, हे ज्ञानी, सत्य के सर्वोच्च महल में आरोहण करके, हे सर्वदर्शी, दुख में डूबे हुए, जन्म और मृत्यु के वश में लोगों पर दृष्टि डालें, - आप, जिन्होंने स्वयं को दुख से मुक्त कर लिया है!

'उठो, हे महानुभाव; हे विजयी! हे तीर्थयात्रियों के समूह के नेता, जो स्वयं ऋणमुक्त हैं, संसार में विचरण करो। भगवान बुद्ध इस सिद्धांत का प्रचार करें; ऐसे लोग अवश्य होंगे जो इसे समझ सकेंगे!'

8. इस प्रकार कहने के बाद, भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपति से कहा: "हे ब्रह्मा, मेरे मन में यह विचार आया है: 'मैंने इस सिद्धांत को भलीभांति समझ लिया है, ... (आदि, अनुच्छेद 2)' और हे ब्रह्मा, मेरे मन में निम्नलिखित श्लोक भी आ गए हैं, जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे: 'अत्यंत परिश्रम से, ... (आदि, अनुच्छेद 3 के अंत तक)' हे ब्रह्मा, जब मैंने इस विषय पर विचार किया, तो मेरा मन शांत रहने की ओर झुका, और इस सिद्धांत का प्रचार न करने की ओर प्रेरित हुआ।"

9. और दूसरी बार ब्रह्म सहमपति ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस सिद्धांत का प्रचार करें, ... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 6, 7 में है)।' और दूसरी बार भगवान बुद्ध ने ब्रह्म सहमपति से कहा: 'निम्नलिखित विचार . . . . (आदि, जैसा कि पहले था)।'

10. और तीसरी बार ब्रह्मा सहमपति ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस सिद्धांत का प्रचार करें, ... (आदि, जैसा पहले था)।'

तब भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा का निवेदन सुनकर, सभी प्राणियों के प्रति करुणा से परिपूर्ण होकर, बुद्ध की सर्वदर्शी दृष्टि से संसार का अवलोकन किया। बुद्ध की दृष्टि से संसार का अवलोकन करते हुए उन्होंने ऐसे प्राणियों को देखा जिनकी मानसिक दृष्टि न के बराबर धुंधली थी, और ऐसे प्राणियों को भी जिनकी दृष्टि अत्यधिक धुंधली थी, कुछ बुद्धिमान थे और कुछ कम बुद्धिमान, कुछ अच्छे स्वभाव के थे और कुछ बुरे स्वभाव के, कुछ को उपदेश देना आसान था और कुछ को उपदेश देना कठिन, और उनमें से कुछ भविष्य के जीवन और पाप के खतरों को देख रहे थे।

11. जैसे नीले कमलों, जल-गुलाबों या सफेद कमलों से भरे एक तालाब में, कुछ नीले कमल, जल-गुलाबों या सफेद कमल, जो जल में उत्पन्न हुए और जल में ही पले-बढ़े, जल के ऊपर नहीं निकलते, बल्कि जल के नीचे छिपे रहते हैं; और कुछ नीले कमल, जल-गुलाबों या सफेद कमल, जो जल में उत्पन्न हुए और जल में ही पले-बढ़े, जल की सतह तक पहुँच जाते हैं; और कुछ नीले कमल, जल-गुलाबों या सफेद कमल, जो जल में उत्पन्न हुए और जल में ही पले-बढ़े, जल से बाहर निकले खड़े रहते हैं, और जल उन्हें स्पर्श नहीं करता,--

12. इस प्रकार भगवान बुद्ध ने बुद्ध की दृष्टि से संसार का अवलोकन करते हुए ऐसे प्राणियों को देखा जिनकी मानसिक दृष्टि अंधकारमय थी, ... (आदि, पाठ में अनुच्छेद 10 दोहराया गया है); और जब उन्होंने उन्हें इस प्रकार देखा, तो उन्होंने ब्रह्मा सहमपति को निम्नलिखित श्लोक में संबोधित किया: 'अमरता का द्वार उन सभी के लिए खुला है जिनके पास सुनने के लिए कान हैं; वे आस्था ग्रहण करें। हे ब्रह्मा, मैंने इस कठिन कार्य से निराश होकर मनुष्यों को मधुर और उत्तम धम्म का उपदेश नहीं दिया।'

13. तब ब्रह्मा सहमपति समझ गए: 'भगवान बुद्ध ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है कि वे उपदेश दें।' और उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया, और अपनी दाहिनी ओर से उनकी परिक्रमा की; और फिर वे तुरंत अंतर्धान हो गए।

ब्रह्मा के अनुरोध की कहानी यहीं समाप्त होती है।

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-6: बुद्ध अपने पूर्व पांच सहयोगियों को धम्म की शिक्षा देते हैं।

1. अब भगवान बुद्ध ने सोचा: 'मैं सबसे पहले किसे उपदेश दूं? कौन इस उपदेश को आसानी से समझ पाएगा?' और फिर उन्होंने सोचा: 'अलारा कलामा हैं; वे चतुर, बुद्धिमान और विद्वान हैं; उनके मन की आंखें बहुत समय से धुंधली नहीं हुई हैं। क्या होगा यदि मैं सबसे पहले अलारा कलामा को उपदेश दूं? वे इस उपदेश को आसानी से समझ जाएंगे।'

2. तब एक अदृश्य देवता ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, अलारा कलामा का निधन सात दिन पहले हो गया है।' और भगवान बुद्ध के मन में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि अलारा कलामा का निधन सात दिन पहले हो गया था। और भगवान बुद्ध ने सोचा, 'अलारा कलामा अत्यंत महान थे। यदि उन्होंने मेरा उपदेश सुना होता, तो वे इसे आसानी से समझ लेते।'

3. तब भगवान बुद्ध ने सोचा: 'मैं सबसे पहले किसे उपदेश दूं? कौन इस उपदेश को आसानी से समझ पाएगा?' और फिर भगवान बुद्ध ने सोचा: 'उद्दक रामपुत्त हैं; वे चतुर, बुद्धिमान और विद्वान हैं; उनकी आंखें या मन बहुत समय से अंधकारमय नहीं हुए हैं। क्या होगा यदि मैं सबसे पहले उद्दक रामपुत्त को उपदेश दूं? वे इस उपदेश को आसानी से समझ जाएंगे।'

4. तब एक अदृश्य देवता ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, उद्दक रामपुत्त का निधन कल शाम को हो गया।' तब भगवान बुद्ध के मन में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि उद्दक रामपुत्त का निधन पिछली शाम को ही हो गया था। तब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'उद्दक रामपुत्त अत्यंत महान थे। यदि उन्होंने मेरा उपदेश सुना होता, तो वे इसे आसानी से समझ लेते।'

5. तब भगवान बुद्ध ने सोचा: 'मैं सबसे पहले किसे उपदेश दूं? कौन इस उपदेश को आसानी से समझ पाएगा?' और फिर भगवान बुद्ध ने सोचा: 'पांच भिक्षुओं ने मेरी बहुत सेवा की है; उन्होंने मेरी तपस्या के दौरान मेरी सेवा की (पवित्रता प्राप्त करने के लिए)। क्या होगा यदि मैं सबसे पहले पांच भिक्षुओं को उपदेश दूं?'

6. अब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'वे पाँच भिक्षु अब कहाँ निवास करते हैं?' और भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य, स्पष्ट दृष्टि से, जो मनुष्यों की दृष्टि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, देखा कि वे पाँच भिक्षु बनारस के इसिपताना हिरण उद्यान में निवास कर रहे थे। और भगवान बुद्ध ने उरुवेला में यथासंभव समय व्यतीत करने के बाद बनारस की यात्रा की।

7. अब उपक, जो आजीवक संप्रदाय (अर्थात नग्न तपस्वियों के संप्रदाय) से संबंधित था, ने भगवान बुद्ध को गया और बोधि वृक्ष के बीच के मार्ग पर यात्रा करते देखा; और उन्हें देखकर उसने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे मित्र, आपका चेहरा शांत है; आपका रंग शुद्ध और तेजस्वी है। हे मित्र, आपने किसके नाम पर संसार त्याग दिया है? आपके गुरु कौन हैं? आप किसके सिद्धांत का पालन करते हैं?'

8. जब उपका अजीवक ने ऐसा कहा, तो भगवान बुद्ध ने उनसे निम्नलिखित श्लोकों में कहा: 'मैंने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है; मैंने सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया है; मैं हर तरह से दोषमुक्त हूँ; मैंने सब कुछ त्याग दिया है; और इच्छाओं के नाश से मुक्ति प्राप्त कर ली है। जब मैंने स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो मैं किसे अपना गुरु कहूँ? मेरा कोई गुरु नहीं है; कोई मेरे समान नहीं है; मनुष्य और देवता के संसार में कोई भी मेरे समान नहीं है। मैं इस संसार का परम पूज्य हूँ, मैं सर्वोच्च गुरु हूँ, मैं ही एकमात्र परम संबुद्ध हूँ; मैंने (सभी वासनाओं के नाश से) शांति प्राप्त कर ली है और निर्वाण प्राप्त कर लिया है। सत्य के राज्य की स्थापना के लिए मैं काशियों के नगर (बनारस) जा रहा हूँ; मैं इस संसार के अंधकार में अमरता का ढोल बजाऊँगा।'

9. (उपक ने उत्तर दिया): 'तो फिर, मित्र, तुम स्वयं को पवित्र, परम जिन होने का दावा करते हो।'

(बुद्ध ने कहा): 'मेरे समान ही वे सभी जिन हैं जिन्होंने आसवों का निर्वाह कर लिया है; मैंने पाप की सभी अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर ली है; इसलिए, उपका, मैं ही जिन हूँ।'

जब उसने ऐसा कहा, तो आजीवक उपका ने उत्तर दिया: 'हो सकता है, मित्र;' उसने अपना सिर हिलाया, दूसरा रास्ता पकड़ा और चला गया।

10. भगवान बुद्ध स्थान-स्थान घूमते हुए बनारस के इसिपताना हिरण उद्यान में आए, जहाँ पाँच भिक्षु ठहरे हुए थे। पाँचों भिक्षुओं ने दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा; उन्हें देखकर वे आपस में कहने लगे, 'हे मित्रों, देखो समना गौतम (बुद्ध) आ रहे हैं, जो समृद्धि में रहते हैं, जिन्होंने परिश्रम त्याग दिया है और समृद्धि का मार्ग अपना लिया है। हमें उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए; उनके आने पर अपनी सीटों से नहीं उठना चाहिए; उनके हाथों से उनका पान और वस्त्र नहीं लेना चाहिए। बल्कि हमें वहाँ एक आसन लगाना चाहिए; यदि वे चाहें तो बैठ सकते हैं।'

11. परन्तु जब भगवान बुद्ध धीरे-धीरे उन पाँच भिक्षुओं के पास पहुँचे, तो वे पाँचों भिक्षुओं ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वे भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आगे बढ़े; एक ने उनका कुंड और वस्त्र लिया, दूसरे ने आसन तैयार किया, तीसरे ने पैर धोने के लिए जल, एक चौकी और एक तौलिया लाया। तब भगवान बुद्ध उनके द्वारा तैयार किए गए आसन पर बैठ गए; और बैठते ही उन्होंने अपने पैर धोए। अब उन्होंने भगवान बुद्ध को उनके नाम से और 'मित्र' कहकर पुकारा।

12. जब उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, तो भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं से कहा: "हे भिक्षुओं, तथागत बुद्ध को उनके नाम से और 'मित्र' कहकर संबोधित न करो। हे भिक्षुओं, तथागत बुद्ध पवित्र, परम संबुद्ध हैं। हे भिक्षुओं, ध्यान से सुनो! मैंने अमरता (अम्रता/अमृत) प्राप्त कर ली है; मैं तुम्हें सिखाऊँगा; मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तो शीघ्र ही तुम सत्य को जान लोगे और उसे प्रत्यक्ष रूप से देख लोगे; और तुम उस सर्वोच्च लक्ष्य, पवित्र जीवन को प्राप्त करोगे, जिसके लिए श्रेष्ठ युवक संसार का पूर्ण त्याग कर गृहस्थी त्याग देते हैं।"

13. जब उन्होंने ऐसा कहा, तो पाँच भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे गौतम, उन नियमों, उन अभ्यासों, उन तपस्याओं से आप मनुष्यों से परे शक्ति, और पूर्ण एवं पवित्र ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि की श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सके। अब, आप समृद्धि में रहते हुए, परिश्रम त्यागकर, और समृद्ध जीवन की ओर मुड़ कर, मनुष्यों से परे शक्ति तथा पूर्ण एवं पवित्र ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि की श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर सकेंगे?"

14. जब उन्होंने ऐसा कहा, तब भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, तथागत (बुद्ध) विलासिता में नहीं रहते, उन्होंने परिश्रम का त्याग नहीं किया है, उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन की ओर रुख नहीं किया है। हे भिक्षुओं, तथागत (बुद्ध) पवित्र, परम संबुद्ध हैं। हे भिक्षुओं, ध्यान से सुनो; मैंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है; मैं तुम्हें सिखाऊँगा, तुम्हें उपदेश दूँगा। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तो शीघ्र ही तुम सत्य को जान लोगे और उसे प्रत्यक्ष रूप से देख लोगे; और तुम उस सर्वोच्च लक्ष्य, पवित्र जीवन को प्राप्त करोगे, जिसके लिए श्रेष्ठ युवक संसार का पूर्णतः त्याग कर गृहस्थी त्याग देते हैं (अर्थात भिक्षुत्व ग्रहण करते हैं)।'

15. और पाँच भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से दूसरी बार (ऊपर बताए अनुसार) कहा। और भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं से दूसरी बार (ऊपर बताए अनुसार) कहा। और पाँच भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से तीसरी बार (ऊपर बताए अनुसार) कहा।

16. जब उन्होंने इस प्रकार कहा, तो भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, क्या तुम स्वीकार करते हो कि मैंने आज से पहले कभी तुमसे इस प्रकार बात नहीं की है?'

'आपने ऐसा कभी नहीं कहा, प्रभु।'

'हे भिक्षुओं, तथागत (बुद्ध) पवित्र, परम संबुद्ध हैं। हे भिक्षुओं, ध्यान से सुनो, इत्यादि (जैसा ऊपर बताया गया है)।'

और भगवान बुद्ध पाँच भिक्षुओं को समझाने में सफल रहे; और पाँचों भिक्षुओं ने फिर से स्वेच्छा से भगवान बुद्ध की बात सुनी; उन्होंने ध्यान से सुना और अपना मन उस ज्ञान पर केंद्रित किया (जो बुद्ध ने उन्हें बताया था)।

17. तब भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: "हे भिक्षुओं, संसार का त्याग करने वाले को दो चरम सीमाओं से बचना चाहिए। ये दो चरम सीमाएँ क्या हैं? एक जीवन जो सुखों और वासनाओं में लिप्त है: यह नीच, कामुक, अश्लील, घृणित और निष्फल है; और दूसरा जीवन जो तपस्या में व्यतीत है: यह कष्टदायी, घृणित और निष्फल है। हे भिक्षुओं, इन दो चरम सीमाओं से बचकर तथागत बुद्ध ने मध्य मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है, जो अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है, जो ज्ञान की ओर ले जाता है, जो शांति, ज्ञान, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है।"

18. हे भिक्षुओं, यह कौन सा मध्य मार्ग है जिसका ज्ञान तथागत (बुद्ध) ने प्राप्त किया है, जो अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है, जो ज्ञान की ओर ले जाता है, जो शांति, ज्ञान, सम्बोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है? यह पवित्र अष्टांगिक मार्ग है, अर्थात्, सही विश्वास, सही आकांक्षा, सही वाणी, सही आचरण, आजीविका के सही साधन, सही प्रयास, सही ध्यान (सती), सही समाधि। हे भिक्षुओं, यही वह मध्य मार्ग है जिसका ज्ञान तथागत (बुद्ध) ने प्राप्त किया है, जो अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है, जो ज्ञान की ओर ले जाता है, जो शांति, ज्ञान, सम्बोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है।

19. हे भिक्षुओं, यही दुख का आर्य सत्य है: जन्म दुख है; क्षय दुख है; रोग दुख है; मृत्यु दुख है। जिन वस्तुओं से हमें घृणा होती है, उनका उपस्थित होना दुख है; जिन वस्तुओं से हमें प्रेम होता है, उनसे वियोग दुख है; जो हम चाहते हैं, वह प्राप्त न होना दुख है। संक्षेप में, पांच प्रकार का अस्तित्व से आसक्ति दुख है।

20. हे भिक्षुओं, यही दुख के कारण का आर्य सत्य है: वह प्यास जो पुनर्जन्म की ओर ले जाती है, सुख और कामवासना से युक्त होती है, और इधर-उधर अपना आनंद पाती है। (यह प्यास तीन प्रकार की होती है), अर्थात्, सुख की प्यास, अस्तित्व की प्यास और समृद्धि की प्यास।

21. हे भिक्षुओं, यही दुख के निवारण का आर्य सत्य है: (यह) इस प्यास के पूर्ण निवारण के साथ समाप्त होता है, एक ऐसा निवारण जिसमें प्रत्येक वासना का अभाव होता है, इस प्यास के त्याग के साथ, इसके निवारण के साथ, इससे मुक्ति के साथ, इच्छा के नाश के साथ।

22. 'हे भिक्षुओं, यही दुखों के निवारण की ओर ले जाने वाले मार्ग का आर्य सत्य है: वह पवित्र अष्टांगिक मार्ग, अर्थात् सही विश्वास, सही आकांक्षा, सही वाणी, सही आचरण, आजीविका के सही साधन, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान।'

23. "यह दुख का आर्य सत्य है;" - हे भिक्षुओं, इस सिद्धांत के बारे में, जो पहले कभी सुना नहीं गया था, मैंने अंतर्दृष्टि, ज्ञान, समझ, बुद्धि और अंतर्ज्ञान प्राप्त किया है। "दुख के इस आर्य सत्य को समझना चाहिए," हे भिक्षुओं, इस सिद्धांत के बारे में... (अंतरात्मा तक)। "दुख के इस आर्य सत्य को मैंने समझ लिया है," हे भिक्षुओं, इस सिद्धांत के बारे में... (अंतरात्मा तक)।

24. "यह दुख के कारण का आर्य सत्य है," हे भिक्षुओं (आदि) "दुख के कारण के इस आर्य सत्य का त्याग मैंने कर दिया है," हे भिक्षुओं (आदि)

25. "यह दुखों के निवारण का आर्य सत्य है," हे भिक्षुओं (आदि) "दुखों के निवारण के इस आर्य सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए... मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है," हे भिक्षुओं (आदि)

26. "यह दुखों के निवारण की ओर ले जाने वाले मार्ग का आर्य सत्य है," हे भिक्षुओं (आदि), "दुखों के निवारण की ओर ले जाने वाले इस आर्य सत्य को मैंने जान लिया है," हे भिक्षुओं (आदि)

27. 'हे भिक्षुओं, जब तक मुझे इन चार आर्य सत्यों का, उनके तीन रूपांतरणों और बारह घटकों (4x3) सहित, पूर्ण शुद्धता के साथ सच्चा ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, तब तक, हे भिक्षुओं, मैं जानता था कि मैंने मनुष्य और देवता के संसार में, मार और ब्रह्मा के संसार में, सभी प्राणियों, समनों और ब्राह्मणों, देवताओं और मनुष्यों के बीच सर्वोच्च, पूर्ण संबोधि प्राप्त नहीं की थी।

28. 'परन्तु हे भिक्षुओं, जब मैंने पूर्ण पवित्रता के साथ इन चार आर्य सत्यों का, उनके तीन रूपांतरणों और उनके बारह घटकों (4x3) सहित, सच्चा ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली, तब मुझे पता चला, हे भिक्षुओं, कि मैंने मनुष्य और देवता जगत में सर्वोच्च, सार्वभौमिक संबोधि प्राप्त कर ली है, ... (आदि, जैसा कि § 27 में है)।

29. 'और मेरे मन में यह ज्ञान और अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई: "मेरे मन की मुक्ति खो नहीं सकती; यह मेरा अंतिम जन्म है; इसलिए मैं फिर से जन्म नहीं लूंगा!"'

इस प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा। पाँच भिक्षु प्रसन्न हुए और भगवान बुद्ध के वचनों से आनंदित हुए। जब यह व्याख्या प्रस्तुत की गई, तो पूज्य कोंडन्ना को सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (अंतिम समाधि अवस्था की दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त हुई: 'जो कुछ भी उत्पत्ति की स्थिति के अधीन है, वह समाप्ति की स्थिति के भी अधीन है।'

30. और जब भगवान बुद्ध ने (चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन करके) सत्य के मार्ग की स्थापना की, तो पृथ्वी पर रहने वाले देवताओं ने उद्घोष किया: 'सचमुच भगवान बुद्ध ने बनारस के हिरण उद्यान इसिपताना में सत्य के सर्वोच्च राज्य की स्थापना की है, जिसका विरोध न तो कोई भिक्षु कर सकता है, न कोई ब्राह्मण, न कोई देवता, न कोई राक्षस, न कोई ब्रह्मा, और न ही संसार का कोई प्राणी।'

पृथ्वी पर निवास करने वाले देवताओं की जयजयकार सुनकर, कटुमहरगिक देवताओं (चार दिव्य महाराजाओं के लोक से संबंधित देवता) ने जयजयकार किया, ... (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है)। कटुमहरगिक देवताओं की जयजयकार सुनकर, तावतिंसा देवताओं, यम देवताओं, तुषिता देवताओं, निम्मनारति देवताओं, परनिम्मितवासवत्ती देवताओं और ब्रह्मकायिक देवताओं ने जयजयकार किया: 'सचमुच भगवान बुद्ध, ...' (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है)।

31. इस प्रकार उसी क्षण, उसी पल, उसी सेकंड में वह आवाज ब्रह्म जगत तक पहुँची; और दस हजार लोकों की यह पूरी व्यवस्था काँप उठी, हिल गई और थरथरा उठी; और संसार में एक अनंत, शक्तिशाली प्रकाश प्रकट हुआ, जो देवताओं की दिव्य शक्ति से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से कहीं अधिक था।

और भगवान बुद्ध ने यह गंभीर कथन किया: 'सचमुच कोंडन्ना ने इसे जान लिया है ("अन्नासी"), सचमुच कोंडन्ना ने इसे जान लिया है!' अतः पूज्य कोंडन्ना को अन्नतकोंडन्ना (सिद्धांत को जानने वाले कोंडन्ना) नाम मिला।

32. और पूज्य अन्नतकोंदन्ना ने सत्य को देखकर, सत्य में महारत हासिल करके, सत्य को समझकर, सत्य में मर्मस्पर्शी होकर, अनिश्चितता पर विजय प्राप्त करके, सभी शंकाओं को दूर करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, गुरु के सिद्धांत के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न रहते हुए, भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मुझे भगवान बुद्ध से दीक्षा और उपसम्पदा प्राप्त करने दें।'

भगवान बुद्ध ने कहा, 'हे भिक्षु, आओ, यह सिद्धांत भली-भांति सिखाया गया है; दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करो।' इस प्रकार इस पूजनीय व्यक्ति ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की।

33. भगवान बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को धर्म संबंधी प्रवचनों द्वारा उपदेश और शिक्षा दी। और पूज्य वप्पा और पूज्य भद्दिया ने जब भगवान बुद्ध से धर्म संबंधी प्रवचनों द्वारा ऐसा उपदेश और शिक्षा प्राप्त की, तो उन्हें सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त हुई: 'जो कुछ भी उत्पत्ति की स्थिति के अधीन है, वह समाप्ति की स्थिति के भी अधीन है।'

34. और सत्य को देखकर, सत्य में महारत हासिल करके, ... (आदि, जैसा कि § 32 में है), उन्होंने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा: 'हे प्रभु, हमें भगवान बुद्ध से पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षाएँ प्राप्त करने दें।'

भगवान बुद्ध ने कहा, 'हे भिक्षुओं, आओ, यह सिद्धांत भली-भांति सिखाया गया है; दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करो।' इस प्रकार इन पूजनीय व्यक्तियों ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की।

35. और भगवान बुद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए भोजन पर जीवन यापन करते हुए, अन्य भिक्षुओं को धम्म से संबंधित प्रवचनों द्वारा उपदेश और शिक्षा प्रदान करते थे; इस प्रकार वे छह व्यक्ति उन तीन भिक्षुओं द्वारा भिक्षायात्रा से लाए गए भोजन पर जीवन यापन करते थे।

36, 37. और पूज्य महानामा और पूज्य अस्सजी ने जब भगवान बुद्ध से प्राप्त किया, ... (आदि, जैसा कि §§ 33, 34 से आगे तक है)। इस प्रकार इन पूज्य व्यक्तियों ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की।

38. तब भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं से कहा: "हे भिक्षुओं, शरीर (रूप) आत्मा नहीं है। यदि शरीर ही आत्मा होता, तो वह रोगग्रस्त न होता, और हम यह कह पाते: "मेरा शरीर ऐसा हो, मेरा शरीर ऐसा न हो।" परन्तु हे भिक्षुओं, क्योंकि शरीर आत्मा नहीं है, इसलिए वह रोगग्रस्त है, और हम यह नहीं कह पाते: "मेरा शरीर ऐसा हो, मेरा शरीर ऐसा न हो।"

39-41. 'हे भिक्षुओं, वेदना (संवेदना) आत्मा नहीं है, ... (आदि)। बोध (सन्ना) आत्मा नहीं है, ... संस्कार (कर्म/पाप/आदतें) आत्मा नहीं हैं, ... चेतना (विन्नान) आत्मा नहीं है, ... (आदि)।'

42. 'अब आप क्या सोचते हैं, हे भिक्षुओं, शरीर स्थायी है या नाशवान?'

'हे प्रभु, यह नाशवान है।'

और जो नाशवान है, क्या वह दुख का कारण बनता है या आनंद का?

'हे प्रभु, इससे पीड़ा होती है।'

और जो नाशवान, पीड़ादायक और परिवर्तनशील है, क्या उसे इस प्रकार देखना संभव है: 'यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है?'

'यह असंभव है, प्रभु।'

43. 'क्या संवेदना स्थायी है या क्षणभंगुर?' . . . . (आदि)

44. 'अतः, हे भिक्षुओं, चाहे कोई भी शरीर रहा हो, होगा या अभी है, चाहे वह किसी भी सजीव प्राणी का हो, स्थूल हो या सूक्ष्म, निम्न हो या उच्च, दूर हो या निकट, वह सब शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा आत्म नहीं है: सत्य के अनुसार उचित ज्ञान द्वारा इस प्रकार विचार किया जाना चाहिए।

45. 'जो भी अनुभूति हो, ... (आदि)

46. हे भिक्षुओं, इस पर विचार करते हुए, एक विद्वान, श्रेष्ठ श्रोता शरीर से, इंद्रियों से, बोध से, संस्कारों से, चेतना से विरक्त हो जाता है। इन सबसे विरक्त होकर वह वासना से मुक्त हो जाता है; वासना के अभाव से वह मुक्त हो जाता है; मुक्त होने पर उसे अपने मुक्त होने का ज्ञान हो जाता है; और वह यह जान लेता है कि पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो गया है; पवित्रता पूर्ण हो गई है; कर्तव्य पूर्ण हो गया है; और इस संसार में अब कोई पुनरावृति नहीं है।

47. इस प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा; पाँच भिक्षु प्रसन्न हुए और भगवान बुद्ध के वचनों से आनंदित हुए। और जब यह व्याख्या पूरी हो गई, तो पाँच भिक्षुओं का मन संसार से आसक्ति से मुक्त हो गया और वे आसवों (इच्छाओं/इच्छाओं) से मुक्त हो गए।

उस समय ये छह ही विश्व में एकमात्र छह अरहत (पूर्ण पवित्रता/पूर्ण रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति) थे।

प्रथम भानवरा का समापन।

<<<< पिछला(1.5) । अगला(1.7) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.7

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.6) । अगला(1.8) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-7: बुद्ध ने एक धनी व्यक्ति के पुत्र यासा को त्रिरत्न से दीक्षा दी।

1. उस समय बनारस में यसा नाम का एक कुलीन युवक रहता था, जो एक धनी व्यापारी का पुत्र था और बड़े ही सुखमय परिवार में पला-बढ़ा था। उसके तीन महल थे, एक शीतकाल के लिए, एक ग्रीष्मकाल के लिए और एक बरसात के मौसम के लिए। वह बरसात के महल में चारों महीने रहता था, जहाँ उसके चारों ओर महिला संगीतकार रहती थीं, जिनमें कोई पुरुष नहीं होता था, और वह उस महल से नीचे नहीं उतरता था। एक दिन यसा, जो पाँचों इंद्रिय सुखों से परिपूर्ण था, उन महिला संगीतकारों की सेवा में रहते हुए सामान्य से जल्दी सो गया; और उसके बाद उसकी परिचारिकाएँ भी सो गईं। रात भर एक तेल का दीपक जलता रहा।

2. और यशा, वह महान युवक, सामान्य से जल्दी जाग उठा; और उसने अपने सेवकों को सोते हुए देखा; एक ने अपना वीणा बगल में टिका रखा था; एक ने अपना ढोल गर्दन से टिका रखा था; एक के बाल बिखरे हुए थे; एक के मुँह से लार बह रही थी; और वे नींद में बड़बड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई कब्रिस्तान में गिर गया हो। यह देखकर उसे अपने जीवन की बुराइयाँ स्पष्ट हो गईं; उसका

मन सांसारिक सुखों से विरक्ति करने लगा। और यशा, उस महान युवक ने गंभीर स्वर में कहा, 'हाय! कितना कष्ट; हाय! कितना खतरा!'

3. और यसा, वह श्रेष्ठ युवक, अपने सोने के जूते पहनकर अपने घर के द्वार पर गया। किसी अन्य प्राणी ने द्वार खोल दिया, ताकि कोई भी यसा को संसार छोड़कर निर्जन जीवन (अर्थात भिक्षु जीवन) में जाने से न रोक सके। और यसा, वह श्रेष्ठ युवक, नगर के द्वार पर गया। किसी अन्य प्राणी ने द्वार खोल दिया, ताकि कोई भी यसा को संसार छोड़कर निर्जन जीवन में जाने से न रोक सके। और यसा, वह श्रेष्ठ युवक, इसिपताना के हिरण उद्यान में गया।

4. उस समय भगवान बुद्ध रात्रि में उठकर भोर में खुले में टहल रहे थे। तभी उन्होंने दूर से यसा नामक युवक को आते देखा। उसे देखकर वे अपने चलने का स्थान छोड़कर उसके लिए बिछाई गई चौकी पर बैठ गए। यसा ने भगवान बुद्ध के पास आकर गंभीर स्वर में कहा, "हाय! कितना कष्ट है; हाय! कितना खतरा है!" भगवान बुद्ध ने यसा से कहा, "यसा, यहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं है। यसा, यहाँ आओ, बैठो; मैं तुम्हें सत्य (धम्म) सिखाऊँगा।"

5. जब यशा, उस श्रेष्ठ युवक ने सुना कि कोई संकट या खतरा नहीं है, तो वह प्रसन्न और आनंदित हुआ; उसने अपनी सोने की चप्पलें उतार दीं और उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वह उनके निकट बैठ गया। जब यशा, उस श्रेष्ठ युवक के पास बैठा था, तब भगवान बुद्ध ने उसे उचित समय पर उपदेश दिया: अर्थात् उन्होंने दान देने के पुण्य, नैतिकता के कर्तव्य, स्वर्ग, इच्छाओं की बुराइयों, व्यर्थता और पापमयता तथा इच्छाओं के त्याग के आशीर्वाद के बारे में बताया।

6. जब भगवान बुद्ध ने देखा कि यसा नामक उस श्रेष्ठ युवक का मन तैयार, ग्रहणशील, सत्य को समझने में बाधाओं से मुक्त, प्रसन्न और विश्वासी है, तब उन्होंने बुद्धों के प्रमुख सिद्धांत, अर्थात् दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और मार्ग का उपदेश दिया। जिस प्रकार एक साफ, बिना दाग वाला कपड़ा रंग को ठीक से सोख लेता है, उसी प्रकार यसा नामक उस श्रेष्ठ युवक ने वहाँ बैठे-बैठे ही सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त कर ली: 'जो कुछ भी उत्पत्ति के अधीन है, वह निवारण के भी अधीन है।'

7. अब यशा, उस कुलीन युवक की माता, अपने महल में गई, तो उसे यशा, उस कुलीन युवक को न पाकर, वह अपने गृहस्थ (सेठी) के पास गई और उससे कहा, "हे गृहस्थ, आपका पुत्र यशा, लापता हो गया है।" तब गृहस्थ ने घोड़े पर सवार दूतों को चारों दिशाओं में भेजा और स्वयं इसिपताना के हिरण उद्यान में गया। तब गृहस्थ ने जमीन पर सोने की चप्पलों के निशान देखे और उन्हें देखकर उनका पीछा किया।

8. भगवान बुद्ध ने दूर से सेत्थी (गृहस्थ) को आते देखा। उन्हें देखकर उन्होंने सोचा, 'यदि मैं ऐसी चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करूँ कि यहाँ बैठे सेत्थी (गृहस्थ) को यहाँ बैठे हुए यशा (युवक) का दर्शन न हो।' और भगवान बुद्ध ने अपनी चमत्कारिक शक्ति का ऐसा ही प्रयोग किया।

9. और सेठी, गृहस्थ, उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध ने यशा, उस श्रेष्ठ युवक को देखा है?'

'अच्छा, गृहस्थ, बैठ जाइए। शायद, यहाँ बैठे-बैठे आपको यसा, वह कुलीन युवक भी यहाँ बैठा हुआ दिखाई दे।'

और सेठी (धनी व्यापारी), गृहस्थ, जिसने सोचा: 'यद्यपि, यहाँ बैठे-बैठे मैं यश, उस महान युवक को भी यहाँ बैठे देख पाऊँगा,' यह सोचकर प्रसन्न और आनंदित हो गया, और भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम करके वह उनके पास बैठ गया।

10. जब सेठी (गृहस्थ) उनके पास बैठे थे, तब भगवान बुद्ध ने उन्हें उचित समय पर उपदेश दिया; अर्थात् उन्होंने दान देने से प्राप्त होने वाले पुण्यों के बारे में बताया, ... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 5 के अंत में है)। सत्य को देखकर, सत्य में पारंगत होकर, सत्य को गहराई से समझकर, अनिश्चितता पर विजय प्राप्त करके, सभी शंकाओं को दूर करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, गुरु के उपदेश के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न होकर, सेठी (गृहस्थ) ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु! हे प्रभु! जैसे कोई उलटी हुई चीज को सीधा खड़ा कर दे, या छिपी हुई चीज को प्रकट कर दे, या भटके हुए व्यक्ति को रास्ता दिखा दे, या अंधेरे में दीपक जला दे, ताकि देखने वाले दृश्य देख सकें, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने अनेक तरीकों से उपदेश दिया है।' हे प्रभु, मैं भगवान बुद्ध की शरण लेता हूँ, धम्म की शरण लेता हूँ और भिक्षुओं के समुदाय में शरण लेता हूँ; भगवान बुद्ध मुझे आज से अपने जीवन भर एक ऐसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें जिसने उनकी शरण ली है।

यह विश्व का पहला व्यक्ति था जो पवित्र त्रिमूर्ति (तीन रत्न - त्रिरत्न - बुद्ध, धम्म और संघ) का गृहस्थ शिष्य बना।

11. और जब बुद्ध अपने पिता को शिक्षा दे रहे थे, तब यसा नामक उस श्रेष्ठ युवक ने उस ज्ञान की अवस्था का चिंतन किया जिसे उसने अपने मन से देखा और समझा था; और उसका मन संसार के आसक्ति से मुक्त हो गया और वह आसवों से मुक्त हो गया। तब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'यसा नामक उस श्रेष्ठ युवक ने, जब अपने पिता को शिक्षा दी जा रही थी, उस ज्ञान की अवस्था का चिंतन किया जिसे उसने अपने मन से देखा और समझा था; और उसका मन संसार के आसक्ति से मुक्त हो गया और वह आसवों से मुक्त हो गया। यह असंभव है कि यसा नामक श्रेष्ठ युवक संसार में लौटकर पहले की तरह अपने घर में रहते हुए सुखों का आनंद ले। यदि मैं अब अपनी उस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग समाप्त कर दूं तो क्या होगा?' और भगवान बुद्ध ने अपनी उस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग समाप्त कर दिया।

12. तब गृहस्थ सेठी ने यशा को वहाँ बैठे देखा। उसे देखकर उसने यशा से कहा, 'हे मेरे पुत्र यशा, तेरी माता विलाप और शोक में लीन है; अपनी माता को जीवनदान दे।'

13. तब यशा, जो एक श्रेष्ठ युवक थे, ने भगवान बुद्ध की ओर देखा। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ सेठी से कहा, 'हे गृहस्थ, तो फिर तुम क्या सोचते हो? क्या यशा ने (पहले) सत्य के ज्ञान और अंतर्दृष्टि की अपूर्ण अवस्था ही प्राप्त की है, जैसा कि तुमने स्वयं की है? या फिर वह उस ज्ञान की अवस्था का चिंतन कर रहे थे जिसे उन्होंने अपने मन से देखा और समझा था; और इस प्रकार उनका मन संसार से आसक्ति से मुक्त हो गया और आसवों से मुक्त हो गया? हे गृहस्थ, क्या अब यह संभव है कि यशा संसार में लौटकर पहले की तरह अपने गृहस्थ जीवन में सुखों का आनंद लें?'

'ऐसा नहीं है, प्रभु।' 'हे गृहस्थ, श्रेष्ठ युवक यासा ने भी (पहले) आपकी ही तरह अपूर्ण ज्ञान और सत्य की अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। परन्तु जब वह उस ज्ञान की अवस्था का चिंतन कर रहा था जिसे उसने अपने मन से देखा और समझा था, तब उसका मन संसार के आसक्ति से मुक्त हो गया और आसवों से मुक्त हो गया। हे गृहस्थ, यह असंभव है कि श्रेष्ठ युवक यासा संसार में लौटकर पहले की तरह अपने गृहस्थ जीवन में सुखों का आनंद ले।'

14. 'हे प्रभु, यसा, जो एक श्रेष्ठ युवक है, के लिए यह सर्वथा लाभ है; हे प्रभु, यसा, जो एक श्रेष्ठ युवक है, के लिए यह परम आनंद है कि यसा, जो एक श्रेष्ठ युवक है, का मन संसार से आसक्ति से मुक्त हो गया है और वह आसवों से मुक्त हो गया है। हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध आज मेरे साथ यसा, जो एक श्रेष्ठ युवक है, को अपने सेवक के रूप में लेकर भोजन करने की कृपा करेंगे?'

भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की। तब सेठी (धनी व्यापारी), जो गृहस्थ था, जब उसे समझ आया कि भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने आसन से उठा, आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर से परिक्रमा करते हुए वहां से चला गया।

15. और यशा, जो एक कुलीन युवक था, सेठी (गृहस्थ) के चले जाने के तुरंत बाद भगवान बुद्ध से बोला, 'हे प्रभु, मुझे भगवान बुद्ध से पब्बज्जा (दीक्षा) और उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करने दीजिए।'

भगवान बुद्ध ने कहा, 'हे भिक्षु, आओ, यह सिद्धांत भली-भांति सिखाया गया है; दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करो।'

इस प्रकार उस पूजनीय व्यक्ति को उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त हुई। उस समय ये विश्व के सात अरहत (पूर्णतः प्रबुद्ध) थे।

यासा के दीक्षा संस्कार (पब्बज्जा) की कहानी का अंत।

<<<< पिछला(1.6) | अगला(1.8) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.7) | अगला(1.9) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-8: बुद्ध ने यासा की माता को प्रथम महिला गृहस्थ शिष्या के रूप में दीक्षा दी।

1. दोपहर के समय भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण किए, भिक्षापात्र लिया और किवार धारण किए हुए, आदरणीय यासा के साथ गृहस्थ सेठी के घर गए। वहाँ पहुँचकर वे अपने लिए बिछाई गई चौकी पर बैठ गए। फिर आदरणीय यासा की माता और पूर्व पत्नी भगवान बुद्ध के पास आईं; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गईं।

2. तब भगवान बुद्ध ने उन्हें उचित समय पर उपदेश दिया; अर्थात् उन्होंने दान देने से प्राप्त होने वाले पुण्यों के बारे में बताया, ... (अध्याय 7.5, 6 से आगे तक, जैसा कि आगे भी बताया गया है); इस प्रकार उन्होंने वहाँ बैठे-बैठे ही सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (अर्थात दिव्य ज्ञान) प्राप्त कर ली: 'जो कुछ भी उत्पत्ति की स्थिति के अधीन है, वह समाप्ति की स्थिति के भी अधीन है।'

3. सत्य को देखकर, ... (आदि, जैसा कि ऊपर, अनुच्छेद 5, 6 से आगे तक), गुरु के उपदेश के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न रहते हुए, उन्होंने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा: 'हे प्रभु, महिमावान! हे प्रभु, महिमावान! मानो कोई स्थापित कर रहा हो' (आदि, जैसा कि अध्याय 7, 10 से आगे तक है)। हे प्रभु, हम भगवान बुद्ध, धम्म और भिक्षुओं के समुदाय में शरण लेते हैं; भगवान बुद्ध हमें आज से, हमारे जीवन भर, उन शिष्यों के रूप में स्वीकार करें जिन्होंने उनकी शरण ली है।'

ये विश्व की पहली महिलाएं थीं जिन्होंने पवित्र त्रिमूर्ति (त्रिरत्न - तीन रत्न - बुद्ध, धम्म और संघ) के सूत्र द्वारा गृहस्थ शिष्या का रूप धारण किया।

4. पूज्य यासा के माता-पिता और पूर्व पत्नी ने अपने हाथों से भगवान बुद्ध और पूज्य यासा को उत्तम भोजन परोसा, जिसमें कठोर और नरम दोनों प्रकार के व्यंजन थे। जब भगवान बुद्ध ने भोजन समाप्त कर लिया और अपने कटोरे और हाथों को साफ कर लिया, तो वे उनके पास बैठ गए। तब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा पूज्य यासा के माता-पिता और पूर्व पत्नी को उपदेश दिया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया; फिर वे अपने आसन से उठे और चले गए।

<<<< पिछला(1.7) | अगला(1.9) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.9

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.8) | अगला(1.10) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-9: यासा के मित्र, चार गृहस्थों के दीक्षा संस्कार की कहानी।

1. अब बनारस के सेठी परिवारों से संबंधित और सेठी परिवारों के बाद सर्वोच्च परिवार से ताल्लुक रखने वाले, पूज्य यासा के चार मित्र, विमला, सुबाहु, पुन्नगी और गवमपति ने सुना: 'यशायाह युवक ने अपने बाल और दाढ़ी मुंडवा ली है, पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, संसार का त्याग कर घर-बार त्याग दिया है।' यह सुनकर उन्होंने सोचा: 'यह कोई सामान्य सिद्धांत और अनुशासन नहीं हो सकता, यह संसार का सामान्य त्याग नहीं हो सकता, यदि यशा, जो एक श्रेष्ठ युवक हैं, ने अपने बाल और दाढ़ी मुंडवा ली है, पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, संसार का त्याग कर घर-बार त्याग दिया है।'

2. वे चारों व्यक्ति उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य यासा विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके पास खड़े हो गए। फिर पूज्य यासा अपने चार मित्रों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। उनके निकट बैठकर पूज्य यासा ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, ये मेरे चार मित्र हैं, जो बनारस के सेठी (धनी व्यापारी) परिवारों से हैं और सेठी परिवारों के बाद सर्वोच्च परिवार से हैं; इनके नाम विमला, सुबाहु, पुन्नगी और गवम्पति हैं। भगवान बुद्ध इन चारों को उपदेश और शिक्षा प्रदान करें।'

3. तब भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया, ... (आदि, जैसा कि अध्याय 8.2 में है)।

4. और सत्य को देखकर, ... (आदि, आगे तक:) गुरु के सिद्धांत के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न रहते हुए, उन्होंने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा: 'हे प्रभु, हमें भगवान बुद्ध से दीक्षा और उपसम्पदा प्राप्त करने दें।'

भगवान बुद्ध ने कहा, 'हे भिक्षुओं, आओ, यह सिद्धांत भली-भांति सिखाया गया है; दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करो।'

इस प्रकार इन पूजनीय व्यक्तियों को उपसंपदा दीक्षा प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध ने इन भिक्षुओं को धर्म विषय पर प्रवचन द्वारा उपदेश और शिक्षा प्रदान की। धर्म विषय पर प्रवचन द्वारा भगवान बुद्ध से उपदेश और शिक्षा प्राप्त करते हुए, उनका मन संसार से आसक्ति से मुक्त हो गया और वे आसवों से मुक्त हो गए।

उस समय विश्व में ये ग्यारह अरहत थे।

यहां चार गृहस्थों के दीक्षा समारोह की कहानी समाप्त होती है।

<<<< पिछला(1.8) | अगला(1.10) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.9) | अगला(1.11) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-10: पचास गृहस्थों, यासा के मित्रों के दीक्षा समारोह की कहानी।

अब पचास गृहस्थ, पूज्य यासा के मित्र, जो देश के सर्वोच्च परिवारों और उनसे कुछ कम सर्वोच्च परिवारों से संबंधित थे, ने सुना, ... (अध्याय 9, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 से आगे तक, आदि)। जब उन्होंने धम्म से संबंधित प्रवचन द्वारा भगवान बुद्ध से उपदेश और शिक्षा प्राप्त की, तो उनका मन संसार से आसक्ति से मुक्त हो गया और वे आसवों से मुक्त हो गए।

उस समय दुनिया में इकसठ अरहत थे।

<<<< पिछला(1.9) | अगला(1.11) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.10) | अगला(1.12) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-11: मारा (मृत्युदेव) की निराशा की कहानी।

1. भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, मैं सभी मानवीय और दैवीय बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। हे भिक्षुओं, तुम भी सभी मानवीय और दैवीय बंधनों से मुक्त हो गए हो। अब जाओ, हे भिक्षुओं, और अनेकों के लाभ के लिए, अनेकों के कल्याण के लिए, संसार के प्रति करुणा से, देवताओं और मनुष्यों के भले, लाभ और कल्याण के लिए भ्रमण करो। तुममें से दो एक ही मार्ग पर न चलें। हे भिक्षुओं, उस सिद्धांत का प्रचार करो जो आरंभ में, मध्य में और अंत में गौरवशाली है, आत्मा और अक्षर दोनों में; पूर्ण, परिपूर्ण और पवित्र जीवन की घोषणा करो। ऐसे प्राणी हैं जिनके मानसिक नेत्र लगभग धूल से ढके नहीं हैं, परन्तु यदि उन्हें सिद्धांत का उपदेश न दिया जाए, तो वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। वे सिद्धांत को समझ लेंगे।' और मैं भी, हे भिक्षुओं, उरुवेला के सेनानिनिगामा में जाकर धर्म का प्रचार करूंगा।

2. दुष्ट मारा उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध को निम्नलिखित श्लोक में संबोधित किया: 'आप सभी मानवीय और दिव्य बंधनों से बंधे हुए हैं। आप मजबूत बंधनों से बंधे हुए हैं। हे समना (भिक्षु)! आप मुझसे मुक्त नहीं हो सकते।'

बुद्ध ने उत्तर दिया: 'मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ, मानवीय और दैवीय। मैं मजबूत बंधनों से मुक्त हूँ। हे मृत्यु, तुम पराजित हो।'

(मारा ने कहा): 'वह बंधन जो आकाश में व्याप्त है, जिससे मन बंधा हुआ है, उसी बंधन से मैं तुम्हें बांधूंगा। हे समना (भिक्षु) तुम मुझसे मुक्त नहीं हो पाओगे।'

(बुद्ध ने उत्तर दिया): 'इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले सभी रूप, ध्वनियाँ, गंध, स्वाद या स्पर्श, मेरे भीतर उनके प्रति कोई इच्छा नहीं रह गई है। हे मृत्यु, तुम पराजित हो।'

तब दुष्ट मारा को समझ आया: 'भगवान बुद्ध मुझे जानते हैं, पूर्ण पुरुष मुझे जानते हैं,' और दुखी और पीड़ित होकर वह गायब हो गया।

यहां मारा (मृत्युदेव) की कहानी समाप्त होती है।

<<<< पिछला(1.10) | अगला(1.12) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.11) | अगला(1.13) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-12: बुद्ध अन्य भिक्षुओं द्वारा दीक्षा की अनुमति देते हैं।

1. उस समय भिक्षु विभिन्न क्षेत्रों और देशों से उन व्यक्तियों को (बुद्ध के पास) लाए जो पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे, यह सोचकर कि 'भगवान बुद्ध उन्हें पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करेंगे।' इस प्रकार भिक्षु और वे दोनों ही (यात्रा से) थक गए जो पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। अब जब भगवान बुद्ध अकेले थे और एकांत में चले गए थे, तो उनके मन में यह विचार आया: 'भिक्षु अब विभिन्न क्षेत्रों और देशों से उन व्यक्तियों को मेरे पास लाते हैं जो पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यह सोचकर कि "भगवान बुद्ध उन्हें पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करेंगे।" अब भिक्षु और वे दोनों ही (पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं) थक गए हैं। यदि मैं भिक्षुओं को यह अनुमति देते हुए कहूँ: "हे भिक्षुओं, अब से विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न देशों में, जो लोग पब्बज्जा और उपसम्पदा दीक्षाएँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आप स्वयं दीक्षाएँ प्रदान करें, तो क्या होगा?"

2. और भगवान बुद्ध ने उस समय संध्याकाल में एकांतवास छोड़कर, इस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद, भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'जब मैं एक भिक्षु के रूप में एकांत में था और एकांतवास में गया था, तब मैंने निम्नलिखित बातों पर विचार किया, इत्यादि। यदि मैं अनुमति दे दूँ, तो क्या होगा, ...' (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में है)।

3. हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें यह अनुमति देता हूँ: अब से विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न देशों में तुम स्वयं (जो लोग दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं) उन्हें पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करो। और हे भिक्षुओं, तुम्हें पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए: जो दीक्षा प्राप्त करना चाहता है, वह पहले अपने बाल और दाढ़ी कटवा ले; पीले वस्त्र धारण करे, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, भिक्षुओं के चरणों को (सिर झुकाकर) प्रणाम करे और उकड़ू बैठ जाए; फिर अपने हाथ जोड़कर उसे यह कहने को कहा जाए:

4. "मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धम्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। और दूसरी बार मैं संघ की शरण लेता हूँ। और तीसरी बार मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, और तीसरी बार मैं धम्म की शरण लेता हूँ, और तीसरी बार मैं संघ की शरण लेता हूँ।"

'मैं भिक्षुओं को पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षाओं का निर्देश देता हूँ, जिनमें तीन बार (पवित्र त्रिरत्न - तीन रत्नों - की शरण लेने की) घोषणा करना शामिल है।'

शरण लेने की त्रिविध घोषणा द्वारा उपसम्पदा दीक्षा के वृत्तांत का समापन।

<<<< पिछला(1.11) | अगला(1.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.13

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.12) | अगला(1.14) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-13: मारा (मृत्युदेव) की एक और निराशा।

1. वर्षा ऋतु में निवास करने के बाद, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, बुद्धिमानीपूर्ण ध्यान और बुद्धिमानीपूर्ण परिश्रम से मैंने सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त किया है, सर्वोच्च मोक्ष का अनुभव किया है। हे भिक्षुओं, तुम भी बुद्धिमानीपूर्ण ध्यान और बुद्धिमानीपूर्ण परिश्रम से सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त करो, सर्वोच्च मोक्ष का अनुभव करो।'

2. दुष्ट मारा उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध को निम्नलिखित श्लोक से संबोधित किया: 'आप मारा के बंधनों में जकड़े हुए हैं, मानवीय और दिव्य दोनों। आप मजबूत बंधनों में जकड़े हुए हैं। हे समना (भिक्षु)! आप मुझसे मुक्त नहीं होंगे।'

(बुद्ध ने उत्तर दिया): 'मैं मारा के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, चाहे वे मानवीय हों या दिव्य। मैं उन मजबूत बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। हे मृत्यु, तुम पराजित हो।'

तब दुष्ट मारा को समझ आया: 'भगवान बुद्ध मुझे जानते हैं, पूर्ण पुरुष मुझे जानते हैं;' और दुखी और पीड़ित होकर वह गायब हो गया।

<<<< पिछला(1.12) | अगला(1.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.14

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.13) | अगला(1.15) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-14: तीस धनी युवा साथियों के दीक्षा संस्कार की कहानी।

1. भगवान बुद्ध ने बनारस में कुछ समय निवास करने के बाद उरुवेला की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाकर वे मार्ग छोड़कर एक उपवन में गए; वहाँ प्रवेश करके वे एक वृक्ष के चरणों में बैठ गए। उस समय वहाँ तीस धनी युवकों का एक समूह अपनी पत्नियों के साथ खेल रहा था। उनमें से एक की पत्नी नहीं थी; उसके लिए उन्होंने एक वेश्या का प्रबंध किया था। जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे और अपने खेल में मग्न थे, तब उस वेश्या ने उनका सामान उठाया और भाग गई।

2. तब वे सहाबी अपने मित्र की सेवा करते हुए उस स्त्री की खोज में निकल पड़े; और उस उपवन में घूमते हुए उन्होंने भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। उन्हें देखकर वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध ने किसी स्त्री को यहाँ से गुजरते देखा है?'

'युवकों, तुम्हारा उस स्त्री से क्या लेना-देना है?'

'हे प्रभु, हम इस उपवन में तीस धनी युवकों सहित अपने-अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। हममें से एक की पत्नी नहीं थी; उसके लिए हमने एक वेश्या का प्रबंध किया था। हे प्रभु, जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे और खेल में मग्न थे, तब उस वेश्या ने हमारी वस्तुएँ उठाकर भाग गई। इसलिए, हे प्रभु, हम साथी अपने मित्र की सेवा करते हुए उस स्त्री की खोज में इस उपवन में छानबीन करें।'

3. 'अब तुम क्या सोचते हो, नौजवानों? तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा; कि तुम किसी स्त्री की खोज में जाओ, या कि तुम स्वयं की खोज में जाओ?'

'हे प्रभु, हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम स्वयं की खोज में निकलें।'

'यदि ऐसा है, तो नौजवानों, बैठ जाओ, मैं तुम्हें सत्य (धम्म) का उपदेश दूंगा।'

धनी युवक साथियों ने उत्तर दिया: 'जी प्रभु,' और आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए।

4. तब भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया, ... (आदि, जैसा कि अध्याय 8. 2 या 9. 3 में है)।

5. और सत्य को देखकर, ... (आदि, जैसा कि अध्याय 9.4 से आगे तक है)। इस प्रकार इन पूजनीय व्यक्तियों ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की।

तीस धनी युवा साथियों की कहानी यहीं समाप्त होती है।

दूसरे भानवरा का समापन।

<<<< पिछला(1.13) | अगला(1.15) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.14) | अगला(1.16) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-15: पहला चमत्कार-बुद्ध ने कश्यप के आश्रम में एक भयंकर सर्प को वश में किया

1. भगवान बुद्ध स्थान-स्थान भटकते हुए उरुवेला आए। उस समय उरुवेला में तीन जटिल (लंबे बालों वाले संन्यासी) निवास करते थे: उरुवेला कस्सपा, नदी कस्सपा (नेरंजारा नदी के कस्सपा) और गया कस्सपा (गया गाँव के कस्सपा)। इनमें से जटिल उरुवेला कस्सपा पाँच सौ जटिलों के मुखिया, नेता, प्रमुख और सर्वोच्च थे; नदी कस्सपा तीन सौ जटिलों के मुखिया थे (आदि, सर्वोच्च तक) और गया कस्सपा दो सौ जटिलों के मुखिया थे (आदि, सर्वोच्च तक)।

2. और भगवान बुद्ध जटिला उरुवेला कस्सपा के आश्रम में गए; वहाँ पहुँचकर उन्होंने जटिला उरुवेला कस्सपा से कहा: 'यदि आपको कोई आपत्ति न हो, कस्सपा, तो मुझे उस कमरे में एक रात बिताने दें जहाँ आपकी (पवित्र) अग्नि रखी जाती है।'

'हे महान समना (बुद्ध), मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक भयंकर नाग राजा है जिसके पास अपार जादुई शक्ति है, वह एक बेहद विषैला सर्प है; कृपया उसे आपको कोई हानि न पहुँचाने दें।'

और दूसरी बार भगवान बुद्ध ने जटिला उरुवेला कस्सपा से कहा: 'यदि यह अप्रिय न हो,' इत्यादि।

'यह अप्रिय नहीं है,' इत्यादि।

और तीसरी बार भगवान बुद्ध ने कहा: 'यदि यह अप्रिय न हो,' इत्यादि।

'यह अप्रिय नहीं है,' इत्यादि।

'उससे मुझे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। हे कस्सपा, कृपया मुझे उस कमरे में जगह दें जहाँ आपकी अग्नि रखी जाती है।'

'हे महान समना (बुद्ध), आप अपनी इच्छा अनुसार वहीं ठहरिए।'

3. तब भगवान बुद्ध उस कमरे में गए जहाँ अग्नि रखी थी, उन्होंने घास का पलंग बनाया और पालथी मारकर बैठ गए, शरीर को सीधा रखते हुए और मन को सचेत रखते हुए। नाग ने देखा कि भगवान बुद्ध अंदर आ गए हैं; यह देखकर वह क्रोधित और चिढ़ गया और धुएँ का बादल छोड़ दिया। तब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'यदि मैं इस नाग की खाल, मांस, स्नायुबंधन, हड्डियाँ और मज्जा को अक्षुण्ण छोड़ दूँ, परन्तु जो अग्नि यह छोड़ेगा उसे अपनी अग्नि से पराजित कर दूँ तो क्या होगा?'

4. भगवान बुद्ध ने चमत्कारिक शक्ति का उचित प्रयोग करते हुए धुएँ का बादल उत्पन्न किया। तब नाग, जो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका, ने ज्वालाएँ उत्पन्न कीं। और भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को अग्नि में परिवर्तित करके ज्वालाएँ उत्पन्न कीं। जब दोनों अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित हुए, तो अग्नि कक्ष ऐसा प्रतीत हुआ मानो जल रहा हो, जैसे सब कुछ लपटों में घिरा हो। और अग्नि कक्ष के चारों ओर स्थित जटिलों ने कहा: 'सचमुच, महान समना (बुद्ध) का मुख सुंदर है, परन्तु नाग उन्हें हानि पहुँचाएगा।'

5. उस रात के बीत जाने पर, भगवान बुद्ध ने उस नाग की खाल, मांस, स्नायुओं, हड्डियों और मज्जा को अक्षुण्ण रखते हुए, अपनी अग्नि से नाग की अग्नि पर विजय प्राप्त कर, उसे अपने भिक्षापात्र में डाल दिया और उसे जटिला उरुवेला कस्सपा को दिखाते हुए कहा, 'देखो, कस्सपा; मेरी अग्नि ने उसकी अग्नि पर विजय प्राप्त कर ली है।' तब जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा, 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियाँ और महान क्षमताएँ हैं, क्योंकि वे अपनी अग्नि से उस क्रूर नाग राजा की अग्नि पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो जादुई शक्ति से युक्त है, वह भयानक विषैला सर्प है। परन्तु वे मेरी तरह पवित्र (अरह) नहीं हैं।'

6. नेरंजारा नदी के पास भगवान बुद्ध ने जटिला उरुवेला कस्सपा से कहा: 'यदि आपको कोई आपत्ति न हो, कस्सपा, तो मुझे इस चांदनी रात में आपके अग्नि कक्ष में रहने दें।'

'हे महान समना (बुद्ध), मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ। वहाँ एक क्रूर नागराज है जिसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, एक भयानक विषैला सर्प; उसे आपको कोई हानि न पहुँचाने दें।'

'उससे मुझे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है; हे कस्सपा, कृपया मुझे अपने अग्नि कक्ष में स्थान दें।'

जब उन्होंने देखा कि कश्यप ने अनुमति दे दी है, तो निर्भीक होकर, जिन्होंने सभी भय पर विजय प्राप्त कर ली थी, उन्होंने प्रवेश किया। जब नागों के मुखिया ने ऋषि को प्रवेश करते देखा, तो वह क्रोधित हो गया और उसने धुएं का बादल छोड़ दिया। तब मनुष्यों के मुखिया ने भी प्रसन्न और शांत भाव से धुएं का बादल छोड़ दिया। अपने क्रोध पर काबू न रख पाने के कारण, नागों के मुखिया ने जलती हुई आग

के समान लपटें छोड़ीं। तब अग्नि तत्व के पूर्ण स्वामी, मनुष्यों के मुखिया ने भी लपटें छोड़ीं। जब दोनों अपनी लपटों से चमक उठे, तो जटिलों ने अग्नि कक्ष की ओर देखकर कहा, 'सचमुच महान समना (बुद्ध) का चेहरा सुंदर है, परन्तु नाग उन्हें हानि पहुँचाएगा।'

7. और जब वह रात बीत गई, तो नाग की ज्वालाएँ बुझ गईं, परन्तु जादुई शक्तियों से युक्त उस व्यक्ति की विभिन्न रंगों की ज्वालाएँ बनी रहीं। अंगिरस (बुद्ध) के शरीर पर गहरे नीले और लाल, हल्के लाल, पीले और विभिन्न रंगों की क्रिस्टलीय ज्वालाएँ प्रकट हुईं। नागों के सरदार को अपने भिक्षापात्र में डालकर उन्होंने ब्राह्मण को दिखाया और कहा, 'देखो, कस्सपा, नाग; उसकी अग्नि मेरी अग्नि से पराजित हो गई है।'

और इस चमत्कार के फलस्वरूप, जटिला उरुवेला कस्सपा को भगवान बुद्ध से स्नेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे महान समना (बुद्ध), मेरे साथ रहिए, मैं आपको प्रतिदिन भोजन प्रदान करूंगा।'

पहले चमत्कार का अंत।

<<<< पिछला(1.14) । अगला(1.16) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.16

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.15) । अगला(1.17) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-16: दूसरा चमत्कार-चार स्वर्गिक राजाओं का बुद्ध से मिलना

1. भगवान बुद्ध जटिला उरुवेला कस्सपा के आश्रम के पास एक वनक्षेत्र में निवास करते थे। एक सुंदर रात्रि को चारों महाराजा (महान राजा) अपने तेज रंग से पूरे वनक्षेत्र को प्रकाश से भरते हुए भगवान बुद्ध के स्थान पर गए; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके वे चारों दिशाओं में विशाल मशालों की तरह खड़े हो गए।

2. और जब वह रात बीत गई, तो जटिला उरुवेला कस्सपा उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे महान समना (बुद्ध), भोजन तैयार है। हे महान समना, वे कौन थे जो इस सुंदर रात में, अपने तेज रंग से पूरे उपवन को प्रकाश से भरते हुए, आपके पास आए और आपके पास आकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और चारों दिशाओं में बड़ी-बड़ी मशालों की तरह खड़े हो गए?'

'वे चार महाराजा (महान राजा), कश्यप थे, जो मेरे उपदेश सुनने के लिए मेरे पास आए थे।'

तब जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा: 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियां और महान प्रतिभाएं हैं, क्योंकि चारों महाराज (महान राजा) भी उनके उपदेश सुनने आते हैं। हालांकि, वे मेरी तरह पवित्र नहीं हैं।'

और भगवान बुद्ध ने जटिला उरुवेला कस्सपा द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण किया और उसी उपवन में ठहरे रहे।

दूसरे चमत्कार का अंत।

<<<< पिछला(1.15) । अगला(1.17) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.17

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.16) | अगला(1.18) >>>>

महावग्गा

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-17: तीसरा चमत्कार-सक्रा (इंद्र, स्वर्ग के राजा) बुद्ध से मिलने आते हैं।

1. और एक सुंदर रात को, देवों के राजा सक्का (सक्र या इंद्र), अपने तेज रंग से पूरे उपवन को प्रकाश से भरते हुए, उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम करके, वे एक विशाल मशाल की तरह उनके निकट खड़े हो गए, जो सौंदर्य और चमक में पूर्व के सभी रूपों की भव्यता को पार कर गए।

2. और जब वह रात बीत गई (आदि, जैसा कि अध्याय 16.2 में है)।

तीसरे चमत्कार का अंत।

<<<< पिछला(1.16) | अगला(1.18) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.18

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.17) | अगला(1.19) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-18: चौथा चमत्कार-ब्रह्मा (प्रधान देवदूत) सहमपति ने बुद्ध से पुनः मुलाकात की

और एक खूबसूरत रात में ब्रह्मा सहमपति (आदि, जैसा कि अध्याय 17 में है)।

चौथे अजूबे का अंत।

<<<< पिछला(1.17) | अगला(1.19) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.19

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.18) | अगला(1.20) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-19: पांचवां चमत्कार-बुद्ध कश्यप के विचारों को समझते हैं।

1. उस समय, जटिला उरुवेला कस्सपा द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ निकट आ रहा था, और अंग और मगध के सभी लोग प्रचुर मात्रा में भोजन (कठोर और नरम दोनों प्रकार का) लेकर उस यज्ञ में जाना चाहते थे। अब जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा: 'मेरा महान यज्ञ निकट आ रहा है, और अंग और मगध के सभी लोग आएंगे और अपने साथ प्रचुर मात्रा में भोजन (कठोर और नरम दोनों प्रकार का) लाएंगे। यदि महान समना (बुद्ध) उस विशाल सभा के समक्ष कोई चमत्कार कर दें, तो महान समना (बुद्ध) का लाभ और सम्मान बढ़ेगा, और मेरा लाभ और सम्मान घटेगा। अच्छा, महान समना (बुद्ध) कल यहाँ प्रकट न हों।'

2. तब भगवान बुद्ध ने अपने मन की शक्ति से जटिला उरुवेला कस्सपा के मन में उठे इस विचार को समझकर उत्तरा कुरु गए; वहाँ भिक्षा माँगकर उन्होंने प्राप्त भोजन को अनोत्तट्टा झील पर ले गए; वहाँ उन्होंने भोजन किया और दिन की भीषण गर्मी में वहीं विश्राम किया।

और जब रात बीत गई, तो जटिला उरुवेला कस्सपा उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे महान समना (बुद्ध), भोजन तैयार है। हे महान समना (बुद्ध), आप कल क्यों नहीं आए? हमने आपके बारे में सोचा था: "हे महान समना (बुद्ध) क्यों नहीं आए?" और आपके लिए कठोर और नरम दोनों प्रकार के भोजन परोसे गए थे।'

3. (बुद्ध ने उत्तर दिया): 'क्या तुमने नहीं सोचा, कश्यप: "अभी मेरा महान यज्ञ (आदि, जैसा ऊपर नीचे तक है)। खैर, महान समना (बुद्ध) कल यहाँ प्रकट नहीं होंगे?"

4. 'हे कस्सपा, अब मैं अपने मन की शक्ति से तुम्हारे मन में उठे इस विचार को समझ गया और उत्तरा कुरु गया; वहाँ भिक्षा माँगकर मैंने भोजन अनोटत्ता झील पर ले गया; वहाँ मैंने भोजन किया और दिन की भीषण गर्मी में वहीं विश्राम किया।'

तब जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा: 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियाँ और महान क्षमताएँ हैं, क्योंकि वे अपने मन की शक्ति से अन्य लोगों के विचारों को समझ सकते हैं। हालाँकि, वे मेरे समान पवित्र नहीं हैं।' और भगवान बुद्ध ने भोजन किया (आदि, जैसा कि अध्याय 16, 2 में है)।

पांचवें चमत्कार का अंत।

<<<< पिछला(1.18) | अगला(1.20) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.20
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.19) | अगला(1.21) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-20: सैकड़ों भिक्षुओं के दीक्षा संस्कार का मार्ग प्रशस्त करने वाले अनेक अन्य चमत्कार

1. उस समय भगवान बुद्ध ने कूड़े के ढेर से कुछ चिथड़े उठाए (जिनसे वे अपने लिए वस्त्र बनाने वाले थे)। तब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'मैं इन चिथड़ों को कहाँ धोऊँ?' तब देवताओं के राजा सक्का ने भगवान बुद्ध के मन में उठे विचार को समझकर अपने हाथों से एक तालाब खुदवाया और भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध इन चिथड़ों को यहाँ धो सकते हैं?'

और भगवान बुद्ध ने सोचा, 'मैं इन चिथड़ों को किस पर रगड़ूँ?' तब देवताओं के राजा सक्का ने यह समझकर, इत्यादि, वहाँ एक बड़ा पत्थर रख दिया और कहा, 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध इस पत्थर पर इन चिथड़ों को रगड़ सकते हैं?'

2. तब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'तालाब से ऊपर जाते समय मुझे क्या पकड़ना चाहिए?' तब एक देवता, जो काकुधा वृक्ष में निवास करते थे, ने समझकर, एक शाखा झुकाई और कहा, 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध तालाब से ऊपर जाते समय इस शाखा को पकड़ सकते हैं?'

और भगवान बुद्ध ने सोचा, 'मैं इन चिथड़ों को सुखाने के लिए किस पर रखूँ?' तब देवताओं के राजा सक्का ने यह समझकर, इत्यादि, वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा और कहा, 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध इन चिथड़ों को इस पत्थर पर रख सकते हैं?'

3. जब वह रात बीत गई, तो जटिला उरुवेला कस्सपा उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे महान समना (बुद्ध), भोजन तैयार है। हे महान समना (बुद्ध), यह क्या है? पहले यहाँ कोई तालाब नहीं था, और अब यह तालाब है। पहले यहाँ कोई पत्थर नहीं रखा गया था; यह पत्थर किसने रखा है? पहले यह ककुधा वृक्ष अपनी शाखाएँ नहीं झुकाता था, और अब यह शाखा झुकी हुई है।'

4. 'मैंने कशप, कूड़े के ढेर से कुछ चिथड़े उठाए थे; और मैंने सोचा, कशप: "मैं इन चिथड़ों को कहाँ धोऊँ?" तब, कशप, देवताओं के राजा सक्का ने मेरे मन में उठे विचार को समझकर अपने हाथ से एक कुंड खोदा और मुझसे कहा: "हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध इन चिथड़ों को यहाँ धोएँगे?" इस प्रकार यह कुंड एक अमानवीय प्राणी के हाथों से खोदा गया है।'

और मैंने सोचा, कश्यप: "मैं इन चिथड़ों को किस पर रगड़ूँ?" फिर, कश्यप, सक्का, इत्यादि। इस प्रकार इस पत्थर को यहाँ किसी अमानवीय प्राणी ने रखा है।

5. 'और मैंने सोचा, कश्यप: "तालाब से ऊपर जाते समय मैं क्या पकड़ूँ?" तब, कश्यप, एक देवता, इत्यादि। इस प्रकार यह ककुधा वृक्ष मेरे हाथ के लिए सहारे का काम करता है।'

और मैंने सोचा, कश्यप: "मैं इन चिथड़ों को सुखाने के लिए कहाँ रखूँ?" फिर, कश्यप, सक्का, इत्यादि। इस प्रकार इस पत्थर को यहाँ किसी अमानवीय प्राणी ने रखा है।'

6. तब जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा: 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियां और महान क्षमताएं हैं, क्योंकि देवों के राजा सक्का उनकी सेवा करते हैं। हालांकि, वे मेरी तरह पवित्र नहीं हैं।'

और भगवान बुद्ध ने खाया (आदि, जैसा कि अध्याय 16.2 में है)।

7. और जब वह रात बीत गई, तो जटिला उरुवेला कस्सपा उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को यह कहते हुए सूचित किया कि समय हो गया है, 'हे महान समना (बुद्ध), भोजन तैयार है।'

(बुद्ध ने उत्तर दिया): 'जाओ, कस्सपा; मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा।'

इस प्रकार जटिला उरुवेला कस्सपा को विदा करने के बाद, वह जंबू के पेड़ से एक फल तोड़ने गया, जिसके नाम पर जंबूद्वीप (जंबू द्वीप, या भारत) नामक इस महाद्वीप का नाम रखा गया है; फिर कस्सपा के सामने पहुँचकर वह उस कमरे में बैठ गया जहाँ कस्सपा की (पवित्र) अग्नि रखी जाती थी।

8. तब जटिला उरुवेला कस्सपा ने भगवान बुद्ध को अग्नि कक्ष में बैठे हुए देखा; उन्हें देखकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे महान समना (बुद्ध) आप किस मार्ग से आए हैं? मैं आपसे पहले चला गया और आप मुझसे पहले आकर अग्नि कक्ष में बैठे हैं।'

9. 'जब मैंने तुम्हें विदा किया, कस्सपा, तो मैं जंबू के पेड़ से एक फल तोड़ने गया, जिसके नाम पर जंबूद्वीप नामक इस महाद्वीप का नाम पड़ा है; फिर मैं तुम्हारे सामने आया और अग्नि-कक्ष में बैठ गया। यह रहा जंबू का फल, कस्सपा, यह सुंदर, सुगंधित और स्वाद से भरपूर है; यदि तुम चाहो तो इसे खा सकते हो।'

'नहीं, हे महान समना (बुद्ध), इसे खाना केवल आपके लिए ही उचित है; आप इसे स्वयं खा लें।'

और जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा: 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियां और महान क्षमताएं हैं, क्योंकि वे मुझे अपने से पहले भेजकर, उस जंबू वृक्ष से फल तोड़कर, जिसके नाम पर जंबूद्वीप महाद्वीप का नाम पड़ा है, मेरे सामने आकर अग्नि कक्ष में बैठ गए। हालांकि, वे मेरे समान पवित्र नहीं हैं।'

और भगवान बुद्ध ने खाया (आदि, जैसा कि अध्याय 16.2 में है)।

10. और जब वह रात बीत गई (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 7 में नीचे तक है)। इस प्रकार जटिला उरुवेला कस्सपा को विदा करके, वह जंबू वृक्ष के पास उगने वाले आम के पेड़ से एक फल तोड़ने गया, जिसके नाम पर जंबूद्वीप नामक इस महाद्वीप का नाम रखा गया है, आदि। वह जंबू वृक्ष के पास उगने वाले पीले मायरोबलन के पेड़ से एक फल तोड़ने गया, आदि। वह तावतिंसा स्वर्ग में परिक्खत्तक (या परिगतक) फूल तोड़ने गया; फिर कस्सपा के सामने पहुँचकर वह अग्नि कक्ष में बैठ गया। तब जटिला उरुवेला कस्सपा ने देखा (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 8 में है)।

11. 'जब मैंने तुम्हें विदा किया, कस्सपा, मैं तावतिंसा स्वर्ग में परिक्खत्तक फूल तोड़ने गया; फिर मैं तुम्हारे सामने आया और अग्नि कक्ष में बैठ गया। यह परिक्खत्तक फूल है, कस्सपा; यह सुंदर और सुगंधित है; यदि तुम चाहो तो इसे ले सकते हो।'

'नहीं, हे महान समना (बुद्ध), इसे अपने पास रखना केवल आपके लिए ही उचित है; इसे स्वयं अपने पास रखें।'

और जटिला (आदि, जैसा कि § 9 में है)। 'वह, हालांकि, मेरे समान पवित्र नहीं है।'

12. उस समय एक दिन, जोतील अपने पवित्र अग्नि की सेवा करना चाहते थे, वे लकड़ियाँ काटने में सफल नहीं हो सके। तब उन जोतीलों ने सोचा:

'निःसंदेह यह महान समना (बुद्ध) की जादुई शक्ति और उच्च क्षमता है कि हम लकड़ी को चीरने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।' तब भगवान बुद्ध ने जटिला उरुवेला कस्सपा से कहा: 'क्या लकड़ी चीर दी जाए, कस्सपा?'

'हे महान समना (बुद्ध) इसे विभाजित होने दो।'

फिर पल भर में ही पाँच सौ लकड़ियाँ फट गईं। और जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा: 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियाँ और अद्‌भुत क्षमताएँ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से लकड़ियाँ भी स्वतः फट जाती हैं। लेकिन वे मेरी तरह पवित्र नहीं हैं।'

13. उस समय जो जटिलाएँ अपनी पवित्र अग्नि की सेवा करना चाहती थीं, वे अग्नि प्रज्वलित करने में सफल नहीं हो सकीं (आदि, जैसा कि पिछली कहानी में है)।

14. उस समय जाटिलाओं ने अपनी पवित्र अग्नि की देखभाल करने के बाद भी आग बुझाने में सफलता नहीं पाई (आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है)।

15. उस समय, शीत ऋतु की ठंडी रातों में, अष्टक पर्वों के बीच, जब बर्फ गिरती थी, तब जटिलाएँ नेरंजारा नदी में डुबकी लगातीं और फिर बाहर निकलतीं, और बार-बार ऐसा करतीं। तब भगवान बुद्ध ने जलती हुई अग्नि से पाँच सौ पात्र बनाए; नदी से बाहर आने वाली जटिलाओं ने उन पात्रों से खुद को गर्म किया। जटिलाओं ने सोचा, 'निस्संदेह यह महान समना (बुद्ध) की जादुई शक्ति और उच्च क्षमता का ही परिणाम है कि अग्नि से भरे ये पात्र यहाँ प्रकट हुए हैं।' जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा, 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियाँ और महान क्षमताएँ हैं, क्योंकि वे अग्नि से इतने बड़े पात्र बना सकते हैं। परन्तु वे मेरे समान पवित्र नहीं हैं।'

16. उस समय असमय भारी वर्षा हुई और भयंकर बाढ़ आ गई। भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे, वह स्थान जलमग्न हो गया। तब भगवान बुद्ध ने सोचा, 'यदि मैं चारों ओर से जल को पीछे हटा दूँ और जल के बीचोंबीच धूल से ढकी किसी जगह पर इधर-उधर चलूँ तो क्या होगा?' और भगवान बुद्ध ने चारों ओर से जल को पीछे हटा दिया और वे जल के बीचोंबीच धूल से ढकी किसी जगह पर इधर-उधर चलने लगे।

और जटिला उरुवेला कस्सपा, जिन्हें डर था कि कहीं जल बुद्ध को बहाकर न ले जाए, अनेक जटिलाओं के साथ नाव में बैठकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध निवास करते थे। तब जटिला उरुवेला कस्सपा ने भगवान बुद्ध को देखा, जिन्होंने चारों ओर जल को पीछे हटा दिया था, और वे धूल से ढके एक स्थान पर जल के बीचोंबीच चल रहे थे। उन्हें देखकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, 'क्या आप वहाँ हैं, हे महान समना (बुद्ध)?'

'मैं यहाँ हूँ, कश्यप,' भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, और वे हवा में उठे और नाव में बैठ गए।

और जटिला उरुवेला कस्सपा ने सोचा: 'सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियां और महान क्षमताएं हैं, क्योंकि पानी उन्हें बहाकर नहीं ले जाता। हालांकि, वे मेरी तरह पवित्र नहीं हैं।'

17. तब भगवान बुद्ध ने सोचा: 'यह मूर्ख व्यक्ति लंबे समय तक यही सोचता रहेगा: "सचमुच महान समना (बुद्ध) के पास उच्च जादुई शक्तियां और महान क्षमताएं हैं; फिर भी वे मेरे समान पवित्र नहीं हैं।" यदि मैं इस जटिला का मन बदल दूं (ताकि उसे अपनी श्रेष्ठता दिखा सकूं) तो क्या होगा?'

और भगवान बुद्ध ने जटिला उरुवेला कस्सपा से कहा: 'हे कस्सपा, तुम न तो पवित्र (अरह) हो, न ही तुमने अरहतत्व के मार्ग में प्रवेश किया है, और न ही तुम ऐसा कोई अभ्यास करते हो जो तुम्हें अरहतत्व की ओर ले जाए।'

तब जटिला उरुवेला में कस्सपा ने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मुझे भगवान बुद्ध से दीक्षा और उपसम्पदा प्राप्त करने की कृपा करें।'

18. (बुद्ध ने उत्तर दिया): 'हे कस्सपा, तुम पाँच सौ जटिलों के मुखिया, नेता, अग्रणी, प्रथम और सर्वोच्च हो; पहले जाओ और उन्हें अपने इरादे से अवगत कराओ, और उन्हें वह करने दो जो वे उचित समझें।'

तब जटिला उरुवेला कस्सपा उन जटिलाओं के पास गए; उनके पास जाकर उन्होंने उन जटिलाओं से कहा: 'हे महोदय, मैं महान समना (बुद्ध) के मार्गदर्शन में धर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ; आप जो चाहें कर सकते हैं।'

(जटिलों ने उत्तर दिया): 'हे महोदय, हमें महान समना (बुद्ध) के प्रति बहुत पहले से स्नेह है; यदि आप महान समना के मार्गदर्शन में धर्ममय जीवन का नेतृत्व करेंगे, तो हम सभी महान समना के मार्गदर्शन में धर्ममय जीवन व्यतीत करेंगे।'

19. तब जाटिलाओं ने अपने बाल, अपनी चोटियाँ, अपना भोजन और अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री नदी में बहा दी और भगवान बुद्ध के पास गईं; उनके पास पहुँचकर और उनके चरणों में सिर झुकाकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, हमें भगवान बुद्ध से पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षाएँ प्राप्त करने की अनुमति दें।'

भगवान बुद्ध ने कहा, 'हे भिक्षुओं, आओ, यह सिद्धांत भली-भांति सिखाया गया है; दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करो।'

इस प्रकार इन पूजनीय व्यक्तियों को उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त हुई।

20. जटिला नदी कस्सपा ने नदी के साथ बहकर आए हुए केले, चोटियाँ, रसद और अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री देखी; यह देखकर उन्हें भय हुआ कि कहीं उनके भाई पर कोई विपत्ति न आ पड़ी हो। उन्होंने कुछ जटिलाओं को यह कहकर भेजा, 'जाओ और मेरे भाई की देखभाल करो,' और स्वयं अपने तीन सौ जटिलाओं के साथ पूज्य उरुवेला कस्सपा के पास गए; उनके पास पहुँचकर उन्होंने पूज्य उरुवेला कस्सपा से कहा, 'अब, कस्सपा, क्या यह आनंद है?'

(उरुवेला कस्सपा ने उत्तर दिया): 'हाँ, मित्र, यही तो परमानंद है।'

21. और जाटिला (जो नादि कस्सपा के साथ आए थे) (आदि, जैसा कि § 19 में है)।

22. और जटिल गया कस्सपा ने देखा (आदि, जैसा कि § 20 में है); यह देखकर उसे डर लगा कि कहीं उसके भाइयों पर कोई विपत्ति न आ पड़ी हो। उसने कुछ जटिलों को यह कहकर भेजा, 'जाओ और मेरे भाइयों की देखभाल करो,' और स्वयं अपने दो सौ जटिलों के साथ पूज्य उरुवेला कस्सपा के पास गया (आदि, जैसा कि ऊपर है)।

23. और जटिला (जो गया कस्सपा के साथ आए थे) (आदि, जैसा कि § 19 में है)।

24. भगवान बुद्ध के आदेश पर पाँच सौ लकड़ियाँ जो फट नहीं रही थीं, फट गईं; आग जो जल नहीं रही थी, जल उठी; बुझ नहीं रही थी, बुझ गई; इसके अलावा उन्होंने आग से पाँच सौ बर्तन बनाए। इस प्रकार इन चमत्कारों की संख्या तीन हज़ार पाँच सौ है।

<<<< पिछला(1.19) | अगला(1.21) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खण्डक >> 1.21
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.20) । अगला(1.22) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-21: सब कुछ जल रहा है - गयासिसा में एक हजार भिक्षुओं को उपदेश देना।

1. भगवान बुद्ध ने उरुवेला में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद, बड़ी संख्या में भिक्षुओं, एक हजार भिक्षुओं (जो सभी पूर्व में जटिल थे) के साथ गयासिसा के लिए प्रस्थान किया। वहाँ गया के निकट, गयासिसा में, भगवान बुद्ध उन हजार भिक्षुओं के साथ निवास करने लगे।

2. वहाँ भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, सब कुछ जल रहा है। और हे भिक्षुओं, सब कुछ कैसे जल रहा है?'

'हे भिक्षुओं, आँख जल रही है;'

दिखाई देने वाली चीजें जल रही हैं;

आंखों के माध्यम से बनने वाली मानसिक छापें तीव्र होती हैं;

(दृश्यमान वस्तुओं के साथ) आंखों का संपर्क जलन पैदा करता है;

आंख के (दृश्यमान वस्तुओं के संपर्क में आने से) उत्पन्न होने वाली अनुभूति, चाहे वह सुखद हो, चाहे पीड़ादायक हो, चाहे न सुखद हो और न पीड़ादायक हो, वह भी जलन ही है।

यह किस आग से जल रहा है?

मैं तुमसे कहता हूँ कि यह कामवासना की आग से जल रहा है।

घृणा की आग से,

अज्ञान की आग से;

यह जन्म, क्षय, मृत्यु, शोक, विलाप, पीड़ा, निराशा और हताशा की चिंताओं से जल रहा है।

3. 'कान जल रहे हैं, आवाज़ें चुभ रही हैं, इत्यादि...।'

नाक में जलन हो रही है, गंध से जलन हो रही है, इत्यादि।

जीभ जल रही है, स्वाद में जलन हो रही है, इत्यादि...

शरीर जल रहा है, संपर्क में आने वाली वस्तुएँ जल रही हैं, इत्यादि।

मन जल रहा है, विचार जल रहे हैं, इत्यादि...

4. हे भिक्षुओं, इस पर विचार करते हुए, शास्त्रों में पारंगत शिष्य, श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए, आँख से, प्रत्यक्ष वस्तुओं से, आँख पर आधारित मानसिक छापों से, प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क से, और प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं से, चाहे वह सुखद हो, दुखदायी हो, या न सुखद हो और न दुखदायी हो, थक जाता है। वह कान से भी थक जाता है (आदि, यहाँ तक कि विचारों से भी)। इन सबसे थककर वह अपने आप को वासना से मुक्त कर लेता है; वासना के अभाव से वह मुक्त हो जाता है; मुक्त होने पर उसे अपनी मुक्ति का अहसास होता है; और वह यह जान लेता है कि पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो गया है; पवित्रता पूर्ण हो गई है; कर्तव्य पूर्ण हो गया है; और इस संसार में अब कोई पुनरावृति नहीं है।

जब इस व्याख्या का प्रतिपादन हुआ, तो उन हजार भिक्षुओं के मन संसार के प्रति आसक्ति से मुक्त हो गए और आसवों (लालसाओं) से छुटकारा पा लिया।

'द बर्निंग' पर उपदेश यहीं समाप्त होता है।

उरुवेला में हुए चमत्कारों से संबंधित तीसरे भानवर का समापन।

<<<< पिछला(1.20) | अगला(1.22) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.22

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.21) | अगला(1.23) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-22: संघ को स्वर्ग के स्वामी सक्का द्वारा राजा बिम्बिसार के भोज में ले जाया जाता है।

1. भगवान बुद्ध ने गयासिसा में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद, बड़ी संख्या में भिक्षुओं, जिनमें एक हजार भिक्षु पूर्व में जटिला रहे थे, के साथ राजगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध स्थान-स्थान भटकते हुए राजगृह पहुंचे। वहां भगवान बुद्ध राजगृह के निकट, लत्थिवन उद्यान में, सुपतित्त के पवित्र मंदिर के पास निवास करने लगे।

2. तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने सुना: 'शाक्य वंश के तपस्वी समना गौतम (बुद्ध) शाक्यपुत्त अभी-अभी राजगृह पहुंचे हैं और राजगृह के पास, सुपतित्था के पवित्र मंदिर के निकट लत्थिवना आनंद उद्यान में ठहरे हुए हैं। दयालु गौतम (बुद्ध) की ऐसी महिमामय प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई है: "सचमुच वे दयालु, पवित्र, परम संबुद्ध हैं, ज्ञान और आचरण से परिपूर्ण, परम सुखी, समस्त लोकों के ज्ञाता, सर्वोच्च, जो बैल को सारथी की तरह मार्गदर्शित करते हैं, देवताओं और मनुष्यों के गुरु, महान बुद्ध। वे उस सत्य का ज्ञान स्वयं प्रकट करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसे देखते हैं, इस संसार को, जिसमें देव, मार और ब्रह्मा हैं; समस्त प्राणियों, समन और ब्राह्मणों, देवताओं और मनुष्यों को; वे उस सत्य (धम्म) का उपदेश देते हैं जो आरंभ में महिमामय, मध्य में महिमामय और अंत में महिमामय, भाव और अक्षर दोनों में; वे एक परिपूर्ण, शुद्ध और पवित्र जीवन की घोषणा करते हैं।" ऐसे पवित्र पुरुषों (अरहतों) के दर्शन प्राप्त करना सौभाग्य की बात है।

3. मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार, बारह करोड़ मगध ब्राह्मणों और गृहस्थों से घिरे हुए, उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उन बारह करोड़ मगध ब्राह्मणों (पुजारियों) और गृहस्थों में से कुछ ने भी आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए; कुछ ने भगवान बुद्ध से अभिवादन किया और उनके साथ विनम्र शब्दों का आदान-प्रदान करके उनके निकट बैठ गए; कुछ ने अपने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के निकट बैठ गए; कुछ ने भगवान बुद्ध के समक्ष अपना नाम और परिवार का नाम पुकारा और उनके निकट बैठ गए; कुछ चुपचाप उनके निकट बैठ गए।

4. अब मगध के उन बारह करोड़ ब्राह्मणों और गृहस्थों ने सोचा, 'यह क्या हो रहा है? क्या महान समना (बुद्ध) ने स्वयं को उरुवेला कस्सपा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में रखा है, या उरुवेला कस्सपा ने स्वयं को महान समना (बुद्ध) के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में रखा है?'

और भगवान बुद्ध, जिन्होंने मगध के उन बारह करोड़ ब्राह्मणों और गृहस्थों के मन में उठे विचार को भलीभांति समझ लिया था, ने पूज्य उरुवेला कस्सपा को इस श्लोक में संबोधित करते हुए कहा, 'हे उरुवेला निवासी, आपने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जिसने आपको, जो अपनी तपस्याओं के लिए प्रसिद्ध थे, अपने पवित्र अग्नि का त्याग करने के लिए प्रेरित किया है? मैं आपसे, कस्सपा, यह प्रश्न पूछता हूँ: आपका अग्नि यज्ञ क्यों त्याग दिया गया है?'

(कस्सापा ने उत्तर दिया): 'बलिदान दृश्य वस्तुओं, ध्वनियों, स्वादों, सुखों और स्त्रीत्व की बात करते हैं; क्योंकि मैं समझ गया था कि अस्तित्व से संबंधित सब कुछ मैल है, इसलिए मैंने बलिदानों और चढ़ावों में आनंद लेना छोड़ दिया।'

5. 'परन्तु यदि हे कश्यप (भगवान बुद्ध ने कहा), तुम्हारा मन वहाँ किसी भी दृश्य वस्तु, ध्वनि या स्वाद में आनंद नहीं पाता, तो हे कश्यप, मनुष्य या देवता के संसार में ऐसी कौन सी बात है जिसमें तुम्हारा मन अब आनंद पाता है? मुझे वह बताओ।'

(कस्साप ने उत्तर दिया): 'मैंने शांति की वह अवस्था (अर्थात निर्वाण) देखी है जिसमें अस्तित्व का आधार (उपाधि) और पूर्णता के मार्ग में आने वाली बाधाएँ (किंकना) समाप्त हो जाती हैं, जो इंद्रिय सुख से मुक्त होती है, जो किसी अन्य अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती, जिसे किसी अन्य अवस्था में ले जाया नहीं जा सकता; इसलिए मैंने यज्ञों और आहुतियों में आनंद लेना छोड़ दिया।'

6. तब पूज्य उरुवेला कस्सपा अपने आसन से उठे, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार समायोजित किया कि उसका एक कंधा ढक जाए, भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मेरे गुरु भगवान बुद्ध हैं, मैं उनका शिष्य हूँ; हे प्रभु, मेरे गुरु भगवान बुद्ध हैं, मैं उनका शिष्य हूँ।' तब मगध के उन बारह करोड़ ब्राह्मणों और गृहस्थों ने समझा: 'उरुवेला कस्सपा ने स्वयं को महान समन (बुद्ध) के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया है।'

7, 8. और भगवान बुद्ध, जिन्होंने मगध के उन बारह करोड़ ब्राह्मणों और गृहस्थों के मन में उठे विचार को अपने मन में समझ लिया था, ने उन्हें उचित समय पर उपदेश दिया (आदि, जैसा कि अध्याय 7, अनुच्छेद 5, 6 से आगे तक है)। जिस प्रकार एक साफ, बिना दाग वाला कपड़ा रंग को ठीक से सोख लेता है, उसी प्रकार बिम्बिसार के नेतृत्व में बैठे हुए उन ग्यारह करोड़ मगध ब्राह्मणों और गृहस्थों ने सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त की: 'जो कुछ भी उत्पत्ति के अधीन है, वह समाप्ति के भी अधीन है।' एक करोड़ ने गृहस्थ शिष्य बनने की घोषणा की।

9. तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने सत्य को (आदि...) गुरु के उपदेश के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न देखकर भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, पूर्वकाल में जब मैं राजकुमार था, तब मेरी पाँच इच्छाएँ थीं; वे अब पूरी हो गई हैं। हे प्रभु, पूर्वकाल में जब मैं राजकुमार था, तब मेरी यह इच्छा थी: "हे प्रभु, मुझे राजा बनाया जाए।" यह मेरी पहली इच्छा थी; यह अब पूरी हो गई है। "और तब परम पवित्र, पूर्ण संबुद्ध मेरे राज्य में आएँ।" यह मेरी दूसरी इच्छा थी, हे प्रभु; यह अब पूरी हो गई है।'

10. "और क्या मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम कर सकता हूँ?" हे प्रभु, यह मेरी तीसरी इच्छा थी; यह अब पूरी हो गई है। "और क्या भगवान बुद्ध मुझे अपना धर्म (धम्म) सिखा सकते हैं?" हे प्रभु, यह मेरी चौथी इच्छा थी; यह अब पूरी हो गई है। "और क्या मैं भगवान बुद्ध के धर्म को समझ सकता हूँ?" हे प्रभु, यह मेरी पाँचवीं इच्छा थी; यह अब पूरी हो गई है। हे प्रभु, ये पाँचों इच्छाएँ थीं जो मैंने पूर्व दिनों में, जब मैं राजकुमार था, तब की थीं; ये अब पूरी हो गई हैं।

11. 'हे महिमावान प्रभु! (आदि, जैसा कि अध्याय 7, 10 से आगे तक है:) जिन्होंने उनकी शरण ली है। और हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध कल भिक्षुओं के समुदाय के साथ मेरे साथ भोजन करने की कृपा करेंगे?'

भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की।

12. तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने जब यह जाना कि भगवान बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वे अपने आसन से उठे, भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर मुख करके परिक्रमा करते हुए चले गए। रात्रि होने पर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने उत्तम भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, तैयार करने का आदेश दिया और भगवान बुद्ध को भोजन का समय इस प्रकार सूचित किया: 'हे प्रभु, भोजन का समय हो गया है, भोजन तैयार है।' दोपहर होते ही भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण किए, भिक्षापात्र लिया और अपने किवार धारण किए हुए राजगृह नगर में प्रवेश किया। उनके साथ बड़ी संख्या में भिक्षु थे, जिनमें एक हजार भिक्षु (जो सभी पूर्व में जटिल थे) थे।

13. उस समय देवों के राजा सक्का ने एक युवा ब्राह्मण का रूप धारण करके, बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु समुदाय के आगे चलते हुए निम्नलिखित श्लोक गाए: 'स्व-संयमितों के साथ संयमित, पूर्व जाटिलों के साथ, मुक्तों के साथ मुक्त, भगवान बुद्ध, सिंगी सोने के आभूषण के समान स्वर्ण रंग के, राजगृह में प्रवेश कर चुके हैं।'

'मुक्त व्यक्ति मुक्त व्यक्तियों के साथ, पूर्व जाटिलों के साथ, इत्यादि।'

'जो पूर्व जाटिलों के साथ (जमोद के सागर को) पार कर चुका है, मुक्त हो चुका है, मुक्त हो चुका है, भगवान बुद्ध, जो सिंहदेव के आभूषण के समान स्वर्ण रंग के हैं, राजगृह में प्रवेश कर चुके हैं।'

'जो दस श्रेष्ठ अवस्थाओं और दस शक्तियों से युक्त है, जो कर्म के दस मार्गों को समझता है और दस (अरहतत्व के गुणों) से परिपूर्ण है, भगवान बुद्ध दस सौ अनुयायियों से घिरे हुए राजगृह में प्रवेश कर चुके हैं।'

14. जब लोगों ने देवों के राजा सक्का को देखा, तो वे कहने लगे, 'यह युवक सचमुच सुंदर है; इसका रूप सचमुच मनमोहक है; यह युवक सचमुच आकर्षक है। यह युवक किसका सेवक हो सकता है?'

जब वे इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब देवों के राजा सक्का ने उन लोगों को इस श्लोक में संबोधित किया: 'जो बुद्धिमान हैं, पूर्णतः आत्मसंयमित हैं, अद्वितीय बुद्ध हैं, अरहत हैं, पृथ्वी पर सबसे सुखी हैं: मैं उनका सेवक हूँ।'

15. भगवान बुद्ध मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के महल में गए। वहाँ पहुँचकर वे अपने साथ आए भिक्षुओं के साथ उनके लिए लगाई गई सीटों पर बैठ गए। फिर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समूह को उत्तम भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, परोसा; और जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपना कटोरा और हाथ धो लिए, तो वे उनके पास बैठ गए।

16. उनके पास बैठे मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने सोचा: 'भगवान बुद्ध के रहने के लिए मुझे कौन सा स्थान मिल सकता है, जो शहर से न तो बहुत दूर हो और न ही बहुत पास, आने-जाने के लिए उपयुक्त हो, उन सभी लोगों के लिए आसानी से सुलभ हो जो (उन्हें देखना चाहते हैं), दिन में बहुत भीड़भाड़ वाला न हो, रात में बहुत शोर और भय से मुक्त हो, लोगों की गंध से मुक्त हो, पुरुषों से छिपा हुआ हो, और एकांत जीवन के लिए उपयुक्त हो?'

17. और मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने सोचा: 'मेरा आनंद उद्यान, वेलुवन, नगर से न तो बहुत दूर है और न ही बहुत पास, आने-जाने के लिए उपयुक्त है, (आदि, एकांत जीवन के लिए)। क्या होगा यदि मैं वेलुवन आनंद उद्यान को बुद्ध को प्रमुख मानकर भिक्षु समुदाय को दान कर दूं?'

18. मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने एक सोने का पात्र (जिसमें पानी भरा था, जिसे बुद्ध के हाथ पर उंडेला जाना था) लिया और (यह कहते हुए) (उद्यान को) भगवान बुद्ध को समर्पित किया, 'हे प्रभु, मैं इस वेलुवन आनंद उद्यान को बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु समुदाय को समर्पित करता हूँ।' भगवान बुद्ध ने विश्राम (उद्यान/मठ) स्वीकार कर लिया। फिर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया, और फिर अपने आसन से उठकर चले गए।

और इस घटना के फलस्वरूप, भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें विश्राम (पार्क/मठ) का दान स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(1.21) | अगला(1.23) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.23

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.22) | अगला(1.24) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-23: सारिपुत्र को भिक्षु असाजी से मार्ग का परिचय प्राप्त होता है।

1. उस समय संजय, जो एक परिब्बाजक (भ्रमणशील तपस्वी) थे, राजगृह में अपने दो सौ पचास परिब्बाजकों के विशाल दल के साथ निवास करते थे। उस समय सारिपुत्त और मोग्गलाना (दो युवा ब्राह्मण (पुजारी)) संजय परिब्बाजक के अनुयायी के रूप में धर्ममय जीवन व्यतीत करते थे; उन्होंने आपस में वचन दिया था: 'जो पहले अमर (अर्थात निर्वाण) प्राप्त करेगा, वह दूसरे को सूचित करेगा।'

2. एक दिन दोपहर के समय पूज्य असाजी ने अपने अंतर्वस्त्र धारण करके, भिक्षापात्र लेकर और किवार धारण करके राजगृह नगर में भिक्षा मांगने के लिए प्रवेश किया। उनका चलना, पीछे मुड़कर देखना, अवलोकन करना, भुजाओं को पीछे खींचना और फैलाना शालीनतापूर्ण था; उन्होंने अपनी दृष्टि जमीन पर टिका रखी थी और उनका आचरण गरिमामय था। परिब्बजक सारिपुत्त ने राजगृह में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे पूज्य असाजी को देखा, जिनका चलना आदि विनम्र था, जिन्होंने अपनी दृष्टि जमीन पर टिका रखी थी और

जिनका रूप गरिमामय था। उन्हें देखकर उन्होंने सोचा, 'यह व्यक्ति वास्तव में उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में अर्हत हैं या जिन्होंने अर्हतत्व के मार्ग में प्रवेश किया है।' यदि मैं इस भिक्षु के पास जाकर उनसे पूछूं: "मित्र, आपने किसके नाम पर संसार त्याग दिया है? आपके गुरु कौन हैं? आप किसके सिद्धांत का पालन करते हैं?"

3. अब परिब्बाजक सारिपुत्त ने सोचा: 'यह भिक्षु से पूछने का समय नहीं है; वह भिक्षा मांगने के लिए घर के भीतरी आंगन में चले गए हैं। यदि मैं इस भिक्षु का कदम-दर-कदम अनुसरण करूँ, उस मार्ग के अनुसार जो कुछ पाने की चाह रखने वालों द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो क्या होगा?'

और पूज्य असाजी ने राजगृह में अपनी भिक्षायात्रा पूरी करके प्राप्त भोजन लेकर वापस आ गए। तब परिब्बजक सारिपुत्त उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य असाजी थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने असाजी को प्रणाम किया; अभिवादन और विनम्र शब्दों का आदान-प्रदान करने के बाद वे उनके पास बैठ गए; उनके पास खड़े होकर परिब्बजक सारिपुत्त ने पूज्य असाजी से कहा, 'हे मित्र, आपका रूप शांत है; आपका रंग शुद्ध और तेजस्वी है। हे मित्र, आपने किसके नाम पर संसार त्यागा है? आपके गुरु कौन हैं? आप किस सिद्धांत का पालन करते हैं?'

4. (अस्साजी ने उत्तर दिया): 'हे मित्र, महान समना शाक्यपुत्त (बुद्ध) हैं, जो शाक्य वंश के एक तपस्वी हैं; मैंने भगवान बुद्ध के नाम पर संसार त्याग दिया है; भगवान बुद्ध मेरे गुरु हैं; और मैं उन्हीं के सिद्धांतों का पालन करता हूँ।'

'और महोदय, आपके शिक्षक किस सिद्धांत को मानते हैं और आपको किस सिद्धांत का उपदेश देते हैं?'

'मित्र, मैं तो अभी एक युवा शिष्य हूँ; मैंने अभी हाल ही में दीक्षा प्राप्त की है; और मैंने अभी-अभी इस सिद्धांत और अनुशासन को अपनाया है। मैं आपको इस सिद्धांत को विस्तार से नहीं समझा सकता; लेकिन संक्षेप में इसका अर्थ बता सकता हूँ।'

तब परिब्बजक सारिपुत्त ने पूज्य असाजी से कहा, 'मित्र, आप मुझे जितना चाहें उतना बताएँ, लेकिन मुझे (सिद्धांत का) सार अवश्य बताएँ; मुझे केवल सार चाहिए; आप शब्दों पर इतना जोर क्यों देते हैं?'

5. तब पूज्य असाजी ने परिब्बजक सारिपुत्त को धम्म का निम्नलिखित पाठ सुनाया: 'उन सभी वस्तुओं का जो किसी कारण से उत्पन्न होती हैं, तथागत (बुद्ध) ने कारण और उनके निवारण दोनों की व्याख्या की है; यही महान समना (बुद्ध) का सिद्धांत है।'

और परिब्बजक सारिपुत्त ने यह पाठ सुनकर सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त की: 'जो कुछ भी उत्पत्ति की स्थिति के अधीन है, वह समाप्ति की स्थिति के भी अधीन है।' (और उन्होंने कहा): 'यदि केवल यही सिद्धांत (धम्म) है, तो अब आप उस अवस्था तक पहुँच चुके हैं जहाँ समस्त दु:ख समाप्त हो जाते हैं (अर्थात निर्वाण), (वह अवस्था) जो अतीत के असंख्य कल्पों (विश्व-चक्रों) में अदृश्य रही है।'

6. तब परिब्बजक सारिपुत्त उस स्थान पर गए जहाँ परिब्बजक मोग्गलाना थे। परिब्बजक मोग्गलाना ने परिब्बजक सारिपुत्त को दूर से आते देखा; उन्हें देखकर उन्होंने परिब्बजक सारिपुत्त से कहा, 'हे मित्र, आपका रूप शांत है; आपका रंग शुद्ध और तेजस्वी है। क्या आप सचमुच अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, मित्र?'

'हां, मित्र, मैंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है।'

'और दोस्त, तुमने ऐसा कैसे किया?'

7-9. 'मैंने देखा, मित्र, भिक्षु असाजी जो राजगृह से भिक्षा मांगने गए थे (आदि, नीचे तक:); "लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ है।"

"आप मुझे जितना चाहें उतना बता सकते हैं, लेकिन मुझे (सिद्धांत की) भावना अवश्य बताएं; मुझे केवल भावना चाहिए; आप शब्दों पर इतना जोर क्यों देते हैं?"

10. 'तब, मित्र, भिक्षु अस्सजी ने निम्नलिखित धम्म वाक्य कहा: "उन सभी वस्तुओं का जो किसी कारण से उत्पन्न होती हैं, तथागत (बुद्ध) ने कारण और उनके निवारण दोनों की व्याख्या की है; यही महान समना (बुद्ध) का सिद्धांत है।"'

और परिब्बजक मोग्गलाना ने इस पाठ को सुनकर सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त की: 'जो कुछ भी उत्पत्ति की स्थिति के अधीन है, वह समाप्ति की स्थिति के भी अधीन है।' (और उन्होंने कहा): (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 5 में अंत तक है)।

<<<< पिछला(1.22) | अगला(1.24) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.24
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.23) | अगला(1.25) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-24: सारिपुत्त और मोग्गलाना 250 अनुयायियों के साथ संघ में शामिल होते हैं।

1. तब परिब्बजक मोग्गलाना ने परिब्बजक सारिपुत्त से कहा: 'चलो, मित्र, भगवान बुद्ध के पास चलें; ताकि भगवान बुद्ध हमारे गुरु बन सकें।'

(सारिपुत्त ने उत्तर दिया): 'हे मित्र, ये ढाई सौ परिब्बजक यहाँ (संजय के अनुयायियों के रूप में) हमारे कारण ही निवास करते हैं, और वे हमारा आदर करते हैं; पहले हम उन्हें भी अपने इरादे से अवगत करा दें; फिर वे जो चाहें कर सकते हैं।'

तब सारिपुत्त और मोग्गलाना उस स्थान पर गए जहाँ वे परिब्बजक थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने परिब्बजकों से कहा: 'मित्रों, हम भगवान बुद्ध से जुड़ने जा रहे हैं; ताकि भगवान बुद्ध हमारे गुरु बनें।'

(परिबजकों ने उत्तर दिया): 'हे महोदय, हम यहाँ आपके कारण ही निवास करते हैं, और हम आपका आदर करते हैं; यदि आप, महोदय, स्वयं को महान समना (बुद्ध) के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में रखने वाले हैं, तो हम सभी स्वयं को महान समना के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में रखेंगे।'

2. तब सारिपुत्त और मोग्गलाना उस स्थान पर गए जहाँ परिब्बजक संजय थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने परिब्बजक संजय से कहा: 'मित्र, हम भगवान बुद्ध से जुड़ने जा रहे हैं; ताकि भगवान बुद्ध हमारे गुरु बनें।'

(संजय ने उत्तर दिया): 'नहीं, मित्रों, मत जाओ; हम तीनों मिलकर इस शिष्यों के समूह का नेतृत्व करेंगे।'

और दूसरी बार सारिपुत्त और मोग्गलाना ने कहा, इत्यादि। और तीसरी बार सारिपुत्त और मोग्गलाना ने कहा, इत्यादि। (और तीसरी बार उन्होंने उत्तर दिया): 'नहीं, मित्रों, मत जाओ; हम तीनों मिलकर इस शिष्यों के समूह का नेतृत्व करें।'

3. लेकिन सारिपुत्त और मोग्गलाना उन ढाई सौ परिब्बजकों को अपने साथ लेकर वेलुवन गए। लेकिन परिब्बजक संजय ने वहीं अपने मुँह से गर्म खून उगलना शुरू कर दिया।

और भगवान बुद्ध ने सारिपुत्त और मोग्गलाना को दूर से आते देखा; उन्हें देखकर उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, कोलिता और उपतिस्सा, दो साथी आ रहे हैं; ये सच्चे शिष्य होंगे, एक अत्यंत विशिष्ट, शुभ जोड़ी।'

जब (सारिपुत्त और मोग्गलाना), जिन्होंने (अस्तित्व के) पूर्ण विनाश में मुक्ति प्राप्त कर ली थी, जो कि केवल ज्ञान के माध्यम से ही सुलभ एक गहन विषय है, वेलुवन में आए, तो गुरु (बुद्ध), जिन्होंने उन्हें देखा, ने उनके बारे में भविष्यवाणी की: 'ये दो साथी जो अब आ रहे हैं - कोलिता और उपतिस्सा - ये (सच्चे) शिष्यों की एक जोड़ी होंगे, एक अत्यंत विशिष्ट, शुभ जोड़ी।'

4. तब सारिपुत्त और मोग्गलाना उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने प्रणाम किया, अपने सिर भगवान बुद्ध के चरणों में झुकाए और भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, हमें भगवान बुद्ध से पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षाएँ प्राप्त करने की अनुमति दें।'

भगवान बुद्ध ने कहा, 'हे भिक्षुओं, आओ, यह सिद्धांत भली-भांति सिखाया गया है; दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करो।' इस प्रकार इन पूजनीय व्यक्तियों ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की।

5. उस समय कई प्रतिष्ठित युवा मगध के रईस भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में धम्म जीवन व्यतीत कर रहे थे। लोग नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए (कहते हुए), 'समना गौतम (बुद्ध) पिताओं को पुत्र उत्पन्न नहीं होने देते; समना गौतम (बुद्ध) पत्नियों को विधवा बना देते हैं; समना गौतम (बुद्ध) परिवारों को नष्ट कर देते हैं। अब उन्होंने एक हजार जटिलों को दीक्षा दी है, और उन्होंने संजय के अनुयायी इन ढाई सौ परिब्बजकों को दीक्षा दी है; और ये कई प्रतिष्ठित युवा मगध के रईस अब समना गौतम (बुद्ध) के मार्गदर्शन में धम्म जीवन व्यतीत कर रहे हैं।' और इसके अलावा, जब उन्होंने भिक्षुओं को देखा, तो उन्होंने निम्नलिखित श्लोक में उनकी निंदा की: 'महान समना मगध के गिरिब्बज (अर्थात राजगृह) में संजय के सभी अनुयायियों को लेकर आए हैं; अगला नेतृत्व कौन करेगा?'

6. कुछ भिक्षुओं ने उन लोगों को नाराज़, बड़बड़ाते और क्रोधित होते सुना; इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। (उन्होंने उत्तर दिया): 'हे भिक्षुओं, यह शोरगुल अधिक समय तक नहीं चलेगा; यह केवल सात दिनों तक रहेगा; सात दिनों के बाद यह समाप्त हो जाएगा। और यदि वे इस श्लोक में तुम्हारा अपमान करें, "महान समन आ गए हैं, इत्यादि," तो तुम्हें अगले श्लोक में उनका उत्तर देना चाहिए: "महान तथागत सच्चे उपदेश के द्वारा ही मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। सत्य की शक्ति से मनुष्यों का मार्गदर्शन करने वाले बुद्धिमानों का अपमान कौन करेगा?'

7. उस समय लोगों ने भिक्षुओं को देखकर निम्नलिखित श्लोकों में उनका अपमान किया: 'महान समना आ गए हैं, इत्यादि।' तब भिक्षुओं ने अपमान करने वालों को निम्नलिखित श्लोकों में उत्तर दिया: 'यह सच्चे उपदेश के माध्यम से है, इत्यादि।'

तब लोगों को समझ आया: 'शाक्यपुत्रीय समना (भिक्षु) सत्य के द्वारा मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, न कि अधर्म के द्वारा;' और इस प्रकार वह शोर केवल सात दिनों तक चला, और सात दिनों के बाद वह समाप्त हो गया।

यहां सारिपुत्त और मोग्गलाना के दीक्षा समारोह का वर्णन समाप्त होता है।

चौथे भानवरा का समापन।

(नोट: बाद में सारिपुत्त और मोग्गलाना प्रमुख शिष्य बने)

<<<< पिछला(1.23) | अगला(1.25) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.25
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.24) | अगला(1.26) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-25: विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षकों (उपाज्जयों) की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य।

1. उस समय कुछ भिक्षु, जिनके पास कोई उपज्याद (गुरु) नहीं थे और जिन्हें कोई उपदेश या शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, अनुचित अंतर्वस्त्र और आच्छादित वस्त्रों में भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे। जब लोग भोजन कर रहे होते थे, तो वे अपने भिक्षापात्रों में बचा हुआ भोजन कठोर भोजन (जो लोग खा रहे थे) के ऊपर, नरम भोजन के ऊपर, स्वादिष्ट भोजन के ऊपर और पेय पदार्थों के ऊपर फैला देते थे। वे स्वयं सूप और उबले हुए चावल मांगते और खाते थे; वे भोजन कक्षों में बहुत शोर मचाते थे।

2. लोग नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए (कहते हुए), 'शाक्यपुत्रीय समन अनुचित अंतर्वस्त्र और आच्छादित वस्त्र पहनकर भिक्षा मांगने कैसे जा सकते हैं? (जैसा कि अनुच्छेद 1 में है, पेय पदार्थों तक)? वे भोजन कक्षों में इतना शोर कैसे मचा सकते हैं? वे अपने लिए आयोजित भोजों में ब्राह्मणों (पुजारियों) की तरह व्यवहार करते हैं।'

3. कुछ भिक्षुओं ने उन लोगों को नाराज़ होते, बड़बड़ाते और क्रोधित होते सुना। जो भिक्षु संयमी, मितव्ययी, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और साधना के प्रति उत्सुक थे, वे भी नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए: 'भिक्षु अनुचित अंतर्वस्त्र और आच्छादित वस्त्र आदि पहनकर भिक्षा मांगने कैसे जा सकते हैं? वे भोजन कक्ष में इतना शोर कैसे मचा सकते हैं?'

4. इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षु समुदाय को एकत्रित होने का आदेश देकर भिक्षुओं से प्रश्न किया: 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि कुछ भिक्षु अपने भ्रमण के दौरान भोजन कक्षों में बहुत शोर मचाते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

5. तब महान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकारा: 'हे भिक्षुओं, इन मूर्ख व्यक्तियों का यह कार्य अनुचित है; यह अशोभनीय, अभद्र, संन्यासियों के लिए अनुपयुक्त, अस्वीकार्य और इससे बचना चाहिए। हे भिक्षुओं, ये मूर्ख व्यक्ति अपने भ्रमण आदि कैसे कर सकते हैं? वे भोजन कक्षों में इतना शोर कैसे मचा सकते हैं? हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को धर्म परिवर्तन कराने और धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए उचित नहीं है; बल्कि, हे भिक्षुओं, इसका परिणाम यह होगा कि अधर्मी धर्म से विमुख हो जाएंगे और बहुत से धर्म परिवर्तन करने वाले धर्म से विमुख हो जाएंगे।'

6. भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को अनेक प्रकार से फटकारा; उन्होंने कंजूसी, दुर्भावना, अतिभोग, लालच, समाज में आनंद लेने और आलस्य के विरुद्ध बात की; और अनेक प्रकार से मितव्ययिता, अच्छे स्वभाव, संयमी, संतुष्ट, पापमुक्त, दयालु, आदरणीय और ऊर्जावान भिक्षुओं की प्रशंसा की। इन विषयों के अनुरूप और इनके अनुसार भिक्षुओं को धर्म प्रवचन देते हुए उन्होंने इस प्रकार भिक्षुओं को संबोधित किया:

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि युवा भिक्षु एक उपज्झाय (या गुरु) का चयन करें।'

हे भिक्षुओं, उपज्झाय को साध्वी विहारिक (अर्थात शिष्य) को पुत्र के समान समझना चाहिए; साध्वी विहारिक को उपज्झाय को पिता के समान समझना चाहिए। इस प्रकार ये दोनों, आपसी आदर, विश्वास और जीवन के सहभागिता से जुड़कर, इस सिद्धांत और अनुशासन में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे और उच्च स्तर तक पहुंचेंगे।

7. हे भिक्षुओं, वे इस प्रकार उपज्झाय का चुनाव करें: उपज्झाय का चुनाव करने वाला व्यक्ति अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, इच्छित उपज्झाय के चरणों को प्रणाम करे, उकड़ू बैठकर अपने हाथ जोड़कर कहे: "हे आदरणीय महोदय, आप ही मेरे उपज्झाय बनें; हे आदरणीय महोदय, आप ही मेरे उपज्झाय बनें; हे आदरणीय महोदय, आप ही मेरे उपज्झाय बनें।" (यदि दूसरा व्यक्ति उत्तर दे): "अच्छा," या, "ज़रूर," या, "अच्छा," या, "ठीक है," या, "मेरे प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करते रहें," या वह इसे हावभाव (यानी अपने शरीर) से व्यक्त करे, या शब्दों से, या हावभाव और शब्दों दोनों से, तो उपज्झाय का चुनाव हो गया है। यदि वह इसे हावभाव से, न शब्दों से, न हावभाव और शब्दों दोनों से व्यक्त करे, तो उपज्झाय का चुनाव नहीं हुआ है।

8. हे भिक्षुओं, सद्धिविहारिक को अपने उपज्झाय के प्रति कठोर आचरण करना चाहिए। उसके आचरण के नियम इस प्रकार हैं: उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने जूते उतारकर और अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करके कि उसका एक कंधा ढका रहे, उपज्झाय को दांत साफ करने वाला पदार्थ और कुल्ला करने के लिए पानी देना चाहिए। फिर उसे उपज्झाय के लिए आसन तैयार करना चाहिए। यदि चावल का दूध उपलब्ध हो, तो उसे घड़े को धोकर उपज्झाय को अर्पित करना चाहिए। जब उपज्झाय उसे पी ले, तो उसे पानी देना चाहिए, घड़ा उठाकर उसे नीचे रखकर अच्छी तरह से बिना रगड़े धोकर रख देना चाहिए। जब उपज्झाय उठ जाए, तो उसे आसन हटा देना चाहिए। यदि स्थान गंदा हो, तो उसे साफ करना चाहिए।

9. यदि उपज्झाय गाँव जाना चाहता है, तो (सद्धिविहारिका) उसे अपना अंतर्वस्त्र दे, उससे उसका दूसरा अंतर्वस्त्र (अर्थात उसका गृह वस्त्र?) ले, उसकी कमरबंद दे, दोनों ऊपरी वस्त्रों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उपज्झाय को दे, भिक्षापात्र को धोकर उसमें थोड़ा पानी भरकर उसे दे। यदि उपज्झाय किसी भिक्षु सेवक के साथ जाना चाहता है, तो वह अंतर्वस्त्र इस प्रकार पहने कि नाभि और दोनों घुटने ढके रहें और शरीर चारों ओर से ढका रहे; फिर वह कमरबंद पहने, दोनों ऊपरी वस्त्रों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पहने, गांठें बांधे, अपना

भिक्षापात्र धोकर ले और उपज्झाय के सेवक के रूप में उसके पीछे चले। वह उपज्झाय से न तो बहुत दूर जाए और न ही बहुत पास। उसे (उपज्जया से) उतना ही लेने दो जितना उसके भिक्षापात्र में डाला गया है।

10. जब उपज्झाय बोलें, तो (सद्धिविहारिका) उन्हें न रोकें। यदि उपज्झाय के शब्दों से कोई अपराध होने का खतरा हो, तो (सद्धिविहारिका) उन्हें रोकें। जब (उप्झाय) भिक्षायात्रा से लौटें, तो सद्धिविहारिका (उप्झाय से पहले) विहार (मठ) लौटें, आसन तैयार करें, उनके पैर धोने के लिए जल, एक पायदान और एक तौलिया लाएँ; फिर उपज्झाय से मिलने जाएँ, उनका भिक्षापात्र और उनका वस्त्र लें, उन्हें उनका दूसरा अंतर्वस्त्र (उनका गृह वस्त्र?) दें और उनका अंतर्वस्त्र ले लें। यदि (उप्झाय का) वस्त्र पसीने से भीगा हो, तो उसे थोड़ी देर के लिए गर्म स्थान पर सुखाएँ, लेकिन वस्त्र को गर्म स्थान पर न छोड़ें। वस्त्र को मोड़कर रख दें। वस्त्र को तह करते समय, उसे इस प्रकार तह करना चाहिए कि कोनों से प्रतिदिन चार इंच (पिछले दिन से अधिक) लटका रहे, ताकि बीच में कोई तह न पड़े। कमरबंद को भी तह करें। यदि भिक्षापात्र में कोई भोजन हो और उपज्झाय उसे खाना चाहे, तो उसे जल पिलाकर फिर भोजन दें।

11. 'उद्धाय को जल पिलाओ। जब उपजाय भोजन कर ले, तो (सद्धिविहारिका) उसे जल पिलाओ, उसका भिक्षापात्र लो, उसे नीचे रखो, बिना रगड़े अच्छी तरह से धो लो, जल निकाल दो और भिक्षापात्र को किसी गर्म स्थान पर थोड़ी देर सुखाओ, लेकिन भिक्षापात्र को गर्म स्थान पर न छोड़ो। भिक्षापात्र और वस्त्र को रख दो। भिक्षापात्र रखते समय, उसे एक हाथ से भिक्षापात्र पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से पलंग या कुर्सी के नीचे (जहाँ वह भिक्षापात्र रखने जा रहा है) टटोल लेना चाहिए, और भिक्षापात्र को नंगी ज़मीन पर न रखो। जब वह वस्त्र टांगे, तो एक हाथ से वस्त्र को पकड़ें और दूसरे हाथ से उस बांस की खूंटी या रस्सी पर थपथपाएं जिस पर वस्त्र टांगा जाना है, और वस्त्र को इस प्रकार टांगें कि उसका किनारा उससे दूर (दीवार की ओर) हो और तह उसकी ओर हो। जब उपाज्जया उठ जाए, तो आसन हटा दें और पैर धोने का पानी, पायदान और तौलिया हटा दें। यदि स्थान गंदा हो, तो उसे झाड़ू से साफ कर दें।

12. यदि उपज्झाय स्नान करना चाहता है, तो वह स्नान तैयार करे। यदि उसे ठंडा पानी चाहिए, तो उसे ठंडा पानी मिले; यदि उसे गर्म पानी चाहिए, तो उसे गर्म पानी मिले। यदि उपज्झाय घंटाघर जाना चाहता है, तो (सद्धिविहारिका) चूर्ण को गूंथे, मिट्टी को गीला करे, घंटाघर की कुर्सी उठाए, उपज्झाय के पीछे-पीछे चले, उसे कुर्सी दे, उसका वस्त्र लेकर एक तरफ रख दे, उसे चूर्ण और मिट्टी दे। यदि वह सक्षम है, तो वह भी घंटाघर में प्रवेश करे। घंटाघर में प्रवेश करते समय, वह अपने चेहरे पर मिट्टी मल ले, आगे और पीछे से अपने शरीर को ढक ले, और इस प्रकार घंटाघर में प्रवेश करे।

13. वह वरिष्ठ भिक्षुओं के स्थान पर अतिक्रमण करते हुए न बैठे, न ही कनिष्ठ भिक्षुओं को उनके स्थान से हटाए। वह घंटाघर में उपज्झाय की सेवा करे। जब वह घंटाघर से निकलने लगे, तो घंटाघर की कुर्सी पर बैठे, आगे और पीछे से अपने आप को ढक ले, और इस प्रकार घंटाघर से निकल जाए। वह जल में भी उपज्झाय की सेवा करे। जब वह स्नान कर ले, तो (सद्धिविहारिका) पहले जल से बाहर आए, अपने शरीर को सुखाए, अपने वस्त्र पहने, फिर उपज्झाय के शरीर से जल पोंछे, उसे अपना अंतर्वस्त्र और आच्छादक दे, घंटाघर की कुर्सी पर बैठे, उपज्झाय के आगे जाए, उसके लिए आसन तैयार करे, और उसके पैर धोने के लिए जल, एक पायदान और एक तौलिया लाए। वह उपज्झाय को पीने के लिए जल अर्पित करे।

14. यदि (उपाज्जयाय को) प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया जाना पसंद है, तो वह (उपाज्जयाय को) ऐसा करने के लिए आमंत्रित करे। यदि (उपाज्जयाय को) प्रश्न पूछे जाना पसंद है, तो वह (उपाज्जयाय से) प्रश्न पूछे।

यदि वह विहार (मठ), जिसमें उपज्झाय निवास करता है, गंदा हो, तो यदि वह सक्षम हो तो उस विहार को साफ करे। विहार की सफाई करते समय, वह सबसे पहले भिक्षापात्र और (उप्झाय का) वस्त्र हटाकर अलग रख दे। वह चटाई और चादर हटाकर अलग रख दे। वह गद्दा और तकिया हटाकर अलग रख दे।

15. पलंग को ठीक से समेटकर, उसे फर्श पर घसीटे बिना और दरवाजे या चौखट से टकराए बिना सही ढंग से उठाकर एक तरफ रख दें। कुर्सी को भी ठीक से समेटकर, फर्श पर घसीटे बिना और दरवाजे या चौखट से टकराए बिना सही ढंग से उठाकर एक तरफ रख दें। पलंग के सहारे हटाकर एक तरफ रख दें। थूकदान हटाकर एक तरफ रख दें। बैठने का तख्ता हटाकर एक तरफ रख दें। कालीन को बिछाकर ध्यान से देखने के बाद उसे हटाकर एक तरफ रख दें। यदि विहार में मकड़ी के जाले हों, तो देखते ही उन्हें हटा दें। कमरे की खिड़कियों और कोनों को साफ कर दें। यदि लाल चूने से रंगी हुई दीवार गंदी हो, तो पोछे को गीला करके निचोड़ लें और उससे दीवार को साफ कर दें। यदि फर्श पर कालिख जमी हो और वह गंदा हो, तो पोछे को गीला करके निचोड़ लें और उससे फर्श को साफ करें। यदि फर्श पर कालिख न जमी हो, तो उस पर पानी छिड़ककर उसे रगड़कर साफ करें ताकि विहार (मठ) में धूल न जमे। झाड़ू से इकट्ठा की गई गंदगी को एक जगह इकट्ठा करके फेंक दें।

16. कालीन को धूप में सुखाओ, उसे साफ करो, झाड़-पोंछ कर धूल झाड़ो, वापस ले आओ और पहले की तरह बिछा दो। पलंग के सहारे धूप में रखो, उन्हें पोंछकर वापस ले आओ और अपनी जगह पर रख दो। पलंग को धूप में रखो, उसे साफ करो, झाड़-पोंछ कर

धूल झाड़ो, उसे ठीक से समेटो, बिना रगड़े (फर्श पर) और बिना दरवाजे या चौखट से टकराए, और अपनी जगह पर रख दो। कुर्सी को धूप में रखो, इत्यादि। गद्दे और तकिए को धूप में रखो, उन्हें साफ करो, झाड़-पोंछ कर धूल झाड़ो, वापस ले आओ और पहले की तरह बिछा दो। चटाई और चादर को धूप में रखो, इत्यादि। थूकदान को धूप में रखो, उसे पोंछकर वापस ले आओ और अपनी जगह पर रख दो। लेटने के तख्ते को धूप में रखो, इत्यादि।

17. 'वह भिक्षापात्र और वस्त्र को हटा दे। जब वह उन्हें हटा दे (आदि, जैसा कि धारा 11 में नीचे तक है), तो वस्त्र को इस प्रकार टांग दे कि किनारा उससे दूर हो और तह उसकी ओर हो।

18. यदि पूर्व से धूल भरी हवाएँ चलें, तो पूर्व की खिड़कियाँ बंद कर लें। यदि पश्चिम से धूल भरी हवाएँ चलें, तो पश्चिम की खिड़कियाँ बंद कर लें, इत्यादि। यदि सर्दी का मौसम हो, तो दिन में खिड़कियाँ खोल दें और रात में बंद कर दें। यदि गर्मी का मौसम हो, तो दिन में खिड़कियाँ बंद कर दें और रात में खोल दें।

19. यदि कोठरी गंदी हो, तो उसे झाड़ू लगाओ। यदि भंडारगृह गंदा हो, तो उसे झाड़ू लगाओ। यदि भोजन कक्ष, आदि गंदा हो। यदि चूल्हा, आदि गंदा हो। यदि शौचालय गंदा हो, तो उसे झाड़ू लगाओ। यदि पीने योग्य पानी न हो, तो पीने योग्य पानी उपलब्ध कराओ। यदि भोजन न हो, तो भोजन उपलब्ध कराओ। यदि मुँह धोने के बर्तन में पानी न हो, तो उसमें पानी डालो।

20. यदि उपज्झाय के हृदय में असंतोष उत्पन्न हो गया हो, तो सद्धिविहारिका उसे शांत करे, या किसी अन्य के द्वारा शांत करवाए, तथा धर्म प्रवचन द्वारा उसे संतुष्ट करे। यदि उपज्झाय के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई हो, तो सद्धिविहारिका उसे दूर करे, या किसी अन्य के द्वारा शांत करवाए, तथा धर्म प्रवचन द्वारा उसे संतुष्ट करे। यदि उपज्झाय किसी झूठे सिद्धांत को अपना ले, तो सद्धिविहारिका उस पर चर्चा करे, या किसी अन्य से चर्चा करवाए, या धर्म प्रवचन द्वारा (उप्झाय को) संतुष्ट करे।

21. यदि उपज्झाय किसी गंभीर अपराध का दोषी है और उसे परिवास अनुशासन की सजा दी जानी चाहिए, तो सद्धिविहारिका यह सुनिश्चित करे कि संघ उपज्झाय को परिवास अनुशासन की सजा दे। यदि उपज्झाय को अपने दंडात्मक अनुशासन को पुनः प्रारंभ करने की सजा दी जानी चाहिए, तो सद्धिविहारिका यह सुनिश्चित करे कि संघ उपज्झाय को अपने दंडात्मक अनुशासन को पुनः प्रारंभ करने का आदेश दे। यदि उपज्झाय पर मनत्त अनुशासन लागू किया जाना चाहिए, तो सद्धिविहारिका यह सुनिश्चित करे कि संघ उपज्झाय पर मनत्त अनुशासन लागू करे। यदि उपज्झाय का पुनर्वास किया जाना है (जब उसका दंडात्मक अनुशासन विधिवत रूप से संपन्न हो चुका हो), तो सद्धिविहारिका यह सुनिश्चित करे कि संघ उपज्झाय का पुनर्वास करे।

22. यदि संघ उपज्झय के विरुद्ध तज्जनीयकम्मा, निस्साय, पब्बजनीयकम्मा, पतिसरनीयकम्मा या उक्खेपनीयकम्मा द्वारा कार्यवाही करना चाहे, तो सद्धिविहारिका वह सभी प्रयास करे जिससे संघ उपज्झय के विरुद्ध कार्यवाही न करे या कार्यवाही को कम कर दे। या यदि संघ ने उसके, तज्जनीयकम्मा आदि, या उक्खेपनीयकम्मा के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है, तो सद्धिविहारिका वह सभी प्रयास करे जिससे उपज्झय सुचारु व्यवहार करे, विनम्रता से जीवन व्यतीत करे और तपस्या से मुक्ति पाने की आकांक्षा रखे, और संघ अपना निर्णय वापस ले ले।

23. यदि उपज्झाय का वस्त्र धोना आवश्यक हो, तो सद्धिविहारिका उसे धोए या यह सुनिश्चित करे कि उपज्झाय का वस्त्र धुल जाए। यदि उपज्झाय के लिए वस्त्र बनवाना आवश्यक हो, तो सद्धिविहारिका उसे बनवाए या यह सुनिश्चित करे कि उपज्झाय का वस्त्र बन जाए। यदि उपज्झाय के लिए रंग उबालना आवश्यक हो, इत्यादि। यदि उपज्झाय का वस्त्र रंगना आवश्यक हो, इत्यादि। जब वह वस्त्र रंगे, तो उसे ठीक से रंगे और आवश्यकतानुसार उसे पलटता रहे, और रंग टपकना बंद होने से पहले वहां से न जाए।

24. वह अपने उपज्झाय की अनुमति के बिना किसी को भी अपना भिक्षापात्र न दे। वह अपने उपज्झाय की अनुमति के बिना किसी और से भिक्षापात्र स्वीकार न करे। वह अपना वस्त्र किसी और को न दे, इत्यादि। वह किसी और से वस्त्र स्वीकार न करे; वह किसी और को (भिक्षु के लिए आवश्यक) वस्तुएँ न दे; वह किसी और से (ऐसी) वस्तुएँ स्वीकार न करे; वह किसी और के बाल न मुंडवाए; वह किसी और से अपने बाल न मुंडवाए; वह किसी और की सेवा न करे; वह किसी और से सेवा न करवाए; वह किसी और के लिए कार्य न करे; वह किसी और से कार्य न करवाए; वह किसी और के साथ परिचारक के रूप में न जाए; वह किसी और को अपने साथ परिचारक के रूप में न ले जाए; वह किसी के द्वारा भिक्षा में प्राप्त भोजन को विहार (मठ) में न ले जाए; उसे अपने उपज्झाय की अनुमति के बिना किसी के द्वारा विहार में लाए गए भिक्षापात्र का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे अपने उपज्झाय की अनुमति के बिना गाँव में प्रवेश नहीं करना चाहिए, न ही श्मशान जाना चाहिए और न ही विदेश यात्रा पर जाना चाहिए। यदि उसका उपज्झाय बीमार हो, तो उसे जीवन भर उसकी सेवा करनी चाहिए और उसके स्वस्थ होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

उपज्या के प्रति कर्तव्यों का अंत।

<<<< पिछला(1.24) । अगला(1.26) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.26
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.25) । अगला(1.27) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-26: विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों के कर्तव्य।

1. हे भिक्षुओं, उपज्झाय को अपने सद्धिविहारिक के प्रति कठोर आचरण करना चाहिए। उसके आचरण के नियम इस प्रकार हैं: हे भिक्षुओं, उपज्झाय को अपने सद्धिविहारिक को शिक्षा देकर, प्रश्न पूछकर, उपदेश देकर और निर्देश देकर आध्यात्मिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। यदि उपज्झाय के पास भिक्षापात्र हो और सद्धिविहारिक के पास न हो, तो उपज्झाय को सद्धिविहारिक को भिक्षापात्र देना चाहिए या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सद्धिविहारिक को भिक्षापात्र मिल जाए। यदि उपज्झाय के पास वस्त्र हो और सद्धिविहारिक के पास न हो, तो उपज्झाय को वस्त्र देना चाहिए, इत्यादि। यदि उपज्झाय के पास भिक्षु के लिए आवश्यक वस्तुएँ हों और सद्धिविहारिक के पास न हों, इत्यादि।

2-6. यदि सद्धिविहारिका बीमार हो, तो (उपाज्जया) सुबह जल्दी उठकर उसे दांत साफ करने वाला डिटर्जेंट और कुल्ला करने के लिए पानी दे। फिर उसके लिए आसन तैयार करे। यदि चावल का दूध उपलब्ध हो (अध्याय 25. 8, 9 से आगे तक के अनुसार), तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे दे। जब उसे लगे कि वह अब लौटने वाला है, तो आसन तैयार करे, उसके पैर धोने के लिए पानी लाए (अध्याय 25. 10-131 से आगे तक के अनुसार)। सद्धिविहारिका को पीने के लिए पानी दे।

7-10. 'यदि वह विहार (मठ) जिसमें सद्धिविहारिका निवास करता है, गंदा है . . . . (आदि, जैसा कि अध्याय 25. 14-22 में है)।

11. यदि सद्धिविहारिक का वस्त्र धोना आवश्यक हो, तो उपज्झाय सद्धिविहारिक से कहे, "आपको अपना वस्त्र इस प्रकार धोना चाहिए," या यह सुनिश्चित करे कि सद्धिविहारिक का वस्त्र धुल जाए। यदि सद्धिविहारिक के लिए वस्त्र बनवाना आवश्यक हो, तो उपज्झाय सद्धिविहारिक से कहे, "आपको वस्त्र इस प्रकार बनवाना चाहिए," या यह सुनिश्चित करे कि सद्धिविहारिक का वस्त्र बन जाए। यदि सद्धिविहारिक के लिए रंग उबालना आवश्यक हो, इत्यादि। यदि सद्धिविहारिक का वस्त्र रंगना आवश्यक हो, तो उपज्झाय बताए, इत्यादि। वस्त्र रंगते समय, उसे ठीक से रंगे, आवश्यकतानुसार पलटता रहे, और रंग टपकना बंद होने से पहले वहां से न जाए। यदि सद्धिविहारिक बीमार हो, तो उसकी जीवन भर देखभाल करे और उसके ठीक होने तक प्रतीक्षा करे।

सद्धिविहारिका के प्रति कर्तव्यों का अंत।

<<<< पिछला(1.25) । अगला(1.27) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.27
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.26) । अगला(1.28) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-27: विद्यार्थियों को वापस भेजना और उनकी क्षमा।

1. उस समय सद्धिविहारिक भिक्षुओं ने अपने उपाज्जाओं के प्रति उचित आचरण नहीं किया। मध्यम भिक्षु व्यथित हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित होकर बोले, 'सद्धिविहारिक भिक्षु अपने उपाज्जाओं के प्रति उचित आचरण क्यों नहीं करते?' इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

(तब बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा: 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि सद्धिविहारिक अपने उपज्झायों के प्रति उचित आचरण नहीं करते?' (उन्होंने उत्तर दिया): 'जी, यह सच है।' तब महान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकारा: 'हे भिक्षुओं, सद्धिविहारिक अपने उपज्झायों के प्रति उचित आचरण कैसे नहीं कर सकते?' उन्हें फटकारने और धर्म प्रवचन देने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, सद्धिविहारिक को अपने उपज्झायों के प्रति उचित आचरण करना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करता, वह दुक्कत अपराध का दोषी है।'

2. इसके बावजूद उन्होंने उचित आचरण नहीं किया। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह आदेश देता हूँ कि जो साध्वी उचित आचरण का पालन नहीं करता, उसे विमुख कर दिया जाए। हे भिक्षुओं, उसे इस प्रकार विमुख किया जाना चाहिए: (उपाज्जया इस प्रकार है): "मैं तुम्हें विमुख करता हूँ," या, "यहाँ वापस मत आना," या, "अपना भिक्षापात्र और वस्त्र ले जाओ," या, "मैं अब तुम्हारी सेवा नहीं लूँगा।" चाहे वह इसे हावभाव से व्यक्त करे, या शब्दों से, या हावभाव और शब्दों दोनों से, साध्वी विहारी को विमुख कर दिया गया है। यदि वह इसे न तो हावभाव से, न शब्दों से, न हावभाव और शब्दों दोनों से व्यक्त करता है, तो साध्वी विहारी को विमुख नहीं किया गया है।

3. उस समय जिन सद्धिविहारिकों को निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने (अपने उपज्झयों के लिए) क्षमा नहीं मांगी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि (जिस सद्धिविहारिक को अस्वीकार कर दिया गया हो) उसे (अपने उपज्जय के लिए) क्षमा मांगनी चाहिए।'

तब भी उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। उन्होंने बताया, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि (सद्धिविहारिक) जिसे निष्कासित कर दिया गया हो, वह (अपने उपज्जय के लिए) क्षमा मांगे। यदि वह क्षमा नहीं मांगता, तो यह दुक्कत अपराध है।'

4. उस समय उपज्झायों ने, जब सद्धिविहारिकों ने क्षमा मांगी, तो उन्हें क्षमा नहीं किया। उन्होंने कहा, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, मैं क्षमा करने का निर्देश देता हूँ।'

इसके बावजूद उन्होंने क्षमा नहीं की। सद्धिविहारिक या तो चले गए, या संसार में लौट गए, या दूसरे संप्रदायों में शामिल हो गए। उन्होंने बताया, इत्यादि।

जो क्षमा मांगे, उसे क्षमा करने से इनकार नहीं करना चाहिए। जो क्षमा नहीं करता, वह दुक्कटा अपराध का दोषी है।

5. उस समय उपज्झाय उचित आचरण करने वाले (सद्धिविहारिक) को दूर भगा देते थे, और जो आचरण नहीं करता था उसे दूर नहीं भगाते थे। वे कहते थे, इत्यादि।

हे भिक्षुओं, जो उचित आचरण का पालन करते हैं, उन्हें न तो विमुख किया जाए। जो उन्हें विमुख करता है, वह दुक्कता का अपराध करता है। और हे भिक्षुओं, जो उचित आचरण का पालन नहीं करते, उन्हें न तो विमुख किया जाए। जो उन्हें विमुख नहीं करता, वह दुक्कता का अपराध करता है।

6. हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में सद्धिविहारिक से विमुख हो जाना चाहिए: जब उसे अपने उपज्या के प्रति गहरा स्नेह, उसके प्रति गहरी रुचि, लज्जा, आदर और भक्ति का भाव न हो। हे भिक्षुओं, इन पाँच स्थितियों में सद्धिविहारिक से विमुख हो जाना चाहिए।

हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में सद्धिविहारिक को विमुख नहीं करना चाहिए: जब वह अपने उपज्झाय के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हो, उसके प्रति अत्यधिक झुकाव रखता हो, इत्यादि। हे भिक्षुओं, इन पाँच स्थितियों में सद्धिविहारिक को विमुख नहीं करना चाहिए।

7. हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में सद्धिविहारिक को विमुख करना उचित है: जब वह अत्यधिक स्नेह न रखता हो, इत्यादि। हे भिक्षुओं, इन पाँच स्थितियों में सद्धिविहारिक को विमुख करना उचित है।

'हे भिक्षुओं, पाँच मामलों में यह उचित नहीं है, इत्यादि।'

8. हे भिक्षुओं, पाँच मामलों में, जो उपज्या सद्धिविहारिक को विमुख नहीं करता, वह (कानून का) उल्लंघन करता है, और जो उपज्या उसे विमुख करता है, वह उल्लंघन नहीं करता: जब उसे अत्यधिक स्नेह न हो, इत्यादि। इन पाँच मामलों में, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, पाँच मामलों में, जो उपज्या किसी सद्धिविहारिक को विमुख कर देता है, वह (कानून का) उल्लंघन करता है, और जो उपज्या उसे विमुख नहीं करता, वह उल्लंघन नहीं करता, इत्यादि।'

<<<< पिछला(1.26) | अगला(1.28) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.28

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.27) | अगला(1.29) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-28: एक चम्मच दान के बदले भी दीक्षा; दीक्षा नियमों का संशोधन।

1. उस समय एक ब्राह्मण (पुजारी) भिक्षुओं के पास आया और उनसे पब्बज्ज दीक्षा देने का अनुरोध किया। भिक्षु उसे दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे। भिक्षुओं से पब्बज्ज दीक्षा न मिलने के कारण वह दुर्बल, दुबला-पतला, बदरंग और अधिक से अधिक पीला पड़ने लगा, और उसके पूरे शरीर पर नसें दिखाई देने लगीं।

और भगवान बुद्ध ने उस ब्राह्मण को देखा, जो दुबला-पतला हो गया था। जब उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, यह ब्राह्मण इतना दुबला-पतला क्यों हो गया है?'

'हे भगवान, यह ब्राह्मण भिक्षुओं के पास आया और उनसे पब्बज्ज दीक्षा (आदि, जैसा ऊपर है, नीचे तक) मांगी, और उसके पूरे शरीर पर नसें दिखाई देने लगीं।'

2. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, इस ब्राह्मण के बारे में किसे कुछ याद है?'

जब उन्होंने ऐसा कहा, तब पूज्य सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मुझे इस ब्राह्मण (पुजारी) के बारे में कुछ याद आ रहा है।'

'और सारिपुत्त, तुम्हें इस ब्राह्मण के बारे में क्या याद है?'

'हे प्रभु, एक दिन जब मैं राजगृह से भिक्षा मांगने गया, तो उस ब्राह्मण ने मुझे एक चम्मच भोजन देने का आदेश दिया; हे प्रभु, मुझे उस ब्राह्मण के बारे में यही याद है।'

3. 'अच्छा, अच्छा, सारिपुत्त; हे सारिपुत्त, पुण्य पुरुष कृतज्ञ होते हैं और अपने प्रति किए गए कार्यों को याद रखते हैं। इसलिए, हे सारिपुत्त, उस ब्राह्मण को पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करें।'

'हे प्रभु, मैं इस ब्राह्मण को पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षाएँ कैसे प्रदान करूँ?'

तब भगवान बुद्ध ने इस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, मैं आज से शरण लेने की त्रिविध घोषणा द्वारा दी जाने वाली उपसम्पदा दीक्षा को समाप्त करता हूँ, जिसे मैंने निर्धारित किया था। हे भिक्षुओं, मैं यह निर्धारित करता हूँ कि आप संघ की एक औपचारिक विधि द्वारा उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करें, जिसमें घोषणा (नट्टी) के बाद तीन प्रश्न पूछे जाते हैं।'

4. हे भिक्षुओं, आपको उपसम्पदा दीक्षा इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नट्टी (प्रस्ताव) की घोषणा करे:

'हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। यह व्यक्ति एनएन, आदरणीय एनएन से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है (अर्थात आदरणीय एनएन को अपना उपज्झाय बनाकर)। यदि संघ तैयार है, तो संघ एनएन को उपज्झाय बनाकर उपसंपदा दीक्षा प्रदान करे। यही प्रस्ताव है।'

5, 6. 'हे आदरणीय महोदय, संघ के सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे मेरी बात सुनें। यह व्यक्ति एनएन आदरणीय एनएन से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। संघ एनएन को उपसंपदा दीक्षा प्रदान करता है, जिसमें एनएन उपज्झाय होंगे। आदरणीय भाइयों में से जो भी एनएन को उपसंपदा दीक्षा प्रदान करने के पक्ष में हैं, वे मौन रहें, और जो इसके पक्ष में नहीं हैं, वे बोलें।'

और मैं दूसरी बार तुमसे इस प्रकार कहता हूँ: संघ (आदि, पहले की तरह) को रहने दो।

और मैं तीसरी बार तुमसे यही कहता हूँ: संघ, इत्यादि।

'एनएन को संघ से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त हुई है, जिसमें एनएन उपज्झाय हैं। संघ इसके पक्ष में है, इसलिए वह मौन है। मेरी समझ यही है।'

<<<< पिछला(1.27) | अगला(1.29) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.29
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (1.28) | अगला (1.30) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-29: दीक्षा केवल अनुरोध किए जाने पर ही दी जानी चाहिए।

1. उस समय एक भिक्षु ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद दुराचार का सहारा लिया। भिक्षुओं ने उससे कहा: 'मित्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए; यह उचित नहीं है।'

उन्होंने उत्तर दिया: 'मैंने आपसे कभी यह नहीं कहा, महोदय, कि "मुझे उपसंपदा दीक्षा प्रदान करें।" आपने बिना पूछे मुझे दीक्षा क्यों दी?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, जब तक किसी से ऐसा करने का अनुरोध न किया जाए, तब तक उसे दीक्षा न दें। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप केवल अनुरोध किए जाने के बाद ही दीक्षा दें।

2. और (भिक्षु से) इस प्रकार प्रार्थना की जानी चाहिए: जो उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है, वह संघ में जाए, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार धारण करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, भिक्षुओं के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करे, उकड़ू बैठकर, हाथ जोड़कर कहे: "हे पूज्यवरों, मैं संघ से उपसंपदा दीक्षा के लिए प्रार्थना करता/करती हूँ; हे पूज्यवरों, कृपा करके संघ मुझे (पापमय संसार से) बाहर निकाल दे।" और फिर दूसरी बार, इत्यादि; और तीसरी बार भी, इत्यादि प्रार्थना करे।

3. 'तब एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनें। यह व्यक्ति एनएन आदरणीय एनएन से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है; एनएन संघ से उपसंपदा दीक्षा के लिए निवेदन करता है, जिसमें एनएन उपज्झाय हो। यदि संघ तैयार है, इत्यादि।"

<<<< पिछला (1.28) | अगला (1.30) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खण्डक >> 1.30
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.29) | अगला(1.31) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-30: एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने केवल पेट भरने के लिए संगठन में प्रवेश किया; चार संसाधन।

1. उस समय राजगृह में यह व्यवस्था थी कि भिक्षुओं को विभिन्न धनी उपासकों के घरों में बारी-बारी से उत्तम भोजन प्राप्त होगा। अब (एक दिन) एक ब्राह्मण ने सोचा: 'सचमुच, इन शाक्यपुत्र भिक्षुओं के नियम और उनका जीवन कितना सुखमय है; उन्हें अच्छा भोजन मिलता है और वे हवा से सुरक्षित पलंगों पर सोते हैं। यदि मैं शाक्यपुत्र भिक्षुओं के बीच धम्म जीवन अपना लूँ तो क्या होगा?' तब यह ब्राह्मण (पुजारी) भिक्षुओं के पास गया और उनसे पब्बज्ज दीक्षा देने का अनुरोध किया; भिक्षुओं ने उसे पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की।

2. जब उनका दीक्षा संस्कार हो गया, तो (धनी उपासकों के साथ) लगातार भोजन करने का सिलसिला समाप्त हो गया। भिक्षुओं ने उनसे कहा: 'आओ, मित्र, अब हम भिक्षा मांगने चलें।'

उन्होंने उत्तर दिया: 'मैंने भिक्षा मांगने के उद्देश्य से धम्म जीवन नहीं अपनाया है; यदि आप मुझे (भोजन) देंगे, तो मैं खाऊंगा; यदि आप नहीं देंगे, तो मैं संसार में लौट जाऊंगा।'

(भिक्षुओं ने कहा): 'क्या, मित्र! क्या तुमने सचमुच अपने पेट की खातिर धम्म जीवन को अपनाया है?'

'हां दोस्तों।'

3. मध्यम भिक्षु नाराज हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए: 'इतने सुशिक्षित सिद्धांत और अनुशासन में कोई भिक्षु अपने पेट भरने के लिए धम्म जीवन को कैसे अपना सकता है?'

इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

(बुद्ध ने कहा): 'हे भिक्षु, क्या यह सच है कि तुमने अपने पेट की खातिर धम्म जीवन को अपनाया है?'

(उसने उत्तर दिया): 'यह सच है, प्रभु।'

तब महान बुद्ध ने उस भिक्षु को फटकारा: 'हे मूर्ख, तुम अपने पेट भरने के लिए इतने सुशिक्षित सिद्धांत और अनुशासन में धम्म जीवन को कैसे अपना सकते हो? हे मूर्ख, यह न तो धर्मान्तरितों को धर्मान्तरित करने और न ही धर्मान्तरितों की संख्या बढ़ाने के लिए उचित है।'

उसे फटकार लगाने और धर्मोपदेश देने के बाद, उसने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

4. 'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि जो कोई (भिक्षु को) उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करे, वह उसे चारों संसाधनों के बारे में बताए।

'धम्ममय जीवन का आधार भिक्षा में प्राप्त भोजन के अंश हैं। इसलिए आपको जीवन भर इसी प्रकार जीने का प्रयास करना चाहिए। संघ को दिया जाने वाला भोजन, कुछ व्यक्तियों को दिया जाने वाला भोजन, निमंत्रणों पर दिया जाने वाला भोजन, टिकट द्वारा वितरित भोजन, प्रत्येक पखवाड़े, प्रत्येक उपोसथ दिवस (अर्थात प्रत्येक पखवाड़े का अंतिम दिन) या प्रत्येक पखवाड़े के पहले दिन दिया जाने वाला भोजन अतिरिक्त भत्ते हैं।'

'धम्ममय जीवन का वस्त्र कूड़े के ढेर से उठाए गए चिथड़ों से बना होता है। इसलिए आपको जीवन भर इसी प्रकार जीने का प्रयास करना चाहिए। लिनन, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र, मोटा कपड़ा, भांग का कपड़ा अतिरिक्त उपयोग हैं।'

'धम्ममय जीवन का मूल आधार वृक्ष की गोद में निवास करना है। इसलिए आपको जीवन भर इसी तरह जीने का प्रयास करना चाहिए। विहार (मठ), अद्धयोग, बहुमंजिला आवास, अटारी, गुफाएँ अतिरिक्त सुविधाएं हैं।'

'धम्ममय जीवन में मूत्र का अपघटन औषधि के रूप में होता है। इसलिए आपको जीवन भर इसे जीने का प्रयास करना चाहिए। घी, मक्खन, तेल, शहद और गुड़ अतिरिक्त उपयोग हैं।'

यहां पांचवां भानवर समाप्त होता है, जिसमें उपज्याओं के प्रति कर्तव्यों का वर्णन है।

<<<< पिछला(1.29) । अगला(1.31) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.31

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.30) । अगला(1.32) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-31: दस वर्ष पूर्ण कर चुके विद्वान भिक्षुओं द्वारा दी जाने वाली दीक्षा।

1. उस समय एक युवक भिक्षुओं के पास आया और उनसे दीक्षा लेने का अनुरोध किया। भिक्षुओं ने दीक्षा से पहले ही उसे (चार) संसाधनों के बारे में बताया। तब उसने कहा, 'हे पूज्यवर, यदि आपने मुझे दीक्षा के बाद संसाधनों के बारे में बताया होता, तो मैं धर्म जीवन में दृढ़ रहता; परन्तु अब, हे पूज्यवर, मैं दीक्षा नहीं लूंगा; संसाधन मुझे घृणित और अप्रिय लगते हैं।'

भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, दीक्षा से पहले उम्मीदवारों को संसाधन नहीं बताने चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता का अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप नवदीक्षित भिक्षुओं को उनकी उपसम्पदा के तुरंत बाद संसाधन बताएँ।'

2. उस समय कुछ भिक्षुओं ने दो या तीन भिक्षुओं के एक अध्याय के साथ उपसम्पदा सेवा की।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, दस से कम भिक्षुओं के समूह के समक्ष उपसम्पदा दीक्षा ग्रहण न करें। जो कम भिक्षुओं के साथ उपसम्पदा सेवा करता है, वह दुक्कत अपराध का दोषी है। हे भिक्षुओं, मैं आपको दस या दस से अधिक भिक्षुओं के समूह के साथ उपसम्पदा सेवा करने का निर्देश देता हूँ।

3. उस समय कुछ भिक्षु अपने सद्धिविहारिकों को अपनी उपसम्पदा के एक या दो वर्ष बाद उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करते थे। इसी प्रकार पूज्य उपसेना वांगंतपुत्त ने भी अपनी उपसम्पदा के एक वर्ष बाद अपने एक सद्धिविहारिक को उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की। जब उन्होंने वर्षावास का निवास समाप्त किया, अपनी उपसम्पदा के दो वर्ष बाद, वे अपने सद्धिविहारिक के साथ, जिसने अपनी उपसम्पदा के बाद

एक वर्ष पूरा कर लिया था, उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए।

4. अब महान बुद्धों की यह प्रथा है कि वे आने वाले भिक्षुओं का अभिवादन करते हैं। भगवान बुद्ध ने आदरणीय उपसेना वांगंतपुत्त से कहा, 'हे भिक्षु, क्या आपका जीवन कुशल मंगल है? क्या आपको जीवनयापन के लिए पर्याप्त धन मिल रहा है? क्या आपने अपनी यात्रा बिना अधिक थके पूरी की है?'

'हे प्रभु, हमारी स्थिति भली-भांति है; हमें जीवनयापन के लिए पर्याप्त धन-संपत्ति प्राप्त हो रही है, और हमने अपनी यात्रा बिना अधिक परिश्रम के पूरी कर ली है।' तथागत कभी-कभी अपने ज्ञान के विषय में प्रश्न पूछते हैं; कभी-कभी वे अपने ज्ञान के विषय में प्रश्न नहीं पूछते। वे सही समय पर प्रश्न पूछना जानते हैं और सही समय पर प्रश्न न पूछना भी जानते हैं। तथागत अर्थपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, निरर्थक नहीं; निरर्थक प्रश्नों के लिए तथागत अनुत्तरदायी होते हैं। महान बुद्ध भिक्षुओं से दो उद्देश्यों से प्रश्न पूछते हैं: एक जब वे उपदेश देना चाहते हैं, और दूसरा जब वे अपने शिष्यों के लिए आचरण नियम स्थापित करना चाहते हैं।

5. और भगवान बुद्ध ने पूज्य उपनंद वांगंतपुत्त से कहा: 'हे भिक्षु, आपने अपनी उपसम्पदा के बाद कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं?'

'दो साल, प्रभु।'

'और इस भिक्षु ने कितने वर्ष पूरे किए हैं?'

'एक साल, प्रभु।'

'इस भिक्षु का आपसे क्या संबंध है?'

'हे प्रभु, वही मेरे सद्धिविहारिका हैं।'

तब महान बुद्ध ने उसे फटकारा: 'हे मूर्ख, यह अनुचित है, अशोभनीय है, अनुपयुक्त है, एक भिक्षु के योग्य नहीं है, अस्वीकार्य है और इससे बचना चाहिए। हे मूर्ख, जो दूसरों से उपदेश और शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है, वह स्वयं को दूसरे भिक्षु को उपदेश और शिक्षा देने के योग्य कैसे समझता है? हे मूर्ख, तुमने बहुत जल्दी अनुयायी एकत्र करने की महत्वाकांक्षा पाल ली है। यह उचित नहीं है (आदि: जैसा कि अध्याय 30.3 में है)। हे भिक्षुओं, दस वर्ष पूर्ण किए बिना कोई भी उपसम्पदा दीक्षा न दे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता का दोषी है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि केवल वही व्यक्ति उपसम्पदा दीक्षा दे सकता है जिसने दस वर्ष या उससे अधिक पूर्ण किए हों।'

6. उस समय अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु (जो कहते थे), 'हमने उपसंपदा प्राप्त किए दस वर्ष पूरे कर लिए हैं, हमने दस वर्ष पूरे कर लिए हैं,' उपसंपदा दीक्षा प्रदान करते थे; (इस प्रकार) अज्ञानी उपज्झा और चतुर सद्धिविहारिक पाए गए; अनपढ़ उपज्झा और विद्वान सद्धिविहारिक पाए गए; अल्पज्ञान वाले उपज्झा और महानज्ञान वाले सद्धिविहारिक पाए गए; मूर्ख उपज्झा और ज्ञानी सद्धिविहारिक पाए गए। और एक भिक्षु जो पहले एक तित्तीय संप्रदाय का था, जब उसके उपज्झा ने धम्म के अनुसार (कुछ अपराधों पर) उससे आपत्ति जताई, तो उसने अपने उपज्झा को (तर्क से) चुप करा दिया और उसी तित्तीय संप्रदाय में लौट गया।

7. मध्यम भिक्षु नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए: 'ये अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु उपसम्पदा दीक्षा कैसे दे सकते हैं (यह कहते हुए); "हमने दस वर्ष पूरे कर लिए हैं, हमने दस वर्ष पूरे कर लिए हैं?" (इस प्रकार) अज्ञानी उपज्झय और चतुर सद्धिविहारिक पाए जाते हैं (आदि), मूर्ख उपज्झय और बुद्धिमान सद्धिविहारिक पाए जाते हैं।'

इन भिक्षुओं ने बताया, इत्यादि।

'क्या यह सच है, हे भिक्षुओं, इत्यादि?'

'यह सच है, प्रभु।'

8. तब महान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकारा: 'हे भिक्षुओं, ये मूर्ख लोग उपसम्पदा दीक्षा कैसे दे सकते हैं, यह कहते हुए कि "हमारे पास है, इत्यादि?" (इस प्रकार) अज्ञानी उपज्झय पाए जाते हैं, इत्यादि। हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने और परिवर्तितों की संख्या बढ़ाने के लिए उचित नहीं है।'

उन भिक्षुओं को फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, कोई भी अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु उपसम्पदा दीक्षा न दे। यदि वह ऐसा करता है, तो वह दुक्कत अपराध का दोषी है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि केवल एक विद्वान, योग्य भिक्षु, जिसने दस वर्ष या उससे अधिक का अनुभव किया हो, उपसम्पदा दीक्षा दे सकता है।'

<<<< पिछला(1.30) । अगला(1.32) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.32

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.31) । अगला(1.33) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-32: आचार्यों (शिक्षकों) की नियुक्ति।

1. उस समय कुछ भिक्षु जिनके उपज्हय चले गए थे, या संसार में लौट आए थे, या मर गए थे, या किसी (विद्रोही) गुट में शामिल हो गए थे, क्योंकि उनके पास कोई आचार्य (शिक्षक) नहीं थे और उन्हें कोई उपदेश और निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था, वे अनुचित अंतर्वस्त्र और आच्छादित वस्त्र पहनकर भिक्षा मांगने के लिए चक्कर लगाते थे (आदि, जैसा कि अध्याय 25. 1-6 में नीचे दिया गया है): इस प्रकार उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया: 'मैं यह निर्देश देता हूँ, हे भिक्षुओं, (कि युवा भिक्षु) एक आचार्य (शिक्षक) का चयन करें।

हे भिक्षुओं, आचार्य (शिक्षक) को अपने शिष्य को पुत्र के समान समझना चाहिए; और शिष्य को आचार्य (शिक्षक) को पिता के समान समझना चाहिए। इस प्रकार, ये दोनों परस्पर आदर, विश्वास और जीवन के सहभागिता से जुड़कर इस सिद्धांत और अनुशासन में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे और उच्च स्तर तक पहुंचेंगे।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि तुम (पहले) दस वर्ष आचार्य (शिक्षक) पर निर्भर रहकर जीवन व्यतीत करो; जो अपना दसवाँ वर्ष पूरा कर ले वह स्वयं उपदेश दे सकता है।'

2. हे भिक्षुओं, अंतेवासिका को अपने आचार्य का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए: उन्हें अपना ऊपरी वस्त्र इस प्रकार धारण करना चाहिए कि एक कंधा ढका रहे, आचार्य के चरणों को प्रणाम करना चाहिए, उकड़ू बैठकर अपने हाथ जोड़कर कहना चाहिए: "हे आदरणीय गुरु, आप ही मेरे आचार्य बनें, मैं आप पर निर्भर रहूंगा।" (यह सूत्र तीन बार दोहराया जाता है।)

(यदि दूसरे उत्तर): "ठीक है" (आदि, जैसा कि अध्याय 25.7 में है)।

3. 'अंतवासिका, हे भिक्षुओं, अपने आचार्य (शिक्षक) के प्रति कठोर आचरण का पालन करना चाहिए' (आदि, जैसा कि अध्याय 25. 8-24 में है)।

आचार्य (शिक्षक) के प्रति कर्तव्यों की समाप्ति।

<<<< पिछला(1.31) । अगला(1.33) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.33

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.32) । अगला(1.34) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-33: आचार्यों के लिए कठोर आचरण।

'आचार्य (शिक्षक), हे भिक्षुओं, अपने अंतिवसिका के प्रति कठोर आचरण का पालन करना चाहिए' (आदि, जैसा कि अध्याय 26 में है)।

अंतेवासिका के प्रति कर्तव्यों का अंत।

छठे भानवरा का समापन।

<<<< पिछला(1.32) | अगला(1.34) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.34
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.33) | अगला(1.35) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-34: शिष्यों के लिए उचित आचरण।

उस समय अंतेवासिकाओं ने अपने आचार्यों (शिक्षकों) के प्रति उचित आचरण नहीं किया (आदि, जैसा कि अध्याय 27. 1-8 में है)।

<<<< पिछला(1.33) | अगला(1.35) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.35
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.34) | अगला(1.36) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-35: केवल विद्वान और योग्य भिक्षुओं को ही शिष्य रखने चाहिए।

1, 2. उस समय अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षुओं ने (जिन्होंने कहा), 'हमने (अपनी उपसम्पदा के बाद) दस वर्ष पूरे कर लिए हैं, हमने दस वर्ष पूरे कर लिए हैं,' निस्साया (अर्थात उन्होंने युवा भिक्षुओं को अपने अंतिवसिक के रूप में स्वीकार किया); (इस प्रकार) अज्ञानी आचार्य (शिक्षक) और चतुर अंतिवसिक पाए गए; अनपढ़ आचार्य (शिक्षक) और विद्वान अंतिवसिक पाए गए; कम ज्ञान वाले आचार्य (शिक्षक) और अधिक ज्ञान वाले अंतिवसिक पाए गए; मूर्ख आचार्य (शिक्षक) और ज्ञानी अंतिवसिक पाए गए। मध्यम भिक्षु नाराज हो गए (आदि, जैसा कि अध्याय 31, 7, 8 में है)।

हे भिक्षुओं, अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु को निस्साय नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर वह दुक्कत अपराध का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि केवल दस वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाला विद्वान, योग्य भिक्षु ही निस्साय दे सकता है।

<<<< पिछला(1.34) | अगला(1.36) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खण्डक >> 1.36
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.35) | अगला(1.37) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-36: शिष्यत्व का अंत; केवल सिद्ध पुरुष ही दीक्षा प्रदान कर सकते हैं

1. उस समय जिन भिक्षुओं के आचार्य (शिक्षक) और उपज्झाय चले गए थे, या संसार में लौट गए थे, या मर गए थे, या किसी (विद्रोही) गुट में शामिल हो गए थे, वे अपने निस्सयों के समापन के नियमों से परिचित नहीं थे। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, (सद्धिविहारिक और) उपज्झय के बीच निस्साय के समाप्त होने के पाँच कारण हैं: जब उपज्झय चला जाता है, या संसार में लौट जाता है, या मर जाता है, या किसी (विद्रोही) गुट में शामिल हो जाता है; पाँचवाँ कारण उपज्झय द्वारा सद्धिविहारिक को दिया गया आदेश है। हे भिक्षुओं, ये (सद्धिविहारिक और) उपज्झय के बीच निस्साय के समाप्त होने के पाँच कारण हैं।

हे भिक्षुओं, अंतेवासिका और आचार्य (गुरु) के बीच निस्साय के समाप्त होने के छह कारण हैं: आचार्य (गुरु) के चले जाने पर, इत्यादि; पाँचवाँ कारण आचार्य (गुरु) द्वारा अंतेवासिका को दिए गए आदेश का है; या (छठा) जब आचार्य (गुरु) और उपज्झाय एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं। हे भिक्षुओं, ये अंतेवासिका और आचार्य (गुरु) के बीच निस्साय के समाप्त होने के छह कारण हैं।

2. हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में भिक्षु को उपसम्पदा दीक्षा नहीं देनी चाहिए, न ही निस्साया देना चाहिए और न ही किसी नौसिखिए को दीक्षा देनी चाहिए: जब वह नैतिक आचरण में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले; या आत्म-एकाग्रता में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले; या ज्ञान में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले; या मोक्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले; या मोक्ष के ज्ञान और अंतर्दृष्टि में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले। हे भिक्षुओं, इन पाँच स्थितियों में भिक्षु को उपसम्पदा दीक्षा नहीं देनी चाहिए, न ही निस्साया देना चाहिए और न ही किसी नौसिखिए को दीक्षा देनी चाहिए।

3. हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में एक भिक्षु उपसम्पदा दीक्षा प्रदान कर सकता है, निस्सय दे सकता है और किसी नौसिखिए को दीक्षा दे सकता है: जब वह नैतिक आचरण आदि से संबंधित सभी मामलों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे भिक्षुओं, इन पाँच स्थितियों में एक भिक्षु ऐसा कर सकता है, आदि।

4. हे भिक्षुओं, अन्य पाँच मामलों में भी भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए, इत्यादि: जब वह स्वयं नैतिक आचरणों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले और दूसरों को नैतिक आचरणों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में सहायता न कर सके; या जब वह स्वयं आत्म-एकाग्रता में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले और दूसरों को आत्म-एकाग्रता में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में सहायता न कर सके, इत्यादि।

5. 'हे भिक्षुओं, पाँच मामलों में एक भिक्षु परामर्श दे सकता है, इत्यादि: जब वह स्वयं नैतिक आचरणों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है और दूसरों को भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम होता है, इत्यादि।

6. हे भिक्षुओं, अन्य पाँच स्थितियों में भी भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए, इत्यादि: जब वह अविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, पाप से भयभीत न हो, आलसी हो, और विस्मृत हो। इन पाँच स्थितियों में, इत्यादि।

7. हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में भिक्षु परामर्श कर सकता है, इत्यादि: जब वह विश्वासी हो, विनम्र हो, पाप से भयभीत हो, परिश्रमी हो और उसकी स्मृति प्रबल हो। इन पाँच स्थितियों में, इत्यादि।

8. हे भिक्षुओं, अन्य पाँच मामलों में भी भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए: जब वह नैतिक आचरण में दोषी हो; या जब वह आचरण के नियमों में उल्लंघन करता हो; या जब वह विधर्म में दोषी हो; या जब वह अज्ञानी हो; या जब वह मूर्ख हो। इन पाँच मामलों में, आदि।

9. हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में भिक्षु परामर्श कर सकता है: जब नैतिक आचरण के संबंध में वह नैतिक अपराधों का दोषी न हो; जब वह विद्वान हो; और जब वह बुद्धिमान हो। इन पाँच स्थितियों में, आदि।

10. हे भिक्षुओं, अन्य पाँच स्थितियों में भी भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए, इत्यादि: जब वह किसी बीमार अंतिवसिक या सद्धिविहारिक की देखभाल करने या करवाने में असमर्थ हो; जब उसके मन में धम्म जीवन से असंतोष उत्पन्न हो गया हो; जब उसके मन में उत्पन्न अंतरात्मा के संदेहों को धम्म के अनुसार दूर करने या दूर करवाने के लिए; जब वह अपराध का ज्ञान न रखता हो; या अपराध के प्रायश्चित का तरीका न जानता हो। इन पाँच स्थितियों में, इत्यादि।

11. हे भिक्षुओं, पाँच मामलों में भिक्षु परामर्श कर सकता है, इत्यादि: जब वह सक्षम हो (आदि, तक): जब वह जानता हो कि अपराध क्या है; और जानता हो कि अपराध का प्रायश्चित कैसे किया जाता है। इन पाँच मामलों में, इत्यादि।

12. हे भिक्षुओं, अन्य पाँच मामलों में भी भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए, इत्यादि: जब वह किसी अंतवासिक या सद्धिविहारिक को उचित आचरण के उपदेशों में प्रशिक्षित करने, नैतिकता के मूल तत्वों में शिक्षित करने, धम्म के विषयों में निर्देश देने, विनय के विषयों में निर्देश देने, या किसी गलत मत पर धम्म के अनुसार चर्चा करने या किसी अन्य से चर्चा करवाने में सक्षम न हो। इन पाँच मामलों में, इत्यादि।

13. 'हे भिक्षुओं, पाँच मामलों में भिक्षु परामर्श कर सकता है, इत्यादि: जब वह सक्षम हो, इत्यादि।

14. हे भिक्षुओं, अन्य पाँच मामलों में भी भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए, इत्यादि: जब वह यह न जानता हो कि अपराध क्या है; या यह न जानता हो कि अपराध क्या नहीं है; या यह न जानता हो कि हल्का अपराध क्या है; या यह न जानता हो कि गंभीर अपराध क्या है; जब दोनों पतिमोक्खों का संपूर्ण ज्ञान, उनके सभी विभाजनों और उनके संपूर्ण क्रम सहित, और प्रत्येक नियम के अनुसार और प्रत्येक नियम के प्रत्येक भाग के अनुसार संपूर्ण विवेचना सहित, उसे पूर्णतः ज्ञात न हो। इन पाँच मामलों में, इत्यादि।

15. 'हे भिक्षुओं, पाँच मामलों में एक भिक्षु परामर्श कर सकता है, इत्यादि: जब वह जानता हो, इत्यादि।

16. हे भिक्षुओं, अन्य पाँच मामलों में भी भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए, इत्यादि: जब वह यह न जानता हो कि अपराध क्या है; या यह न जानता हो कि अपराध क्या नहीं है; या यह न जानता हो कि हल्का अपराध क्या है; या यह न जानता हो कि गंभीर अपराध क्या है; या जब उसने (उपसंपदा के बाद) दसवाँ वर्ष पूरा न किया हो। इन पाँच मामलों में, इत्यादि।

17. 'हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में भिक्षु परामर्श कर सकता है, इत्यादि: जब वह जानता हो (आदि, यहाँ तक); जब उसने दस वर्ष या दस वर्ष से अधिक (अपनी उपसंपदा के बाद) पूर्ण कर लिए हों। इन पाँच स्थितियों में, इत्यादि।'

उपसम्पदा की स्वीकार्यता से संबंधित सोलह गुना पांच मामलों का अंत।

<<<< पिछला(1.35) | अगला(1.37) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खण्डक >> 1.37
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.36) | अगला(1.38) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-37: स्वीकार्यता।

'हे भिक्षुओं, छह मामलों में भिक्षु को परामर्श नहीं करना चाहिए, इत्यादि।'

उपसम्पदा की स्वीकार्यता से संबंधित सोलह गुना छह मामलों का अंत।

<<<< पिछला(1.36) । अगला(1.38) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.38
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.37) । अगला(1.39) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-38: दीक्षा - वे जो अन्य स्कूलों से संबंधित थे और वे जिन्होंने अवज्ञा की।

1. उस समय वह भिक्षु, जो पहले एक तित्तीय संप्रदाय का था, जिसने अपने उपज्जय को (तर्क से) चुप करा दिया था, जब उसने धम्म के अनुसार अवज्ञा और विरोध किया था, और उसी तित्तीय संप्रदाय में लौट आया था, फिर वापस आया और भिक्षुओं से उपसंपदा दीक्षा के लिए अनुरोध किया। भिक्षुओं ने बताया, इत्यादि।

हे भिक्षुओं, वह भिक्षु जो पूर्व में तित्तीय संप्रदाय का सदस्य था और जिसने धर्म के अनुसार अवज्ञा और विरोध करने पर अपना उपज्जया त्याग दिया और उसी तित्तीय संप्रदाय में लौट आया है, उसे उपसंपदा दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। हे भिक्षुओं, अन्य व्यक्तियों पर, जो पूर्व में तित्तीय संप्रदाय के सदस्य रहे हैं और इस सिद्धांत और अनुशासन में पब्बज्जा और उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आपको चार महीने का परिवास (परीक्षण अवधि) लगाना चाहिए।

2. हे भिक्षुओं, आपको यह नियम इस प्रकार लागू करना चाहिए: जो दीक्षा लेना चाहता है, वह पहले अपने बाल और दाढ़ी कटवा ले; पीले वस्त्र धारण करे, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, भिक्षुओं के चरणों को (सिर झुकाकर) प्रणाम करे और उकड़ू बैठ जाए; फिर अपने हाथ जोड़कर कहे: "मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धम्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। और दूसरी बार, इत्यादि। और तीसरी बार मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, तीसरी बार मैं धम्म की शरण लेता हूँ, तीसरी बार मैं संघ की शरण लेता हूँ।"

3. हे भिक्षुओं, जो पूर्व में तित्तिया संप्रदाय के रहे हों, वे संघ के पास आएं, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार धारण करें कि एक कंधा ढका रहे, भिक्षुओं के चरणों को (सिर झुकाकर) प्रणाम करें, उकड़ू बैठकर, हाथ जोड़कर कहें: "मैं, आदरणीय भिक्षुओं, जो पूर्व में तित्तिया संप्रदाय के रहे हों, इस सिद्धांत और अनुशासन में उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं, और संघ से, आदरणीय भिक्षुओं, चार माह के प्रवास का अनुरोध करता/करती हूं।" वे इस प्रकार दूसरी बार भी अनुरोध करें। वे इस प्रकार तीसरी बार भी अनुरोध करें।

तब एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनें, यह व्यक्ति एन, एन, जो पूर्व में एक तित्तीय संप्रदाय से संबंधित था, इस सिद्धांत और अनुशासन में उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। वह संघ से चार महीने के परिवास का अनुरोध करता है। यदि संघ तैयार है, तो संघ पूर्व में एक तित्तीय संप्रदाय से संबंधित एन एन पर चार महीने का परिवास लागू करे। यही नत्ति (प्रस्ताव) है।"

4. "हे आदरणीय महोदय, संघ के सभी सदस्यों से निवेदन है कि यह व्यक्ति एनएन, जिसके पास आदि हैं, संघ से चार महीने के परिवास का अनुरोध करता है। संघ एनएन पर, जो पूर्व में एक तित्तीय संप्रदाय से संबंधित था, चार महीने का परिवास लागू करता है। आदरणीय भाइयों में से जो भी एनएन पर, जो पूर्व में एक तित्तीय संप्रदाय से संबंधित था, चार महीने का परिवास लागू करने के पक्ष में हो, वह मौन रहे, और जो इसके पक्ष में न हो, वह बोले। संघ ने एनएन पर, जो पूर्व में एक तित्तीय संप्रदाय से संबंधित था, चार महीने का परिवास लागू कर दिया है। संघ इसके पक्ष में है, इसलिए वह मौन है। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"

5. और हे भिक्षुओं, यही वह तरीका है जिससे पूर्व में तित्तिया संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति (भिक्षुओं को संतुष्ट करने और परीक्षा अवधि समाप्त होने पर उपसंपदा प्राप्त करने में) सफल या असफल होता है।

'हे भिक्षु, वह कौन सा तरीका है जिससे पूर्व में तित्तिया संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति (भिक्षुओं को) संतुष्ट करने में विफल रहता है?'

'हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति जो पहले तित्तीय संप्रदाय का सदस्य रहा हो, गाँव में बहुत जल्दी प्रवेश करता है और विहार में बहुत देर से लौटता है, तो हे भिक्षुओं, वह व्यक्ति जो पहले तित्तीय संप्रदाय का सदस्य रहा हो, भिक्षुओं को संतुष्ट करने में विफल रहता है।'

और हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति जो पहले तित्तीय संप्रदाय का सदस्य रहा हो, वेश्याओं, विधवाओं, व्यभिचारियों, नपुंसकों या भिक्षुणियों की संगति में रहता है, तो हे भिक्षुओं, तित्तीय संप्रदाय का पूर्व सदस्य रहा व्यक्ति (भिक्षुओं को) संतुष्ट करने में असफल रहता है।

6. और हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति जो पूर्व में तित्तिया संप्रदाय का सदस्य रहा हो, अपने साथी भिक्षुओं को सौंपे गए विभिन्न कार्यों में निपुणता प्रदर्शित न करे, परिश्रमी न हो, उन कार्यों को करने के तरीके पर विचार करने में सक्षम न हो, स्वयं कार्य करने में सक्षम न हो, दूसरों को निर्देश देने में सक्षम न हो, तो भी, हे भिक्षुओं, इत्यादि।

और आगे, हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति जो पूर्व में तित्तिया संप्रदाय का सदस्य रहा हो, उपदेश दिए जाने पर या नैतिकता, चिंतन और ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने पर तीव्र उत्साह न दिखाए, तो भी, हे भिक्षुओं, यही कारण है कि...

7. हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति जो पहले तित्तीय संप्रदाय का सदस्य रहा हो, अपने पूर्व संप्रदाय के शिक्षक, विश्वास, मत, विचार और पंथ के विरुद्ध बोलने पर क्रोधित, अप्रसन्न और असंतुष्ट हो जाता है; और बुद्ध, धम्म और संघ के विरुद्ध बोलने पर प्रसन्न, प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है; या शिक्षक की प्रशंसा करने पर प्रसन्न, प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है, इत्यादि; और बुद्ध, धम्म और संघ की प्रशंसा करने पर क्रोधित, अप्रसन्न और असंतुष्ट हो जाता है; तो हे भिक्षुओं, यह तित्तीय संप्रदाय के पूर्व सदस्य के लिए संघ में प्रवेश प्राप्त करने में विफलता का निर्णायक क्षण है।

हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति पूर्व में तित्तीय संप्रदाय का सदस्य रहा हो, वह भिक्षुओं को संतुष्ट करने में विफल रहता है। हे भिक्षुओं, जब कोई व्यक्ति आता है जो पूर्व में तित्तीय संप्रदाय का सदस्य रहा हो और इस प्रकार भिक्षुओं को संतुष्ट करने में विफल रहा हो, तो उसे उपसम्पदा दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए।

8-10. 'हे भिक्षुओं, वह कौन सा तरीका है जिससे पूर्व में तित्तिया संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति (भिक्षुओं को) संतुष्ट करने में सफल होता है?'

'हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति जो पहले तित्तिया संप्रदाय से संबंधित रहा हो, गाँव में बहुत जल्दी प्रवेश न करे (आदि, पिछले कथन के ठीक विपरीत)।'

'हे भिक्षुओं, जब कोई व्यक्ति आता है जो पूर्व में तित्तिया संप्रदाय का सदस्य रहा हो और इस प्रकार भिक्षुओं को संतुष्ट करने में सफल रहा हो, तो उसे उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की जानी चाहिए।'

11. हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति, जो पूर्व में तित्तिया संप्रदाय का सदस्य रहा हो, नग्न अवस्था में (भिक्षुओं के पास) आता है, तो उसके उपाज्जा का यह कर्तव्य है कि वह उसके लिए वस्त्र की व्यवस्था करे। यदि वह बिना दाढ़ी बनवाए आता है, तो उसके बाल मुंडवाने के लिए संघ से अनुमति लेनी चाहिए।

हे भिक्षुओं, यदि अग्नि उपासक और जटिला आपके पास आते हैं, तो उन्हें (प्रत्यक्ष रूप से) उपसम्पदा दीक्षा दी जानी चाहिए, उन पर कोई परिवास नहीं थोपा जाना चाहिए। और इसका क्या कारण है? हे भिक्षुओं, ये इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, और हमारे कर्मों का परिणाम (उनके नैतिक गुणों के अनुसार) होता है।

हे भिक्षुओं, यदि जन्म से शाक्य, जो तित्तिया संप्रदाय से संबंधित हो, आपके पास आता है, तो उसे उपसम्पदा दीक्षा (प्रत्यक्ष रूप से) प्राप्त करनी चाहिए, और उस पर कोई परिवास नहीं थोपा जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, यह विशेष विशेषाधिकार मैं अपने सगे संबंधियों को प्रदान करता हूँ।

यहां तित्तिया संप्रदायों से पूर्व में संबंधित व्यक्तियों के दीक्षा संस्कार पर व्याख्या समाप्त होती है।

सातवें भानवर का समापन।

<<<< पिछला(1.37) | अगला(1.39) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खण्डक >> 1.39

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.38) | अगला(1.40) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-39: पाँच रोगों से ग्रसित लोगों को दीक्षा नहीं दी जाएगी।

1. उस समय मगध के लोगों में ये पाँच रोग फैले हुए थे: कुष्ठ रोग, फोड़े, शुष्क कुष्ठ रोग, क्षय रोग और दौरे। इन पाँच रोगों से पीड़ित लोग जीवक कोमरभक्का के पास गए और बोले, 'हे चिकित्सक, कृपया हमें ठीक कर दीजिए।'

महोदय, मेरे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं और मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार, राजमहल और बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समुदाय का उपचार करना है। मैं आपका उपचार नहीं कर सकता।

'हमारी सारी संपत्ति आपकी होगी, चिकित्सक जी, और हम आपके दास होंगे; कृपया, चिकित्सक जी, हमारा इलाज कीजिए।'

'मेरे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं, महोदय, इत्यादि; मैं आपका इलाज नहीं कर सकता।'

2. अब उन लोगों ने सोचा, 'सचमुच, इन शाक्यपुत्री भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और उनका जीवन कितना सुखमय है; उन्हें अच्छा भोजन मिलता है और वे हवा से सुरक्षित पलंगों पर सोते हैं। अगर हम भी शाक्यपुत्री भिक्षुओं के बीच धम्म जीवन अपना लें, तो भिक्षु हमारी देखभाल करेंगे और जीवक कुमारभक्क हमारा इलाज करेंगे।'

इस प्रकार ये व्यक्ति भिक्षुओं के पास गए और उनसे पब्बज्ज दीक्षा मांगी; भिक्षुओं ने उन्हें पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की; और भिक्षुओं ने उनकी देखभाल की, और जीवक कोमरभक्क ने उन्हें ठीक कर दिया।

3. उस समय, कई बीमार भिक्षुओं की सेवा करने वाले भिक्षुओं ने (गृहस्थों से) अनेक माँगें और निवेदन करना शुरू कर दिया: 'बीमारों के लिए भोजन दीजिए; बीमारों की देखभाल करने वालों के लिए भोजन दीजिए; बीमारों के लिए दवाइयाँ दीजिए।' और कई बीमार भिक्षुओं का इलाज करने वाले जीवक कोमरभक्क ने भी राजा के प्रति अपने कुछ कर्तव्यों की उपेक्षा की।

4. अब एक दिन पाँचों रोगों से पीड़ित एक व्यक्ति जीवक कोमरभक्का के पास गया और बोला: 'हे चिकित्सक, कृपया मुझे ठीक कर दीजिए।'

'महोदय, मेरे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं और मैं बहुत व्यस्त हूँ; मुझे मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार, राजमहल और बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समुदाय का इलाज करना है; मैं आपका इलाज नहीं कर सकता।'

'हे चिकित्सक, मेरी सारी संपत्ति आपकी होगी और मैं आपका दास बनूंगा; कृपया चिकित्सक, मुझे ठीक कर दीजिए।'

'मेरे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं, महोदय, इत्यादि; मैं आपका इलाज नहीं कर सकता।'

5. अब उस व्यक्ति ने सोचा: 'सचमुच, शाक्यपुत्रीय समनों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का पालन करने पर (आदि, आगे तक): भिक्षु मेरी देखभाल करेंगे और जीवक कुमारभक्क मुझे ठीक करेंगे। जब मैं रोगमुक्त हो जाऊंगा, तब मैं संसार में लौट जाऊंगा।'

इस प्रकार वह व्यक्ति भिक्षुओं के पास गया और उनसे पब्बज्ज दीक्षा का अनुरोध किया; भिक्षुओं ने उसे पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की; भिक्षुओं ने उसकी देखभाल की और जीवक कोमरभक्क ने उसे स्वस्थ किया। जब वह रोगमुक्त हो गया, तो वह संसार में लौट आया। अब जीवक कोमरभक्क ने संसार में लौटे उस व्यक्ति को देखा; और उसे देखकर उन्होंने उससे पूछा: 'हे महोदय, क्या आपने भिक्षुओं के बीच धम्म जीवन नहीं अपनाया था?'

'जी हां, डॉक्टर।'

'और आपने ऐसा रास्ता क्यों अपनाया है, महोदय?'

तब उस व्यक्ति ने जीवक कोमरभक्का को पूरी बात बताई।

6. तब जीवक कोमरभक्का नाराज हो गए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए: 'आदरणीय बंधुओं को पांचों रोगों से ग्रसित व्यक्ति को पब्बज्ज दीक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं?'

जीवक कोमरभक्क भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। उनके पास बैठकर जीवक कोमरभक्क ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, प्रार्थना है कि पाँचों रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को उनकी श्रद्धा से पापज्ज दीक्षा प्राप्त न हो जाए।'

7. तब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा जीवक कोमरभक्क को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया; और जीवक कोमरभक्क, भगवान बुद्ध द्वारा धर्म प्रवचन से शिक्षा प्राप्त करने और प्रसन्न होने के बाद, अपने स्थान से उठे, भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया, और उनके दाहिनी ओर मुड़कर उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए चले गए।

इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, जो पाँच रोगों से ग्रसित हो, उसे पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पब्बज्ज दीक्षा देता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी होता है।'

<<<< पिछला(1.38) | अगला(1.40) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.40

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.39) | अगला(1.41) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-40: राजसेवा या सेना में कार्यरत लोगों को दीक्षा नहीं दी जाएगी।

1. उस समय मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के राज्य के सीमावर्ती प्रांतों में अशांति फैली हुई थी। तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने सेना के प्रमुख अधिकारियों को आदेश दिया: 'अब जाओ और सीमावर्ती प्रांतों की छानबीन करो।' सेना के प्रमुख अधिकारियों ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के आदेश का पालन करते हुए कहा, 'जी महाराज।'

2. अब कई प्रख्यात योद्धा सोचने लगे, 'हम जो युद्ध में जाते हैं और लड़ने में आनंद पाते हैं, बुराई करते हैं और बड़ा पाप उत्पन्न करते हैं। अब हम क्या करें कि हम बुराई से विमुख होकर भलाई करें?'

तब उन योद्धाओं ने सोचा, 'ये शाक्यपुत्रीय समना सचमुच सदाचारी, शांत और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं; वे सत्य बोलते हैं; वे नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं और सभी सद्‌गुणों से परिपूर्ण हैं। यदि हमें शाक्यपुत्रीय समनाओं के साथ पब्बज्जा प्राप्त हो जाए, तो हम बुराई से विमुख होकर भलाई करेंगे।'

इस प्रकार ये योद्धा भिक्षुओं के पास गए और उनसे पब्बज्ज दीक्षा मांगी; भिक्षुओं ने उन्हें पब्बज्ज और उपासनीपाद दीक्षा प्रदान की।

3. सेना के प्रमुख अधिकारियों ने शाही सैनिकों से पूछा: 'क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि योद्धा एनएन और एनएन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं?'

'देवताओं, योद्धा एनएन और एनएन ने भिक्षुओं के बीच धम्म जीवन को अपना लिया है।'

तब सेना के प्रमुख अधिकारी नाराज हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए: 'शाक्यपुत्रीय समनास राजसेवा में व्यक्तियों को कैसे नियुक्त कर सकते हैं?'

सेना के प्रमुख अधिकारियों ने यह बात मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को बताई। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने न्याय अधिकारियों से पूछा, 'हे महोदय, मुझे बताइए, जो व्यक्ति किसी को राजसेवा में नियुक्त करता है, उसे क्या दंड मिलना चाहिए?'

'हे महाराज, उपज्झाय का सिर कलम कर दिया जाए; जो (कम्मवक) का पाठ करता है, उसकी जीभ काट दी जाए; जो अध्याय बनाते हैं, उनकी आधी पसलियां तोड़ दी जाएं।'

4. तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। उनके पास बैठकर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, कुछ अविश्वासी राजा हैं जो धर्म के प्रति उदासीन हैं; ये भिक्षुओं को छोटी-छोटी बातों पर भी परेशान कर सकते हैं। हे प्रभु, प्रार्थना है कि उनकी श्रद्धा से राजसेवकों को भिक्षु दीक्षा प्राप्त न हो।'

तब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया (आदि, अध्याय 39.7 से आगे देखें), भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, जो राजसेवा में हैं, उन्हें पब्बज्ज दीक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति को) पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(1.39) | अगला(1.41) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.41

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.40) | अगला(1.42) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-41: हत्यारों के लिए कोई दीक्षा नहीं।

उस समय डाकू अंगुलिमाला ने भिक्षुओं के बीच धम्म जीवन अपना लिया था। जब लोगों ने यह देखा, तो वे भयभीत और आतंकित हो गए; वे भाग गए, दूसरी जगहों पर चले गए, अपना सिर फेर लिया और अपने दरवाजे बंद कर लिए। लोग नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए: 'शाक्यपुत्र समना (भिक्षु) एक ऐसे डाकू को कैसे दीक्षा दे सकते हैं जो खुलेआम अपने कर्मों के प्रतीक धारण करता है?'

कुछ भिक्षुओं ने उन लोगों को सुना जो नाराज थे, बड़बड़ा रहे थे और क्रोधित हो गए थे; इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, जो अपने कर्मों के प्रतीक धारण करते हैं, उन्हें पापज्ज दीक्षा प्राप्त न करने दें। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पापज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(1.40) | अगला(1.42) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.42
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.41) | अगला(1.43) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-42: जेल तोड़ने वालों के लिए कोई दीक्षा नहीं।

1. उस समय मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने यह फरमान जारी किया था: 'शाक्यपुत्रीय समनों में दीक्षित लोगों को कोई हानि न पहुँचाए; उनका उपदेश सर्वथा सुशिक्षित है; वे दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करें।'

उस समय एक व्यक्ति, जिसने डकैती की थी, जेल में बंद था। वह जेल से भाग निकला, फरार हो गया और भिक्षुओं के साथ पब्बज्ज दीक्षा प्राप्त कर ली।

2. जिन लोगों ने उसे देखा, उन्होंने कहा: 'देखो, यह वही डाकू है जो जेल से भाग निकला है; चलो, हम इसे (अधिकारियों के सामने) ले चलें।'

लेकिन कुछ लोगों ने उत्तर दिया: 'ऐसा मत कहिए, महोदय। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने एक फरमान जारी किया है: 'किसी को भी उन लोगों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए जिन्हें दीक्षा दी गई है, इत्यादि।'

लोग नाराज़ हो गए, आपस में कानाफूसी करने लगे और क्रोधित हो गए, यह सोचकर कि: 'ये शाक्यपुत्रीय समना तो हर चीज़ से सुरक्षित हैं; उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाना मना है। वे जेल से भागे हुए लुटेरे को कैसे सम्मान दे सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जेल से भागे हुए किसी भी लुटेरे को पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कटा अपराध का दोषी होता है।'

<<<< पिछला(1.41) | अगला(1.43) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.43
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.42) | अगला(1.44) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-43: लुटेरों के लिए कोई दीक्षा नहीं।

उस समय एक व्यक्ति, जिसने डकैती की थी, भाग गया था और भिक्षुओं के साथ दीक्षा ले ली थी। राजमहल में एक घोषणा लिखी गई: 'जहाँ भी वह दिखाई दे, उसे मार डाला जाए।'

जिन लोगों ने उसे देखा, उन्होंने कहा: 'यह घोषित लुटेरा है; आओ, हम इसे मार डालें' (आदि, जैसा कि अध्याय 42 में है)।

'हे भिक्षुओं, किसी भी घोषित लुटेरे को पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए। जो कोई ऐसे लुटेरे को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कटा अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(1.42) | अगला(1.44) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.44

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.43) | अगला(1.45) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-44: कोड़े मारने की सजा पाए लोगों के लिए कोई दीक्षा नहीं।

उस समय कोड़े मारने की सजा पाए एक व्यक्ति को भिक्षुओं के साथ दीक्षा दी गई थी। लोग नाराज थे, इत्यादि: 'ये शाक्यपुत्र समन ऐसे व्यक्ति को कैसे दीक्षा दे सकते हैं जिसे कोड़े मारने की सजा मिली हो?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, कोड़े मारने की सजा पाए किसी भी व्यक्ति को पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कत अपराध का दोषी होता है।'

<<<< पिछला(1.43) | अगला(1.45) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.45

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.44) | अगला(1.46) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-45: दागने की सजा पाए लोगों के लिए कोई दीक्षा नहीं।

उस समय एक निश्चित व्यक्ति जिसे दागने की सजा दी गई थी (आदि, जैसा कि अध्याय 44 में अंत तक है)।

<<<< पिछला(1.44) | अगला(1.46) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खण्डक >> 1.46

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.45) | अगला(1.47) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-46: देनदारों के लिए कोई अध्यादेश नहीं।

उस समय एक कर्जदार व्यक्ति भाग गया और भिक्षुओं के साथ दीक्षा ले ली। जब उसके कर्जदारों ने उसे देखा, तो उन्होंने कहा, 'यह रहा हमारा कर्जदार; आइए, हम इसे (कारावास) ले चलें।' लेकिन कुछ लोगों ने उत्तर दिया, 'ऐसा न कहें, महोदय। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने एक फरमान जारी किया है: 'जो लोग शाक्यपुत्रीय समनों के साथ दीक्षा ले चुके हैं, उन्हें कोई हानि न पहुँचाए; उनका उपदेश उत्तम है; उन्हें दुखों के पूर्ण निवारण के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए।'

लोग नाराज़ हो गए, आपस में कानाफूसी करने लगे और क्रोधित हो गए: 'ये शाक्यपुत्रीय समना तो हर चीज़ से सुरक्षित हैं; उनके साथ कुछ भी करना मना है। वे किसी ऋणी को कैसे आदेश दे सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भी ऋणी को पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए। जो कोई ऋणी को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(1.45) | अगला(1.47) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.47

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.46) | अगला(1.48) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-47: दासों के लिए कोई दीक्षा नहीं।

उस समय एक दास भाग गया और भिक्षुओं के साथ दीक्षा ले ली। जब उसके स्वामियों ने उसे देखा, तो उन्होंने कहा: 'देखो, हमारा दास है; आओ, हम उसे अपने घर ले चलें,' (आदि, जैसा कि अध्याय 46 में है)।

'हे भिक्षुओं, किसी भी दास को पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए। जो कोई दास को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी होता है।'

<<<< पिछला(1.46) । अगला(1.48) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.48

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.47) । अगला(1.49) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-48: संघों द्वारा नवागंतुक का सिर मुंडवाने की अनुमति।

1. उस समय एक गंजे सिर वाला लोहार अपने माता-पिता से झगड़ा होने के बाद आराम (मठ) चला गया और भिक्षुओं से दीक्षा प्राप्त की। अब उस गंजे सिर वाले लोहार के माता-पिता उसकी तलाश में आराम (मठ) आए और भिक्षुओं से पूछा: 'हे पूज्यवर, क्या आपने फलां लड़के को देखा है?'

जो भिक्षु उन्हें नहीं जानते थे, उन्होंने कहा: 'हम उन्हें नहीं जानते;' क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने कहा: 'हमने उन्हें नहीं देखा है।'

2. अब उस गंजे लोहार के माता-पिता उसे ढूंढते हुए भिक्षुओं के साथ दीक्षा लिए हुए पाए गए; वे क्रोधित हुए, इत्यादि: 'ये शाक्यपुत्र समन निर्लज्ज, दुष्ट और झूठे हैं। वे उसे जानते थे और कहते थे: "हम उसे नहीं जानते;" उन्होंने उसे देखा था और कहते थे: "हमने उसे नहीं देखा।" इस लड़के ने भिक्षुओं के साथ दीक्षा ले ली है।'

अब कुछ भिक्षुओं ने उस गंजे लोहार के माता-पिता को नाराज़ होते हुए सुना, इत्यादि। उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि (नए आने वाले भिक्षुओं के) बाल मुंडवाने के लिए संघ की अनुमति ली जाए।'

<<<< पिछला(1.47) । अगला(1.49) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.49

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (1.48) । अगला (1.50) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-49: 20 वर्ष से कम आयु वालों को दीक्षा नहीं दी जाएगी।

1. उस समय राजगृह में सत्रह लड़कों का एक समूह था, जो आपस में मित्र थे; उनमें उपाली सबसे आगे था। अब उपाली के माता-पिता सोचने लगे, 'हमारी मृत्यु के बाद उपाली सुखमय और कष्टमुक्त जीवन कैसे व्यतीत करेगा?' फिर उपाली के माता-पिता ने मन ही मन कहा, 'यदि उपाली लिखना सीख ले, तो हमारी मृत्यु के बाद वह सुखमय और कष्टमुक्त जीवन व्यतीत करेगा।' लेकिन फिर उपाली के माता-पिता ने दोबारा सोचा, 'यदि उपाली लिखना सीखेगा, तो उसकी उंगलियां दुखने लगेंगी। परन्तु यदि उपाली गणित सीख ले, तो हमारी मृत्यु के बाद वह सुखमय और कष्टमुक्त जीवन व्यतीत करेगा।'

2. लेकिन फिर उपाली के माता-पिता ने दोबारा सोचा: 'यदि उपाली गणित सीखेगा, तो उसकी छाती में रोग लग जाएगा। लेकिन यदि उपाली मुद्रा विनिमय सीख ले, तो हमारी मृत्यु के बाद वह सुख-सुविधाओं से भरा और कष्टमुक्त जीवन व्यतीत करेगा।' फिर उपाली के माता-पिता ने मन ही मन कहा: 'यदि उपाली मुद्रा विनिमय सीखेगा, तो उसकी आँखों में कष्ट होगा। यहाँ शाक्यपुत्र साधु हैं, जो सुखमय नियमों का पालन करते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं; उन्हें अच्छा भोजन मिलता है और वे हवा से सुरक्षित पलंगों पर सोते हैं। यदि उपाली को शाक्यपुत्र साधुओं के साथ दीक्षा मिल जाए, तो हमारी मृत्यु के बाद वह सुख-सुविधाओं से भरा और कष्टमुक्त जीवन व्यतीत करेगा।'

3. अब युवा उपाली ने अपने माता-पिता को इस प्रकार बात करते सुना। तब युवा उपाली अन्य लड़कों के पास गया; उनके पास पहुँचकर उसने उनसे कहा, 'आओ, महाराज, हम शाक्यपुत्रीय समना दीक्षा लें।' (उन्होंने उत्तर दिया): 'यदि आप दीक्षा लेंगे, महाराज, तो हम भी दीक्षा लेंगे।' तब वे लड़के अपने-अपने माता-पिता के पास गए और उनसे कहा, 'मुझे संसार छोड़कर गृहस्थ जीवन (अर्थात भिक्षुत्व) में जाने की अनुमति दें।' तब उन लड़कों के माता-पिता ने, यह सोचकर कि 'ये सभी लड़के एकमत होकर जो इच्छा कर रहे हैं वह अच्छी बात है", अपनी सहमति दे दी। वे भिक्षुओं के पास गए और उनसे पब्बज्ज दीक्षा देने का अनुरोध किया। भिक्षुओं ने उन्हें पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की।

4. रात को, भोर होते ही, वे उठे और पुकारने लगे, 'हमें चावल का दूध दो, हमें नरम भोजन दो, हमें कठोर भोजन दो!' भिक्षुओं ने कहा, 'मित्रों, दिन होने तक प्रतीक्षा करो। यदि चावल का दूध हो, तो पी लो; यदि भोजन हो, चाहे नरम हो या कठोर, तो खा लो; यदि चावल का दूध न हो और भोजन न हो, चाहे नरम हो या कठोर, तो भिक्षा मांगने जाओ, और तब तुम खाओगे।'

लेकिन जब दूसरे भिक्षुओं ने उनसे इस प्रकार बात की, तो उन भिक्षुओं ने अपने बिस्तर इधर-उधर फेंक दिए और उसे गीला कर दिया, और चिल्लाकर कहा: 'हमें चावल का दूध दो, हमें नरम भोजन दो, हमें कठोर भोजन दो!'

5. फिर भोर होते ही भगवान बुद्ध रात में उठे और उन्होंने उन लड़कों का शोर सुना; यह सुनकर उन्होंने पूज्य आनंद से कहा: 'आनंद, यह लड़कों का कैसा शोर है?'

तब पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि भिक्षु जानबूझकर बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

तब भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकारा: 'हे भिक्षुओं, वे मूर्ख व्यक्ति जानबूझकर बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को उपसम्पदा दीक्षा कैसे दे सकते हैं?'

6. हे भिक्षुओं, बीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति शीतलता और गर्मी, भूख और प्यास, मक्खियों और मच्छरों से होने वाली परेशानी, तूफान और धूप की गर्मी, और सरीसृपों से होने वाली परेशानी को सहन नहीं कर सकता; वह अपशब्द और गाली-गलौज सहन नहीं कर सकता; वह गंभीर, तीव्र, कष्टदायक, अप्रिय और जीवनदायिनी शारीरिक पीड़ाओं को सहन नहीं कर सकता; जबकि हे भिक्षुओं, बीस वर्ष की आयु का व्यक्ति शीतलता आदि सहन कर सकता है। हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने और परिवर्तितों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

उन भिक्षुओं को फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, कोई भी जानबूझकर बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उपसम्पदा दीक्षा न दे। जो ऐसा करेगा, उसके साथ विधिवत व्यवहार किया जाएगा।'

<<<< पिछला (1.48) | अगला (1.50) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.50

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.49) | अगला(1.51) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-50: 15 वर्ष से कम आयु वालों को दीक्षा नहीं दी जाएगी।

उस समय एक परिवार महामारी से मर गया था; केवल पिता और पुत्र ही बचे थे; उन्होंने भिक्षुओं के साथ दीक्षा ली और साथ में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। अब जब उसके पिता को भोजन दिया गया, तो वह लड़का दौड़कर उनके पास गया और बोला, 'पिताजी, मुझे भी थोड़ा दीजिए; पिताजी, मुझे भी थोड़ा दीजिए।'

लोग नाराज़ थे, इत्यादि: 'ये शाक्यपुत्रीय समना अपवित्र जीवन जीते हैं; यह लड़का एक भिक्षुणी का पुत्र है।'

कुछ भिक्षुओं ने सुना, इत्यादि।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध आदि को बताई। 'हे भिक्षुओं, पंद्रह वर्ष से कम आयु के किसी भी लड़के को पब्बज्ज दीक्षा न दें। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(1.49) । अगला(1.51) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.51
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.50) । अगला(1.52) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-51: 15 वर्ष से कम आयु के अनाथों को दीक्षा देने की अनुमति।

उस समय एक धर्मनिष्ठ, नेक परिवार, जो पूज्य आनंद की विशेष सेवा में समर्पित था, महामारी से मर गया। केवल दो लड़के बचे थे; उन्होंने भिक्षुओं को देखकर अपनी पुरानी प्रथा के अनुसार उनके पास दौड़े, लेकिन भिक्षुओं ने उन्हें लौटा दिया। भिक्षुओं द्वारा लौटाए जाने पर वे रोने लगे। तब पूज्य आनंद ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने हमें पंद्रह वर्ष से कम आयु के लड़के को पब्बज्ज दीक्षा देने से मना किया है, और ये लड़के पंद्रह वर्ष से कम आयु के हैं। इन लड़कों को मरने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है?' और पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'आनंदा, क्या ये लड़के कौवों को डरा सकते हैं?'

'हे प्रभु, वे हैं।'

इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पंद्रह वर्ष से कम आयु के लड़कों को भी पब्बज्ज दीक्षा देने की अनुमति देता हूँ, यदि वे कौवों को डरा सकें।'

<<<< पिछला(1.50) । अगला(1.52) >>>>

<<<< पिछला(1.51) | अगला(1.53) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-52: समलैंगिकों को दीक्षा नहीं दी जाएगी।

उस समय शाक्य वंश के पूज्य उपनंद भिक्षु के दो शिष्य थे, कंदक और महाक; इन दोनों ने आपस में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। भिक्षु बहुत क्रोधित हुए, इत्यादि: 'शिष्य ऐसे बुरे आचरण में कैसे लिप्त हो सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, कोई भी दो नौसिखियों को दीक्षा न दे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(1.51) | अगला(1.53) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.53
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.52) | अगला(1.54) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-53: बुद्ध का दक्षिणागिरी जाना।

1. उस समय भगवान बुद्ध वर्षा ऋतु में राजगृह में निवास करते थे और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भी वहीं रहते थे। लोग नाराज़ थे, इत्यादि: 'चारों लोक... शाक्यपुत्र समनों के लिए अंधकार से ढके हुए हैं; वे चारों लोकों को नहीं देख सकते।' कुछ भिक्षुओं ने यह सुना, इत्यादि।

2. तब भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से कहा: 'जाओ, आनंद, एक चाबी लेकर प्रत्येक कुटिया में बैठे भिक्षुओं को बताओ: "मित्रों, भगवान बुद्ध दक्षिणागिरि जाना चाहते हैं। पूज्य भिक्षुओं में से जो भी उचित समझे, उनके पास आ जाए।"'

आदरणीय आनंद ने भगवान बुद्ध के इस आदेश को स्वीकार करते हुए (यह कहते हुए), 'जी प्रभु,' एक चाबी ली और प्रत्येक कुटिया में भिक्षुओं से कहा: 'मित्रों, भगवान बुद्ध,' इत्यादि।

3. भिक्षुओं ने उत्तर दिया: 'मित्र आनंद, भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि भिक्षुओं को पहले दस वर्ष अपने आचार्यों और उपाज्जियों पर निर्भर रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए, और जो भिक्षु अपना दसवां वर्ष पूरा कर ले, वह स्वयं निस्साय दे सकता है। अब यदि हम वहाँ जाएँगे, तो हमें वहाँ निस्साय देना अनिवार्य होगा; फिर हम वहाँ थोड़े समय के लिए ठहरेंगे, उसके बाद हमें वापस आकर एक नया निस्साय देना होगा। यदि हमारे आचार्य और उपाज्जी जाएँगे, तो हम भी जाएँगे; यदि हमारे आचार्य और उपाज्जी नहीं जाएँगे, तो हम भी नहीं जाएँगे। अन्यथा, मित्र आनंद, हमारा हल्का मन प्रकट हो जाएगा।'

4. इस प्रकार भगवान बुद्ध कुछ भिक्षुओं के साथ दक्षिणागिरि के लिए प्रस्थान कर गए। और भगवान बुद्ध ने दक्षिणागिरि में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद राजगृह लौट आए।

तब भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से कहा, 'आनंद, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूर्ण पुरुष इतने कम भिक्षुओं के साथ दक्षिणागिरि चले गए?'

तब पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि एक विद्वान, योग्य भिक्षु पाँच वर्ष तक अपने आचार्य और उपजा पर निर्भर रहकर जीवन व्यतीत करे, जबकि एक अनपढ़ भिक्षु जीवन भर ऐसा ही करे।'

5. हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में भिक्षु को निस्साया (अर्थात आचार्य और उपज्याया से स्वतंत्र) के बिना नहीं रहना चाहिए: जब वह नैतिक आचरणों आदि में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर ले (जैसा कि अध्याय 36.2 में है)। हे भिक्षुओं, इन पाँच स्थितियों में भिक्षु को निस्साया के बिना नहीं रहना चाहिए।

'हे भिक्षुओं, पाँच स्थितियों में एक भिक्षु निस्साया के बिना रह सकता है: जब वह नैतिक आचरणों से संबंधित सभी बातों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है (आदि, जैसा कि अध्याय 36.3 में है)। हे भिक्षुओं, इन पाँच स्थितियों में एक भिक्षु निस्साया के बिना रह सकता है।

6-13. 'और अन्य पाँच मामलों में भी, इत्यादि।'

आठवें भानवर का समापन, जिसे अभयुवर भानवर कहा जाता है।

<<<< पिछला(1.52) | अगला(1.54) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.54
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.53) | अगला(1.55) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-54: बुद्ध अपने गृह नगर जाते हैं और उत्तराधिकार मांगे जाने पर अपने पुत्र राहुल को दीक्षा देते हैं।

1. फिर भगवान बुद्ध ने राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किया। स्थान-स्थान भटकते हुए वे कपिलवस्तु पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध कपिलवस्तु के निकट सक्का देश में, निग्रोधरम (बरगद के वन) में निवास करने लगे।

और दोपहर के समय भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण करके, भिक्षापात्र लेकर और किवार धारण करके सक्का सुद्धोदन (अपने पिता) के निवास पर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर वे अपने लिए बिछाई गई आसन पर बैठ गए।

तब राजकुमारी (बुद्ध की पत्नी), जो राहुल (पुत्र) की माता थीं, ने युवा राहुल से कहा: 'यह तुम्हारे पिता हैं, राहुल; जाओ और उनसे अपनी विरासत मांगो।'

2. तब युवा राहुल उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर वे भगवान बुद्ध के सामने खड़े हो गए (और बोले): 'हे समना, आपकी छाया आनंद का स्थान है।'

तब भगवान बुद्ध अपने आसन से उठे और चले गए, और युवा राहुल उनके पीछे-पीछे चलते हुए बोले: 'मुझे मेरा उत्तराधिकार दे दीजिए, समना; मुझे मेरा उत्तराधिकार दे दीजिए, समना।'

तब भगवान बुद्ध ने पूज्य सारिपुत्त से कहा: 'अच्छा, सारिपुत्त, युवा राहुल को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान कीजिए।' (सारिपुत्त ने उत्तर दिया): 'हे प्रभु, मैं युवा राहुल को पब्बज्ज दीक्षा कैसे प्रदान करूँ?'

3. इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, मैं नौसिखियों के लिए शरण लेने की त्रिविध घोषणा द्वारा दीक्षा का विधान करता हूँ।

हे भिक्षुओं, नौसिखिए को इस प्रकार दीक्षा देनी चाहिए: सर्वप्रथम उसके बाल और दाढ़ी मुंडवा दें; उसे पीले वस्त्र पहनाएँ, ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसका एक कंधा ढका रहे, भिक्षुओं के चरणों को प्रणाम करें और उकड़ू बैठ जाएँ; फिर उसे हाथ जोड़कर यह कहने को कहें: "मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धम्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। और फिर दूसरी बार, इत्यादि। और फिर तीसरी बार, इत्यादि।"

'हे भिक्षुओं, मैं नौसिखियों के लिए शरण लेने की इस त्रिविध घोषणा द्वारा पब्बज्ज दीक्षा का विधान करता हूँ।'

इस प्रकार पूज्य सारिपुत्त ने युवा राहुल को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान की।

4. तब शाक्य शुद्धोदन (बुद्ध के पिता) उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। उनके निकट बैठे शाक्य शुद्धोदन ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, मैं भगवान बुद्ध से एक वरदान माँगता हूँ।' (बुद्ध ने उत्तर दिया): 'हे गौतम, सिद्ध पुरुष वरदान देने से परे हैं (जब तक वे यह नहीं जान लेते कि वरदान क्या हैं)।' (शुद्धोदन ने कहा): 'हे प्रभु, यह एक उचित और निर्विवाद माँग है।' 'बोलिए, गौतम।'

5. 'हे प्रभु, जब भगवान बुद्ध ने संसार त्यागा, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई; नंदा के ऐसा करने पर भी ऐसा ही हुआ; राहुल के ऐसा करने पर मेरी पीड़ा और भी बढ़ गई। हे प्रभु, पुत्र प्रेम त्वचा को भेदता है; त्वचा को भेदकर वह खाल को भेदता है; खाल को भेदकर वह मांस को भेदता है, ...स्नायुबंधन को भेदता है, ...हड्डियों को भेदता है; हड्डियों को भेदकर वह मज्जा तक पहुँचता है और मज्जा में निवास करता है। हे प्रभु, प्रार्थना है कि उनके ऋषि-मुनि माता-पिता की अनुमति के बिना किसी पुत्र को पब्बज्ज दीक्षा न दें।'

तब भगवान बुद्ध ने सक्का शुद्धोदन (आदि, अध्याय 39.7 देखें) का उपदेश दिया।

'हे भिक्षुओं, किसी भी पुत्र को अपने माता-पिता की अनुमति के बिना पब्बज्ज दीक्षा ग्रहण न करनी चाहिए। जो कोई भी (बिना अनुमति के) पुत्र को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(1.53) । अगला(1.55) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.55
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.54) । अगला(1.56) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-55: बुद्ध ने दो नौसिखियों को दीक्षा देने की अनुमति दी।

फिर भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद सावत्थी की ओर प्रस्थान किया। स्थान-स्थान भटकते हुए वे सावत्थी पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध ने सावत्थी के जेतवन, अनाथपिंडिका के विश्राम (मठ) में निवास किया।

उस समय, एक परिवार जो पूज्य सारिपुत्त की विशेष सेवा में समर्पित था, ने एक बालक को पूज्य सारिपुत्त के पास यह संदेश देकर भेजा: 'क्या थेरा इस बालक को पब्बज्ज दीक्षा प्रदान कर सकते हैं?' अब पूज्य सारिपुत्त ने सोचा: 'भगवान बुद्ध ने नियम स्थापित किया है कि कोई भी दो शिष्यों को दीक्षा नहीं दे सकता, और मेरे पास पहले से ही एक शिष्य, राहुल है। अब मैं क्या करूँ?' उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं एक विद्वान, योग्य भिक्षु को दो नौसिखियों को दीक्षा देने की अनुमति देता हूँ, या उतने नौसिखियों को दीक्षा देने की अनुमति देता हूँ जितने को वह उपदेश और शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो।'

<<<< पिछला(1.54) | अगला(1.56) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.56

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.55) | अगला(1.57) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-56: नौसिखियों के लिए दस उपदेशों की स्थापना।

अब नौसिखियों ने सोचा: 'हमारे लिए कितने नियम हैं, और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं नौसिखियों के लिए दस नियम निर्धारित करता हूँ और उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात् जीव संहार से बचना; चोरी से बचना; अशुद्धता से बचना; झूठ से बचना; शराब, मादक पेय पदार्थों से बचना, जो धर्म के प्रति उदासीनता उत्पन्न करते हैं; वर्जित समय में भोजन से बचना; नृत्य, गायन, संगीत और तमाशा देखने से बचना; माला, सुगंध, मलहम, आभूषण और कीमती वस्त्रों से बचना; ऊँचे या चौड़े पलंगों के उपयोग से बचना; सोना या चाँदी ग्रहण करने से बचना। हे भिक्षुओं, मैं नौसिखियों के लिए ये दस नियम निर्धारित करता हूँ और उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए।

<<<< पिछला(1.55) | अगला(1.57) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.57

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.56) | अगला(1.58) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-57: नौसिखियों के लिए दंड।

1. उस समय नौसिखिए भिक्षुओं के प्रति आदर और विश्वास नहीं दिखाते थे, और उनके साथ सामंजस्य में नहीं रहते थे। भिक्षु नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए: 'नौसिखिए भिक्षुओं के प्रति आदर और विश्वास क्यों नहीं दिखाते, और उनके साथ सामंजस्य में क्यों नहीं रहते?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि नौसिखियों को पाँच मामलों में दंडित किया जाए: जब वह भिक्षुओं को भिक्षा न देने का इरादा रखता हो; जब वह भिक्षुओं पर विपत्ति लाने का इरादा रखता हो; जब वह भिक्षुओं को आवास न मिलने का इरादा रखता हो; जब वह भिक्षुओं का अपमान और निंदा करता हो; जब वह भिक्षुओं के बीच फूट डालता हो। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि इन पाँच मामलों में नौसिखियों को दंडित किया जाए।

2. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'हमें क्या दंड देना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप उन्हें (कुछ स्थानों, उदाहरण के लिए, उनके अपने निवास स्थानों) में जाने से मना करें।'

उस समय भिक्षुओं ने नौसिखियों को संपूर्ण संघाराम में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। जिन नौसिखियों को संघाराम में प्रवेश नहीं मिला, वे या तो चले गए, या संसार में लौट गए, या तित्तिया विद्यालयों में चले गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, उन्हें (नवदीक्षितों को) संपूर्ण संघराम में आने से मना न करें। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि (भिक्षुओं को) उस स्थान पर (नवदीक्षितों को) आने से मना किया जाए जहाँ वह रहता है या जहाँ वह अक्सर जाता है।'

3. उस समय भिक्षुओं ने नौसिखियों को मुख से ग्रहण किए जाने वाले (कुछ प्रकार के) भोजन के उपयोग से मना किया था। जब लोग संघ के लिए चावल का दूध या भोजन तैयार करते थे, तो वे नौसिखियों से कहते थे:

'आओ, पूज्यवरों, चावल का दूध पियो; आओ, पूज्यवरों, भोजन करो।' नौसिखियों ने उत्तर दिया: 'यह असंभव है, मित्रों; भिक्षुओं ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी है।' लोग नाराज़ हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए, यह सोचकर कि 'उनके पूज्य नौसिखियों को मुँह से ग्रहण किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के उपयोग से कैसे मना कर सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, उन्हें (नवदीक्षितों को) मुख से ग्रहण किए जाने वाले भोजन से मना न करें। ऐसा करने वाला दुक्कता अपराध करता है।'

नौसिखियों को दी जाने वाली सजा से संबंधित अनुभाग का अंत।

<<<< पिछला(1.56) | अगला(1.58) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.58

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.57) | अगला(1.59) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-58: प्रशिक्षकों की सहमति के बिना नौसिखियों पर प्रतिबंध न लगाना।

उस समय छब्बाग्य भिक्षुओं ने नौसिखियों के उपाज्जयों की सहमति के बिना उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उपाज्जयों ने उनकी खोज की और सोचने लगे, 'हमारे नौसिखिए कहाँ गायब हो गए?' भिक्षुओं ने कहा, 'हे मित्रों, छब्बाग्य भिक्षुओं ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।' उपाज्जय नाराज हो गए और कहने लगे, 'छब्बाग्य भिक्षु हमारी सहमति के बिना हमारे नौसिखियों पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, उपाज्जयों की सहमति के बिना कोई भी (नवसिखियों पर) प्रतिबंध न लगाए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

<<<< पिछला(1.57) | अगला(1.59) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.59
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (1.58) | अगला (1.60) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-59: अन्य भिक्षुओं के अनुयायियों को आकर्षित न करना।

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने वरिष्ठ भिक्षुओं के शिष्यों को अपने पास बुला लिया। थेरों को अपने दांत साफ करने के लिए डिटर्जेंट और कुल्ला करने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे वे थक गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी को भी दूसरे भिक्षु के अनुयायियों को अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता का अपराध करता है।'

<<<< पिछला (1.58) | अगला (1.60) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.60
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.59) | अगला(1.61) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-60: नौसिखियों के निष्कासन के नियम; यौन संबंध।

उस समय उपनंद शाक्यपुत्तो के अनुयायी कंदका नामक एक नवोदित भिक्षु ने कंदका नामक एक भिक्षुणी के साथ यौन संबंध स्थापित किया। भिक्षुओं को यह देखकर गुस्सा आया, इत्यादि: 'एक नवोदित भिक्षु ऐसे आचरण में कैसे लिप्त हो सकता है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि निम्नलिखित दस स्थितियों में किसी नौसिखिए को संघ से निष्कासित कर दिया जाए: जब वह जीवन नष्ट करे; जब वह चोरी करे; जब वह अपवित्रता का कार्य करे; जब वह झूठ बोले; जब वह मादक पेय पिए; जब वह बुद्ध के विरुद्ध बोले; जब वह धम्म के विरुद्ध बोले; जब वह संघ के विरुद्ध बोले; जब वह झूठे सिद्धांत रखे; जब वह भिक्षुणियों के साथ यौन संबंध रखे। हे भिक्षुओं, इन दस स्थितियों में मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप नौसिखिए को संघ से निष्कासित कर दें।

<<<< पिछला(1.59) | अगला(1.61) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.61
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.60) | अगला(1.62) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-61: हिजड़ों को निष्कासित करने के नियम; यौन संबंध।

उस समय एक हिजड़ा..., इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, जिस नपुंसक ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त नहीं की है, उसे यह दीक्षा न दी जाए; यदि उसने यह दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो उसे (भिक्षुता से) निष्कासित कर दिया जाए।'

<<<< पिछला(1.60) | अगला(1.62) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.62
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.61) | अगला(1.63) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-62: स्वयंभू भिक्षुओं का निष्कासन।

1. उस समय एक वृद्ध परिवार का एक व्यक्ति था, जिसके रिश्तेदार गुजर चुके थे; उसका पालन-पोषण बड़ी नाजुकता से हुआ था। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने, जिसके रिश्तेदार गुजर चुके थे, सोचा: 'मेरा पालन-पोषण बड़ी नाजुकता से हुआ है; मैं न तो नई दौलत अर्जित कर सकता हूँ और न ही अपनी मौजूदा दौलत को बढ़ा सकता हूँ। मैं क्या करूँ जिससे मैं सुखमय और कष्टमुक्त जीवन जी सकूँ?'

तब एक वृद्ध परिवार के उस व्यक्ति ने, जिसके रिश्तेदार गुजर चुके थे, अपने मन में यह उत्तर दिया: 'शाक्यपुत्रीय समन (भिक्षु) हैं, जो सुखदायक नियमों का पालन करते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं; उन्हें अच्छा भोजन मिलता है और वे हवा से सुरक्षित पलंगों पर सोते हैं। यदि मैं अपने खर्च पर भिक्षापात्र और वस्त्र खरीद लूँ, अपने बाल और दाढ़ी कटवा लूँ, पीले वस्त्र पहन लूँ, आराम (मठ) जाऊँ और वहाँ भिक्षुओं के साथ रहूँ तो क्या होगा?'

2. तब एक वृद्ध परिवार के उस व्यक्ति ने, जिसके रिश्तेदार गुजर चुके थे, अपने खर्च पर भिक्षापात्र और वस्त्र प्राप्त किए, अपने बाल और दाढ़ी कटवाए, पीले वस्त्र धारण किए, आराम (मठ) गए और भिक्षुओं को आदरपूर्वक प्रणाम किया। भिक्षुओं ने उनसे कहा, 'हे मित्र, आपकी उपसम्पदा को कितने वर्ष बीत चुके हैं?'

'मित्रों, "उपसम्पदा के बाद बीते वर्षों" का क्या अर्थ है?'

'और तुम्हारा उपज्झया कौन है, मित्र?'

'दोस्तों, उपज्झया शब्द का क्या अर्थ है?'

भिक्षुओं ने आदरणीय उपाली से कहा: 'हे मित्र उपाली, कृपया इस तपस्वी की परीक्षा लें।'

3. तब एक वृद्ध परिवार के उस व्यक्ति ने, जिसके रिश्तेदार गुजर चुके थे, जब पूज्य उपली ने उससे पूछताछ की, तो उसे सारी बात बताई। पूज्य उपली ने यह बात भिक्षुओं को बताई; भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति गुप्त रूप से संघ से जुड़ गया है, यदि उसने उपसंपदा दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो उसे वह दीक्षा न दी जाए; यदि उसने वह दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो उसे संघ से निष्कासित कर दिया जाए।'

'हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति तित्तियाओं की ओर चला गया है' (आदि, जैसा कि अध्याय 61 में है)।

<<<< पिछला(1.61) | अगला(1.63) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.63

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.62) | अगला(1.64) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-63: किसी पशु को कोई धार्मिक उपाधि नहीं दी जाएगी।

1. उस समय एक सर्प था जो सर्प के रूप में जन्म लेने से दुखी, लज्जित और घृणाग्रस्त था। अब उस सर्प ने सोचा, 'मैं सर्प होने से कैसे मुक्त हो सकता हूँ और शीघ्र ही मनुष्य स्वरूप प्राप्त कर सकता हूँ?' तब उस सर्प ने स्वयं को यह उत्तर दिया: 'ये शाक्यपुत्र समण वास्तव में सदाचारी, शांत और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं; वे सत्य बोलते हैं; वे नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं और सभी सद्गुणों से परिपूर्ण हैं। यदि मैं शाक्यपुत्र समणों के साथ पब्बज्जा प्राप्त कर लूँ, तो मैं सर्प होने से मुक्त हो जाऊँगा और शीघ्र ही मनुष्य स्वरूप प्राप्त कर लूँगा।'

2. तब वह सर्प, एक युवक के रूप में, भिक्षुओं के पास गया और उनसे पब्बज्ज दीक्षा मांगी; भिक्षुओं ने उसे पब्बज्ज और उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की।

उस समय वह सर्प एक भिक्षु के साथ अंतिम विहार (जेतवन की चारदीवारी के पास) में रहता था। वह भिक्षु रात में, भोर होते ही, उठकर खुले में इधर-उधर टहल रहा था। जब वह भिक्षु विहार से चला गया, तो वह सर्प, जो स्वयं को सुरक्षित समझ रहा था, अपने स्वाभाविक रूप में सो गया। पूरा विहार सर्प के शरीर से भर गया; उसके कुंडल खिड़की से बाहर निकले हुए थे।

3. तब उस भिक्षु ने सोचा, 'मैं विहार (मठ) वापस जाऊँगा,' और दरवाजा खोलकर देखा कि पूरा विहार साँप के शरीर से भरा हुआ है, जिसकी कुंडलियाँ खिड़की से बाहर निकली हुई हैं। यह देखकर वह भयभीत हो गया और चिल्ला उठा। भिक्षु दौड़कर आए और उस भिक्षु से बोले, 'मित्र, तुम क्यों चिल्लाए?' उसने कहा, 'मित्रों, यह पूरा विहार साँप के शरीर से भरा हुआ है; उसकी कुंडलियाँ खिड़की से बाहर निकली हुई हैं।'

तब उस शोर से वह सर्प जाग उठा और अपने आसन पर बैठ गया। भिक्षुओं ने उससे पूछा, 'मित्र, तुम कौन हो?' 'मैं एक सर्प हूँ, पूज्यवर।' 'मित्र, तुमने ऐसा क्यों किया?' तब उस नाग ने भिक्षुओं को सारी बात बताई; भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

4. इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के समुदाय को एकत्रित होने का आदेश देकर उस सर्प से कहा: 'हे सर्प, तुम इस सिद्धांत और अनुशासन में (आध्यात्मिक) उन्नति के योग्य नहीं हो। परन्तु हे सर्प, प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम दिन उपवास करो; इस प्रकार तुम सर्प होने से मुक्त हो जाओगे और शीघ्र ही मनुष्य स्वरूप प्राप्त कर लोगे।'

तब वह सर्प, जिसने सोचा, 'मैं इस सिद्धांत और अनुशासन में (आध्यात्मिक) उन्नति करने में सक्षम नहीं हूं,' दुखी और शोकाकुल हो गया, आंसू बहाने लगा, विलाप करने लगा और चला गया।

5. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा:

हे भिक्षुओं, दो ऐसे अवसर होते हैं जब सर्प (मनुष्य रूप धारण करके) अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है: जब वह अपनी ही प्रजाति की मादा के साथ संभोग करता है, और जब वह स्वयं को सुरक्षित समझकर सो जाता है। हे भिक्षुओं, ये दो ऐसे अवसर हैं जब सर्प अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है।

'हे भिक्षुओं, जिस पशु ने उपसंपदा दीक्षा प्राप्त नहीं की है, उसे यह दीक्षा प्राप्त न करने दें; यदि उसने यह दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो उसे (भिक्षुता से) निष्कासित कर दें।'

<<<< पिछला(1.62) | अगला(1.64) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.64
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.63) | अगला(1.65) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-64: जिसने अपनी माँ की हत्या की, उसे दीक्षा नहीं दी जाएगी।

1. उस समय एक युवक ने अपनी माता का वध कर दिया। वह दुखी, लज्जित और अपने इस पाप से घृणा करता था। अब उस युवक ने सोचा, 'मैं अपने इस पाप से कैसे मुक्ति पाऊं?' तब उस युवक ने स्वयं को यह उत्तर दिया: 'ये शाक्यपुत्रीय समण वास्तव में सदाचारी, शांत और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। यदि मैं शाक्यपुत्रीय समणों के साथ पब्बज्ज प्राप्त कर लूं, तो शायद मैं अपने पाप से मुक्त हो जाऊं।'

2. तब वह युवक भिक्षुओं के पास गया और उनसे पब्बज्ज दीक्षा देने का अनुरोध किया। भिक्षुओं ने पूज्य उपली से कहा, 'हे मित्र उपली, पूर्व में एक सर्प ने युवक के रूप में भिक्षुओं से पब्बज्ज दीक्षा प्राप्त की थी; हे मित्र उपली, कृपया इस युवक की परीक्षा लें।' तब पूज्य

उपली द्वारा परीक्षा लिए जाने पर उस युवक ने उन्हें सारी बात बताई। पूज्य उपली ने यह बात भिक्षुओं को बताई; भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति माता की हत्या का दोषी है, यदि उसने उपसंपदा दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो उसे वह दीक्षा न दी जाए; यदि उसने वह दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो उसे (भिक्षुता से) निष्कासित कर दिया जाए।'

<<<< पिछला(1.63) | अगला(1.65) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.65

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.64) | अगला(1.66) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-65: अपने पिता की हत्या करने वाले को दीक्षा नहीं दी जाएगी।

उस समय एक युवक ने अपने पिता की जान ले ली (आदि, जैसा कि अध्याय 64 में है)।

'हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति पितृहत्या आदि का दोषी हो, उसे दंडित किया जाए।'

<<<< पिछला(1.64) | अगला(1.66) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.66

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.65) | अगला(1.67) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-66: प्रबुद्ध अर्हतों की हत्या करने वालों का दीक्षा न होना और निष्कासन।

1. उस समय कई भिक्षु साकेत से सावत्थी जाने वाले मार्ग पर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने हमला किया, कुछ भिक्षुओं को लूट लिया और कुछ की हत्या कर दी। तब सावत्थी से राजसैनिक आए और कुछ लुटेरों को पकड़ लिया; बाकी भाग गए। जो भाग गए थे, उन्होंने भिक्षुओं के साथ दीक्षा ली; जो पकड़े गए थे, उन्हें मृत्युदंड दिया गया।

2. तब दीक्षित भिक्षुओं ने उन डाकुओं को मृत्युदंड के लिए ले जाते हुए देखा; उन्हें देखकर उन्होंने कहा, 'अच्छा हुआ कि हम बच गए; यदि हम पकड़े जाते, तो हमें भी इसी प्रकार मार डाला जाता।' भिक्षुओं ने उनसे कहा, 'अरे, तुमने क्या किया है, मित्रों?' तब दीक्षित भिक्षुओं ने भिक्षुओं को सारी बात बताई। भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, वे भिक्षु अरहत थे। हे भिक्षुओं, जिसने किसी अरहत की हत्या की हो, यदि उसने उपसंपदा दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो उसे दीक्षा न दी जाए; यदि उसने दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो उसे (भिक्षुता से) निष्कासित कर दिया जाए।'

<<<< पिछला(1.65) | अगला(1.67) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.67

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.66) | अगला(1.68) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-67: भिक्षुणियों के साथ दुर्व्यवहार, फूट डालने और बुद्ध का रक्त बहाने वालों के लिए दीक्षा न लेने और निष्कासन के नियम।

उस समय कई भिक्षुणियाँ साकेत से सावत्थी जाने वाले मार्ग पर यात्रा कर रही थीं। रास्ते में लुटेरों ने हमला किया, कुछ भिक्षुणियों को लूट लिया और कुछ का बलात्कार किया। फिर शाही सैनिक (आदि, जैसा कि अध्याय 66 में वर्णित है)।

भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति किसी भिक्षुणी का उल्लंघन करता है (या किसी भिक्षुणी के साथ यौन संबंध बनाता है), (आदि, जैसा कि अध्याय 66 में है)।

'हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति संघ में फूट उत्पन्न करता है, आदि।'

'हे भिक्षुओं, जिसने (बुद्ध का) रक्त बहाया हो,' इत्यादि।

<<<< पिछला(1.66) | अगला(1.68) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.68

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.67) | अगला(1.69) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-68: नपुंसकों के लिए दीक्षा न होना और निष्कासन।

उस समय एक हिजड़े ने भिक्षुओं के साथ पब्बज्जा प्राप्त की थी; इसलिए करोति पि करापेति पि (हिजड़े के विशिष्ट हावभाव)।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, एक हिजड़े को,' इत्यादि।

<<<< पिछला(1.67) । अगला(1.69) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.69
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (1.68) । अगला (1.70) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-69: दीक्षा न लेने और निष्कासन के अनेक नियम।

1. उस समय भिक्षुओं ने ऐसे व्यक्ति को उपसंपदा दीक्षा प्रदान की, जिसमें उपज्झयता नहीं थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जिस व्यक्ति में उपज्झाय न हो, उसे उपसम्पदा दीक्षा न दी जाए। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

2. उस समय भिक्षुओं ने उपसम्पदा दीक्षा संघ को उपज्या के रूप में प्रदान की।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'किसी को भी उपाज्जयाय के रूप में संघ के साथ उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी (इस प्रकार) उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

3. उस समय भिक्षुओं ने कई भिक्षुओं को उपज्झय (आदि, पहले की तरह) के रूप में उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की।

4. उस समय भिक्षु उपसम्पदा दीक्षा देते थे, जिसमें वे नपुंसक को उपज्झाय, गुप्त रूप से संघ से जुड़े व्यक्ति को उपज्झाय, तित्तियों में परिवर्तित व्यक्ति को उपज्झाय, पशु को उपज्झाय, मातृहत्या के दोषी व्यक्ति को उपज्झाय, पितृहत्या के दोषी व्यक्ति को उपज्झाय, अरहत की हत्या करने वाले व्यक्ति को उपज्झाय, भिक्षुणी का अपमान करने वाले व्यक्ति को उपज्झाय, संघ में फूट डालने वाले व्यक्ति को उपज्झाय, बुद्ध का रक्त बहाने वाले व्यक्ति को उपज्झाय और नपुंसक को उपज्झाय दीक्षा देते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'किसी को भी अनुमति न दें,' इत्यादि (जैसा कि पहले खंड में है)।

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.70
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.69) । अगला(1.71) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-70: बिना कटोरे और वस्त्रों के या उधार के वस्त्रों के साथ दीक्षा देने का अपराध।

1. उस समय भिक्षुओं ने उन लोगों को उपसम्पदा दीक्षा दी जिनके पास भिक्षापात्र नहीं था। उन्होंने हाथों से भिक्षा ग्रहण की। लोग नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित होकर कहने लगे, 'तीथ्थियों की तरह।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षापात्र के बिना उपसम्पदा दीक्षा ग्रहण न करो। जो व्यक्ति उपसम्पदा दीक्षा (बिना भिक्षापात्र वाले व्यक्ति को) प्रदान करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

2. उस समय भिक्षुओं ने उन लोगों को उपसम्पदा दीक्षा दी जिनके पास वस्त्र नहीं थे। वे नग्न अवस्था में भिक्षा मांगने निकले। लोग नाराज़ थे (आदि, जैसा कि § 1 में है)।

3. उस समय भिक्षुओं ने उन लोगों को उपसम्पदा दीक्षा दी जिनके पास न तो भिक्षापात्र था और न ही वस्त्र। वे नग्न अवस्था में भिक्षा मांगने जाते थे और हाथों से भिक्षा ग्रहण करते थे। लोग नाराज़ थे (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में है)।

4. उस समय भिक्षुओं ने भिक्षापात्र उधार लेने वाले व्यक्तियों को उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के बाद (भिक्षापात्रों के मालिकों ने) अपने भिक्षापात्र वापस कर दिए; (भिक्षुओं ने) हाथों से भिक्षा ग्रहण की। लोग नाराज़ थे (आदि): 'तित्तियों की तरह।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षापात्र उधार लेने वाले को उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। जो दान देता है,' इत्यादि (जैसा कि पहले खंड में है)।

5. उस समय भिक्षुओं ने उधार लिए हुए वस्त्रों को उपसम्पदा दीक्षा दी। दीक्षा के बाद (वस्त्र धारकों ने) अपने वस्त्र वापस कर दिए; (भिक्षु) नग्न अवस्था में भिक्षा मांगने निकल गए। लोग नाराज़ हो गए (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से अंत तक है)।

6. उस समय भिक्षुओं ने भिक्षापात्र और वस्त्र आदि उधार लेने वाले व्यक्तियों को उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की।

यहां उन बीस मामलों का अंत होता है जिनमें उपसम्पदा निषिद्ध है।

<<<< पिछला(1.69) | अगला(1.71) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.71
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.70) | अगला(1.72) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-71: गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान करने का अपराध।

1. उस समय भिक्षुओं ने पब्बज्ज दीक्षा ऐसे व्यक्ति को दी जिसके हाथ कटे हुए थे, जिसके पैर कटे हुए थे, जिसके हाथ और पैर कटे हुए थे, जिसके कान कटे हुए थे, जिसकी नाक कटी हुई थी, जिसके कान और नाक कटे हुए थे, जिसकी उंगलियां कटी हुई थीं, जिसके अंगूठे कटे हुए थे, जिसके पैरों की नसें कटी हुई थीं, जिसके हाथ सांप के फन जैसे थे, जो कुबड़ा था, या बौना था, या जिसे घेंघा रोग था, जिसे दागा गया था, जिसे कोड़े मारे गए थे, एक घोषित लुटेरे को, हाथीपांव से पीड़ित व्यक्ति को, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जो (किसी भी विकृति से) देखने वालों को आपत्ति दिलाता था, एक आंख वाले व्यक्ति को, टेढ़े अंग वाले व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को, एक तरफ से लकवाग्रस्त व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को, वृद्धावस्था से कमजोर व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को, गूंगे व्यक्ति को, बहरे व्यक्ति

को, अंधे व्यक्ति को और एक गूंगे आदमी पर, एक अंधे और बहरे आदमी पर, एक बहरे और गूंगे आदमी पर, एक अंधे, बहरे और गूंगे आदमी पर।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जिनके हाथ कटे हुए हों, उन्हें पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए। जिनके पैर कटे हुए हों, उन्हें पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए, इत्यादि (उपरोक्त प्रत्येक मामले को यहाँ दोहराया गया है)। जो व्यक्ति (ऐसे व्यक्तियों को) पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करता है, वह दुक्कत अपराध का दोषी है।'

यहां उन बत्तीस मामलों का अंत होता है जिनमें पब्बज्जा निषिद्ध है।

नौवें भानवर का समापन।

<<<< पिछला(1.70) | अगला(1.72) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.72
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.71) | अगला(1.73) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-72: निर्लज्ज भिक्षुओं के साथ न रहना।

1. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने निर्लज्ज भिक्षुओं को निस्साया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, निर्लज्ज भिक्षुओं को निस्साया न दें। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध का दोषी है।'

उस समय कुछ भिक्षु निर्लज्ज भिक्षुओं पर निर्भर रहते थे (अर्थात उन्हें उनसे निस्साय प्राप्त होता था, वे उन्हें अपने उपज्झाय या आचार्य (शिक्षक) के रूप में चुनते थे); शीघ्र ही वे भी निर्लज्ज, बुरे भिक्षु बन गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी को भी निर्लज्ज भिक्षुओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध का दोषी है।'

2. अब भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि हम निर्लज्ज भिक्षुओं को निस्साय न दें और न ही निर्लज्ज भिक्षुओं पर निर्भर रहें। अब हम विनम्र और निर्लज्ज व्यक्तियों में कैसे अंतर करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप पहले चार-पाँच दिन प्रतीक्षा करें और यह देख लें कि एक भिक्षु दूसरे भिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है।'

<<<< पिछला(1.71) । अगला(1.73) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.73

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.72) । अगला(1.74) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-73: बिना प्रशिक्षक के जीवन यापन करने की शर्तें।

1. उस समय एक भिक्षु कोसल देश में यात्रा कर रहा था। अब उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि हमें बिना आचार्य और उपज्या के नहीं रहना चाहिए; अब मुझे आचार्य की आवश्यकता है, लेकिन मैं यात्रा कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं उस भ्रमणशील भिक्षु को, जिसे कोई निस्य प्राप्त नहीं हो सकता, बिना निस्य के रहने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय दो भिक्षु कोसल देश में यात्रा कर रहे थे। वे एक निवास स्थान पर पहुँचे; वहाँ उनमें से एक भिक्षु बीमार पड़ गया। अब उस बीमार भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि हमें निस्साय के बिना नहीं रहना चाहिए; अब मुझे निस्साय की आवश्यकता है, लेकिन मैं बीमार हूँ। मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं एक बीमार भिक्षु को, जिसे निस्साय प्राप्त नहीं हो सकता, निस्साय के बिना रहने की अनुमति देता हूँ।'

3. अब दूसरे भिक्षु, जो उस बीमार भिक्षु की सेवा कर रहे थे, सोचने लगे: 'भगवान बुद्ध ने नियम बताए हैं, इत्यादि; अब मुझे निस्साय चाहिए, लेकिन यह भिक्षु बीमार है। मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं उस भिक्षु को अनुमति देता हूँ जो किसी बीमार भिक्षु की सेवा कर रहा हो, यदि उसे कोई निस्साय न मिले और बीमार भिक्षु उससे (उसके साथ रहने का) अनुरोध करे, तो वह निस्साय के बिना रह सकता है।'

4. उस समय वन में एक भिक्षु रहता था; उसका एक निवास स्थान था जहाँ वह सुखपूर्वक रहता था। अब उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने नियम बताए हैं, इत्यादि; अब मुझे निश्चय चाहिए, परन्तु मैं वन में रहता हूँ और मेरा एक निवास स्थान है जहाँ मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं वन में रहने वाले उस भिक्षु को अनुमति देता हूँ जिसे रहने के लिए सुखद स्थान मिल जाए और जिसे वहाँ कोई निस्साय न मिले, वह निस्साय के बिना रह सकता है (मन ही मन कहते हुए): "यदि मुझे निस्साय देने वाला कोई योग्य व्यक्ति यहाँ आए, तो मैं उस व्यक्ति से निस्साय ग्रहण करूँगा।"

<<<< पिछला(1.72) । अगला(1.74) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.74

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (1.73) । अगला (1.75) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-74: एक साथ दो या तीन लोगों के लिए दीक्षा समारोह।

1. उस समय एक व्यक्ति आदरणीय महाकस्सपा से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता था। तब आदरणीय महाकस्सपा ने आदरणीय आनंद के पास एक दूत भेजा: 'आनंद, आइए और इस व्यक्ति के लिए उपसंपदा की घोषणा कीजिए।' आदरणीय आनंद ने कहा: 'मैं थेरा (अर्थात महाकस्सपा) का नाम नहीं ले सकता; थेरा मुझसे कहीं अधिक आदरणीय हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें घोषणा में उपाज्जया के पारिवारिक नाम (उनके उचित नाम के स्थान पर) का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय दो व्यक्ति पूज्य महाकस्सपा से उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। वे आपस में झगड़ पड़े। (एक ने कहा): 'मैं पहले उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करूँगा।' (दूसरे ने कहा): 'नहीं, मैं पहले प्राप्त करूँगा।' उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक ही घोषणा द्वारा दो व्यक्तियों को दीक्षा देने की अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय कुछ व्यक्ति अलग-अलग थेरों से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। वे आपस में झगड़ पड़े। (एक ने कहा): 'मैं पहले उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करूँगा।' (दूसरे ने कहा): 'नहीं, मैं पहले प्राप्त करूँगा।' थेरों ने कहा: 'ठीक है मित्रों, आइए हम एक ही घोषणा द्वारा इन सभी को एक साथ दीक्षा दे दें।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक ही घोषणा द्वारा दो या तीन व्यक्तियों को दीक्षा देने की अनुमति देता हूँ, बशर्ते कि उनकी उपज्या एक ही हो, लेकिन यदि उनकी उपज्या भिन्न-भिन्न हो तो नहीं।'

<<<< पिछला (1.73) । अगला (1.75) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.75
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (1.74) । अगला (1.76) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-75: जन्म से पहले गर्भाधान से दीक्षा की अनुमति देना।

उस समय पूज्य कुमारकस्सपा ने गर्भाधान के बीस वर्ष पूरे होने पर उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की थी (जन्म से नहीं)। अब पूज्य कुमारकस्सपा ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने हमें बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को उपसम्पदा दीक्षा देने से मना किया है, और मैंने गर्भाधान के बीस वर्ष ही पूरे किए हैं। तो क्या मैंने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की है या नहीं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जब गर्भ में (नवजात शिशु में) प्रथम विचार उत्पन्न होता है, प्रथम चेतना प्रकट होती है, उसी के अनुसार (सच्चा) जन्म माना जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, मैं आपको केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करने की अनुमति देता हूँ जिन्होंने गर्भाधान के बीस वर्ष पूरे कर लिए हों।'

<<<< पिछला (1.74) | अगला (1.76) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.76
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (1.75) | अगला (1.77) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-76: नवागंतुकों के लिए प्रश्नावली की स्थापना और केवल विद्वान भिक्षुओं द्वारा दीक्षा।

1. उस समय ऐसे दीक्षित भिक्षु देखे गए जो कुष्ठ रोग, फोड़े, शुष्क कुष्ठ रोग, क्षय रोग और दौरे से पीड़ित थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए अयोग्यताओं के बारे में पूछे। और हे भिक्षुओं, वह इस प्रकार पूछे:

क्या आप निम्नलिखित बीमारियों से पीड़ित हैं: कुष्ठ रोग, फोड़े, शुष्क कुष्ठ रोग, क्षय रोग और दौरे?

'क्या आप पुरुष हैं?

'क्या आप पुरुष हैं?'

क्या आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं?

क्या आप पर कोई कर्ज नहीं है?

क्या आप राजपरिवार में नहीं हैं?

क्या आपके माता-पिता ने अपनी सहमति दे दी है?

'क्या आपकी उम्र पूरे बीस साल हो गई है?'

'क्या आपका भिक्षापात्र और आपके वस्त्र उचित स्थिति में हैं?'

'आपका क्या नाम है?

'तुम्हारी उपज्झाया का नाम क्या है?'

2. उस समय भिक्षुओं ने उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से पूर्व निर्देश दिए बिना ही अपाप्यताओं के बारे में पूछा (कि उन्हें कैसे उत्तर देना है)। दीक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति व्याकुल और भ्रमित हो गए और उत्तर नहीं दे सके।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप पहले (दीक्षा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को) शिक्षा दें, और फिर उनसे अपात्रताओं के बारे में पूछें।'

3. फिर उन्होंने सभा के बीच में (उम्मीदवारों को) निर्देश दिए; अभिषेक पाने के इच्छुक लोग व्याकुल, भ्रमित हो गए और फिर भी उत्तर नहीं दे सके।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप उन्हें अलग से उपदेश दें और सभा के समक्ष उनसे अपात्रता के बारे में पूछें। हे भिक्षुओं, आपको उन्हें इस प्रकार उपदेश देना चाहिए: सबसे पहले उन्हें एक उपज्झाय चुनने के लिए कहें; जब वे उपज्झाय चुन लें, तो उन्हें उनका भिक्षापात्र और वस्त्र दिखाते हुए कहें, "यह आपका भिक्षापात्र है, यह आपकी संघटी है, यह आपका ऊपरी वस्त्र है, यह आपका अंतर्वस्त्र है; आइए और यहाँ बैठ जाइए।"

4. अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षुओं ने उन्हें शिक्षा दी; दीक्षा लेने के इच्छुक व्यक्ति, यद्यपि उन्हें शिक्षा दी गई थी, विचलित, भ्रमित हो गए और उत्तर नहीं दे सके।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अज्ञानी और अनपढ़ भिक्षुओं को इन्हें शिक्षा न देने दें। ऐसा करने पर वे दुक्कटा अपराध करेंगे। हे भिक्षुओं, मैं यह विधान करता हूँ कि एक विद्वान और योग्य भिक्षु ही इन्हें शिक्षा दे।'

5. उस समय उन्हें निर्देश देने वाले व्यक्ति वे थे जिन्हें उस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, बिना नियुक्त हुए कोई भी उन्हें उपदेश न दे। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि एक नियुक्त भिक्षु ही उन्हें उपदेश दे। और (इस भिक्षु की) नियुक्ति इस प्रकार की जानी चाहिए: कोई स्वयं को नियुक्त कर सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। और (एक भिक्षु) स्वयं को कैसे नियुक्त करेगा? एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित निवेदन करे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। NN आदरणीय NN से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। यदि संघ तैयार है, तो मैं NN को उपदेश दूंगा।" इस प्रकार कोई स्वयं को नियुक्त कर सकता है।

6. और (भिक्षु) किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे नियुक्त कर सकता है? एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करे: "संघ, आदि, आदरणीय भिक्षु से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। यदि संघ तैयार है, तो भिक्षु भिक्षु को निर्देश दें।" इस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

7. 'फिर नियुक्त भिक्षु दीक्षा लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास जाकर उससे इस प्रकार कहें: "हे भिक्षु, क्या तुम सुन रहे हो? यही समय है सत्य बोलने का, और जो है वही कहने का। जब मैं सभा के समक्ष तुमसे सत्य के बारे में पूछूँ, तो यदि सत्य हो, तो उत्तर देना: 'यहाँ सत्य है;' यदि सत्य न हो, तो उत्तर देना: 'यहाँ सत्य नहीं है। विचलित मत हो, व्याकुल मत हो। मैं तुमसे इस प्रकार पूछूँगा: 'क्या तुम निम्नलिखित रोगों आदि से पीड़ित हो?'"

8. (निर्देश के बाद, प्रशिक्षक और उम्मीदवार) सभा के सामने एक साथ उपस्थित हुए।

उन्हें एक साथ उपस्थित न होने दें। प्रशिक्षक पहले आएं और संघ के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करें: "हे आदरणीय महोदय, संघ, मेरी बात सुनें। एनएन आदरणीय एनएन से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं; मैंने उन्हें शिक्षा दी है। यदि संघ तैयार है, तो एनएन आएं।" फिर उन्हें कहा जाए: "आओ।" उन्हें अपना ऊपरी वस्त्र ठीक करने (आदि, अध्याय 29.2 देखें), अपने हाथ जोड़कर उठाने और उपसंपदा दीक्षा के लिए संघ से प्रार्थना करने को कहा जाए (यह कहते हुए), "हे आदरणीय महोदय, मैं संघ से उपसंपदा दीक्षा के लिए प्रार्थना करता/करती हूं; हे आदरणीय महोदय, मुझ पर दया करके संघ मुझे (पापपूर्ण संसार से) बाहर निकाल दे। और दूसरी बार, हे आदरणीय महोदय, मैं प्रार्थना करता/करती हूं, इत्यादि। और तीसरी बार, हे आदरणीय महोदय, मैं प्रार्थना करता/करती हूं, इत्यादि।"

9. 'तब एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ती की घोषणा करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनें। यह व्यक्ति एनएन आदरणीय एनएन से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। यदि संघ तैयार है, तो मैं एनएन से अयोग्यताओं के बारे में पूछूंगा।'

"क्या तुम सुन रहे हो, एनएन? यही वह समय है जब तुम्हें (आदि, अनुच्छेद 7 देखें, नीचे तक) उत्तर देना चाहिए: 'ऐसा नहीं है।'"

"क्या आप निम्नलिखित बीमारियों आदि से पीड़ित हैं?"

10. 'तब एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। यह व्यक्ति, एनएन, आदरणीय एनएन से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है; वह अयोग्यताओं से मुक्त है; उसका भिक्षापात्र और वस्त्र उचित अवस्था में हैं। एनएन संघ से उपसंपदा दीक्षा का अनुरोध करता है, जिसमें एनएन उपज्झाय होगा। यदि संघ तैयार है, इत्यादि।"'

उपसम्पदा दीक्षा के नियमों का समापन।

<<<< पिछला (1.75) | अगला (1.77) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खण्डक >> 1.77

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.76) | अगला(1.78) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-77: नवागंतुकों को दीक्षा नियमों का हवाला देना।

'फिर उन्हें छाया मापने दो, (नवदीक्षित भिक्षु को) बताओ कि कौन सा मौसम है और कौन सी तिथि है, दिन का कौन सा भाग है, पूरा सूत्र बताओ और चारों संसाधनों के बारे में बताओ: "धम्म जीवन का संसाधन भिक्षा में प्राप्त भोजन के टुकड़े हैं (आदि, जैसा कि अध्याय 30.4 में है)।"'

चारों संसाधनों का अंत।

<<<< पिछला(1.76) | अगला(1.78) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.78

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.77) | अगला(1.79) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-78: एक भिक्षु ने पत्नी के साथ यौन संबंध बनाया और उसे नियम बताए गए।

1. उस समय भिक्षुओं ने एक भिक्षु को उपसम्पदा दीक्षा देने के बाद उसे अकेला छोड़कर चले गए। बाद में, जब वह अकेले (आराम (मठ) जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी पूर्व पत्नी से हुई। उसने उससे पूछा, 'क्या तुमने अब धम्म जीवन अपना लिया है?' (उसने उत्तर दिया): 'हाँ, मैंने धम्म जीवन अपना लिया है।' 'धम्म जीवन अपनाने वालों के लिए यौन संबंध बनाना कठिन होता है; आओ, हम संभोग करें।' उसने उसके साथ संभोग किया, और परिणामस्वरूप (आराम (मठ) देर से पहुँचा। भिक्षुओं ने पूछा, 'हे मित्र, इतनी देर क्यों हो गई?'

2. तब उस भिक्षु ने सारी बात अन्य भिक्षुओं को बताई। भिक्षुओं ने वह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि आप नवदीक्षित भिक्षु को एक साथी दें और उसे चारों निषेधों के बारे में बताएँ।

"उपसंपदा दीक्षा प्राप्त भिक्षु को पशु सहित किसी भी प्रकार के यौन संबंध से बचना चाहिए। यौन संबंध बनाने वाला भिक्षु न तो समन (भिक्षु) है और न ही शाक्यपुत्त का अनुयायी। जैसे सिर कटा हुआ व्यक्ति केवल धड़ के सहारे जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही यौन संबंध बनाने वाला भिक्षु न तो समन (भिक्षु) है और न ही शाक्यपुत्त का अनुयायी। जीवन भर इससे दूर रहो।"

3. "उपसंपदा दीक्षा प्राप्त भिक्षु को वह सब कुछ लेने से बचना चाहिए जो उसे नहीं दिया गया है, और चोरी से भी बचना चाहिए, यहाँ तक कि घास के एक तिनके की भी नहीं। जो भिक्षु वह लेता है जो उसे नहीं दिया गया है, या यदि वह एक पद (अर्थात कर्शपना का एक चौथाई भाग) है, या एक पद के मूल्य का है या उससे अधिक मूल्य का है, तो वह समन (भिक्षु) नहीं है और शाक्यपुत्त का अनुयायी नहीं है। जैसे सूखी पत्ती डंठल से अलग होने पर फिर से हरी नहीं हो सकती, वैसे ही जो भिक्षु कुछ लेता है, आदि। अपने जीवन भर ऐसा करने से बचें।"

4. "उपसंपदा दीक्षा प्राप्त भिक्षु को किसी भी प्राणी, यहाँ तक कि कीड़े या चींटी का भी, जानबूझकर वध नहीं करना चाहिए। जो भिक्षु जानबूझकर किसी मनुष्य की हत्या करता है, यहाँ तक कि गर्भपात भी करवाता है, वह न तो समन है और न ही शाक्यपुत्त का अनुयायी। जैसे एक बड़ा पत्थर दो टुकड़ों में टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही जो भिक्षु जानबूझकर ऐसा करता है, आदि। अपने जीवन भर ऐसा करने से बचें।"

5. "उपसंपदा दीक्षा प्राप्त भिक्षु को स्वयं को कोई अलौकिक स्थिति नहीं देनी चाहिए, और न ही यह कहना चाहिए: 'मुझे किसी खाली जगह में रहने में आनंद आता है।'" जो भिक्षु बुरे इरादे से और लोभवश स्वयं को ऐसी अलौकिक अवस्था का आभास कराता है, जो उसके पास न तो है और न ही वह उससे संपन्न है, जैसे कि ध्यान (रहस्यमय ध्यान/सम्मोहन की अवस्था), या विमोक्षों में से कोई एक, या समाधि (आत्म-एकाग्रता की अवस्था), या समापत्ति (चारों घनों और आठ विमोक्षों में से चार की प्राप्ति), या मोक्ष के मार्ग, या उसके फलों में से कोई एक, वह न तो समन है और न ही शाक्यपुत्त का अनुयायी। जैसे ताड़ के पेड़ की ऊपरी शाखा काट देने पर वह दोबारा नहीं उग सकती, वैसे ही जो भिक्षु बुरे इरादे से ऐसा करता है, आदि। जीवन भर ऐसा करने से बचें।

चारों निषेधाज्ञाओं का अंत।

<<<< पिछला(1.77) । अगला(1.79) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> प्रथम खंडक >> 1.79

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.78) । अगला(2.1) >>>>

महावग्ग

प्रथम खंडक (भिक्षुओं के संघ की स्थापना)

अध्याय-79: निष्कासित भिक्षु की पुनः प्रवेश योग्यता।

1. उस समय एक भिक्षु, जिसे अपने द्वारा किए गए अपराध को देखने से इनकार करने के कारण निष्कासित कर दिया गया था, संसार में लौट आया। बाद में वह भिक्षुओं के पास वापस आया और उनसे उपसंपदा दीक्षा का अनुरोध किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु, जिसे अपने द्वारा किए गए अपराध को देखने से इनकार करने के कारण निष्कासित कर दिया गया हो, संसार में लौट आता है और बाद में भिक्षुओं के पास आकर उपसम्पदा दीक्षा मांगता है, तो उससे यह पूछें: "क्या तुम वह अपराध देखना चाहते हो?" यदि वह उत्तर दे: "मैं देखूंगा," तो उसे पब्बज्ज दीक्षा दी जाए; यदि वह उत्तर दे: "मैं नहीं देखूंगा," तो उसे पब्बज्ज दीक्षा न दी जाए।

2. जब उसे पब्बज्ज दीक्षा मिल जाए, तो उससे कहा जाए: "क्या तुम वह अपराध देखोगे?" यदि वह कहे: "मैं देखूंगा," तो उसे उपसंपदा दीक्षा दी जाए; यदि वह कहे: "मैं नहीं देखूंगा," तो उसे उपसंपदा दीक्षा न दी जाए।

जब उसे उपसम्पदा दीक्षा (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है) प्राप्त हो जाए। यदि वह कहे: "मैं इसे देखूंगा," तो उसे बहाल किया जाए; यदि वह कहे: "मैं इसे नहीं देखूंगा," तो उसे बहाल न किया जाए।

जब उसे बहाल कर दिया जाए, तो उससे कहें: "क्या तुम्हें वह अपराध दिखाई देता है?" यदि उसे वह दिखाई देता है, तो अच्छा है; यदि उसे वह दिखाई नहीं देता है, तो उसे फिर से निष्कासित कर दें, यदि निष्कासन के निर्णय पर बिरादरी में सर्वसम्मति संभव हो; यदि यह असंभव है, तो ऐसे भिक्षु के साथ रहना और निवास करना कोई अपराध नहीं है।

3. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु को उसके द्वारा किए गए अपराध के प्रायश्चित से इनकार करने के कारण निष्कासित कर दिया गया हो, तो उसे पुनः प्रवेश देने पर उससे कहा जाए: "अब उस अपराध का प्रायश्चित करो।" यदि वह प्रायश्चित कर ले, तो अच्छा है, इत्यादि।

4. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु को किसी झूठे सिद्धांत आदि का त्याग करने से इनकार करने के कारण निष्कासित कर दिया गया हो, तो उसे पुनः प्रवेश दे दिया जाए, तो उससे कहा जाए: "अब उस झूठे सिद्धांत का त्याग करो।" यदि वह उसका त्याग कर दे, तो अच्छा है, इत्यादि।

प्रथम खंडक का अंत, जिसे महान खंडक कहा जाता है।

<<<< पिछला(1.78) । अगला(2.1) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> दूसरा खंडक >> 2.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.79) । अगला(2.2) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा।)

अध्याय-1: राजा बिम्बिसार ने बुद्ध से प्रत्येक अर्ध माह के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम तिथि को भिक्षुओं की सभा आयोजित करने का अनुरोध किया।

1. उस समय महान बुद्ध राजगृह के निकट, गिज्जकुटा पर्वत ('गिद्ध शिखर') पर निवास करते थे। उस समय तिथि संप्रदायों के परिभजक प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम दिन एकत्रित होकर अपने उपदेश देते थे। लोग उपदेश सुनने के लिए उनके पास जाते थे। वे तिथि संप्रदायों के परिभजकों के प्रति स्नेह और आस्था से भर जाते थे; तिथि संप्रदायों के परिभजकों को अनुयायी प्राप्त होते थे।

2. जब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार अकेले थे और एकांतवास में चले गए थे, तब उनके मन में यह विचार आया: 'तित्तीय संप्रदायों के परिब्बाजक प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम तिथि को एकत्रित होकर अपना उपदेश देते हैं। लोग उनका उपदेश सुनने

के लिए उनके पास जाते हैं। वे तित्तीय संप्रदायों के परिब्बाजकों के प्रति स्नेह और आस्था से भर जाते हैं; तित्तीय संप्रदायों के परिब्बाजकों को अनुयायी मिलते हैं। यदि पूज्य भिक्षु (बौद्ध भिक्षु) भी प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम तिथि को एकत्रित हों तो क्या होगा?'

3. तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। उनके पास बैठकर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, जब मैं एकांत में था और एकांतवास में गया था, तब मेरे मन में यह विचार आया: "परिबजक आदि; यदि प्रत्येक पंचमाह के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम दिन भी पूज्य लोग एकत्रित हों तो क्या होगा?" हे प्रभु, पूज्य लोग प्रत्येक पंचमाह के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम दिन भी एकत्रित हों।

4. तब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया; और भगवान बुद्ध द्वारा धर्म प्रवचन से शिक्षा प्राप्त और प्रसन्न होकर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार अपने आसन से उठे, भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया, उनके दाहिनी ओर मुख करके उनकी परिक्रमा की और चले गए।

इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप प्रत्येक माह की चौदहवीं, पंद्रहवीं और अष्टम तिथि को एकत्रित हों।'

<<<< पिछला(1.79) | अगला(2.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.2

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.1) | अगला(2.3) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-2: भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक अर्ध माह के चौदहवें, पंद्रहवें और अष्टम तिथि को धम्म का पाठ करना।

उस समय भिक्षुओं ने यह जानते हुए कि भगवान बुद्ध ने उन्हें प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें दिन आदि को एकत्रित होने का आदेश दिया है, प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें दिन आदि को एकत्रित होकर मौन बैठे रहे। लोग धर्म का पाठ सुनने के लिए उनके पास गए। वे नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए: 'शाक्यपुत्र समन प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें दिन आदि को एकत्रित होकर मूक या सूअरों की तरह मौन कैसे बैठ सकते हैं? क्या उन्हें एकत्रित होकर धर्म का पाठ नहीं करना चाहिए?' कुछ भिक्षुओं ने उन नाराज़, बड़बड़ाते और क्रोधित लोगों को सुना; इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि तुम प्रत्येक पखवाड़े के चौदहवें दिन आदि को एकत्रित होकर धर्म का पाठ करो।' प्रत्येक आधे महीने के दिन।

<<<< पिछला(2.1) | अगला(2.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> दूसरा खंडक >> 2.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.2) | अगला(2.4) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-3: बुद्ध ने पतिमोक्खा पाठ की शुरुआत का निर्देश दिया।

1. अब जब भगवान बुद्ध अकेले थे और एकांतवास में चले गए थे, तब उनके मन में यह विचार आया: 'यदि मैं भिक्षुओं को यह निर्देश दूं कि वे पतिमोक्खा के रूप में उन उपदेशों का पाठ करें जो मैंने उन्हें दिए हैं; तो यही उनकी उपोसथा सेवा (उपवास के दिन की सेवा) होगी।'

2. और भगवान बुद्ध ने उस समय और उस अवसर पर संध्याकाल में एकांतवास छोड़कर, धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, जब मैं एकांत में था और एकांतवास में गया था, तब मैंने निम्नलिखित विचार आदि किए, यही उनकी उपोसथ सेवा होगी। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पतिमोक्खा का पाठ करने का विधान करता हूँ।'

3. हे भिक्षुओं, आपको इसका पाठ इस प्रकार करना चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन की घोषणा करे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। आज उपोसथ है, पंद्रहवाँ (अर्धमाके का)। यदि संघ तैयार हो, तो संघ उपोसथ सेवा करे और पतिमोक्ख का पाठ करे। संघ को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? हे महोदय, परिशुद्धि की घोषणा कीजिए। मैं पतिमोक्ख का पाठ करूँगा।"

"हम इसे ध्यान से सुनते हैं और हम सभी इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।"

“जिसने कोई अपराध किया हो, वह उसे स्वीकार कर सकता है; यदि कोई अपराध न हो, तो चुप रहना चाहिए; आपके चुप रहने से मैं समझूंगा कि आदरणीय भिक्षु (अपराधों से मुक्त) हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वह उसका उत्तर देता है, उसी प्रकार यदि इस प्रकार की सभा के समक्ष कोई प्रश्न तीन बार विधिपूर्वक पूछा जाए, तो यदि कोई भिक्षु तीन बार पूछे जाने के बाद भी अपने द्वारा याद किए गए अपराध को स्वीकार नहीं करता है, तो वह जानबूझकर झूठ बोलता है। आदरणीय भिक्षुओं, जानबूझकर झूठ बोलना भगवान बुद्ध द्वारा एक बाधा घोषित किया गया है। इसलिए, जिस भिक्षु ने (अपराध किया हो), उसे याद हो, और वह शुद्ध होना चाहता हो, तो उसे अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि स्वीकार करने पर उसका उचित उपचार हो जाता है।”

4. 'पतिमोक्खम': यह आरंभ है, यह मुख (मुखम) है, यह धर्मपरायण मार्ग/नियमों (धम्मनम) का मूल (पामुखम) है; इसलिए इसे 'पतिमोक्खम' कहा जाता है।

'अयस्मान्तो': यह शब्द 'अयस्मान्तो' मित्रता की अभिव्यक्ति है, सम्मान की अभिव्यक्ति है, एक ऐसा नाम है जो आदर और श्रद्धा का भाव व्यक्त करता है।

'उद्दिसिसामि:' मैं उच्चारण करूँगा, मैं दिखाऊँगा, मैं घोषणा करूँगा, मैं स्थापित करूँगा, मैं पर्दा हटाऊँगा, मैं भेद करूँगा, मैं स्पष्ट करूँगा, मैं बताऊँगा।

'ताम' (यह): यह पतिमोक्खा को संदर्भित करता है।

'सब्बे वा संता' (हम सभी): उस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, वृद्ध, युवा और मध्यम आयु वर्ग के (भिक्षु), उन सभी को 'सब्बे वा संता' से दर्शाया गया है।

'साधुकम सुनोमा' (हम इसे अच्छी तरह सुनते हैं): इसके अधिकार को स्वीकार करते हुए, अपना ध्यान इस पर केंद्रित करते हुए, हम इसे अपने विचारों में पूरी तरह दोहराते हैं।

'मनसिकरोमा' (हम अपना ध्यान इस पर केंद्रित करते हैं): हम इसे एकाग्रता से सुनते हैं, न कि भ्रमित या विचलित विचारों के साथ।

5. 'यस्सा सिया अपात्ति' (वह जिसने अपराध किया है): वह, चाहे वह वृद्ध हो, युवा हो या मध्यम आयु का भिक्षु हो, जिसने पाँच प्रकार के अपराधों या सात प्रकार के जुर्मों में से कोई अपराध किया हो।

'सो अविकरेय्या:' वह इसे दिखा सकता है, इसका अनावरण कर सकता है, इसे स्पष्ट कर सकता है, इसे संघ (भिक्षुओं के पूरे अध्याय) के सामने, या एक छोटी संख्या के सामने, या एक व्यक्ति के सामने घोषित कर सकता है।

'असन्ती अपात्ती' (एक गैर-मौजूद अपराध): एक ऐसा अपराध जो न किया गया हो, या जो किया गया हो और जिसका प्रायश्चित किया जा चुका हो।

'तुन्ही भवितब्बम' (उसे चुप रहना चाहिए): उसे (बिना कोई उत्तर दिए पतिमोक्खा का पाठ) स्वीकार करना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए।

'परिसुद्धा 'ति वेदिस्सामि' (मैं समझूंगा कि वे शुद्ध हैं): मैं अनुमान लगाऊंगा, मैं जानूंगा।

6. 'यथा खो पाना पक्केकपुत्थस्स वेय्याकरणम् होती' (जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर देता है): जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देता है, उसी प्रकार उस सभा में उपस्थित लोगों को यह समझना चाहिए: 'वह मुझसे पूछता है।' 'एवरूप परिसा' (इस प्रकार की सभा): यह भिक्षुओं की सभा को संदर्भित करता है।

'यवततियम अनुस्सवितम होति' (इसकी तीन बार विधिवत घोषणा की गई है): इसकी एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार विधिवत घोषणा की गई है।

'सरमानो' (इसे याद रखना): इसे जानना, इसके प्रति सचेत रहना।

'सन्ती अपात्ती' (एक मौजूदा अपराध): एक ऐसा अपराध जो किया जा चुका है, या जो किया जा चुका है और जिसका प्रायश्चित नहीं किया गया है।

'नविकारेय्या': वह इसे प्रकट नहीं करता, वह इसका पर्दाफाश नहीं करता, वह इसे स्पष्ट नहीं करता, वह इसे संघ के समक्ष, या किसी छोटे अध्याय के समक्ष, या किसी एक व्यक्ति के समक्ष घोषित नहीं करता।

7. 'संपजानमुसवद' अस्स होती' (वह जानबूझकर झूठ बोलता है): जानबूझकर झूठ बोलना क्या है? यह एक पाप है।

'अंतरायिको धम्मो वुत्तो भगवता' (इसे भगवान बुद्ध ने बाधा घोषित किया है): किसमें बाधा? प्रथम घन की प्राप्ति में बाधा, द्वितीय... तृतीय... चतुर्थ घन की प्राप्ति में बाधा, घनों, विमोक्षों, समाधियों (आत्म-एकाग्रता की अवस्थाओं), समापत्तियों (चार घनों की आठ उपलब्धियाँ और आठ विमोक्षों में से चार) की प्राप्ति में बाधा, त्याग की अवस्था, संसार से मुक्ति की अवस्था, एकांतवास की अवस्था, और सभी अच्छे गुणों की प्राप्ति में बाधा।

'तस्मा:' इसी कारण से।

'सरमनेना' (उसके द्वारा जो इसे याद रखता है): उसके द्वारा जो इसे जानता है और इसके प्रति सचेत है।

'विशुद्धपेक्खेना' (जो शुद्ध होना चाहता है): जो इसका प्रायश्चित करना चाहता है और स्वयं को इससे शुद्ध करना चाहता है।

8. 'संति अपाति' । . . (§ 6 देखें)।

'अविकतब्बा' (स्वीकारोक्ति करनी है): संघ के समक्ष, या किसी छोटे अध्याय के समक्ष, या किसी एक व्यक्ति के समक्ष स्वीकारोक्ति करनी है।'

'Avikata hi 'ssa phasu hoti' (क्योंकि यदि स्वीकार किया गया है, तो उसके साथ विधिवत व्यवहार किया जाता है): विधिवत किस उद्देश्य से? प्रथम घाना (और इसी प्रकार, जैसा कि § 7 में है, नीचे तक:) सभी अच्छे गुणों की प्राप्ति के लिए उचित तरीके से।

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.3) । अगला(2.5) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-4: बुद्ध ने प्रत्येक छह महीने में एक बार उपवास के दिन (उपोसथ) पतिमोक्खा पाठ करने का आदेश दिया।

1. उस समय भिक्षु यह मानते हुए कि पतिमोक्ख पाठ भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था, प्रतिदिन पतिमोक्ख पाठ करते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, पतिमोक्खा का पाठ प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। जो इसका पाठ प्रतिदिन करता है, वह दुक्कता अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं उपोसथ दिवस पर ही पतिमोक्खा का पाठ करने का आदेश देता हूँ।'

2. उस समय भिक्षुओं ने यह मानते हुए कि भगवान बुद्ध ने उपोसथ दिवस पर पतिमोक्खा का पाठ करने का विधान किया था, प्रत्येक अर्धमाह के चौदहवें, पंद्रहवें और आठवें दिन तीन बार पतिमोक्खा का पाठ किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, पतिमोक्खा का पाठ प्रत्येक पखवाड़े में तीन बार नहीं करना चाहिए। जो इसका पाठ (तीन बार) करता है, वह दुक्कता अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप प्रत्येक पखवाड़े में एक बार, चौदहवें या पंद्रहवें दिन पतिमोक्खा का पाठ करें।'

<<<< पिछला(2.3) । अगला(2.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.4) । अगला(2.6) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-5: एक ही मठ के भीतर अर्हंतों सहित सभी उपस्थित लोगों द्वारा पतिमोक्खा का पाठ किया जाना।

1. उस समय छब्बागिया भिक्षु अपने-अपने साथियों के सामने, आपस में रहते हुए, पतिमोक्खा का पाठ करते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, पतिमोक्खा का पाठ भिक्षुओं के आपसी मिलन के तरीके से, यानी प्रत्येक भिक्षु द्वारा अपने साथियों के सामने नहीं किया जाना चाहिए। जो इसका पाठ इस प्रकार करता है, वह दुक्कता अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि उपोसथा सेवा संपूर्ण भिक्षु समुदाय द्वारा की जानी चाहिए।'

2. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'भगवान बुद्ध ने यह निर्धारित किया है कि उपोसथा सेवा संपूर्ण भिक्षु समुदाय द्वारा की जानी चाहिए। पूर्णता का विस्तार कहाँ तक है, क्या यह एक निवास (या एक मठ) तक सीमित है, या पूरी पृथ्वी पर?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि पूर्णता एक निवास स्थान तक ही सीमित होनी चाहिए।'

3. उस समय पूज्य महा कप्पिना राजगृह के पास, मद्दकुक्खी के हिरण उद्यान में निवास करते थे। एक दिन जब पूज्य महा कप्पिना अकेले थे और एकांत में विश्राम कर रहे थे, तब उनके मन में यह विचार आया: 'क्या मुझे उपोसथ सेवा में जाना चाहिए या नहीं? क्या मुझे संघ के कार्यक्रमों में जाना चाहिए या नहीं? वास्तव में मैं सर्वोच्च पवित्रता से शुद्ध हो चुका हूँ (अर्थात मैं अरहतत्व या निर्वाण प्राप्त कर चुका हूँ)।'

4. तब भगवान बुद्ध ने अपनी बुद्धि की शक्ति से महा कप्पिना के मन में उठे विचार को समझकर, गिज्जकुटा पर्वत से अंतर्धान होकर मद्दकुक्खी के हिरण उद्यान में पूज्य महा कप्पिना के समक्ष (तत्काल) प्रकट हुए, जैसे कोई बलवान व्यक्ति अपनी मुड़ी हुई भुजा को फैलाता है या फैलाई हुई भुजा को वापस खींचता है। भगवान बुद्ध अपने लिए बिछाई गई आसन पर बैठ गए, और पूज्य महा कप्पिना ने भी भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम करके उनके पास बैठ गए।

5. जब पूज्य महा कप्पिना उनके पास बैठे थे, तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा: 'जब आप अकेले थे, कप्पिना, और एकांत में चले गए थे, तो क्या आपके मन में यह विचार नहीं आया: "क्या मैं सर्वोच्च पवित्रता के मार्ग से जाऊं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 3 में नीचे दिया गया है):'

'फिर भी, प्रभु।'

'यदि तुम ब्राह्मण उपोसथा का आदर, सम्मान, आदर, श्रद्धा नहीं करोगे, तो फिर उपोसथा का आदर, सम्मान, श्रद्धा, श्रद्धा कौन करेगा? हे ब्राह्मण, उपोसथा के पास जाओ, जाने में लापरवाही मत करो; संघ के समारोहों में जाओ, जाने में लापरवाही मत करो।' पूज्य महा कप्पिना ने भगवान बुद्ध को ऐसा करने का वचन देते हुए कहा, 'हे प्रभु, ऐसा ही हो।'

6. फिर, पूज्य महा कप्पिना को धर्म प्रवचन द्वारा शिक्षा, प्रोत्साहन, उत्साह और प्रसन्नता प्रदान करने के बाद, भगवान बुद्ध मद्दकुक्खी के हिरण पार्क से, पूज्य महा कप्पिना की उपस्थिति से ओझल हो गए और गिज्जकुटा पर्वत पर (उतनी ही तेजी से) प्रकट हुए, जैसे कोई बलवान व्यक्ति अपनी मुड़ी हुई भुजा को फैला सकता है या अपनी फैली हुई भुजा को वापस खींच सकता है।

<<<< पिछला(2.4) | अगला(2.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.5) | अगला(2.7) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-6: पतिमोक्खा पाठ के लिए प्रत्येक निवास की सीमा के रूप में स्थलों की स्थापना।

अब भिक्षुओं ने सोचा: 'भगवान बुद्ध ने यह निर्धारित किया है कि (समीक्षित समुदाय की) पूर्णता एक निवास स्थान तक ही सीमित है। तो एक निवास स्थान कितनी दूर तक सीमित होता है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप एक सीमा निर्धारित करें। और हे भिक्षुओं, यह सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए: सर्वप्रथम सीमा चिह्नों की घोषणा की जाए: एक सीमा चिह्न जिसमें पर्वत, चट्टान, वन, वृक्ष, मार्ग, दीमक का टीला, नदी या जल निकाय शामिल हों। सीमा चिह्नों की घोषणा हो जाने के बाद, एक विद्वान और योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन की घोषणा करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनें। यदि संघ तैयार है, तो संघ, जैसा कि चारों ओर सीमा चिह्नों की घोषणा की गई है, इन सीमा चिह्नों के आधार पर उपोसथ के सामान्य निवास और सहभागिता के लिए सीमा निर्धारित करे। यही कथन है। हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनें। संघ सीमा निर्धारित करे (आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है)। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"

<<<< पिछला(2.5) | अगला(2.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.6) | अगला(2.8) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-7: उपोसथा और पतिमोक्खा (उपवास और स्वीकारोक्ति) के लिए सीमा का उचित निर्धारण।

1. उस समय छब्बाग्य भिक्षुओं ने यह मानते हुए कि सीमाएँ निर्धारित करना भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित किया गया था, अत्यधिक विस्तारित सीमाएँ निर्धारित कीं, जो चार योजन, पाँच योजन, छह योजन की थीं। उपोसथ में आने वाले भिक्षु या तो पतिमोक्ख का पाठ चल रहा होता था या उसका पाठ अभी-अभी समाप्त हुआ होता था, या फिर उन्हें रास्ते में रात बितानी पड़ती थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, चार, पाँच या छह योजन से अधिक लंबी सीमा का निर्धारण न करो। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि तुम अधिकतम तीन योजन की सीमा का ही निर्धारण करो।

2. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने एक सीमा निर्धारित की जो नदी के दूसरी ओर तक फैली हुई थी। उपोसथा में आने वाले भिक्षु नदी के बहाव में बह गए, और उनके भिक्षापात्र और वस्त्र भी बह गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, नदी के दूसरे छोर तक फैली सीमा का निर्धारण न करो। ऐसा करने वाला दुक्कता अपराध करता है। हे भिक्षुओं, यदि नौका या बांध द्वारा नियमित आवागमन हो, तो ऐसे स्थानों पर नदी के दूसरे छोर तक फैली सीमा का निर्धारण करने की अनुमति है।

<<<< पिछला(2.6) | अगला(2.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.7) | अगला(2.9) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-8: पाप स्वीकार करने के लिए एक ही स्थान की स्थापना (पतिमोक्खा) और उसकी घोषणा।

1. उस समय भिक्षु अपने-अपने कोठरियों में बिना कोई निश्चित स्थान निर्धारित किए पतिमोक्खा का पाठ करते थे। दूर-दूर से आए भिक्षुओं को यह नहीं पता था कि उस दिन उपोसथ कहाँ आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, कोई भी व्यक्ति बिना किसी निश्चित स्थान के लगातार कोठरियों में पतिमोक्खा का पाठ न करे। जो इस प्रकार पाठ करता है, वह दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि उपोसथ सभा के लिए संघ की इच्छानुसार कोई भी स्थान निर्धारित कर लिया जाए, चाहे वह विहार हो, मठ हो, अद्धयोग हो, बहुमंजिला इमारत हो, घर हो या गुफा हो। उपोसथ सभा इस प्रकार आयोजित की जानी चाहिए:

2. 'एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नट्टी की घोषणा करें: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। यदि संघ तैयार है, तो संघ एनएन नामक विहार को हमारा उपोसथ हॉल नियुक्त करे। यही नट्टी (प्रस्ताव) है। हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। संघ नियुक्त करता है, इत्यादि। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"

3. उस समय एक विशेष निवास (या जिले) में दो उपोसथ हॉल निर्धारित थे। भिक्षु दोनों स्थानों पर एकत्रित होते थे, क्योंकि (उनमें से कुछ) सोचते थे, 'उपोसथ यहाँ आयोजित होगा;' (और कुछ), 'यह वहाँ आयोजित होगा।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, एक ही जिले में दो उपोसथ आश्रम न स्थापित करें। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं आदेश देता हूँ कि उनमें से एक को समाप्त कर दिया जाए और केवल एक ही स्थान पर उपोसथ आश्रम आयोजित किया जाए।

4. 'और हे भिक्षुओं, आपको इसे इस प्रकार समाप्त करना चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन की घोषणा करे: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनो। यदि संघ तैयार है, तो संघ उपोसथ हॉल जिसे एनएन कहा जाता है, को समाप्त कर सकता है। यह कथन है। संघ, इत्यादि। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"'

<<<< पिछला(2.7) | अगला(2.9) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> दूसरा खंडक >> 2.9
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.8) | अगला(2.10) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-9: सुनने की दूरी के भीतर पतिमोक्खा (स्वीकारोक्ति) के लिए एक स्थान की स्थापना।

1. उस समय एक विशेष जिले में एक छोटा सा उपोसथा हॉल नियुक्त किया गया था। उपोसथा के दिन भिक्षुओं की एक बड़ी सभा एकत्रित हुई। भिक्षुओं ने निर्धारित स्थान के बाहर बैठकर पतिमोक्खा का पाठ सुना। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह

उपदेश दिया है कि उपोसथा हॉल नियुक्त होने के बाद ही उपोसथा का आयोजन किया जाना चाहिए, और हमने निर्धारित स्थान के बाहर बैठकर पतिमोक्खा का पाठ सुना है। तो क्या हमने विधिपूर्वक उपोसथा का आयोजन किया है या नहीं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'चाहे (भिक्षु) निर्धारित स्थान के अंदर बैठे हों या बाहर, बशर्ते कि वह पतिमोक्खा को सुन लें, उपोसथा उनके द्वारा विधिवत धारण की गई है।'

2. 'अत:, हे भिक्षुओं, संघ अपनी इच्छा अनुसार उपोसथा-मुख का निर्धारण करे। और हे भिक्षुओं, इसका निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए: सर्वप्रथम सीमांकित की जाएँ। सीमांकित होने के बाद, एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन का उच्चारण करे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। यदि संघ तैयार है, तो संघ, जैसा कि चारों ओर सीमांकित की गई हैं, इन सीमांकितों के आधार पर एक उपोसथा-मुख का निर्धारण करे। यही कथन है। संघ, इत्यादि। इस प्रकार मैं समझता/समझती हूँ।"'

<<<< पिछला(2.8) | अगला(2.10) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.9) | अगला(2.11) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-10: पतिमोक्खा (स्वीकारोक्ति) समारोह के लिए सबसे पहले थेरा (बुजुर्गों) को एकत्रित होना चाहिए।

उस समय एक विशेष जिले में उपोसथा के दिन, सबसे पहले एकत्रित हुए युवा भिक्षुओं ने सोचा, 'थेरा (वरिष्ठ भिक्षु) अभी नहीं आए हैं,' और वे चले गए। उपोसथा सेवा उचित समय के बाद आयोजित की गई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि उपोसथ दिवस पर सबसे पहले थेरों को एकत्रित होना चाहिए।'

<<<< पिछला(2.9) | अगला(2.11) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.10) | अगला(2.12) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-11: उपोसथा का आयोजन पूर्ण मंडली द्वारा एक ही स्थान पर किया जाएगा।

उस समय राजगृह में एक ही सीमा के भीतर कई भिक्षु निवास थे। अब भिक्षु आपस में झगड़ पड़े: (उनमें से कुछ ने कहा), 'उपोसथा हमारे निवास में आयोजित की जाएगी;' (अन्य ने कहा), 'यह हमारे निवास में आयोजित की जाएगी।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, एक ही सीमा के भीतर अनेक भिक्षु निवास हैं; अब भिक्षु आपस में झगड़ते हैं: (उनमें से कुछ कहते हैं), "उपोसथ हमारे निवास में आयोजित किया जाएगा;" (अन्य कहते हैं), "यह हमारे निवास में आयोजित किया जाएगा।" हे भिक्षुओं, वे सभी भिक्षु एक स्थान पर एकत्रित होकर उपोसथ आयोजित करें, या वे उस स्थान पर एकत्रित हों जहाँ वरिष्ठ भिक्षु निवास करते हैं और वहाँ उपोसथ आयोजित करें। परन्तु किसी भी स्थिति में अपूर्ण मंडली द्वारा उपोसथ आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। जो (इस प्रकार) उपोसथ आयोजित करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।

<<<< पिछला(2.10) । अगला(2.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> दूसरा खंडक >> 2.12

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.11) । अगला(2.13) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-12: सीमा का उन्मूलन और पुनर्निर्धारण।

1. उस समय पूज्य महा कस्सपा, अंधकविन्द से राजगृह होते हुए उपोसथ जा रहे थे और रास्ते में एक नदी पार कर रहे थे, तभी नदी उन्हें लगभग बहा ले गई और उनके वस्त्र भीग गए। भिक्षुओं ने पूज्य महा कस्सपा से पूछा, 'हे मित्र, आपके वस्त्र कैसे भीग गए?' (उन्होंने उत्तर दिया): 'हे मित्रों, जब मैं अंधकविन्द से राजगृह होते हुए उपोसथ जा रहा था और रास्ते में एक नदी पार कर रहा था, तभी नदी मुझे लगभग बहा ले गई; इस प्रकार मेरे वस्त्र भीग गए।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, संघ उपोसथ के सामान्य निवास और संवाद के लिए निर्धारित सीमा को तिकिवरेना अविप्पवास का स्वरूप प्रदान करे।'

2. हे भिक्षुओं, आपको इसे इस प्रकार यह स्वरूप प्रदान करना चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नट्टी (प्रस्ताव) की घोषणा करें: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। यदि संघ तैयार है, तो संघ उस सीमा को, जिसे संघ ने सामान्य निवास और उपोसथ के मिलन के लिए निर्धारित किया है, टिकीवरेना अविप्पवास का स्वरूप प्रदान करे। यह नट्टी है। संघ (आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है)। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"

3. उस समय भिक्षुओं ने यह समझते हुए कि भगवान बुद्ध ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तिकिवरेण अविप्पवसा का गुण प्रदान करने का आदेश दिया था, अपने वस्त्र एक घर में रख दिए। वे वस्त्र खो गए, जल गए या चूहों ने खा लिए; भिक्षुओं के वस्त्र फटे-पुराने और खुरदुरे हो गए थे। (अन्य) भिक्षुओं ने कहा: 'हे मित्रों, ऐसा क्यों है कि आपके वस्त्र फटे-पुराने और खुरदुरे हैं?' (उन्होंने उत्तर दिया): 'हे मित्रों, यह समझते हुए कि भगवान बुद्ध ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तिकिवरेण अविप्पवसा का गुण प्रदान करने का आदेश दिया था, हमने अपने वस्त्र एक घर में रख दिए थे; वे वस्त्र खो गए, जल गए या चूहों ने खा लिए; इसलिए हमारे वस्त्र फटे-पुराने और खुरदुरे हो गए हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, संघ उपोसथा के सामान्य निवास और संवाद के लिए निर्धारित सीमा को गांवों और गांवों के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर, टिकीवरेना अविप्पवास का स्वरूप प्रदान करे।'

4. 'और हे भिक्षुओं, तुम्हें इसे इस प्रकार यह विशेषता प्रदान करनी चाहिए, इत्यादि।'

5. हे भिक्षुओं, जो सीमा निर्धारण करता है, वह सर्वप्रथम सामान्य निवास और उपोसथ के साथ सहभागिता के लिए सीमा निर्धारित करे, और उसके बाद तिकिवरेना अविप्पवास के संबंध में आदेश जारी करे। हे भिक्षुओं, जो सीमा निरस्त करता है, वह सर्वप्रथम तिकिवरेना अविप्पवास के संबंध में आदेश निरस्त करे, और उसके बाद सामान्य निवास और उपोसथ के साथ सहभागिता के लिए सीमा निरस्त करे।

हे भिक्षुओं, आपको इस प्रकार तिकिवरेना अविप्पवास का उन्मूलन करना चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन की घोषणा करे: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनो। यदि संघ तैयार है, तो संघ तिकिवरेना अविप्पवास का उन्मूलन करे, जिसका संघ ने निर्णय लिया है। यही कथन है। संघ, इत्यादि।"

6. हे भिक्षुओं, आपको इस प्रकार सीमा समाप्त करनी चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव की घोषणा करे: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनो। यदि संघ तैयार है, तो वह सामान्य निवास और उपोसथ के मिलन के लिए निर्धारित सीमा को समाप्त कर दे। यही प्रस्ताव है। संघ, इत्यादि।"

7. हे भिक्षुओं, यदि कोई सीमा निर्धारित या तय नहीं है, तो उस गाँव की सीमा या उस निगम (बाजार नगर) की सीमा, जिसके पास कोई भिक्षु निवास करता है, को ही सामान्य निवास और उपोसथ के मिलन की सीमा माना जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, यदि वह किसी ऐसे वन में रहता है जहाँ कोई गाँव नहीं हैं, तो निवास और उपोसथ का समुदाय चारों ओर सात अभंतर की दूरी तक फैला होता है। हे भिक्षुओं, नदी सीमा नहीं हो सकती, समुद्र सीमा नहीं हो सकता, प्राकृतिक झील सीमा नहीं हो सकती। हे भिक्षुओं, नदी में, समुद्र में या प्राकृतिक झील में, निवास और उपोसथ का समुदाय उतनी दूर तक फैला होता है जितनी दूर तक एक औसत व्यक्ति चारों ओर पानी फैला सकता है।

<<<< पिछला(2.11) | अगला(2.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.12) | अगला(2.14) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-13: सीमाएँ अतिव्यापी नहीं होनी चाहिए।

1. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने एक सीमा को दूसरी सीमा के ऊपर इस प्रकार बनाया (जिसे पहले अन्य भिक्षुओं द्वारा निर्धारित किया गया था)।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

जिन भिक्षुओं ने पहले अपनी सीमा निर्धारित की है, उनका कार्य वैध, उचित और दोषरहित है। जिन भिक्षुओं ने बाद में अपनी सीमा निर्धारित की है, उनका कार्य अवैध, आपत्तिजनक और अमान्य है। हे भिक्षुओं, कोई भी एक सीमा को दूसरी सीमा से अतिरेक न करे। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है।

2. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने एक सीमा को दूसरी सीमा में समाहित कर लिया (जिसे पहले अन्य भिक्षुओं द्वारा निर्धारित किया गया था)।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'उन आदि के कर्म (धारा 1 देखें)। हे भिक्षुओं, कोई भी एक सीमा को दूसरी सीमा पर अतिव्यापी न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि जो कोई सीमा निर्धारित करे, वह इस प्रकार निर्धारित करे कि सीमाओं के बीच एक अंतराल रहे।'

<<<< पिछला(2.12) | अगला(2.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.13) | अगला(2.15) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-14: केवल वही उपोसथ आयोजित किया जाना चाहिए जो वैध और पूर्ण हो।

1. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'उपोसथ (दिनों) की संख्या कितनी है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, महीने के चौदहवें और पंद्रहवें दो उपोसथ (दिन) हैं; हे भिक्षुओं, यही दो उपोसथ (दिन) हैं।'

2. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'उपोसथ सेवाएँ कितनी हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

भिक्षुओं, निम्नलिखित चार उपोसथा सेवाएँ हैं: अपूर्ण मंडली द्वारा अवैध रूप से आयोजित उपोसथा सेवा, पूर्ण मंडली द्वारा अवैध रूप से आयोजित उपोसथा सेवा, अपूर्ण मंडली द्वारा विधिवत आयोजित उपोसथा सेवा, और पूर्ण मंडली द्वारा विधिवत आयोजित उपोसथा सेवा।

3. हे भिक्षुओं, जो उपोसथ सेवा अपूर्ण मंडली द्वारा अवैध रूप से आयोजित की जाती है, ऐसी उपोसथ सेवा, हे भिक्षुओं, आयोजित नहीं की जानी चाहिए, और न ही ऐसी उपोसथ सेवा मेरे द्वारा अनुमत है। हे भिक्षुओं, जो उपोसथ सेवा पूर्ण मंडली द्वारा अवैध रूप से आयोजित की जाती है, ऐसी उपोसथ सेवा, हे भिक्षुओं, आयोजित नहीं की जानी चाहिए, और न ही ऐसी उपोसथ सेवा मेरे द्वारा अनुमत है। हे भिक्षुओं, जो उपोसथ सेवा अपूर्ण मंडली द्वारा विधिवत आयोजित की जाती है, ऐसी उपोसथ सेवा, हे भिक्षुओं, आयोजित नहीं की जानी चाहिए, और न ही ऐसी उपोसथ सेवा मेरे द्वारा अनुमत है। हे भिक्षुओं, जो उपोसथ सेवा पूर्ण मंडली द्वारा विधिवत आयोजित की जाती है, वैसी ही उपोसथ सेवा आयोजित की जानी चाहिए, और ऐसी उपोसथ सेवा की अनुमति मुझे प्राप्त है। अतः, हे भिक्षुओं, आपको इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए: "जो उपोसथ सेवा पूर्ण मंडली द्वारा विधिवत आयोजित की जाती है, वैसी ही उपोसथ सेवा हम आयोजित करेंगे।"

<<<< पिछला(2.13) | अगला(2.15) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.14) । अगला(2.16) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-15: पाठ करने के 5 तरीके, खतरे के समय पाठ करना, और केवल नियुक्त व्यक्तियों को ही उत्तर देना चाहिए।

1. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'पतिमोक्खा का पाठ करने के कितने तरीके हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

पतिमोक्खा का पाठ करने के निम्नलिखित पाँच तरीके हैं: प्रस्तावना का पाठ हो जाने के बाद, शेष के बारे में यह घोषणा की जा सकती है: "ऐसे-ऐसे नियम (समुदाय को) ज्ञात हैं।" यह पतिमोक्खा का पाठ करने का पहला तरीका है। प्रस्तावना का पाठ हो जाने के बाद, चार पराजिका धम्मों का पाठ हो जाने के बाद, शेष के बारे में यह घोषणा की जा सकती है: "ऐसे-ऐसे नियम (समुदाय को) ज्ञात हैं।" यह पतिमोक्खा का पाठ करने का दूसरा तरीका है। प्रस्तावना का पाठ हो जाने के बाद, चार पराजिका धम्मों का पाठ हो जाने के बाद, तेरह संघीशेष धम्मों का पाठ हो जाने के बाद, ... प्रस्तावना का पाठ हो जाने के बाद, चारों पराजिका धम्मों का पाठ हो जाने के बाद, तेरह संघीशेष धम्मों का पाठ हो जाने के बाद, दो अनियता धम्मों का पाठ हो जाने के बाद, शेष के बारे में यह घोषित किया जा सकता है: "ऐसे-ऐसे नियम (भिक्षुओं को) ज्ञात हैं।" यह पतिमोक्खा के पाठ का चौथा तरीका है। पाँचवाँ तरीका (इसका) पूर्ण रूप से पाठ करना है। हे भिक्षुओं, ये पतिमोक्खा के पाठ के पाँच तरीके हैं।

2. उस समय भिक्षु यह मानते हुए कि भगवान बुद्ध ने पतिमोक्खा का पाठ भागों में करने की अनुमति दी थी, वे हमेशा पतिमोक्खा का पाठ भागों में ही करते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आपको पतिमोक्खा का पाठ टुकड़ों में नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

3. उस समय उपोसथ पर्व के दिन कोसल देश में भिक्षुओं के एक निवास स्थान पर बर्बर लोगों ने आक्रमण कर दिया। भिक्षु पतिमोक्खा का पूर्ण पाठ करने में असमर्थ थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें संकट की स्थिति में पतिमोक्खा का आंशिक पाठ करने की अनुमति देता हूँ।'

4. उस समय छब्बागिया भिक्षु खतरे के अभाव में भी पतिमोक्खा का पाठ करते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि कोई खतरा न हो तो पतिमोक्खा का अंशों में पाठ न करें। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, खतरे की स्थिति में ही पतिमोक्खा का अंशों में पाठ करने की अनुमति है। खतरे की स्थितियाँ इस प्रकार हैं: राजाओं से खतरा, लुटेरों से खतरा, आग से खतरा, पानी से खतरा, मनुष्यों से खतरा, परजीवियों से खतरा, शिकारी जानवरों से खतरा, रेंगने वाले जीवों से खतरा, जीवन का खतरा, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध खतरा। हे भिक्षुओं, ऐसे खतरे की स्थितियों में पतिमोक्खा का अंशों में पाठ करना उचित है; यदि कोई खतरा न हो तो पूर्ण रूप से पाठ करें।

5. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने (थेरा द्वारा) बुलाए बिना ही संघ के समक्ष धम्म का उपदेश दिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, बिना बुलाए कोई भी संघ के समक्ष धम्म का उपदेश न दे। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि थेरा या तो स्वयं धम्म का उपदेश दे या किसी अन्य भिक्षु को ऐसा करने के लिए बुलाए।

6. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं ने संघ में नियुक्त न होते हुए भी विनय के बारे में प्रश्न संघ के समक्ष रखे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, कोई भी व्यक्ति बिना नियुक्त हुए संघ के समक्ष विनय के विषय में प्रश्न न पूछे। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह विधान करता हूँ कि संघ के समक्ष विनय के विषय में प्रश्न पूछने के लिए एक नियुक्त भिक्षु ही उपयुक्त हो। और इस भिक्षु की नियुक्ति इस प्रकार की जानी चाहिए: या तो कोई स्वयं को नियुक्त कर सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

7. और एक भिक्षु स्वयं को कैसे नियुक्त कर सकता है? एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। यदि संघ तैयार हो, तो मैं अन्य भिक्षुओं से विनय के विषय में प्रश्न पूछूंगा।" इस प्रकार वह स्वयं को नियुक्त कर सकता है। और एक भिक्षु दूसरे व्यक्ति को कैसे नियुक्त कर सकता है? एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति की घोषणा करे: "संघ, इत्यादि। यदि संघ तैयार हो, तो अन्य भिक्षुओं से विनय के विषय में प्रश्न पूछिए।" इस प्रकार वह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

8. उस समय, चतुर भिक्षुओं ने संघ के समक्ष विनय के बारे में प्रश्न रखे; छब्बग्य भिक्षुओं को उन भिक्षुओं पर क्रोध आया, असंतोष हुआ और उन्होंने उन्हें मार-पीट की धमकी दी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें यह निर्देश देता हूँ कि नियुक्त व्यक्ति भी सभा को देखे बिना और उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का मनन किए बिना संघ के समक्ष विनय के विषय में प्रश्न न पूछे।'

9, 10. उस समय छब्बागिया भिक्षु संघ के समक्ष विनय के बारे में प्रश्नों के उत्तर देते थे, जबकि उन्हें इसके लिए नियुक्त नहीं किया गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, संघ के समक्ष विनय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बिना नियुक्त हुए न दें। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह विधान करता हूँ कि संघ के समक्ष विनय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर केवल नियुक्त भिक्षु द्वारा ही दिया जाना चाहिए। और (इस भिक्षु की) नियुक्ति की जानी चाहिए, इत्यादि।

11. उस समय नियुक्त बुद्धिमान भिक्षुओं ने संघ के समक्ष विनय के विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। छब्बगीय भिक्षु आदि।

<<<< पिछला(2.14) । अगला(2.16) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.16
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.15) । अगला(2.17) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-16: पाठ केवल नियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि आम लोगों के समक्ष।

1. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं ने एक भिक्षु को बिना अनुमति दिए अपराध करने के लिए फटकारा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

1. हे भिक्षुओं, बिना अनुमति लिए किसी भिक्षु को अपराध के लिए फटकारा नहीं जा सकता। जो ऐसे भिक्षु को फटकारता है, वह दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप भिक्षुओं को अपराध के लिए तभी फटकारें जब आप अनुमति लेकर यह कहें, "हे आदरणीय भाई, मुझे अनुमति दीजिए; मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।"

2. उस समय चतुर भिक्षुओं ने छब्बाग्य भिक्षुओं को अनुमति मांगने के बाद एक अपराध के लिए फटकारा। छब्बाग्य भिक्षुओं को उन भिक्षुओं पर क्रोध आया, असंतोष हुआ और उन्होंने उन्हें मारने की धमकी दी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप किसी भिक्षु को उसके अपराध के लिए, भले ही उसने अनुमति दी हो, तब तक फटकार न लगाएँ जब तक आप संबंधित व्यक्ति के बारे में विचार न कर लें।'

3. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने सोचा: 'अन्यथा चतुर भिक्षु हमसे छुट्टी मांग सकते हैं (और हमें किसी अपराध के लिए फटकार सकते हैं),' इसलिए उन्होंने स्वयं पहले से ही उन शुद्ध भिक्षुओं से छुट्टी मांग ली जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बिना किसी उद्देश्य और कारण के।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, किसी भी शुद्ध भिक्षु से, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, बिना किसी उद्देश्य और कारण के छुट्टी न माँगी जाए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप संबंधित व्यक्ति के बारे में विचार किए बिना छुट्टी न माँगें।

4. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने संघ के समक्ष एक गैरकानूनी आधिकारिक कार्य किया।

उन्होंने यह बात धन्य व्यक्ति को बताई।

'हे भिक्षुओं, संघ के समक्ष कोई भी अवैध कार्य न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

फिर भी उन्होंने गैरकानूनी कृत्य किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि यदि कोई गैरकानूनी कार्य किया जा रहा हो तो तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए।'

5. उस समय चतुर भिक्षुओं ने छब्बाग्य भिक्षुओं द्वारा किए जा रहे एक गैरकानूनी कृत्य का विरोध किया। छब्बाग्य भिक्षु क्रोधित और असंतुष्ट हो गए और उन्होंने (उन भिक्षुओं को) मारने की धमकी दी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको केवल अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देता हूँ (औपचारिक रूप से विरोध करने के बजाय)।'

उन्होंने उक्त (भिक्षुओं) की उपस्थिति में अपनी राय व्यक्त की। छब्बाग्य भिक्षु क्रोधित और असंतुष्ट हो गए और उन्होंने उन्हें मारने की धमकी दी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि चार या पाँच व्यक्ति विरोध कर सकते हैं, दो या तीन व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, और एक व्यक्ति (अपने मन में) यह निर्णय ले सकता है: "मैं इसे सही नहीं समझता।"'

6. उस समय छब्बागिया भिक्षु संघ के समक्ष पतिमोक्खा का पाठ करते समय जानबूझकर उसका पाठ इस प्रकार करते थे कि वह सुनाई न दे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जो पतिमोक्खा का पाठ करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा पाठ न करे जिससे वह सुनाई न दे। ऐसा करने वाला दुक्कता अपराध करता है।'

7. उस समय कौवे जैसी कर्कश आवाज वाले पूज्य उदयि को संघ के समक्ष पतिमोक्खा का पाठ करने का दायित्व सौंपा गया था। अब पूज्य उदयि ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि जो भी पतिमोक्खा का पाठ करे, उसे इस प्रकार पाठ करना चाहिए कि वह सुनाई दे; परन्तु मेरी आवाज तो कौवे जैसी कर्कश है। भला मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि जो व्यक्ति पतिमोक्ख का पाठ करने वाला हो, वह उसे स्पष्ट रूप से पढ़ने का प्रयास करे। यदि वह ऐसा प्रयास करे, तो वह अपराध से मुक्त हो जाएगा।'

8. उस समय देवदत्त ने एक सभा के समक्ष पतिमोक्खा का पाठ किया जिसमें आम लोग उपस्थित थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भी व्यक्ति को गृहस्थों की उपस्थिति में पतिमोक्खा का पाठ नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

9. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने थेरा द्वारा बुलाए बिना ही संघ के समक्ष पतिमोक्खा का पाठ किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, बिना बुलाए कोई भी संघ के समक्ष पतिमोक्खा का पाठ न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि पतिमोक्खा का स्वामी थेरा ही है।'

अन्नतिथ्यों के भानवर का अंत।

<<<< पिछला(2.15) | अगला(2.17) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.17
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.16) | अगला(2.18) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-17: केवल विद्वान भिक्षुओं द्वारा पाठ।

1. तब भगवान बुद्ध ने राजगृह के पास यथासंभव समय व्यतीत करने के बाद कोदनावत्थु की तीर्थयात्रा पर प्रस्थान किया। तीर्थयात्रा के दौरान स्थान-स्थान घूमते हुए वे कोदनावत्थु पहुँचे। उस समय एक निवास में अनेक भिक्षु निवास करते थे, जिनमें सबसे वरिष्ठ अज्ञानी और अनपढ़ थे: उन्हें न तो उपोसथ का ज्ञान था, न उपोसथ विधि का, न पतिमोक्ख का, और न ही पतिमोक्ख के पाठ का।

2. अब उन भिक्षुओं ने सोचा: 'भगवान बुद्ध ने यह निर्धारित किया है कि सबसे वरिष्ठ भिक्षु पतिमोक्ख का स्वामी होता है, और यहाँ हममें से सबसे वरिष्ठ एक अज्ञानी, अनपढ़ व्यक्ति है: वह न तो उपोसथ को जानता है... न ही पतिमोक्ख का पाठ। तो हम क्या करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि (ऐसे मामले में) जो भिक्षु सबसे अधिक विद्वान और योग्य हो, उसे पतिमोक्खा का स्वामी बनाया जाए।'

3. उस समय उपोसथा के दिन एक निवास स्थान में बहुत से अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु निवास कर रहे थे। वे न तो उपोसथा को जानते थे और न ही पतिमोक्ख का पाठ। उन्होंने थेरा से प्रार्थना की: "हे पूज्यवर, कृपया पतिमोक्ख का पाठ करें।" थेरा ने उत्तर दिया: "मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ।" उन्होंने उनसे बड़े भिक्षु को बुलाया, इत्यादि। उन्होंने भी यही उत्तर दिया। उन्होंने उनसे तीसरे बड़े भिक्षु को बुलाया, इत्यादि। इसी प्रकार उन्होंने सबसे छोटे भिक्षु तक सभी भिक्षुओं से प्रार्थना की: "हे पूज्यवर, कृपया पतिमोक्ख का पाठ करें।" उन्होंने भी यही उत्तर दिया: "हे पूज्यवर, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ।"

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

4, 5. 'हे भिक्षुओं, जब कोई भिक्षु किसी निवास स्थान आदि में हो, तो हे भिक्षुओं, उस स्थिति में, ये भिक्षु तुरंत एक भिक्षु को पड़ोसी निवास स्थान (भिक्षुओं के निवास स्थान) में भेजें: "जाओ, मित्र, और तब लौट आना जब तुम पतिमोक्खा का संक्षिप्त या पूर्ण पाठ सीख लो।"'

6. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'इस भिक्षु को किसके द्वारा भेजा जाएगा?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह नियम बनाता हूँ, हे भिक्षुओं, कि थेरा को एक युवा भिक्षु को दीक्षा देनी चाहिए।'

थेरा से वह आदेश प्राप्त करने के बाद, युवा भिक्षु नहीं गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'थेरा द्वारा आदेशित किसी भी व्यक्ति को जाने से इनकार नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि वह बीमार हो। जो नहीं जाता, वह दुक्कटा अपराध करता है।'

<<<< पिछला(2.16) । अगला(2.18) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.18
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.17) । अगला(2.19) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-18: भिक्षुओं द्वारा दिनों की गिनती और भिक्षुओं की संख्या का हिसाब रखना।

1. फिर भगवान बुद्ध कोदनावत्थु में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद राजगृह लौट आए। उस समय लोगों ने भिक्षा मांगने वाले भिक्षुओं से पूछा, "हे पूज्यवर, यह अर्धमाह का कौन सा दिन है?" भिक्षुओं ने उत्तर दिया, "हमें नहीं पता।" लोग नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए, "ये शाक्यपुत्र समण तो अर्धमाह के दिनों की गिनती भी नहीं जानते; भला ये भला क्या जानेंगे?"

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि तुम अर्ध माह के दिनों की गणना करना सीखो।'

2. अब भिक्षुओं ने सोचा, 'अर्ध माह के दिनों की गिनती करना किसे सीखना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि तुम सब अर्ध माह के दिनों की गणना करना सीख लो।'

3. उस समय लोगों ने भिक्षा मांगने वाले भिक्षुओं से पूछा, "हे पूज्यवर, कितने भिक्षु हैं?" भिक्षुओं ने उत्तर दिया, "मित्रों, हमें नहीं पता।" लोग नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए, "ये शाक्यपुत्र भिक्षु आपस में भी नहीं जानते; भला भला इन्हें कौन सी अच्छी बातें पता होंगी?"

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि तुम भिक्षुओं की गिनती करो।'

4. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'हमें भिक्षुओं की गिनती किस समय करनी चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप उपोसथ दिवस पर भिक्षुओं की गिनती करें, या तो सभा में शामिल सैनिकों की अलग-अलग गिनती करके, या आप में से प्रत्येक एक टिकट लेकर उसकी गिनती करें।'

<<<< पिछला(2.17) । अगला(2.19) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.19
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.18) । अगला(2.20) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-19: उपोसथा दिवस की घोषणा एक थेरा (वरिष्ठ भिक्षु) द्वारा की जाएगी।

उस समय, जिन भिक्षुओं को उपोसथ दिवस का ज्ञान नहीं था, वे दूर के एक गाँव में भिक्षा मांगने गए। वे तब लौटे जब पतिमोक्खा का पाठ हो रहा था, या जब उसका पाठ अभी-अभी समाप्त हुआ था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह आदेश देता हूँ कि तुम घोषणा करो: "आज उपोसथ है।"'

अब भिक्षुओं ने सोचा: 'ऐसा प्रचार करने का अधिकार किसे है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि थेरा उचित समय पर (उपोसथा दिवस की) घोषणा करें।'

उस समय एक थेरा ने इस बारे में समय रहते नहीं सोचा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें भोजन के समय भी इसका प्रचार करने की अनुमति देता हूँ।'

(थेरा) ने भोजन के समय भी इसके बारे में नहीं सोचा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं अनुमति देता हूँ कि जब भी (थेरा) को इसका विचार आए, मैं इसकी घोषणा करूँ।'

<<<< पिछला(2.18) | अगला(2.20) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.20
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.19) | अगला(2.21) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-20: भिक्षुओं द्वारा उपोसथा हॉल की सफाई करना, बैठने की व्यवस्था करना, दीपक, भोजन और पानी उपलब्ध कराना।

1. उस समय एक निवास स्थान में उपोसथा हॉल झाड़ू से भरा हुआ था। वहाँ पहुँचे भिक्षु नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए: 'भिक्षु उपोसथा हॉल की सफाई करना कैसे भूल सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह आदेश देता हूँ कि तुम उपोसथ हॉल की सफाई करो।'

2. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'अच्छा, उपोसथ हॉल की सफाई कौन करेगा?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि थेरा एक युवा भिक्षु को उपोसथ हॉल की सफाई करने का आदेश दें। थेरा से आदेश प्राप्त करने के बावजूद युवा भिक्षुओं ने सफाई नहीं की।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'थेरा द्वारा आदेशित व्यक्ति को झाड़ू लगाने से इनकार नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि वह बीमार हो। जो व्यक्ति झाड़ू नहीं लगाता, वह दुक्कटा अपराध करता है।'

3. उस समय उपोसथा हॉल में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। भिक्षु जमीन पर बैठ गए। उनके शरीर और वस्त्र धूल से भर गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह आदेश देता हूँ कि आप उपोसथ हॉल में बैठने की व्यवस्था करें।'

अब भिक्षुओं ने सोचा, इत्यादि (देखें अनुच्छेद 2)।

'जो व्यक्ति (आसन) तैयार नहीं करता, वह दुक्कटा अपराध करता है।'

4. उस समय उपोसथा हॉल में कोई दीपक नहीं था। भिक्षु अंधेरे में एक-दूसरे के शरीर और वस्त्रों पर चलते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह आदेश देता हूँ कि आप उपोसथा हॉल में एक दीपक प्रज्वलित करें।'

अब भिक्षुओं ने सोचा, इत्यादि (देखें अनुच्छेद 2)।

'जो दीपक नहीं जलाता, वह दुक्कटा अपराध करता है।'

5. उस समय एक विशेष आश्रम में रहने वाले भिक्षुओं ने न तो पीने का पानी दिया और न ही भोजन। नए आए भिक्षु नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, 'ये भिक्षु पीने और खाने की व्यवस्था करने में कैसे लापरवाही कर सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह आदेश देता हूँ कि तुम भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराओ।'

अब भिक्षुओं ने सोचा, इत्यादि (देखें अनुच्छेद 2)।

'जो इसके लिए व्यवस्था नहीं करता, वह दुक्कटा अपराध करता है।'

<<<< पिछला(2.19) | अगला(2.21) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.21
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.20) | अगला(2.22) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-21: अनुमति से यात्रा और प्रत्येक निवास में विद्वान भिक्षुओं का होना।

1. उस समय बहुत से अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु जो (दुनिया के) चारों दिशाओं में यात्रा करते थे, वे (जाते समय) अपने आचार्यों (शिक्षकों) और उपज्झायों से अनुमति नहीं लेते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि बहुत से अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु अपने आचार्यों और उपाज्जयों से अनुमति लिए बिना चारों दिशाओं की यात्रा करते हैं, तो ऐसे भिक्षुओं से उनके आचार्यों और उपाज्जयों को पूछना चाहिए: "तुम कहाँ जाओगे? किसके साथ जाओगे?" यदि वे अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु अन्य अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षुओं का नाम लेते हैं, तो उनके आचार्यों और उपाज्जयों को उन्हें (जाने की) अनुमति नहीं देनी चाहिए; यदि वे अनुमति देते हैं, तो वे दुक्कत अपराध करते हैं। यदि वे अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु अपने आचार्यों और उपाज्जयों की अनुमति के बिना जाते हैं, तो वे दुक्कत अपराध करते हैं।

2. हे भिक्षुओं, यदि किसी निवास में बहुत से अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु निवास करते हों, जो न उपोसथ, न उपोसथ सेवा, न पतिमोक्ख, न पतिमोक्ख पाठ जानते हों; तभी (उस स्थान पर) एक विद्वान भिक्षु आता है, जिसने आगमों (अर्थात सूत्रों के संग्रह) का अध्ययन किया है,

जो धम्म, विनय, मतिका को जानता है, जो बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और प्रशिक्षण के लिए उत्सुक है; तो हे भिक्षुओं, वे भिक्षु उस भिक्षु का सहर्ष स्वागत करें, उसका ध्यान रखें, उससे मैत्रीपूर्ण संवाद करें, उसे पाउडर, मिट्टी, दंत शोधक और कुल्ला करने के लिए पानी दें। यदि वे उसका आदरपूर्वक स्वागत नहीं करते, या उस पर ध्यान नहीं देते, या उससे (मैत्रीपूर्ण) शब्द नहीं करते, या उसे चूर्ण, मिट्टी, दांत साफ करने वाला पदार्थ और कुल्ला करने के लिए पानी नहीं देते, तो वे दुक्कटा अपराध करते हैं।

3. हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ पर्व के दिन किसी निवास में अनेक अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु निवास करें, जो न तो उपोसथ को जानते हों और न ही पतिमोक्ख का पाठ करते हों; तो हे भिक्षुओं, वे तुरंत एक भिक्षु को पास के निवास में भेजें और कहें, "मित्र, जाओ और पतिमोक्ख का कुछ अंश या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके लौट आना।" यदि वे ऐसा करने में सफल हों, तो अच्छा है। यदि वे सफल न हों, तो हे भिक्षुओं, वे सभी भिक्षु किसी ऐसे निवास में चले जाएं जहां वे (वहां के भिक्षु) उपोसथ, उपोसथ सेवा, पतिमोक्ख या पतिमोक्ख का पाठ जानते हों। यदि वे नहीं जाते हैं, तो वे दुक्कत अपराध करते हैं।

4. हे भिक्षुओं, यदि किसी निवास में अनेक अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु वर्षावास करते हैं, जो ज्ञानहीन हैं, इत्यादि। यदि वे इसमें सफल होते हैं, तो अच्छा है। यदि वे सफल नहीं होते, तो उन्हें एक भिक्षु को सात दिनों के लिए यह कहकर विदा कर देना चाहिए, "मित्र, जाओ और पतिमोक्खा का संक्षिप्त या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके लौट आना।" यदि वे इसमें सफल होते हैं, तो अच्छा है। यदि वे सफल नहीं होते, तो हे भिक्षुओं, उन भिक्षुओं को उस निवास में वर्षावास नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे दुक्कता अपराध करते हैं।

<<<< पिछला(2.20) | अगला(2.22) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.22

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.21) | अगला(2.23) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-22: समारोह के दौरान बीमारी और अन्य अक्षमताएं।

1. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, एकत्रित हो जाओ, संघ उपोसथ का आयोजन करेगा।' जब उन्होंने ऐसा कहा, तो एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, एक बीमार भिक्षु है जो उपस्थित नहीं है।'

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि बीमार भिक्षु को अपनी परिशुद्धता की घोषणा करनी चाहिए। और हे भिक्षुओं, इस प्रकार घोषणा की जानी चाहिए: बीमार भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के पास जाए, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, उकड़ू बैठकर अपने हाथ जोड़कर कहे: "मैं अपनी परिशुद्धता की घोषणा करता हूँ, मेरी परिशुद्धता ग्रहण करो, मेरी परिशुद्धता की घोषणा (भिक्षुओं के सामने) करो।" चाहे वह इसे हावभाव से (यानी अपने शरीर से), शब्दों से, या हावभाव और शब्दों दोनों से व्यक्त करे, परिशुद्धता की घोषणा हो गई है। यदि वह इसे हावभाव आदि से व्यक्त नहीं करता है, तो परिशुद्धता की घोषणा नहीं हुई है।

2. यदि (बीमार भिक्षु) ऐसा करने में सफल हो जाए, तो अच्छा है। यदि वह सफल न हो, तो हे भिक्षुओं, उस बीमार भिक्षु को उसके पलंग या कुर्सी पर ही सभा में ले जाएं और (तब) उपोसथा धारण करें। हे भिक्षुओं, यदि बीमार की देखभाल करने वाले भिक्षु यह सोचें कि "यदि हम इस बीमार व्यक्ति को उसके स्थान से हटाएंगे, तो रोग बढ़ जाएगा या वह मर जाएगा," तो हे भिक्षुओं, बीमार को उसके स्थान से न हटाएं; संघ वहां जाए और वहां उपोसथा धारण करे। परन्तु किसी भी स्थिति में अपूर्ण सभा के साथ उपोसथा धारण न करें। यदि (कोई भिक्षु) ऐसा करता है, तो वह दुक्कत अपराध करता है।

3. हे भिक्षुओं, यदि परिशुद्धि (पवित्रता) का भार जिसे सौंपा गया है, परिशुद्धि सौंपे जाने के तुरंत बाद स्थान छोड़ देता है, तो परिशुद्धि की घोषणा किसी अन्य को कर देनी चाहिए। हे भिक्षुओं, यदि परिशुद्धि का भार जिसे सौंपा गया है, परिशुद्धि सौंपे जाने के तुरंत बाद संसार में लौट आता है; या मर जाता है; या स्वीकार करता है कि वह समनेर है; या उसने नियमों का त्याग कर दिया है; या वह किसी घोर अपराध

का दोषी हो गया है; या वह पागल है; या उसका मन विक्षिप्त है; या वह शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है; या उसके द्वारा किए गए किसी अपराध को देखने से इनकार करने पर, या ऐसे अपराध के प्रायश्चित से इनकार करने पर, या किसी झूठे सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने पर, या वह नपुंसक है; या वह गुप्त रूप से संघ से जुड़ गया है; या वह तित्तियों में विलीन हो गया है; या वह पशु है; या वह माता की हत्या का दोषी है; या वह पिता की हत्या का दोषी है; या उसने किसी अरहत की हत्या की है; या उसने किसी भिक्षुणी का अपमान किया है; या उसने संघ में फूट डाली है; या उसने (किसी बुद्ध का) रक्त बहाया है; या वह नपुंसक है: (इन मामलों में) परिशुद्धि किसी दूसरे को सौंप दी जानी चाहिए।

4. हे भिक्षुओं, यदि परिशुद्धि का दायित्व ग्रहण करने वाला व्यक्ति परिशुद्धि सौंपे जाने के बाद (सभा में जाते समय) उस स्थान को छोड़ दे, या संसार में लौट जाए, या मर जाए, या स्वीकार करे कि वह समनेर है, आदि, या स्वीकार करे कि वह नपुंसक है, तो परिशुद्धि संघ को नहीं पहुंचाई गई। हे भिक्षुओं, यदि परिशुद्धि का दायित्व ग्रहण करने वाला व्यक्ति परिशुद्धि सौंपे जाने के बाद, संघ में पहुंचने के बाद, उस स्थान को छोड़ दे, या मर जाए, आदि, तो परिशुद्धि पहुंचा दी गई। हे भिक्षुओं, यदि परिशुद्धि का दायित्व सौंपे जाने के बाद, सभा में पहुँचने पर भी वह (परिशुद्धि का) प्रचार नहीं करता, चाहे वह सो गया हो, लापरवाही से हो, या समाधि (ध्यान) में लीन हो गया हो, तो परिशुद्धि का संचार हो चुका है और परिशुद्धि का दायित्व सौंपे गए व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है। यदि परिशुद्धि का दायित्व सौंपे गए व्यक्ति, इत्यादि, जानबूझकर (परिशुद्धि का) प्रचार नहीं करता है, तो परिशुद्धि का संचार तो हो चुका है, परन्तु परिशुद्धि का दायित्व सौंपे गए व्यक्ति को दुक्कत अपराध का दोषी है।

<<<< पिछला(2.21) । अगला(2.23) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> दूसरा खंडक >> 2.23

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.22) । अगला(2.24) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-23: समारोह के दौरान बीमारी - II

तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, एकत्रित हो जाओ, संघ एक (आधिकारिक) अनुष्ठान करेगा।' जब उन्होंने ऐसा कहा, तो एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, एक बीमार भिक्षु है जो उपस्थित नहीं है।'

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि बीमार भिक्षु को (किए जाने वाले कार्य के लिए) अपनी सहमति देनी चाहिए, इत्यादि। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि उपोसथ के दिन जो व्यक्ति परिशुद्धता की घोषणा करता है, उसे (अंततः किए जाने वाले आधिकारिक कार्यों के लिए) भी अपनी सहमति देनी चाहिए, क्योंकि संघ (और उसके कार्यों की वैधता) के लिए (दोनों घोषणाएँ) आवश्यक हैं।

<<<< पिछला(2.22) । अगला(2.24) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.24

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.23) । अगला(2.25) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-24: जब किसी भिक्षु को रिश्तेदारों आदि द्वारा रोका जाता है

1. उस समय उपोसथ के दिन एक भिक्षु के रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ के दिन किसी भिक्षु को उसके रिश्तेदार पकड़ लें, तो भिक्षु उन रिश्तेदारों से कहें: "मित्रों, कृपया इस भिक्षु को कुछ समय के लिए तब तक मुक्त कर दें जब तक कि यह उपोसथ का अभ्यास न कर ले।"

2. यदि वे इस प्रकार सफल होते हैं, तो अच्छा है। यदि वे सफल नहीं होते हैं, तो भिक्षु अपने संबंधियों से कहें: "मित्रों, कृपया कुछ क्षण के लिए अलग खड़े रहें, जब तक कि यह भिक्षु अपनी परिशुद्धि (पवित्रता) की घोषणा न कर दे।" यदि वे सफल होते हैं, तो अच्छा है। यदि वे सफल नहीं होते हैं, तो भिक्षु अपने संबंधियों से कहें: "मित्रों, कृपया इस भिक्षु को कुछ क्षण के लिए संघ के बाहर ले जाएं, जब तक कि संघ उपोसथ न हो जाए।" यदि वे सफल होते हैं, तो अच्छा है। यदि वे सफल नहीं होते हैं, तो किसी भी स्थिति में अपूर्ण सभा द्वारा उपोसथ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो (सभा में प्रत्येक भिक्षु) दुक्कत अपराध का दोषी होगा।

3. 'हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ के दिन किसी भिक्षु को राजाओं, लुटेरों, बदमाशों, शत्रु भिक्षुओं आदि द्वारा पकड़ लिया जाए तो...'

<<<< पिछला(2.23) । अगला(2.25) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.25

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.24) । अगला(2.26) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-25: पागल की छुट्टी।

1. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, एकत्रित हो जाओ, संघ के कुछ कर्तव्य (आधिकारिक कार्य) हैं जिन्हें पूरा करना है।' जब उन्होंने ऐसा कहा, तो एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, जन्जा नामक एक पागल भिक्षु है, जो उपस्थित नहीं है।' 'हे भिक्षुओं, दो प्रकार के पागल होते हैं: एक पागल भिक्षु है जो कभी उपोसथ को याद करता है, कभी नहीं करता, जो कभी संघ के आधिकारिक कार्यों को याद करता है, कभी नहीं करता, और एक (दूसरा) पागल भिक्षु है जो उन्हें याद नहीं करता; एक जो कभी उपोसथ जाता है, कभी नहीं जाता, एक जो आधिकारिक कार्यों में जाता है, कभी नहीं जाता, और एक और जो नहीं जाता।'

2. 'हे भिक्षुओं, अब वह पागल जो अब स्मरण करता है, इत्यादि, जो अब जाता है, इत्यादि, ऐसे पागल को मैं यह निर्देश देता हूँ कि तुम उम्मत्तकसम्मुति (अर्थात पागल की अनुमति) प्रदान करो।

3. हे भिक्षुओं, आपको इसे इस प्रकार प्रदान करना चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। जन्जा, एक पागल भिक्षु, कभी उपोसथ को याद करता है, कभी याद नहीं करता, इत्यादि, कभी जाता है, इत्यादि; यदि संघ तैयार है, तो संघ पागल भिक्षु जन्जा को उम्मत्तकसम्मुति प्रदान करे: भिक्षु जन्जा उपोसथ को याद करे या न करे, संघ के आधिकारिक कार्यों को याद करे या न करे, उपोसथ जाए या न जाए, आधिकारिक कार्यों में जाए या न जाए: (हर स्थिति में) संघ जन्जा के साथ और उसके बिना भी उपोसथ को आयोजित करने और आधिकारिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। यही नत्ति है।"

4. "संघ, इत्यादि; जन्जा, एक पागल भिक्षु, इत्यादि; संघ अनुमति देता है, इत्यादि। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"

<<<< पिछला(2.24) | अगला(2.26) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.26

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.25) | अगला(2.27) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-26: अनुष्ठान चार, तीन, दो और एक भिक्षु द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन उस स्थान पर रहने वाले सभी भिक्षुओं द्वारा किया जाना चाहिए।

1. उस समय उपोसथा के दिन चार भिक्षु एक विशेष निवास में रह रहे थे। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने उपोसथा धारण करने का विधान किया है, और हम (केवल) चार व्यक्ति हैं। भला हम उपोसथा कैसे धारण करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि चार (भिक्षु) पतिमोक्खा का पाठ करें।'

2. उस समय उपोसथ के दिन तीन भिक्षु एक विशेष निवास में निवास कर रहे थे। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने चार (भिक्षुओं) को पतिमोक्खा का पाठ करने का विधान दिया है, और हम (केवल) तीन व्यक्ति हैं: इत्यादि।' 'हे भिक्षुओं, मैं विधान करता हूँ कि तीन भिक्षु परिशुद्धि-उपोसथ का आयोजन करें।'

3. और यह इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु अन्य भिक्षुओं के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करें: "आदरणीय भाइयों, कृपया मेरी बात सुनें। आज उपोसथ है, पंद्रहवाँ (अर्धमाके का दिन)। यदि आदरणीय भाइयों को अनुमति हो, तो आइए हम एक दूसरे के साथ परिशुद्धि-उपोसथ करें।" वरिष्ठ भिक्षु अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक कंधा ढका रहे, उकड़ू बैठें, अपने हाथ जोड़कर उठाएँ और उन भिक्षुओं से कहें: "मैं शुद्ध हूँ, मित्रों, समझें कि मैं शुद्ध हूँ, इत्यादि।"

4. 'प्रत्येक छोटा भिक्षु अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, उकड़ू बैठकर अपने हाथ जोड़कर उन भिक्षुओं से कहे: "मैं पवित्र हूँ, आदरणीय महोदय, इत्यादि।"'

5. उस समय उपोसथ के दिन दो भिक्षु एक विशेष निवास में निवास कर रहे थे। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने चार (भिक्षुओं) को पतिमोक्खा का पाठ करने का, तीन (भिक्षुओं) को परिशुद्धि-उपोसथ धारण करने का विधान दिया है, और हम (केवल) दो व्यक्ति हैं,' इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि दो व्यक्ति परिशुद्धि-उपोसथ धारण कर सकते हैं।'

6, 7. 'और इसे इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए: वरिष्ठ भिक्षु, आदि।'

8. उस समय उपोसथ के दिन एक विशेष निवास में एक अकेला भिक्षु रहता था। अब उस भिक्षु ने सोचा, इत्यादि।

9. हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ के दिन किसी निवास स्थान में केवल एक भिक्षु निवास करे, तो वह भिक्षु अन्य भिक्षुओं के बैठने के स्थान, भोजन कक्ष, मुख्य हॉल या वृक्ष के नीचे स्थित स्थान की सफाई करे; फिर जल-भोजन की व्यवस्था करे, आसन तैयार करे, दीपक जलाए

और बैठ जाए। यदि अन्य भिक्षु आएं, तो वह उनके साथ उपोसथ मनाए; यदि वे न आएं, तो वह इस विचार पर ध्यान केंद्रित करे: "आज मेरा उपोसथ है।" यदि वह इस विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, तो वह दुक्कत अपराध करता है।

10. हे भिक्षुओं, जहाँ चार भिक्षु एक साथ निवास करते हैं, वहाँ उन्हें किसी एक भिक्षु की परिशुद्धि को अपनी सभा में नहीं ले जाना चाहिए और तीन द्वारा पतिमोक्खा का पाठ नहीं करना चाहिए; यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे दुक्कता अपराध करते हैं।

हे भिक्षुओं, जहाँ तीन भिक्षु एक साथ निवास करते हैं, वहाँ उन्हें एक भिक्षु की परिशुद्धि को अपनी सभा में नहीं ले जाना चाहिए और दो भिक्षुओं द्वारा परिशुद्धि-उपोसथ नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे दुक्कत अपराध करते हैं।

'हे भिक्षुओं, जहाँ दो भिक्षु निवास करते हैं, वहाँ उनमें से एक को दूसरे की परिशुद्धता का संचार नहीं करना चाहिए और केवल उपोसथ पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है, तो वह दुक्कत अपराध करता है।'

<<<< पिछला(2.25) | अगला(2.27) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.27

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.26) | अगला(2.28) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-27: सामूहिक स्वीकारोक्ति एवं सामूहिक स्वीकृति; स्वीकारोक्ति निषिद्ध; संपूर्ण संघ दोषी आदि।

1. उस समय एक भिक्षु उपोसथ दिवस पर एक अपराध का दोषी था। अब उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि "अपराध का दोषी भिक्षु उपोसथ दिवस नहीं मनाए।" अब मैं अपराध का दोषी हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ पर्व के दिन कोई भिक्षु किसी अपराध का दोषी हो, तो वह भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के पास जाकर, उसके ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, फिर वह उकड़ू बैठकर, हाथ जोड़कर कहे: "हे मित्र, मैंने फलां अपराध किया है; मैं उस अपराध को स्वीकार करता/करती हूँ।" दूसरा भिक्षु कहे: "क्या तुम इसे देख रहे हो?" "हाँ, मैं देख रहा/रही हूँ।" "भविष्य में ऐसा न करो।"

2. हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ पर्व के दिन कोई भिक्षु किसी अपराध के संबंध में संशय महसूस करे, तो हे भिक्षुओं, वह किसी अन्य भिक्षु के पास जाए (§ 1), और कहे: "हे मित्र, मुझे अमुक अपराध के संबंध में संशय है। जब मेरा संशय दूर हो जाएगा, तब मैं उस अपराध का प्रायश्चित करूँगा।" ऐसा कहकर वह उपोसथ को धारण करे और पतिमोक्खा सुने। परन्तु किसी भी स्थिति में उपोसथ को धारण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने सामूहिक रूप से एक अपराध (जो उन सभी ने साझा किया था) स्वीकार किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें सामूहिक रूप से अपराध स्वीकार नहीं करना चाहिए; जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने एक अपराध की सामूहिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया (जो कई भिक्षुओं द्वारा साझा की गई थी)।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आपको किसी अपराध के सामूहिक इकबालिया बयान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

4. उस समय पतिमोक्खा का पाठ हो रहा था, तभी एक भिक्षु को अपने एक अपराध की याद आई। अब उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने नियम दिया है: "अपराध करने वाले भिक्षु को उपोसथा धारण नहीं करना चाहिए।" अब मैं अपराध का दोषी हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि पतिमोक्ख पाठ के दौरान किसी भिक्षु को कोई अपराध याद आ जाए, तो हे भिक्षुओं, वह अपने पड़ोसी भिक्षु से कहे, "हे मित्र, मैंने फलां अपराध किया है; जब मैं इस सभा से उठूंगा, तो उस अपराध का प्रायश्चित करूंगा।" ऐसा कहकर, इत्यादि। (§ 2)

5. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पतिमोक्खा का पाठ करते समय किसी अपराध के संबंध में संदेह महसूस करे, तो (धारा 2, 4)।'

6. उस समय उपोसथ दिवस पर एक विशेष निवास में स्थित संपूर्ण संघ एक सामान्य अपराध का दोषी था। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि अनेक भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को सामूहिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे अपराधों की सामूहिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब यह संपूर्ण संघ एक सामान्य अपराध का दोषी है। हम क्या करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ दिवस पर किसी निवास में स्थित संपूर्ण संघ किसी सामान्य अपराध का दोषी हो, तो हे भिक्षुओं, वे तुरंत एक भिक्षु को पास के भिक्षुओं के निवास पर भेजें और कहें, "जाओ, मित्र, और अपने अपराध का प्रायश्चित करके वापस आना; तब हम तुम्हारे समक्ष उस अपराध का प्रायश्चित करेंगे।"

7. यदि वे इस प्रकार सफल हो जाएं, तो अच्छा है। यदि वे सफल न हों, तो एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन करें: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनो। यह संपूर्ण संघ एक सामान्य अपराध का दोषी है। जब यह किसी अन्य शुद्ध, निर्दोष भिक्षु को देखेगा, तो उसके समक्ष अपने अपराध का प्रायश्चित करेगा।" (भिक्षुओं में से एक) ऐसा कहने के बाद, वे उपोसथ धारण करें और पतिमोक्ख का पाठ करें। परन्तु किसी भी स्थिति में उपोसथ धारण करने में इस कारण से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

8. हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ दिवस पर किसी निवास स्थान में स्थित संपूर्ण संघ किसी सामान्य अपराध के संबंध में संशय में हो, तो (इस स्थिति में) एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन करें: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनो। यह संपूर्ण संघ एक सामान्य अपराध के संबंध में संशय में है। जब यह संशय से मुक्त हो जाएगा, तब यह उस अपराध का प्रायश्चित करेगा।" (भिक्षुओं में से एक) इस प्रकार कहकर, इत्यादि।

9. हे भिक्षुओं, यदि किसी निवास में वर्षा के दौरान प्रवेश करने वाला संघ किसी सामान्य अपराध का दोषी हो, तो हे भिक्षुओं, उन भिक्षुओं को तुरंत, इत्यादि (धारा 6, 7) दंडित किया जाना चाहिए। यदि वे सफल न हों, तो वे एक भिक्षु को सात दिनों के लिए यह कहकर विदा करें: "हे मित्र, जाओ और अपने लिए उस अपराध का प्रायश्चित करके लौट आओ; तब हम तुम्हारे समक्ष उस अपराध का प्रायश्चित करेंगे।"

10. उस समय एक विशेष निवास में संपूर्ण संघ एक सामान्य अपराध का दोषी था, और उन्हें उस अपराध का नाम या वर्ग ज्ञात नहीं था। तभी एक अन्य भिक्षु (अध्याय 21.2 देखें) प्रशिक्षण की इच्छा से वहाँ आया। एक भिक्षु उस भिक्षु के पास गया और उससे कहा, 'हे मित्र, जो ऐसा-ऐसा करता है, वह किस प्रकार का अपराध करता है?'

11. उन्होंने उत्तर दिया: 'हे मित्र, जो ऐसा काम करता है, वह ऐसा अपराध करता है। यदि तुमने ऐसा अपराध किया है, तो हे मित्र, उस अपराध का प्रायश्चित करो।' दूसरे ने उत्तर दिया: 'हे मित्र, केवल मैं ही उस अपराध का दोषी नहीं हूँ; यह पूरा संघ उस अपराध का दोषी है।' उन्होंने कहा: 'हे मित्र, तुम्हें इससे क्या लेना-देना कि दूसरा दोषी है या निर्दोष? आओ, हे मित्र, अपने अपराध का प्रायश्चित करो।'

12. अब उस भिक्षु ने उस भिक्षु की सलाह पर उस अपराध का प्रायश्चित करने के बाद, उन भिक्षुओं (अपने उन भाइयों के पास जिन्होंने वही अपराध किया था) के पास जाकर कहा, 'हे मित्रों, जो ऐसा करता है, वह ऐसा अपराध करता है। हे मित्रों, क्योंकि तुमने ऐसा अपराध

किया है, इसलिए तुम भी उस अपराध का प्रायश्चित करो।' अब उन भिक्षुओं ने उस भिक्षु की सलाह पर उस अपराध का प्रायश्चित करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

13, 14. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी निवास स्थान में संपूर्ण संघ किसी सामान्य अपराध का दोषी हो, इत्यादि। (धारा 10, 11)--

15. 'हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु उस भिक्षु की सलाह से उस अपराध का प्रायश्चित करने के बाद उन भिक्षुओं के पास जाता है, और उनके पास जाकर उनसे कहता है, "जो ऐसा करता है, इत्यादि," और यदि वे भिक्षु, हे भिक्षुओं, उस भिक्षु की सलाह से उस अपराध का प्रायश्चित कर लेते हैं, तो यह अच्छी बात है; यदि वे प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु को पसंद नहीं है, तो उसे उन भिक्षुओं से (आगे) कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।'

कोडानावत्थु पर भंवरा का अंत।

<<<< पिछला(2.26) । अगला(2.28) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.28
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.27) । अगला(2.29) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-28: अपूर्णता से अनभिज्ञ रहते हुए अपराध न करने के मामले।

1. उस समय उपोसथा के दिन एक भिक्षु निवास में चार या अधिक भिक्षु एकत्रित हुए। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कुछ अन्य भिक्षु अनुपस्थित हैं। धर्म और विनय के अनुसार कार्य करने के इरादे से, स्वयं को पूर्ण समझते हुए, जबकि वास्तव में वे अपूर्ण थे, उन्होंने उपोसथा धारण की और पतिमोक्खा का पाठ किया। जब वे पतिमोक्खा का पाठ कर रहे थे, तभी पहले से अधिक संख्या में अन्य भिक्षु वहाँ आ गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ आदि के दिन किसी निवास स्थान पर लोग एकत्रित हों (§ 1); और वे पतिमोक्ख का पाठ कर रहे हों, तभी अधिक संख्या में अन्य निवासी भिक्षु आ जाएँ; तो हे भिक्षुओं, वे भिक्षु फिर से पतिमोक्ख का पाठ करें; जिन्होंने इसका पाठ किया है, वे दोषमुक्त हैं।

3. हे भिक्षुओं, यदि वहाँ सभा हो रही हो, इत्यादि; और जब वे पतिमोक्खा का पाठ कर रहे हों, तभी उतने ही अन्य भिक्षु (पहले वालों के बराबर) आ जाएँ; तो उस स्थिति में (पतिमोक्खा का वह भाग) जो पहले ही पढ़ा जा चुका है, सही ढंग से पढ़ा गया है; जो (देर से आए हैं) वे शेष भाग सुन लें; जिन्होंने इसे पढ़ लिया है, वे दोषमुक्त हैं।

'हे भिक्षुओं, यदि वहाँ लोग एकत्रित हों, इत्यादि; जब वे पतिमोक्खा का पाठ कर रहे हों, तभी कुछ अन्य निवासी भिक्षु, जिनकी संख्या कम हो, वहाँ आ जाएँ, इत्यादि।'

4. 'हे भिक्षुओं, यदि वहाँ लोग एकत्रित हों, इत्यादि; जब वे पतिमोक्खा का पाठ समाप्त कर लें, तो अन्य निवासी भिक्षु, इत्यादि।

5. 'हे भिक्षुओं, यदि वहाँ लोग एकत्रित हों, इत्यादि; जब वे पतिमोक्खा का पाठ समाप्त कर चुके हों और सभा अभी उठी न हो, तो अन्य निवासी भिक्षु, इत्यादि।

6. 'हे भिक्षुओं, यदि वहाँ लोग एकत्रित हों, इत्यादि; जब वे पतिमोक्खा का पाठ समाप्त कर चुके हों, और सभा का एक भाग उठ गया हो, इत्यादि।

7. 'हे भिक्षुओं, यदि वहाँ लोग एकत्रित हों, इत्यादि; जब वे पतिमोक्खा का पाठ पूरा कर लें, और पूरी सभा उठ खड़ी हो जाए, इत्यादि।'

उन पंद्रह मामलों का अंत जिनमें कोई अपराध नहीं है।

<<<< पिछला(2.27) । अगला(2.29) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.29
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.28) । अगला(2.30) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-29: वे मामले जब भिक्षुओं को अपनी संख्या की अपूर्णता का ज्ञान होता है।

'हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ के दिन किसी निवास स्थान पर चार या अधिक निवासी भिक्षु एकत्रित हों; और वे जानते हों कि अन्य निवासी भिक्षु अनुपस्थित हैं; वे धर्म और विनय के अनुसार अपूर्ण रूप से कार्य करने का इरादा रखते हुए, अपनी अपूर्णता के प्रति सचेत होकर, उपोसथ धारण करते हैं और पतिमोक्खा आदि का पाठ करते हैं।'

अपूर्ण रूप से एकत्रित हुए पंद्रह भिक्षुओं के मामलों का अंत, जो अपनी अपूर्णता के प्रति सचेत हैं।

<<<< पिछला(2.28) । अगला(2.30) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.30
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.29) । अगला(2.31) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-30: वे मामले जब भिक्षु अपनी अपूर्णता से अवगत होते हैं लेकिन उनके मन में संदेह होता है।

'हे भिक्षुओं, यदि कोई समूह एकत्रित हो, तो उन्हें पता चलता है कि कुछ अन्य भिक्षु अनुपस्थित हैं। उपोसथ धारण करने की योग्यता के बारे में संशय होने पर, वे उपोसथ धारण करते हैं और पतिमोक्खा आदि का पाठ करते हैं।'

संदेह महसूस करने वाले भिक्षुओं के पंद्रह मामलों का अंत।

<<<< पिछला(2.29) | अगला(2.31) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.31
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.30) | अगला(2.32) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-31: वे मामले जब भिक्षु अपनी अपूर्णता से अवगत होते हैं लेकिन उनमें आत्मविश्वास होता है।

'हे भिक्षुओं, यदि वहाँ कोई एकत्रित हो जाए, इत्यादि; और उन्हें पता चले कि कुछ अन्य भिक्षु अनुपस्थित हैं, तो वे (सोचते हुए): "हम उपोसथा धारण करने में सक्षम हैं, हम अक्षम नहीं हैं," वे दुराचार में लिप्त होकर उपोसथा धारण करते हैं और पतिमोक्खा का पाठ करते हैं, इत्यादि।'

भिक्षुओं द्वारा दुराचार में लिप्त होने के पंद्रह मामलों का अंत।

<<<< पिछला(2.30) | अगला(2.32) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.32
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.31) | अगला(2.33) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-32: वे मामले जिनमें भिक्षु अपनी अपूर्णता से अवगत होते हैं लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं होती।

हे भिक्षुओं, यदि कोई समूह इकट्ठा हो, आदि; और उन्हें पता चले कि कुछ अन्य भिक्षु अनुपस्थित हैं, तो वे यह कहते हुए नष्ट हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, "वे लोग हमारे लिए क्या मायने रखते हैं?" और (भिक्षुता में) फूट का जोखिम उठाते हुए, वे उपोसथ धारण करते हैं और पतिमोक्खा आदि का पाठ करते हैं।

भिक्षुओं द्वारा फूट डालने के जोखिम से जुड़े पंद्रह मामलों का अंत।

पचहत्तर मामलों का अंत।

<<<< पिछला(2.31) | अगला(2.33) >>>>

[टिपिटक](#) >> [विनय पिटक](#) >> [महावग्ग](#) >> [द्वितीय खण्डक](#) >> 2.33
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.32) | अगला(2.34) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-33: परिस्थितियों के अनेक संयोजन।

हे भिक्षुओं, यदि उपोसथ पर्व के दिन किसी निवास स्थान पर चार या अधिक भिक्षु एकत्रित हों; और उन्हें यह जानकारी हो कि अन्य भिक्षु सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। उन्हें यह भी जानकारी हो कि अन्य भिक्षु सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। वे अन्य भिक्षुओं को प्रवेश करते हुए देखते हैं, इत्यादि, जो सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। वे यह सुनते हैं कि अन्य भिक्षु प्रवेश करने वाले हैं, इत्यादि, जो सीमा में प्रवेश कर चुके हैं।

इस प्रकार, निवासी और निवासी भिक्षुओं से संबंधित त्रय की एक सौ पचहत्तर प्रणालियाँ उत्पन्न होती हैं। (फिर) निवासी और नए भिक्षुओं, नए और निवासी भिक्षुओं, नए और नए भिक्षुओं के संबंध में भी यही स्थितियाँ आती हैं। इन शब्दों को (क्रमशः) पेय्यल में रखने से सात सौ त्रय उत्पन्न होते हैं।

<<<< पिछला(2.32) | अगला(2.34) >>>>

[टिपिटक](#) >> [विनय पिटक](#) >> [महावग्ग](#) >> [द्वितीय खण्डक](#) >> 2.34
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.33) | अगला(2.35) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-34: आगमन और निवासी भिक्षुओं की शर्तें और दिनों की गणना।

1. हे भिक्षुओं, यदि निवास करने वाले भिक्षु उस दिन को चौदहवाँ (पक्खा) मानें, और आने वाले भिक्षु पंद्रहवाँ मानें; यदि निवास करने वाले भिक्षुओं की संख्या अधिक हो, तो आने वाले भिक्षुओं को निवास करने वाले भिक्षुओं के साथ रहना चाहिए। यदि उनकी संख्या बराबर हो, तो आने वाले भिक्षुओं को निवास करने वाले भिक्षुओं के साथ रहना चाहिए। यदि आने वाले भिक्षुओं की संख्या अधिक हो, तो निवास करने वाले भिक्षुओं को आने वाले भिक्षुओं के साथ रहना चाहिए।

2. 'हे भिक्षुओं, यदि निवासी भिक्षु उस दिन को पंद्रहवाँ मानें, तो आने वाले भिक्षु उस दिन को चौदहवाँ मानें; यदि, इत्यादि (§ 1)।

3. हे भिक्षुओं, यदि निवास करने वाले भिक्षु दिन को पहले पक्खा (अर्ध) के रूप में गिनें, और आने वाले भिक्षुओं को पंद्रहवें पक्खा (पिछले पक्खा) के रूप में गिनें; यदि निवास करने वाले भिक्षुओं की संख्या अधिक हो, तो यदि वे न चाहें तो आने वाले भिक्षुओं को अपने समूह में शामिल न करें; आने वाले भिक्षु सीमा के बाहर जाकर उपोसथ करें। यदि उनकी संख्या बराबर हो, इत्यादि (जैसा कि

पिछले मामले में है)। यदि आने वाले भिक्षुओं की संख्या अधिक हो, तो निवास करने वाले भिक्षु या तो आने वाले भिक्षुओं को अपने समूह में शामिल कर लें या सीमा के बाहर चले जाएं।

4. हे भिक्षुओं, यदि निवासी भिक्षु उस दिन को पंद्रहवाँ और आगमन भिक्षुओं को (अगले पक्ष का) पहला दिन मानें; यदि निवासी भिक्षुओं की संख्या अधिक हो, तो आगमन भिक्षु या तो निवासी भिक्षुओं को अपने समूह में शामिल कर लें या सीमा से बाहर चले जाएँ। यदि उनकी संख्या बराबर हो, इत्यादि (जैसा कि पिछले मामले में है)। यदि आगमन भिक्षुओं की संख्या अधिक हो, तो आगमन भिक्षु यदि चाहें तो निवासी भिक्षुओं को अपने समूह में शामिल न करें; निवासी भिक्षु सीमा से बाहर जाकर उपोसथ (वहाँ) आयोजित करें।

5. हे भिक्षुओं, यदि आने वाले भिक्षु यहाँ के निवासियों के संकेत, चिह्न, लक्षण, विशेषताएँ, सुव्यवस्थित पलंग, कुर्सियाँ, चटाइयाँ और तकिए, पर्याप्त भोजन और जल की व्यवस्था, और स्वच्छ कक्ष देखें, तो यह संदेह करने लगें: "क्या यहाँ कोई निवासी भिक्षु हैं या नहीं?"

6. संदेह में रहकर वे खोज नहीं करते, खोज न करने पर उपोसथा धारण करते हैं: यह दुक्कत अपराध है। संदेह में रहकर वे खोज करते हैं, खोज करने पर भी वे उन्हें नहीं पाते, न देखकर भी वे उपोसथा धारण करते हैं: (इस स्थिति में) वे अपराध से मुक्त हैं। संदेह में रहकर वे खोज करते हैं, खोज करने पर वे उन्हें पाते हैं, देखकर भी वे उपोसथा धारण करते हैं: (इस स्थिति में) वे अपराध से मुक्त हैं। संदेह में रहकर वे खोज करते हैं, खोज करने पर वे उन्हें पाते हैं, देखकर भी वे उपोसथा धारण करते हैं: यह दुक्कत अपराध है। संदेह में रहकर वे खोज करते हैं, खोज करने पर वे उन्हें पाते हैं, देखकर वे नष्ट हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, यह कहते हुए, "वे लोग हमारे लिए क्या हैं?" और फूट का जोखिम उठाते हुए, वे उपोसथा धारण करते हैं: यह तुलकया (बड़ा/गंभीर) अपराध है।

7. हे भिक्षुओं, यदि आने वाले भिक्षु निवासी भिक्षुओं के संकेतों आदि को सुनें, जैसे कि उनके चलने पर उनके कदमों की आवाज, उनके धम्म पाठ की आवाज, उनके गले को साफ करने और छींकने की आवाज; तो यह सुनकर वे संदेह करने लगें, इत्यादि। (§§ 5, 6)।

8. हे भिक्षुओं, यदि निवासी भिक्षु आने वाले भिक्षुओं के संकेत आदि देखें, जैसे कि अज्ञात कटोरे, अज्ञात वस्त्र, अज्ञात आसन, पैर धोने के निशान, पानी का छिड़काव आदि; तो यह देखकर वे संदेह करने लगें, इत्यादि।

9. हे भिक्षुओं, यदि निवासी भिक्षु आने वाले भिक्षुओं के संकेतों आदि को सुनें, जैसे उनके आगमन पर उनके कदमों की आहट, उनके जूते झाड़ने की आवाज़, गला साफ करने की आवाज़ और छींकने की आवाज़; यह सब सुनकर...

10. हे भिक्षुओं, यदि आने वाले भिक्षु किसी अन्य जिले के निवासी भिक्षुओं को अपने जिले का समझते हुए देखें; और उन्हें अपने जिले का समझकर प्रश्न न पूछें; प्रश्न न पूछने पर वे उपोसथ को एक साथ रखते हैं: (इस स्थिति में) वे अपराध से मुक्त हैं। वे प्रश्न पूछें; प्रश्न पूछने के बाद भी वे विषय पर विचार न करें; विषय पर विचार न करने पर वे उपोसथ को एक साथ रखते हैं: यह दुक्कत अपराध है। वे प्रश्न पूछें, इत्यादि (जैसा कि पिछले मामले में), और उपोसथ को अलग रखें: (इस स्थिति में) वे अपराध से मुक्त हैं।

11. हे भिक्षुओं, यदि आने वाले भिक्षु उन्हें उसी जिले के निवासी भिक्षुओं को देखकर उन्हें किसी दूसरे जिले का समझ लें; और उन्हें साथ लेकर, इत्यादि, वे कोई प्रश्न न पूछें; बिना पूछे वे उपोसथ को एक साथ रखते हैं: यह दुक्कत अपराध है। वे प्रश्न पूछें; प्रश्न पूछने के बाद वे मामले की जाँच करें; मामले की जाँच करने के बाद वे उपोसथ को अलग रखें: यह दुक्कत अपराध है। वे प्रश्न पूछें, इत्यादि (जैसा कि पिछले मामले में), और उपोसथ को एक साथ रखें: (इस मामले में) वे अपराध से मुक्त हैं।

12. 'यदि हे भिक्षुओं, निवासी भिक्षु किसी अन्य जिले आदि से आने वाले भिक्षुओं को देखें (धारा 10 देखें)।

13. 'यदि हे भिक्षुओं, निवासी भिक्षुओं को उसी जिले आदि के आने वाले भिक्षु दिखाई दें (धारा 11 देखें)।'

<<<< पिछला(2.33) | अगला(2.35) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.35
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.34) | अगला(2.36) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-35: उपोसथा दिवस पर हिलना-डुलना नहीं।

1. हे भिक्षुओं, उपोसथा के दिन भिक्षुओं वाले निवास स्थान से ऐसे निवास स्थान पर न जाएं जहां भिक्षु न हों, सिवाय संघ के साथ या किसी संकट की स्थिति में। हे भिक्षुओं, उपोसथा के दिन भिक्षुओं वाले निवास स्थान से ऐसे निवास स्थान पर न जाएं जहां भिक्षु न हों, सिवाय इसके कि... इत्यादि। हे भिक्षुओं, उपोसथा के दिन भिक्षुओं वाले निवास स्थान से ऐसे निवास स्थान या निवास स्थान पर न जाएं जहां भिक्षु न हों, सिवाय इसके कि... इत्यादि।

2. 'हे भिक्षुओं, उपोसथा के दिन आपको किसी ऐसे निवास स्थान से, जिसमें भिक्षु हों, किसी निवास स्थान आदि पर, किसी ऐसे निवास स्थान आदि पर, या किसी ऐसे निवास स्थान या निवास स्थान आदि पर नहीं जाना चाहिए, जिसमें कोई भिक्षु न हों, सिवाय इसके कि...

3. 'हे भिक्षुओं, उपोसथा के दिन आपको किसी ऐसे निवास स्थान या गैर-निवास स्थान से, जिसमें भिक्षु हों, किसी निवास स्थान आदि पर, किसी गैर-निवास स्थान आदि पर, किसी ऐसे निवास स्थान या गैर-निवास स्थान आदि पर नहीं जाना चाहिए, जिसमें कोई भिक्षु न हों, सिवाय इसके कि...

4. 'हे भिक्षुओं, उपोसथा के दिन, यदि भिक्षु किसी दूसरे जिले के हों, तो ऐसे निवास स्थान से, जिसमें भिक्षु हों, किसी दूसरे निवास स्थान पर न जाओ, सिवाय इसके कि, इत्यादि।'

5. 'हे भिक्षुओं, उपोसथा के दिन आप ऐसे निवास स्थान से, जहाँ भिक्षु रहते हों, ऐसे निवास स्थान पर जा सकते हैं, यदि वे भिक्षु एक ही जिले के हों, और यदि आप जानते हों: "मैं आज उस स्थान पर पहुँच सकता हूँ।" आप जा सकते हैं, इत्यादि।'

<<<< पिछला(2.34) | अगला(2.36) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> द्वितीय खण्डक >> 2.36

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.35) | अगला(3.1) >>>>

महावग्ग

दूसरा खंडका (उपोसथ समारोह, और पतिमोक्खा)

अध्याय-36: कब पाठ नहीं करना चाहिए।

1. हे भिक्षुओं, कोई भी भिक्षुणी के समक्ष भिक्षुओं की सभा में पतिमोक्खा का पाठ न करे। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, कोई भी भिक्षुणी, समनेरा, समनेरी, धर्म नियमों का उल्लंघन करने वाले या घोर अपराध करने वाले के समक्ष भिक्षुओं की सभा में पतिमोक्खा का पाठ न करे। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है।

2. हे भिक्षुओं, किसी भी भिक्षु की सभा में, किसी ऐसे भिक्षु के समक्ष पतिमोक्खा का पाठ न करो जिसे अपने द्वारा किए गए अपराध को देखने से इनकार करने पर, या ऐसे अपराध के प्रायश्चित से इनकार करने पर, या किसी झूठे सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने पर निष्कासित किया गया हो। जो ऐसा करता है, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

3. हे भिक्षुओं, कोई भी भिक्षुओं की सभा में, किसी हिजड़े के सामने, गुप्त रूप से संघ से जुड़े व्यक्ति के सामने, आदि के सामने पतिमोक्खा का पाठ न करे। (अध्याय 22.3 देखें)। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है।

4. हे भिक्षुओं, परिवासिका द्वारा परिशुद्धि की घोषणा को स्वीकार करके उपोसत्बा का आयोजन न करें, सिवाय उस स्थिति में जब परिशुद्धि की घोषणा के समय सभा अभी तक उठी न हो। और हे भिक्षुओं, उपोसत्बा के दिन के अलावा किसी अन्य दिन उपोसत्बा का आयोजन न करें, सिवाय संघ में सद्भाव की पुनर्स्थापना की घोषणा के लिए।

उपोसथखण्डका में तृतीय भँवर का समापन।

<<<< पिछला(2.35) । अगला(3.1) >>>>

तीसरा खंडका (वास्सा, रेन्स रिट्रीट)
(वर्षा ऋतु के दौरान निवास स्थान)

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.36) । अगला(3.2) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-1: वासा प्रणाली की उत्पत्ति।

1. उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में, वेलुवन में, कलांदकनिवाप में निवास करते थे। उस समय भिक्षुओं के लिए वर्षा ऋतु में एकांतवास की प्रथा भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। इसलिए भिक्षु शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में एक समान यात्रा करते थे।

2. लोग नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाए और क्रोधित होकर कहने लगे, 'शाक्यपुत्री साधु सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में एक समान यात्रा कैसे कर सकते हैं? वे हरी जड़ी-बूटियों को कुचलते हैं, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं और अनेक छोटे जीवों का जीवन नष्ट करते हैं। क्या तित्तीय संप्रदायों के वे तपस्वी, जिनका उपदेश कुप्रचारित है, बरसात के मौसम में विश्राम करेंगे और अपने रहने के लिए स्थान बनाएंगे? क्या पक्षी वृक्षों की चोटियों पर घोंसले बनाएंगे और बरसात के मौसम में विश्राम करेंगे और अपने रहने के लिए स्थान बनाएंगे; और फिर भी शाक्यपुत्री साधु (भिक्षु) सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में एक समान यात्रा करते हैं, हरी जड़ी-बूटियों को कुचलते हैं, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं और अनेक छोटे जीवों का जीवन नष्ट करते हैं?'

3. अब कुछ भिक्षुओं ने उन लोगों को सुना जो नाराज़, बड़बड़ा रहे थे और क्रोधित हो गए थे। इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, मैं आपको वर्षा ऋतु में प्रवेश करने की सलाह देता हूँ।'

<<<< पिछला(2.36) । अगला(3.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.1) । अगला(3.3) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-2: वासा में प्रवेश के लिए दो अवधियों की स्थापना।

1. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'हम वर्षा (बारिश) में कब प्रवेश करेंगे?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप वर्षा ऋतु में वर्षावास में प्रवेश करें।'

2. तब भिक्षुओं ने सोचा: 'वर्षा (बारिश) में प्रवेश करने के कितने काल होते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, वर्षा ऋतु में प्रवेश करने के दो समय होते हैं, पहला और दूसरा। पहला समय आषाढ़ (जून-जुलाई) की पूर्णिमा के अगले दिन से होता है; दूसरा समय आषाढ़ की पूर्णिमा के एक महीने बाद से होता है। हे भिक्षुओं, वर्षा ऋतु में प्रवेश करने के ये दो समय हैं।

<<<< पिछला(3.1) । अगला(3.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.2) । अगला(3.4) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-3: वासा के दौरान कोई यात्रा नहीं।

1. उस समय छब्बाग्य भिक्षु वर्षा ऋतु में प्रवेश कर गए और वर्षा ऋतु के दौरान यात्रा पर निकल पड़े। लोग नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए (कहते हुए), 'शाक्यपुत्र समण शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में एक समान यात्रा कैसे कर सकते हैं, ... (अध्याय 1.2 से आगे तक, जैसा कि आगे बताया गया है) और अनेक छोटे जीवों का जीवन नष्ट कर सकते हैं?'

2. अब कुछ भिक्षुओं ने उन लोगों को नाराज़ होते, बड़बड़ाते और क्रोधित होते सुना। संयमी भिक्षु भी नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए (यह कहते हुए), 'छाबग्य भिक्षु वर्षा ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं, तो वे वर्षा ऋतु में यात्रा कैसे कर सकते हैं?'

इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

इसके फलस्वरूप और इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

'हे भिक्षुओं, वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति, वर्षा ऋतु के पहले या बाद के तीन महीनों में वर्षा ऋतु का पालन किए बिना यात्रा पर न जाए। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुक्कत अपराध करता है।'

<<<< पिछला(3.2) । अगला(3.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.3) । अगला(3.5) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-4: वर्षावास के दौरान जिले को न छोड़ना; राजा की आज्ञा का पालन करना।

1. उस समय छब्बागिया भिक्षु वर्षावास (वर्षा ऋतु में एकांतवास) में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, वर्षा में प्रवेश करने से कोई इनकार न करे। जो वर्षा में प्रवेश नहीं करता, वह दुक्कत अपराध करता है।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षु, जो निर्धारित दिन वर्षा में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे, जानबूझकर उस जिले को छोड़कर चले गए (जहाँ वे रह रहे थे)।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, कोई भी जानबूझकर उस क्षेत्र को न छोड़े जहाँ वह रह रहा है, क्योंकि वह निर्धारित दिन वर्षा में प्रवेश करने को तैयार नहीं है। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

3. उस समय मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार, जो वर्षा ऋतु को स्थगित करना चाहते थे, ने भिक्षुओं के पास एक दूत भेजा: 'यदि वे अगले पूर्णिमा के दिन वर्षा ऋतु में प्रवेश करें तो क्या होगा?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि तुम राजाओं की आज्ञा का पालन करो।'

<<<< पिछला(3.3) । अगला(3.5) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.4) । अगला(3.6) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-5: वर्षावास के दौरान सात दिनों के भीतर उपहारों के लिए और किसके लिए यात्रा करें।

1. भगवान बुद्ध ने राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद सावत्थी की ओर प्रस्थान किया। स्थान-स्थान भटकते हुए वे सावत्थी पहुँचे। वहाँ सावत्थी में, भगवान बुद्ध अनाथपिंडिका के उद्यान, जेतवन में निवास करने लगे।

उस समय कोसल देश में उदेना नामक एक उपासक (गृहस्थ भक्त) ने संघ के लिए एक विहार (मठ) बनवाया। उन्होंने भिक्षुओं के पास एक दूत भेजा और कहा, 'कृपापूर्वक यहाँ आएँ; मैं संघ को दान देना चाहता हूँ, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और भिक्षुओं से मिलना चाहता हूँ।'

2. भिक्षुओं ने उत्तर दिया: 'हे मित्र, भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति, वर्षा ऋतु के पहले या बाद के तीन महीनों में वर्षा ऋतु पूरी किए बिना यात्रा पर न जाए। उपासक उदेना तब तक प्रतीक्षा करें जब तक भिक्षु वर्षा ऋतु में निवास करते रहें; वर्षा ऋतु समाप्त होने पर वे यात्रा करेंगे। परन्तु यदि कोई अत्यावश्यक आवश्यकता हो, तो वे वहाँ निवास करने वाले भिक्षुओं की उपस्थिति में विहार का समर्पण करें।'

3. उपासक उदेना नाराज़ होकर बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर बोले, 'जब मैं उन्हें बुलाता हूँ, तो वे आने से इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं दान देने वाला और कर्म करने वाला (अच्छे कर्म करने वाला) हूँ, और भिक्षु समुदाय की सेवा करता हूँ।' कुछ भिक्षुओं ने नाराज़ उपासक उदेना की बातें सुनीं, इत्यादि।

इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

4. इसके फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (वर्षा ऋतु में भी) जाने की अनुमति देता हूँ, यदि तुम्हारा कार्य सात दिनों में पूरा हो सके और तुम्हें निम्नलिखित सात श्रेणियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया हो, अन्यथा नहीं। भिक्षु, भिक्षुणियाँ, शिक्खर्णन, समनेर, समनेरी, गृहस्थ भक्त और स्त्री गृहस्थ भक्त। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, यदि तुम्हारा कार्य सात दिनों में पूरा हो सके और तुम्हें इन सात श्रेणियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया हो, अन्यथा नहीं। सात दिनों के भीतर तुम्हें लौट आना चाहिए।

5. हे भिक्षुओं, यदि किसी उपासक ने संघ के लिए विहार बनवाया हो, और वह भिक्षुओं के पास दूत भेजकर कहे, "कृपापूर्वक यहाँ आएँ; मैं उन्हें दान देना चाहता हूँ, धर्म सुनना चाहता हूँ और भिक्षुओं से मिलना चाहता हूँ," तो हे भिक्षुओं, यदि आपका कार्य सात दिनों में पूरा हो सके, और यदि वह आपको बुलाए, तो अवश्य जाएँ; अन्यथा न जाएँ। सात दिनों के भीतर लौट आएँ।

6. हे भिक्षुओं, यदि किसी उपासक ने संघ के लिए अद्धयोग का निर्माण किया हो, कोई बहुमंजिला मकान बनाया हो, कोई अटारी बनाई हो, कोई गुफा बनाई हो, कोई कोठरी बनाई हो, कोई भंडारगृह बनाया हो, कोई भोजनालय बनाया हो, कोई अग्नि-कक्ष बनाया हो, कोई गोदाम बनाया हो, कोई शौचालय बनाया हो, कोई टहलने का स्थान बनाया हो, कोई टहलने का घर बनाया हो, कोई कुआँ बनाया हो, कोई कुएँ का घर बनाया हो, कोई घंटाघर बनाया हो, कोई घंटाघर कक्ष बनाया हो, कोई कमल-तालाब बनाया हो, कोई मंडप बनाया हो, कोई उद्यान बनाया हो, या किसी उद्यान के लिए स्थान तैयार किया हो। यदि वह भिक्षुओं के पास कोई दूत भेजता है, तो... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 5 में, खंड के अंत तक दिया गया है)।

7. हे भिक्षुओं, यदि किसी उपासक ने अनेक भिक्षुओं के लिए अद्धयोग (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 6 से अंत तक है) का निर्माण किया हो, तो एक भिक्षु के लिए विहार, अद्धयोग, बहुमंजिला मकान (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 6 से अंत तक है) का निर्माण किया हो।

8. 'मामले में, हे भिक्खुओं (भिक्षुओं), एक उपासक ने भिक्खुनिस की बहन के लिए, आदि, कई भिक्खुनी के लिए, एक भिक्खुनी के लिए, कई सिखमानों के लिए, एक सिखमना के लिए, कई समानेरा के लिए, एक समानेरा के लिए, कई समानेरी के लिए, एक समानेरी के लिए एक विहार (मठ) आदि का निर्माण किया है। यदि वह भिक्खुओं के पास एक दूत भेजता है, आदि।

9. हे भिक्षुओं, यदि किसी उपासक ने अपने उपयोग के लिए निवास, विश्राम कक्ष, अस्तबल, मीनार, एक शिखर वाली इमारत, दुकान, बुटीक, बहुमंजिला मकान, अटारी, गुफा, कोठरी, भंडारगृह, भोजन कक्ष, अग्नि-कक्ष, रसोई, शौचालय, टहलने का स्थान, टहलने के लिए घर, कुआँ, कुएँ का घर, घंटाघर, घंटाघर कक्ष, कमल-तालाब, मंडप, उद्यान बनवाया हो, या उद्यान के लिए स्थान तैयार किया हो; या उसका पुत्र जीवनसाथी का चुनाव करने वाला हो; या उसकी पुत्री जीवनसाथी का चुनाव करने वाली हो; या वह बीमार हो; या वह

किसी प्रसिद्ध सूत्र का पाठ करना जानता हो। यदि वह भिक्षुओं के पास दूत भेजकर कहे, "कृपापूर्वक आएँ और इस सूत्र का अध्ययन करें; अन्यथा यह सूत्र विस्मृति में चला जाएगा;"—या यदि उसका कोई अन्य कार्य हो या कोई और काम करना हो; और यदि वह भिक्षुओं के पास दूत भेजकर कहे, "कृपापूर्वक आएँ" (आदि), तो आपको जाना चाहिए (आदि, जैसा कि § 5 में है, नीचे तक): आपको लौटना चाहिए।

10-12. 'यदि हे भिक्षुओं, किसी उपासिक ने संघ के लिए विहार (मठ) का निर्माण किया हो (आदि, जैसा कि §§ 5-91 में है)।

13. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने संघ के लिए, अनेक भिक्षुओं के लिए, एक भिक्षु के लिए, भिक्षुणियों के समूह के लिए, एक समनेरी के लिए, अपने स्वयं के उपयोग के लिए विहार आदि का निर्माण किया हो।'

<<<< पिछला(3.4) । अगला(3.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.5) । अगला(3.7) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-6: भिक्षु/भिक्षुनी की बीमारी, शंकाओं, झूठे सिद्धांतों, अपराधों, दंड आदि के लिए सात दिवसीय यात्रा।

1. उस समय एक भिक्षु बीमार था। उसने भिक्षुओं के पास एक दूत भेजा (यह कहते हुए), 'मैं बीमार हूँ; क्या भिक्षु मेरे पास आ सकते हैं; मुझे भिक्षुओं के आने की बहुत इच्छा है।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (वर्षा ऋतु में भी) जाने की अनुमति देता हूँ, यदि तुम्हारा कार्य सात दिनों में पूरा हो सके, चाहे तुम्हें किसी ने न बुलाया हो, और यदि तुम्हें इन पाँच श्रेणियों में से किसी एक के व्यक्ति ने बुलाया हो तो और भी अधिक अनुमति देता हूँ: भिक्षु, भिक्षुणी, सिखमान, समनेर और समनेरी। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, यदि तुम्हारा कार्य सात दिनों में पूरा हो सके, चाहे तुम्हें किसी ने न बुलाया हो, और यदि तुम्हें इन पाँच श्रेणियों में से किसी एक के व्यक्ति ने बुलाया हो तो और भी अधिक अनुमति देता हूँ। तुम्हें सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु बीमार हो जाए और वह अन्य भिक्षुओं के पास दूत भेजकर कहे, "मैं बीमार हूँ; क्या भिक्षु मेरे पास आ सकते हैं; मुझे भिक्षुओं के आने की बहुत इच्छा है," तो हे भिक्षुओं, यदि सात दिनों के भीतर कार्य पूरा हो सके, तो आपको अवश्य जाना चाहिए, भले ही उसने आपको न बुलाया हो, और यदि उसने भेजा हो (आपस में कहते हुए): "मैं बीमार के लिए भोजन, या बीमार की देखभाल करने वाले के लिए भोजन, या बीमार के लिए दवा लाने का प्रयास करूँगा, या मैं उससे (धर्म से संबंधित प्रश्न) पूछूँगा, या उसकी सेवा करूँगा।" सात दिनों के भीतर आपको लौट आना चाहिए।

3. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु को आंतरिक संघर्ष हो जाए, और वह भिक्षुओं को संदेश भेजकर कहे, "मुझे आंतरिक संघर्ष हो रहा है; कृपया भिक्षु मेरे पास आएं; मैं भिक्षुओं के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ," तो आपको जाना चाहिए... (जैसा कि अनुच्छेद 2 में नीचे दिया गया है); (आपस में कहते हुए): "मैं इन संघर्षों को शांत करने का प्रयास करूँगा, या किसी अन्य के द्वारा इन्हें शांत करवाऊँगा, या धर्म प्रवचन द्वारा उसे शांत करूँगा।" सात दिनों के भीतर आपको लौट आना चाहिए।

4. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु के मन में अंतरात्मा संबंधी संदेह उत्पन्न हो जाए, तो आप . . . . (अतः अनुच्छेद 3 में दिए गए अनुसार): (आपस में कहते हुए): "मैं इन संदेहों को दूर करने का प्रयास करूंगा, या उन्हें दूर करवाऊंगा, या धर्म प्रवचन द्वारा उसे शांत करूंगा।" सात दिनों के भीतर आपको लौट आना चाहिए।

5. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु किसी गलत मत को अपना ले, तो वह . . . . (आदि, नीचे) को भेजे: (आपस में कहते हुए): "मैं उस गलत मत पर चर्चा करूँगा, या किसी और से चर्चा करवाऊँगा, या धर्म प्रवचन द्वारा (उस भिक्षु को) सुधारूँगा।" सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

6. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है और उसे परिवास की सजा दी जानी चाहिए, तो यदि वह . . . . (आदि, नीचे तक) को भेजता है: (आपस में कहते हुए): "मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि उसे परिवास की सजा दी जाए, या मैं (सभा में) प्रस्ताव रखूँगा, या मैं (परिवास की सजा देने के लिए आवश्यक) कोरम पूरा करने में मदद करूँगा:" तो आपको सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

7. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु दंडात्मक अनुशासन पुनः प्रारंभ करने की सजा पाता है, तो उसे . . . . (आदि, जैसा कि धारा 6 में, खंड के अंत तक) भेजा जाना चाहिए।'

8. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु पर मनत्ता अनुशासन लागू किया जाए, तो उस पर . . . . (आदि) जैसा कि धारा 6 में, खंड के अंत तक वर्णित है।'

9. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (दंडात्मक अनुशासन का विधिवत पालन करने के बाद) पुनर्वासित किया जाना चाहिए, तो यदि वह भेजता है... (आदि, जैसा कि § 6 में है)।

10. हे भिक्षुओं, यदि संघ किसी भिक्षु के विरुद्ध तज्जनीयकम्मा, निस्साय, पब्बनीयकम्मा, पतिसरनीयकम्मा या उक्खेपनीयकम्मा द्वारा कार्यवाही करने वाला हो, तो यदि वह भिक्षु अन्य भिक्षुओं को दूत भेजकर कहे, "संघ मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने वाला है; कृपया भिक्षु मेरे पास आएं; मैं भिक्षुओं के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं," तो आपको जाकर (जैसा कि अनुच्छेद 2 में नीचे दिया गया है): (आपस में कहते हुए): "संघ उस भिक्षु के विरुद्ध कार्यवाही न करे या कार्यवाही को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है?" सात दिनों के भीतर आपको लौट आना चाहिए।

11. 'या संघ ने उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है, तज्जनीयकम्मा . . . . (आदि, नीचे तक): . . . . या उक्खेपनीयकम्मा; यदि वह भिक्षुओं के पास दूत भेजकर कहे: "संघ ने मेरे विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है; क्या भिक्षु मेरे पास आ सकते हैं; मैं भिक्षुओं के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ," तो आपको जाना चाहिए . . . . (आदि, जैसा कि § 3 में है, नीचे तक): (आपस में कहते हुए): "ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह भिक्षु उचित व्यवहार करे, विनम्रता से जीवन व्यतीत करे और अपनी तपस्या से मुक्ति पाने की आकांक्षा रखे, और संघ अपना निर्णय वापस ले ले?" आपको सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

12-15. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षुणी बीमार हो, इत्यादि।

16. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षुणी गंभीर अपराध की दोषी पाई जाती है और उसे मनत्ता अनुशासन की सजा दी जानी चाहिए, तो यदि वह संदेश भेजती है... (जैसा कि अनुच्छेद 3 में नीचे दिया गया है): ... (आपस में कहते हुए): "मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि उसे मनत्ता अनुशासन की सजा दी जाए।" तो आपको सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

17. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षुणी को दंडात्मक अनुशासन पुनः प्रारंभ करने की सजा दी जाए तो... (आदि, जैसा कि धारा 7 में है)।

18. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षुणी पुनर्वासित की जानी हो... (आदि, जैसा कि धारा 9 में है)।

19. 'हे भिक्षुओं, यदि संघ किसी भिक्षुणी के विरुद्ध तज्जनीयकम्मा द्वारा कार्यवाही करने जा रहा हो... (आदि, जैसा कि धारा 10 में है)।

20. 'या संघ ने उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है . . . . (आदि, जैसा कि § 11 में है)।

21, 22. 'यदि हे भिक्षुओ, कोई सिखमण बीमार है। . . . (&c., §§ 2-5 देखें)।

हे भिक्षुओं, यदि कोई विद्यार्थी अपने प्रशिक्षण के नियमों का उल्लंघन करे, तो वह . . . . (जैसा कि अनुच्छेद 3 में नीचे दिया गया है): (आपस में कहते हुए): "मैं ध्यान रखूंगा कि वह नियमों का पुनः पालन करे।" सात दिनों के भीतर आपको लौट आना चाहिए।

23. हे भिक्षुओं, यदि कोई विद्यार्थी उपसम्पदा दीक्षा ग्रहण करना चाहे, तो यदि वह किसी को भेजे, इत्यादि, तो आप (मन में यह कहते हुए) जाएं: "मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त हो जाए, या मैं सभा के समक्ष दीक्षा का सूत्र घोषित करूंगा, या मैं कोरम पूरा करने में सहायता करूंगा।" सात दिनों के भीतर आपको लौट आना चाहिए।

24, 25. हे भिक्षुओं, यदि कोई समनेर बीमार हो (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 2-5 में वर्णित है)... और वह वर्षा के विषय में पूछना चाहे, तो उसे सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

26. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई समनेर उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है (आदि, धारा 23 देखें)।

27, 28. 'यदि हे भिक्षुओं, कोई समनेरी बीमार हो (आदि, देखें §§ 24-25)।

29. हे भिक्षुओं, यदि कोई समनेरी दीक्षा ग्रहण करना चाहे, तो यदि वह . . . . आदि को भेजे, तो आप (मन में यह कहते हुए) जाएं: "मैं ध्यान रखूंगा कि वह दीक्षा ग्रहण कर ले।" सात दिनों के भीतर आपको लौट आना चाहिए।

<<<< पिछला(3.5) | अगला(3.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.6) | अगला(3.8) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-7: भिक्षु की माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार और परिचित व्यक्ति की बीमारी के लिए यात्रा की अनुमति है।

1. उस समय एक भिक्षु की माता बीमार थीं। उन्होंने अपने पुत्र के पास दूत भेजा और कहा, 'मैं बीमार हूँ; क्या मेरा पुत्र मेरे पास आ सकता है? मुझे अपने पुत्र के आने की बहुत प्रतीक्षा है।' अब उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने भिक्षु को जाने की अनुमति दी है, यदि जिस कार्य के लिए वह जा रहा है वह सात दिनों के भीतर पूरा हो जाए, और यदि उसे सात श्रेणियों में से किसी एक के व्यक्ति द्वारा बुलवाया जाए, लेकिन यदि उसे बुलवाया न जाए तो अनुमति नहीं है; (और उन्होंने यह भी अनुमति दी है), यदि जिस कार्य के लिए वह जा रहा है वह सात दिनों के भीतर पूरा हो जाए, भले ही उसे बुलवाया न जाए, और यदि उसे बुलवाया जाए तो पाँच श्रेणियों में से किसी एक के व्यक्ति द्वारा तो और भी अधिक। अब मेरी माता बीमार हैं; वह गृहस्थ भक्त (उपासिका) नहीं हैं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (वर्षा ऋतु में भी) जाने की अनुमति देता हूँ, यदि तुम्हारा कार्य सात दिनों के भीतर पूरा हो सके, चाहे तुम्हें किसी ने न बुलाया हो, और यदि तुम्हें निम्नलिखित सात श्रेणियों में से किसी एक के द्वारा बुलाया गया हो तो और भी अधिक। तुम्हें सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

3. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु की माता बीमार हो जाए, तो वह अपने पुत्र को दूत भेजकर कहे, "मैं बीमार हूँ; क्या मेरा पुत्र मेरे पास आ सकता है? मुझे अपने पुत्र के आने की बहुत प्रतीक्षा है (आदि, अध्याय 6.2 देखें)।"

4. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु का पिता बीमार हो . . . . (आदि, जैसा कि § 3 में है)।

5. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु का भाई बीमार हो जाए, तो यदि वह अपने भाई को दूत भेजकर कहे, "मैं बीमार हूँ; क्या मेरा भाई मेरे पास आ सकता है; मुझे अपने भाई के आने की बहुत प्रतीक्षा है," तो हे भिक्षुओं, यदि सात दिनों के भीतर कार्य संपन्न हो सके, और यदि वह उसे बुलवाए, तो उसे अवश्य जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। उसे सात दिनों के भीतर लौट आना चाहिए।

6. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु की बहन बीमार हो... (आदि, धारा 5 देखें)।

7. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु का कोई संबंधी बीमार हो जाए, तो वह उस भिक्षु के पास दूत भेजकर कहे, "मैं बीमार हूँ; कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए"... (आदि, जैसा कि § 5 में है)।

8. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति जो भिक्षुओं के साथ रहता था, बीमार हो जाए, तो वह भिक्षुओं के पास दूत भेजकर कहे, "मैं बीमार हूँ; क्या भिक्षु मेरे पास आ सकते हैं?" . . . (आदि, जैसा कि § 5 में है)।'

<<<< पिछला(3.6) | अगला(3.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.8

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.7) | अगला(3.9) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-8: मरम्मत और संघ के अन्य कार्यों के लिए लकड़ी लाने हेतु यात्रा की अनुमति है।

उस समय संघ का एक विहार (मठ) खंडहर हो गया। एक उपासक ने जंगल से लकड़ी कटवाई। उसने भिक्षुओं के पास एक दूत भेजा और कहा, 'यदि वे वह लकड़ी लाएंगे, तो मैं उन्हें दे दूंगा।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें संघ के कार्य के लिए बाहर जाने की अनुमति देता हूँ। तुम्हें सात दिनों के भीतर वापस लौट आना चाहिए।'

वर्षा ऋतु के निवास के बारे में पहले भानवर का समापन।

<<<< पिछला(3.7) | अगला(3.9) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.9

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.8) | अगला(3.10) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-9: जानवरों, सांपों, लुटेरों, राक्षसों, आग, भोजन की कमी और बाढ़ के कारण पलायन।

1. उस समय कोसल देश के एक जिले के भिक्षु, जो वर्षा ऋतु में प्रवेश कर चुके थे, जंगली जानवरों से परेशान थे; जानवर उन्हें उठाकर ले गए और मार डाला।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं को जंगली जानवरों द्वारा परेशान किया जाता है, और वे जानवर उन्हें उठाकर मार डालते हैं, तो इसे खतरे की स्थिति माना जाना चाहिए, और उन्हें वह निवास स्थान छोड़ देना चाहिए। वे वर्षा ऋतु में व्यवधान के दोषी नहीं हैं।

'हे भिक्षुओं, यदि वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं पर साँपों का आक्रमण हो जाए, तो वे उन्हें काटकर मार डालते हैं। इसे खतरे की स्थिति माना जाना चाहिए, ... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है) . . . . वर्षा।'

2. 'हे भिक्षुओं, यदि वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं को लुटेरे परेशान करें; लुटेरे उन्हें लूट लें और पीटें। इस पर विचार किया जाना चाहिए... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है)... वर्षा।'

हे भिक्षुओं, यदि वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाले भिक्षु राक्षसों से परेशान हों, तो राक्षस उनमें प्रवेश कर उनकी शक्ति छीन लेते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है)... वर्षा।

3. हे भिक्षुओं, यदि वह गाँव जिसके निकट भिक्षु वर्षावास में गए हैं, आग से नष्ट हो जाए, तो भिक्षुओं को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है)... वर्षावास।

हे भिक्षुओं, यदि वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के विश्राम स्थल अग्नि से नष्ट हो जाते हैं, तो भिक्षुओं को विश्राम स्थल न होने का कष्ट सहना पड़ता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है)... वर्षा।

4. 'हे भिक्षुओं, यदि वह गाँव जिसके निकट भिक्षु वर्षा के दौरान प्रवेश कर चुके हैं, जलभराव से नष्ट हो जाए; भिक्षुओं को भोजन की कमी हो जाए, ... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है) . . . . वर्षा।

'हे भिक्षुओं, यदि वर्षावास में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के विश्राम स्थल जल से नष्ट हो जाते हैं, तो भिक्षुओं को विश्राम स्थल न होने के कारण कष्ट भोगना पड़ता है, ... (इत्यादि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है) . . . . वर्षावास।'

<<<< पिछला(3.8) | अगला(3.10) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.9) | अगला(3.11) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-10: जब ग्रामीण अपना गाँव छोड़ देते हैं।

उस समय, जिस गाँव के पास एक विशेष जिले के भिक्षुओं ने वस्सा में प्रवेश किया था, उसे लुटेरों के डर से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह निर्देश देता हूँ, हे भिक्षुओं, कि तुम उस गाँव की ओर जाओ।'

गांव के लोग दो भागों में बंट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह सलाह देता हूँ, हे भिक्षुओं, कि तुम वहाँ जाओ जहाँ अधिकांश भाग है।'

इनमें से अधिकतर लोग अविश्वासी और धर्म परिवर्तन न करने वाले थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप वहाँ जाएँ जहाँ विश्वासी, परिवर्तित लोग हों।'

<<<< पिछला(3.9) । अगला(3.11) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.10) । अगला(3.12) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-11: भोजन या दवा की कमी के कारण पलायन करना। वेश्या, हिजड़ा, राजा, रिश्तेदार आदि द्वारा धन, सोना, संपत्ति, सुख आदि के लिए बहकाए जाने पर पलायन करना।

1. उस समय कोसल काउंटी के एक जिले के भिक्षु, जो वर्षा (बारिश) में प्रवेश कर चुके थे, वहाँ आवश्यकतानुसार न तो मोटा भोजन और न ही उत्तम भोजन प्राप्त कर सके।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि वर्षावास में प्रवेश कर चुके भिक्षुओं को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में मोटा या उत्तम भोजन न मिले, तो इसे संकट का कारण माना जाना चाहिए और यदि वे उस निवास को छोड़ने का विचार करें, तो वे वर्षावास भंग करने के दोषी नहीं हैं।

'हे भिक्षुओं, यदि वर्षा ऋतु में प्रवेश कर चुके भिक्षुओं को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में मोटा या महीन भोजन मिल जाए, परन्तु उन्हें पोषण देने वाला भोजन न मिले, तो इसे . . . . (इत्यादि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है) . . . . वर्षा ऋतु माना जाना चाहिए।'

2. 'हे भिक्षुओं, यदि वर्षा ऋतु में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में मोटा या महीन भोजन मिल जाए, तो उन्हें पोषण तो मिल जाता है, लेकिन उचित औषधि नहीं मिल पाती। इसे ध्यान में रखना चाहिए... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है)... वर्षा।'

'यदि हे भिक्षुओं, भिक्षुओं को . . . . (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में है) . . . . भोजन तो मिल जाता है, और उन्हें लाभकारी औषधि भी मिल जाती है, परन्तु उन्हें सेवा करने के लिए उपयुक्त गृहस्थ नहीं मिलते। इस पर विचार किया जाना चाहिए . . . . (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में है) . . . . वस्सा।'

3. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर चुका हो और कोई स्त्री उससे यह प्रस्ताव रखे: "आदरणीय भिक्षु, मैं आपको सोना, या सोने, या खेत, या घर या बगीचे के लिए जगह, या बैल, या गाय, या दास, या दासी, या अपनी पुत्री को आपकी पत्नी के रूप में दूंगी, या मैं आपकी पत्नी बनूंगी, या मैं आपके लिए दूसरी पत्नी लाऊंगी।" ऐसी स्थिति में, यदि भिक्षु यह सोचे: "भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य का मन आसानी से बदल जाता है; मेरे जीवन की पवित्रता खतरे में पड़ सकती है," तो उसे उस स्थान से चले जाना चाहिए। वह वर्षावास भंग करने का दोषी नहीं है।

4. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने वर्षावास में प्रवेश किया हो, और उसे कोई वेश्या, कोई युवती, कोई हिजड़ा, कोई रिश्तेदार, कोई राजा, कोई डाकू, कोई बदमाश प्रस्ताव दे, तो (इन शब्दों में): "आदरणीय महोदय, आइए, हम आपको सोना देते हैं, ... (आदि, आगे तक) ... या हम अपनी पुत्री को आपकी पत्नी के रूप में देते हैं, या हम आपके लिए दूसरी पत्नी लाते हैं।" उस स्थिति में, ... (जैसा कि अनुच्छेद 3 में है) ... वर्षावास।

हे भिक्षुओं, यदि वर्षा में प्रवेश करने वाले किसी भिक्षु को कोई अज्ञात खजाना मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 3 से आगे तक है)... वर्षा।

5. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर रहा हो और देखे कि अनेक भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो यदि वह भिक्षु सोचे, "भगवान बुद्ध ने कहा है कि संघ में फूट डालना घोर पाप है; मेरी उपस्थिति में संघ में कोई फूट न पड़े," तो वह वहां से चला जाए। वह वर्षावास भंग करने का दोषी नहीं है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर चुका हो और उसे यह पता चले कि "कुछ भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं," तो ऐसी स्थिति में... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 5 से आगे तक है)... वर्षावास।

6. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर चुका हो और उसे यह पता चले कि "अमुक जिले में अनेक भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं।" यदि वह भिक्षु सोचे, "वे भिक्षु मेरे मित्र हैं; मैं उनसे कहूँगा, 'हे मेरे मित्रों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि संघ में फूट डालना घोर पाप है; हे सज्जनों, संघ में फूट न डालें;' तो वे मेरी बात मानेंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे और मेरी बात सुनेंगे," तो वह उस स्थान पर जा सकता है। वह वर्षावास भंग करने का दोषी नहीं है।

7. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर चुका हो और उसे यह पता चले कि "अमुक जिले में अनेक भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं।" यदि वह भिक्षु सोचे कि "वे भिक्षु मेरे मित्र नहीं हैं, परन्तु उनके मित्र मेरे मित्र हैं; तो मैं उनसे कहूँगा, और वे अपने मित्रों से कहेंगे: 'भगवान बुद्ध, ... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 6 से आगे तक है) . . . . वर्षावास।

8. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर चुका हो और उसे यह पता चले कि "अमुक जिले में अनेक भिक्षुओं के कारण संघ में विभाजन हो गया है।" यदि वह भिक्षु . . . . (इत्यादि, जैसा कि अनुच्छेद 6 से आगे तक है) . . . . वर्षावास।

9. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर चुका हो और उसे यह पता चले: "अमुक जिले में अनेक भिक्षुओं के कारण संघ में विभाजन हो गया है।" यदि वह भिक्षु . . . . (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 7 से आगे तक है) . . . . वर्षावास।

10-13. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षावास में प्रवेश कर चुका हो और उसे यह पता चले: "अमुक जिले में कई भिक्षुणियां संघ में फूट डालने का प्रयास कर रही हैं... (आदि)'

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.11) । अगला(3.13) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-12: पशु बाड़ा, कारवां और जहाज की अनुमति है। पेड़ का खोखला भाग और शाखा, खुली हवा, कब्रिस्तान आदि की अनुमति नहीं है।

1. उस समय एक भिक्षु ने पशुशाला में वर्षा (बारिश) में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पशुओं के बाड़े में बैठकर वर्षा पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति देता हूँ: पशुओं का बाड़ा अपने स्थान से हटा दिया गया था।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पशुओं के बाड़े के साथ जाने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय एक भिक्षु, जब वर्षावास में प्रवेश करने का समय निकट आया, तो उसने कारवां के साथ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें वर्षा ऋतु में कारवां के साथ प्रवेश करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय, जब वर्षावास में प्रवेश करने का समय निकट आया, तो एक भिक्षु ने जहाज से यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें जहाज से वस्सा में प्रवेश करने की अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय कुछ भिक्षु वर्षा के लिए एक खोखले पेड़ में चले गए। लोग नाराज़ हुए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए: '(ये भिक्षु) भूतों की तरह व्यवहार करते हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, कोई भी खोखले पेड़ में छिपकर वर्षा में प्रवेश न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

4. उस समय कुछ भिक्षु एक पेड़ की शाखा पर वर्षा करने के लिए बैठ गए। लोग नाराज़ हो गए, इत्यादि: '(ये भिक्षु) शिकारियों की तरह व्यवहार करते हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, कोई भी वृक्ष की शाखा पर बैठकर वर्षा में प्रवेश न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

5. उस समय कुछ भिक्षु खुले में वर्षा करने के लिए निकले। जब बारिश शुरू हुई, तो वे किसी पेड़ की तलहटी में या नीम के पेड़ के खोखले तने में चले गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, खुले में वर्षावास में प्रवेश न करो। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

6. उस समय कुछ भिक्षु बिना विश्राम स्थल के वर्षा में चले गए। उन्हें ठंड और गर्मी दोनों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, विश्राम स्थल की व्यवस्था किए बिना कोई भी वर्षावास में प्रवेश न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

7. उस समय कुछ भिक्षु शव रखने वाले एक घर में वर्षा (वर्षा) के लिए प्रवेश कर गए। लोग नाराज़ हो गए, इत्यादि: '(ये भिक्षु) शव जलाने वालों के समान हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, शव रखने वाले घर में वर्षावास में प्रवेश न करो। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता का अपराध करता है।'

8. उस समय कुछ भिक्षु धूप से बचने के लिए छांव में वर्षा करने चले गए। लोग नाराज़ हो गए, इत्यादि: 'जैसे ग्वाले।'

उन्होंने यह कथा भगवान बुद्ध को सुनाई।

'हे भिक्षुओं, कोई भी धूप से बचने के लिए छांव में बैठकर वर्षावन में प्रवेश न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

9. उस समय कुछ भिक्षु मिट्टी के बर्तन के नीचे वर्षा में प्रवेश कर गए। लोग नाराज़ हो गए, इत्यादि: 'तित्तियों की तरह।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मिट्टी के बर्तन में बैठकर वर्षावास में प्रवेश न करो। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

<<<< पिछला(3.11) | अगला(3.13) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.12) | अगला(3.14) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-13: वर्षावास के दौरान गैर-दीक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

1. उस समय सावत्थी के संघ ने यह समझौता किया था कि वर्षा ऋतु में किसी को भी पब्बज्ज दीक्षा नहीं दी जाएगी। विशाखा मिगारमाता के एक पोते ने भिक्षुओं के पास जाकर पब्बज्ज दीक्षा देने का अनुरोध किया। भिक्षुओं ने उनसे कहा: 'मित्र, संघ ने यह समझौता किया है कि वर्षा ऋतु में किसी को भी पब्बज्ज दीक्षा नहीं दी जाएगी। मित्र, प्रतीक्षा करो, जब तक भिक्षु वर्षा का पालन करते रहेंगे; वर्षा समाप्त होने पर वे तुम्हें पब्बज्ज दीक्षा प्रदान करेंगे।'

जब उन भिक्षुओं ने वर्षावास का निवास समाप्त कर लिया, तो उन्होंने विशाखा मिगारमाता के पोते से कहा: 'अब आओ, मित्र, तुम पब्बज्ज दीक्षा ग्रहण कर सकते हो।' उसने उत्तर दिया: 'यदि मैंने पहले ही पब्बज्ज दीक्षा ग्रहण कर ली होती, तो मैं (धर्म जीवन में) बना रहता, परन्तु अब, तो मैं पब्बज्ज दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा।'

2. विशाखा मिगारमाता नाराज होकर बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर बोले, 'महान लोग ऐसा समझौता कैसे कर सकते हैं कि बरसात के मौसम में किसी को भी दीक्षा न दी जाए? धम्म के कर्तव्यों का पालन किस समय नहीं किया जाना चाहिए?'

कुछ भिक्षुओं ने विशाखा मिगारमाता को सुना, जो नाराज होकर बड़बड़ा रहे थे और क्रोधित हो गए थे।

उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। 'हे भिक्षुओं, ऐसा समझौता नहीं किया जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु में किसी को भी पब्बज्ज दीक्षा दी जाए। जो कोई भी ऐसा समझौता करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

<<<< पिछला(3.12) । अगला(3.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> तृतीय खण्डक >> 3.14

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.13) । अगला(4.1) >>>>

महावग्ग

तीसरा खंडका (बरसात के मौसम में निवास, वासा)

अध्याय-14: राजा की अवज्ञा न करना; अनेक स्थानों में वज़ा न रखना; वादे न तोड़ना।

1. उस समय पूज्य उपनंद शाक्यपुत्त ने कोसल के राजा पसेनदी को अपने साथ वर्षाकाल में रहने का वचन दिया था। जब वे उस जिले की ओर जा रहे थे जहाँ उन्होंने जाने का वचन दिया था, तो रास्ते में उन्हें दो ऐसे जिले दिखाई दिए जहाँ बहुत से वस्त्र थे। उन्होंने सोचा, 'यदि मैं इन दोनों जिलों में वर्षाकाल में रहूँ, तो मुझे बहुत से वस्त्र प्राप्त हो जाएँगे।' और उन्होंने उन्हीं दोनों जिलों में वर्षाकाल में रह लिया। कोसल के राजा पसेनदी को यह देखकर गुस्सा आया, वे बड़बड़ाए और क्रोधित होकर बोले, 'परमेश्वर उपनंद शाक्यपुत्त ने हमसे वर्षाकाल में रहने का वचन देकर अपना वचन कैसे तोड़ दिया? क्या भगवान बुद्ध ने अनेकों विधियों से असत्य की निंदा और असत्य से परहेज की प्रशंसा नहीं की है?'

2. कुछ भिक्षुओं ने कोसल के राजा पसेनदी को नाराज़ होते हुए सुना। अन्य भिक्षु भी नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए (कहते हुए): 'आदरणीय उपनंद शाक्यपुत्त ने कोसल के राजा पसेनदी से प्रतिज्ञा करने के बाद, क्या वह झूठ नहीं बोल सकते? (जैसा कि अनुच्छेद 1 में है)?'

3. उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

इसके फलस्वरूप, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के समुदाय को एकत्रित होने का आदेश देने के बाद पूज्य उपानंद शाक्यपुत्त से पूछा: 'क्या यह सच है, उपानंद, कि आपने कोसल के राजा पसेनदी से वर्षा ऋतु में उनके साथ निवास करने का वादा तोड़ दिया है?'

'क्या यह सच है, प्रभु?'

तब महान बुद्ध ने उसे फटकारा: 'हे मूर्ख, तुम वचन तोड़ कैसे सकते हो, जबकि तुमने वादा किया था, इत्यादि? क्या मैंने झूठ की निंदा नहीं की है और झूठ से दूर रहने की अनेक प्रकार से प्रशंसा नहीं की है? हे मूर्ख, यह अधर्मियों को धर्म परिवर्तन कराने और धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए उचित नहीं है, बल्कि इसका परिणाम यह होगा कि अधर्मी धर्म से विमुख हो जाएंगे और बहुत से धर्म परिवर्तन करने वाले धर्म से विमुख हो जाएंगे।'

उन्हें फटकार लगाने और धर्मोपदेश देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

4. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने किसी गृहस्थ भक्त से पूर्वकाल में उसके साथ वर्षावास करने का वचन दिया हो, और जब वह उस क्षेत्र में जाए, तो रास्ते में उसे दो ऐसे क्षेत्र दिखाई दें जहाँ वस्त्रों की प्रचुरता हो, और वह सोचे, "यदि मैं इन दोनों क्षेत्रों में वर्षावास करूँ, तो मुझे बहुत से वस्त्र प्राप्त हो जाएँगे;" और वह उन दोनों क्षेत्रों में वर्षावास करता है, तो हे भिक्षुओं, इस भिक्षु का पूर्वकाल में वर्षावास करना वैध नहीं है, और उसने अपने वचन के विरुद्ध अपराध किया है।

5. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ भक्त से पूर्व अवधि में उसके साथ वर्षावास में निवास करने का वचन देता है, और उस क्षेत्र में जाते समय वह (अर्धमाके के अंतिम दिन) बाहर उपोसथ करता है, और (अगले अर्धमाके के) पहले दिन विहार जाता है, अपने लिए विश्राम स्थल तैयार करता है, पीने का पानी और भोजन प्राप्त करता है, कुटिया की सफाई करता है, और उसी दिन बिना कोई कार्य किए चला जाता है। इस भिक्षु का (वाषावास में प्रवेश करना) . . . . (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 4 में नीचे दिया गया है) . . . . अपराध है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु प्रतिज्ञा करता है (आदि, जैसा कि पिछले मामले में है, आगे तक): और उसी दिन किसी काम से चला जाता है। इस भिक्षु का (वस्सा में प्रवेश करना) . . . . (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 4 में है, आगे तक): अपराध है।

6. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु प्रतिज्ञा कर ले, इत्यादि, और वहाँ दो-तीन दिन रहने के बाद बिना किसी कार्य के चला जाए, इत्यादि; यदि वह कार्य लेकर चला जाए, तो इस भिक्षु का (वास में प्रवेश करना) . . . . (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 4 में नीचे दिया गया है) . . . . अपराध है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु प्रतिज्ञा कर ले, इत्यादि, और वहाँ दो-तीन दिन रहने के बाद किसी ऐसे कार्य के लिए चला जाए जिसे सात दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है; और वह सात दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो इस भिक्षु का (वास में प्रवेश करना) . . . . (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 4 में नीचे दिया गया है) . . . . अपराध है।

'हे भिक्षुओं, यदि वह उन सात दिनों के भीतर लौट आता है, तो हे भिक्षुओं, उस भिक्षु का (वर्षा में प्रवेश करना) वैध है, और उसने अपने वचन के संबंध में कोई अपराध नहीं किया है।'

7. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वचन देकर, इत्यादि, पवारन के कार्य से सात दिन पहले चला जाता है, तो हे भिक्षुओं, चाहे वह भिक्षु उस क्षेत्र में वापस आए या न आए, उसका प्रवेश, इत्यादि, वैध है, और अपने वचन के संबंध में उसने कोई अपराध नहीं किया है।

8-10. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु प्रतिज्ञा करता है, इत्यादि, और उस जिले में जाकर वहाँ उपोसथ धारण करता है (अर्धमाके के अंतिम दिन), और पहले दिन (अगले अर्धमाके के) विहार जाता है, इत्यादि।

11. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने (किसी गृहस्थ भक्त से) बाद में उसके साथ वर्षावास में रहने का वचन दिया हो, और उस जिले में जाते समय वह उपोसथ बाहर आयोजित करता हो, इत्यादि।'

तीसरे खंडक का अंत, जिसमें वर्षा (बारिश) में प्रवेश करने का वर्णन है।

<<<< पिछला(3.13) । अगला(4.1) >>>>

चतुर्थ खण्डका (पवर्णा समारोह)
(वर्षा ऋतु के अंत में होने वाला पवाराना समारोह)

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.14) । अगला(4.2) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में होने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-1: पवाराना की घोषणा और कॉनकॉर्ड में प्रदर्शन करने का तरीका।

1. उस समय बुद्ध सावत्थी में, जेतवन में, अनाथपिंडिका के उद्यान में निवास कर रहे थे। उस समय कई भिक्षु, जो आपस में सहचर और मित्र थे, कोसल देश के एक जिले में वर्षावास के लिए निकले। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'हम क्या करें जिससे हम वर्षावास को भली-भांति, एकता और सद्भाव से, बिना किसी कलह के संपन्न कर सकें और हमें भोजन की कमी न हो?'

2. तब उन भिक्षुओं ने सोचा: 'यदि हम आपस में बात न करें, यदि जो गाँव से, अपनी भिक्षायात्रा से सबसे पहले लौटता है, वह आसन तैयार करे, पैर धोने के लिए पानी, एक चौकी और एक तौलिया लाए, कूड़ेदान को साफ करके तैयार करे और उसमें पीने और खाने का पानी रखे, तो क्या होगा?'

3. और यदि वह भिक्षुण-यात्रा से अंत में लौटने वाला भिक्षु, अन्य भिक्षुओं के भोजन में बचे हुए भोजन को खाना चाहे, और यदि वह खाना चाहे, तो उसे खाए; और यदि वह न खाना चाहे, तो उसे घास रहित स्थान पर फेंक दे, या ऐसे जल में डाल दे जिसमें कोई जीव-जंतु न हों; पैर धोने का पानी, पाँव रखने की चौकी और तौलिया अलग रख दे; कूड़ेदान को साफ करके अलग रख दे, पानी और भोजन को अलग रख दे, और भोजन कक्ष में झाड़ू लगा दे,--

4. 'और यदि कोई व्यक्ति किसी खाली बर्तन, भोजन के कटोरे या शौच के पात्र को देखता है और उसे उसके उचित स्थान पर रख देता है, और यदि वह अकेले ऐसा करने में असमर्थ होता है, तो किसी और को बुलाकर बिना कुछ बोले उनके संयुक्त प्रयास से उसे सही स्थान पर रख देता है, तो इस प्रकार हम वासा को एकता, सद्भाव और बिना किसी कलह के सुचारू रूप से रखेंगे और भोजन की कमी से पीड़ित नहीं होंगे।'

5-7. और वे भिक्षु आपस में बात नहीं करते थे। जो भिक्षुण-यात्रा से गाँव से सबसे पहले लौटा, उसने बिना कुछ बोले आसन तैयार किए (आदि, जैसा कि ऊपर, § 4 से नीचे तक)।

8. वर्षा ऋतु समाप्त कर चुके भिक्षुओं की यह प्रथा है कि वे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जाते हैं। इस प्रकार, वर्षा ऋतु समाप्त कर और तीन माह बीत जाने पर, उन भिक्षुओं ने अपने विश्राम स्थलों को व्यवस्थित किया, भिक्षापात्र और वस्त्र लिए और श्रावस्ती की ओर चल पड़े। स्थान-स्थान भटकते हुए वे श्रावस्ती, जेतवन, अनाथपिंडिका उद्यान और भगवान बुद्ध के पास पहुँचे; भगवान बुद्ध के पास पहुँचकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए।

9. अब महान बुद्धों की यह प्रथा है कि वे आने वाले भिक्षुओं का अभिवादन करते हैं। भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा, 'हे भिक्षुओं, क्या आप सब ठीक हैं? क्या आपको अपना भरण-पोषण पर्याप्त मिलता है? क्या आपने वर्षा का अच्छी तरह पालन किया है, एकता और सद्भाव में रहते हुए और बिना किसी कलह के? और क्या आपको भोजन की कमी नहीं हुई?'

'हे प्रभु, हमारी स्थिति काफी अच्छी है; हमें अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन मिलता है; हमने वासा को एकता, सद्भाव और बिना किसी कलह के अच्छी तरह से संभाला है; और हमें भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है।'

10. तथागत कभी-कभी अपने ज्ञान के बारे में पूछते हैं; कभी-कभी वे अपने ज्ञान के बारे में नहीं पूछते। वे सही समय पर प्रश्न पूछना जानते हैं और सही समय पर प्रश्न न पूछना भी जानते हैं। तथागत अर्थपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, निरर्थक नहीं; निरर्थक प्रश्नों के लिए तथागत (बुद्ध) मार्ग प्रशस्त नहीं करते। महान बुद्ध भिक्षुओं से दो उद्देश्यों से प्रश्न पूछते हैं: जब वे उपदेश देना चाहते हैं या जब वे अपने शिष्यों के लिए आचरण नियम स्थापित करना चाहते हैं।

11. और भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, तुमने वर्षा ऋतुओं का भला कैसे किया, एकता और सद्भाव में रहकर, बिना किसी कलह के, और भोजन की कमी से पीड़ित हुए बिना?'

हे प्रभु, हम अनेक भिक्षुओं, सहचरों और मित्रों ने कोसल देश के एक विशेष जिले में वर्षावास में प्रवेश किया। हे प्रभु, हमने सोचा, "हम क्या करें?" फिर हमने सोचा, हे प्रभु, "यदि हम न बोलें, जैसा कि अनुच्छेद 2-4 में है।" इस प्रकार, हे प्रभु, हमने एक दूसरे से एक शब्द भी

बोले बिना बात नहीं की। इस प्रकार, हे प्रभु, हमने एकता, सद्भाव और बिना कलह के वर्षावास का भला किया; और हमें भोजन की कमी नहीं हुई।

12. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, ये मूर्ख लोग जो वर्षा का भला करने का दावा करते हैं, उन्होंने वास्तव में वर्षा का भला नहीं किया है; हे भिक्षुओं, ये मूर्ख लोग जो वर्षा का भला करने का दावा करते हैं, उन्होंने वास्तव में वर्षा को पशुओं के झुंड के समान रखा है; वास्तव में उन्होंने इसे भेड़ों के झुंड के समान रखा है; वास्तव में उन्होंने इसे आलसी लोगों के समूह के समान रखा है। हे भिक्षुओं, ये मूर्ख लोग तिथियों की तरह मौन व्रत कैसे धारण कर सकते हैं?'

13. 'हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने के लिए उचित नहीं है (आदि, जैसा कि पुस्तक III, अध्याय 14, अनुच्छेद 3 में है)।' और जब उन्होंने उन्हें फटकारा और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

'हे भिक्षुओं, कोई भी तित्तिय भिक्षुओं की तरह मौन व्रत न धारण करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कटा अपराध करता है।'

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि वर्षावास समाप्त होने के बाद भिक्षु एक दूसरे के साथ तीन प्रकार से पवाराना करें: जो देखा गया हो, जो सुना गया हो, और जो संदेह हो। इससे यह सिद्ध होगा कि आप एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहेंगे, अपने किए गए अपराधों का प्रायश्चित करेंगे और अनुशासन के नियमों का पालन करेंगे।

14. हे भिक्षुओं, तुम्हें पवाराना इस प्रकार धारण करना चाहिए:

'एक विद्वान, सक्षम भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नट्टी (प्रस्ताव) की घोषणा करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनें। आज पवाराना दिवस है। यदि संघ तैयार है, तो पवाराना आयोजित करें।"

फिर वरिष्ठ भिक्षु अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसका एक कंधा ढका रहे, उकडू बैठकर, हाथ जोड़कर कहें: "हे मित्रों, मैं संघ के समक्ष अपना पवारना घोषित करता हूँ, जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, या जो कुछ संदेह है, उसके आधार पर; हे सज्जनों, मुझ पर दया करके मुझसे बात करें; यदि मैं (कोई अपराध) देखूँ, तो मैं उसका प्रायश्चित करूँगा। और दूसरी बार, इत्यादि। और तीसरी बार मैं अपना पवारना घोषित करता हूँ (अतः, इसी प्रकार) यदि मैं (कोई अपराध) देखूँ, तो मैं उसका प्रायश्चित करूँगा।"

'फिर प्रत्येक छोटे भिक्षु को अपना ऊपरी वस्त्र ठीक करना चाहिए... (आदि)'

<<<< पिछला(3.14) | अगला(4.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.1) | अगला(4.3) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-2: विनम्रता का अभ्यास।

1. उस समय छब्बाग्य भिक्षु, जबकि वरिष्ठ भिक्षु प्रणाम कर अपना पवाराना कर रहे थे, अपनी सीटों पर बैठे रहे। मध्यम भिक्षु नाराज हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए: 'वरिष्ठ भिक्षुओं के प्रणाम करने और पवाराना करने के दौरान छब्बाग्य भिक्षु अपनी सीटों पर कैसे बैठे रह सकते हैं?'

उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, हे भिक्षुओं, कि छब्बग्गिया भिक्षु, इत्यादि?'

'यह सच है, हे प्रभु।'

तब महान बुद्ध ने उन्हें फटकारा: 'हे भिक्षुओं, ये मूर्ख लोग अपनी सीटों पर कैसे बैठे रह सकते हैं (जैसा कि ऊपर बताया गया है)? हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने के लिए उचित नहीं है (जैसा कि अध्याय 1, अनुच्छेद 13 में बताया गया है)।'

उन्हें फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, वरिष्ठ भिक्षुओं के पदावन करते समय कोई भी अपनी सीट पर न बैठा रहे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता का अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि पदावन करते समय आप सभी पदावन करें।'

2. उसी समय एक वृद्ध भिक्षु, जो सभी भिक्षुओं के पवाराना समाप्त होने तक झुककर प्रतीक्षा कर रहा था, बेहोश होकर गिर पड़ा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि (प्रत्येक भिक्षु) अपना पवाराना पूरा करने तक पूरे समय नीचे बैठा रहे और पवाराना पूरा करने के बाद अपनी सीट पर बैठ जाए।'

<<<< पिछला(4.1) । अगला(4.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.2) । अगला(4.4) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-3: पवारना दिवसों की संख्या एवं सेवाओं की संख्या; बीमारों के लिए पवारना।

1. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'पावरना (दिनों) की संख्या कितनी है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, ये दो पवारना (दिन) हैं: चौदहवां और पंद्रहवां (अर्धमाका); ये दो पवारना (दिन) हैं, हे भिक्षुओं।'

2. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'पावराना सेवाएं कितनी हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'निम्नलिखित चार पवाराना सेवाएँ हैं। हे भिक्षुओं, इत्यादि।'

3. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, एकत्रित हो जाओ, संघ पवाराना आयोजित करेगा।' जब उन्होंने ऐसा कहा, तो एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, एक बीमार भिक्षु उपस्थित नहीं हैं।'

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि बीमार भिक्षु को अपना पवार्ना घोषित करना चाहिए। और हे भिक्षुओं, उसे इस प्रकार घोषित करना चाहिए: बीमार भिक्षु किसी भिक्षु के पास जाए, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसका एक कंधा ढका रहे, उकड़ू

बैठकर, हाथ जोड़कर कहे: "मैं अपना पवार्ना घोषित करता हूँ, मेरा पवार्ना ग्रहण करो, मेरे लिए पवार्ना करो।" यदि वह इसे हावभाव से, या शब्दों से, या हावभाव और शब्दों दोनों से व्यक्त करता है, तो पवार्ना घोषित हो गया है। यदि वह इसे हावभाव आदि से व्यक्त नहीं करता है, तो पवार्ना घोषित नहीं हुआ है।

4-5. 'यदि (बीमार भिक्षु) ऐसा करने में सफल हो जाए, तो अच्छा है। यदि वह सफल न हो, तो हे भिक्षुओं, उस बीमार भिक्षु को उसके पलंग या कुर्सी पर ही सभा में ले जाया जाए, इत्यादि।'

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि पवारना दिवस पर जो व्यक्ति पवारना की घोषणा करता है, उसे संघ द्वारा अंततः किए जाने वाले कार्यों के लिए अपनी सहमति भी घोषित करनी चाहिए, क्योंकि संघ (और उसके कार्यों की वैधता) के लिए (दोनों घोषणाएँ) आवश्यक हैं।'

<<<< पिछला(4.2) | अगला(4.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.3) | अगला(4.5) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-4: यदि रिश्तेदार भिक्षु को रोकते हैं।

उस समय एक भिक्षु के रिश्तेदारों ने पवाराना आदि के दिन उसे रोक लिया था।

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.4) | अगला(4.6) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-5: सभी भिक्षुओं को यह करना है; अनुमत संख्याएँ 4, 3, 2 और 1 भी हो सकती हैं।

1. उस समय पवाराना के दिन एक निश्चित जिले (या भिक्षुओं के एक निश्चित निवास) में पाँच भिक्षु निवास कर रहे थे।

अब इन भिक्षुओं ने सोचा: 'भगवान बुद्ध ने संघ द्वारा पवाराना धारण करने का विधान किया है, और हम (केवल) पाँच व्यक्ति हैं। तो हम पवाराना कैसे धारण करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह नियम बनाता हूँ, हे भिक्षुओं, कि पाँच भिक्षुओं को एक (नियमित) अध्याय में पवाराना करना चाहिए।'

2. उस समय पवाराना के दिन एक विशेष जिले में चार भिक्षु निवास कर रहे थे। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि पवाराना का नियमित अध्याय पाँच भिक्षुओं द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए, और हम तो केवल चार ही हैं। भला हम पवाराना कैसे आयोजित करेंगे?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि चार भिक्षुओं को एक दूसरे के साथ पवाराना धारण करना चाहिए।'

3. हे भिक्षुओं, उन्हें इस प्रकार पवाराना धारण करने दो: एक विद्वान, योग्य भिक्षु उन भिक्षुओं के समक्ष निम्नलिखित नट्टी (प्रस्ताव) की घोषणा करे:

"कृपया मेरी बात सुनिए। आज पवाराना दिवस है। यदि आप तैयार हैं, तो आइए हम सब मिलकर पवाराना मनाएं।"

तब वरिष्ठ भिक्षु अपनी पीठ की ऊपरी पीठ को ठीक से समायोजित करें और अन्य भिक्षुओं से कहें: "हे मित्रों, मैं आप सबके समक्ष अपने पवाराना की घोषणा करता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, या जो मुझे संदेह है, उसके आधार पर; हे सज्जनों, मुझ पर दया करके मुझसे बात करें; यदि मैं कोई अपराध देखूँ, तो मैं उसका प्रायश्चित करूँगा। और दूसरी बार भी, इत्यादि; और तीसरी बार भी, इत्यादि।"

'तो फिर प्रत्येक छोटे भिक्षु, इत्यादि को ऐसा करने दो।'

4. उस समय पवाराना के दिन एक विशेष क्षेत्र में तीन भिक्षु निवास कर रहे थे। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि पांच भिक्षु नियमित रूप से पवाराना का अध्याय करें, चार भिक्षु आपस में पवाराना का अध्याय करें, और हम तो केवल तीन ही हैं। भला हम पवाराना का अध्याय कैसे करें?'

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि तीन भिक्षु एक दूसरे के साथ पवाराना करें। और उन्हें पवाराना करना चाहिए (आदि, देखें अनुच्छेद 3)।'

5. उस समय पवाराना दिवस पर दो भिक्षु एक विशेष क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं, चार भिक्षुओं, तीन भिक्षुओं आदि का विधान किया है, और हम (केवल) दो व्यक्ति हैं। भला हम पवाराना दिवस कैसे मनाएँगे?'

'मैं यह नियम निर्धारित करता हूँ, हे भिक्षुओं, कि दो भिक्षुओं को एक दूसरे के साथ पवाराना करना चाहिए।'

6. हे भिक्षुओं, उन्हें इस प्रकार पवारना धारण करने दो: वरिष्ठ भिक्षु अपने ऊपरी रोहे आदि को समायोजित करे और कनिष्ठ भिक्षु से कहे: "मैं अपना पवारना घोषित करता हूँ, मित्र, इत्यादि।"

'तो कनिष्ठ भिक्षु आदि को अनुमति दें।'

7. उस समय पवाराना दिवस पर एक विशेष जिले में एक अकेला भिक्षु निवास कर रहा था। अब उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने पाँच भिक्षुओं आदि का विधान किया है, और मैं तो केवल एक ही हूँ। भला मैं पवाराना दिवस कैसे मनाऊँगा?'

8. हे भिक्षुओं, यदि पवारना के दिन किसी क्षेत्र में एक अकेला भिक्षु निवास करे, तो वह भिक्षु अन्य भिक्षुओं के आच्छादित स्थान—भोजन कक्ष, या मुख्य हॉल, या वृक्ष के नीचे स्थित स्थान—की सफाई करे; फिर जल और भोजन की व्यवस्था करे, आसन तैयार करे, दीपक जलाए और बैठ जाए। यदि अन्य भिक्षु आएं, तो वह उनके साथ पवारना करे; यदि वे न आएं, तो वह इस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करे: "आज मेरा पवारना है।" यदि वह इस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो वह दुक्कत अपराध करता है।

9. हे भिक्षुओं, जहाँ पाँच भिक्षु एक साथ निवास करते हैं, वहाँ उन्हें किसी एक भिक्षु का पवारना (अपनी सभा में) नहीं ले जाना चाहिए और चार भिक्षुओं द्वारा नियमित अध्याय में पवारना नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे दुक्कता अपराध करते हैं।

हे भिक्षुओं, जहाँ चार भिक्षु एक साथ निवास करते हैं, वहाँ उन्हें किसी एक भिक्षु का पवारना (अपने समूह में) नहीं ले जाना चाहिए और तीन के समूह में एक दूसरे के साथ पवारना नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे दुक्कता अपराध करते हैं।

'अब, हे भिक्षुओं, जहाँ तीन भिक्षु (आदि, जैसा कि अंतिम खंड में है)।

'हे भिक्षुओं, जहाँ दो भिक्षु निवास करते हैं, वहाँ उनमें से एक को दूसरे के पवारना का प्रचार नहीं करना चाहिए और केवल पवारना पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है, तो वह दुक्कत अपराध करता है।'

<<<< पिछला(4.4) | अगला(4.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.6

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.5) | अगला(4.7) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-6: सभी भिक्षुओं द्वारा, यहाँ तक कि दोषी भिक्षुओं द्वारा भी, पवाराना किया जाना चाहिए।

1. उस समय पवाराना दिवस पर एक भिक्षु ने कोई अपराध किया था। अब उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने नियम दिया है: "जो भिक्षु किसी अपराध का दोषी हो, उसे पवाराना दिवस नहीं मनाना चाहिए।" अब मैं एक अपराध का दोषी हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पवारना के दिन किसी अपराध का दोषी हो (जैसा कि द्वितीय, 27, 1, 2 से आगे तक में वर्णित है): "जब मुझे कोई संदेह नहीं रहेगा, तब मैं उस अपराध का प्रायश्चित करूँगा।" ऐसा कहकर वह पवारना करे। परन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे कारण से पवारना करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

2-3. उस समय एक भिक्षु को एक अपराध याद आया, जबकि पवाराना को रखा गया था (आदि, देखें II, 27. 4-8)।

प्रथम भानवरा का समापन।

<<<< पिछला(4.5) | अगला(4.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.7-4.13

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.6) | अगला(4.14) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय 7 से 13: जब उपस्थित भिक्षु अनुपस्थित भिक्षुओं से अनभिज्ञ होते हैं।

1. उस समय पवाराना के दिन एक विशेष निवास (या जिले) में पाँच या अधिक निवासी भिक्षु एकत्रित हुए। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कुछ अन्य निवासी भिक्षु अनुपस्थित हैं। धर्म और विनय के अनुसार कार्य करने के इरादे से, स्वयं को पूर्ण समझते हुए, जबकि वास्तव में वे अपूर्ण थे, उन्होंने पवाराना का आयोजन किया। जब वे पवाराना का आयोजन कर रहे थे, तभी अन्य निवासी भिक्षु (पहले वालों से अधिक संख्या में) वहाँ आ गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. हे भिक्षुओं, यदि पवारना के दिन किसी निवास स्थान पर कोई समूह एकत्रित हो (जैसा कि अनुच्छेद 1 में वर्णित है), तो वे पवारना करें। जब वे पवारना कर रहे हों, तभी अधिक संख्या में अन्य भिक्षु वहाँ आ जाएँ। हे भिक्षुओं, उन सभी भिक्षुओं को पुनः पवारना करना चाहिए; जिन्होंने पवारना किया है, वे दोषमुक्त हैं।

3. 'यदि वहाँ कोई समूह इकट्ठा हो जाए, इत्यादि। जब वे पवाराना धारण कर रहे हों, तभी ठीक उतनी ही संख्या में अन्य निवासी भिक्षु (पहले वालों के बराबर) आ जाएँ। जिन्होंने पवाराना धारण किया है, उन्होंने सही ढंग से किया है; बाकी भिक्षु पवाराना धारण करें; जिन्होंने पवाराना धारण किया है, वे दोषमुक्त हैं।'

<<<< पिछला(4.6) | अगला(4.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (4.7-4.13) | अगला (4.15) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-14: भिक्षुणी के समक्ष नहीं और केवल पवाराना दिवस पर ही आयोजित किया जाना चाहिए, कुछ अपवादों के साथ।

1-3. 'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी के समक्ष भिक्षुओं की सभा में पवाराना न करो, (आदि)'

4. हे भिक्षुओं, किसी भी परिवासिका द्वारा पवारना की घोषणा को स्वीकार करके पवारना का आयोजन न करें, सिवाय उस समय जब पवारना की घोषणा के समय सभा अभी तक उठी न हो। और हे भिक्षुओं, पवारना के दिन के अलावा किसी अन्य दिन पवारना का आयोजन न करें, सिवाय संघ में एकता बनाए रखने के लिए।

<<<< पिछला (4.7-4.13) | अगला (4.15) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.14) | अगला(4.16) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-15: आग, लुटेरों, जंगली जानवरों आदि के खतरों की स्थिति में।

1. उस समय कोसल देश में (भिक्षुओं के) एक निवास स्थान पर पवाराना के दिन बर्बर लोगों ने हमला कर दिया। भिक्षु त्रिविध विधि से पवाराना करने में असमर्थ थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें द्विविध विधि से पवाराना करने की अनुमति देता हूँ।'

बर्बर लोगों से खतरा और भी गंभीर हो गया। भिक्षु दोहरे सूत्र के साथ पवाराना करने में असमर्थ थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक सूत्र के साथ पवाराना करने की अनुमति देता हूँ।'

बर्बर लोगों से खतरा और भी गंभीर हो गया। भिक्षु एक ही विधि से पवाराना करने में असमर्थ थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं अनुमति देता हूँ कि वे सभी भिक्षु जिन्होंने एक साथ वर्षा का पालन किया है, पवाराना (एक सामान्य घोषणा द्वारा) करें।'

2. उस समय एक विशेष जिले में पवाराना के दिन रात का अधिकांश समय बीत चुका था और लोग भिक्षुओं को दान दे रहे थे। अब भिक्षुओं ने सोचा, 'दान देते-देते रात का अधिकांश समय बीत चुका है। यदि संघ तीन विधि से पवाराना करे, तो सूर्योदय होने तक पवाराना पूरा नहीं होगा। अब हम क्या करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

3. हे भिक्षुओं, यदि किसी जिले में पवाराना के दिन रात का अधिकांश समय बीत चुका हो और लोग भिक्षुओं को दान दे रहे हों, तो यदि वे भिक्षु सोचें कि "दिन निकलने तक रात का अधिकांश समय बीत चुका है," तो एक विद्वान और योग्य भिक्षु संघ के समक्ष यह कथन करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। लोगों द्वारा दान देने के दौरान रात का अधिकांश समय बीत चुका है। यदि संघ त्रिविध विधि से पवाराना करे, तो दिन निकलने तक पवाराना पूरा नहीं होगा। यदि संघ तैयार हो, तो वह द्विविध विधि से, या एकविध विधि से, या वर्षावास करने वाले सभी भिक्षुओं की संयुक्त घोषणा से पवाराना करे।"

4. हे भिक्षुओं, यदि किसी जिले में पवाराना के दिन रात का अधिकांश समय बीत चुका हो और भिक्षु असमंजस में हों: भिक्षु धम्म का पाठ कर रहे हों, सूत्र के ज्ञाता सूत्र का प्रतिपादन कर रहे हों, विनय के ज्ञाता विनय पर चर्चा कर रहे हों और धम्म प्रचारक धम्म पर चर्चा कर रहे हों। अब यदि वे भिक्षु सोचें: "अधिकांश समय बीत चुका है और भिक्षु असमंजस में हैं। यदि संघ तीन प्रकार के विधि से पवाराना करे, तो सूर्योदय होने तक पवाराना पूरा नहीं होगा," तो एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित कथन करें: "संघ, आदि। अधिकांश समय बीत चुका है और भिक्षु असमंजस में हैं। यदि संघ पवाराना करे (जैसा कि अनुच्छेद 3 में है)"

5. उस समय कोसल देश के एक जिले में पवाराना के दिन भिक्षुओं की एक बड़ी सभा एकत्रित हुई थी। वहाँ बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा स्थान ही बचा था और आकाश में घना बादल छाया हुआ था। भिक्षुओं ने सोचा, 'यहाँ भिक्षुओं की एक बड़ी सभा एकत्रित हुई है, और बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा स्थान ही बचा है, और आकाश में घना बादल छाया हुआ है। यदि संघ तीन प्रकार के विधि से पवाराना करे, तो पवाराना पूरा होने से पहले ही यह बादल बारिश शुरू कर देगा। अब हम क्या करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

6. हे भिक्षुओं, मान लीजिए किसी जिले में पवाराना के दिन भिक्षुओं की एक बड़ी सभा हुई है, और बारिश से सुरक्षित केवल एक छोटी सी जगह है, और आकाश में एक बड़ा बादल छाया हुआ है। अब यदि वे भिक्षु सोचते हैं कि... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 3 से अंत तक है)।

7. हे भिक्षुओं, यदि किसी क्षेत्र में पवारना के दिन राजाओं से, लुटेरों से, आग से, पानी से, मनुष्यों से, अमानवों से, शिकारी जानवरों से, रेंगने वाले जीवों से, जीवन से और ब्रह्मचर्य के विरुद्ध खतरा उत्पन्न हो जाए, तो यदि वे भिक्षु सोचें कि "यहाँ हमारे ब्रह्मचर्य के लिए खतरा है। यदि संघ तीन प्रकार के विधि से पवारना करे, तो पवारना पूरा होने से पहले ही ब्रह्मचर्य के लिए यह खतरा उत्पन्न हो जाएगा," तो एक विद्वान, योग्य भिक्षु... (आदि, अनुच्छेद 3 से अंत तक)।

<<<< पिछला(4.14) । अगला(4.16) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.16
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (4.15) । अगला (4.17) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-16: दोषियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए।

1. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं ने पवाराना को अपराध का दोषी माना।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, कोई भी पवारना को अपराध का दोषी न ठहराए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है। हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप पवारना को अपराध का दोषी ठहराने वाले भिक्षु से अनुमति लेकर उसे उस अपराध के लिए फटकारें।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं से जब छुट्टी मांगी गई, तो वे (उन भिक्षुओं को जो उन्हें किसी अपराध के लिए फटकार लगाने जा रहे थे) छुट्टी देने को तैयार नहीं थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि जो भिक्षु अनुमति न दे, उसका पवारान (पवरान) रोक दिया जाए। हे भिक्षुओं, आप इसे इस प्रकार रोकें: पवारान के दिन, चौदहवें या पंद्रहवें दिन (अर्धमाके के), उस व्यक्ति की उपस्थिति में, एकत्रित संघ के समक्ष, भिक्षु यह कहे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। फलाँ व्यक्ति ने अपराध किया है; मैं उसका पवारान रोकता हूँ; उसकी उपस्थिति में पवारान नहीं होना चाहिए।" इस प्रकार उसका पवारान रोका जाता है।

3. उस समय खब्बागिया भिक्षुओं ने, जिन्होंने सोचा: 'अन्यथा अच्छे भिक्षु हमारे पवारना में बाधा डाल सकते हैं,' स्वयं बिना किसी उद्देश्य और कारण के, उन शुद्ध भिक्षुओं के पवारना में पूर्वदेय बाधा डाली जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, और उन्होंने उन भिक्षुओं के पवारना में भी बाधा डाली जिन्होंने पहले ही अपना पवारना पूरा कर लिया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, बिना किसी उद्देश्य और कारण के उन शुद्ध भिक्षुओं के पर्वरण में कोई बाधा न डाले जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है। और हे भिक्षुओं, उन भिक्षुओं के पर्वरण में भी कोई बाधा न डाले जिन्होंने अपना पर्वरण पूरा कर लिया है। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है।

4. 'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, (आप यह जान सकते हैं कि) पवाराना (उचित रूप से) संयमित है या नहीं।

हे भिक्षुओं, किन परिस्थितियों में पवारना बाधित नहीं होता? हे भिक्षुओं, जब पवारना का उच्चारण, घोषणा और समापन त्रिविध सूत्र से किया जाता है, और यदि कोई भिक्षु किसी अन्य भिक्षु के पवारना को बाधित करता है, तो पवारना बाधित नहीं होता। हे भिक्षुओं, जब पवारना का उच्चारण, घोषणा और समापन द्विविध सूत्र से, एकविध सूत्र से, और सभी वर्षावास करने वाले भिक्षुओं की संयुक्त घोषणा से किया जाता है, और यदि कोई भिक्षु इसे बाधित करता है (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है)। इन परिस्थितियों में, हे भिक्षुओं, पवारना बाधित नहीं होता।

5. हे भिक्षुओं, किन परिस्थितियों में पवारना बाधित होता है? हे भिक्षुओं, जब पवारना का उच्चारण किया जाता है, घोषित किया जाता है, लेकिन त्रिविध सूत्र के साथ पूरा नहीं किया जाता है, और यदि (कोई भिक्षु) किसी अन्य भिक्षु के पवारना को बाधित करता है, तो पवारना बाधित होता है, (आदि)। हे भिक्षुओं, इन परिस्थितियों में पवारना बाधित होता है।

6. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पवारना के दिन किसी अन्य भिक्षु के पवारना को रोक दे, तो यदि अन्य भिक्षुओं को उस (पर्वत करने वाले) भिक्षु के विषय में यह ज्ञात हो कि "यह आदरणीय भाई अपने कर्मों, वचनों और आजीविका के साधनों में शुद्ध आचरण का नहीं है; वह अज्ञानी, अनपढ़ है और प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर देने में असमर्थ है," तो (वे उससे कहें): "नहीं, मित्र, झगड़ा, कलह, विवाद न हो," और इस प्रकार उसे चुप कराकर संघ पवारना करे।

7-9. 'यदि ऐसा हो; हे भिक्षुओं, इत्यादि।

10. हे भिक्षुओं, यदि पवारना दिवस पर कोई भिक्षु किसी अन्य भिक्षु के पवारना में बाधा डालता है, तो यदि अन्य भिक्षु उस (बाधा डालने वाले) भिक्षु के विषय में यह जानते हैं कि: "यह आदरणीय भाई अपने कर्मों और वचनों में शुद्ध आचरण वाला है, और अपनी आजीविका के मामले में चतुर, विद्वान और प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर देने में सक्षम है," तो वे उससे कहें: "हे मित्र, यदि तुम इस भिक्षु के पवारना में बाधा डालते हो, तो किस कारण से डालते हो, नैतिक उल्लंघन के कारण, या आचरण के नियमों के उल्लंघन के कारण, या विधर्म के कारण?"

11. यदि वह उत्तर दे: "मैं इसे नैतिक उल्लंघन के कारण रोकता हूँ, मैं इसे आचरण नियमों के उल्लंघन के कारण रोकता हूँ, मैं इसे विधर्म के कारण रोकता हूँ," तो उनसे कहें: "अच्छा, महोदय, क्या आप जानते हैं कि नैतिक उल्लंघन क्या होता है, आचरण नियमों का उल्लंघन क्या होता है, विधर्म क्या होता है?" यदि वह उत्तर दे: "मैं जानता हूँ, मित्रों, नैतिक उल्लंघन क्या होता है, इत्यादि," तो उनसे कहें: "और मित्र, नैतिक उल्लंघन क्या होता है, इत्यादि?"

12. यदि वह उत्तर दे: "चार पराजिका अपराध और तेरह संघीशेष अपराध नैतिक उल्लंघन हैं; तुलकाय (बड़े/गंभीर) अपराध, पचितीय अपराध, पतिदेशीय अपराध, दुक्कत अपराध और दुष्ट भाषा आचरण के नियमों के विरुद्ध उल्लंघन हैं; झूठा सिद्धांत और... सिद्धांत विधर्म हैं," तो वे उससे कहें: "हे मित्र, यदि तुम इस भिक्षु के पवारना को रोकते हो, तो क्या तुम इसे अपने देखे हुए, सुने हुए या संदेह के कारण रोकते हो?"

13. यदि वह उत्तर दे: "मैंने जो देखा है, या जो सुना है, या जो मुझे संदेह है, उसके कारण मैं इसका विरोध करता हूँ," तो उससे कहें: "मित्र, यदि तुम अपने देखे हुए के कारण इस भिक्षु के पवारना का विरोध करते हो, तो तुमने क्या देखा है? तुमने क्या देखा है? कब देखा है? कहाँ देखा है? क्या तुमने उसे पराजिका अपराध करते देखा है? क्या तुमने उसे संघदिशेष अपराध करते देखा है? क्या तुमने उसे थुल्लक्का या अपराध, पचित्तीय अपराध, पतिदेशीय अपराध, दुक्कत अपराध करते देखा है, या उसे अपशब्दों का प्रयोग करते देखा है? और तुम कहाँ थे? और यह भिक्षु कहाँ था? और तुमने क्या किया? और इस भिक्षु ने क्या किया?"

14. यदि वह उत्तर दे: "मित्रों, मैंने जो देखा है उसके कारण मैं इस भिक्षु के पवारना का निषेध नहीं करता, परन्तु मैंने जो सुना है उसके कारण करता हूँ," तो उनसे कहें: "यदि हे मित्र, आपने जो सुना है उसके कारण आप इस भिक्षु के पवारना का निषेध करते हैं, तो आपने क्या सुना है? आपने क्या सुना है? कब सुना है? कहाँ सुना है? क्या आपने सुना है कि उसने कोई परजिक अपराध किया है (आदि) या उसने अपशब्दों का प्रयोग किया है? क्या आपने यह किसी भिक्षु से सुना है? क्या आपने यह किसी भिक्षुणी से सुना है? क्या आपने यह किसी विद्यार्थी, समनेरा, समनेरी, उपासक, उपासिका, राजाओं, राजाधिकारियों, तित्तियों, तित्तियों के शिष्यों से सुना है?"

15. यदि वह उत्तर दे: "मित्रों, मैं सुनी-सुनाई बातों के कारण इस भिक्षु के पवारना का निषेध नहीं करता, बल्कि अपने संदेह के कारण करता हूँ," तो उनसे कहें: "यदि आप, मित्रो, अपने संदेह के कारण इस भिक्षु के पवारना का निषेध करते हैं, तो आपका संदेह क्या है? आपका संदेह क्या है? आपको कब संदेह हुआ? आपको कहाँ संदेह हुआ? क्या आपको संदेह है कि उसने कोई परजिका अपराध किया है, (आदि, जैसे कि) अपशब्दों का प्रयोग? क्या आपका संदेह किसी भिक्षु से सुनी बातों पर आधारित है, (आदि, जैसे कि) तित्तिया शिष्यों से?

16. यदि वह उत्तर दे: "हे भिक्षुओं, मैं अपने संदेह के कारण इस भिक्षु के पवारना में बाधा नहीं डालता; मुझे नहीं पता कि मैं इस भिक्षु के पवारना में बाधा क्यों डालता हूँ," और यदि वह भिक्षु, हे भिक्षुओं, जो (दूसरे भिक्षु को) फटकारता है, बुद्धिमान साथी भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर उनके मन को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो आप यह कहने में सही हैं कि ऐसी स्थिति में फटकारा गया भिक्षु निर्दोष है। परन्तु यदि वह भिक्षु, हे भिक्षुओं, जो (दूसरे भिक्षु को) फटकारता है, बुद्धिमान साथी भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर उनके मन को संतुष्ट कर लेता है, तो आप यह कहने में सही हैं कि ऐसी स्थिति में फटकारा गया भिक्षु निंदनीय है।

17. 'हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु जो (दूसरे भिक्षु को) फटकारता है, यह स्वीकार करता है कि उसने उस पर निराधार रूप से पराजिका अपराध का आरोप लगाया है, तो संघ (आरोपकर्ता के विरुद्ध) संघीशेष कार्यवाही में प्रवेश करे और फिर पवाराना आयोजित करे।

'हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु जो (दूसरे भिक्षु को) फटकारता है, यह स्वीकार करता है कि उसने उस पर संघीशेष अपराध का निराधार आरोप लगाया है, तो संघ (आरोपकर्ता) के साथ कानून के अनुसार व्यवहार करे और फिर पवाराना आयोजित करे।'

'हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु जो किसी दूसरे भिक्षु को फटकारता है, यह स्वीकार करता है कि उसने उस पर निराधार रूप से थुलकाय (बड़ा/गंभीर) अपराध, या पचितीय अपराध, या पतिदेशीय अपराध, या दुक्कत अपराध, या दुष्ट भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, तो संघ को (आरोप लगाने वाले के साथ) विधि के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और फिर पवाराना आयोजित करना चाहिए।'

18. 'हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु, जिसे फटकार लगाई गई है, यह स्वीकार करता है कि उसने पराजिका अपराध किया है, तो संघ उसे निष्कासित कर दे और फिर पवाराना को प्रोत्साहित करे।

'यदि वह भिक्षु आदि यह स्वीकार करता है कि उसने संघीशेष अपराध किया है, तो संघ उसके विरुद्ध संघीशेष कार्यवाही शुरू करे और फिर पवाराना आयोजित करे।'

'यदि वह भिक्षु, इत्यादि, यह स्वीकार करता है कि उसने कोई बड़ा/गंभीर अपराध या पचित्तीय अपराध किया है, ... (इत्यादि, यहाँ तक कि) . . . . दुष्ट भाषा का प्रयोग किया है, तो संघ उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार करे और फिर पवाराना आयोजित करे।'

19. हे भिक्षुओं, यदि पवारना के दिन कोई भिक्षु तुलकाय (गंभीर) अपराध का दोषी हो। कुछ भिक्षु इसे तुलकाय अपराध मानते हैं, जबकि अन्य भिक्षु इसे संघीशेष अपराध मानते हैं। ऐसी स्थिति में, हे भिक्षुओं, जो इसे तुलकाय (गंभीर) अपराध मानते हैं, वे उस भिक्षु को अलग ले जाकर, विधि के अनुसार उसके साथ व्यवहार करें, संघ में लौटकर कहें: "हे भिक्षुओं, इस भिक्षु ने जो अपराध किया है, उसने विधि के अनुसार उसका प्रायश्चित कर लिया है। यदि संघ तैयार हो, तो पवारना आयोजित करें।"

20. हे भिक्षुओं, यदि पवाराना के दिन कोई भिक्षु थुलकाया (गंभीर अपराध) का दोषी हो। कुछ भिक्षुओं का मानना है कि यह थुलकाया (गंभीर अपराध) है, जबकि अन्य भिक्षुओं का मानना है कि यह पचितीय अपराध है। कुछ भिक्षुओं का मानना है कि यह थुलक्कया अपराध है, जबकि अन्य भिक्षुओं का मानना है कि यह पतिदेशीय अपराध है; थुलकाया (गंभीर अपराध) अपराध; दुक्कत अपराध; थुलक्कया अपराध, दुष्ट भाषा द्वारा किया गया अपराध। ऐसी स्थिति में (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 19 में अंत तक वर्णित है)।

21, 22. हे भिक्षुओं, यदि पवाराना के दिन कोई भिक्षु पचितीय अपराध, पतिदेशीय अपराध, दुक्कात अपराध, या दुष्ट भाषा द्वारा किए गए अपराध का दोषी हो। कुछ भिक्षु मानते हैं कि यह दुष्ट भाषा द्वारा किया गया अपराध है, अन्य भिक्षु मानते हैं कि यह संघीशेष अपराध है, इत्यादि। उस स्थिति में, हे भिक्षुओं, जो भिक्षु इसे दुष्ट भाषा द्वारा किया गया अपराध मानते हैं, वे उस भिक्षु को अलग ले जाएं (आदि, धारा 19 देखें)।

23. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पवारना दिवस पर सभा के समक्ष इस प्रकार कहे: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। मुझे यह कर्म ज्ञात है, परन्तु दोषी व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं। यदि संघ तैयार हो, तो इस कर्म को छोड़कर पवारना आयोजित करें," तो भिक्षुओं को उत्तर देना चाहिए: "हे मित्र, भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि पवारना आयोजित करने वालों को शुद्ध होना चाहिए। यदि कोई कर्म ज्ञात हो, परन्तु दोषी व्यक्ति का नाम ज्ञात न हो, तो हमें अभी सूचित कीजिए।"

24. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पवारना दिवस पर सभा के समक्ष इस प्रकार कहे: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। यहाँ एक व्यक्ति (मुझे दोषी) ज्ञात है, परन्तु उसका कर्म ज्ञात नहीं। यदि संघ तैयार हो, तो संघ इस व्यक्ति को छोड़कर पवारना करे," तो भिक्षुओं को उत्तर देना चाहिए: "हे मित्र, भगवान बुद्ध ने यह विधान किया है कि पवारना करने वालों को पूर्ण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति (आपको दोषी) ज्ञात है, परन्तु उसका कर्म ज्ञात नहीं, तो हमें अभी सूचित कीजिए।"

25. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पवारना दिवस पर सभा के समक्ष इस प्रकार कहे: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। मुझे एक कर्म और उसके दोषी व्यक्ति का ज्ञान है। यदि संघ तैयार हो, तो इस कर्म और उस व्यक्ति को छोड़कर पवारना आयोजित करें," तो भिक्षुओं को उत्तर देना चाहिए: "हे मित्र, भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि पवारना आयोजित करने वालों को शुद्ध और पूर्ण होना चाहिए। यदि आपको कर्म और दोषी व्यक्ति का ज्ञान है, तो हमें अभी सूचित कीजिए।"

26. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई कर्म पवारना के समक्ष ज्ञात हो जाए, और (दोषी) व्यक्ति पवारना के बाद ज्ञात हो जाए, तो उसे (तब) सामने लाना उचित है।

'हे भिक्षुओं, यदि (दोषी) व्यक्ति पवाराना के समक्ष ज्ञात हो जाए, और उसके कर्म बाद में ज्ञात हों, तो उसे (तब) सामने लाना उचित है।'

'हे भिक्षुओं, यदि पवारना के समक्ष कर्म और (दोषी) व्यक्ति दोनों का पता चल जाए, और यदि (कोई भिक्षु) पवारना के बाद उस मामले को फिर से उठाता है, तो वह (निर्णयित मामले को) उठाने के लिए पचित्त्य अपराध का दोषी हो जाता है।'

<<<< पिछला (4.15) । अगला (4.17) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.17

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.16) । अगला(4.18) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-17: झगड़ालू, विवादशील और बीमार भिक्षुओं का इलाज कैसे करें।

1. उस समय कोसल देश के एक जिले में कई भिक्षु, जो आपस में सहचर और मित्र थे, वर्षावास में प्रवेश कर गए। उनके पड़ोस में अन्य भिक्षु, जो विवाद करने वाले, झगड़ालू और बहस करने वाले थे और संघ के समक्ष प्रश्न उठाते थे, वर्षावास में प्रवेश कर गए। उनका इरादा वर्षावास समाप्त होने के बाद पवाराना के दिन उनके पवाराना में उन्हें ठहराने का था। तभी उन भिक्षुओं ने सुना, 'हमारे पड़ोस में अन्य भिक्षु, इत्यादि, हैं। भला हम क्या करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. हे भिक्षुओं, यदि किसी क्षेत्र में अनेक भिक्षु, जो एक-दूसरे के मित्र और साथी हों, वर्षावास में प्रवेश करें। उनके आस-पास अन्य भिक्षु भी हों, ... (आदि, धारा 1)। हे भिक्षुओं, मैं यह विधान करता हूँ कि वे भिक्षु अर्धमाह के चौदहवें दिन दो या तीन बार उपोसथ करें, ताकि वे उन (अन्य) भिक्षुओं के समक्ष पवारना कर सकें। यदि वे झगड़ालू, कलह करने वाले, ... (आदि, धारा 1) भिक्षु उस क्षेत्र में आएँ, तो हे भिक्षुओं, वहाँ के भिक्षुओं को शीघ्र एकत्रित होकर पवारना करना चाहिए; पवारना करने के बाद, उन्हें उनसे कहना चाहिए: "हे मित्रों, हमने पवारना कर लिया है; आप अपनी इच्छानुसार करें।"

3. यदि वे वाद-विवाद करने वाले भिक्षु (आदि, § 1) अचानक उस निवास पर आ जाएँ, तो हे भिक्षुओं, वहाँ के निवासी भिक्षु उनके लिए आसन तैयार करें, उनके पैर धोने के लिए जल, पायदान और तौलिये लाएँ, फिर उनसे मिलने जाएँ, उनके प्याले और वस्त्र ले जाएँ और उन्हें पीने के लिए जल दें; इस प्रकार उन भिक्षुओं की सेवा करने के बाद, वे सीमा के बाहर जाकर पवाराना करें; पवाराना करने के बाद, वे कहें: "हे मित्रों, हमने पवाराना कर लिया है; हे महोदय, आप जैसा चाहें वैसा करें।"

4. यदि वे इस प्रकार सफल होते हैं, तो अच्छी बात है; यदि वे सफल नहीं होते हैं, तो एक विद्वान, योग्य, निवासी भिक्षु अन्य निवासी भिक्षुओं के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखें: "हे निवासी भिक्षुओं, कृपया मेरी बात सुनें। यदि आप तैयार हैं, तो आइए अब हम उपोसथा का पाठ करें और पतिमोक्खा का पाठ करें, और अगली अमावस्या को पवाराना करें।" हे भिक्षुओं, यदि विवाद करने वाले भिक्षु उन

भिक्षुओं से कहें: "हे मित्रों, अब हमारे साथ पवाराना करें," तो वे उत्तर दें: "हे मित्रों, आप हमारे पवाराना के स्वामी नहीं हैं; हम अभी पवाराना नहीं करेंगे।"

5. 'हे भिक्षुओं, यदि वे वाद-विवाद करने वाले भिक्षु (आदि, § 1) अमावस्या तक वहाँ ठहरते हैं, तो एक विद्वान, योग्य, निवासी भिक्षु, . . .

6. 'हे भिक्षुओं, यदि वे वाद-विवाद करने वाले भिक्षु, ... (आदि, § 1) उस पूर्णिमा तक वहाँ ठहरे रहें, तो हे भिक्षुओं, उन सभी भिक्षुओं को, चाहे वे चाहें या न चाहें, अगली पूर्णिमा को, कोमुदी कटुमासिनी के दिन, पवाराना करना चाहिए।

7. हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु पवारना करते हैं, और कोई बीमार भिक्षु किसी स्वस्थ भिक्षु की पवारना में बाधा डालता है, तो वे (बाधा डालने वाले भिक्षु से) कहें: "हे स्वामी, आप बीमार हैं, और भगवान बुद्ध ने कहा है कि बीमार व्यक्ति प्रश्न-उत्तर सहन नहीं कर सकता। मित्र, अपने स्वास्थ्य के ठीक होने तक प्रतीक्षा कीजिए; ठीक होने के बाद, यदि आप चाहें तो आप उसे डांट सकते हैं।" यदि वे उससे इस प्रकार कहें, और वह (उस भिक्षु को) डांटता है, तो वह पचित्त्य अपराध, अवहेलना का दोषी हो जाता है।

8. हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु पवारना करते हैं, और कोई स्वस्थ भिक्षु किसी बीमार भिक्षु की पवारना में बाधा डालता है, तो वे (पवरना में बाधा डालने वाले भिक्षु से) कहें: "मित्र, यह भिक्षु बीमार है, और भगवान बुद्ध ने कहा है कि बीमार व्यक्ति प्रश्नोत्तर सहन नहीं कर सकता। मित्र, इस भिक्षु के ठीक होने तक प्रतीक्षा करो; जब वह ठीक हो जाए, तो तुम चाहो तो उसे डांट सकते हो।" यदि वे उससे इस प्रकार कहें, ... (आदि, जैसा कि § 7 में है)।

9. हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु पवारना करते हैं, और कोई बीमार भिक्षु किसी अन्य बीमार भिक्षु की पवारना में बाधा डालता है, तो वे (बाधा डालने वाले भिक्षु से) कहें: "आप बीमार हैं, महोदय, और भगवान बुद्ध ने कहा है कि बीमार व्यक्ति प्रश्न-उत्तर सहन नहीं कर सकता। मित्र, अपने स्वस्थ होने तक प्रतीक्षा करें; जब वह स्वस्थ हो जाए तो आप चाहें तो उसे फटकार सकते हैं।" यदि वे उससे इस प्रकार कहें, ... (आदि, जैसा कि § 7 में है)।

10. 'हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु पवारना धारण करते हैं, और एक स्वस्थ भिक्षु दूसरे स्वस्थ भिक्षु के पवारना में बाधा डालता है, तो संघ उन दोनों से पूछताछ करे और उनकी जांच करे तथा विधि के अनुसार उनके साथ व्यवहार करे, और फिर पवारना धारण करे।'

<<<< पिछला(4.16) । अगला(4.18) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> चौथा खंडक >> 4.18
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.17) । अगला(5.1) >>>>

महावग्ग

चौथा खंडका (वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाने वाला पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु)

अध्याय-18: आवास और अन्य मुद्दे।

1. उस समय कई भिक्षु, जो आपस में सहपाठी और मित्र थे, कोसल देश के एक जिले में वर्षावास के लिए निकले। एकता और सद्भाव से रहते हुए, और बिना किसी कलह के, इन भिक्षुओं ने रहने के लिए एक सुखदायक स्थान पाया। अब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'एकता आदि से रहते हुए, हमें रहने के लिए एक सुखदायक स्थान मिल गया है। यदि हम अब पवारान धारण करते हैं, तो (अन्य भिक्षु) अपना पवारान धारण करके यात्रा पर आ सकते हैं (और इस स्थान पर कब्जा कर सकते हैं); इस प्रकार हम इस सुखदायक निवास स्थान को खो देंगे। अब हम क्या करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. 'हे भिक्षुओं, यदि अनेक भिक्षु, जो एक दूसरे के साथी और मित्र हैं, किसी जिले में वर्षावास में प्रवेश कर चुके हों, तो ये भिक्षु, ... (आदि, धारा 1)

'यदि ये भिक्षु सोचते हैं: "एकता में रहते हुए, ... (आदि, § 1, नीचे तक:) इस प्रकार हम इस आरामदायक निवास स्थान को खो देंगे," तो हे भिक्षुओं, मैं इन भिक्षुओं को पवारनसम्गहा पर सहमत होने की अनुमति देता हूँ।

3. हे भिक्षुओं, आप सभी को इस प्रकार सहमत होना चाहिए: सभी एकत्रित हों। जब वे एकत्रित हो जाएँ, तो एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनें।"

एकता में रहते हुए, ... (आदि, अनुच्छेद 1, नीचे तक:) इस प्रकार हम इस आरामदायक निवास स्थान को खो देंगे। यदि संघ तैयार है, तो संघ पवारनासंगह पर सहमत हो; अब उपोसथ का आयोजन करे और पतिमोक्खा का पाठ करे, और संघ अगले कोमुदी कटुमासिनी दिवस पर पवारना का आयोजन करे। यही नत्ती (गति) है।"

4. "संघ, इत्यादि।"

5. हे भिक्षुओं, यदि अन्य भिक्षुओं के पवारनासंग्रह पर सहमत होने के बाद कोई भिक्षु कहे, "मित्रों, मैं देश-यात्रा पर जाना चाहता/चाहती हूँ; मुझे देश में कुछ काम है," तो वे उसे उत्तर दें, "अच्छा मित्र, पवारना धारण करो; और जाओ।" हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु पवारना धारण करते समय किसी अन्य भिक्षु के पवारना में बाधा उत्पन्न करे, तो वह (दूसरा भिक्षु) उससे कहे, "मित्र, तुम मेरे पवारना के स्वामी नहीं हो; मैं अभी पवारना धारण नहीं करूँगा/करूँगी।"

'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पवारना धारण करता है और दूसरा भिक्षु पवारना में बाधा डालता है, तो संघ उन दोनों से पूछताछ करे और उनकी जांच करे तथा उनके साथ विधि के अनुसार व्यवहार करे।'

6. हे भिक्षुओं, यदि वह भिक्षु देश में अपना कार्य समाप्त करके कोमुदी कटुमासिनी दिवस से पहले उस जिले में लौट आता है, और हे भिक्षुओं, जब भिक्षुओं का पवारना होता है, तो कोई भिक्षु (जो अनुपस्थित रहा हो) के पवारना में हस्तक्षेप करता है, तो वह हस्तक्षेप करने वाले भिक्षु से कहे: "हे मित्र, तुम मेरे पवारना के स्वामी नहीं हो; मैंने अपना पवारना संपन्न कर लिया है।"

'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षुओं के पवारना करते समय कोई भिक्षु किसी अन्य भिक्षु के पवारना में बाधा डालता है, तो संघ उन दोनों से पूछताछ करे और उनकी जांच करे तथा विधि के अनुसार उनके साथ व्यवहार करे, और फिर पवारना करे।'

पवरण-खंडका का अंत।

<<<< पिछला(4.17) | अगला(5.1) >>>>

पांचवां खंडाका (पैर, वस्त्र, सीटें, वाहन आदि)
(पैरों के वस्त्र, सीटों, वाहनों आदि के लिए नियम)

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.18) | अगला(5.2) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-1: एक धनी व्यक्ति के पुत्र सोना कोलिविसा को अर्हत पद प्राप्त होता है; बुद्ध जूते पहनने की अनुमति देते हैं।

1. उस समय महान बुद्ध गिद्ध शिखर पर स्थित राजगृह में निवास करते थे।

उस समय मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार का अस्सी हजार नगरों पर शासन और प्रभुत्व था। उस समय चंपा में सोना कोलिविसा नाम का एक धनी व्यापारी का पुत्र रहता था, जो अत्यंत सुगठित था और जिसके पैरों के तलवों पर बाल उग आए थे।

अब जब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार उन नगरों के अस्सी हजार निरीक्षकों की सभा बुला रहे थे, तो उन्होंने किसी व्यावसायिक मामले पर सोना कोलिविसा को संदेश भेजा और कहा, 'सोना यहाँ आएँ। मैं सोना की उपस्थिति चाहता हूँ!'

2. तब सोना कोलिविसा के माता-पिता ने उससे कहा, "हे सोना, राजा तुम्हारे चरण देखना चाहते हैं। परन्तु हे सोना, राजा की ओर अपने चरण मत फैलाओ। राजा के सामने पालथी मारकर बैठो, ताकि राजा तुम्हारे चरण देख सकें।" और वे सोना कोलिविसा को पालकी में बिठाकर राजगृह ले गए।

सोना कोलिविसा मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को प्रणाम किया और उनके सामने पालथी मारकर बैठ गए। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने देखा कि सोना कोलिविसा के पैरों के तलवों पर बाल उग आए थे।

3. अब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने उन नगरों के अस्सी हजार निरीक्षकों को संसारिक विषयों का उपदेश देने के बाद उनसे कहा, 'तुमने मुझसे संसारिक विषयों का उपदेश प्राप्त कर लिया है। अब जाओ और भगवान बुद्ध की सेवा करो। स्वयं भगवान बुद्ध तुम्हें शाश्वत विषयों का उपदेश देंगे।'

फिर उन कस्बों के अस्सी हजार निरीक्षक गिद्ध शिखर की ओर चल पड़े।

4. उस समय पूज्य सगत भगवान बुद्ध के सेवक थे। उन नगरों के अस्सी हजार निरीक्षक उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य सगत थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य सगत से इस प्रकार कहा:

नगरों के अस्सी हजार निरीक्षक भगवान बुद्ध के दर्शन करने यहाँ आए हैं, महोदय। यह सौभाग्य की बात होगी, महोदय, कि हमें भी भगवान बुद्ध के दर्शन का अवसर प्राप्त हो।

तो फिर, महोदय, आप यहाँ थोड़ी देर रुकिए, जब तक मैं भगवान बुद्ध को सूचित कर देता हूँ।'

5. तब पूज्य सगत उन कस्बों के अस्सी हजार निरीक्षकों की आँखों के सामने से सीढ़ियों से नीचे उतर गए और भगवान बुद्ध के सामने प्रकट हुए, और भगवान बुद्ध से बोले:

'हे प्रभु, नगरों के अस्सी हजार निरीक्षक भगवान बुद्ध से मिलने यहाँ आए हैं। भगवान बुद्ध जो उचित समझें, वही करें।'

तो फिर, हे सागाता, घर की छाया में एक आसन तैयार कर दो।'

6. 'जी प्रभु, ऐसा ही हो!' पूज्य सगत ने भगवान बुद्ध की सहमति में कहा। और एक कुर्सी लेकर वे भगवान बुद्ध के सामने से विलीन हो गए और उन कस्बों के अस्सी हजार निरीक्षकों की आँखों के सामने सीढ़ियों से ऊपर प्रकट हुए और घर की छाया में बैठने की व्यवस्था की।

और भगवान बुद्ध घर से बाहर आए और उस छायादार स्थान पर बने आसन पर बैठ गए।

7. तब नगरों के वे अस्सी हजार निरीक्षक उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के समक्ष प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। परन्तु नगरों के उन अस्सी हजार निरीक्षकों ने भगवान बुद्ध की अपेक्षा पूज्य सगत को अधिक आदर दिया।

और भगवान बुद्ध ने अपने मन से उन अस्सी हजार नगरों के निरीक्षकों के मन के विचारों को जान लिया; और उन्होंने पूज्य सगत को संबोधित करते हुए कहा: 'सगत, अब उन्हें एक और भी बड़ा चमत्कार दिखाओ, जो मनुष्यों की क्षमता से परे हो।'

'जी प्रभु!' पूज्य सगत ने भगवान बुद्ध की सहमति में कहा। फिर वे आकाश में उठे, चले, खड़े हुए, बैठे और लेट गए, और धुआँ और आग निकालते हुए आकाश में विलीन हो गए।

8. तब पूज्य सगत ने खुले आकाश में मनुष्यों की सामर्थ्य से परे अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा:

हे प्रभु, मेरे गुरु भगवान बुद्ध हैं; और मैं उनका शिष्य हूँ। हे प्रभु, मेरे गुरु भगवान बुद्ध हैं; और मैं उनका शिष्य हूँ।

तब उन अस्सी हजार नगरों के निरीक्षकों ने यह सोचकर, 'यह कितना अद्‌भुत है, कितना चमत्कारी है! यदि शिष्य भी इतना शक्तिशाली और बलवान हो सकता है, तो गुरु कितना अधिक शक्तिशाली होगा!' अपने हृदय में आदरणीय सगत की अपेक्षा भगवान बुद्ध के प्रति अधिक आदर व्यक्त किया।

9. तब भगवान बुद्ध ने अपने मन से उन अस्सी हजार नगर निरीक्षकों के मन के विचार जान लिए और उन्हें विधिवत प्रवचन दिया; अर्थात् उन्होंने उन्हें दान, धर्म, स्वर्ग, वासनाओं के खतरे, निरर्थकता, दुराचार और त्याग के लाभों के विषय में बताया। और जब भगवान बुद्ध ने देखा कि वे विनम्र, कोमल, निष्पक्ष, उन्नत और विश्वासशील हो गए हैं, तब उन्होंने बुद्धों के विशिष्ट उपदेशों की घोषणा की; (अर्थात) दुख, उसका कारण, उसका निवारण और उसका मार्ग।

जैसे एक साफ कपड़ा, जिससे सारे दाग धुल गए हों, आसानी से रंग सोख लेता है, ठीक उसी तरह उन अस्सी हजार नगरों के निरीक्षकों ने भी, वहीं बैठे-बैठे ही, सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त कर ली थी। जिस भी चीज का आरंभ होता है, उसमें अंत/विनाश की अनिवार्यता भी अंतर्निहित होती है।

10. सत्य को देखकर, सत्य में महारत हासिल करके, सत्य को समझकर, सत्य में मर्मस्पर्शी होकर, अनिश्चितता पर विजय प्राप्त करके, सभी शंकाओं को दूर करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, गुरु के उपदेश के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न रहकर, उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु! हे प्रभु! जैसे कोई उलटी हुई चीज़ को सीधा खड़ा कर दे, या छिपी हुई चीज़ को प्रकट कर दे, या भटके हुए व्यक्ति को रास्ता दिखा दे, या अंधेरे में दीपक जला दे ताकि देखने वाले दृश्य देख सकें, वैसे ही भगवान बुद्ध ने अनेक तरीकों से उपदेश दिया है। हे प्रभु, हम भगवान बुद्ध, धम्म और भिक्षु समुदाय की शरण लेते हैं; भगवान बुद्ध हमें आज से अपने जीवन भर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, जिन्होंने उनकी शरण ली है।'

11. और सोना कोलिविसा ने सोचा: भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धम्म के अनुसार, गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए पूर्णतः परिपूर्ण, पवित्र और संपूर्ण पवित्र जीवन व्यतीत करना आसान नहीं है। यदि मैं अपने बाल और दाढ़ी काट लूँ, पीले वस्त्र धारण कर लूँ, संसार का त्याग कर दूँ और गृहस्थी त्याग दूँ (अर्थात भिक्षु जीवन व्यतीत करूँ) तो क्या होगा?

और नगरों के वे अस्सी हजार निरीक्षक, भगवान बुद्ध के वचनों पर अपनी प्रसन्नता और आनंद व्यक्त करते हुए, अपने स्थानों से उठे, आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर मुख करके उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए चले गए।

12. अस्सी हज़ार नगरों के निरीक्षकों के चले जाने के तुरंत बाद, सोना कोलिविसा भगवान बुद्ध के स्थान पर गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के समक्ष प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए सोना कोलिविसा ने भगवान बुद्ध से कहा, 'जैसा कि मैं भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित धम्म को समझता हूँ (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 11 में आगे बताया गया है), और गृहस्थ जीवन (अर्थात भिक्षुत्व) ग्रहण करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने बाल और दाढ़ी मुंडवाकर, पीले वस्त्र धारण करके, संसार का त्याग करके गृहस्थ जीवन ग्रहण करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसा करने का आदेश दें।'

इस प्रकार सोना कोलिविसा को भगवान बुद्ध से पब्बज्जा और उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त हुई। और आदरणीय सोना, अपनी उपसम्पदा के तुरंत बाद, सीतावन उपवन में रहने लगे।

13. जब वह उत्सुकतापूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ वहाँ इधर-उधर चल रहा था, तो उसके पैर घायल हो गए और वह स्थान जहाँ वह चला, रक्त से लथपथ हो गया, मानो बैलों का वधशाला हो। तब ध्यान में लीन हुए पूज्य सोना के मन में यह विचार आया:

यद्यपि मैं भगवान बुद्ध के उन शिष्यों में से एक हो गया हूँ जो कठोर संकल्प के अभ्यास में जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी मेरी तृष्णा के अभाव के कारण मेरा मन आसवों से मुक्त नहीं हो पाया है। और मेरे घर में बहुत धन संचित है। उस धन का आनंद लेना और अच्छे कर्म करना दोनों ही संभव है। अतः अब मैं निम्नतम अवस्था में लौटकर अपने धन का आनंद लूँ और अच्छे कर्म करूँ।

14. अब भगवान बुद्ध के मन में पूज्य सोना का आभास हुआ; और जैसे बलवान पुरुष शीघ्रता से अपना हाथ फैला सकता है या फैलाकर वापस खींच सकता है, वैसे ही वे गिद्ध शिखर की पहाड़ी से लुप्त हो गए और सीतावन वन में प्रकट हुए। और भगवान बुद्ध भिक्षुओं के विश्राम स्थलों से गुजरते हुए, अनेक भिक्षुओं के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पूज्य सोना आवारा घूमे थे।

जब भगवान बुद्ध ने देखा कि जिस स्थान पर पूज्य सोना आए-गए थे, वह रक्त से लथपथ है, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, यह किसका आने-जाने का स्थान है, जो बैलों के वधशाला की तरह रक्त से सना हुआ है?'

'हे भगवान, जब आदरणीय सोना यहाँ उत्सुकतापूर्वक इधर-उधर चल रहे थे, तो उनके पैर घायल हो गए; और इसलिए यह स्थान रक्त से लथपथ हो गया है, जैसे बैलों का वधशाला हो।'

15. फिर भगवान बुद्ध पूज्य सोना के घर गए और उनके लिए तैयार की गई आसन पर बैठ गए। पूज्य सोना ने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। जब वे बैठ गए, तो भगवान बुद्ध ने पूज्य सोना को संबोधित करते हुए कहा, 'क्या यह सच नहीं है, सोना, कि जब आप एकांत में ध्यान में लीन थे, तो आपके मन में यह विचार आया: "यद्यपि मैं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 13 में अंत तक है) बन गया हूँ?"'

'फिर भी, प्रभु!'

'अब तुम क्या सोचती हो, सोना,—जब तुम पहले संसार में रहती थी, तब तुम वीणा वादन में निपुण थी, है ना?'

'यह बिल्कुल सच था, प्रभु!'

'अब तुम क्या सोचती हो, सोना, जब तुम्हारे वीणा के तार बहुत ज्यादा खिंचे हुए थे, तब क्या तुम्हारी वीणा से कोई ध्वनि निकल रही थी, क्या वह बजाने योग्य स्थिति में थी?'

'ऐसा नहीं है, प्रभु!'

16. 'अब तुम क्या सोचती हो, सोना, जब तुम्हारे वीणा के तार ढीले थे, तब क्या तुम्हारी वीणा से कोई ध्वनि निकलती थी, क्या वह बजाने योग्य थी?' 'नहीं, प्रभु!'

अब तुम क्या सोचती हो, सोना,—जब तुम्हारे वीणा के तार न तो बहुत खिंचे हुए थे और न ही बहुत ढीले, बल्कि समान अनुपात में स्थिर थे, तब क्या तुम्हारी वीणा बजती थी? क्या तब वह बजाने योग्य अवस्था में थी?

हाँ प्रभु!'

'और ठीक इसी तरह, सोना, अत्यधिक दृढ़ संकल्प आत्म-धार्मिकता को जन्म देता है, और बहुत कमजोर दृढ़ संकल्प आलस्य की ओर ले जाता है।'

17. हे सोना, तुम अपने संकल्प में एकरूपता बनाए रखो, अपनी मानसिक शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करो। यही तुम्हारा चिंतन का विषय होना चाहिए!

फिर भी, प्रभु!' आदरणीय सोना ने कहा और भगवान बुद्ध के वचन को ध्यान से सुना।

और जब भगवान बुद्ध ने पूज्य सोना को यह उपदेश दिया, तो एक बलवान व्यक्ति जितनी शीघ्रता से अपना हाथ फैला सकता है या फैलाकर वापस खींच सकता है, उतनी ही शीघ्रता से वे सीतावन उपवन में पूज्य सोना के समक्ष से लुप्त हो गए और गिद्ध शिखर की पहाड़ी पर पुनः प्रकट हुए।

18. तब से पूज्य सोना दृढ़ संकल्प में स्थिर रहे, उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों में सामंजस्य स्थापित किया और उसी को अपने चिंतन का विषय बनाया। पूज्य सोना एकांत में रहकर, गंभीर, उत्साही और दृढ़ निश्चयी होकर, शीघ्र ही उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए श्रेष्ठ युवक गृहस्थी लाभ और सुख-सुविधाओं को त्यागकर बेघर होकर विचरण करते हैं—जी हाँ, उन्होंने स्वयं ही, इस दृश्य संसार में रहते हुए, उस सर्वोच्च लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त किया, उसे निरंतर अनुभव किया और प्रत्यक्ष रूप से देखा! और उन्हें यह अहसास हुआ कि पुनर्जन्म का अंत हो गया है, कि उच्च जीवन पूर्ण हो गया है, कि जो कुछ करना था वह पूरा हो चुका है, और इस जीवन के बाद कोई परलोक नहीं है!

इस प्रकार आदरणीय सोना भी अरहतों में से एक बन गए।

19. अब जब पूज्य सोना ने अरहतत्व प्राप्त कर लिया, तो उनके मन में यह विचार आया: 'अब मैं भगवान बुद्ध की उपस्थिति में अपनी अंतर्दृष्टि प्रकट करूं!'

तब पूज्य सोना भगवान बुद्ध के पास गए और उनके सामने प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। इस प्रकार बैठने के बाद पूज्य सोना ने भगवान बुद्ध से कहा:

20. हे प्रभु, जो भी भिक्षु अरहत है, जिसके आसव जड़ से उखड़ गए हैं, जिसने जीवन जीया है, जिसने कार्य पूर्ण किया है, जिसने हर बोझ को त्याग दिया है, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिसने (भविष्य के) अस्तित्व की लालसा के बंधन को पूरी तरह तोड़ दिया है, जो अंतर्दृष्टि से पूर्णतः मुक्त हो गया है, वह छह चीजों तक पहुँचता है - त्याग, एकांत प्रेम, दया, लालसा का नाश, प्यास का नाश, और भ्रमों से मुक्ति।

21. हे प्रभु, हो सकता है कि इस विषय में किसी भिक्षु के मन में यह विचार आए: "इस भिक्षु ने केवल आस्था के कारण ही वैराग्य प्राप्त किया है।" परन्तु हे प्रभु, इस विषय को इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जिस भिक्षु में आसव जड़ से उखड़ जाते हैं, जिसने जीवन व्यतीत किया है, जिसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, वह अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि उसे अभी कुछ करना बाकी है या अपने पिछले परिश्रम का फल इकट्ठा करना बाकी है; बल्कि वह कामवासना के नाश से, कामवासना के अभाव से ही वैराग्य प्राप्त करता है; वह द्वेष के नाश से, द्वेष के अभाव से ही वैराग्य प्राप्त करता है; वह भ्रमों के नाश से, भ्रमों के अभाव से ही वैराग्य प्राप्त करता है।

22. हे प्रभु, हो सकता है कि इस विषय में किसी भाई के मन में यह विचार आए: "लाभ, आतिथ्य सत्कार और प्रसिद्धि की खोज में इस भाई ने एकांतवास का प्रेम प्राप्त कर लिया।" परन्तु इस प्रकार नहीं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 21 में अंत तक है, "त्याग" के स्थान पर "एकांतवास" शब्द का प्रयोग किया गया है)।

23. हे प्रभु, हो सकता है कि इस विषय में किसी भाई के मन में यह विचार आए: "वास्तव में कर्मों पर निर्भरता की ओर लौटकर, मानो वही (आध्यात्मिक कल्याण का) सच्चा सार हो, इस भाई ने दयालु हृदय प्राप्त कर लिया है।" परन्तु इस प्रकार नहीं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 21 में अंत तक है, "त्याग" के स्थान पर "दयालुता" शब्द का प्रयोग किया गया है)।

24. वह कामवासना के नाश द्वारा लालसा का नाश प्राप्त करता है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 21 में अंत तक वर्णित है, "त्याग" के स्थान पर "लालसा का अभाव" शब्द का प्रयोग करते हुए)। वह प्यास का अभाव प्राप्त करता है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है)। वह भ्रम का अभाव प्राप्त करता है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 21 में अंत तक वर्णित है)।

25. हे प्रभु, जब कोई भिक्षु इस प्रकार हृदय से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तो चाहे कितनी ही वस्तुएँ उसकी दृष्टि के मार्ग में प्रवेश कर जाएँ, वे उसके मन पर अधिकार नहीं जमातीं: उसका मन निर्मल, दृढ़ और अविचल होता है; और वह उस प्रभाव के लुप्त होने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है—चाहे कितनी ही वस्तुएँ जो कानों को सुनाई दें, नाक से सूंघी जा सकें, जीभ से चखी जा सकें, शरीर द्वारा स्पर्श की जा सकें, बुद्धि को बोध हो सकें, वे उसके मन, नाक, जीभ, त्वचा और बुद्धि के मार्ग में प्रवेश कर जाएँ, फिर भी वे उसके मन पर अधिकार नहीं जमातीं: उसका मन निर्मल, दृढ़ और अविचल होता है, और वह उस प्रभाव के लुप्त होने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

26. हे प्रभु, मान लीजिए कि एक अविभाजित, ठोस, एक ही पिंड का पर्वत है, और उस पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा से बहुत हवा और बारिश हो, फिर भी वह हिले नहीं, कांपे नहीं, कांपे नहीं; ठीक उसी प्रकार, हे प्रभु, जब कोई भिक्षु हृदय से पूर्णतः मुक्त हो जाता है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 25 में अंत तक है)।

27. 'जिसने वैराग्य, एकांतवास, दयालुता और लालसा के उन्मूलन को प्राप्त कर लिया है,

'जिसने प्यास को जड़ से उखाड़ फेंका हो, मन से भ्रमों को दूर कर लिया हो, वह संवेदनाओं के स्रोत को देख लेता है, उसका मन पूर्णतः मुक्त हो जाता है।'

'ऐसे भिक्षु के लिए, जो इतने मुक्त हैं और जिनके हृदय में शांति है, किए गए कार्यों का कोई संचय नहीं होता, कुछ भी करना शेष नहीं रहता।'

जैसे एक ठोस चट्टान हवा के झोंकों से नहीं हिलती, ठीक उसी तरह आकार, स्वाद, ध्वनि, गंध और स्पर्श—ये सभी चीजें कभी नहीं हिल सकतीं।

चाही हुई बातें, अनचाही बातें—ये सब उसे व्याकुल कर देती हैं। उसका मन दृढ़ है, मुक्त है। वह अंत तक देख सकता है।

28. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, 'भाइयों, योग्य युवक इसी प्रकार अपनी अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्य का उच्चारण किया जाता है, और अहंकार का प्रयोग नहीं किया जाता। परन्तु यहाँ कुछ मूर्ख, मुझे लगता है, अपनी अंतर्दृष्टि को हास्यास्पद बना देते हैं, और परिणामस्वरूप वे पराजित हो जाते हैं!'

29. तब भगवान बुद्ध ने पूज्य सोना से कहा, 'सोना, तुम्हारा पालन-पोषण बड़ी कोमलता से हुआ है। सोना, मैं तुम्हें एक अस्तर वाले जूते पहनने की अनुमति देता हूँ।'

हे प्रभु, मैंने संसार छोड़कर, अस्सी बैलगाड़ियों का सोना और सात हाथियों का दल त्यागकर, निर्जन जीवन (अर्थात भिक्षु जीवन) ग्रहण कर लिया है। इस कारण मेरे विरुद्ध यह कहा जाएगा: "सोना कोलीविसा ने अस्सी बैलगाड़ियों का सोना और सात हाथियों का दल त्यागकर संसार छोड़कर निर्जन जीवन ग्रहण किया; परन्तु वही व्यक्ति अब अस्तर वाले जूते पहनने का अभ्यस्त हो गया है।"

30. यदि भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को इनका उपयोग करने की अनुमति देंगे, तो मैं भी इनका उपयोग करूंगा। यदि भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को इनका उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे, तो मैं भी इनका उपयोग नहीं करूंगा।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देते हुए भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक अस्तर वाले जूते पहनने की अनुमति देता हूँ। हे भिक्षुओं, दोहरे अस्तर वाले जूते, तिहरे अस्तर वाले जूते, या अनेक अस्तर वाले जूते न पहनें। जो कोई भी ऐसे जूते पहनेगा, वह दुक्कटा अपराध का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(4.18) | अगला(5.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.2

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.1) | अगला(5.3) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-2: बुद्ध ने तपस्या के लिए फैंसी जूते पहनने की मनाही की।

1. उस समय छब्बागीय भिक्षु नीले, पीले, लाल, भूरे, काले, नारंगी या पीले रंग की चप्पलें पहनते थे। लोग नाराज़ होकर आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'ये तो संसार के सुखों में लिप्त लोगों की तरह व्यवहार करते हैं।' भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, नीले, पीले, लाल, भूरे, काले, नारंगी या पीले रंग के जूते न पहनें। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षु नीले, पीले, लाल, भूरे, काले, नारंगी या पीले रंग के किनारों वाले जूते पहनने के आदी थे।

लोग नाराज़ हो गए, आपस में कानाफूसी करने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'ये तो संसार के सुखों में लिप्त लोगों की तरह व्यवहार करते हैं।' भाइयों ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, नीले, पीले, लाल, भूरे, काले, नारंगी या पीले रंग के किनारों वाले जूते न पहनें। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा।'

3. उस समय छब्बागिया भिक्षु एड़ी ढकने वाले जूते; मोकासिन; फीते वाले जूते; सूती अस्तर वाले जूते; तोरी के पंखों जैसे विभिन्न रंगों के जूते; मेढ़ों और बकरियों के सींगों से नुकीले जूते; बिच्छुओं की पूंछों से सजे जूते; मोर के पंखों से सिले हुए जूते; या सभी प्रकार के रंगों के जूते पहनने के आदी थे।

लोग नाराज़ थे (आदि, जैसा कि § 2 में है, नीचे तक:) ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, एड़ी ढकने वाले जूते (और इसी प्रकार, जैसा कि अनुच्छेद 3 में वर्णित है) और सभी रंगों के जूते न पहनें। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा।'

4. उस समय छब्बागिया भिक्षु शेर की खाल, बाघ की खाल, तेंदुआ की खाल, हिरण की खाल, ऊदबिलाव की खाल, बिल्ली की खाल, गिलहरी की खाल और उल्लू की खाल से सजे जूते पहनने की आदत रखते थे।

लोग नाराज़ थे (और इसी तरह, जैसा कि धारा 3 में अंत तक है, 'एड़ी के आवरण वाले जूते, आदि' के स्थान पर 'शेर की खाल से सजे जूते, आदि' प्रतिस्थापित किए गए हैं)।

<<<< पिछला(5.1) | अगला(5.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.2) | अगला(5.4) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-3: बुद्ध अस्तर वाले पुराने जूते पहनने की अनुमति देते हैं।

1. अब भगवान बुद्ध सुबह जल्दी तैयार होकर, भिक्षापात्र और वस्त्र लेकर, एक भिक्षु को अपने साथी के रूप में साथ लेकर राजगृह गए। वह भिक्षु लंगड़ाते हुए धीरे-धीरे भगवान बुद्ध के पीछे-पीछे चल रहा था।

अब एक गृहस्थ शिष्य, जिसने कई अस्तर वाले जूते पहने हुए थे, ने दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा। उन्हें देखकर उसने अपने जूते उतार दिए और भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया; फिर उस भिक्षु के पास जाकर उसे प्रणाम किया और कहा:

2. 'महामहिम लंगड़ाकर क्यों चलते हैं?'

मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, दोस्त।

'लेकिन महोदय, ये रहे जूते।'

'बस करो, मेरे दोस्त! भगवान बुद्ध ने अस्तर वाले जूते पहनने से मना किया है।'

'हे भिक्षु, जूते ले लो!'

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दूसरों द्वारा त्यागे गए अस्तर वाले जूते पहनने की अनुमति देता हूँ। परन्तु अस्तर वाले नए जूते नहीं पहनने चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कटा अपराध का दोषी होगा।

<<<< पिछला(5.2) | अगला(5.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.3) | अगला(5.5) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-4: जब वरिष्ठ नागरिक जूते न पहनें तो जूते न पहनें।

1. उस समय भगवान बुद्ध खुले में बिना जूते पहने इधर-उधर टहल रहे थे। यह देखकर कि 'गुरुजी बिना जूते पहने टहल रहे हैं,' वरिष्ठ भिक्षु (थेरा भिक्षु) भी बिना जूते पहने टहलने लगे। परन्तु गुरुजी और थेरा भिक्षुओं के बिना जूते पहने टहल रहे थे, जबकि छब्बाग्य भिक्षु पैरों में वस्त्र पहने टहल रहे थे।

संयमी भिक्षु नाराज हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'जब गुरु और थेरा भिक्षु बिना जूते के चलते हैं, तो ये छब्बागिया भिक्षु जूते पहनकर कैसे चल सकते हैं?'

2. तब उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, हे भिक्षुओं, कि छब्बाग्य भिक्षु जूते पहनकर चलते हैं, जबकि गुरु और वरिष्ठ भिक्षु नंगे चलते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा,

हे भिक्षुओं, ये मूर्ख व्यक्ति जूते पहनकर कैसे चल सकते हैं, जबकि (जैसा कि अनुच्छेद 1 और 2 में है) ऐसा नहीं है। हे भिक्षुओं, यहाँ तक कि वे गृहस्थ भी, जो किसी शिल्प के लिए सफेद वस्त्र धारण करते हैं जिससे उनकी जीविका चलती है, अपने गुरुओं के प्रति आदरपूर्ण, स्नेहपूर्ण और आतिथ्य सत्कारशील होते हैं। अतः हे भिक्षुओं, आप भी अपने प्रकाश को इस प्रकार चमकाएँ कि संसार को त्यागकर इतने सुशिक्षित सिद्धांत और अनुशासन में प्रवेश करने के बावजूद आप अपने गुरुओं (आचार्यों) और गुरुओं के प्रति आदरपूर्ण, स्नेहपूर्ण और आतिथ्य सत्कारशील हों। हे भिक्षुओं, इससे न तो अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या में वृद्धि होगी; बल्कि इससे अपरिवर्तित लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे और बहुत से परिवर्तित लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। उन्हें इस प्रकार फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

हे भिक्षुओं, तुममें से कोई भी अपने गुरुओं या गुरुओं के पद पर आसीन व्यक्तियों, या अपने वरिष्ठों या वरिष्ठों के पद पर आसीन व्यक्तियों के बिना जूते पहने न चले। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति दुक्कता का दोषी होगा।

'और हे भिक्षुओं, तुममें से कोई भी खुले विश्राम (मठ) में जूते न पहने। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.3) | अगला(5.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.4) । अगला(5.6) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-5: बीमार पैरों वाले लोगों के लिए पैरों को ढकने की अनुमति।

1. उस समय एक भिक्षु के पैरों में दाने निकल आए थे। जब वह शौच करने जाता था, तो उसे उठाकर बाहर ले जाया जाता था। भगवान बुद्ध भिक्षुओं के विश्राम स्थलों से गुजरते हुए उन्हें ऐसा करते हुए देखा और उनके पास जाकर बोले:

2. 'हे भिक्षुओं, यह भिक्षु किस रोग से पीड़ित है?'

हे प्रभु, इस आदरणीय भाई के पैरों में दाने निकल आए हैं, और हम उन्हें शौच कराने के लिए बाहर ले जा रहे हैं।'

तब उस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं पैरों को ढकने की अनुमति देता हूँ।'

जिसके पैरों में दर्द हो, छाले पड़ गए हों, या पैरों पर दाने निकल आए हों, उससे।

<<<< पिछला(5.4) । अगला(5.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.5) । अगला(5.7) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-6: कुर्सियों पर बैठने के लिए पैरों को ढकना अनुमत है; लकड़ी के जूते पहनना मना है।

1. उस समय भिक्षु बिना धुले पैरों से पलंगों या कुर्सियों पर चढ़ जाते थे; और वस्त्र और आसन गंदे हो जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जब आप में से कोई सोफे या कुर्सी पर चढ़ना चाहे तो मैं पैरों को ढकने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय जब भिक्षु अंधेरे में उपोसथ हॉल या सभा में जा रहे थे, तो वे खंभों या कांटों पर पैर रख देते थे, और उनके पैर घायल हो जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं खुले आराम (मठ) में पैरों को ढकने की अनुमति देता हूँ, और साथ ही मशाल या दीपक और छड़ी का उपयोग करने की भी अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय छब्बागीय भिक्षु रात में भोर होते समय उठ जाते थे; और लकड़ी के जूते पहनकर खुले में इधर-उधर घूमते हुए ऊँची, ऊँची और कर्कश आवाज़ में तरह-तरह की सांसारिक बातें करते थे—जैसे राजाओं, लुटेरों, राज्य मंत्रियों की कहानियाँ; सेनाओं, आतंक, युद्ध की कहानियाँ; मांस, पेय, वस्त्र, पलंग, मालाएँ, इत्र, रिश्ते, साज-सामान, गाँव, कस्बे, शहर, प्रांत, स्त्रियाँ, योद्धा और गलियों के विषय में बातें; दबे हुए खजानों की कहानियाँ, भूत-प्रेत की कहानियाँ; तरह-तरह की कहानियाँ; संसार पर चर्चाएँ; समुद्री आपदाएँ; जो है और जो नहीं है, उन सब पर बातें। ऐसा करते हुए वे हर तरह के कीड़ों को कुचलते और मार डालते थे, और भिक्षुओं की ध्यान साधना में खलल डालते थे।

4. मध्यम भिक्षु नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'छब्बागीय भिक्षु ऐसा कैसे कर सकते हैं?'

और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है' (&c., comp. chap. 4. 2)?

'यह सच है, प्रभु।'

उन्होंने उन्हें फटकारा और धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: "हे भिक्षुओं, लकड़ी के जूते नहीं पहनने चाहिए। जो कोई भी इन्हें पहनता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी होता है।"

<<<< पिछला(5.5) | अगला(5.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.7

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.6) | अगला(5.8) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-7: ताड़ या बांस के पत्तों से बने जूते न पहनें।

1. जब भगवान बुद्ध राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे बनारस की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। स्थान-स्थान भटकते हुए वे बनारस पहुँचे और वहाँ बनारस में भगवान बुद्ध इसिपताना नामक हिरण उद्यान में ठहरे।

उस समय छब्बाग्य भिक्षु, क्योंकि भगवान बुद्ध ने लकड़ी के जूते पहनने से मना किया था, ताड़ के छोटे-छोटे पेड़ तोड़कर उनके पत्तों से बने जूते पहनते थे। ताड़ के छोटे-छोटे पेड़ मुरझा जाते थे। लोग नाराज़ होकर बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'शाक्यपुत्र भिक्षु ताड़ के छोटे-छोटे पेड़ तोड़कर उनके पत्तों से बने जूते कैसे पहन सकते हैं? ताड़ के छोटे-छोटे पेड़ मुरझा जाते हैं। (ऐसा करके) शाक्यपुत्र भिक्षु वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं।'

2. भिक्षुओं ने उन लोगों को झुंझलाहट और आक्रोश में बड़बड़ाते हुए सुना; और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है' (&c., जैसा कि अध्याय 4.2 में है)?

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, वे मूर्ख लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हे भिक्षुओं, लोग मानते हैं कि जीवन वृक्ष में निवास करता है। ऐसा आचरण विमुख होने की ओर नहीं ले जाएगा।'

हे भिक्षुओं, तालिपत के पत्तों से बने पैरों के आवरण पहनना उचित नहीं है। जो कोई भी इन्हें पहनता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी होता है।

3. उस समय छब्बागिया भिक्षु, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तालिपत जूते पहनने से मना किया था, इसलिए वे छोटे बांस तोड़कर बांस के पत्तों से बने जूते पहनते थे (आदि, जैसा कि पिछले खंड में अंत तक बताया गया है, ताड़ के स्थान पर बांस का प्रयोग किया गया है)।

<<<< पिछला(5.6) | अगला(5.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.8

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.7) | अगला(5.9) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-8: सजावटी जूते न पहनना।

1. जब भगवान बुद्ध बनारस में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे भद्दिया की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। स्थान-स्थान भटकते हुए वे भद्दिया पहुँचे और वहाँ भद्दिया के वन में ठहरे।

उस समय भद्दिया के भिक्षु आभूषण के रूप में विभिन्न प्रकार के पैरों को ढकने वाले वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वे बनाते थे,

या उन्होंने टीना घास, मुंजा घास, बब्बागा घास, खजूर के पत्तों, कमल घास और ऊन से अपने लिए पैरों के आवरण बना लिए थे। और उन्होंने शिक्षा, जिज्ञासा, नैतिकता, आत्म-एकाग्रता और ज्ञान की उपेक्षा की।

2. मध्यम भिक्षु नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए, यह सोचकर कि 'वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?' और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है' (&c., जैसा कि अध्याय 4.2 में है)?

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारा और कहा, 'वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?' इससे अलगाव नहीं होगा (आदि, जैसा कि अध्याय 4.2 में है)।

3. उन्हें इस प्रकार फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, टीना घास से बने जूते, न ही मुंजा घास से बने जूते, न ही बब्बा घास से बने जूते, न ही खजूर के पत्तों से बने जूते, न ही कमल घास से बने जूते, न ही ऊन से बने जूते, और न ही सोने, चांदी, मोती, बेरिल, क्रिस्टल, तांबे, कांच, टिन, सीसा या कांसे से सजे जूते। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा।'

और हे भिक्षुओं, जो चप्पलें ले ली गई हों, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार के जूतों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ, जो जमीन से जुड़े होते हैं और जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, शौचालय के जूते, मूत्रालय के जूते और कुल्ला करने के जूते।'

<<<< पिछला(5.7) | अगला(5.9) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.9

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.8) | अगला(5.10) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-9: पशुओं के प्रति क्रूरता न करना; वाहनों का प्रयोग न करना।

1. जब भगवान बुद्ध भादीय में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे सावत्थी की ओर यात्रा पर निकल पड़े। स्थान-स्थान भटकते हुए वे सावत्थी पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध सावत्थी के जेतवन, अनाथपिंडिका के उपवन में निवास करने लगे।

2. उस समय छब्बाग्य भिक्षु अकिरावती नदी पार कर रही बछियों को उनके सींगों, कानों, गलफड़ों या पूंछों से पकड़ लेते थे, या उनकी पीठ पर उछल पड़ते थे, या कामुक विचारों से उनके गुप्तांगों को छूते थे; और वे बछड़ों को डुबोकर मार डालते थे। लोग नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'शाक्यपुत्र भिक्षु ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तो ऐसा है जैसे मनुष्य अभी भी संसार के सुखों का आनंद ले रहे हों।'

और भिक्षुओं ने उन्हें झुंझलाहट और आक्रोश में बड़बड़ाते हुए सुना; और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है' (आदि, अध्याय 4.2 देखें)?

'यह सच है, प्रभु।'

उन्होंने उन्हें फटकारा, और धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, बछियों को उनके सींगों, कानों, गलफड़ों या पूंछों से नहीं पकड़ना चाहिए। उनकी पीठ पर नहीं चढ़ना चाहिए। जो कोई उनकी पीठ पर चढ़ेगा, वह दुक्कत अपराध का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, उनके गुप्तांगों को कामुक विचारों से नहीं छूना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह तुलकाय (गंभीर) अपराध का दोषी होगा। और बछड़ों को नहीं मारना चाहिए। जो कोई उन्हें मारेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

3. उस समय छब्बागीय भिक्षु ऐसे वाहनों में यात्रा करते थे जिनमें गायों को बीच में बैल के साथ जोता जाता था, या बैलों को बीच में गाय के साथ जोता जाता था। लोग नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'यह तो गंगा और माही के पर्व में किया जाता है।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, वाहनों में यात्रा न करो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कटा अपराध का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.8) | अगला(5.10) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.10

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.9) । अगला(5.11) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-10: सजावटी कुशन/कालीन का उपयोग न करें; जानवरों की खाल का उपयोग न करें; जानवरों को न मारें; बीमार व्यक्ति वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

1. उस समय एक भिक्षु कोसल देश से होते हुए भगवान बुद्ध से मिलने श्रावस्ती जा रहा था, तभी रास्ते में वह बीमार पड़ गया। वह भिक्षु मार्ग से हटकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गया।

जब लोगों ने उन्हें वहां बैठे देखा, तो उन्होंने कहा: 'आपकी श्रद्धा कहां जा रही है?'

'मित्रों, मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने श्रावस्ती जा रहा हूँ।'

2. 'चलिए, महोदय; हम साथ चलते हैं।'

'मैं नहीं कर सकता, दोस्तों। मैं बीमार हूँ।'

'तो फिर, महोदय, गाड़ी में बैठ जाइए।'

'बस करो, मित्रों! भगवान बुद्ध ने वाहनों के उपयोग को मना किया है।' और किसी को नाराज न करने के डर से, उन्होंने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया।

और जब वह भिक्षु सावत्थी आया, तो उसने यह बात भिक्षुओं को बताई, और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, यदि आप बीमार हैं तो मैं आपको रथ का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

अब भिक्षुओं ने सोचा, 'क्या गाड़ियों को गायों से जोता जाए या बैलों से?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें बैलों द्वारा खींची जाने वाली या हाथों से खींची जाने वाली गाड़ी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय एक भिक्षु रथ के तेज झटकों से अत्यंत व्याकुल हो गया।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पालकी या सराय का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।

3. उस समय छब्बागिया भिक्षु विश्राम के लिए ऊँची और बड़ी वस्तुओं का उपयोग करते थे, अर्थात्: बड़े तकिए; दीवान; लंबे ऊन से ढके हुए आवरण; कई रंगों के चादर; ऊनी आवरण, सफेद या मोटे फूलों से सजे हुए; गद्दे; जानवरों की आकृतियों से रंगे हुए सूती आवरण; एक या दोनों तरफ लंबे बालों वाले गलीचे; सोने या रेशम से जड़े हुए कालीन; नाचने वाली लड़कियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े ऊनी कालीन; हाथी के लिए बने आलीशान बिस्तर, घोड़े के गलीचे या गाड़ी के गलीचे; पैंथर या हिरण की खाल; चंदवा से ढके हुए सोफे या दोनों सिरों पर लाल तकिए।

जब विहारों (मठों) में दर्शन करने गए लोगों ने ये सब देखा, तो वे नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए, यह सोचकर कि 'ऐसा लगता है मानो वे अभी भी संसार के सुखों का आनंद ले रहे हों।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

4. हे भिक्षुओं, ऊँची और बड़ी वस्तुएँ जिन पर आराम किया जाता हो, जैसे कि बड़े तकिये (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 3 में वर्णित है, नीचे तक): दोनों सिरों पर गहरे लाल रंग के तकिये, उपयुक्त नहीं हैं।

इनका उपयोग किया जाता है। जो कोई भी इनका उपयोग करता है, वह दुक्कटा अपराध का दोषी है।'

5. उस समय छब्बाग्य भिक्षु, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऊँची और बड़ी वस्तुओं पर लेटने से मना किया था, शेर, बाघ और तेंदुआ जैसी उत्तम खालों का उपयोग करते थे। इन खालों को पलंगों और कुर्सियों के आकार के अनुसार काटा जाता था; और उन्हें पलंगों या कुर्सियों के अंदर या बाहर बिछाया जाता था।

विहारों में दर्शन करने गए लोगों ने जब ये सब देखा तो वे चिढ़ गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए, यह सोचकर कि 'ऐसा लगता है मानो वे अभी भी संसार के सुखों का आनंद ले रहे हों।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

6. 'हे भिक्षुओं, शेर, बाघ और तेंदुआ जैसी उत्तम खालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है।'

7. उस समय छब्बाग्य भिक्षुओं ने, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उत्तम चमड़े के उपयोग पर रोक लगा दी थी, बैलों की खाल का उपयोग करना शुरू कर दिया। इन खालों को पलंगों या कुर्सियों के आकार में काटकर, उनके अंदर या बाहर बिछा दिया जाता था।

एक दुष्ट भिक्षु, एक दुष्ट भिक्षु के परिवार का मित्र था। एक सुबह, वह दुष्ट भिक्षु सजग होकर, वस्त्र धारण करके और पान का पात्र हाथ में लेकर उस दुष्ट शिष्य के घर गया और उसके लिए तैयार की गई चौकी पर बैठ गया। दुष्ट शिष्य उस दुष्ट भिक्षु के पास गया, उसे प्रणाम किया और उसके बगल में बैठ गया।

8. उस समय उस दुष्ट शिष्य के पास एक सुंदर, शांत और रंग-बिरंगा बैल था, जो किसी तेंदुआ के बच्चे जैसा था। वह दुष्ट भिक्षु उस बैल को बड़ी लालसा से निहार रहा था। उस दुष्ट शिष्य ने उस दुष्ट भिक्षु से कहा, 'हे प्रभु, आप उस बैल को इतनी लालसा से क्यों निहार रहे हैं?'

उसने कहा, 'मेरे दोस्त, मुझे उस बैल की खाल चाहिए।'

फिर उस दुष्ट शिष्य ने उस बैल को मारकर उसकी खाल उतारी और उस दुष्ट भिक्षु को दे दी। और वह दुष्ट भिक्षु उस खाल को अपने वस्त्र के नीचे छिपाकर चला गया।

9. अब गाय अपने बछड़े के लिए लालची होकर उस दुष्ट भिक्षु के पीछे-पीछे चलने लगी। भिक्षुओं ने कहा:

'दोस्त, ऐसा कैसे हो रहा है कि यह गाय तुम्हारे पीछे-पीछे इतनी दूर तक आती रहती है?'

'मुझे नहीं पता दोस्तों, यह मेरा पीछा क्यों करता रहता है।'

लेकिन उस दुष्ट भिक्षु का वस्त्र खून से सना हुआ था; और भिक्षुओं ने उससे पूछा,

'तुम्हारे इस वस्त्र पर खून के धब्बे कैसे लग गए?'

फिर उसने उन्हें पूरी बात बताई।

'यह कैसे हो सकता है, महोदय? आप किसी दूसरे को किसी जीवित प्राणी का जीवन छीनने के लिए उकसा रहे हैं!' 'हाँ, बिल्कुल।'

भिक्षुओं में से जो विनम्र थे, वे नाराज हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'यह भिक्षु किसी मनुष्य को किसी सजीव प्राणी का जीवन छीनने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? क्या भगवान बुद्ध ने अनेक प्रवचनों में जीवन लेने की निंदा नहीं की है और उससे परहेज की प्रशंसा नहीं की है?'

और भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने इसी कारण भिक्षुओं की सभा बुलाई और उस दुष्ट भिक्षु से पूछा,

'क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, कि हे भिक्षु, आप किसी दूसरे को किसी जीवित प्राणी को जीवन से वंचित करने के लिए उकसा रहे हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

लेकिन तुम इतनी मूर्खता कैसे कर सकते हो? क्या मैंने कई प्रवचनों में जीवन लेने की निंदा नहीं की है, हे मूर्ख, और उससे परहेज की प्रशंसा नहीं की है? हे मूर्ख, ऐसा आचरण नास्तिकों के धर्म परिवर्तन में सहायक नहीं होगा!

और इस प्रकार उसे फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उसने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

भिक्षुओं! किसी भी जीवित प्राणी को मृत्युदंड न दें। ऐसा करने वाले को विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। हे भिक्षुओं, बैल की खाल पहनना मना है। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध का दोषी है। और हे भिक्षुओं, किसी भी प्रकार की खाल का उपयोग करना भी मना है। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध का दोषी है।

<<<< पिछला(5.9) | अगला(5.11) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.10) | अगला (5.12) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-11: वस्तुओं को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग अनुमत है।

उस समय पुरुषों के पास चमड़े से ढके या बंधे हुए पलंग और कुर्सियाँ होती थीं। भिक्षु, किसी को नाराज करने के डर से, उन पर नहीं बैठते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गृहस्थों द्वारा व्यवस्थित आसनों पर बैठने की अनुमति देता हूँ, परन्तु उन पर लेटने की नहीं।'

उस समय विहार चमड़े की पट्टियों से बंधे होते थे। भिक्षु किसी को नाराज करने के डर से उन पर नहीं बैठते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (उन खालों पर) बैठने की अनुमति देता हूँ जिनका उपयोग केवल चीजों को बांधने के लिए किया जाता है।'

<<<< पिछला (5.10) | अगला (5.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.11) । अगला (5.13) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-12: भिक्षुओं को जूते पहनकर गांवों में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बीमार भिक्षुओं को अनुमति है।

उस समय छब्बागिया भिक्षु जूते पहने हुए ही गांवों में जाया करते थे। लोग नाराज़ होते थे, आपस में कानाफूसी करते थे और क्रोधित होकर कहते थे, 'संसार के सुखों का आनंद लेने वाले लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं!'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम जूते पहने हुए गांवों में मत जाओ। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षु बीमार था और बिना जूते पहने गाँव में नहीं जा सकता था। उसने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं एक बीमार भिक्षु को जूते पहने हुए गांव में जाने की अनुमति देता हूं।'

<<<< पिछला (5.11) । अगला (5.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> महावग्ग >> पांचवां खंडक >> 5.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.12) । अगला(6.1) >>>>

महावग्ग

पांचवां खंडक (पैरों, वस्त्रों, सीटों, वाहनों आदि के नियम)

अध्याय-13: सीमावर्ती देशों में अनुमत हैं-चार भिक्षुओं द्वारा दीक्षा, जूते, नियमित स्नान, चमड़े के वस्त्र, भिक्षु को वस्त्रों का दान।

1. उस समय पूज्य महा कच्छायन कुराराघर के पास अवंती में स्थित 'प्रेसीच' नामक पहाड़ी पर ठहरे हुए थे। उस समय सोना कुटिकन्ना नामक उनका शिष्य पूज्य महा कच्छायन का निजी सेवक था।

और शिष्य सोना कुटिकन्ना उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य महा कच्छायन विराजमान थे, और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। और जब वे इस प्रकार बैठे, तो उन्होंने पूज्य महा कच्छायन से कहा:

'जैसा कि मैं पूज्य महा कच्छायन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को समझता हूँ, गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए पूर्णतः उच्च जीवन जीना, उसकी पवित्रता को समझना और उसकी उज्ज्वल पूर्णता को प्राप्त करना कठिन है। इसलिए मैं अपने बाल और दाढ़ी मुंडवाना चाहता हूँ, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहता हूँ और गृहस्थ जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन (अर्थात भिक्षुत्व) में प्रवेश करना चाहता हूँ। पूज्य महा कच्छायन मुझे संसार त्यागने वालों के संघ में स्वीकार करें!'

2. 'हे सोना, क्या यह कठिन है कि तुम जीवन भर केवल एक पलंग पर सोकर और दिन में केवल एक बार भोजन करके उच्च जीवन व्यतीत करो? इसलिए, हे सोना, तुम गृहस्थ अवस्था में रहो और केवल एक पलंग पर सोकर और दिन में केवल एक बार भोजन करके बुद्धों के उपदेशों का पालन करते हुए उच्च जीवन का अभ्यास करो?'

तब शिष्य सोना कुटिकन्ना के मन में उत्पन्न हुई वैराग्य की इच्छा शांत हो गई।

दूसरी बार शिष्य सोना कुटिकन्ना ने [वही अनुरोध किया, और उसे वही उत्तर और वही परिणाम प्राप्त हुआ]।

और तीसरी बार सोना कुटिकन्ना ने वही निवेदन किया। तब पूज्य महा कच्छायन ने शिष्य सोना कुटिकन्ना को दीक्षा प्रदान की।

उस समय दक्षिणी देश और अवंती में भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। तीन वर्ष बीतने के बाद, पूज्य महा कच्छायन ने बड़ी कठिनाई और परेशानी से संघ की एक सभा आयोजित की, जिसमें दस भिक्षु उपस्थित थे। तब उन्होंने पूज्य सोना को संघ के उच्च पद में प्रवेश दिया।

3. अब जब पूज्य सोना ने वर्षा ऋतु व्यतीत कर ली, तब एकांत ध्यान करते समय उनके मन में यह विचार आया:

मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध फलां-फलां हैं। लेकिन मैंने अभी तक उन्हें आमने-सामने नहीं देखा है। यदि मेरे वरिष्ठ अधिकारी अनुमति दें तो मैं भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध के दर्शन करना चाहूंगा।

और संध्याकाल में पूज्य सोना ने अपना एकांत छोड़कर पूज्य महा कच्छायन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। इस प्रकार बैठने के बाद उन्होंने पूज्य महा कच्छायन से कहा:

4. 'हे पूज्यवर, जब मैं एकांत में ध्यान कर रहा था, तब मेरे मन में यह विचार आया, "मैंने (आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है) सुना है।" अब मैं भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध के दर्शन करने जाऊंगा, यदि आप, मेरे वरिष्ठ होने के नाते, इसकी अनुमति दें।'

"यह अच्छा है, यह अच्छा है, सोना! तो जाओ, सोना, भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध के दर्शन करो। तुम देखोगे, सोना, कि भगवान बुद्ध कैसे श्रद्धा जगाते हैं, श्रद्धा के योग्य हैं, उनकी इंद्रियां शांत हैं, उनका मन शांत है, वे सर्वोच्च आत्म-संयम और शांति से परिपूर्ण हैं, मनुष्यों में हाथी के समान हैं, संयमित हैं, सतर्क हैं, और उनकी इंद्रियां उनके वश में हैं। इसलिए, सोम, मेरे नाम से भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करो और कहो, 'हे प्रभु! मेरे श्रेष्ठ, आदरणीय महा कच्छायन, भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं!'" और आगे कहते हैं, "हे प्रभु, दक्षिणी देश और अवंती में भिक्षुओं की संख्या बहुत कम है। तीन वर्ष बीत जाने के बाद बड़ी कठिनाई और परेशानी से संघ की सभा आयोजित की गई, जिसमें दस सदस्य उपस्थित थे, और तब मुझे संघ के उच्च पद में प्रवेश दिया जा सका। अतः भगवान बुद्ध कृपा करें कि दक्षिणी देश और अवंती में कम सदस्यों की सभा से पहले उच्च दीक्षा की अनुमति दें। हे प्रभु, दक्षिणी देश और अवंती में मिट्टी ऊपर से काली, खुरदरी और पशुओं के पैरों से रौंदी हुई है। अतः भगवान बुद्ध कृपा करें कि दक्षिणी देश और अवंती में मोटी अस्तर वाले जूतों के उपयोग की अनुमति दें। हे प्रभु, दक्षिणी देश और अवंती में लोग स्नान को बहुत महत्व देते हैं और जल के उपयोग से शुद्ध होते हैं। हे प्रभु, दक्षिणी देश और अवंती में स्नान के निरंतर उपयोग की अनुमति दें। हे प्रभु, दक्षिणी देश और अवंती में भेड़ की खाल, बकरी की खाल आदि जैसी खालों का उपयोग किया जाता है। हिरण की खाल का इस्तेमाल चादर के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार मध्य देश में एरागु, मोरागु, मगघरू और गंटू घास का उपयोग चादर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार दक्षिणी देश और अवंती में भेड़, बकरी और हिरण की खाल का उपयोग किया जाता है। भगवान बुद्ध कृपा करके वहां भी ऐसी चादरों के उपयोग की अनुमति दें।

7. हे प्रभु, आजकल लोग जिले से बाहर गए भिक्षुओं को यह कहकर वस्त्र भेंट करते हैं, 'हम यह वस्त्र फलां नाम के भिक्षु को भेंट कर रहे हैं।' जब वे लौटते हैं, तो भिक्षु उन्हें बताते हैं, 'आपको फलां नाम के व्यक्ति ने वस्त्र भेंट किए हैं।' परन्तु वे, कहीं उन्हें ठेस न पहुँच जाए, इसलिए वस्त्र स्वीकार नहीं करते और कहते हैं, 'हम निस्साग्य का अपराध न करें।' भगवान बुद्ध कृपया वस्त्रों के विषय में विस्तृत व्याख्या करें।

'हे प्रभु, ऐसा ही हो,' आदरणीय सोना ने आदरणीय महा कच्छायन की बात से सहमति जताते हुए कहा और अपने आसन से उठकर, अपना दाहिना भाग उनकी ओर रखते हुए, वहाँ से चले गए। अपना पलंग उठाकर, वे अपने वस्त्र पहने और हाथ में कुंड लिए सावत्थी की ओर चल पड़े।

8. और स्थान-स्थान भटकते हुए वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, जो कि सावत्थी में जेतवन, अनाथपिंडिका का उद्यान था। वहाँ पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया।

तब भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से कहा: 'हे आनंद, अभी-अभी आए इस भिक्षु के लिए एक विश्राम स्थल तैयार कर दो।' और पूज्य आनंद ने सोचा:

'चूंकि भगवान बुद्ध ने मुझे अभी आए भिक्षु के लिए विश्राम स्थल तैयार करने का आदेश दिया है, इसलिए स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध उस भिक्षु के साथ एक ही विहार में रहना चाहते हैं, वे पूज्य सोना के साथ एक ही विहार में रहना चाहते हैं।' और उन्होंने भगवान बुद्ध के निवास स्थान पर पूज्य सोना के लिए विश्राम स्थल तैयार कर दिया।

9. फिर भगवान बुद्ध ने रात का अधिकांश समय खुले में बिताने के बाद विहार में प्रवेश किया। और पूज्य सोना ने भी रात का अधिकांश समय खुले में बिताने के बाद विहार में प्रवेश किया। भगवान बुद्ध सुबह तड़के, भोर के समय उठे और पूज्य सोना से निवेदन करते हुए कहा,

'धर्म आपको इस प्रकार स्पष्ट हो जाए कि आप बोल सकें।'

फिर भी, हे प्रभु!' पूज्य सोना ने भगवान बुद्ध की बात से सहमति जताते हुए कहा; और उन्होंने अष्टक-वग्गिकानी (अष्टक-वग्गिकानी) के सभी श्लोकों का पाठ किया।

और पूज्य सोना के पाठ के समापन पर, भगवान बुद्ध ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा,

हे भिक्षु, आप अत्यंत उत्कृष्ट हैं! आपने अष्टम तत्वों को भली-भांति ग्रहण कर लिया है, उन पर गहन चिंतन किया है और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया है। आपकी वाणी सुरीली, विलक्षण और मधुर है, जिससे बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आपको दीक्षा लिए हुए कितने वर्ष हो गए हैं?

'एक वर्ष, मेरे प्रभु!'

10. 'लेकिन आपने इसे इतने लंबे समय तक क्यों टाल दिया?'

''हे प्रभु, बहुत समय हो गया जब मैंने वासनाओं के खतरे को देखा था, लेकिन गृहस्थी का जीवन काम और चिंताओं से भरा रहता है।''

और जब भगवान बुद्ध ने वह बात सुनी, तो उन्होंने उस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त किया।

जब उसने संसार के खतरे को देख लिया हो, जब उसने सत्य को समझ लिया हो, जब वह उपाधि से मुक्त हो गया हो,

'तीर्थयात्री को पाप में कोई आनंद नहीं मिलता, उसका आनंद सत्य और पवित्रता में है।'

11. तब पूज्य सोना ने सोचा, 'भगवान बुद्ध मुझसे प्रसन्न हैं। यही वह समय है जिसके बारे में मेरे वरिष्ठ ने बताया था।' और अपने आसन से उठकर, अपने वस्त्र को एक कंधे पर समेटकर, उन्होंने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा:

'हे प्रभु! मेरे श्रेष्ठ महा कच्छायन भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं। दक्षिणी देश में और अवंती में (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 4-7 में, संदेश के अंत तक) हैं।'

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'दक्षिणी देश और अवंती में भिक्षुओं की संख्या बहुत कम है। मैं सीमावर्ती देशों में उपसंपदा (दीक्षा) केवल चार भिक्षुओं की बैठक में आयोजित करने की अनुमति देता हूँ, अध्यक्ष के अतिरिक्त, जो कि विनय-धर होना चाहिए।'

12. इस अनुच्छेद में निम्नलिखित सीमावर्ती क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पूर्व में कागांगल नगर है, और उसके आगे महासला है। उसके आगे सीमावर्ती क्षेत्र है; इसके इस ओर मध्य क्षेत्र है। दक्षिण-पूर्व में सलालावती नदी है। उसके आगे सीमावर्ती क्षेत्र है; इसके इस ओर मध्य क्षेत्र है। दक्षिण में सेतकन्निका नगर है। उसके आगे सीमावर्ती क्षेत्र है; इसके इस ओर मध्य क्षेत्र है। पश्चिम में थुना का ब्राह्मण (पुजारी) क्षेत्र है। उसके आगे सीमावर्ती क्षेत्र है; इसके इस ओर मध्य क्षेत्र है। उत्तर में उसिराधागा नामक पर्वत श्रृंखला है। उसके आगे सीमावर्ती क्षेत्र है; इसके इस ओर मध्य क्षेत्र है। हे भिक्षुओं, ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में, मैं केवल चार भिक्षुओं की बैठक में उपसंपदा (दीक्षा) आयोजित करने की अनुमति देता हूँ, अध्यक्ष के अतिरिक्त, जो कि विनय-धर होना चाहिए।

13. 'हे भिक्षुओं, दक्षिणी देश और अवंती में मिट्टी ऊपर से काली और खुरदरी है, और पशुओं के पैरों से रौंदी हुई है। हे भिक्षुओं, मैं सभी सीमावर्ती देशों में मोटी परत वाले जूते पहनने की अनुमति देता हूँ।'

हे भिक्षुओं, दक्षिणी देश और अवंती में, लोग स्नान को बहुत महत्व देते हैं और जल के उपयोग से शुद्ध होते हैं। हे भिक्षुओं, मैं सभी सीमावर्ती देशों में निरंतर स्नान की अनुमति देता हूँ।

हे भिक्षुओं, दक्षिणी देश और अवंती में भेड़, बकरी और हिरण की खाल का उपयोग आवरण के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार मध्य देश में एरागु, मोरागु, मगघरु और गंटू घास का उपयोग आवरण के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार दक्षिणी देश और अवंती में भेड़, बकरी और हिरण की खाल का उपयोग किया जाता है। हे भिक्षुओं, मैं सभी सीमावर्ती देशों में भेड़, बकरी और हिरण की खाल का उपयोग आवरण के रूप में करने की अनुमति देता हूँ।

'हे भिक्षुओं, वहाँ भी यह प्रथा है कि जिले से चले गए भिक्षुओं को वस्त्रों का एक सेट देते हुए कहते हैं, "हम यह वस्त्र अमुक नाम के भिक्षु को देते हैं।" हे भिक्षुओं, मैं आपको ऐसे वस्त्र स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। वस्त्रों का यह सेट उस व्यक्ति के हाथ में पहुँचने से पहले दस दिनों के नियम के अधीन नहीं होता, जिसके लिए यह दिया गया था।'

<<<< पिछला(5.12) | अगला(6.1) >>>>

छठा खंडाका (औषधियाँ)
(दवाइयों के बारे में)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.13) | अगला(6.2) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध सावत्थी में, जेतवन में, अनाथपिंडिका के उद्यान में निवास कर रहे थे। उस समय तपती गर्मी के प्रकोप से पीड़ित भिक्षुओं ने पिया हुआ चावल का दूध और खाया हुआ भोजन उल्टी कर दिया। इसके परिणामस्वरूप वे दुबले-पतले, खुरदुरे, बदसूरत और पीले पड़ गए, और उनके अंगों पर नसें उभर आने लगीं।

और भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को दुबला-पतला, खुरदरा, बदसूरत, पीला और लगातार पीला होता जा रहा देखा, जिनके अंगों पर नसें उभरी हुई थीं। यह देखकर उन्होंने पूज्य आनंद से पूछा:

'आनंद, ऐसा क्यों है कि भिक्षु अब इतने दुबले-पतले, खुरदुरे आदि हो गए हैं?'

'हे प्रभु, इस समय भिक्षु गर्मी के मौसम के रोग से ग्रसित हैं; वे पिया हुआ चावल का दूध और खाया हुआ भोजन उल्टी कर देते हैं। तब से वे दुबले-पतले, खुरदुरे, बदसूरत, पीले और लगातार पीले होते जा रहे हैं, और उनके अंगों पर नसें उभरने लगी हैं।'

2. तब एकांत ध्यान करते समय भगवान बुद्ध के मन में यह विचार आया: 'इस समय भिक्षुओं (आदि, नीचे तक) के अंगों पर सूजन है। मैं अब भिक्षुओं के लिए कौन सी औषधियाँ लिखूँ, जो सामान्य औषधि के रूप में मान्य हों और शरीर में समाहित हो जाएँ, यद्यपि उन्हें

सामान्य भोजन न माना जाए?' और भगवान बुद्ध ने सोचा: 'ये पाँच औषधियाँ—अर्थात घी, मक्खन, तेल, शहद, गुड़—ऐसी ही औषधियाँ हैं। तो मैं इन्हें ऐसी औषधियों के रूप में लिखूँ जिन्हें भिक्षु उचित समय पर ग्रहण कर सकें और उचित समय पर उपयोग कर सकें।'

3. और शाम को, जब भगवान बुद्ध धर्म प्रवचन देने के बाद ध्यान से उठे, तो उन्होंने भिक्षुओं को इस विषय में संबोधित करते हुए कहा,

'हे भिक्षुओं, जब मैं एकांत में ध्यान कर रहा था, तब मेरे मन में यह विचार आया: "इस समय (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 2 में है, आगे तक:) भौतिक भोजन।" तब मैंने सोचा: "ये पाँच (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 2 में है, आगे तक:) उचित समय पर।" हे भिक्षुओं, मैं इन पाँच चीजों को उचित समय पर ग्रहण करने और उचित समय पर उपयोग करने के लिए औषधि के रूप में निर्धारित करता हूँ।'

4. उस समय भिक्षुओं ने उचित समय पर उन पाँचों चीजों को ग्रहण किया और उनका उचित उपयोग किया। फिर भी, जो भोजन सादा और खुरदरा था, वह भी वे पचा नहीं पाते थे, वसायुक्त भोजन तो बिलकुल भी नहीं। तब वे—गर्मी के मौसम के रोगों और भूख की कमी, दोनों से पीड़ित होकर—एक साथ और भी दुबले-पतले, खुरदुरे, बदसूरत, पीले और लगातार पीले होते गए, और उनके अंगों पर नसें उभरने लगीं।

और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को और भी दुबला-पतला देखा, इत्यादि। और जब उन्होंने यह देखा, तो उन्होंने पूज्य आनंद से पूछा: 'आनंद, ऐसा कैसे हो गया कि भिक्षु अब और भी दुबले-पतले हो गए हैं, इत्यादि?'

5. 'हे प्रभु, वर्तमान में ये भिक्षु, जो केवल उचित समय पर पाँच औषधियों का प्रयोग करते हैं, साधारण भोजन को भी नहीं पचा पाते, जो कि खुरदरा होता है, और तैलीय भोजन तो और भी अधिक। तब वे आक्रमण के शिकार होकर (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 4 में नीचे तक है:) अपने अंगों पर खड़े हो जाते हैं।'

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें न केवल उन पांच औषधियों को ग्रहण करने की अनुमति देता हूं, बल्कि उचित समय पर और अन्य समयों पर भी उनका उपयोग करने की अनुमति देता हूं।'

<<<< पिछला(5.13) | अगला(6.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.1) | अगला(6.3) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय दो

1. उस समय जो भिक्षु बीमार थे, उन्हें औषधि के रूप में वसायुक्त पदार्थों की आवश्यकता थी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें भालू, मछली, मगरमच्छ, सूअर और गधे की चर्बी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ, बशर्ते इसे सही समय पर प्राप्त किया जाए, सही समय पर पकाया जाए, सही समय पर मिलाया जाए और तेल के साथ ग्रहण किया जाए।'

2. 'हे भिक्षुओं, यदि वसा को अनुचित समय पर ग्रहण किया जाए, अनुचित समय पर पकाया जाए, अनुचित समय पर मिलाया जाए और फिर ग्रहण किया जाए, तो भिक्षु तीन दुक्कटा अपराधों का दोषी होता है।'

'हे भिक्षुओं, यदि इसे सही समय पर प्राप्त किया जाए, गलत समय पर पकाया जाए, गलत समय पर मिलाया जाए और फिर ग्रहण किया जाए, तो भिक्षु दो दुक्कटा अपराधों का दोषी होता है।'

'हे भिक्षुओं, यदि इसे सही समय पर प्राप्त किया जाए, सही समय पर पकाया जाए और गलत समय पर मिलाया जाए, और फिर ग्रहण किया जाए, तो भिक्षु दुक्कटा अपराध का दोषी होता है।'

'यदि इसे सही समय पर प्राप्त किया जाए, सही समय पर पकाया जाए, सही समय पर मिलाया जाए और फिर ग्रहण किया जाए, तो भिक्षु दोषी नहीं है।'

<<<< पिछला(6.1) | अगला(6.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.2) | अगला(6.4) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-3.

1. उस समय बीमार भिक्षुओं को औषधि के लिए जड़ों की आवश्यकता थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें हल्दी, अदरक, उरिस की जड़, सफेद उरिस की जड़, अतिविसा, काला हेलेबोर, उशिरा की जड़, भद्दामुत्तक और अन्य सभी जड़ों का उपयोग औषधि के रूप में करने की अनुमति देता हूँ, जो कठोर या नरम भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं और जिन्हें बीमार भिक्षु अन्यथा नहीं खा सकते। इन्हें ग्रहण करके जीवन भर के लिए संग्रहित किया जा सकता है; और आवश्यकता पड़ने पर इनका सेवन किया जा सकता है। बिना आवश्यकता के इनका सेवन करने वाला भिक्षु दुक्कत अपराध का दोषी है।

2. उस समय बीमार भिक्षुओं को विभिन्न प्रकार की जड़ों से बने आटे की औषधि की आवश्यकता थी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें चक्की का पत्थर और पीसने के लिए एक और पत्थर का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।

<<<< पिछला(6.2) | अगला(6.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.3) | अगला(6.5) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-4.

1. उस समय बीमार भिक्षुओं को औषधि के रूप में कसैले काढ़े की आवश्यकता थी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कसैले काढ़े औषधि के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ—नींबा, कुटगा, पक्कवा, नट्टमाला और अन्य सभी कसैली जड़ें जो औषधि के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जो कठोर या नरम भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं, जिसे बीमार भिक्षु अन्यथा नहीं खा सकते। इन्हें ग्रहण करके जीवन भर के लिए संग्रहित किया जा सकता है; और आवश्यकता पड़ने पर इनका सेवन किया जा सकता है। बिना आवश्यकता के इनका सेवन करने वाला भिक्षु दुक्कटा अपराध का दोषी है।

<<<< पिछला(6.3) | अगला(6.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.4) | अगला(6.6) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-5.

1. उस समय बीमार भिक्षुओं को औषधि के रूप में पत्तों की आवश्यकता थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें औषधि के रूप में पत्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ—नींबू, कुटगा, पटोला, तुलसी, कप्पसिका और अन्य सभी पत्तियाँ जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है और जो कठोर या नरम भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं, जिसे बीमार भिक्षु अन्यथा नहीं खा सकते। इन्हें ग्रहण किया जा सकता है और संग्रहित किया जा सकता है (आदि, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, दुक्कटा अपराध के दोषी होने पर)।'

<<<< पिछला(6.4) | अगला(6.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.5) | अगला(6.7) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-6.

1. उस समय बीमार भिक्षुओं को औषधि के रूप में फलों की आवश्यकता थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें औषधि के रूप में फलों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ—विलंग, पिप्पला और मारिका मिर्च; हरितक, विभीतक और आमलक मायरोबलन; गोठ फल; और अन्य सभी फल जो औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं और भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, चाहे वह कठोर हो या नरम, जिसे बीमार भिक्षु अन्यथा नहीं खा सकते। इन्हें ग्रहण और संग्रहित किया जा सकता है (आदि, जैसा कि अध्याय 4 में नीचे दिया गया है): दुक्कत अपराध का दोषी।'

<<<< पिछला(6.5) | अगला(6.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.6) | अगला(6.8) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय 7।

1. उस समय बीमार भिक्षुओं को औषधि के रूप में विभिन्न प्रकार के गोंद की आवश्यकता थी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें औषधि के रूप में गोंद का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ—हिंगु (सुगंधित नमक), हिंगु लाख, सिपातिका, टका, टका-पत्ती, टका-पन्नी, सग्गुलसा, और अन्य सभी गोंद जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, और इनका उपयोग करना (अध्याय 4 से आगे तक, जैसा कि इसमें वर्णित है) दुक्कटा अपराध है।'

<<<< पिछला(6.6) | अगला(6.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.7) | अगला(6.9) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-8.

1. उस समय बीमार भिक्षुओं को औषधि के रूप में विभिन्न प्रकार के नमक की आवश्यकता थी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें औषधि के रूप में नमक का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ—समुद्री नमक, काला नमक, सेंधा नमक, रसोई का नमक, लाल नमक, और अन्य सभी नमक जिनका उपयोग औषधि में किया जाता है (आदि, जैसा कि अध्याय 4 में नीचे दिया गया है): इनका उपयोग दुक्कता अपराध है।'

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-9

1. उस समय पूज्य आनंद के वरिष्ठ शिष्य, पूज्य बेलात्थासिस को पपड़ीदार घावों का रोग हो गया था; और उस पपड़ी से निकलने वाले स्राव के कारण उनके वस्त्र उनके शरीर से चिपक गए थे। भिक्षुओं ने उन वस्त्रों को पानी से गीला करके उनके शरीर से अलग किया।

भगवान बुद्ध रात्रि के लिए ठहरने की जगह की तलाश में भटक रहे थे, तभी उन्होंने उन्हें ऐसा करते देखा और उनके पास जाकर उनसे पूछा:

'हे भिक्षुओं, इस भिक्षु को क्या हुआ है?'

'आदरणीय व्यक्ति को मोटी पपड़ीदार फुंसियों का रोग है; और उस पपड़ी से निकलने वाले स्राव के कारण उनके वस्त्र उनके शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए हम उन वस्त्रों को पानी से गीला करते हैं, और उन्हें (उनके शरीर से) अलग करते हैं।'

2. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, खुजली, फोड़े, स्राव, पपड़ी या दुर्गंधयुक्त शरीर वाले किसी भी व्यक्ति को औषधि के रूप में चूर्ण का उपयोग करने की अनुमति है, और स्वस्थ व्यक्तियों को सूखे गोबर, मिट्टी और रंगीन पदार्थों का उपयोग करने की अनुमति है। हे भिक्षुओं, मैं ओखली और मूसल के उपयोग की भी अनुमति देता हूँ।

<<<< पिछला(6.8) । अगला(6.10) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-10.

1. उस समय बीमार भिक्षुओं को औषधि के रूप में छाने हुए चूने की आवश्यकता थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं चूने की छलनी के उपयोग की अनुमति देता हूँ।' (चूना = चूना पत्थर का चूर्ण)

उन्हें बहुत बारीक चूने की आवश्यकता थी।

'हे भिक्षुओं, मैं कपड़े की छलनी के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय एक भिक्षु को एक असामान्य बीमारी हो गई थी। उसके गुरु और वरिष्ठ ने उसकी देखभाल की, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। वह एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ सूअर का वध किया जाता था, और उसने कच्चा मांस खाया और खून पिया। इससे उसकी बीमारी ठीक हो गई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं अमानवीय रोग की स्थिति में कच्चे मांस और रक्त के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(6.9) | अगला(6.11) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.10) | अगला (6.12) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-11.

1. उस समय एक भिक्षु को आँखों की बीमारी हो गई थी। वे उसे शौच कराने के लिए बाहर ले जाया करते थे। भगवान बुद्ध भिक्षुओं के विश्राम कक्ष से गुजरते हुए उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उन्हें देखकर वे उनके पास गए और उन भिक्षुओं से पूछा:

'हे भिक्षुओं, यह भिक्षु किस रोग से पीड़ित है?'

2. 'हे प्रभु, इस पूजनीय व्यक्ति को आँखों की बीमारी है। इसलिए हम उन्हें शौच कराने के लिए बाहर ले जा रहे हैं।'

तब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं आंखों में लगाने वाले मलहमों के उपयोग की अनुमति देता हूँ; अर्थात् काला काजल, रस मलहम, सोता मलहम, गेरुका और कपाल।'

उन्हें मलहम बनाने के लिए सुगंधित पदार्थों की आवश्यकता थी जिन्हें वे पीसकर इस्तेमाल कर सकें।

'हे भिक्षुओ, मैं चंदन की लकड़ी, तगर, काली अनुसारी, कालिया और भद्दमुत्तक के उपयोग की अनुमति देता हूं।'

<<<< पिछला (6.10) | अगला (6.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.12

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.11) | अगला (6.13) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-12.

1. उस समय भिक्षु पिसी हुई मलहम को बर्तनों और तश्तरियों में रखते थे। वे जड़ी-बूटियों के पाउडर और धूल से ढक जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं मरहम रखने के लिए एक डिब्बे के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु विभिन्न प्रकार के मरहम रखने के डिब्बे - सोने के और चांदी के - अपने साथ लेकर चलते थे। लोग इससे नाराज़ होते, बड़बड़ाते और क्रोधित होकर कहते, 'ये तो संसार में रहने वालों की तरह हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, विभिन्न प्रकार के मरहम रखने वाले डिब्बे, सोने के और चांदी के, प्रयोग के लिए वर्जित हैं। जो कोई भी ऐसा करता है, वह दुक्कता का दोषी है। हे भिक्षुओं, मैं हड्डी, हाथी दांत, सींग, नल, बांस, लकड़ी, लाख, फलों के छिलके, पीतल या शंख के मध्य भाग से बने ऐसे डिब्बों के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।

2. उस समय मरहम के डिब्बों पर ढक्कन नहीं होते थे। (मरहम) पर जड़ी-बूटियों का पाउडर और धूल छिड़की जाती थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं भिक्षुओं को ढक्कन के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

ढक्कन अक्सर गिर जाते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें धागे से ढक्कन बांधने और उसे डिब्बे पर कसने की अनुमति देता हूँ।'

बक्से गिरने लगते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें धागे से बक्सों को सिलने की अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय भिक्षु अपनी उंगलियों से मरहम मलते थे, जिससे आँखों में जलन होती थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको मरहम लगाने के लिए छड़ी या धारक का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु कई प्रकार की मरहम-डंडियाँ रखते थे—सोने की और चाँदी की। लोग नाराज़ होते थे, बड़बड़ाते थे और क्रोधित होकर कहते थे, 'ये तो संसार में रहने वालों की तरह हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, विभिन्न प्रकार के मरहम रखने वाले पात्रों का प्रयोग वर्जित है। जो कोई भी ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध का दोषी है। हे भिक्षुओं, मैं हड्डी, हाथीदांत, सींग, नाला, बांस, लकड़ी, लाख, फल, पीतल या शंख से बने मरहम रखने वाले पात्रों के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

4. उस समय मरहम की छड़ें जमीन पर गिरकर खुरदरी हो जाती थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं मरहम की छड़ियों के लिए एक डिब्बे के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु अपने हाथों में मरहम की डिब्बियां और मरहम की छड़ियां लेकर घूमते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं मरहम की डिब्बी रखने के लिए थैली के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

उनमें कंधे पर बांधने वाला पट्टा नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको कंधे पर पट्टा (जिससे मरहम की पेटी ले जाई जा सके) या धागे (जिससे उसे सिला या बांधा जा सके) के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (6.11) । अगला (6.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.12) । अगला (6.14) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-13.

1. उस समय पूज्य पिलिनदावक्खा को सिरदर्द था।

'हे भिक्षुओं, मैं सिर पर थोड़ा सा तेल लगाने की अनुमति देता हूँ।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'हे भिक्षुओं, मैं नाक के माध्यम से (औषधि) ग्रहण करने की प्रथा की अनुमति देता हूँ।'

नाक बह रही थी।

'हे भिक्षुओं, मैं नाक में चम्मच डालने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं के पास सोने और चांदी से बने कई प्रकार के नाक के चम्मच थे। लोग नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित होकर कहने लगे, 'ये तो संसार में रहने वालों के समान हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, विभिन्न प्रकार के नाक के चम्मचों का प्रयोग वर्जित है। जो कोई भी ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध का दोषी है। हे भिक्षुओं, मैं हड्डी (आदि, जैसा कि अध्याय 12 से आगे तक वर्णित है) या शंख से बने नाक के चम्मचों के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

2. नाक ने दवा को असमान मात्रा में अवशोषित किया।

'हे भिक्षुओं, मैं दो नाक वाले चम्मच के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इस सुगंध को सूंघने की अनुमति देता हूँ।'

वे पहले मादक पदार्थों को बाती पर फैलाते थे और फिर उनकी सुगंध सूंघते थे, जिससे उनके गले जल जाते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं सुगंध फैलाने के लिए पाइप के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं के पास कई प्रकार की बांसुरी (आदि, जैसा कि §-1 के अंतिम खंडों में अंत तक है) थीं।

उस समय सुगंध नलिकाएं खुल गईं और कीड़े अंदर घुस गए।

हे भिक्षुओं, मैं आपको पाइपों पर ढक्कन लगाने की अनुमति देता हूँ।

उस समय भिक्षु अपने हाथों में बांसुरी लेकर घूमते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको सुगंधित पाइप ले जाने के लिए थैली का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

सुगंध नलिकाएं एक दूसरे से रगड़ खा रही थीं।

'हे भिक्षुओं, मैं दोहरे थैले के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

उनमें कंधे पर बांधने वाला पट्टा नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं कंधे पर पट्टा (जिससे दोहरी थैली ले जाई जा सके) या धागे (जिससे इसे सिला जा सके) के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (6.12) । अगला (6.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.13) । अगला (6.15) >>>>

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-14.

1. उस समय पूज्य पिलिनदावक्खा को पेट में गैस की समस्या थी। चिकित्सकों ने उन्हें तेल पीने की सलाह दी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तेल का काढ़ा पीने की अनुमति देता हूँ।'

काढ़े में तेज पेय मिलाना आवश्यक था।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, कि तुम तेल के काढ़े में तेज पेय मिला सको।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु औषधीय तेलों के काढ़े में बहुत अधिक मादक पेय मिला देते थे, जिससे वे नशे में धुत हो जाते थे।

'हे भिक्षुओं, जब तेल में अत्यधिक मादक पेय मिला दिया जाए तो उसे नहीं पीना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।'

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तेल से बने ऐसे काढ़े पीने की अनुमति देता हूँ जिनमें मादक पेय मिला हो, और जिनमें मादक पेय का न तो रंग, न ही गंध और न ही स्वाद प्रकट हो।'

2. उस समय भिक्षुओं के पास एक ऐसा काढ़ा था जिसमें बहुत अधिक मादक पेय मिला दिया गया था। तब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'इस तेल का क्या करें जिसमें बहुत अधिक मादक पेय मिला दिया गया है?'

'हे भिक्षुओं, मैं इसे मरहम के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय पूज्य पिलिनदावक्खा के पास तेल का काढ़ा तो काफी मात्रा में था, लेकिन उसे रखने के लिए उनके पास कोई बर्तन नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार के बर्तनों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ: पीतल के बर्तन, लकड़ी के बर्तन और फलों के छिलकों से बने बर्तन।'

3. उस समय पूज्य पिलिनदावक्खा को गठिया हो गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पसीना बहाने की अनुमति देता हूँ।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन जड़ी-बूटियों का उपयोग करके पसीना लाने की अनुमति देता हूँ जिनका यह प्रभाव होता है।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक विशाल भाप स्नान का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें भांग के पानी (बैंग) का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें औषधीय जड़ी-बूटियों से भीगे हुए जल में गर्म स्नान करने की अनुमति देता हूँ।'

4. उस समय पूज्य पिलिनदावक्खा को रुक-रुक कर बुखार रहता था।

'मैं, हे भिक्षुओं, रक्त बहाने की अनुमति देता हूँ।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, रक्त निकालने के लिए सींग का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय पूज्य पिलिनदावक्खा के पैरों में छाले पड़ गए थे।

'हे भिक्षुओं, मैं पैरों में मरहम लगाने की अनुमति देता हूँ।'

(बीमारी में) कोई सुधार नहीं हुआ।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें यात्रियों के पैर धोने के लिए जल तैयार रखने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय एक भिक्षु को फोड़े हो गए थे।

'मैं भिक्षुओं, लांस के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

कसैली जड़ी-बूटियों के काढ़े की आवश्यकता थी।

'हे भिक्षुओं, मैं कसैली जड़ी-बूटियों के काढ़े की अनुमति देता हूँ।'

तिल की मरहम की आवश्यकता थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तिल के लेप के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

5. कंप्रेस की आवश्यकता थी।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको कंप्रेस के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

घाव को कपड़े से बांधना आवश्यक था।

'हे भिक्षुओं, मैं घावों को बांधने के लिए पट्टियों के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

घाव में खुजली हो रही थी।

'हे भिक्षुओं, मैं घाव पर सरसों का पाउडर छिड़कने की अनुमति देता हूँ।'

घाव नम हो गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (घाव पर) धूनी देने की अनुमति देता हूँ।'

घाव पर मांस का एक उभरा हुआ टुकड़ा बन गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (अहंकारी शरीर को) छुरी से काटने की अनुमति देता हूँ।'

घाव भर नहीं रहा था।

'हे भिक्षुओं, मैं घावों पर तेल लगाने की अनुमति देता हूँ।'

तेल बह कर बाहर निकल गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं उत्तम वस्त्रों के प्रयोग और घावों के उपचार के सभी प्रकार के तरीकों की अनुमति देता हूँ।'

6. उस समय एक भिक्षु को सांप ने काट लिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं चारों प्रकार की अशुद्धियों - गोबर, मूत्र, राख और मिट्टी - को स्वीकार करता हूँ।'

अब भिक्षुओं ने सोचा: 'क्या ये वस्तुएँ उन वस्तुओं में से हैं जिन्हें दूसरों द्वारा भेंट किए बिना भी लिया जा सकता है, या उन वस्तुओं में से हैं जिन्हें भेंट किए बिना नहीं लिया जा सकता?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं इन वस्तुओं को स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ यदि कोई इन्हें अर्पित करने के लिए उपस्थित हो, और यदि कोई उपस्थित न हो, तो आप स्वयं इन्हें ले लें और इनका उपयोग करें।'

उस समय एक भिक्षु ने विष पी लिया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गोबर का काढ़ा (उल्टी कराने के लिए) देने की अनुमति देता हूँ।'

तब भिक्षुओं ने सोचा: 'क्या यह उन चीजों में से है जिन्हें दूसरों द्वारा भेंट किए बिना भी लिया जा सकता है, या यह उन चीजों में से है जिन्हें भेंट किए बिना नहीं लिया जा सकता?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह नियम बनाता हूँ, हे भिक्षुओं, कि उचित ग्रहण वही होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा निर्मित वस्तु ग्रहण करता है; और

कि ऐसी चीज दूसरों से दोबारा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।'

7. उस समय एक भिक्षु घरा-दिनक रोग से पीड़ित था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम उसे हल से खोदी गई मिट्टी का काढ़ा पिलाओ।'

उस समय एक भिक्षु को कब्ज हो गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उसे जले हुए चावल की राख का काढ़ा पिलाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय एक भिक्षु को पीलिया हो गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गाय के मूत्र से बना काढ़ा पिलाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय एक भिक्षु को त्वचा रोग हो गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं सुगंधित तेलों से अभिषेक की अनुमति देता हूँ।'

उस समय एक भिक्षु के शरीर में रसों की अधिकता थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दस्त लगाने की अनुमति देता हूँ।'

स्पष्ट दलिया की आवश्यकता थी।

'हे भिक्षुओं, मैं शुद्ध दलिया के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

प्राकृतिक रस की आवश्यकता थी।

'मैं भिक्षुओं, प्राकृतिक रस के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

कृत्रिम और प्राकृतिक जूस दोनों की आवश्यकता थी।

हे भिक्षुओं, मैं कृत्रिम और प्राकृतिक रस के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

मांस का शोरबा आवश्यक था।

'हे भिक्षुओं, मैं मांस के शोरबे के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (6.13) । अगला (6.15) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.14) । अगला(6.16) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-15.

1. उस समय पूज्य पिलिनदावक्खा ने राजगृह में एक पर्वतीय गुफा को साफ करवाया, ताकि उसे एक गुफा निवास स्थान बनाया जा सके। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य पिलिनदावक्खा थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य पिलिनदावक्खा को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए।

और जब वह इस प्रकार बैठे थे, तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने पूज्य पिलिनदावक्खा से कहा, 'मेरे स्वामी, थेरा, क्या करवा रहे हैं?'

'मैं एक गुफा को साफ करवा रहा हूं, ताकि उसे गुफानुमा आवास में परिवर्तित कर सकूं।'

'तो क्या आपको, महोदय, एक अरमिका (पार्क-कीपर) की आवश्यकता है?'

'ऐसा नहीं है, महाराज! भगवान बुद्ध ने उद्यान रक्षक की नियुक्ति का आदेश नहीं दिया है।'

'तो फिर, महोदय, आप भगवान बुद्ध से (इस मामले के बारे में) जानकारी लें और मुझे बता दें।'

'बहुत अच्छा, हे राजा!' आदरणीय पिलिन्दवक्खा ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार की बात पर सहमति जताते हुए कहा।

2. तब पूज्य पिलिनदावक्खा ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को धर्म प्रवचन देकर उपदेश दिया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया। धर्म प्रवचन आदि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार अपने आसन से उठे और पूज्य पिलिनदावक्खा के समक्ष प्रणाम किया, और उनके दाहिनी ओर मुख करके उनकी परिक्रमा करते हुए वहां से चले गए।

तब पूज्य पिलिनदावक्खा ने भगवान बुद्ध को संदेश भेजा, 'हे प्रभु! मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार मुझे एक उद्यान रक्षक भेंट करना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए?'

तब भगवान बुद्ध ने इस विषय में धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उद्यान रक्षक के रूप में पद स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ।'

3. फिर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार दूसरी बार उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य पिलिनदावक्ख थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य पिलिनदावक्ख को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए।

और जब वह इस प्रकार बैठे थे, तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने पूज्य पिलिनदावक्खा से कहा, 'क्या भगवान बुद्ध ने किसी उद्यान-रक्षक को अनुमति दी है?'

'जी हां, हे राजा!'

तब, महोदय, मैं आपको एक पार्क-कीपर से मिलवाऊंगा।'

अब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने आदरणीय पिलिनदावक्खा को एक उद्यान रक्षक देने का वादा करने के बाद उसे भुला दिया। और कुछ समय बाद उसने

उसे यह बात याद आ गई, और उसने सामान्य मामलों के प्रभारी एक मंत्री से कहा: 'जिस उद्यान रक्षक को मैंने आदरणीय व्यक्ति को सौंपने का वादा किया था, क्या उसे उन्हें सौंप दिया गया है?'

नहीं, महाराज!

'तो फिर, महोदय, यह निर्णय लिए हुए कितना समय हो गया है?'

4. तब उस मंत्री ने रातों की गिनती करते हुए मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार से कहा, 'महाराज, पाँच सौ रातें।'

'तो फिर, मेरे भले महोदय, आदरणीय व्यक्ति को पाँच सौ उद्यान रक्षक दे दीजिए!'

"महाराज के आदेशानुसार," मंत्री ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार की सहमति में कहा; और उन्होंने पूज्य पिलिन्दवक्खा को पाँच सौ उद्यान रक्षक सौंप दिए, और उनके उपयोग के लिए एक अलग गाँव बसाया गया। उन्होंने उसका नाम अरमिका-गामा रखा, और उसे पिलिन्द-गामा भी कहा। तब से पूज्य पिलिन्दवक्खा उस गाँव में रहने वाले परिवारों से भिक्षा आदि के लिए आश्रित थे। पूज्य पिलिन्दवक्खा सुबह जल्दी उठकर वस्त्र धारण करते और भिक्षा मांगने के लिए पिलिन्द-गामा में प्रवेश करते थे।

5. उस समय उस गाँव में एक उत्सव चल रहा था और बच्चे आभूषणों से सजे और मालाओं से लदे हुए उत्सव मना रहे थे। पूज्य पिलिनदावक्खा भिक्षा माँगते हुए घर-घर गए और एक उद्यान रक्षक के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे अपने लिए तैयार की गई एक आसन पर बैठ गए।

और उसी समय उस उद्यान-रक्षक की पत्नी की बेटी ने अन्य बच्चों को आभूषणों और मालाओं से सजे हुए देखकर, ...

रोते हुए (कहते हुए), 'मुझे भी एक माला दो, मुझे एक आभूषण दो!'

और आदरणीय पिलिन्दवक्खा ने उस उद्यान-रक्षक की पत्नी से कहा: 'वह लड़की क्यों रो रही है?'

'हे आदरणीय महोदय, यह बच्ची अन्य बच्चों को आभूषणों और मालाओं से सजे देखकर रो रही है (और कह रही है), "मुझे भी एक माला दीजिए, मुझे भी एक आभूषण दीजिए!" लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को ये मालाएँ या आभूषण कहाँ से मिलेंगे?'

6. तब पूज्य पिलिन्दवक्खा ने घास का एक चुम्बत लिया और उद्यान-रक्षक की पत्नी से कहा: 'कृपा करके इस घास के चुम्बत को बच्चे के सिर पर बांध दीजिए।'

और उद्यान के रखवाले की पत्नी ने घास की बनी माला ली और उसे लड़की के सिर पर बाँध दिया। और वह सोने की एक सुंदर, मनमोहक और आकर्षक माला बन गई, ऐसी माला जो राजा के हरम में कहीं और नहीं थी।

और लोगों ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार से कहा, 'महाराज, फलां उद्यान रक्षक के घर में सोने की एक माला है, वैसी सोने की माला राजा के हरम में नहीं है। वह गरीब होकर ऐसी माला कैसे प्राप्त कर सकता है? उसने इसे निश्चित रूप से चोरी से ही प्राप्त किया होगा।'

तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने उस उद्यान रक्षक के पूरे परिवार को गुलामी में बंधवा दिया।

7. अब पूज्य पिलिन्दवक्खा ने सुबह सवेरे वस्त्र धारण किए और विधिवत वस्त्र धारण करके भिक्षा मांगने के लिए पिलिन्दगाम गए। भिक्षा मांगते हुए वे घर-घर घूमते हुए उस उद्यान-रक्षक के निवास पर पहुँचे; और

जब वह वहां पहुंचा तो उसने पड़ोसियों से पूछा, 'इस पार्क के रखवाले का परिवार कहां चला गया है?'

'महाराज ने उस सोने की माला के कारण उन्हें कैद में डाल दिया है।'

फिर पूज्य पिलिन्दवक्खा मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के निवास पर गए; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने लिए तैयार आसन पर बैठ गए। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य पिलिन्दवक्खा थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य पिलिन्दवक्खा के सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। इस प्रकार बैठने के बाद पूज्य पिलिन्दवक्खा ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार से कहा:

8. 'हे राजा, पार्क के रखवाले के परिवार को क्यों जंजीरों में जकड़ दिया गया है?'

'महोदय, उस उद्यान-रक्षक के घर में सोने की एक ऐसी माला है, जैसी राजा के हरम में कहीं नहीं है। वह इतना गरीब होकर भी ऐसी माला कहाँ से लाया होगा? निश्चित रूप से उसने इसे चोरी से ही प्राप्त किया होगा।'

तब पूज्य पिलिनदावक्खा ने निश्चय किया कि मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार का महल सोने का होना चाहिए। और वह महल पूरी तरह से सोने का बन गया।

'महाराज, आपके पास इतनी बड़ी मात्रा में सोना कहाँ से आया?'

'मैं समझ गया, प्रभु। यह आपकी चमत्कारिक शक्ति है' (राजा ने कहा)। और ऐसा कहते हुए उसने उस पार्क-कीपर के परिवार को मुक्त कर दिया।

9. जब लोगों ने प्रसन्नता और संतोष से भरकर देखा कि पूज्य पिलिनदावक्खा ने राजा और उनके राजकक्षों को इतना बड़ा चमत्कार दिखाया है, तो वे पूज्य पिलिनदावक्खा के पास पाँच प्रकार की औषधियाँ लेकर आए, अर्थात्...

जैसे, घी, मक्खन, तेल, शहद और गुड़। अब (इसके अलावा) पूज्य पिलिन्दवक्खा पाँच प्रकार की औषधियाँ ग्रहण करते थे; और जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता, वे उसे अपने सेवकों (भिक्षुओं) में बाँट देते थे। इस प्रकार उनके अनुयायी उस औषधि से समृद्ध हो गए, और जैसे ही उन्हें वह प्राप्त होती, वे उसे बर्तनों और घड़ों में भरकर अलग रख देते; और पानी छानने वाली प्लेटों और थैलियों को उससे भरकर खिड़कियों में रख देते, और वे वहाँ आपस में चिपकी रहतीं, और चूहों के कुतरने से विहार उन औषधियों से भर गए। यह देखकर लोग विहारों के चारों ओर घूमकर नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित होकर बोले, 'ये शाक्यपुत्र भिक्षु मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार की तरह सामग्री जमा करने वाले बन रहे हैं।'

भिक्षुओं ने लोगों को इस प्रकार बड़बड़ाते हुए सुना, इत्यादि। और जो भिक्षु संयमी थे, वे क्रोधित होकर कहने लगे, इत्यादि।

'भिक्षु इतनी प्रचुरता के बारे में कैसे सोच सकते हैं?'

और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, भिक्षुओं, जैसा कि वे कहते हैं, कि भिक्षु इतनी प्रचुरता के बारे में सोचते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

भगवान बुद्ध ने उन्हें फटकारा और धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित किया:

'बीमार भिक्षुओं के लिए जो भी औषधियाँ उपयुक्त हों—अर्थात घी, मक्खन, तेल, शहद और गुड़—उन्हें प्राप्त होने पर सात दिनों के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए, इस दौरान उन्हें संग्रहित भी किया जा सकता है।

उस सीमा का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

औषधियों के नियम पर प्रथम भानवर का समापन।

<<<< पिछला(6.14) | अगला(6.16) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.16
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.15) | अगला (6.17) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-16.

1. भगवान बुद्ध जब तक उचित समझे, सावत्थी में रहे, तब वे राजगृह की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में पूज्य कंख-रेवत ने एक चीनी कारखाना देखा और जब वे वहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि लोग गुड़ में आटा और गन्ने का बुरादा मिला रहे थे। यह देखकर उन्होंने सोचा, 'भोजन में गुड़ मिलाना उचित नहीं है; दैनिक भोजन के समय के बाद इस प्रकार का गुड़ लेना मना है।' और किसी को नाराज न करने के डर से उन्होंने उसे नहीं खाया, न ही उनके साथ आए भिक्षुओं ने खाया, और न ही उन भिक्षुओं ने खाया जो उनकी बात सुनने के योग्य थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, वे गुड़ में आटा और गन्ने का चूरा क्यों मिलाते हैं?'

'हे प्रभु, इसे दृढ़ बनाने के लिए।'

'हे भिक्षुओं, यदि वे गुड़ को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटा और गन्ने का चूरा मिलाते हैं, लेकिन फिर भी उसे गुड़ ही माना जाता है, तो हे भिक्षुओं, मैं आपको ऐसा गुड़ जितना चाहें उतना लेने की अनुमति देता हूँ।'

2. अब पूज्य कंख-रेवता ने रास्ते में गोबर के ढेर से उगती हुई राजमा देखी। और जब उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने सोचा: 'राजमा खाना हमारे लिए वर्जित है, क्योंकि राजमा पक कर तैयार हो जाती है: और

उसने किसी को नाराज करने के डर से भोजन नहीं किया, और उसके साथ रहने वाले भिक्षुओं ने भी भोजन नहीं किया, और जो लोग उसकी बात सुनने योग्य समझते थे, उन्होंने भी सेम नहीं खाए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'यद्यपि, भिक्षुओं, सेम (फलियां) पूरी तरह से पक कर तैयार रहती हैं, फिर भी मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, जितनी चाहो उतनी सेम खाने की अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय एक भिक्षु को पेट में गैस हो गई। उसने खट्टा नमकीन दलिया पिया और उससे उसकी बीमारी ठीक हो गई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं बीमार व्यक्ति को नमकीन खट्टी दलिया खाने की अनुमति देता हूँ, और जो बीमार नहीं है उसे पानी में मिलाकर पेय के रूप में पीने की अनुमति देता हूँ।

<<<< पिछला (6.15) | अगला (6.17) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.17
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.16) | अगला(6.18) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-17.

1. अब भगवान बुद्ध उचित समय पर यात्रा करते हुए राजगृह पहुंचे। और राजगृह में भगवान बुद्ध वेलुवन में कलंदक-निवापा में ठहरे।

उस समय भगवान बुद्ध को पेट में गैस की समस्या थी। पूज्य आनंद ने यह सोचकर कि 'पहले जब भगवान बुद्ध को पेट में गैस होती थी तो टेकटुला दलिया से आराम मिलता था', उन्होंने अपनी इच्छा से तिल के बीज, चावल और सेम तैयार किए; और उन्हें खिलाते रहे।

उन्होंने उन्हें घर के अंदर ही पकाया और स्वयं ही घर के अंदर ही पकाकर भगवान बुद्ध को अर्पित करते हुए कहा, 'भगवान बुद्ध इस टेकटुला दलिया को पिएं।'

2. अब तथागत कभी-कभी अपने ज्ञान के बारे में पूछते हैं (आदि, हमेशा की तरह, जैसे, उदाहरण के लिए, I, 31, 5 में, अंत तक)।

और भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से कहा, 'आनंद, यह दलिया कहाँ से आया है?'

तब पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

3. महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'यह अनुचित है, आनंद, अशोभनीय, अनुपयुक्त, भिक्षुओं के लिए अनुपयुक्त, अस्वीकार्य और इससे बचना चाहिए। हे आनंद, तुम इतनी अधिकता के बारे में कैसे सोच सकते हो? हे आनंद, जो कुछ भी घर के अंदर रखा जाता है, वह वर्जित है; जो कुछ भी घर के अंदर पकाया जाता है, वह वर्जित है; और जो कुछ भी तुम अपनी इच्छा से पकाते हो, वह वर्जित है। हे आनंद, इससे अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा।'

और जब उन्होंने उसे फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा: हे भिक्षुओं, जो कुछ भी घर के अंदर रखा गया हो, या घर के अंदर पकाया गया हो, या अपनी इच्छा से पकाया गया हो, उसे नहीं खाना चाहिए। जो कोई भी उसे खाएगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।

4. हे भिक्षुओं, यदि घर के अंदर रखा हुआ, या घर के अंदर पकाया हुआ, या स्वयं द्वारा पकाया हुआ भोजन हो, और कोई उसे खाए, तो वह तीन दुक्कता अपराधों का दोषी है। हे भिक्षुओं, यदि घर के अंदर रखा हुआ और घर के अंदर पकाया हुआ भोजन दूसरों द्वारा पकाया गया हो, और कोई उसे खाए, तो वह दो दुक्कता अपराधों का दोषी है। हे भिक्षुओं, यदि घर के अंदर रखा हुआ भोजन बाहर पकाया गया हो, और

यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से खाना पकाता है और उसे खा लेता है, तो वह दो दुक्कटा अपराधों का दोषी होता है।

5. 'हे भिक्षुओं, यदि बाहर रखा भोजन घर के अंदर स्वयं द्वारा पकाया गया हो और कोई उसे खा ले, तो वह दो दुक्कता अपराधों का दोषी है। हे भिक्षुओं, यदि घर के अंदर रखा भोजन बाहर दूसरों द्वारा पकाया गया हो और कोई उसे खा ले, तो वह एक दुक्कता अपराध का दोषी है। हे भिक्षुओं, यदि बाहर रखा भोजन घर के अंदर दूसरों द्वारा पकाया गया हो और कोई उसे खा ले, तो वह एक दुक्कता अपराध का दोषी है। हे भिक्षुओं, यदि बाहर रखा भोजन बाहर अपने द्वारा स्वयं पकाया गया हो और कोई उसे खा ले, तो वह एक दुक्कता अपराध का दोषी है। हे भिक्षुओं, यदि बाहर रखा भोजन बाहर दूसरों द्वारा पकाया गया हो और कोई उसे खा ले, तो वह दोषी नहीं है।'

6. उस समय भिक्षुओं ने यह सोचकर कि 'भगवान बुद्ध ने स्वयं द्वारा पकाए गए भोजन को मना किया है,' पहले से पकाए गए भोजन को दूसरी बार पकाकर उन्हें नाराज करने से डरने लगे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दूसरी बार भोजन पकाने की अनुमति देता हूँ।'

7. उस समय राजगृह में भोजन की कमी थी। लोग नमक, तेल, चावल और अन्य पौष्टिक भोजन आराम (पार्क/मठ) में लाते थे। भिक्षु इन्हें बाहर रखते थे; कीड़े-मकोड़े इन्हें खा जाते थे और चोर इन्हें चुरा ले जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, घर के अंदर भोजन रखने की अनुमति देता हूँ।'

जब वे इसे घर के अंदर रखते थे और बाहर पकाते थे, तो वे लोग जो चढ़ाए गए भोजन के अवशेषों पर जीवन यापन करके आत्म-यातना का अभ्यास करते थे, उनके चारों ओर जमा हो जाते थे; और भिक्षु भय के साथ भोजन करते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, घर के अंदर खाना पकाने की अनुमति देता हूँ।'

अकाल के समय में, जो लोग (भिक्षुओं को भोजन दान करके, उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करके, आदि) भिक्षुओं के लिए (भोजन ग्रहण करना या खाना) जायज़ ठहराते थे, वे अपने लिए अधिक लेते थे और भिक्षुओं को कम देते थे।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपनी इच्छा से खाना पकाने की अनुमति देता हूँ। मैं तुम्हें घर के अंदर खाना पकाने और घर के अंदर रखा हुआ भोजन अपनी इच्छा से पकाने की अनुमति देता हूँ।

8. उस समय, वर्षा ऋतु काशी देश में बिताने वाले कई भिक्षु भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए राजगृह जा रहे थे। उन्हें रास्ते में अपनी आवश्यकतानुसार मीठा-कड़वा भोजन नहीं मिला। फल तो बहुतायत में थे, पर उन्हें उपलब्ध कराने वाला कोई नहीं था। इसलिए वे भिक्षु थके-हारे राजगृह के वेलुवन में, कलंदक-निवाप में, जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए।

अब महान बुद्धों की यह प्रथा है कि वे आने वाले भिक्षुओं का विनम्रतापूर्वक अभिवादन करते हैं। और भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा:

'हे भिक्षुओं, क्या आपका जीवन कुशल मंगल है? क्या आपको अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त मिल रहा है? क्या आपने बिना अधिक थके अपनी यात्रा पूरी कर ली है? और हे भिक्षुओं, आप कहाँ से आए हैं?'

9. हे प्रभु, हमारी कृपा भली-भांति है। हमने वर्षा ऋतु काशी देश में बिताई; और भगवान बुद्ध से मिलने राजगृह जाते समय हमें रास्ते में मीठे-कड़वे और कड़वे खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिली, जितनी हमें आवश्यकता थी। फल तो बहुतायत में थे, पर उन्हें हमारे लिए उपलब्ध कराने वाला कोई नहीं था। इसलिए हम थके-हारे ही अपनी यात्रा पर निकले।

तब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, जहाँ कहीं भी खाने योग्य फल दिखाई दे और उसे खाने योग्य बनाने वाला कोई न हो, तो आप उसे अपनी इच्छा से तोड़कर ले जा सकते हैं। और जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसे खाने योग्य बना सके, तो उसे जमीन पर रख दें और उसे पुनः प्राप्त करने के बाद ही खाएँ। हे भिक्षुओं, आप जो भी फल तोड़ें, उसे ले जा सकते हैं।'

<<<< पिछला(6.16) | अगला(6.18) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.18

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.17) | अगला (6.19) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-18.

1. उस समय एक ब्राह्मण (पुजारी) को कुछ ताजे तिल के बीज और ताजा शहद प्राप्त हुआ। तब उस ब्राह्मण के मन में विचार आया: 'यदि मैं ये ताजे तिल के बीज और ताजा शहद बुद्ध के नेतृत्व वाले भिक्षु संघ को दे दूं तो कैसा रहेगा?' और वह ब्राह्मण उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे, और वहाँ पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध को शिष्टाचारपूर्वक प्रणाम किया। और भगवान बुद्ध को मित्रता और शिष्टाचार के अभिवादन और शुभकामनाएँ देने के बाद, वह एक तरफ खड़ा हो गया। और इस प्रकार खड़े होकर उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा:

'परमेश्वर गौतम मुझे यह वरदान दें कि वे कल भिक्षु संघ के साथ मेरे घर पर अपना भोजन ग्रहण करें।'

भगवान बुद्ध मौन रहकर सहमत हो गए। और जब उस ब्राह्मण को पता चला कि भगवान बुद्ध सहमत हो गए हैं, तो वह चला गया।

2. और उस ब्राह्मण ने उस रात के अंत में, जब उसने कठोर और नरम दोनों प्रकार के मीठे भोजन तैयार कर लिए थे, तब भगवान बुद्ध को समय की सूचना दी (इन शब्दों में), 'हे गौतम, समय हो गया है और भोजन तैयार है।'

और भगवान बुद्ध ने सुबह सवेरे अपने अंतर्वस्त्र धारण करके विधिवत वस्त्र धारण कर उस ब्राह्मण के निवास पर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर वे अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए, और उनके साथ भिक्षु संघ भी बैठ गया।

और उस ब्राह्मण ने, बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ को, सभी प्रकार के मीठे और मीठे भोजन से तृप्त किया और स्वयं उनकी सेवा की। जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपने हाथ-मुँह धो लिए, तो ब्राह्मण एक तरफ बैठ गया। बैठे-बैठे ही भगवान बुद्ध ने उस ब्राह्मण को धर्म प्रवचन देकर उपदेश दिया, प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और प्रसन्न किया, फिर वे अपने आसन से उठे और चले गए।

3. भगवान बुद्ध के जाने के कुछ ही समय बाद

उस ब्राह्मण के मन में यह विचार आया: 'जिन बातों के लिए मैंने बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ को आमंत्रित किया था, यह सोचकर कि "मैं उन्हें ताजे तिल के बीज और ताजा शहद दूंगा," - वे बातें मैं देना भूल गया। क्या होगा यदि मैं अब ताजे तिल के बीज और ताजा शहद को बर्तनों में भरकर आराम (मठ) में भिजवा दूं!'

और उस ब्राह्मण ने ताजे तिल के बीज और ताजा शहद बर्तनों में भरकर उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे। वहाँ पहुँचकर वह एक तरफ खड़ा हो गया; और इस प्रकार खड़े होकर उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा:

4. 'जिन बातों के लिए मैंने बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ को आमंत्रित किया था, यह सोचकर कि "मैं उन्हें ताजे तिल के बीज और ताजा शहद दूंगा," - वे बातें मैं देने में विफल रहा। आदरणीय गौतम मुझसे ताजे तिल के बीज और ताजा शहद ग्रहण करें।'

'अच्छा, तो फिर ब्राह्मण; इन्हें भिक्षुओं को दे दो।'

उस समय, जब अकाल पड़ा हुआ था, लोगों ने भिक्षुओं को एक छोटे से भोज के लिए आमंत्रित किया, और उन्होंने आमंत्रित लोगों की संख्या गिनकर निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। एक बार पूरे संघ को भी आमंत्रित किया गया था; लेकिन भिक्षुओं ने किसी को नाराज न करने के डर से निमंत्रण स्वीकार नहीं किया।

'हे भिक्षुओं, इसे स्वीकार करो और खाओ। हे भिक्षुओं, मैं अनुमति देता हूँ कि जो भिक्षु भोजन कर चुका है और फिर भी दिया गया भोजन अस्वीकार कर देता है, वह फिर भी भोजन कर सकता है, यदि वह भीतर से लाया जाए, भले ही वह बचा हुआ न हो।'

<<<< पिछला (6.17) । अगला (6.19) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.19
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.18) । अगला (6.20) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-19.

1. उस समय शाक्य वंश के एक परिवार ने, जो पूज्य उपनंद के प्रति समर्पित था, संघ के लिए कठोर भोजन भेजा और कहा, 'यह विशेष रूप से पूज्य उपनंद के सम्मान में संघ को दिया जाना है।'

उस समय शाक्य वंश के पूज्य उपनंद भिक्षा मांगने के लिए गांव गए थे। वे लोग आराम (मठ) गए और भिक्षुओं से निवेदन किया:

'महोदय, आदरणीय उपनंद कहाँ हैं?'

'शाक्य वंश के पूजनीय उपनंद भिक्षा मांगने के लिए गांव गए हैं।'

'महोदय, यह कठोर भोजन संघ को, विशेष रूप से पूज्य उपनंद को समर्पित करके दिया जाना है।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'ऐसी स्थिति में, हे भिक्षुओं, इसे ग्रहण कर लो, और उपनंद के लौटने तक इसे अलग रख दो।'

2. और पूज्य उपनंद ने सुबह के समय परिवारों की सेवा करने के बाद, दिन के (बाद के) भाग में वापसी की।

उस समय, अकाल के दौरान, लोगों ने भिक्षुओं को एक संक्षिप्त भोजन के लिए आमंत्रित किया; और उन्होंने,

आमंत्रित लोगों में से जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, उनकी संख्या गिनी गई। और संपूर्ण संघ को एक बार निमंत्रण दिया गया था; परन्तु भिक्षुओं ने किसी को नाराज न करने के भय से निमंत्रण स्वीकार नहीं किया।

'हे भिक्षुओं, यह स्वीकार करो कि जो भिक्षु भोजन कर चुका है और जिसने आगे दिए गए भोजन को अस्वीकार कर दिया है, वह फिर भी भोजन कर सकता है, यदि वह भोजन के समय से पहले (सुबह के समय) प्राप्त हुआ हो, भले ही वह बचा हुआ न हो।'

<<<< पिछला (6.18) । अगला (6.20) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.20
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-20.

1. भगवान बुद्ध राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे और फिर श्रावस्ती की ओर चल पड़े। वे स्थान-स्थान भटकते हुए श्रावस्ती पहुँचे। वहाँ श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जेतवन, अनाथपिंडिका के उपवन में ठहरे।

उस समय पूज्य सारिपुत्त को बुखार हो गया था। पूज्य महा मोग्गलाना उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य सारिपुत्त थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य सारिपुत्त से कहा:

मित्र सारिपुत्त, तुम्हें हाल ही में बुखार आया था। यह कैसे ठीक हुआ?

'मेरे मित्र, विभिन्न प्रकार के कमल के डंठलों से होकर।'

फिर पूज्य महा मोग्गलाना, एक बलवान व्यक्ति के हाथ फैलाने या फैलाने के बाद उसे वापस समेटने की गति से ही, जेतवन से लुप्त हो गए और मंदाकिनी झील के किनारे प्रकट हुए।

2. और एक नाग ने आदरणीय महा को देखा।

मोग्गलाना दूर से आ रहे थे, और उन्हें देखकर उन्होंने पूज्य महा मोग्गलाना से कहा:

'हे प्रभु, आदरणीय महा मोग्गलाना, आपका स्वागत है। हे प्रभु, आदरणीय महा मोग्गलाना, आपको किस चीज की आवश्यकता है? मैं उन्हें क्या भेंट करूँ?'

मुझे विभिन्न प्रकार के कमलों के खाने योग्य डंठल चाहिए।

तब उस नाग ने दूसरे नाग को आदेश देते हुए कहा, 'अच्छा, मित्र, आदरणीय व्यक्ति को कमल के खाने योग्य डंठल दे दो।'

और वह नाग मंदाकिनी झील में कूद गया, और अपनी सूंड से कमल के खाने योग्य डंठल तोड़े, उन्हें अच्छी तरह धोया, और एक गठरी में बांधकर उस स्थान पर गया जहाँ पूज्य महा मोग्गलाना थे।

3. तब पूज्य महा मोग्गलाना धारा 1 में वर्णित अनुसार शीघ्र ही मंदाकिनी झील के किनारे से लुप्त हो गए और जेतवन में प्रकट हुए। फिर वह नाग भी मंदाकिनी झील के किनारे से लुप्त हो गया और जेतवन में प्रकट हुआ। और जब उस नाग ने पूज्य महा मोग्गलाना को कमल के वे खाद्य डंठल प्रदान किए, तो वह जेतवन से लुप्त हो गया और मंदाकिनी झील के किनारे प्रकट हुआ।

तब पूज्य महा मोग्गलाना ने पूज्य सारिपुत्त को कमल के वे खाद्य डंठल भेंट किए। जब पूज्य सारिपुत्त ने कमल के उन खाद्य डंठलों को खाया, तो उनका बुखार उतर गया। और उनमें से कई डंठल बच गए।

4. अब उस समय, कमी के दौरान (आदि, जैसा कि ऊपर, अध्याय-18 में, नीचे तक:) निमंत्रण स्वीकार नहीं किया।

'हे भिक्षुओं, इसे स्वीकार करो और खाओ। मैं उस भिक्षु को अनुमति देता हूँ जिसने भोजन किया है और फिर भी भोजन से इनकार किया है।

'जंगलों और तालाबों में उगने वाली चीजें खाने की पेशकश की जाती है, भले ही वे भोजन करने वाले व्यक्ति के बचे हुए अवशेष न हों।'

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.21
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.20) | अगला (6.22) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-21.

1. उस समय श्रावस्ती में खाने योग्य फल बहुतायत में थे, परन्तु उन्हें खाने की अनुमति देने वाला कोई नहीं था। और भिक्षु, किसी को नाराज करने के डर से, उन्हें नहीं खाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऐसे फल खाने की अनुमति देता हूँ जिनमें अभी तक बीज नहीं आए हों, या जिनमें अब बीज न हों, भले ही वहाँ कोई इसे जायज़ ठहराने वाला न हो।'

<<<< पिछला (6.20) | अगला (6.22) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.22
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.21) | अगला(6.23) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-22.

1. जब भगवान बुद्ध ने सावत्थी में अपनी इच्छानुसार समय व्यतीत कर लिया, तब वे राजगृह की यात्रा पर निकल पड़े। सीधे चलते हुए वे राजगृह पहुँचे और वहाँ वे वेलुवन में कलंदक-निवापा में ठहरे।

उस समय एक भिक्षु को फिस्टुला (मुँहासा) हो गया था। चिकित्सक आकाशगोत्ता ने उसका ऑपरेशन किया। और जब भगवान बुद्ध ने उसे देखा,

वह सभी के सोने के स्थानों का चक्कर लगा रहा था और उस स्थान पर आया जहाँ वह भिक्षु रहता था।

2. चिकित्सक आकाश-गोत्त ने दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा; और उन्हें देखकर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, 'आदरणीय गौतम बुद्ध आकर इस भिक्षु के मुख को देखें; यह तो इगुआना के मुख जैसा है!' भगवान बुद्ध ने सोचा, 'यह मूर्ख मेरा मजाक उड़ा रहा है,' इसलिए वे चुप रहे और मुँह फेर लिया। इसी कारण उन्होंने भिक्षु संघ की सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा, 'हे भिक्षुओं, क्या उस विहार में कोई भिक्षु बीमार है?'

'हाँ, प्रभु।'

'हे भिक्षुओं, उस भिक्षु को क्या हुआ है?'

'हे प्रभु, उस आदरणीय व्यक्ति को फिस्टुला हो गया है, और चिकित्सक अकासागोत्ता उसका चीरा लगा रहे हैं।'

3. महान बुद्ध ने (उस भिक्षु को) फटकारते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, यह उस मूर्ख के लिए अनुचित, अशोभनीय, भिक्षुओं के लिए अनुपयुक्त, अस्वीकार्य और नहीं किया जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, यह मूर्ख अपने शरीर के उस भाग पर शल्यक्रिया कैसे करवा सकता है? हे भिक्षुओं, वहाँ की त्वचा कोमल है, घाव का उपचार करना कठिन है, चाकू को चलाना मुश्किल है। हे भिक्षुओं, इससे अपरिवर्तित व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं होगा।'

और उसे फटकार लगाने के बाद, भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा: हे भिक्षुओं, तुम उस अंग पर शल्यक्रिया न होने दो।

अपने शरीरों का। जो कोई भी इसकी अनुमति देता है, वह थुलाकाया (बड़ा/गंभीर) अपराध का दोषी है।'

4. उस समय छब्बागिया भिक्षु, क्योंकि भगवान बुद्ध ने शल्यक्रिया को निषिद्ध कर दिया था, इसलिए वे एक एनीमा का प्रयोग करते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, हे भिक्षुओं, कि छब्बागीय भिक्षु कुदाल का प्रयोग करते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

उन्होंने उन्हें फटकारा और धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा: 'गुदा के चारों ओर दो इंच की दूरी के भीतर कोई शल्यक्रिया नहीं की जानी चाहिए, और न ही एनीमा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करता है, वह थुलकाया (गंभीर) अपराध का दोषी है।'

<<<< पिछला(6.21) । अगला(6.23) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.23
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.22) । अगला(6.24) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-23.

1. भगवान बुद्ध ने राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद बनारस की ओर प्रस्थान किया। स्थान-स्थान भटकते हुए वे बनारस पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध बनारस के निकट, इसिपताना नामक हिरण उद्यान में निवास करने लगे।

उस समय बनारस में एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ सुप्पिया और एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ महिला सुप्पिया थीं, जिन्होंने दोनों तरह से अपनी आस्था प्रदर्शित की: वे दाता और कर्ता थीं, और उन्होंने स्वयं को बिरादरी की सेवा में समर्पित कर दिया था। गृहस्थ भक्त सुप्पिया आराम (मठ) गईं, और विहार- विहार और कुटिया-कुटिया में घूम-घूम कर उन्होंने प्रार्थना की।

भिक्षुओं ने पूछा: 'आदरणीय महोदय, कौन बीमार है? किसके लिए और मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए?'

2. उस समय एक भिक्षु ने दस्त की दवा ली थी। उस भिक्षु ने गृहस्थ भक्त सुप्पिया से कहा: 'बहन, मैंने दस्त की दवा ली है और मुझे कुछ शोरबा चाहिए।'

(उसने उत्तर दिया): 'जी हाँ, आदरणीय महोदय, आपके लिए इसका इंतजाम कर दिया जाएगा,' और वह अपने घर गई और एक शिष्य को आदेश दिया: 'जाइए, मेरे भले महोदय, और देखिए कि क्या कोई मांस उपलब्ध है।'

उस व्यक्ति ने गृहस्थ साध्वी सुप्पिया का यह आदेश 'जी महोदया' कहकर स्वीकार किया और पूरे बनारस में खोजबीन की, पर उसे कहीं भी मांस नहीं मिला। तब वह व्यक्ति गृहस्थ साध्वी सुप्पिया के पास गया; उसके पास पहुँचकर उसने सुप्पिया से कहा: 'महोदय, मांस उपलब्ध नहीं है; आज पशुओं को मारना वर्जित है।'

3. तब गृहस्थ भक्त सुप्पिया ने सोचा, 'यदि उस बीमार भिक्षु को शोरबा नहीं मिला तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या वह मर जाएगा। मेरे लिए किसी चीज़ का वादा करना और उसे पूरा न करना तो सरासर अनुचित होगा;' (ऐसा सोचते हुए) उसने एक चाकू लिया, अपनी जांघ से मांस का एक टुकड़ा काटा और अपनी दासी को देते हुए कहा, 'जाओ, मेरी बच्ची,

और इससे शक्ति प्राप्त करो। फलाँ विहार में एक बीमार भिक्षु है; इसे उस भिक्षु को दे दो। और यदि कोई मुझे बुलाए, तो उसे कहना कि मैं बीमार हूँ;'—(ऐसा कहते हुए), उसने अपने ऊपरी वस्त्र से अपनी जांघ ढकी, अपने भीतरी कमरे में गई और अपने पलंग पर लेट गई।

4. और सुप्पिया, जो एक गृहस्थ भक्त थी, उसके घर आई और नौकरानी से पूछा: 'सुप्पिया कहाँ है?'

'वह भीतरी कमरे में लेटी हैं, महोदय।' तब गृहस्थ भक्त सुप्पिया उस स्थान पर गए जहाँ सुप्पिया लेटी थीं; उनके पास पहुँचकर उन्होंने सुप्पिया से कहा: 'आप क्यों लेटी हैं?'

'मैं बीमार हूं।'

'तुम्हारे साथ क्या बात है?'

तब सुप्पिया नामक गृहस्थ भक्त ने सारी बात सुप्पिया नामक गृहस्थ भक्त को बताई। सुप्पिया ने कहा, "अरे वाह! अरे आश्चर्य की बात है! यह सुप्पिया कितनी विश्वासयोग्य और कितनी पवित्र है जो जरूरतमंदों को अपना शरीर तक दे देती है। भला ऐसी कौन सी चीज है जो वह न दे?" (ऐसा कहते हुए) प्रसन्न और उत्साहित होकर वह उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर, आदरपूर्वक प्रणाम करके वह उनके निकट बैठ गया।

5. उनके पास बैठे हुए, गृहस्थ भक्त सुप्पिया ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध कल भिक्षुओं के समुदाय के साथ मेरे साथ भोजन करने की कृपा करेंगे?'

भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की। तब सुप्पिया नामक भक्त ने जब समझा कि भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने आसन से उठा, आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर मुँह करके उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए चला गया।

रात बीत जाने पर, गृहस्थ भक्त सुप्पिया ने उत्तम भोजन, जिसमें कठोर और नरम दोनों प्रकार के व्यंजन थे, तैयार करने का आदेश दिया और भगवान बुद्ध को भोजन का समय इस प्रकार सूचित किया: 'हे प्रभु, भोजन का समय हो गया है, भोजन तैयार है।' दोपहर होते ही भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण किए, भिक्षापात्र लिया और किवार धारण किए सुप्पिया के घर गए। वहाँ पहुँचकर वे अपने साथ आए भिक्षुओं के साथ उनके लिए लगाई गई सीटों पर बैठ गए।

6. और सुप्पिया नामक गृहस्थ भक्त भगवान बुद्ध के पास गया; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वह उनके निकट खड़ा हो गया। जब वह उनके पास खड़ा था, तब भगवान बुद्ध ने सुप्पिया नामक गृहस्थ भक्त से कहा, 'सुप्पिया कहाँ है?'

'वह बीमार है, प्रभु।'

'ठीक है, उसे यहाँ आने दो।'

'हे प्रभु, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है।'

'तो फिर तुम्हें उसे ले जाकर मेरे पास लाना होगा।'

तब गृहस्थ भक्त सुप्पिया ने उसे (बुद्ध के पास) ले जाकर रखा। और जैसे ही भगवान बुद्ध ने उसे देखा, वह बड़ा घाव ठीक हो गया; और वहाँ की त्वचा फिर से स्वस्थ हो गई, जिस पर छोटे-छोटे बाल थे।

7. और सुप्पिया, जो एक गृहस्थ भक्त था, (सोचा): 'अरे अद्‌भुत! अरे आश्चर्यजनक! तथागत (बुद्ध) के पास कितनी उच्च शक्ति और महान क्षमताएं हैं, कि जिस क्षण भगवान बुद्ध ने (सुप्पिया को) देखा, वह बड़ा घाव ठीक हो गया; और वहाँ की त्वचा अच्छी हो गई।'

उस पर मौजूद नन्हे-मुन्ने बालों के साथ; (ऐसा सोचते हुए) प्रसन्न और उत्साहित होकर उन्होंने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु समुदाय को उत्तम प्रकार का भोजन परोसा, जिसमें कठोर और नरम दोनों प्रकार के भोजन शामिल थे। जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपना कटोरा और हाथ धो लिए, तो वे उनके पास बैठ गए। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ भक्त सुप्पिया को धर्म प्रवचन देकर उपदेश दिया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया, और सुप्पिया गृहस्थ भक्त अपने आसन से उठकर चले गए।

8. इसके फलस्वरूप, और इस अवसर पर, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के समुदाय को एकत्रित होने का आदेश देकर भिक्षुओं से प्रश्न किया: 'हे भिक्षुओं, वह कौन था जिसने गृहस्थ भक्त सुप्पिया से मांस माँगा?'

जब उसने ऐसा कहा, तो उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मैंने ही गृहस्थ भक्त सुप्पिया से मांस माँगा था।'

'क्या यह आपके पास लाया गया है, हे भिक्षु?'

'हे प्रभु, इसे लाया जा चुका है।'

'क्या तुमने इसे खा लिया है, हे भिक्षु?'

'मैंने इसे खा लिया है, प्रभु।'

'और क्या तुमने, हे भिक्षुओं, यह पूछा कि वह कौन सा मांस था?'

'हे प्रभु! मैंने उस बारे में पूछताछ नहीं की थी।'

9. तब महान बुद्ध ने उसे फटकारा: 'हे मूर्ख, तुम बिना यह जाने कि मांस क्या है, उसे कैसे खा सकते हो? हे मूर्ख, तुमने मनुष्य का मांस खाया है। हे मूर्ख, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने के लिए उचित नहीं है।' (आदि)

उसे फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, विश्वासी और धर्मनिष्ठ लोग ऐसे भी हैं जो अपना शरीर भी त्याग देते हैं। हे भिक्षुओं, मनुष्य का मांस न खाओ। जो ऐसा करता है, वह थुलकाय (या गंभीर) अपराध करता है। और हे भिक्षुओं, बिना यह जाने कि मांस क्या है, मांस न खाओ। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

10. उस समय राजा के हाथी मर गए। अकाल के दौरान लोगों ने उन हाथियों का मांस खाया, और जब भिक्षु भिक्षा मांगने आए, तो उन्होंने उन्हें भी हाथी का मांस दे दिया। भिक्षुओं ने भी उस हाथी का मांस खा लिया। लोग नाराज़ हुए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए: 'शाक्यपुत्र भिक्षु हाथी का मांस कैसे खा सकते हैं? हाथी राजसी शान की निशानी हैं। अगर राजा को यह पता चल जाए, तो वे उसकी कृपा के पात्र नहीं रहेंगे।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, हाथी का मांस न खाओ। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

11. उस समय राजा के घोड़े मर गए। अकाल के दौरान (आदि, जैसा कि §-10 में है, नीचे तक:)

'हे भिक्षुओं, घोड़े का मांस न खाओ। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

12. उस समय अकाल के दौरान लोगों ने कुत्ते का मांस खाया, और जब भिक्षु भिक्षा मांगने आए, तो उन्होंने उन्हें कुत्ते का मांस दिया। भिक्षुओं ने वह कुत्ते का मांस खाया। लोग नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए, 'शाक्यपुत्र भिक्षु कुत्ते का मांस कैसे खा सकते हैं? कुत्ते तो घृणित और नफ़रत करने लायक जानवर हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, कुत्ते का मांस न खाओ। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

13. उस समय अकाल के दौरान लोग साँपों का मांस खाते थे (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 12 में है, नीचे तक): 'यह कैसे संभव है?'

क्या शाक्यपुत्रीय समन (भिक्षु) सर्पों का मांस खाते हैं? सर्प तो घिनौने और घृणित जानवर होते हैं।

और सर्पराज सुपस्सा उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके, वह उनके निकट खड़ा हो गया। उनके निकट खड़े होकर सर्पराज सुपस्सा ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, कुछ अविश्वासी सर्प हैं जो धर्म के प्रति उदासीन हैं; ये भिक्षुओं को तुच्छ बातों पर भी हानि पहुँचा सकते हैं। हे प्रभु, कृपया उनके भक्तों को सर्पों का मांस न खाने दें।' तब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचनों द्वारा सर्पराज सुपस्सा को उपदेश दिया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया (आदि, आगे तक), और अपनी दाहिनी ओर मुख करके उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए चले गए।

परिणामस्वरूप, भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, कोई भी सर्प का मांस न खाए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

14. उस समय शिकारियों ने एक शेर को मारकर उसका मांस खाया था। जब भिक्षु भिक्षा मांगने आए, तो उन्होंने उन्हें शेर का मांस दे दिया। शेर का मांस खाने के बाद भिक्षु जंगल में रहने लगे। तब शेरों को शेर के मांस की गंध से आकर्षित होकर उन पर हमला कर दिया गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, शेर का मांस न खाओ। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता अपराध करता है।'

15. उस समय शिकारियों ने एक बाघ, आदि, एक तेंदुआ, आदि, एक भालू, आदि, एक लकड़बग्घा (आदि, जैसा कि §-14 में नीचे तक है) को मार डाला था।

'हे भिक्षुओं, किसी को भी लकड़बग्घे का मांस नहीं खाना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कटा अपराध करता है।'

<<<< पिछला(6.22) | अगला(6.24) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.24
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.23) | अगला (6.25) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-24.

1. भगवान बुद्ध ने बनारस में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद, बारह सौ पचास भिक्षुओं के साथ अंधकविन्द की ओर प्रस्थान किया। उस समय देश के लोगों ने अपनी गाड़ियों में बहुत सारा नमक, तेल, चावल और पौष्टिक भोजन लादकर, बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समूह के पीछे-पीछे चलना शुरू किया (यह सोचते हुए कि जब हमारी बारी आएगी, तो हम उनके लिए भोजन बनाएंगे); और पाँच सौ लोगों ने भिक्षुओं के भोजन का बचा हुआ भाग खाकर उनके पीछे-पीछे प्रस्थान किया। और भगवान बुद्ध स्थान-स्थान भटकते हुए अंधकविन्द पहुँचे।

2. अब एक ब्राह्मण, जिसकी बारी नहीं आई थी, सोचने लगा: 'दो महीने बीत गए हैं और मैं बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समूह के साथ चल रहा हूँ, ताकि अपनी बारी आने पर उनके लिए भोजन बना सकूँ, पर मेरी बारी नहीं आई। मैं यहाँ अकेला हूँ, और मेरे कई घरेलू काम बिगड़ रहे हैं। अगर मैं राशन-कक्ष में देखूँ, और वहाँ मुझे जो कुछ न मिले, उसे (भिक्षुओं के लिए) कैसे तैयार करूँ!' तब उस ब्राह्मण ने राशन-कक्ष में देखा और वहाँ दो प्रकार के भोजन, चावल-दूध और शहद के टुकड़े, नहीं पाए।

3. और वह ब्राह्मण उस स्थान पर गया जहाँ पूज्य आनंद विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उसने पूज्य आनंद से कहा: "हे प्रिय आनंद, मेरी बारी न आने पर मैंने सोचा: "दो महीने बीत चुके हैं (आदि, आगे तक)। यदि मैं राशन-कक्ष में देख लूँ तो क्या होगा, और मुझे क्या नहीं देखना चाहिए।"

"तो हे मेरे प्रिय आनंद, मैंने राशन कक्ष में देखा और वहाँ मुझे दो प्रकार के भोजन, चावल-दूध और शहद के टुकड़े नहीं मिले। हे मेरे प्रिय आनंद, यदि मैं भिक्षुओं के लिए चावल-दूध और शहद के टुकड़े तैयार करूँ, तो क्या पूज्य गौतम इसे मुझसे स्वीकार करेंगे?"

'अच्छा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं भगवान बुद्ध से पूछूंगा।'

4. और पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'अच्छा, आनंद, उसे (ये व्यंजन) तैयार करने दो।'

'अच्छा, मेरे भले ब्राह्मण, आप (उन व्यंजनों को) तैयार कर सकते हैं।'

और जब रात बीत गई, तो उस ब्राह्मण ने प्रचुर मात्रा में चावल का दूध और शहद के टुकड़े तैयार करवाए और उन्हें भगवान बुद्ध को अर्पित करते हुए कहा: 'आदरणीय गौतम बुद्ध, कृपया मेरे इस चावल के दूध और शहद के टुकड़ों को स्वीकार करें।'

"हे मेरे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसे भिक्षुओं को दे दीजिए।" भिक्षुओं ने नाराज़गी के भय से इसे स्वीकार नहीं किया। "हे भिक्षुओं, इसे स्वीकार कीजिए और खा लीजिए।"

तब उस ब्राह्मण ने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समुदाय को प्रचुर मात्रा में चावल-दूध और शहद के टुकड़े परोसे; और जब भगवान बुद्ध ने अपने हाथ धो लिए, अपना कटोरा और हाथ साफ कर लिए, तो वे उनके पास बैठ गए।

5. जब भगवान बुद्ध उनके पास बैठे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा: 'हे ब्राह्मण, चावल के दूध से दस गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह दस गुना कैसे है? जो चावल का दूध देता है, वह जीवन देता है; वह रंग देता है; वह आनंद देता है; वह शक्ति देता है; वह मन की तत्परता देता है; चावल का दूध पीने से भूख मिटती है; प्यास बुझती है;

यह शरीर के दोषों को ठीक करता है; मूत्राशय को शुद्ध करता है; और पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है। हे ब्राह्मण, चावल के दूध में ये दस गुना गुण निहित हैं।

6. 'जो व्यक्ति उचित समय पर ध्यानपूर्वक आत्मसंतुष्ट लोगों को, जो दूसरों द्वारा दी गई चीजों पर जीते हैं, चावल का दूध देता है, वह उन्हें दस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा: जीवन और रंग, आनंद और शक्ति (वह उन्हें देता है);

इससे मन की तत्परता उत्पन्न होती है; यह भूख और प्यास को दूर करता है और शरीर के रसों को संतुलित करता है; यह मूत्राशय को शुद्ध करता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है। पूर्ण पुरुष ने इसे औषधि के रूप में सराहा है।

इसलिए, जो व्यक्ति आनंद की लालसा रखता है, जो स्वर्गीय आनंद की इच्छा रखता है, या जो मानवीय समृद्धि की आकांक्षा रखता है, उसे निरंतर चावल का दूध देना चाहिए।

7. और भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों से उस ब्राह्मण को प्रसन्न करके अपने आसन से उठकर चले गए।

और इस घटना के फलस्वरूप, भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें चावल का दूध और शहद के टुकड़े ग्रहण करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (6.23) । अगला (6.25) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.25

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.24) । अगला(6.26) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-25.

1. अब लोगों ने सुना, 'भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को चावल-दूध और शहद के टुकड़े ग्रहण करने की अनुमति दे दी है।' उन्होंने सुबह जल्दी ही चावल-दूध और शहद के टुकड़े तैयार कर लिए। भिक्षुओं ने जब उन्हें चावल-दूध और शहद से बनी ठोस रोटी से तृप्त किया, तो उन्होंने उसे खा लिया।

सुबह चावल के दूध और शहद के टुकड़ों से भोजन करने के बाद, (उसके बाद) भोजन कक्ष में भूख से भोजन नहीं किया। उसी समय एक मंत्री, जिसने अभी-अभी धर्म परिवर्तन किया था, ने अगले दिन बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समुदाय को आमंत्रित किया था। अब उस नवधर्मी मंत्री ने सोचा: 'क्या होगा यदि मैं इन बारह सौ पचास भिक्षुओं के लिए बारह सौ पचास मांसाहारी व्यंजन तैयार करूँ और प्रत्येक भिक्षु को एक-एक व्यंजन दूँ!'

2. जब वह रात बीत गई, तो उस नवधर्मी मंत्री ने उत्तम भोजन, जिसमें कठोर और नरम दोनों प्रकार के व्यंजन थे, तथा बारह सौ पचास मांसाहारी व्यंजन तैयार करने का आदेश दिया और भगवान बुद्ध को भोजन का समय इस प्रकार सूचित किया: 'हे प्रभु, भोजन तैयार है।' दोपहर होते ही भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण किए, भिक्षापात्र लिया और किवार धारण किए उस नवधर्मी मंत्री के घर गए। वहाँ पहुँचकर वे अपने साथ आए भिक्षुओं के साथ उनके लिए लगाई गई सीटों पर बैठ गए।

3. फिर उस नव-धर्मांतरित मंत्री ने अपने भोजन कक्ष में भिक्षुओं की सेवा की। भिक्षुओं ने उससे कहा: 'मित्र, हमें थोड़ा दीजिए; मित्र, हमें थोड़ा दीजिए।'

'हे आदरणीय महोदय, कम मत लीजिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि "यह भिक्षु अभी-अभी परिवर्तित हुआ है।" मैंने भरपूर भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, तथा बारह सौ पचास मांसाहारी व्यंजन तैयार किए हैं; मैं प्रत्येक भिक्षु को एक-एक व्यंजन मांसाहारी भेंट करूँगा। हे आदरणीय महोदय, आप जितना चाहें उतना ले लीजिए।'

'मित्र, यह वह कारण नहीं है जिसके लिए हम कम खाते हैं। बल्कि हमने सुबह चावल के दूध और शहद के टुकड़ों से अपना पेट भर लिया है; इसलिए हम कम खाते हैं।'

4. और वह नवधर्मी मंत्री नाराज़ होकर बड़बड़ाया और क्रोधित हो गया: 'मैंने उन्हें आमंत्रित किया है, फिर भी वे अन्य लोगों के साथ चावल का दूध कैसे ग्रहण कर सकते हैं, मानो मैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार देने में असमर्थ हूँ।' (ऐसा सोचते हुए) वह क्रोधित, असंतुष्ट और आक्रामक स्वभाव से भिक्षुओं के कटोरे भरता हुआ (और कहता हुआ) घूम रहा था, 'खाओ या ले जाओ!' और उस नवधर्मी मंत्री ने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु समुदाय को उत्तम भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, परोसा और अर्पित किया; और जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपना कटोरा और हाथ धो लिए, तो वे उसके पास बैठ गए। और भगवान बुद्ध ने अपने पास बैठे उस नवधर्मी मंत्री को धर्म प्रवचन द्वारा उपदेश, प्रोत्साहन, उत्साह और प्रसन्नता प्रदान करने के बाद, अपने आसन से उठकर चले गए।

5. भगवान बुद्ध के चले जाने के तुरंत बाद, उस नव-धर्मांतरित मंत्री को शंका और पश्चाताप सताने लगा: 'हाय, यह मेरे लिए बुरा है, अच्छा नहीं! हाय, यह मेरे लिए हानि है, लाभ नहीं कि मैं भिक्षुओं के बीच क्रोधित, असंतुष्ट और अपमानजनक स्वभाव से घूम-घूम कर उनके प्याले भरता रहा (और कहता रहा), "खाओ या ले जाओ!" इससे मुझे क्या लाभ हुआ, अधिक पुण्य या अधिक पाप?'

और वह नवधर्मी मंत्री उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वह उनके निकट बैठ गया। उनके निकट बैठे हुए उस नवधर्मी मंत्री ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, भगवान बुद्ध के जाने के तुरंत बाद, मेरे मन में शंकाएँ और पश्चाताप उत्पन्न हो गए हैं: हाय, यह मेरे लिए कितना बड़ा पाप है।"

(और इसी तरह) अधिक पुण्य या अधिक पाप? हे प्रभु, मैंने इससे क्या अर्जित किया, अधिक पुण्य या अधिक पाप?

6. 'हे मित्र, जिस क्षण तुमने बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु समुदाय को अगले दिन के लिए आमंत्रित किया, उसी क्षण तुमने बहुत पुण्य अर्जित किया। और जिस क्षण प्रत्येक भिक्षु ने तुमसे चावल का एक टुकड़ा ग्रहण किया, उसी क्षण तुमने बहुत पुण्य अर्जित किया। तुमने स्वर्ग का उत्तराधिकार प्राप्त किया।'

तब उस नवधर्मी मंत्री ने सोचा: 'अरे, यह तो मेरे लिए अच्छा है! अरे, यह तो मेरा लाभ है! मैंने बहुत पुण्य अर्जित किया है! मुझे स्वर्ग का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है!' और प्रसन्न और आनंदित होकर वह अपने आसन से उठे, भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर मुड़कर उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए चले गए।

7. इसके फलस्वरूप, और इस अवसर पर, भगवान बुद्ध ने भिक्षु समुदाय को एकत्रित होने का आदेश देकर भिक्षुओं से प्रश्न किया: 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि भिक्षुओं को एक स्थान पर आमंत्रित करके अन्य व्यक्तियों के साथ ठोस चावल-दूध ग्रहण किया जाता है?'

'यह सच है, प्रभु।'

तब महान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकारा: 'हे भिक्षुओं, ये मूर्ख लोग एक स्थान पर आमंत्रित होकर अन्य लोगों के साथ चावल का दूध कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने के लिए उचित नहीं है।' इत्यादि। उन्हें फटकारने और धर्म प्रवचन देने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, जब किसी को एक स्थान पर आमंत्रित किया जाए, तो वह अन्य लोगों के साथ चावल का दूध ग्रहण न करे। जो ऐसा करता है, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए।'

<<<< पिछला(6.24) | अगला(6.26) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.26

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.25) | अगला (6.27) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-26.

1. भगवान बुद्ध ने अंधकविन्द में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद, बारह सौ पचास भिक्षुओं के साथ राजगृह के लिए प्रस्थान किया। उस समय बेलत्था कक्कना राजगृह से अंधकविन्द जाने वाले मार्ग पर चीनी के घड़ों से भरी पाँच सौ गाड़ियाँ लेकर यात्रा कर रहा था। भगवान बुद्ध ने दूर से बेलत्था कक्कना को आते देखा; उसे देखते ही वे मार्ग छोड़कर एक वृक्ष की गोद में बैठ गए।

2. बेलात्था कक्कना उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके निकट खड़े हो गए। उनके पास खड़े होकर बेलात्था कक्कना ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं प्रत्येक भिक्षु को एक घड़ा चीनी भेंट करूँ।'

'अच्छा, कक्काना, यहाँ एक बर्तन चीनी ले आओ।'

बेलात्था कक्कना ने भगवान बुद्ध के इस आदेश को स्वीकार करते हुए (यह कहते हुए कि, 'जी प्रभु,') चीनी का एक बर्तन लिया और उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मैं चीनी का बर्तन यहाँ लाया हूँ; मुझे इसका क्या करना चाहिए?'

'अच्छा, कक्कना, भिक्षुओं को चीनी दे दो।'

3. बेलात्था कक्कना ने भगवान बुद्ध के इस आदेश को स्वीकार करते हुए (यह कहते हुए), 'जी प्रभु,' कहा और आगे

मैंने भिक्षुओं को चीनी दी और भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मैंने भिक्षुओं को चीनी दे दी है, लेकिन बहुत सी चीनी बच गई है; मैं इसका क्या करूँ, प्रभु?'

'अच्छा, कक्कना, भिक्षुओं को जितनी चीनी चाहिए उतनी दे दो।'

बेलात्था कक्कना ने भगवान बुद्ध के इस आदेश को स्वीकार करते हुए (यह कहते हुए कि, 'जी प्रभु,') भिक्षुओं को उनकी इच्छानुसार चीनी दी और भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मैंने भिक्षुओं को उनकी इच्छानुसार चीनी दे दी है, लेकिन बहुत सी चीनी बच गई है; मैं इसका क्या करूँ, प्रभु?'

'अच्छा, कक्कना, भिक्षुओं को जी भरकर चीनी खाने दो।'

बेलात्था कक्कना ने भगवान बुद्ध के इस आदेश को 'हां, प्रभु' कहकर स्वीकार किया और भिक्षुओं को जी भरकर चीनी खाने दिया; कुछ भिक्षुओं ने अपने कटोरे भर लिए और अपने पानी छानने वाले बर्तन और थैले भी चीनी से भर लिए।

4. और बेलात्था कक्कना ने भिक्षुओं को तृप्त चीनी खिलाकर, भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, भिक्षुओं ने तृप्त चीनी खा ली है, लेकिन बहुत सी चीनी बच गई है; मैं इसका क्या करूँ, प्रभु?'

'अच्छा, कक्कना, जो लोग भिक्षुओं के भोजन का अवशेष खाते हैं, उन्हें चीनी दे दो,' इत्यादि।

'अच्छा, कक्कना, भिक्षुओं के भोजन के अवशेष खाने वालों को जितनी चीनी चाहिए उतनी दे दो,' इत्यादि।

5. 'अच्छा, कक्कना, जो लोग भिक्षुओं के भोजन का बचा हुआ भाग खाते हैं, वे चीनी से जी भर लें' (आदि, नीचे तक); भिक्षुओं के भोजन का बचा हुआ भाग खाने वाले कुछ लोगों ने अपना पेट भर लिया

उन्होंने बर्तन और घड़े लिए, और अपनी टोकरियों और अपने कपड़ों की तहों को उससे भर दिया।

6. और बेलात्था कक्कना ने भिक्षुओं के भोजन के बचे हुए भाग को खाने वाले लोगों को चीनी से तृप्त कर देने के बाद भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, भिक्षुओं के भोजन के बचे हुए भाग को खाने वाले लोगों ने चीनी से तृप्त कर लिया है, लेकिन बहुत सी चीनी बच गई है; हे प्रभु, मैं इसका क्या करूँ?'

कक्कना, मनुष्यों और देवताओं के संसार में, मार और ब्रह्मा के संसार में, सभी प्राणियों में, समन (भिक्षुओं) और ब्राह्मणों (पुजारियों), देवताओं और मनुष्यों में, मुझे तथागत (बुद्ध) या तथागत के शिष्य के सिवा कोई ऐसा प्राणी नहीं दिखता जो उस चीनी को खाने के बाद पूरी तरह से आत्मसात कर सके। इसलिए, कक्कना, उस चीनी को घास रहित स्थान पर फेंक दो, या उसे ऐसे जल में विसर्जित कर दो जिसमें कोई जीव-जंतु न हों।

बेलात्था कक्कना ने भगवान बुद्ध के इस आदेश को (यह कहकर) स्वीकार किया, 'हां, प्रभु,' और उस चीनी को ऐसे पानी में डुबो दिया जिसमें कोई जीवित प्राणी नहीं थे।

7. और जब चीनी को पानी में डाला गया, तो वह फुफकारने लगी, बुलबुले उठने लगे, भाप निकलने लगी और धुआँ निकलने लगा। जैसे दिनभर गर्म किया हुआ हल पानी में डालने पर फुफकारने लगता है, बुलबुले उठने लगते हैं, भाप निकलने लगती है और धुआँ निकलने लगता है, वैसे ही चीनी को पानी में डालने पर फुफकारने लगी, बुलबुले उठने लगे, भाप निकलने लगी और धुआँ निकलने लगा। और बेलात्था कक्कना भयभीत होकर और डर से अपने बाल खड़े करके उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वह उनके पास बैठ गया।

8. जब बेलात्था कक्कना उसके पास बैठी थी,

भगवान बुद्ध ने उचित समय पर उन्हें उपदेश दिया; अर्थात् उन्होंने दान देने के पुण्य, नैतिकता के कर्तव्य, स्वर्ग, बुराइयों, व्यर्थता और कामवासनाओं के दूषित होने तथा कामवासनाओं के त्याग के आशीर्वादों के बारे में बताया। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि बेलात्था कक्कना का मन तैयार, ग्रहणशील, सत्य को समझने में बाधाओं से मुक्त, प्रसन्न और विश्वासी है, तब उन्होंने बुद्धों के प्रमुख सिद्धांत, अर्थात् दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और मार्ग का उपदेश दिया। जिस प्रकार एक साफ, बिना दाग वाला कपड़ा रंग को ठीक से सोख लेता है, उसी प्रकार बेलात्था कक्कना ने वहाँ बैठे-बैठे ही सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त कर ली: 'जो कुछ भी उत्पत्ति की स्थिति के अधीन है, वह निवारण की स्थिति के भी अधीन है।'

9. सत्य को देखकर, सत्य में महारत हासिल करके, सत्य को समझकर, सत्य में मर्मस्पर्शी होकर, अनिश्चितता पर विजय प्राप्त करके, सभी शंकाओं को दूर करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, गुरु के उपदेश के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न रहकर, बेलात्था कक्कना ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु! हे प्रभु! जैसे कोई उलटी हुई चीज़ को सीधा खड़ा कर दे, या छिपी हुई चीज़ को प्रकट कर दे, या भटके हुए व्यक्ति को रास्ता दिखा दे, या अंधेरे में दीपक जला दे ताकि देखने वाले दृश्य देख सकें, वैसे ही भगवान बुद्ध ने अनेक तरीकों से उपदेश दिया है। हे प्रभु, मैं भगवान बुद्ध, धम्म और भिक्षुओं के समुदाय में शरण लेता हूँ;

भगवान बुद्ध मुझे आज से मेरे जीवन भर के लिए एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें, जिसने उनकी शरण ली है।

<<<< पिछला (6.25) । अगला (6.27) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.27
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.26) । अगला(6.28) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-27.

और भगवान बुद्ध स्थान-स्थान घूमते हुए राजगृह पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध राजगृह के पास वेलुवन में कलांदकनिवापा में निवास करने लगे। उस समय राजगृह के भिक्षुओं के पास चीनी प्रचुर मात्रा में थी। भिक्षुओं को भय था कि कहीं वे भगवान बुद्ध को नाराज न कर दें (और उन्होंने सोचा): 'भगवान बुद्ध ने चीनी खाने की अनुमति केवल बीमारों को दी है, स्वस्थों को नहीं,' इसलिए उन्होंने चीनी नहीं खाई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं बीमारों को चीनी खाने की और स्वस्थों को चीनी का पानी पीने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(6.26) । अगला(6.28) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-28.

1. भगवान बुद्ध ने राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद, बारह सौ पचास भिक्षुओं के साथ पाटलिगमा की ओर प्रस्थान किया। स्थान-स्थान भटकते हुए भगवान बुद्ध पाटलिगमा पहुँचे।

तब पाटालिगमा के गृहस्थ भक्तों ने सुना, 'भगवान बुद्ध पाटालिगमा आ गए हैं।' और पाटालिगमा के गृहस्थ भक्त उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। जब वे उनके निकट बैठे, तो भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा पाटालिगमा के गृहस्थ भक्तों को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया।

2. पाटालिगमा के गृहस्थ भक्त, भगवान बुद्ध द्वारा धर्म प्रवचन से शिक्षित, प्रोत्साहित, प्रेरित और प्रसन्न होकर, भगवान बुद्ध से कहने लगे, "हे प्रभु, क्या आप भिक्षु समुदाय के साथ हमारे विश्रामगृह में आने की कृपा करेंगे?" भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की। तब पाटालिगमा के गृहस्थ भक्त, जब उन्हें समझ आया कि भगवान बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वे अपने आसनों से उठे, भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर मुख करके उनकी परिक्रमा करते हुए विश्रामगृह की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने विश्रामगृह के पूरे फर्श पर चटाई बिछाई, आसन लगाए, एक जलपात्र रखा और एक तेल का दीपक जलाया। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट आसीन हो गए।

3. उनके पास खड़े पाटलिपुत्त के गृहस्थ भक्तों ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, हमने विश्रामगृह के पूरे फर्श पर (रेत) बिछा दी है, हमने उसमें आसन लगाए हैं, एक जलपात्र स्थापित किया है, और

मैंने तेल का दीपक जलाया। हे भगवान, अब वे जो चाहें करें।

दोपहर के समय भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण किए, भिक्षापात्र लिया और किवार धारण किए हुए अपने पीछे आने वाले भिक्षुओं के साथ विश्रामगृह की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पैर धोए, विश्रामगृह में प्रवेश किया और मध्य स्तंभ के पास पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। भिक्षुओं ने भी अपने पैर धोए, विश्रामगृह में प्रवेश किया और पश्चिम की दीवार के पास पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए, उनके मुख भगवान बुद्ध के सामने थे। पाटालिगमा के गृहस्थ भक्तों ने भी अपने पैर धोए, विश्रामगृह में प्रवेश किया और पूर्व की दीवार के पास पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ गए, उनके मुख भगवान बुद्ध के सामने थे।

4. तब भगवान बुद्ध ने पाटालिगमा के गृहस्थ भक्तों को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे गृहस्थों, दुराचारी को उसके अधर्म के कारण पाँच प्रकार की हानि होती है। और ये पाँच प्रकार की हानियाँ क्या हैं? हे गृहस्थों, पहली हानि यह है कि अधर्मी दुराचारी आलस्य के कारण घोर दरिद्र हो जाता है; यह दुराचारी की अधर्मता के कारण होने वाली पहली हानि है। फिर, हे गृहस्थों, अधर्मी दुराचारी की बदनामी दूर-दूर तक फैल जाती है; यह दूसरी हानि है, इत्यादि। फिर, हे गृहस्थों, अधर्मी दुराचारी जिस भी समाज में प्रवेश करता है—चाहे वह कुलीनों का हो, ब्राह्मणों का हो, गृहस्थों के मुखियाओं का हो या समनों का—वह संकोच और भ्रम में प्रवेश करता है; यह तीसरी हानि है, इत्यादि। फिर, हे गृहस्थों, अधर्मी दुराचारी मरते समय चिंता से भरा रहता है; यह चौथी हानि है, इत्यादि। फिर, हे गृहस्थों,

हे गृहस्थों, निर्गुण कर्म करने वाला व्यक्ति, मृत्यु के बाद अपने शरीर के नष्ट होने पर, किसी कष्ट और दंड की अवस्था में, दुख और नरक की अवस्था में पुनर्जन्म लेता है; यह पाँचवाँ दंड है।

5. हे गृहस्थों, सदाचार के अभ्यास से सद्‌गुणी को पाँच प्रकार का लाभ होता है। और यह पाँच प्रकार का लाभ क्या है? हे गृहस्थों, प्रथम स्थान पर, सदाचार में दृढ़ सद्‌गुणी अपने परिश्रम से अपार धन अर्जित करता है; यह सदाचार के अभ्यास से सद्‌गुणी का प्रथम लाभ है। फिर, हे गृहस्थों, सदाचार में दृढ़ सद्‌गुणी के बारे में अच्छी ख्याति दूर-दूर तक फैलती है; यह द्वितीय लाभ है, इत्यादि। फिर, हे गृहस्थों, सदाचार में दृढ़ सद्‌गुणी जिस भी समाज में प्रवेश करता है—चाहे वह कुलीनों का हो, ब्राह्मणों का हो, गृहस्थों के मुखियाओं का हो या सामंतों का—वह आत्मविश्वास और आत्मसंयम के साथ प्रवेश करता है; यह तृतीय लाभ है, इत्यादि। फिर, हे गृहस्थों, सदाचार में दृढ़ सद्‌गुणी चिंतामुक्त होकर प्राण त्यागता है; यह चतुर्थ लाभ है, इत्यादि। फिर, हे गृहस्थों, सदाचार में दृढ़ सद्‌गुणी अपने शरीर के नष्ट होने पर, मृत्यु के बाद, स्वर्ग में किसी सुखी अवस्था में पुनर्जन्म लेता है; यह पाँचवाँ है, इत्यादि। हे गृहस्थों, यह नेक कर्म करने वाले को उसके धार्मिक आचरण के द्वारा प्राप्त होने वाला पाँच गुना लाभ है।

6. जब भगवान बुद्ध ने इस प्रकार रात भर पाटलिगमा के गृहस्थ भक्तों को धर्म प्रवचन देकर उपदेश दिया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया, तो उन्होंने उन्हें यह कहते हुए विदा किया, 'हे गृहस्थों, रात काफी बीत चुकी है। अब आप जो उचित समझें, वह करें।' पाटलिगमा के गृहस्थ भक्तों ने भगवान बुद्ध की बात को 'जी प्रभु' कहकर स्वीकार किया और अपने आसन से उठ खड़े हुए।

कुछ लोगों ने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर मुंह करके उनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए चले गए।

7. और पाटालिगमा के गृहस्थ भक्तों के वहां से चले जाने के कुछ ही समय बाद, भगवान बुद्ध ध्यान में लीन होने के लिए एक सुनसान जगह पर चले गए।

उस समय मगध के दो मंत्री, सुनीधा और वस्सकारा, वज्जियों को खदेड़ने के लिए पाटलिगमा में एक किलेबंद नगर का निर्माण कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने भोर के समय, सुबह जल्दी उठकर, अपनी दिव्य और स्पष्ट दृष्टि से, जो सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से कहीं अधिक थी, पाटलिगमा की भूमि पर विचरण करने वाली असंख्य परियों को देखा। अब, जहाँ कहीं भी शक्तिशाली परियाँ निवास करती हैं, वे शक्तिशाली राजाओं और मंत्रियों के हृदय को वहाँ निवास स्थान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जहाँ कहीं भी मध्यम शक्ति वाली परियाँ निवास करती हैं, वहाँ मध्यम शक्ति वाले राजाओं और मंत्रियों के हृदय को वहाँ निवास स्थान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

8. तब भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से कहा: 'आनंद, पाटालिगमा में नगर का निर्माण कौन कर रहे हैं?'

'हे प्रभु, मगध के दो मंत्री सुनीधा और वासकारा, वज्जियों को खदेड़ने के लिए पाटलिगामा में एक नगर का निर्माण कर रहे हैं।'

"मानो, उन्होंने तावतिंसा देवताओं से परामर्श किया हो, इसलिए (सही जगह पर), आनंद, मगध के मंत्री सुनीधा और वस्सकारा ने वज्जियों को खदेड़ने के लिए पाटलिगामा में इस नगर का निर्माण किया। जब मैं भोर में उठा, आनंद, तो मैंने अपनी दिव्य और स्पष्ट दृष्टि से देखा (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 7 में है, आगे तक): कि वे निम्न राजाओं और मंत्रियों के हृदयों को वहाँ निवास स्थान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जहाँ तक आर्य लोग निवास करते हैं, जहाँ तक व्यापारी यात्रा करते हैं, यह प्रमुख नगर, पाटलिपुत्त का नगर बन जाएगा। परन्तु, आनंद, पाटलिपुत्त पर तीन प्रकार से विनाश का खतरा मंडराएगा: अग्नि से, जल से, या आंतरिक कलह से।"

9. मगध के मंत्री सुनीधा और वस्सकारा उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया; प्रणाम और विनम्र शब्दों का आदान-प्रदान करने के बाद वे उनके निकट खड़े हो गए; फिर उनके पास खड़े होकर मगध के मंत्री सुनीधा और वस्सकारा ने भगवान बुद्ध से कहा, 'क्या पूज्य गौतम आज भिक्षुओं के साथ हमारे साथ भोजन करने की कृपा करेंगे?'

भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की। तब मगध के मंत्री सुनीधा और वस्सकारा, जब उन्हें समझ आया कि भगवान बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वे चले गए।

10. और मगध के मंत्रियों सुनीधा और वासकारा ने उत्तम भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, तैयार करने का आदेश दिया, और उनके लिए लगाए गए आसनों पर भोजन का समय घोषित करवाया। मगध के मंत्रियों सुनीधा और वासकारा ने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु समुदाय को उत्तम भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, परोसा और भेंट किया; और जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपना कटोरा और हाथ धो लिए, तो वे उनके पास बैठ गए। जब वे उनके पास बैठे थे, तब भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों से मगध के मंत्रियों सुनीधा और वासकारा को प्रसन्न किया:

11. 'जहाँ कहीं भी विवेकशील व्यक्ति अपना निवास स्थान बनाए, वहाँ वह अच्छे और ईमानदार, आत्मसंयमित पुरुषों का समर्थन करे।

'वह वहां विराजमान सभी देवताओं को भेंट चढ़ाए। उनका आदर किया जाएगा, वे उसका आदर करेंगे; उनका सम्मान किया जाएगा, वे भी उसका सम्मान करेंगे;'

'उसके प्रति वैसे ही दयालु रहो जैसे एक माँ अपने गर्भ के पुत्र के प्रति होती है। और जिस मनुष्य पर देवताओं की कृपा होती है, वह सौभाग्यशाली होता है।'

और भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों से मगध के मंत्रियों सुनीधा और वस्सकारा को प्रसन्न करके अपने आसन से उठकर चले गए।

12. और मगध के मंत्री सुनीधा और वस्सकरा भगवान बुद्ध के पीछे-पीछे चलते हुए कहने लगे, "आज जिस द्वार से समना गौतम (बुद्ध) बाहर जाएंगे, उसका नाम गौतम द्वार होगा, और जिस घाट से वे गंगा नदी पार करेंगे, उसका नाम गौतम घाट होगा।" और जिस द्वार से भगवान बुद्ध बाहर गए,

उस द्वार को गौतम द्वार कहा जाता था। और भगवान बुद्ध नदी की ओर चल पड़े। उस समय गंगा नदी उफान पर थी; और दूसरे किनारे पर जाने की इच्छा से, कुछ लोग नावों की तलाश करने लगे, कुछ लकड़ी के बेड़ों की, जबकि कुछ ने टोकरियों से बेड़े बनाए।

13. भगवान बुद्ध ने उन लोगों को देखा जो गंगा के दूसरे किनारे पर जाना चाहते थे, कुछ नावों की तलाश में थे, कुछ लकड़ी के बेड़ों की, और कुछ टोकरियों से बेड़े बना रहे थे। उन्हें देखकर वे इतनी जल्दी गायब हो गए जैसे कोई बलवान व्यक्ति अपनी मुड़ी हुई भुजा को फैलाकर या समेटकर फुर्ती से गंगा के इस किनारे से गायब हो जाता है, और भिक्षुओं के साथ दूसरे किनारे पर खड़े हो गए।

और भगवान बुद्ध ने यह सब देखकर इस अवसर पर यह गंभीर वचन कहा:

'जो लोग समुद्र की बाढ़ को पार करते हुए तालाबों के पार एक ठोस मार्ग बनाते हैं--'

'जबकि व्यर्थ संसार अपनी नावों को बांधता है: ये ही बुद्धिमान हैं, यही वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं।'

<<<< पिछला(6.27) । अगला(6.29) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.29
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.28) । अगला (6.30) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-29.

1. और भगवान बुद्ध कोटिगामा गए। वहाँ कोटिगामा में भगवान बुद्ध निवास करने लगे। और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

हे भिक्षुओं, चार आर्य सत्यों को न समझने और न ग्रहण करने के कारण ही हम दोनों को इस जन्म-जन्म के थकाऊ मार्ग पर इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है, इतना लंबा भटकना पड़ा है। और ये चार सत्य क्या हैं? हे भिक्षुओं, दुख के आर्य सत्य को न समझने और न ग्रहण करने के कारण; दुख के कारण के आर्य सत्य को न समझने और न ग्रहण करने के कारण; दुख के निवारण के आर्य सत्य को न समझने और न ग्रहण करने के कारण; दुख के निवारण की ओर ले जाने वाले मार्ग के आर्य सत्य को न समझने और न ग्रहण करने के कारण ही हम दोनों को इस जन्म-जन्म के थकाऊ मार्ग पर इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है, इतना लंबा भटकना पड़ा है।

2. “हे भिक्षुओं, अब दुख के आर्य सत्य को समझ लिया गया है और ग्रहण कर लिया गया है; दुख के कारण, दुख के निवारण आदि, दुख के निवारण की ओर ले जाने वाले मार्ग आदि के आर्य सत्य को समझ लिया गया है और ग्रहण कर लिया गया है। जीवन की लालसा जड़ से उखड़ गई है; जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है वह नष्ट हो गया है; और अब कोई जन्म नहीं है!”

'चार आर्य सत्यों को उनके वास्तविक स्वरूप में न देखने के कारण, अनेक जन्मों के कष्ट से भरा लंबा मार्ग तय करना पड़ता है।'

'अब ये बातें समझ में आ गई हैं; जन्म का कारण दूर हो गया है, दुख की जड़ जड़ से उखाड़ दी गई है, और अब कोई जन्म नहीं होता।'

<<<< पिछला (6.28) । अगला (6.30) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.30
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.29) । अगला (6.31) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-30.

1. अब वेश्या अंबपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध कोटिगामा आ गए हैं। अंबपाली ने कई भव्य वाहन तैयार करने का आदेश दिया, उनमें से एक वाहन पर सवार हुई और भगवान बुद्ध से मिलने के लिए वैशाली को उसके भव्य वाहन के साथ छोड़कर चली गई। वह रथ में बैठकर उतनी दूर तक गई जहाँ तक रथों का आवागमन संभव था; वहाँ वह उतर गई; और पैदल चलकर उस स्थान पर पहुँची जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके वह उनके निकट बैठ गई।

2. जब वह उनके पास बैठी थीं, तब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा वेश्या अंबपाली को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया। और धर्म प्रवचन द्वारा भगवान बुद्ध से शिक्षा आदि प्राप्त करने के बाद वेश्या अंबपाली ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, क्या आप कल भिक्षुओं के समुदाय के साथ मेरे साथ भोजन करने की कृपा करेंगे?'

भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की।

तब जब वेश्या अंबपाली को यह समझ आया कि भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने स्थान से उठी, आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी दाहिनी ओर उनकी ओर करके उनके चारों ओर घूमकर चली गई।

3. वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध कोटिगामा आ गए हैं। उन्होंने अनेक भव्य वाहन तैयार करवाए, उन पर सवार हुए और भगवान बुद्ध से मिलने के लिए वैशाली से निकल पड़े। कुछ लिच्छवी सांवले रंग के थे और उन्होंने काले वस्त्र और आभूषण पहने थे; कुछ गोरे रंग के थे और उन्होंने हल्के वस्त्र और आभूषण पहने थे; कुछ लाल रंग के थे और उन्होंने लाल वस्त्र और आभूषण पहने थे; कुछ गोरे रंग के थे और उन्होंने सफेद वस्त्र और आभूषण पहने थे। और वेश्या अंबपाली उन युवा लिच्छवियों के सामने, एक-दूसरे से सटकर, कंधे से कंधे, जुआ से जुआ, पहिया से पहिया, धुरी से धुरी तक, दौड़ती हुई आई। उन लिच्छवियों ने वेश्या अंबपाली से कहा, 'अंबपाली, तुम उन युवा लिच्छवियों के सामने इस तरह क्यों दौड़ती हो?'

मेरे स्वामियों, मैंने अभी-अभी भगवान बुद्ध और भिक्षुओं के समुदाय को कल के भोज के लिए आमंत्रित किया है।'

'अंबापाली! एक लाख के बदले यह भोजन हमें दे दो।'

'मेरे स्वामियों, यदि आप वैशाली और उसके अधीन पूरे क्षेत्र को मुझे सौंप दें, तो भी मैं यह भोजन नहीं छोड़ूँगी।' तब लिच्छवियों ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, 'हम इस स्त्री से हार गए! हम इस स्त्री से कहीं आगे निकल गए!'

4. तब लिच्छवी उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ने दूर से लिच्छवियों को आते देखा; उन्हें देखकर उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, जिन भिक्षुओं ने तावतिंसा देवताओं के दर्शन नहीं किए हैं, वे लिच्छवियों के इस समूह को देखें, इस समूह की तुलना तावतिंसा देवताओं के समूह से करें!' और लिच्छवी रथों में बैठकर वहाँ तक गए जहाँ तक रथों का आवागमन संभव था (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1, 2 में है, आगे:) 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध कल भिक्षु समुदाय के साथ हमारे साथ भोजन करने की कृपा करेंगे?'

'हे लिच्छवी, मैंने वादा किया है कि कल मैं वेश्या अंबपाली के साथ भोजन करूंगा।'

5. भगवान बुद्ध ने कोटिगामा में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद नाटिका चले गए। वहाँ भगवान बुद्ध नाटिका के ईंट-पत्थर वाले मठ (गिंगकवासथा) में रहने लगे। रात्रि होने पर, वेश्या अंबपाली ने अपने उद्यान में उत्तम भोजन का प्रबंध किया (जैसा कि अध्याय 28, 10, 1 से आगे तक वर्णित है)। वह उनके पास बैठ गई। उनके पास बैठी अंबपाली ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, मैं यह अंबपाली उपवन भिक्षुओं के समुदाय को समर्पित करती हूँ, जिसके मुखिया बुद्ध हों।' भगवान बुद्ध ने आराम (मठ) स्वीकार कर लिया। फिर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा वेश्या अंबपाली को शिक्षा, प्रोत्साहन, उत्साह और प्रसन्नता प्रदान करने के बाद, अपने आसन से उठकर महावन चले गए। वहाँ भगवान बुद्ध वैशाली में महावन के कुटगारा-शाला में रहने लगे।

लिच्छवि भंवरा का अंत।

<<<< पिछला (6.29) | अगला (6.31) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.31

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.30) | अगला (6.32) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-31.

1. उस समय कई प्रतिष्ठित लिक्वी नगर भवन में एकत्रित होकर बैठे थे और बुद्ध, धम्म और संघ की अनेक प्रकार से प्रशंसा कर रहे थे। उस समय निगंथ संप्रदाय के शिष्य, लिक्वी संप्रदाय के सेनापति सिहा भी उस सभा में उपस्थित थे। सेनापति सिहा ने सोचा, 'निश्चित रूप से भगवान बुद्ध ही अरहत बुद्ध हैं, क्योंकि नगर भवन में एकत्रित होकर बैठे ये अनेक प्रतिष्ठित लिक्वी बुद्ध, धम्म और संघ की इतनी अनेक प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। क्या होगा यदि मैं जाकर अरहत बुद्ध से मिलूँ?'

2. और सेनापति सिहा उस स्थान पर गया जहाँ निगंथ नटपुत्त (जैन संप्रदाय के महावीर) थे; उनके पास पहुँचकर उसने निगंथ नटपुत्त से कहा: 'हे प्रभु, मैं समना गौतम (बुद्ध) के दर्शन करने जाना चाहता हूँ।'

'हे सिहा, तुम कर्मों के फल में विश्वास रखते हो (उनके नैतिक गुणों के अनुसार), तो फिर तुम समना गौतम (बुद्ध) के पास क्यों जाते हो, जो कर्मों के फल का खंडन करते हैं? क्योंकि समना गौतम, हे सिहा, कर्मों के फल का खंडन करते हैं; वे निरालापन का सिद्धांत सिखाते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं।'

तब सेनापति सिहा के मन में भगवान बुद्ध के दर्शन करने की जो इच्छा उत्पन्न हुई थी, वह शांत हो गई।

3. और दूसरी बार कई प्रतिष्ठित लिक्हावी एक साथ बैठे थे (आदि, जैसा कि §§-1, 2 में अंत तक है)।

और तीसरी बार कई प्रतिष्ठित लिक्वी एक साथ बैठे थे, इत्यादि। और तीसरी बार सेनापति सिहा ने सोचा: 'निश्चित रूप से, भगवान बुद्ध ही अरहत बुद्ध होंगे, क्योंकि नगर सभागार में एकत्रित होकर बैठे ये अनेक प्रतिष्ठित लिक्वी बुद्ध, धम्म और संघ की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। निगंथों का मुझसे क्या संबंध है, चाहे वे अपनी सहमति दें या न दें? यदि मैं निगंथों की अनुमति लिए बिना ही भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध से मिलने चला जाऊं तो क्या होगा?'

4. और सेनापति सिहा, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए दिनदहाड़े पाँच सौ रथों के साथ वैशाली से निकले। वे रथ में वहाँ तक गए जहाँ तक रथों का आवागमन संभव था; वहाँ वे रथ से उतरे और पैदल चलकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर, उन्होंने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उनके निकट बैठकर सेनापति सिहा ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, मैंने सुना है कि समना गौतम (बुद्ध) कर्मों के फल का खंडन करते हैं; वे निरंकुशता का उपदेश देते हैं और इसी सिद्धांत में अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं। हे प्रभु, जो लोग इस प्रकार कहते हैं, "समना गौतम (बुद्ध) कर्मों के फल का खंडन करते हैं," इत्यादि—क्या वे भगवान बुद्ध के सत्य का उल्लेख करते हैं, और क्या वे भगवान बुद्ध के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देते और किसी नकली धर्म को आपका धर्म बताकर उसका प्रचार नहीं करते? और धर्म के विषय में इस प्रकार की चर्चा और वाद-विवाद में कोई निंदनीय बात नहीं है।" क्योंकि हे प्रभु, हमारा यही उद्देश्य है कि हम भगवान बुद्ध पर झूठे आरोप न लगाएं।

5. 'हे सिहा, एक ऐसा तरीका है जिससे सत्यवादी मेरे बारे में कह सकता है: "समना गौतम (बुद्ध) कर्म का त्याग करते हैं; वे अकर्म के सिद्धांत का उपदेश देते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं।"

और फिर, सिहा, एक ऐसा तरीका है जिससे कोई सत्यवादी मेरे बारे में कह सकता है: "समना गौतम कर्म का पालन करते हैं; वे कर्म के सिद्धांत का उपदेश देते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं।"

और फिर, सिहा, एक ऐसा तरीका है जिससे सच बोलने वाला मेरे बारे में कह सकता है: "समना गौतम विनाश का सिद्धांत मानते हैं; वे विनाश के सिद्धांत का उपदेश देते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं।"

और फिर, सिहा, एक ऐसा तरीका है जिससे सच बोलने वाला मेरे बारे में कह सकता है: "समना गौतम तुच्छता का प्रचार करते हैं; वे तुच्छता का सिद्धांत सिखाते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं।"

और फिर, इत्यादि: "समना गौतम विनय का प्रचार करते हैं; वे विनय के सिद्धांत का शिक्षण करते हैं; और इस सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं।"

और फिर, इत्यादि: "समना गौतम (बुद्ध) तपस आदि का प्रचार करते हैं।"

और फिर, इत्यादि: "समना गौतम अपगब्भ हैं; वे अपगब्भत का सिद्धांत सिखाते हैं, इत्यादि।"

और फिर, इत्यादि: "समान गौतम आत्मविश्वासी हैं; वे आत्मविश्वास का सिद्धांत सिखाते हैं, इत्यादि।"

6. "हे सिहा, यह किस प्रकार है कि सत्य बोलने वाला मेरे बारे में कह सकता है: 'समना गौतम कर्म का त्याग करते हैं; वे अकर्म के सिद्धांत का उपदेश देते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं?' हे सिहा, मैं सिखाता हूँ कि कर्म, वचन या विचार से अधार्मिक कर्मों का त्याग करना चाहिए; मैं सिखाता हूँ कि हृदय की अनेक प्रकार की बुरी और अशुभ अवस्थाओं को उत्पन्न न करना चाहिए। इस प्रकार, हे सिहा, सत्य बोलने वाला मेरे बारे में कह सकता है: 'समना गौतम (बुद्ध), इत्यादि।'"

"हे सिहा, ऐसा कैसे संभव है कि कोई सत्यवादी मेरे विषय में यह कह सके: 'समना गौतम (बुद्ध) कर्म का पालन करते हैं; वे कर्म के सिद्धांत का उपदेश देते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं?' हे सिहा, मैं कर्म, वचन और विचार द्वारा धर्मपरायण कर्मों का पालन करना सिखाता हूँ; मैं हृदय की उन अनेक अवस्थाओं को उत्पन्न करना सिखाता हूँ जो अच्छी हैं, बुरी नहीं। इस प्रकार, इत्यादि।"

7. "हे सिहा, यह किस प्रकार संभव है कि सत्य बोलने वाला मेरे विषय में यह कह सके: 'समना गौतम विनाश का पालन करते हैं; वे विनाश के सिद्धांत का उपदेश देते हैं; और इसी सिद्धांत में वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं?' हे सिहा, मैं कामवासना, द्वेष और भ्रम के विनाश की घोषणा करता हूँ; मैं हृदय की उन अनेक अवस्थाओं के विनाश की घोषणा करता हूँ जो बुरी हैं, अच्छी नहीं। इस प्रकार, इत्यादि।"

और हे सिहा, किस प्रकार सत्यवादी मेरे विषय में यह कह सकता है कि “समन गौतम तुच्छता का उपदेश देते हैं, इत्यादि?” हे सिहा, मैं अधर्मी कर्मों को तुच्छ मानता हूँ, चाहे वे कर्म से किए गए हों, वचन से या विचार से; मैं उन अनेक प्रकार की बुरी अवस्थाओं में पड़ने की तुच्छता का उपदेश देता हूँ जो अच्छी नहीं हैं। इस प्रकार, इत्यादि।

8. "हे सिहा, यह किस प्रकार है कि सत्य बोलने वाला मेरे विषय में यह कह सकता है: 'समना गौतम विनय आदि का प्रचार करते हैं?' हे सिहा, मैं कामवासना, द्वेष और भ्रम का निवारण करना सिखाता हूँ; मैं हृदय की उन अनेक अवस्थाओं का निवारण करना सिखाता हूँ जो बुरी हैं, भली नहीं। इस प्रकार, इत्यादि।"

और हे सिहा, यह किस प्रकार से है कि सत्य बोलने वाला मेरे विषय में यह कह सकता है: "समना गौतम तपस्या का उपदेश देते हैं, इत्यादि?" हे सिहा, मैं सिखाता हूँ कि हृदय की वे सभी अवस्थाएँ जो बुरी हैं, अच्छी नहीं हैं, कर्म, वचन और विचार से किए गए अधार्मिक कर्म, सब कुछ भस्म हो जाना चाहिए। हे सिहा, जिसने अपने आप को हृदय की उन सभी बुरी अवस्थाओं से मुक्त कर लिया है, जिन्हें भस्म हो जाना चाहिए, जिसने उन्हें जड़ से उखाड़ दिया है, और उन्हें उसी प्रकार नष्ट कर दिया है जैसे ताड़ के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाता है, ताकि वे नष्ट हो जाएँ और फिर से न उग सकें—ऐसे व्यक्ति को मैं तप में सिद्ध कहता हूँ। अब हे सिहा, तथागत (बुद्ध) ने अपने आप को उन सभी अवस्थाओं से मुक्त कर लिया है, इत्यादि। इस प्रकार, इत्यादि।

9. "हे सिहा, यह किस प्रकार है कि सत्य बोलने वाला मेरे विषय में यह कह सकता है: 'समना गौतम अपगब्भ (अस्थिर) हैं, इत्यादि?' हे सिहा, जिसने भविष्य में माता के गर्भ में लौटने और नए जन्म लेने की बाध्यता से स्वयं को मुक्त कर लिया है, जिसने पुनर्जन्म के बंधन को जड़ से उखाड़ दिया है, और उसे उसी प्रकार नष्ट कर दिया है जैसे ताड़ के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है और पुनः नहीं उग सकता—ऐसे व्यक्ति को मैं अपगब्भ कहता हूँ। अब तथागत, हे सिहा, ने स्वयं को मुक्त कर लिया है, इत्यादि। इस प्रकार, इत्यादि।"

'और हे सिहा, किस प्रकार सत्यवादी मेरे विषय में यह कह सकता है: "समना गौतम आश्वस्त हैं, इत्यादि?" हे सिहा, मैं सर्वोच्च आश्वस्त हूँ; और इसी प्रकार मैं आश्वस्तता का सिद्धांत सिखाता हूँ और अपने शिष्यों को इसमें प्रशिक्षित करता हूँ। इस प्रकार, इत्यादि।'

10. जब उसने ऐसा कहा, तो सेनापति सिहा ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु! हे प्रभु! (अध्याय 26, 9 से आगे तक, जैसा कि इसमें लिखा है:) भगवान बुद्ध मुझे आज से अपने जीवन भर के लिए अपने शिष्य के रूप में शरण दें, जिसने उनकी शरण ली है।'

'सिहा, पहले सोचो कि तुम क्या कर रही हो। यह आम बात हो गई है कि तुम्हारे जैसे जाने-माने लोगों को बिना सोचे-समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए।'

हे प्रभु, इससे मेरी खुशी और भगवान बुद्ध में मेरी आस्था और भी बढ़ गई है, क्योंकि भगवान बुद्ध मुझसे कहते हैं: "पहले विचार करो, इत्यादि।" हे प्रभु, यदि अन्य तित्तिया शिक्षकों ने मुझे अपना शिष्य बना लिया होता, तो वे वैशाली के पूरे क्षेत्र में अपने झंडे लहराते हुए चिल्लाते: "सेनापति सिहा हमारा शिष्य बन गया है!" परन्तु भगवान बुद्ध मुझसे कहते हैं: "पहले विचार करो, इत्यादि।" हे प्रभु, मैं दूसरी बार भगवान बुद्ध, धम्म और भिक्षु संघ की शरण लेता हूँ: भगवान बुद्ध मुझे आज से अपने जीवन भर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, जिसने उनकी शरण ली है।

11. 'हे सिहा, तुम्हारे घर में निगंथों को बहुत समय से पेय पदार्थ दिए जाते रहे हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित समझना चाहिए कि भविष्य में भी जब वे (भिक्षा मांगने के लिए) तुम्हारे पास आएं तो उन्हें भोजन दिया जाए।'

हे प्रभु, इससे मेरी खुशी और भगवान बुद्ध में मेरी आस्था और भी बढ़ गई है, क्योंकि भगवान बुद्ध मुझसे कहते हैं: "बहुत समय तक, इत्यादि।" मुझे बताया गया है, हे प्रभु: "समना गौतम (बुद्ध) कहते हैं: 'केवल मुझे ही दान देना चाहिए; किसी और को नहीं। केवल मेरे शिष्यों को ही दान देना चाहिए; किसी और के शिष्यों को नहीं। केवल मुझे दिया गया दान ही महान फलदायी है; दूसरों को दिया गया दान महान फलदायी नहीं है। केवल मेरे शिष्यों को दिया गया दान ही महान फलदायी है; दूसरों के शिष्यों को दिया गया दान महान फलदायी नहीं है।' लेकिन भगवान बुद्ध मुझे निगंथों को भी दान देने के लिए प्रेरित करते हैं। खैर, हे प्रभु, हम देखेंगे कि क्या उचित होगा।

हे प्रभु, मैं तीसरी बार भगवान बुद्ध की शरण लेता हूँ, इत्यादि।

12. और भगवान बुद्ध ने समय आने पर सेनापति सिंह को उपदेश दिया; अर्थात् उन्होंने दान देने से प्राप्त होने वाले पुण्यों, नैतिकता के कर्तव्यों आदि के बारे में सामान्य ढंग से बात की (उदाहरण के लिए, 1, 8, 2, 3 से आगे देखें): गुरु के उपदेशों के ज्ञान के लिए किसी

और पर निर्भर न रहते हुए, उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध कल भिक्षुओं के समुदाय के साथ मेरे साथ भोजन करने की कृपा करेंगे?'

भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की। तब सेनापति सिहा ने जब समझा कि भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने आसन से उठा, आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर मुंह करके उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए चला गया।

और सेनापति सिहा ने अपने अधीनस्थों में से एक व्यक्ति को आदेश दिया, 'जाओ मेरे मित्र, और देखो कि क्या कोई मांस उपलब्ध है।' और जब वह रात बीत गई, तो सेनापति सिहा ने उत्तम भोजन का आदेश दिया (आदि, जैसा कि अध्याय 23.5 में अंत तक है)।

13. उस समय वैशाली में बड़ी संख्या में निगंथ (पुरुष) सड़क से सड़क और चौराहे से चौराहे तक बाहें फैलाकर चिल्ला रहे थे: 'आज सेनापति सिहा ने एक विशाल बैल को मारकर समना गौतम (बुद्ध) के लिए भोजन बनाया है; समना गौतम जानबूझकर उस जानवर का मांस खा रहे हैं जिसे इसी उद्देश्य से मारा गया था, और इस प्रकार वे वस्तुतः उस कृत्य (जानवर को मारने के) के कर्ता बन गए हैं!'

फिर एक व्यक्ति उस स्थान पर गया जहाँ सेनापति सिहा था। उसके पास पहुँचकर उसने सेनापति सिहा के कान में कहा, 'हे प्रभु, क्या आपने ध्यान दिया है कि वैशाली आदि में बड़ी संख्या में निगंथाएँ बह रही हैं?'

'इस बात की परवाह मत कीजिए, मेरे प्रिय महोदय। बहुत समय से वे आदरणीय भाई बुद्ध, धम्म और संघ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं; और वे आदरणीय भाई भगवान बुद्ध के बारे में झूठे, व्यर्थ और निरर्थक झूठ फैलाने से नहीं थकते। हम अपने जीवन में कभी भी जानबूझकर किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करेंगे।'

14. और सेनापति सिहा ने अपने हाथों से भिक्षुओं के समुदाय को, जिसके मुखिया बुद्ध थे, उत्तम भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, परोसा और भेंट किया; और जब भगवान बुद्ध (आदि, जैसा कि अध्याय 23.7 में अंत तक है)।

इसके फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा:

हे भिक्षुओं, कोई भी जानबूझकर उस उद्देश्य से मारे गए जानवर का मांस न खाए। जो कोई भी ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध का दोषी है।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि मछली तीन स्थितियों में आपके लिए शुद्ध है: यदि आप उसे न देखें, यदि आपने उसके बारे में न सुना हो, और यदि आपको संदेह न हो (कि उसे विशेष रूप से आपको देने के लिए पकड़ा गया है)।'

<<<< पिछला (6.30) । अगला (6.32) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.32

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.31) । अगला (6.33) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-32.

1. उस समय वैशाली में भोजन की अच्छी व्यवस्था थी, फसल अच्छी थी, दान आसानी से मिल जाता था, कोई भी आसानी से अनाज इकट्ठा करके या कृपा करके जीविका कमा सकता था।

और जब भगवान बुद्ध एकांतवास में चले गए, तो उनके मन में यह विचार आया: 'जो बातें मैंने भिक्षुओं के लिए अकाल के समय में, जब फसल खराब हो और भिक्षा प्राप्त करना कठिन हो, तब निर्धारित की हैं - भोजन घर के अंदर रखना, घर के अंदर पकाना, अपनी इच्छा से पकाना, जो कुछ भी वे उठा सकें उसे लेना, घर के अंदर से लाया गया भोजन खाना या भोजन के समय से पहले प्राप्त भोजन खाना, जंगलों या तालाबों में पाई जाने वाली चीजों को खाना - ये सभी चीजें भिक्षु अब भी आनंदित कर सकते हैं।'

और भगवान बुद्ध ने संध्याकाल में, जब वे अपने एकांतवास से बाहर आए, तो पूज्य आनंद से कहा: 'जो वस्तुएँ (आदि, जैसा कि ऊपर से नीचे तक) या तालाबों में पाई जाती हैं—क्या भिक्षु अब भी उन वस्तुओं का आनंद लेते हैं?'

'हे प्रभु, वे इनका आनंद लेते हैं।'

2. तब भगवान बुद्ध ने उस संदर्भ में और उस कारणवश, धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा:

जिन चीजों का मैंने विधान किया है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 से आगे तक है): या जो तालाबों में पाई जाती हैं—उनकी अनुमति मैं आज से नहीं देता। हे भिक्षुओं, घर के अंदर रखा हुआ, घर के अंदर पकाया हुआ, या अपनी इच्छा से पकाया हुआ भोजन न खाओ; न ही अपने द्वारा उठाई गई चीजें (खाने के लिए) लो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा। और हे भिक्षुओं, भोजन करने के बाद, और फिर भी अर्पित किए गए भोजन को अस्वीकार करने के बाद, घर के अंदर से लाया गया, भोजन के समय से पहले प्राप्त किया गया, या जंगलों या तालाबों में पाया गया भोजन न खाओ, भले ही वह भोजन किसी आमंत्रित व्यक्ति के भोजन का बचा हुआ न हो। जो कोई ऐसा भोजन करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

<<<< पिछला (6.31) | अगला (6.33) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.33
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.32) | अगला (6.34) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-33.

1. उस समय देशवासियों ने अपनी गाड़ियों पर बहुत सारा नमक, तेल, चावल और अन्य खाद्य सामग्री लाद ली और आराम (मठ) के बाहरी परिसर में डेरा डालकर वहाँ प्रतीक्षा करने लगे, और कहने लगे, 'जब हमारी बारी आएगी, तो हम भोजन की व्यवस्था करेंगे।' तभी एक भयंकर तूफानी बादल छा गया। तब वे लोग उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य आनंद विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य आनंद से कहा: 'हमने अपनी गाड़ियों पर बहुत सारा नमक, तेल, चावल और अन्य खाद्य सामग्री लाद ली है; और वे वहाँ खड़ी हैं। अब एक भयंकर तूफानी बादल छा गया है। हे आनंद, अब हम इनका क्या करें?'

तब पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. 'ऐसी स्थिति में, आनंद, संघ किसी बाहरी भवन को कप्पियाभूमि (अर्थात्, वास्तविक निवास के बाहर एक ऐसा स्थान, जहाँ पिछले अध्याय में निर्धारित नियम का उल्लंघन किए बिना भोजन सामग्री रखी या पकाई जा सके) के रूप में चुन ले और संघ द्वारा चुने गए किसी भी आकार के भवन (जैसे विहार, अड्ढयोग, पसदा, हम्मिया, गुहा) में भंडार रखे।'

और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। एक विवेकशील और योग्य भिक्षु को संघ के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव की घोषणा करनी चाहिए: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। यदि संघ तैयार है, तो संघ एनएन नामक विहार को हमारी कप्पिया-भूमि नियुक्त करे। यही प्रस्ताव है। हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए।"

संघ ने एनएन नामक विहार को हमारी कप्पीय-भूमि नियुक्त किया है। आदरणीय भाइयों में से जो भी इस विहार को नियुक्त करने के पक्ष में हैं, कृपया इस पर अपनी राय दें (आदि, आगे तक): मैं समझता हूँ।

3. उस समय उस स्थान पर (संघ के संकल्प द्वारा विधिवत चयनित कप्पिया-भूमि में) लोग दलिया, चावल, करी, मांस, और लकड़ियाँ उबाल रहे थे। जब रात ढलने लगी और भगवान बुद्ध उठे, तो उन्होंने कौवों के कांव-कांव जैसी तेज़ आवाज़ सुनी। यह सुनकर उन्होंने पूज्य आनंद से पूछा, 'हे आनंद, कौवों के कांव-कांव जैसी यह तेज़ आवाज़ क्या है?'

4. 'हे प्रभु, संघ के संकल्प द्वारा विधिवत चयनित उस कप्पीय भूमि में, लोग दलिया उबाल रहे हैं, चावल उबाल रहे हैं, करी मिला रहे हैं, मांस काट रहे हैं और लकड़ियाँ चीर रहे हैं। हे प्रभु, वहीं से कौवों के कांव-कांव जैसी तेज़ और ज़ोरदार आवाज़ आ रही है।'

तब भगवान बुद्ध ने उस संदर्भ में और उस कारणवश, धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा

हे भिक्षुओं, विधिवत चुनी गई कप्पीय भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई भी इसका उपयोग करेगा, वह दुक्कत अपराध का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार की कप्पीय भूमि की अनुमति देता हूँ, जिनमें से एक घोषणा के माध्यम से कप्पीय भूमि बनी हो।

एक बैल-शाला और आम लोगों से संबंधित एक इमारत।'

5. उस समय पूज्य यशोगा बीमार थे, और उनके उपयोग के लिए औषधियाँ लाई गईं, जिन्हें भिक्षुओं ने बाहर रख दिया। कीड़े-मकोड़ों ने उन्हें खा लिया और चोर उन्हें चुरा ले गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें विधिवत चुनी हुई कप्पीय भूमि (औषधियों को रखने के लिए) का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें चार प्रकार की कप्पीय भूमि का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ: एक जो घोषणा द्वारा कप्पीय भूमि बनी हो, एक बैल-शाला, गृहस्थों का भवन और एक विधिवत चुनी हुई कप्पीय भूमि।'

चौबीसवें भानवर का समापन।

<<<< पिछला (6.32) | अगला (6.34) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.34

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.33) | अगला (6.35) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-34.

1. उस समय भद्दियानगर में मेंदक (बकरा) नाम का एक गृहस्थ रहता था, जिसके पास यह चमत्कारिक शक्ति थी: जब वह अपना सिर धो लेता और अपने अन्न भंडार की सफाई करवा लेता, तो वह बाहर बैठकर ही अन्न भंडार भर सकता था।

आकाश से अनाज की वर्षा करवाकर। उनकी पत्नी के पास यह चमत्कारी शक्ति थी: जब वह एक पिंट के बर्तन और करी एवं चटनी के पात्र के पास बैठती, तो वह सेवकों को भोजन परोस सकती थी; और जब तक वह उठती नहीं, भोजन समाप्त नहीं होता था। उनके पुत्र के पास यह चमत्कारी शक्ति थी: वह एक हजार से भरा थैला लेकर प्रत्येक सेवक को छह महीने की मजदूरी दे सकता था; और जब तक वह थैला उसके हाथ में रहता, वह मजदूरी समाप्त नहीं होती थी।

2. उनकी बहू में यह चमत्कारिक शक्ति थी: जब वह चार बोरी की टोकरी के पास बैठती थी, तो वह नौकरों को छह महीने का चावल दे सकती थी; और जब तक वह उठती नहीं थी, टोकरी खाली नहीं होती थी। उनके दास में यह चमत्कारिक शक्ति थी: जब वह एक हल से हल चलाता था, तो सात हल की लकीरें बन जाती थीं।

3, 4. अब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने सुना: 'हमारे राज्य के भद्दियानगर में, कहते हैं, मेंडक नाम का एक गृहस्थ रहता है, जो प्रेतबाधित है (आदि, जैसा कि §§-1, 2 से अंत तक है)।'

5. तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने अपने एक मंत्री से, जो गृहस्थी का प्रभारी था, कहा: 'हे महाराज, लोग कहते हैं कि भद्दियानगर (आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है) में यह बात है। जाइए, महाराज, और इसके बारे में पता लगाइए। जब आप इसे देख लेंगे, तो यह वैसा ही होगा मानो मैंने स्वयं इसे देखा हो।'

'जी, ऐसा ही हो,' उस मंत्री ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार से सहमति जताते हुए कहा और वह अपने चार सैनिकों के साथ भद्दियानगर के लिए रवाना हो गया।

6. और सीधे आगे बढ़ते हुए वह भद्दियानगर पहुँचा, और उस स्थान पर पहुँचा जहाँ गृहस्थ रहता था।

मेंडका एक गृहस्थ था; मेंडका ने राजा से आदेश प्राप्त किया, "वे कहते हैं, हे स्वामी (आदि, जैसा कि ऊपर, श्लोक 5 में है)।" हे गृहस्थ, हमें आपकी चमत्कारी शक्ति देखने दीजिए।'

तब गृहस्थ मेंदका ने अपना सिर धोया, अपने अन्न भंडार की सफाई करवाई और उसके बाहर बैठ गया। तभी आकाश से अन्न की वर्षा हुई और अन्न भंडार भर गया।

'हे गृहस्थ, मैंने तुम्हारी चमत्कारिक शक्ति देखी है। हमें तुम्हारी पत्नी की शक्ति भी देखने दो।'

7. तब गृहस्थ मेंदका ने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, 'चारों सेनाओं को भोजन परोसो।'

और गृहस्थ मेंदका की पत्नी एक पिंट के बर्तन और चटनी और करी के पात्र के पास बैठ गई, और चारों मेहमानों को भोजन परोसा; और जब तक वह उठी नहीं, तब तक भोजन समाप्त नहीं हुआ था।

'हे गृहस्थ, मैंने तुम्हारी पत्नी की चमत्कारिक शक्ति देखी है। चलो, तुम्हारे पुत्र की शक्ति भी देखें।'

8. तब गृहस्थ मेंदका ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, 'हे मेरे प्रिय पुत्र, चार सेनाओं को छह महीने का वेतन दे दो।'

और गृहस्थ मेंदका के पुत्र ने एक हजार सिक्कों से भरा एक थैला लिया और उससे चार गुना सेना को छह महीने का वेतन दे दिया। और जब तक वह थैला उसके हाथ में रहा, तब तक वह खाली नहीं हुआ।

'हे गृहस्थ, मैंने तुम्हारे पुत्र की चमत्कारिक शक्ति देखी है। चलो तुम्हारी बहू की शक्ति भी देखें।'

9. तब गृहस्थ मेंदका ने अपनी बहू को आदेश दिया, 'तो फिर चारों सेनाओं को छह महीने का चावल दो।'

और गृहस्थ मेंदका की बहू

वह चार बोरी वाली एक टोकरी के पास बैठ गई और उसने चार लोगों के लिए छह महीने का चावल परोसा। और जब तक वह उठी नहीं, तब तक टोकरी खाली नहीं हुई।

'हे गृहस्थ, मैंने तुम्हारी बहू की चमत्कारिक शक्ति देखी है। चलो, तुम्हारी दासी की शक्ति भी देखें।'

'मेरे दास की चमत्कारी शक्ति, महोदय, युद्ध के मैदान में अवश्य देखी जानी चाहिए।'

'बस इतना ही काफी है, हे गृहस्थ। मैंने आपके दास की चमत्कारिक शक्ति देख ली है।'

तब वह मंत्री अपने चार सैनिकों के साथ राजगृह लौट आया और उस स्थान पर गया जहाँ मगध का राजा सेनिया बिम्बिसार था, और वहाँ पहुँचकर उसने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को यह बात बताई।

10. भगवान बुद्ध वैशाली में अपनी इच्छानुसार कुछ समय रहने के बाद, एक हजार दो सौ पचास भिक्षुओं के विशाल समूह के साथ भद्दिया के लिए रवाना हुए। सीधे चलते हुए भगवान बुद्ध भद्दिया पहुंचे। वहाँ उन्होंने गतियवन में निवास किया।

11. और गृहस्थ मेंडक ने सुना: 'देखो, शाक्य कुल के समना गौतम (बुद्ध), जिन्होंने शाक्य कुल छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया, भद्दिया में आ गए हैं और गतियवन में ठहरे हुए हैं। उस पूज्य गौतम के विषय में यह उच्च प्रतिष्ठा फैली हुई है कि वे पूर्णतः प्रबुद्ध, परोपकारी, योग्य, ज्ञान और अच्छाई से परिपूर्ण, सुखी, संसार के ज्ञान से परिपूर्ण, अद्वितीय, मनुष्यों का मार्गदर्शन करने वाले जैसे सारथी बैल को नियंत्रित करता है, देवताओं और मनुष्यों के गुरु, एक महान बुद्ध हैं। वे स्वयं ही सर्वथा समझते और देखते हैं।

जब अरहत इस ब्रह्मांड, इसके देवों, ब्रह्माओं, मारों और सभी प्राणियों, समनों और ब्राह्मणों, देवताओं और मनुष्यों के आमने-सामने होते हैं, तब वे उस ज्ञान को दूसरों को प्रकट करते हैं। वे सत्य को, उसकी उत्पत्ति में सुंदर, उसके विकास में सुंदर और उसकी पूर्णता में सुंदर, प्रकट करते हैं। वे उच्चतर जीवन की घोषणा करते हैं, उसकी संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण पूर्णता के साथ। ऐसे अरहतों का दर्शन अत्यंत दयालु होता है।

12. तब गृहस्थ मेंदक ने कई शानदार रथ तैयार करवाए और उनमें से एक पर सवार होकर वह भव्य रथों के काफिले के साथ भगवान बुद्ध से मिलने के लिए भद्दिया से रवाना हुआ।

और बहुत से तित्तियों ने मेंडक गृहस्थ को दूर से आते हुए देखा; और जब उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने मेंडक गृहस्थ से कहा:

'हे गृहस्थ, तुम कहाँ जा रहे हो?'

'महोदय, मैं भगवान बुद्ध, समना गौतम (बुद्ध) के दर्शन करने जा रहा हूँ।'

लेकिन हे गृहस्थ, तुम क्रिया-वाद होते हुए भी भगवान बुद्ध से मिलने क्यों जाते हो, जो स्वयं भी क्रिया-वाद हैं? क्योंकि हे गृहस्थ, समना गौतम, जो स्वयं क्रिया-वाद हैं, कर्म के सिद्धांत के बिना धर्म का उपदेश देते हैं और इसी धर्म में वे अपने श्रोताओं को शिक्षा प्रदान करते हैं।

13. तब गृहस्थ मेंदक ने सोचा, 'निश्चित रूप से भगवान बुद्ध अर्हत बुद्ध ही होंगे, क्योंकि ये तित्तिय उनसे इतने ईर्ष्यालु हैं।' और वह रथ में बैठकर भगवान बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा।

क्योंकि रास्ता रथों के लिए उपयुक्त था, इसलिए उन्होंने रथ से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए।

और जब वे इस प्रकार बैठे थे, तब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया (आदि, हमेशा की तरह, उदाहरण के लिए, 1, 8, 2; 3, नीचे तक:) 'उसमें शरण ली।'

'भगवान बुद्ध कल भिक्षु संघ सहित मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें।'

भगवान बुद्ध ने मौन रहकर सहमति दी।

14. तब गृहस्थ मेंदक ने जब देखा कि भगवान बुद्ध सहमत हो गए हैं (आदि, हमेशा की तरह, देखें VI, 18, 1, 2, नीचे तक:) तो वह अपने लिए तैयार की गई सीट पर बैठ गया।

15. तब गृहस्थ मेंदक की पत्नी, पुत्र, बहू और दास उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए।

और भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 13 में है, नीचे तक): 'उन्होंने उसमें शरण ली।'

16. तब गृहस्थ मेंदका, जो बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ की सेवा कर रहा था (आदि, हमेशा की तरह, नीचे तक:), एक तरफ बैठ गया।

और जब वह इस प्रकार बैठे थे, तब गृहस्थ मेंडक ने भगवान बुद्ध से कहा: 'जब तक भगवान बुद्ध भद्दिया में रहेंगे, तब तक मैं बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ को प्रतिदिन भोजन प्रदान करता रहूंगा।'

तब भगवान बुद्ध प्रसन्न हुए (आदि, हमेशा की तरह, आगे तक:) भगवान बुद्ध अपने आसन से उठे और चले गए।

17. अब जब भगवान बुद्ध शेष रह गए थे

भद्दिया में वह जितनी देर तक उचित समझता रहा, उतनी देर तक रुका रहा, और फिर गृहस्थ मेंडक को बिना बताए, एक हजार दो सौ पचास भिक्षुओं के एक बड़े समूह के साथ अंगुत्तरपा चला गया।

गृहस्थ मेंदक ने सुना, "लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध भिक्षुओं के साथ अंगुत्तरपा गए हैं।" गृहस्थ मेंदक ने अपने दासों और सेवकों को आदेश दिया, "हे मेरे सेवकों, नमक, तेल, चावल और पौष्टिक भोजन लादकर आओ; और एक हजार दो सौ पचास गौपालकों को एक हजार दो सौ पचास गायों के साथ लाओ। जहाँ कहीं भी हमें भगवान बुद्ध मिलेंगे, हम उन्हें ताजा दूध देंगे।"

18. और गृहस्थ मेंदक रास्ते में एक सुनसान जगह पर भगवान बुद्ध से मिले। गृहस्थ मेंदक उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर वे एक तरफ खड़े हो गए। वहाँ खड़े होकर गृहस्थ मेंदक ने भगवान बुद्ध से कहा, 'क्या भगवान बुद्ध भोजन ग्रहण करने की अनुमति देंगे? (आदि, हमेशा की तरह) समय आ गया है, और भोजन तैयार है।'

19. और भगवान बुद्ध सुबह सवेरे (आदि, नीचे तक:) उनके लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए।

तब गृहस्थ मेंदक ने उन एक हजार दो सौ पचास गौपालकों को आदेश दिया: 'हे मेरे सेवकों, तुममें से प्रत्येक एक-एक गाय ले लो, और तुममें से प्रत्येक एक भिक्षु की सेवा करो, और उसे ताजा दूध उपलब्ध कराओ।'

और गृहस्थ मेंडका ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ की सेवा की और उन्हें मीठे, कठोर और नरम भोजन तथा ताजे दूध से तृप्त किया।

भिक्षुओं को नाराज करने के डर से वे दूध नहीं लेते थे।

'भिक्षुओं, इसे लो और पी लो।'

20. और जब गृहस्थ मेंदक ने बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ की स्वयं सेवा की और उन्हें मीठे, कठोर और नरम भोजन तथा ताजे दूध से तृप्त किया; और जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपने हाथ और कटोरा धो लिया, तो वे एक तरफ बैठ गए।

तब बैठे-बैठे गृहस्थ मेंडक ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, यहाँ रेगिस्तानी रास्ते हैं, जहाँ पानी और भोजन नहीं है, और यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री के बिना यात्रा करना आसान नहीं है। यदि भगवान बुद्ध भिक्षुओं को अपने साथ सामग्री ले जाने की अनुमति दें तो यह अच्छा होगा।'

तब भगवान बुद्ध प्रसन्न हुए (और हमेशा की तरह, आगे भी:) अपने आसन से उठे और चले गए।

21. और इस संदर्भ में, और इसी कारण से, भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा:

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गाय के पाँच उत्पाद—दूध, दही, घी, छाछ और मक्खन—उपलब्ध कराता हूँ। हे भिक्षुओं, कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जहाँ जल और भोजन नहीं है, और यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री के बिना यात्रा करना कठिन है। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री स्वयं एकत्र करने की अनुमति देता हूँ—चावल चाहने वाले के लिए चावल, दाल चाहने वाले के लिए दाल, नमक चाहने वाले के लिए नमक, गुड़ चाहने वाले के लिए गुड़, तेल चाहने वाले के लिए तेल, घी चाहने वाले के लिए घी। हे भिक्षुओं, कुछ ऐसे विश्वासयोग्य और धर्मांतरित पुरुष भी हैं जो कप्पिया-कारक के पास सोना जमा कराते हुए कहते हैं, "इस भिक्षु के लिए जो भी उचित हो, वह प्रदान करें।" हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें जो भी उचित हो, उसे स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। परन्तु हे भिक्षुओं, मैं यह नहीं कहता कि तुम किसी भी बहाने से सोना स्वीकार करो या उसकी खोज करो।

<<<< पिछला (6.33) | अगला (6.35) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.35

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.34) | अगला(6.36) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-35.

1. अब भगवान बुद्ध सीधे अपनी भिक्षायात्रा पर अपाना के लिए रवाना हुए। वहाँ तपस्वी केनिया ने यह सुना, 'देखो! शाक्य वंश में जन्मे और शाक्य वंश छोड़कर धर्म जीवन अपनाने वाले समना गौतम अपाना पहुँच गए हैं और वहीं ठहरे हुए हैं। उस पूज्य गौतम के विषय में यह विख्यात है कि वे पूर्णतः प्रबुद्ध, परोपकारी और गुणवान, ज्ञान और अच्छाई से परिपूर्ण, सुखी, संसार के ज्ञान में अद्वितीय, मनुष्यों का मार्गदर्शन करने वाले जैसे सारथी बैल को नियंत्रित करता है, देवताओं और मनुष्यों के गुरु, एक महान बुद्ध हैं। वे स्वयं इस ब्रह्मांड को, इसके देवों, ब्रह्माओं, मारों और सभी प्राणियों, समनों और ब्राह्मणों, देवताओं और मनुष्यों को भली-भांति समझते और देखते हैं; और फिर वे अपना ज्ञान दूसरों को भी देते हैं।' वह सत्य को आत्मा और अक्षर दोनों में प्रकट करता है:

अपनी उत्पत्ति में सुंदर, अपनी प्रगति में सुंदर, अपनी पूर्णता में सुंदर। वह अपने संपूर्ण पवित्रता और पूर्णता में उच्चतर जीवन की घोषणा करता है। ऐसे अरहतों का दर्शन धन्य है!' और तपस्वी केनिया ने सोचा: 'अब मुझे समना गौतम (बुद्ध) के पास क्या ले जाना चाहिए था?'

2. और तपस्वी केनिया ने सोचा: 'जो प्राचीन ब्राह्मण ऋषि हैं, पवित्र श्लोकों के रचयिता हैं, पवित्र श्लोकों के उद्घोषक हैं, जिनके प्राचीन शब्द स्वरूपों का उच्चारण, जप या रचना आज के ब्राह्मण (पुजारी) उसी प्रकार दोहराते हैं और पुनरावृति करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे उनका उच्चारण या पाठ किया गया था - अर्थात् अत्तक, वामक, वामदेव, वेसमित्त, यमतग्गी, अंगिरस, भारद्वग, वसेत्थ और भगु - वे रात्रि में भोजन नहीं करते थे और न ही समय पर भोजन करते थे, फिर भी वे पेय पदार्थ ग्रहण करते थे। (3.) अब समना गौतम भी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं और न ही समय पर भोजन करते हैं। उनके लिए भी पेय पदार्थ ग्रहण करना उचित होगा।' जब उसने पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ तैयार कर लिए, तो उसने उन्हें पिंगो (छोटी नाव) पर लादकर भगवान बुद्ध के पास गया। वहाँ पहुँचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया; और मित्रता और शिष्टाचार का अभिवादन करने के बाद वह एक तरफ खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर तपस्वी केनिया ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'भगवान बुद्ध मेरे हाथों से इन पेय पदार्थों को स्वीकार करें।'

'बहुत अच्छा, केनिया; इन्हें भिक्षुओं को दे दो।'

भिक्षु उन्हें नाराज करने के डर से स्वीकार नहीं करते थे।

'हे भिक्षुओं, इन्हें ग्रहण करो और इनका उपयोग करो।'

4. तब तपस्वी केनिया ने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ को इतने पेय पदार्थ पिलाए कि उन्होंने और पीने से मना कर दिया। जब भगवान बुद्ध ने अपने हाथ धो लिए और कटोरा एक तरफ रख दिया, तब वे बैठ गए। जब वे बैठ गए, तब भगवान बुद्ध ने धम्म प्रवचन द्वारा तपस्वी केनिया को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया। जब भगवान बुद्ध ने धम्म प्रवचन द्वारा केनिया को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया, तब तपस्वी ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'आदरणीय गौतम मुझे भिक्षुओं के साथ उनके लिए कल का भोजन तैयार करने का सौभाग्य प्रदान करें।'

5. 'हे केनिया, भिक्षुओं का समूह महान है। भिक्षुओं की संख्या ढाई सौ है। और आप ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत समर्पित हैं।'

फिर एक बार तपस्वी केनिया ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

हे गौतम, चाहे भिक्षुओं का समूह कितना भी बड़ा हो; और चाहे भिक्षुओं की संख्या ढाई सौ ही क्यों न हो, हे पूज्य गौतम, मुझे कल उनके और उनके समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करने का सौभाग्य प्रदान करें।

'महान, हे केनिया (और इसी तरह, पहले की तरह)।'

फिर तीसरी बार तपस्वी केनिया ने पूज्य गौतम से इस प्रकार कहा:

'भिक्षुओं की संगति (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है)'

तब भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति दे दी। जब तपस्वी केनिया को यह पता चला कि भगवान बुद्ध ने अपनी सहमति दे दी है, तो वह अपने आसन से उठकर वहां से चले गए।

6. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में, धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आठ प्रकार के पेय पदार्थ पीने की अनुमति देता हूँ: आम का सिरप, जामुन का सिरप, केले का सिरप, मोका का सिरप, शहद, और

अंगूर का रस, कमल की खाद्य जड़ से बना सिरप और फरुसक सिरप। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सभी फलों का रस पीने की अनुमति देता हूँ, सिवाय मक्के के रस के। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सभी पत्तों से बने पेय पीने की अनुमति देता हूँ, सिवाय जड़ी-बूटियों से बने पेय के। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सभी फूलों से बने पेय पीने की अनुमति देता हूँ, सिवाय मुलेठी के रस के। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गन्ने के रस का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।

7. और तपस्वी केनिया ने रात के अंत में अपने आश्रम में कठोर और नरम दोनों प्रकार के मीठे भोजन तैयार करवाए; और उन्होंने भगवान बुद्ध को समय की सूचना देते हुए कहा, 'हे गौतम, समय हो गया है और भोजन तैयार है।'

और भगवान बुद्ध ने सुबह जल्दी अपने अंतर्वस्त्र धारण करके, विधिवत वस्त्र धारण करके, तपस्वी केनिया के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर वे अपने लिए बिछाई गई आसन पर बैठ गए, और उनके साथ भिक्षुओं का समूह भी था। फिर

तपस्वी केनिया ने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समूह को भोजन अर्पित किया और उन्हें मीठे, कठोर और नरम दोनों प्रकार के भोजन से तृप्त किया। जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपने हाथ और कुंड धो लिए, तो केनिया एक तरफ बैठ गए।

8. और जब वे इस प्रकार बैठे थे, तब भगवान बुद्ध ने तपस्वी केनिया को इन श्लोकों में आशीर्वाद दिया:

'अर्पण में अग्नि यज्ञ प्रमुख है, पवित्र श्लोकों में सावित्री प्रमुख है;'

मनुष्यों में राजा सर्वोपरि है; और जल में सागर सर्वोपरि है।

नक्षत्रों में चंद्रमा सर्वोपरि है, और ऊष्मा प्रदान करने वालों में सूर्य।

लेकिन उनमें से, जो विजयी हैं और कल्याण की कामना करते हैं, संघ निस्संदेह सर्वोपरि है।

और जब भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों में तपस्वी केनिया को आशीर्वाद दिया, तो वे अपने आसन से उठे और वहां से चले गए।

<<<< पिछला(6.34) | अगला(6.36) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.36

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.35) | अगला (6.37) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-36.

1. जब भगवान बुद्ध ने अपाना में अपनी इच्छानुसार समय व्यतीत कर लिया, तो वे अपने साथ एक विशाल समूह को लेकर कुशीनार की तीर्थयात्रा पर निकल पड़े।

भिक्षुओं का एक समूह, जिसमें ढाई सौ भिक्षु थे, कुशीनाड़ा के मल्लों ने सुना, "कहते हैं कि भगवान बुद्ध ढाई सौ भिक्षुओं के एक बड़े समूह के साथ कुशीनाड़ा आ रहे हैं।" उन्होंने यह समझौता किया कि जो कोई भी भगवान बुद्ध का स्वागत करने नहीं जाएगा, उसे पाँच सौ (पैसे) का जुर्माना देना होगा।

उस समय रोजा नाम का एक मल्ल था, जो पूज्य आनंद का मित्र था। भगवान बुद्ध अपनी तीर्थयात्रा जारी रखते हुए कुशीनारा पहुंचे।

2. तब कुशीनार के मल्ल भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए निकले। रोजा मल्ल, भगवान बुद्ध का स्वागत करने के बाद, उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य आनंद विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य आनंद को प्रणाम किया और एक तरफ खड़े हो गए। इस प्रकार खड़े होकर पूज्य आनंद ने उनसे इस प्रकार कहा:

'हे मित्र रोजा, यह अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है कि तुम भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए आगे आए हो!'

हे आनंद, बुद्ध, धम्म या संघ से मैं इतना विचलित नहीं हूँ। बल्कि कुलवासियों के बीच यह समझौता हुआ था कि जो कोई भी भगवान बुद्ध का स्वागत करने नहीं जाएगा, उसे पाँच सौ (पैसे) का जुर्माना देना होगा। ऐसा जुर्माने के डर से ही हुआ।

मेरे कुलवासियों ने मुझे भी भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया।'

तब पूज्य आनंद दुःख से भर गए और सोचने लगे, 'मल्ल रोजा इस प्रकार कैसे बोल सकती है?'

3. और पूज्य आनंद उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए, और इस प्रकार बैठे हुए पूज्य आनंद ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'हे भगवान, यह रोजा मल्ला एक अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनके जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा इस सिद्धांत और अनुशासन का पालन करने से महान प्रभाव पड़ेगा। भगवान बुद्ध कृपा करें कि रोजा मल्ला इस सिद्धांत और अनुशासन के प्रति समर्पित हो जाएं।'

'आनंद, यह तथागत (बुद्ध) के लिए कोई कठिन बात नहीं है—इसलिए रोजा मल्ल को इस सिद्धांत और अनुशासन के प्रति समर्पित होना चाहिए।'

4. तब भगवान बुद्ध ने रोजा मल्ल को अपने प्रेम से भर दिया, और अपने आसन से उठकर अपने निवास स्थान में प्रवेश किया। और रोजा मल्ल, भगवान बुद्ध के प्रेम से अभिभूत होकर, जैसे एक छोटा बछड़ा गायों का अनुसरण करता है, वैसे ही वह निवास स्थान से निवास स्थान और कमरे से कमरे में भिक्षुओं से पूछता हुआ चला गया:

'तो फिर, महोदय, अब वह भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध, कहाँ निवास कर रहे हैं? क्योंकि हम उस भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध के दर्शन करना चाहते हैं।'

'हे मित्र, यह उनका निवास स्थान है, जिसका द्वार बंद है। इसलिए चुपचाप ऊपर जाओ, और दहलीज पार किए बिना बरामदे में प्रवेश करो, और चौखट पर दस्तक दो। भगवान बुद्ध तुम्हारे लिए द्वार खोल देंगे।'

5. तब रोजा मल्ल ने ऐसा ही किया, और भगवान बुद्ध ने द्वार खोल दिया। रोजा मल्ल निवास में प्रवेश कर गए और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। वहाँ बैठे रोजा मल्ल को भगवान बुद्ध ने उचित उपदेश दिया; अर्थात् उन्होंने उन्हें दान, नैतिक आचरण, स्वर्ग, अभिमान के खतरे, कामवासनाओं के भ्रष्टाचार और त्याग के लाभों के बारे में बताया। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि रोजा मल्ल का मन तैयार है, ग्रहणशील है, सत्य को समझने में बाधाओं से मुक्त है, प्रसन्न है और विश्वास से भरा है, तब उन्होंने बुद्धों के प्रमुख सिद्धांत, अर्थात् दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और मार्ग का उपदेश दिया। और जैसे एक साफ, काले धब्बों से रहित कपड़ा रंग को ठीक से सोख लेता है, वैसे ही रोजा मल्ल ने वहाँ बैठे-बैठे ही सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त कर ली, 'जो कुछ भी आरंभ के अधीन है, वह अंत के भी अधीन है।' और रोजा मल्ल ने सत्य को देखकर, सत्य में महारत हासिल करके, सत्य को समझकर, सत्य में मर्मस्पर्शी होकर, अनिश्चितता पर विजय प्राप्त करके, सभी शंकाओं को दूर करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, गुरु के सिद्धांत के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर न रहते हुए, भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

हे प्रभु, आदरणीय ईश्वर, कृपा करें।

संघ की आवश्यक वस्तुएँ, अर्थात् वस्त्र, भोजन, निवास स्थान और बीमारों के लिए दवाइयाँ, केवल मुझसे ही प्राप्त करें, दूसरों से नहीं।

'हे रोजा, जिस किसी ने भी शिष्य के ज्ञान और शिष्य की अंतर्दृष्टि से सत्य को उसी प्रकार ग्रहण किया है, जैसे आपने किया है, वे भी सोचेंगे, "काश, पूज्यजन केवल मुझसे ही संघ की आवश्यक वस्तुएँ ग्रहण करना चाहें, न कि दूसरों से।" अतः, हे रोजा, वे उन्हें आपसे ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी प्राप्त करेंगे।'

6. उस समय कुसिनारा के निवासियों के लिए एक निश्चित क्रम निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार वे बारी-बारी से संघ के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे। रोजा मल्ल, जिसे इस क्रम में स्थान नहीं मिला था, के मन में यह विचार आया: 'यदि मैं संघ के भंडारगृह का निरीक्षण करूँ और उसमें जो भी कमी पाऊँ, उसे उपलब्ध कराऊँ तो कैसा रहेगा?' और भंडारगृह का निरीक्षण करने पर उसने पाया कि वहाँ न तो साग-सब्जी है और न ही आटा।

तब रोजा मल्ल उस स्थान पर गया जहाँ पूज्य आनंद विराजमान थे, और वहाँ पहुँचकर उसने पूज्य आनंद से इस प्रकार कहा:

'मेरे मन में यह विचार आया (और पहले की तरह, नीचे तक:) और कोई भोजन नहीं। हे आनंद, यदि मैं सब्जियां और आटा प्रदान करूं, तो क्या भगवान बुद्ध उन्हें मेरे हाथों से स्वीकार करेंगे?'

7. पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'बहुत बढ़िया, आनंद। उसे ही इन्हें उपलब्ध कराने दो।'

'बहुत बढ़िया, रोजा। उन्हें उसी हिसाब से व्यवस्था करो।'

फिर रात के अंत में रोजा मल्ल ने पर्याप्त मात्रा में सब्जियां और आटा तैयार करवाकर भगवान बुद्ध को अर्पित किया और कहा, 'भगवान बुद्ध मेरे हाथों से इन सब्जियों और आटे को स्वीकार करें।'

'बहुत बढ़िया, रोजा। इन्हें भिक्षुओं के सामने पेश करो।'

भिक्षुओं ने, कहीं वे नाराज न हो जाएं, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया।

'हे भिक्षुओं, इन्हें स्वीकार करो और इनका उपयोग करो।'

8. तब रोजा मल्ल ने अपने हाथों से बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समूह को जड़ी-बूटियाँ और भोजन भेंट किया और उन्हें तृप्त किया। जब भगवान बुद्ध ने भोजन समाप्त कर लिया और अपने हाथ और कटोरा धो लिया, तब रोजा एक तरफ बैठ गए। जब वे बैठे, तब भगवान बुद्ध ने रोजा मल्ल को उपदेश दिया, प्रोत्साहित किया, उनसे बातचीत की और धर्म प्रवचन से उन्हें प्रसन्न किया। जब रोजा मल्ल ने उपदेश आदि प्राप्त कर लिया, तब वे अपने स्थान से उठे और वहाँ से चले गए।

और उस अवसर पर, और उस संदर्भ में, जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सभी प्रकार की सब्जियाँ और सभी प्रकार का भोजन खाने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (6.35) | अगला (6.37) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.37

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.36) | अगला (6.38) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-37.

1. भगवान बुद्ध ने कुशीनारा में अपनी इच्छानुसार जितना समय व्यतीत किया, उसके बाद वे ढाई सौ भिक्षुओं के एक विशाल समूह के साथ अतुमा की तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। उस समय अतुमा में एक व्यक्ति निवास कर रहा था, जिसने वृद्धावस्था में संघ में प्रवेश किया था और जो पहले एक नाई था। उसके दो पुत्र थे, सुंदर, प्रवचन में कुशल, योग्य और अपने गुरुओं द्वारा सिखाई गई नाई की कलाओं में पूर्णतः प्रशिक्षित थे।

2. अब इस बूढ़े ने यह खबर सुनी: 'लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध अतुमा के पास आ रहे हैं।'

भिक्षुओं का एक बड़ा समूह, जिसमें ढाई सौ भिक्षु होंगे।' तब उस वृद्ध ने अपने पुत्रों से कहा: 'मेरे बच्चों, लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ढाई सौ भिक्षुओं के एक बड़े समूह के साथ अतुमा आ रहे हैं। इसलिए, मेरे बच्चों, जाओ और अपने नाई के लड़के को साथ लेकर घर-घर जाकर बड़े-बड़े बर्तनों में नमक, तेल, चावल और आटा इकट्ठा करो। और जब भगवान बुद्ध आएंगे, तो हम उनके लिए दलिया तैयार करेंगे।'

3. "बहुत अच्छा, पिताजी," उन्होंने कहा और वैसा ही किया। जब लोगों ने उन सुंदर दिखने वाले और वाक्पटु युवकों को ऐसा करते देखा, तो वे भी जो इस कार्य में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, इसमें शामिल हो गए; और प्रेरित होकर उन्होंने भरपूर दान दिया। इस प्रकार उन युवकों ने बड़ी मात्रा में नमक, तेल, चावल और आटा एकत्र किया।

4. और भगवान बुद्ध उचित समय पर अपनी यात्रा के दौरान अतुमा पहुंचे; और वहां अतुमा में भगवान बुद्ध खलिहान में ठहरे। और उस वृद्ध ने, जब रात काफी बीत चुकी थी, बहुत सारा दलिया तैयार करवाया और उसे भगवान बुद्ध को अर्पित करते हुए कहा, 'भगवान बुद्ध मेरे हाथों से दलिया स्वीकार करें।'

तथागत कभी-कभी अपने ज्ञान के बारे में पूछते हैं; कभी-कभी नहीं पूछते। वे सही समय पर पूछना जानते हैं और सही समय पर नहीं पूछना जानते। तथागत अर्थपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, निरर्थक नहीं: निरर्थक प्रश्नों के लिए तथागतों का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। महान बुद्ध भिक्षुओं से दो उद्देश्यों से प्रश्न पूछते हैं—एक जब वे सत्य का उपदेश देना चाहते हैं, और दूसरा जब वे अपने शिष्यों के लिए आचरण नियम स्थापित करना चाहते हैं। और भगवान बुद्ध ने उस वृद्ध से कहा, 'हे भिक्षु, यह दलिया कहाँ से आया है?'

तब उस वृद्धजन ने भगवान बुद्ध को सारी बात बता दी।

5. महान बुद्ध ने उसे फटकारते हुए कहा, 'हे मूर्ख, यह अनुचित है, नियम के अनुसार नहीं है, अनुपयुक्त है, एक भिक्षु के योग्य नहीं है, अशोभनीय है और नहीं किया जाना चाहिए। हे मूर्ख, तुम संसार से निकलकर संघ में कैसे आ सकते हो, जो गैरकानूनी है? हे मूर्ख, इससे अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा।'

और जब उन्होंने उसे फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, जो भिक्षु बन चुका है उसे दूसरों को किसी कुकर्म के लिए उकसाना नहीं चाहिए। जो भी ऐसा करता है, वह दुक्कता का दोषी है। और हे भिक्षुओं, जो पहले नाई रह चुका है, उसे नाई का नौकर नहीं रखना चाहिए। जो भी ऐसा करता है, वह दुक्कता का दोषी है।'

<<<< पिछला (6.36) | अगला (6.38) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.38
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.37) | अगला(6.39) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-38.

1. और जब भगवान बुद्ध ने अतुमा में अपनी इच्छानुसार कुछ समय व्यतीत कर लिया, तो वे अपने आगे बढ़ गए।

सावत्थी की यात्रा। और उचित समय पर, सीधे यात्रा करते हुए, वे सावत्थी पहुँचे, और वहाँ, सावत्थी में, भगवान बुद्ध अनाथपिंडिका के आराम (मठ) में ठहरे।

उस समय श्रावस्ती में फलों के रूप में ठोस भोजन की प्रचुरता थी। तब भिक्षुओं के बीच यह प्रश्न उठा, 'क्या भगवान बुद्ध ने फलों को ठोस भोजन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी है या नहीं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें फलों के रूप में सभी ठोस भोजन की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(6.37) | अगला(6.39) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.39
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.38) | अगला (6.40) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-39.

1. उस समय संघ के पौधे निजी भूमि पर उगते थे, और निजी व्यक्तियों के पौधे संघ की संपत्ति वाली भूमि पर उगते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, निजी भूमि पर उगाए गए संघ के पौधों की आधी उपज आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब आपने उसका एक हिस्सा निजी स्वामी को दे दिया हो। संघ की संपत्ति वाली भूमि पर उगाए गए किसी निजी व्यक्ति के पौधों का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपने उसका एक हिस्सा निजी स्वामी को दे दिया हो।'

<<<< पिछला (6.38) । अगला (6.40) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> छठा खंडक >> 6.40

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.39) । अगला(7.1) >>>>

महावग्गा

छठा खंडका (औषधियों पर)

अध्याय-40.

1. उस समय भिक्षुओं में यह भय उत्पन्न होता था कि कहीं वे किसी प्रकार का अपराध न कर बैठें।

किसी न किसी बात को लेकर वे सोचते हैं, 'क्या भगवान बुद्ध ने इसकी अनुमति दी है या नहीं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, जो कुछ भी मैंने "यह तुम्हें शोभा नहीं देता" कहकर मना नहीं किया है, यदि वह वस्तु अवैध के अनुरूप है और वैध के विपरीत है, तो वह वैध नहीं है। जो कुछ भी मैंने "यह तुम्हें शोभा नहीं देता" कहकर मना नहीं किया है, यदि वह वस्तु वैध के अनुरूप है और अवैध के विपरीत है, तो वह वैध है।

और हे भिक्षुओं, जो कुछ भी मैंने "यह तुम्हें उचित लगे" कहकर अनुमति नहीं दी है, यदि वह चीज वैध के अनुरूप है और अवैध के विपरीत है, तो वह वैध नहीं है। जो कुछ भी मैंने "यह तुम्हें उचित लगे" कहकर अनुमति नहीं दी है, यदि वह चीज वैध के अनुरूप है और अवैध के विपरीत है, तो वह वैध है।

2. तब भिक्षुओं ने सोचा: 'क्या रात के पहले पहर तक खाया जा सकने वाला भोजन, उसी दिन दोपहर से पहले खाए जाने वाले भोजन के साथ मिलाकर खाना जायज़ है या नहीं? क्या सात दिनों के भीतर किसी भी समय खाया जा सकने वाला भोजन, उसी दिन दोपहर से पहले खाए जाने वाले भोजन के साथ मिलाकर खाना जायज़ है या नहीं? क्या जीवनकाल में किसी भी समय खाया जा सकने वाला भोजन, उसी दिन दोपहर से पहले खाए जाने वाले भोजन के साथ मिलाकर खाना जायज़ है या नहीं?'

क्या उसी दिन दोपहर से पहले? क्या सात दिनों के भीतर किसी भी समय खाए जा सकने वाले भोजन को, जीवन भर किसी भी समय खाए जा सकने वाले भोजन के साथ मिलाकर खाना वैध है या नहीं? क्या जीवन भर किसी भी समय खाए जा सकने वाले भोजन को, सात दिनों के भीतर किसी भी समय खाए जा सकने वाले भोजन के साथ मिलाकर खाना वैध है या नहीं?

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

3. हे भिक्षुओं, रात के पहले पहर तक खाया जा सकने वाला भोजन, या सात दिनों के भीतर किसी भी समय खाया जा सकने वाला भोजन, या जीवनकाल में किसी भी समय खाया जा सकने वाला भोजन, उसी दिन दोपहर से पहले खाए जाने वाले भोजन के साथ मिलाकर दोपहर तक वैध है, और दोपहर के बाद वैध नहीं है। हे भिक्षुओं, सात दिनों के भीतर किसी भी समय खाया जा सकने वाला भोजन, या जीवनकाल में किसी भी समय खाया जा सकने वाला भोजन, रात के पहले पहर तक खाए जा सकने वाले भोजन के साथ मिलाकर खाए जाने पर वैध है, और रात के पहले पहर के बाद वैध नहीं है। हे भिक्षुओं, जीवनकाल में किसी भी समय खाया जा सकने

वाला भोजन, सात दिनों के भीतर किसी भी समय खाए जा सकने वाले भोजन के साथ मिलाकर खाए जाने पर वैध है, और सात दिनों के बाद वैध नहीं है।

यहां औषधियों पर छठा खंडका समाप्त होता है।

<<<< पिछला(6.39) । अगला(7.1) >>>>

सातवां खंडका (कथिना समारोह)
(कथीना समारोह)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.40) । अगला(7.2) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में स्थित जेतवन, अनाथपिंडिका के उपवन में ठहरे हुए थे। उस समय लगभग तीस पथेय्यक भिक्षु भी वहीं थे।

वे सभी वनवासी थे, भिक्षा पर जीवन यापन करते थे, कूड़े के ढेर से फटे-पुराने वस्त्र पहनते थे, और उनके पास केवल तीन-तीन वस्त्र थे। जब वे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए सावत्थी जा रहे थे, उस समय वर्षा ऋतु का समय निकट था, वे समय पर सावत्थी नहीं पहुँच पाए और वर्षा ऋतु के मार्ग में साकेत में ठहर गए। उन्होंने वर्षा ऋतु असुविधा में बिताई, यह सोचते हुए कि 'हमारे भगवान बुद्ध हमसे छह खण्ड दूर, हमारे निकट ही निवास कर रहे हैं, और हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं।'

तीन महीने बाद जब उन भिक्षुओं ने वर्षावास का निवास पूरा कर लिया और पवाराना संपन्न कर लिया, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, श्रावस्ती में स्थित जेतवन, अनाथपिंडिका के उपवन में। उस समय वर्षा हो रही थी, जलभराव हो रहा था, दलदल बन रहा था, उनके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे और वे थक चुके थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए।

2. महान बुद्धों की यह प्रथा है कि वे अभी-अभी आए हुए दयालु भिक्षुओं का स्वागत करते हैं। और भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा:

हे भिक्षुओं, क्या आप सब ठीक चल रहा है?

क्या आपको अपना गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त मिलता है? क्या आपने वर्षा का अच्छी तरह से पालन-पोषण किया है, एकता और सद्भाव से, बिना किसी झगड़े के, और क्या आपको भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है?

'हे प्रभु, हमारा भला हो रहा है; हमें जीवनयापन के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है; हे प्रभु, हमने वर्षावास एकता, सद्भाव और बिना किसी कलह के संपन्न किया है और हमें भोजन की कमी नहीं हुई है। हे प्रभु, जब हम लगभग तीस पथेय्यक भिक्षु भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए सावत्थी जा रहे थे, तब हम समय पर सावत्थी नहीं पहुँच पाए (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में है)। और जब तीन महीने बाद, हे प्रभु, हमने वर्षावास संपन्न कर लिया और पवाराना संपन्न कर लिया, तब हम वर्षा के दौरान, जलभराव और दलदल के निर्माण के बीच, आगे बढ़े; हमारे वस्त्र पूरी तरह भीग गए थे; और हम थक गए थे।'

3. तब भगवान बुद्ध ने इस विषय में धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम निर्धारित करता हूँ कि कथिना समारोह भिक्षुओं द्वारा तब संपन्न किया जाएगा जब...'

उन्होंने अपना वर्षावास पूरा कर लिया है। और हे भिक्षुओं, कथिना समारोह के बाद तुम पाँच बातें कर सकते हो—बिना आमंत्रित किए लोगों के घरों में भिक्षा मांगने जाना,

सामान्य तीन वस्त्रों का सेट पहने बिना भिक्षा मांगने जाना, चार या दो से अधिक लोगों के समूह में भिक्षा मांगने जाना, जितने वस्त्रों की आवश्यकता हो उतने वस्त्र धारण करना, और जितने वस्त्र हाथ में आ जाएं, वे उनके होंगे (अर्थात, उन भिक्षुओं के होंगे जो निवास और अन्य कारणों से वितरण में भाग लेने के हकदार हैं)।

'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, कथिना समर्पित की जानी चाहिए।'

4. 'एक विद्वान, योग्य भिक्षु को घोषणा करने दो'

संघ के समक्ष निम्नलिखित निवेदन (प्रस्ताव) प्रस्तुत किया गया: "यह कठोरा वस्त्र संघ की संपत्ति बन गया है। यदि संघ तैयार है, तो वह कठोरा वस्त्र को फलां भिक्षु को कठोरा बिछाने के लिए सौंप दे। यही निवेदन है। हे पूज्यवरों, संघ मेरी बात सुनिए। यह कठोरा वस्त्र संघ की संपत्ति बन गया है। संघ इसे फलां भिक्षु को कठोरा बिछाने के लिए सौंपता है। यदि संघ कठोरा को फलां भिक्षु को सौंपने से सहमत है, तो वह मौन रहे। संघ इससे सहमत है। अतः वह मौन रहता है। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"

5. 'हे भिक्षुओं, इस प्रकार कथिना समारोह विधिवत संपन्न हुआ है; और इस प्रकार विधिवत संपन्न नहीं हुआ है।'

हे भिक्षुओं, ऐसा कब नहीं हुआ है जब इसे विधिवत रूप से आयोजित किया गया हो?

कथीना समारोह विधिवत रूप से आयोजित नहीं किया गया है जब सामग्री को केवल (माप के उद्देश्य से) चिह्नित किया गया हो: जब इसे केवल धोया गया हो: जब इसकी केवल गणना की गई हो (यह देखने के लिए कि इससे कितने वस्त्र बनेंगे): जब इसे केवल काटा गया हो: जब इसे केवल टुकड़ों में जोड़ा गया हो: जब इसे केवल लंबाई में सिला गया हो: जब इसे केवल चिह्नित किया गया हो: जब इसे केवल (जोड़ों में) मजबूत किया गया हो: जब इसे केवल

जब वस्त्र को चोटी से या पीठ पर बांधकर, या भागों में दोहरा करके मजबूत किया गया हो: जब उसे केवल रंग में डाला गया हो: जब (अध्यक्ष भिक्षु द्वारा, कि वह अपने लिए कौन से वस्त्र ग्रहण करेगा) निर्णय लिया गया हो (लेकिन उसका पालन नहीं किया गया हो): जब (संघ को वस्त्र भेंट करने से प्राप्त पुण्य के बारे में) चर्चा हुई हो, और दाता ने उदारता दिखाने के लिए उसे प्रेरित किया हो): जब दान केवल अस्थायी हो: जब समारोह स्थगित कर दिया गया हो।

जब समारोह को रद्द करना पड़ा हो (क्योंकि यह रात भर चलता रहा हो): जब समारोह किसी अन्य कारण से विफल हो गया हो: जब (अध्यक्ष भिक्षु द्वारा औपचारिक चयन में) ऊपरी वस्त्र, भीतरी वस्त्र या कमरबंद छूट गए हों: जब वस्त्र के पाँचों भागों में से कोई एक भाग काट-छाँट कर छोड़ दिया गया हो: जब समारोह की अध्यक्षता एक से अधिक भिक्षुओं ने की हो। और यहाँ तक कि जब कथिना समारोह सामान्य रूप से संपन्न हो गया हो, यदि वितरण की पुष्टि करने वाला संघ सीमा के भीतर रहने वाले (संपूर्ण संघ) से भिन्न हो, तो भी कथिना समारोह विधिवत संपन्न नहीं हुआ माना जाएगा।

'हे भिक्षुओं, इन मामलों में कथिना समारोह विधिवत आयोजित नहीं किया गया है।'

6. 'हे भिक्षुओं, कथिना समारोह विधिवत कब आयोजित किया गया था?'

'जब वस्त्र नए कपड़े से बन जाएंगे'

सूती वस्त्र, या लगभग नया, या कपड़े से बना, या कूड़े के ढेर से उठाए गए (चिथड़ों से) बना, या बाज़ार से उठाए गए टुकड़ों से बना: जब (अध्यक्ष भिक्षु द्वारा अपने लिए कौन से वस्त्र ग्रहण करने का) निर्णय (केवल) लिया नहीं गया हो (बल्कि उस पर अमल भी किया गया हो): जब (कठिना अर्पित करने से प्राप्त पुण्य के बारे में) कोई चर्चा न हुई हो: जब दान केवल अस्थायी न हो: जब समारोह स्थगित न किया गया हो: जब समारोह को छोड़ना आवश्यक न हो: जब समारोह विफल न हुआ हो: जब (अध्यक्ष भिक्षु द्वारा किए गए चुनाव में) ऊपरी वस्त्र, भीतरी वस्त्र, और कमरबंद न छोड़े गए हों: जब वस्त्र के पाँचों भागों में से कोई भी भाग काटते समय न छूटा हो: जब (समारोह

की अध्यक्षता) एक ही भिक्षु ने की हो। और जब कथिना समारोह (अन्यथा) सामान्य रूप से संपन्न हो जाने के बाद, सीमा के भीतर रहने वाले (संपूर्ण संघ) द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई हो।

'हे भिक्षुओं, इन मामलों में कथिना समारोह विधिवत संपन्न हो चुका है।'

<<<< पिछला(6.40) । अगला(7.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.1) । अगला(7.3) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय दो।

1. हे भिक्षुओं, कथिना (अर्थात कथिना समारोह के बाद मिलने वाले विशेषाधिकार) कब निलंबित किए जाते हैं?

हे भिक्षुओं, कथिना (विशेषाधिकारों) के निलंबन के ये आठ कारण हैं—भिक्षुओं का चले जाना, उनका वस्त्र तैयार हो जाना, उनका वस्त्र तैयार न करवाना, उनका वस्त्र नष्ट हो जाना, उन्हें (संपूर्ण संघ के विशेषाधिकारों के सामान्य निलंबन की सूचना मिलना), उन्हें वस्त्र का विशेष उपहार मिलने की अपेक्षा का समाप्त हो जाना, उनका (जिस संघ को कथिना दिया गया था उसकी) सीमा से बाहर चले जाना, और संपूर्ण संघ के कथिना विशेषाधिकारों का सामान्य निलंबन।

2. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु पहनने के लिए तैयार वस्त्र लेकर यह सोचते हुए चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।"

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार उसके चले जाने के कारण निलंबित कर दिए गए हैं।'

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु एक वस्त्र धारण करके चला जाता है। और जब वह सीमा पार कर लेता है तो वह सोचता है, "मैं यहीं वस्त्र बनवा लूँगा और कभी वापस नहीं लौटूँगा।" और वह वस्त्र बनवा लेता है।'

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि उसके पास पहनने के लिए एक वस्त्र तैयार है।'

कथिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु वस्त्र धारण करके चला जाता है। और जब वह सीमा के पार पहुँच जाता है तो वह सोचता है, "मैं न तो वस्त्र बनवाऊँगा और न ही वापस लौटूँगा।"

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार उनके इस निर्णय के आधार पर निलंबित किए जाते हैं।'

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु एक वस्त्र लेकर चला जाता है। और जब वह सीमा पार कर लेता है तो कहता है, "मैं यहीं वस्त्र सिलवाऊंगा और कभी वापस नहीं जाऊंगा।" और वह वस्त्र सिलवा लेता है। और जब वस्त्र उसके लिए सिलवाया जा रहा होता है, तभी वह खराब हो जाता है।'

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि उनका वस्त्र इतना दूषित हो गया है।'

2. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु एक वस्त्र धारण करके यह सोचकर चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।" सीमा पार करने के बाद वह उस वस्त्र को फिर से बनवाता है। वस्त्र बन जाने के बाद वह यह समाचार लेकर आता है, "कहते हैं कि उस जिले में कठिना समारोह स्थगित कर दिया गया है।"

उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि उसने वह समाचार सुन लिया था।

कथिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु एक वस्त्र धारण करके यह सोचते हुए चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह उस वस्त्र को सिलवाता है। फिर, वस्त्र सिलवाने के बाद, वह विशेषाधिकारों के सामान्य निलंबन के समाप्त होने तक अपनी वापसी स्थगित कर देता है।

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि वह सीमा से बाहर है।'

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु एक वस्त्र धारण करके यह सोचते हुए चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह उस वस्त्र को सिलवाता है। और फिर, जब वह वस्त्र सिल जाता है, तो वह अपनी वापसी को उस क्षण तक स्थगित कर देता है जब विशेषाधिकारों का (सामान्य) निलंबन होता है।'

'संपूर्ण संघ के विशेषाधिकारों के सामान्य निलंबन के आधार पर उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार निलंबित कर दिए गए हैं।'

अदाय-सत्तक नामक खंड का अंत।

<<<< पिछला(7.1) | अगला(7.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.2) | अगला(7.4) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-3.

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु पहनने के लिए तैयार वस्त्र लेकर चला जाता है, इत्यादि। (बाकी पहले जैसा ही)'

<<<< पिछला(7.2) | अगला(7.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.3) | अगला(7.5) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-4.

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु एक अधूरी पोशाक लेकर चला जाता है। और जब वह सीमा पार कर जाता है तो वह सोचता है, "मैं यहीं पोशाक बनवा लूँगा और कभी वापस नहीं लौटूँगा;" और वह पोशाक बनवा लेता है, इत्यादि। (बाकी पहले जैसा ही)'

आदया-खक्का शीर्षक वाले अनुभाग का अंत।

<<<< पिछला(7.3) | अगला(7.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.4) | अगला(7.6) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-5.

कथिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु अधूरी पोशाक लेकर चला जाता है, इत्यादि।

समदया-खक्का नामक अनुभाग का अंत।

<<<< पिछला(7.4) | अगला(7.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.5) | अगला(7.7) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-6.

1. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु एक वस्त्र धारण करके चला जाता है। और जब वह सीमा पार कर जाता है तो वह सोचता है, "मैं यहीं वस्त्र बनवा लूँगा और कभी वापस नहीं लौटूँगा।" और वह वस्त्र बनवा लेता है।'

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि उसके पास पहनने के लिए वस्त्र तैयार है, इत्यादि।'

2. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु एक वस्त्र लेकर यह सोचते हुए चला जाता है, "मैं कभी वापस नहीं आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है तो वह सोचता है, "मैं यहीं वस्त्र बनवा लूंगा।" और वह वस्त्र बनवा लेता है, इत्यादि।

3. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु बिना कोई संकल्प लिए वस्त्र धारण करके चला जाता है; वह न तो सोचता है "मैं वापस आऊंगा," और न ही सोचता है "मैं वापस नहीं आऊंगा।" और जब वह सीमा से आगे निकल जाता है, इत्यादि।

4. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु एक वस्त्र धारण करके यह सोचते हुए चला जाता है,

मैं वापस आऊंगा। और जब वह सीमा पार कर जाएगा, इत्यादि।

<<<< पिछला(7.5) | अगला(7.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.6) | अगला(7.8) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय 7।

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु अपना वस्त्र लेकर चला जाता है, इत्यादि।'

अद्य ('दूर ले जाने') भानवर का अंत।

<<<< पिछला(7.6) | अगला(7.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.7) | अगला(7.9) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-8.

1. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु वस्त्र भेंट किए जाने की उम्मीद से चला जाता है। जब वह सीमा से बाहर निकल जाता है, तो वह ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी अपेक्षा पूरी हो सके। परन्तु उसे वस्त्र वहाँ प्राप्त होता है जहाँ उसने अपेक्षा नहीं की थी, और वहाँ नहीं जहाँ उसने अपेक्षा की थी। वह सोचता है, "मैं वस्त्र यहीं बनवा लूँगा और कभी वापस नहीं जाऊँगा।" और वह वस्त्र बनवा लेता है।'

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि उसके पास पहनने के लिए एक वस्त्र तैयार है।'

'कठिना समारोह के बाद एक भिक्षु...'

आयोजित किया गया (आदि, जैसा कि पिछले मामले में था)। और वह सोचता है, "मैं न तो चोगा सिलवाऊंगा और न ही वापस जाऊंगा।"

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार उनके इस निर्णय के आधार पर निलंबित किए जाते हैं।'

'कठिना समारोह आदि संपन्न होने के बाद एक भिक्षु सोचता है, "मैं यहीं अपना वस्त्र सिलवा लूँगा और कभी वापस नहीं जाऊँगा।" और वह वस्त्र सिलवा लेता है। और जब उसके लिए वस्त्र सिल रहा होता है, तभी वह बिगड़ जाता है।'

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि उनका वस्त्र इतना दूषित हो गया है।'

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु वस्त्र भेंट किए जाने की उम्मीद से चला जाता है। और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह सोचता है, "मैं यहाँ ऐसा कार्य करूँगा जिससे मेरी अपेक्षा पूरी हो जाए, और मैं कभी वापस नहीं लौटूँगा।" और वह उस अपेक्षित उपहार को प्राप्त करने में स्वयं को समर्पित कर देता है, लेकिन उसकी अपेक्षा व्यर्थ हो जाती है।'

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार उस अपेक्षा के समाप्त होने के कारण निलंबित कर दिए गए हैं।'

अनासा-दोलासाका शीर्षक वाले अनुभाग का अंत।

<<<< पिछला(7.7) । अगला(7.9) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.9
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.8) । अगला(7.10) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-9.

1. 'कठिना समारोह के बाद एक भिक्षु इस उम्मीद के साथ चला जाता है कि उसे कुछ मिलेगा'

एक वस्त्र भेंट किया गया, और वह सोचता है, "मैं वापस आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह अपनी अपेक्षा की पूर्ति में जुट जाता है, और उसे वह वस्त्र वहीं मिलता है जहाँ उसने अपेक्षा की थी, और जहाँ उसने अपेक्षा नहीं की थी वहाँ नहीं मिलता। और वह सोचता है, "मैं यहीं वस्त्र बनवा लूंगा, और कभी वापस नहीं जाऊंगा," इत्यादि।

2. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु वस्त्र भेंट किए जाने की उम्मीद में यह सोचकर चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो उसे यह खबर मिलती है: "कहते हैं कि उस जिले में कठिना समारोह स्थगित कर दिया गया है।" और वह सोचता है, "चूंकि उस जिले में कठिना समारोह स्थगित कर दिया गया है, इसलिए मैं यहीं पर अपने अपेक्षित उपहार को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा।" और वह अपनी अपेक्षा की पूर्ति के लिए ऐसे कार्य करता है, और उसे उस स्थान पर वस्त्र प्राप्त होता है जहां उसने इसकी अपेक्षा की थी, और जहां उसने इसकी अपेक्षा नहीं की थी वहां उसे वस्त्र प्राप्त नहीं होता है। और वह सोचता है, "मैं यहीं पर वस्त्र बनवा लूंगा, और कभी वापस नहीं जाऊंगा," इत्यादि।

3. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु वस्त्र (उपहार में प्राप्त करने) की अपेक्षा लेकर यह सोचकर चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी अपेक्षा पूरी हो सके, और उसे उस स्थान पर वस्त्र प्राप्त होता है जहाँ उसने अपेक्षा की थी, और जहाँ उसने अपेक्षा नहीं की थी वहाँ वस्त्र प्राप्त नहीं होता, और वह उस वस्त्र को बनवा लेता है।

जब वह चोगा इस प्रकार तैयार हो गया, तभी उसे यह खबर मिली, "कहते हैं कि उस जिले में कथीना को निलंबित कर दिया गया है।"

उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि उसने वह समाचार सुन लिया था।

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु वस्त्र प्राप्त करने की उम्मीद में यह सोचकर चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह सोचता है, "मैं उस अपेक्षित उपहार को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा, और कभी वापस नहीं लौटूंगा।" और वह उस अपेक्षित उपहार की परवाह करता है, लेकिन उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं।'

उस अपेक्षा के समाप्त होने के कारण भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार निलंबित कर दिए गए हैं।

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु वस्त्र प्राप्त करने की अपेक्षा से यह सोचकर चला जाता है, "मैं वापस आऊंगा।" और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह अपनी अपेक्षा की पूर्ति में तल्लीन हो जाता है, और उसे उस स्थान पर वस्त्र प्राप्त हो जाता है जहाँ उसने अपेक्षा की थी, और जहाँ अपेक्षा नहीं की थी वहाँ नहीं मिलता, और वह उस वस्त्र को सिलवा लेता है। फिर, वस्त्र सिलवाने के बाद, वह विशेषाधिकारों के (सामान्य) निलंबन के समाप्त होने तक अपनी वापसी स्थगित कर देता है।'

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार इस आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं कि वह सीमा से बाहर है।'

'एक भिक्षु, कथिना समारोह संपन्न होने के बाद (आदि, जैसा कि पिछले मामले में है, तक): और फिर, इसकी भरपाई हो जाने के बाद, वह विशेषाधिकारों के (सामान्य) निलंबन के क्षण तक अपनी वापसी को स्थगित कर देता है।

'उस भिक्षु के कथिना विशेषाधिकार सामान्य निलंबन के आधार पर निलंबित कर दिए गए हैं।'

आसा-डोलासाका शीर्षक वाले अनुभाग का अंत।

<<<< पिछला(7.8) | अगला(7.10) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.9) | अगला(7.11) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-10.

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु किसी कार्य से चला जाता है। और जब वह सीमा पार कर लेता है, तो उसे वस्त्र भेंट किए जाने की आशा होती है। वह अपनी इस आशा की पूर्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, और उसे वस्त्र प्राप्त हो जाता है, इत्यादि।'

करणीय-दोलासाका का अंत।

<<<< पिछला(7.9) । अगला(7.11) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.11

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (7.10) । अगला (7.12) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-11.

1. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु अपने वस्त्रों में अपने हिस्से के दावे की रक्षा करते हुए (दुनिया के) चारों दिशाओं में यात्रा पर निकल जाता है। जब वह यात्रा कर रहा होता है, तो भिक्षु उससे पूछते हैं: "हे मित्र, तुमने वस्स कहाँ रखा है, और वस्त्रों में तुम्हारा हिस्सा कहाँ है?"

वह जवाब देता है: "मैंने फलां-फलां में वर्षा (वस्सा) रखी है।"

एक निवास स्थान, और वहाँ मुझे वस्त्रों में मेरा हिस्सा मिलता है।"

उन्होंने उससे कहा: "जाओ, मित्र, और अपना वस्त्र यहाँ ले आओ; हम इसे तुम्हारे लिए यहीं बना देंगे।"

और वह उस निवास पर जाकर भिक्षुओं से पूछता है: "मित्रों, मेरे हिस्से के वस्त्र कहाँ हैं?"

वे जवाब देते हैं: "यह रहा दोस्त; तुम कहाँ जा रहे हो?"

वह कहता है: "मैं फलां-फलां निवास पर जाऊंगा; वहां भिक्षु मेरे लिए वस्त्र तैयार करेंगे।"

उन्होंने उत्तर दिया: "नहीं, मित्र, मत जाओ; हम तुम्हारे लिए यहीं पर वस्त्र बना देंगे।"

और वह सोचता है, "मैं यहीं पर चोगा सिलवा लूंगा, और वापस (उस दूसरी जगह) नहीं जाऊंगा," इत्यादि।

2. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु यात्रा पर निकल पड़ता है (आदि, जैसा कि 1 में नीचे तक बताया गया है): "यह रहा, मित्र।" और वह वह वस्त्र धारण करके उस निवास स्थान के लिए चल पड़ता है। रास्ते में कुछ भिक्षु उससे पूछते हैं: "मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो?"

वह कहता है: "मैं फलां-फलां निवास पर जाने का इरादा रखता हूं; वहां भिक्षु मेरे लिए वस्त्र तैयार कर देंगे।"

उन्होंने उत्तर दिया: "नहीं, मित्र, मत जाओ; हम तुम्हारे लिए यहीं पर वस्त्र बना देंगे।"

और वह सोचता है, "मैं यहीं पर चोगा सिलवा लूंगा, और वापस (उस दूसरी जगह) नहीं जाऊंगा," इत्यादि।

3. 'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद एक भिक्षु यात्रा पर निकल पड़ता है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में नीचे तक बताया गया है): "यह रहा, मित्र।" और वह वह वस्त्र धारण करके उस निवास स्थान के लिए निकल पड़ता है। और जब वह जा रहा होता है

वह उस निवास स्थान के बारे में सोचता है, "मैं यहीं पर अपना वस्त्र सिलवा लूँगा और वापस उस जगह नहीं जाऊँगा," इत्यादि।

अपकिनाना-नवक का अंत।

<<<< पिछला (7.10) | अगला (7.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (7.11) | अगला (7.13) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-12.

'कठिना समारोह संपन्न होने के बाद, एक भिक्षु रहने के लिए एक आरामदायक स्थान की तलाश में, एक वस्त्र धारण करता है और यह सोचते हुए चला जाता है, "मैं फलां निवास स्थान पर जाऊंगा; यदि वह आरामदायक होगा, तो मैं वहीं रहूंगा; यदि नहीं होगा, तो मैं फलां निवास स्थान पर जाऊंगा; यदि वह आरामदायक होगा, तो मैं वहीं रहूंगा; यदि नहीं होगा, तो मैं फलां निवास स्थान पर जाऊंगा; यदि वह आरामदायक होगा, तो मैं वहीं रहूंगा; यदि नहीं होगा, तो मैं वापस चला जाऊंगा।"

'जब वह सीमा पार कर लेता है, तो वह सोचता है, "मैं यहीं पर अपना वस्त्र सिलवा लूंगा, और कभी वापस नहीं जाऊंगा," इत्यादि।'

विश्राम की चाह रखने वाले भिक्षु के पाँचों मामलों का अंत।

<<<< पिछला (7.11) | अगला (7.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> सातवाँ खंडक >> 7.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.12) | अगला(8.1) >>>>

महावग्गा

सातवां खंडका (कथिना समारोह)

अध्याय-13.

1. 'हे भिक्षुओं, दो शर्तों पर, वितरण में भाग के लिए भिक्षु का दावा

कथीना का अस्तित्व बना रहेगा, और इन दो शर्तों के विफल होने पर ही इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

और हे भिक्षुओं, उस दावे के निरंतर अस्तित्व के लिए वे दो शर्तें कौन सी हैं? निवास से संबंधित शर्त और वस्त्र से संबंधित शर्त।

हे भिक्षुओं, निवास के संबंध में कौन सी शर्त है? हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु बारिश या आंधी के दौरान निवास स्थान पर लौटने के इरादे से कुछ समय के लिए कहीं चला जाता है, तो हे भिक्षुओं, निवास के संबंध में शर्त पूरी हो जाती है। हे भिक्षुओं, वस्त्र के संबंध में कौन सी शर्त है? हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु का वस्त्र बना हुआ नहीं है, या तैयार नहीं है, या वस्त्र प्राप्त करने की उसकी अपेक्षा समाप्त हो गई है, तो हे भिक्षुओं, वस्त्र के संबंध में शर्त पूरी हो जाती है। हे भिक्षुओं, ये दो शर्तें दावे के निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।

2. हे भिक्षुओं, किन दो शर्तों में से किस एक शर्त के उल्लंघन से दावा समाप्त हो जाता है? निवास संबंधी शर्त का उल्लंघन और वस्त्र संबंधी शर्त का उल्लंघन।

और हे भिक्षुओं, किस स्थिति में निवास संबंधी शर्त पूरी नहीं होती?

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु निवास स्थान को त्यागकर, तिरस्कारपूर्वक उससे मुंह मोड़कर, उसे छोड़कर, न लौटने के इरादे से चला जाता है, तो हे भिक्षुओं, निवास स्थान संबंधी शर्त पूरी नहीं होती। ऐसे में, हे भिक्षुओं, वस्त्र संबंधी शर्त पूरी नहीं होती।

क्या भिक्षु का वस्त्र समाप्त हो गया है? हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु का वस्त्र बन गया है, या बिगड़ गया है, या खो गया है, या जल गया है, या वस्त्र प्राप्त करने की उसकी आशा समाप्त हो गई है। हे भिक्षुओं, इन परिस्थितियों में वस्त्र संबंधी शर्त समाप्त हो जाती है। हे भिक्षुओं, यही दो शर्तें समाप्त होने का कारण है, जिससे दावा समाप्त हो जाता है।

सातवें खंडका का अंत, कथिना-खंडका।

<<<< पिछला(7.12) । अगला(8.1) >>>>

आठवां खंडाका (पोशाक)
(भिक्षुओं का वस्त्र)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.13) । अगला(8.2) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय 1।

1. उस समय बुद्ध राजगृह में, वेलुवन में, कालंदक-निवापा में निवास करते थे। उस समय वैशाली एक समृद्ध, समृद्ध नगर था, जहाँ बहुत आबादी थी, भोजन की प्रचुरता थी; वहाँ सात हज़ार सात सौ सात मंजिला इमारतें, सात हज़ार सात सौ सात शिखर वाली इमारतें, सात हज़ार सात सौ सात रमणस्थल और सात हज़ार सात सौ सात कमल-कुंड थे। वहाँ अम्बापालिका नाम की एक वेश्या भी थी, जो सुंदर, आकर्षक और अत्यंत सुंदर थी, उसे नृत्य, गायन और वीणा वादन का अच्छा ज्ञान था और लोग उससे मिलने के लिए अक्सर आते थे। वह एक रात के लिए पचास कहपना (कांस्य के सिक्के) माँगती थी। उस महिला के कारण वैशाली की समृद्धि बढ़ती ही गई।

2. राजगृह का एक व्यापारी किसी काम से वैशाली गया। उस व्यापारी ने देखा कि वैशाली कितना समृद्ध और खुशहाल नगर था, कितना आबादी वाला, लोगों से भरा हुआ और भोजन की प्रचुरता वाला, और सात हज़ार सात सौ सात मंज़िला इमारतें... और सुंदर वेश्या अंबपाली... जिसके कारण वैशाली और भी समृद्ध होता जा रहा था। वैशाली में अपना काम निपटाने के बाद वह व्यापारी राजगृह लौट आया और मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास गया। उनके पास पहुँचकर उसने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार से कहा, 'महाराज, वैशाली एक समृद्ध और खुशहाल नगर है (जैसा कि अनुच्छेद 1 में आगे बताया गया है)। उस महिला के कारण वैशाली और भी समृद्ध होता जा रहा है। महाराज, कृपा करके हमें भी एक वेश्या स्थापित करने की अनुमति दें।'

(राजा ने उत्तर दिया), 'अच्छा, महाराज, ऐसी लड़की की तलाश कीजिए जिसे आप वेश्या के रूप में स्थापित कर सकें।'

3. उस समय राजगृह में सलवती नाम की एक लड़की रहती थी, जो सुंदर, आकर्षक, मनमोहक और बेहद खूबसूरत थी। राजगृह के व्यापारी ने उस लड़की सलवती को अपनी रखैल बना लिया। कुछ ही समय में सलवती नाच-गाना और वीणा बजाना सीख गई और उसके पास बहुत से लोग आने लगे। वह एक रात के लिए सौ (कांस्य के सिक्के) मांगती थी। कुछ ही समय में सलवती गर्भवती हो गई। अब सलवती सोचने लगी, 'पुरुष गर्भवती स्त्री को पसंद नहीं करते। अगर किसी को पता चल जाए कि सलवती गर्भवती है, तो मेरी सारी प्रतिष्ठा छिन जाएगी। अगर लोग कह दें कि मैं बीमार हूँ, तो क्या होगा?'

और वेश्या सलावती ने द्वारपाल को आदेश देते हुए कहा, 'हे द्वारपाल, यहाँ किसी को प्रवेश न करने देना, और यदि कोई मुझे बुलाए, तो उसे कहना कि मैं बीमार हूँ।' द्वारपाल ने वेश्या सलावती की बात मानते हुए कहा, 'जी महोदया।'

4. जब वेश्या सलावती के गर्भ में पल रहा बच्चा परिपक्व हो गया, तो उसने एक लड़के को जन्म दिया। वेश्या सलावती ने अपनी दासी को आदेश दिया, "जाओ, मेरी दासी, इस लड़के को एक पुरानी सूप की टोकरी में डालो, उसे ले जाओ और कूड़े के ढेर पर फेंक दो।" दासी ने वेश्या सलावती का यह आदेश मानते हुए कहा, "जी महोदया," और उस लड़के को एक पुरानी सूप की टोकरी में डालकर ले गई और कूड़े के ढेर पर फेंक दिया।

उस समय अभय नाम का एक राजकुमार राजा की सेवा में सुबह-सुबह गया और उसने उस लड़के को देखा जिसके चारों ओर कौवे जमा हो रहे थे। यह देखकर उसने लोगों से पूछा, 'हे सज्जनों, यह क्या है जिसके चारों ओर कौवे जमा हो रहे हैं?'

महाराज, यह एक लड़का है।

'क्या वह जीवित है, महोदय?'

'वह जीवित हैं, महाराज।'

'ठीक है, मेरे सज्जनों, उस लड़के को हमारे महल में ले आइए और उसे नर्सों को सौंप दीजिए ताकि वे उसका पालन-पोषण कर सकें।'

और उन लोगों ने राजकुमार अभय के उस आदेश को स्वीकार करते हुए कहा, 'जी महाराज,' और उस लड़के को राजकुमार अभय के महल में ले आए और उसे नर्सों को सौंप दिया।

'इस लड़के का पोषण करो।'

क्योंकि (लोगों ने अभय से इस लड़के के बारे में कहा था), 'वह जीवित है' (जीवती), इसलिए उन्होंने उसका नाम जीवक रखा; क्योंकि उसका पालन-पोषण राजकुमार द्वारा कराया गया था (कुमारेन पोसापितो), इसलिए उन्होंने उसका नाम कोमरभक्का रखा।

5. कुछ समय बाद जीवक कोमरभक्क समझदार हो गए। जीवक कोमरभक्क राजकुमार अभय के पास गए; उनके पास पहुँचकर उन्होंने राजकुमार अभय से कहा: 'हे महाराज, मेरी माता कौन हैं और मेरे पिता कौन हैं?'

'हे मेरे भले जीवक, मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, परन्तु मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा पालन-पोषण किया है।'

अब जीवक कोमरभक्का ने सोचा: 'इन राजपरिवारों में कला का ज्ञान रखे बिना जीविका कमाना आसान नहीं है। अगर मैं कोई कला सीख लूं तो क्या होगा?'

6. उस समय तक्सिला (इस्लामाबाद के पास तक्षशिला) में एक विश्वप्रसिद्ध चिकित्सक रहते थे। जीवक कोमरभक्का राजकुमार अभय से अनुमति लिए बिना ही तक्सिला के लिए निकल पड़े। जगह-जगह भटकते हुए वे तक्सिला पहुँचे और उस चिकित्सक के पास गए। उनके पास जाकर उन्होंने चिकित्सक से कहा, 'हे चिकित्सक, मैं आपकी कला सीखना चाहता हूँ।'

'अच्छा, मित्र जीवका, इसे सीख लो।'

जीवक कोमरभक्क ने बहुत कुछ सीखा, आसानी से सीखा, अच्छी तरह समझा और जो सीखा उसे भूला नहीं। सात वर्ष बीत जाने पर जीवक कोमरभक्क ने सोचा, 'मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आसानी से सीखता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ और जो सीखा है उसे भूलता नहीं हूँ। मैंने सात वर्ष अध्ययन किया है और मुझे इस कला का अंत नहीं दिखता। आखिर इस कला का अंत कब होगा?'

7. जीवक कुमारभक्क उस वैद्य के पास गए; उनके पास पहुँचकर उन्होंने वैद्य से कहा, "हे वैद्य, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और आसानी से सीख लेता हूँ; मैं अच्छी तरह समझता हूँ और जो कुछ सीखता हूँ उसे भूलता नहीं हूँ। मैंने अब सात वर्ष अध्ययन किया है और मुझे इस कला का अंत नहीं दिखता। मुझे इस कला का अंत कब दिखेगा?"

'बहुत खूब, मेरे प्रिय जीवक, यह फावड़ा लो, और तक्कसिला के चारों ओर हर तरफ एक योगाना बनाओ, और जो भी (पौधा) तुम्हें औषधीय न लगे, उसे मेरे पास ले आओ।'

जीवक कोमरभक्क ने उस चिकित्सक का यह आदेश स्वीकार करते हुए कहा, 'जी, चिकित्सक जी,' और एक कुदाल लेकर तक्कशिला के चारों ओर योगाना चक्कर लगाया, परन्तु उन्हें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो औषधीय न हो। तब जीवक कोमरभक्क उस स्थान पर गए जहाँ वह चिकित्सक थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने कहा, 'हे चिकित्सक जी, मैंने तक्कशिला के चारों ओर योगाना चक्कर लगाया है, परन्तु मुझे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो औषधीय न हो।'

(चिकित्सक ने उत्तर दिया), 'हे जीवक, तुमने अपनी विद्या पूरी कर ली है; इससे तुम्हारी जीविका का प्रबंध हो जाएगा।' ऐसा कहकर उसने जीवक कोमरभक्का को घर वापसी की यात्रा के लिए थोड़ा पैसा दिया।

8. जीवक कोमरभक्क ने यात्रा के लिए मिले थोड़े से पैसे लेकर राजगृह के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में सकेत में जीवक कोमरभक्क के वो थोड़े से पैसे खर्च हो गए। अब जीवक कोमरभक्क सोचने लगे, 'ये रास्ते तो सुनसान हैं, पानी और भोजन भी बहुत कम है; बिना पैसे के यहाँ यात्रा करना मुश्किल है। अगर मैं यात्रा के लिए कुछ पैसे जुटाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा?'

उस समय सकेता में सेठी (धनी व्यापारी) की पत्नी सात वर्षों से सिर की बीमारी से पीड़ित थी; कई महान और विश्वप्रसिद्ध चिकित्सक आए, लेकिन वे उसे स्वस्थ नहीं कर सके; उन्होंने बहुत सारा सोना लिया और चले गए।

और जब जीवक कोमरभक्का साकेत में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने लोगों से पूछा: 'यहाँ कौन बीमार है, मेरे सज्जनों? मैं किसका इलाज करूँ?'

'हे चिकित्सक, उस सेठी की पत्नी सात वर्षों से सिर की बीमारी से पीड़ित है; जाइए, चिकित्सक, और उस सेठी की पत्नी का इलाज कीजिए।'

9. तब जीवक कोमरभक्का उस गृहस्थ, सेठी के घर गया; और वहाँ पहुँचकर उसने द्वारपाल को आदेश दिया, 'हे मेरे भले द्वारपाल, जा और सेठी की पत्नी से कह दे: "महोदया, एक वैद्य आए हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं।"'

उस द्वारपाल ने जीवक कोमरभक्का का यह आदेश स्वीकार करते हुए (यह कहते हुए कि, 'जी डॉक्टर," सेठी की पत्नी के पास जाकर, उसके पास पहुँचकर उससे कहा: 'महोदया, एक चिकित्सक आए हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं।'

'वह चिकित्सक किस तरह का आदमी है, मेरे भले द्वारपाल?'

'वह एक युवक है, महोदया।'

'हे मेरे भले द्वारपाल, एक युवा चिकित्सक मेरी क्या सहायता कर सकता है? कई महान और विश्वप्रसिद्ध चिकित्सक आए हैं, लेकिन वे मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए; उन्होंने बहुत सारा सोना लिया और चले गए।'

10. इस प्रकार वह द्वारपाल जीवक कोमरभक्का के पास गया; उसके पास पहुँचकर उसने जीवक कोमरभक्का से कहा: 'हे चिकित्सक, सेठी की पत्नी ने कहा है: "नहीं, मेरे भले द्वारपाल (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 9 में है)।"'

(जीवका ने उत्तर दिया), 'जाओ, मेरे भले द्वारपाल, और सेठी की पत्नी से कहो: "हे महोदया, वैद्य कहते हैं: 'मुझे पहले से कुछ मत दीजिए, जब आप स्वस्थ हो जाएँगी, तब आप मुझे जो चाहें दे सकती हैं।"'

द्वारपाल ने जीवक कोमरभक्का का यह आदेश स्वीकार करते हुए कहा, 'जी डॉक्टर,' और सेठी की पत्नी के पास जाकर उससे कहा: 'महोदया, चिकित्सक कहते हैं (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है)।'

'अच्छा, मेरे भले द्वारपाल, चिकित्सक को अंदर आने दीजिए।'

द्वारपाल ने सेठी की पत्नी का यह आदेश स्वीकार करते हुए कहा, 'जी महोदया,' और जीवक कोमरभक्का के पास जाकर उनसे कहा, 'सेठी की पत्नी आपको बुला रही हैं, डॉक्टर।'

11. तब जीवक कोमरभक्का सेठी की पत्नी के पास गए; उनके पास पहुँचकर और उनकी सूरत में आए बदलाव को ध्यान से देखकर उन्होंने पत्नी से कहा, 'महोदया, हमें एक पाषाण घी चाहिए।' तब सेठी की पत्नी ने जीवक कोमरभक्का को एक पाषाण घी देने का आदेश दिया। जीवक कोमरभक्का ने उस पाषाण घी को विभिन्न औषधियों के साथ उबाला, सेठी की पत्नी को पलंग पर पीठ के बल लेटने का आदेश दिया और उन्हें नाक के रास्ते घी पिलाया। नाक के रास्ते दिया गया घी मुँह से बाहर आ गया। सेठी की पत्नी ने उसे थूकदान में थूक दिया और नौकरानी से कहा, 'आओ, मेरी बच्ची, इस घी को रुई से उठा लो।'

12. तब जीवक कोमरभक्क ने सोचा, 'यह गृहिणी कितनी कंजूस है, यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसने घी, जिसे फेंक देना चाहिए था, रुई के टुकड़े से उठा रखा है। मैंने उसे कई बहुमूल्य औषधियाँ दी हैं। बदले में वह मुझे क्या देगी?'

और सेठी की पत्नी ने जब जीवक कोमरभक्का के व्यवहार में बदलाव देखा, तो उसने जीवक कोमरभक्का से कहा: 'आप क्यों परेशान हैं, डॉक्टर?'

मैंने सोचा: "यह आश्चर्यजनक है, इत्यादि।"

'हे डॉक्टर, हम जैसे गृहस्थ जानते हैं कि इस तरह बचत करना क्यों जरूरी है; यह घी नौकरों या कामगारों के पैरों पर लगाने के लिए काफी होगा, या इसे दीपक में डाला जा सकता है। चिंता न करें, डॉक्टर, आपकी फीस नहीं कटेगी।'

13. जीवक कोमरभक्का ने सेठी की पत्नी के सिर की बीमारी, जो सात वर्षों से चली आ रही थी, को नाक के रास्ते दवा देकर दूर कर दिया। तब स्वस्थ हो चुकी सेठी की पत्नी ने जीवक कोमरभक्का को चार हज़ार (कांस्य के सिक्के) दिए; उसके पुत्र ने (यह सोचकर कि मेरी माता स्वस्थ हो गई हैं) उसे चार हज़ार दिए; उसकी बहू ने (यह सोचकर कि मेरी सास स्वस्थ हो गई हैं) उसे चार हज़ार दिए; गृहस्थ सेठी ने (यह सोचकर कि मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई हैं) उसे चार हज़ार और एक नौकर, एक नौकरानी और घोड़ों के साथ एक गाड़ी भेंट की।

तब जीवक कोमरभक्का उन सोलह हजार (कांस्य के सिक्के) और एक नौकर, एक नौकरानी और घोड़ों सहित रथ लेकर राजगृह के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह राजगृह पहुँचा और उस स्थान पर पहुँचा जहाँ राजकुमार अभय विराजमान थे; उनके पास जाकर उसने राजकुमार अभय से कहा, 'हे महाराज, मैंने अपने पहले कार्य के फलस्वरूप सोलह हजार, एक नौकरानी, एक नौकरानी और घोड़ों सहित रथ प्राप्त किए हैं; कृपया इसे मेरे पालन-पोषण के प्रतिफल के रूप में स्वीकार करें।'

'नहीं, मेरे प्रिय जीवक, इसे अपने पास रखो, लेकिन हमारे निवास के अलावा कहीं और अपना निवास स्थान मत बनाओ।'

जीवक कोमरभक्का ने राजकुमार अभय के इस आदेश को स्वीकार करते हुए कहा, 'जी हां, महाराज,' और राजकुमार अभय के निवास में अपने लिए एक घर प्राप्त कर लिया।

14. उस समय मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को फिस्टुला हो गया था; उनके वस्त्र खून से सने हुए थे। जब रानियों ने यह देखा,

उन्होंने राजा का उपहास करते हुए कहा, 'महाराज को मासिक धर्म हो रहा है। महाराज को प्रसव पीड़ा होने वाली है!' राजा को यह सुनकर क्रोध आया। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने राजकुमार अभय से कहा, 'हे अभय, मैं एक ऐसे रोग से पीड़ित हूँ कि मेरे वस्त्र रक्त से सने हुए हैं; और रानियाँ जब इसे देखती हैं, तो मेरा उपहास करते हुए कहती हैं, "महाराज को प्रसव पीड़ा हो रही है, इत्यादि।" हे अभय, कृपया मेरे लिए एक चिकित्सक खोजें जो मुझे ठीक कर सके।'

'हे महाराज, जीवक, हमारे ये उत्तम युवा चिकित्सक आपकी चिकित्सा करेंगे।'

'तो हे मेरे प्रिय अभय, कृपया चिकित्सक जीवक को आदेश दीजिए, और वह मेरा इलाज कर देंगे।'

15. तब राजकुमार अभय ने जीवक कोमरभक्का को आदेश देते हुए कहा, 'हे मेरे प्रिय जीवक, जाओ और राजा का इलाज करो।'

जीवक कोमरभक्का ने राजकुमार अभय के इस आदेश को स्वीकार करते हुए कहा, 'जी महाराज,' उन्होंने अपने नाखून में कुछ औषधि ली और मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास गए। उनके पास पहुँचकर उन्होंने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार से कहा, 'महाराज, हमें आपका रोग दिखा दीजिए।' और जीवक कोमरभक्का ने एक ही बार में मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार की फुंसी को ठीक कर दिया।

फिर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार स्वस्थ होकर अपनी पाँच सौ पत्नियों को अपने सारे आभूषण पहनने का आदेश दिया; फिर उन्हें अपने आभूषण उतारकर ढेर लगाने का आदेश दिया और जीवक कोमरभक्क से कहा: 'हे जीवक, मेरी पाँच सौ पत्नियों के ये सारे आभूषण तुम्हारे होंगे।'

'नहीं, महाराज, कृपया मेरे पद को याद रखें।'

'बहुत खूब, मेरे प्रिय जीवक, तुम मेरी और मेरे हरम की तथा बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षुओं के समुदाय की सेवा कर सकते हो।'

जीवक कोमरभक्क ने मगध राजा सेनिया बिम्बिसार के इस आदेश को (यह कहकर) स्वीकार कर लिया, 'हाँ, महाराज।'

16. उस समय राजगृह में रहने वाला सेठी (धनी व्यापारी) सात वर्षों से सिर की बीमारी से पीड़ित था। कई महान और विश्वप्रसिद्ध चिकित्सक आए, लेकिन वे उसे स्वस्थ नहीं कर सके; उन्होंने बहुत सारा सोना लिया और चले गए। चिकित्सकों ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी, अर्थात्: कुछ चिकित्सकों ने कहा: 'गृहस्थ सेठी पाँचवें दिन मर जाएगा;' जबकि अन्य चिकित्सकों ने कहा: 'गृहस्थ सेठी सातवें दिन मर जाएगा।'

अब (राजगृह के एक व्यापारी ने) सोचा: 'यह सेत्थी, यह गृहस्थ, राजा और व्यापारियों के संघ दोनों की अच्छी सेवा करता है। चिकित्सकों ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है (जैसा कि ऊपर बताया गया है)। यहाँ राजचिकित्सक जीवक है, जो एक उत्कृष्ट युवा चिकित्सक है। क्या होगा यदि हम राजा से उनके चिकित्सक जीवक को इस सेत्थी, गृहस्थ का इलाज करने के लिए कहें?'

17. राजगृह व्यापारी मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास गया; वहाँ पहुँचकर उसने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार से कहा, "हे महाराज, वह गृहस्थ सेत्थी आपकी और व्यापारियों के संघ दोनों की अच्छी सेवा करता है। चिकित्सकों ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है, इत्यादि। हे महाराज, कृपया चिकित्सक जीवक को उस गृहस्थ सेत्थी का उपचार करने का आदेश दें।"

तब मगध राजा सेनिया बिंम्बिसार ने दिया

जीवक कोमरभक्का ने जीवक को आदेश देते हुए कहा, 'जाओ, मेरे प्रिय जीवक, और सेत्थी, गृहस्थ का उपचार करो।'

जीवक कोमरभक्क ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के इस आदेश को स्वीकार करते हुए (यह कहते हुए, 'जी महाराज,') उस स्थान पर गए जहाँ सेत्थी, गृहस्थ था, और उसके पास पहुँचकर, उसके रूप में आए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखकर, उन्होंने सेत्थी, गृहस्थ से कहा, 'हे मेरे भले गृहस्थ, यदि मैं आपको स्वस्थ कर दूं, तो आप मुझे क्या शुल्क देंगे?'

'मेरी सारी संपत्ति आपकी होगी, चिकित्सक, और मैं आपका दास बनूंगा।'

18. 'अच्छा, मेरे भले गृहस्थ, क्या आप सात महीने तक एक करवट लेट सकेंगे?'

'डॉक्टर साहब, मैं सात महीने तक एक करवट लेटने में सक्षम रहूंगा।'

'और क्या आप, मेरे भले गृहस्थ, सात महीने तक दूसरी तरफ लेटने में सक्षम होंगे?'

'डॉक्टर साहब, मैं सात महीने तक दूसरी तरफ लेटने में सक्षम रहूंगा।'

'और क्या आप, मेरे भले गृहस्थ, सात महीने तक अपनी पीठ के बल लेट सकेंगे?'

'डॉक्टर साहब, मैं सात महीने तक पीठ के बल लेट पाऊंगा।'

तब जीवक कोमरभक्का ने सेत्थी (गृहस्थ) को उसके पलंग पर लेटने का आदेश दिया, उसे पलंग से कसकर बांध दिया, सिर की चमड़ी चीर दी, चीरे के दोनों ओर का मांस अलग किया, घाव से दो कीड़े निकाले और लोगों को दिखाते हुए कहा, 'देखिए, महोदय, ये दो कीड़े, एक छोटा और एक बड़ा। जिन चिकित्सकों ने कहा था, "पांचवें दिन सेत्थी (धनी व्यापारी), गृहस्थ, मर जाएगा," उन्होंने इस बड़े कीड़े को देखा है, और यह भी देखा है कि यह पांचवें दिन सेत्थी (गृहस्थ) के मस्तिष्क में कैसे प्रवेश करेगा, और मस्तिष्क में प्रवेश करते ही सेत्थी (गृहस्थ) मर जाएगा। उन चिकित्सकों ने बिल्कुल सही कहा था।' और जिन चिकित्सकों ने कहा था, "सातवें दिन गृहस्थ की मृत्यु हो जाएगी," उन्होंने इस छोटे से कीड़े को देखा था, और यह भी देखा था कि कैसे यह सातवें दिन गृहस्थ के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, और मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद गृहस्थ की मृत्यु हो जाती है। उन चिकित्सकों ने बिल्कुल सही कहा था। (ऐसा कहते हुए) उन्होंने घाव के किनारों को बंद कर दिया, सिर की त्वचा पर टांके लगा दिए और उस पर मरहम लगा दिया।

19. और जब सात दिन बीत गए, तो गृहस्थ सेत्थी ने जीवक कोमरभक्का से कहा: 'हे चिकित्सक, मैं सात महीने तक एक करवट लेटने में असमर्थ हूँ।'

'क्या आपने मुझे नहीं बताया था, मेरे भले गृहस्वामी: "मैं, चिकित्सक जी, सात महीने तक एक करवट लेट सकता हूँ?"'

'यह सच है, डॉक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी; मैं सात महीने तक एक करवट नहीं लेट सकती।'

'अच्छा, मेरे भले गृहस्थ, तो फिर आपको सात महीने तक दूसरी तरफ लेटना होगा।'

और जब सात दिन बीत गए, तो गृहस्थ सेठी ने जीवक कोमरभक्का से कहा: 'हे चिकित्सक, मैं सात महीने तक दूसरी तरफ लेटने में असमर्थ हूँ।'

'क्या तुमने मुझे नहीं बताया, इत्यादि।'

यह सच है, डॉक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था, इत्यादि।

'अच्छा, मेरे भले गृहस्थ, तो फिर आपको सात महीने तक पीठ के बल लेटना होगा।'

और जब सात दिन बीत गए, तो गृहस्थ सेठी ने जीवक कोमरभक्का से कहा: 'मैं हूँ

डॉक्टर साहब, मैं सात महीने तक पीठ के बल लेटने में असमर्थ हूं।'

क्या तुमने मुझे नहीं बताया, इत्यादि?

यह सच है, डॉक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था, इत्यादि।

20. "हे मेरे भले गृहस्थ, यदि मैंने तुमसे ऐसा न कहा होता, तो तुम इतनी देर तक लेटे न रहते। परन्तु मुझे पहले से ही पता था, 'सात दिनों के तीन बार के बाद गृहस्थ स्वस्थ हो जाएगा।' उठो, हे मेरे भले गृहस्थ, तुम स्वस्थ हो गए हो; देखो मुझे क्या प्रतिफल देते हो।"

'मेरी सारी संपत्ति आपकी होगी, चिकित्सक, और मैं आपका दास बनूंगा।'

'नहीं, मेरे भले गृहस्थ, मुझे अपनी सारी संपत्ति मत दो, और मेरे दास मत बनो; राजा को एक लाख (कांस्य के सिक्के) दो, और मुझे भी एक लाख दो।'

तब गृहस्थ सेत्थी ने स्वस्थ होकर राजा को एक लाख (कहपन/कांस्य के सिक्के) और जीवक कोमरभक्का को एक लाख (कहपन/कांस्य के सिक्के) दिए।

21. उस समय बनारस में सेठी के पुत्र, जो मनोरंजन के लिए कलाबाजी (मोक्खकिका) करता था, की आंतें उलझ गईं, जिसके परिणामस्वरूप वह न तो चावल का दूध पचा पाता था, न ही भोजन कर पाता था, और न ही सामान्य रूप से शौच कर पाता था। इसके परिणामस्वरूप वह दुबला हो गया, उसका चेहरा बदसूरत और बदरंग हो गया, उसका रंग पीला पड़ने लगा और उसकी त्वचा पर नसें उभरने लगीं।

अब बनारस के सेठी ने सोचा: 'मेरा बेटा फलां-फलां बीमारी से पीड़ित है: वह जो चावल का दूध पीता है उसे पचा नहीं पाता (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है, नीचे तक): और उसकी त्वचा पर नसें उभरी हुई हैं। क्या होगा अगर मैं राजगृह जाकर राजा से अपने चिकित्सक जीवक को मेरे बेटे का इलाज करने के लिए कहूँ?'

बनारस का सेठी राजगृह गया और मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास पहुँचा; उनके पास पहुँचकर उसने कहा, "महाराज, मेरा पुत्र फलाँ रोग से पीड़ित है: वह चावल का दूध पचा नहीं पाता (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है, नीचे तक): और उसकी त्वचा पर नसें उभरी हुई हैं। महाराज, कृपया वैद्य जीवक को मेरे पुत्र का उपचार करने का आदेश दें।"

22. तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने जीवक कोमरभक्का को आदेश दिया (यह कहते हुए), 'हे मेरे प्रिय जीवक, जाइए बनारस जाइए और बनारस में सेठी के पुत्र का इलाज कीजिए।'

जीवक कोमरभक्क ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार का यह आदेश स्वीकार करते हुए कहा, 'जी महाराज,' और बनारस गए। वहाँ वे बनारस के सेठी के पुत्र के पास पहुँचे; उनके पास जाकर और उनके रूप में आए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखकर, उन्होंने लोगों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया, पर्दा हटाया, उन्हें एक खंभे से बाँध दिया, उनकी पत्नी को उनके सामने खड़ा किया, पेट की चमड़ी को चीरकर मुड़ी हुई आँतों को बाहर निकाला और उनकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, 'देखो, तुम्हारे पति को क्या बीमारी थी। यही कारण है कि वे न तो चावल का दूध पचा पाते हैं, न ही भोजन पचा पाते हैं, न ही सामान्य रूप से शौच कर पाते हैं, और इसीलिए वे दुबले-पतले हो गए हैं, उनका चेहरा विकृत और बदरंग हो गया है, और उनका रंग दिन-ब-दिन पीला होता जा रहा है, और उनकी त्वचा पर नसें उभर आई हैं।' (ऐसा कहते हुए) उसने मुड़ी हुई आंतों को सीधा किया, उन्हें वापस सही जगह पर रखा, त्वचा को सिल दिया और उस पर मरहम लगाया। और कुछ ही समय में बनारस के सेठी का बेटा स्वस्थ हो गया।

तब बनारस के सेठी ने (मन ही मन कहते हुए), 'मेरा पुत्र स्वस्थ होकर यहाँ खड़ा है,' जीवक कोमरभक्का को सोलह हजार (कहपन/कांस्य के सिक्के) दिए। जीवक कोमरभक्का ने वे सोलह हजार (कहपन/कांस्य के सिक्के) लिए और राजगृह लौट गए।

23. उस समय उज्जैन के राजा पज्जोत पीलिया से पीड़ित थे। कई महान और विश्वप्रसिद्ध चिकित्सक आए, लेकिन वे उन्हें स्वस्थ नहीं कर सके; उन्होंने बहुत सारा सोना लिया और चले गए। तब राजा पज्जोत ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास एक दूत भेजा (यह संदेश लेकर): 'मैं फलां रोग से पीड़ित हूँ; महाराज, कृपया वैद्य जीवक को आदेश दीजिए; वह मुझे ठीक कर देंगे।' तब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने जीवक कोमरभक्क को आदेश दिया (यह कहते हुए), 'हे मेरे प्रिय जीवक, उज्जैन जाइए और राजा पज्जोत का इलाज कीजिए।'

जीवक कोमरभक्क ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के इस आदेश को स्वीकार करते हुए (यह कहते हुए), 'जी महाराज,' उज्जैनी गए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ राजा पज्जोत थे, और उनके पास पहुँचकर, उनके रूप में आए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखकर, उन्होंने राजा पज्जोत से कहा:

24. 'महाराज, मैं थोड़ा घी उबालूँगा, जिसे आपको पीना होगा।'

'नहीं, मेरे भले जीवक; मुझे घी दिए बिना मुझे ठीक करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो; मुझे घी से घृणा और अरुचि है।'

तब जीवक कोमरभक्क ने सोचा: 'इस राजा का रोग ऐसा है कि घी के बिना इसका इलाज संभव नहीं है। क्या होगा यदि मैं घी को उबालकर उसका रंग, गंध और स्वाद कसैले काढ़े जैसा बना दूं?'

तब जीवक कोमरभक्क ने घी में कई औषधियाँ मिलाकर उबाला ताकि उसका रंग, गंध और स्वाद कसैले काढ़े जैसा हो जाए। जीवक कोमरभक्क ने सोचा, 'जब यह राजा घी खाकर पचा लेगा, तो उसे उल्टी हो जाएगी। यह राजा क्रूर है; हो सकता है वह मुझे मरवा दे। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो क्या होगा?'

हाथ।' और जीवक कोमरभक्क उस स्थान पर गया जहाँ राजा पज्जोत था; उसके पास पहुँचकर उसने राजा पज्जोत से कहा:

25. 'हे महाराज, हम चिकित्सक इस समय जड़ें निकालते हैं और औषधीय औषधियाँ एकत्र करते हैं। आपकी कृपा से (शाही) अस्तबलों और (नगर के) द्वारों पर निम्नलिखित आदेश भेजें: "जीवका जिस भी पशु पर चाहे सवार होकर निकले; जिस द्वार से चाहे (नगर से) निकले; जिस समय चाहे निकले; और जिस समय चाहे पुनः प्रवेश करे।"'

और राजा पज्जोत ने (शाही) अस्तबलों और (नगर के) द्वारों पर निम्नलिखित आदेश भेजा: 'जीवक जिस भी जानवर पर चाहे सवारी करे, इत्यादि।'

उस समय राजा पज्जोत के पास भद्दावतीका नामक एक हथिनी थी, जो एक दिन में पचास योगाना की दूरी तय कर सकती थी। जीवक कोमरभक्क ने राजा पज्जोत को घी देते हुए कहा, 'महाराज, कृपया यह काढ़ा पिएं।' फिर राजा पज्जोत को घी पिलाने के बाद, जीवक कोमरभक्क हथिनी के अस्तबल में गए और हथिनी भद्दावतीका पर सवार होकर शहर से तेजी से निकल गए।

26. जब राजा पज्जोत ने वह घी पी लिया और उसे पचाने लगा, तो उसे उल्टी हो गई। तब राजा पज्जोत ने अपने सेवकों से कहा, 'हे सज्जनों, उस दुष्ट जीवक ने मुझे घी पिला दिया है। हे सज्जनों, जाइए और वैद्य जीवक से मिलिए।'

(सेवकों ने उत्तर दिया), 'वह हाथी भाद्दावतीका पर सवार होकर शहर से भाग गया है।'

उस समय राजा पज्जोत के पास काका नाम का एक दास था, जो एक दिन में साठ योगाना की यात्रा कर सकता था। वह एक अमानवीय प्राणी का पुत्र था। राजा पज्जोत ने उस दास काका को आदेश दिया: "हे मेरे भले काका, जाओ और वैद्य जीवक को वापस बुलाओ (यह कहते हुए), 'हे वैद्य, महाराज आपको वापस बुला रहे हैं।' परन्तु हे मेरे भले काका, वे वैद्य बड़े धूर्त हैं; उनसे कुछ मत लेना।"

27. दास काका ने कोसंबी में जीवक कोमरभक्का को नाश्ता करते समय रास्ते में रोक लिया। दास काका ने जीवक कोमरभक्का से कहा, 'हे डॉक्टर, राजा ने आपको वापस लौटने का आदेश दिया है।'

(जीवका ने उत्तर दिया), 'प्रती कीजिए, मेरे प्यारे काका, जब तक हम भोजन न कर लें; लीजिए, मेरे प्यारे काका, भोजन कीजिए।'

(काका ने कहा), 'नहीं, चिकित्सक, राजा ने मुझसे कहा है, "हे मेरे प्रिय काका, वे चिकित्सक धूर्त लोग हैं; उनसे कुछ भी मत लेना।"'

उस समय जीवक कोमरभक्का, जिसने अपने नाखून से कुछ औषधि काट ली थी, एक मायरोबालन फल खा रहा था और पानी पी रहा था। जीवक कोमरभक्का ने दास काका से कहा, 'हे मेरे भले काका, यह मायरोबालन फल खाओ और थोड़ा पानी पियो।'

28. तब दास काका ने सोचा, 'यह वैद्य मरुबल का मांस खाता है और पानी पीता है; इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता;' इसलिए उसने आधा मरुबल खाया और थोड़ा पानी पिया। और वह आधा मरुबल जो (जीवका) ने उसे खाने को दिया था, उसे खाकर उसने तुरंत शौच कर दिया।

तब दास काका ने जीवक कोमरभक्का से कहा: 'क्या मेरी जान बचाई जा सकती है, चिकित्सक?'

(जीवका ने उत्तर दिया), 'मेरे भले काका, डरो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन राजा क्रूर है; वह मुझे मरवा सकता है; इसलिए मैं वापस नहीं लौटता।'

ऐसा कहकर उसने भादवाटिका नामक हथिनी को काका को सौंप दिया और राजगृह के लिए चल पड़ा। समय रहते राजगृह पहुँचकर वह मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास गया; वहाँ पहुँचकर उसने सारी बात मगध के राजा बिम्बिसार को बता दी।

(बिम्बिसार ने कहा), 'हे मेरे भले जीवक, तुमने सही किया कि तुम वापस नहीं लौटे; वह राजा क्रूर है; वह तुम्हें मरवा सकता था।'

29. और राजा पज्जोत स्वस्थ होकर जीवक कोमरभक्का के पास एक दूत भेजा (यह संदेश लेकर), 'जीवक मेरे पास आए; मैं उसे वरदान दूंगा।'

(जीवका ने उत्तर दिया), 'नहीं, महाराज, कृपया मेरे कर्तव्य को याद रखें।'

उस समय राजा पज्जोत के पास शिवेय्यक वस्त्र का एक सूट था, जो अनेक वस्त्रों, सैकड़ों वस्त्रों, हजारों वस्त्रों और लाखों वस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, प्रथम, बहुमूल्य और श्रेष्ठ था। राजा पज्जोत ने यह शिवेय्यक वस्त्र जीवक कोमरभक्क को भेजा। तब जीवक कोमरभक्क ने सोचा, 'राजा पज्जोत द्वारा भेजा गया यह शिवेय्यक वस्त्र सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है (आदि, आगे भी): लाखों वस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे प्राप्त करने के योग्य केवल दयालु, परिपूर्ण अरहत-बुद्ध या मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ही हैं।'

30. उस समय भगवान बुद्ध के शरीर में रसों का असंतुलन हो गया था। तब भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से कहा, 'हे आनंद, तथागत के शरीर में रसों का असंतुलन हो गया है; तथागत विरेचक औषधि लेना चाहते हैं।' तब पूज्य आनंद जीवक कोमरभक्क के पास गए; उनके पास पहुँचकर उन्होंने जीवक कोमरभक्क से कहा:

'हे मेरे प्रिय जीवक, तथागत के शरीर में रसों का असंतुलन हो गया है; तथागत विरेचक लेना चाहते हैं।'

(जीवक ने उत्तर दिया), 'अच्छा, आदरणीय आनंद, आपको कुछ दिनों तक भगवान बुद्ध के शरीर पर चर्बी मलनी चाहिए।'

और पूज्य आनंद ने कुछ दिनों तक भगवान बुद्ध के शरीर पर चर्बी मलने के बाद जीवक कोमरभक्क के पास जाकर कहा: 'हे जीवक, मैंने तथागत के शरीर पर चर्बी मल दी है; अब आप जो उचित समझें, करें।'

31. तब जीवक कुमारभक्क ने सोचा, 'भगवान बुद्ध को तेज दस्तकारी देना उचित नहीं है।' (ऐसा सोचकर), उन्होंने तीन मुट्ठी नीले कमलों में विभिन्न औषधियाँ मिलाईं और उन्हें लेकर भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को एक मुट्ठी कमल भेंट करते हुए कहा, 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस पहली मुट्ठी कमलों को सूंघें; इससे भगवान बुद्ध दस गुना शुद्ध हो जाएंगे।' इसी प्रकार उन्होंने भगवान बुद्ध को दूसरी मुट्ठी कमल भी भेंट करते हुए कहा, 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस दूसरी मुट्ठी कमलों को सूंघें;

'इससे भगवान बुद्ध दस बार शुद्ध हो जाएँगे।' इस प्रकार उन्होंने भगवान बुद्ध को कमलों की तीसरी मुट्ठी भी भेंट की (और कहा), 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस तीसरी मुट्ठी कमलों को सूंघें; इससे भगवान बुद्ध दस बार शुद्ध हो जाएँगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध तीस बार शुद्ध हो जाएँगे।' और जीवक कोमरभक्का ने भगवान बुद्ध को तीस बार शुद्ध करने वाला पदार्थ देकर, उनके सामने प्रणाम किया, और अपनी दाहिनी ओर मुख करके उनके चारों ओर परिक्रमा की, और चले गए।

32. जीवक कुमारभक्क जब बाहर थे, तो उन्होंने सोचा, 'मैंने भगवान बुद्ध को तीस बार के लिए पर्याप्त रेचक दिया है, परन्तु तथागत के शरीर के द्रव्यों में गड़बड़ी के कारण यह भगवान बुद्ध को तीस बार पूरी तरह से शुद्ध नहीं करेगा; यह भगवान बुद्ध को केवल उनतीस बार ही शुद्ध करेगा। परन्तु भगवान बुद्ध शुद्ध होने के बाद स्नान करेंगे; स्नान से भगवान बुद्ध एक बार शुद्ध हो जाएंगे; इस प्रकार भगवान बुद्ध तीस बार पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे।'

और भगवान बुद्ध, जिन्होंने अपनी बुद्धि की शक्ति से जीवक कोमरभक्क के इस विचार को समझ लिया, उन्होंने पूज्य आनंद से कहा: 'जीवक कोमरभक्क, आनंद, जब बाहर थे, तो उन्होंने सोचा: "मैंने वास्तव में (आदि, जैसा ऊपर है, नीचे तक) इस प्रकार भगवान बुद्ध तीस बार शुद्ध हो जाएँगे।" अच्छा, आनंद, गर्म पानी तैयार रखो।'

आदरणीय आनंद ने भगवान बुद्ध के इस आदेश को स्वीकार करते हुए कहा, 'जी प्रभु,' और गर्म पानी तैयार करवाया।

33. जीवक कोमरभक्क उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। जीवक कोमरभक्क ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, क्या भगवान बुद्ध ने शुद्धि कर ली है?" (बुद्ध ने उत्तर दिया), "जीवक, मैंने शुद्धि कर ली है।" (जीवक ने कहा), "हे प्रभु, जब मैं बाहर था, तब मैंने सोचा: 'मैंने सचमुच दान दिया है, इत्यादि।' हे प्रभु, भगवान बुद्ध स्नान करें, हे सुखी बुद्ध स्नान करें।" तब भगवान बुद्ध ने उस गर्म जल में स्नान किया; स्नान से भगवान बुद्ध एक बार शुद्ध हो गए; इस प्रकार भगवान बुद्ध तीस बार शुद्ध हुए।

तब जीवक कुमारभक्क ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, जब तक भगवान बुद्ध का शरीर पूरी तरह से ठीक न हो जाए, तब तक तरल भोजन से परहेज करना बेहतर होगा।" और कुछ ही समय में भगवान बुद्ध का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया।

34. तब जीवक कोमरभक्क ने शिवेय्यक वस्त्र धारण किया और भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर, आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। उनके पास बैठकर जीवक कोमरभक्क ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, मैं भगवान बुद्ध से एक वरदान माँगता हूँ।' (बुद्ध ने उत्तर दिया), 'हे जीवक, तथागत वरदान देने से परे हैं (जब तक वे यह नहीं जान लेते कि वरदान क्या हैं)।' (जीवक ने कहा), 'हे प्रभु, यह एक उचित और निर्विवाद माँग है।' - 'बोलिए, जीवक।'

हे प्रभु, भगवान बुद्ध केवल पामसकुल वस्त्र (कब्रिस्तान या कब्रिस्तान से लिए गए चिथड़ों से बने वस्त्र) धारण करते हैं, और भिक्षु समुदाय भी ऐसा ही करता है। हे प्रभु, यह शिवेय्यक वस्त्र मुझे राजा पज्जोत ने भेजा है, जो अनेक वस्त्रों, सैकड़ों वस्त्रों, हजारों वस्त्रों और लाखों वस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, प्रथम, बहुमूल्य और श्रेष्ठ है। हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस शिवेय्यक वस्त्र को स्वीकार करें और भिक्षु समुदाय को गृहस्थ वस्त्र धारण करने की अनुमति दें।

भगवान बुद्ध ने शिवेय्यक वस्त्र धारण किया। भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन द्वारा जीवक कोमरभक्क को शिक्षा दी, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया। भगवान बुद्ध द्वारा धर्म प्रवचन से शिक्षा प्राप्त करने, प्रोत्साहित होने, प्रेरित होने और प्रसन्न होने पर जीवक कोमरभक्क अपने स्थान से उठे, भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया, उनके सामने दाहिनी ओर से परिक्रमा की और चले गए।

35. इसके फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गृहस्थ वस्त्र धारण करने की अनुमति देता हूँ। जिसे पसंद हो वह पामसकुल वस्त्र धारण कर सकता है; जिसे पसंद हो वह गृहस्थ वस्त्र स्वीकार कर सकता है। चाहे तुम किसी भी प्रकार के वस्त्र से प्रसन्न हो या न हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।'

राजगृह में लोगों ने सुना, 'भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को गृहस्थ वस्त्र धारण करने की अनुमति दे दी है।' तब वे लोग प्रसन्न और प्रसन्न हुए (क्योंकि उन्होंने सोचा), 'अब हम भिक्षुओं को दान देंगे और अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जित करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को गृहस्थ वस्त्र धारण करने की अनुमति दे दी है।' और एक ही दिन में राजगृह में हजारों वस्त्र भिक्षुओं को भेंट किए गए।

और देश के लोगों ने सुना, 'भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को गृहस्थ वस्त्र धारण करने की अनुमति दे दी है।' तब वे लोग प्रसन्न हुए (आदि, जैसा ऊपर है, नीचे तक): और एक ही दिन में देश भर में हजारों वस्त्र भिक्षुओं को भेंट किए गए।

36. उस समय संघ को एक आवरण प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें चादर ओढ़ने की अनुमति देता हूँ।'

उन्हें रेशम का एक लबादा मिला था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें रेशमी चादर पहनने की अनुमति देता हूँ।'

उन्हें ऊनी चादर मिल गई थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऊनी चादर का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

प्रथम भानवरा का समापन।

<<<< पिछला(7.13) । अगला(8.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.1) । अगला(8.3) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय दो।

उस समय काशी के राजा ने जीवक कोमरभक्क को बनारस के आधे कपड़े से बना एक ऊनी वस्त्र भेजा। तब जीवक कोमरभक्क ने वह ऊनी वस्त्र लेकर भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर, आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उनके पास बैठकर जीवक कोमरभक्क ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, बनारस के आधे कपड़े से बना यह ऊनी वस्त्र मुझे काशी के राजा ने भेजा है। हे प्रभु, इस ऊनी वस्त्र को स्वीकार करें, जो मेरे लिए दीर्घकाल तक कल्याणकारी और आशीर्वाददायी हो।' भगवान बुद्ध ने वह ऊनी वस्त्र स्वीकार कर लिया।

और भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया (आदि, जैसा कि अध्याय-1, 34, से आगे तक है:) और चले गए।

और इसके फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, ऊनी वस्त्र पहनने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(8.1) । अगला(8.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.2) । अगला(8.4) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-3.

1. उस समय भिक्षु समुदाय को अनेक प्रकार के वस्त्र प्राप्त हुए। अब भिक्षु सोचने लगे: 'भगवान बुद्ध द्वारा हमें कौन से वस्त्र धारण करने की अनुमति है और कौन से वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें छह प्रकार के वस्त्र धारण करने की अनुमति देता हूँ, अर्थात्...'

जो लिनन, कपास, रेशम, ऊन, मोटे कपड़े और भांग के कपड़े से बने हों।

2. उस समय भिक्षुओं ने गृहस्थ वस्त्र तो स्वीकार कर लिए, लेकिन पम्सुकुला वस्त्र नहीं धारण किए, क्योंकि उनके मन में संशय था (और वे सोचते थे): 'भगवान बुद्ध ने हमें केवल एक प्रकार के वस्त्र धारण करने की अनुमति दी है, दोनों प्रकार के नहीं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं अनुमति देता हूँ कि जो व्यक्ति गृहस्थ वस्त्र धारण करता है, वह पमसुकुल वस्त्र भी धारण कर सकता है। यदि आप दोनों प्रकार के वस्त्रों से प्रसन्न हैं, तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ।'

<<<< पिछला(8.2) । अगला(8.4) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.3) | अगला(8.5) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-4.

1. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। इनमें से कुछ भिक्षु अपने लिए पाम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए श्मशान घाट चले गए; कुछ भिक्षु नहीं रुके। जो भिक्षु पाम्सुकुला वस्त्र लेने श्मशान घाट गए थे, उन्होंने पाम्सुकुला वस्त्र प्राप्त कर लिए; जो भिक्षु नहीं रुके थे, उन्होंने उनसे कहा, 'मित्रों, हमें भी अपने पाम्सुकुला वस्त्रों का एक भाग दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको भाग नहीं देंगे; आप क्यों नहीं रुके?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह नियम बनाता हूँ, हे भिक्षुओं, कि आप उन भिक्षुओं को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भाग देने के लिए बाध्य नहीं हैं जिन्होंने प्रतीक्षा नहीं की है।'

2. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। उनमें से कुछ

इनमें से कुछ भिक्षु अपने लिए पम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए कब्रिस्तान चले गए; कुछ अन्य भिक्षु उनका इंतजार करते रहे। जो भिक्षु पम्सुकुला वस्त्र लेने कब्रिस्तान गए थे, उन्होंने पम्सुकुला वस्त्र प्राप्त कर लिए; जो भिक्षु इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उनसे कहा, 'मित्रों, हमें भी अपने पम्सुकुला वस्त्रों का एक भाग दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको भाग नहीं देंगे; आप भी कब्रिस्तान क्यों नहीं गए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध भी प्रतीक्षा कर रहे भिक्षुओं को एक भाग दें।'

3. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। इनमें से कुछ भिक्षु पहले ही पम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए श्मशान घाट चले गए; कुछ अन्य भिक्षु बाद में गए। जो भिक्षु पहले श्मशान घाट गए थे, उन्हें पम्सुकुला वस्त्र मिल गए; जो भिक्षु बाद में गए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने (अन्य भिक्षुओं से) कहा, 'मित्रों, हमें भी कुछ दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको कुछ नहीं देंगे; आप हमारे बाद (श्मशान घाट) क्यों गए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप उन भिक्षुओं को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भाग देने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपसे बाद में (कब्रिस्तान) गए हैं।'

4. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। वे सब मिलकर पमसुकुल वस्त्र प्राप्त करने के लिए एक श्मशान में गए; कुछ भिक्षुओं को पमसुकुल वस्त्र मिल गए, जबकि अन्य को नहीं मिले।

कुछ भी प्राप्त न कर पाने वाले भिक्षुओं ने कहा, 'मित्रों, हमें भी अपने पम्सुकुलाओं का एक भाग दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको भाग नहीं देंगे; आपने स्वयं क्यों नहीं प्राप्त किया?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अपने साथ (शमशान) गए भिक्षुओं को एक हिस्सा दे दो।'

5. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। वे आपस में पाम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए एक श्मशान में गए (रास्ते से हटकर)। उन्होंने पाम्सुकुला वस्त्रों के बंटवारे के बारे में आपस में समझौता कर लिया था। कुछ भिक्षुओं को पाम्सुकुला वस्त्र मिल गए, जबकि कुछ को कुछ नहीं मिला। जिन भिक्षुओं को कुछ नहीं मिला था, उन्होंने कहा, 'मित्रों, हमें भी पाम्सुकुला वस्त्रों का एक हिस्सा दे दीजिए।' पाम्सुकुला वस्त्रों ने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको हिस्सा नहीं देंगे; आपने स्वयं क्यों नहीं प्राप्त किए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, उन भिक्षुओं को एक भाग दें जो आपके साथ (पमसुकुलों के वितरण के संबंध में) समझौता करने के बाद (आपके साथ श्मशान गए हैं)।'

<<<< पिछला(8.3) | अगला(8.5) >>>>
टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.3) | अगला(8.5) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-4.

1. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। इनमें से कुछ भिक्षु अपने लिए पाम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए श्मशान घाट चले गए; कुछ भिक्षु नहीं रुके। जो भिक्षु पाम्सुकुला वस्त्र लेने श्मशान घाट गए थे, उन्होंने पाम्सुकुला वस्त्र प्राप्त कर लिए; जो भिक्षु नहीं रुके थे, उन्होंने उनसे कहा, 'मित्रों, हमें भी अपने पाम्सुकुला वस्त्रों का एक भाग दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको भाग नहीं देंगे; आप क्यों नहीं रुके?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह नियम बनाता हूँ, हे भिक्षुओं, कि आप उन भिक्षुओं को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भाग देने के लिए बाध्य नहीं हैं जिन्होंने प्रतीक्षा नहीं की है।'

2. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। उनमें से कुछ

इनमें से कुछ भिक्षु अपने लिए पम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए कब्रिस्तान चले गए; कुछ अन्य भिक्षु उनका इंतजार करते रहे। जो भिक्षु पम्सुकुला वस्त्र लेने कब्रिस्तान गए थे, उन्होंने पम्सुकुला वस्त्र प्राप्त कर लिए; जो भिक्षु इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उनसे कहा, 'मित्रों, हमें भी अपने पम्सुकुला वस्त्रों का एक भाग दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको भाग नहीं देंगे; आप भी कब्रिस्तान क्यों नहीं गए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध भी प्रतीक्षा कर रहे भिक्षुओं को एक भाग दें।'

3. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। इनमें से कुछ भिक्षु पहले ही पम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए श्मशान घाट चले गए; कुछ अन्य भिक्षु बाद में गए। जो भिक्षु पहले श्मशान घाट गए थे, उन्हें पम्सुकुला वस्त्र मिल गए; जो भिक्षु बाद में गए थे, उन्हें कुछ नहीं

मिला और उन्होंने (अन्य भिक्षुओं से) कहा, 'मित्रों, हमें भी कुछ दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको कुछ नहीं देंगे; आप हमारे बाद (श्मशान घाट) क्यों गए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप उन भिक्षुओं को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भाग देने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपसे बाद में (कब्रिस्तान) गए हैं।'

4. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। वे सब मिलकर पमसुकुल वस्त्र प्राप्त करने के लिए एक श्मशान में गए; कुछ भिक्षुओं को पमसुकुल वस्त्र मिल गए, जबकि अन्य को नहीं मिले।

कुछ भी प्राप्त न कर पाने वाले भिक्षुओं ने कहा, 'मित्रों, हमें भी अपने पम्सुकुलाओं का एक भाग दे दीजिए।' उन्होंने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको भाग नहीं देंगे; आपने स्वयं क्यों नहीं प्राप्त किया?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अपने साथ (शमशान) गए भिक्षुओं को एक हिस्सा दे दो।'

5. उस समय कोसल देश में कई भिक्षु यात्रा कर रहे थे। वे आपस में पाम्सुकुला वस्त्र लेने के लिए एक श्मशान में गए (रास्ते से हटकर)। उन्होंने पाम्सुकुला वस्त्रों के बंटवारे के बारे में आपस में समझौता कर लिया था। कुछ भिक्षुओं को पाम्सुकुला वस्त्र मिल गए, जबकि कुछ को कुछ नहीं मिला। जिन भिक्षुओं को कुछ नहीं मिला था, उन्होंने कहा, 'मित्रों, हमें भी पाम्सुकुला वस्त्रों का एक हिस्सा दे दीजिए।' पाम्सुकुला वस्त्रों ने उत्तर दिया, 'मित्रों, हम आपको हिस्सा नहीं देंगे; आपने स्वयं क्यों नहीं प्राप्त किए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, उन भिक्षुओं को एक भाग दें जो आपके साथ (पमसुकुलों के वितरण के संबंध में) समझौता करने के बाद (आपके साथ श्मशान गए हैं)।'

<<<< पिछला(8.3) | अगला(8.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> महावग्ग >> आठवां खंडका >> 8.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.4) | अगला(8.6) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-5.

1. उस समय लोग भिक्षुओं को भेंट करने के इरादे से वस्त्र लेकर अरमा (मठ) गए। उन्हें वहाँ कोई भिक्षु नहीं मिला जो वस्त्र ग्रहण कर सके; इसलिए वे वस्त्र वापस ले आए। (इसके परिणामस्वरूप) भिक्षुओं को बहुत कम वस्त्र दिए गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप निम्नलिखित पाँच गुणों से युक्त भिक्षु को (भिक्षुओं को भेंट किए गए) वस्त्र ग्रहण करने के लिए नियुक्त करें: (ऐसा व्यक्ति) जो कामवासना के बुरे मार्ग पर न चलता हो, घृणा के बुरे मार्ग पर न चलता हो, भ्रम के बुरे मार्ग पर न चलता हो, भय के बुरे मार्ग पर न चलता हो, और जो जानता हो कि क्या प्राप्त हुआ है और क्या नहीं।

2. 'और हे भिक्षुओं, तुम्हें (ऐसे भिक्षु को) इस प्रकार नियुक्त करना चाहिए: सबसे पहले, उस भिक्षु से (उस कार्य को स्वीकार करने के लिए) अनुरोध किया जाना चाहिए। जब उनसे पूछा जाए, तो एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नट्टी का उच्चारण करें: "हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। यदि संघ तैयार है, तो संघ भिक्षु एन. एन. को (भिक्षुओं को भेंट किए गए) वस्त्र ग्रहण करने के लिए नियुक्त करे। यह नट्टी है। हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। संघ भिक्षु एन. एन. को (भेंट किए गए) वस्त्र ग्रहण करने के लिए नियुक्त करता है। आदरणीय भाइयों में से जो भी भिक्षु एन. एन. को (भेंट किए गए) वस्त्र ग्रहण करने के लिए नियुक्त करने के पक्ष में हैं, वे मौन रहें, और जो इसके पक्ष में नहीं हैं, वे बोलें। भिक्षु एन. एन. को संघ द्वारा (भेंट किए गए) वस्त्र ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया है। संघ इसके पक्ष में है, इसलिए आप मौन रहें; ऐसा मैं समझता हूँ।"

<<<< पिछला(8.4) | अगला(8.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.6

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.5) | अगला(8.7) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-6.

1. उस समय जिन भिक्षुओं को (उपहार में दिए गए) वस्त्र प्राप्त करने थे, उन्होंने उन्हें प्राप्त करने के बाद वहीं (विहारों में) छोड़ दिया और चले गए; वस्त्र नष्ट हो गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप निम्नलिखित पाँच गुणों से युक्त भिक्षु को वस्त्र त्यागने के लिए नियुक्त करें: (ऐसा व्यक्ति) जो कामवासना के बुरे मार्ग पर न चलता हो, घृणा के बुरे मार्ग पर न चलता हो, भ्रम के बुरे मार्ग पर न चलता हो, भय के बुरे मार्ग पर न चलता हो, और जो जानता हो कि क्या त्यागा जाना चाहिए और क्या नहीं।'

2. 'और हे भिक्षुओं, तुम्हें (आदि, अध्याय-5, §-2 देखें) नियुक्त करना चाहिए।'

<<<< पिछला(8.5) | अगला(8.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.7

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.6) | अगला(8.8) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय 7।

उस समय वस्त्रों को रखने के लिए नियुक्त भिक्षु उन्हें खुले हॉल में, या किसी पेड़ की तलहटी में, या नीम के पेड़ के खोखले तने में रख देते थे; इस प्रकार उन्हें चूहों और दीमकों ने खा लिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि संघ जो चाहे, जैसे विहार (मठ), अद्धयोग, बहुमंजिला इमारत, अटारी या गुफा, उसे संघ का भंडारगृह नियुक्त करें।

और हे भिक्षुओं, आपको इसे इस प्रकार नियुक्त करना चाहिए: एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नत्ति (प्रस्ताव) की घोषणा करे: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। यदि संघ तैयार हो, तो संघ 'एन.एन.' नामक विहार को संघ का भंडारगृह नियुक्त करे (आदि, नात्तिदुतिया कर्म का सामान्य सूत्र)।"

<<<< पिछला(8.6) । अगला(8.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.7) । अगला(8.9) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-8.

1. उस समय संघ के भंडारगृह में रखा कपड़ा (बारिश, चूहों आदि से) सुरक्षित नहीं था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप निम्नलिखित पाँच गुणों से युक्त भिक्षु को भंडारगृह का प्रभार सौंपें: (ऐसा व्यक्ति) जो कामवासना के बुरे मार्ग पर न चलता हो (आदि, जैसा कि अध्याय-5, अनुच्छेद-1 में है), और जो जानता हो कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं।

और हे भिक्षुओं, तुम्हें नियुक्त करना चाहिए (आदि, अध्याय-5, §-2 देखें):

2. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने एक भिक्षु को, जो भंडारगृह का प्रभारी था, उसके पद से निष्कासित कर दिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भंडारगृह के प्रभारी भिक्षु को उसके स्थान से निष्कासित न करो। ऐसा करने वाला दुक्कत अपराध करता है।'

<<<< पिछला(8.7) । अगला(8.9) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.8) | अगला(8.10) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-9.

1. उस समय संघ का भंडारगृह कपड़ों से भरा हुआ था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि इन्हें एकत्रित संघ द्वारा वितरित किया जाए।'

उस समय, वस्त्र बांटते समय, पूरे संघ में हलचल मच गई थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप वस्त्रों का वितरण करने के लिए निम्नलिखित पाँच गुणों से युक्त भिक्षु को नियुक्त करें: (ऐसा व्यक्ति) जो कामवासना के बुरे मार्ग पर न चलता हो... और जो जानता हो कि क्या वितरित किया जाता है और क्या नहीं।'

और हे भिक्षुओं, तुम्हें नियुक्त करना चाहिए (आदि, अध्याय-5, अनुच्छेद-2 देखें)।

2. अब वस्त्र बांटने के लिए नियुक्त भिक्षुओं ने सोचा: 'हम वस्त्र किस प्रकार बांटें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप पहले वस्त्रों को छाँटें, उनका मूल्यांकन करें, उनके उच्च या निम्न मूल्य के अनुसार उन्हें आपस में बाँटें, फिर भिक्षुओं की गिनती करें, उन्हें समूहों में विभाजित करें और वस्त्रों के हिस्से (तदनुसार) बाँटें।'

अब वस्त्र बांटने वाले भिक्षु सोचने लगे: 'सामनेरों को वस्त्र का कितना भाग दिया जाए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि तुम समनेरों को आधा भाग दो।'

3. उस समय एक भिक्षु अपने हिस्से के साथ (नदी या रेगिस्तान) पार जाना चाहता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप किसी भिक्षु को, जो (नदी या रेगिस्तान) पार कर रहा हो, उसका उचित हिस्सा दें।'

उस समय एक भिक्षु अपने हिस्से से अधिक कपड़ा लेकर (नदी या रेगिस्तान) पार जाना चाहता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि यदि कोई भिक्षु क्षतिपूर्ति करे तो आप उसे उसके उचित भाग से अधिक दें।'

4. अब वस्त्र वितरित करने वाले भिक्षुओं ने सोचा: 'हम वस्त्रों का हिस्सा (एक-एक भिक्षु को) कैसे आवंटित करें, बारी-बारी से उनके आने पर (और वस्त्र मांगने पर) या उनकी आयु के अनुसार (अर्थात उनके दीक्षा ग्रहण के बाद बीते समय के अनुसार)?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि घास की पत्तियों से बनी पर्ची निकालो, और फिर प्रत्येक दोषपूर्ण भाग को बराबर कर लो।'

<<<< पिछला(8.8) | अगला(8.10) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.9) | अगला(8.11) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-10.

1. उस समय भिक्षु गोबर या पीली मिट्टी से कपड़े रंगते थे। वस्त्रों का रंग खराब होता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको निम्नलिखित छह प्रकार के रंगों का प्रयोग करने की सलाह देता हूँ, अर्थात् जड़ों से बना रंग, वृक्षों के तनों से बना रंग, छाल से बना रंग, पत्तियों से बना रंग, फूलों से बना रंग और फलों से बना रंग।'

2. उस समय भिक्षु बिना उबाले हुए रंग से कपड़े रंगते थे; कपड़ा दुर्गंधयुक्त हो जाता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप रंग को उबालें (और) छोटे रंग के बर्तनों का प्रयोग करें।'

उन्होंने रंग गिरा दिया।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप (रंगदानों के नीचे) बर्तन रखें ताकि गिरा हुआ (रंग) उसमें इकट्ठा हो जाए।'

उस समय भिक्षुओं को यह नहीं पता था कि रंग को उबाला गया था या नहीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप रंग की एक बूंद पानी में या अपने नाखून पर गिरने दें (यह जांचने के लिए कि रंग ठीक से उबाला गया है या नहीं)।'

3. उस समय भिक्षु जब बर्तन से रंग उंडेल रहे थे, तो बर्तन उलट गया; बर्तन टूट गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप रंगने वाले चम्मच या लंबे हैंडल वाले फावड़े का प्रयोग करें।'

उस समय भिक्षुओं के पास रंग रखने के लिए बर्तन नहीं थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप रंग रखने के लिए कलश और कटोरे प्राप्त करें।'

उस समय भिक्षुओं ने कपड़े को उन बर्तनों और कटोरों से रगड़ा जिनमें वे उसे रंगते थे; कपड़ा फट गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, यह नियम बनाओ कि कपड़े रंगने के लिए एक (बड़ा) कुंड प्रयोग करो।'

<<<< पिछला(8.9) | अगला(8.11) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.10) | अगला (8.12) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-11.

1. उस समय भिक्षुओं ने (रंगने के बाद) कपड़े को फर्श पर फैला दिया; कपड़ा धूल से भर गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि तुम घास बिछाओ (और उस पर कपड़ा रखो)।'

उन्होंने जो घास लगाई थी, उसे दीमक खा गए। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप कपड़े को टांगने के लिए बांस की खूंटी या रस्सी का इंतजाम करें।'

उन्होंने इसे बीच में लटका दिया; रंग दोनों तरफ टपक गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप इसे कोने पर कसकर बाँध लें।'

कोना घिस गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं कपड़े सुखाने के लिए रस्सी का उपयोग करने की सलाह देता हूँ।'

रंग एक तरफ गिर गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि रंगाई करते समय, जब भी आवश्यकता हो, कपड़े को पलटते रहो और रंग टपकना बंद होने से पहले वहाँ से न जाओ।'

2. उस समय कपड़ा कड़ा हो गया था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप (कपड़े को) पानी में डुबोकर अतिरिक्त रंग निकाल दें।' उस समय कपड़ा खुरदुरा हो गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह सलाह देता हूँ कि आप इसे अपने हाथों से पीटकर चिकना करें।'

उस समय भिक्षुओं के पास हाथीदांत के समान पीले रंग के अक्खिन्नक वस्त्र थे। लोग नाराज़ हुए, आपस में कानाफूसी करने लगे और क्रोधित हो गए: '(भिक्षु) उन लोगों की तरह वस्त्र पहनते हैं जो अभी भी संसार के सुखों में लिप्त हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें अक्खिन्नक वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

<<<< पिछला (8.10) | अगला (8.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.12

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.11) | अगला (8.13) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-12.

1. जब भगवान बुद्ध राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे दक्षिणागिरि (दक्षिणी पहाड़ियों) की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और भगवान बुद्ध ने देखा कि मगध के धान के खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे हुए थे।

और पंक्तियों में, और बाहरी सीमाओं (या टीलों) द्वारा, और आड़ी सीमाओं द्वारा।

यह देखकर भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से कहा, 'क्या तुम समझते हो, आनंद, कि मगध के धान के खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में, पंक्तियों में, बाहरी सीमाओं से और आड़ी सीमाओं से किस प्रकार विभाजित हैं?'

'फिर भी, प्रभु।'

'आनंद, क्या आप भिक्षुओं के लिए भी इसी तरह के वस्त्र उपलब्ध करा सकते हैं?'

'मैं कर सकता हूँ, प्रभु।'

अब जब भगवान बुद्ध दक्षिणी पहाड़ियों में अपनी इच्छानुसार समय बिता चुके थे, तब वे राजगृह लौट आए।

तब आनंद ने अनेक भिक्षुओं के लिए एक समान वस्त्र प्रदान किए; और भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा: 'कृपा करके भगवान बुद्ध मेरे द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों को देखें।'

2. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, योग्य पुरुष आनंद है; हे भिक्षुओं, महान ज्ञान वाला आनंद है, क्योंकि जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है, वह उसे पूर्णतः समझ सकता है, और वह चौखट, मध्य चौखट, बड़े वृत्त, छोटे वृत्त, मोड़, मोड़ की अस्तर, कॉलर, घुटने और कोहनी का वस्त्र बना सकता है। और यह फटे हुए टुकड़ों से बना होना चाहिए, मोटे तौर पर सिला हुआ, एक भिक्षु के लिए उपयुक्त, ऐसी वस्तु जिस पर उसके शत्रु लालच न कर सकें। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें फटे हुए टुकड़ों से बने अंतर्वस्त्र, फटे हुए टुकड़ों से बने अंतर्वस्त्र और फटे हुए टुकड़ों से बने कमरबंद का उपयोग करने का आदेश देता हूँ।'

<<<< पिछला (8.11) | अगला (8.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.13

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.12) | अगला (8.14) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-13.

1. जब भगवान बुद्ध राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे वैशाली की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। राजगृह और वैशाली के बीच के राजमार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनेक भिक्षुओं को वस्त्रों में लिपटे हुए देखा। वे अपने सिर, पीठ या कमर पर वस्त्र लपेटे हुए चल रहे थे। उन्हें देखकर भगवान बुद्ध ने सोचा, 'इन मूर्खों ने वस्त्रों के मामले में अत्यधिक फिजूलखर्ची कर ली है। यह अच्छा होगा यदि मैं भिक्षुओं के वस्त्रों को सीमित कर दूं और उनकी सीमा निर्धारित कर दूं।'

2. भगवान बुद्ध वैशाली की ओर अपनी यात्रा पर समयपूर्वक आगे बढ़ते हुए उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ वैशाली में, भगवान बुद्ध गौतमक मंदिर में ठहरे। उस समय, शीत ऋतु की ठंडी रातों में, अष्टक पर्वों के बीच के समय में जब हिमपात होता है, भगवान बुद्ध रात में खुले में केवल एक वस्त्र धारण करके बैठे रहे, और उन्हें ठंड नहीं लगी। जब रात का पहला पहर समाप्त होने वाला था, तब भगवान बुद्ध को ठंड लगी; और उन्होंने दूसरा वस्त्र धारण किया, और उन्हें ठंड नहीं लगी। जब रात का मध्य पहर समाप्त होने वाला था, तब भगवान बुद्ध को ठंड लगी; और उन्होंने तीसरा वस्त्र धारण किया, और उन्हें ठंड नहीं लगी। जब रात का अंतिम पहर समाप्त होने वाला था, जब भोर हो रही थी और रात काफी बीत चुकी थी, तब भगवान बुद्ध को ठंड लगी; और उन्होंने चौथा वस्त्र धारण किया, और उन्हें ठंड नहीं लगी।

3. तब भगवान बुद्ध के मन में यह विचार आया: 'इस धर्म और अनुशासन में अच्छे कुल के वे पुरुष जो सर्दी से प्रभावित होते हैं और सर्दी से डरते हैं, वे तीन वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि भिक्षुओं के वस्त्रों को सीमित करते हुए और उस पर एक सीमा निर्धारित करते हुए, मैं उन्हें तीन वस्त्र धारण करने की अनुमति दे दूं तो यह अच्छा होगा।' और उस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

4, 5. 'जब मैं मुख्य मार्ग पर था, इत्यादि... मैंने देखा, इत्यादि... और मैंने सोचा, इत्यादि... (पूरा अध्याय "... मैं तीन वस्त्रों के उपयोग की अनुमति देता/देती हूँ" तक दोहराया गया है)। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन वस्त्रों के उपयोग की अनुमति देता/देती हूँ, (अर्थात) दोहरी कमरबंद, एक ऊपरी वस्त्र और एक अंतर्वस्त्र।'

6. उस समय छब्बाग्य भिक्षु, इस आधार पर कि भगवान बुद्ध ने तीन वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, एक वस्त्र पहनकर गाँव में आते-जाते थे, दूसरे वस्त्र पहनकर वे आराम करते थे और तीसरे वस्त्र से स्नान करते थे। तब जो भिक्षु लज्जित थे, वे नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित होकर कहने लगे, 'छब्बाग्य भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र कैसे धारण कर सकते हैं?'

और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर, जब वे धर्म प्रवचन दे रहे थे, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, अतिरिक्त वस्त्र धारण करना मना है। जो कोई ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

7. उस समय पूज्य आनंद के पास वस्त्रों का एक अतिरिक्त जोड़ा आ गया था, और वे उसे पूज्य सारिपुत्त को देना चाहते थे, परन्तु सारिपुत्त साकेत में ठहरे हुए थे। तब पूज्य आनंद ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने नियम बनाया है कि हमें वस्त्रों का अतिरिक्त जोड़ा नहीं रखना चाहिए। अब मुझे एक अतिरिक्त जोड़ा मिल गया है, और मैं उसे पूज्य सारिपुत्त को देना चाहता हूँ; परन्तु वे साकेत में ठहरे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ?'

और पूज्य आनंद ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'आनंद, आदरणीय सारिपुत्त के लौटने में कितना समय लगेगा?'

'हे प्रभु, वह आज से नौवें या दसवें दिन वापस आएगा।'

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दसवें दिन तक एक अतिरिक्त वस्त्र रखने की अनुमति देता हूँ।'

8. उस समय भिक्षुओं को अतिरिक्त वस्त्र दिए जाते थे। और ये भिक्षु सोचने लगे: 'अब इन अतिरिक्त वस्त्रों का क्या करें?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम वस्त्रों का एक अतिरिक्त जोड़ा (उन अन्य भिक्षुओं को) दे दो जिनके पास वस्त्र नहीं हैं।'

<<<< पिछला (8.12) | अगला (8.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.14

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.13) | अगला (8.15) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-14.

1. जब भगवान बुद्ध वैशाली में अपनी इच्छानुसार समय बिता चुके, तब वे बनारस की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। उचित समय पर वे बनारस पहुँचे और वहाँ मिगदया में स्थित आश्रम में ठहरे।

उस समय एक भिक्षु का अंतर्वस्त्र फट गया। उस भिक्षु ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने तीन वस्त्रों के उपयोग का विधान किया है: दोहरी कमरबंद, एक ऊपरी वस्त्र और एक अंतर्वस्त्र। मेरा यह अंतर्वस्त्र फट गया है। यदि मैं इसमें कपड़े का एक टुकड़ा लगा दूं, तो यह चारों ओर से दोहरा और मध्य में एक हो जाएगा।'

2. तब भिक्षु ने कपड़े का एक टुकड़ा अंदर रख दिया। और भगवान बुद्ध जब विश्राम कक्षों का चक्कर लगा रहे थे, तब उन्होंने उसे ऐसा करते देखा, और उसके पास जाकर उससे कहा:

'हे भिक्षु, आप क्या कर रहे हैं?'

'हे प्रभु, मैं कपड़े का एक टुकड़ा डाल रहा हूँ।'

'यह बहुत अच्छा है, हे भिक्षु। हे भिक्षु, आपने कपड़े का एक टुकड़ा डाला, यह बिल्कुल सही है।'

और उस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें नए या लगभग नए कपड़ों से बना दोहरा कमरबंद, एक ही ऊपरी वस्त्र और एक ही अंतर्वस्त्र पहनने की अनुमति देता हूँ; और पुराने कपड़ों से बना चार गुना कमरबंद, दोहरा ऊपरी वस्त्र और दोहरा अंतर्वस्त्र पहनने की भी अनुमति देता हूँ। कूड़े के ढेर से या बाज़ार से उठाए गए चिथड़ों से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने का प्रयास करो। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें फटे हुए वस्त्र को थान की तरह बांधने के लिए कपड़े के टुकड़े लगाने की अनुमति देता हूँ।

साथ में, पैच, रंधर और कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़े सिलकर निशान बनाए गए थे, या फिर चोगे को मजबूत किया गया था।

<<<< पिछला (8.13) | अगला (8.15) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.14) | अगला (8.16) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-15.

1. जब भगवान बुद्ध बनारस में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे सावत्थी की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उचित समय पर सीधे यात्रा करते हुए वे सावत्थी पहुँचे; और वहाँ सावत्थी में वे अनाथपिंडिका के जेतवन (मठ) में ठहरे। मिगारा की माता विशाखा भगवान बुद्ध के पास गईं; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गईं। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार बैठी हुई मिगारा की माता विशाखा को उपदेश दिया; और धर्म प्रवचन से उन्हें प्रोत्साहित, प्रेरित और प्रसन्न किया। इस प्रकार उपदेश प्राप्त करने के बाद, मिगारा की माता विशाखा ने भगवान बुद्ध से कहा, 'क्या मेरे प्रभु भगवान बुद्ध भिक्षुओं के साथ कल का भोजन मेरे हाथों ग्रहण करने के लिए सहमत होंगे?' भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति दी; और मिगारा की माता विशाखा ने जब यह देखा कि भगवान बुद्ध ने सहमति दे दी है, तो वह अपने स्थान से उठीं और भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, और उनके दाहिनी ओर रहते हुए वहां से चली गईं।

2. उस समय, जब रात ढल चुकी थी, तब समस्त संसार में भयंकर वर्षा हुई। तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा:

'हे भिक्षुओं, जिस प्रकार जेतवन में वर्षा हो रही है, उसी प्रकार समस्त विश्व में वर्षा हो रही है। हे भिक्षुओं, आप भी वर्षा में भीग जाइए, क्योंकि यह अंतिम बार होगा जब समस्त विश्व में इतनी भीषण वर्षा होगी।'

'हे प्रभु, ऐसा ही हो,' उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की बात मानते हुए कहा; और अपने वस्त्र उतारकर उन्होंने स्वयं को वर्षा के लिए छोड़ दिया।

3. और मिगारा की माता विशाखा ने मीठा भोजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार का, तैयार करके एक दासी को आज्ञा दी, और कहा,

'आप अरमा (मठ) जाइए; और जब आप वहाँ पहुँचें, तो समय की घोषणा करते हुए कहें, "महोदय, समय आ गया है, और भोजन तैयार है।"'

'जी, ऐसा ही हो,' दासी ने मिगारा की माता विशाखा की बात मानते हुए सहमति व्यक्त की; और आराम (मठ) जाकर उसने वहाँ भिक्षुओं को अपने वस्त्र उतारकर वर्षा होने दी। तब उसने सोचा, 'ये आराम में भिक्षु नहीं हैं, ये तो नग्न तपस्वी हैं जो वर्षा को अपने ऊपर गिरने दे रहे हैं,' और वह मिगारा की माता विशाखा के पास लौट आई और उनसे कहा:

आराम (मठ) में कोई भिक्षु नहीं हैं; वहाँ नग्न तपस्वी हैं, जो अपने ऊपर वर्षा होने देते हैं।'

तब मिगारा की माता विशाखा—जो विद्वान, कुशल और बुद्धिमान थीं—के मन में यह विचार आया, 'निश्चित रूप से पूजनीय लोगों ने अपने वस्त्र उतार दिए होंगे ताकि वे वर्षा का आनंद ले सकें, और यह मूर्ख लड़की इसलिए सोचती है कि आराम में कोई भिक्षु नहीं हैं, बल्कि केवल नग्न तपस्वी हैं जो वर्षा का आनंद ले रहे हैं।' और उन्होंने फिर दासी को आदेश देते हुए कहा,

'आप अरमा जाइए; और जब आप वहां पहुंचें, तो समय की घोषणा करते हुए कहें, "महोदय, समय आ गया है, और भोजन तैयार है।"'

4. अब भिक्षुओं ने अपने अंगों को ठंडा करके और शरीर को तरोताज़ा करके अपने वस्त्र धारण किए और अपने-अपने कक्ष में प्रवेश किया। जब दासी विश्राम कक्ष में आई, तो उसने वहाँ किसी भिक्षु को न देखकर सोचा, 'विश्राम कक्ष में कोई भिक्षु नहीं है। विश्राम कक्ष खाली है।' और मिगारा की माता विशाखा के पास लौटकर उसने यही बात कही।

तब मिगारा की माता विशाखा—जो विद्वान, कुशल और बुद्धिमान थीं—के मन में यह विचार आया, 'निश्चित रूप से पूजनीय व्यक्तियों ने अपने अंगों को ठंडा करके और शरीर को तरोताज़ा करके अपने वस्त्र धारण किए होंगे और अपने-अपने कक्ष में प्रवेश किया होगा।' और उन्होंने फिर दासी को आदेश देते हुए कहा,

'आप अरमा जाइए; और वहाँ पहुँचकर समय की घोषणा करते हुए कहिए, "महोदय, समय आ गया है और भोजन तैयार है।"'

5. और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, पानपात्र और वस्त्र लेकर तैयार हो जाओ; भोजन का समय आ गया है।'

'हे प्रभु, ऐसा ही हो,' भिक्षुओं ने सहमति जताते हुए कहा।

भगवान बुद्ध। और सुबह भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण कर, विधिवत स्नान और वस्त्र धारण करके जेतवन से उतनी ही शीघ्रता से विलीन हो गए, जितनी शीघ्रता से कोई बलवान व्यक्ति अपनी बांह को सिकोड़कर फिर से सिकोड़ लेता है, और मिगार की माता विशाखा के महल में प्रकट हुए। और भगवान बुद्ध अपने लिए बिछाए गए आसन पर विलीन हो गए, और उनके साथ भिक्षुओं का समूह भी था।

6. तब मिगारा की माता विशाखा ने कहा, "तथागत (बुद्ध) की शक्ति और सामर्थ्य अत्यंत अद्‌भुत और चमत्कारी है, क्योंकि चाहे बाढ़ घुटनों तक गहरी हो या कमर तक, फिर भी एक भी भिक्षु अपने पैरों या वस्त्रों तक नहीं भीगा।" प्रसन्न और प्रसन्न हृदय से उन्होंने अपने हाथों से भिक्षुओं के समूह को, जिनके मुखिया बुद्ध थे, कठोर और नरम दोनों प्रकार का मीठा भोजन परोसा। जब भगवान बुद्ध ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपने हाथों और कटोरे को साफ कर लिया, तो वे एक तरफ बैठ गईं। और इस प्रकार बैठकर उन्होंने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'हे प्रभु, मैं भगवान बुद्ध से आठ वरदान मांगता हूँ।'

'हे विशाखा, तथागत वरदान देने से परे हैं (जब तक कि वे यह न जान लें कि वरदान क्या हैं)।'

'हे प्रभु, मैं जो वरदान मांगता हूँ, वे उचित और निर्विवाद हैं।'

'तो बोलो, हे विशाखा।'

7. 'हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने जीवन भर वस्त्र प्रदान करूँ।'

संघ के लिए बरसात के मौसम में भोजन, आने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन, जाने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन, बीमारों के लिए भोजन, बीमारों की सेवा करने वालों के लिए भोजन, बीमारों के लिए दवा, दलिया की निरंतर आपूर्ति और भिक्षुणियों के लिए स्नान वस्त्र।

लेकिन हे विशाखा, तथागत (बुद्ध) से ये आठ वरदान मांगने के पीछे आपकी क्या मंशा है?

हे प्रभु, मैंने अपनी दासी को आज्ञा दी, "तुम आराम (मठ) जाओ; और वहाँ पहुँचकर समय की सूचना देते हुए कहना, 'महोदय, समय आ गया है और भोजन तैयार है।'" और दासी, हे प्रभु, आराम गई; परन्तु जब उसने वहाँ भिक्षुओं को अपने वस्त्र उतारकर वर्षा में भीगते देखा, तो उसने सोचा, "ये आराम में भिक्षु नहीं हैं, ये तो नग्न तपस्वी हैं जो वर्षा में भीग रहे हैं," और वह मेरे पास लौटकर आई और मुझे यही सूचना दी। हे प्रभु, नग्नता अपवित्र और घृणित है। हे प्रभु, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जीवन भर संघ को वर्षा ऋतु में उपयोग के लिए विशेष वस्त्र प्रदान करने की इच्छा की।

8. हे प्रभु, एक नया भिक्षु सीधे मार्ग न मिलने और भोजन के स्रोत न जानने के कारण भिक्षा माँगते-माँगते थक जाता है। परन्तु जब वह उस भोजन को ग्रहण कर लेता है जो मैंने नए भिक्षुओं के लिए उपलब्ध कराया है, तो वह भिक्षा माँगते-माँगते थके बिना सीधे मार्ग से और भोजन के स्रोत जानते हुए अपने मार्ग पर चल पड़ेगा। यही कारण था।

मैंने जीवन भर संघ को नए भिक्षुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराने की इच्छा रखते हुए यही बात ध्यान में रखी थी।

हे प्रभु, भिक्षा मांगने के दौरान कोई भिक्षु प्रस्थान करते समय काफिले से पीछे छूट सकता है, या अपने गंतव्य पर देर से पहुँच सकता है और थका हुआ ही यात्रा पर निकल सकता है। परन्तु जब वह मेरे द्वारा प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं के लिए उपलब्ध कराए गए भोजन का सेवन कर लेगा, तो वह काफिले से पीछे नहीं छूटेगा; वह समय पर अपने गंतव्य पर पहुँच जाएगा और बिना थके यात्रा पर निकल पड़ेगा। हे प्रभु, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जीवन भर संघ को प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराने की इच्छा की थी।

9. हे प्रभु, यदि किसी बीमार भिक्षु को उचित भोजन न मिले तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। परन्तु यदि कोई भिक्षु मेरे द्वारा बीमारों के लिए उपलब्ध कराए गए आहार का सेवन करे तो न तो उसकी बीमारी बढ़ेगी और न ही उसकी मृत्यु होगी। हे प्रभु, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जीवन भर संघ को बीमारों के लिए आहार उपलब्ध कराने की इच्छा की थी।

'हे प्रभु, यदि कोई भिक्षु किसी बीमार की सेवा कर रहा हो और उसे अपने लिए भोजन की तलाश करनी पड़े, तो वह सूर्य के काफी ऊपर पहुँचने के बाद ही भोजन लेकर आएगा, जिससे उसका समय बर्बाद हो जाएगा।

भोजन ग्रहण करने का अवसर खोना नहीं चाहिए। परन्तु जब वह उस भोजन को ग्रहण कर लेगा जो मैंने बीमारों की सेवा करने वालों के लिए उपलब्ध कराया है, तो वह उचित समय पर बीमारों के लिए भोजन लाएगा और इस प्रकार भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं खोएगा। हे प्रभु, यही वह बात थी जिसे ध्यान में रखते हुए मैंने जीवन भर संघ को बीमारों की सेवा करने वालों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की इच्छा की।

10. हे प्रभु, यदि किसी बीमार भिक्षु को उचित औषधियाँ न मिलें तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। परन्तु यदि भिक्षु ने वे औषधियाँ ग्रहण कर ली हों जो मैं बीमारों के लिए उपलब्ध कराऊँगा, तो न तो उसकी बीमारी बढ़ेगी और न ही उसकी मृत्यु होगी। हे प्रभु, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जीवन भर संघ को बीमारों के लिए औषधियाँ उपलब्ध कराने की इच्छा की थी।

'हे प्रभु, भगवान बुद्ध ने अंधकविन्द में रहते हुए, वहाँ के दस लाभों को ध्यान में रखते हुए, दलिया के उपयोग की अनुमति दी थी। हे प्रभु, इन्हीं लाभों को ध्यान में रखते हुए मैंने जीवन भर संघ को दलिया की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है।'

11. हे प्रभु, भिक्षुणियाँ अकिरावती नदी में वेश्याओं के साथ एक ही स्थान पर नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। हे प्रभु, वेश्याओं ने भिक्षुणियों का उपहास करते हुए कहा, "हे देवियों, जब आप युवा हैं तो पवित्रता बनाए रखने का क्या लाभ है? क्या ऐसा नहीं है कि..."

क्या वासनाओं में लिप्त होना उचित है? जब तुम वृद्ध हो जाओ, तब भी ब्रह्मचर्य का पालन करना; इस प्रकार तुम दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगी। तब, हे प्रभु, जब वेश्याओं ने इस प्रकार उनका उपहास किया, तो भिक्षुणियाँ भ्रमित हो गईं। हे प्रभु, स्त्री के लिए नग्नता अपवित्र है, घृणित और अरुचिकर है। हे प्रभु, इसी कारण मैंने भिक्षुणी संघ को जीवन भर स्नान करने के लिए वस्त्र प्रदान करने की इच्छा की थी।

12. 'हे विशाखा, तथागत से ये आठ वरदान मांगने में तुम्हारा क्या लाभ था?'

हे प्रभु, वर्षा ऋतुओं में विभिन्न स्थानों पर समय बिताने वाले भिक्षु भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए सावत्थी आएंगे। भगवान बुद्ध के पास आकर वे पूछेंगे, "हे प्रभु, फलां भिक्षु का निधन हो गया है। उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ है और उनका क्या भाग्य है?" तब भगवान बुद्ध उन्हें समझाएंगे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन के फल, या सकदगामिन की अवस्था, या अनगामिन की अवस्था, या अरहतत्व की अवस्था प्राप्त कर ली है। और मैं उनके पास जाकर पूछूंगा, "हे महोदय, क्या वह भिक्षु पहले सावत्थी में रहने वालों में से एक थे?"

13. यदि वे मुझे उत्तर दें, "वह पहले सावत्थी में था," तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचूँगा, "निश्चित रूप से उस भाई ने या तो बरसात के मौसम के वस्त्र, या आने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन, या जाने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन, या बीमारों के लिए भोजन, या बीमारों की सेवा करने वालों के लिए भोजन, या...

"बीमारों के लिए औषधि, या दलिया की निरंतर आपूर्ति।" तब यह स्मरण करते ही मेरे भीतर प्रसन्नता का संचार होगा; और इस प्रकार प्रसन्नता से मेरा सारा शरीर शांत हो जाएगा; और इस प्रकार शांत होकर मैं संतोष की आनंदमय अनुभूति का अनुभव करूंगा; और उस आनंद में मेरा हृदय शांत होगा; और यह मेरे लिए मेरी नैतिक चेतना का अभ्यास होगा, मेरी नैतिक शक्तियों का अभ्यास होगा, सात प्रकार के ज्ञान का अभ्यास होगा! हे प्रभु, भगवान बुद्ध से ये आठ वरदान मांगने का मेरा यही उद्देश्य था।

14. 'यह अच्छा है, यह अच्छा है, विशाखा। तुमने तथागत (बुद्ध) से आठ वरदान माँगकर अच्छा किया है, ऐसे लाभों को ध्यान में रखते हुए।'

और भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों में मिगारा की माता विशाखा को धन्यवाद दिया;

'जो भी स्त्री, अपने जीवन में सदाचारी, परम सुखी की शिष्या, प्रसन्न मन से और लोभ पर विजय प्राप्त करके भोजन और पेय दोनों दान करती है—वह एक दिव्य दान है, जो दु:खों का नाश करके आनंद उत्पन्न करता है,—'

वह उस मार्ग पर चलकर दिव्य जीवन प्राप्त करती है जो भ्रष्टाचार और अपवित्रता से मुक्त है।

'अच्छाई का लक्ष्य रखने से वह सुखी हो जाती है, रोगमुक्त हो जाती है और दिव्य शरीर में लंबे समय तक आनंदित रहती है।'

और जब भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों में मिगारा की माता विशाखा को धन्यवाद दिया, तो वे अपने आसन से उठे और वहां से चले गए।

15. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें वर्षा ऋतु के वस्त्र, आने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन, जाने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन, बीमारों के लिए आहार, बीमारों की सेवा करने वालों के लिए भोजन, बीमारों के लिए दवा, दलिया की निरंतर आपूर्ति और भिक्षुणियों के लिए स्नान वस्त्र प्रदान करता हूँ।

विशाखाभनावर नामक अध्याय यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला (8.14) । अगला (8.16) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.16

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.15) । अगला (8.17) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-16.

1, 2. उस समय मीठे भोजन का सेवन करने वाले भिक्षु बेसुध और उदासीन होकर सो गए। और जो इस प्रकार सो गए थे, उन्होंने स्वप्न देखा...

3. हे भिक्षुओं, मैं शरीर, वस्त्र और विश्राम स्थल की सुरक्षा के लिए चटाई के उपयोग की अनुमति देता हूँ।

4. उस समय चटाई छोटी होने के कारण सोने की पूरी जगह को ढक नहीं पाती थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपनी इच्छानुसार बड़े आकार का आवरण बनवाने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (8.15) | अगला (8.17) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.17
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.16) | अगला(8.18) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-17.

1. उस समय पूज्य आनंद के वरिष्ठ शिष्य, पूज्य बेलात्थासिस को पपड़ीदार घावों का रोग हो गया था; और उस पपड़ी से निकलने वाले स्राव के कारण उनके वस्त्र उनके शरीर से चिपक गए थे। भिक्षुओं ने उन वस्त्रों को पानी से गीला करके उनके शरीर से अलग किया।

भगवान बुद्ध जब विश्रामगृहों का चक्कर लगा रहे थे, तब उन्होंने उन्हें ऐसा करते देखा और उनके पास जाकर उनसे पूछा:

'हे भिक्षुओं, इस भिक्षु को क्या हुआ है?'

'आदरणीय व्यक्ति को मोटी पपड़ीदार फुंसियों का रोग है; और उसके कारण निकलने वाले स्राव से उनके वस्त्र उनके शरीर से चिपक गए हैं। इसलिए हम उन वस्त्रों को पानी से अच्छी तरह गीला कर रहे हैं, ताकि वे उनके शरीर से अलग हो जाएं।'

2. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं उन सभी को खुजली, फोड़े, स्राव या पपड़ी से पीड़ित व्यक्ति को खुजली पोंछने के लिए कपड़े का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(8.16) | अगला(8.18) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.18
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.17) | अगला (8.19) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-18.

1. फिर मिगारा की माता विशाखा ने चेहरा पोंछने के लिए एक कपड़ा लिया और भगवान बुद्ध के पास गईं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गईं। इस प्रकार बैठकर मिगारा की माता विशाखा ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'भगवान बुद्ध कृपा करके मेरे इस चेहरे को पोंछने वाले कपड़े को स्वीकार करें, ताकि यह मेरे लिए दीर्घकाल तक आशीर्वाद और कल्याण का स्रोत बना रहे।'

भगवान बुद्ध ने चेहरा पोंछने के लिए कपड़ा स्वीकार किया। उन्होंने मिगारा की माता विशाखा को धर्म प्रवचन देकर उपदेश दिया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और प्रसन्न किया। इस प्रकार उपदेश आदि ग्रहण करके वह अपने आसन से उठीं, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर से गुजरकर वहां से चली गईं।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपना चेहरा पोंछने के लिए एक कपड़ा देता हूँ।'

<<<< पिछला (8.17) | अगला (8.19) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.19
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.18) | अगला (8.20) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-19.

1. उस समय रोजा मल्ला पूज्य आनंद के मित्र थे। रोजा मल्ला का एक सूती कपड़ा पूज्य आनंद के पास रखा हुआ था; और पूज्य आनंद को सूती कपड़े की आवश्यकता थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें किसी वस्तु को भरोसे पर लेने की अनुमति देता हूँ (यह सोचकर कि वह तुम्हें दी जाएगी) जब वह वस्तु ऐसे व्यक्ति की हो जिसमें ये पाँच गुण हों—वह घनिष्ठ और परिचित मित्र होना चाहिए जिससे (उसके बारे में) बात की गई हो और जो जीवित हो, (और वस्तु लेने वाले भिक्षु को) यह ज्ञात होना चाहिए कि "वस्तु लेने के बाद वह मुझसे प्रसन्न रहेगा।" हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें किसी वस्तु को भरोसे पर लेने की अनुमति देता हूँ (यह सोचकर कि वह तुम्हें दी जाएगी) जब वह वस्तु ऐसे व्यक्ति की हो जिसमें ये पाँच गुण हों।

<<<< पिछला (8.18) | अगला (8.20) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.20
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.19) | अगला (8.21) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-20.

1. उस समय भिक्षुओं के पास तीनों वस्त्र पूर्णतः उपलब्ध थे, परन्तु उन्हें जल छानने वाले बर्तनों और थैलों (अपने कुंड और अन्य सामान ले जाने के लिए) की आवश्यकता थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्त्र के टुकड़े उपलब्ध कराता हूँ।'

2. तब भिक्षुओं के मन में यह विचार आया: 'भगवान बुद्ध द्वारा स्वीकृत वस्तुएँ—तीन वस्त्र, वर्षा ऋतु के वस्त्र, चटाई, पलंग, फोड़े-फुंसियों को ढकने का कपड़ा, चेहरा पोंछने का कपड़ा, और आवश्यक वस्तुएँ (पानी छानने और थैलों के लिए)—क्या ये सभी वस्तुएँ हमें अपने पास ही रखनी चाहिए, या इन्हें समय-समय पर एक भिक्षु द्वारा दूसरे भिक्षु को सौंप देना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीनों वस्त्र अपने पास रखने और उन्हें किसी और को न सौंपने की अनुमति देता हूँ—वर्षा ऋतु के चार महीनों के दौरान वर्षा ऋतु के वस्त्र अपने पास रखो, लेकिन उसके बाद उन्हें सौंप दो—चटाई और पलंग अपने पास रखो, और उन्हें किसी और को न सौंपो—खुजली आदि के लिए वस्त्र अपने पास रखो, जब तक रोग रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें सौंप दो—चेहरा पोंछने के लिए कपड़े और जल छानने और थैलों के लिए आवश्यक कपड़े अपने पास रखो, और उन्हें किसी और को न सौंपो।'

<<<< पिछला (8.19) | अगला (8.21) >>>>

..

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.21

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.20) | अगला(8.22) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-21.

1. अब भिक्षुओं ने सोचा: 'एक भिक्षु को सौंपने के लिए वस्त्र के आकार की सीमा क्या होनी चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम निर्धारित करता हूँ कि स्वीकृत इंच के अनुसार आठ इंच लंबाई का कोई भी वस्त्र मुझे सौंप दिया जाए।'

उस समय पूज्य महा कस्सपा का एक वस्त्र, जो पुराने कपड़ों के टुकड़ों से बना था, (उसमें जोड़े गए नए टुकड़ों के वजन के कारण) भारी हो गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, इसे धागे से मोटे तौर पर जोड़ने की अनुमति देता हूँ।'

अंत में यह असमान रहा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इस असंतुलन को दूर करने की अनुमति देता हूँ।'

धागे उखड़ गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें किनारे पर या उसके चारों ओर एक बुनाई या बंधन लगाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय अंतर्वस्त्र के रिबन टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आठ पैरों वाला प्राणी बनाने की अनुमति देता हूँ...'

2. उस समय जब किसी भिक्षु के लिए वस्त्रों का एक सेट बनाया जा रहा था, तो उसे पूरी तरह से फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से बनाना असंभव था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से बने दो वस्त्र और बिना फटे कपड़े का एक वस्त्र रखने की अनुमति देता हूँ।'

फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से दो वस्त्र बनाना और एक बिना फटे कपड़े से एक वस्त्र बनाना असंभव था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इस सेट में से दो वस्त्र बिना फटे हुए टुकड़ों से और एक वस्त्र फटे हुए टुकड़ों से बनाने की अनुमति देता हूँ।'

यह भी असंभव था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (प्रत्येक वस्त्र को) आधा (फटे हुए टुकड़ों से) और आधा (बिना फटे हुए टुकड़ों से) बनाने की अनुमति देता हूँ। परन्तु बिना फटे हुए टुकड़ों से बना वस्त्रों का समूह धारण नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई भी (इस प्रकार बने वस्त्रों का समूह) धारण करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(8.20) | अगला(8.22) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.22
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.21) | अगला(8.23) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-22.

1. उस समय एक भिक्षु के पास बहुत सारे वस्त्र आ गए थे, और वह उन वस्त्रों को अपने माता-पिता को देना चाहता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'चूंकि वे उसके माता-पिता हैं, हे भिक्षुओं, हम क्या कह सकते हैं, भले ही वह उन्हें वस्त्र दे दे। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम (इस स्थिति में) अपने माता-पिता को वस्त्र दे दो। और आस्था का दान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो कोई भी इसे व्यर्थ करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(8.21) । अगला(8.23) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.23

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.22) । अगला (8.24) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-23.

1. उस समय एक भिक्षु, जिसने अपने वस्त्र अंधवन में रखे थे, ने प्रवेश किया।

वह भिक्षु भिक्षा मांगने गांव गया (केवल कमरबंद और अधोवस्त्र पहने हुए)। चोर उसका वस्त्र चुरा ले गए। वह भिक्षु फटेहाल और बदहाल हो गया।

भिक्षुओं ने इस प्रकार कहा, 'हे मित्र, तुम फटे-पुराने वस्त्र कैसे धारण कर बैठे हो?'

'मैंने अपना वस्त्र अंधावना में जमा कर दिया था और कमरबंद और निचले वस्त्र में ही गाँव में प्रवेश किया था। चोर मेरा वह वस्त्र चुरा ले गए। तब से मैं फटे-पुराने कपड़ों में हूँ।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, केवल कमरबंद और अधोवस्त्र पहने हुए गाँव में प्रवेश न करें। जो कोई भी ऐसा करेगा वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय पूज्य आनंद अनमने ढंग से कमरबंद और अधोवस्त्र पहने हुए ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में चले गए।

भिक्षुओं ने उससे कहा, 'क्या भगवान बुद्ध ने यह नियम नहीं बनाया है कि हमें कमरबंद और अधोवस्त्र पहनकर गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए? हे मित्र, तुम इस तरह गांव में क्यों चले गए?'

'यह सच है, मेरे मित्रों, कि भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि हमें इस तरह गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने यह अविवेकी रूप से किया।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

3. हे भिक्षुओं, त्याग करने के पाँच कारण हैं।

भिक्षु को वस्त्र त्यागने के पाँच कारण हैं—जब वह (भिक्षु) बीमार हो, जब वर्षा ऋतु का समय हो, जब नदी के उस पार जाना आवश्यक हो, जब विहार को कुंडी से अच्छी तरह बंद कर दिया गया हो, और जब कथिना समारोह संपन्न हो गया हो। हे भिक्षुओं, ये पाँच कारण हैं जिनके लिए वस्त्र त्यागा जाता है (संघति)।

हे भिक्षुओं, कमर का वस्त्र और अधोवस्त्र त्यागने के पाँच कारण हैं। [ये कारण पिछले अनुच्छेद में बताए गए कारणों के समान ही हैं।] हे भिक्षुओं, ये पाँच कारण हैं, इत्यादि।

बरसात के मौसम में पहनने के लिए वस्त्र अलग रखने के पाँच कारण हैं—जब व्यक्ति बीमार हो, जब सीमा से बाहर जाना आवश्यक हो, जब नदी के उस पार जाना आवश्यक हो, जब विहार को कुंडी से अच्छी तरह बंद कर दिया गया हो, और जब बरसात के मौसम में पहनने के लिए वस्त्र अलग रख दिया गया हो।

या तो सीजन बनाया ही नहीं गया है, या फिर अधूरा छोड़ दिया गया है।

'हे भिक्षुओं, ये पाँच कारण हैं,' इत्यादि।

<<<< पिछला (8.22) । अगला (8.24) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.24

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.23) । अगला(8.25) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-24.

1. उस समय एक भिक्षु अकेले वर्षावास करते थे। तब लोगों ने उन्हें वस्त्र देते हुए कहा, 'हम इन्हें संघ को देते हैं।'

तब उस भिक्षु ने सोचा: 'भगवान बुद्ध ने यह निर्धारित किया है कि संघ की न्यूनतम संख्या चार है। अब मैं अकेला हूँ, और इन लोगों ने ये वस्त्र देते हुए कहा है, "हम इन्हें संघ को देते हैं।" बेहतर होगा कि मैं इन वस्त्रों को, जो संघ की संपत्ति हैं, सावत्थी को दे दूँ।'

तब भिक्षु ने ऐसा ही किया और भगवान बुद्ध को यह बात बताई।

'हे भिक्षु, कथिना समारोह संपन्न होने तक ये वस्त्र आपके ही हैं।'

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अकेले वर्षा करे और उस स्थान के लोग उसे वर्षा का मौसम दें, तो

मैंने उन्हें वे वस्त्र दिए हैं, जो संघ के लिए हैं, - हे भिक्षुओं, मैं यह आदेश देता हूँ कि वे वस्त्र कथिना समारोह संपन्न होने तक उनके पास ही रहेंगे।

3. उस समय एक भिक्षु वर्ष के शेष समय (वर्षा ऋतु को छोड़कर) अकेले बिताता था। वहाँ के लोग (आदि, जैसा कि पहले अनुच्छेद 24.1 के पहले पैराग्राफ में अंत तक बताया गया है)।

तब उस भिक्षु ने ऐसा ही किया और यह बात अन्य भिक्षुओं को बताई। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप वहाँ उपस्थित संघ (चाहे संख्या में बड़ा हो या छोटा) के साथ ऐसे वस्त्र बाँट लें।'

4. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्ष के शेष समय (वर्षा ऋतु को छोड़कर) एकांतवास में बिताए, और उस स्थान के लोग उसे संघ के लिए वस्त्र दें, तो हे भिक्षुओं, मैं अनुमति देता हूँ कि वह भिक्षु उन वस्त्रों को अपने लिए धारण कर ले और कहे, "ये वस्त्र मेरे लिए हैं।" यदि कोई अन्य भिक्षु उन वस्त्रों के उस भिक्षु को दिए जाने से पहले आ जाए, तो उसे भी बराबर हिस्सा दिया जाए। यदि वस्त्रों का बंटवारा करते समय और पर्ची डालने से पहले कोई अन्य भिक्षु आ जाए, तो उसे भी बराबर हिस्सा दिया जाए। यदि वस्त्रों का बंटवारा करते समय और पर्ची डालने के बाद कोई अन्य भिक्षु आ जाए...

यदि वे आ जाएं, तो बराबर हिस्सा देना जरूरी नहीं है, यदि वे ऐसा नहीं चाहते हैं, तो उन्हें दिया जाए।'

5. उस समय दो तेरा, जो भाई थे, पूज्य इसिदासा और पूज्य इसिभट्ट, वर्षा ऋतु सावत्थी में बिताने के बाद एक गाँव में रहने चले गए। वहाँ के लोगों ने यह सोचकर कि 'इन थेराओं को यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है', उन्हें भोजन और वस्त्र दोनों भेंट किए।

वहाँ निवास करने वाले भिक्षुओं ने थेरों से पूछा, 'हे महोदय, ये वस्त्र संघ की संपत्ति हैं और थेरों के आगमन के कारण हमें प्राप्त हुए हैं। क्या थेरे इनमें से कुछ हिस्सा स्वीकार करेंगे?'

थेरों ने उत्तर दिया: 'जैसा कि हम भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित नियम को समझते हैं, कामिना समारोह संपन्न होने तक ये वस्त्र केवल आपके ही हैं।'

6. उस समय तीन भिक्षुओं ने वर्षा ऋतु राजगृह में बिताई। वहाँ के लोगों ने उन्हें वस्त्र भेंट किए और कहा, 'हम इन्हें संघ को देते हैं।'

तब उन भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि सबसे छोटा संघ चार व्यक्तियों का होना चाहिए, और हम तो केवल तीन हैं, और इन लोगों ने संघ को देने के इरादे से वस्त्र दान किए हैं। अब हमें इनका क्या करना चाहिए?'

उस समय वे पाटलिपुत्त में रह रहे थे।

कुक्कुतराम में कई थेरेपिस्ट - पूज्य नीलावासी, पूज्य सनवासी, पूज्य गोपाक, पूज्य भागू और पूज्य फालिका-संदना - उपस्थित थे। वे भिक्षु पाटलिपुत्त के पास गए और थेरेपिस्टों से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए।

थेरों ने उत्तर दिया: 'जैसा कि हम भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित नियम को समझते हैं, कथिना समारोह संपन्न होने तक ये वस्त्र केवल आपके ही हैं।'

<<<< पिछला(8.23) । अगला(8.25) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.25
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.24) । अगला (8.26) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-25.

1. उस समय शाक्य वंश के पूज्य उपनंद भिक्षु वर्षा ऋतु सावत्थी में व्यतीत करके एक गाँव में निवास करने चले गए। वहाँ के भिक्षु वस्त्रों का बँटवारा करने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने उपनंद से कहा, "

'मित्र, ये वस्त्र संघ की संपत्ति हैं और इनका बंटवारा होने वाला है। क्या आप इनमें से कुछ हिस्सा स्वीकार करेंगे?'

'जी हां, मित्रों, मैं करूंगा,' उसने कहा; और अपना हिस्सा लेकर वहां से चला गया और कहीं और रहने लगा।

[वहाँ भी वही हुआ, और] वह वहाँ से चला गया और कहीं और रहने लगा।

[वहाँ भी वही हुआ, और इसलिए] वह वस्त्रों का एक बड़ा गट्ठा लेकर सावत्थी लौट आया।

2. भिक्षुओं ने उससे कहा: 'कितना पुण्यवान है!'

क्या ये वस्त्र शाक्य वंश के उपनंद को सौंपे जाएं?

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, उस मूर्ख को केवल एक ही भाग दो। हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षा ऋतु में दो निवासों में एकाकी रहकर अनेक वस्त्र प्राप्त करने की सोचे, तो यदि उसने ठीक आधा समय एक स्थान पर और आधा समय दूसरे स्थान पर बिताया हो, तो उसे देय वस्त्रों का आधा भाग एक स्थान पर और आधा भाग दूसरे स्थान पर दिया जाएगा; परन्तु दोनों स्थानों में से जिस स्थान पर उसने वर्षा ऋतु का अधिक समय बिताया हो, वहीं से उसे देय वस्त्र दिए जाएंगे।

<<<< पिछला (8.24) | अगला (8.26) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.26
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.25) | अगला (8.27) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-26.

1. उस समय एक भिक्षु को शौच की समस्या हुई और वह मल त्याग करते हुए लेटा रहा। भगवान बुद्ध, पूज्य आनंद के साथ विश्राम स्थलों का भ्रमण करते हुए उस भिक्षु के आश्रम में पहुँचे और उसे इस अवस्था में देखा। वे उसके पास गए और उससे पूछा, 'हे भिक्षु, क्या हुआ है?'

'हे प्रभु, मेरे पेट में गड़बड़ी है।'

'तो क्या हे भिक्षु, आपकी सेवा करने वाला कोई है?'

'नहीं, प्रभु।'

'भिक्षु आपकी सेवा क्यों नहीं करते?'

'हे प्रभु, मैं भिक्षुओं की किसी भी प्रकार से सेवा नहीं कर सकता।'

2. तब भगवान बुद्ध ने पूज्य से कहा

आनंद: 'जाओ, आनंद, और थोड़ा पानी ले आओ। चलो इस भिक्षु को स्नान कराते हैं।'

'जी प्रभु, ऐसा ही हो,' पूज्य आनंद ने भगवान बुद्ध की बात मानते हुए कहा और जल ले आए। भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु पर जल डाला और पूज्य आनंद ने उसे पोंछा। भगवान बुद्ध ने उसका सिर पकड़ा और पूज्य आनंद ने उसके पैर पकड़े, फिर उसे उठाया और उसके पलंग पर लिटा दिया।

3. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा, 'हे भिक्षुओं, क्या फलां-फलां कमरे में कोई बीमार भिक्षु है?'

'हाँ, प्रभु।'

'तो फिर, हे भिक्षुओं, उस भिक्षु को क्या समस्या है?'

'हे प्रभु, उसके पेट में गड़बड़ी है।'

'और हे भिक्षुओं, क्या कोई ऐसा है जो उनकी सेवा कर सके?'

'नहीं, प्रभु।'

तो फिर भिक्षु उनकी सेवा क्यों नहीं करते?

'हे प्रभु, वह भिक्षु अन्य भिक्षुओं के किसी काम का नहीं है; इसलिए वे उसकी सेवा न करें।'

हे भिक्षुओं, तुम्हारे पास न तो माता-पिता हैं जो तुम्हारी सेवा करें! हे भिक्षुओं, यदि तुम एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे, तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? हे भिक्षुओं, जो मेरी सेवा करना चाहे, वह बीमारों की सेवा करे।

4. यदि उसका कोई उपज्झाय हो, तो उसका उपज्झाय जीवन भर उसकी सेवा करे और उसके स्वस्थ होने तक प्रतीक्षा करे; और यही बात उसके आचार्य (शिक्षक), साध्वी विहारी, अंतेवासिका, या किसी अन्य साथी के लिए भी लागू होती है।

साद्धि-विहारिका, या कोई साथी अंतेवासिका। और यदि उसके पास इनमें से कोई भी गुण न हो, तो संघ को उसकी सेवा करनी चाहिए; और जो कोई ऐसा नहीं करता, वह दुक्कत का दोषी होगा।

5. हे भिक्षुओं, पाँच ऐसे गुण हैं, जिनके होने पर किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना कठिन हो जाता है—जब वह अपने लिए उचित कार्य नहीं करता; जब उसे अपने लिए उचित भोजन की सीमा का ज्ञान नहीं होता; जब वह अपनी दवा नहीं लेता; जब वह अपनी भलाई चाहने वाली दाई को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता, या जब बीमारी बढ़ रही होती है तो यह नहीं बताता, या जब बीमारी ठीक हो रही होती है तो यह नहीं बताता, या जब बीमारी स्थिर होती है तो यह नहीं बताता; और जब वह गंभीर, तीव्र, कष्टदायक, अप्रिय और जीवनदायिनी शारीरिक पीड़ाओं को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। हे भिक्षुओं, ये पाँच गुण हैं, जिनके होने पर किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना कठिन हो जाता है।

6. 'हे भिक्षुओं, पाँच गुण हैं, जो किसी बीमार व्यक्ति में होने पर उसकी सेवा करना आसान होता है—जब वह ऐसा करता है' (आदि, पिछले खंड के विपरीत)।

7. हे भिक्षुओं, पाँच गुण हैं, जो बीमारों की सेवा करने वाले व्यक्ति में होने पर उसे इस कार्य के लिए अयोग्य बनाते हैं—जब वह औषधियाँ निर्धारित करने में सक्षम नहीं होता; जब वह यह नहीं जानता कि रोगी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और वह उसके लिए जो अच्छा है उसे परोसता है और जो अच्छा है उसे नहीं परोसता; जब वह बीमारों की सेवा करता है

जब वह प्रेम के बजाय लोभ से प्रेरित हो; जब वह मल-मूत्र, लार या उल्टी को साफ करने से कतराता हो; जब वह समय-समय पर धर्म प्रवचन द्वारा रोगी को शिक्षा देने, प्रेरित करने, जागृत करने और प्रसन्न करने में सक्षम न हो। हे भिक्षुओं, ये पाँच गुण हैं, जो बीमार की सेवा करने वाले व्यक्ति में पाए जाने पर उसे इस कार्य के लिए अयोग्य बनाते हैं।

8. 'हे भिक्षुओं, पाँच गुण हैं जो बीमारों की सेवा करने वाले व्यक्ति में होते हैं, जब वह इस कार्य के लिए सक्षम होता है' (आदि, पिछले खंड के विपरीत)।

<<<< पिछला (8.25) | अगला (8.27) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.27
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.26) | अगला(8.28) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-27.

1. उस समय दो भिक्षु कोसल देश के एक ऊंचे मार्ग पर यात्रा कर रहे थे। वे एक निवास स्थान पर पहुँचे, और वहाँ उनमें से एक बीमार पड़ गया। तब भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने बीमारों की सेवा करने की बहुत प्रशंसा की है। इसलिए, हे मित्रों, हमें भी इस भिक्षु की सेवा करनी चाहिए।' और उन्होंने उसकी सेवा की, और जब तक वे उसकी देखभाल कर रहे थे, तब तक उसका प्राण थम गया। तब उन भिक्षुओं ने उस भिक्षु का कुंड और वस्त्र लेकर श्रावस्ती गए और भगवान बुद्ध को यह बात बताई।

हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु की मृत्यु होने पर संघ उसके भिक्षापात्र और वस्त्रों का स्वामी हो जाता है। परन्तु, जो बीमारों की सेवा करते हैं, वे अत्यंत सेवायोग्य होते हैं। हे भिक्षुओं, मैं यह विधान करता हूँ कि बीमारों की सेवा करने वालों को संघ द्वारा भिक्षापात्र और वस्त्र सौंपे जाएँ। हे भिक्षुओं, इस प्रकार वे सौंपे जाने चाहिए। बीमारों की सेवा करने वाले भिक्षु को संघ के समक्ष जाकर यह कहना चाहिए: "हे सज्जनों, फलाँ भिक्षु ने अपना भिक्षापात्र पूरा कर लिया है। ये उनके वस्त्र और भिक्षापात्र हैं।" तब एक विवेकशील और योग्य भिक्षु को संघ के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहिए, "संघ मेरी बात सुने। फलां भिक्षु ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये उनके वस्त्र और उनका भिक्षापात्र हैं। यदि संघ को उचित लगे, तो संघ इन वस्त्रों और भिक्षापात्र को उन लोगों को सौंप दे जिन्होंने बीमारों की सेवा की है।" यही नत्ती (प्रस्ताव) है। [यहाँ एक कर्मवक के सामान्य औपचारिक शब्द आते हैं।]

3. उस समय समनेरा नाम के एक व्यक्ति ने अपना समय पूरा कर लिया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

[निर्णय और कम्मावका वही हैं जो धारा 2 में हैं।]

4. उस समय एक भिक्षु और एक समनेर एक बीमार भिक्षु की सेवा कर रहे थे; और उनकी सेवा करते-करते ही बीमार भिक्षु का समय पूरा हो गया। बीमार भिक्षु की सेवा करने वाले भिक्षु ने सोचा, 'अब बीमार भिक्षु की सेवा करने वाले समनेर को उसके वस्त्रों का उचित हिस्सा कैसे दिया जाए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि आप बीमारों की सेवा करने वाले समनेरा को भी बराबर हिस्सा दें।'

5. उस समय एक भिक्षु जो

बहुत सारी संपत्ति और भिक्षु की आवश्यक वस्तुओं की प्रचुर आपूर्ति से युक्त होकर, उन्होंने अपना समय पूरा किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु की मृत्यु होने पर संघ उसके भिक्षापात्र और वस्त्रों का स्वामी हो जाता है। परन्तु, जो बीमारों की सेवा करते हैं, वे अत्यंत सेवायोग्य होते हैं। हे भिक्षुओं, मैं यह विधान करता हूँ कि वस्त्र और भिक्षापात्र संघ द्वारा बीमारों की सेवा करने वालों को सौंप दिए जाएँ। और भिक्षु की जो भी थोड़ी-बहुत संपत्ति और आवश्यक सामग्री हो, वह वहाँ उपस्थित संघ द्वारा आपस में बाँट ली जाए; परन्तु

भिक्षु की जो भी अधिक संपत्ति और आवश्यक सामग्री हो, वह दान न की जाए और न ही बाँटी जाए, बल्कि चारों दिशाओं के संघ की हो, चाहे वे संघ में आए हों या न आए हों।

<<<< पिछला(8.26) । अगला(8.28) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.28
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.27) । अगला (8.29) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-28.

1. उस समय एक भिक्षु नग्न अवस्था में उस स्थान पर आया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, और उसने कहा:

हे भगवान, भगवान बुद्ध ने संयमी और संतुष्ट व्यक्ति की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है, जिसने बुराई का नाश किया है, जिसने अपनी वासनाओं को त्याग दिया है, जो दयालु, श्रद्धावान और ऊर्जावान है। हे भगवान, यह नग्नता संयम और संतोष, बुराई के नाश, वासनाओं के दमन, दयालुता, श्रद्धा और उत्साह के लिए अनेक प्रकार से प्रभावी है। हे भगवान, यदि भगवान बुद्ध भिक्षुओं को नग्नता का आदेश दें तो यह अच्छा होगा।

महान बुद्ध ने उसे फटकारते हुए कहा, 'हे मूर्ख, यह अनुचित, कुटिल, अनुपयुक्त, समन के लिए अशोभनीय और अशोभनीय है, और इसे नहीं किया जाना चाहिए। हे मूर्ख, तुम तित्तिय्यों की तरह नग्नता कैसे अपना सकते हो? हे मूर्ख, इससे अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा।'

और जब उन्होंने उसे फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तब उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, तित्तियों की तरह नग्नता धारण न करें। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह गंभीर अपराध (थुलकाया) का दोषी होगा।'

2. [यह पूरा खंड क्रमशः घास के वस्त्र, छाल के वस्त्र, फलक वस्त्र, बालों के वस्त्र, जंगली जानवर की खाल, उल्लू के पंख और हिरण की खाल (जिसमें खुर लगे हों) के वस्त्र पहने भिक्षु के मामले में दोहराया गया है। लेकिन 'तिथ्यियों की तरह नग्नता अपनाना' के स्थान पर क्रमशः 'घास आदि का वस्त्र पहनना, जो तिथ्यियों का प्रतीक है' प्रतिस्थापित करें।]

3. उसी समय एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आया, जो अक्का पौधे की डंडियों से बने वस्त्र पहने हुए था।

[धारा-1 में पहले की तरह ही, नीचे तक:]

और जब उन्होंने उसे फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तब उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, अक्का पौधे की डंठलों से वस्त्र धारण न करो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

[इसके बाद मकाकी रेशे से बने वस्त्र पहने भिक्षु के बारे में धारा 3 को दोहराया जाता है।]

<<<< पिछला (8.27) | अगला (8.29) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.29
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.28) | अगला (8.30) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-29.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षु नीले, हल्के पीले, गहरे लाल, भूरे, काले, भूरे-पीले या गहरे पीले रंग के वस्त्र पहनते थे; वे ऐसे वस्त्र पहनते थे जिनमें स्कर्ट होती थी, जो फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से बनी नहीं होती थी, न ही लंबी होती थी, न ही उस पर फूल होते थे, न ही नाग का फन होता था; वे तिरितक पौधे से बनी जैकेट, वस्त्र और पगड़ी पहनते थे।

लोग आक्रोशित हुए, आपस में बड़बड़ाने लगे और चिढ़कर कहने लगे, 'यह उन लोगों जैसा है जो अभी भी दुनियावी सुख-सुविधाओं में लिप्त हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'पूरी तरह से नीले रंग के वस्त्र [आदि; पहले अनुच्छेद में उल्लिखित सभी बातें यहाँ दोहराई गई हैं] नहीं पहनने चाहिए। जो कोई भी उन्हें पहनेगा वह दुक्कटा का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (8.28) | अगला (8.30) >>>>

तिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.30
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.29) | अगला (8.31) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-30.

1. उस समय भिक्षु वर्षा ऋतु व्यतीत करने के बाद, संघ को वस्त्रों का दान प्राप्त होने से पहले ही, उस स्थान से चले गए; संघ छोड़ दिया; मर गए; स्वीकार किया कि वे समनेरा थे; या उन्होंने नियमों का त्याग कर दिया था; या उन्होंने किसी घोर अपराध का दोषी हो गए थे; या वे पागल हो गए थे; या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था; या वे शारीरिक पीड़ा से पीड़ित थे; या उनके द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार करने, या ऐसे अपराध के लिए प्रायश्चित करने, या किसी झूठे सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने के कारण उनके विरुद्ध निलंबन घोषित किया गया था; या वे नपुंसक थे; या वे गुप्त रूप से संघ से जुड़ गए थे; या वे तित्तिय धर्म में विमुख हो गए थे; या वे पशु थे; या वे माता या पिता की हत्या के दोषी थे; या उन्होंने किसी अरहत की हत्या कर दी थी; या उन्होंने किसी भिक्षुणी का अपमान किया था; या उन्होंने संघ में फूट डाल दी थी। या फिर उन्होंने (बुद्ध का) रक्त बहाया था; या फिर वे उभयलिंगी थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षा ऋतु व्यतीत करने के बाद संघ को वस्त्रों का दान मिलने से पहले चला जाता है, तो भी यदि कोई व्यक्ति उसकी ओर से उन्हें ग्रहण करने के लिए उचित रूप से उपस्थित हो, तो उसे वस्त्र आवंटित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षा ऋतु व्यतीत करने के बाद, और संघ को वस्त्रों का दान प्राप्त होने से पहले, संघ छोड़ देता है, या मर जाता है, या स्वीकार करता है कि वह समनेर हो गया है, या उसने नियमों का त्याग कर दिया है, या अंत में वह किसी घोर अपराध का दोषी हो गया है, तो संघ उस वस्त्र के अंश का स्वामी हो जाता है जो उसे प्राप्त होना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षा ऋतु व्यतीत करने के बाद, और संघ को वस्त्रों का दान प्राप्त होने से पहले, यह स्वीकार करता है कि वह पागल हो गया है, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, या वह शारीरिक पीड़ा में है, या उसने अपने द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार करने से इनकार करने, या ऐसे अपराध के लिए प्रायश्चित करने से इनकार करने, या किसी झूठे सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने के कारण उसे निलंबित कर दिया गया है—तो भी (उसके वस्त्रों का हिस्सा) उसे आवंटित किया जाएगा यदि उसकी ओर से उन्हें ग्रहण करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपस्थित हो।

इसके अतिरिक्त, हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वर्षा ऋतु व्यतीत करने के बाद, और संघ को वस्त्रों का दान प्राप्त होने से पहले, यह स्वीकार करता है कि वह नपुंसक है, या उसने गुप्त रूप से संघ में प्रवेश किया है, या वह तित्तिय संप्रदाय में शामिल हो गया है, या वह पशु है, या उसने माता की हत्या की है, या पितृहत्या की है, या उसने किसी अरहत की हत्या की है, या उसने किसी भिक्षुणी का अपमान किया है, या उसने संघ में फूट डाली है, या उसने किसी बुद्ध का रक्त बहाया है, या वह नपुंसक है—तो संघ उस वस्त्र के अंश का स्वामी हो जाता है जो उसे प्राप्त होना चाहिए था।

3. '[धारा-2 के समान नियम, यदि वह संघ को वस्त्र भेंट किए जाने के बाद, लेकिन वर्षा ऋतु में जिस स्थान पर उसने वस्त्र बिताए थे, उस स्थान के संघ के व्यक्तिगत सदस्यों के बीच वस्त्रों का विभाजन होने से पहले चला गया हो, आदि।]

4. हे भिक्षुओं, यदि भिक्षुओं के वर्षा ऋतु व्यतीत करने के बाद, किसी भी भिक्षु को वस्त्र प्राप्त होने से पहले संघ में विभाजन उत्पन्न हो जाए, और वहाँ के लोग एक पक्ष को जल और दूसरे पक्ष को वस्त्र यह सोचकर दे दें कि "हम संघ को दे रहे हैं"—तो वे वस्त्र (संपूर्ण) संघ की संपत्ति हैं।

वहां के लोग भेंट का जल एक पक्ष को देते हैं और वस्त्र भी उसी पक्ष को देते हैं, यह सोचकर कि "हम संघ को दे रहे हैं" - तब वे वस्त्र पूरे संघ की संपत्ति बन जाते हैं।

5. '[उन्हीं दो मामलों में, यदि लोग केवल एक पक्ष को ही वस्त्र देना चाहते हैं, तो वस्त्र उसी पक्ष की संपत्ति होंगे।]

6. 'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षुओं द्वारा वर्षा ऋतु व्यतीत करने के बाद, संघ को वस्त्र दान किए जाने के बाद, लेकिन वस्त्रों का व्यक्तिगत सदस्यों में विभाजन होने से पहले, संघ में विभाजन उत्पन्न हो जाए, तो विभाजन के समय सभी को समान भाग दिया जाना चाहिए।'

<<<< पिछला (8.29) | अगला (8.31) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.31
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.30) | अगला (8.32) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-31.

1. उस समय पूज्य रेवता ने एक भिक्षु के अधीन पूज्य सारिपुत्त को एक वस्त्र भेजा और कहा, 'यह वस्त्र थेरा को दे दो।' परन्तु वह भिक्षु रास्ते में ही पूज्य रेवता के भरोसे वह वस्त्र अपने साथ ले गया।

अब पूज्य रेवता ने पूज्य सारिपुत्त से मिलकर उनसे पूछा, 'मैंने पूज्य थेरा को एक वस्त्र भेजा था। क्या वह वस्त्र उनके हाथों में पहुंचा?'

'दोस्त, मुझे उस वस्त्र के बारे में कुछ नहीं पता।'

तब पूज्य रेवता ने उस भिक्षु से कहा: 'मेरे मित्र, मैंने एक वस्त्र तुम्हारे हवाले करके थेरा के पास भेजा था। वह वस्त्र कहाँ है?'

'हे प्रभु, मैंने आप पर भरोसा रखते हुए स्वयं यह वस्त्र धारण किया।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षु को वस्त्र सौंपकर यह कहे कि "यह वस्त्र फलां भिक्षु को दे दो", और वह भिक्षु रास्ते में स्वयं ही भेजने वाले के वश में उसे ले ले, तो यह सही है। परन्तु यदि वह स्वयं ही भेजने वाले के वश में उसे ले ले, तो यह गलत है।

'[वही दोहराया गया, बाद वाला मामला पहले और पहले वाला मामला अंत में रखा गया।]

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षु को वस्त्र सौंपकर यह कहे कि "यह वस्त्र फलां भिक्षु को दे दो" और वह मार्ग में यह सुने कि वस्त्र भेजने वाला भिक्षु मर गया है; तो यदि वह उस वस्त्र को स्वयं मृत भिक्षु का वस्त्र समझकर रख ले, तो वह उचित है; यदि वह उसे स्वयं उस भिक्षु के पास धरोहर मानकर ले ले, तो वह अनुचित है।

'[इसी स्थिति में], यदि वह रास्ते में यह सुनता है कि जिस भिक्षु को यह भेजा गया था, उसकी मृत्यु हो गई है—तो यदि वह स्वयं उस वस्त्र को मृत भिक्षु के वस्त्र के रूप में रखता है, तो यह गलत है; यदि वह इसे भेजने वाले पर धरोहर के रूप में स्वयं ले लेता है, तो यह सही है।'

[इसी स्थिति में, यदि उसे रास्ते में पता चलता है कि दोनों की मृत्यु हो गई है—तो यदि वह उसे स्वयं किसी मृत भिक्षु के वस्त्र के रूप में रखता है, अर्थात् जिसने उसे भेजा था, तो उसे रखना उचित है; यदि वह उसे स्वयं किसी मृत भिक्षु की संपत्ति के रूप में रखता है, अर्थात् जिसे वह भेजा गया था, तो उसे रखना अनुचित है।]

3. 'इसके अतिरिक्त, हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षु को वस्त्र सौंपते हुए कहे, "मैं यह वस्त्र फलां भिक्षु को देता हूँ"—तो [धारा 2 में दिए गए सभी मामलों में निर्णय उलट दिया जाता है]।'

<<<< पिछला (8.30) । अगला (8.32) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> आठवां खंडक >> 8.32
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.31) । अगला(9.1) >>>>

महावग्गा

आठवां खंडका (भिक्षुओं का वस्त्र)

अध्याय-32.

1. हे भिक्षुओं, वस्त्रों का दान प्राप्त करने के ये आठ आधार हैं—जब वह सीमावर्ती क्षेत्र को वस्त्र देता है, जब वह (अन्य संघों के साथ) समझौते के तहत (संघ को) वस्त्र देता है, जब वह भिक्षा की घोषणा पर वस्त्र देता है, जब वह संघ को वस्त्र देता है, जब वह दोनों संघों को वस्त्र देता है, जब वह उस संघ को वस्त्र देता है जिसने वर्षा ऋतु (उस स्थान पर) बिताई है, जब वह एक निश्चित संख्या को वस्त्र देता है, और जब वह एक ही भिक्षु को वस्त्र देता है।

जब वह इसे सीमा के भीतर देता है, तो इसे उन सभी भिक्षुओं में विभाजित किया जाना चाहिए जो सीमा के भीतर आए हैं।

जब वह इसे किसी ऐसे संघ को देता है जो समझौते के अधीन है, तो कई निवास स्थान होते हैं जो उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे साझा करते हैं, और जो एक निवास स्थान में दिया जाता है वह सभी में दिया जाता है।

'जब वह इसे दान की घोषणा पर देता है (अर्थात जब दान देने वाले कहते हैं), "हम इसे उस स्थान पर देते हैं जहाँ संघ के लिए दान की निरंतर आपूर्ति की जाती है।"

जब वह इसे संघ को देता है, तो इसे वहां उपस्थित संघ के सदस्यों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए।

जब वह इसे दोनों संघों को देता है, तो भले ही कई भिक्षु हों और केवल एक भिक्षुणी हो, दोनों संघों को बराबर आधा-आधा दिया जाना चाहिए, और भले ही कई भिक्षुणियां हों और केवल एक भिक्षु हो, दोनों संघों को बराबर आधा-आधा दिया जाना चाहिए।

जब वह इसे उस संघ को देता है जिसने वर्षा ऋतु बिताई है, तो इसे उतने भिक्षुओं में विभाजित किया जाना चाहिए जितने भिक्षुओं ने उस विशेष निवास स्थान पर वर्षा ऋतु बिताई है।

जब वह इसे एक निर्दिष्ट संख्या को देता है, तो यह दलिया देते समय उपस्थित लोगों की संख्या होती है, या

चावल, या ठोस भोजन, या वस्त्र, या बिस्तर, या दवा।

जब वह इसे किसी एक भिक्षु को देता है, तो वह कहता है, "मैं अमुक व्यक्ति को वस्त्रों का एक सेट देता हूं।"

<<<< पिछला(8.31) । अगला(9.1) >>>>

नौवां खंडका (अधिनियमों की वैधता)
(संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> नौवां खंडक >> 9.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.32) । अगला(9.2) >>>>

महावग्गा

नौवां खंडक (संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

अध्याय 1।

1. उस समय बुद्ध कंपा में, गग्गरा कमल-कुंड के किनारे निवास करते थे। उस समय काशी देश में वासभा-गामा नामक एक गाँव था। वहाँ कस्सपा-गोत्ता नामक एक भिक्षु रहते थे, जो वहाँ किए जाने वाले धर्म कर्तव्यों के बंधन से बंधे हुए थे, और उन्होंने इस उद्देश्य से परिश्रम किया कि दूर-दूर से बुद्धिमान भिक्षु वहाँ आएँ, और वहाँ के बुद्धिमान भिक्षु सुखी रहें, और उस निवास स्थान पर धर्म जीवन में प्रगति हो, उन्नति हो और वह उच्च अवस्था को प्राप्त करे।

उस समय काशी देश में तीर्थयात्रा कर रहे कई भिक्षु वासभा-गाम आए। भिक्षु कस्सपा-गोत्ता ने उन्हें दूर से आते देखा; उन्हें देखते ही उन्होंने उनके लिए आसन तैयार किए, उनके पैर धोने के लिए जल, एक चौकी और एक तौलिया मंगवाया।

फिर वह उनसे मिलने गया, उनके कटोरे और उनके वस्त्र लिए, उन्हें पीने के लिए पानी दिया, उनके लिए स्नान की व्यवस्था की, और चावल का दूध और कठोर और नरम भोजन भी प्रदान किया।

अब उन परदेसी भिक्षुओं ने सोचा, 'हे मित्रों, यहाँ रहने वाला भिक्षु सचमुच दयालु है; वह हमें स्नान कराता है और चावल का दूध, तथा कठोर एवं नरम भोजन भी प्रदान करता है। हे मित्रों, यदि हम वासभा-गामा में ही ठहरें तो कैसा रहेगा?' इस प्रकार वे परदेसी भिक्षु वासभा-गामा में ठहर गए।

2. अब भिक्षु कस्सपा-गोत्ता ने सोचा, 'ये अजनबी भिक्षु अब अपनी यात्रा की थकान से विश्राम कर चुके हैं; वे पहले यहाँ का मार्ग नहीं जानते थे, परन्तु अब वे मार्ग जानते हैं। जीवन भर उन लोगों की सेवा में व्यस्त रहना वास्तव में कष्टदायक है जो स्वयं से संबंधित नहीं हैं, और लोगों से अनुरोध किया जाना अप्रिय है। यदि मैं इन भिक्षुओं को चावल-दूध और कठोर एवं नरम भोजन देना बंद कर दूं तो क्या होगा?' अतः उन्होंने उन्हें चावल-दूध और कठोर एवं नरम भोजन देना बंद कर दिया।

तब उन परदेसी भिक्षुओं ने सोचा: 'हे मित्रों, पहले यह भिक्षु हमें स्नान कराया करता था, साथ ही चावल का दूध और पौष्टिक एवं पौष्टिक भोजन भी देता था। परन्तु अब वह हमें चावल का दूध और पौष्टिक एवं पौष्टिक भोजन नहीं देता। हे मित्रों, यह भिक्षु अब हमसे क्रोधित है। इसलिए, हे मित्रों, हमें इस भिक्षु को निष्कासित कर देना चाहिए।'

3. तब वे परदेसी भिक्षु एकत्रित हुए और भिक्षु कस्सपा-गोत्ता से बोले: 'हे मित्र, पहले आप हमें स्नान कराते थे, चावल का दूध पिलाते थे और पौष्टिक एवं पौष्टिक भोजन भी देते थे। परन्तु अब आप चावल का दूध और पौष्टिक भोजन नहीं देते। हे मित्र, आपने पाप किया है; क्या आप वह पाप देख पा रहे हैं?'

'दोस्तों, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही है।'

तब उन पराये भिक्षुओं ने भिक्षु कस्सपा-गोत्ता को उस (कथित) अपराध को देखने से इनकार करने के कारण निष्कासित कर दिया। तब भिक्षु कस्सपा-गोत्ता ने सोचा: 'मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह अपराध है या नहीं, और क्या मैंने स्वयं कोई अपराध किया है या नहीं, और क्या मुझे निष्कासित किया गया है या नहीं, और क्या यह निर्णय वैध है या अवैध, आपत्तिजनक है या नहीं, वैध है या अवैध। क्या होगा यदि मैं कम्पा जाकर भगवान बुद्ध से इस मामले के बारे में पूछूँ?'

4. भिक्षु कस्सपा-गोत्ता ने अपने विश्राम स्थल को व्यवस्थित किया, अपना भिक्षापात्र और वस्त्र उठाया और कम्पा की ओर चल पड़े; और उचित समय पर वे कम्पा पहुँचे और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए।

अब महान बुद्धों की यह परंपरा है कि वे आने वाले भिक्षुओं का अभिवादन करते हैं। भगवान बुद्ध ने भिक्षु कस्सपा-गोत्ता से कहा, 'हे भिक्षु, क्या आप कुशल मंगल हैं? क्या आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्या आपने अपनी यात्रा बिना अधिक थके पूरी की? और हे भिक्षु, आप किस परिवार से आए हैं?'

'सब ठीक है, प्रभु; मुझे मेरी आजीविका मिल गई है, प्रभु; मैंने बिना अधिक थकावट के यात्रा पूरी कर ली है, प्रभु।'

5. 'हे प्रभु, काशी देश में वासभगामा नामक एक गाँव है। हे प्रभु, मैं वहीं निवास करता था (आदि, आगे तक): फिर वे

हे प्रभु, पराये भिक्षुओं ने उस अपराध को देखने से इनकार करने के कारण मुझे निष्कासित करने का फरमान सुनाया। तब मैंने सोचा, हे प्रभु: "मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह अपराध है या नहीं, और क्या मैंने स्वयं कोई अपराध किया है या नहीं, और क्या मुझे निष्कासित किया गया है या नहीं, और क्या यह फैसला वैध है या अवैध, आपत्तिजनक है या नहीं, वैध है या अवैध। क्या होगा यदि मैं कम्पा जाकर भगवान बुद्ध से इस विषय पर पूछ लूँ?" इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, हे प्रभु।

6. (बुद्ध ने उत्तर दिया): 'हे भिक्षु, यह कोई अपराध नहीं है; यह कोई अपराध नहीं है। आप निर्दोष हैं; आपने कोई अपराध नहीं किया है। आपको निष्कासित नहीं किया गया है, और न ही कभी निष्कासित किया गया था; जिस दंड से आपको निष्कासित किया गया है वह गैरकानूनी, आपत्तिजनक और अमान्य है। हे भिक्षु, जाइए और वासभगम में पुनः निवास कीजिए।'

भिक्षु कस्सपा-गोत्ता ने भगवान बुद्ध के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, 'जी प्रभु,' वे अपनी सीट से उठे और भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम करके उनके चारों ओर दाहिनी ओर मुंह करके परिक्रमा करते हुए वासभा-गामा की ओर चल दिए।

7. अब (वसभा-गामा में) वे परदेसी भिक्षु संकोच और पश्चाताप से ग्रस्त हो गए:

यह तो हमारे लिए पूरी तरह से हानि है, लाभ नहीं; हमारा बुरा हाल होगा, भला नहीं होगा, क्योंकि हमने उस शुद्ध, निर्दोष भिक्षु को बिना किसी कारण के निष्कासित कर दिया। तो चलिए, कम्पा चलते हैं और वहाँ भगवान बुद्ध की उपस्थिति में अपने पाप को पूरी गंभीरता से स्वीकार करते हैं।

और उन परदेसी भिक्षुओं ने अपने विश्राम स्थलों को व्यवस्थित किया, अपने भिक्षापात्र और वस्त्र उठाए और कम्पा की ओर चल पड़े। उचित समय पर वे कम्पा पहुंचे और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए। अब महान बुद्धों (आदि) की यह प्रथा है कि: 'हे प्रभु, सब ठीक है; हमें हमारी आजीविका मिल गई है; हमने बिना अधिक परिश्रम किए यात्रा पूरी कर ली है। हे प्रभु, काशी देश में वासभगामा नामक एक गाँव है; हम वहीं से आए हैं।'

8. 'तो क्या तुम भी, हे भिक्षुओं, वही हो जिन्होंने वहाँ रहने वाले भिक्षु को निष्कासित कर दिया है?'

'हम हैं, प्रभु।'

'इसका क्या कारण है, हे भिक्षुओं, और किस वजह से?'

'हे प्रभु, बिना किसी कारण या वजह के।'

तब भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकारा: 'हे भिक्षुओं, यह अनुचित है; यह अशोभनीय, अशोभनीय, समन के योग्य नहीं, अस्वीकार्य और इससे बचना चाहिए। हे मूर्खों, तुम बिना किसी कारण के एक शुद्ध और निर्दोष भिक्षु को कैसे निष्कासित कर सकते हो? हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने के लिए उचित नहीं है।' उन्हें फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, कोई भी बिना कारण के एक शुद्ध और निर्दोष भिक्षु को निष्कासित न करे। जो ऐसा करता है, वह दुक्कत अपराध करता है।'

9. तब वे भिक्षु अपने स्थानों से उठे और अपने ऊपरी वस्त्रों को इस प्रकार समायोजित किया कि उनमें से एक को ढक लिया।

वे कंधे झुकाकर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे, और भगवान बुद्ध से बोले, "हे प्रभु, हमने मूर्खों, भटके हुओं, और दुखी लोगों की तरह पाप किया है, क्योंकि हमने एक शुद्ध, निर्दोष भिक्षु को बिना किसी कारण के निष्कासित कर दिया है। हे प्रभु, भगवान बुद्ध हमारे पाप को उसकी गंभीरता सहित स्वीकार करें, और हम भविष्य में ऐसा करने से बचेंगे।"

हे भिक्षुओं, सचमुच, तुम मूर्खों, भटके हुओं और दुखी लोगों की तरह पाप में डूब गए हो, क्योंकि तुमने एक शुद्ध, निर्दोष भिक्षु को बिना किसी कारण के निष्कासित कर दिया है। परन्तु हे भिक्षुओं, क्योंकि तुम अपने पाप को उसकी गंभीरता में देख रहे हो और उसका प्रायश्चित कर रहे हो, इसलिए हम इसे तुमसे स्वीकार करते हैं। हे भिक्षुओं, यही श्रेष्ठ साधना में प्रगति कहलाता है, यदि कोई अपने पाप को उसकी गंभीरता में देखे, उसका प्रायश्चित करे और भविष्य में उससे दूर रहे।

<<<< पिछला(8.32) | अगला(9.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> नौवां खंडक >> 9.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (9.1) | अगला (9.3) >>>>

महावग्गा

नौवां खंडक (संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

अध्याय दो।

1. उस समय कम्पा के भिक्षुओं ने निम्नलिखित प्रकार से आधिकारिक कार्य किए: उन्होंने अपूर्ण मंडली के समक्ष अवैध कार्य किए; उन्होंने पूर्ण मंडली के समक्ष अवैध कार्य किए; उन्होंने अपूर्ण मंडली के समक्ष वैध कार्य किए; उन्होंने अपूर्ण मंडली के समक्ष वैध प्रतीत होने वाले कार्य किए; उन्होंने पूर्ण मंडली के समक्ष वैध प्रतीत होने वाले कार्य किए; एक भिक्षु ने एक भिक्षु के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा की; एक भिक्षु ने दो भिक्षुओं के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा की; एक भिक्षु ने...

कई भिक्षुओं के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा; एक भिक्षु द्वारा संघ के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा; दो भिक्षुओं द्वारा एक भिक्षु के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा... दो भिक्षुओं के विरुद्ध... कई भिक्षुओं के विरुद्ध... संघ के विरुद्ध; कई भिक्षुओं द्वारा एक भिक्षु के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा... दो भिक्षुओं के विरुद्ध... अन्य कई भिक्षुओं के विरुद्ध... संघ के विरुद्ध; एक संघ द्वारा दूसरे संघ के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा

2. जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और क्रोधित हो गए: 'कम्पा के भिक्षु निम्न प्रकार से आधिकारिक कार्य कैसे कर सकते हैं: अपूर्ण सभा के समक्ष गैरकानूनी कार्य करना (आदि, यहाँ तक कि:) एक संघ दूसरे संघ के विरुद्ध निष्कासन की घोषणा कैसे कर सकता है?'

इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, हे भिक्षुओं, कि कम्पा के भिक्षु निम्नलिखित तरीकों से आधिकारिक कार्य करते हैं, इत्यादि?'

'यह सच है, प्रभु।'

तब महान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकारा: 'हे भिक्षुओं, इन मूर्ख व्यक्तियों का यह कार्य अनुचित है; यह अशोभनीय, अभद्र, समन के योग्य नहीं, अस्वीकार्य और इससे बचना चाहिए। हे भिक्षुओं, ये मूर्ख व्यक्ति निम्न प्रकार से आधिकारिक कार्य कैसे कर सकते हैं? हे भिक्षुओं, यह अधर्मियों को परिवर्तित करने के लिए उचित नहीं है।' इस प्रकार उन्हें फटकारने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

3. 'यदि कोई आधिकारिक कार्य, हे भिक्षुओं, किया जाता है

अपूर्ण मंडली द्वारा गैरकानूनी रूप से किया गया कोई भी आधिकारिक कार्य वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण मंडली द्वारा गैरकानूनी रूप से किया गया कोई भी आधिकारिक कार्य वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में है)। पूर्ण मंडली के समक्ष किया गया कोई भी प्रतीत होने वाला वैध कार्य वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई एक भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को निष्कासित करता है, तो यह वास्तविक कार्य नहीं है और इसे नहीं किया जाना चाहिए (आदि, जैसा कि अनुच्छेद में है)। यदि कोई संघ दूसरे संघ को निष्कासित करता है, तो यह वास्तविक कार्य नहीं है और इसे नहीं किया जाना चाहिए।

4. हे भिक्षुओं, संघ द्वारा किए जाने वाले चार प्रकार के आधिकारिक कार्य होते हैं: अपूर्ण मंडली द्वारा किया गया अवैध कार्य, पूर्ण मंडली द्वारा किया गया अवैध कार्य, अपूर्ण मंडली द्वारा किया गया वैध कार्य और पूर्ण मंडली द्वारा किया गया वैध कार्य।

हे भिक्षुओं, यदि कोई कार्य अवैध हो और अपूर्ण मंडली द्वारा किया जाए, तो हे भिक्षुओं, ऐसा कार्य उसकी अवैधता और अपूर्ण मंडली के कारण आपत्तिजनक और अमान्य है। हे भिक्षुओं, ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, और न ही मैं ऐसे कार्य की अनुमति देता हूँ।

हे भिक्षुओं, यदि कोई कार्य अवैध हो और उसे पूर्ण मंडली द्वारा किया जाए, तो हे भिक्षुओं, ऐसा कार्य अपनी अवैधता के कारण आपत्तिजनक और अमान्य है। ऐसा कार्य, इत्यादि।

हे भिक्षुओं, यदि कोई कार्य वैध होते हुए भी अपूर्ण मंडली द्वारा किया जाए तो ऐसा कार्य, हे भिक्षुओं, निम्नलिखित कारणों से आपत्तिजनक और अमान्य है:

मंडली की अपूर्णता। ऐसा कार्य, इत्यादि।

हे भिक्षुओं, यदि कोई कार्य वैध हो और पूर्ण मंडली द्वारा किया जाए, तो हे भिक्षुओं, ऐसा कार्य उसकी वैधता और मंडली की पूर्णता के कारण निर्विवाद और वैध है। हे भिक्षुओं, ऐसा कार्य किया जाना चाहिए, और मैं ऐसे कार्य की अनुमति देता हूँ।

अत: हे भिक्षुओं, तुम्हें इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए: "जो विधिक कार्य पूर्ण मंडली द्वारा किए जाते हैं, हम भी वही कार्य करेंगे।"

<<<< पिछला (9.1) | अगला (9.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> नौवां खंडक >> 9.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.2) | अगला(9.4) >>>>

महावग्गा

नौवां खंडक (संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

अध्याय-3.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने निम्नलिखित प्रकार से आधिकारिक कार्य किए: उन्होंने अपूर्ण सभा के समक्ष अवैध कार्य किए (आदि, जैसा कि अध्याय-2, अनुच्छेद-1 से आगे तक है); उन्होंने पूर्ण सभा के समक्ष प्रतीत होने वाले वैध कार्य किए; उन्होंने बिना नत्ती (गति) के और (कम्मवक की) घोषणा के साथ कार्य किए; उन्होंने बिना नत्ती (गति) के और (कम्मवक की) घोषणा के साथ कार्य किए; उन्होंने बिना नत्ती (गति) के और (कम्मवक की) घोषणा के बिना कार्य किए; उन्होंने धम्म के विपरीत कार्य किए; उन्होंने विनय के विपरीत कार्य किए; उन्होंने गुरु के सिद्धांत के विपरीत कार्य किए; और उन्होंने ऐसे कार्य किए जिनका (उपस्थित भिक्षुओं ने) विरोध किया, जो अवैध, आपत्तिजनक और अमान्य थे।

जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज हो गए, इत्यादि। इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, हे भिक्षुओं, कि छब्बग्गिया भिक्षु, इत्यादि?'

यह सच है, प्रभु, इत्यादि।

उन्हें फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया:

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई आधिकारिक कार्य अपूर्ण मंडली द्वारा अवैध रूप से किया जाता है, तो वह वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए (आदि, आगे तक)। हे भिक्षुओं, यदि कोई आधिकारिक कार्य किया जाता है जिसके विरुद्ध (उपस्थित भिक्षु) विरोध करते हैं, जो अवैध, आपत्तिजनक और अमान्य है, तो वह वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए।

3. हे भिक्षुओं, संघ द्वारा किए जा सकने वाले छह प्रकार के आधिकारिक कार्य हैं: एक गैरकानूनी कार्य, अपूर्ण मंडली द्वारा किया गया कार्य, पूर्ण मंडली द्वारा किया गया कार्य, अपूर्ण मंडली द्वारा किया गया प्रतीतिक रूप से वैध कार्य, पूर्ण मंडली द्वारा किया गया प्रतीतिक रूप से वैध कार्य, पूर्ण मंडली द्वारा किया गया वैध कार्य।

हे भिक्षुओं, कौन सा कार्य अवैध है? हे भिक्षुओं, यदि कोई एक नट्टी के साथ नट्टीदुतिया कर्म करे और कम्मवक का उच्चारण न करे, तो ऐसा कर्म अवैध है। हे भिक्षुओं, यदि कोई दो नट्टी के साथ नट्टीदुतिया कर्म करे और कम्मवक का उच्चारण न करे... एक कम्मवक के साथ नट्टी (गति) का प्रस्ताव न करे... दो कम्मवकों के साथ नट्टी (गति) का प्रस्ताव न करे, तो ऐसा कर्म अवैध है।

4. हे भिक्षुओं, यदि कोई एक नट्टी (गति) के साथ नट्टिकतुत्था क्रिया करता है और कम्मवक का उच्चारण नहीं करता है, तो ऐसा कार्य अवैध है। हे भिक्षुओं, यदि कोई दो (...तीन, ...चार) नट्टियों के साथ नट्टिकतुत्था क्रिया करता है और कम्मवक का उच्चारण नहीं करता

है, तो ऐसा कार्य अवैध है। हे भिक्षुओं, यदि कोई एक कम्मवक (...दो, ...तीन, ...चार कम्मवकों के साथ) के साथ नट्टिकतुत्था क्रिया करता है और नट्टी (गति) का प्रस्ताव नहीं करता है, तो ऐसा कार्य अवैध है। हे भिक्षुओं, ऐसे कार्यों को अवैध कार्य कहा जाता है।

5. 'और हे भिक्षुओं, अपूर्ण संगति का कार्य कौन सा है?'

'हे भिक्षुओं, यदि किसी नात्तिदुतिया अनुष्ठान में मतदान के पात्र सभी भिक्षु उपस्थित न हों, यदि जिन भिक्षुओं को अपना खंड घोषित करना है उनका खंड (सभा को) सूचित न किया गया हो, और यदि उपस्थित भिक्षु विरोध करें, तो ऐसा अनुष्ठान अपूर्ण सभा द्वारा संपन्न किया जाता है।'

'हे भिक्षुओं, यदि किसी नत्तिदुतिया अनुष्ठान में मतदान के पात्र भिक्षुओं की संख्या के बराबर भिक्षु उपस्थित हों, परन्तु यदि जिन भिक्षुओं को अपना खंडा घोषित करना है, उनका खंडा (सभा को) सूचित न किया गया हो, और यदि उपस्थित भिक्षु इसका विरोध करें, तो ऐसा अनुष्ठान अपूर्ण सभा द्वारा संपन्न किया जाता है।'

'हे भिक्षुओं, यदि किसी नत्तिदुतिया अनुष्ठान में मतदान के पात्र भिक्षुओं की संख्या के बराबर भिक्षु उपस्थित हों, और यदि जिन भिक्षुओं को अपना खंड घोषित करना है, उनका खंड बता दिया गया हो, लेकिन यदि उपस्थित भिक्षु विरोध करें, तो ऐसा अनुष्ठान अपूर्ण मंडली द्वारा संपन्न किया जाता है।'

'यदि, हे भिक्षुओं, किसी नट्टिकतुत्थ क्रिया आदि पर।

'ऐ भिक्षुओं, ऐसे कर्म अपूर्ण सभाओं द्वारा किए गए कर्म कहलाते हैं।'

6. हे भिक्षुओं, पूर्ण सभा का कार्य कौन सा है?

'हे भिक्षुओं, यदि किसी नत्तिदुतिया अनुष्ठान में मतदान के पात्र भिक्षुओं की संख्या के बराबर भिक्षु उपस्थित हों, यदि जिन भिक्षुओं को अपना खंड घोषित करना है उनका खंड सभा को बता दिया गया हो, और यदि उपस्थित भिक्षु विरोध न करें, तो ऐसा अनुष्ठान पूर्ण सभा द्वारा संपन्न किया जाता है।'

हे भिक्षुओं, यदि किसी नट्टिकतुत्था क्रिया (आदि, जैसा कि पिछले खंड में है) पर।

हे भिक्षुओं, ऐसे कार्यों को पूर्ण मंडली द्वारा किए गए कार्य कहा जाता है।

7. हे भिक्षुओं, अपूर्ण मंडली द्वारा किया गया कौन सा कार्य देखने में वैध प्रतीत होता है?

हे भिक्षुओं, यदि किसी नत्तिदुतिया अनुष्ठान में पहले कम्मावक की घोषणा की जाए और बाद में नत्ति का प्रस्ताव रखा जाए, तो यदि सभी भिक्षु उपस्थित न हों, तो जितने भी मतदान के पात्र हों, वे उपस्थित हों, इत्यादि।

8. हे भिक्षुओं, कौन सा ऐसा कार्य है जो पूर्ण मंडली द्वारा किया गया प्रतीततः वैध कार्य है?

'हे भिक्षुओं, यदि किसी नत्तिदुतिया अनुष्ठान में पहले कम्मावक की घोषणा की जाए और उसके बाद नत्ति का प्रस्ताव रखा जाए, और यदि मतदान के पात्र भिक्षुओं की संख्या के बराबर भिक्षु उपस्थित हों, आदि।'

9. हे भिक्षुओं, पूर्ण मंडली द्वारा किया जाने वाला कौन सा कार्य वैध है?

हे भिक्षुओं, यदि किसी नात्तिदुतिया अनुष्ठान में पहले नात्ति प्रस्तावित की जाए और उसके बाद एक कर्मवक के साथ अनुष्ठान किया जाए, यदि मतदान के पात्र भिक्षुओं की संख्या के बराबर भिक्षु उपस्थित हों, यदि जिन भिक्षुओं को अपना खंड घोषित करना है उनका खंड सभा को बता दिया गया हो, और यदि उपस्थित भिक्षु विरोध न करें, तो ऐसा अनुष्ठान वैध है और पूर्ण सभा द्वारा संपन्न किया जाता है।

'हे भिक्षुओं, यदि किसी नट्टिकतुत्थ अनुष्ठान में पहले नट्टी का प्रस्ताव रखा जाए और उसके बाद तीन कम्मवकों के साथ अनुष्ठान किया जाए, और यदि मतदान के पात्र भिक्षुओं की संख्या के बराबर भिक्षु हों, तो ऐसा अनुष्ठान वैध है और पूर्ण मंडली द्वारा संपन्न किया जाता है।'

<<<< पिछला(9.2) । अगला(9.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> नौवां खंडक >> 9.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.3) । अगला(9.5) >>>>

महावग्गा

नौवां खंडक (संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

अध्याय-4.

1. 'संघ पाँच प्रकार के होते हैं: चार व्यक्तियों का भिक्षु संघ, पाँच व्यक्तियों का भिक्षु संघ... दस व्यक्तियों का भिक्षु संघ... बीस व्यक्तियों का भिक्षु संघ... बीस से अधिक व्यक्तियों का भिक्षु संघ।'

'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षु संघ में चार व्यक्ति हों, और वह विधिपूर्वक कार्य करे, और पूर्ण हो, तो वह उपसम्पदा दीक्षा, पवाराना और आभना को छोड़कर सभी आधिकारिक कार्य करने का हकदार है।'

'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षु संघ में पाँच व्यक्ति हों, और वह विधिपूर्वक कार्य करे, और पूर्ण हो, तो वह सभी आधिकारिक कार्यों को करने का हकदार है, सिवाय इसके कि

दो क्रियाएं, अर्थात् मध्य देशों में उपसम्पदा दीक्षा और आभना।

'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षु संघ में दस व्यक्ति हों, और वह विधिपूर्वक कार्य करे, और पूर्ण हो, तो वह आभना को छोड़कर सभी आधिकारिक कार्य करने का हकदार है।'

'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षु संघ में बीस व्यक्ति हों, और वह विधिपूर्वक कार्य करे, और पूर्ण हो, तो वह सभी आधिकारिक कार्य करने का हकदार है।'

'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षु संघ में बीस से अधिक व्यक्ति हों, और वह विधिपूर्वक कार्य करे, और पूर्ण हो, तो वह सभी आधिकारिक कार्य करने का हकदार है।'

2. हे भिक्षुओं, कोई भी आधिकारिक कार्य जिसमें चार व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक हो, यदि किसी ऐसे समूह द्वारा किया जाए जिसमें चौथी भिक्षुणी (भिक्षुणी) हो, तो वह वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, कोई भी आधिकारिक कार्य जिसमें चार व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक हो, यदि किसी ऐसे समूह द्वारा किया जाए जिसमें चौथा भिक्षुणी हो, ... जिसमें चौथा भिक्षुणी हो, ... जिसमें चौथा भिक्षुणी हो, ... जिसमें चौथा भिक्षुणी किसी अन्य समुदाय का हो, ... जिसमें चौथा भिक्षुणी किसी अन्य सीमा के भीतर रहने वाला हो, ... जिसमें अलौकिक शक्ति द्वारा वायु में स्थिर किया गया व्यक्ति हो...

चौथा, ... जिसमें संघ द्वारा कार्यवाही शुरू किया गया व्यक्ति चौथा होता है—वह कोई वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए।'

चार व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों से संबंधित विनियमों का अंत।

3-5. 'हे भिक्षुओं, कोई भी आधिकारिक कार्य, जिसमें पाँच (...दस, ...बीस) व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक हो, यदि किसी ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जिसमें भिक्षुणी आदि पाँचवीं (...दसवीं, ...बीसवीं) हो, तो वह वास्तविक कार्य नहीं है और उसे नहीं किया जाना चाहिए।'

पांच (दस, बीस) व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में विनियमों का अंत।

---

6. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी ऐसे समुदाय में, जिसमें परिवास अनुशासन की सजा प्राप्त व्यक्ति चौथा हो, परिवास, मूलय पतिकसन और मनत्ता की कार्यवाही शुरू की जाती है, या यदि किसी ऐसे समुदाय में, जिसमें ऐसा व्यक्ति बीसवां हो, आभना प्रदान की जाती है, तो यह कोई वास्तविक कार्य नहीं है और इसे नहीं किया जाना चाहिए।

'यदि, हे भिक्षुओं, किसी सभा में कोई व्यक्ति जिसे मूलय पतिकस्सन की सजा मिलनी चाहिए... जिसे मनत्त की सजा मिलनी चाहिए... जो मनत्त अनुशासन के अधीन है...

जिस पर अभना की सजा दी जानी चाहिए, वह परिवास, मूलय पतिकस्सना और मनत्ता की कार्यवाही शुरू करता है, या यदि कोई सभा जिसमें ऐसा व्यक्ति बीसवां है, अभना प्रदान करती है, तो यह कोई वास्तविक कार्य नहीं है और इसे नहीं किया जाना चाहिए।

7. हे भिक्षुओं, सभा में उठाया गया विरोध कुछ लोगों के लिए प्रभावी होता है, कुछ लोगों के लिए अप्रभावी होता है।

'हे भिक्षुओं, वे कौन से व्यक्ति हैं जिनका विरोध सभा में व्यर्थ हो जाता है?'

हे भिक्षुओं, सभा में किसी भिक्षुणी द्वारा उठाया गया विरोध निष्प्रभावी होता है। हे भिक्षुओं, सभा में किसी विद्यार्थी आदि द्वारा उठाया गया विरोध, और संघ द्वारा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, वह भी निष्प्रभावी होता है। हे भिक्षुओं, ये वे व्यक्ति हैं जिनका विरोध सभा में उठाने पर निष्प्रभावी होता है।

8. हे भिक्षुओं, वे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी सभा में उठाई गई आपत्ति प्रभावी होती है?

हे भिक्षुओं, स्वस्थ मन वाले, एक ही समुदाय के सदस्य, एक ही सीमा के भीतर रहने वाले भिक्षु का विरोध भी

यदि उसने ऐसा पाप किया हो जिसका सीधा दंड नरक में मिलता हो, तो सभा में उसका विरोध करना प्रभावी होता है। हे भिक्षुओं, यही वह व्यक्ति है जिसका विरोध सभा में किया जाता है।

9. हे भिक्षुओं, निष्कासन (किसी व्यक्ति के विरुद्ध घोषित) के दो मामले होते हैं। हे भिक्षुओं, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन (पूर्व में) घोषित न किया गया हो, और संघ उसके विरुद्ध निष्कासन घोषित करता है, तो कुछ ऐसे हैं जिनके विरुद्ध ऐसा निष्कासन विधिवत घोषित किया गया है, और अन्य ऐसे हैं जिनके विरुद्ध यह अनुचित रूप से घोषित किया गया है।

हे भिक्षुओं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध यदि पहले निष्कासन की घोषणा न की गई हो और संघ उसके विरुद्ध निष्कासन की घोषणा करता है, तो निष्कासन अनुचित माना जाता है? हे भिक्षुओं, यदि कोई शुद्ध, निर्दोष भिक्षु हो, और संघ उसके विरुद्ध निष्कासन की घोषणा करता है, तो निष्कासन अनुचित माना जाता है। हे भिक्षुओं, ऐसे व्यक्ति को वह व्यक्ति कहा जाता है जिसके विरुद्ध यदि पहले निष्कासन की घोषणा न की गई हो और संघ उसके विरुद्ध निष्कासन की घोषणा करता है, तो निष्कासन अनुचित माना जाता है।

हे भिक्षुओं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध विधिवत निष्कासन घोषित किया गया है? हे भिक्षुओं, यदि कोई अज्ञानी, अनपढ़ भिक्षु हो, जो लगातार अपराध करता हो, जो अपराध को पहचानने में असमर्थ हो, और जो अनुचित रूप से गृहस्थ समाज में रहता हो...

यदि कोई व्यक्ति गृहस्थों के साथ संगति करता है, तो संघ द्वारा निष्कासन की घोषणा करना विधिवत सिद्ध हो जाता है। हे भिक्षुओं, इसे ही गृहस्थ कहा जाता है।

10. हे भिक्षुओं, निष्कासित भिक्षु की पुनःस्थापन के दो मामले हैं। हे भिक्षुओं, यदि किसी व्यक्ति को पहले पुनःस्थापन नहीं दिया गया था, और संघ उसे पुनःस्थापन देता है, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें विधिवत पुनःस्थापन दिया गया होगा, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अनुचित रूप से पुनःस्थापन दिया गया होगा।

हे भिक्षुओं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे अनुचित रूप से पुनःस्थापन दिया गया है? हे भिक्षुओं, वह नपुंसक जिसे पहले पुनःस्थापन नहीं दिया गया था और जिसे संघ पुनःस्थापन देता है, उसे अनुचित रूप से पुनःस्थापन दिया गया है। वह व्यक्ति जो गुप्त रूप से संघ से जुड़ गया है, आदि, जिसे पहले पुनःस्थापन नहीं दिया गया था और जिसे संघ पुनःस्थापन देता है, उसे अनुचित रूप से पुनःस्थापन दिया गया है।

'हे भिक्षुओं, इसे वह व्यक्ति कहा जाता है जिसे अनुचित रूप से पुनर्स्थापन प्रदान किया गया है। हे भिक्षुओं, इन्हें वे व्यक्ति कहा जाता है जिन्हें विधिवत रूप से पुनर्स्थापन प्रदान किया गया है।'

11. 'हे भिक्षुओं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे विधिवत रूप से पुनर्स्थापन प्रदान किया गया है?'

वासभा-गम भानवर कहे जाने वाले पहले भानवर का समापन।

<<<< पिछला(9.3) | अगला(9.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> नौवां खंडक >> 9.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.4) | अगला(9.6) >>>>

महावग्गा

नौवां खंडक (संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

अध्याय-5.

1. हे भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा अपराध न हो जिसे कोई भिक्षु देखे (या स्वयं द्वारा किए गए अपराध के रूप में स्वीकार करे), और यदि संघ, या कई भिक्षु, या कोई एक व्यक्ति उसे फटकारें (और कहें): "हे मित्र, तुमने अपराध किया है; क्या तुम वह अपराध देखते हो?" और वह उत्तर दे: "हे मित्रों, ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसे मैं देख सकूँ," और संघ उस अपराध को देखने से इनकार करने के कारण उसके निष्कासन की घोषणा करे, तो यह एक गैरकानूनी कार्य है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा अपराध न हो जिसके लिए भिक्षु को प्रायश्चित करना पड़े, इत्यादि।

'यदि हे भिक्षुओं, कोई ऐसा झूठा सिद्धांत न हो जिसका भिक्षु को त्याग करना पड़े, इत्यादि।'

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा अपराध न हो जिसे भिक्षु को देखना चाहिए, और न ही कोई ऐसा अपराध हो जिसका उसे प्रायश्चित करना चाहिए, और यदि संघ, या कई भिक्षु, या कोई एक व्यक्ति उसे डांटे (और कहे): "हे मित्र, तुमने अपराध किया है; क्या तुम वह अपराध देखते हो? उस अपराध का प्रायश्चित करो,"—और वह उत्तर दे: "हे मित्रों, ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसे मुझे देखना चाहिए; कोई अपराध नहीं है,"

मित्रों, जिसके लिए मुझे प्रायश्चित करना चाहिए," और संघ उस अपराध को देखने से इनकार करने या उस अपराध के लिए प्रायश्चित करने से इनकार करने के लिए उसके खिलाफ निष्कासन की घोषणा करता है, - यह एक गैरकानूनी कार्य है।

6-7. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु कोई अपराध देखे, और यदि संघ, या कई भिक्षु, या कोई अकेला व्यक्ति उसे डांटे (और कहे): "हे मित्र, तुमने अपराध किया है; क्या तुम वह अपराध देखते हो?" और वह उत्तर दे: "हाँ, मित्रों, मैं देखता हूँ," और संघ उस अपराध को देखने से इनकार करने के कारण उसे निष्कासित कर दे, तो यह एक गैरकानूनी कार्य है।

'यदि हे भिक्षुओं, कोई ऐसा अपराध हो जिसके लिए किसी भिक्षु को प्रायश्चित करना पड़े, इत्यादि।'

8-9. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा अपराध हो जिसे कोई भिक्षु देखे, और यदि संघ, या कई भिक्षु, या कोई अकेला व्यक्ति उसे फटकारें (और कहें): "हे मित्र, तुमने अपराध किया है; क्या तुम वह अपराध देखते हो?"—और वह उत्तर दे: "हे मित्रों, ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसे मैं देख सकूँ," और संघ उस अपराध को देखने से इनकार करने के कारण उसके निष्कासन की घोषणा करे,—तो यह एक वैध कार्य है।'

<<<< पिछला(9.4) । अगला(9.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> नौवां खंडक >> 9.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.5) । अगला(9.7) >>>>

महावग्गा

नौवां खंडक (संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

अध्याय-6.

1. और पूज्य उपली उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर उन्होंने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उनके निकट बैठकर पूज्य उपली ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, यदि पूर्ण मंडली किसी ऐसे कार्य को करे जिसमें (आरोपी भिक्षु की) उपस्थिति आवश्यक हो, और वह भी उनकी अनुपस्थिति में, तो क्या यह कार्य, हे प्रभु, धम्म और विनय के अनुसार विधिवत संपन्न है?"

'यह कार्य, उपली, धम्म और विनय के विरुद्ध गैरकानूनी रूप से किया जाता है।'

2. हे प्रभु, यदि पूर्ण मंडली ऐसा कार्य करे जिसमें (आरोपी भिक्षु से) उत्तर मांगा जाना चाहिए, और उससे उत्तर न मांगे—यदि वह ऐसा कार्य करे जिसमें (अपराधी का) इकबालिया बयान आवश्यक हो, और उससे इकबालिया बयान न ले—यदि वह ऐसे भिक्षु को, जिसे सतिविनय दिया जाना चाहिए, अमुलहविनय प्रदान करे—यदि वह ऐसे भिक्षु के विरुद्ध, जिसे अमुलहविनय दिया जाना चाहिए, तसपपिय्यसिककम्म की कार्यवाही करे—यदि वह ऐसे भिक्षु के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध तसपपिय्यसिककम्म की कार्यवाही करे—यदि वह ऐसे भिक्षु के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध तसपपिय्यसिककम्म की कार्यवाही करे, निस्यकम्म की कार्यवाही करे—यदि वह ऐसे भिक्षु के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध निस्यकम्म की कार्यवाही करे, यदि किसी भिक्षु के विरुद्ध पब्बागनियाकम्मा के साथ कार्यवाही की जाती है, तो पतिसरनियाकम्मा के साथ कार्यवाही की जाती है, तो उक्खेपनियाकम्मा के साथ कार्यवाही की जाती है, तो उक्खेपनियाकम्मा के साथ कार्यवाही की जाती है, तो उस भिक्षु को परिवास की सजा दी जाती है, जिसे परिवास की सजा दी जानी चाहिए, तो उसे मूलय पतिकस्सना की सजा दी जाती है, और यदि किसी भिक्षु को मूलय पतिकस्सना की सजा दी जाती है, तो उसे मनत्त की सजा दी जाती है, और यदि किसी भिक्षु को मनत्त की सजा दी जानी चाहिए, तो उसे आभना का आदेश दिया जाता है, और यदि किसी भिक्षु को आभना प्रदान किया जाना चाहिए, तो उसे उपसम्पदा प्रदान की जाती है। दीक्षा, क्या यह कार्य, हे प्रभु, धम्म और विनय के अनुसार विधिवत संपन्न किया गया है?

3. 'हे उपली, यह धम्म और विनय के विरुद्ध गैरकानूनी कार्य है। यदि कोई पूर्ण मंडली, हे उपली, ऐसा कार्य करती है जिसमें (आरोपी भिक्षु की) उपस्थिति आवश्यक हो, और उसकी अनुपस्थिति में (आदि, आगे तक) किसी ऐसे भिक्षु को उपसंपदा दीक्षा प्रदान करती है

जिसे आभना प्रदान किया जाना चाहिए, तो हे उपली, यह कार्य धम्म और विनय के विरुद्ध गैरकानूनी है, और इस प्रकार यह संघ कानून का उल्लंघन करता है।'

4. 'हे प्रभु, यदि पूर्ण मंडली ऐसा कोई कार्य करती है जिसमें (आरोपी भिक्षु की) उपस्थिति आवश्यक हो, और उसकी उपस्थिति में (आदि, आगे तक) उस व्यक्ति को उपसंपदा दीक्षा प्रदान करती है, जिसे उपसंपदा दीक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो क्या यह कार्य, हे प्रभु, धम्म और विनय के अनुसार विधिवत संपन्न है?'

उपाली, यह कार्य धम्म और विनय के अनुसार विधिवत संपन्न है। यदि कोई पूर्ण मंडली उपसंपदा दीक्षा सहित कोई कार्य संपन्न करती है, तो उपाली, इस स्थिति में यह कार्य धम्म और विनय के अनुसार विधिवत संपन्न होता है, और इस स्थिति में यह संघ विधि का उल्लंघन नहीं करता है।

5. 'हे प्रभु, यदि पूर्ण मंडली किसी ऐसे भिक्षु को, जिसे सतिविनय दिया जाना चाहिए, अमुलहविनय प्रदान करती है, और ऐसे भिक्षु को, जिसे अमुलहविनय दिया जाना चाहिए, सतिविनय प्रदान करती है (आदि, आगे तक), और ऐसे भिक्षु को, जिसे आभान दिया जाना चाहिए, उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करती है, और ऐसे व्यक्ति को, जिसे उपसम्पदा दीक्षा दी जानी चाहिए, आभान का आदेश देती है, तो क्या यह कार्य, हे प्रभु, धम्म और विनय के अनुसार विधिवत संपन्न है?'

6. 'हे उपली, यह धम्म और विनय के विरुद्ध अवैध कार्य है। यदि पूर्ण संघ किसी भिक्षु आदि को यह वरदान देता है, तो हे उपली, इस स्थिति में यह कार्य धम्म और विनय के विरुद्ध अवैध है, और ऐसी स्थिति में यह संघ विधि का उल्लंघन करता है।'

7. 'हे प्रभु, यदि पूर्ण मंडली किसी ऐसे भिक्षु को सतिविनय प्रदान करती है जिसे सतिविनय प्रदान किया जाना चाहिए, और किसी ऐसे भिक्षु को मूलविनय प्रदान करती है जिसे मूलविनय प्रदान किया जाना चाहिए (आदि, आगे तक), किसी ऐसे भिक्षु को आभान प्रदान करती है जिसे आभान प्रदान किया जाना चाहिए, और किसी ऐसे व्यक्ति को उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करती है जिसे उपसम्पदा दीक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो क्या यह कार्य, हे प्रभु, धम्म और विनय के अनुसार विधिवत संपन्न है?'

8. 'यह विधि, उपली, धम्म और विनय (आदि, आगे तक) के अनुसार विधिवत संपन्न की जाती है, और ऐसे में यह संघ कानून का उल्लंघन नहीं करता।'

9. भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, यदि पूर्ण संघ किसी ऐसे भिक्षु को, जिसे सतिविनय दिया जाना चाहिए, अमूलविनय प्रदान करता है, तो हे भिक्षुओं, यह कार्य धर्म और विनय के विरुद्ध अवैध है, और इस प्रकार संघ कानून का उल्लंघन करता है। हे भिक्षुओं, यदि पूर्ण संघ किसी ऐसे भिक्षु के विरुद्ध, जिसे सतिविनय दिया जाना चाहिए, तसपपिय्यसिककम्मा (आदि, आगे तक) स्थापित करता है, और उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त व्यक्ति को आभना का आदेश देता है, तो हे भिक्षुओं, यह कार्य धर्म और विनय के विरुद्ध अवैध है, और इस प्रकार संघ कानून का उल्लंघन करता है।'

दूसरे भानवर का अंत, जिसमें उपाली के प्रश्न शामिल हैं।

<<<< पिछला(9.5) | अगला(9.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> नौवां खंडक >> 9.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.6) | अगला(10.1) >>>>

महावग्गा

नौवां खंडक (संघ के औपचारिक कार्यों की वैधता और अवैधता)

अध्याय 7।

1. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु विवाद करने वाला, झगड़ालू, कलह करने वाला और संघ के समक्ष लगातार प्रश्न उठाता रहे, और अन्य भिक्षु आपस में कहें, "हे मित्रों, यह भिक्षु वास्तव में विवाद करने वाला, झगड़ालू आदि है; तो चलो हम इसके विरुद्ध तज्जनीयकम्मा से कार्यवाही करें।" और वे अपूर्ण मंडली के साथ अवैध रूप से तज्जनीयकम्मा से इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, और फिर वह उस जिले से दूसरे जिले में चला जाता है। वहाँ भिक्षु आपस में कहते हैं, "हे मित्रों, संघ ने अपूर्ण मंडली के साथ अवैध रूप से तज्जनीयकम्मा से इस भिक्षु के विरुद्ध कार्यवाही की है; तो चलो हम इसके विरुद्ध तज्जनीयकम्मा से कार्यवाही करें।" और वे पूर्ण मंडली के साथ अवैध रूप से तज्जनीयकम्मा से इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, और फिर वह उस जिले से फिर दूसरे जिले में चला जाता है। और वहाँ भिक्षु फिर आपस में कहते हैं (आदि, नीचे तक:) और वे अपूर्ण मंडली के साथ विधिवत रूप से तज्जनीयकम्मा लेकर उसके विरुद्ध आगे बढ़ते हैं... प्रतीततः विधिवत रूप से मंडली के साथ... प्रतीततः विधिवत रूप से पूर्ण मंडली के साथ।

2-5. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वाद-विवाद करने वाला हो, इत्यादि।

6. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अज्ञानी, अनपढ़, लगातार अपराध करने वाला, अपराध को पहचानने में असमर्थ और गृहस्थ समाज में अनुचित रूप से गृहस्थों के साथ संगति करने वाला हो, और अन्य भिक्षु आपस में कहें, "हे मित्रों, यह भिक्षु वास्तव में अज्ञानी, अनपढ़ आदि है; तो चलो हम इसके विरुद्ध निस्सायकम्म से कार्रवाई करें," और वे अपूर्ण मंडली आदि के साथ अवैध रूप से इसके विरुद्ध निस्सायकम्म से कार्रवाई करते हैं।

7. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु गृहस्थों के लिए हानिकारक जीवन व्यतीत करता है और बुराई में लिप्त रहता है, और अन्य भिक्षु आपस में कहते हैं, "हे मित्रों, यह भिक्षु गृहस्थों के लिए हानिकारक जीवन व्यतीत करता है और बुराई में लिप्त रहता है; तो चलो हम उसके विरुद्ध पब्बागनियाकम्मा से कार्यवाही करें," इत्यादि।

8. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु गृहस्थों को अपशब्द कहे और गाली दे, और दूसरे भिक्षु आपस में कहें, "हे मित्रों, यह भिक्षु गृहस्थों को अपशब्द कहता है; तो चलो हम उसके विरुद्ध पतिसरणियकम्मा लेकर आगे बढ़ें," इत्यादि।

9-11. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अपराध करके उस अपराध को देखने से इनकार कर दे, और दूसरे भिक्षु आपस में कहें, "हे मित्रों, इस भिक्षु ने अपराध किया है और वह उस अपराध को देखने से इनकार कर रहा है; तो चलो, उसके इस अपराध को देखने से इनकार करने के कारण उसे निष्कासित कर देते हैं," इत्यादि।

12-13. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु, जिसके विरुद्ध संघ ने तज्जनियाकम्मा की कार्यवाही की है, उचित आचरण करता है, संयमी जीवन जीता है, तपस्या से मुक्ति पाने की इच्छा रखता है, और तज्जनियाकम्मा के दंड को निरस्त करने का निवेदन करता है, तो अन्य भिक्षु आपस में कहते हैं, "हे मित्रों, यह भिक्षु, जिसके विरुद्ध संघ ने तज्जनियाकम्मा की कार्यवाही की है, वास्तव में उचित आचरण करता है; संयमी जीवन जीता है, इत्यादि; तो आइए, हम उसके विरुद्ध सुनाया गया तज्जनियाकम्मा का दंड निरस्त कर दें।" और वे अपूर्ण सभा के साथ अवैध रूप से उसके विरुद्ध सुनाया गया तज्जनियाकम्मा का दंड निरस्त कर देते हैं। फिर वह उस जिले से दूसरे जिले में जाता है। वहाँ भिक्षु आपस में कहते हैं, "हे मित्रों, इस भिक्षु के विरुद्ध सुनाया गया तज्जनियाकम्मा का दंड संघ द्वारा अपूर्ण सभा के साथ अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया है," इत्यादि।

14. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु, जिसके विरुद्ध संघ ने निस्सायकम्मा . . . . पब्बागनियाकम्मा . . . . पतिसरनियाकम्मा . . . . जिसके विरुद्ध संघ ने किसी अपराध को देखने से इनकार करने . . . . किसी अपराध के प्रायश्चित से इनकार करने . . . . किसी झूठे सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने के कारण निष्कासन की घोषणा की है, उचित आचरण करता है, इत्यादि।

15. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु विवाद करने वाला, झगड़ालू, कलह करने वाला और संघ के समक्ष लगातार प्रश्न उठाता रहे, और दूसरे भिक्षु आपस में कहें, “हे मित्रों, यह भिक्षु वास्तव में विवाद करने वाला, झगड़ालू आदि है; तो चलो हम उसके विरुद्ध तज्जनीयकम्मा से कार्यवाही करें।” और वे अपूर्ण मंडली के साथ अवैध रूप से तज्जनीयकम्मा से उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। अब उस क्षेत्र में रहने वाले संघ में यह विवाद उत्पन्न होता है कि क्या यह अपूर्ण मंडली के साथ अवैध रूप से किया गया कार्य है, या पूर्ण मंडली के साथ अवैध रूप से किया गया कार्य है, या अपूर्ण मंडली के साथ विधिपूर्वक किया गया कार्य है, या अपूर्ण मंडली के साथ विधिपूर्वक किया गया कार्य है जो विधिपूर्वक प्रतीत होता है, या पूर्ण मंडली के साथ विधिपूर्वक किया गया कार्य है जो विधिपूर्वक प्रतीत होता है, या ऐसा कार्य है जो किया ही नहीं गया है, या गलत तरीके से किया गया है, और जिसे पुनः किया जाना है। इस मामले में, हे भिक्षुओं, जो भिक्षु कहते हैं: "यह अपूर्ण मंडली के साथ किया गया एक अवैध कार्य है"—और जो भिक्षु कहते हैं: "यह एक ऐसा कार्य है जो किया ही नहीं गया, खराब तरीके से किया गया, जिसे फिर से किया जाना है"—ये भिक्षु इस मामले में सही हैं।

16. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु वाद-विवाद में लिप्त हो (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 15 में नीचे दिया गया है): और वे उसके विरुद्ध पूर्ण मंडली के साथ अवैध रूप से तज्जनीयकम्मा लेकर कार्यवाही करें... अपूर्ण मंडली के साथ विधिवत रूप से... अपूर्ण मंडली के साथ प्रतीततः विधिवत रूप से... पूर्ण मंडली के साथ प्रतीततः विधिवत रूप से। अब उस जिले में निवास करने वाले संघ के बीच (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 15 में दिया गया है)।

17-20. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अज्ञानी, अनपढ़ हो,' इत्यादि।

नौवें खंडक का अंत, जिसमें कम्पा में घटी घटनाओं का वर्णन है।

<<<< पिछला(9.6) । अगला(10.1) >>>>

दसवां खंडक (विभाजन)
(संघ के भीतर विभाजन)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> दसवाँ खंडक >> 10.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.7) । अगला(10.2) >>>>

महावग्गा

दसवां खंडका (संघ के बीच मतभेद)

अध्याय 1।

1. उस समय महान बुद्ध कोसंबी में घोषिताराम में निवास करते थे।

उस समय एक भिक्षु ने एक अपराध किया था जिसे वह स्वयं अपराध मानता था, जबकि अन्य भिक्षु उसे अपराध नहीं मानते थे। बाद में उसने उस अपराध को अपराध मानना बंद कर दिया और अन्य भिक्षुओं ने उसे अपराध मान लिया।

तब उन भिक्षुओं ने उस भिक्षु से कहा: 'मित्र, तुमने अपराध किया है; क्या तुम्हें वह अपराध दिखाई देता है?'

(उन्होंने उत्तर दिया): 'मित्रों, मुझे कोई अपराध दिखाई नहीं देता।'

तब उन भिक्षुओं ने (अपने निर्णय के लिए बिरादरी की सर्वसम्मति प्राप्त करके) उस भिक्षु को उस अपराध को देखने से इनकार करने के कारण निष्कासन की घोषणा की।

2. अब वह भिक्षु विद्वान था; उसने आगमों का अध्ययन किया था; वह धम्म, विनय, मतिका को जानता था; वह बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और प्रशिक्षण के लिए उत्सुक था।

और वह भिक्षु अपने साथियों और भिक्षुओं में से मित्रों के पास गया और उनसे कहा: 'यह कोई अपराध नहीं है, मित्रों; यह कोई अपराध नहीं है।'

मैं निर्दोष हूँ; मैंने कोई अपराध नहीं किया है; मुझे निष्कासित नहीं किया गया है; जिस दंड से मुझे निष्कासित किया गया है वह गैरकानूनी, आपत्तिजनक और अमान्य है। धम्म और विनय के अनुसार, आदरणीय लोग मेरे पक्षधर बनें।

इस प्रकार उस भिक्षु ने अपने साथियों और मित्रों को भिक्षुओं के बीच अपने पक्ष में कर लिया।

और उन्होंने समस्त देश के भिक्षुओं में अपने साथियों और मित्रों के पास एक दूत भेजा (इस संदेश के साथ): 'यह कोई अपराध नहीं है, मित्रों; यह कोई अपराध नहीं है (आदि, आगे तक)। आदरणीय भिक्षु धम्म और विनय के अनुसार मेरे समर्थक बनें।'

इस प्रकार उस भिक्षु ने पूरे देश के भिक्षुओं में से अपने साथियों और मित्रों को भी अपने पक्ष में कर लिया।

3. अब वे भिक्षु जो निष्कासित भिक्षु के समर्थक थे, उस स्थान पर गए जहाँ उसे निष्कासित करने वाले थे। उनके पास पहुँचकर उन्होंने निष्कासित भिक्षुओं से कहा, "यह कोई अपराध नहीं है, मित्रों; यह कोई अपराध नहीं है। यह भिक्षु निर्दोष है; यह भिक्षु किसी अपराध का दोषी नहीं है। यह भिक्षु निष्कासित नहीं है; इस भिक्षु को निष्कासित नहीं किया गया है। जिस दंड से इसे निष्कासित किया गया है वह गैरकानूनी, आपत्तिजनक और अमान्य है।"

जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उस भिक्षु को निष्कासित करने वाले भिक्षुओं ने निष्कासित भिक्षु के समर्थकों से कहा: 'यह अपराध है, मित्रों; यह कोई मामूली अपराध नहीं है। यह भिक्षु अपराधी है; यह भिक्षु निर्दोष नहीं है। यह भिक्षु निष्कासित है; यह भिक्षु निष्कासित नहीं है। जिस दंड से इसे निष्कासित किया गया है, वह उचित, निर्विवाद और वैध है। हे पूज्यजनों, इस निष्कासित भिक्षु का पक्ष न लें; उसका अनुसरण न करें।'

लेकिन निष्कासित भिक्षु के समर्थकों ने, यद्यपि उन्हें निष्कासित करने वाले भिक्षुओं ने उनसे ऐसा कहा था, फिर भी उस निष्कासित भिक्षु का पक्ष लेते हुए उसका अनुसरण किया।

4. एक भिक्षु उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके वह उनके निकट बैठ गया। उनके निकट बैठकर उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, एक भिक्षु ने एक अपराध किया है जिसे वह अपराध मानते हैं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1-3 में आगे बताया गया है)। परन्तु हे प्रभु, निष्कासित भिक्षु के समर्थकों ने, यद्यपि निष्कासित भिक्षुओं ने उन्हें ऐसा कहा था, फिर भी उस निष्कासित भिक्षु का पक्ष लिया और उसका अनुसरण किया।'

5. तब भगवान बुद्ध ने कहा: 'भिक्षु संघ विभाजित हो गया है! भिक्षु संघ विभाजित हो गया है!' और वे अपने आसन से उठकर उन भिक्षुओं के पास गए जिन्होंने निष्कासन का फैसला सुनाया था। उनके पास पहुँचकर वे उस आसन पर बैठ गए जो उन्होंने तैयार किया था। वहाँ बैठकर भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु के निष्कासन का फैसला सुनाने वाले भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, यह मत सोचो कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भिक्षु को यह कहकर निष्कासित कर दो कि "ऐसा करना हमारे मन में आया; ऐसा करना हमारे मन में आया।"'

6. हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसे वह स्वयं अपराध न मानता हो, जबकि अन्य भिक्षु उसे अपराध मानते हों—यदि हे भिक्षुओं, वे भिक्षु उस भिक्षु के विषय में यह जानते हों: "यह आदरणीय भाई विद्वान हैं; उन्होंने आगमों का अध्ययन किया है; वे धम्म, विनय, मतिका के ज्ञाता हैं; वे बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और प्रशिक्षण के प्रति सजग हैं। यदि हम उस भिक्षु को उस अपराध को न देखने के कारण निष्कासित कर दें, और उस भिक्षु के साथ उपोसथ न करें, बल्कि उसके बिना उपोसथ करें, तो यह बात संघ में कलह, विवाद, मतभेद, झगड़े, विभाजन, फूट, वियोग और फूट का कारण बनेगी,"—तो हे भिक्षुओं, ऐसे भिक्षुओं को, जो इस प्रकार के अपराध का कारण बनने से भयभीत हों, संघ में कलह, कलह, मतभेद, विभाजन, फूट और विभाजन का कारण बनना चाहिए। उस भिक्षु के अपराध को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण, उसके निष्कासन की घोषणा न की जाए।

7. 'यदि हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु ने (आदि, ऊपर दिए गए अनुसार, नीचे तक) अपराध किया हो।' क्या हमें उस भिक्षु को उस अपराध को देखने से इनकार करने के लिए निष्कासित कर देना चाहिए, और क्या हमें उस भिक्षु के साथ पवाराना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बिना पवाराना करना चाहिए, और उस भिक्षु के साथ आधिकारिक कार्य नहीं करने चाहिए, बल्कि उसके बिना आधिकारिक कार्य करने चाहिए, और उस भिक्षु के साथ अपनी सीटों पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसके बिना अपनी सीटों पर बैठना चाहिए, और उस भिक्षु के साथ चावल का दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि उसके बिना चावल का दूध पीना चाहिए, और उस भिक्षु के साथ भोजन कक्ष में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसके बिना भोजन कक्ष में बैठना चाहिए, और उस भिक्षु के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके बिना एक छत के नीचे रहना चाहिए, और उस भिक्षु के साथ वरिष्ठता के अनुसार एक दूसरे को आदरपूर्वक प्रणाम करने, अपनी सीटों से उठने, एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ने और सभी उचित कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बिना करना चाहिए? वरिष्ठता, कर्तव्य आदि—यह मामला संघ में विवाद का कारण बनेगा (जैसा कि अनुच्छेद 6 में अंत तक बताया गया है)।

8. और भगवान बुद्ध ने निष्कासन का फैसला सुनाने वाले भिक्षुओं से इस प्रकार बात करने के बाद, अपने आसन से उठकर निष्कासित भिक्षु के समर्थकों के पास गए। उनके पास पहुँचकर वे उनके द्वारा तैयार किए गए आसन पर बैठ गए। वहाँ बैठकर भगवान बुद्ध ने निष्कासित भिक्षु के समर्थकों से कहा: 'हे भिक्षुओं, यह मत सोचो कि यदि तुमने कोई अपराध किया है, तो तुम्हें उस अपराध के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, (अपने मन में यह कहते हुए): "हम निर्दोष हैं।"' हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसे वह स्वयं अपराध न मानता हो, जबकि अन्य भिक्षु उसे अपराध मानते हों—यदि, हे भिक्षुओं, वह भिक्षु अन्य भिक्षुओं के विषय में यह जानता हो: "ये पूजनीय भाई विद्वान हैं (आदि, आगे तक): प्रशिक्षण के लिए उत्सुक हैं। यह असंभव है कि वे मेरे कारण, या किसी अन्य के कारण, लालसा, द्वेष, भ्रम, भय में लिप्त हो जाएँ। यदि ये भिक्षु उस अपराध को न देखने के कारण मुझे संघ से निष्कासित कर दें, और मेरे साथ उपोसथ न करें, बल्कि मेरे बिना उपोसथ करें, और मेरे साथ पवारण न करें, बल्कि मेरे बिना पवारण करें (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 7 में है), तो यह मामला संघ में फूट का कारण बनेगा,"—ऐसी स्थिति में, हे भिक्षुओं, उस भिक्षु को फूट उत्पन्न करने के भय से, अपने भाइयों के अधिकार पर उस अपराध को स्वीकार करो।' और भगवान बुद्ध ने निष्कासित भिक्षु के समर्थकों से इस प्रकार कहकर अपने आसन से उठकर चले गए।

9. उस समय निष्कासित भिक्षु के समर्थक भिक्षुओं ने उपोसथ को पकड़कर सीमा के भीतर उसी स्थान पर आधिकारिक कार्य किए। वहीं दूसरी ओर, जिन भिक्षुओं ने उसे निष्कासित किया था, वे सीमा के बाहर गए और वहाँ उपोसथ को पकड़कर आधिकारिक कार्य किए।

अब उस भिक्षु को निष्कासित करने वालों में से एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गया; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वह उनके निकट बैठ गया। उनके निकट बैठे हुए उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, उस निष्कासित भिक्षु के पक्षधर भिक्षु उसी स्थान पर, सीमा के भीतर, उपोसथ धारण करते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं। दूसरी ओर, हम, जिन्होंने उसे निष्कासित किया है, सीमा के बाहर जाकर वहाँ उपोसथ धारण करते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं।"

(बुद्ध ने उत्तर दिया): 'हे भिक्षु, यदि वे भिक्षु, जो उस निष्कासित भिक्षु के पक्षधर हैं, उसी स्थान पर, सीमा के भीतर, मेरे द्वारा निर्धारित नत्ती और अनुसवना के नियमों के अनुसार उपोसथा धारण करें और आधिकारिक कार्य करें, तो उनके द्वारा किए गए ये आधिकारिक कार्य वैध, निर्विवाद और मान्य होंगे। और यदि आप, हे भिक्षुओं, जिन्होंने उस भिक्षु को निष्कासित किया है, उसी स्थान पर, सीमा के भीतर (आदि, नीचे तक): उपोसथा धारण करें और आधिकारिक कार्य करें, तो वे वैध होंगे।'

10. 'और ऐसा क्यों है? ये भिक्षु उस संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं जिससे आप संबंधित हैं, और आप उस संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं जिससे वे संबंधित हैं।'

हे भिक्षु, दो स्थितियाँ हैं जिनमें एक भिक्षु (यद्यपि वह एक ही सीमा के भीतर रहता हो) दूसरे संप्रदाय का माना जाता है: या तो वह स्वयं किसी दूसरे संप्रदाय का सदस्य बन जाता है, या संघ की पूर्ण सभा उसके द्वारा स्वयं किए गए अपराध को देखने, प्रायश्चित करने या किसी झूठे सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने पर उसे निष्कासित कर देती है। हे भिक्षु, ये दो स्थितियाँ हैं जिनमें एक भिक्षु को दूसरे संप्रदाय का माना जाता है।

हे भिक्षु, दो स्थितियाँ हैं जिनमें एक भिक्षु (उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक का) उसी समुदाय (उसी सीमा के भीतर अपने भाइयों के साथ) का पुनः सदस्य बन जाता है; या तो वह स्वयं उस समुदाय का पुनः सदस्य बन जाता है, या संघ, उसे किसी अपराध को देखने से इनकार करने, प्रायश्चित करने से इनकार करने, या किसी झूठे सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने के कारण निष्कासित करने के बाद, उसे पूर्ण समुदाय में पुनः शामिल कर लेता है। हे भिक्षु, ये दो स्थितियाँ हैं जिनमें एक भिक्षु उसी समुदाय का पुनः सदस्य बन जाता है।

<<<< पिछला(9.7) | अगला(10.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> दसवाँ खंडक >> 10.2

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.1) | अगला (10.3) >>>>

महावग्गा

दसवां खंडका (संघ के बीच मतभेद)

अध्याय दो।

1. उस समय भिक्षुओं के बीच, जिनके बीच भोजन कक्ष में और घरों के बीच कहासुनी, विवाद और झगड़े उत्पन्न हो गए थे, उन्होंने हावभाव और शब्दों में एक-दूसरे के प्रति अनुचित व्यवहार किया और मारपीट करने लगे।

लोग नाराज़ हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए (कहते हुए), 'ये शाक्यपुत्रीय भिक्षु कैसे ऐसा कर सकते हैं, जब उनके बीच कहा-सुनी, विवाद और झगड़े हुए हैं, और वे मारपीट तक पहुँच गए हैं?' कुछ भिक्षुओं ने उन नाराज़, बड़बड़ाते और क्रोधित लोगों को सुना। संयमी भिक्षु भी नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित हो गए (कहते हुए), 'भिक्षु कैसे ऐसा कर सकते हैं, जब उनके बीच कहा-सुनी हुई है?'

इन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, हे भिक्षुओं, इत्यादि?'

'यह सच है, प्रभु।'

उन्हें फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'हे भिक्षुओं, जब संघ में फूट पड़ गई हो, और भिक्षुओं के बीच अनैतिक आचरण और शत्रुता व्याप्त हो, तब तुम्हें अपने-अपने स्थानों पर (अलग-अलग) बैठकर मन ही मन कहना चाहिए: "कम से कम हम एक-दूसरे के प्रति हावभाव या शब्दों में अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, और आपस में हाथापाई नहीं करेंगे।" हे भिक्षुओं, जब संघ में फूट पड़ गई हो, और भिक्षुओं के बीच उचित आचरण और मित्रता व्याप्त हो, तब तुम एक-एक करके दोनों ओर से (एक साथ) बैठ सकते हो।'

उस समय भिक्षुओं के बीच मतभेद, विवाद और झगड़े उत्पन्न हो गए थे, और वे सभाओं में एक-दूसरे को तीखे शब्दों से आहत करते थे, और उस प्रश्न का समाधान करने में असमर्थ थे।

फिर एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट खड़े हो गए। उनके पास खड़े होकर उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, जिन भिक्षुओं के बीच कलह, विवाद और झगड़े उत्पन्न हो गए हैं, वे सभाओं में एक-दूसरे को कटु शब्दों से आहत करते हैं और इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते। हे प्रभु, कृपा करके भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं के पास करुणावश जाएँ।"

और भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की।

तब भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं के पास गए; उनके पास पहुँचकर वे उस आसन पर बैठ गए जो उन्होंने तैयार किया था। वहाँ बैठकर भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'बस करो, हे भिक्षुओं, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलह नहीं!'

जब उन्होंने ऐसा कहा, तो गलत पक्ष के अनुयायी एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, सत्य के राजा भगवान बुद्ध धैर्य रखें! हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस जीवन में प्राप्त आनंद का शांतिपूर्वक आनंद लें! इन विवादों, कलह, इस फूट और झगड़े की जिम्मेदारी केवल हमारी ही है।"

और दूसरी बार भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: 'बस करो, हे भिक्षुओं, इत्यादि।' और दूसरी बार उस भिक्षु ने, जो गलत पक्ष में था, भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध, इत्यादि।' तब भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से इस प्रकार कहा:

3. हे भिक्षुओं, पुराने समय में बनारस में काशी का एक राजा रहता था, जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। वह धनी, धनी, राजस्वी, सेना और वाहनों से संपन्न एक विशाल राज्य का स्वामी था, जिसके खजाने और भंडारगृह भरे हुए थे। वहीं कोसल का एक राजा भी था, जिसका नाम दिघीति था। वह धनी नहीं था, धनी, राजस्वी, सेना और वाहनों से रहित एक छोटे राज्य का स्वामी था, जिसके खजाने और भंडारगृह खाली थे।

'और हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने अपनी सेना की चारों टुकड़ियों को पंक्तिबद्ध करके कोसल के राजा दिघिति से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया।'

कोसल के राजा दिघिति ने हे भिक्षुओं, यह सुना: "काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने अपनी सेना की चारों टुकड़ियों को तैयार करके मुझसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं।" तब कोसल के राजा दिघिति ने सोचा, हे भिक्षुओं: "काशी के राजा ब्रह्मदत्त धनी और समृद्ध हैं; और मैं धनहीन और गरीब हूँ। मैं काशी के राजा ब्रह्मदत्त के एक आक्रमण का भी सामना नहीं कर सकता। यदि मैं पहले ही नगर छोड़कर भाग जाऊँ तो क्या होगा?"

'और कोसल के राजा दिघिति, हे भिक्षुओं, अपनी रानी को साथ लेकर नगर से पहले ही भाग गए थे।'

तब काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने, हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति की सेनाओं और वाहनों, राज्य, खजानों और भंडारगृहों पर विजय प्राप्त की और उन पर अधिकार कर लिया।

हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति अपनी पत्नी के साथ बनारस के लिए निकले। स्थान-स्थान भटकते हुए वे बनारस पहुँचे, और हे भिक्षुओं, बनारस में कोसल के राजा दिघिति अपनी पत्नी के साथ नगर के निकट एक स्थान पर कुम्हार के घर में एक घुमंतू तपस्वी के वेश में रहने लगे।

4. हे भिक्षुओं, कुछ ही समय बाद कोसल के राजा दिघिति की रानी गर्भवती हो गई। उसे गर्भवती स्त्रियों की तीव्र इच्छा हुई; और सूर्योदय के समय उसने शुभ भूमि पर कवचधारी, चार सेनाओं से सुसज्जित सेना को देखने और तलवारों को धोने वाले जल को पीने की इच्छा की।

और हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति की रानी ने कोसल के राजा दिघिति से कहा: "हे प्रभु, मैं गर्भवती हूँ और मुझे गर्भाधान की तीव्र इच्छा हो रही है; और सूर्योदय के समय, आदि।"

(राजा ने उत्तर दिया): "हे रानी, हम जैसे संकटग्रस्त लोगों के लिए, कवचधारी, सुसज्जित, शुभ भूमि पर खड़ी, और तलवारों को धोने वाले जल से युक्त, चार सेनाओं वाली सेना कहाँ से आएगी?"

(रानी ने कहा): "यदि मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ, हे स्वामी, तो मैं मर जाऊंगी।"

5. हे भिक्षुओं, उस समय काशी के राजा ब्रह्मदत्त के गृहस्थी पुरोहित ब्राह्मण, कोसल के राजा दिघिति के मित्र थे। हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति उस स्थान पर गए जहाँ काशी के राजा ब्रह्मदत्त के गृहस्थी पुरोहित ब्राह्मण थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के गृहस्थी पुरोहित ब्राह्मण से कहा: "मेरी प्रियतम, आपकी सहेली गर्भवती है, और उसे गर्भ धारण करने की तीव्र इच्छा हो रही है; और वह (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है)"

(ब्राह्मण ने उत्तर दिया): "अच्छा, हे राजा, चलिए रानी को भी देख लेते हैं।"

'फिर, हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति की रानी उस स्थान पर गईं जहाँ राजा ब्रह्मदत्त के गृहस्थ पुरोहित ब्राह्मण उपस्थित थे।'

काशी में, हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त के गृहस्थ पुरोहित उस ब्राह्मण ने कोसल के राजा दिघिति की रानी को दूर से आते देखा। उन्हें देखते ही वह अपने आसन से उठे, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार समायोजित किया कि एक कंधा ढक जाए, अपने हाथ जोड़कर कोसल के राजा दिघिति की रानी की ओर तीन बार यह उद्घोषणा की: "यद्यपि कोसल का राजा तुम्हारे गर्भ में निवास करता है! निश्चय ही कोसल का राजा तुम्हारे गर्भ में निवास करता है!" (और आगे उन्होंने कहा): "हे रानी, निराश मत हो, सूर्योदय के समय तुम्हें चार सेनाओं वाली, कवचधारी, शुभ भूमि पर खड़ी सेना के दर्शन होंगे, और तुम्हें तलवारों को धोने वाले जल का पान प्राप्त होगा।"

6. हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त के गृहस्थ पुरोहित ब्राह्मण, काशी के राजा ब्रह्मदत्त के पास गए। उनके पास पहुँचकर उन्होंने काशी के राजा ब्रह्मदत्त से कहा, "हे प्रभु, जो संकेत प्रकट हो रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि कल सूर्योदय के समय, चार सेनाओं वाली एक सेना, कवचधारी होकर, शुभ भूमि पर डेरा डालेगी और तलवारें धोई जाएंगी।"

तब, हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने अपने सेवकों को आदेश दिया: "मेरे मित्रों, मेरे गृहस्थ पुजारी ब्राह्मण जो तुमसे कहें, वही करो।"

'इस प्रकार, हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति की रानी ने सूर्योदय आदि के दर्शन प्राप्त किए और उस जल का सेवन किया जिसमें तलवारें धोई गई थीं।'

और, हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति की रानी ने जब अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को परिपक्व होते देखा, तो एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा

उसे दिघावु ("लोंगेवल") कहा गया। और हे भिक्षुओं, शीघ्र ही युवा दिघावु विवेकशील हो गया।

7. हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति ने सोचा, "काशी के इस राजा ब्रह्मदत्त ने हमें बहुत हानि पहुँचाई है। उसने हमारे सैनिकों और वाहनों, हमारे राज्य, हमारे खजाने और भंडारगृहों को लूट लिया है। यदि वह हमें यहाँ पा ले, तो वह हम तीनों को मरवा देगा। यदि मैं युवा दिघवु को नगर के बाहर ठहरा दूँ तो क्या होगा?"

तब कोसल के राजा दिघिति ने, हे भिक्षुओं, युवा दिघवु को नगर के बाहर रहने के लिए कहा। और हे भिक्षुओं, नगर के बाहर रहते हुए युवा दिघवु ने शीघ्र ही सभी कलाएँ सीख लीं।

8. हे भिक्षुओं, उस समय कोसल के राजा दिघिति का नाई काशी के राजा ब्रह्मदत्त के दरबार में रहता था। हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति के इस नाई ने कोसल के राजा दिघिति को अपनी पत्नी के साथ बनारस में, नगर के पास एक कुम्हार के घर में, एक घुमंतू तपस्वी के वेश में रहते हुए देखा। जब उसने उन्हें देखा, तो वह उस स्थान पर गया जहाँ काशी के राजा ब्रह्मदत्त थे, और उनके पास पहुँचकर उसने काशी के राजा ब्रह्मदत्त से कहा, "महाराज, कोसल के राजा दिघिति अपनी पत्नी के साथ बनारस में, नगर के पास एक कुम्हार के घर में, एक घुमंतू तपस्वी के वेश में रहते हैं।"

9. तब, हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने अपने सेवकों को आदेश दिया: "ठीक है, मेरे मित्रों, कोसल के राजा दिघिति और उनकी पत्नी को मेरे सामने लाओ।"

और हे भिक्षुओं, उन लोगों ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के इस आदेश को यह कहकर स्वीकार किया,

"जी महाराज," और उन्होंने कोसल के राजा दिघीति और उनकी पत्नी को उनके सामने पेश किया।

तब, हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने अपने सेवकों को आदेश दिया: "हे मेरे मित्रों, कोसल के राजा दिघिति और उनकी पत्नी को मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दो, उनके हाथ उनकी पीठ से बांध दो, उनके बाल मुंडवा दो, ढोल की तेज थाप के साथ उन्हें एक सड़क से दूसरी सड़क और एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक घुमाओ, फिर उन्हें दक्षिणी द्वार से शहर से बाहर ले जाओ, शहर के दक्षिण में उनके चार टुकड़े कर दो, और उन टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दो।"

और हे भिक्षुओं, उन लोगों ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के इस आदेश को "जी महाराज" कहकर स्वीकार किया, और कोसल के राजा दिघिति और उनकी पत्नी को मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया, उनके हाथ उनकी पीठ से बांध दिए, उनके बाल मुंडवा दिए, और ढोल की तेज थाप के साथ उन्हें एक सड़क से दूसरी सड़क और एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक घुमाया।

10. हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने सोचा, "मैंने बहुत समय से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। क्या होगा यदि मैं जाकर अपने माता-पिता को देख लूँ?" और हे भिक्षुओं, युवा दिघावु बनारस में प्रवेश किया और उसने अपने माता-पिता को मजबूत रस्सियों से कसकर बंधे हुए, उनकी भुजाएँ पीठ से बंधी हुई, मुंडे हुए, और ढोल की तेज़ थाप के साथ एक गली से दूसरी गली और एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह अपने माता-पिता के पास गया।

कोसल के राजा दिघिति ने, हे भिक्षुओं, दूर से युवा दिघवु को आते देखा; युवा दिघवु को देखकर उन्होंने उससे कहा: "हे मेरे प्रिय दिघवु, न अधिक देर तक देखो, न ही कम देर तक देखो। क्योंकि हे मेरे प्रिय दिघवु, घृणा से घृणा शांत नहीं होती; हे मेरे प्रिय दिघवु, घृणा का निर्वाह करने से घृणा शांत होती है।"

11. "हे भिक्षुओं, जब उन्होंने ऐसा कहा, तो लोगों ने कोसल के राजा दिघिति से कहा, 'कोसल का यह राजा दिघिति पागल है और बड़बड़ाता है। इस दिघ्वु से उसका क्या लेना-देना है? वह कौन है जिससे वह कहता है: देर तक मत देखो, इत्यादि?'" (दिघिति ने उत्तर दिया): "हे मेरे मित्रों, मैं पागल नहीं हूँ, न ही मैं बड़बड़ाता हूँ। जो बुद्धिमान है वह इसे समझ जाएगा।"

और दूसरी बार, इत्यादि। और तीसरी बार, हे भिक्षुओं, कोसल के राजा दिघिति ने युवा दिघावु से कहा, इत्यादि। और तीसरी बार लोगों ने कहा (आदि, नीचे तक): "जो चतुर है वह इसे समझ जाएगा।"

'फिर हे भिक्षुओं, उन लोगों ने कोसल के राजा दिघिति और उनकी पत्नी को एक मार्ग से दूसरे मार्ग और एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक घुमाया, उन्हें दक्षिणी द्वार से शहर से बाहर निकाला, शहर के दक्षिण में उनके चार टुकड़े किए, टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दिया, वहां सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की और चले गए।'

12. हे भिक्षुओं, तब युवा दिघावु बनारस गया, वहाँ से उसने मादक पेय लिया और उन सैनिकों को पिलाया। जब वे नशे में चूर होकर गिर पड़े, तो उसने (दोनों शवों के) टुकड़े इकट्ठा किए, चिता बनाई, अपने पिता और माता के शवों को उस चिता पर रखा, उसे आग लगा दी और हाथ जोड़कर तीन बार चिता की परिक्रमा की।

हे भिक्षुओं, उस समय काशी के राजा ब्रह्मदत्त अपने भव्य महल की छत पर चढ़ गए थे। हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने युवा दिघावु को देखा, जो हाथ जोड़कर चिता की तीन परिक्रमा कर रहा था। यह देखकर उन्होंने सोचा, "निःसंदेह यह व्यक्ति कोसल के राजा दिघिति का कोई रिश्तेदार या संबंधी है। हाय, मेरा दुर्भाग्य है कि कोई मुझे इसका अर्थ नहीं बता रहा है!"

13. हे भिक्षुओं, युवा दिघावु वन में गया। वहाँ वह जी भर रोया। फिर उसने अपने आँसू पोंछे, बनारस नगर में प्रवेश किया, राजमहल के पास स्थित हाथी के अस्तबल में गया और हाथी प्रशिक्षक से कहा: "हे गुरु, मैं आपकी कला सीखना चाहता हूँ।"

"अच्छा, मेरे प्यारे नौजवान, इसे सीख लो।"

हे भिक्षुओं, युवा दिघावु रात में, भोर के समय उठे और हाथी के अस्तबल में मधुर स्वर में गीत गाते और वीणा बजाते रहे। हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने रात में, भोर के समय उठकर हाथी के अस्तबल में उस मधुर गायन और वीणा की ध्वनि सुनी। यह सुनकर उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, "हे मेरे मित्रों, रात में, भोर के समय कौन उठा है और हाथी के अस्तबल में इतने मधुर स्वर में गीत गा रहा है और वीणा बजा रहा है?"

14. (परिचारकों ने उत्तर दिया): "महाराज, फलां हाथी प्रशिक्षक का एक युवा शिष्य रात में, भोर में उठा और उसने हाथी के अस्तबल में बहुत ही सुंदर स्वर में गीत गाया और वीणा बजाई।"

(राजा ने कहा): "ठीक है, मेरे मित्रों, उस युवक को मेरे पास लाओ।"

'हे भिक्षुओं, उन लोगों ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के उस आदेश को "जी महाराज" कहकर स्वीकार किया और युवा दिघावु को उनके पास ले आए।'

"क्या तुम ही हो, मेरे भले नौजवान, जो रात में उठे हो, इत्यादि?"

"जी हां, महाराज।"

"अच्छा, मेरे प्यारे नौजवान, मेरे सामने गाओ और वीणा बजाओ।"

'हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के इस आदेश को "जी महाराज" कहकर स्वीकार किया और राजा की कृपा पाने के लिए उसने सुरीली आवाज में गीत गाए और वीणा बजाई।'

और काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने, हे भिक्षुओं, युवा दिघावु से कहा: "मेरे भले युवक, मेरे सेवक बनो।"

हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के इस आदेश को "जी महाराज" कहकर स्वीकार किया। हे भिक्षुओं, युवा दिघावु काशी के राजा ब्रह्मदत्त का सेवक बन गया; वह उनके सामने उठता, उनके पीछे लेटता, उनकी सभी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करता, उनके आचरण में प्रसन्नता और उनके वचनों में मधुरता का प्रयोग करता। हे भिक्षुओं, शीघ्र ही काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने युवा दिघावु को घनिष्ठ विश्वास का पद प्रदान किया।

15. हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने युवा दिघावु से कहा, "हे मेरे मित्र, रथ में घोड़े लगाओ; हम शिकार पर चलते हैं।" हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त का यह आदेश स्वीकार करते हुए कहा, "जी महाराज," और रथ में घोड़े लगाकर काशी के राजा ब्रह्मदत्त से कहा, "महाराज, आपके रथ में घोड़े लगा दिए गए हैं; अब आप जो चाहें कर सकते हैं।"

'हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त रथ पर सवार हुए, और युवा दिघावु ने रथ चलाया: और उसने रथ को इस प्रकार चलाया कि राजकक्ष एक दिशा में गया और रथ दूसरी दिशा में चला गया।'

और लंबी यात्रा के बाद, हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने युवा दिघावु से कहा: "अच्छा, मेरे युवा मित्र, अब रथ रोक दो। मैं थक गया हूँ; मैं लेटना चाहता हूँ।"

हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त का यह आदेश स्वीकार करते हुए कहा, "जी महाराज," और रथ रोककर पालथी मारकर जमीन पर बैठ गए। हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त भी युवा दिघावु की गोद में सिर रखकर लेट गए; और थकान के कारण वे पल भर में सो गए।

16. हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने सोचा, "काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने हमें बहुत हानि पहुँचाई है। उसने हमारे सैनिकों और वाहनों, हमारे राज्य, हमारे खजाने और भंडारगृहों को लूट लिया है। उसने मेरे माता-पिता को मार डाला है। अब समय आ गया है कि मैं अपने क्रोध को शांत करूँ।" (ऐसा सोचते हुए) उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। फिर, हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने सोचा, "मेरे पिता ने अपनी मृत्यु के समय मुझसे कहा था: 'हे मेरे प्रिय दिघावु, देर तक मत देखो, न ही जल्दी देखो। क्योंकि हे मेरे प्रिय दिघावु, क्रोध घृणा से शांत नहीं होता; हे मेरे प्रिय दिघावु, घृणा का निर्वाह करने से ही क्रोध शांत होता है।' अपने पिता के वचन का उल्लंघन करना मुझे उचित नहीं होगा।" (ऐसा सोचते हुए) उसने अपनी तलवार रख दी।

और दूसरी बार... और तीसरी बार युवा दिघावु ने सोचा, हे भिक्षुओं: "काशी के इस राजा ब्रह्मदत्त ने हमें बहुत हानि पहुँचाई है" (आदि, नीचे तक:)--(ऐसा सोचते हुए) उसने अपनी तलवार रख दी।

हे भिक्षुओं, उसी क्षण काशी के राजा ब्रह्मदत्त भयभीत, आतंकित, व्यथित और घबराए हुए अचानक उठ खड़े हुए।

और हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने राजा से कहा

काशी के ब्रह्मदत्त ने पूछा, "हे राजा, आप अचानक भयभीत, आतंकित, व्यथित और घबराए हुए क्यों उठ खड़े हुए हैं?"

(राजा ने उत्तर दिया): "मेरे युवा मित्र, मैंने स्वप्न देखा कि कोसल के राजा दिघिति के पुत्र युवा दिघावु अपनी तलवार लेकर मुझ पर आक्रमण करने आए; इसलिए मैं अचानक भयभीत, आतंकित, व्यथित और चिंतित होकर उठ खड़ा हुआ हूँ।"

17. तब, हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के सिर को अपने बाएं हाथ से सहलाते हुए और अपने दाहिने हाथ से तलवार निकालते हुए काशी के राजा ब्रह्मदत्त से कहा, "हे राजा, मैं वही युवा दिघावु हूँ, जो कोसल के राजा दिघिति का पुत्र हूँ। आपने हमें बहुत हानि पहुँचाई है। आपने हमारे सैनिकों और वाहनों, हमारे राज्य, हमारे खजाने और भंडारगृहों को लूट लिया है। और आपने मेरे माता-पिता को मार डाला है। अब समय आ गया है कि मैं अपने प्रतिशोध को शांत करूँ।"

तब, हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त युवा दिघावु के सामने गिर पड़े, उनके चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा: "हे मेरे प्रिय दिघावु, मुझे मेरा जीवनदान दे! हे मेरे प्रिय दिघावु, मुझे मेरा जीवनदान दे!"

"हे राजा, मैं आपको आपका जीवन कैसे प्रदान कर सकता हूँ? हे राजा, यह तो आप ही हैं जो मुझे मेरा जीवन प्रदान करें!"

"अच्छा, मेरे प्रिय दिघावु, तो मुझे मेरा जीवनदान दे दो, और मैं तुम्हें तुम्हारा जीवनदान दे दूंगा।"

इस प्रकार, हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त और युवा दिघावु ने एक दूसरे को अपने प्राणों का बलिदान दिया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर शपथ ली कि वे एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे।

और काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने, हे भिक्षुओं, युवा दिघावु से कहा: "अच्छा, मेरे प्रिय दिघावु, अब रथ में घोड़े लगाओ; हम चलेंगे।"

और हे भिक्षुओं, युवा दिघावु ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त के इस आदेश को स्वीकार करते हुए कहा, "जी महाराज," और रथ में घोड़े लगा दिए, और काशी के राजा ब्रह्मदत्त से कहा: "हे महाराज, आपके रथ में घोड़े लगा दिए गए हैं; अब आप जो चाहें कर सकते हैं।"

'हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त रथ पर सवार हुए, और युवा दिघावु ने रथ चलाया; और उसने रथ को इस प्रकार चलाया कि वे शीघ्र ही राजकक्षों के पास पहुँच गए।'

18. हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने बनारस में प्रवेश करके अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा: "हे सज्जनों, यदि आप कोसल के राजा दिघिति के पुत्र युवा दिघवु को देख लें, तो आप उसके साथ क्या करेंगे?"

कुछ मंत्रियों ने उत्तर दिया: "महाराज, हम उसके हाथ काट देंगे;" (अन्य ने कहा): "हम उसके पैर काट देंगे"--"हम उसके हाथ और पैर काट देंगे"--"हम उसके कान काट देंगे"--"हम उसकी नाक काट देंगे"--"हम उसके कान और नाक काट देंगे"--"हम उसका सिर काट देंगे।"

"यह युवा दिघावु है, श्रीमान, कोसल के राजा दिघिति का पुत्र। उसके साथ कुछ भी करना मना है; उसने मुझे मेरा जीवनदान दिया है, और मैंने उसे उसका जीवनदान दिया है।"

19. हे भिक्षुओं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने युवा दिघावु से कहा, "मृत्यु के समय तुम्हारे पिता ने तुमसे क्यों कहा था: 'देर तक मत देखना, इत्यादि' - तुम्हारे पिता का इससे क्या तात्पर्य था?"

'मेरे पिता ने अपनी मृत्यु के समय जो कहा, हे राजा, 'अधिक समय तक नहीं'—(अर्थ): 'अपनी घृणा को अधिक समय तक न चलने दो;' मेरे पिता का यही अर्थ था जब उन्होंने अपनी मृत्यु के समय कहा: 'अधिक समय तक नहीं।'

हे राजा, मेरे पिता ने अपनी मृत्यु के समय जो कहा: 'जल्दी मत करो'—(अर्थ): 'अपने मित्रों से जल्दी झगड़ा मत करो;' मृत्यु के समय 'जल्दी मत करो' कहकर मेरे पिता का यही अर्थ था। और हे राजा, मेरे पिता ने अपनी मृत्यु के समय जो कहा: 'हे मेरे प्रिय दिघावु, घृणा से घृणा शांत नहीं होती; हे मेरे प्रिय दिघावु, घृणा का निर्वाह करने से घृणा शांत होती है'—(अर्थ यह है): 'हे राजा, तुमने मेरे माता-पिता को मार डाला है। इसलिए, हे राजा, यदि मैं तुम्हें जीवन से वंचित कर दूँ, तो हे राजा, तुम्हारे समर्थक मुझे जीवन से वंचित कर देंगे; फिर मेरे समर्थक उन्हें जीवन से वंचित कर देंगे। इस प्रकार घृणा से वह घृणा शांत नहीं होगी। परन्तु अब, हे राजा, तुमने मुझे जीवनदान दिया है, और मैंने, हे राजा, तुम्हें जीवनदान दिया है; इस प्रकार घृणा का निर्वाह करने से घृणा शांत हो गई है।' मेरे पिता ने अपनी मृत्यु के समय जो कहा था, उसका यही अर्थ था: 'घृणा आदि के कारण नहीं।'

20. हे भिक्षुओं, तब काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने सोचा, "हे अद्भुत! हे चमत्कारी! यह युवा दिघावु कितना बुद्धिमान है कि वह अपने पिता के संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण अर्थ समझ गया है," और उसने उसे उसके पिता की सेना और वाहन, उसका राज्य, उसके खजाने और भंडारगृह लौटा दिए, और उसने उसे अपनी पुत्री भी दे दी।

'हे भिक्षुओं, यदि राजदंड धारण करने वाले और तलवार चलाने वाले राजाओं में इतना धैर्य और सौम्यता होती है, तो हे भिक्षुओं, आपको भी संसार के समक्ष अपना प्रकाश इस प्रकार चमकाना चाहिए कि सुशिक्षित सिद्धांत और अनुशासन के अनुसार धर्म जीवन को अपनाने के कारण आप धैर्यवान और सौम्य दिखाई दें।'

और तीसरी बार भगवान बुद्ध ने इस प्रकार किया

उन्होंने उन भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'बस करो, हे भिक्षुओं, कोई विवाद नहीं, कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं!'

और तीसरी बार उस भिक्षु ने, जो गलत पक्ष का अनुसरण कर रहा था, भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, सत्य के राजा भगवान बुद्ध धैर्य रखें! हे प्रभु, भगवान बुद्ध इस जीवन में प्राप्त आनंद का शांतिपूर्वक आनंद लें! इन झगड़ों, कलह और कलह का उत्तरदायित्व केवल हम पर है।" और भगवान बुद्ध ने सोचा, "ये मूर्ख सचमुच पागल हैं; इन्हें उपदेश देना आसान काम नहीं है," और वे अपने आसन से उठे और चले गए।

पहले भानवर का अंत, जिसमें दिघावु की कहानी है।

<<<< पिछला (10.1) | अगला (10.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> दसवाँ खंडक >> 10.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.2) | अगला (10.4) >>>>

महावग्गा

दसवां खंडका (संघ के बीच मतभेद)

अध्याय-3.

और दोपहर के समय भगवान बुद्ध ने अपने अंतर्वस्त्र धारण करके, अपना भिक्षापात्र और कीवर उठाया और भिक्षा मांगने के लिए कोसंबी नगर में प्रवेश किया। कोसंबी में भिक्षा एकत्र करने के बाद, भोजन करने के बाद, जब वे अपनी भिक्षायात्रा से लौटे, तो उन्होंने अपने विश्राम स्थल को व्यवस्थित किया, अपना भिक्षापात्र और कीवर उठाया और सभा के बीच में खड़े होकर निम्नलिखित श्लोक कहे:

'आम लोगों का शोर बहुत बड़ा होता है। संघ में फूट पड़ने पर कोई भी खुद को मूर्ख नहीं समझता, न ही वे कभी किसी दूसरे व्यक्ति को खुद से श्रेष्ठ मानते हैं।'

'वाक्पटुता के धनी व्यक्ति के चतुर शब्द भी भ्रमित कर देते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे किसके द्वारा निर्देशित हो रहे हैं।'

"उसने मुझे अपमानित किया है, उसने मुझे पीटा है, उसने मुझ पर अत्याचार किया है, उसने मुझे लूटा है," - ऐसे विचार रखने वालों के मन में घृणा कभी शांत नहीं होगी।

"उसने मुझे अपमानित किया है, उसने मुझे पीटा है, उसने मुझ पर अत्याचार किया है, उसने मुझे लूटा है," - ऐसे विचार न रखने वालों में घृणा शांत हो जाती है।

'घृणा से घृणा शांत नहीं होती; घृणा न करने से ही घृणा शांत होती है; यह एक शाश्वत नियम है।'

'अन्य लोग यह नहीं जानते कि हमें यहां संयम बरतना चाहिए; लेकिन जो लोग यह जानते हैं, उनके झगड़े शांत हो जाते हैं।'

जिनके हड्डियां उनके शत्रुओं द्वारा तोड़ी जाती हैं, जो जीवन नष्ट करते हैं, जो गायों, घोड़ों और खजानों को लूटते हैं, जो राज्यों को तबाह करते हैं—उन्हें भी मेल-मिलाप मिल सकता है। तो तुम्हें यह क्यों नहीं मिलेगा?

यदि किसी व्यक्ति को कोई बुद्धिमान मित्र, कोई साथी मिल जाए, तो

जो व्यक्ति धार्मिक और निरंतर जीवन जीता है, वह उसके साथ चल सकता है, सभी खतरों पर विजय प्राप्त कर सकता है, प्रसन्न और सचेत रह सकता है।

'यदि उसे कोई बुद्धिमान मित्र न मिले, कोई ऐसा साथी न मिले जो धार्मिक जीवन जीता हो, कोई ऐसा स्थिर साथी न मिले, तो उसे अकेले ही चलना चाहिए, जैसे कोई राजा अपने जीते हुए राज्य को पीछे छोड़ जाता है, जैसे कोई हाथी हाथियों के जंगल में चला जाता है।'

'अकेले चलना बेहतर है; मूर्ख के साथ कोई संगति नहीं होती। मनुष्य को अकेले चलना चाहिए; उसे कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, चिंताओं से मुक्त होकर, हाथियों के जंगल में हाथी की तरह।'

<<<< पिछला (10.2) | अगला (10.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> दसवाँ खंडक >> 10.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.3) | अगला (10.5) >>>>

महावग्गा

दसवां खंडका (संघ के बीच मतभेद)

अध्याय-4.

1. और भगवान बुद्ध ने सभा के बीच में खड़े होकर इन श्लोकों का उच्चारण किया और फिर बालकलोनकारा-गामा (अर्थात्, नमक बनाने वाले के गाँव बालका) की ओर चल दिए।

उस समय पूज्य भगु बालकालोंकार-गामा में निवास करते थे। पूज्य भगु ने दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा; उन्हें देखकर उन्होंने आसन तैयार किया, उनके चरणों को धोने के लिए जल, एक पायदान और एक तौलिया लाए, उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और अपना कुंड और वस्त्र ले आए। भगवान बुद्ध उनके द्वारा तैयार किए गए आसन पर बैठ गए; और

जब वे बैठ गए, तो भगवान बुद्ध ने उनके चरण धोए। आदरणीय भागु ने भी भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। जब वे उनके पास बैठे, तो भगवान बुद्ध ने आदरणीय भागु से कहा: 'हे भिक्षु, क्या आप कुशल मंगल हैं? क्या आपकी आजीविका चल रही है? क्या आपको भोजन बिना किसी परेशानी के मिल रहा है?'

'हे प्रभु, मेरे लिए सब ठीक है; मुझे अपनी जीविका मिल जाती है, हे प्रभु; मुझे भोजन मिल जाता है, बिना किसी अधिक परेशानी के।'

और भगवान बुद्ध ने आदरणीय भगू को धम्म प्रवचन द्वारा उपदेश, प्रोत्साहन, उत्साह और प्रसन्नता प्रदान करने के बाद, अपने आसन से उठकर पूर्वी बंबू उद्यान (पकिना-वंश-दया) की ओर प्रस्थान किया।

2. उस समय पूज्य अनुराधा, पूज्य नंदीय और पूज्य किंबिला पाकिना-वंश-दया में निवास कर रहे थे। उद्यान के रखवाले ने दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा; उन्हें देखकर उसने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे समना, इस उद्यान में प्रवेश न करें; यहाँ तीन श्रेष्ठ युवक रहते हैं जो आराम और सुख के आदी हैं; आप उन्हें परेशान न करें।' पूज्य अनुराधा ने उद्यान के रखवाले की भगवान बुद्ध से कही गई बातें सुनीं; यह सुनकर उन्होंने उद्यान के रखवाले से कहा, 'हे मेरे अच्छे उद्यान के रखवाले, भगवान बुद्ध को मत रोकिए; हमारे गुरु, भगवान बुद्ध आ गए हैं।' पूज्य अनुराधा उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य नंदीय और पूज्य किंबिला थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने पूज्य नंदीय और पूज्य किंबिला से कहा, 'यहाँ आइए, मेरे पूज्य मित्रों! यहाँ आइए, मेरे पूज्य मित्रों! हमारे गुरु, भगवान बुद्ध आ गए हैं।'

3. और पूज्य अनुरुद्ध, पूज्य नंदीय और पूज्य किंबिला भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकले; एक ने कटोरा लिया और

एक ने भगवान बुद्ध का वस्त्र ओढ़ाया, दूसरे ने आसन तैयार किया, तीसरे ने उनके पैर धोने के लिए जल, एक पायदान और एक तौलिया लाया। तब भगवान बुद्ध उनके द्वारा तैयार किए गए आसन पर बैठ गए; और बैठते ही उन्होंने अपने पैर धोए। और वे सभी पूजनीय व्यक्ति भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। जब पूजनीय अनुराधा उनके पास बैठे थे, तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा:

'हे अनुरुद्धों, क्या तुम सब ठीक हो? क्या तुम्हें अपनी जीविका मिल रही है? क्या तुम्हें बिना ज्यादा परेशानी के भोजन मिल रहा है?'

'हे प्रभु, हमारे साथ सब ठीक है; हमें अपनी जीविका मिल जाती है, हे प्रभु; हमें भोजन मिल जाता है, बिना किसी अधिक परेशानी के।'

'हे अनुरुद्धों, क्या तुम एकता और सद्भाव में, बिना किसी झगड़े के, दूध और पानी की तरह (मिले हुए) रहते हो, और एक दूसरे को मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देखते हो?'

'निश्चित रूप से, प्रभु, हम एकता और सद्भाव में रहते हैं (आदि, नीचे तक): और एक दूसरे को मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देखते हैं।'

'और हे अनुरुद्धों, तुम किस प्रकार एकता और सद्भाव में रहते हो, इत्यादि?'

4. हे प्रभु, मैं सोचता हूँ: "मेरे लिए तो यही सर्वथा लाभ है, यही मेरे लिए परम आनंद है कि मैं इन जैसे भाइयों की संगति में रहूँ।" हे प्रभु, मैं इन आदरणीय भाइयों के प्रति अपने कार्यों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, मित्रता भाव प्रदर्शित करता हूँ; मैं अपने शब्दों और विचारों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, मित्रता भाव प्रदर्शित करता हूँ। और हे प्रभु, मैं यह भी सोचता हूँ: "यदि मैं अपनी इच्छा का त्याग कर केवल इन आदरणीय भाइयों की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करूँ तो क्या होगा?" हे प्रभु, मैं अपनी इच्छा का त्याग कर केवल इन आदरणीय भाइयों की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता हूँ। हे प्रभु, हमारे शरीर भिन्न हैं, परन्तु हमारे मन एक हो गए हैं।

और आदरणीय नंदिया . . . . और आदरणीय किम्बिला . . . . ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, मैं भी यही सोचता हूँ: "यह सब मेरे लिए लाभ है" (आदि, नीचे तक:) एक हो गए हैं।

'हे प्रभु, इस प्रकार हम एकता और सद्भाव में बिना किसी झगड़े के, दूध और पानी की तरह (एक साथ मिलकर) रहते हैं, और एक दूसरे को मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देखते हैं।'

5. 'हे अनुरुद्धों, क्या तुम गंभीरता, उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन व्यतीत करते हो?'

'हे प्रभु, हम निःसंदेह गंभीरता, उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन व्यतीत करते हैं।'

'और हे अनुरुद्धों, आप किस प्रकार गंभीरता, उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन व्यतीत करते हैं?'

हे प्रभु, जो सबसे पहले गाँव से, अपनी भिक्षायात्रा से लौटता है, वह बैठने की व्यवस्था करता है, पैर धोने के लिए पानी, एक पायदान और एक तौलिया लाता है, कूड़ेदान को साफ करता है और उसे तैयार रखता है, और उसमें पीने और खाने का पानी रखता है। जो गाँव से, अपनी भिक्षायात्रा से, सबसे अंत में लौटता है, वह खाता है, यदि (दूसरों के भोजन से) कुछ बचा हो और यदि वह ऐसा करना चाहे; और यदि वह ऐसा करता है

खाने की इच्छा न होने पर, वह उसे घास रहित स्थान पर फेंक देता है, या ऐसे पानी में डाल देता है जिसमें कोई जीव-जंतु न हों; आसन हटा देता है, पैर धोने का पानी, प्याला और तौलिया हटा देता है, कूड़ेदान साफ करके रख देता है, पानी और भोजन हटा देता है, और भोजन कक्ष में झाड़ू लगाता है। जो कोई पानी का बर्तन, भोजन का कटोरा या आराम करने की कुर्सी खाली देखता है, उसे (उसके उचित स्थान पर) रख देता है, और यदि वह अकेले ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह किसी और को बुलाता है, और इस प्रकार हम सब मिलकर उसे (उसके स्थान पर) रख देते हैं, परन्तु हे प्रभु, इस कारण हम एक शब्द भी नहीं बोलते। और हे प्रभु, प्रत्येक पाँच दिन में, हम पूरी रात एक साथ बैठकर धर्म प्रवचन करते हैं। इस प्रकार, हे प्रभु, हम गंभीरता, उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन व्यतीत करते हैं।

6. भगवान बुद्ध ने आदरणीय अनुरुद्ध, आदरणीय नंदीय और आदरणीय किंबिला को धर्म प्रवचन द्वारा उपदेश, प्रोत्साहन, उत्साह और प्रसन्नता प्रदान करने के बाद, अपने आसन से उठकर परिलय्यक की ओर प्रस्थान किया। स्थान-स्थान भटकते हुए वे परिलय्यक पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध परिलय्यक में, रक्खिता वन में, भद्दासला वृक्ष की तलहटी में निवास करने लगे। तब एकांत में एकांतवास में गए भगवान बुद्ध के मन में यह विचार आया: 'पहले मैं कोसंबी के उन विवादप्रिय, झगड़ालू, कलहकारी भिक्षुओं से व्याकुल रहता था, जो संघ के समक्ष निरंतर प्रश्न उठाते रहते थे।' लेकिन अब, अकेले और बिना किसी साथी के, मैं सुखपूर्वक और आराम से रहता हूँ, उन मुकदमेबाज, झगड़ालू, विवाद करने वाले कोसंबी भिक्षुओं से दूर, जो संघ के सामने लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं।' और वहाँ

एक महान हाथी भी रहता था, जो हाथियों, मादा हाथियों, हाथी के बच्चों और युवा हाथियों के झुंड से घिरा हुआ था; वह जो घास खाता था, उसके सिरे टूटे हुए होते थे; वह जो डालियाँ तोड़ता था, उन्हें दूसरे हाथी खा जाते थे; वह जो पानी पीता था, वह गंदा होता था; और जब वह नदी में उतरता और डुबकी लगाता, तो मादा हाथी आकर अपने शरीर को उससे रगड़ती थीं। अब उस महान हाथी ने सोचा: 'मैं हाथियों के झुंड से घिरा हुआ हूँ और वे अपने शरीर को मुझसे रगड़ती हैं। अगर मैं इन झुंडों से दूर, अकेला रहूँ तो क्या होगा?'

7. और वह श्रेष्ठ हाथी अपने झुंड को छोड़कर परिलय्यक में, रक्खिता वन में, भद्दसला वृक्ष के नीचे, उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर उसने अपनी सूंड से भगवान बुद्ध को जल और भोजन दिया और उस स्थान से घास हटा दी। और उस श्रेष्ठ हाथी ने सोचा:

पहले मैं हाथियों के उस झुंड से घिरा हुआ, उनके शरीरों से रगड़ खाता हुआ, चैन से नहीं रहता था। लेकिन अब, अकेला और बिना किसी साथी के, मैं उन हाथियों, मादा हाथियों, हाथी के बच्चों और युवा हाथियों से दूर, सुखपूर्वक और आराम से रहता हूँ।

तब भगवान बुद्ध ने अपने एकांतवास को ध्यान में रखते हुए और उस महान हाथी के मन में उत्पन्न विचारों को अपनी बुद्धि से समझते हुए, इस अवसर पर यह गंभीर वचन कहा:

'इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ पुरुष, हाथी के दांत जो गाड़ी के डंडों के समान हैं (और मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष)—इन दोनों का मन इस बात में सामंजस्य स्थापित करता है कि वे जंगल में एकांतवास में आनंदित होते हैं।'

<<<< पिछला (10.3) | अगला (10.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> दसवाँ खंडक >> 10.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.4) | अगला (10.6) >>>>

महावग्गा

दसवां खंडका (संघ के बीच मतभेद)

अध्याय-5.

1. भगवान बुद्ध परिलय्यक में अपनी इच्छानुसार कुछ समय निवास करने के बाद सावत्थी चले गए। स्थान-स्थान भटकते हुए वे सावत्थी पहुँचे। वहाँ भगवान बुद्ध सावत्थी के जेतवन, अनाथपिंडिका के उद्यान में निवास करने लगे। कोसंबी के गृहस्थ भक्तों ने सोचा, 'कोसंबी के इन पूजनीय भिक्षुओं ने हम पर बहुत विपत्ति लाई है; इनके कारण चिंतित होकर भगवान बुद्ध चले गए। अच्छा, हमें न तो कोसंबी के पूजनीय भिक्षुओं को प्रणाम करना चाहिए, न उनके समक्ष अपनी सीटों से उठना चाहिए, न उनके सामने हाथ उठाना चाहिए, न उनके प्रति उचित कर्तव्य निभाना चाहिए, न उनका आदर, सम्मान, आदर और समर्थन करना चाहिए, न ही भिक्षा मांगने आने पर उन्हें भोजन देना चाहिए; इस प्रकार, जब हम उनका आदर, सम्मान, आदर, समर्थन और आतिथ्य सत्कार नहीं करेंगे, तो वे चले जाएँगे, या संसार में लौट जाएँगे, या भगवान बुद्ध को प्रसन्न करेंगे।'

2. इस प्रकार कोसंबी के गृहस्थ भक्त कोसंबी के भिक्षुओं को प्रणाम नहीं करते थे, न ही उनके सामने अपनी सीटों से उठते थे, और न ही भिक्षा मांगने आने पर उन्हें भोजन देते थे।

फिर कोसंबी के भिक्षुओं को जब और अधिक सम्मान नहीं दिया गया (आदि, नीचे तक:) और उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया

कोसंबी के गृहस्थ भक्तों ने जब उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने आपस में कहा, 'चलो, हम सावत्थी चलते हैं और वहाँ भगवान बुद्ध के समक्ष इस प्रश्न का समाधान करते हैं।' और कोसंबी के भिक्षुओं ने अपने विश्राम स्थलों को व्यवस्थित किया, अपने भिक्षापात्र और वस्त्र उठाए और सावत्थी की ओर चल पड़े।

3. और पूज्य सारिपुत्त ने सुना: "कोसंबी के वे झगड़ालू, विवादशील, कलहलूम भिक्षु, जो संघ के समक्ष निरंतर प्रश्न उठाते रहते हैं, सावत्थी आ रहे हैं।" पूज्य सारिपुत्त उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; उनके पास पहुँचकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उनके निकट बैठकर सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध से कहा: "हे प्रभु, वे झगड़ालू, विवादशील (आदि) सावत्थी आ रहे हैं। हे प्रभु, मुझे उन भिक्षुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए?"

'खैर, सारिपुत्त, तुम्हें उन्हीं का साथ देना चाहिए जो धम्म के अनुसार सही हैं।'

'पर हे प्रभु, मैं कैसे जानूँ कि क्या सही है और क्या गलत?'

4. 'सारिपुत्त, अठारह ऐसी बातें हैं जिनसे तुम यह निष्कर्ष निकाल सकते हो कि कोई भिक्षु धम्म के अनुसार गलत है।' यदि हे सारिपुत्त, कोई भिक्षु, अधर्म को धर्म घोषित करे, या धर्म को धर्म न बताए, या विनय को विनय न बताए, या विनय को विनय न बताए, या तथागत

(बुद्ध) द्वारा न सिखाई और न बोली गई बात को तथागत द्वारा सिखाई और न बोली गई बात घोषित करे, या तथागत द्वारा सिखाई और न बोली गई बात को तथागत द्वारा न सिखाई और न बोली गई बात घोषित करे, या तथागत द्वारा अभ्यास न की गई बात को तथागत (बुद्ध) द्वारा अभ्यास की गई बात को तथागत द्वारा अभ्यास न की गई बात घोषित करे, या तथागत द्वारा आदेशित न की गई बात को तथागत (बुद्ध) द्वारा आदेशित न की गई बात घोषित करे, तो... तथागत, जो किसी बात को अपराध घोषित करता है, या किसी अपराध को अपराध नहीं बताता, या किसी मामूली अपराध को गंभीर अपराध घोषित करता है, या किसी गंभीर अपराध को मामूली अपराध घोषित करता है, या किसी ऐसे अपराध के संबंध में नियम को अपवाद रहित घोषित करता है जिसमें अपवाद है, या किसी ऐसे अपराध के संबंध में नियम को अपवादों से युक्त घोषित करता है जिसमें कोई अपवाद नहीं है, या किसी गंभीर अपराध को गंभीर अपराध नहीं बताता, या किसी ऐसे अपराध को गंभीर अपराध घोषित करता है जो गंभीर नहीं है—हे सारिपुत्त, ये अठारह बातें हैं जिनसे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भिक्षु धम्म के अनुसार गलत है।

5. 'हे सारिपुत्त, अठारह ऐसी बातें हैं जिनसे तुम यह निष्कर्ष निकाल सकते हो कि कोई भिक्षु धम्म के अनुसार सही है। हे सारिपुत्त, यदि कोई भिक्षु अधार्मिक बात को अधार्मिक घोषित करे, या धार्मिक बात को धम्मिक घोषित करे (आदि, आगे तक), या किसी गंभीर अपराध को गंभीर अपराध घोषित करे, या किसी मामूली अपराध को मामूली अपराध घोषित करे, तो हे सारिपुत्त, ये अठारह बातें हैं जिनसे तुम यह निष्कर्ष निकाल सकते हो कि कोई भिक्षु धम्म के अनुसार सही है।'

6. और पूज्य महामोग्गलाना ने सुना (आदि, जैसा कि § -3-5 में है)--और पूज्य महाकस्सपा ने सुना, आदि--और पूज्य महाकक्कना ने सुना, आदि--और पूज्य महाकोत्थिता ने सुना, आदि--और पूज्य महाकप्पिना ने सुना, आदि--और पूज्य महाकुंडा ने सुना, आदि--और पूज्य अनुरुद्ध ने सुना, आदि--और पूज्य रेवता ने सुना, आदि--और पूज्य उपली ने सुना, आदि--और पूज्य आनंद ने सुना, आदि--और पूज्य राहुल ने सुना (आदि, जैसा कि ऊपर है)।

7. और महाप्रजापति गौतमी ने सुना, 'कोसंबी के वे झगड़ालू, विवाद करने वाले, कलह करने वाले और बहस करने वाले भिक्षु (भिक्षु) जो संघ के समक्ष निरंतर प्रश्न उठाते रहते हैं, सावत्थी आ रहे हैं।' तब महाप्रजापति गौतमी उस स्थान पर गईं जहाँ भगवान बुद्ध थे; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके, वे उनके निकट खड़ी हो गईं। उनके निकट खड़े होकर महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, वे झगड़ालू, विवाद करने वाले (आदि) सावत्थी आ रहे हैं। हे प्रभु, मुझे उन भिक्षुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए?'

'गौतमी, दोनों पक्षों के धर्म को सुनो। जब तुम दोनों पक्षों के धर्म को सुन लो, तो उन भिक्षुओं के मत, विश्वास, सिद्धांत और कारण को स्वीकार करो जो धर्म के अनुसार सही हैं; और भिक्षु संघ को भिक्षु संघ से जो भी निवेदन करना हो, वह सब तुम सही पक्ष के भिक्षुओं से करो।'

8. और गृहस्थ अनाथपिंडिका ने सुना (आदि, जैसा कि 3 में है, नीचे तक): 'हे प्रभु, मुझे उन भिक्षुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए?'

'हे गृहस्थ, दोनों पक्षों को दान दो; दोनों पक्षों को दान देने के बाद, दोनों पक्षों का धर्म सुनो। दोनों पक्षों का धर्म सुनने के बाद, उन भिक्षुओं के मत, विश्वास, सिद्धांत और विचार को स्वीकार करो जो धर्म के अनुसार सही हैं।'

9. और विशाखा मिगरामाता ने सुना, और सी।

10. कुछ समय बाद कोसंबी के भिक्षु सावत्थी आ गए। पूज्य सारिपुत्त भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उनके पास बैठकर सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, संघ के समक्ष निरंतर प्रश्न उठाने वाले कोसंबी के वे विवादशील, झगड़ालू और बहस करने वाले भिक्षु सावत्थी आ गए हैं। हे प्रभु, हम उनके निवास की व्यवस्था कैसे करें?"

'अच्छा, सारिपुत्त, उनके लिए अलग-अलग आवास आवंटित कर दो।'

और यदि अलग-अलग रहने के स्थान न हों, तो हे प्रभु, हम क्या करें?

'तो, सारिपुत्त, तुम्हें (कुछ निवास स्थानों को शेष से) अलग करना होगा और फिर उन्हें (उन भिक्षुओं को) सौंपना होगा। लेकिन, सारिपुत्त, मैं किसी भी प्रकार से यह नहीं कहता कि किसी वरिष्ठ भिक्षु का निवास स्थान उससे छीन लिया जाए। जो ऐसा करता है, वह दुक्कता का अपराध करता है।'

'हे प्रभु, भौतिक उपहारों के वितरण के संबंध में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए?'

'सारिपुत्त, भौतिक उपहारों का वितरण सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए।'

11. और जिस भिक्षु को निष्कासित किया गया था, उसने धम्म और विनय दोनों पर विचार करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला: 'यह एक अपराध है; यह अपराध न करना नहीं है। मैं अपराधी हूँ; मैं निर्दोष नहीं हूँ। मुझे निष्कासित किया गया है; मुझे निष्कासित नहीं किया गया है। जिस दंड से मुझे निष्कासित किया गया है, वह उचित, आपत्तिरहित और वैध है।' तब वह निष्कासित भिक्षु निष्कासित भिक्षु के अनुयायियों के पास गया; उनके पास पहुँचकर उसने निष्कासित भिक्षु के अनुयायियों से कहा: 'यह एक अपराध है, मित्रों; यह अपराध न करना नहीं है, इत्यादि। अब आओ, मेरे आदरणीय भाइयों, और मुझे पुनर्स्थापित करो।'

12. तब उस निष्कासित भिक्षु के समर्थकों ने उसे अपने साथ लेकर भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके पास पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उनके पास बैठे हुए उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, जिस भिक्षु को निष्कासित किया गया है, वह कहता है, 'यह एक अपराध है, मित्रों (आदि, आगे तक) और मुझे पुनः प्रवेश दें।' हे प्रभु, हमें यहाँ क्या करना चाहिए?"

हे भिक्षुओं, यह एक अपराध है; यह अपराध न करना नहीं है। यह भिक्षु अपराधी है; यह भिक्षु निर्दोष नहीं है। इस भिक्षु को निष्कासित किया गया है; इसे निष्कासित नहीं किया गया है; जिस दंड से इसे निष्कासित किया गया है वह वैध, उचित और मान्य है। परन्तु हे भिक्षुओं, इस भिक्षु ने अपराध किया है और निष्कासन का दंड प्राप्त किया है, और वह (अपने अपराध को) देख रहा है, इसलिए हे भिक्षुओं, अब इस भिक्षु को वापस लौटा दो।

13. और उस निष्कासित भिक्षु के समर्थकों ने उसे पुनः संघ में शामिल कर लिया और फिर उन भिक्षुओं के पास गए जिन्होंने उसे निष्कासित किया था। उनके पास पहुँचकर उन्होंने उन भिक्षुओं से कहा जिन्होंने यह निर्णय सुनाया था: "हे मित्रों, उस मामले के विषय में, जिसके कारण संघ में कलह, मतभेद, कलह, विभाजन, फूट, अलगाव और मतभेद उत्पन्न हुए थे, उस भिक्षु (जो उस मामले से संबंधित था) ने अपराध किया था और निष्कासन की सजा पाई थी, उसने (अपने अपराध का) फल देखा है और उसे संघ में पुनः शामिल कर लिया गया है। हे मित्रों, आइए अब हम संघ में एकता की पुनः स्थापना की घोषणा करें ताकि उस मामले का अंत हो सके।"

फिर निष्कासन का फैसला सुनाने वाले भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए; उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक प्रणाम करके वे उनके निकट बैठ गए; उनके पास बैठे हुए उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, निष्कासित भिक्षु के समर्थकों ने हमसे कहा है: "उस मामले को समाप्त करने के लिए (आदि, आगे तक): हमें यहाँ क्या करना चाहिए, प्रभु?'

14. 'हे भिक्षुओं, इस भिक्षु ने अपराध किया था और निष्कासन की सजा भुगती थी, फिर भी उसने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है और उसे पुनः संघ में शामिल कर लिया गया है, इसलिए हे भिक्षुओं, संघ में सद्भाव की पुनः स्थापना की घोषणा करो ताकि इस मामले का अंत हो सके। और यह घोषणा इस प्रकार की जानी चाहिए: सभी भाई, बीमार और स्वस्थ, एकत्रित हों; किसी को भी खंड की घोषणा भेजने (और अनुपस्थित रहने) की अनुमति नहीं है।' जब आप सब एकत्रित हो जाएँ, तो एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष निम्नलिखित नट्टी का पाठ करें: "हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए। उस विषय के संबंध में, जिसके कारण संघ में कलह, मतभेद, कलह, विभाजन, फूट, अलगाव और मतभेद उत्पन्न हुए, उस विषय से संबंधित भिक्षु ने अपराध किया था और निष्कासन की सजा पाने के बाद, उसने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है और उसे संघ में पुनः शामिल कर लिया गया है। यदि संघ तैयार हो, तो संघ उस विषय को समाप्त करने के लिए सामंजस्य की पुनर्स्थापना की घोषणा करे। यही नट्टी (प्रस्ताव) है। हे संघ, आदरणीय महोदय, मेरी बात सुनिए (आदि, आगे तक): उस विषय को समाप्त करने के लिए सामंजस्य की पुनर्स्थापना की घोषणा संघ द्वारा कर दी गई है; संघ में व्याप्त विभाजन का समाधान हो गया है; संघ में व्याप्त फूट समाप्त हो गई है। संघ इस घोषणा के पक्ष में है; इसलिए आप चुप हैं; मैं यही समझता हूँ। फिर संघ उपोसथा का आयोजन करे और पतिमोक्खा की घोषणा करे।

<<<< पिछला (10.4) | अगला (10.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> महावग्ग >> दसवाँ खंडक >> 10.6

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(10.5) | अगला चुलवग्गा(1.1) >>>>

महावग्गा

दसवां खंडका (संघ के बीच मतभेद)

अध्याय-6.

1. और पूज्य उपली उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर उन्होंने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। उनके निकट बैठकर पूज्य उपली ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, यदि संघ किसी ऐसे मामले के विषय में, जिसके कारण संघ में कलह (अत्यंत मतभेद और विभाजन) उत्पन्न हुए हैं, बिना उस मामले की जाँच किए और बिना उसकी तह तक पहुँचे, एकता की पुनर्स्थापना की घोषणा कर दे, तो क्या यह घोषणा, हे प्रभु, उचित है?"

'यदि संघ, उपली, किसी मामले के संबंध में (आदि, आगे तक) उस मामले की जांच किए बिना और उसकी तह तक पहुंचे बिना, सद्भाव की पुनर्स्थापना की घोषणा करता है, तो यह घोषणा, उपली, गैरकानूनी है।'

लेकिन यदि संघ, हे प्रभु, किसी मामले के संबंध में (आदि, आगे तक): उस मामले की जांच-पड़ताल करने और उसकी तह तक पहुंचने के बाद, सद्भाव की पुनर्स्थापना की घोषणा करता है, तो क्या यह घोषणा, हे प्रभु, वैध है?

'यदि संघ, उपली, (आदि, नीचे तक:) जांच करने के बाद सद्भाव की पुनः स्थापना की घोषणा करता है

उस मामले की पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद, उपाली, यह घोषणा वैध है।'

2. 'हे प्रभु, संघ में सद्भाव की पुनर्स्थापना के कितने प्रकार हैं?'

'उपली, संघ में सामंजस्य की पुनर्स्थापना के दो प्रकार हैं: सामंजस्य को शाब्दिक रूप से तो पुनर्स्थापित किया जा सकता है, लेकिन भावना में नहीं, और सामंजस्य को भावना और शाब्दिक दोनों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है।'

और किस स्थिति में, उपाली, सामंजस्य अक्षरशः तो स्थापित हो जाता है, पर भाव से नहीं? यदि संघ, उपाली, (आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है) उस मामले की जाँच किए बिना और उसकी तह तक पहुँचे बिना सामंजस्य की पुनः स्थापना की घोषणा कर देता है, तो इस स्थिति में, उपाली, यह कहा जाता है कि सामंजस्य अक्षरशः तो स्थापित हो गया है, पर भाव से नहीं।

'उपली, किस स्थिति में सद्भाव भावना और शाब्दिक अर्थ दोनों में पुनः स्थापित होता है? यदि संघ (उपली, जैसा कि ऊपर बताया गया है) उस मामले की जांच-पड़ताल करने और उसकी तह तक पहुंचने के बाद सद्भाव की पुनः स्थापना की घोषणा करता है, तो उपली, इस स्थिति में सद्भाव भावना और शाब्दिक अर्थ दोनों में पुनः स्थापित माना जाता है। उपली, संघ में सद्भाव की पुनः स्थापना के ये दो प्रकार हैं।'

3. और पूज्य उपाली अपने आसन से उठे, अपने ऊपरी वस्त्र को इस प्रकार समायोजित किया कि उसका एक कंधा ढका रहे, अपने जुड़े हुए हाथों को भगवान बुद्ध की ओर झुकाया और भगवान बुद्ध को निम्नलिखित श्लोकों में संबोधित किया:

'संघ के मामलों और उसकी सलाह-मशविरे में, उत्पन्न होने वाले कार्यों और परीक्षाओं में, किस प्रकार के व्यक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? कौन सा भिक्षु नेतृत्व के लिए सबसे अधिक योग्य होता है?'

'सर्वोच्च वह व्यक्ति जो अपने नैतिक आचरण में निर्दोष है, जो अपने व्यवहार पर नजर रखता है, जिसकी इंद्रियां अच्छी तरह से नियंत्रित हैं, जिसे उसके प्रतिद्वंद्वी कानून के अनुसार फटकार नहीं लगाते, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए वे उसकी आलोचना कर सकें।'

'ऐसा व्यक्ति, जो निष्कलंक आचरण में स्थिर रहता है, धर्म का भली-भांति ज्ञाता होता है, और उसके वचन शक्तिशाली होते हैं। वह सभा में प्रवेश करते समय न तो विचलित होता है और न ही भयभीत होता है। वह व्यर्थ की बातों से अपने उद्देश्य को धूमिल नहीं करता।'

इसी प्रकार जब सभाओं में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह संकोच नहीं करता और विचलित नहीं होता। अपने समयोचित उत्तरों से, जो प्रश्नों का हल निकाल देते हैं, चतुर व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा को प्रसन्न कर देता है।

'वरिष्ठ भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण, अपने गुरु द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं में पारंगत, सत्य को जानने में सक्षम, वाणी का उस्ताद और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित करने में कुशल।'

'जिसके द्वारा उसके प्रतिद्वंद्वी नष्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत से लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह अपने द्वारा उठाए गए कार्य को नहीं छोड़ता, (और न ही वह थकता है) दूसरों को चोट पहुंचाए बिना प्रश्नों का उत्तर देने और प्रश्न पूछने से;

यदि उन्हें कोई मिशन सौंपा जाता है, तो वे उसे ठीक से निभाते हैं, और संघ के कार्यों में वे वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है; जब कई भिक्षु उन्हें (कहीं) भेजते हैं, तो वे आज्ञा का पालन करते हैं।

उनके आदेश पर, लेकिन वह यह नहीं सोचता, "यह मैं ही कर रहा हूँ;"

भिक्षु किन परिस्थितियों में अपराध करता है, अपराध क्या है और उसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है, इन दोनों बातों की व्याख्या उसे भली-भांति ज्ञात है; वह अपराध और प्रायश्चित के नियमों से भली-भांति परिचित है;--

'भिक्षु किन कर्मों से अपने ऊपर निष्कासन आमंत्रित करता है, किन मामलों में उसे निष्कासित किया गया है, और तपस्या करने वाले व्यक्ति का पुनर्वास कैसे होता है—यह सब वह विभंगों का भली-भांति ज्ञात होने के कारण जानता है;--

'वरिष्ठ भिक्षुओं, युवाओं, थेरों और मध्यम आयु वर्ग के भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण, अनेक लोगों का कल्याण करने वाला, चतुर भिक्षु—ऐसा भिक्षु ही नेतृत्व के योग्य होता है।'

दसवें खंडक का अंत, जिसमें कोसंबी के भिक्षुओं की कहानी है।

महावग्ग का अंत।

<<<< पिछला(10.5) | अगला चुलवग्गा(1.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु अपराध धारा)
(लघु खंड)
भिक्षुओं के शिष्टाचार और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन, साथ ही संघ के भीतर किए जा सकने वाले अपराधों से निपटने के नियमों और प्रक्रियाओं का वर्णन।

चुलवग्ग में 12 अध्याय (या *खंडक*) *हैं :*
प्रथम खंडका (फटकार, अधीनता, निर्वासन, सुलह, निलंबन)
I. तज्जनिया कम्मा (निंदा का कार्य)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (महावग्ग 10.6) | अगला चुलवग्ग (1.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध जेतवन में, अनाथपिंडिका के उपवन में ठहरे हुए थे।

उस समय पांडुक और लोहितक के अनुयायी भिक्षु—जो स्वयं संघ में कलह पैदा करने वाले, झगड़ालू, विवाद करने वाले, व्यर्थ की बातें करने वाले और कानूनी प्रश्न उठाने वाले थे—अन्य ऐसे ही भिक्षुओं के पास जाकर कहते थे, "हे आदरणीय महोदय, ऐसे व्यक्ति को आपको पीछे हटने न दें। खुलकर और देर तक चर्चा करें। आप वास्तव में उनसे अधिक चतुर, अधिक बुद्धिमान, अधिक जानकार और अधिक सक्षम हैं।"

तुम्हारे विरोधी हैं) और तुम उनसे डरो मत। हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे।' इससे ऐसे विवाद उत्पन्न हुए जो पहले नहीं हुए थे; और जो विवाद पहले से उत्पन्न थे वे और भी तीव्र हो गए।

2. वे भिक्षु जो विनम्र थे, नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'पांडुक और लोहितक के अनुयायी भिक्षु ऐसा कैसे कर सकते हैं?' और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा: 'क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, भिक्षुओं, कि वे भिक्षु जो पांडुक और लोहितक के अनुयायी हैं, - जो स्वयं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में अंत तक है)?'

'यह सच है, प्रभु!'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, यह उन मूर्ख व्यक्तियों के लिए अनुचित है, नियम के अनुसार नहीं है, अनुपयुक्त है, समन के योग्य नहीं है, अशोभनीय है और नहीं किया जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, ये मूर्ख व्यक्ति, जो स्वयं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में अंत तक है) ऐसा कैसे कर सकते हैं? हे भिक्षुओं, इससे न तो अपरिवर्तितों का धर्मांतरण होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या में वृद्धि होगी; बल्कि इससे जो परिवर्तित नहीं हुए हैं वे परिवर्तित नहीं होंगे और जो परिवर्तित हो चुके हैं वे वापस लौट जाएंगे।'

3. और जब भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को विभिन्न प्रकार से फटकारा, - भरण-पोषण के मामले में संतुष्ट न होने, अधिक इच्छा रखने, असंतोष, समाज प्रेम और आलस्य के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए; और भरण-पोषण के मामले में आसानी से संतुष्ट होने, कम इच्छा रखने आदि की प्रशंसा करते हुए,

वह संतुष्ट व्यक्ति जिसने (अपने मन से बुराइयों का) नाश कर लिया है, अपनी भावनाओं को वश में कर लिया है, और जो आस्था, श्रद्धा और उत्साह से परिपूर्ण है, जब उसने भिक्षुओं को इस संबंध में उचित और उपयुक्त बातों पर धर्म प्रवचन दिया, तो उसने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'अतः, हे भिक्षुओं, संघ उन भिक्षुओं के विरुद्ध तज्जनीय-कम्म (निंदा का कार्य) करे।'

4. हे भिक्षुओं, अब इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम पांडुक के अनुयायी भिक्षुओं को...

<<<< पिछला (महावग्ग 10.6) | अगला चुलवग्ग (1.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.1) | अगला(1.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय दो।

1. हे भिक्षुओं, तीन बातें हैं जिनसे तज्जनीय कर्म की विशेषता यह है कि वह धम्म और विनय के विरुद्ध है और उसका निपटारा कठिन है; (अर्थात्) जब वह विधि और न्याय के अनुसार, विधिवत योग्य व्यक्तियों की पूर्ण सभा में और मुकदमे के पक्षकारों की उपस्थिति में न किया गया हो—जब वह आरोपी व्यक्ति को सुने बिना किया गया हो—जब वह आरोपी व्यक्ति द्वारा अपना अपराध स्वीकार किए बिना किया गया हो। हे भिक्षुओं, तज्जनीय कर्म की विशेषता यह है कि...

इन तीनों बातों से धर्म और विनय दोनों का उल्लंघन होता है और इनका समाधान करना कठिन है।

हे भिक्षुओं, तीन अन्य बातें भी हैं जिनसे तज्जनीय कर्म का निर्धारण होने पर वह धम्म और विनय के विरुद्ध होता है और उसका निवारण करना कठिन होता है; (अर्थात्) जब वह कर्म बिना किसी दोष के किया गया हो—जब वह पराजिका या संघदिशेष अपराध के लिए किया गया हो—जब वह अपराध स्वीकार करने के बावजूद किया गया हो। हे भिक्षुओं, तज्जनीय कर्म का निर्धारण (जैसा कि पहले बताया गया है) हो जाता है।

हे भिक्षुओं, तीन अन्य बातें भी हैं जिनसे तज्जनीय कर्म का निर्धारण होने पर वह धम्म और विनय के विरुद्ध होता है और उसका निवारण कठिन होता है; (अर्थात्) जब यह कर्म अभियुक्त को चेतावनी दिए बिना किया गया हो—जब यह कर्म अभियुक्त को यह याद दिलाए बिना किया गया हो कि उसने अपराध किया है या नहीं—जब यह कर्म अभियुक्त को दोषी ठहराए बिना किया गया हो। हे भिक्षुओं, तज्जनीय कर्म का निर्धारण होने पर (जैसा कि पहले बताया गया है) उसका निवारण हो जाता है।

हे भिक्षुओं, तीन अन्य बातें भी हैं जिनसे तज्जनीय कर्म का निर्धारण होने पर वह धम्म और विनय के विरुद्ध होता है और उसका निवारण कठिन होता है; (अर्थात्) जब वह विधिवत गठित सभा में विधिवत संचालित न किया गया हो—जब वह

जब किसी विशेष क्षेत्र के सभी भिक्षुओं की उपस्थिति और स्वीकृति के बिना कोई कार्य किया गया हो, तो वह न्यायरहित माना जाएगा। हे भिक्षुओं, इन तीन विशेषताओं से युक्त एक तज्जनीय-कम्म (आदि, पहले की तरह) स्थापित किया जाता है।

हे भिक्षुओं, तीन अन्य बातें भी हैं जिनसे तज्जनीय कर्म का निष्पादन धम्म और विनय के विरुद्ध होता है और उसका निपटारा कठिन होता है; (अर्थात्) जब यह अभियोजित व्यक्ति की सुनवाई के बिना किया गया हो—जब यह न्याय के विरुद्ध किया गया हो—जब यह मंडल के सभी भिक्षुओं की उपस्थिति और स्वीकृति के बिना किया गया हो। हे भिक्षुओं, इन तीन बातों से चिह्नित तज्जनीय कर्म का निपटारा हो जाता है (आदि, पहले की तरह)।

'अन्य तीन बातें भी हैं (और इसी प्रकार, जैसा कि पहले बताया गया है), अर्थात्, जब यह अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराए बिना किया गया हो—जब यह न्याय के बिना किया गया हो—जब यह सर्किट से संबंधित सभी भिक्षुओं की उपस्थिति और अनुमोदन के बिना किया गया हो।'

[और इसी प्रकार, इस खंड के अनुच्छेदों में उल्लिखित तीनों बातें, अनुच्छेद 4, 5 और 6 में दोहराई गई दो बातों के साथ मिलकर, ऐसे छह और मामले बनाती हैं जिनमें तज्जनीय कर्म को धम्म और विनय के विरुद्ध घोषित किया जाता है, और जिसे निरस्त करना कठिन होता है।]

यहां उन बारह मामलों का अंत होता है जिनमें कानून के विरुद्ध कार्यवाही (कम्मा) की बात की गई है।

<<<< पिछला(1.1) | अगला(1.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.2) | अगला(1.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय-3.

1. हे भिक्षुओं, तीन बातें हैं जिनसे तज्जनीय कर्म की विशेषता यह है कि यह धम्म के अनुसार, विनय के अनुसार और आसानी से निपटाया जा सकता है; (अर्थात्) जब यह योग्य व्यक्तियों की पूर्ण सभा में, विधि के अनुसार और मुकदमे के पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया हो—जब यह आरोपी व्यक्ति की सुनवाई के बाद किया गया हो—जब यह आरोपी व्यक्ति द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद किया गया हो। हे भिक्षुओं, इन तीन विशेषताओं से युक्त तज्जनीय कर्म धम्म के अनुसार, विनय के अनुसार और आसानी से निपटाया जा सकता है।

[और इसी प्रकार पिछले खंड में उल्लिखित बारह प्रस्तावों में से प्रत्येक का विपरीत कथन यहाँ प्रस्तुत किया गया है।]

यहां विधि के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही (कम्मा) के बारह मामले समाप्त होते हैं।

<<<< पिछला(1.2) | अगला(1.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.3) | अगला(1.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय-4.

1. हे भिक्षुओं, तीन बातें हैं जो किसी भिक्षु में पाई जाती हैं, और यदि संघ चाहे तो उसके विरुद्ध तज्जनीय कर्म कर सकता है; (अर्थात्) जब वह कलह उत्पन्न करने वाला, झगड़ालू, विवाद करने वाला, व्यर्थ की बातों में लिप्त और संघ में विधिक प्रश्न उठाने वाला हो—जब वह मंदबुद्धि, मूर्ख, दोषों से भरा और पुण्यहीन हो—जब वह गृहस्थ समाज में, अवैध आचरण में रह रहा हो।

संसार से संबंध। हे भिक्षुओं, तीन बातें हैं, जब संघ को उसके विरुद्ध संदेह होता है (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है)।

हे भिक्षुओं, उसके विरुद्ध तीन और बातें हैं; (अर्थात्), जब वह नैतिक मामलों में नैतिकता में विफल हो जाता है, जब वह अपराध के मामलों में आचरण में विफल हो जाता है, जब वह मत के प्रमुख मामलों में मत में विफल हो जाता है। हे भिक्षुओं, उसके विरुद्ध तीन बातें हैं। (अर्थात्, पहले की तरह)।

हे भिक्षुओं, उसके विरुद्ध तीन और बातें हैं; (अर्थात्), जब वह बुद्ध की निंदा करता है—जब वह धम्म की निंदा करता है—जब वह संघ की निंदा करता है। हे भिक्षुओं, उसके विरुद्ध ये तीन बातें हैं। (अर्थात्, पहले की तरह)

2. हे भिक्षुओं, तीन प्रकार के भिक्षु हैं, जिनके विरुद्ध संघ चाहे तो तज्जनीय कर्म कर सकता है; (अर्थात्) वह जो संघ में कलह उत्पन्न करता है (जैसा कि अनुच्छेद 1 में है, संघ में विधिक प्रश्न उठाता है), वह जो मंदबुद्धि, मूर्ख, दोषों से भरा और पुण्यहीन है, और वह जो सांसारिक समाज में अवैध संगति में रहता है। हे भिक्षुओं, ये तीन प्रकार के भिक्षु हैं, जिनके विरुद्ध तज्जनीय कर्म किया जाता है।

हे भिक्षुओं, तीन अन्य प्रकार के भिक्षु भी हैं, जिनके विरुद्ध संघ चाहे तो तज्जनीय कर्म कर सकता है; (अर्थात्) वह जो नैतिक मामलों में नैतिकता में विफल रहा हो—वह जो आचरण में विफल रहा हो।

उल्लंघन के संदर्भ में—वह व्यक्ति जिसने मत के प्रमुख मामलों के संबंध में मत में विफलता पाई है। हे भिक्षुओं (और इसी प्रकार, पहले की तरह, तज्जनीय-कम्म तक) तीन प्रकार के भिक्षु होते हैं।

'हे भिक्षुओं, तीन अन्य प्रकार के भिक्षु भी हैं, जिनके विरुद्ध संघ चाहे तो तज्जनीय कर्म कर सकता है; (अर्थात्) जो बुद्ध की निंदा करता है, जो धम्म की निंदा करता है, और जो संघ की निंदा करता है। हे भिक्षुओं, ये तीन प्रकार के भिक्षु हैं (और इसी प्रकार, पहले की तरह, तज्जनीय कर्म तक)।'

यहां ताजनिया-कम्मा के छह अनुमेय मामले समाप्त होते हैं।

<<<< पिछला(1.3) | अगला(1.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.4) | अगला(1.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय-5.

1. जिस भिक्षु के विरुद्ध तज्जनीय कर्म किया गया हो, उसे उचित आचरण करना चाहिए। और यही उचित आचरण है: उसे उपसम्पदा नहीं देनी चाहिए, उसे निस्साया नहीं करना चाहिए, उसे प्रदान नहीं करना चाहिए।

यदि वह स्वयं समनेरा धारण कर ले, तो उसे भिक्षुणियों को उपदेश देने का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए—और यदि उसने पद स्वीकार कर लिया है, तो उसे भिक्षुणियों को उपदेश नहीं देना चाहिए—उसे वह अपराध नहीं करना चाहिए जिसके लिए संघ द्वारा उसके विरुद्ध तज्जनिया-कम्मा की गई है—न ही इसी प्रकार का कोई अपराध—न ही कोई और गंभीर अपराध—उसे अपने विरुद्ध की गई कार्यवाही पर—न ही उसे करने वाले भिक्षुओं पर—आलोचना नहीं करनी चाहिए—उसे किसी नियमित भिक्षु के उपोसथ समारोह—या पवाराना समारोह—में भाग लेने पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिए—उसे किसी कनिष्ठ भिक्षु को सीमा से बाहर जाने से रोकने या बड़ों के समक्ष आने का आदेश नहीं देना चाहिए—उसे किसी अन्य भिक्षु के विरुद्ध निंदा नहीं करनी चाहिए—उसे किसी अन्य भिक्षु से उसे निंदा करने के लिए नहीं कहना चाहिए (उस भिक्षु को फटकारने के लिए) उसे नहीं छोड़ना चाहिए; (किसी अन्य भिक्षु को, जिसके बारे में उसे लगता है कि वह अपराध कर रहा है) चेतावनी नहीं देनी चाहिए; उसे चाहिए

किसी अन्य भिक्षु को यह याद दिलाने के लिए न कहें (कि उसने अपराध किया है या नहीं)—और उसे भिक्षुओं के साथ संगति नहीं करनी चाहिए।'

यहां ताजनिया-कम्मा के बाद आने वाले अठारह कर्तव्य समाप्त होते हैं।

<<<< पिछला(1.4) | अगला(1.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.5) | अगला(1.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय-6.

1. इस प्रकार संघ ने पांडुक और लोहितक के अनुयायी भिक्षुओं के विरुद्ध तज्जनिया-कर्म किया। जब संघ ने उन्हें तज्जनिया-कर्म के अधीन कर दिया और वे उसके अनुसार उचित आचरण कर रहे थे, तो वे वश में हो गए और उन्होंने मुक्ति की मांग की; और भिक्षुओं के पास जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, 'हे महोदय, संघ ने हमें तज्जनिया-कर्म आदि के अधीन कर दिया है और अब हमें मुक्ति मिल गई है। अब हमें क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो फिर, हे भिक्षुओं, संघ पांडुक और लोहितक के अनुयायियों के विरुद्ध किए गए तज्जनिया-कम्मा को रद्द कर दे।'

2. हे भिक्षुओं, पाँच ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा,

जब किसी भिक्षु का अभिमंत्रण हो जाता है, तो उसके लिए तज्जनीय कर्म निरस्त नहीं किया जाना चाहिए; (अर्थात्), जब वह उपसम्पदा प्रदान करता है—जब वह निस्साय देता है—जब वह समनेर धारण करता है—जब वह भिक्षुणियों को उपदेश देने का कार्यभार ग्रहण करता है—और जब उस कार्यभार को ग्रहण करने के बाद वह भिक्षुणियों को उपदेश देता है। हे भिक्षुओं (आदि, पहले की तरह) ये पाँच बातें उसके लिए निरस्त कर दी जाती हैं।

हे भिक्षुओं, पाँच अन्य बातें हैं जिनके द्वारा किसी भिक्षु की पहचान होने पर उसके लिए तज्जनीय-कम्मा निरस्त नहीं की जानी चाहिए; (अर्थात्) जब वह उस अपराध का प्रायश्चित करता है जिसके लिए संघ द्वारा उसके विरुद्ध तज्जनीय-कम्मा निष्पादित की गई है—या इसी प्रकार का कोई अन्य अपराध—या कोई और भी गंभीर अपराध—जब वह अपने विरुद्ध की गई कार्यवाही—या उसे निष्पादित करने वाले भिक्षुओं—पर दोष लगाता है। हे भिक्षुओं, ये पाँच बातें उसके लिए निरस्त कर दी जाती हैं।

हे भिक्षुओं, आठ ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा किसी भिक्षु का चरित्र निर्धारण होने पर उसके लिए तज्जनीय कर्म रद्द नहीं किया जाना चाहिए; (अर्थात्) जब वह किसी नियमित भिक्षु के उपोसथ समारोह—या पवाराना समारोह—में भाग लेने पर आपत्ति उठाता है—जब वह किसी कनिष्ठ भिक्षु को सीमा से बाहर जाने से रोकता है—जब वह किसी अन्य भिक्षु के विरुद्ध निंदा करता है—जब वह किसी अन्य भिक्षु से कुछ देने का अनुरोध करता है

उसे उस भिक्षु को फटकारने से रोका जाता है—जब वह किसी दूसरे भिक्षु को चेतावनी देता है जिसे वह अपराध कर रहा मानता है—जब वह किसी दूसरे भिक्षु को उस नियम की याद दिलाता है जिसका वह उल्लंघन कर रहा मानता है—जब वह भिक्षुओं के साथ संगति करता है। हे भिक्षुओं, ये आठ बातें उसके लिए वर्जित हैं।

यहां उन अठारह मामलों का अंत होता है जिनमें (ताज्जनिया-कम्मा का) निरसन नहीं होना चाहिए।

<<<< पिछला(1.5) । अगला(1.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.6) । अगला(1.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय 7।

[यह अध्याय पिछले अध्याय का ठीक विपरीत है।]

यहां उन अठारह मामलों का अंत होता है जिनमें (ताज्जनिया-कम्मा को) निरस्त किया जाना चाहिए।

<<<< पिछला(1.6) । अगला(1.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.7) । अगला(1.9) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका I. तज्जनिया कम्मा (फटकार के कार्य)

अध्याय-8.

1. हे भिक्षुओं, इस प्रकार पश्चात्ताप किया जाना चाहिए। पांडुक और लोहितक के अनुयायी भिक्षु संघ के समक्ष अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर रखकर उपस्थित हों और वरिष्ठ भिक्षुओं के चरणों में प्रणाम करें, तथा घुटने टेककर हथेलियों को जोड़कर इस प्रकार कहें: "हे महोदय, संघ ने हमें तज्जनीय कर्म के अधीन कर दिया है, और हम उसके अनुसार उचित आचरण कर रहे हैं; हम वश में हो गए हैं, और हम मुक्ति चाहते हैं, और तज्जनीय कर्म को पश्चात्ताप करने की विनती करते हैं।"

और दूसरी बार उन्हें [उसी शब्दों में] विनती करनी चाहिए। और तीसरी बार उन्हें [उसी शब्दों में] विनती करनी चाहिए। तब एक विवेकशील और योग्य भिक्षु को यह मामला संघ के समक्ष रखना चाहिए।

2. "आदरणीय संघ मेरी बात सुनो। ये भिक्षु जो पांडुक और लोहितक के अनुयायी हैं, पहले की तरह अधीन हैं (आदि), और वे पहले की तरह आचरण कर रहे हैं (आदि), और वे भीख मांग रहे हैं (आदि)।"

"यह गति (नट्टी) है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुने। ये भिक्षु (और इसी प्रकार, पहले की तरह) तज्जनीय कर्म को निरस्त करने की विनती करते हैं। संघ पांडुक और लोहितक के अनुयायी भिक्षुओं के लिए तज्जनीय कर्म निरस्त करता है। जो भी आदरणीय भिक्षु पांडुक और लोहितक के अनुयायी भिक्षुओं के लिए तज्जनीय कर्म निरस्त करने का समर्थन करते हैं, वे मौन रहें। जो इसका समर्थन नहीं करते, वे बोलें।"

"और मैं दूसरी बार वही बात कहता हूँ। आदरणीय संघ (और पहले की तरह) उन्हें बोलने दें।"

"और मैं तीसरी बार वही बात कहता हूँ। आदरणीय संघ (और पहले की तरह) उन्हें बोलने दें।"

"संघ ने पांडुक और लोहितक के अनुयायी भिक्षुओं के लिए ताजनिया-कम्मा को निरस्त कर दिया है। संघ इसका अनुमोदन करता है; इसलिए वह मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

यहां प्रथम (कम्मा), ताजनिया-कम्मा समाप्त होती है।

<<<< पिछला(1.7) | अगला(1.9) >>>>

द्वितीय. निस्साया-कर्म (अधीनता का कार्य)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.9
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.8) | अगला(1.10) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडक द्वितीय. निस्साया-कर्म (अधीनता का कार्य)

अध्याय-9.

1. उस समय पूज्य सेय्यासक मूर्ख, अविवेकी, दोषों से परिपूर्ण और पुण्यहीन थे, और सांसारिक संगति में अवैतनिक रूप से गृहस्थी में रह रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर थी कि भिक्षु उन्हें परख पर रखने, परख की शुरुआत में वापस भेजने, मनत्त अनुशासन का पालन कराने और उनका पुनर्वास करने से थक चुके थे। संयमी भिक्षु नाराज होकर बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'पूज्य सेय्यासक इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि भिक्षु पहले की तरह थक चुके हैं?'

तब उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

और उस अवसर पर, और उस संदर्भ में, भगवान बुद्ध ने भिक्षुसंघ की एक सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा, 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि कहा जाता है कि पूज्य सेय्यासक का पुनर्वास करना मूर्खता है (आदि, जैसा कि पहले कहा गया है)?'

'यह सच है, प्रभु!'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारा (यह कहते हुए), 'यह अनुचित है' (आदि, हमेशा की तरह, तुलना करें 1, 2, 3, आगे तक), और भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, 'इसलिए, हे भिक्षुओं, संघ आदरणीय सेय्यासक के विरुद्ध निस्साय-कर्म (अधीनता का कार्य) करे: "तुम्हें दूसरों की देखरेख में रहना चाहिए।"

2. हे भिक्षुओं, अब इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम भिक्षु सेय्यासक को चेतावनी दी जानी चाहिए; चेतावनी दिए जाने पर उन्हें स्मरण कराया जाना चाहिए; स्मरण कराए जाने पर उन पर अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए; अपराध का आरोप लगाए जाने पर किसी विवेकशील और सक्षम भिक्षु को संघ के समक्ष यह मामला रखते हुए कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ मेरी बात सुने (आदि, हमेशा की तरह; ऊपर अध्याय 1, 4 और 8, 2 देखें)।"

<<<< पिछला(1.8) | अगला(1.10) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.9) | अगला(1.11) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडक द्वितीय. निस्साया-कर्म (अधीनता का कार्य)

अध्याय-10.

[अध्याय 2-5 को यहाँ विस्तार से दोहराया गया है, जिसमें ताजनिया-कम्मा के स्थान पर निस्साया-कम्मा का प्रयोग किया गया है।]

<<<< पिछला(1.9) | अगला(1.11) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.10) | अगला(1.12) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडक द्वितीय. निस्साया-कर्म (अधीनता का कार्य)

अध्याय-11.

1. इसलिए संघ ने भिक्षु सेय्यासक के विरुद्ध निस्साय-कर्म किया (यह कहते हुए), 'तुम्हें दूसरों की देखरेख में रहना चाहिए।'

और जब संघ द्वारा उन्हें निस्सय-कर्म के अधीन किया गया, तो उन्होंने अच्छे साथियों से संपर्क साधकर, उनसे संगति करके, उनसे धम्म का वर्णन करवाकर और उनसे प्रश्न पूछकर परंपराओं में ज्ञान प्राप्त किया; वे निकाय परंपरा के ज्ञाता बन गए; वे धम्म, विनय और मतिकाओं के पाठकर्ता बन गए; वे चतुर, विवेकशील, बुद्धिमान, विनम्र, पश्चात्ताप से परिपूर्ण और आज्ञाकारी थे; उन्होंने सही आचरण किया, वे वश में हो गए, उन्होंने मुक्ति की खोज की और भिक्षुओं के पास जाकर इस प्रकार कहा:

'महोदय, संघ द्वारा निस्सय-कर्म के अधीन किए जाने के बाद, मैं सही आचरण कर रहा हूँ और वश में हो गया हूँ, और मैं मुक्ति चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो फिर, हे भिक्खुओ, संघ को भिक्खु सेय्यसाका के लिए निस्साय-कम्मा को रद्द करने दें।

2. 'हे भिक्षुओं, पाँच बातें हैं (आदि, जैसा कि अध्याय 6.2 में है, अध्याय 7 के अंत तक, तज्जनीय-कम्मा के स्थान पर निस्साय-कम्मा पढ़ते हुए)।'

<<<< पिछला(1.10) | अगला(1.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.11) | अगला(1.13) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडक द्वितीय. निस्साया-कर्म (अधीनता का कार्य)

अध्याय-12.

[इस अध्याय में कर्म-वका द्वारा निरस्तीकरण की विधि का ठीक उसी प्रकार वर्णन किया गया है जैसा कि ऊपर अध्याय-8 में किया गया है।]

यहां दूसरा (कर्म), निस्साय-कर्म समाप्त होता है।

<<<< पिछला(1.11) | अगला(1.13) >>>>

III. पब्बजनीय-कम्मा (निर्वासन का कार्य)
टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.12) | अगला(1.14) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खण्डका तृतीय। पब्बाजनीय-कम्मा (निर्वासन का कार्य)

अध्याय-13.

1. उस समय असाजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षु किता पर्वत पर निवास करते थे, वे दुष्ट और निर्लज्ज भिक्षु थे। वे निम्नलिखित बुरे कार्य करते थे: वे फूलों की कलम लगाते और उन्हें रोपते थे; वे फूलों को पानी देते और उन्हें पानी देते थे; वे उन्हें इकट्ठा करते और उन्हें इकट्ठा करवाते थे; वे फूलों के गुलदस्ते बनाते और उन्हें बनवाते थे; वे फूलों की मालाएँ बनाते और बनवाते थे, जिनमें डंठलों को

एक साथ बांधकर, डंठलों को अलग-अलग बांधकर, मंगारिका, विधुटिका, वातंसक, अवेला और उरक्खड़ा जैसी कई तरह की मालाएँ बनाई जाती थीं; और फिर वे इन सभी प्रकार की मालाओं को सम्मानित परिवारों की पत्नियों, बेटियों, युवतियों, भाभीयों और दासियों को देते या भेजते थे; और वे सम्मानित परिवारों की पत्नियों, बेटियों, युवतियों, भाभीयों और दासियों के साथ एक ही थाली में खाते, एक ही बर्तन में पीते, एक ही आसन पर बैठते, एक ही चटाई पर लेटते, एक ही चादर ओढ़ते; और वे गलत समय पर भोजन करते, शराब पीते, मालाएँ, सुगंध और मलहम लगाते; और वे नाचते, गाते, संगीत बजाते और मौज-मस्ती करते, और ये सब एक साथ करते थे। संयोजन।

2. और वे आठ और दस मोहरों वाले खेल खेलकर, और उछालकर, जमीन पर बनी आकृतियों पर कूदकर, और बिना हिलाए ढेर से पदार्थ निकालकर अपना मनोरंजन करते थे; और पासे और ट्रैप-बॉल के खेल खेलकर भी मनोरंजन करते थे; और वे भद्दी आकृतियाँ बनाते, गेंद उछालते, तुरही बजाते, नकली हल से जुताई के मुकाबले खेलते, कलाबाज़ी करते, नकली पवनचक्कियाँ बनाते, ताल का अनुमान लगाते, रथ दौड़ लगाते, तीरंदाजी करते, उंगलियों से कंचे चलाते, दूसरों के मन की बात समझते और उनके कामों की नकल करते थे;—और वे हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी, रथ चलाना, तीरंदाजी और तलवारबाजी का अभ्यास करते थे;—और वे हाथियों, घोड़ों और रथों के आगे-पीछे दौड़ते, क्रोध के भाव दिखाते, हाथ मलते, कुश्ती करते और मुक्केबाजी करते थे;—और अपने वस्त्रों को मंच की तरह बिछाकर वे नाचने वाली लड़कियों को बुलाते और कहते, 'बहन, यहाँ नाचो!' और तालियों से उनका स्वागत करते थे। इस प्रकार वे अनेक प्रकार के बुरे जीवन जीते थे।

3. उस समय एक भिक्षु, जिसने वर्षा ऋतु काशी देश में बिताई थी और भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा था, कीता पर्वत पर पहुँचा। वह भिक्षु सुबह सवेरे अपने अंतर्वस्त्र पहनकर, विधिवत वस्त्र धारण करके, कीता पर्वत पर भिक्षा मांगने गया। वह पूर्णतः गरिमामय था, उसकी आँखें झुकी हुई थीं और उसका रूप-रंग आकर्षक था, चाहे वह प्रवेश कर रहा हो या बाहर जा रहा हो।

बाहर आने में, देखने में या निहारने में, अपनी बांह मोड़ने में या उसे आगे बढ़ाने में।

तब लोगों ने उस भिक्षु को देखकर कहा, 'यह मूर्खों का सरदार, मूर्खों का सरदार या मूर्खों का सरदार कौन है? भला कौन इसके पास आकर भीख मांगेगा? हमारे गुरु, असाजी और पुनाबस्सु के अनुयायी, तो विनम्र, मित्रवत, मधुर वाणी वाले, हंसमुख, बिल्कुल मूर्ख नहीं, बल्कि खुले दिल के और सबसे पहले बोलने वाले हैं। ऐसे लोगों को ही तो भीख देना उचित है!'

और एक गृहस्थ शिष्य ने उस भिक्षु को किता पर्वत पर भिक्षा मांगने जाते हुए देखा। उसे देखकर वह उसके पास गया; और वहाँ पहुँचकर उसने उस भिक्षु से कहा:

'क्या आपके आदरणीय महोदय ने कोई भिक्षा ग्रहण की है?'

'नहीं, मेरे मित्र, मुझे कोई भिक्षा नहीं मिली है!'

'आह्वय, पूज्यवर! चलिए मेरे घर चलते हैं!' तब उस गृहस्थ शिष्य ने भिक्षु को अपने घर ले जाकर भोजन कराया और पूछा: 'तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं?'

'मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए सावत्थी जा रहा हूँ, मेरे मित्र।'

तब हे आदरणीय, मेरे नाम से भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करें और कहें, "हे प्रभु, किता पर्वत पर स्थित निवास स्थान दूषित हो गया है। असजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षु किता पर्वत पर निवास कर रहे हैं, वे दुष्ट और निर्लज्ज भिक्षु हैं। ऐसे ही भिक्षु..."

वे जो बुरे आचरण अपनाते हैं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1, 2 से अंत तक में है)। और हे प्रभु, जो लोग पहले विश्वासी और आस्थावान थे, वे अब अविश्वासी और आस्थाहीन हो गए हैं; संघ के लिए पहले जो भिक्षा के अवसर खुले थे, वे अब नष्ट हो गए हैं; योग्य भिक्षु त्याग कर रहे हैं, और दुष्ट भिक्षु उस स्थान पर निवास कर रहे हैं। हे प्रभु, भगवान बुद्ध कृपा करें कि वे किता पर्वत पर (अन्य) भिक्षुओं को भेजें ताकि वहाँ निवास स्थान पुनः स्थापित हो सके।

5. भिक्षु ने अपने मित्र की बात मानते हुए कहा, 'बहुत खूब, मेरे मित्र।' और अपने आसन से उठकर वह सावत्थी के लिए चल पड़ा और सीधे अनाथपिंडिका के उपवन, सावत्थी के जेतवन, उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया।

अब महान बुद्धों की यह परंपरा है कि वे आने वाले भिक्षुओं का अभिवादन करते हैं। भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, 'हे भिक्षु, क्या सब ठीक चल रहा है? क्या आपके पास पर्याप्त संसाधन हैं? क्या आपने अपनी यात्रा बिना अधिक थके पूरी कर ली है? और हे भिक्षु, आप कहाँ से आए हैं?'

'हे प्रभु, सब कुछ मेरे साथ अच्छा चल रहा है। मेरे पास अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधन हैं। और मैंने अपनी यात्रा बिना अधिक थके पूरी कर ली है। हे प्रभु, मैंने वर्षा ऋतु काशी देश में बिताई; और भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए श्रावस्ती जाते समय मैं किता पर्वत पर पहुँचा। और सुबह जल्दी तैयार होकर, हे प्रभु, मैं विधिवत वस्त्र धारण करके किता पर्वत पर भिक्षा मांगने गया। और एक गृहस्थ शिष्य ने मुझे देखा (आदि, जैसा ऊपर, अनुच्छेद 4 के अंत तक, आवश्यक परिवर्तनों के साथ)।

(भाषण का वर्णनात्मक रूप)। हे प्रभु, मैं वहीं से आया हूँ।

6. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा:

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि कहा जाता है कि असाजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षु, जो किता पर्वत पर निवास करते हैं, दुष्ट और निर्लज्ज भिक्षु हैं; और वे ऐसे बुरे आचरणों का पालन करते हैं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 4 में अंत तक है)?'

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, ये मूर्ख लोग इस प्रकार की प्रथाओं का पालन कैसे कर सकते हैं (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1, 2 से अंत तक है)? हे भिक्षुओं, इससे अपरिवर्तितों का धर्मांतरण नहीं होगा (आदि, हमेशा की तरह। अध्याय 1, अनुच्छेद 2 से अंत तक तुलना करें)।'

और जब महान बुद्ध ने उन्हें फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने पूज्य सारिपुत्त और मोग्गलाना को संबोधित करते हुए कहा, 'अब जाओ, सारिपुत्त और मोग्गलाना, किता पर्वत पर। और वहाँ पहुँचकर उन भिक्षुओं के विरुद्ध पब्बजनीय-कम्म (निर्वासन का कार्य) करो जो अस्सजी और पुनब्बासु के अनुयायी हैं, ताकि वे तुम्हारे सद्धि-विहारिक बन जाएँ।'

'हे प्रभु, हम असजी और पुनब्बासु के अनुयायी भिक्षुओं के विरुद्ध पब्बजनीयकम्मा कैसे कर सकते हैं; क्योंकि वे तो आवेशपूर्ण और हिंसक स्वभाव के हैं?'

'तो फिर आप लोग जाइए, सारिपुत्त और मोग्गलाना, साथ में कई भिक्षु भी।'

'ऐसा ही हो, प्रभु!' सारिपुत्त और मोग्गलाना ने भगवान बुद्ध की बात मानते हुए सहमति व्यक्त की।

7. हे भिक्षुओं, अब इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम, असाजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षुओं को चेतावनी दी जानी चाहिए: चेतावनी देने के बाद, उन्हें (पतिमोक्खा के उस नियम की याद दिलाई जानी चाहिए जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है); याद दिलाने के बाद, उन पर अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए; आरोप लगाए जाने के बाद, किसी विवेकशील और सक्षम भिक्षु को संघ के समक्ष यह मामला रखते हुए कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनो। असजी और पुनाबस्सु के अनुयायी ये भिक्षु दुष्ट और निर्लज्ज हैं। उनके बुरे कर्म सबके सामने हैं, और यह भी देखा और सुना जा चुका है कि उनके द्वारा प्रतिष्ठित परिवारों को भी गुमराह किया गया है। यदि संघ के लिए समय उपयुक्त हो, तो संघ असजी और पुनाबस्सु के अनुयायियों के विरुद्ध पब्बजनीयकम्मा करे, जिसका अर्थ यह हो कि उनके अनुयायियों के विरुद्ध

असाजी और पुनाबासु को किता पहाड़ी पर नहीं रहना चाहिए।

"यह गति (नट्टी) है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनो। ये भिक्षु जो असजी और पुनाबसु के अनुयायी हैं, दुष्ट और निर्लज्ज भिक्षु हैं। उनके बुरे कर्म (जैसा कि पहले बताया गया है) देखे और सुने भी गए हैं। संघ इसके द्वारा उनके विरुद्ध पब्बजनीय कर्म करता है, जिसका अर्थ यह है कि असजी और पुनाबसु के अनुयायी भिक्षु किता पर्वत पर निवास न करें। जो भी आदरणीय भिक्षु इन अनुयायियों के विरुद्ध पब्बजनीय कर्म करने का समर्थन करते हैं, वे मौन रहें। जो इसका समर्थन नहीं करते, वे बोलें।"

मैं दूसरी बार वही बात कहता हूँ। आदरणीय संघ (आदि, पहले की तरह)। मैं तीसरी बार वही बात कहता हूँ। आदरणीय संघ (आदि, पहले की तरह)।

"संगठन ने असजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षुओं के विरुद्ध पब्बजनीय-कम्म का आदेश दिया है कि असजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षु किता पर्वत पर निवास न करें। संघ इसका समर्थन करता है। इसलिए वह मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

<<<< पिछला(1.12) । अगला(1.14) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.13) । अगला(1.15) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खण्डका तृतीय। पब्बाजनीय-कम्मा (निर्वासन का कार्य)

अध्याय-14.

1. [यहाँ बारह ऐसे मामले दिए गए हैं जिनमें पब्बजनीय-कम्मा को क्रमशः विधि के विरुद्ध और विधि के अनुसार घोषित किया गया है, अध्याय 2 और 3 के सटीक शब्दों में, जहाँ ताजजनीय के स्थान पर पब्बजनीय पढ़ा गया है। इसके बाद अध्याय 4 के सटीक शब्दों में अनुमेय निलंबन के छह मामले दिए गए हैं, लेकिन ताजजनीय-कम्मा के लिए वहाँ दिए गए मामलों के अतिरिक्त, इस अध्याय के अनुच्छेद 1 और 2 को क्रमशः उस अध्याय के अनुच्छेद 1 और 2 के अंत में जोड़ा गया है।]

1. हे भिक्षुओं, जब कोई भिक्षु इन तीन बातों से युक्त हो, तो संघ चाहे तो उसके विरुद्ध पब्बजनीयकम्मा कर सकता है; (अर्थात्) जब वह कर्मों में तुच्छता से युक्त हो—जब वह वाणी में तुच्छता से युक्त हो—जब वह कर्म और वाणी दोनों में तुच्छता से युक्त हो। हे भिक्षुओं, ये तीन बातें उसके विरुद्ध हैं (आदि, पहले की तरह)।

हे भिक्षुओं, तीन अन्य बातें भी हैं, जो किसी भिक्षु में पाई जाती हैं, तो संघ चाहे तो उसके विरुद्ध पब्बजनीयकम्मा कर सकता है; (अर्थात्) जब वह कर्म में सही कर्म का अभाव दिखाता है—जब वह वाणी में सही कर्म का अभाव दिखाता है—जब वह कर्म और वाणी दोनों में सही कर्म का अभाव दिखाता है। हे भिक्षुओं, ये तीन अन्य बातें हैं (आदि, पहले की तरह, आगे तक) उसके विरुद्ध।

'अन्य तीन बातें भी हैं (आदि, जैसा कि पिछले प्रत्येक अनुच्छेद में है; यहाँ तीन बातें हैं उसके द्वारा कर्म, वाणी और कर्म एवं वाणी दोनों में दूसरों को पहुँचाई गई हानि, जो कि संप्रदाय के उपदेशों और प्रथाओं में उसके स्वयं के प्रशिक्षण की कमी के कारण है)।

'अन्य तीन चीजें भी हैं (आदि, जैसा कि पिछले प्रत्येक अनुच्छेद में है, यहाँ तीन चीजें हैं कर्म में, वाणी में और कर्म और वाणी दोनों में जीवन की बुराई)।

2. हे भिक्षुओं, तीन प्रकार के भिक्षु होते हैं, जिनके विरुद्ध संघ चाहे तो पब्बजनीयकम्म कर सकता है; (अर्थात्) कर्म में चंचल, वाणी में चंचल और कर्म और वाणी दोनों में चंचल। ये तीन प्रकार के भिक्षु हैं (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है, पब्बजनीयकम्म तक)।

भिक्षुओं के तीन अन्य प्रकार भी हैं (आदि, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में है, पहले, सही कर्म का अभाव - दूसरे, दूसरों को हानि पहुँचाना - और तीसरे, कर्म, वाणी और कर्म एवं वाणी दोनों में जीवन की बुराई को प्रतिस्थापित करते हुए)।

<<<< पिछला(1.13) । अगला(1.15) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.14) । अगला(1.16) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खण्डका तृतीय। पब्बाजनीय-कम्मा (निर्वासन का कार्य)

अध्याय-15.

[यह अध्याय अध्याय-5 के समान है, जिसमें ताजजिया के स्थान पर पब्बजिया पढ़ा गया है।]

<<<< पिछला(1.14) । अगला(1.16) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.16
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.15) । अगला(1.17) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खण्डका तृतीय। पब्बाजनीय-कम्मा (निर्वासन का कार्य)

अध्याय-16.

1. अतः सारिपुत्त और मोग्गलाना के नेतृत्व में भिक्षु संघ किता पर्वत की ओर अग्रसर हुआ और वहाँ उन्होंने अपने अनुयायियों भिक्षुओं के विरुद्ध पब्बजनीयकम्मा का क्रियान्वयन किया।

असाजी और पुनाबस्सु ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे भिक्षु किता पर्वत पर न रहें। और जब संघ ने उन्हें पब्बजनीय-कर्म के अधीन किया, तो उन्होंने उचित आचरण नहीं किया, वे शांत नहीं हुए, उन्होंने मुक्ति की प्रार्थना नहीं की, उन्होंने भिक्षुओं से क्षमा नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने उनका अपमान किया, उनमें दोष निकाला और कहा कि वे पक्षपात, दुर्भावना, मूर्खता और भय के कारण अपराध कर रहे हैं; और वे न केवल उस स्थान से चले गए, बल्कि संघ भी छोड़ दिया।

जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'जो भिक्षु अस्सजी और पुनब्बासु के अनुयायी हैं, संघ द्वारा पब्बजनीय-कर्म के अधीन किए जाने के बाद भी, वे सही आचरण करने से इनकार कैसे कर सकते हैं (और इसी प्रकार, पहले की तरह) संघ छोड़ सकते हैं?' और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षुसंघ की एक सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा:

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि कहा जाता है कि अस्सजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षु, संघ द्वारा पब्बजनीय-कर्म के अधीन किए जाने के बाद, संघ छोड़ने से इनकार कर देते हैं (आदि, पहले की तरह)?'

'यह सच है, प्रभु!'

'वे भिक्षु जो (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है) संघ छोड़ सकते हैं? हे भिक्षुओं, इससे न तो अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या में वृद्धि होगी; बल्कि इससे अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा और जो परिवर्तित हो चुके हैं वे वापस लौट जाएंगे।' और जब भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को विभिन्न प्रकार से फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

तो फिर, हे भिक्षुओं, संघ पब्बजनीय-कर्म का निरस्तीकरण न करे। हे भिक्षुओं, पाँच बातें हैं (आदि, जैसा कि पहले अध्याय-6, §-2 से अध्याय-7 के अंत तक, तज्जनिया के स्थान पर पब्बजनीय पढ़ते हुए):

यहां उन अठारह मामलों का अंत होता है जिनमें (पब्बजनीय-कम्मा को) निरस्त किया जाना चाहिए।

<<<< पिछला(1.15) | अगला(1.17) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.17
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.16) | अगला(1.18) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खण्डका तृतीय। पब्बाजनीय-कम्मा (निर्वासन का कार्य)

अध्याय-17.

1. 'हे भिक्षुओं, अब इस प्रकार निरस्तीकरण किया जाना चाहिए। जिस भिक्षु पर पब्बजनीय-कम्म लागू किया गया है, उसे संघ के समक्ष जाना चाहिए (आदि, जैसा कि अध्याय-8, अनुच्छेद-1, 2 से अंत तक पहले बताया गया है)।'

यहां तीसरा (कम्मा), पब्बजनीय-कम्मा समाप्त होता है।

<<<< पिछला(1.16) | अगला(1.18) >>>>

IV. पतिसरनिया-कर्म (मेल-मिलाप का कार्य)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.18
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.17) | अगला(1.19) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका चतुर्थ. पतिसारनिया-कर्म (सुलह का कार्य)

अध्याय-18.

1. उस समय पूज्य सुधम्म मक्खिकासंडा में चित्त गृहस्थ के अधीन निवास कर रहे थे, उनके द्वारा निर्मित नए भवनों की देखरेख करते थे और चित्त से नियमित रूप से भोजन प्राप्त करते थे। जब भी चित्त संघ को, या चार-पाँच भिक्षुओं को, या किसी एक को आमंत्रित करना चाहते थे, तो वे पूज्य सुधम्म का विशेष उल्लेख किए बिना आमंत्रित नहीं करते थे।

उस समय कई थेरा भिक्षु, जिनमें पूज्य सारिपुत्त, पूज्य महा मोग्गलाना, पूज्य महा कक्कना, पूज्य महा कोत्थिता, पूज्य महा कप्पिना और पूज्य महा कुंडा आदि शामिल थे, उपस्थित थे।

आदरणीय अनुरुद्ध, आदरणीय रेवता, आदरणीय उपली, आदरणीय आनंद और आदरणीय राहुल काशी देश से होते हुए मक्खिकासंडा पहुंचे। वहां गृहस्थ चित्त ने यह समाचार सुना कि थेरा भिक्षु मक्खिकासंडा पहुंच गए हैं।

तब गृहस्थ चित्त थेरा भिक्षुओं के स्थान पर गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने थेरा भिक्षुओं को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। जब वे बैठे तो पूज्य सारिपुत्त ने गृहस्थ चित्त को उपदेश दिया, उनका प्रोत्साहन किया, उन्हें प्रेरित किया और धर्म प्रवचन से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार उपदेश, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन और धर्म प्रवचन से प्रसन्न होकर गृहस्थ चित्त ने थेरा भिक्षुओं से कहा, 'पूज्य थेरा भिक्षु कल मेरे घर में भिक्षु के रूप में भोजन करने की अनुमति दें।' थेरा भिक्षुओं ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की।

2. तब यह देखकर कि थेरा भिक्षुओं ने अपनी सहमति दे दी है, गृहस्थ चित्त अपने आसन से उठे और थेरा भिक्षुओं के सामने प्रणाम किया, और उन्हें अपने दाहिनी ओर रखते हुए उनके पास से गुजरे और उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ पूज्य सुधम्म विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य सुधम्म को प्रणाम किया और एक तरफ खड़े हो गए। इस प्रकार खड़े होकर गृहस्थ चित्त ने पूज्य सुधम्म से कहा, 'कृपापूर्वक सुधम्म कल का भोजन मेरे घर में थेरा भिक्षुओं के साथ करने की अनुमति दें।'

लेकिन पूज्य सुधम्म ने यह सोचते हुए कि, 'पहले तो यह चित्त गृहस्थ था, जब भी वह संघ को निमंत्रण देना चाहता था, या

चार-पाँच भिक्षुओं को, या उनमें से किसी एक को भी, वह मेरा विशेष उल्लेख किए बिना आमंत्रित नहीं करता था; परन्तु अब उसने मेरा उल्लेख किए बिना ही थेरा भिक्षुओं को आमंत्रित कर दिया है। यह चित्त गृहस्थ अब मुझसे क्रोधित है, मुझसे शत्रुता रखता है, और अब मुझसे प्रसन्न नहीं होता।' और ऐसा सोचकर उसने मना कर दिया, 'हे गृहस्थ, बस करो।'

और दूसरी बार गृहस्थ चित्त ने पूज्य सुधम्म से कहा (और इसी तरह, पहले की तरह, वही परिणाम निकला)। और तीसरी बार (और इसी तरह, पहले की तरह, वही परिणाम निकला)।

तब गृहस्थ चित्त ने यह सोचकर कि 'आदरणीय सुधम्म मेरे विरुद्ध क्या कर सकते हैं, चाहे वे सहमत हों या असहमत,' आदरणीय सुधम्म को प्रणाम किया और उन्हें अपने दाहिनी ओर रखते हुए वहाँ से चले गए।

3. रात के अंत में, गृहस्थ चित्त ने थेरा भिक्षुओं के लिए मीठे व्यंजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार के, तैयार किए। आदरणीय सुधम्म ने सोचा, 'मैं भी जाकर देख लूँ कि गृहस्थ चित्त ने थेरा भिक्षुओं के लिए क्या तैयार किया है,' और सुबह जल्दी ही वस्त्र धारण करके चित्त के निवास स्थान पर गए; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने लिए बिछाई गई चटाई पर आसन ग्रहण किया।

तब गृहस्थ चित्त उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य सुधम्म विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य सुधम्म को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। जब वे बैठ गए तो पूज्य सुधम्म ने गृहस्थ चित्त से कहा: 'हे गृहस्थ, यद्यपि तुमने यह भरपूर मात्रा में मीठे व्यंजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार के, तैयार कर दिए हैं, फिर भी एक चीज की कमी है, अर्थात् तिल की खली।'

हे महाराज, बुद्धों के संरक्षण में इतना खजाना है, फिर भी पूज्य सुधम्म केवल एक ही चीज का जिक्र करते हैं, और वह है तिल की खली। बहुत समय पहले, हे महाराज, दक्षिणपथ के कुछ व्यापारी अपने व्यापार के लिए पूर्व देश गए और वहाँ से एक मुर्गी लाए। हे महाराज, उस मुर्गी का एक कौवे से मिलन हुआ और उसने एक चूजे को जन्म दिया। हे महाराज, जब भी वह चूजा मुर्गे की आवाज निकालने की कोशिश करता, तो उसकी आवाज "कांव" होती, और जब भी वह कौवे की आवाज निकालने की कोशिश करता, तो उसकी आवाज "कुकड़ू" होती। ठीक इसी प्रकार, हे महाराज, बुद्धों के संरक्षण में इतना खजाना होने के बावजूद, जब भी पूज्य सुधम्म बोलते हैं, तो उनकी आवाज "तिल की खली" ही होती है।

4. 'हे गृहस्थ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम मुझमें दोष निकाल रहे हो। हे गृहस्थ, यह स्थान तुम्हारा है। मुझे यहाँ से जाना होगा,' पूज्य सुधम्म ने कहा।

'हे महोदय, मेरा इरादा पूज्य सुधम्म का अपमान करने या उनकी आलोचना करने का नहीं है। महोदय, पूज्य सुधम्म मक्खिकासंडा में ही निवास करें। यह बेर के वृक्षों का उपवन रमणीय है, और मैं पूज्य सुधम्म को वे सभी चीजें उपलब्ध कराने का पूरा ध्यान रखूंगा जिनकी एक संन्यासी को आवश्यकता होती है—अर्थात वस्त्र, भोजन, आवास और बीमार होने पर दवा।'

और दूसरी बार पूज्य सुधम्म ने कहा: तुम मुझे गाली दे रहे हो (आदि, पहले की तरह, उसी उत्तर के साथ)। और तीसरी बार पूज्य सुधम्म ने कहा: 'तुम मुझे गाली दे रहे हो (आदि, पहले की तरह), मुझे इससे दूर जाना होगा।'

'तो फिर, महाराज, आदरणीय सुधम्मा कहाँ जाएँगे?'

'हे गृहस्थ, मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए सावत्थी जाऊंगा।'

'तो फिर, महाराज, आपने जो कहा है और मैंने जो कहा है, वह सब भगवान बुद्ध को बता दीजिए। और महाराज, यदि पूज्य सुधम्म मक्खिकासंडा में भी पुनः लौट आएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।'

5. तब पूज्य सुधम्म ने अपनी चटाई समेटी और अपने कुंड और वस्त्र के साथ श्रावस्ती के लिए प्रस्थान किया। वे सीधे श्रावस्ती, जेतवन, अनाथपिंडिका के उपवन, उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के समक्ष प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। इस प्रकार बैठने के बाद पूज्य सुधम्म ने भगवान बुद्ध को अपने और गृहस्थ चित्त के सभी वचन बताए।

महान बुद्ध ने उसे फटकारते हुए कहा, "हे मूर्ख, यह अनुचित था, नियम के अनुसार नहीं था, अनुपयुक्त था, एक भिक्षु के योग्य नहीं था, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। हे मूर्ख, तुम कैसे चित्त जैसे गृहस्थ को, जो एक आस्थावान व्यक्ति, विश्वासी शिष्य, दानदाता, प्रदाता और संघ का समर्थक था, अपने निंदा से नीचा दिखा सकते हो? हे मूर्ख, इससे न तो अपवर्तितों का धर्म परिवर्तन होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या बढ़ेगी; बल्कि इससे अपवर्तितों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा और जो परिवर्तित हो चुके हैं वे विमुख हो जाएंगे।"

परिवर्तित हो गया।' और उसे फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उसने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'अतः हे भिक्षुओं, संघ भिक्षु सुधम्म के विरुद्ध पतिसराणीय-कर्म (संयम का कार्य) करे, और कहे, "तुम्हें गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगनी है और क्षमा प्राप्त करनी है।"'

6. हे भिक्षुओं, अब इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम भिक्षु सुधम्म को चेतावनी दी जानी चाहिए: चेतावनी दिए जाने के बाद, उन्हें (पतिमोक्खा के उस नियम की याद दिलाई जानी चाहिए जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है); याद दिलाए जाने के बाद, उन पर अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए; अपराध का आरोप लगाए जाने के बाद, किसी विवेकशील और सक्षम भिक्षु को संघ के समक्ष यह मामला रखते हुए कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनो। इस भिक्षु सुधम्म ने चित्त नामक गृहस्थ, जो एक धर्मनिष्ठ, निष्ठावान शिष्य, दानदाता, संघ का पालनहार और समर्थक है, का अपमान किया है और निंदा की है। यदि संघ के लिए समय उपयुक्त हो, तो संघ भिक्षु सुधम्म के विरुद्ध पतिसराणीय कर्म करे।"

"यह गति (नट्टी) है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। यह भिक्षु (और इसी प्रकार, पहले की तरह) संघ का समर्थक है। संघ इसके द्वारा भिक्षु सुधम्म के विरुद्ध पतिसारणीय कर्म करता है, जिसमें कहा जाता है, 'तुम्हें गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगनी है और क्षमा प्राप्त करनी है।' आदरणीय भिक्षुओं में से जो भी सुधम्म भिक्षु के विरुद्ध पतिसारणीय कर्म करने का समर्थन करता है, वह मौन रहे। जो भी इसका समर्थन नहीं करता, वह बोले।"

मैं दूसरी बार वही बात कहता हूँ। आदरणीय संघ (आदि, पहले की तरह)। मैं तीसरी बार वही बात कहता हूँ। आदरणीय संघ (आदि, पहले की तरह)।

"भिक्षु सुधम्म के विरुद्ध पतिसराणीय-कर्म इस प्रकार किया गया है, 'तुम्हें गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगनी है और क्षमा प्राप्त करनी है।' संघ इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। इसलिए यह मौन है। मेरा यही अर्थ है।"

<<<< पिछला(1.17) | अगला(1.19) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.19

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.18) | अगला(1.20) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका चतुर्थ. पतिसारनिया-कर्म (सुलह का कार्य)

अध्याय-19.

[यहाँ पतिसरानिया-कम्मा के बारह मामलों और विधि के अनुसार कार्यवाही के बारह मामलों को तज्जनिया-कम्मा के अध्याय 2 और 3 के शब्दों में दोहराया गया है।]

<<<< पिछला(1.18) | अगला(1.20) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.20

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.19) | अगला(1.21) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका चतुर्थ. पतिसारनिया-कर्म (सुलह का कार्य)

अध्याय-20.

1. हे भिक्षुओं, पाँच बातें ऐसी हैं जो किसी भिक्षु में पाई जाती हैं, तो संघ चाहे तो उसके विरुद्ध पतिसराणीय कर्म कर सकता है; (अर्थात्) जब वह गृहस्थों को हानि पहुँचाने का प्रयास करता है—जब वह गृहस्थों को उनके आवासों से वंचित करने का प्रयास करता है—जब वह गृहस्थों की निंदा करता है और उनमें दोष निकालता है—जब वह गृहस्थों में फूट डालता है। हे भिक्षुओं, ये पाँच बातें उसके विरुद्ध (ऊपर दिए गए कथनों के अनुसार) की जाती हैं।

हे भिक्षुओं, पाँच अन्य बातें हैं, जो किसी भिक्षु में पाई जाती हैं, तो संघ चाहे तो उसके विरुद्ध पतिसराणीय कर्म कर सकता है; (अर्थात्) जब वह गृहस्थों से बुद्ध की निंदा करता है—जब वह गृहस्थों से धम्म की निंदा करता है—जब वह गृहस्थों से संघ की निंदा करता है—जब वह गृहस्थों को नीचा दिखाता है और निंदा करके उनका अपमान करता है—जब वह गृहस्थों से नियमों के अनुसार किए गए वचन का पालन नहीं करता है। हे भिक्षुओं, ये पाँच अन्य बातें हैं, जो उसके विरुद्ध की जाती हैं। (अतः पहले की तरह, आगे भी)।

'हे भिक्षुओं, पाँच प्रकार के भिक्षु होते हैं, जिनके विरुद्ध संघ चाहे तो पतिसराणीय कर्म कर सकता है; (अर्थात्) वह जो गृहस्थों को हानि पहुँचाने का प्रयास करता है (आदि, जैसा कि अंतिम अनुच्छेद में अंत तक है)।'

यहां चार गुना पांच संदेह के मामले समाप्त होते हैं।

<<<< पिछला(1.19) । अगला(1.21) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.21
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.20) । अगला(1.22) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका चतुर्थ. पतिसारनिया-कर्म (सुलह का कार्य)

अध्याय-21.

[अध्याय-5, जिसमें तज्जनिया-कम्मा के अधीन भिक्षु के उचित आचरण का वर्णन है, को दोहराया गया है, जिसमें तज्जनिया के स्थान पर पतिसरानिया पढ़ा गया है।]

यहां पतिसरानिया-कम्मा के अंतर्गत आने वाले अठारह कर्तव्य समाप्त होते हैं।

<<<< पिछला(1.20) । अगला(1.22) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.22
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.21) । अगला(1.23) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका चतुर्थ. पतिसारनिया-कर्म (सुलह का कार्य)

अध्याय-22.

1. अतः संघ ने भिक्षु सुधम्म के विरुद्ध पतिसरनियाकम्म का निष्पादन करते हुए कहा, 'तुम्हें गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगकर क्षमा प्राप्त करनी है।' संघ द्वारा पतिसरनियाकम्म के अधीन किए जाने के बाद, यद्यपि वह मक्किकासंडा गया, परन्तु मन में अत्यधिक व्याकुलता के कारण वह गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगकर क्षमा प्राप्त करने में असमर्थ रहा, और सावत्थी लौट आया।

तब भिक्षुओं ने उससे पूछा, 'क्या आपने गृहस्थ चित्त को मनाकर उससे क्षमा प्राप्त की है?'

'वास्तव में, यद्यपि मैं मक्किकासंडा गया था, फिर भी मन में अत्यधिक व्याकुलता के कारण मैं गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगने और प्राप्त करने में असमर्थ रहा।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. 'हे भिक्षुओं, संघ सुधम्म भिक्षु के पास एक दूत नियुक्त करे, ताकि वह गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगे और प्राप्त करे।

हे भिक्षु, अब दूत की नियुक्ति इस प्रकार की जानी चाहिए। सर्वप्रथम, भेजे जाने वाले भिक्षु से पूछा जाए कि क्या वह जाने के लिए इच्छुक है। पूछने के बाद, किसी विवेकशील और योग्य भिक्षु द्वारा संघ के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए:

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। यदि आदरणीय संघ को समय उपयुक्त लगे, तो संघ अमुक भिक्षु को सुधम्म भिक्षु के साथ दूत नियुक्त करे, ताकि वह गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगे और प्राप्त करे।"

"यह गति (नट्टी) है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुने। संघ इसके द्वारा अमुक भिक्षु को सुधम्म भिक्षु का सह-संदेशवाहक नियुक्त करता है, ताकि वह गृहस्थ चित्त से क्षमा मांगे और प्राप्त करे। आदरणीय भिक्षुओं में से जो भी अमुक भिक्षु को सुधम्म भिक्षु का सह-संदेशवाहक नियुक्त किए जाने का समर्थन करता है, वह मौन रहे। जो भी इसका समर्थन नहीं करता, वह बोले।"

"संघ द्वारा फलां भिक्षु नियुक्त किया गया है। (आदि, जैसा पहले बताया गया है)। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए वह मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

3. "तो, हे भिक्षुओं, सुधम्म भिक्षु को अपने सह-संदेशवाहक भिक्षु के साथ मक्खिकासंडा जाकर चित्त गृहस्थ से क्षमा मांगने को कहो, 'हे गृहस्थ, मुझे क्षमा कर दीजिए; मैं एक बार फिर आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ।' यदि वह ऐसा कहने पर उन्हें क्षमा कर दे, तो अच्छा है। यदि वह उन्हें क्षमा न करे, तो सह-संदेशवाहक भिक्षु को कहना चाहिए, 'हे गृहस्थ, उन्हें क्षमा कर दीजिए; वे एक बार फिर आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं।' यदि वह ऐसा कहने पर उन्हें क्षमा कर दे, तो अच्छा है। यदि वह उन्हें क्षमा न करे, तो सह-संदेशवाहक भिक्षु को कहना चाहिए, 'हे गृहस्थ, उन्हें क्षमा कर दीजिए; मैं आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि वह ऐसा कहते हुए उसे क्षमा कर दे, तो अच्छा है। यदि वह क्षमा न करे, तो सह-संदेशवाहक भिक्षु को कहना चाहिए, "हे गृहस्थ, संघ के नाम पर इस भिक्षु को क्षमा कर दीजिए (मैं आपसे विनती करता हूँ)।" (आदि, पहले की तरह)। यदि वह क्षमा न करे, तो सह-संदेशवाहक भिक्षु—गृहस्थ चित्त की दृष्टि और श्रवण शक्ति से ओझल हुए बिना—सुधम्म भिक्षु को अपना वस्त्र एक कंधे पर व्यवस्थित करने और एड़ियों के बल बैठकर दोनों हाथों की हथेलियाँ जोड़कर अपने दोष को स्वीकार करने के लिए कहना चाहिए।

<<<< पिछला(1.21) | अगला(1.23) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.23
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.22) | अगला(1.24) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका चतुर्थ. पतिसारनिया-कर्म (सुलह का कार्य)

अध्याय-23.

1. अतः पूज्य सुधम्म एक अन्य भिक्षु को दूत बनाकर मक्खिकासंडा गए और गृहस्थ चित्त से क्षमा प्राप्त की। चित्त ने सही आचरण किया, शांत हुआ और मुक्ति की प्रार्थना की (अतः, अध्याय 6, 7 से अंत तक)।

यहां उन अठारह मामलों का अंत होता है जिनमें पतिसरानिया-कम्मा को निरस्त किया जाना चाहिए।

<<<< पिछला(1.22) । अगला(1.24) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.24
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.23) । अगला(1.25) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका चतुर्थ. पतिसारनिया-कर्म (सुलह का कार्य)

अध्याय-24.

[इस अध्याय में पतिसरानिया-कम्म के निरसन का कम्मवक अध्याय 8 और 12 के समान शब्दों में दिया गया है।]

यहां चौथा (कम्मा), पतिसरनिया-कम्मा समाप्त होता है।

<<<< पिछला(1.23) । अगला(1.25) >>>>

V. उक्खेपनिया-कम्मास (निलंबन के अधिनियम) .

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.25
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.24) । अगला(1.26) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

V. अपराध को स्वीकार न करने या उसका प्रायश्चित न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा (निलंबन के कार्य)

अध्याय-25.

1. उस समय भगवान बुद्ध कोसंबी में घोषिता आश्रम में निवास कर रहे थे। उस समय पूज्य चन्ना ने एक गलती की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। संयमी भिक्षुओं को यह देखकर गुस्सा आया, वे आपस में बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, 'पूज्य चन्ना ऐसा कैसे कर सकते हैं?' उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में, भिक्षु संघ की सभा बुलाकर भिक्षुओं से पूछा:

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि वे कहते हैं कि चन्ना

जब उसने कोई गलती की हो, तो वह उस गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता?

'यह सच है, प्रभु!'

महान बुद्ध ने उसे फटकारते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, वह मूर्ख ऐसा कैसे कर सकता है? इससे न तो अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या बढ़ेगी; बल्कि इससे न परिवर्तित लोग परिवर्तित ही नहीं होंगे और जो परिवर्तित हो चुके हैं वे फिर से विमुख हो जाएंगे।'

और जब भगवान बुद्ध ने उन्हें इस प्रकार फटकारा और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'अतः हे भिक्षुओं, संघ, भिक्षु चन्ना के विरुद्ध अपत्तिया अदस्साने उक्खेपनिया-कम्म (दोष स्वीकार न करने पर होने वाला निलंबन) करे, ताकि वह संघ के साथ न तो भोजन करे और न ही निवास करे।'

'अब, हे भिक्षुओं, इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए।' [यहाँ अध्याय-1, 4 के अनुसार कम्मवक के औपचारिक शब्द दिए गए हैं, जिनमें दोष और उसके बाद आने वाले कर्म के अंतर के कारण आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। और कम्मवक के अंत में ('इस प्रकार मैं समझता हूँ' शब्दों के बाद) निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है।]

'हे भिक्षुओं, घर-घर जाकर यह घोषणा भेजो कि "भिक्षु चन्ना को संघ द्वारा उक्खेपनीय-कम्मा के अधीन कर दिया गया है क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की।"'

<<<< पिछला(1.24) | अगला(1.26) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.26
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.25) | अगला(1.27) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

V. अपराध को स्वीकार न करने या उसका प्रायश्चित न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा (निलंबन के कार्य)

अध्याय-26.

[यहाँ बारह ऐसे मामले दिए गए हैं जिनमें कर्म विधि के विरुद्ध है, और बारह ऐसे मामले जिनमें यह विधि के अनुसार है; और साथ ही वे छह अनुमेय मामले भी दिए गए हैं जिनमें संघ चाहे तो इसे अध्याय 2, 3 और 4 के अनुसार ही किया जा सकता है।]

<<<< पिछला(1.25) | अगला(1.27) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.27
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.26) | अगला(1.28) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

V. अपराध को स्वीकार न करने या उसका प्रायश्चित न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा (निलंबन के अधिनियम)

अध्याय-27

1. 'जिस भिक्षु के विरुद्ध किसी गलती को स्वीकार न करने पर उक्खेपनियकम्मा का पालन किया गया हो, उसे सही आचरण करना चाहिए। और इसमें, यही उचित आचरण है: उसे उपसम्पदा प्रदान नहीं करनी चाहिए—उसे निस्साया नहीं देना चाहिए—उसे स्वयं को समनेरा प्रदान नहीं करना चाहिए—उसे भिक्षुणियों को उपदेश देने का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए—यदि उसने वह पद स्वीकार कर लिया है, तो उसे भिक्षुणियों को उपदेश नहीं देना चाहिए—उसे वह अपराध नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसके विरुद्ध दोष स्वीकार न करने के बाद आने वाला उक्खेपनीय-कम्म किया गया है—न ही इसी प्रकार का कोई अपराध—न ही कोई और गंभीर अपराध—उसे अपने विरुद्ध की गई कार्यवाही में दोष नहीं निकालना चाहिए—न ही उन भिक्षुओं में जिन्होंने इसे अंजाम दिया है—उसे किसी नियमित भिक्षु से आदर, सेवा, अभिवादन या सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए, न ही उसे बैठने की जगह, सोने की जगह, पैरों के लिए जल या कुछ और प्रदान करने देना चाहिए। उसके लिए पाँव रखने की चौकी या पाँव पोंछने का काम नहीं करना चाहिए, न ही उसका कटोरा या वस्त्र उठाना चाहिए, न ही उसके बाल धोने चाहिए—उसे किसी नियमित भिक्षु को इस शिकायत से परेशान नहीं करना चाहिए कि वह नैतिकता, आचरण, सिद्धांत या जीविका कमाने के तरीके में असफल रहा है—उसे किसी भिक्षु और भिक्षुओं के बीच फूट नहीं डालनी चाहिए—उसे गृहस्थ होने या किसी अन्य मत का अनुयायी होने के बाहरी लक्षण नहीं दिखाने चाहिए—उसे अन्य मतों के उपदेशकों का अनुसरण नहीं करना चाहिए—उसे भिक्षुओं का अनुसरण करना चाहिए—उसे भिक्षुओं के प्रशिक्षण में स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए—उसे किसी नियमित भिक्षु के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहिए, चाहे वह स्थान औपचारिक रूप से निवास घोषित किया गया हो, या निवास न हो, या ऐसा स्थान हो जो न तो निवास हो और न ही निवास—किसी नियमित भिक्षु को देखकर उसे अपनी सीट से उठ जाना चाहिए—वह किसी भी भिक्षु को निवास के अंदर या बाहर स्पर्श नहीं करना चाहिए—उसे किसी भिक्षु के उपोसथा समारोह या पवाराना समारोह में भाग लेने पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिए—उसे किसी कनिष्ठ भिक्षु को आदेश नहीं देना चाहिए (उसे सीमा से बाहर जाने से रोकना या उसे बड़ों के सामने पेश होने के लिए बुलाना)—उसे किसी अन्य भिक्षु के विरुद्ध निंदा नहीं करनी चाहिए—उसे किसी अन्य भिक्षु से (उस भिक्षु को फटकार लगाने के लिए) अनुमति नहीं मांगनी चाहिए—उसे (किसी अन्य भिक्षु को, जिसके बारे में उसे लगता है कि वह अपराध कर रहा है) चेतावनी नहीं देनी चाहिए—उसे (किसी अन्य भिक्षु को, जिसके बारे में उसे लगता है कि वह अपराध कर रहा है) याद नहीं दिलाना चाहिए—और उसे भिक्षुओं के साथ संगति नहीं करनी चाहिए।

यहां उन तैंतालीस कर्तव्यों का अंत होता है जो किसी गलती को स्वीकार न करने पर उक्खेपनिया-कम्मा के बाद आते हैं।

<<<< पिछला(1.26) । अगला(1.28) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.28
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.27) । अगला(1.29) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

V. अपराध को स्वीकार न करने या उसका प्रायश्चित न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा (निलंबन के कार्य)

अध्याय-28.

1. इसलिए संघ ने भिक्षु चन्ना के विरुद्ध उक्खेपनीय-कम्मा का दंड दिया क्योंकि उन्होंने अपना दोष स्वीकार नहीं किया था, जिसके अनुसार उन्हें संघ के साथ नहीं रहना चाहिए। और जब संघ ने उन्हें अपना दोष स्वीकार न करने के कारण उक्खेपनीय-कम्मा का दंड दिया, तो वे उस निवास से दूसरे निवास में चले गए। वहाँ के भिक्षुओं ने उनका आदर नहीं किया, न ही वे उनका स्वागत करने के लिए अपनी सीटों से उठे, न ही उनकी सेवा की, न ही उन्हें प्रणाम किया, न ही उन्हें सम्मान दिया, न ही उन्हें आतिथ्य सत्कार दिया, न ही उनका आदर किया, न ही उन्हें सम्मान दिया, न ही उनका समर्थन किया। और जब उन्हें भिक्षुओं से न तो आतिथ्य सत्कार, न ही स्वागत, न ही आदर, न ही सम्मान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने

समर्थन मिलने पर, वह उस निवास से दूसरे निवास में चले गए। वहाँ के भिक्षुओं ने उनका आदर नहीं किया, न ही उनका स्वागत करने के लिए अपनी सीटों से उठे, न ही उनकी सेवा की (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है)। जब उन्हें कोई आतिथ्य सत्कार नहीं मिला, तो वे वापस कोसंबी लौट आए। तब उन्होंने उचित आचरण किया, और वे शांत हो गए, और उन्होंने मुक्ति की कामना की, और भिक्षुओं के पास जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा: 'हे महोदय, संघ द्वारा उक्खेपनियकम्मा के अधीन किए जाने के बाद, मैं उसके अनुसार उचित आचरण कर रहा हूँ, और मैं शांत हो गया हूँ, और मैं मुक्ति की कामना करता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो फिर, हे भिक्षुओं, संघ को चन्ना भिक्षु के विरुद्ध किए गए अपने दोष को स्वीकार न करने के लिए उक्खेपनीय-कम्मा को रद्द कर देना चाहिए।'

2. 'हे भिक्षुओं, पाँच बातें हैं, [आदि, इस खंड का शेष भाग पिछले भाग से वही संबंध रखता है जो अध्याय-6, §-2, अध्याय-5 से रखता है।]'

यहां उन तैंतालीस मामलों का अंत होता है [जिनमें गलती स्वीकार न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा को रद्द नहीं किया जाना है]।

<<<< पिछला(1.27) । अगला(1.29) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.29
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.28) । अगला(1.30) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

V. अपराध को स्वीकार न करने या उसका प्रायश्चित न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा (निलंबन के कार्य)

अध्याय-29.

'हे भिक्षुओं, पाँच बातें हैं, [आदि, जैसा कि अध्याय-7 में है। यह अध्याय अध्याय-28 का ठीक विपरीत है।]

यहां उन तैंतालीस मामलों का अंत होता है [जिनमें गलती स्वीकार न करने के लिए जारी किए गए उक्खेपनिया-कम्मा को रद्द किया जाना चाहिए]।

<<<< पिछला(1.28) । अगला(1.30) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.29 | अगला(1.31) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

V. अपराध को स्वीकार न करने या उसका प्रायश्चित न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा (निलंबन के कार्य)

अध्याय-30

'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, निरस्तीकरण किया जाना चाहिए [आदि, जैसा कि पहले अध्याय 8, 12, आदि में बताया गया है]'

यहां पांचवां कर्म समाप्त होता है, अर्थात्, गलती स्वीकार न करने का उक्खेपनीय-कर्म।

<<<< पिछला(1.29 | अगला(1.31) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.31

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.30) | अगला(1.32) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

V. अपराध को स्वीकार न करने या उसका प्रायश्चित न करने के लिए उक्खेपनिया-कम्मा (निलंबन के कार्य)

अध्याय-31

उस समय महान बुद्ध कोसंबी में घोषिता आराम (मठ) में निवास कर रहे थे। उस समय पूज्य चन्ना ने जब कोई गलती की थी, तो वे उस गलती का प्रायश्चित करने को तैयार नहीं थे [आदि, इस मामले में कार्यवाही वही है, और उसी शब्दों में बताई गई है जैसे पिछले मामले में, अध्याय 25-30]।

यहां छठा कर्म समाप्त होता है; अर्थात्, दोष के लिए प्रायश्चित न करने संबंधी उक्खेपनीय-कर्म।

<<<< पिछला(1.30) | अगला(1.32) >>>>

VI. उक्खेपनीय-कम्मा (पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के कारण)

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.31) | अगला(1.33) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

VI. उक्खेपनीय-कम्मा (पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के कारण)

अध्याय-32

1. उस समय भगवान बुद्ध सावत्थी में, जेतवन में, अनाथपिंडिका के उपवन में ठहरे हुए थे। उस समय अरित्थ नामक एक भिक्षु, जो पहले गिद्धों को सताने वाला था, इस प्रकार के पापपूर्ण विश्वास में पड़ गया था; (अर्थात्), 'भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्म को मैं इस प्रकार समझता हूँ कि जो व्यक्ति उन चीजों का अभ्यास करता है जिन्हें भगवान बुद्ध ने बाधक घोषित किया है,

ऐसी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी जो उसे आध्यात्मिक वरदान प्राप्त करने से रोक सके।

अब कई भिक्षुओं ने सुना कि अरित्थ, जो पहले भी (जैसा कि पहले बताया गया है) आध्यात्मिक वरदानों में बाधक रहा था, वहाँ गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अरित्थ से पूछा, 'हे मित्र अरित्थ, क्या यह सच है कि तुम पापी विश्वास में पड़ गए हो (जैसा कि ऊपर बताया गया है)?'

'बिल्कुल! मैं भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित धम्म को अच्छी तरह समझता हूँ (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है):

2. 'ऐसा मत कहो, मित्र अरित्थ। भगवान बुद्ध के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो। क्योंकि न तो भगवान बुद्ध पर झूठा आरोप लगाना उचित है, और न ही भगवान बुद्ध ऐसा कह सकते थे। मित्र अरित्थ, भगवान बुद्ध ने अनेक दृष्टांतों के द्वारा उन चीजों को बाधा बताया है जो आध्यात्मिक वरदानों को प्राप्त करने में बाधक हैं, और यह भी कहा है कि जो व्यक्ति उनका पालन-पोषण करता है, उसे ये बाधाएँ प्राप्त होने से रोकती हैं। भगवान बुद्ध ने कामवासनाओं को अल्पस्राव वाली, पीड़ादायक और निराशा से भरी हुई, अत्यंत खतरनाक वस्तुएँ बताया है। भगवान बुद्ध ने कामवासनाओं को कंकाल की हड्डियों के समान, पीड़ादायक और निराशा से भरी हुई, अत्यंत खतरनाक वस्तुएँ बताया है। भगवान बुद्ध ने कामवासनाओं को कच्चे मांस के टुकड़ों के समान, अत्यंत कष्टदायक बताया है। भगवान बुद्ध ने कामवासनाओं को भूसे से बनी मशालों के समान बताया है...' जैसे जलते हुए अंगारों से भरा गड्ढा... जैसे सपने के दृश्य... जैसे भिखारी का हिस्सा... जैसे पेड़ों के फल... जैसे तलवार और कसाईखाना... जैसे तीर और लाठी... जैसे सांप और रेंगने वाले जीव, दर्द और निराशा से भरे हुए, ऐसी चीजें जिनमें खतरा बहुत बड़ा है।

फिर भी, इसके बावजूद कि भिक्षु अरित्थ, जो पहले गिद्ध की तरह कष्ट देने वाले थे, जब भिक्षुओं ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, तो वे दृढ़तापूर्वक उसी प्रकार और हिंसा के साथ उस पापी सिद्धांत का पालन करते रहे, और घोषणा की, 'मैं भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित धम्म को इसी प्रकार समझता हूँ (आदि, जैसा कि पहले, अनुच्छेद 1 में है)।'

3. फिर जब वे भिक्षु अरित्थ भिक्षु को, जो पहले गिद्धों की तरह कष्ट देता था, उस पापी सिद्धांत से विचलित नहीं कर पाए, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को यह बात बताई।

और उस अवसर पर, और उस संदर्भ में, भगवान बुद्ध ने भिक्षुसंघ की एक सभा बुलाई और अरित्थ भिक्षु से, जो पहले गिद्धों को सताने वाला था, पूछा, 'क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, अरित्थ, कि तुम इस प्रकार के पापी सिद्धांत में पड़ गए हो (आदि, जैसा कि पहले, अनुच्छेद 1 में)?'

'निश्चित रूप से, प्रभु! मैं इसे समझ गया हूँ (आदि, जैसा कि पहले, अनुच्छेद 1 में है)।'

हे मूर्ख, तू मेरे द्वारा प्रचारित धम्म को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ सकता है? क्या मैंने अनेक दृष्टांतों के द्वारा यह नहीं बताया है कि कौन सी चीजें बाधाएँ हैं, और जो उनका पालन करता है वह आध्यात्मिक वरदानों की प्राप्ति से वंचित रह जाता है? क्या मैंने कामवासनाओं को अल्पस्खलनशील (आदि, जैसा ऊपर बताया गया है) साँपों और रेंगने वाले जीवों के समान, खतरनाक, निराशाजनक और अत्यंत जोखिमपूर्ण नहीं बताया है? फिर भी, हे मूर्ख, तूने उस सिद्धांत को गलत समझा है, और इस प्रकार तू न केवल हमारे विरुद्ध झूठी गवाही दे रहा है, बल्कि तू स्वयं को जड़ से उखाड़ रहा है और बहुत से पापों को जन्म दे रहा है, जो तेरे लिए दीर्घकाल तक दुःख और कष्ट का कारण बनेंगे। हे मूर्ख, इससे न तो अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या बढ़ेगी; बल्कि इससे अपरिवर्तितों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा और जो परिवर्तित हो चुके हैं वे विमुख हो जाएँगे।

इस प्रकार उसे फटकार लगाने और धर्म प्रवचन देने के बाद, उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: "अतः हे भिक्षुओं, संघ अरित्थ भिक्षु के विरुद्ध, जो पूर्व में गिद्धों को सताने वाला था, उक्खेपनियकम्मा दंड का फल दे, क्योंकि उसने पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग नहीं किया, और इस प्रकार उसे संघ के साथ न तो भोजन करने दिया जाए और न ही निवास करने दिया जाए।"

4. हे भिक्षुओं, अब इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम भिक्षु अरित्थ को...

चेतावनी दी जानी चाहिए [आदि, जैसा कि अध्याय-25 में कम्मवक के अंत तक, उद्घोषणा के संबंध में पूरक वाक्य सहित]।

<<<< पिछला(1.31) । अगला(1.33) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.33

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.32) । अगला(1.34) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

VI. उक्खेपनीय-कम्मा (पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के कारण)

अध्याय-33

[यहाँ बारह ऐसे मामले दिए गए हैं जिनमें कर्म विधि के विरुद्ध है, बारह ऐसे मामले जिनमें यह विधि के अनुसार है, छह ऐसे अनुमेय मामले जिनमें संघ चाहे तो कर्म किया जा सकता है, और दोषी भिक्षु के लिए उचित आचरण के अठारह भाग दिए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे अध्याय 2, 3, 4 और 5 में हैं, 'तज्जनिया-कर्म' के स्थान पर 'पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के लिए उक्खेपनिया-कर्म' पढ़ा गया है।]

<<<< पिछला(1.32) । अगला(1.34) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> प्रथम खंडका >> 1.34

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.33) । अगला(1.35) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

VI. उक्खेपनीय-कम्मा (पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के कारण)

अध्याय-34

1. अतः संघ ने अरित्थ भिक्षु के विरुद्ध, जो पूर्व में गिद्धों को सताने वाला भिक्षु था, पापी सिद्धांत का त्याग न करने के कारण उक्खेपनीय-कम्मा का दंड दिया, ताकि वह संघ के साथ न तो भोजन करे और न ही निवास करे। जब संघ ने पापी सिद्धांत का त्याग न करने के कारण उसे उक्खेपनीय-कम्मा का दंड दिया, तो उसने संघ छोड़ दिया।

जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'भिक्षु अरित्थ को, संघ द्वारा उक्खेपनीय-कम्म के अधीन किए जाने के बावजूद, ऐसा कैसे हो सकता है?'

'पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग करके संघ छोड़ दो?' और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा, 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि कहा जाता है कि अरित्त भिक्षु, अधीन होने के बाद (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है) संघ छोड़ गए?'

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'भिक्षु अरित्थ (और इसी प्रकार आगे भी) संघ को कैसे छोड़ सकते हैं? इससे न तो अपरिवर्तितों का धर्मांतरण होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या में वृद्धि होगी; बल्कि इससे न परिवर्तितों का धर्मांतरण रुक जाएगा और जो परिवर्तित हो चुके हैं वे विमुख हो जाएंगे।'

और जब उन्होंने उसे फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, संघ को अरित्थ भिक्षु के विरुद्ध किए गए पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के लिए उक्खेपनीय-कम्म को रद्द कर देना चाहिए।'

'हे भिक्षुओं, पाँच बातें हैं, [आदि, जैसा कि पहले अध्याय 6 और 7 में, अंत तक बताया गया है।]'

यहां उन अठारह मामलों का अंत होता है जिनमें पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने पर उक्खेपनीय-कम्मा को निरस्त किया जाना चाहिए।

<<<< पिछला(1.33) । अगला(1.35) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> प्रथम खन्धक >> 1.35
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.34) । अगला(2.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

प्रथम खंडका

VI. उक्खेपनीय-कम्मा (पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के कारण)

अध्याय-35.

'अब, हे भिक्षुओं, इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए,' इत्यादि। [यहाँ अध्याय-8 के अनुसार, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, कर्म के निरस्तीकरण के लिए कम्मवक दिया गया है।]

यहां सातवां (कम्मा), उक्खेपनीय-कम्मा समाप्त होता है, जो पापपूर्ण सिद्धांत का त्याग न करने के बारे में है।

यहां प्रथम खंडका, कम्मास पर खंडका समाप्त होता है।

<<<< पिछला(1.34 | अगला(2.1) >>>>

द्वितीय खंडका (परिवीक्षा एवं तपस्या 1)
(परिवीक्षा और प्रायश्चित)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(1.35) | अगला(2.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय 1।

1. उस समय बुद्ध श्रावस्ती में, जेतवन में, अनाथपिंडिका के उपवन में ठहरे हुए थे। उस समय, नियमित भिक्षुओं से, जो प्रशिक्षण पर रखे गए थे, वे आदर, सेवा, प्रणाम और सम्मान स्वीकार करते थे; और उन्हें बैठने, सोने, पैर धोने, प्याला रखने या प्याला ओढ़ाने की अनुमति देते थे; उनका कुंड या वस्त्र उठाते थे और उनके शंख धोते थे।

जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'परीक्षण पर रखे गए भिक्षु कैसे अपने शैंपू करने जैसी श्रद्धा (आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है) स्वीकार कर सकते हैं?'

और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षुसंघ की एक सभा बुलाई और भिक्षुओं से पूछा: 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि कहा जाता है कि जो भिक्षु परीक्षा पर रखे गए हैं वे श्रद्धापूर्वक अपने शरीर में शैंपू करते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'वे भिक्षु (और इसी तरह, पहले की तरह) अपने बालों में शैंपू कैसे कर सकते हैं? हे भिक्षुओं (और इसी तरह, हमेशा की तरह) इससे धर्मांतरित लोगों का वापस लौटना संभव नहीं होगा।'

और जब उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, 'जो भिक्षु परिवीक्षा पर रखे गए हैं, उन्हें शैंपू करने जैसी श्रद्धा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षुओं को उनकी वरिष्ठता के अनुसार एक-दूसरे के प्रति (ऊपर उल्लिखित सभी शिष्टाचार, कर्तव्य और सेवाएँ) करने का निर्देश देता हूँ। हे भिक्षुओं, मैं परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षुओं के लिए पाँच बातें (अनुमत) निर्धारित करता हूँ।

उनकी वरिष्ठता के अनुसार; (अर्थात्) उपोसथा समारोह, पवाराना समारोह, वर्षा ऋतु के लिए वस्त्रों में हिस्सेदारी, संघ को समर्पित वस्तुओं में हिस्सेदारी और भोजन में हिस्सेदारी।

2. अतः, हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन भिक्षुओं के लिए आचरण का एक नियम बताता हूँ जिन्हें परीक्षा पर रखा गया है, जिसके अनुसार उन्हें सही आचरण करना चाहिए। और यही सही आचरण है। उसे उपसम्पदा प्रदान नहीं करनी चाहिए (आदि, जैसा कि ऊपर, अध्याय 1, 5 से अंत तक)।

ए. हे भिक्षुओं, परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु को नियमित भिक्षु के आगे नहीं चलना चाहिए और न ही उसके आगे बैठना चाहिए। उस भिक्षु समूह में से जो भी बैठने की सबसे खराब जगह, सोने की सबसे खराब जगह या सबसे खराब कमरा होगा, वह उस भिक्षु को दे दिया जाएगा, और वहाँ-

उसे उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हे भिक्षुओं, जिस भिक्षु को परीक्षा के लिए रखा गया है, उसे नियमित भिक्षु के परिवारों के पास नहीं जाना चाहिए (ऐसा करने के लिए नियमित भिक्षु के आगे या पीछे के साथी के रूप में कार्य करके) - उसे वनवास नहीं करना चाहिए - उसे स्वयं भिक्षा पर जीवन यापन नहीं करना चाहिए - उसे परीक्षा अवधि के विस्तार से बचने के उद्देश्य से भिक्षा नहीं मंगवानी चाहिए, यह सोचकर कि "वे मुझे पहचान न पाएं" (कि मुझे परीक्षा के लिए रखा गया है)।

'हे भिक्षुओं, जिस भिक्षु को परिवीक्षा पर रखा गया है, उसे किसी निवास स्थान पर नए भिक्षु के रूप में आगमन पर अपनी परिवीक्षा की घोषणा करनी चाहिए—उसे किसी नए भिक्षु को इसकी सूचना देनी चाहिए—उसे उपोसथ सभा में इसकी सूचना देनी चाहिए—उसे पवारना सभा में इसकी सूचना देनी चाहिए—और यदि वह बीमार हो, तो उसे किसी दूत के माध्यम से ऐसी सभाओं में इसकी सूचना देनी चाहिए।'

3. हे भिक्षुओं, परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु को किसी ऐसे निवास स्थान से, जहाँ भिक्षु रहते हों, किसी ऐसे निवास स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई भिक्षु न रहता हो, सिवाय किसी नियमित भिक्षु के साथ या संकट के समय। हे भिक्षुओं, परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु को किसी ऐसे निवास स्थान से, जहाँ भिक्षु रहते हों, किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जो निवास स्थान न हो और जहाँ कोई भिक्षु न रहता हो, सिवाय किसी नियमित भिक्षु के साथ या संकट के समय। भिक्षु (आदि, जैसा पहले) को किसी ऐसे निवास स्थान से, जहाँ भिक्षु रहते हों, न तो किसी निवास स्थान पर और न ही किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जो निवास स्थान न हो और जहाँ भिक्षु न रहते हों, सिवाय (आदि, जैसा पहले)... किसी ऐसे स्थान से जो निवास स्थान नहीं है, लेकिन जहाँ भिक्षु रहते हैं, किसी ऐसे स्थान तक जो निवास स्थान है, लेकिन जहाँ भिक्षु नहीं रहते... किसी ऐसे स्थान से जो निवास स्थान नहीं है, लेकिन जहाँ भिक्षु रहते हैं, किसी ऐसे स्थान तक जो निवास स्थान भी नहीं है और जहाँ भिक्षु नहीं रहते... किसी ऐसे स्थान से जो निवास स्थान नहीं है, लेकिन जहाँ भिक्षु रहते हैं, या तो किसी ऐसे स्थान तक जो निवास स्थान नहीं है या किसी ऐसे निवास स्थान तक जहाँ कोई भिक्षु नहीं रहते... किसी ऐसे स्थान से जो निवास स्थान हो भी सकता है और नहीं भी, किसी ऐसे स्थान तक जो निवास स्थान है, लेकिन जहाँ भिक्षु नहीं रहते... किसी ऐसे स्थान से जो निवास स्थान हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जहाँ भिक्षु रहते हैं, किसी ऐसे स्थान तक

जो निवास स्थान नहीं है और जहाँ कोई भिक्षु नहीं रहते हैं... किसी ऐसे स्थान से जो निवास स्थान हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जहाँ भिक्षु रहते हैं, किसी ऐसे स्थान पर जो निवास स्थान हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जहाँ कोई भिक्षु नहीं रहते हैं, सिवाय किसी नियमित भिक्षु के साथ या खतरे के समय।

हे भिक्षुओं, परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु को ऐसे निवास स्थान से, जहाँ भिक्षु रहते हों, ऐसे निवास स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ भिक्षु तो रहते हों, लेकिन जहाँ उसके अपने समुदाय से भिन्न समुदाय के भिक्षु हों (जब तक कि पहले की तरह अपवाद न हो)। [पिछली श्रृंखला के समान ही इस निषेध पर भी लागू होते हैं, यहाँ तक कि] ... ऐसे स्थान से, जो निवास स्थान हो या न हो, लेकिन जहाँ भिक्षु रहते हों, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जो निवास स्थान हो या न हो, और जहाँ भिक्षु रहते हों, लेकिन जहाँ उसके अपने समुदाय से भिन्न समुदाय के भिक्षु हों (जब तक कि पहले की तरह अपवाद न हो)।

'हे भिक्षुओं, जिस भिक्षु को परीक्षा पर रखा गया है, उसे भिक्षुओं के निवास स्थान से ऐसे निवास स्थान पर जाना चाहिए जहाँ भिक्षु रहते हों और जहाँ उसी समुदाय के भिक्षु हों, यदि वह जानता हो, "आज ही मैं वहाँ जा सकता हूँ।" [यहाँ भी वही क्रमपरिवर्तन और संयोजन लागू होते हैं जो पिछली दो श्रृंखलाओं में थे।]

4. हे भिक्षुओं, परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु को किसी नियमित भिक्षु के साथ एक ही छत के नीचे एक ही निवास में नहीं रहना चाहिए—न ही ऐसे स्थान पर जो एक ही छत के नीचे निवास हो—न ही ऐसे स्थान पर जो निवास हो या न हो। किसी नियमित भिक्षु को देखकर वह

उसे अपनी सीट से उठ जाना चाहिए; और उसे अपना आसन किसी नियमित भिक्षु को देना चाहिए। उसे किसी नियमित भिक्षु के साथ एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए; जब कोई नियमित भिक्षु नीची सीट पर बैठा हो तो उसे ऊँची सीट पर नहीं बैठना चाहिए; जब कोई नियमित भिक्षु ज़मीन पर बैठा हो तो उसे किसी आसन पर नहीं बैठना चाहिए; उसे किसी नियमित भिक्षु के साथ उसी आसन पर इधर-

उधर नहीं चलना चाहिए; जब कोई नियमित भिक्षु नीची सीट पर इधर-उधर चल रहा हो तो उसे ऊँची सीट पर इधर-उधर नहीं चलना चाहिए; जब कोई नियमित भिक्षु ज़मीन पर इधर-उधर चल रहा हो तो उसे (ठीक से तैयार की गई) सीट पर इधर-उधर नहीं चलना चाहिए।

हे भिक्षुओं, परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु को अपने से वरिष्ठ परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु के साथ नहीं रहना चाहिए... न ही उस भिक्षु के साथ रहना चाहिए जिसे परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेज दिया गया हो... न ही उस भिक्षु के साथ रहना चाहिए जिसने मनत्त अनुशासन के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना लिया हो... न ही उस भिक्षु के साथ रहना चाहिए जो मनत्त अनुशासन से गुजर रहा हो... न ही उस भिक्षु के साथ रहना चाहिए जो पुनर्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो।

यदि चार भिक्षुओं की एक सभा हो, जिनमें से एक

यदि कोई परिवीक्षाधीन भिक्षु किसी भिक्षु को परिवीक्षा पर रखे, या उसे उसकी परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेज दे, या उसे मनत्ता अनुशासन के अधीन कर दे—या यदि बीस भिक्षुओं की सभा, जिनमें से एक परिवीक्षाधीन हो, किसी भिक्षु का पुनर्वास करे, तो हे भिक्षुओं, यह एक अमान्य कार्य है और इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

यहां परिवीक्षाधीन व्यक्ति पर लागू होने वाले चौरानवे कर्तव्य समाप्त होते हैं।

<<<< पिछला(1.35) | अगला(2.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.1) | अगला(2.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय दो।

1. अब पूज्य उपली उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। बैठने के बाद पूज्य उपली ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, किस स्थिति में किसी भिक्षु की परीक्षा अवधि में व्यवधान आ सकता है जिसे परीक्षा पर रखा गया हो?'

हे उपाली, किसी भिक्षु को जब परिवीक्षा पर रखा जाता है, तो उसकी परिवीक्षा अवधि में व्यवधान उत्पन्न करने के तीन तरीके हैं; (अर्थात्) साथ रहना, अकेले रहना और घोषणा न करना।

'हे उपाली, परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षु की परिवीक्षा अवधि में व्यवधान उत्पन्न करने के ये तीन तरीके हैं।'

<<<< पिछला(2.1) | अगला(2.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.2) | अगला(2.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय-3.

1. उस समय, चूंकि सावत्थी में भिक्षुओं का एक बड़ा समूह एकत्रित था, इसलिए जिन भिक्षुओं को परीक्षा के लिए रखा गया था, वे अपनी परीक्षा को सही ढंग से पूरा करना नहीं जानते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी परीक्षा विधिपूर्वक पूरी करो। हे भिक्षुओं, तुम इस प्रकार परीक्षा स्थगित कर सकते हो। जिस भिक्षु को परीक्षा पर रखा गया है, वह किसी एक भिक्षु के पास जाकर, अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर, एड़ियों पर बैठकर, हथेलियों को जोड़कर हाथ फैलाकर कहे: "मैं अपनी परीक्षा स्थगित करता हूँ।" तब परीक्षा स्थगित हो जाती है। या वह इस प्रकार कहे: "मैं अपनी परीक्षा स्थगित करता हूँ।"

(अर्थात परिवीक्षाधीन व्यक्ति के) कर्तव्य।" तब भी परिवीक्षा स्थगित कर दी जाती है।'

2. उस समय सावत्थी में रहने वाले भिक्षु इधर-उधर चले गए, और जिन भिक्षुओं को परीक्षा के लिए रखा गया था, वे अपनी परीक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम (स्थगित की गई) परीक्षा अवधि को पुनः ग्रहण करो। हे भिक्षुओं, तुम्हें इसे इस प्रकार पुनः ग्रहण करना चाहिए। जिस भिक्षु को परीक्षा अवधि में रखा गया है, वह किसी एक भिक्षु के पास जाए, अपने वस्त्र को एक कंधे पर व्यवस्थित करे, एड़ियों पर बैठे और हथेलियों को जोड़कर हाथ फैलाए, और कहे: "मैं अपनी परीक्षा अवधि पुनः ग्रहण करता हूँ।" तब परीक्षा अवधि पुनः शुरू हो जाती है। या वह कहे: "मैं (प्रशिक्षु के) कर्तव्यों को पुनः ग्रहण करता हूँ।" तब भी परीक्षा अवधि पुनः शुरू हो जाती है।

परिवीक्षाधीन व्यक्ति के कर्तव्यों का अंत यहीं होता है।

<<<< पिछला(2.2) | अगला(2.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.3) | अगला(2.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय-4.

1. उस समय भिक्षु, जो अपने आप को (अपने परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रारंभ में) वापस भेजे जाने के योग्य बना लेते थे, आदर स्वीकार करते थे [आदि, जैसा कि अध्याय-1 में पहले बताया गया है, पूरे पाठ में 'अपने परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रारंभ में वापस भेजे जाने के योग्य भिक्षु' के स्थान पर 'वे भिक्षु जिन्हें परीक्षा में रखा गया था' पढ़ा गया है; और अध्याय-2 में हमारे नोट में उल्लिखित घोषणाओं को छोड़ दिया गया है]।

<<<< पिछला(2.3) | अगला(2.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.4) | अगला(2.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय-5.

[इस अध्याय में पिछले अध्याय के समान ही नियम शब्दशः लिखे गए हैं, जिनमें 'भिक्षुओं को उनकी परीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेजे जाने की संभावना' और 'भिक्षुओं को मनत्ता अनुशासन के अधीन किए जाने की संभावना' शामिल हैं।]

<<<< पिछला(2.4) | अगला(2.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.6

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.5) | अगला(2.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय-6.

इस अध्याय में, अध्याय 1, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 में परिवीक्षा के लिए दिए गए नियमों के समान ही, मनत्ता या तपस्या के नियम शब्दशः दिए गए हैं, और 'परिवीक्षा पर रखे गए भिक्षुओं' के स्थान पर 'मनत्ता अनुशासन से गुजर रहे भिक्षुओं' का प्रयोग किया गया है। हालांकि, एक-दो मामूली अंतर हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. घोषणाओं के अंत में (अध्याय-1, §-2) यह निर्देश जोड़ा गया है, 'उसे हर दिन इस तथ्य की घोषणा करनी चाहिए।'

2. एक निवास से दूसरे निवास में जाने के बारे में लिखे गए अंशों में (अध्याय-1, अनुच्छेद-3) 'नियमित भिक्षु के साथ होने पर ही सही' के स्थान पर 'संघ के साथ होने पर ही सही सही' पढ़ें।

<<<< पिछला(2.5) । अगला(2.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.6) । अगला(2.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय 7।

1. अब पूज्य उपली भगवान बुद्ध के स्थान पर गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। बैठने के बाद पूज्य उपली ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, मनत्ता साधना कर रहे भिक्षु की मनत्ता साधना में किस स्थिति में व्यवधान आ सकता है?'

हे उपली, मनत्ता साधना कर रहे भिक्षु के मनत्ता साधना में बाधा डालने के चार तरीके हैं: साथ रहना, अकेले रहना, घोषणा न करना और चार से कम भिक्षुओं के साथ रहना। यही वे चार तरीके हैं (जैसा कि पहले बताया गया है, आगे भी) जो मनत्ता साधना को जारी रखने में सहायक होते हैं।

<<<< पिछला(2.6) । अगला(2.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दूसरा खन्धक >> 2.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.7) । अगला(2.9) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय-8.

[इस अध्याय में मनत्ता तपस्या को स्थगित करने और पुनः प्रारंभ करने के साधन, अध्याय 3 के समान ही, शब्दशः बताए गए हैं, जिसमें 'परीक्षा पर रखे गए भिक्षुओं' के स्थान पर 'मनत्ता अनुशासन का पालन कर रहे भिक्षुओं' का पाठ किया गया है।]

<<<< पिछला(2.7) । अगला(2.9) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.8) | अगला(3.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दूसरा खंडका (परिवीक्षा और तपस्या)

अध्याय-9.

[यह अध्याय अध्याय-1 के समान ही है, जिसमें 'भिक्षु जिन्हें परिवीक्षा पर रखा गया है' के स्थान पर 'भिक्षु जिन्होंने पुनर्वास प्राप्त करने के योग्य स्वयं को सिद्ध कर लिया है' लिखा गया है ।]

यहां द्वितीय खंडक का समापन होता है, जिसे परिवीक्षाधीन व्यक्तियों आदि पर खंडक कहा जाता है।

<<<< पिछला(2.8) | अगला(3.1) >>>>

तृतीय खंडका (परिवीक्षा एवं तपस्या 2)
(परिवीक्षा और प्रायश्चित - जारी)

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(2.9) | अगला(3.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-1: भिक्षु उदयी द्वारा किया गया अपराध (हस्तमैथुन का); स्वीकारोक्ति की विधि एवं प्रायश्चित।

1. उस समय बुद्ध श्रावस्ती में स्थित जेतवन, अनाथपिंडिका के उपवन में ठहरे हुए थे। उसी समय पूज्य उदय ने संघदिशेष का पहला अपराध (हस्तमैथुन) किया और उसे छुपाया नहीं। उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मैंने संघदिशेष का पहला अपराध (हस्तमैथुन) किया है और उसे छुपाया नहीं है। अब मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो फिर, हे भिक्षुओं, संघ उदय भिक्षु पर उस अपराध—प्रथम संघदिशेष—के कारण छह दिनों के लिए मनत्ता दंड लगाए, जिसे उसने छिपाया नहीं है।'

2. हे भिक्षुओं, अब इस प्रकार उसे उस पर रखा जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, भिक्षु को संघ के सामने जाना चाहिए; और अपने वस्त्र को एक कंधे पर व्यवस्थित करके, उसे वरिष्ठ भिक्षुओं के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, और अपनी एड़ियों पर बैठकर, हथेलियों को जोड़कर अपने हाथों को फैलाकर इस प्रकार कहना चाहिए:

"हे आदरणीय महोदय, मैंने प्रथम संघदिशेष के रूप में एक अपराध किया है, जिसे मैंने छिपाया नहीं है। मैं संघ से इस अपराध के कारण मुझ पर छह दिन का मनत्ता दंड लगाने का अनुरोध करता हूँ।"

पहला संघदिशेष अपराध—जिसे मैंने छिपाया नहीं है।'

[यह भाषण तीन बार दोहराया जाता है।]

3. 'तब किसी विवेकशील और योग्य भिक्षु को संघ के समक्ष निम्नलिखित विषय रखना चाहिए:

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। भिक्षु उदय ने एक अपराध किया है—संघदिशेष का पहला अपराध—जिसे उन्होंने छिपाया नहीं है। और वे उस अपराध—संघदिशेष के पहले अपराध—के कारण संघ से छह दिन के मनत्ता दंड की मांग करते हैं, जिसे उन्होंने छिपाया नहीं है।"

"यदि संघ को समय उचित लगे, तो संघ उस एक अपराध—पहले संघदिशेष अपराध—के लिए उदय भिक्षु पर छह दिनों की अवधि का मनत्ता लगाए, जिसे उसने छिपाया नहीं है।"

"यह गति (नट्टी) है।"

"संघ इसके द्वारा उदय भिक्षु पर उस एक अपराध के लिए छह दिनों का मनत्ता लगाता है - पहला संघदिशेष अपराध - जिसे उसने छिपाया नहीं है।"

"जो भी पूजनीय व्यक्ति किसी छिपे हुए न होने वाले मनत्ता (आदि, जैसा कि अंतिम अनुच्छेद में वर्णित है) के अधिरोपण का समर्थन करता है, वह चुप रहे। जो इसका समर्थन नहीं करता, वह बोले।"

"दूसरी बार मैं वही बात कहता हूँ (आदि, जैसा कि पिछले दो पैराग्राफ में कहा गया है)। तीसरी बार मैं वही बात कहता हूँ (आदि, जैसा कि पहले कहा गया है)।"

"संघ ने छह दिनों की अवधि का मनत्ता लगाया है (आदि, जैसा कि पहले प्रस्ताव के शब्दों में कहा गया है) जिसे छिपाया नहीं गया है। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए वह मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

<<<< पिछला(2.9) | अगला(3.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.1) | अगला(3.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-2: भिक्षु उदयी का पुनर्वास (हस्तमैथुन के अपराध के लिए)।

1. मनत्ता संपन्न करने के बाद उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मित्रों, मैंने एक अपराध किया है—संघदिशेष का पहला अपराध—जिसे मैंने छुपाया नहीं था। मैंने संघ से उस अपराध—संघदिशेष के पहले अपराध—के लिए छह दिन की मनत्ता मांगी थी। संघ ने मुझ पर एक मनत्ता लगाई (आदि, पहले की तरह) जिसे मैंने छुपाया नहीं था। अब मैंने वह मनत्ता पूर्ण कर ली है। अब मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो फिर, हे भिक्खुओ, संघ को उदयी भिक्खु का पुनर्वास करने दीजिए।

2. 'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, उसका पुनर्वास किया जाना चाहिए।

'उदयी भिक्षु को ऊपर जाना चाहिए (आदि, जैसा कि अध्याय-1, §-2 में है, नीचे तक) उसे इस प्रकार कहना चाहिए:

"मैंने, आदरणीय महोदय, एक अपराध किया है—संघदिशेष का पहला अपराध (हस्तमैथुन)—जिसे मैंने छुपाया नहीं। मैंने संघ से उस अपराध—संघदिशेष के पहले अपराध—के लिए छह दिन की मन्नत लगाने का अनुरोध किया, जिसे मैंने छुपाया नहीं था। संघ ने मुझे . . . . के लिए . . . . की मन्नत लगाई . . . . जिसे छुपाया नहीं गया था। मैंने वह मन्नत पूरी कर ली है, इसलिए मैं संघ से पुनर्वास का अनुरोध करता/करती हूँ।"

[यह भाषण तीन बार दोहराया जाता है।]

3. 'फिर कोई विवेकशील और योग्य भिक्षु [आदि, जैसा कि अध्याय-1, §-2 में पहले बताया गया है, शेष कम्मावक याचिका के साथ वही संबंध रखता है जैसा कि वहाँ है]।'

<<<< पिछला(3.1) । अगला(3.3) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.2) । अगला(3.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-3: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन का अपराध) किया।

1. उस समय पूज्य उदय ने एक अपराध किया था - पहला संघदिशेष (हस्तमैथुन) - जिसे उन्होंने एक दिन के लिए छिपाया था।

उन्होंने भिक्षुओं से (और इसी तरह, पहले की तरह) कहा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो, हे भिक्षुओं, संघ उदय भिक्षु पर एक दिन की परिवीक्षा लगाए, उस अपराध के लिए (आदि, जैसा कि इस खंड के पहले पैराग्राफ में नीचे दिया गया है) जिसे छिपाया गया है।

2. 'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इसे लागू किया जाना चाहिए--।'

[यहाँ कम्मावका ठीक उसी प्रकार दिया गया है जैसा कि अध्याय-1, धारा-2 और 3 में है, शब्दों में आवश्यक परिवर्तन के साथ, क. अपराध का, ख. दंड का।]

<<<< पिछला(3.2) | अगला(3.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.3) | अगला(3.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-4

1. जब उन्होंने परीक्षा अवधि पूरी कर ली, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मित्रों, मैंने एक अपराध किया है—प्रथम संघदिशेष—जिसे मैंने एक दिन के लिए छुपाया था। मैंने संघ से उस अपराध के लिए मुझ पर एक दिन की परीक्षा लगाने का अनुरोध किया था... जिसे मैंने छुपाया था। संघ ने परीक्षा अवधि पूरी कर ली है। अब मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो संघ उदय भिक्षु पर छह दिनों की अवधि का मनत्ता लगाए।'

2, 3. [यहाँ अध्याय-1, खंड-2, 3 से अंत तक कम्मवका दिया गया है।]

<<<< पिछला(3.3) | अगला(3.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.4) | अगला(3.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-5: भिक्षु उदयी का पुनर्वास (हस्तमैथुन के अपराध के लिए)।

1. जब उन्होंने मनत्त पूर्ण कर लिया, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मैंने एक दिन के लिए गुप्त रूप से (अत:, जैसा कि 4.1 में वर्णित है) किया। मैंने प्रार्थना की, इत्यादि... संघ ने परीक्षा ली, इत्यादि... जब मैंने वह परीक्षा पूरी कर ली, तो संघ ने मुझे इत्यादि के लिए मनत्त दिया... इत्यादि... मैंने वह मनत्त पूर्ण कर लिया है। अब मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो संघ, हे भिक्खु, उदयी भिक्खु का पुनर्वास करें।'

2, 3. [यहाँ अध्याय-2, 2, 3 से अंत तक कम्मवका दिया गया है।]

<<<< पिछला(3.4) | अगला(3.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.5) | अगला(3.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-6: भिक्षु उदयी बार-बार अपराध (हस्तमैथुन का) करता है, लेकिन 2-3-4-5 दिनों तक छिपाता है।

[यह अध्याय अध्याय 3 के समान है, जिसमें 'दो-तीन-चार-पांच दिनों तक, गुप्त रूप से' और 'दो-तीन-चार-पांच दिनों की परिवीक्षा' लिखा है।]

<<<< पिछला(3.5) | अगला(3.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.6) | अगला(3.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-7: भिक्षु उदयी ने परिवीक्षा अवधि के दौरान फिर से अपराध (हस्तमैथुन का) किया; उनकी परिवीक्षा अवधि पुनः शुरू की गई।

1. जब वह उस परिवीक्षा अवधि से गुजर रहा था, तब उसने एक अपराध किया—पहला, इत्यादि—जिसे उसने छिपाया नहीं।

उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मैंने अपराध किया, इत्यादि... मैंने संघ से पूछा, इत्यादि... संघ ने मुझ पर दो-तीन-चार-पांच दिनों की परीक्षा अवधि लगाई। उस परीक्षा अवधि के दौरान मैंने अपराध किया, इत्यादि...'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, संघ उदय भिक्षु को उसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रारंभ में वापस भेज दे।'

2, 3. [यहाँ अध्याय-1 के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ कम्मवक दिया गया है।]

<<<< पिछला(3.6) | अगला(3.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.7) | अगला(3.9) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-8: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया - परिवीक्षा पुनः शुरू हुई।

1. जब उन्होंने (भिक्षु उदयि ने) वह परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली थी और वे मनत्ता के लिए उत्तरदायी थे, तब उन्होंने एक अपराध किया - पहला संघदिशेष (हस्तमैथुन) - जिसे उन्होंने छिपाया नहीं।

उन्होंने भिक्षुओं से कहा, इत्यादि।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, संघ उदय भिक्षु को उसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रारंभ में वापस भेज दे।'

2, 3. [यहाँ कम्मवक उसी रूप में दिया गया है जैसा अध्याय-1 में दिया गया है।]

<<<< पिछला(3.7) | अगला(3.9) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.9
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.8) | अगला(3.10) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-9.

1. जब उसने वह परीक्षा अवधि पूरी कर ली, तो उसने बताया, इत्यादि।

उन्होंने बताया, इत्यादि।

हे भिक्षुओं, संघ उदय भिक्षु पर इन अपराधों के लिए छह दिन की परिवीक्षा का दंड लगाए।

2, 3. [पहले की तरह कम्मावक।]

<<<< पिछला(3.8) | अगला(3.10) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.9) | अगला(3.11) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-10: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया - प्रायश्चित का पुनः आरंभ।

1. जब वह मनत्ता कर रहा था, तब उसने एक अपराध किया—पहला संघदिशेष (हस्तमैथुन), जिसे उसने छिपाया नहीं।

उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मैंने अपराध किया, इत्यादि... मैंने संघ से पूछा... संघ ने [आदि, इस अध्याय के पहले पैराग्राफ के अंत तक जो कुछ हुआ था उसका वर्णन करते हुए]।

उन्होंने बताया, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, संघ उदय भिक्षु पर छह दिनों की मन्ट थोप दे, और उसे (उसकी मन्ट के प्रारंभ में) वापस भेज दे।'

[पहले की तरह कम्मावक।]

<<<< पिछला(3.9) | अगला(3.11) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.10) | अगला(3.12) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-11: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया - तपस्या का पुनः आरंभ।

1. जब उसने वह मनत्ता पूरी कर ली, और जब वह पुनर्वास के योग्य था, तब उसने एक अपराध किया—पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन)—जिसे उसने छिपाया नहीं।

उन्होंने भिक्षुओं को अध्याय 6 से लेकर इस अंतिम अपराध तक की सारी बातें बताईं। उन्होंने बताया, इत्यादि।

हे भिक्षुओं, संघ उदय भिक्षु पर छह दिनों की मन्ट लगाए, क्योंकि उसने (आदि, जैसा कि पहले पैराग्राफ में नीचे तक है) छिपाया नहीं था, उसे (उसकी मन्ट के प्रारंभ में) वापस भेज दिया गया।

'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, [यहाँ पहले की तरह कम्मावक आता है।]

<<<< पिछला(3.10) | अगला(3.12) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.11) | अगला(3.13) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-12: भिक्षु उदयी का पुनर्वास।

1. जब उसने वह मनत्ता पूरी कर ली, तो उसने भिक्षुओं को [जो कुछ हुआ था] बताया।

उन्होंने बताया, इत्यादि।

'तो फिर संघ, हे भिक्खुओ, उदयी भिक्खु का पुनर्वास करें।

अब इस प्रकार [यहाँ पहले की तरह कम्मावक आता है]।

<<<< पिछला(3.11) | अगला(3.13) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.12) | अगला(3.14) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-13: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया, इसे एक महीने तक छिपाया - एक महीने की परिवीक्षा।

1. उस समय पूज्य उदय ने एक अपराध किया—प्रथम संघदिशेष (हस्तमैथुन)—और आधे महीने तक उन्होंने इसे छुपाए रखा।

[इस अध्याय का शेष भाग अध्याय 3 के समान ही है, बस 'एक दिन के लिए' के स्थान पर 'आधे महीने के लिए' लिखा है।]

<<<< पिछला(3.12) | अगला(3.14) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.14

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.13) | अगला(3.15) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-14: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया - 5 दिनों तक छिपा रहा - परिवीक्षा पुनः शुरू हुई।

1. परिवीक्षा अवधि के दौरान उसने एक अपराध किया—प्रथम संघदिशेष (हस्तमैथुन)—जिसे उसने पाँच दिनों तक छिपाए रखा।

उन्होंने कहा, इत्यादि... 'मैंने अपराध किया, इत्यादि... मैंने पूछा, इत्यादि... संघ ने आधे महीने की परिवीक्षा लगाई, इत्यादि... जब मैं परिवीक्षा पर था, इत्यादि... अब मैं क्या करूँ?'

उन्होंने बताया, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, संघ उस समय के लिए (आदि, जैसा कि पहले अनुच्छेद में है) भिक्षु उदयी को उसकी परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेज दे, और उस पर पूर्व अपराध के साथ एक समावेशी परिवीक्षा (उसके नए अपराध को भी शामिल करते हुए) लागू करे।'

'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, [यहाँ दो कम्मवक दिए गए हैं, एक वापसी के लिए और दूसरा अतिरिक्त परीक्षा के लिए, प्रत्येक अध्याय-1 के समान।]'

<<<< पिछला(3.13) | अगला(3.15) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.15

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.14) | अगला(3.16) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-15: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया - 5 दिनों तक छिपा रहा - परिवीक्षा पुनः शुरू की गई और बढ़ा दी गई।

1. जब उसने वह परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली थी, और जब वह मनत्ता के लिए उत्तरदायी था, तब उसने एक अपराध किया - पहला संघदिशेष (हस्तमैथुन) - जिसे उसने पाँच दिनों तक छिपाए रखा।

उन्होंने बताया, इत्यादि... [अध्याय 13 से आगे जो कुछ भी हुआ]।

उन्होंने बताया, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, संघ को यह उचित होगा कि जब उसने (आदि, जैसा कि पहले अनुच्छेद में है) उदय भिक्षु को उसकी परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेज दिया जाए, और उस पर (इस अपराध के लिए) और पूर्व अपराध के लिए एक समावेशी परिवीक्षा लगाई जाए।

'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, [यहाँ पिछले अध्याय की तरह दो कम्मवक दिए गए हैं।]

<<<< पिछला(3.14) | अगला(3.16) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.16
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.15) | अगला(3.17) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-16

1. जब उसने वह परीक्षा अवधि पूरी कर ली, तो उसने भिक्षुओं आदि को [अध्याय-13 के बाद से जो कुछ हुआ था] सब कुछ बताया।

उन्होंने बताया, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, संघ को इन अपराधों के लिए भिक्षु उदयि पर छह दिनों की अवधि का मनत्ता लगाना चाहिए।'

'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, [यहाँ अध्याय-1 में दिए गए रूप में एक कम्मवक आता है।]'

<<<< पिछला(3.15) | अगला(3.17) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.17
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.16) | अगला(3.18) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-17: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया - चार दिनों तक छिपते रहे - परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई और प्रायश्चित पुनः शुरू किया गया।

1. जब वह उस मनत्ता का पालन कर रहा था, तब उसने एक अपराध किया - पहला संघदिशेष (हस्तमैथुन का) जिसे उसने चार दिनों तक छिपाए रखा।

उन्होंने बताया, इत्यादि... [अध्याय 13 से आगे जो कुछ भी हुआ था]।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, संघ उस समय के लिए (जैसा कि पहले अनुच्छेद में है) उदय भिक्षु को (उस परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में) वापस भेज दे जो वह पहले ही पूरी कर चुका था, और उस पर (इस ओर) पहले अपराध के लिए एक व्यापक परिवीक्षा और छह दिनों की अवधि का मनत्ता भी लगाए।'

'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, [यहाँ तीन कम्मवक दिए गए हैं, एक वापसी के लिए, एक व्यापक परीक्षा के लिए, और एक नए मनत्ता के लिए, प्रत्येक का स्वरूप अध्याय-आर में दिए गए स्वरूप के समान है।]'

<<<< पिछला(3.16) | अगला(3.18) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.17) | अगला(3.19) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-18: भिक्षु उदयी ने फिर से पहला संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) किया - पाँच दिनों तक छिपते रहे - परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई और प्रायश्चित पुनः शुरू किया गया

1. जब उसने वह मनत्ता पूरी कर ली, और जब वह पुनर्वास के योग्य था, तब उसने एक अपराध किया—पहला संघदिशेष (हस्तमैथुन)—जिसे उसने पाँच दिनों तक छिपाए रखा।

उन्होंने बताया, इत्यादि [अध्याय 13 से आगे जो कुछ भी हुआ]।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, संघ को इस बात के लिए कि उसने (आदि, जैसा कि पहले पैराग्राफ में है) उदय भिक्षु को (उस परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में) वापस भेज देना चाहिए जो वह पहले ही भुगत चुका था और उस पर इस और पहले अपराध के लिए एक व्यापक परिवीक्षा और छह दिनों की अवधि का मनत्ता लगाना चाहिए।

'अब इस प्रकार, इत्यादि... [यहाँ अध्याय-17 के अनुसार तीन कम्मवक दिए गए हैं।]'

<<<< पिछला(3.17) | अगला(3.19) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.18) | अगला(3.20) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-19: प्रथम संघदिशेष अपराध (हस्तमैथुन) के लिए भिक्षु उदयी का पुनर्वास।

1. जब उन्होंने मनत्ता पूरी कर ली, तो उन्होंने भिक्षुओं को [अध्याय 13 से आगे जो कुछ भी हुआ] बताया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'तो फिर संघ को उदयी भिक्खु का पुनर्वास करना चाहिए।

'अब इस प्रकार, हे भिक्षुओं, [यहाँ अध्याय-5 के अनुसार कम्मावक आता है।]'

प्रथम संघदिशेष के उल्लंघन पर कार्यवाही यहीं समाप्त होती है।

<<<< पिछला(3.18) | अगला(3.20) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.20
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.19) | अगला(3.21) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-20: अनेक अपराधों के लिए योगात्मक परिवीक्षा।

1. उस समय एक भिक्षु ने अनेक संघादिशेष अपराध किए थे, जिनमें से एक को उसने एक दिन, एक को दो दिन, एक को तीन दिन, [और इसी तरह आगे भी] और एक को दस दिन तक छिपाया था।

उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मैंने दस दिनों के लिए (पहले की तरह) एक प्रतिज्ञा ली है। अब मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, संघ उस भिक्षु पर उन अपराधों में से किसी एक के अनुसार दस दिनों की पूर्ण परीक्षा लगाए, जिन्हें उसने छिपाकर रखा है।'

'अब, हे भिक्षुओं, इस प्रकार यह दंड लगाया जाना चाहिए।'

[यहाँ अध्याय-1, खंड-2, 3 से अंत तक दिए गए रूप में कम्मवका दिया गया है।]

<<<< पिछला(3.19) | अगला(3.21) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.21
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.20) | अगला(3.22) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-21: अनेक गुप्त अपराधों के लिए सबसे लंबी सजा की अवधि।

1. उस समय एक भिक्षु ने अनेक संघदिशेष अपराध किए थे, जिनमें से एक को उसने एक दिन के लिए, दो को दो दिनों के लिए, तीन को तीन दिनों के लिए, [और इसी तरह आगे भी] दस दिनों के लिए छिपाया था।

उन्होंने बताया, इत्यादि।

उन्होंने बताया, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, संघ उस भिक्षु पर उतनी ही अवधि का व्यापक परीक्षण लगाए, जितनी अवधि तक उसने उन अपराधों में से किसी एक या अधिक को छुपाया है।'

[इसके बाद पहले की तरह कम्मवक आता है।]

<<<< पिछला(3.20) | अगला(3.22) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.22
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.21) | अगला(3.23) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-22: जितना अधिक छिपाव, उतनी ही अधिक परिवीक्षा अवधि

1. उस समय एक भिक्षु ने संघ के दो अगुवा अपराध किए थे, जिन्हें उसने दो महीने तक छुपाए रखा था। उसे यह विचार आया, 'देखो! मैंने संघ के दो अगुवा अपराध किए हैं, जिन्हें मैंने दो महीने तक छुपाए रखा है। अब मैं संघ से दो महीने के परिवीक्षा का अनुरोध करूं, उस एक अपराध के लिए जिसे मैंने दो महीने तक छुपाए रखा था।' उसने संघ से दो महीने के परिवीक्षा का अनुरोध किया। संघ ने उस पर दो महीने की परिवीक्षा लगा दी (जैसा कि पहले बताया गया है)। जब वह परिवीक्षा पर था, तो उसे लज्जा हुई क्योंकि उसने सोचा, 'मैंने अपराध किया है, आदि... और मुझे यह विचार आया, आदि... और मैंने अनुरोध किया, आदि... और संघ ने परिवीक्षा लगाई... और जब मैं दो महीने की परिवीक्षा पर था... (जैसा कि पहले बताया गया है)।'

'अब मैं संघ से दो महीने तक छुपाए गए दूसरे अपराध के लिए दो महीने की परिवीक्षा का अनुरोध करता हूं।'

2. उसने भिक्षुओं को [जो कुछ हुआ था] सब कुछ बताया। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

3. 'हे भिक्षुओं, संघ उस भिक्षु पर दो महीने तक छुपाए गए उस दूसरे अपराध के लिए दो महीने की परिवीक्षा लगाए।'

[यहाँ पहले की तरह कम्मावक दिया गया है।]

'हे भिक्षुओं, तब उस भिक्षु को उस तिथि से दो महीने की परीक्षा से गुजरना चाहिए।'

<<<< पिछला(3.21) | अगला(3.23) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.23
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.22) | अगला(3.24) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-23: अपराधों को छुपाना, उन्हें याद न करना, फिर उन्हें याद करना।

1. हे भिक्षुओं, मान लीजिए कि किसी भिक्षु ने दो संघदिशेष अपराध किए हैं [आदि, जैसा कि पिछले अध्याय के पहले अनुच्छेद में अंत तक बताया गया है]। और वह दो माह तक छुपाए गए उस दूसरे अपराध के लिए संघ से दो माह की परिवीक्षा मांगता है। और संघ उस पर दो माह तक छुपाए गए उस दूसरे अपराध के लिए दो माह की परिवीक्षा लगाता है। हे भिक्षुओं, उस भिक्षु को उस तिथि से दो माह की परिवीक्षा पर रहना चाहिए।

2. हे भिक्षुओं, मान लीजिए किसी भिक्षु ने संघ के दो अपराध किए हैं, जिन्हें उसने दो महीने तक छिपाए रखा है। उसे एक अपराध का ज्ञान है, लेकिन दूसरे अपराध का ज्ञान नहीं है। वह संघ से उस अपराध के लिए दो महीने की परिवीक्षा मांगता है, जिसके बारे में उसे जानकारी है और जिसे उसने दो महीने तक छिपाए रखा है। संघ उसे दो महीने तक छिपाए गए अपराध के लिए दो महीने की परिवीक्षा देता है। परिवीक्षा के दौरान उसे दूसरे अपराध का ज्ञान हो जाता है। तब उसे यह बात सूझती है,

देखो! मैंने संघदिशेष के दो अपराध किए हैं (आदि, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है) मुझे दूसरे अपराध का पता चल गया है। अब मैं संघ से उस दूसरे अपराध के लिए दो महीने की परिवीक्षा चाहता हूँ जिसे मैंने दो महीने तक छिपाए रखा।

और वह संघ से उस दूसरे अपराध के लिए, जिसे उसने दो महीने तक छुपाए रखा था, दो महीने की परिवीक्षा मांगता है। और संघ उस पर इसी प्रकार की परिवीक्षा लगाता है... इसी प्रकार के लिए... हे भिक्षुओं, उस भिक्षु को उस तिथि से दो महीने तक परिवीक्षा पर रहना चाहिए।

3. हे भिक्षुओं, मान लीजिए कि कोई भिक्षु दो संघदिशेष अपराध करता है, जिन्हें वह दो महीने तक छुपाता है; और एक अपराध उसे याद रहता है, परन्तु दूसरा अपराध उसे याद नहीं रहता। और वह संघ से पूछता है (आदि, जैसा कि पिछले खंड में अंत तक है, "याद रखना" के स्थान पर "याद रखना")।

4. हे भिक्षुओं, मान लीजिए कि कोई भिक्षु दो संघदिशेष अपराध करता है, जिन्हें वह दो महीने तक छुपाता है; और एक अपराध के बारे में उसे कोई संदेह नहीं है, परन्तु दूसरे अपराध के बारे में उसे संदेह है। और वह संघ से पूछता है (आदि, जैसा कि पिछले खंड में है, "संदेह है" के स्थान पर "याद नहीं है")।

5. हे भिक्षुओं, मान लीजिए कि कोई भिक्षु संघ के दो अपराध करता है, जिन्हें वह दो माह तक छुपाता है; एक अपराध वह जानबूझकर छुपाता है, परन्तु दूसरा अनजाने में छुपाता है। और वह संघ से उन दो अपराधों के लिए दो माह की परिवीक्षा मांगता है जिन्हें उसने दो माह तक छुपाया था। और संघ उसे उन दो अपराधों के लिए दो माह की परिवीक्षा देता है जिन्हें उसने दो माह तक छुपाया था। और जब वह उस परिवीक्षा से गुजर रहा होता है, तभी एक भिक्षु आता है जो परंपराओं में पारंगत है, परंपरा से परिचित है, धम्म, विनय और मतिकाओं का संरक्षक है, चतुर, विवेकशील, बुद्धिमान, विनम्र, संवेदनशील और सीखने के लिए इच्छुक है। और वह इस प्रकार कहता है:

"हे मित्रों, इस भिक्षु ने क्या अपराध किया है, और वह परिवीक्षा पर क्यों है?"

और वे उत्तर देते हैं: "हे मित्र, इस भिक्षु ने संघदिशेष के दो अपराध किए हैं, जिन्हें उसने दो महीने तक छिपाए रखा; एक अपराध उसने जानबूझकर छिपाया और दूसरा अनजाने में। उसने संघ से उन दो अपराधों के लिए दो महीने की परिवीक्षा मांगी, जिन्हें उसने दो महीने तक छिपाए रखा था। संघ ने उसे उन दो अपराधों के लिए दो महीने की परिवीक्षा दी, जिन्हें उसने दो महीने तक छिपाए रखा था। हे मित्र, इस मामले में यह भिक्षु दोषी है, और इसलिए वह परिवीक्षा पर है।"

और वह उत्तर देते हैं: "हे मित्रों, जिस अपराध को उसने जानबूझकर छिपाया है, उसके लिए परिवीक्षा वैध है और इसी वैधता के कारण वह प्रभावी होती है। परन्तु जिस अपराध को उसने अनजाने में छिपाया है, हे मित्रों, उसके लिए परिवीक्षा अवैध है और इसी अवैधता के कारण वह प्रभावी नहीं होती। हे मित्रों, इस अपराध के लिए भिक्षु मनत्ता का भागी है।"

6. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु दो संघदिशेष अपराध करता है, जिन्हें वह दो महीने तक छुपाता है। और एक अपराध को वह याद रखते हुए छुपाता है, परन्तु दूसरे अपराध को वह बिना याद किए छुपाता है।'

[यहाँ पिछले खंड की ही टिप्पणियाँ अंत तक लागू होती हैं, जिसमें 'जानबूझकर' के स्थान पर 'इसे याद करते हुए' का प्रयोग किया गया है।]

<<<< पिछला(3.22) | अगला(3.24) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.24

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.23) | अगला(3.25) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-24: दूसरे अपराध के लिए अतिरिक्त परिवीक्षा।

1. उस समय एक भिक्षु ने संघ के दो अगुवा अपराध किए, जिन्हें उसने दो महीने तक छुपाए रखा। फिर उसे यह बात सूझी, “देखो! मैंने तो दो महीने तक ये अपराध किए हैं... अब मैं संघ से एक महीने की परिवीक्षा मांग लूं...” उसने संघ से एक महीने की परिवीक्षा मांगी। संघ ने उसे एक महीने की परिवीक्षा दी... जब वह परिवीक्षा पर था, तो उसे अपने किए पर लज्जा हुई। “अब मैं संघ से दो महीने तक छुपाए गए संघ के दो अगुवा अपराधों के लिए एक महीने की और परिवीक्षा मांग लूं।”

2. उसने भिक्षुओं को [जो कुछ हुआ था, अनुच्छेद 1 के शब्दों में, बताया और उनसे पूछा], 'अब मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

3. 'हे भिक्षुओं, संघ उस भिक्षु पर दो माह तक छुपाए गए उन दो संघदिशेष अपराधों के लिए एक और माह की परिवीक्षा लगाए।'

[यहाँ अध्याय-1, खंड-2, 3 में दिए गए रूप में कम्मवका दिया गया है।]

'इस प्रकार, हे भिक्षुओं, उस भिक्षु को उस तिथि से दो महीने की परीक्षा से गुजरना चाहिए।'

<<<< पिछला(3.23) | अगला(3.25) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.25

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.24) | अगला(3.26) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-25: अपराधों को छुपाना, उन्हें याद न करना, फिर उन्हें याद करना।

1. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु दो संघादिशेष अपराध करता है और उन्हें दो माह तक छुपाए रखता है, और उसे इसका अहसास होता है (जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णित है)... और वह पूछता है... और संघ उस पर दंड लगाता है... और जब वह उस परीक्षा की अवधि से गुजर रहा होता है, तो उसे लज्जा होती है... और वह संघ से उन दो संघादिशेष अपराधों के लिए एक और माह की परीक्षा मांगता है जिन्हें उसने दो माह तक छुपाए रखा था। और संघ उस पर एक और परीक्षा लगाता है... तब, हे भिक्षुओं, उस भिक्षु को उस तिथि से उन दो संघादिशेष अपराधों के लिए एक और माह की परीक्षा से गुजरना चाहिए जिन्हें उसने दो माह तक छुपाए रखा था।

2, 3. 'अब मान लीजिए, हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु ने दो संघदिशेष अपराध किए हों, जिन्हें वह दो महीने तक छुपाए रखता है। एक महीने का उसे ज्ञान है, परन्तु दूसरे महीने का उसे ज्ञान नहीं है... एक महीने का उसे स्मरण है, परन्तु दूसरे महीने का उसे स्मरण नहीं है... एक महीने का वह जानबूझकर छुपाता है, परन्तु दूसरे महीने का वह अनजाने में छुपाता है।'

[यह अध्याय अध्याय 23 के शब्दशः समान है, बस 'अपराध' के स्थान पर 'माह' लिखा है।]

<<<< पिछला(3.24) | अगला(3.26) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.26

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.25) | अगला(3.27) >>>>

ए (लघु अनुभाग)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-26.

1. उस समय एक भिक्षु ने अनेक संघादिशेष अपराध किए थे; परन्तु उसे अपराधों की गंभीरता और उनकी अवधि का ज्ञान नहीं था; या उसे अपराधों की गंभीरता और उनकी अवधि याद नहीं थी; या वह अपराधों की गंभीरता और उनकी अवधि के बारे में अनिश्चित था।

उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'मैंने अपराध किया है, इत्यादि... लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं है, इत्यादि... मुझे याद नहीं है, इत्यादि... मैं अनिश्चित हूँ, इत्यादि... अब मैं क्या करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब, हे भिक्षुओं, संघ उस भिक्षु पर पूर्ण शुद्धि की परीक्षा लागू करे।

(अर्थात, उनकी उपसम्पदा की तिथि से जितने दिन बीत चुके हैं, उतने दिनों की परिवीक्षा अवधि)।

2. हे भिक्षुओं, अब इस प्रकार यह नियम लागू किया जाना चाहिए।

[यहाँ कम्मवका को उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि अध्याय-1 में दिया गया है।]

3. हे भिक्षुओं, निम्नलिखित मामलों में पूर्ण शुद्धि का प्रायश्चित लगाया जाता है; और निम्नलिखित मामलों में (साधारण) प्रायश्चित लगाया जाता है। अब किन मामलों में पूर्ण शुद्धि का प्रायश्चित लगाया जाता है? जब वह अपराधों की गंभीरता और उनकी अवधि से अवगत न हो; जब वह अपराधों की गंभीरता और उनकी अवधि को याद न कर पाए; और जब वह अपराधों की गंभीरता और उनकी अवधि के बारे में निश्चित न हो—तब पूर्ण शुद्धि का प्रायश्चित लगाया जाता है।

जब उसे अपराधों की गंभीरता का ज्ञान हो, परन्तु उनकी अवधि का नहीं; जब उसे अपराधों की गंभीरता याद हो, परन्तु उनकी अवधि याद न हो; जब उसे अपराधों की गंभीरता का तो यकीन हो, परन्तु उनकी अवधि का नहीं—तब उस पर पूर्ण शुद्धि की परिवीक्षा लगाई जानी चाहिए।

जब वह जागरूक हो...याद करे...कुछ अपराधों की गंभीरता के बारे में निश्चित हो, लेकिन अन्य के बारे में नहीं, और जागरूक न हो...याद न करे...समय की अवधि के बारे में निश्चित न हो—तब इत्यादि।

जब वह अनजान होता है... उसे याद नहीं आता...

अपराधों की गंभीरता के बारे में निश्चित नहीं है... और जानता है... याद करता है... कुछ के समय के बारे में निश्चित है, लेकिन दूसरों के समय के बारे में नहीं—तो, इत्यादि।

जब वह जागरूक हो...याद करे...अपराधों की गंभीरता के बारे में निश्चित हो, और जागरूक हो...याद करे...कुछ अपराधों के समय के बारे में निश्चित हो, लेकिन दूसरों के समय के बारे में नहीं—तब, इत्यादि।

जब वह जागरूक होता है...याद करता है...कुछ अपराधों की गंभीरता के बारे में निश्चित होता है, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं; और जागरूक होता है...याद करता है...कुछ अपराधों के समय के बारे में निश्चित होता है, लेकिन दूसरों के समय के बारे में नहीं—तब, इत्यादि।

'हे भिक्षुओं, इन मामलों में पूर्ण शुद्धि की परीक्षा लागू की जानी चाहिए।'

4. हे भिक्षुओं, किन परिस्थितियों में (सामान्य) परिवीक्षा अवधि लगाई जानी चाहिए? जब वह सचेत हो... स्मरण करता हो... अपराधों की गंभीरता से अवगत हो, परन्तु सचेत न हो... स्मरण न करता हो... समय अवधि से अवगत न हो—तब (सामान्य) परिवीक्षा अवधि लगाई जानी चाहिए।

जब वह अनभिज्ञ है...याद नहीं कर पा रहा है...अपराधों की गंभीरता के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन जागरूक है...याद कर पा रहा है...समय की अवधि के बारे में निश्चित है—तब इत्यादि...

जब वह जागरूक होता है...याद करता है...कुछ अपराधों की गंभीरता के बारे में निश्चित होता है, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं; और जागरूक होता है...याद करता है...समय की अवधि के बारे में निश्चित होता है—तब इत्यादि...।

'ऐसे मामलों में, हे भिक्षुओं, सामान्य परिवीक्षा अवधि लागू की जानी चाहिए।'

यहीं परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है।

<<<< पिछला(3.25) | अगला(3.27) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.27

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-27.

1. उस समय एक भिक्षु ने, जो उस समय प्रशिक्षण में था, अपने वस्त्र त्याग दिए। बाद में वह वापस आया और भिक्षुओं से उपसंपदा माँगी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (भिक्षु) परीक्षा अवधि के दौरान वस्त्र त्याग देता है, तो संघ से बाहर रहने तक उसकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती। यदि वह बाद में उपसंपदा ग्रहण कर लेता है, तो उस पर पहले से लगाई गई परीक्षा अनिवार्य बनी रहती है। एक बार लगाई गई परीक्षा स्थायी होती है; एक बार पूरी की गई परीक्षा स्थायी होती है; यदि कोई (समय) शेष रह जाता है, तो परीक्षा फिर से (शुरू से) पूरी करनी होगी।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु, परीक्षा के दौरान, समनेर बन जाता है, तो समनेर रहते हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। हे भिक्षुओं, यदि वह बाद में उपसम्पदा (आदि, जैसा कि अंतिम अनुच्छेद में अंत तक वर्णित है) प्राप्त कर लेता है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु, परीक्षा के दौरान, अपना मानसिक संतुलन खो दे... मानसिक रूप से कमजोर हो जाए... अपनी इंद्रियों में रोगग्रस्त हो जाए... और किसी बात को न मानने के कारण निलंबित कर दिया जाए तो...

अपराध... किसी अपराध का प्रायश्चित न करने के कारण... किसी पापी सिद्धांत का त्याग न करने के कारण—हे भिक्षुओं, जब तक वह अपने मानसिक संतुलन से बाहर है... मानसिक रूप से कमजोर है... निलंबित है, आदि, तब तक उसे कोई परिवीक्षा नहीं मिल सकती। यदि बाद में वह अपने मानसिक संतुलन से बाहर आ जाता है... मानसिक रूप से कमजोर नहीं रहता... निलंबन से मुक्त हो जाता है, तो भी उस पर मूल परिवीक्षा अनिवार्य है। एक बार लगाई गई परिवीक्षा (आदि, जैसा कि पहले अनुच्छेद में अंत तक है)।

2. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु, जबकि उसे उसकी परीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेजे जाने का जोखिम हो, अपने वस्त्रों को त्याग देता है (आदि, जैसा कि इस खंड के सभी अनुच्छेदों में "वापस भेजे जाने का जोखिम" के स्थान पर "परीक्षा अवधि से गुजर रहा है") ।'

3. [वही बात उस भिक्षु पर भी लागू होती है जो वस्त्र त्याग देता है, या निर्दिष्ट सात चीजों में से कोई भी बन जाता है, जबकि वह मनत्ता अनुशासन के अधीन होने के लिए उत्तरदायी होता है;

4. या मनट्टा अनुशासन से गुजर रहा हो;

5. या पुनर्वास के योग्य है।]

यहां उन चालीस मामलों का अंत होता है (जिनमें किसी व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्रमुख अनुशासनात्मक कार्यवाही में रुकावट आई हो)।

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.27) । अगला(3.29) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-28.

1. 'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु परीक्षा के दौरान अनेक संघादिशेष कर दे तो...'

अपराध, निश्चित 1, लेकिन छिपा हुआ नहीं, कि भिक्षु को उसकी परिवीक्षा की शुरुआत में वापस भेज दिया जाएगा।

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु परीक्षा के दौरान अनेक संघादिशेष अपराध करता है, जो निश्चित और गुप्त हों, तो उस भिक्षु को उसकी परीक्षा के प्रारंभ में वापस भेज दिया जाएगा; और उस पर उन अपराधों की अवधि के अनुसार एक व्यापक परीक्षा लगाई जाएगी, जिन्हें उसने इस प्रकार छिपाया है।

'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु परीक्षा के दौरान अनेक संघादिशेष अपराध करता है, जिनमें से कुछ गुप्त हों और कुछ गुप्त न हों, तो उस भिक्षु को (अंतिम अनुच्छेद से अंत तक) ऐसा करना चाहिए।'

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु परीक्षा के दौरान अनेक संघादिशेष अपराध करे, जो स्पष्ट और गुप्त न हों... स्पष्ट और गुप्त न हों... गंभीर न हों, और उनमें से कुछ गुप्त हों, कुछ गुप्त न हों... कुछ स्पष्ट हों, कुछ अस्पष्ट और गुप्त न हों... कुछ स्पष्ट हों, कुछ अस्पष्ट और (सभी) गुप्त हों... कुछ स्पष्ट हों, कुछ अस्पष्ट हों, कुछ गुप्त हों, कुछ गुप्त न हों—तो उस भिक्षु को वापस संघ में मिला दिया जाएगा, और उस पर परीक्षा की अवधि के अनुसार एक व्यापक परीक्षा लगाई जाएगी।

'उसने जिन अपराधों को छिपाया था, उनमें से पहले अपराध के बाद से अब तक का समय।'

[यही स्थिति तब भी लागू होती है जब अपराध उस समय किए जाते हैं जब वह मनट्टा अनुशासन के लिए उत्तरदायी हो, या मनट्टा अनुशासन से गुजर रहा हो, या उसका पुनर्वास लंबित हो।]

यहां उन छत्तीस मामलों का अंत होता है (जिनमें परिवीक्षा अवधि के दौरान नए अपराध किए गए थे)।

<<<< पिछला(3.27) । अगला(3.29) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.29
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (3.28) । अगला (3.30) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-29.

1. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अनेक संघदिशेष अपराध करे, और उन्हें छुपाए नहीं, तो वह अपने वस्त्र त्याग दे, और बाद में उपसम्पदा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें छुपाए नहीं। हे भिक्षुओं, यदि ऐसा हो तो उस भिक्षु पर मनत्ता लगाई जाएगी।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (और इसी प्रकार, पहले बताए गए अनुसार) वस्त्र त्याग दे, और उपसम्पदा पुनः प्राप्त करने के बाद उन्हें छुपा ले, तो हे भिक्षुओं, उस भिक्षु पर उस अवधि के बराबर परिवीक्षा लगाई जाएगी, जिस अवधि के दौरान उसने किसी अपराध को छुपाया हो; और उसके बाद मनत्ता लगाई जाएगी।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अनेक संघदिशेष अपराध करके उन्हें छुपाता है, और फिर से उपसम्पदा प्राप्त करने के बाद उन्हें नहीं छुपाता है, तो हे भिक्षुओं, उस भिक्षु पर उतने समय के लिए परिवीक्षा लगाई जाएगी जितने समय तक उसने पहले छुपाए गए अपराधों के समूह में से किसी अपराध को छुपाया है; और उसके बाद उस पर मनत्ता लगाई जाएगी।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अनेक संघदिशेष अपराध करके उन्हें छुपाता है, और फिर वस्त्र त्यागकर उपसम्पदा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें छुपाता है, तो हे भिक्षुओं, उस भिक्षु पर उस अवधि के बराबर परिवीक्षा लगाई जाएगी, जिस अवधि के दौरान उसने पहले अपराध या बाद में छुपाए गए अपराधों के समूह में से किसी एक अपराध को छुपाया है; और उसके बाद उस पर मनत्ता लगाई जाएगी।

22. '[हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने अपराध किया हो]
संघदिशेष के अनेक अपराध हैं, जिनमें से कुछ अपराध उसने छिपाए हैं और कुछ नहीं छिपाए हैं; और यदि वह भिक्षु वस्त्र त्यागकर पुनः उपसम्पदा ग्रहण कर लेता है और बाद में उन अपराधों को नहीं छिपाता जिन्हें उसने पहले छिपाया था, और न ही उन अपराधों को छिपाता है जिन्हें उसने पहले नहीं छिपाया था, तो उस भिक्षु पर [धारा 1, अनुच्छेद 4 के समान दंड लागू होगा]।

'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु [आदि, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में नीचे दिया गया है] उन अपराधों को बाद में नहीं छुपाता है जिन्हें उसने पहले छुपाया था, और उन अपराधों को छुपाता है जिन्हें उसने पहले नहीं छुपाया था, तो उस भिक्षु पर [धारा 1, पैराग्राफ 4 के समान दंड होगा]।

'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (आदि, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में नीचे दिया गया है) उन अपराधों को बाद में छुपाता है जिन्हें उसने पहले छुपाया था, और उन अपराधों को बाद में नहीं छुपाता है जिन्हें उसने पहले नहीं छुपाया था, तो उस भिक्षु पर [धारा 1, पैराग्राफ 4 के समान दंड होगा]।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (आदि, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में नीचे तक बताया गया है) उन अपराधों को छुपाता है जिन्हें उसने पहले छुपाया था, और उन अपराधों को छुपाता है जिन्हें उसने पहले नहीं छुपाया था, तो उस भिक्षु पर [धारा 1, पैराग्राफ 4 के समान दंड होगा]।

3. 'हे भिक्षुओं, यदि किसी भिक्षु ने अनेक संघादिशेष अपराध किए हों, और उनमें से कुछ

वह उनमें से कुछ के बारे में जानता है, लेकिन कुछ के बारे में नहीं जानता; और वह उन अपराधों को छुपाता है जिनके बारे में वह जानता है, लेकिन उन अपराधों को नहीं छुपाता जिनके बारे में वह नहीं जानता; वस्त्र त्यागने और फिर से उपसम्पदा ग्रहण करने के बाद, जिन अपराधों के बारे में वह पहले जानता था और जिन्हें उसने तब छुपाया था, उनके बारे में वह बाद में भी जानता है और उन्हें नहीं छुपाता; और जिन अपराधों के बारे में वह पहले नहीं जानता था और जिन्हें उसने तब नहीं छुपाया था, उनके बारे में वह बाद में जान जाता है और उन्हें नहीं छुपाता, उस भिक्षु पर [धारा 1, अनुच्छेद 3 के समान दंड लागू होगा]।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (आदि, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में वर्णित है) फिर से उपसम्पदा प्राप्त कर लेता है, तो जिन अपराधों के बारे में वह पहले से अवगत था और जिन्हें उसने तब छिपाया था, उनके बारे में वह बाद में भी अवगत रहता है और उन्हें नहीं छिपाता; और जिन अपराधों के बारे में वह पहले से अवगत नहीं था और जिन्हें उसने तब नहीं छिपाया था, उनके बारे में वह बाद में अवगत हो जाता है और उन्हें छिपाता है, तो उस भिक्षु पर [धारा 1, अनुच्छेद 4 के समान दंड लागू होगा]।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (आदि, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में वर्णित है) उन अपराधों को छिपाता है जिन्हें उसने पहले छिपाया था, और बाद में भी वह उनसे अवगत रहता है, और उन्हें छिपाता नहीं है, और उन अपराधों के बारे में जो पहले उसे ज्ञात नहीं थे, और जिन्हें उसने तब नहीं छिपाया था, बाद में वह उनसे अवगत हो जाता है, और उन्हें नहीं छिपाता है, तो उस भिक्षु पर [धारा 1, अनुच्छेद 4 के समान दंड लागू होगा]।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (आदि, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में बताया गया है) जिसे उसने तब छिपाया था, तो वह बाद में भी उनसे अवगत रहता है और उन्हें छिपाता रहता है।

और उन अपराधों के बारे में, जिनके बारे में वह पहले से अनजान था और जिन्हें उसने तब छिपाया नहीं था, बाद में उसे पता चलता है और वह उन्हें छिपाता है, तो उस भिक्षु पर [धारा 1, अनुच्छेद 4 के समान दंड लागू होगा]।

4. [यह खंड पिछले खंड के समान है, जिसमें 'वह अवगत है' के स्थान पर 'वह याद करता है' और 'वह अवगत नहीं है' के स्थान पर 'वह याद नहीं करता' पढ़ा गया है।]

5. [यह खंड फिर से खंड 3 के समान है, जिसमें 'वह जानता है' के स्थान पर 'वह निश्चित है' और 'वह नहीं जानता है' के स्थान पर 'वह निश्चित नहीं है' लिखा गया है।]

<<<< पिछला (3.28) | अगला (3.30) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.30

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.29) | अगला(3.31) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-30.

1. [पिछले अध्याय का पूरा भाग एक ऐसे भिक्षु के मामले में दोहराया गया है, जिसने अपराध किए हैं, जो समनेर बन जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है, या मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, और पाठ आगे कहता है] 'वह अपनी इंद्रियों में रोगग्रस्त हो जाता है। उसके कुछ अपराध छिपे हुए होते हैं, कुछ छिपे हुए नहीं होते। कुछ अपराधों के बारे में वह जानता है, कुछ के बारे में नहीं। कुछ अपराधों को वह याद रखता है, कुछ को याद नहीं रखता। कुछ अपराधों के बारे में वह निश्चित होता है, कुछ के बारे में वह निश्चित नहीं होता। जिन अपराधों के बारे में वह निश्चित नहीं था, उन्हें वह छिपाता है; जिन अपराधों के बारे में वह निश्चित था, उन्हें वह नहीं छिपाता। तब वह अपनी इंद्रियों में रोगग्रस्त हो जाता है। जब वह अपनी इंद्रियों पर फिर से नियंत्रण पा लेता है, तो जिन अपराधों के बारे में वह पहले निश्चित था और उन्हें छिपाया था, उनके बारे में वह बाद में भी निश्चित रहता है, लेकिन उन्हें नहीं छिपाता; और जिन अपराधों के बारे में वह पहले निश्चित नहीं था,

जिन अपराधों के बारे में वह अनिश्चित था और जिन्हें उसने छिपाया नहीं था, उनके बारे में वह बाद में भी निश्चित रहा और उन्हें छिपाया नहीं। जिन अपराधों के बारे में वह पहले निश्चित था और उन्हें छिपाया था, उनके बारे में वह बाद में भी निश्चित रहा और उन्हें छिपाया नहीं, जबकि जिन अपराधों के बारे में वह पहले अनिश्चित था और उन्हें छिपाया नहीं था, उनके बारे में वह बाद में निश्चित हो गया और उन्हें छिपा दिया। जिन अपराधों के बारे में वह पहले निश्चित था और उन्हें छिपाया था, उनके बारे में वह बाद में भी निश्चित रहा और उन्हें छिपा दिया; जबकि जिन अपराधों के बारे में वह पहले अनिश्चित था और उन्हें छिपाया नहीं था, उनके बारे में वह बाद में निश्चित हो गया और उन्हें छिपाया नहीं। जिन अपराधों के बारे में वह पहले निश्चित था और उन्हें छिपाया था, उनके बारे में वह बाद में भी निश्चित रहा और उन्हें छिपा दिया; जबकि जिन अपराधों के बारे में वह पहले अनिश्चित था और उन्हें छिपाया नहीं था, उनके बारे में वह बाद में निश्चित हो गया और उन्हें छिपा दिया, - हे भिक्षुओं, उस भिक्षु पर [अध्याय 29, खंड 1, अनुच्छेद 4 में उल्लिखित दंड लागू किया जाएगा।]

यहां उन सौ मामलों का अंत होता है जिनमें दोषी भिक्षु की अवस्था में परिवर्तन के बाद मनत्ता (लागू की जानी है)।

<<<< पिछला(3.29) | अगला(3.31) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.31

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.30) | अगला(3.32) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-31.

1. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु जो परिवीक्षा पर है, इस बीच अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी हो जाता है, और उन्हें छुपाए बिना अपने वस्त्र त्याग देता है, और जब उसे पुनः उपसम्पदा प्राप्त हो जाती है, तो वह उन अपराधों को छुपाता नहीं है, तो उस भिक्षु को परिवीक्षा की शुरुआत में वापस भेज दिया जाना चाहिए।

और हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है) उपसम्पदा पुनः प्राप्त करने के बाद उन अपराधों को छुपाता है, तो उस भिक्षु को (उसकी परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में) वापस भेज दिया जाना चाहिए, और उस पर उन अपराधों में से पहले अपराध के लिए (जितना समय बीत चुका है) एक व्यापक परिवीक्षा लगाई जानी चाहिए, जिसे उसने छुपाया है।

'हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु जो परीक्षा दे रहा हो, इस बीच संघदिशेष के अनेक अपराधों का दोषी हो और उन्हें छुपाकर भिक्षु वस्त्र त्याग दे; और उपसम्पदा प्राप्त करने के बाद वह उन अपराधों को न छुपाए—तो उस भिक्षु को उसकी परीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेज दिया जाना चाहिए और उस पर उन अपराधों में से पहले अपराध के लिए (जितनी अवधि बीत चुकी है) एक पूर्ण परीक्षा लगाई जानी चाहिए, जिसे उसने छुपाया था।'

[यदि उसने वस्त्र त्यागने से पहले और उपसम्पदा पुनः प्राप्त करने के बाद भी अपराधों को छिपाया है, तो भी वही निर्णय लागू होगा।]

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु जो परीक्षा दे रहा हो, इस बीच संघदिशेष के अनेक अपराधों का दोषी हो, और उनमें से कुछ को उसने छिपाया हो और कुछ को नहीं छिपाया हो; और जब वह वस्त्र त्यागकर पुनः उपसम्पदा ग्रहण कर लेता है, तो वह उन अपराधों को नहीं छिपाता जिन्हें उसने पहले छिपाया था, और न ही उन अपराधों को छिपाता है जिन्हें उसने पहले नहीं छिपाया था—[निर्णय वही होगा जो अनुच्छेद 1 के अंतिम अनुच्छेद में है।]

[इसी मामले में आगे भी] वह उन अपराधों को बाद में नहीं छुपाता जिन्हें उसने पहले छुपाया था, और वह उन अपराधों को बाद में छुपाता है जिन्हें उसने पहले नहीं छुपाया था [निर्णय वही रहता है]।

[इसी मामले में, वह बाद में उन अपराधों को छुपाता है जिन्हें उसने पहले छुपाया था, और वह बाद में उन अपराधों को नहीं छुपाता जिन्हें उसने पहले नहीं छुपाया था]।

[इसी मामले में, वह बाद में उन अपराधों को छुपाता है जिन्हें उसने पहले छुपाया था, और वह बाद में उन अपराधों को छुपाता है जिन्हें उसने पहले नहीं छुपाया था [निर्णय वही है]।

3. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु जो परीक्षा दे रहा हो, इस बीच अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी हो, और वह उनमें से कुछ अपराधों से अवगत हो, और अन्य से अनभिज्ञ हो; और वह उन अपराधों को छुपाए जिनसे वह अवगत है, परन्तु उन अपराधों को न छुपाए जिनसे वह अनभिज्ञ है।

अज्ञान है। वस्त्र त्यागने और पुनः उपसम्पदा ग्रहण करने के बाद, उन अपराधों के लिए जो उसने पहले [अध्याय-29, खंड 3 से आगे तक] उस भिक्षु पर किए थे [दंड वही है जो अंतिम खंड, अध्याय-31, धारा-2 में है]।

[इस अध्याय का शेष भाग अध्याय 29, धारा 4, 5 और अध्याय 30 के बिल्कुल अनुरूप है; दंड हमेशा एक ही रहता है।]

<<<< पिछला(3.30) | अगला(3.32) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.32
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.31) | अगला(3.33) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-32.

1. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु, जिसने मनत्त अनुशासन के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना लिया है, या मनत्त अनुशासन का पालन कर रहा है, या पुनर्वास के योग्य है, इस बीच अनेक संघदिशेष अपराधों का दोषी पाया जाता है जिन्हें वह छुपाता नहीं है; और फिर वह वस्त्र त्याग देता है और पुनः उपसम्पदा ग्रहण करता है, तो ऐसे भिक्षु के संबंध में, जो मनत्त अनुशासन के लिए उत्तरदायी है, या मनत्त अनुशासन का पालन कर रहा है, या पुनर्वास के योग्य है, वही नियम लागू होंगे जो परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसा करने वाले भिक्षु के मामले में लागू होते हैं।

और हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पुनर्वास के योग्य होते हुए भी संघदिशेष के अनेक अपराधों का दोषी पाया जाता है, जिन्हें वह छुपाता नहीं है; और फिर वह समनेर हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, या उसकी इंद्रियाँ रोगग्रस्त हो जाती हैं; तो उसके कुछ अपराध निम्नलिखित हैं:

कुछ छिपे हुए हैं, कुछ छिपे हुए नहीं हैं... [और इसी तरह, अध्याय 30 की तरह अंत तक, सिवाय इसके कि यहाँ दंड वही है जो पिछले अध्याय 31 और 32 में है।]

<<<< पिछला(3.31) | अगला(3.33) >>>>
टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.33
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.32) | अगला(3.34) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-33.

1. 'और हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अनेक संघदिशेष अपराधों का दोषी पाया जाता है, चाहे वे निश्चित हों और छिपे हुए न हों, अनिश्चित हों और छिपे हुए न हों, एक ही प्रकार के हों और छिपे हुए न हों, अनेक प्रकार के हों और छिपे हुए न हों, समान हों और छिपे हुए न हों, भिन्न हों और छिपे हुए न हों, और फिर वह भिक्षु वस्त्र त्याग देता है।' . . .

<<<< पिछला(3.32) | अगला(3.34) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> तीसरा खंडका >> 3.34

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.33) | अगला(3.35) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-34.

1. 'दो भिक्षु संघदिशेष अपराध के दोषी पाए गए हैं, और उस संघदिशेष अपराध के संबंध में उनका मत है कि यह संघदिशेष अपराध है। उनमें से एक इसे छुपाता है, दूसरा नहीं छुपाता। जिसने इसे छुपाया है, उसे दुक्कता अपराध का दोषी स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, और उसे छुपाने की अवधि के बराबर परिवीक्षा अवधि दी जानी चाहिए, और उन दोनों पर मनत्ता लगाई जानी चाहिए।'

'दो भिक्षु संघदिशेष अपराध के दोषी पाए गए हैं, और उस संघदिशेष अपराध के संबंध में वे संदेह में हैं। उनमें से एक इसे छुपाता है, दूसरा नहीं छुपाता। [दंड समान है।]

'दो भिक्षु संघदिशेष अपराध के दोषी पाए गए हैं, और उस संघदिशेष अपराध के संबंध में उनका मत है कि यह मिश्रित अपराध है। उनमें से एक इसे छुपाता है, दूसरा नहीं छुपाता। [दंड समान है।]

'दो भिक्षु मिश्रित अपराध के दोषी पाए गए हैं, और उस मिश्रित अपराध के संबंध में उनका मत है कि यह संघदिशेष अपराध है। उनमें से एक

एक व्यक्ति इसे छुपाता है, दूसरा नहीं छुपाता। [सजा समान है।]

'दो भिक्षु मिश्रित अपराध के दोषी हैं, और उस मिश्रित अपराध के संबंध में उनका मत है कि यह मिश्रित अपराध है। उनमें से एक इसे छुपाता है, दूसरा नहीं छुपाता। [दंड समान है।]

दो भिक्षुओं ने एक छोटा अपराध किया है; और उस छोटे अपराध के संबंध में उनका मत है कि यह संघदिशेष अपराध है। उनमें से एक ने इसे छिपाया है, दूसरे ने नहीं छिपाया है। जिसने इसे छिपाया है, उसे दुक्कत अपराध का दोषी स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, और दोनों के साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए।

दो भिक्षुओं ने एक छोटा अपराध किया है, और उस छोटे अपराध के बारे में उनका मत है कि यह एक छोटा अपराध है। उनमें से एक ने इसे छिपाया है, दूसरे ने नहीं छिपाया है। जिसने इसे छिपाया है, उसे दुक्कता अपराध का दोषी होने की बात स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, और दोनों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए।

2. दो भिक्षु संघादिशेष अपराध के दोषी हैं, और उस संघादिशेष अपराध के संबंध में उनका मत है कि यह संघादिशेष है। उनमें से एक सोचता है: "मैं (संघ को) बता दूंगा।" दूसरा सोचता है: "मैं (संघ को) नहीं बताऊंगा।" और रात के पहले पहर में वह इसे छुपाता है, फिर

रात के दूसरे पहर में छुपाता है, और फिर रात के तीसरे पहर में छुपाता है। सूर्योदय के बाद यह अपराध छुपा हुआ माना जाएगा। जिसने इसे छुपाया है [आदि; दंड वही है जो धारा 1, अनुच्छेद 1 में दिया गया है]।

दो भिक्षु संघादिशेष अपराध के दोषी हैं, और वे इस संघादिशेष अपराध के संबंध में यह मत रखते हैं कि यह संघादिशेष अपराध है। वे संघ को इसके बारे में बताने के इरादे से निकल पड़े। रास्ते में उनमें से एक के मन में इसे छिपाने की इच्छा उत्पन्न हुई; और रात के पहले पहर में उसने इसे छिपाया, फिर दूसरे पहर में और फिर तीसरे पहर में। सूर्योदय के बाद यह अपराध छिपा हुआ माना जाएगा। जिसने इसे छिपाया है, उसे पहले जैसा ही दंड मिलेगा।

दो भिक्षु संघदिशेष अपराध के दोषी हैं, और उस संघदिशेष अपराध के संबंध में उनका मत है कि यह संघदिशेष अपराध है। वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं; और बाद में जब उन्हें होश आता है तो उनमें से एक इसे छुपाता है, दूसरा नहीं छुपाता। जिसने इसे छुपाया है [आदि; दंड पहले जैसा ही है]।

दो भिक्षु संघदिशेष अपराध के दोषी पाए गए हैं। जब पतिमोक्ख का पाठ हो रहा था, तब उन्होंने कहा: "अब हमें यह समझ में आया है; क्योंकि वे कहते हैं कि यह नियम सूत्रों में लिखा गया है, सूत्रों में निहित है, और प्रत्येक छह महीने में इसका पाठ किया जाता है।" संघदिशेष अपराध के संदर्भ में, वे (इस प्रकार) दोषी पाए गए।

यह मत है कि यह संघदिशेष अपराध है। एक इसे छुपाता है, दूसरा नहीं छुपाता। जिसने इसे छुपाया है [आदि; दंड पहले जैसा ही है]।

<<<< पिछला(3.33) | अगला(3.35) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.34) | अगला(3.36) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-35.

1. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी हो—निश्चित और अनिश्चित—एक ही प्रकार के और अनेक प्रकार के—एक दूसरे से मिलते-जुलते और भिन्न—आपस में जुड़े हुए और अलग-अलग। वह उन अपराधों के कारण संघ से पूर्ण परिवीक्षा की मांग करता है। संघ उन अपराधों के कारण उस पर पूर्ण परिवीक्षा लगाता है। परिवीक्षा के दौरान वह अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी हो जाता है, जो निश्चित होते हैं और जिन्हें वह छुपाता नहीं है। वह संघ से उन बीच के अपराधों के कारण उसे परिवीक्षा की शुरुआत में वापस भेजने का अनुरोध करता है। संघ एक विधिवत कार्यवाही द्वारा ऐसा करता है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता और जो उस स्थिति के लिए उपयुक्त है; और वह उस पर एक मनत्ता भी लगाता है, लेकिन एक विधिवत कार्यवाही द्वारा, और फिर एक विधिवत कार्यवाही द्वारा उसका पुनर्वास करता है। हे भिक्षुओं, वह भिक्षु उन अपराधों से मुक्त नहीं हुआ है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी पाया जाता है—निश्चित और अनिश्चित, एक ही प्रकार के और अनेक प्रकार के—एक दूसरे से मिलते-जुलते और भिन्न, एक दूसरे से जुड़े और अलग। और वह उन अपराधों के कारण संघ से पूर्ण परिवीक्षा की मांग करता है। संघ उन अपराधों के कारण उस पर पूर्ण परिवीक्षा लगाता है। परिवीक्षा के दौरान वह अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी पाया जाता है, जो निश्चित होते हैं और जिन्हें वह छुपाता है। वह संघ से उन बीच के अपराधों के कारण उसे परिवीक्षा की शुरुआत में वापस भेजने का अनुरोध करता है। संघ एक विधिवत कार्यवाही द्वारा ऐसा करता है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता और जो उस स्थिति के लिए उपयुक्त है; और यह विधिवत कार्यवाही द्वारा उस पर व्यापक परिवीक्षा भी लगाता है, और विधिवत कार्यवाही द्वारा उस पर मनत्ता भी लगाता है, और विधिवत कार्यवाही द्वारा उसका पुनर्वास करता है। हे भिक्षुओं, वह भिक्षु इन अपराधों से शुद्ध नहीं होता।

[यही निर्णय तब भी दिया जाता है जब बीच में हुए सभी अपराध, जो कि निश्चित हैं, में से कुछ को छिपाया गया हो और कुछ को नहीं छिपाया गया हो।]

2. [यही स्थिति तब भी लागू होती है जब बीच के अपराध स्पष्ट और छिपे हुए न हों, या स्पष्ट और छिपे हुए न हों, या सभी स्पष्ट न हों लेकिन कुछ छिपे हुए हों और कुछ स्पष्ट न हों, या सभी छिपे हुए न हों लेकिन कुछ स्पष्ट और कुछ स्पष्ट न हों, या सभी छिपे हुए हों।]

परन्तु कुछ निश्चित और कुछ अनिश्चित, या कुछ निश्चित और कुछ अनिश्चित, और कुछ छिपे हुए और कुछ स्पष्ट।]

यहां उन नौ प्रमुख मामलों का अंत होता है (जो अगले अध्याय में विभिन्नताओं का आधार बनते हैं) जिनमें एक भिक्षु (परीक्षण अवधि से गुजरकर) शुद्ध नहीं होता है।

<<<< पिछला(3.34) | अगला(3.36) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 3.36
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.35) | अगला(4.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

तीसरा खंडक (परीक्षा एवं प्रायश्चित - जारी)

अध्याय-36.

1. [वापस फेंकने के वही नौ मामले गैरकानूनी कार्यवाही द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि मनत्ता और पुनर्वास कानूनी कार्यवाही द्वारा किए जाते हैं।]

2. हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी पाया जाता है—निश्चित और अनिश्चित—एक ही प्रकार के और अनेक प्रकार के—एक दूसरे से मिलते-जुलते और भिन्न—एक दूसरे से जुड़े और अलग। वह इन अपराधों के कारण संघ से पूर्ण परिवीक्षा की प्रार्थना करता है। संघ उसे इन अपराधों के कारण अतिरिक्त परिवीक्षा देता है। परिवीक्षा के दौरान वह अनेक संघादिशेष अपराधों का दोषी पाया जाता है, जो निश्चित होते हैं और जिन्हें वह छुपाता है। वह संघ से उसे वापस संघ में शामिल करने की प्रार्थना करता है।

परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ होने से पहले हुए अन्य अपराधों के संबंध में संघ उसे एक अवैध कार्यवाही द्वारा दंडित करता है, जो निरस्त किए जाने योग्य और इस अवसर के लिए अनुपयुक्त है; और वह उस पर एक व्यापक परिवीक्षा भी थोपता है, वह भी एक अवैध कार्यवाही द्वारा। वह यह सोचकर कि "मैं परिवीक्षा अवधि से गुजर रहा हूँ," इस बीच कई संघदिशेष अपराधों का दोषी होता है, जिन्हें वह छुपाता है। इस स्थिति में पहुँचने पर उसे पहले अपराधों के दौरान किए गए अन्य अपराध और बाद के अपराधों के दौरान किए गए अन्य अपराध याद आते हैं।

तब उसे यह विचार आया, "मैं अनेक संघदिशेष अपराधों का दोषी रहा हूँ (आदि, जैसा कि इस खंड के प्रारंभ से लेकर अंतिम अनुच्छेद के अंत तक में वर्णित है) और मुझे वे अन्य अपराध भी याद आ गए जो मैंने इन अपराधों के दौरान किए थे। अब मैं संघ से निवेदन करता हूँ कि पूर्व अपराधों और बाद के अपराधों के दौरान किए गए उन अपराधों के कारण मुझे एक वैध कार्यवाही द्वारा, जिसे रद्द नहीं किया जा सकता और जो इस अवसर के लिए उपयुक्त है, मेरी परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेज दिया जाए; और मैं एक वैध

कार्यवाही द्वारा एक व्यापक परिवीक्षा, एक वैध कार्यवाही द्वारा एक मनत्ता और फिर एक वैध कार्यवाही द्वारा पुनर्वास के लिए निवेदन करता हूँ।"

और वह संघ से [तदनुसार] पूछता है, और संघ [ऐसा करता है]। हे भिक्षुओं, वह भिक्षु उन अपराधों से शुद्ध हो जाता है।

[यही स्थिति तब भी लागू होती है जब प्रत्येक मामले में कुछ अपराध छिपाए गए हों और कुछ नहीं छिपाए गए हों।]

3, 4. [भिक्षु पिछले खंड में निर्दिष्ट ऐसे मध्यवर्ती और स्मरण किए गए अपराधों से शुद्ध नहीं होता है, यदि संघ ने इस अध्याय के पहले खंड में वर्णित अनुसार, गैरकानूनी कार्यवाही की हो।]

अपराधों के संचय पर आधारित तीसरा खंडक यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(3.35) | अगला(4.1) >>>>

चौथा खंडका (विवाद)
(भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(3.36) | अगला(4.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय 1।

1. उस समय महान बुद्ध सावत्थी में अनाथपिंडिका के आराम (मठ) में निवास कर रहे थे। उस समय छब्बगीय भिक्षु अनुपस्थित भिक्षुओं के विरुद्ध औपचारिक अनुष्ठान - तज्जनिया, निस्सया, पब्बजिया, पतिसरानिया और उक्खेपनिया - करते थे।

तब वे नम्र भिक्षु नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'छब्बग्गिया भिक्षु ऐसा कैसे कर सकते हैं?' और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि कहा जाता है कि छब्बागीय भिक्षु उन भिक्षुओं के विरुद्ध (उपरोक्त) औपचारिक कार्य करते हैं जो उपस्थित नहीं होते?'

'यह सच है, प्रभु!'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'यह अनुचित है (आदि, जैसा कि 1, 2 से अंत तक है)।' और जब उन्होंने उन्हें इस प्रकार फटकारा, और

धर्म प्रवचन देते हुए उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा: 'हे भिक्षुओं, औपचारिक कर्म, तज्जनीय, निस्साय, पब्बनीय, पतिसराणीय और उक्खेपनीय कर्म उन भिक्षुओं के विरुद्ध नहीं किए जाने चाहिए जो उपस्थित नहीं हैं। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता अपराध का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(3.36) | अगला(4.2) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.2

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.1) | अगला(4.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-2: जब किसी बात को असत्य रूप से सही माना जाता है

1. वह अकेला भिक्षु जो उचित वचन के अनुसार नहीं बोलता, वे अनेक भिक्षु जो उचित वचन के अनुसार नहीं बोलते, वह संघ जो उचित वचन के अनुसार नहीं बोलता। वह अकेला भिक्षु जो उचित वचन के अनुसार बोलता है, वे अनेक भिक्षु जो उचित वचन के अनुसार बोलते हैं, वह संघ जो उचित वचन के अनुसार बोलता है।

अब (ऐसा हो सकता है कि) जो भिक्षु उचित मार्ग के विपरीत बोलता है, वह उचित मार्ग बोलने वाले किसी भिक्षु को उचित मार्ग बता दे, या उसे समझा दे, या उसे उस दृष्टिकोण से मामले को देखने या विचार करने के लिए प्रेरित करे, या उसे सिखाए या निर्देश दे, यह कहते हुए, 'यह धम्म है, यह विनय है, यह गुरु का उपदेश है। इसे स्वीकार करो और इसका अनुमोदन करो।' यदि विवाद का निपटारा इस प्रकार किया जाता है, तो वह धम्म के विरुद्ध और विनय के नियम की मात्र नकल के साथ किया जाता है (कि विवाद के मामलों का निपटारा संघ की विधिवत गठित बैठक में और आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए)।

[और इसी प्रकार, यदि वह उन अनेकों या संघ को उपदेश दे जो उचित मार्ग पर चलते हैं; या यदि वे अनेक या संघ जो उचित मार्ग पर नहीं चलते, उस एक व्यक्ति या अनेकों या संघ को उपदेश दें जो उचित मार्ग पर चलते हैं; तो विवाद धम्म के विरुद्ध हल हो जाता है (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है)।]

उन नौ मामलों का अंत जिनमें गलत पक्ष ने फैसला सुनाया।

<<<< पिछला(4.1) | अगला(4.3) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.2) | अगला(4.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-3.

[यह अध्याय पिछले अध्याय के विपरीत है; इसमें वे मामले बताए गए हैं जिनमें अध्याय-2 के पहले अनुच्छेद में मतिका के अंतिम तीन सदस्य पहले तीन सदस्यों को निर्देश देते हैं, इत्यादि।]

उन नौ मामलों का अंत जिनमें सही पक्ष ने फैसला सुनाया।

<<<< पिछला(4.2) | अगला(4.4) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.3) | अगला(4.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-4.

1. उस समय महान बुद्ध राजगृह में, कलंदक निवापा में, बांस के जंगल में ठहरे हुए थे।

उस समय पूज्य दब्बा मल्लियन, जिन्होंने सात वर्ष की आयु में ही अरहतत्व प्राप्त कर लिया था, शिष्य को प्राप्त होने वाले सभी आध्यात्मिक वरदानों से परिपूर्ण हो चुके थे; उनके लिए अब कुछ भी शेष नहीं था, न ही उनके पिछले परिश्रम का कोई फल शेष था। और जब पूज्य दब्बा मल्लियन एकांत में चले गए और चिंतन में लीन हो गए, तो उनके मन में यह विचार आया: 'क्या मैंने अरहतत्व प्राप्त कर लिया है?'

मैंने सात वर्ष की आयु में ही सब कुछ प्राप्त कर लिया था। एक शिक्षार्थी जो कुछ प्राप्त कर सकता है, वह सब मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मेरे लिए करने को कुछ नहीं बचा है, मैंने जो कुछ किया है, उसका फल समेटने के लिए कुछ नहीं बचा है। संघ के लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ?' तब पूज्य मलियान दब्बा के मन में यह विचार आया: 'संघ के लिए आवास व्यवस्था करना और भोजन का आवंटन करना मेरे लिए अच्छा रहेगा।'

2. और जब संध्याकाल में पूज्य मल्लियन दुब्बा अपनी ध्यान साधना से उठे, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए; और इस प्रकार बैठते हुए पूज्य मल्लियन दुब्बा ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'हे प्रभु, जब मैं एकांत में जाकर चिंतन में लीन हो गया, तब मेरे मन में निम्नलिखित विचार आया (जैसा कि पहले भी कहा गया है): संघ के लिए आवास व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और भोजन का राशन बाँटना मेरे लिए अच्छा होगा। हे प्रभु, मैं ऐसा करना चाहता हूँ।'

'बहुत बढ़िया, डब्बा। तो क्या आप संघ के लिए आवास व्यवस्था और भोजन का आवंटन भी करते हैं!'

'यह ठीक है, प्रभु,' आदरणीय डब्बा मल्लियन ने भगवान बुद्ध के वचन को स्वीकार करते हुए कहा।

3. उस अवसर पर और उस संदर्भ में, जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, संघ डब्बा मल्लियन को आवास-स्थानों का नियामक और राशन का बंटवारा करने वाला नियुक्त करे। और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, नियुक्ति की जानी चाहिए।'

'सर्वप्रथम दब्बा से पूछा जाना चाहिए (कि क्या वह पदभार ग्रहण करने के लिए इच्छुक है)। जब उससे पूछ लिया जाए, तो किसी योग्य और विवेकशील भिक्षु को संघ के समक्ष यह संकल्प रखना चाहिए, और कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ मेरी बात सुन ले।"

"यदि संघ को उचित लगे, तो संघ मल्लियन दब्बा को आवास-स्थानों का नियामक और राशन का बंटवारा करने वाला नियुक्त करे।" यह संकल्प (नट्टी) है।

"आदरणीय संघ मेरी बात सुन ले।"

संघ ने आदरणीय मल्लियन दब्बा को आवास स्थलों का नियामक और राशन का वितरणकर्ता नियुक्त किया है। जो भी आदरणीय इस बात से सहमत हैं कि दब्बा को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, वे मौन रहें; जो असहमत हैं, वे बोलें। आदरणीय दब्बा को संघ द्वारा आवास स्थलों का नियामक और राशन का वितरणकर्ता नियुक्त किया गया है। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए इस पर मौन है। मैं यही समझता हूँ।

4. और पूज्य मल्लियन भिक्षु दब्बा ने, इस प्रकार चुने जाने पर, एक ही स्थान पर एक ही विभाग के भिक्षुओं के लिए एक ही आवास नियुक्त किया। उन भिक्षुओं के लिए जो सुत्तंतों का जाप करते थे, उन्होंने एक साथ आवास नियुक्त किया, यह सोचकर कि 'वे एक दूसरे को सुत्तंतों का पाठ कर सकेंगे।' उन भिक्षुओं के लिए जो विनय के प्रभारी थे, उन्होंने एक साथ आवास नियुक्त किया, यह सोचकर कि 'वे एक दूसरे से विनय पर चर्चा कर सकेंगे।' उन भिक्षुओं के लिए जो धम्म के प्रचारक थे, उन्होंने एक साथ आवास नियुक्त किया, यह सोचकर कि 'वे एक दूसरे से धम्म पर चर्चा कर सकेंगे।' उन भिक्षुओं के लिए जो ध्यान में लीन थे, उन्होंने एक साथ आवास नियुक्त किया, यह सोचकर कि 'वे एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे।' सांसारिक ज्ञान में निपुण और शारीरिक शक्ति से परिपूर्ण भिक्षुओं के लिए उन्होंने एक ही स्थान पर सामूहिक रूप से निवास किया, यह सोचकर कि 'ये पूजनीय भिक्षु भी इसी प्रकार अपनी इच्छा अनुसार निवास कर सकेंगे।' और जो भिक्षु देर से आए, उनके लिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उसकी लौ के प्रकाश में उन्हें निवास स्थान का मार्ग दिखाया।

यहां तक कि दृढ़ निश्चयी भिक्षु देर से आते थे, यह सोचकर कि 'इस प्रकार हम पूज्य मल्लियन दब्बा की इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) के दर्शन करेंगे।' और वे पूज्य मल्लियन दब्बा के पास जाकर कहते थे: 'हे पूज्य दब्बा, हमारे लिए एक आवास की व्यवस्था कीजिए।'

और आदरणीय मलीय दब्बा उनसे इस प्रकार कहते थे: 'आदरणीय लोग कहाँ विश्राम करना चाहते हैं? मैं उनके लिए कौन सा स्थान निर्धारित करूँ?'

और वे दृढ़ निश्चयी लोग दूर किसी स्थान को चुनते हुए कहते, 'आदरणीय डब्बा हमें गिद्ध शिखर पर ठहरने की जगह दें; आदरणीय हमें लुटेरे की चट्टान पर ठहरने की जगह दें; आदरणीय हमें इसिगिली दर्रे पर काली चट्टान पर ठहरने की जगह दें; आदरणीय हमें वेभारा दर्रे पर ठहरने की जगह दें; आदरणीय हमें सत्तपन्नी गुफा में ठहरने की जगह दें;

हे पूज्यवर, सीता वन में स्थित सर्प कुंड की पर्वतीय गुफा में हमें निवास स्थान प्रदान करें; हे पूज्यवर, गोमाता गुफा में हमें निवास स्थान प्रदान करें; हे पूज्यवर, तिन्दुका वृक्ष की गुफा में हमें निवास स्थान प्रदान करें; हे पूज्यवर, तपोदा घाट पर हमें निवास स्थान प्रदान करें; हे पूज्यवर, तपोदा विश्राम में हमें निवास स्थान प्रदान करें; हे पूज्यवर, जीवक के आम के बाग में हमें निवास स्थान प्रदान करें; हे पूज्यवर, मद्दकुक्खी के हिरण उद्यान में हमें निवास स्थान प्रदान करें।

और पूज्य मलीय दब्बा अचानक ज्वाला में घिर जाते और जलती हुई उंगली लिए उनके आगे-आगे चलते, और वे उस ज्वाला के प्रकाश में पूज्य मलीय दब्बा के पीछे-पीछे चलते। और पूज्य मलीय दब्बा उन्हें एक विश्राम स्थल बताते हुए कहते, 'यह पलंग है, यह स्टूल है, यह चटाई है, यह तकिया है, यह शौचालय है, यह पीने का पानी है, यह धोने का पानी है, यह लाठी है, और यह संघ के परामर्श का प्रारूप है, कि अमुक समय पर आपको इसमें प्रवेश करना है और अमुक समय पर आपको यहाँ से प्रस्थान करना है।' और जब

आदरणीय मल्लियन डब्बा ने उनके लिए इस प्रकार आवास नियुक्त किया था, वह फिर से बांस के जंगल में लौट जाएगा।

5. उस समय मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं को संघ में हाल ही में प्रवेश मिला था और वे पुण्यहीन थे, और संघ से संबंधित आवासों में से जो निम्न श्रेणी के थे, वे उनके हिस्से में आए और उन्हें निम्न श्रेणी का राशन मिला।

उस समय राजगृह के लोग थेरा भिक्षुओं को इच्छा-भेंट भेंट के रूप में घी, तेल और स्वादिष्ट व्यंजन देना चाहते थे; जबकि मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं को वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधारण भेंट देते थे, अर्थात् भोजन के टुकड़े और खट्टी दलिया।

भिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वे वापस लौटे और भोजन कर लिया, तो उन्होंने थेरा भिक्षुओं से पूछा, 'महोदय, आपको भिक्षा स्थान पर क्या मिला? आपको क्या मिला?'

कुछ थेरों ने उत्तर दिया, "महोदय; हमारे पास घी था, तेल था, और स्वादिष्ट व्यंजन थे।"

मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं ने उत्तर दिया: 'हमें कुछ भी नहीं मिला, महोदय; बस एक साधारण सा दान जो वे दे सके, भोजन के टुकड़े और उसके साथ खट्टा दलिया।'

6. उस समय एक गृहस्थ, जिसके पास पर्याप्त धन-संपत्ति थी, संघ को नियमित रूप से चार भिक्षुओं के लिए भोजन दान करता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दान स्थल पर खड़ा होकर सेवा करता था; और कुछ भिक्षुओं को उबले हुए चावल, कुछ को दलिया, कुछ को तेल और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन भेंट करता था।

उस समय मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं के लिए अगले दिन इस समृद्ध व्यक्ति के घर पर भोजन का आयोजन किया गया था।

गृहस्थ। 'और वह समृद्ध गृहस्थ किसी काम से अरमा (मठ) गया और वहाँ पहुँचा जहाँ पूज्य मल्लियन दब्बा विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उसने पूज्य मल्लियन दब्बा को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसे पूज्य दब्बा ने धर्म प्रवचन से उपदेश दिया, प्रेरित किया, प्रसन्न किया और प्रोत्साहित किया।'

और जब उस समृद्ध गृहस्थ को आदरणीय डब्बा मल्लियन द्वारा इस प्रकार शिक्षा दी गई, प्रेरित किया गया, प्रसन्न किया गया और प्रोत्साहित किया गया, तो

धम्म प्रवचन के दौरान, उन्होंने आदरणीय डब्बा मल्लियन से कहा: 'महोदय, कल हमारे घर पर भोजन किसके लिए निर्धारित किया गया है?'

'मेरे मित्र, कल आपके घर पर मेत्तिया और भूमगका के अनुयायी भिक्षुओं के लिए भोज का आयोजन किया गया है।'

तब उस समृद्ध गृहस्थ को यह सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई, 'हमारे घर में दुष्ट भिक्षु कैसे आनंद ले सकते हैं?' और घर जाकर उसने दासी को आदेश दिया: 'कल भोजन के लिए आने वालों के लिए प्रवेश कक्ष में चटाई बिछा दो और उन्हें भोजन के कुछ टुकड़े और साथ में खट्टी दलिया परोस दो!'

'जी हां, महाराज!' दासी ने गृहस्वामी की बात मानते हुए कहा।

7. तब मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षु आपस में बोले, "कल हमारे लिए एक समृद्ध गृहस्थ के घर भोजन का आयोजन किया गया था। कल वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भिक्षागृह में हमारी सेवा करेगा। वह हममें से कुछ को उबले हुए चावल, कुछ को दलिया, कुछ को तेल और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन देगा।" इस बात से प्रसन्न होकर वे उस रात बेचैनी से सोए।

फिर मेत्तिया और भूमगका के अनुयायी भिक्षुओं ने सुबह-सुबह वस्त्र धारण करके विधिवत वस्त्र धारण कर उस समृद्ध गृहस्थ के घर गए। और उस दासी ने उन भिक्षुओं को देखा जो अनुयायी थे।

दूर से मेत्तिया और भूमगाका को आते हुए देखकर, उसने प्रवेश कक्ष में चटाइयाँ बिछाते हुए उनसे कहा, 'आप लोग बैठ जाइए।'

और मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं ने सोचा: 'निश्चित रूप से भोजन अभी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि हमें प्रवेश द्वार पर बैठने के लिए कहा गया है।'

फिर दासी बचे हुए भोजन के टुकड़े और उसके साथ खट्टा दलिया लेकर आई और उनसे बोली, 'खाइए, सज्जनों!'

'बहन, हम उन लोगों में से हैं जिनके लिए निरंतर भोजन की व्यवस्था की जाती है।'

'मुझे पता है, महोदय, कि आप ऐसे ही हैं। लेकिन कल ही मुझे गृहस्वामी से आदेश मिला कि जो लोग कल भोजन के लिए आएंगे, उनके लिए मैं प्रवेश कक्ष में चटाइयाँ बिछा दूँ और उन्हें भोजन के कुछ टुकड़े और साथ में कुछ दलिया परोस दूँ। भोजन कीजिए, महोदय!'

तब मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं ने सोचा: 'कल ही वह गृहस्थ, जो समृद्ध था, मल्लियन दब्बा से मिलने आराम आया था। निश्चय ही मल्लियन दब्बा ने उस गृहस्थ को हमारे विरुद्ध भड़काया होगा।' और इस दुःख से वे बेचैनी से भोजन करने लगे। मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं ने भोजन समाप्त करने के बाद भिक्षा ग्रहण करके आराम में जाकर अपने पान-पात्र और वस्त्र एक तरफ रख दिए और आराम के बरामदे के बाहर कमरबंद के सहारे उकड़ू बैठ गए।

चुप, शर्मिंदा, टूटे हुए दिलों के साथ, धंसे हुए चेहरों के साथ, उदास और भ्रमित।

8. अब भिक्षुणी मेत्तिया उस स्थान पर आईं जहाँ मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षु थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उनसे कहा: 'आप दोनों को मेरा प्रणाम!'

जब उसने ऐसा कहा तो मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं ने उससे बात नहीं की। इसलिए उसने दूसरी बार उनसे कहा: 'आपको मेरा प्रणाम, महोदय!' और वे फिर भी नहीं बोले। तीसरी बार भी उसने उनसे कहा: 'आपको मेरा प्रणाम, महोदय!' तीसरी बार भी मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी भिक्षुओं ने बात नहीं की। तब उसने कहा: 'मैंने आपको कैसे नाराज किया है, महोदय? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं?'

'तो क्या तुम इतनी उदासीन हो, बहन, जब हमें मल्लियन डब्बा द्वारा सताया जा रहा है?'

'लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, महोदय?'

'अगर आप चाहें, बहन, तो आप आज ही भगवान बुद्ध से आदरणीय डब्बा मल्लियन को निष्कासित करवा सकती हैं।'

'लेकिन मैं क्या करूँ, महोदय? मेरे बस में क्या है?'

'अब आओ, बहन; तुम उस स्थान पर जाओ जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान हैं, और वहाँ पहुँचकर इस प्रकार कहो: "हे प्रभु, यह न तो उचित है और न ही उपयुक्त कि स्वर्ग का वह भाग जो सुरक्षित, संरक्षित और खतरे से मुक्त होना चाहिए, उसी भाग से खतरा, विपत्ति और संकट आए—जहाँ शांति की अपेक्षा हो, वहाँ आंधी आए। मुझे लगता है जैसे जल में आग लग गई हो। हे प्रभु, मैं मल्लियन दब्बा द्वारा अपवित्र हो गया हूँ!'

'बहुत खूब, महोदय!' भिक्षुणी मेत्तिया ने मेत्तिया और भूमगका के अनुयायियों की बात मानकर कहा। और वह भगवान बुद्ध के पास गईं [और जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था वैसा ही बोला]।

9. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में संघ की एक सभा बुलाई और पूज्य मल्लियन दब्बा से पूछा:

'क्या तुम इस बात से अवगत हो, डब्बा, कि तुमने ऐसा कुछ किया है जैसा कि यह भिक्षुणी कह रही है?'

'जैसे मेरे प्रभु, भगवान बुद्ध, मुझे जानते हैं।' [और दूसरी और तीसरी बार भगवान बुद्ध ने वही प्रश्न पूछा, और उन्हें वही उत्तर मिला।]

तब भगवान बुद्ध ने कहा: 'हे दब्बा, इस प्रकार खंडन मत करो। यदि तुमने ऐसा किया है, तो ऐसा कहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया है, तो कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया है।'

'हे प्रभु, जब से मेरा जन्म हुआ है, मुझे सपने में भी यौन संबंध बनाने की बात याद नहीं आती, जागते हुए तो बिल्कुल भी नहीं!'

और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी मेत्तिया को निष्कासित कर दो और इस बारे में उन भिक्षुओं से पूछताछ करो।' ऐसा कहकर वे अपने आसन से उठे और विहार (मठ) में प्रवेश कर गए।

तब उन भिक्षुओं ने भिक्षुणी मेत्तिया को निष्कासित कर दिया। परन्तु मेत्तिया और भूमगाक के अनुयायी भिक्षुओं ने उन भिक्षुओं से कहा: 'हे महोदय, भिक्षुणी मेत्तिया को निष्कासित न करें। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। हमने क्रोध और कटुता से उनके पतन का कारण बनने के इरादे से उन्हें दंडित किया है।'

'तो फिर क्या हुआ, महोदय? क्या आप ही हैं जो आदरणीय डब्बा मल्लियन को निराधार आरोप और नैतिकता के उल्लंघन से इस प्रकार परेशान कर रहे हैं?'

'जी हां, महोदय।'

तब वे भिक्षु जो संयमी थे, क्रोधित और नाराज हो गए और शिकायत करते हुए बोले, 'मैत्तिया और भूमगाका के अनुयायी ये भिक्षु आदरणीय मल्लियन दब्बा को निराधार आरोप लगाकर कैसे परेशान कर सकते हैं?'

'नैतिकता?' और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, हे भिक्षुओं?'

'यह सच है, प्रभु।'

फिर उन्होंने उन्हें फटकारा, और धर्म प्रवचन देने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

इसलिए संघ, इस मामले में पूर्णतया निर्दोश विवेक वाले मल्लियन दब्बा को, जो इस संबंध में पूरी तरह से निर्दोश हैं, न्यायोचित कार्यवाही प्रदान करे।

10. 'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इसे स्वीकार किया जाना है।

'वह दुब्बा मल्लियन संघ के समक्ष उपस्थित हो, और अपने वस्त्र को एक कंधे पर व्यवस्थित करके वरिष्ठ भिक्षुओं के चरणों में प्रणाम करे; और नीचे बैठकर, हथेलियों को जोड़कर हाथ फैलाए, और कहे, "हे भिक्षुओं, मेत्तिया और भूमगका के अनुयायी, मुझ पर अनैतिक आचरण का निराधार आरोप लगाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। परन्तु हे भिक्षुओं, इस विषय में मेरा अंतरात्मा निर्मल है, और मैं संघ से निःसंदेह निर्दोषता का बोध रखने वालों को बरी करने का निवेदन करता हूँ।" तब कोई योग्य और विवेकशील भिक्षु संघ के समक्ष इस प्रकार संकल्प (नत्ति) प्रस्तुत करे। "आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। हे भिक्षुओं, मेत्तिया और भूमगाका के अनुयायी, आदरणीय दब्बा मल्लियन पर नैतिकता के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। आदरणीय दब्बा मल्लियन का अंतरात्मा निर्मल है और वे संघ से अपने निर्दोष होने का निःसंकोच करने का अनुरोध करते हैं। यदि संघ के लिए समय अनुकूल हो, तो संघ आदरणीय दब्बा मल्लियन को उनके निर्दोष होने का निःसंकोच कर दे। यही संकल्प है। आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। ये भिक्षु (और इसी प्रकार, पहले की तरह) संघ से अपने निर्दोष होने का निःसंकोच करते हैं। संघ आदरणीय दब्बा मल्लियन को उनके निर्दोष होने का निःसंकोच कर देता है। आदरणीय भिक्षुओं में से जो भी दब्बा मल्लियन को निःसंकोच करने का समर्थन करे..." निर्दोषता के प्रति सचेत लोगों को बरी करने के संबंध में, वह चुप रहे। जो कोई इससे सहमत नहीं है, वह बोले। और मैं यही बात दूसरी बार दोहराता हूँ। और तीसरी बार भी यही बात दोहराता हूँ। आदरणीय संघ मेरी बात सुने। ये भिक्षु (आदि, पहले की तरह) बोलें। निर्दोषता के प्रति सचेत लोगों को संघ द्वारा मल्लियन दब्बा को बरी कर दिया गया है। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए वह चुप है। मैं यही समझता हूँ।

11. 'पांच बातें हैं जो निर्दोषता के प्रति सचेत व्यक्तियों को दोषमुक्ति प्रदान करने को विधि के अनुसार बनाती हैं। भिक्षु का निर्दोष और अपराधरहित होना आवश्यक है, अन्य लोगों द्वारा उसकी आलोचना की गई हो, उसे निर्दोषता के प्रति सचेत रहते हुए संघ से दोषमुक्ति की विनती करनी चाहिए, संघ द्वारा दोषमुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, और संघ विधिवत गठित और संचालित होना चाहिए। हे भिक्षुओं, यही वे पांच बातें हैं जो निर्दोषता के प्रति सचेत व्यक्तियों को दोषमुक्ति प्रदान करने को विधि के अनुसार बनाती हैं।'

<<<< पिछला(4.3) | अगला(4.5) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.4) | अगला(4.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-5.

1. उस समय भिक्षु जंजा पागल और विक्षिप्त थे; और उन्होंने उस विक्षिप्त अवस्था में, वाणी और कर्म दोनों में, कई ऐसे कार्य किए थे जो समना के लिए अशोभनीय थे। भिक्षुओं ने भिक्षु जंजा को उनके द्वारा विक्षिप्त अवस्था में किए गए एक अपराध के बारे में चेतावनी देते हुए कहा, 'क्या पूज्य भिक्षु को याद है कि उन्होंने ऐसा अपराध किया है?'

उन्होंने उत्तर दिया, 'मेरे मित्रों, मैं पागल और विक्षिप्त था। (निस्संदेह) जब मैं पागल और विक्षिप्त था, तब मैंने वाणी और कर्म दोनों ही दृष्टि से कई ऐसे कार्य किए होंगे जो एक समन के लिए अशोभनीय थे। परन्तु मुझे वे याद नहीं हैं। वे सब मैंने अपने पागलपन के कारण किए थे।'

लेकिन यद्यपि उन्हें उससे वह उत्तर मिल गया, फिर भी उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, 'क्या आदरणीय व्यक्ति को याद है कि उसने फलां-फलां अपराध किया है?'

'जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, "ये भिक्षु, भिक्षु जंज्जा को ऐसे अपराध के बारे में चेतावनी कैसे दे सकते हैं?" और जब वह उत्तर देता है, "मेरे मित्रों, मैं पागल था... अपने पागलपन के कारण" - तो ये भिक्षु उसे ऐसे अपराध के बारे में चेतावनी कैसे दे सकते हैं?'

और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि उन भिक्षुओं ने (पहले की तरह, इसी तरह) ऐसा-ऐसा अपराध किया है?'

'यह सच है, प्रभु।'

फिर उन्होंने उन्हें फटकारा, और धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'तो संघ जन्जा भिक्षु को, जो अब समझदार हो चुका है, उन लोगों के लिए छूट प्रदान करे जो अब पागल नहीं हैं।'

2. 'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

'भिक्खु जंजा को [यहाँ औपचारिक अनुरोध, संकल्प और संघ के निर्णय द्वारा अनुदान के शब्द ठीक उसी तरह आते हैं जैसे पिछले मामले में, अध्याय-4, §-10]।'

<<<< पिछला(4.4) | अगला(4.6) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.5) | अगला(4.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-6.

1. 'हे भिक्षुओं, तीन ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें जो लोग अब पागल नहीं हैं, उनके लिए क्षमादान मान्य नहीं है; और तीन ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें ऐसा क्षमादान मान्य है।

वे तीन मामले कौन से हैं जिनमें उन लोगों के लिए दी गई छूट वैध नहीं होती जो अब मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं?

हे भिक्षुओं, सर्वप्रथम यदि किसी भिक्षु ने कोई अपराध किया हो, और संघ, अनेक भिक्षु, या केवल एक भिक्षु उसे चेतावनी देते हुए कहे, "क्या आदरणीय भिक्षु को याद है कि उसने फलां-फलां अपराध किया है?" और वह, भले ही उसे याद हो, कहे, "महोदय, मुझे याद नहीं है कि मैंने फलां-फलां अपराध किया है।" तब यदि संघ उसे उन भिक्षुओं के समान छूट प्रदान करे जो अब पागल नहीं हैं, तो वह छूट मान्य नहीं होगी।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु (और इसी प्रकार, पहले की तरह) और वह, भले ही उसे याद हो, कहता है, "मुझे याद तो है, लेकिन मानो सपने में।" तो यदि संघ उसे अनुमति दे

जो लोग अब पागल नहीं हैं, उन्हें दी जाने वाली छूट वैध नहीं है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु कोई अपराध कर बैठे, और संघ, अनेक भिक्षु, या कोई एक भिक्षु उसे चेतावनी देते हुए कहे, "क्या आदरणीय भिक्षु को याद है कि उसने फलां-फलां अपराध किया है?" और वह, यद्यपि वह पागल नहीं है, फिर भी पागलों की तरह व्यवहार करते हुए कहे, "मैं ऐसा करता हूँ, और तुम भी ऐसा ही करो। यह मुझे शोभा देता है, और यह तुम्हें भी शोभा देता है।" तब यदि संघ उसे उन भिक्षुओं की छूट प्रदान करे जो अब पागल नहीं हैं, तो वह छूट मान्य नहीं होगी।

हे भिक्षुओं, ये वे तीन मामले हैं जिनमें उन लोगों को क्षमादान देना वैध नहीं है जो अब पागल नहीं हैं।

2. वे कौन से तीन मामले हैं जिनमें उन लोगों के लिए छूट प्रदान करना वैध है जो अब पागल नहीं हैं?

हे भिक्षुओं, सर्वप्रथम यदि कोई भिक्षु पागल हो और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ हो; और उसने इस अवस्था में, वाणी और कर्म दोनों में, समन के विरुद्ध अनेक कार्य किए हों। और संघ, या अनेक भिक्षु, या कोई एक भिक्षु, उसे इस विषय में चेतावनी देते हुए पूछे, "क्या आदरणीय भिक्षु को याद है कि उसने ऐसा अपराध किया है?" और वह वास्तव में उसे याद न करते हुए उत्तर दे, "महोदय, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा अपराध किया है।" तब यदि संघ उसे उन भिक्षुओं के लिए दी जाने वाली छूट प्रदान करता है जो अब पागल नहीं हैं, तो वह छूट वैध है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पागल हो जाए और उसका दिमाग खराब हो जाए (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है), और वह वास्तव में याद न रखते हुए उत्तर दे, "मुझे याद है, महोदय, लेकिन मानो सपने में देखा हो।" तो यदि संघ उसे उन लोगों के लिए दी जाने वाली छूट प्रदान करता है जो अब पागल नहीं हैं, तो वह छूट मान्य है।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु पागल हो जाए और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए (जैसा कि पहले बताया गया है, यहाँ तक कि) "क्या आदरणीय भिक्षु को याद आता है कि उसने ऐसा अपराध किया है?" और वह अभी भी पागल होते हुए पागलों की तरह व्यवहार करे, यह कहते हुए, "मैं ऐसा करता हूँ, और तुम भी ऐसा ही करो। यह मुझे शोभा देता है, और यह तुम्हें भी शोभा देता है।" तब यदि संघ (बाद में) उसे उन लोगों के लिए दी जाने वाली छूट प्रदान करे जो अब पागल नहीं हैं, तो वह छूट मान्य होगी।

'हे भिक्षुओं, ये तीन मामले हैं जिनमें उन लोगों को क्षमादान देना वैध है जो अब पागल नहीं हैं।'

<<<< पिछला(4.5) | अगला(4.7) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.6) | अगला(4.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय 7।

1. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने उन भिक्षुओं के विरुद्ध आधिकारिक कार्रवाई की जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था—जैसे तज्जनिया-कम्मा, या निस्सया-कम्मा, या पब्बजिया-कम्मा, या पतिसरानिया-कम्मा, या उक्खेपनिया-कम्मा।

जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'छब्बाग्य भिक्षु (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है) ऐसा कैसे कर सकते हैं?' और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि छब्बागीय भिक्षु ऐसा करते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

फिर उन्होंने उन्हें फटकारा, और धर्म प्रवचन देने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, चाहे वह तज्जनीय कर्म हो, निस्साय कर्म हो, पब्बजनीय कर्म हो, पतिसराणीय कर्म हो या उक्खेपनीय कर्म हो, कोई भी आधिकारिक कार्य उन भिक्षुओं के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार नहीं किया है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कत अपराध का दोषी होगा।

<<<< पिछला(4.6) | अगला(4.8) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.7) | अगला(4.9) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-8.

1. हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु के विरुद्ध, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो, की गई आधिकारिक कार्रवाई निम्न प्रकार से अमान्य और निम्न प्रकार से मान्य होती है। और ऐसी आधिकारिक कार्रवाई अमान्य कैसे हो जाती है? यदि किसी भिक्षु ने पराजिका अपराध किया हो, और इस संबंध में संघ, या अनेक भिक्षुओं का समूह, या एक अकेला भिक्षु उसे चेतावनी देते हुए कहे, "आदरणीय भिक्षु पराजिका अपराध के दोषी हैं।" और वह उत्तर दे, "महोदय, मैं पराजिका अपराध का दोषी नहीं हूँ। मैं संघदिशेष का दोषी हूँ।" और इस संबंध में संघ उसके साथ संघदिशेष के रूप में व्यवहार करे, तो वह आधिकारिक कार्रवाई अमान्य हो जाती है।

[और इसी प्रकार, यदि उसे सात अपराधों में से किसी एक के बारे में चेतावनी दी जाती है और वह आरोपित अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध का दोषी होने की बात स्वीकार करता है, तो आधिकारिक कार्रवाई अमान्य हो जाती है।]

2. हे भिक्षुओं, ऐसा आधिकारिक कार्य कब वैध होता है? यदि किसी भिक्षु ने पराजिका अपराध किया हो, और संघ, या अनेक भिक्षु, या एक अकेला भिक्षु उसे चेतावनी देते हुए कहे, "आदरणीय भिक्षु ने पराजिका अपराध किया है।" और वह उत्तर दे, "जी हाँ, मैंने पराजिका अपराध किया है।" और संघ उसके साथ पराजिका के अनुसार व्यवहार करे, तो वह आधिकारिक कार्य वैध होता है।

[और इसी प्रकार धारा-1 में उल्लिखित अन्य सभी अपराधों के लिए, धारा-2 की पूरी धारा दोहराई जाती है।]

<<<< पिछला(4.7) | अगला(4.9) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.9
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.8) | अगला(4.10) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-9.

उस समय संघ में एकत्रित भिक्षु हिंसक, झगड़ालू और विवादशील हो गए थे, और एक-दूसरे को कटु शब्दों से चोट पहुँचाते रहते थे, इसलिए वे असमर्थ थे।

विवादित प्रश्न (जो उनके समक्ष लाया गया था) का निपटारा करने के लिए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इस विवाद का निपटारा बहुमत के मत से करने की अनुमति देता हूँ। पाँच गुणों से युक्त भिक्षु को मतदान पर्ची लेने वाला नियुक्त किया जाएगा—जो पक्षपात न करे, जो द्वेष न रखे, जो मूर्खता न करे, जो भय न रखे, और जो यह जानता हो कि कौन से (मत) लिए गए हैं और कौन से नहीं लिए गए हैं।'

और इस प्रकार उनकी नियुक्ति की जाएगी।

'सर्वप्रथम भिक्षु से यह निवेदन किया जाना चाहिए (कि क्या वह यह पदभार ग्रहण करेंगे)। फिर किसी योग्य और विवेकशील भिक्षु को यह मामला संघ के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ मेरी बात सुने। यदि संघ को समय उपयुक्त लगे, तो संघ अमुक नाम के भिक्षु को मतदान टिकट लेने वाला नियुक्त करे।"

"यह गति (नट्टी) है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुन ले। संघ अमुक नाम के भिक्षु को टिकट लेने वाला नियुक्त करता है। जो भी आदरणीय भिक्षु अमुक नाम के भिक्षु की नियुक्ति को स्वीकार करते हैं, वे टिकट ले सकते हैं।"

टिकटों के बारे में, उसे चुप रहना चाहिए। जो कोई भी इससे सहमत नहीं है, वह बोल सकता है। फलां नाम के भिक्षु को संघ द्वारा मतदान टिकट लेने वाला नियुक्त किया गया है। इसलिए इस पर चुप्पी साधी गई है। मैं यही समझता हूँ।

<<<< पिछला(4.8) | अगला(4.10) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.9) । अगला(4.11) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-10.

1. 'हे भिक्षुओं, दस ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें मतदान करना अमान्य है; और दस ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें मतदान करना मान्य है।'

वे कौन सी दस स्थितियाँ हैं जिनमें मतदान करना अमान्य है? जब विवाद का विषय तुच्छ हो—जब मामला अपनी अंतिम प्रक्रिया पूरी न कर चुका हो (अर्थात, जब मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाएँ पूरी न की गई हों)—जब विवाद के विषय में भिक्षुओं ने औपचारिक रूप से अपराध को याद न किया हो, या उन्हें औपचारिक रूप से अपराध को याद करने के लिए न कहा गया हो—जब मतदान करने वाला जानता हो कि वे लोग बहुमत में होंगे जिनकी राय कानून के अनुसार नहीं है।

या शायद बहुमत में हो—जब उसे पता हो कि मतदान से संघ में फूट पड़ जाएगी—जब उसे संदेह हो कि मतदान से संघ में फूट पड़ेगी—जब वोट अनियमित रूप से डाले गए हों—जब सभी समान रूप से वोट न दें—और जब वे अपने वास्तविक मत के अनुसार वोट न दें। ये दस स्थितियाँ हैं जिनमें मतदान अमान्य होता है।

2. 'और वे दस मामले कौन से हैं जिनमें मतदान वैध है?'

[ये दस मामले अन्य दस मामलों के ठीक विपरीत हैं।]

<<<< पिछला(4.9) । अगला(4.11) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (4.10) । अगला (4.12) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-11.

1. उस समय भिक्षु उवाला से संघ के बीच में एक अपराध के संबंध में पूछताछ की गई, तो उसने पहले इनकार किया फिर स्वीकार किया, फिर स्वीकार किया फिर इनकार किया, प्रति-आरोप लगाए और झूठ बोला, जिसे वह जानता था कि झूठ है।

जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, 'भिक्षु उवाला ऐसा कैसे कर सकते हैं?' और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, हे भिक्षुओं, जैसा कि वे कहते हैं कि भिक्षु [आदि, जैसा कि पहले बताया गया है]।'

'यह सच है, प्रभु।'

फिर उन्होंने उसे फटकारा, और जब उन्होंने धर्म प्रवचन दे दिया तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'तो फिर, हे भिक्षुओं, संघ को तस्स-पापिय्यसिका-कम्म (हठपूर्वक गलत काम करने वाले के मामले में कार्यवाही) का पालन करना चाहिए।'

2. हे भिक्षुओं, इस प्रकार यह क्रिया संपन्न की जानी है। सर्वप्रथम भिक्षु उवला को चेतावनी दी जानी चाहिए; चेतावनी दिए जाने पर, उन्हें याद दिलाया जाना चाहिए (कि उन्होंने जानबूझकर अपराध किया है या नहीं); याद दिलाए जाने पर, उन्हें (अपराध के संबंध में परीक्षण के माध्यम से) अपने ऊपर एक नया दंड लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

अपराध (अर्थात हठ या टालमटोल का); जब उसने स्वयं पर यह नया अपराध लाद लिया हो, तो किसी विवेकशील और सक्षम भिक्षु को संघ के समक्ष यह मामला रखते हुए कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ इस बात को सुने। भिक्षु उवला से संघ के बीच में एक अपराध के संबंध में पूछताछ की गई, जब उन्होंने इसे अस्वीकार किया तो फिर स्वीकार किया, फिर स्वीकार किया तो फिर इनकार किया, प्रति-आरोप लगाए और जानबूझकर झूठ बोला। यदि संघ को समय उचित लगे, तो संघ भिक्षु उवला के विरुद्ध तस्सपपिय्यसिका-कर्म करे।"

"यह प्रस्ताव है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। यह भिक्षु उवला (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है)। संघ भिक्षु उवला के विरुद्ध तस्स-पापिय्यसिका-कम्म कर रहा है। आदरणीय भिक्षुओं में से जो भी उवला के विरुद्ध तस्स-पापिय्यसिका-कम्म करवाना उचित समझता है, वह मौन रहे। जो इसका विरोध करता है, वह बोले।"

"मैं दूसरी बार वही बात कहता हूँ। इस भिक्षु उवला (आदि, पहले की तरह) को बोलने दो। मैं तीसरी बार वही बात कहता हूँ (आदि, पहले की तरह) को बोलने दो।"

"तस्सा-पापिय्यसिका-कम्मा संघ द्वारा भिक्षु उवाला के विरुद्ध किया गया है। इसलिए यह मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

<<<< पिछला (4.10) | अगला (4.12) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (4.11) | अगला (4.13) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-12.

1. हे भिक्षुओं, तस्सपपिय्यसिका-कम्म के वैध निष्पादन के लिए पाँच बातें आवश्यक हैं। अर्थात्—वह अपवित्र है, वह निर्लज्ज है—उसके विरुद्ध निंदा की गई है—संघ कर्म का निष्पादन करता है—वह इसे विधिपूर्वक और पूर्ण सभा में करता है।

2. हे भिक्षुओं, तीन बातें हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि जब कोई तस्स-पापिय्यसिका-कर्म धर्म और विनय के विरुद्ध होता है, तो उसका निपटारा कठिन होता है; (अर्थात्) जब वह विधि और न्याय के अनुसार, विधिवत योग्य व्यक्तियों की पूर्ण सभा में, तथा मुकदमे में

शामिल पक्षों की उपस्थिति में नहीं किया गया हो; जब वह आरोपी व्यक्ति को सुने बिना किया गया हो; जब वह आरोपी व्यक्ति द्वारा स्वयं को दोषी स्वीकार किए बिना किया गया हो।

'हे भिक्षुओं, ये तीन बातें हैं जिनसे तस्स-पापिय्यसिका-कर्म की विशेषता यह है कि यह धम्म और विनय के विरुद्ध है और इसका समाधान करना कठिन है।'

तीन बातें हैं जिनसे (और जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है) यह धम्म और विनय के अनुरूप है और आसानी से स्थापित हो जाता है; (अर्थात्), जब यह स्थापित हो चुका हो [आदि, इस पैराग्राफ का शेष भाग पिछले पैराग्राफ का विपरीत है]।

3. [यह अनुच्छेद चुलवग्ग प्रथम, चतुर्थ, अनुच्छेद प्रथम से बिल्कुल मेल खाता है, जिसमें उन तीन मामलों का वर्णन है जिनमें संघ, यदि चाहे तो, किसी भिक्षु के विरुद्ध तस्स-पापिय्यसिका-कम्म कर सकता है।]

4. [इस अनुच्छेद में इस कर्म के अधीन भिक्षु के लिए 'सही आचरण' ठीक उसी प्रकार निर्धारित किया गया है जैसा कि 1, 5 में ताजनिया-कर्म के अधीन भिक्षु के लिए किया गया है।]

तब संघ ने उवला भिक्खु के विरुद्ध तस्सा-पापियासिका-कम्मा चलाया।

<<<< पिछला (4.11) | अगला (4.13) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.12) | अगला(4.14) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-13.

1. उस समय, जब भिक्षु आपस में झगड़े, कलह और विवाद करते रहे, तब वे वचन और कर्म दोनों में ही समन के लिए अनुपयुक्त अनेक कार्य कर चुके थे। भिक्षुओं के मन में यह विचार आया, 'जब हम ये सब करते रहे, तब हम वचन और कर्म दोनों में ही दोषी हो गए। यदि अब हम इन अपराधों के लिए एक-दूसरे से निपटें, तो हो सकता है कि इससे कठोरता, दुर्भावना और विभाजन उत्पन्न हो जाए। अब हम क्या करें?'

और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि भिक्षु अभ्यास करते समय, इत्यादि... वे वचन और कर्म दोनों में दोषी हों, इत्यादि... और उन्हें यह आशय हो, "जब हम अभ्यास कर रहे थे, इत्यादि... हम दोषी रहे हैं, इत्यादि... यदि अब हम व्यवहार करें, इत्यादि... तो अब कैसे...

हम इसे कैसे संभालेंगे? हे भिक्षुओं, मैं आप सभी को यह आदेश देता हूँ कि आप इस प्रकार के मामले को तिनवत्थरका (घास की तरह ढकने) द्वारा सुलझाएँ।

2. 'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इसका निर्णय किया जाना है। सभी को एक स्थान पर एकत्रित होना है। जब वे एकत्रित हो जाएं तो कोई योग्य और विवेकशील भिक्षु संघ के समक्ष इस विषय को रखते हुए कहे,

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। जब हम आगे बढ़ रहे थे, इत्यादि... तब हम दोषी थे, इत्यादि... वचन और कर्म दोनों में। और हमें यह विचार आया (इत्यादि, आगे तक) कि यदि अब हम आपस में ऐसा व्यवहार करें, इत्यादि... तो इससे कठोरता, दुर्भावना और विभाजन

उत्पन्न हो सकता है। यदि संघ को समय उचित लगे, तो संघ इस मामले को घास से ढककर सुलझा ले—केवल गंभीर अपराधों और उन मामलों को छोड़कर जिनमें गृहस्थ शामिल रहे हों।"

तब उस दल के भिक्षुओं में से कोई विवेकशील और योग्य भिक्षु इस मामले को अपने दल के समक्ष लाकर यह कहेगा,

"आदरणीय महोदय, मेरी प्रार्थना सुनिए। जब हम आगे बढ़ रहे थे, इत्यादि... तब हम दोषी थे, इत्यादि... वचन और कर्म दोनों में। और हमें यह बात समझ में आई, इत्यादि... (विभाजनों तक)। यदि आप आदरणीय महोदय, तो मैं संघ के बीच में, आप दोनों की ओर से, आदरणीय महोदय, और अपनी ओर से भी, आपके द्वारा किए गए अपराध और ऐसे अपराध को स्वीकार करता/करती हूँ।

जैसा कि मेरा अपना है, ताकि इसे घास से ढक दिया जाए, सिवाय गंभीर अपराधों के और उन चीजों के जिनमें आम लोग शामिल रहे हों।"

और दूसरे पक्ष के भिक्षुओं में से कोई विवेकशील और सक्षम भिक्षु इस मामले को अपने पक्ष के सामने रखते हुए कहेगा, "आदरणीय भिक्षु मेरी बात सुनें [आदि, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में अंत तक है]।"

तब उस दल के भिक्षुओं में से विवेकशील और योग्य भिक्षु संघ के समक्ष यह मामला लाते हुए कहेंगे, "आदरणीय संघ मेरी प्रार्थना सुनिए। हम (आदि, पहले की तरह) समूहों में हैं। यदि संघ को समय उचित लगे, तो मैं संघ के बीच में, इन आदरणीय भिक्षुओं की ओर से और अपनी ओर से भी, उनके और अपने दोनों के अपराधों को स्वीकार करता/करती हूँ, ताकि वे घास की तरह ढक जाएँ, सिवाय गंभीर अपराधों के और उन बातों के जिनमें गृहस्थ शामिल रहे हों। यही प्रस्ताव है (पट्टी)। आदरणीय संघ मेरी प्रार्थना सुनिए। हम (आदि, पहले की तरह) समूहों में हैं। मैं (आदि, पहले की तरह) उन अपराधों को स्वीकार करता/करती हूँ जिनमें गृहस्थ शामिल रहे हों। आदरणीय भिक्षुओं में से जो भी हमारे इन अपराधों को स्वीकार करने का समर्थन करे, ताकि वे घास की तरह ढक जाएँ, सिवाय पहले बताए गए मामलों के।" उसे चुप रहने दो। जो कोई इससे सहमत नहीं है, वह बोले। हमारे ये अपराध संघ के बीच में स्वीकार किए जाते हैं, ताकि वे घास की तरह ढक जाएं, सिवाय इसके कि

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए यह मौन है। मैं इसे इसी प्रकार समझता हूँ।

और दूसरे पक्ष के भिक्षुओं में से विवेकशील और योग्य भिक्षु को यह मामला संघ के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और कहना चाहिए, "आदरणीय संघ मेरी बात सुने (आदि, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में अंत तक बताया गया है)।"

'तो हे भिक्षुओं, गंभीर अपराधों को छोड़कर, और गृहस्थों से संबंधित मामलों को छोड़कर, तथा उन लोगों को छोड़कर जो कार्यवाही पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, या जो कार्यवाही में उपस्थित नहीं होते हैं, उन सभी को छोड़कर, वे भिक्षु उन अपराधों से मुक्त हो जाते हैं।'

<<<< पिछला(4.12) | अगला(4.14) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> चौथा खंडका >> 4.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.13) | अगला(5.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

चौथा खंडक (भाईचारे के बीच विवादों का निपटारा)

अध्याय-14.

1. उस समय भिक्षुओं का भिक्षुओं से और भिक्षुणियों का भिक्षुओं से विवाद होता था। भिक्षु चन्ना ने भिक्षुणियों के कमरों में जबरदस्ती घुसकर भिक्षुणियों का पक्ष लिया और भिक्षुओं से विवाद करने लगा।

वे भिक्षु जो संयमी थे, क्रोधित हो गए, इत्यादि... उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, इत्यादि... उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

2. 'हे भिक्षुओं, संघ द्वारा औपचारिक रूप से निपटारे की आवश्यकता वाले निम्नलिखित चार प्रकार के विधिक प्रश्न हैं; (अर्थात्) विवादों से उत्पन्न विधिक प्रश्न, निंदा से उत्पन्न विधिक प्रश्न, अपराधों से उत्पन्न विधिक प्रश्न, और व्यापार से उत्पन्न विधिक प्रश्न।

इनमें से विवाद से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न क्या है? हे भिक्षुओं, यह वह स्थिति है जब भिक्षु आपस में विवाद करते हुए कहते हैं, "यह धम्म है," या "यह धम्म नहीं है," या "यह विनय है," या "यह विनय नहीं है," या "यह तथागत (बुद्ध) द्वारा सिखाया और बोला गया है," या "यह तथागत द्वारा न तो सिखाया गया है और न ही बोला गया है," या "इसका अभ्यास तथागत द्वारा नहीं किया गया है," या "इसका अभ्यास तथागत द्वारा नहीं किया गया है," या "यह तथागत द्वारा निर्धारित किया गया है," या "यह तथागत द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है," या "यह एक अपराध है," या "यह अपराध नहीं है," या "यह एक मामूली अपराध है," या "यह एक गंभीर अपराध है," या "यह एक ऐसा अपराध है जिसे दूर किया जा सकता है," या "यह एक ऐसा अपराध है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है," या "यह एक अत्यंत गंभीर अपराध है," या "यह अत्यंत गंभीर अपराध नहीं है।" किसी भी मामले पर जो भी झगड़ा, कलह, विवाद, मतभेद, विरोधाभास, विरोध, झगड़ा या विवाद हो, उसे विवाद से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न कहा जाता है।

और इनमें से निंदा से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न कौन सा है? हे भिक्षु, यह तब होता है जब भिक्षु दूसरे भिक्षु पर नैतिकता, आचरण, मत या आजीविका के साधन में दोष का आरोप लगाते हैं। कोई भी आरोप, निंदा, दोषारोपण, चेतावनी, स्पष्ट मत, किसी व्यक्ति के लिए बहाने बनाना या उसका उपहास करना, यही निंदा से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न कहलाता है।

और इनमें से, अपराध से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न क्या है? अपराधों के पाँच समूह अपराधों से संबंधित कानूनी प्रश्नों के विषय हैं, और अपराधों के सात समूह भी अपराधों से संबंधित कानूनी प्रश्नों के विषय हैं। इसी को अपराध से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न कहा जाता है।

और इनमें से, व्यवसाय का कानूनी प्रश्न क्या है? संघ के लिए जो भी कार्य करना आवश्यक है, कोई दायित्व है, कोई ऐसा मामला है जिसके लिए औपचारिक रूप से अनुमति मांगी जानी चाहिए, किसी प्रस्ताव का प्रस्ताव है, या किसी कार्यवाही का संचालन नट्टी-दुतिया-कम्मा या नट्टी-कतुत्था-कम्मा द्वारा किया जाता है, उसे व्यवसाय का कानूनी प्रश्न कहा जाता है।

3. 'वह क्या है जो विवाद के कानूनी प्रश्न को जन्म देता है? विवाद के छह कारण हैं जो विवाद के कानूनी प्रश्नों को जन्म देते हैं। और गलत कार्य के तीन कारण हैं जो विवाद के कानूनी प्रश्नों को जन्म देते हैं, और सही कार्य के तीन कारण हैं जो विवाद के कानूनी प्रश्नों को जन्म देते हैं। और ये छह कौन से हैं?'

हे भिक्षुओं, सर्वप्रथम एक प्रकार का भिक्षु होता है जो क्रोधित होता है और अपने हृदय में द्वेष रखता है। हे भिक्षुओं, ऐसा क्रोधित और द्वेषपूर्ण भिक्षु गुरु, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा और प्रसन्नता से रहित रहता है और शिष्य के सभी कर्तव्यों का पालन नहीं करता। और हे भिक्षुओं, ऐसा भिक्षु गुरु, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा और प्रसन्नता से रहित रहता है और शिष्य के सभी कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह संघ में विवाद उत्पन्न करता है, और ऐसा विवाद जनसमूह के लिए दु:ख, अभाव और विपत्ति का कारण बनता है, और देवताओं और मनुष्यों के लिए दु:ख और अभाव का कारण बनता है। अत:, हे भिक्षुओं, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के विवादों का मूल कारण हो, तो हे भिक्षुओं, उस दुष्ट व्यक्ति को, जो विवादों का मूल कारण है, अपने से दूर करने का प्रयास करें। हे भिक्षुओं, यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति न दिखाई दे, तो इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में आपके बीच ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति, जो विवादों का मूल कारण हो, उत्पन्न न हो। इस प्रकार, वह दुष्ट व्यक्ति, जो विवादों का मूल कारण है, आपके बीच दूर हो जाएगा और भविष्य में आपके बीच ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति, जो विवादों का मूल कारण हो, उत्पन्न नहीं होगा।

हे भिक्षुओं, एक ऐसा भिक्षु भी है जो पाखंडी है और अपने दोषों को छुपाता है; जो ईर्ष्यालु और जलनखोर है; जो धूर्त और कपटी है; जिसके मन में पापी इच्छाएँ और झूठे विश्वास हैं; जो सांसारिक लाभ के लोभ से कलंकित है, जो पाने और लेने में लगा रहता है, जिसके लिए किसी चीज का त्याग करना कठिन है। हे भिक्षुओं, जो भी भिक्षु इस प्रकार पाखंडी है और अपने दोषों को छुपाता है, वह ऐसा ही रहता है [आदि, जैसा पहले था, पिछले अनुच्छेद से अंत तक की पूरी बात यहाँ सूचीबद्ध प्रत्येक मामले में दोहराई गई है]।

4. और वे कौन से तीन कारण हैं जिनके कारण कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं?

हे भिक्षुओं, लालची मन वाले लोग, दुष्ट मन वाले लोग और मूर्ख मन वाले लोग आपस में वाद-विवाद करते हुए कहते हैं, "यह धम्म है," या "यह धम्म नहीं है" [आदि, जैसा कि पहले अनुच्छेद 2 में बताया गया है] या "यह कोई गंभीर अपराध नहीं है।" ये तीन कारण हैं जो कुकर्म के कारण कानूनी विवाद को जन्म देते हैं।

और वे कौन से तीन कारण हैं जो सही कार्य करने के कारण कानूनी विवाद के प्रश्न उत्पन्न करते हैं?

'सबसे पहले, हे भिक्षुओं, लोभी मन के न हों [आदि, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में है, "नहीं" शब्द जोड़कर]।

5. हे भिक्षुओं, वह क्या है जो निंदा के विधिक प्रश्नों को जन्म देता है? निंदा के छह कारण हैं जो निंदा के विधिक प्रश्नों को जन्म देते हैं। और कुकर्म के तीन कारण हैं जो निंदा के विधिक प्रश्नों को जन्म देते हैं। और धर्मकर्म के तीन कारण हैं जो निंदा के विधिक प्रश्नों को जन्म देते हैं। और शरीर निंदा के विधिक प्रश्नों को जन्म देता है, और वाणी निंदा के विधिक प्रश्नों को जन्म देती है।

[ये छह शब्द पिछले खंड के समान ही हैं, जिनमें 'विवाद' के स्थान पर 'निंदा' शब्द का प्रयोग किया गया है।]

और वे कौन से तीन कारण हैं जिनके आधार पर निंदा संबंधी कानूनी प्रश्न उठते हैं?

हे भिक्षुओं, लालची मन वाले लोग निंदा करने में लगे रहते हैं, दुष्ट मन वाले लोग निंदा करने में लगे रहते हैं, मूर्ख मन वाले लोग निंदा करने में लगे रहते हैं, दूसरों पर नैतिकता के उल्लंघन, आचरण में त्रुटि, या आजीविका के गलत साधन अपनाने का आरोप लगाते हैं। ये तीन कारण हैं जो निंदा के कानूनी प्रश्नों को जन्म देते हैं।

[इसके बाद सही कर्म के तीन कारण दिए गए हैं, जिनमें 'लालची मन के न होने वाले मनुष्य' आदि शामिल हैं, जैसा कि पहले, अनुच्छेद 4 के अंत में लिखा है।]

और शरीर किस प्रकार निंदा के कानूनी प्रश्न उत्पन्न करता है? यदि कोई व्यक्ति बदसूरत, कुरूप, बौना, बीमार, एक आँख से अंधा, लंगड़ा, कुबड़ा या अपंग हो, तो लोग इसी कारण से उसकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार शरीर निंदा के कानूनी प्रश्न उत्पन्न करता है।

और वाणी किस प्रकार निंदा के कानूनी प्रश्न उत्पन्न करती है? यदि किसी व्यक्ति की आवाज खराब हो, या वह अस्पष्ट बोलता हो, या कठोर स्वर में बोलता हो, तो लोग इस कारण उसकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार वाणी निंदा के कानूनी प्रश्न उत्पन्न करती है।

6. और अपराध के कानूनी प्रश्न किस बात से उत्पन्न होते हैं? अपराध के छह स्रोत हैं जिनसे अपराध के कानूनी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक अपराध वह है जो कर्म से उत्पन्न होता है, न कि वचन या विचार से। एक अपराध वह है जो वचन से उत्पन्न होता है, न कि कर्म या विचार से। एक अपराध वह है जो कर्म और वचन दोनों से उत्पन्न होता है, न कि विचार से। एक अपराध वह है जो कर्म और विचार दोनों से उत्पन्न होता है, न कि वचन से। एक अपराध वह है जो वचन और विचार तीनों से उत्पन्न होता है, न कि कर्म से। एक अपराध वह है जो कर्म, वचन और विचार तीनों से उत्पन्न होता है। ये छह हैं (आदि)।

7. 'और वह क्या है जो व्यापार संबंधी कानूनी प्रश्नों को जन्म देता है? एक चीज है जो व्यापार संबंधी कानूनी प्रश्नों को जन्म देती है, अर्थात् संघ।'

8. 'विवाद के कानूनी प्रश्न। सही। गलत। अनिर्धारित।'

किसी विवाद से उत्पन्न कानूनी प्रश्न सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इनमें से कौन सा कानूनी प्रश्न विवाद से उत्पन्न होने पर सही है?

हे भिक्षुओं, यदि कोई विवेकशील भिक्षु यह कहते हुए चर्चा करे कि "यह धम्म है," या "यह धम्म नहीं है" (आदि, जैसा कि पहले अनुच्छेद 2 में दिया गया है) या "यह कोई गंभीर अपराध नहीं है।" ऐसी चर्चा में जो भी कलह, विवाद, मतभेद, विरोधाभास, विरोध, झगड़ा या विवाद हो, उसे उचित विवाद से उत्पन्न होने वाला विधिक प्रश्न कहा जाता है।

[अत: जब भिक्षुओं का मन गलत या अनिश्चित होता है, तो ऐसे विवाद से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न क्रमशः गलत या अनिश्चित विवाद से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न होता है।]

9. 'निंदा के कानूनी प्रश्न। सही। गलत। अनिर्धारित।'

[यह तीनों में से कोई भी हो सकता है, इस आधार पर कि निंदा करने वाले भिक्षुओं (जैसा कि §-5 में है) का मन सही है, गलत है या अनिश्चित है। अनुच्छेद का स्वरूप पूरे पाठ में §-8 के अनुरूप है।]

10. 'अपराध के कानूनी प्रश्न। सही। गलत। अनिर्धारित।'

यह कानूनी प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई अपराध गलत है, और यह कानूनी प्रश्न हो सकता है

किसी अपराध का निर्धारण नहीं हो सकता। किसी अपराध के सही होने या न होने का कोई कानूनी प्रश्न ही नहीं उठता।

इनमें से कौन सा कानूनी प्रश्न है कि क्या कोई अपराध गलत है? जानबूझकर, होशपूर्वक और सोच-समझकर किया गया कोई भी अपराध, कानूनी प्रश्न कहलाता है कि क्या वह अपराध गलत है।

और इनमें से कौन सा कानूनी प्रश्न है कि क्या कोई अपराध अनिर्धारित है? जो भी अपराध जानबूझकर, सचेत रूप से या इरादे से नहीं किया गया हो, उसे कानूनी प्रश्न कहा जाता है कि क्या कोई अपराध अनिर्धारित है।

11. 'व्यापार से संबंधित कानूनी प्रश्न। सही। गलत। अनिर्धारित।'

[यह तीनों हो सकते हैं, इस आधार पर कि धारा 2 में निर्दिष्ट कार्य करने वाले भिक्षु सही सोच वाले, गलत सोच वाले या अनिश्चित मन वाले हैं। पूरे पाठ में अनुच्छेद का स्वरूप धारा 8 के अनुसार ही रहेगा।]

12. 'विवाद, विवादों से उत्पन्न कानूनी प्रश्न। विवाद जो कानूनी प्रश्न नहीं है। कानूनी प्रश्न जो विवाद नहीं है। मामला जो कानूनी प्रश्न और विवाद दोनों है।'

ऐसा विवाद हो सकता है जो कानूनी प्रश्न हो। ऐसा विवाद हो सकता है जो कानूनी प्रश्न न हो। ऐसा कानूनी प्रश्न हो सकता है जो विवाद न हो। ऐसा कानूनी प्रश्न हो सकता है और साथ ही विवाद भी हो।

इनमें से कौन सा विवाद कानूनी विवाद का विषय है जिसके लिए औपचारिक निपटारे की आवश्यकता है? यदि भिक्षु आपस में चर्चा करते हुए कहें, "यह धम्म है" [आदि, जैसा कि पहले अनुच्छेद 2 में है], या "यह कोई गंभीर अपराध नहीं है।" तो ऐसे विषय पर जो भी कलह या विवाद हो, वह कानूनी विवाद का विषय है जिसके लिए औपचारिक निपटारे की आवश्यकता है।

और इनमें से कौन सा विवाद ऐसा है जो औपचारिक निपटारे की आवश्यकता वाला कानूनी प्रश्न नहीं है? जब कोई माँ अपने बेटे से, या कोई बेटा अपनी माँ से, या कोई पिता अपने बेटे से, या कोई बेटा अपने पिता से, या कोई भाई अपने भाई से, या कोई भाई अपनी बहन से, या कोई बहन अपने भाई से, या कोई मित्र अपने मित्र से विवाद करता है। ऐसा विवाद संघ द्वारा औपचारिक निपटारे की आवश्यकता वाला कानूनी प्रश्न नहीं है।

और इनमें से कौन सा कानूनी प्रश्न विवाद का विषय नहीं है? निंदा का कानूनी प्रश्न, अपराध का कानूनी प्रश्न या व्यापार का कानूनी प्रश्न। यह एक कानूनी प्रश्न है जो विवाद का विषय नहीं है।

और इनमें से कौन सा एक कानूनी प्रश्न है जिसके लिए औपचारिक निपटान की आवश्यकता है और जो एक विवाद भी है? संघ द्वारा औपचारिक निपटान की आवश्यकता वाला एक कानूनी प्रश्न या विवाद, दोनों ही प्रकार का होता है।

13. [निंदा और औपचारिक निपटान की आवश्यकता वाले निंदा के कानूनी प्रश्न के बीच वही अंतर किया गया है।]

14. 'अपराध। अपराध से उत्पन्न कानूनी प्रश्न। अपराध जो कानूनी प्रश्न का विषय नहीं है। कानूनी प्रश्न और कोई अपराध नहीं। कानूनी प्रश्न और अपराध भी।

ऐसा हो सकता है कि कोई अपराध हो जिस पर अपराध से संबंधित कानूनी प्रश्न उठता हो। ऐसा हो सकता है कि कोई अपराध हो और उस पर कोई कानूनी प्रश्न न हो। ऐसा हो सकता है कि कानूनी प्रश्न हो और कोई अपराध न हो। ऐसा भी हो सकता है कि कानूनी प्रश्न हो और अपराध भी हो।

इनमें से कौन सा अपराध कानूनी प्रश्न का विषय हो सकता है? अपराधों के पाँच समूह कानूनी प्रश्नों के विषय हैं; अपराधों के सात समूह कानूनी प्रश्नों के विषय हैं। ये वे अपराध हैं जो कानूनी प्रश्न का विषय हो सकते हैं।

और इनमें से कौन सा अपराध (अपात्ती) है जो विधिक प्रश्न का विषय नहीं है? धर्मांतरण, उच्चतर उपलब्धि (सोत-अपात्ती, सम-अपात्ती), ये वे अपात्ती हैं जो विधिक प्रश्न का विषय नहीं हैं।

और इनमें से, जहां कोई अपराध नहीं है, वहां कानूनी प्रश्न क्या है? आधिकारिक कर्तव्य का कानूनी प्रश्न, निंदा का कानूनी प्रश्न, विवाद का कानूनी प्रश्न। ये ऐसे कानूनी प्रश्न हैं जहां कोई अपराध नहीं हो सकता है।

और इनमें से कौन सा ऐसा मामला है जिसमें कानूनी प्रश्न और अपराध दोनों शामिल हैं? किसी अपराध से संबंधित कानूनी प्रश्न वह मामला है जिसमें कानूनी प्रश्न और अपराध दोनों शामिल होते हैं।

15. 'आधिकारिक कर्तव्य जो व्यवसाय के कानूनी प्रश्न का विषय है। कर्तव्य और कोई कानूनी प्रश्न नहीं। कानूनी प्रश्न और कोई कर्तव्य नहीं। कानूनी प्रश्न और कर्तव्य भी।'

'इन चारों में से प्रत्येक मौजूद हो सकता है।'

'इनमें से कौन सा आधिकारिक कर्तव्य है जो कानूनी प्रश्न का विषय है? संघ के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है, कोई दायित्व है, कोई ऐसा मामला है जिसके लिए औपचारिक रूप से अवकाश मांगा जाना चाहिए, किसी प्रस्ताव का प्रस्ताव है, नट्टी-दुतिया-कम्म या नट्टी-कतुत्थ-कम्म द्वारा कार्यवाही है, वही आधिकारिक कर्तव्य है जो कानूनी प्रश्न का विषय हो सकता है।'

और इनमें से कौन सा आधिकारिक कर्तव्य है जो कानूनी प्रश्न का विषय नहीं है? आचार्य (शिक्षक) का कर्तव्य, उपज्झाय का कर्तव्य, उसी उपज्झाय या आचार्य (शिक्षक) के अधीन सहपाठी का कर्तव्य, यह व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय के कानूनी प्रश्न का विषय नहीं है।

और इनमें से कौन सा प्रश्न कानूनी है लेकिन आधिकारिक कर्तव्य नहीं है? विवाद से उत्पन्न कानूनी प्रश्न, निंदा से उत्पन्न कानूनी प्रश्न, अपराध से उत्पन्न कानूनी प्रश्न। यह व्यवसाय का कानूनी प्रश्न है, लेकिन आधिकारिक कर्तव्य नहीं है।

और इनमें से कौन सा प्रश्न कानूनी प्रश्न होने के साथ-साथ आधिकारिक कर्तव्य भी है? आधिकारिक कामकाज से उत्पन्न होने वाला कानूनी प्रश्न कानूनी कार्य का प्रश्न होने के साथ-साथ आधिकारिक कर्तव्य भी है।

16. 'पर विवाद से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा किस प्रकार के निपटारे द्वारा किया जाता है? दो प्रकार के निपटारे द्वारा, संघ की उपस्थिति में कार्यवाही द्वारा, और संघ के बहुमत द्वारा कार्यवाही द्वारा।'

यदि कोई पूछे, "क्या यह संभव है कि किसी विवाद से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा, संघ के बहुमत द्वारा कार्यवाही (एक विधि) के माध्यम से किए बिना, दूसरे विधि, अर्थात् उपस्थिति में कार्यवाही (एक विधि) द्वारा किया जा सके?" तो उसे कहा जाना चाहिए, "हाँ, संभव है।" (यदि वह पूछे), "यह कैसे संभव है?" तो उत्तर इस प्रकार होना चाहिए: "जब भिक्षु यह कहते हुए विवाद करते हैं, 'यह धम्म है,' या 'यह धम्म नहीं है' (आदि, जैसा कि पहले, अनुच्छेद 2 में, आगे तक), या 'यह कोई गंभीर अपराध नहीं है।' हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु अपने विवाद का निपटारा स्वयं कर लें, तो हे भिक्षुओं, उसे ही विवाद का निपटारा कहा जाता है।"

और इसका निपटारा कैसे हुआ? उपस्थिति में हुई कार्यवाही द्वारा।

'और ऐसी कार्यवाही में उपस्थिति में क्या होना चाहिए? संघ की उपस्थिति, धम्म की उपस्थिति, विनय की उपस्थिति और उस विशेष व्यक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए।'

और इसमें संघ की उपस्थिति क्या है? कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम जितने भिक्षु हों, वे सभी उपस्थित होने चाहिए। जो भिक्षु अपनी सहमति देने की स्थिति में हों, उनकी औपचारिक सहमति प्रस्तुत की जानी चाहिए। उपस्थित भिक्षुओं ने (कार्यवाही में भाग लेने के संबंध में) कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई होनी चाहिए। यही ऐसे मामले में संघ की "उपस्थिति" है।

और इनमें धम्म और विनय की उपस्थिति क्या है? धम्म, विनय और गुरु का उपदेश, जिसके द्वारा उस विधिक प्रश्न का समाधान होता है। यही उस मामले में धम्म और विनय की उपस्थिति है।

और इनमें से, विशेष की उपस्थिति क्या है?

क्या विवाद करने वाले व्यक्ति और विवाद करने वाले व्यक्ति—चाहे वे मित्र हों या शत्रु—को उपस्थित होना आवश्यक है। यही उस विशेष व्यक्ति की उपस्थिति है।

हे भिक्षुओं, जब कोई विधिक प्रश्न इस प्रकार तय हो जाता है, तो यदि कोई विवादकर्ता उस प्रश्न को पुनः उठाता है, तो प्रश्न को पुनः उठाना पचित्त्य है। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपनी सहमति व्यक्त की है, निर्णय के विरुद्ध शिकायत करता है, तो ऐसी शिकायत भी पचित्त्य है।

17. हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु अपने निवास स्थान (आवास) में विधिवत प्रश्न का हल न निकाल सकें, तो उन्हें किसी ऐसे निवास स्थान पर जाना चाहिए जहाँ अधिक भिक्षु हों। फिर यदि वे भिक्षु उस निवास स्थान की ओर जाते समय विधिवत प्रश्न का हल निकाल लें, तो उसे विधिवत प्रश्न का हल होना कहते हैं। और वह हल कैसे हुआ? (आदि, पिछले खंड के अंतिम अनुच्छेद से अंत तक।)

18. हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु उस निवास स्थान की यात्रा के दौरान विधिक प्रश्न का निपटारा न कर सकें, तो उस निवास स्थान पर पहुँचने पर वे वहाँ के भिक्षुओं से इस प्रकार कहें: "हे भिक्षुओं, हमारे बीच ऐसा विधिक प्रश्न उठा है और इस प्रकार विवाद चल रहा है। हे भिक्षुओं, यदि आप धर्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार हमारे लिए उस विधिक प्रश्न का निपटारा कर दें, तो यह विधिक प्रश्न पूरी तरह से हल हो जाएगा।" यदि उस निवास स्थान में रहने वाले भिक्षु वरिष्ठ हों और आने वाले भिक्षु कनिष्ठ हों, तो हे भिक्षुओं, उस निवास स्थान में रहने वाले भिक्षु आने वाले भिक्षुओं से इस प्रकार कहें: "हे भिक्षुओं, कृपया कुछ क्षण के लिए अलग विश्राम करें, जब तक हम आपस में परामर्श न कर लें!" दूसरी ओर, यदि उस निवास में रहने वाले भिक्षु कनिष्ठ हों और आने वाले भिक्षु वरिष्ठ हों, तो हे भिक्षुओं, उस निवास में रहने वाले भिक्षु आने वाले भिक्षुओं से इस प्रकार कहें: "हे भिक्षुओं, कृपया कुछ क्षण यहाँ ठहरें, जब तक हम आपस में परामर्श न कर लें।" फिर, हे भिक्षुओं, यदि उस निवास में रहने वाले भिक्षु विचार करने पर यह सोचें कि "हम इस विधिक प्रश्न का हल धम्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार नहीं निकाल पाएंगे," तो यह विवाद उन्हें नहीं सौंपा जाना चाहिए। हे भिक्षुओं, यदि उस निवास में रहने वाले भिक्षु विचार करने पर यह सोचें कि "हम इस विधिक प्रश्न का हल धम्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार निकाल लेंगे," तो हे भिक्षुओं, उस निवास में रहने वाले भिक्षु आने वाले भिक्षुओं से इस प्रकार कहें: "यदि आप हमें इस विधिक प्रश्न के बारे में, यह कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में बताएँ, और यदि आप इस बात से सहमत हों कि जिस प्रकार से हम इस विधिक प्रश्न का हल धम्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार निकाल सकते हैं, उसी प्रकार इसका हल निकाला जाएगा, तो हम इस विधिक प्रश्न को आपके हाथों से स्वीकार करेंगे। परन्तु यदि ऐसा नहीं है (आदि, पूरी बात दोहराई जाए), तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।" हे भिक्षुओं, जब इस प्रकार विधिवत प्रश्न (विवादित मुद्दा) का उचित समाधान हो जाए, तो उस निवास में रहने वाले भिक्षुओं को उस विधिवत प्रश्न का समाधान करना चाहिए। फिर आने वाले भिक्षुओं को उस निवास में रहने वाले भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित करना चाहिए, "हे भिक्षुओं, हम आपको सूचित करते हैं कि यह विधिवत प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ और इसका समाधान कैसे हुआ। यदि आप, हे भिक्षुओं, अमुक समय में धम्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार इस विधिवत प्रश्न का समाधान करने में सक्षम हों, तो हम यह विधिवत प्रश्न आपको सौंप देंगे। परन्तु यदि आप, हे भिक्षुओं, ऐसा करने में सक्षम न हों,"तब हम स्वयं इस मामले की अभिरक्षा अपने पास रखेंगे। इस प्रकार, हे भिक्षुओं, आने वाले भिक्षुओं को उस निवास में रहने वाले भिक्षुओं को वह विधिवत प्रश्न सौंपना चाहिए और उनसे उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना चाहिए। यदि वे भिक्षु, हे भिक्षुओं, मामले का निपटारा करने में सक्षम हों, तो, हे भिक्षुओं, उसे विधिवत प्रश्न का निपटारा कहा जाता है। और यह निपटारा कैसे हुआ? (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 16 के अंतिम अनुच्छेद में है, अंत तक।)

19. 'हे भिक्षुओं, यदि भिक्षुओं द्वारा मामले की जाँच करते समय निरर्थक बातें कही जाएँ और किसी भी कथन का अर्थ स्पष्ट न हो, तो मैं आप भिक्षुओं को आदेश देता हूँ कि आप मामले को (किसी जूरी या आयोग को) सौंपकर निपटाएँ।'

'ऐसे निर्णायक मंडल में चुने जाने वाले भिक्षु में दस गुण होने चाहिए - वह सदाचारी होना चाहिए - वह पतिमोक्खा के नियमों के संयम में रहना चाहिए - वह जीवन में ईमानदार होना चाहिए, उपदेशों के अनुसार प्रशिक्षित होना चाहिए, और जरा से भी उल्लंघन के खतरे को भांपते हुए उनका पालन करना चाहिए - वह परंपरा में पारंगत होना चाहिए, परंपरा का संरक्षक होना चाहिए, परंपरा का भंडार होना चाहिए - जो भी सत्य अपनी उत्पत्ति में सुंदर, अपनी प्रगति में सुंदर, अपनी पूर्णता में सुंदर हैं, जो उच्च जीवन को उसकी भावना और उसके शब्दों में, उसकी संपूर्ण पवित्रता और उसकी संपूर्ण पूर्णता में प्रस्तुत करते हैं, ऐसे सत्यों में वह भली-भांति पारंगत होना चाहिए, उनसे परिपूर्ण होना चाहिए, वे उसके शब्दों में समाहित होने चाहिए, और उसके हृदय में सही अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण होकर उनका चिंतन किया जाना चाहिए - दोनों पतिमोक्खाएं उसे पूर्ण रूप से सौंपी गई होनी चाहिए, उसने उन्हें अच्छी तरह से विभाजित किया होना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से स्थापित किया होना चाहिए।' उन्हें सूत्र-दर-सूत्र और हर बारीकी से अच्छी तरह से जांचा-परखा होना चाहिए—इसके अलावा, उन्हें विनय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसमें निर्विवाद होना चाहिए—उन्हें मित्रों और शत्रुओं दोनों को (सही मार्ग) बताने में सक्षम होना चाहिए, उन्हें किसी बात को समझाने, उसे देखने और पहचानने में सक्षम होना चाहिए, उन्हें शांत करने में सक्षम होना चाहिए—उन्हें विवादों के मूल और समाधान दोनों के बारे में निर्णय लेने में चतुर होना चाहिए—उन्हें कानूनी प्रश्नों को समझना चाहिए, उनका मूल, उनका अंत और उस अंत तक ले जाने वाला मार्ग।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम पर यह आदेश देता हूँ कि तुम निर्णायक मंडल में इन दस गुणों से युक्त भिक्षु को नियुक्त करो।'

20. हे भिक्षुओं, इस प्रकार उसकी नियुक्ति की जानी है। सर्वप्रथम भिक्षु से पूछा जाना चाहिए (कि क्या वह इस पद को ग्रहण करने के लिए इच्छुक है)। फिर किसी विवेकशील और योग्य भिक्षु को संघ को इस प्रकार संबोधित करना चाहिए:

"आदरणीय संघ मेरी प्रार्थना सुनिए। इस मामले की जांच के दौरान हमारे बीच निरर्थक भाषण दिए गए, और किसी भी बात का अर्थ स्पष्ट नहीं था। यदि आदरणीय संघ को उचित लगे, तो वह फलां नाम के भिक्षुओं और फलां नाम के भिक्षुओं को एक समिति में नियुक्त करे। यही प्रस्ताव है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुने। जबकि (आदि, ... तक) एक भी बात स्पष्ट नहीं थी।"

संघ इस मामले के निपटारे के लिए फलां-फलां नाम के भिक्षुओं को एक समिति में नियुक्त करता है। इस मामले के निपटारे के लिए गठित समिति में फलां-फलां भिक्षुओं की नियुक्ति से सहमत कोई भी पूज्य भिक्षु मौन रहे। असहमत भिक्षु अपनी राय व्यक्त करें।

"इस मामले के निपटारे के लिए गठित समिति में संघ द्वारा फलां भिक्षु को नियुक्त किया गया है। इसलिए समिति इस बारे में चुप है। मैं यही समझता हूँ।"

21. हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु समिति के समक्ष मामले का निपटारा करने में सक्षम हों, तो हे भिक्षुओं, वह मामला निपटाया हुआ कहलाता है। और यह कैसे निपटाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? धम्म का प्रतिनिधित्व, विनय का प्रतिनिधित्व और संबंधित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व।

और इनमें धम्म की उपस्थिति क्या है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 16 में अंत तक है)।

'हे भिक्षुओं, यदि कोई विवाद इस प्रकार सुलझा लिया गया हो, तो यदि कोई विवादकर्ता उस प्रश्न को पुनः उठाता है, तो ऐसा पुनः उठाना पचितीय है।'

22. हे भिक्षुओं, यदि किसी मामले की जांच करते समय कोई भिक्षु धम्म का प्रचारक हो, परन्तु उसे न तो सूत्र प्राप्त हो और न ही सूत्र-विभंग, तथा वह मामले के सार को न समझते हुए शाब्दिक अर्थ को नकार दे, तो किसी विवेकशील और योग्य भिक्षु द्वारा उस मामले को उन भिक्षुओं के समक्ष इस प्रकार रखा जाना चाहिए:

"हे पूज्यजनों, कृपया मेरी बात सुनें। फलां नाम का यह भिक्षु धम्म का प्रचारक तो है, परन्तु न तो उसे सूत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ है और न ही सूत्र-विभंग का। और वह मामले के सार को न समझते हुए, शाब्दिक अर्थ को नकार कर उसके बाहरी आवरण को महत्व दे रहा है। यदि पूज्यजनों को समय उचित लगे, तो वे फलां नाम के इस भिक्षु को विदा कर दें, और हम सब इस मामले को स्वयं सुलझा लें।"

'हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु उस भिक्षु को विदा करने के बाद मामले का निपटारा करने में सक्षम हों, तो वह मामला निपटाया हुआ कहलाता है। और यह कैसे निपटाया गया है? उपस्थिति में कार्यवाही द्वारा (आदि, जैसा कि पिछले खंड में अंत तक है)।'

23. (यदि सूत्र उसे सौंपा गया हो, लेकिन सूत्र-विभंग नहीं, तो भी यही निर्णय लागू होगा।)

24. हे भिक्षुओं, यदि वे भिक्षु समिति द्वारा उस मामले का निपटारा न कर सकें, तो हे भिक्षुओं, उन्हें वह मामला संघ को सौंप देना चाहिए और कहना चाहिए, "हम, महोदय, समिति द्वारा इस मामले का निपटारा नहीं कर सकते, संघ ही इसका निपटारा करे।" हे भिक्षुओं, मैं आप सभी को आदेश देता हूँ कि आप ऐसे मामले का निपटारा बहुमत के मत से करें (अध्याय 9 से अंत तक, जैसा कि मतपत्र लेने वाले की नियुक्ति के संबंध में बताया गया है)। उस भिक्षु द्वारा, जो मतपत्र लेने वाला है, मत एकत्र किए जाएंगे। और धम्म द्वारा निर्देशित भिक्षुओं की अधिक संख्या के अनुसार, मामले का निर्णय किया जाएगा। हे भिक्षुओं, इसे ही विधिवत निपटाया गया प्रश्न कहते हैं।

और इसका निर्णय कैसे हुआ? उपस्थिति में कार्यवाही द्वारा और बहुमत के मत द्वारा। और इसमें उपस्थिति में कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? संघ की उपस्थिति, धम्म की उपस्थिति, विनय की उपस्थिति और उस विशेष व्यक्ति की उपस्थिति। और इनमें से संघ की उपस्थिति क्या है? (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 16 में है) वह उस विशेष व्यक्ति की ऐसी स्थिति में उपस्थिति है।

और इसमें बहुमत के मत से क्या तात्पर्य है? बहुमत के मत द्वारा आधिकारिक अधिनियम (कम्मा) का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, कार्यवाही, वचनबद्धता, स्वीकृति और शांति स्थापना। बहुमत के मत से यही तात्पर्य है।

'हे भिक्षुओं, जब कोई विधिक प्रश्न इस प्रकार तय हो जाए, तो यदि कोई विवादकर्ता उस प्रश्न को पुनः उठाता है, तो ऐसा पुनः उठाना पचितीय है। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपनी सहमति दे दी है, निर्णय की शिकायत करता है, तो ऐसी शिकायत पचितीय है।'

25. उस समय सावत्थी में एक विधिक प्रश्न अमुक तरीके से उत्पन्न हुआ था और अमुक तरीके से आगे बढ़ा था। सावत्थी में संघ द्वारा मामले के निपटारे से वे भिक्षु असंतुष्ट थे। उन्होंने सुना कि एक निवास में अनेक थेरे निवास कर रहे थे जो परंपराओं में पारंगत थे; वे पुरुष जिन्हें आगम विरासत में मिले थे; वे धम्म, विनय और मतिका के पाठकर्ता थे; विद्वान, विवेकशील, बुद्धिमान, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने सोचा, 'यदि वे थेरे इस मामले का निपटारा धम्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार करें, तो यह मामला वास्तव में अच्छी तरह से सुलझ जाएगा।' अतः वे भिक्षु उस निवास में गए और उन थेरे से इस प्रकार कहा: 'महोदय, यह विधिक प्रश्न अमुक तरीके से उत्पन्न हुआ है और अमुक तरीके से आगे बढ़ा है। यह अच्छा होगा यदि पूज्य थेरा इस मामले का निपटारा धम्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार करें! तब उन थेराओं ने कहा, 'जिस प्रकार सावत्थी में संघ ने इस मामले का निपटारा किया है, उसी प्रकार यह निपटारा उचित है!' और उन्होंने उसी प्रकार मामले का निर्णय किया। तब सावत्थी में संघ के निर्णय से असंतुष्ट भिक्षुओं ने थेराओं के निर्णय से असंतुष्टि व्यक्त की।

[इस पैराग्राफ को तीन, दो और एक थेरा पर क्रमिक अनुप्रयोगों के आवश्यक परिवर्तनों के साथ दोहराया गया है, जिसका परिणाम समान है।]

तब वे भिक्षु, जो सावत्थी में संघ के निर्णय से असंतुष्ट थे, थेरों की संख्या के निर्णय से असंतुष्ट थे, तीन थेरों के निर्णय से असंतुष्ट थे, दो थेरों के निर्णय से असंतुष्ट थे और एक थेरे के निर्णय से असंतुष्ट थे, भगवान बुद्ध के पास गए और उन्हें यह बात बताई।

हे भिक्षुओं, यह मामला समाप्त हो चुका है; एक बार इसका निपटारा हो जाने के बाद, यह हमेशा के लिए समाप्त हो गया है।

26. 'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऐसे भिक्षुओं को प्रसन्न करने के लिए मत लेने के तीन तरीके बताता हूँ—गुप्त विधि, फुसफुसाने की विधि और खुली विधि।

हे भिक्षुओं, मतपत्र लेने की गुप्त विधि क्या है? मतपत्रों की गिनती करने वाला भिक्षु अलग-अलग रंगों के मतपत्र बनाएगा, और जब कोई भिक्षु उसके पास आए, तो वह उससे इस प्रकार कहेगा: "यह इस मत वाले व्यक्ति के लिए है; यह इस मत वाले व्यक्ति के लिए है। जो आपको पसंद हो, ले लें।" जब वह चुन ले (तो वह आगे कहेगा), "इसे किसी को न दिखाएँ।" यदि वह यह सुनिश्चित कर ले कि धर्म के विरुद्ध मत रखने वाले बहुमत में हैं, तो वह मतपत्र को गलत मानकर अस्वीकार कर देगा। यदि वह यह सुनिश्चित कर ले कि धर्म के अनुसार मत रखने वाले बहुमत में हैं, तो वह मतपत्र को सही मानकर दर्ज करेगा। हे भिक्षुओं, यही मतपत्र लेने की गुप्त विधि है।

हे भिक्षुओं, मतपत्र लेने की फुसफुसाहट विधि क्या है? मतपत्रों की गिनती करने वाला भिक्षु प्रत्येक भिक्षु के कान में फुसफुसाएगा, "यह उन भिक्षुओं का मतपत्र है जिनकी राय इस प्रकार है; यह उन भिक्षुओं का मतपत्र है जिनकी राय इस प्रकार है। इनमें से जो भी आपको सही लगे, ले लीजिए।"

आपको जो पसंद हो।" जब वह चुन ले (तो उसे कहना है), "किसी को मत बताना (कि आपने किस तरफ वोट दिया है)।" यदि उसे पता चलता है कि धम्म के विरुद्ध मत रखने वाले बहुमत में हैं, तो उसे मत को गलत मानकर अस्वीकार कर देना चाहिए। यदि उसे पता चलता है कि धम्म के अनुसार मत रखने वाले बहुमत में हैं, तो उसे मत को सही मानकर सूचित करना चाहिए। इस प्रकार, हे भिक्षुओं, यह मत लेने की गुप्त विधि है।

हे भिक्षुओं, खुले तौर पर मतदान करने का तरीका क्या है? यदि वह (पहले से) यह सुनिश्चित कर ले कि धर्म के अनुरूप मत रखने वाले लोग बहुमत में हैं, तो मतदान बिना किसी छिपाव के, खुले तौर पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हे भिक्षुओं, खुले तौर पर मतदान करने का तरीका यही है।

'हे भिक्षुओं, ये तीन विधियाँ हैं जिनसे मत मांगे जाते हैं।'

27. निंदा से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा कितने प्रकार के निपटारे द्वारा किया जाता है? निंदा से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा चार प्रकार के निपटारे द्वारा किया जा सकता है—उपस्थिति में कार्यवाही द्वारा—उन लोगों के लिए कार्यवाही द्वारा जो सचेत रूप से निर्दोष हैं—उन लोगों के लिए कार्यवाही द्वारा जो अब अपने मानसिक संतुलन में हैं—और उन लोगों के लिए कार्यवाही द्वारा जो हठी हैं।

यदि कोई पूछे, "क्या निंदा से उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी प्रश्न का निपटारा दो प्रकार के निपटान के तरीकों का सहारा लिए बिना किया जा सकता है—अर्थात्, उन लोगों के लिए कार्यवाही जो अब मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हैं, और

क्या हठी लोगों के लिए कार्यवाही को अन्य दो प्रकार के निपटारे से सुलझाया जा सकता है—अर्थात्, उपस्थिति में कार्यवाही और सचेत रूप से निर्दोष लोगों के लिए कार्यवाही? उसे बताया जाना चाहिए, "हाँ, ऐसा हो सकता है।" (यदि वह कहे), "यह कैसे संभव है?" तो उत्तर इस प्रकार होना चाहिए:

यदि भिक्षु किसी भिक्षु पर नैतिकता के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाते हैं, तो हे भिक्षुओं, उस स्थिति में, जिस भिक्षु की स्मृति इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है, उसे निर्दोषता का बोध कराने वाली कार्यवाही की जानी चाहिए।

और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, प्रदान किया जाना है (आदि, जैसा कि अध्याय-4, §-10 में अंत तक है, किसी विशेष मामले के बजाय एक सामान्य नियम के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ)।

हे भिक्षुओं, इसे एक विधिक प्रश्न कहा जाता है जिसका निपटारा हो चुका है। और कैसे निपटारा हुआ? उपस्थिति की प्रक्रिया द्वारा, और सचेतन रूप से निर्दोषों के लिए प्रक्रिया द्वारा। और उसमें उपस्थिति की प्रक्रिया से क्या संबंधित है? संघ की उपस्थिति, धम्म की उपस्थिति, विनय की उपस्थिति, और व्यक्ति विशेष की उपस्थिति। और उसमें संघ की उपस्थिति क्या है (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 16 में अंत तक है)? और उसमें सचेतन रूप से निर्दोषों के लिए प्रक्रिया से क्या संबंधित है? सचेतन रूप से निर्दोषों के लिए प्रक्रिया का निष्पादन, उसकी सिद्धि; उसके द्वारा कार्यवाही, उसका उपक्रम, उसका स्वीकार करना, उसका शांत करना। यही इसमें सचेतन रूप से निर्दोषों के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

28. [यह खंड अध्याय-5 से ठीक वही संबंध रखता है जो पिछला खंड अध्याय-4 से रखता है, दोनों खंडों का स्वरूप पूरी तरह से एक समान है।]

29. यदि कोई पूछे, "क्या निंदा से उत्पन्न कोई कानूनी प्रश्न, निपटारे के दो तरीकों—अर्थात्, जो लोग सचेत रूप से निर्दोष हैं उनके लिए कार्यवाही, और जो लोग अब मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हैं उनके लिए कार्यवाही—का सहारा लिए बिना, निपटारे के अन्य दो तरीकों—अर्थात्, उपस्थिति में कार्यवाही, और जो लोग हठी हैं उनके लिए कार्यवाही—से हल किया जा सकता है?" तो उसे कहा जाना चाहिए, "हाँ, यह संभव है।" यदि वह कहे, "यह कैसे संभव है?" तो उत्तर इस प्रकार होना चाहिए:

यदि संघ के बीच में कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को किसी गंभीर अपराध के बारे में चेतावनी दे और उससे यह याद करने को कहे कि क्या उसने वह अपराध किया है या नहीं, और पूछे, "क्या आदरणीय भिक्षु ने अमुक अपराध किया है—कोई पराजिका अपराध या पराजिका अपराध के समतुल्य अपराध?" और वह उत्तर दे, "महोदय, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई अमुक अपराध किया है—कोई पराजिका अपराध या पराजिका अपराध के समतुल्य अपराध।" इस प्रकार इनकार करने पर दूसरा भिक्षु आग्रह करते हुए कहे, "महोदय, अब निश्चित रूप से पता लगाइए कि क्या आप अमुक अपराध—कोई पराजिका अपराध या पराजिका अपराध के समतुल्य अपराध—के दोषी होने के प्रति सचेत हैं।" और वह इस प्रकार उत्तर देता है: "महोदय, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अमुक अपराध—परजिका अपराध, या परजिका अपराध के समतुल्य कोई अपराध—किया है। परन्तु महोदय, मुझे याद है कि मैंने अमुक अपराध किया था।" उसके इस प्रकार इनकार करने पर दूसरा व्यक्ति (पहले की तरह) जोर देता है। और वह इस प्रकार उत्तर देता है: "चूंकि महोदय, आपने मुझसे पूछे बिना ही मैं उस अमुक अपराध का दोषी होने की बात स्वीकार करने को तैयार हूं, तो पूछे जाने पर मैं अमुक अपराध—परजिका अपराध, या परजिका अपराध के समतुल्य कोई अपराध—को क्यों न स्वीकार करूं?" और दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, "लेकिन महोदय, आप बिना पूछे उस मामूली अपराध को भी स्वीकार नहीं करते। बिना पूछे आप अमुक अपराध—परजिका अपराध, या परजिका अपराध के समकक्ष किसी अपराध—के बारे में कैसे स्वीकार करेंगे? महोदय, अब निश्चित रूप से बताइए कि क्या आप इस बात से अवगत हैं कि आपने अमुक अपराध—परजिका अपराध, या परजिका अपराध के समकक्ष किसी अपराध—का दोषी ठहराया है?" और वह उत्तर देता है, "जी हाँ, महोदय, मैं इस बात से अवगत हूँ कि मैंने अमुक अपराध—परजिका अपराध, या परजिका अपराध के समकक्ष किसी अपराध—का किया है। मैंने मज़ाक में, हंसी में कहा था कि मुझे इसका एहसास नहीं है।"

'तो फिर, हे भिक्षुओं, हठी भिक्षुओं के विरुद्ध वही कार्यवाही की जानी चाहिए।'

और इस प्रकार इसे निष्पादित किया जाना चाहिए (आदि, अध्याय-11, §-2 के अंत तक, "उपवला" के स्थान पर "अमुक भिक्षु" और "अपराध" के स्थान पर "गंभीर अपराध" पढ़ते हुए)।

हे भिक्षुओं, इसे विधिक प्रश्न कहा जाता है जिसका निपटारा हो चुका है। और इसका निपटारा कैसे हुआ है? संघ की उपस्थिति में की गई कार्यवाही द्वारा, और हठी लोगों के लिए की गई कार्यवाही द्वारा। और उस उपस्थिति में की गई कार्यवाही में क्या शामिल है? संघ की उपस्थिति (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 16 में है)। और उस हठी लोगों के लिए की गई कार्यवाही में क्या शामिल है? हठी लोगों के लिए की

गई कार्यवाही द्वारा आधिकारिक कार्य (कर्म) का निष्पादन, सिद्धि, कार्यवाही, उपक्रम, स्वीकृति और शांति। यही उस हठी लोगों के लिए की गई कार्यवाही का भाग है।

हे भिक्षुओं, जब कोई विधिक प्रश्न इस प्रकार तय हो जाए, तो यदि कोई विवादकर्ता उस प्रश्न को पुनः उठाता है, तो ऐसा पुनः उठाना पचितीय है। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपनी सहमति दे दी है, निर्णय की शिकायत करता है, तो ऐसी शिकायत पचितीय है।

30. किसी अपराध से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा कितने तरीकों से किया जाता है? किसी अपराध से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा तीन तरीकों से किया जाता है—अर्थात, प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा, अपराध स्वीकारोक्ति पर कार्यवाही द्वारा, और घास से ढककर कार्यवाही द्वारा।

यदि कोई पूछे, "क्या ऐसा हो सकता है कि अपराध से उत्पन्न कोई कानूनी प्रश्न, निपटारे के एक तरीके—अर्थात्, मामले को घास से ढककर सुलझाने की कार्यवाही—का सहारा लिए बिना, अन्य दो तरीकों—अर्थात्, उपस्थिति में कार्यवाही और अपराध स्वीकारोक्ति पर कार्यवाही—से सुलझाया जा सके?" तो उसे कहा जाना चाहिए, "हाँ, ऐसा हो सकता है।" यदि वह पूछे, "यह कैसे संभव है?" तो उत्तर इस प्रकार होना चाहिए:

यदि कोई भिक्षु किसी छोटे अपराध का दोषी हो, तो हे भिक्षुओं, वह भिक्षु दूसरे भिक्षु के पास जाकर, अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर रखकर, एड़ियों के बल बैठकर, हथेलियों को जोड़कर हाथ फैलाकर इस प्रकार बोले: "हे भिक्षु, मैंने फलां-फलां अपराध किया है; और मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ।" भिक्षु पूछेगा, "क्या तुम इसे स्वीकार करते हो?" "हाँ; मैं स्वीकार करता/करती हूँ।" "भविष्य में तुम संयम बरतो!"

हे भिक्षुओं, इसे विधिक प्रश्न कहा जाता है जिसका निपटारा हो चुका है। और इसका निपटारा कैसे हुआ है? प्रत्यक्ष उपस्थिति की कार्यवाही द्वारा, और पाप स्वीकारोक्ति की कार्यवाही द्वारा। और प्रत्यक्ष उपस्थिति की कार्यवाही में क्या शामिल है? धम्म की उपस्थिति, विनय की उपस्थिति, और उस विशेष व्यक्ति की उपस्थिति। और उसमें धम्म और विनय की उपस्थिति क्या है? धम्म, विनय, और गुरु का उपदेश, जिसकी सहायता से उस विधिक प्रश्न का निपटारा हुआ है। यही ऐसे मामले में धम्म और विनय की उपस्थिति है। और उसमें उस विशेष व्यक्ति की उपस्थिति क्या है? पाप स्वीकार करने वाला और जिसके समक्ष वह पाप स्वीकार करता है, दोनों उपस्थित होते हैं। यही ऐसी कार्यवाही में उस विशेष व्यक्ति की उपस्थिति है। और उसमें पाप स्वीकारोक्ति की कार्यवाही में क्या शामिल है? अपराध स्वीकारोक्ति की कार्यवाही द्वारा आधिकारिक कार्य (कम्मा) का निष्पादन, पूर्णता, कार्यवाही, निष्पादन, स्वीकृति और शांतिकरण। यही अपराध स्वीकारोक्ति की कार्यवाही के अंतर्गत आता है।

'हे भिक्षुओं, जब कोई कानूनी प्रश्न इस प्रकार तय हो जाता है, तो यदि कोई विवाद करने वाला उस प्रश्न को फिर से उठाता है, तो ऐसा फिर से उठाना पचितीय है।'

31. 'यदि वह इस प्रकार (पापमुक्ति) प्राप्त कर ले, तो अच्छा है। यदि वह पापमुक्ति प्राप्त न करे, तो हे भिक्षुओं, वह भिक्षु अनेक भिक्षुओं के पास जाकर, अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर रखकर, वरिष्ठ भिक्षुओं के सामने प्रणाम करके, एड़ियों के बल बैठकर, दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस प्रकार बोले: "हे सज्जनों, मैंने फलां अपराध किया है, और मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ।" तब कोई विवेकशील और योग्य भिक्षु उन भिक्षुओं के समक्ष यह बात रखे और कहे, "आदरणीय भिक्षुओं, कृपया मेरी बात सुनें। फलां नाम का यह भिक्षु अपने अपराध के प्रति सचेत है; और वह इसे प्रकट करता/करती है, स्वीकार करता/करती है। यदि आदरणीय भिक्षुओं को समय उचित लगे, तो मैं इस भिक्षु के अपराध को क्षमा कर दूँगा/दूँगी।" और वह पूछेगा/पूछेगी, "क्या आप इसे स्वीकार करते हैं?" "हाँ; मैं स्वीकार करता/करती हूँ।" "भविष्य में आप संयम बरतें!"

हे भिक्षुओं, इसे विधिक प्रश्न कहा जाता है जिसका निपटारा हो चुका है। और इसका निपटारा कैसे हुआ है? (आदि, पिछले खंड की तरह, अंत तक।)

32. 'यदि उसे इस प्रकार क्षमा मिल जाए, तो यह अच्छा है। यदि उसे क्षमा न मिले, तो हे भिक्षुओं, वह भिक्षु संघ के समक्ष जाए (आदि, जैसा कि पिछले खंड में अंत तक है, फिर आगे जोड़ते हुए): और यदि कोई व्यक्ति जिसने कार्यवाही के लिए अपनी सहमति दी है, उसके बाद इसकी शिकायत करे, तो वह पचितीय है।

33. यदि कोई पूछे, "क्या ऐसा हो सकता है कि अपराध से उत्पन्न कोई कानूनी प्रश्न, निपटारे के एक तरीके—अर्थात् अपराध स्वीकारोक्ति की कार्यवाही—का सहारा लिए बिना, अन्य दो तरीकों—अर्थात् प्रत्यक्ष कार्यवाही और घास से ढककर कार्यवाही—के

द्वारा हल किया जा सके?" तो उसे कहा जाना चाहिए, "हाँ, ऐसा हो सकता है।" यदि वह कहे, "यह कैसे संभव है?" तो उत्तर इस प्रकार होना चाहिए:

'यदि भिक्षु आपस में झगड़ते रहें (आदि, जैसा कि अध्याय-13, खंड-1, 2 और 3 से अंत तक में वर्णित है)।

'हे भिक्षुओं, इसे विधिक प्रश्न कहा जाता है जिसका निपटारा हो चुका है। और इसका निपटारा कैसे हुआ है? उपस्थिति में कार्यवाही द्वारा, और घास से ढककर कार्यवाही द्वारा।'

और उसमें 'उपस्थिति में कार्यवाही' से क्या संबंधित है? उपस्थिति (आदि, जैसा कि §-16 में नीचे है) और उसमें विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति क्या है? जो व्यक्ति स्वीकारोक्ति करता है, और जिसके समक्ष स्वीकारोक्ति की जाती है, दोनों उपस्थित होते हैं। यही ऐसे मामले में विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति है।

और उसमें घास से ढककर कार्यवाही करने का क्या अर्थ है? घास से ढककर कार्यवाही करने के द्वारा आधिकारिक कार्य (कम्मा) का निष्पादन, पूर्णता, कार्यवाही का निष्पादन, प्रदर्शन, स्वीकृति, और शांति प्रदान करना। यही घास से ढककर कार्यवाही करने का अर्थ है।

हे भिक्षुओं, जब कोई विधिक प्रश्न इस प्रकार तय हो जाए, तो यदि कोई विवादकर्ता उस प्रश्न को पुनः उठाता है, तो ऐसा पुनः उठाना पचितीय है। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपनी सहमति दे दी है, निर्णय की शिकायत करता है, तो ऐसी शिकायत पचितीय है।

34. 'व्यापार से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा कितने तरीकों से किया जाता है? व्यापार से उत्पन्न कानूनी प्रश्न का निपटारा केवल एक ही तरीके से किया जाता है—अर्थात, उपस्थिति कार्यवाही द्वारा।'

=========
चौथे खंडक का समापन, विधि संबंधी प्रश्नों के निपटारे पर आधारित।

<<<< पिछला(4.13) । अगला(5.1) >>>>

पांचवां खंडका (दैनिक जीवन)
(भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(4.14) । अगला(5.2) >>>>

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में, बांस के वन में, कालन्दक निवापा में ठहरे हुए थे। उस समय छब्बग्य भिक्षु स्नान करते समय अपने शरीर—जांघों, भुजाओं, छाती और पीठ—को लकड़ी से रगड़ते थे। लोग नाराज़ हो गए, बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, 'शाक्यपुत्र भिक्षु पहलवानों, मुक्केबाजों या शैंपू करने वालों की तरह ऐसा कैसे कर सकते हैं?' भिक्षुओं ने लोगों की बड़बड़ाहट सुनी, और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाकर भिक्षुओं से पूछा: 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि छब्बाग्य भिक्षु स्नान करते समय पहले की तरह ही रगड़ते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'यह अनुचित है, हे भिक्षुओं (आदि, हमेशा की तरह, देखें 1, 2, अंत तक)।' और जब उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'भिक्षुओं, स्नान करते समय भिक्षु को अपने शरीर को लकड़ी से नहीं रगड़ना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षु स्नान करते समय अपने शरीर—जांघों, भुजाओं, छाती और पीठ—को खंभे से, दीवार से रगड़ते थे (आदि, जैसा कि पिछले खंड में अंत तक बताया गया है)।

3. उस समय छब्बागिया भिक्षु अट्टाना (एक प्रकार का शैम्पू स्टैंड) पर स्नान किया करते थे। लोग (आदि, पहले की तरह)। भिक्षु (आदि, पहले की तरह)। तब भगवान बुद्ध (आदि, पहले की तरह) ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, तुम अट्टाना पर स्नान न करो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

[पिछले पैराग्राफ के समान ही अन्य पैराग्राफ भी इसी प्रकार आगे आते हैं]

स्नान करते समय गंधब्बा-हत्थक का उपयोग करना।

स्नान करते समय कुरुविन्दक-सुत्ती का उपयोग करना।

पानी के अंदर रहते हुए वे अपने शरीर को एक दूसरे से रगड़ते हैं।

स्नान करते समय मल्लाका का प्रयोग करना।

4. उस समय एक भिक्षु को खुजली हो गई थी, और वह मल्लका के बिना आराम से स्नान नहीं कर सकता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं बीमार व्यक्ति को कृत्रिम रूप से निर्मित न किए गए मल्लका का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

5. उस समय एक भिक्षु जो वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो गया था, वह अपने शरीर को स्वयं साफ करने में असमर्थ था।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, उक्कासिका का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु (इन नियमों का उल्लंघन करने के भय से) एक दूसरे के शैम्पू करने से डरते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें हाथ से शैंपू करने की सामान्य विधि की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(4.14) । अगला(5.2) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.1) । अगला(5.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय दो।

1. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं

वह कान की बालियां, झुमके, गले में पहनने के लिए मोतियों की माला, मोतियों की कमरबंद, चूड़ियां, हार, कंगन और अंगूठियां पहनती थीं।

लोग आपस में फुसफुसाए, इत्यादि... भिक्षुओं ने सुना, इत्यादि... उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध (आदि, जैसा कि द्वितीय, प्रथम, प्रथम से आगे तक है) ने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा:

'हे भिक्षुओं, तुम्हें इनमें से कोई भी वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. [इसी तरह का एक पैराग्राफ समापन करते हुए]

'हे भिक्षुओं, आपको लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको दो महीने पुराने या दो इंच लंबे बाल रखने की अनुमति देता हूँ।'

3. [इसी तरह का पैराग्राफ समाप्त करते हुए]

'हे भिक्षुओं, अपने बालों को कंघी से, या सांप के फन के आकार के किसी उपकरण से, या हाथ से, या पोमेड से, या मोम के तेल से संवारना मना है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

4. [इसी तरह का पैराग्राफ समापन करता है]

'हे भिक्षुओं, तुम्हें दर्पण या जल के पात्र में अपने चेहरे की छवि नहीं देखनी चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षु के चेहरे पर घाव हो गया था। उसने भिक्षुओं से पूछा कि उसे किस प्रकार का घाव हुआ है। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, 'इस प्रकार का घाव।' उसे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक बीमारी के कारण दर्पण में या जल के कटोरे में अपने चेहरे देखने की अनुमति देता हूँ।'

5. उस समय छब्बागिया भिक्षु (आदि)

'हे भिक्षुओं, न तो अपने चेहरे पर लेप लगाना है, न ही अपने चेहरे पर (मरहम आदि) मलना है, न ही अपने चेहरे पर चूना लगाना है, न ही अपने चेहरे पर लाल आर्सेनिक मलना है, न ही अपने शरीर को रंगना है, न ही अपने चेहरे को रंगना है।'

उस समय एक भिक्षु की आँखों में रोग हो गया था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, रोग के कारण मैं तुम्हें अपने चेहरे पर तेल लगाने की अनुमति देता हूँ।'

6. उस समय राजगृह में पर्वत की चोटी पर एक उत्सव था; और छब्बागिया भिक्षु उसे देखने गए।

लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हो गए और क्रोधित होकर कहने लगे, 'शाक्यपुत्र समनाएँ उन लोगों की तरह नाच-गाना और संगीत देखने कैसे जा सकते हैं जो अभी भी संसार के सुखों का आनंद ले रहे हैं?' और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, नाच-गाना या संगीत देखने मत जाओ। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.1) | अगला(5.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.2) | अगला(5.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-3.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षु अचानक गीत-गायन के बदलावों के साथ धम्म का गायन करते थे।

लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हो गए और क्रोधित होकर कहने लगे, 'शाक्यपुत्रीय समना ऐसा कैसे कर सकते हैं?' भिक्षुओं ने यह सुना (आदि, हमेशा की तरह), उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा:

हे भिक्षुओं, जो धम्म का गायन अचानक लयबद्ध तरीके से करता है, उसे ये पाँच विपत्तियाँ आती हैं: वह स्वयं उस ध्वनि से मोहित हो जाता है। अन्य लोग भी उस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। गृहस्थ भयभीत हो जाते हैं। ध्वनि में शुद्धता का प्रयास करने वाले का ध्यान भंग हो जाता है। सामान्य लोग विधर्म में पड़ जाते हैं। हे भिक्षुओं, जो धम्म का गायन अचानक लयबद्ध तरीके से करता है, उसे ये पाँच विपत्तियाँ आती हैं। हे भिक्षुओं, धम्म का गायन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करता है, वह दुक्कता का दोषी होगा।

2. उस समय भिक्षु जप करने से डरते थे। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, मंत्रोच्चार करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.2) । अगला(5.4) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.3) । अगला(5.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-4.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षु ऊनी वस्त्र पहनते थे जिसमें लंबे ऊन लगे होते थे।

लोग आपस में फुसफुसा रहे थे... (आदि, नीचे तक) उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, ऊनी वस्त्र, जिनमें लंबे रेशे लगे हों, पहनना उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.3) । अगला(5.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.4) | अगला(5.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-5.

1. उस समय मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के उद्यान में आम पक गए थे। मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने आज्ञा दी थी, "आदरणीय भिक्षु जितना चाहें उतना फल खा सकते हैं।" तब छब्बग्गिया भिक्षुओं ने कच्चे आम भी तोड़कर खा लिए।

अब मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को एक आम चाहिए था; और उन्होंने आदेश दिया, 'जाओ,

मेरे सज्जनों, पार्क में जाओ और मेरे लिए एक आम ले आओ।'

'जी प्रभु,' उन लोगों ने मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार की बात मानकर सहमति जताई और वे उद्यान में गए तथा उद्यान के रखवालों से कहा, 'हे हमारे प्रिय मित्रों, हमारे स्वामी को एक आम की आवश्यकता है। हमें एक आम दीजिए!'

'महोदय, यहाँ आम नहीं हैं। भिक्षुओं ने छोटे-छोटे आम भी तोड़ लिए हैं और उन्हें खा गए हैं।'

तब उन लोगों ने यह बात मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार को बताई, और उन्होंने कहा: 'हे सज्जनों, आदरणीय लोगों ने आमों का सदुपयोग किया है। फिर भी, भगवान बुद्ध ने संयम को ही श्रेष्ठ बताया है।'

लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, हैरान हुए और नाराज़ हो गए, आदि, कहने लगे, 'संयम न जानने वाले शाक्यपुत्रीय समन राजा के आम कैसे खा सकते हैं?' भिक्षुओं ने उन लोगों को बड़बड़ाते, हैरान होते और नाराज़ होते सुना। तब उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आम खाना मना है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय संघ के लिए भोजन तैयार करने की बारी एक निश्चित समूह की थी। करी में आम का छिलका डाला गया था। भिक्षुओं ने किसी को नाराज करने के डर से उसे ग्रहण नहीं किया।

'हे भिक्षुओं, इसे लो और खाओ। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आम का छिलका खाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय कुछ लोगों की बारी थी कि वे संघ के लिए भोजन की व्यवस्था करें। उन्होंने छिलके से करी तो नहीं बनाई, लेकिन वे भोजन कक्ष में साबुत आम लेकर घूम रहे थे। भिक्षुओं ने उन्हें नाराज़ करने के डर से स्वीकार नहीं किया।

'हे भिक्षुओं, इन्हें लो और खाओ। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन फलों को खाने की अनुमति देता हूँ जो इन पाँचों तरीकों में से किसी एक तरीके से समन भिक्षुओं के लिए अनुमेय हो गए हों—जब वे अग्नि से क्षतिग्रस्त हो गए हों—तलवार से—या कीलों से—जब उनमें अभी तक कोई बीज न हो—और पाँचवाँ तरीका यह है कि जब उनमें कोई बीज न रह गया हो। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन फलों को खाने की अनुमति देता हूँ जो इन पाँचों तरीकों में से किसी एक तरीके से समन भिक्षुओं के लिए अनुमेय हो गए हों।'

<<<< पिछला(5.4) | अगला(5.6) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> पांचवां खंडका >> 5.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.5) | अगला(5.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-6.

1. उस समय एक भिक्षु की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, निश्चय ही उस भिक्षु ने चार राजसी सर्पों पर अपना प्रेम नहीं बरसाया होगा! यदि उसने ऐसा किया होता, तो वह सर्प के डंक से न मरता। और वे चार राजसी सर्प कौन से हैं? विरुपाक्ख एक राजसी सर्प हैं। एरापथ एक राजसी सर्प हैं। खब्यपुत्त एक राजसी सर्प हैं। कन्हगोतमक एक राजसी सर्प हैं। हे भिक्षुओं, निश्चय ही उस भिक्षु ने चार राजसी सर्पों पर अपना प्रेम नहीं बरसाया होगा! यदि उसने ऐसा किया होता, तो वह सर्प के डंक से न मरता। हे भिक्षुओं, मैं आपको अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक उपाय करने की अनुमति देता हूँ, कि आप चार राजसी सर्पों पर अपना प्रेम बरसाएँ। और हे भिक्षुओं, आपको ऐसा ही करना है।

मुझे विरुपाक्खा बहुत पसंद हैं, मुझे एरापथ बहुत पसंद हैं।

मुझे खब्यपुत्त पसंद हैं, मुझे कन्हगोतमक पसंद हैं।

मुझे बिना पैरों वाले जीवित प्राणी बहुत पसंद हैं, दो पैरों वाले प्राणी भी मुझे बहुत पसंद हैं।

मुझे चार पैरों वाले प्राणी और कई पैरों वाली चीजें पसंद हैं।

"कोई भी बिना पैरों वाली वस्तु मुझे हानि न पहुंचाए, न ही कोई दो पैरों वाली वस्तु।"

"चार पैरों वाले किसी भी प्राणी को, न ही अनेक पैरों वाले किसी भी जीव को चोट पहुँचाने दो।"

"सभी प्राणियों को, सभी जीवित चीजों को, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों,

"सभी लोग सौभाग्यशाली हों और कोई भी पाप में न पड़े।"

बुद्ध अनंत हैं, सत्य अनंत है, व्यवस्था अनंत है। रेंगने वाले जीव सीमित हैं; सांप, बिच्छू और कनखजूरे, मकड़ियां और छिपकलियां, चूहे और गिलहरी।

"मैंने अपनी सुरक्षा बनाई है, मैंने अपना बचाव बनाया है। जीवित प्राणियों को पीछे हटना होगा।"

"मैं भगवान बुद्ध और सात सर्वोच्च बुद्धों का आदर करता हूँ।"

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, सांप के काटने से निकलने वाले रक्त को बहने देने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.5) | अगला(5.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.6) | अगला(5.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय 7।

1. उस समय एक भिक्षु, ध्यान आदि से विमुख होकर, अपने आप को नपुंसक बना लिया। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'जब एक चीज को काटना जरूरी था, हे भिक्षुओं, उस मूर्ख ने दूसरी चीज काट दी! हे भिक्षुओं, तुम स्वयं को नपुंसक न बनाओ। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह थुलकाय (गंभीर अपराध) का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.6) । अगला(5.8) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.7) । अगला(5.9) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-8.

1. उस समय राजगृह के सेठी (धनी व्यापारी) ने चंदन की एक उत्तम किस्म की लकड़ी खरीदी। सेठी ने सोचा, 'क्या अच्छा होगा यदि मैं इस चंदन की लकड़ी से एक कटोरा बनवा लूँ, ताकि इसके टुकड़े मेरे पास रहें और मैं कटोरा किसी को दे सकूँ?' राजगृह के सेठी ने चंदन की उस लकड़ी से एक कटोरा बनवाया, उसे तराजू में रखा और एक बाँस के ऊपर रख दिया। उन्होंने बाँस को बाँसों की एक श्रृंखला के शीर्ष पर बाँधकर यह घोषणा की, 'यदि कोई समना (भिक्षु) या ब्राह्मण (पुजारी) अरहत हो और इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) से युक्त हो, तो वह इस कटोरे को नीचे उतार ले। यह उसके लिए एक भेंट है!'

तब पुराण कस्सपा राजगृह के सेठी के पास गए और उनसे कहा, 'हे गृहस्थ, मैं एक अरहत हूँ और इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) से युक्त हूँ। मुझे कटोरा दीजिए।'

'हे महाराज, यदि आप अरहत हैं और इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) से परिपूर्ण हैं, तो कृपया इस प्याले में उतरें!'

तब मक्खलि गोसाला, और अजिता केसा-कम्बली, और पकुधा कच्चायण, और संजय बेलाथिपुट्टा, और निगंथा नट-पुट्टा अलग-अलग राजगृह के सेट्ठी के पास गए, [और एक ही अनुरोध को प्राथमिकता दी, और एक ही उत्तर प्राप्त किया।]

उस समय पूज्य महा मोग्गलाना और पूज्य पिंडोला भारद्वगा सुबह सज-धज कर, विधिवत वस्त्र धारण किए हुए, राजगृह में भिक्षा मांगने गए। पूज्य पिंडोला भारद्वगा ने पूज्य महा मोग्गलाना से कहा, "पूज्य महा मोग्गलाना अरहत हैं और इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) से परिपूर्ण हैं। हे मित्र मोग्गलाना, जाइए और यह भिक्षापात्र ले आइए, क्योंकि यह भिक्षापात्र आपका है।"

'आदरणीय पिंडोला भारद्वगा भी अरहत हैं और इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) से परिपूर्ण हैं। जाओ, मित्र भारद्वगा, और कटोरा नीचे लाओ, क्योंकि यह कटोरा तुम्हारा है।'

तब पूज्य पिंडोला भारद्वगा वायु में उठकर, कटोरा लेकर राजगृह के तीन चक्कर लगाए। उस समय राजगृह के सेठी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने निवास स्थान पर खड़े थे और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, 'परमेश्वर भारद्वगा कृपा करके हमारे निवास स्थान पर अवतरित हों।' और परमेश्वर भारद्वगा उनके निवास स्थान पर अवतरित हुए। तब राजगृह के सेठी ने परमेश्वर भारद्वगा के हाथों से कटोरा लेकर उसे उत्तम भोजन से भरकर परमेश्वर भारद्वगा को भेंट किया।

आदरणीय भारद्वग ने कटोरा लिया और अपने विश्राम स्थल की ओर प्रस्थान किया।

2. अब लोगों ने सुना, ‘आदरणीय पिंडोला भारद्वाज राजगृह सेठी का प्याला लेकर आए हैं।’ और वे लोग जोर-जोर से चिल्लाते हुए पिंडोला भारद्वाज के पीछे-पीछे चल पड़े। भगवान बुद्ध ने उन जोर-जोर से चिल्लाहटों को सुना और उन्हें सुनकर आदरणीय आनंद से पूछा, ‘आनंद, इस इतनी जोर से चिल्लाने का क्या अर्थ है?’

आदरणीय पिंडोला भारद्वगा, भगवान, ने राजगृह सेठी का कटोरा नीचे उतार दिया है; और वहाँ के लोग ऊँची-ऊँची आवाज़ें लगाते हुए उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं।'

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और पिंडोला भारद्वगा से पूछा, 'क्या यह सच है, जैसा कि लोग कहते हैं, कि हे भारद्वगा, तुमने राजगृह सेठी का कटोरा प्राप्त कर लिया है?'

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए कहा, 'यह अनुचित है, भारद्वग, नियम के अनुसार नहीं, अनुपयुक्त, समन के योग्य नहीं, अशोभनीय और नहीं किया जाना चाहिए। भारद्वग, तुम एक तुच्छ लकड़ी के बर्तन के लिए आम लोगों के सामने अपनी चमत्कारी इद्धि शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर सकते हो? भारद्वग, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्त्री एक तुच्छ सिक्के के लिए अपना प्रदर्शन करती है, क्या तुम भी एक तुच्छ वस्तु के लिए ऐसा कर रहे हो?'

लकड़ी के बर्तन ने आम लोगों के सामने आपकी चमत्कारी इद्धि शक्ति के अलौकिक गुणों को प्रदर्शित किया। भारद्वग, इससे न तो अपरिवर्तितों का धर्मांतरण होगा और न ही परिवर्तितों की संख्या में वृद्धि होगी; बल्कि इससे अपरिवर्तित लोग अपरिवर्तित ही रहेंगे और जो परिवर्तित हो चुके हैं वे फिर से विमुख हो जाएंगे।

और जब उन्होंने उसे फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, तुम गृहस्थों के समक्ष इद्धि की अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन न करो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, उस लकड़ी के कटोरे को तोड़ दो; और जब तुम उसे पीसकर चूर्ण बना लो, तो उसे भिक्षुओं को उनकी आंखों में लगाने के लिए इत्र के रूप में दे दो। और हे भिक्षुओं, तुम लकड़ी के कटोरे का प्रयोग न करो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.7) । अगला(5.9) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.9
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.8) । अगला(5.10) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-9.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षु सोने और चांदी से बने विभिन्न प्रकार के कटोरे इस्तेमाल करते थे।

लोग हमेशा की तरह आपस में फुसफुसा रहे थे (और इसी तरह की बातें भी)। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आपको बने हुए कटोरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए।'

सोने का बना हुआ, या चांदी का बना हुआ, या रत्नों से जड़ा हुआ, या बेरिल (वेलुरिया) का बना हुआ, या क्रिस्टल का बना हुआ, या तांबे का बना हुआ, या कांच का बना हुआ, या टिन का बना हुआ, या सीसे का बना हुआ। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दो प्रकार के कटोरे रखने की अनुमति देता हूँ - लोहे के बने हुए और मिट्टी के बने हुए।

2. उस समय कटोरे के निचले हिस्से में लगा सहारा घिस गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपने प्यालों के आधार के रूप में वृत्ताकार (धातु के टुकड़ों) का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु अपने कटोरे के लिए कई प्रकार के गोलाकार आधार इस्तेमाल करते थे—चांदी के और सोने के।

लोग आपस में फुसफुसा रहे थे (आदि, नीचे तक)। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, आपको अपने कटोरे के लिए विभिन्न प्रकार के गोलाकार आधार नहीं रखने चाहिए। जो कोई भी ऐसा करता है

अतः, दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको अपने प्यालों के लिए दो प्रकार के गोलाकार आधारों की अनुमति देता हूँ—टिन के और सीसे के।

मोटे गोलाकार आधार नहीं लगाए जा सके। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इन्हें आकार देने की अनुमति देता हूँ (जब तक कि ये सही आकार के न हो जाएँ)।'

वे (?) में नहीं रुकेंगे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें मगरमच्छ के दांतों के छोटे-छोटे टुकड़े करने की अनुमति देता हूँ (ताकि उन्हें फिट किया जा सके)।'

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने अपने कटोरे के तल पर गोलाकार रेखाएँ बनाई हुई थीं, जिन पर चित्रित आकृतियाँ बिखरी हुई थीं, या रंग के धब्बों में चित्रित की गई थीं, और वे उन्हें प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर घूमते थे।

लोग आपस में फुसफुसा रहे थे (आदि, नीचे तक)। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आपको अपने प्यालों के तलों पर गोलाकार आधार चित्रित नहीं करने चाहिए, उन्हें ढकना नहीं चाहिए।'

आकृतियों से सजे और रंग के धब्बों से रंगे हुए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें केवल साधारण अस्तर लगाने की अनुमति देता हूँ।

3. उस समय भिक्षुओं ने अपने पानी से भरे कटोरे रख दिए, और वे कटोरे टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने जल से भरे प्यालों को रखना उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि प्यालों को रखने से पहले उन्हें धूप में सुखा लें।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने कटोरे पानी से भरे हुए धूप में सुखाए; और वे कटोरे दुर्गंधयुक्त हो गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने पानपात्रों को पानी से भरे हुए धूप में न सुखाएं। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप पानपात्रों से पानी निकाल दें और फिर उन्हें गर्म करके रख दें।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने कटोरे गर्म स्थान पर रख दिए; और इस कारण कटोरे का रंग खराब हो गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने पानपात्रों को गर्म स्थान पर न रखें। ऐसा करने वाला दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको अपने पानपात्रों को थोड़े समय के लिए गर्म स्थान पर सुखाने और फिर उन्हें रख देने की अनुमति देता हूँ।'

4. उस समय कई कटोरे बिना सहारे के खुले में रखे हुए थे; और बवंडर के कारण वे कटोरे पलट गए और टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको अपने कटोरे (जब वे बाहर रखे हों) रखने के लिए सहारे का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने प्याले बरामदे में स्थित सोने की बेंचों के किनारे रख दिए, और प्याले गिरकर टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, बरामदे में सोने की बेंचों के किनारे अपने पानदान न रखें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने पानपात्र परिबन्ध के किनारे रख दिए, और वे पानपात्र नीचे गिरकर टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, परिबन्ध के किनारे अपने कुंड न रखें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने कटोरे जमीन पर उल्टे रख दिए, जिससे उनके होंठ घिस गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें घास से बनी चटाई का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

घास की चटाई को दीमक खा गए थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक छोटे कपड़े का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस छोटे से कपड़े को दीमक खा गए। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक ऊंचे चबूतरे (?) का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ (जिस पर तुम अपने कुंड रख सको)।'

चौकोर दीवार से कटोरे नीचे गिर गए और टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको बेंत से बने स्टैंड का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

बेंत से बने स्टैंड पर रखे कटोरे घिस गए। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपने पानपात्र ले जाने के लिए थैलों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उनमें कंधे पर बांधने वाली पट्टियाँ नहीं थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें थैली ले जाने के लिए कंधे पर टांगने वाली पट्टी या थैली बांधने के लिए डोरी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

5. उस समय भिक्षु अपने पानपात्रों को दीवारों में लगी पिनों या हुकों पर टांगते थे। पिन या हुक के गिरने से पानपात्र टूट जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने पान-पात्रों को लटकाना उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने प्याले पलंग या कुर्सी पर रख दिए; और लापरवाही से बैठते समय वे प्याले गिरा देते थे, जिससे प्याले टूट जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने पानपात्र पलंग या कुर्सी पर न रखें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने प्याले अपनी गोद में रखे हुए थे; और अनमने ढंग से उठते समय उन्होंने उन्हें गिरा दिया, जिससे प्याले टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने पानपात्रों को अपनी गोद में न रखें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने कटोरे एक छाते पर रख दिए; और बवंडर के कारण वह छाता ऊपर उठ गया, जिससे कटोरे लुढ़क गए और टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने पानपात्रों को धूप से बचने के लिए छांव पर न रखें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने हाथों में कटोरे लिए हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कटोरे टूट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने हाथों में पान के पात्र लेकर द्वार न खोलें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.8) | अगला(5.10) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.9) | अगला(5.11) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-10.

1. उस समय भिक्षु लौकी से बने जल के घड़े या पानी के पात्र लेकर भिक्षा मांगने के लिए चक्कर लगाते थे।

लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, हैरान थे और आक्रोशित होकर कह रहे थे, 'जैसा कि तित्तिया लोग करते हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम जल के घड़े या मटके लेकर भिक्षा मांगने के लिए यात्रा न करो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय एक भिक्षु, जिसने कूड़े के ढेर या कब्रिस्तानों से प्राप्त वस्तुओं के अलावा कुछ भी न पहनने या उपयोग करने का व्रत लिया था, खोपड़ी से बना एक कटोरा लेकर भिक्षा मांगने निकला। एक स्त्री ने उसे देखा और भयभीत होकर चिल्लाई, 'हे भगवान! यह तो निश्चित रूप से एक शैतान है!'

लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, हैरान थे और आक्रोशित होकर कह रहे थे, 'शाक्यपुत्रीय समना (भिक्षु) खोपड़ियों से बने कटोरे कैसे अपने साथ लेकर घूम सकते हैं, जैसे शैतान की पूजा करने वाले करते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, खोपड़ियों से बने कटोरे का प्रयोग न करें। ऐसा करने वाला दुक्काता का दोषी होगा। और हे भिक्षुओं, कूड़े के ढेर या श्मशान से प्राप्त वस्तुओं के अलावा किसी और वस्तु को न पहनने या उपयोग करने का व्रत न लें। ऐसा करने वाला दुक्काता का दोषी होगा।

3. उस समय भिक्षु अपने कटोरे में कुछ टुकड़े, हड्डियाँ और गंदा पानी लेकर बाहर निकले।

लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, हैरान थे और गुस्से में कह रहे थे, 'जिस पात्र से ये सब निकला है, वही पात्र

ये शाक्यपुत्रीय समनाएँ जो खाते हैं, उसे वे अपशिष्ट पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं!

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, अपने कटोरे में कूड़ा-कचरा, हड्डियाँ और गंदा पानी न ले जाओ। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपशिष्ट पात्र का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.9) । अगला(5.11) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.11
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.10) । अगला (5.12) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-11.

1. उस समय भिक्षुओं ने वस्त्रों को हाथों से फाड़कर आपस में सिलना शुरू किया; और वस्त्र खुरदरे हो गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें म्यान और (तलवार के लिए) म्यान का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ, जो म्यान के कपड़े से बना हो।'

उस समय संघ के अधिकार में एक मूठ सहित तलवार आ गई थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें मूठ सहित तलवार का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु अपनी तलवारों में चांदी और सोने से बने विभिन्न प्रकार के लंबे हैंडल का उपयोग करते थे।

लोग हमेशा की तरह आपस में फुसफुसा रहे थे (और इसी तरह की बातें भी)। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, आप अपनी तलवारों में विभिन्न प्रकार के हैंडल का प्रयोग न करें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको अपनी तलवारों में हड्डी, हाथीदांत, सींग, ना ला सरकंडा, बांस, कठोर लकड़ी, लाख, फलों के छिलके, पीतल या शंख के मध्य भाग से बने हैंडल का प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ।

2. उस समय भिक्षु अपने वस्त्रों को कलमों या बांस के छिलके के टुकड़ों से सिलते थे, और वस्त्र बुरी तरह से सिले होते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, सुई का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

सुइयां कुंद हो गईं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें बांस से बने सुई रखने के पात्र का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

सुई रखने वाले डिब्बों में भी सुइयां कुंद हो गईं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पात्रों को चूने से भरने की अनुमति देता हूँ।'

चूर्ण में भी सुइयां कुंद हो गईं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें जौ के आटे से पात्र भरने की अनुमति देता हूँ।'

जौ के आटे में भी सुइयां कुंद हो गईं।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, पिसे हुए पत्थर का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

यहां तक कि पिसे हुए पत्थर में भी सुइयां कुंद हो गईं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (पाउडर को) मोम के साथ मिलाने की अनुमति देता हूँ।'

फिर भी पाउडर आपस में नहीं चिपका।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सिपातिका गोंद को पाउडर में मिलाने की अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय भिक्षुओं ने जगह-जगह खूंटे गाड़कर और डोरियों से जोड़कर अपने वस्त्रों को सिलना शुरू कर दिया। इससे वस्त्रों का आकार बिगड़ गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कथिना का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

और आपको जगह-जगह कथीना की डोरियाँ बाँधने के बाद वस्त्रों को एक साथ सिलना है।'

उन्होंने कथिना को ऊबड़-खाबड़ जमीन पर फैला दिया, और कथिना टुकड़े-टुकड़े हो गई।

'हे भिक्षुओं, तुम कथिना को असमान (भूमि) पर मत फैलाओ। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उन्होंने कथिना को जमीन पर फैला दिया, और कथिना गंदी हो गई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें घास की चटाई का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

कथीना के किनारे समय के साथ क्षत-विक्षत हो गए।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, कि तुम इसे किनारे पर दोहरी परत चढ़ाकर या बांधकर मजबूत कर सकते हो।'

कथीना इतनी बड़ी नहीं थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दंड-कथीना, पिदलका, टिकट, बंधन डोरियों और बंधन धागों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ; और यह भी कि तुम इनसे अपने वस्त्रों को बांधने के बाद उन्हें आपस में सिल लो।'

धागों के बीच के अंतराल की लंबाई अनियमित हो गई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (तालिपोट ताड़ के पत्ते या इसी तरह की चीजों के) छोटे चिह्नों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

धागे टेढ़े हो गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (कपड़े पर बिछाए गए नकली धागों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ, जो यह दर्शाते हैं कि इसे कहाँ से काटना या सिलना है)।'

4. उस समय भिक्षु बिना धोए, गीले पैरों से या जूते पहने हुए कथिना पर चढ़ गए, जिससे कथिना पर गंदगी फैल गई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, बिना धोए, गीले पैरों से या जूते पहने हुए कथिना पर मत चढ़ो। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

5. उस समय भिक्षु जब सिलाई कर रहे थे

उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, अपनी उंगलियों से सामान पकड़ा और उनकी उंगलियों में चोट लग गई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, अंगुली पर पहनने वाली अंगुली की पट्टी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु कई प्रकार के अंगुलियों का प्रयोग करते थे; सोने की और चांदी की।

लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इत्यादि। भिक्षुओं ने सुना, इत्यादि। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, विभिन्न प्रकार के अंगुली के आवरणों का प्रयोग न करें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको अस्थि, हाथीदांत, सींग, ना ला सरकंडा, बांस, कठोर लकड़ी, लाख, फलों के छिलके, पीतल या शंख के केंद्र से बने अंगुली के आवरणों का प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय सुइयां, कैंची और अंगुली की सुई खो गईं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कार्यशाला में किसी बक्से या दराज का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

वे सब कार्यशाला के डिब्बे में एक साथ जमा हो गए। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अंगुली की थैली (अंगुलियों को ले जाने के लिए) का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उनमें कंधे पर टांगने वाली पट्टियाँ नहीं थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें थैलों को बांधने के लिए कंधे की पट्टी या डोरी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

6. उस समय भिक्षु खुले में अपने वस्त्र सिलते समय गर्मी और सर्दी से परेशान थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कथिना के लिए एक हॉल या एक झोपड़ी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

कथीना हॉल का तहखाना बहुत नीचा था, और वह पानी से भर गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऊँची तहखाना बनाने की अनुमति देता हूँ।'

तहखाने का अग्रभाग गिर गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तहखाने में तीन प्रकार की सामग्री लगाने की अनुमति देता हूँ—ईंट की परत, पत्थर की परत या लकड़ी की परत।'

उन्हें उसमें चढ़ने में कठिनाई हुई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार की सीढ़ियों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ—ईंट की सीढ़ियाँ, पत्थर की सीढ़ियाँ और लकड़ी की सीढ़ियाँ।'

ऊपर चढ़ते समय वे गिर गए।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, रेलिंग का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

कथिना-हॉल में (दीवारों और छत से) भूसा और प्लास्टर गिर गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पहले दीवारों और छत को चमड़े से ढकने और फिर उन्हें भीतर और बाहर से प्लास्टर करने की अनुमति देता हूँ। (और मैं अनुमति देता हूँ) सफेदी, काला रंग, लाल रंग, मालाओं की सजावट, लताओं की सजावट, हड्डियों के हुक, अलमारियाँ, वस्त्र टांगने के लिए बांस और वस्त्र टांगने के लिए डोरियों के उपयोग की।'

7. उस समय भिक्षुओं ने वस्त्र सिलने के बाद कथिना को वहीं छोड़कर चले गए; और वस्त्रों को चूहों और दीमकों ने खा लिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कथिना को समेटने की अनुमति देता हूँ।'

कथीना जहाज टुकड़ों में बिखर गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कथिना को गाय की खाल में लपेटने की अनुमति देता हूँ (?).'

कथीना का पर्दाफाश हो गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इसे बांधने के लिए धागे का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु कथिना को दीवार या खंभे के सहारे रखकर चले गए; और कथिना गिरकर टूट गई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, इसे दीवार के खंभे पर या हुक पर टांगने की।'

<<<< पिछला (5.10) । अगला (5.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.11) । अगला (5.13) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-12.

1. अब भगवान बुद्ध, राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय ठहरने के बाद, वैशाली की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े।

उस समय भिक्षु अपने कटोरे में सुई, कैंची और औषधियाँ लेकर साथ-साथ चलने लगे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें औषधियों को ले जाने के लिए थैली का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उनमें कंधे पर टांगने वाली पट्टियाँ नहीं थीं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कंधे पर टांगने वाली पट्टी या थैली बांधने के लिए डोरी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय एक भिक्षु ने अपनी पांव की पट्टियाँ बाँधीं और भिक्षा मांगने के लिए गाँव में प्रवेश किया। एक उपासक ने उस भिक्षु को प्रणाम करते समय अपना सिर उनकी पांव की पट्टियों से टकरा दिया। भिक्षु क्रोधित हो गए; और जब वे आराम (मठ) लौट आए, तो उन्होंने यह बात भिक्षुओं को बताई। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपनी चप्पलें ले जाने के लिए थैली का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उनमें कंधे पर टांगने वाली पट्टियाँ नहीं थीं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कंधे पर टांगने वाली पट्टी या थैली बांधने के लिए डोरी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (5.11) । अगला (5.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.12) । अगला (5.14) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-13.

1. उस समय वे जिस पानी को पी रहे थे, उसे नियमों का उल्लंघन किए बिना नहीं पिया जा सकता था, क्योंकि उनके पास पानी छानने के लिए कोई छलनी नहीं थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें छलनी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।' छलनी के रूप में इस्तेमाल किया गया छोटा कपड़ा (पूरे समूह के लिए पर्याप्त पानी छानने के लिए) पर्याप्त नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें चम्मच पर लगी छलनी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

फिर भी वह छोटा सा कपड़ा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें मानक जलपात्र का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय दो भिक्षु कोसल देश के मुख्य मार्ग पर यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक भिक्षु ने कोई पाप किया था। दूसरे ने उससे कहा, 'हे मेरे मित्र, ऐसा मत करो। यह उचित नहीं है।' पहले भिक्षु को उससे द्वेष हो गया। बाद में, प्यास से व्याकुल होकर दूसरे भिक्षु ने द्वेषी भिक्षु से कहा, 'हे मित्र, मुझे अपनी छलनी दे दो। मैं थोड़ा पानी पीने जा रहा हूँ।' द्वेषी भिक्षु ने उसे छलनी नहीं दी। दूसरे भिक्षु की प्यास से मृत्यु हो गई। तब वह भिक्षु विश्राम स्थल पर पहुँचकर उसने यह बात दूसरे भिक्षुओं को बताई।

'तो फिर क्या हुआ, महोदय? जब आपसे आपकी छलनी मांगी जाएगी, तो क्या आप उसे उधार नहीं देंगे?'

'जी हां, ऐसा ही है।'

जो भिक्षु संयमी थे, वे नाराज और परेशान हो गए और बड़बड़ाने लगे, 'एक भिक्षु अपनी छलनी मांगने पर उसे देने से कैसे इनकार कर सकता है?' और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में (आदि, हमेशा की तरह, उदाहरण के लिए चुलवग्ग प्रथम, 1, 2, आगे देखें) भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, यात्रा पर निकले भिक्षु को माँगे जाने पर छलनी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला दुक्कात का दोषी होगा। और हे भिक्षुओं, जिसके पास छलनी न हो, उसे यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाला दुक्कात का दोषी होगा। यदि छलनी या निर्धारित जलपात्र न हो, तो पीने से पहले छानने के लिए ऊपरी वस्त्र के कोने का उपयोग करना चाहिए।

3. अब भगवान बुद्ध सीधे यात्रा करते हुए उचित समय पर वैशाली पहुंचे। और वैशाली में भगवान बुद्ध महावन में कुटगार हॉल में ठहरे।

उस समय भिक्षु भवन निर्माण में लगे हुए थे; और छलनी ने कोई काम नहीं किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं दोहरी छलनी के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

डबल स्ट्रेनर ने काम नहीं किया।

'हे भिक्षुओं, मैं फिल्टर के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु मच्छरों से परेशान थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं मच्छरदानी के पर्दे के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (5.12) | अगला (5.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.13) | अगला (5.15) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-14.

1. उस समय वैशाली में मीठे भोजन की नियमित व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, जिसे गृहस्थ बारी-बारी से संपन्न करते थे। भिक्षु मीठे भोजन का सेवन करके शरीर में रसों की अधिकता के कारण बहुत बीमार हो गए।

अब जीवका कोमरभक्का वेशाली के पास गये

हे भिक्षुओं, मठ और स्नानागार के उपयोग का नियम बताओ।

2. उस समय भिक्षु ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर बने एक मठ में इधर-उधर चलते थे; और उनके पैरों में चोट लग जाती थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इसे समतल करने की अनुमति देता हूँ।'

मठ का तहखाना बहुत नीचा था, और वह पानी से भर गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऊँची तहखाना बनाने की अनुमति देता हूँ।'

तहखाने की दीवार गिर गई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार की आवरण सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ—ईंट की आवरण सामग्री, पत्थर की आवरण सामग्री और लकड़ी की आवरण सामग्री।'

उन्हें उसमें चढ़ने में कठिनाई हुई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार की सीढ़ियों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ—ईंट की सीढ़ियाँ, पत्थर की सीढ़ियाँ और लकड़ी की सीढ़ियाँ।'

जब वे ऊपर चढ़ रहे थे, तभी वे गिर गए।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, रेलिंग का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु मठ में इधर-उधर चलते हुए गिर पड़े।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें मठ के लिए रेलिंग बनाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु जब खुले में इधर-उधर चलते थे तो उन्हें गर्मी और सर्दी दोनों से परेशानी होती थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, मठ के लिए एक हॉल का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

पुआल और प्लास्टर (दीवारों और छत से) गिरकर मठ के हॉल में जा गिरे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पहले दीवारों और छत को खाल से ढकने और फिर उन पर प्लास्टर करने की अनुमति देता हूँ। (और मैं तुम्हें) सफेदी, काला रंग, लाल रंग, मालाओं, लताओं, हड्डियों के हुक, अलमारियों, वस्त्र टांगने के लिए बांस और वस्त्र टांगने के लिए डोरियों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

3. [तहखाने से लेकर रेलिंग तक का पूरा विवरण गर्म स्नानघर की पुनरावृति है।]

स्नानघर में कोई दरवाजा नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें द्वार का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ, जिसमें द्वार के खंभे और चौखट हों, और जिसमें (द्वार के घूमने के लिए) मोर्टार के समान खोखले भाग हों, और आगे निकले हुए भाग हों।'

उन खोखले हिस्सों में घूमते हुए, दरवाजे पर छल्ले लगे होते हैं जिनमें बोल्ट काम करता है, दरवाजे के चौखट के किनारे पर लकड़ी का एक ब्लॉक लगा होता है जिसमें बोल्ट के लिए एक खांचा होता है (जिसे बंदर का सिर कहा जाता है), एक पिन (बोल्ट को सुरक्षित करने के लिए), एक जोड़ने वाला बोल्ट, एक चाबी का छेद, दरवाजे को बंद करने के लिए रस्सी का छेद, और उस उद्देश्य के लिए एक रस्सी।

बाथरूम की मिट्टी और लकड़ी से बनी दीवार का निचला हिस्सा (नमी के कारण) सड़ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दीवार के निचले आधे भाग (ईंटों से निर्मित) की ओर मुख करके खड़े होने की अनुमति देता हूँ।'

बाथरूम में चिमनी नहीं थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें चिमनी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षुओं ने एक छोटे से स्नानागार के बीच में एक चूल्हा बना दिया था, और स्नान करने के लिए कोई जगह नहीं थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें छोटे स्नानागार के एक तरफ और बड़े स्नानागार के बीच में चूल्हा बनाने की अनुमति देता हूँ।'

बाथरूम में लगी आग से उनके चेहरे झुलस गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपने चेहरों पर मिट्टी लगाने की अनुमति देता हूँ।'

उन्होंने अपने हाथों में मिट्टी को गीला किया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें मिट्टी को नम करने के लिए एक कुंड का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

मिट्टी से दुर्गंध आ रही थी।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, इसकी सुगंध लेने की अनुमति देता हूँ।'

बाथरूम में लगी आग से उनके शरीर झुलस गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपने ऊपर जल डालने की अनुमति देता हूँ।'

उन्होंने थालियों और भिक्षापात्रों से पानी उंडेल दिया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें जल रखने के लिए एक स्टैंड और जल डालने के लिए तश्तरियाँ प्रदान करता हूँ।'

घास-फूस की छत वाले स्नानघर में पसीना नहीं आता था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें स्नानागार की छत को (चमड़ों से) ढकने और उसे भीतर और बाहर से प्लास्टर करने की अनुमति देता हूँ।'

बाथरूम दलदली हो गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार के फर्श बिछाने की अनुमति देता हूँ—ईंट का फर्श, पत्थर का फर्श और लकड़ी का फर्श।'

फिर भी वह दलदली बन गया।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, फर्श धोने की अनुमति देता हूँ।'

पानी फर्श पर जम गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें जल निकासी के लिए नाली का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु स्नानागार में जमीन पर बैठे थे और उनके अंगों में झुनझुनी हो रही थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें स्नानघर में स्टूल का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय स्नानघर के चारों ओर कोई घेरा नहीं था।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, इसे तीन प्रकार की दीवारों से घेरने की अनुमति देता हूँ—ईंट की दीवारें, पत्थर की दीवारें और लकड़ी की बाड़।'

4. वहां कोई प्रतीक्षाकक्ष नहीं था (जिसमें पानी रखा जा सके)।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, एक प्रतीक्षाकक्ष रखने की अनुमति देता हूँ।'

प्रवेश कक्ष का तहखाना बहुत नीचा था, और वह पानी से भर गया था [और इसी तरह, जैसा कि II. 6 में है, और अंतिम खंड में दरवाजे के वर्णन के अंत तक, उसके बाद II. 6 और §-2 के समापन शब्द 'पुआल और प्लास्टर गिर गया, आदि' से लेकर 'अलमारियों' तक]।

5. वह कोशिका दलदली हो गई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इस पर बजरी बिछाने की अनुमति देता हूँ।'

वे कुछ भी हासिल करने में सफल नहीं हुए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इसे पत्थर से लेप करने की अनुमति देता हूँ।'

पानी फर्श पर जम गया।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, इसमें से पानी निकालने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (5.13) | अगला (5.15) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.14) । अगला(5.16) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-15.

1. उस समय भिक्षु नग्न अवस्था में एक दूसरे को प्रणाम करते और प्रणाम ग्रहण करते थे; एक दूसरे की सेवा करते और सेवा ग्रहण करते थे; एक दूसरे को देते और लेते थे; कठोर और नरम दोनों प्रकार का भोजन करते थे; चखते और पीते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, नग्न अवस्था में पुरुष को न तो प्रणाम करना चाहिए और न ही प्रणाम ग्रहण करना चाहिए; न तो सेवा करनी चाहिए और न ही सेवा ग्रहण करनी चाहिए; न तो कुछ देना चाहिए और न ही कुछ लेना चाहिए; न तो कठोर भोजन खाना चाहिए और न ही नरम; न ही कुछ चखना चाहिए और न ही कुछ पीना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(5.14) । अगला(5.16) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.16
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.15) । अगला (5.17) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-16.

1. उस समय स्नानागार में भिक्षुओं ने अपने वस्त्र जमीन पर रख दिए, जिससे वे वस्त्र गंदे हो गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपने वस्त्र टांगने के लिए बांस और रस्सी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

जब बारिश हुई, तो वह वस्त्रों के ऊपर गिरी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें स्नानागार तक जाने के लिए एक मार्ग की अनुमति देता हूँ।'

स्नानघर के हॉल का तहखाना बहुत नीचा था [आदि, जैसा कि 11. 6; 14. 2 में तहखाने, छत के सामने, सीढ़ियों और रेलिंग के बारे में है, इसके बाद 11. 6 और 14. 2 के समापन शब्द, अंत तक]।

2. उस समय भिक्षु स्नानघर और जल दोनों में एक दूसरे की सेवा करने से डरते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार के आवरणों की अनुमति देता हूँ—स्नानघर का आवरण, जल का आवरण और वस्त्रों का आवरण।'

उस समय स्नानघर में पानी नहीं था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। हे भिक्षुओं, मैं एक कुआँ खोलने की अनुमति देता हूँ।

कुएं का मुख भाग धंस गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कुएँ में अस्तर लगाने की अनुमति देता हूँ।'

तीन प्रकार की बाहरी परतें—ईंट की बाहरी परत, पत्थर की बाहरी परत और लकड़ी की बाहरी परत।

[इसके बाद ऊंचे तहखाने, छत की दिशा, सीढ़ियों और रेलिंग से संबंधित अनुच्छेद आते हैं, जैसा कि 11.6; 14.2; और ऊपर, §-1 2 में है।]

उस समय भिक्षु जंगल की रस्सी या अपनी कमरबंद से पानी भरते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पानी निकालने के लिए रस्सी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

रस्सी से उनके हाथों में चोट लग गई थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उत्तोलक के रूप में संतुलित लंबे डंडे, बैलगाड़ी या पहिए और धुरी का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

कई बर्तन टूट गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार के जलपात्रों की अनुमति देता हूँ—पीतल के पात्र, लकड़ी के पात्र और चमड़े के पात्र।'

उस समय भिक्षु खुले में पानी भरते समय गर्मी और सर्दी दोनों से पीड़ित होते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कुएँ के ऊपर एक झोपड़ी बनाने की अनुमति देता हूँ।'

कुएं के ऊपर बनी इमारत में भूसा और प्लास्टर गिर गया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कुटिया को खालों से ढकने और भीतर एवं बाहर से प्लास्टर करने की अनुमति देता हूँ; और मैं तुम्हें सफेदी, काला रंग, लाल रंग, मालाओं का काम, लताओं का काम, अलमारियाँ, वस्त्र टांगने के लिए बांस और वस्त्र टांगने के लिए डोरियों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

कुआँ खुला हुआ था और उस पर घास, प्लास्टर और मिट्टी बिखरी हुई थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कुएँ पर ढक्कन लगाने की अनुमति देता हूँ।'

जलयान अपर्याप्त पाए गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कुंडों और कुंडों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (5.15) | अगला (5.17) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.17

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.16) | अगला(5.18) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-17.

1. उस समय भिक्षु पूरे अरमा (मठ) में कहीं भी स्नान करते थे, और अरमा कीचड़ से भर गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (आराम के प्रवेश द्वार पर) एक कुंड की अनुमति देता हूं।'

वह कुंड सार्वजनिक था, और भिक्षुओं को उसमें स्नान करने में शर्म आती थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इसे तीन प्रकार के घेरों से घेरने की अनुमति देता हूँ—ईंट की दीवारें, पत्थर की दीवारें और लकड़ी की बाड़।'

तालाब में कीचड़ भर गया।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, इस पर तीन प्रकार के फर्श लगाने की अनुमति देता हूँ—ईंट का फर्श, पत्थर का फर्श या लकड़ी का फर्श।'

पानी स्थिर हो गया।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, एक नाली की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षुओं के अंग ठंडे पड़ गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तौलिये का उपयोग करने और कपड़े से पानी पोंछने की अनुमति देता हूं।'

2. उस समय एक उपासक संघ के उपयोग के लिए एक तालाब बनवाना चाहता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक तालाब की अनुमति देता हूं।'

टैंक के किनारे धंस गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तालाब की तीन प्रकार की सामग्री से प्रांगण बनाने की अनुमति देता हूँ—ईंट की प्रांगण, पत्थर की प्रांगण और लकड़ी की प्रांगण।'

उन्हें इसमें प्रवेश करने में कठिनाई हुई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार की सीढ़ियों की अनुमति देता हूँ—ईंट की सीढ़ियाँ, पत्थर की सीढ़ियाँ और लकड़ी की सीढ़ियाँ।'

उन पर चढ़ते समय वे गिर गए।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, एक रेलिंग की अनुमति देता हूं।'

टंकी का पानी बासी हो गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पानी बिछाने और पानी निकालने के लिए पाइपों का उपयोग करने की अनुमति देता हूं।'

उस समय एक भिक्षु संघ के उपयोग के लिए नीलेखा की छत वाला स्नानागार बनवाना चाहता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इस प्रकार की छत वाला स्नानागार रखने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.16) । अगला(5.18) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.18
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.17) । अगला(5.19) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-18.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने उन चटाइयों से विमुख होकर अपना स्थान बदल लिया जिन पर वे चार महीने तक बैठे रहते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, चार महीने तक अपनी चटाई से अलग मत रहो।

नीचे। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु फूलों से सजी पलंगों पर सोने के लिए लेट गए।

विहारों में दर्शन के लिए आने वाले लोगों ने इसे देखा और बुदबुदाते हुए कहा, 'ऐसा लगता है जैसे वे लोग अभी भी सांसारिक सुखों में लिप्त हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें फूलों से सजी पलंगों पर नहीं सोना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय लोग आराम में इत्र और मालाएँ लेकर आते थे। भिक्षु उन्हें स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उन्हें ठेस पहुँचेगी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम सुगंध ग्रहण करो और उसे द्वार पर पाँच उंगलियों की चौड़ाई तक लगाओ; और फूल ग्रहण करो और उन्हें विहार में एक तरफ रख दो।'

<<<< पिछला(5.17) । अगला(5.19) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.19
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.18) । अगला (5.20) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-19.

1. उस समय संघ के पास फेल्ट का एक आवरण आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, एक आवरण प्रदान करता हूँ।'

भिक्षुओं ने विचार किया कि क्या आवरण ऐसी वस्तु है जिसे प्रत्येक भिक्षु अपने पास रख सकता है, या ऐसी वस्तु है जिसे समय-समय पर एक भिक्षु द्वारा दूसरे भिक्षु को सौंप दिया जाना चाहिए।

'हे भिक्षुओं, आवरण न तो अपनाना चाहिए और न ही सौंपना चाहिए।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु सजे हुए दीवानों पर लेटकर भोजन किया करते थे।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'जैसे कि वे अभी भी दुनियावी सुखों में लिप्त हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, सजे हुए दीवानों पर लेटकर भोजन न करें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षु बीमार था, और भोजन करते समय वह अपने कटोरे को हाथ में पकड़ने में असमर्थ था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं कटोरे के लिए स्टैंड के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु एक ही थाली में भोजन करते थे, एक ही पात्र में पानी पीते थे और एक ही पलंग, एक ही चादर या एक ही चटाई पर लेटते थे।

लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, इत्यादि।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें इनमें से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (5.18) । अगला (5.20) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.20
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.19) । अगला(5.21) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-20.

1. उस समय वद्ध लिच्छवी मेत्तिया और भूमगाक के अनुयायी भिक्षुओं के मित्र थे। वद्ध लिच्छवी उन भिक्षुओं के पास गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उनसे कहा, 'आप दोनों को मेरा प्रणाम!' उनके ऐसा कहने पर मेत्तिया और भूमगाक के अनुयायी भिक्षुओं ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी यही शब्द कहे, फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला।

'मैंने आपको कैसे नाराज किया है, महोदय? आप मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?'

'तुम, दोस्त, आराम से बैठे रहो जबकि डब्बा मल्लियन हमें परेशान कर रहा है।'

'लेकिन महोदय, मैं क्या कर सकता हूँ?'

'यदि तुम चाहो, मित्र, तो आज भगवान बुद्ध भी मल्लियन दब्बा को निष्कासित कर देते।'

'लेकिन मैं क्या करूँ, महोदय? मेरे बस में क्या है?'

"तो आओ, मित्र वद्धा। तुम उस स्थान पर जाओ जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान हैं, और वहाँ पहुँचकर इस प्रकार कहो: "हे प्रभु, यह उचित और शोभायमान नहीं है कि स्वर्ग का वह भाग जो सुरक्षित, संरक्षित और खतरे से मुक्त होना चाहिए,"

कि उसी दिशा से खतरा, विपत्ति और संकट उत्पन्न हो—कि जहाँ शांति की उम्मीद होनी चाहिए, वहीं आंधी आ जाए! मुझे लगता है कि पानी में आग लग गई है! मेरी पत्नी को मल्लियन डब्बा ने अपवित्र कर दिया है!

2. 'बहुत खूब, महोदय!' मेत्तिया और भूमगका के अनुयायियों की बात मानते हुए लिच्छवी वद्धा ने कहा। और वह भगवान बुद्ध के पास गया [और जैसा उसे निर्देश दिया गया था वैसा ही बोला]।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और पूज्य मल्लियन दब्बा से पूछा:

'क्या तुम्हें इस बात का एहसास है, डब्बा, कि तुमने ऐसा कुछ किया है जैसा कि यह वद्धा कह रहा है?'

'जैसा कि मेरे प्रभु, भगवान बुद्ध जानते हैं।'

[और दूसरी बार, और तीसरी बार, भगवान बुद्ध ने वही प्रश्न पूछा, और उन्हें वही उत्तर प्राप्त हुआ।]

'हे डब्बा, इस प्रकार इनकार मत करो। यदि तुमने ऐसा किया है, तो ऐसा कहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया है, तो कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया है।'

'हे प्रभु, जब से मेरा जन्म हुआ है, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी यौन संबंध बनाए हों, सपने में भी नहीं, जागते हुए तो बिल्कुल भी नहीं!'

3. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, संघ लिच्छवी वद्ध के आदर में प्याला नीचे झुका दे।'

और उसे संघ को दान देने के अयोग्य बना दें।

हे भिक्षुओं, जब कोई उपासक इन आठ बातों से युक्त हो, तो उसके प्रति पार्थिव कुंड को अस्वीकृत कर देना चाहिए;—जब वह भिक्षुओं को दान हानि पहुँचाने का प्रयास करे, जब वह भिक्षुओं को हानि पहुँचाने का प्रयास करे, जब वह भिक्षुओं को निवास स्थान से वंचित करने का प्रयास करे, जब वह भिक्षुओं का अपमान करे या उन पर कलंक लगाए, जब वह भिक्षुओं में फूट डाले;—जब वह बुद्ध की निंदा करे;—जब वह धम्म की निंदा करे;—जब वह संघ की निंदा करे। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऐसे उपासक के प्रति पार्थिव कुंड को अस्वीकृत करने की अनुमति देता हूँ जिसमें ये आठ बातें पाई जाती हों।

4. 'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इस प्याले को नीचे झुकाना है। किसी योग्य और विवेकशील भिक्षु को संघ के समक्ष यह बात रखनी चाहिए, और कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। वद्धा लिच्छवी ने आदरणीय मल्लियन दब्बा पर नैतिकता भंग करने का निराधार आरोप लगाया है। यदि संघ को समय उचित लगे, तो संघ वद्धा लिच्छवी के प्रति अपना प्रेम त्याग दे और उसे संघ से विमुख मान ले।"

"यह गति (नट्टी) है।"

"लिच्छवी वद्ध ने मल्लियन दब्बा पर नैतिकता भंग करने का निराधार आरोप लगाया है। संघ लिच्छवी वद्ध के प्रति प्याला अस्वीकार करता है और उन्हें संघ से संबंधहीन घोषित करता है। जो भी पूज्य पुरुष लिच्छवी वद्ध के प्रति प्याला अस्वीकार करने और उन्हें संघ से संबंधहीन घोषित करने का समर्थन करते हैं, वे मौन रहें। जो इसका समर्थन नहीं करते, वे बोलें।"

"संघ ने वद्धा लिच्छवी के संबंध में कटोरा अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि वे संघ से कोई संबंध नहीं रखते। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए संघ मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

5. तब पूज्य आनंद ने सुबह जल्दी वस्त्र धारण करके विधिवत वस्त्र धारण किए और लिच्छवी वद्ध के निवास पर गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने लिच्छवी वद्ध से कहा, 'हे मित्र वद्ध, संघ ने आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण रुख अपनाया है और आप संघ से संबंधहीन माने जाते हैं।' यह सुनकर लिच्छवी वद्ध तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े।

तब लिच्छवी वद्धा के मित्रों और साथियों तथा उनके रक्त संबंधियों ने उनसे कहा: 'बस करो, मित्र वद्धा। रोओ मत, विलाप मत करो। हम भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के बीच सुलह करा देंगे।'

और वद्धा लिच्छवी, अपनी पत्नी, बच्चों, मित्रों, साथियों और अपने सगोत्रों के साथ भीगे वस्त्रों और बहते बालों के साथ, उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा: 'हे प्रभु, पाप ने मुझे पराजित कर दिया है—मेरी कमजोरी, मेरी मूर्खता और मेरे अधर्म के कारण—कि मैंने बिना किसी आधार के मल्लियन दब्बा पर नैतिकता भंग करने का आरोप लगाया। हे प्रभु, मेरे पाप की इस पापमयता को स्वीकार करें, ताकि मैं भविष्य में इससे विमुख हो सकूँ।'

हे मित्र वद्धा, वास्तव में पाप ने तुम पर विजय प्राप्त कर ली है—तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारे अधर्म के अनुसार—क्योंकि तुमने मल्लियन डब्बा पर बिना किसी आधार के नैतिकता भंग करने का आरोप लगाया। परन्तु हे मित्र वद्धा, चूंकि तुम अपने पाप को पाप मानते हो और उसका उचित प्रायश्चित करते हो, इसलिए हम तुम्हारे इस पाप की स्वीकारोक्ति को स्वीकार करते हैं। हे मित्र वद्धा, यही लाभ है।

श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुशासन यह है कि जो व्यक्ति अपने पाप को पाप मानता है और उचित प्रायश्चित करता है, वह भविष्य में स्वयं को उससे विवश करने में सक्षम हो जाता है।

6. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'तो संघ लिच्छवी वद्ध के संबंध में फिर से कटोरा उठाए और उसे संघ के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे।'

हे भिक्षुओं, जब ये आठ बातें किसी उपासक का चरित्र दर्शाती हैं, तो उसके विषय में प्याला फिर से उलट देना चाहिए;—जब वह भिक्षुओं को दान की हानि न पहुँचाने का प्रयास न करे, जब वह भिक्षुओं को हानि न पहुँचाने का प्रयास न करे, जब वह भिक्षुओं को निवास स्थान से वंचित न करे, जब वह भिक्षुओं का अपमान या निंदा न करे, जब वह भिक्षुओं के बीच फूट न डाले;—जब वह बुद्ध की निंदा न करे;—जब वह धम्म की निंदा न करे;—जब वह संघ की निंदा न करे।

7. 'और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इस प्याले को ऊपर की ओर पलटना है। उस वद्ध लिच्छवी को संघ के आगे जाना चाहिए, अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर रखकर, नीचे बैठकर, और उसे ऊपर उठाना चाहिए।

हथेलियों को आपस में जोड़कर, उसे इस प्रकार बोलना चाहिए:

"संगठन ने मेरे विरुद्ध कटोरा ठुकरा दिया है, महोदय, और मैं संघ से संबंधहीन व्यक्ति के समान हो गया हूँ। महोदय, मैं उसी के अनुरूप उचित आचरण कर रहा हूँ, और मेरा मन क्षत-विक्षत है, मैं मुक्ति चाहता हूँ; और मैं संघ से निवेदन करता हूँ कि कटोरा पुनः मेरे विरुद्ध कर दिया जाए।"

और दूसरी बार उसे वही अनुरोध करना है, और तीसरी बार उसे वही अनुरोध उन्हीं शब्दों में करना है।

तब किसी विवेकशील और योग्य भिक्षु को संघ के समक्ष यह मामला रखते हुए कहना चाहिए,

"आदरणीय संघ मेरी प्रार्थना सुनिए। संघ ने लिच्छवी वद्ध के विरुद्ध प्याला ठुकरा दिया है, और वह उसी के अनुरूप आचरण कर रहा है, तथा उसका मन क्षुब्ध है, वह मुक्ति चाहता है, और संघ से प्याला फिर से उठाने का निवेदन करता है। यदि संघ को समय उचित लगे, तो संघ लिच्छवी वद्ध के संबंध में प्याला फिर से उठा दे, और उसे संघ के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति के समान मान ले।"

"यह गति (नट्टी) है।"

"आदरणीय संघ मेरी बात सुन ले। पहले की तरह ही प्याला नीचे झुका दिया गया है (आदि), और वह पहले की तरह ही आचरण कर रहा है (आदि), और वह संघ से निवेदन करता है (आदि)। संघ लिच्छवी वद्ध के संबंध में प्याला फिर से ऊपर उठाता है और उसे संघ के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति के रूप में मानता है। आदरणीयों में से जो भी इसे स्वीकार करे, वह मौन रहे; जो भी इसे स्वीकार न करे, वह बोले।"

"संघ ने वद्धा लिच्छवी के संबंध में कटोरा फिर से ऊपर उठा दिया है, और वह संघ के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति के समान है। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए यह मौन है। इस प्रकार मैं समझता हूँ।"

<<<< पिछला(5.19) | अगला(5.21) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.21
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.20) | अगला(5.22) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-21.

1. भगवान बुद्ध वैशाली में अपनी इच्छानुसार कुछ समय रहने के बाद भग्गा की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सीधे यात्रा करते हुए वे समय आने पर भग्गा पहुँचे। भग्गा में भगवान बुद्ध नाग पर्वत पर, भेषकला वन में स्थित आश्रम में रहने लगे।

उस समय राजा के पुत्र बोधि का महल, जिसे कोकनाड़ा कहा जाता था, अभी-अभी बनकर तैयार हुआ था और अभी तक न तो किसी भिक्षु, न ही किसी ब्राह्मण, और न ही किसी मनुष्य ने उसका उपयोग किया था। राजा के पुत्र बोधि ने संगिका स्त्री के पुत्र, युवा ब्राह्मण को आदेश दिया, 'आओ...'

अब, मेरे मित्र संगिका-पुत्त, तुम उस स्थान पर जाओ जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान हैं, और वहाँ पहुँचकर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करो, और मेरे नाम से यह पूछो कि क्या वे रोग और कष्टों से मुक्त हैं, और सुख-सुविधाओं और उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं, और कहो, "हे प्रभु, राजा के पुत्र बोधि आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और [जैसा मैंने कहा है] पूछते हैं, और निवेदन करते हैं: 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध कल का भोजन राजा के पुत्र बोधि के साथ, भिक्षुओं के संघ सहित, ग्रहण करने की कृपा करें।'"

“जी जी!” युवा ब्राह्मण संगिका-पुत्र ने राजा के पुत्र बोधि की बात मानते हुए कहा। फिर वह उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, और वहाँ पहुँचकर उसने भगवान बुद्ध से मित्रता और शिष्टाचार का अभिवादन किया। इसके बाद वह एक तरफ बैठ गया और राजा के पुत्र के आदेशानुसार उन्हें संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति दी।

2. जब युवा ब्राह्मण संगीक-पुत्त को पता चला कि भगवान बुद्ध ने सहमति दे दी है, तो वह अपने आसन से उठकर उस स्थान पर गया जहाँ राजा का पुत्र बोधि था। वहाँ पहुँचकर उसने उससे कहा: 'हे महोदय, हमने आपकी ओर से उस आदरणीय गौतम से बात की है (आदि, जैसा पहले कहा गया था), और हमें समना गौतम (बुद्ध) की सहमति प्राप्त हो गई है।'

फिर अंत में राजा के पुत्र बोधि ने तैयारी की।

उस रात मीठे व्यंजन, कठोर और नरम दोनों प्रकार के; तैयार करवाए और कोकनादा महल को प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों के अंतिम तख्ते तक सफेद वस्त्रों से ढकवा दिया; और युवा ब्राह्मण संगिका-पुत्त को आदेश दिया, "अब आओ, मेरे मित्र संगिका-पुत्त, तुम उस स्थान पर जाओ जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान हैं; और वहाँ पहुँचकर समय की घोषणा करते हुए कहो, 'हे प्रभु, भोजन तैयार है, और समय आ गया है।'"

'फिर भी, प्रभु,' संगिका-पुत्त ने सहमति जताते हुए कहा [और भगवान बुद्ध के पास जाकर तदनुसार घोषणा की]।

भगवान बुद्ध ने सुबह जल्दी वस्त्र धारण करके, विधिवत वस्त्र पहनकर राजा के पुत्र बोधि के महल की ओर प्रस्थान किया। उस समय राजा का पुत्र बोधि बाहरी द्वार के बरामदे पर भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए खड़ा था। उसने दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा; और उन्हें देखकर वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा, और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वह कोकनाड़ा महल में लौट आया।

अब भगवान बुद्ध प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों के अंतिम तख्ते पर रुक गए। राजा के पुत्र बोधि ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध इन वस्त्रों पर चलें। हे सुखी, इन वस्त्रों पर चलें, ताकि मुझे भी लंबे समय तक सुख और आनंद प्राप्त हो।'

और जब उन्होंने ऐसा कहा, तो भगवान बुद्ध चुप रहे। और दूसरी बार उन्होंने उसी निवेदन को उन्हीं शब्दों में उसी प्रकार दोहराया।

परिणाम]। और तीसरी बार उन्होंने [वही अनुरोध दोहराया]। तब भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद की ओर देखा।

और पूज्य आनंद ने राजा के पुत्र बोधि से कहा, 'हे राजकुमार, इन वस्त्रों को समेट लो। भगवान बुद्ध किसी भी अनुष्ठान के लिए बिछाए गए कपड़े के टुकड़े पर नहीं चलेंगे। तथागत (बुद्ध) तुच्छतम वस्तु पर भी दया करते हैं।'

3. तब राजा के पुत्र बोधि ने वस्त्र समेटे और कोकनाड़ा पर्वत की चोटी पर एक आसन बिछाया। भगवान बुद्ध कोकनाड़ा पर्वत पर आरोहित हुए और भिक्षु संघ के साथ वहाँ बिछे आसन पर बैठ गए। राजा के पुत्र बोधि ने अपने हाथों से भिक्षु संघ को, जिनके मुखिया बुद्ध थे, मीठे और नरम दोनों प्रकार के भोजन से तृप्त किया। जब भगवान बुद्ध ने अपना कुंड और हाथ धो लिए, तो बोधि एक तरफ बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें धर्म प्रवचन देते हुए उपदेश दिया, प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और प्रसन्न किया। जब उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया गया, प्रेरित किया गया, प्रोत्साहित किया गया और प्रसन्न किया गया...

धर्म प्रवचन के साथ, राजा का पुत्र बोधि अपने आसन से उठा और वहां से चला गया।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की सभा बुलाई, और धर्म प्रवचन देने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, अनुष्ठान के लिए बिछाए गए वस्त्र पर चलना मना है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

4. उसी समय एक स्त्री, जिसका गर्भपात हो गया था और जिसने भिक्षुओं को आमंत्रित किया था तथा उनके सम्मान में वस्त्र बिछाए थे, ने उनसे कहा, 'महोदय, कृपया वस्त्र के ऊपर से कदम रखें।'

भिक्षु, किसी को नाराज करने के डर से, ऐसा नहीं करते थे।

'महोदय, कृपया इस कपड़े के ऊपर से कदम रखें, सौभाग्य के लिए।'

भिक्षु, किसी को नाराज करने के डर से, ऐसा नहीं करते थे।

तब उस महिला ने बुदबुदाते हुए, नाराज़गी जताते हुए और आक्रोशित होकर कहा, 'जब उनसे सौभाग्य के लिए कपड़े पर कदम रखने का अनुरोध किया जाता है, तो उनके आदरणीय लोग ऐसा करने से कैसे इनकार कर सकते हैं?'

भिक्षुओं ने उस स्त्री के बड़बड़ाने, नाराज़ होने और क्रोधित होने के बारे में सुना। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गृहस्थों के सौभाग्य के लिए अनुरोध किए जाने पर, अनुष्ठानिक प्रयोजनों के लिए बिछाए गए वस्त्र पर से गुजरने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु पैर पोंछने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चटाई पर कदम रखने से डरते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पैर पोंछने के लिए इस्तेमाल होने वाली चटाई पर कदम रखने की अनुमति देता हूँ।'

यहां पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला(5.20) । अगला(5.22) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.22

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.21) । अगला(5.23) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-22.

1. जब भगवान बुद्ध भग्गा में अपनी इच्छानुसार समय बिता चुके, तब वे सावत्थी की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सीधे यात्रा करते हुए वे उचित समय पर सावत्थी पहुँचे और वहाँ सावत्थी में वे जेतवन में अनाथपिंडिका के आराम (मठ) में ठहरे।

मिगारा की माता विशाखा छोटे घड़े, मिट्टी के बने पैर साफ करने वाले और झाड़ू लेकर भगवान बुद्ध के पास गईं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गईं। वहाँ बैठकर विशाखा ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे भगवान बुद्ध, मेरे हाथों से ये वस्तुएँ स्वीकार करें, ताकि ये मेरे लिए दीर्घकाल तक आशीर्वाद और आनंद का स्रोत बनी रहें।" भगवान बुद्ध ने छोटे घड़े और झाड़ू स्वीकार कर लिए, परन्तु मिट्टी के बने पैर साफ करने वाले को स्वीकार नहीं किया।

तब भगवान बुद्ध ने निर्देश दिया (आदि, हमेशा की तरह, देखें 21.2, नीचे तक) और वह वहाँ से चली गईं। और भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में, धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें छोटे घड़े और झाड़ू रखने की अनुमति देता हूँ। हे भिक्षुओं, मिट्टी के बने पैर साफ करने वाले यंत्रों का प्रयोग मत करो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पैर रगड़ने के लिए तीन प्रकार की वस्तुएँ रखने की अनुमति देता हूँ—अर्थात बलुआ पत्थर, कंकड़ और समुद्री झाग।'

2. [इसी तरह का पैराग्राफ समाप्त हो रहा है]

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पंखे और फूलदान इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.21) | अगला(5.23) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.23
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.22) | अगला(5.24) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-23.

1. उस समय संघ के पास मच्छर भगाने वाला पंखा आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें मच्छर भगाने वाले पंखे का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

एक चुमारा (तिब्बती बैल की पूंछ, जिसे एक छड़ी पर लगाया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है)

मक्खियों को भगाने वाला एक सेवक संघ के कब्जे में आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, चामर का प्रयोग न करें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तीन प्रकार के चंवर की अनुमति देता हूँ - छाल से बने, उशीरा घास से बने और मोर की पूंछ (पंखों) से बने।'

2. [समान पैराग्राफ का अंत]

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें धूप से बचाव के लिए छाते का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बग्गिया भिक्षु धूप से बचने के लिए छाते लेकर घूम रहे थे। उसी समय एक उपासक अपने कुछ अनुयायियों (जो अजीवकों के अनुयायी थे) के साथ एक बगीचे में गए। अजीवकों के उन अनुयायियों ने दूर से छब्बग्गिया भिक्षुओं को धूप से बचने के लिए छाते लिए आते देखा; और उन्हें देखकर उन्होंने उस उपासक से कहा:

'क्या ये वही लोग हैं, महोदय, जिनका आप आदर करते हैं, जो राजकोष के स्वामी की तरह, अपने ऊपर धूप से बचाव के लिए छाता लिए हुए आ रहे हैं?'

'नहीं, महोदय। ये भिक्षु नहीं हैं; ये परिब्बाजक (भ्रमणशील भिक्षु) हैं।'

इसलिए उन्होंने शर्त लगाई कि वे भिक्षु हैं या नहीं। और जब उस उपासक ने उन्हें पहचान लिया, जब वे आए, तो वह बड़बड़ाया, नाराज़ हुआ और क्रोधित होकर बोला, 'ये ऋषि अपने ऊपर धूप से बचाव के लिए छाता लेकर कैसे घूम सकते हैं?'

भिक्षुओं ने उस उपासक के इस प्रकार बड़बड़ाने आदि के बारे में सुना।

और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, हे भिक्षुओं, जैसा कि वे कहते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

महान बुद्ध ने उन्हें फटकारा और कहा (आदि, हमेशा की तरह, देखें I, 1, 2, 3)। और जब उन्होंने उन्हें फटकारा और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, अपने ऊपर धूप से बचाव के लिए छाता न लगवाएं। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

3. उस समय एक भिक्षु बीमार था, और उसके ऊपर धूप से बचाव के लिए कोई छांव न होने के कारण वह बेचैन था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं बीमारों के लिए धूप से बचाव की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु यह सोचकर कि 'भगवान बुद्ध ने केवल बीमारों के लिए ही धूप से बचने के लिए छांव की अनुमति दी है, न कि स्वस्थ लोगों के लिए,' आराम में या आराम के परिसर में धूप से बचने के लिए छांव का उपयोग करने से डरते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं बीमार व्यक्ति को, या स्वस्थ व्यक्ति को भी, आराम में या आराम के परिसर में अपने ऊपर धूप से बचाव के लिए छाता रखने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.22) । अगला(5.24) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.24
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.23) । अगला(5.25) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-24.

1. उस समय एक भिक्षु ने अपने पानपात्र को रस्सी से बांधकर एक लाठी पर लटका दिया और दोपहर के बाद एक गाँव के द्वार से बाहर निकला। लोग चिल्लाते हुए बोले, 'देखो, चोर जा रहा है; उसकी तलवार चमक रही है!' और उसे पकड़ लिया। लेकिन पहचान कर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह भिक्षु आराम लौटकर अन्य भिक्षुओं को यह बात बताई।

'तो फिर, महोदय, आप अपने साथ रस्सी से बंधी हुई छड़ी क्यों रखते थे?'

'जी हां, ऐसा ही है।'

वे भिक्षु जो संयमी थे, उन्होंने बड़बड़ाया (आदि, हमेशा की तरह, देखें I, 1, 2, 3) . . . . भगवान बुद्ध से कहा . . . उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा:

'हे भिक्षुओं, तुम्हें रस्सी से बंधी हुई लाठी लेकर नहीं चलना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय एक भिक्षु बीमार था और वह बिना लाठी के इधर-उधर नहीं जा सकता था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें बीमार भिक्षु को लाठी का प्रयोग करने की अनुमति (इजाज़त) देने की अनुमति देता हूँ। और हे भिक्षुओं, इस प्रकार अनुमति दी जानी चाहिए। हे भिक्षुओं, उस बीमार भिक्षु को संघ में जाना चाहिए [यहाँ कम्मवक के शब्द ठीक वैसे ही हैं जैसे V, 20, 7 में हैं]'

3. [इसी तरह के अनुच्छेद जो कम्मवकस के साथ समाप्त होते हैं, कटोरे को रस्सी से उठाने और लाठी और रस्सी दोनों से उठाने की अनुमति देते हैं।]

<<<< पिछला(5.23) | अगला(5.25) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.25
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.24) | अगला(5.26) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-25.

1. उस समय एक भिक्षु जुगाली करता था, और वह लगातार जुगाली करते हुए अपने पशुओं के चारे को चबाता रहता था।

भिक्षु आपस में बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हुए और क्रोधित होकर बोले, 'यह भिक्षु समय के बाहर भोजन करता है।' और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, यह भिक्षु कुछ ही समय पहले बैल की अवस्था से मुक्त हुआ है। हे भिक्षुओं, मैं जुगाली करने वाले पशुओं को जुगाली करने की अनुमति देता हूँ। परन्तु हे भिक्षुओं, मुख के द्वार से बाहर लाई गई किसी भी वस्तु को इस प्रकार चबाया नहीं जाना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।'

<<<< पिछला(5.24) | अगला(5.26) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.26
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.25) | अगला(5.27) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-26.

1. उस समय एक निश्चित भीड़ थी

संघ को भोजन उपलब्ध कराने का विशेषाधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी, और भोजन कक्ष में चावल के कई टुकड़े गिरने दिए गए थे।

लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हुए और आक्रोशित होकर कहने लगे, 'शाक्य-पुत्रीय भिक्षुओं को जब भोजन दिया जा रहा है, तो वे उसे इतनी लापरवाही से कैसे ग्रहण कर सकते हैं? चावल का प्रत्येक एक दाना सौ गुना परिश्रम का परिणाम है!'

भिक्षुओं ने लोगों को इस प्रकार बड़बड़ाते हुए सुना, और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हें देते समय गिर जाए, उसे तुम स्वयं उठा लो और खा लो। हे भिक्षुओं, वह तुम्हें देने वालों द्वारा भेंट किया गया है।'

<<<< पिछला(5.25) | अगला(5.27) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.27
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.26) | अगला(5.28) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-27.

1. उस समय एक भिक्षु लंबे नाखूनों के साथ भिक्षा मांगने निकला। एक स्त्री ने उसे देखकर उस भिक्षु से कहा: 'श्रीमान, मेरे साथ आइए और मुझसे संबंध बनाइए।'

'नहीं, बहन, यह उचित नहीं है।'

'यदि आप ऐसा नहीं करते, महोदय, तो मैं तुरंत अपने नाखूनों से अपने अंगों को खरोंच लूंगा, और क्रोधित होने का नाटक करते हुए कहूंगा, "इस भिक्षु ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है।"'

'बहन, इस बात को अपने आप से सुलझा लो।'

उस स्त्री ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और लोग दौड़कर आए और उस भिक्षु को पकड़ लिया। फिर उन्होंने स्त्री के नाखूनों पर चमड़ी और खून देखा; और यह देखकर उन्होंने भिक्षु को यह कहते हुए छोड़ दिया, 'यही वह भिक्षु है।'

यह काम उस स्त्री ने स्वयं किया है। भिक्षु ने नहीं किया है।

तब वह भिक्षु आराम में लौटकर अन्य भिक्षुओं को यह बात बताई।

'तो फिर, महोदय, आप लंबे नाखून क्यों पहनते हैं?'

'जी हां, ऐसा ही है।'

जो भिक्षु संयमी थे, उन्होंने बुदबुदाते हुए (आदि...) यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय भिक्षुओं ने अपने नाखूनों को नाखूनों से नोंचकर, दांतों से काटकर या दीवार पर रगड़कर निकाल दिया; जिससे उनकी उंगलियों को चोट लगी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, नाखून काटने वालों।'

उन्होंने अपने नाखून खून निकलने तक काट लिए थे, और उनकी उंगलियों में चोट लग गई थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपने नाखूनों को मांस की लंबाई के अनुसार काटने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु अपने हाथों और पैरों के सभी बीस नाखूनों को पॉलिश करवाते थे।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'उन लोगों की तरह जो अभी भी दुनियावी सुखों में लिप्त हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें बीस नाखूनों को चमकाने की अनुमति नहीं है। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें केवल उन पर से मैल हटाने की अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय भिक्षुओं के बाल लंबे हो गए थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या भिक्षु एक दूसरे के बाल हटा सकते हैं?'

'हे प्रभु, वे हैं।'

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में, धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तरकश, तरकश को तेज करने के लिए धार, जंग से बचाने के लिए सिपातिका गोंद से तैयार पाउडर, तरकश को रखने के लिए म्यान और नाई के सभी उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

4. उस समय छब्बागिया भिक्षु (हमेशा की तरह) ये वस्त्र पहनते थे।

हे भिक्षुओं, नाई से दाढ़ी न कटवाएं, न उसे लंबा बढ़ने दें, न उसे बकरी की दाढ़ी की तरह ठुड्डी पर लंबा रखें, न उसे इस प्रकार काटें कि उसके चार कोने हों, न छाती के बाल काटें, न पेट के बाल आकृति के रूप में काटें, न मूंछें रखें, न गुप्तांगों के बाल हटाएं। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा।

उस समय एक भिक्षु को फिस्टुला हो गया था, और उस पर मरहम नहीं लग रहा था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, रोग के कारण मैं तुम्हें गुप्तांगों से बाल हटाने की अनुमति देता हूँ।'

5. उस समय छब्बागिया भिक्षु (और इसी प्रकार, पहले की तरह)

'हे भिक्षुओं, तुम्हें अपने बाल चाकू से नहीं कटवाने चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षु के सिर पर एक घाव था, और उस बाल को उस्तरे से भी नहीं हटाया जा सकता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, रोग के कारण मैं तुम्हें चाकू से अपने बाल कटवाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु अपनी नाक के बालों को लंबा रखते थे।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'शैतान की पूजा करने वालों की तरह।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, नथुनों के बाल लंबे न रखें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षु अपनी नाक के बालों को मिट्टी के बर्तन के टुकड़े या मोम से खींचकर निकालते थे; जिससे उनकी नाक में दर्द होता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, चिमटे का उपयोग करने की अनुमति देता हूं।'

अब उस समय छब्बागिया भिक्षु (आदि; पहले की तरह, के साथ समाप्त)

'हे भिक्षुओं, अपने सिर के सफेद बाल न नोंचें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

6. उस समय एक भिक्षु के कान मोम से बंद थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कान से मोम निकालने के लिए एक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

[फिर महावग्ग VI, 6, 21; 12, 3; चुलवग्ग V, 5, 2; 29, 2, आदि के अनुसार, उन पदार्थों के बारे में एक अनुच्छेद, जिनसे इसे बनाया जा सकता है।]

<<<< पिछला(5.26) | अगला(5.28) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.28
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.27) | अगला(5.29) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-28.

1. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं ने पीतल और तांबे के बर्तनों का बहुत भंडार जमा किया।

विहारों में दर्शन के लिए आने वाले लोग इसे देखकर आपस में बड़बड़ाने लगे, इत्यादि, और कहने लगे, 'जैसे वे लोग तांबा (बेचने के लिए) फैलाते हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें पीतल और तांबे के बर्तनों का अधिक भंडार नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय भिक्षु आँखों में मरहम लगाने के लिए डिब्बों का उपयोग करने से, उसे लगाने के लिए छोटी चपटी छड़ियों का उपयोग करने से, कान से मोम निकालने के उपकरणों का उपयोग करने से और (रेज़र, डंडे आदि के लिए) हैंडल का उपयोग करने से डरते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, इन वस्तुओं का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु अपनी कमर की चादरों (जिन्हें गद्दी की तरह बिछाया गया था) पर आराम से बैठ गए, और कमर की चादरों के किनारे घिस गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, इस प्रकार आलस्य मत करो। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षु बीमार था, और कुछ हस्तशिल्प के बिना वह बेचैन था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें करघे, शटल, डोरी, टिकट और करघे से संबंधित सभी उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.27) | अगला(5.29) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.29
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.28) | अगला (5.30) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-29.

1. उस समय एक भिक्षु बिना कमरबंद पहने भिक्षा मांगने के लिए गांव में दाखिल हुआ, और सड़क पर उसका कमरबंद गिर गया। लोगों ने शोर मचाया, और वह भिक्षु लज्जित हो गया।

आराम (मठ) में लौटने पर उस भिक्षु ने यह बात अन्य भिक्षुओं को बताई, और भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, बिना कमरबंद के गाँव में प्रवेश करना मना है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं कमरबंद पहनने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षु (आदि, हमेशा की तरह, अंत में) धारण करते थे।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें विशेष कमरबंद नहीं पहनना है—वे कमरबंद जो अनेक डोरियों से बुने हुए होते हैं।'

एक साथ, वे कमरबंद जो जल-सम्मोहन के सिर के समान बने हों, जिन पर डफली लगी हो, जिन कमरबंदों पर मनके लगे हों (या जिन पर आभूषण लटके हों)। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दो प्रकार के कमरबंद पहनने की अनुमति देता हूँ - एक कपड़े की पट्टियों से बने हुए, और दूसरे...

कमरबंद के किनारे उम्र के साथ-साथ क्षीण होते चले गए।

'हे भिक्षुओं, मैं किनारों पर अधिक चमकीली सामग्री की परत चढ़ाने और सिरों को मजबूत करने की अनुमति देता हूँ।'

कमरबंद का वह सिरा जहां गांठ बंधी थी, समय के साथ गलने लगा।

'मैं भिक्षुओं को एक बकल लगाने की अनुमति देता हूँ।'

[इसमें जिन पदार्थों से इसे बनाया जा सकता है, उन पर एक अनुच्छेद, हमेशा की तरह, महावग्ग VI, 12, 3; चुलवग्ग V, 5, 2, आदि देखें]

अंत में 'और धागे से बना हुआ' जोड़ते हुए।

3. उस समय पूज्य आनंद हल्के वस्त्र पहने हुए भिक्षा मांगने गांव गए और उनके वस्त्र बवंडर से उड़ गए।

आदरणीय आनंद ने आराम लौटकर यह बात भिक्षुओं को बताई; और भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं एक पत्थर (वजन के रूप में प्रयोग करने के लिए) या एक जंजीर की अनुमति देता हूँ।'

[ऊपर दिए गए अनुच्छेद के समान ही, इस अनुच्छेद में उन पदार्थों का वर्णन है जिनसे ब्लॉक बनाया जा सकता है।]

उस समय भिक्षुओं ने तुरंत उस ब्लॉक या जंजीर को अपने वस्त्रों से बांध लिया; और वस्त्र फट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपको फलक वस्त्र का एक टुकड़ा रखने की अनुमति देता हूँ जिससे आप ब्लॉक या चेन को जोड़ सकें।'

उन्होंने ब्लॉक या चेन के लिए फलाका कपड़े को चोगे के किनारे पर बांध दिया; और कोना खुल गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम ब्लॉक के लिए फलक वस्त्र को वस्त्र के किनारे पर बाँध लो, और चेन के लिए फलक वस्त्र को वस्त्र से सात या आठ उंगल ऊपर बाँध लो।'

4. उस समय छब्बागिया भिक्षु (आदि, हमेशा की तरह, अंत में) धारण करते थे।

हे भिक्षुओं, गृहस्थों की तरह अंतर्वस्त्र न पहनें, न ही उन्हें हाथी की सूंड की तरह व्यवस्थित करें, न ही मछली पकड़ने के जाल की तरह, न ही चारों कोने खुले हुए, न ही फूलों की माला की तरह, न ही आभूषणों की पंक्तियों की तरह। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा।

[इसी तरह का पैराग्राफ, अंत]

'हे भिक्षुओं, गृहस्थों की तरह ऊपरी वस्त्र न पहनें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

5. [इसी तरह का पैराग्राफ, अंत]

'हे भिक्षुओं, राजा के द्वारपालों की तरह अंतर्वस्त्र मत पहनो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (5.28) | अगला (5.30) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.30
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.29) | अगला(5.31) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-30.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षु दोहरा पिंगो (कंधों पर भार ढोने वाला जुआ) धारण करते थे।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'राजा के द्वारपालों की तरह।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, दो पिंगो ले जाना मना है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक पिंगो, दो भारवाहकों के लिए एक पिंगो, और अपने सिर पर, कंधों पर, कूल्हों के सहारे, और पीठ पर भार लटकाकर ले जाने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.29) | अगला(5.31) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.31
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (5.30) | अगला (5.32) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-31.

1. उस समय भिक्षु दांत साफ करने वाली छड़ियों का प्रयोग नहीं करते थे, और उनके मुंह से दुर्गंध आने लगी थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, दाँत साफ करने वाली छड़ियों का उपयोग न करने के ये पाँच नुकसान हैं—यह आँखों के लिए हानिकारक है—मुँह से दुर्गंध आती है—भोजन के स्वाद के मार्ग शुद्ध नहीं होते—पित्त और कफ भोजन में मिल जाते हैं—और भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगता (जो इनका उपयोग नहीं करता)। हे भिक्षुओं, दाँत साफ करने वाली छड़ियों का उपयोग न करने के ये पाँच नुकसान हैं।

हे भिक्षुओं, इसके पाँच लाभ हैं (आदि, जो पिछले कथन का विलोम है)।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दांत साफ करने वाली छड़ें देता हूँ।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षु लंबी दाँतों वाली छड़ियों का प्रयोग करते थे; और उनसे समनेरों को मारते भी थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें लंबी दाँतों वाली छड़ियों का प्रयोग नहीं करना है।'

जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आठ उंगलियों की लंबाई तक की दाँतों की छड़ें रखने की अनुमति देता हूँ। और समनेरों को उनसे नहीं मारा जाना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।

उस समय एक भिक्षु ने बहुत छोटी लकड़ी का इस्तेमाल किया, जो उसके गले में फंस गई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आपको बहुत छोटी दाँथनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको कम से कम चार उँगली लंबी दाँथनी का प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (5.30) | अगला (5.32) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.32

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.31) | अगला(5.33) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-32.

1. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने जंगल में आग लगा दी।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'जैसे कोयले जलाने वाले।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें लकड़ियों में आग नहीं लगानी चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय विहार घास के घने आवरण में छिपे हुए थे, और जब जंगल में आग लगी तो विहार जल गए। भिक्षुओं ने किसी को नाराज करने के डर से अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी आग नहीं जलाई।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, जब जंगल खुले हों।'

जवाबी कार्रवाई करने के लिए आग लगाओ, और इस प्रकार अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षु वृक्षों पर चढ़ गए और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदने लगे।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'बंदरों की तरह।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, वृक्षों पर चढ़ना मना है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय कोसल देश में एक भिक्षु श्रावस्ती जा रहे थे, तभी रास्ते में एक हाथी उनका पीछा करने लगा। भिक्षु ने पेड़ की तलहटी में शरण ली, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हाथी नाराज न हो जाए, इसलिए वे पेड़ पर नहीं चढ़े। हाथी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गया।

उस भिक्षु ने सावत्थी पहुंचकर यह बात अन्य भिक्षुओं को बताई (और भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई)।

'हे भिक्षुओं, जब कोई कार्य करना हो तो मैं तुम्हें मनुष्य की ऊँचाई तक वृक्ष पर चढ़ने की अनुमति देता हूँ; और दुर्भाग्य की स्थिति में तुम जितनी ऊँचाई तक चाहो चढ़ सकते हो।'

<<<< पिछला(5.31) | अगला(5.33) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.33
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.32) | अगला(5.34) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-33.

1. उस समय यमेलु और टेकुला नाम के दो भिक्षु भाई थे, जो जन्म से ब्राह्मण (पुजारी) थे और वाणी एवं उच्चारण में निपुण थे। वे भगवान बुद्ध के स्थान पर गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। वहाँ बैठे हुए उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'हे प्रभु, वर्तमान समय में नाम, वंश, जन्म और परिवार में भिन्नता वाले भिक्षु संसार से निकले हैं। ये अपनी-अपनी बोली में बुद्धों के वचन को दोहराकर उन्हें विकृत कर रहे हैं। हे प्रभु, आइए हम बुद्धों के वचन को छंदो (वर्तमान में संस्कृत) छंदों में पिरोएं।'

'हे मूर्ख लोगो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, "हे प्रभु, आइए हम बुद्धों के वचनों को छंदों में पिरोएँ?" हे मूर्ख लोगो, इससे न तो अधर्मियों का धर्म परिवर्तन होगा और न ही धर्मान्तरितों की संख्या बढ़ेगी; बल्कि इससे अधर्मी लोग धर्मान्तरित ही रहेंगे और जो धर्मान्तरित हो चुके हैं वे विमुख हो जाएँगे।'

और जब भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को फटकार लगाई और धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, बुद्धों के वचनों को छंदो (वर्तमान में संस्कृत) पद्य में न ढालें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आप सभी को बुद्धों के वचनों को अपनी-अपनी बोली में सीखने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं ने लोकायत प्रणाली सीखी।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'उन लोगों की तरह जो अब भी दुनिया के सुखों का आनंद लेते हैं!'

भिक्षुओं ने लोगों को इस प्रकार बड़बड़ाते हुए सुना; और उन भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या लोकायत को मूल्यवान मानने वाला व्यक्ति इस सिद्धांत और अनुशासन का पूर्ण लाभ उठा सकता है, या इसमें पूर्ण विकास प्राप्त कर सकता है, या इसमें पूर्ण व्यापकता प्राप्त कर सकता है?'

'हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता।'

'या क्या वह व्यक्ति जो इस सिद्धांत और अनुशासन को मूल्यवान मानता है, लोकायत प्रणाली सीख सकता है?'

'हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता।'

'हे भिक्षुओं, तुम्हें लोकायत पद्धति का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कत का दोषी होगा।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु लोकायत प्रणाली का शिक्षण करते थे।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'ये तो उन लोगों की तरह हैं जो अभी भी दुनिया के सुखों का आनंद ले रहे हैं!'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आपको लोकायत प्रणाली का शिक्षण नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कत का दोषी होगा।'

[पिछले पैराग्राफ के समान, समापन पैराग्राफ]

'हे भिक्षुओं, तुम्हें निम्न स्तर की कलाओं (भविष्यवाणी, मंत्रोच्चार, शकुन, ज्योतिष, देवताओं को यज्ञ, जादू टोना और कुटिल चिकित्सा) को सीखना या सिखाना नहीं चाहिए।'

3. उस समय जब भगवान बुद्ध एक विशाल सभा से घिरे हुए धम्म का उपदेश दे रहे थे, तभी उन्हें छींक आ गई। भिक्षुओं ने एक ज़ोरदार जयजयकार किया, 'भगवान बुद्ध की जय हो! सुखी भगवान की जय हो!' और इस जयजयकार से प्रवचन बाधित हो गया। तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा:

'अब, हे भिक्षुओं, यदि किसी व्यक्ति के छींकने पर कोई उससे कहे, "तुम्हारी आयु दीर्घ हो," तो क्या वह उस कारण से जी सकता है या मर सकता है?'

'ऐसा नहीं है, प्रभु।'

'हे भिक्षुओं, छींक आने पर किसी को "आपकी आयु दीर्घायु हो" कहकर पुकारना उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय जब भिक्षु छींकते थे, तो लोग उनसे कहते थे, 'आपकी आयु लंबी हो!' और भिक्षु, कहीं उन्हें ठेस न पहुँचे, इसलिए कोई उत्तर नहीं देते थे। लोग आपस में बड़बड़ाते, नाराज़ होते और क्रोधित होकर कहते, 'जब लोग कहते हैं, "आपकी आयु लंबी हो," तो शाक्य-पुत्र समन कैसे उत्तर देना भूल सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, गृहस्थ लोग शुभ वाक्य बोलने के आदी होते हैं। हे भिक्षुओं, मैं आपको यह अनुमति देता हूँ कि जो गृहस्थ आपसे कहें, "आपकी आयु दीर्घायु हो!", उन्हें आप उत्तर में कहें, "आपकी आयु दीर्घायु हो!"'

<<<< पिछला(5.32) | अगला(5.34) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खंडक >> 5.34
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.33) । अगला(5.35) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-34.

1. उस समय भगवान बुद्ध एक विशाल सभा से घिरे हुए धम्म का उपदेश दे रहे थे। तभी एक भिक्षु, जिसने प्याज खाया था, यह सोचते हुए अलग बैठ गया, 'भिक्षुओं को नाराज न होने दो!'

भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को अलग बैठे देखा; और उसे देखकर उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'हे भिक्षुओं, अब वह भिक्षु अलग क्यों बैठा है?'

'हे प्रभु, इस भिक्षु ने प्याज खा लिया है, और

भिक्षुओं को नाराज न करने के लिए वह अलग बैठ गया।

लेकिन क्या, हे भिक्षुओं, ऐसा कुछ भी खाया जाना चाहिए, जो खाने वाले को इस प्रकार के धम्म उपदेश से दूर रखे?

'जी नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रभु।'

'हे भिक्षुओं, तुम्हें प्याज नहीं खाना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा।'

2. उस समय पूज्य सारिपुत्त के पेट में गैस हो गई थी। पूज्य महा मोग्गलाना उस स्थान पर गए जहाँ पूज्य सारिपुत्त थे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य सारिपुत्त से कहा:

'मित्र सारिपुत्त, पहले जब तुम्हारे पेट में गैस होती थी, तो तुम्हें कैसे राहत मिलती थी?'

'प्याज खाकर, मेरे दोस्त।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें रोग के कारण प्याज खाने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(5.33) । अगला(5.35) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.35
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.34) । अगला(5.36) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-35.

1. फिर उसी समय भिक्षुओं ने आराम में इधर-उधर पेशाब कर दिया, जिससे आराम अपवित्र हो गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (आराम के) एक तरफ जल करने की अनुमति देता हूँ।'

अरमा आक्रामक हो गया।

[इस अध्याय का शेष भाग अनुवाद के लिए लगभग असंभव है। इसमें कई भिक्षुओं के एक साथ रहने से उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वच्छता संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। ऐसी प्रत्येक समस्या को भगवान बुद्ध को अत्यंत गंभीरता से सूचित किया गया है, और उन्होंने इसका समाधान खोज निकाला है। कुल मिलाकर, शौचालय बनाने की विधि बताई गई है, और ऊपर अध्याय 14 में स्नानागार के संबंध में उल्लिखित सभी उपाय, जैसे कि आसन, द्वार, सीढ़ियाँ, प्लास्टर आदि, यहाँ शब्दशः दोहराए गए हैं।]

<<<< पिछला(5.34) | अगला(5.36) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.36

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.35) | अगला(5.37) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-36.

अब उस समय छब्बागिया भिक्षु इस प्रकार की बुरी प्रथाओं का पालन करते थे - वे [आदि, शब्दशः, जैसा कि 1, 13, 1, 2 पर लंबी सूची में अंत तक है] लगाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें अनेक प्रकार के बुरे कर्मकांडों का पालन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।'

<<<< पिछला(5.35) | अगला(5.37) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> पाँचवाँ खन्धक >> 5.37

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.36) | अगला(6.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

पांचवां खंडक (भिक्षुओं के दैनिक जीवन पर)

अध्याय-37.

1. अब जब उरुवेला के पूज्य कस्सपा (संसार से) चले गए, तो संघ को पीतल, लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों की बहुत सी संपत्ति प्राप्त हुई। और

भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने किस प्रकार के पीतल के बर्तन, लकड़ी की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तनों की अनुमति दी है और किस प्रकार की अनुमति नहीं दी है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में, जब उन्होंने धर्म प्रवचन दिया, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पीतल के बर्तन रखने की अनुमति देता हूँ, सिवाय शस्त्रों के—सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुएँ, सिवाय दीवानों, लंबी भुजाओं वाली कुर्सियों, कटोरे और जूतों के—और सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन, सिवाय कटक और बड़े मिट्टी के बर्तनों के जिनका उपयोग रहने के लिए झोपड़ियों के रूप में किया जाता है।'

=========
लघु विवरणों के साथ पांचवां खंडक यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(5.36) । अगला(6.1) >>>>

छठा खंडका (आवास और फर्नीचर)
(आवासों और फर्नीचर पर)

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(5.37) । अगला(6.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में वेलुवन में, कालंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को निवास के संबंध में कोई अनुमति नहीं दी थी। इसलिए भिक्षु कभी यहाँ, कभी वहाँ—जंगलों में, वृक्षों की तलहटी में, पहाड़ियों पर, गुफाओं में, पर्वतीय कंदराओं में, श्मशानों में, जंगलों में, खुले मैदानों में और भूसे के ढेरों में निवास करते थे। वे सुबह-सुबह यहाँ से वहाँ से—जंगलों से (जैसा कि पहले बताया गया है)—शालीन चाल-ढाल, इधर-उधर देखने, बाँहें फैलाने या पीछे खींचने में सलीके से चलते और मुड़ते हुए, दृष्टि झुकाए और गरिमापूर्ण आचरण के साथ आते थे।

2. उस समय राजगृह का सेठी (धनी व्यापारी) सुबह तड़के अपने बगीचे में गया। और राजगृह का सेठी

राजगाह ने उन भिक्षुओं को इधर-उधर से, जंगलों से (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 1 में अंत तक वर्णित है) आते देखा और उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ। राजगाह का सेठी उन भिक्षुओं के पास गया और उनसे कहा:

'यदि, महोदय, मैं आपके लिए आवास बनवाऊं, तो क्या आप उन आवासों में निवास करेंगे?'

'ऐसा नहीं है, हे गृहस्थ। भगवान बुद्ध ने घर बनाने की अनुमति नहीं दी है।'

'तो महोदय, आप इस बारे में भगवान बुद्ध से पूछें और मुझे बताएं।'

"बहुत खूब, हे गृहस्थ," उन्होंने राजगृह के सेठी की प्रार्थना से सहमति जताते हुए कहा। फिर वे भगवान बुद्ध के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा:

'हे प्रभु, राजगृह के सेठी हमारे लिए आवास बनवाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमें क्या करना चाहिए?'

तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में, जब उन्होंने धर्म प्रवचन दिया, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पाँच प्रकार के निवास स्थान प्रदान करता हूँ—विहार, अद्धयोग, बहुमंजिला आवास, अटारी, गुफाएँ।'

3. तब वे भिक्षु राजगृह के सेठी के पास गए और उनसे कहा, 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध ने हमें निवास स्थान दिए हैं; इसलिए आप वही करें जो आपको उचित लगे।' और राजगृह के सेठी ने एक ही दिन में साठ निवास स्थान बनवा दिए।

4. और जब राजगृह के सेठी ने उन साठ आवासों का निर्माण पूरा कर लिया, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध थे, और [उन्होंने उन्हें और भिक्षु संघ को अगले दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया; और इसी तरह, हमेशा की तरह, उस समय तक जब भोजन के बाद, सेठी ने] भगवान बुद्ध से कहा:

हे प्रभु, मैंने पुण्य कर्म और स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये साठ निवास स्थान बनवाए हैं। हे प्रभु, मुझे इनके संबंध में क्या करना चाहिए?

फिर, हे गृहस्थ, इन साठ निवासों को चारों दिशाओं के संघ को समर्पित करो, चाहे वे अभी उपस्थित हों या भविष्य में आएं।

'हे प्रभु!' राजगृह के सेठी ने भगवान बुद्ध की बात से सहमति जताते हुए कहा, और उन्होंने उन साठ निवास स्थानों को चारों दिशाओं के संघ के उपयोग के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वे वर्तमान में हों या भविष्य में।

5. फिर भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों में राजगृह के सेठी को धन्यवाद दिया:

वह सर्दी और गर्मी, दोनों को दूर रखता है, साथ ही शिकारी जानवरों, रेंगने वाले जीवों, मच्छरों और बरसाती मौसम में बारिश से भी बचाता है। और जब भयंकर गर्म हवाएँ चलती हैं, तो उन्हें भी दूर रखता है।

ख. संघ को विहार देना, सुरक्षा और शांति के लिए, ध्यान और चिंतन करने के लिए, बुद्ध इसे सर्वश्रेष्ठ उपहार कहते हैं।

ग. इसलिए, योग्य व्यक्ति अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए, सुंदर मठों का निर्माण करवाए और वहाँ विद्वानों को ठहराए।

घ. वह प्रसन्न मन से सीधे हृदय वालों को भोजन, पेय, वस्त्र और निवास स्थान प्रदान करे।

ई. तब वे उसे सत्य का उपदेश देंगे—वह सत्य जो हर दु:ख को दूर करता है, और जब मनुष्य उस सत्य को जान लेता है तो वह फिर कभी पाप नहीं करता और मर जाता है!

और जब भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों में राजगृह के सेठी को धन्यवाद दिया, तो वे अपने आसन से उठे और वहां से चले गए।

<<<< पिछला(5.37) । अगला(6.2) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.1) । अगला(6.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय दो।

1. लोगों ने सुना, 'भगवान बुद्ध ने विहारों की अनुमति दे दी है।' और उन्होंने उत्साहपूर्वक विहारों का निर्माण किया। उन विहारों में द्वार नहीं थे, और सांप, बिच्छू और कनखजूरे अंदर घुस आए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं एक द्वार की अनुमति देता हूँ।'

उन्होंने दीवार में छेद किए और दरवाजे को रस्सी या लताओं से बांध दिया। चूहों और दीमकों ने उन्हें कुतर दिया; और जब दरवाजे को बांधने वाली चीजें कुतर गईं, तो दरवाजे गिर गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं दरवाजे के चौखटों और चौखट को, जो गारे की तरह खोखले हों, ताकि दरवाजा उनमें घूम सके, और दरवाजे पर उभरे हुए हिस्सों को, जिन पर वह घूम सके, अनुमति देता हूँ।'

दरवाजे नहीं खुल रहे थे।

'हे भिक्षुओं, मैं द्वार को खींचने के लिए एक डोरी डालने हेतु एक छेद की अनुमति देता हूँ, और उस उद्देश्य के लिए एक डोरी भी प्रदान करता हूँ।'

दरवाजों को मजबूती से बंद नहीं किया जा सका।

'हे भिक्षुओं, मैं दरवाजे पर कुंडी लगाने के लिए छल्ले, दरवाजे के चौखट के किनारे पर लकड़ी के ब्लॉक जिनमें कुंडी के लिए एक खांचा हो, कुंडी को सुरक्षित करने के लिए एक पिन और एक कुंडी की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु दरवाजा खोलने में असमर्थ थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तीन प्रकार की कुंजियों और चाबियों की अनुमति देता हूँ—कांस्य की कुंजियाँ, कठोर लकड़ी की कुंजियाँ और सींग की कुंजियाँ।'

जब कोई भी उन्हें खोलकर अंदर प्रवेश करता था, तो विहार असुरक्षित हो जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं एक यंत्र और उसमें एक पिन लगाने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय विहार छप्पर से बने होते थे; शीत ऋतु में वे ठंडे होते थे, और ग्रीष्म ऋतु में गर्म।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इन्हें (खाल से) ढकने और भीतर एवं बाहर से लेप लगाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय विहारों में खिड़कियां नहीं थीं, और वे आंखों के लिए हानिकारक थीं, और उनमें अप्रिय गंध आती थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तीन प्रकार की खिड़कियों की अनुमति देता हूँ—रेलिंग से बनी खिड़कियाँ, जाली से बनी खिड़कियाँ और लकड़ी की पट्टियों से बनी खिड़कियाँ।'

गिलहरी और चमगादड़ खिड़की के खुले हिस्से से अंदर घुस गए।

'हे भिक्षुओं, मैं खिड़की के पर्दों (या ब्लाइंड्स) की अनुमति देता हूँ।'

गिलहरी और चमगादड़ अब भी ब्लाइंड (और दीवार) के बीच की दरारों से अंदर घुस जाते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं रिक्त स्थानों को भरने के लिए शटर, रोल या बैग की अनुमति देता हूँ।'

3. उस समय भिक्षु ज़मीन पर सोते थे, और उनके अंग और वस्त्र दोनों ही गंदे हो गए थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं घास से बनी चटाइयों की अनुमति देता हूँ।'

चूहों और दीमकों ने चटाइयों को कुतर दिया था।

'हे भिक्षुओं, मैं कमरे की दीवार से सटाकर या बरामदे के नीचे घर की बाहरी दीवार से सटाकर बनाई गई ठोस बेंच या दीवान की अनुमति देता हूँ।'

ठोस बेंच पर बैठने से उनके अंगों में दर्द होने लगा।

'हे भिक्षुओं, मैं बांस की पट्टियों से बने पलंगों की अनुमति देता हूँ।'

अब उस समय एक अर्थी जैसा मसरका शयनकक्ष - एक मसरक कुर्सी - एक अर्थी जैसा बुंदिकाबद्ध शयनकक्ष - एक बुंदिकबद्धा कुर्सी - एक अर्थी जैसा कुलीरा-पडाका शयनकक्ष - एक कुलीरा-पडाका कुर्सी - एक अर्थी जैसा अहक्का-पडाका शयनकक्ष - एक अहक्का-पडाका कुर्सी - संघ के कब्जे में आ गया था।

उन्होंने (प्रत्येक मामले में) यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (इन सभी चीजों की) अनुमति देता हूँ।'

4. उस समय संघ के पास एक आयताकार कुर्सी—एक आरामकुर्सी—एक सोफा—बाजूबंद सोफा—एक राजकीय कुर्सी—एक गद्दीदार कुर्सी—एक चबूतरे पर रखी कुर्सी—कई टांगों वाली कुर्सी—एक तख्ता (जिस पर लेटना हो)—एक बेंत की कुर्सी—एक भूसे की कुर्सी आ गई थी।

उन्होंने (प्रत्येक मामले में) यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (इन सभी चीजों की) अनुमति देता हूँ।'

5. उस समय छब्बागिया भिक्षु ऊंचे पलंगों पर सोते थे।

विहार (मठ) में दर्शन के लिए आने वाले लोग जब उन्हें देखते थे, तो वे बुदबुदाते थे, इत्यादि, यह कहते हुए, 'ऐसा लगता है जैसे वे अभी भी सांसारिक सुखों में लिप्त हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें ऊंचे पलंगों पर नहीं सोना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षु एक नीची चारपाई पर सो रहा था, तभी उसे एक सांप ने काट लिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तुम्हारे पलंगों के लिए सहारा प्रदान करता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु अपने पलंगों के लिए ऊंचे सहारे का इस्तेमाल करते थे और इन सहारे के बल आगे-पीछे झूलते थे।

'हे भिक्षुओं, अपने पलंगों के लिए ऊंचे आधार का प्रयोग न करें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। मैं आपको आठ इंच तक की लंबाई वाले ऐसे आधारों की अनुमति देता हूं।'

6. उस समय संघ के पास काफी मात्रा में धागा आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पलंग पर (धागे की एक आकृति) बुनने की अनुमति देता हूँ।'

पलंग के किनारों के चारों ओर रस्सी लपेटने में काफी रस्सी खर्च हो गई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पलंग के किनारों को छेदने और इस प्रकार धागे को आर-पार बुनने की अनुमति देता हूँ।'

उनके कब्जे में एक कपड़ा आ गया था।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, इसे कालीन की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूँ।'

उनके कब्जे में रुई से भरा एक गद्दा आ गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इन तीन प्रकारों में से किसी भी प्रकार की रुई को कंघी करके तकिए बनाने की अनुमति देता हूँ—वृक्षों पर उगने वाली रुई, लताओं पर उगने वाली रुई और पोटाकी घास से उगने वाली रुई।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु मनुष्य के शरीर के आधे आकार के तकियों का उपयोग करते थे।

विहारों में दर्शन के लिए आने वाले लोग इसे देखकर आपस में बड़बड़ाने लगे, इत्यादि, और कहने लगे, 'ऐसा लगता है जैसे वे अभी भी संसार के सुखों का आनंद ले रहे हों।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, आपको मनुष्य के शरीर के आधे आकार के तकिये का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको मनुष्य के सिर के आकार के तकिये का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

7. उस समय राजगृह में एक ऊँचे स्थान पर उत्सव मनाया जा रहा था। लोगों ने उच्च अधिकारियों के लिए ऊन, सूती कपड़े, छाल, घास या पत्तों से भरे तकिये बनवाए थे। उत्सव समाप्त होने पर उन्होंने चमड़े के तकिये फाड़ दिए और उन्हें ले गए। भिक्षुओं ने देखा कि उत्सव स्थल पर बहुत सारा ऊन, सूती कपड़ा, छाल, घास और पत्ते फेंके पड़े थे; यह देखकर उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं पाँच प्रकार के तकियों की अनुमति देता हूँ—जो ऊन, सूती कपड़े, छाल, घास या तालिपोट के पत्तों से भरे होते हैं।'

उस समय संघ के पास एक पलंग आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, कि तुम इससे तकिया ढक सको।'

उस समय भिक्षु पलंग के तकिये कुर्सियों पर और कुर्सी के तकिये पलंगों पर मोड़ कर रखते थे, और इस तरह तकिये टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गद्देदार कुशनों से ढकी कुर्सियाँ और पलंग उपलब्ध कराता हूँ।'

उन्होंने पलंगों और कुर्सियों को बिना नीचे कपड़ा बिछाए ही ढक दिया, जिसके परिणामस्वरूप नीचे से रुई बाहर निकल आई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें पहले पलंगों या कुर्सियों के नीचे कपड़ा बिछाने और फिर उन पर गद्दी लगाने की अनुमति देता हूँ।'

उन्होंने आवरण फाड़ दिए और उन्हें अपने साथ ले गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें (वस्त्रों पर रंग छिड़कने की) अनुमति देता हूँ।'

फिर भी वे उन्हें ले गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें धब्बेदार रंग वाले आवरणों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

फिर भी वे उन्हें ले गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें केवल मनुष्य के हाथ के आकार के धब्बों में ही आवरणों को रंगने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला(6.1) | अगला(6.3) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.2) | अगला(6.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-3.

1. उस समय तित्तियाओं के शयनकक्ष सफेदी से पुते हुए थे, उनके कमरों के फर्श काले रंग से रंगे हुए थे और दीवारें लाल चूने से रंगी हुई थीं। बहुत से लोग उनके शयनकक्षों को देखने जाते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपके विहारों में सफेदी, काले रंग और लाल रंग के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय खुरदरी दीवारों पर सफेदी ठीक से नहीं टिकती थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनाज के छिलकों से बनी छोटी-छोटी गोलियां लगाने की अनुमति देता हूं; और जब तुम अपने हाथों से असमानता दूर कर लो, तो सफेदी लगा दो।'

सफेदी चिपक नहीं रही थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कोमल मिट्टी लगाने की अनुमति देता हूँ; और जब तुम अपने हाथों से असमानता दूर कर लो, तो सफेदी लगा दो।'

फिर भी सफेदी चिपक नहीं रही थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें वृक्षों के कीचड़ या पेस्ट का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय लाल चाक का रंग खुरदरी दीवारों पर नहीं टिकता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनाज के छिलकों से बनी छोटी-छोटी गोलियां लगाने की अनुमति देता हूं; और जब तुम अपने हाथों से असमानता दूर कर लो, तो लाल चाक का रंग लगाओ।'

लाल रंग चिपक नहीं रहा था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें चावल के दानों पर छिलकों के नीचे चिपकी हुई लाल रंग की मिट्टी को उसमें मिलाकर लगाने की अनुमति देता हूँ; और जब तुम अपने हाथों से असमानता को हटा लो, तब लाल रंग का पदार्थ लगाओ।'

फिर भी लाल रंग का पदार्थ चिपक नहीं रहा था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सरसों के बीज से बने पेस्ट और मोम के तेल का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

यह दीवार पर बहुत अधिक मात्रा में, बड़ी-बड़ी बूंदों के रूप में जमा हुआ था।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, इसे कपड़े से पोंछ लो।'

उस समय खुरदरी जमीन पर काला रंग का पदार्थ नहीं पड़ा था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनाज के छिलके लगाने की अनुमति देता हूँ।'

छोटी-छोटी गोलियां बना लें; और जब आप अपने हाथों से असमानता को दूर कर लें, तो उस पर काला रंग लगा दें।'

काला रंग चिपकने वाला पदार्थ नहीं था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें केंचुओं के मल से मिश्रित मिट्टी लगाने की अनुमति देता हूँ; और जब तुम अपने हाथों से असमानता दूर कर लो, तो उस पर काला रंग लगाओ।'

फिर भी काला रंग चिपकने नहीं लगा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, कीचड़ और कसैले तरल पदार्थ का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने अपने विहारों पर कल्पनाशील चित्र बनवाए थे—पुरुषों की आकृतियाँ, और महिलाओं की आकृतियाँ।

विहारों के दर्शन के लिए जाते समय जब लोगों ने उन्हें देखा, तो वे बुदबुदाए, इत्यादि, यह कहते हुए, 'ऐसा लगता है जैसे वे अभी भी संसार के सुखों का आनंद ले रहे हों।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें मनुष्यों और पशुओं की काल्पनिक चित्रकारी नहीं करनी चाहिए।'

महिलाओं। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें मालाओं, लताओं, अस्थि-हुकड़ों और अलमारियों के चित्र बनाने की अनुमति देता हूँ।

3. अब उस समय विहारों का तहखाना बहुत नीचा था (आदि, जैसा कि वी, 11, 6 में छत, सीढ़ियों और रेलिंग के बारे में बताया गया है)।

उस समय विहार लोगों से खचाखच भरे रहते थे। भिक्षु सोने के लिए लेटने में शर्म महसूस करते थे।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, पर्दों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

उन्होंने पर्दे उठाए और अंदर झांका।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें विहार की आधी ऊंचाई की लकड़ी और प्लास्टर की दीवार बनाने की अनुमति देता हूँ।'

वे इस आधी दीवार के ऊपर से देख रहे थे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार के आंतरिक कक्ष बनाने की अनुमति देता हूँ—पालकी के आकार के कक्ष, क्वार्ट माप के आकार के कक्ष और ऊपरी मंजिल पर कक्ष।'

उस समय भिक्षुओं ने छोटे विहारों के बीच में आंतरिक कक्ष बनाए थे, और उनमें घूमने-फिरने की जगह नहीं थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें छोटे विहारों के एक तरफ और बड़े विहारों के बीच में भीतरी कक्ष बनाने की अनुमति देता हूँ।'

4. उस समय विहार की लकड़ी और प्लास्टर की दीवार का निचला हिस्सा जर्जर हो गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें लकड़ी के सहारे लगाने की अनुमति देता हूँ।'

विहार की लकड़ी और प्लास्टर की दीवार पर बारिश का पानी रिस रहा था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक सुरक्षात्मक व्यवस्था और बंधन प्रदान करता हूँ।'

उसी समय एक साँप छत से गिरकर एक भिक्षु की पीठ पर जा गिरा। वह भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा। भिक्षु दौड़कर आए और उससे बोले, "हे भिक्षु, आप क्यों चिल्ला रहे हैं?" तब भिक्षु ने यह बात अन्य भिक्षुओं को बताई और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को सुनाई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें छत पर कपड़ा लगाने की अनुमति देता हूँ।'

5. उस समय भिक्षुओं ने अपने थैले पलंगों के चरणों में और कुर्सियों के चरणों में टांग दिए; और उन्हें चूहों और दीमकों ने कुतर दिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दीवार में पिन और हड्डी के हुक लगाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षुओं ने अपने वस्त्र पलंगों और कुर्सियों पर रख दिए, और वे वस्त्र फट गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अपने वस्त्र टांगने के लिए बांस और अपने वस्त्र टांगने के लिए डोरियाँ प्रदान करता हूँ।'

उस समय विहारों में न तो बरामदे थे और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें बरामदे, ढकी हुई छतें, भीतरी बरामदे और लटकती हुई छज्जे रखने की अनुमति देता हूँ।'

बरामदे बहुत ही सार्वजनिक थे; और भिक्षु उनमें सोने के लिए लेटने में शर्म महसूस करते थे।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक ऐसे पर्दे के रूप में व्यवस्था करने की अनुमति देता हूँ जिसे हटाया जा सकता है, या एक चल स्क्रीन के रूप में व्यवस्था करने की अनुमति देता हूँ।'

6. उस समय भिक्षु जब खुले में दोपहर का भोजन कर रहे थे, तो उन्हें सर्दी और गर्मी से परेशानी हो रही थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें, हे भिक्षुओं, एक सेवा कक्ष की अनुमति देता हूँ।'

सर्विस हॉल का तहखाना बहुत नीचा था (आदि, जैसा कि V, 11, 6 में अंत तक है)।

उस समय भिक्षुओं ने अपने वस्त्र खुले में जमीन पर फैला दिए, जिससे वे गंदे हो गए।

'हे भिक्षुओं, मैं खुले में वस्त्र टांगने के लिए बांस और वस्त्र टांगने के लिए डोरियों की अनुमति देता हूँ।'

7. पानी गर्म हो गया।

'हे भिक्षुओं, मैं जल-कक्ष और जल-विभाजक की अनुमति देता हूँ।'

जल-कक्ष का तहखाना बहुत नीचा था (आदि, जैसा कि V, 11, 6 में अंत तक है)।

पानी ले जाने के लिए कोई बर्तन नहीं थे।

'हे भिक्षुओं, मैं जल के लिए शंख और तश्तरियों की अनुमति देता हूँ।'

8. उस समय विहारों के चारों ओर कोई बाड़ नहीं थी।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इन्हें घेरने की अनुमति देता हूँ।'

तीन प्रकार की प्राचीरें (पकड़ा)—ईंट की दीवारें, पत्थर की दीवारें और लकड़ी की बाड़।

वहां कोई भंडारगृह नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं एक भंडारगृह की अनुमति देता हूँ।'

भंडारगृह का तहखाना बहुत नीचा था, और वह पानी से भर गया था।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऊँची तहखाना बनाने की अनुमति देता हूँ।'

भंडारगृह में कोई दरवाजा नहीं था।

'हे भिक्षुओं, मैं एक द्वार की अनुमति देता हूँ; जिसमें द्वार के खंभे और चौखट हों, द्वार के घूमने के लिए मोर्टार जैसी खोखली जगहें हों, उन खोखली जगहों में घूमने के लिए उभार हों, दरवाज़े पर बोल्ट के चलने के लिए छल्ले हों, द्वार के खंभे के किनारे में लकड़ी का एक ब्लॉक

लगा हो जिसमें बोल्ट के लिए एक खांचा हो (जिसे बंदर का सिर कहते हैं), बोल्ट को सुरक्षित करने के लिए एक पिन हो, एक जोड़ने वाला बोल्ट हो, एक चाबी का छेद हो, एक डोरी के लिए छेद हो जिससे द्वार बंद किया जा सके, और उस उद्देश्य के लिए एक डोरी हो।'

भंडारगृह से घास और प्लास्टर गिर पड़े।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं (आदि, जैसा कि श्लोक 14, 4 से श्लोक 14, 5 के अंत तक, छत, फर्श, नालियों आदि के संबंध में)।'

9. उस समय भिक्षुओं ने परिवेण में जगह-जगह अग्निगृह बनाए, और परिवेण अग्नि के अवशेषों से ढक गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक तरफ अग्नि के लिए एक अलग कमरा बनाने की अनुमति देता हूँ।'

फायर-रूम का तहखाना बहुत नीचा था (आदि, जैसा कि वी, 11, 6 में फर्श, सीढ़ियों और रेलिंग के बारे में बताया गया है, उसके बाद दरवाजे और मुखौटे के बारे में पैराग्राफ, जैसा कि वी, 14, 3, आदि में बताया गया है)।

10. उस समय अरमाओं (मठों) के चारों ओर कोई बाड़ नहीं थी, और बकरियों और मवेशियों ने बागानों को नुकसान पहुँचाया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार की बाड़ लगाने की अनुमति देता हूँ—बांस की बाड़, कांटेदार बाड़ और खाई।'

वहां कोई प्रवेश द्वार (कोटल्हाका) नहीं था, फिर भी बकरियों और मवेशियों ने बागानों को नुकसान पहुंचाया।

'हे भिक्षुओं, मैं एक द्वार की अनुमति देता हूँ, जिसके द्वार कंटीली झाड़ियों से गुंथे हुए खंभों से बने हों, द्वार के पार अक्का के पौधे से बनी बाड़ हो, द्वार के ऊपर सजावटी जाली हो और लोहे की छड़ें हों।'

[फिर वे अनुच्छेद जो इस कोत्थाका की छत आदि की अनुमति देते हैं, जैसा कि V, 11, 6 में है, और अरमा के लिए नालियों की अनुमति देते हैं, जैसा कि V, 14, 3 में है।]

11. उस समय मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार एक पसदा (निवास स्थान) बनवाना चाहते थे।

संघ के उपयोग के लिए सीमेंट और मिट्टी से ढकी हुई छत। तब भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न उठा, 'भगवान बुद्ध ने किस प्रकार की छत की अनुमति दी है और किस प्रकार की छत की अनुमति नहीं दी है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं पाँच प्रकार की छतों की अनुमति देता हूँ—ईंट की छत, पत्थर की छत, सीमेंट की छत, भूसे की छत और पत्तों की छत।'

प्रथम भानवर (या पाठ के लिए भाग) का समापन।

<<<< पिछला(6.2) | अगला(6.4) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.3) | अगला(6.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-4.

1. उस समय गृहस्थ अनाथ पिंडिका, राजगृह के सेठी (धनी व्यापारी) की बहन के पति थे। अनाथ पिंडिका किसी काम से राजगृह गए थे। उस समय राजगृह के सेठी ने बुद्ध के नेतृत्व में संघ को कल के भोजन के लिए बुलाया था। राजगृह के सेठी ने अपने दासों और कामगारों को आदेश देते हुए कहा, 'हे मेरे सेवकों, सुबह जल्दी उठो और दलिया, चावल, करी और स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ!'

और गृहस्थ अनाथ पिंडिका के मन में यह विचार आया, 'पहले तो जब मैं आता था, तो यह गृहस्थ अपने सारे काम छोड़कर मुझसे शिष्टाचारपूर्वक अभिवादन करता था; परन्तु अब तो वह उत्तेजित प्रतीत हो रहा है और अपने दासों और कामगारों को आदेश दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वह विवाह कर रहा है, या विवाह करवा रहा है, या उसने कोई बड़ा यज्ञ आरंभ किया है, या उसने मगध के सेनिया बिम्बिसार को अपने दल सहित कल के भोज के लिए आमंत्रित किया है?'

2. जब राजगृह के सेठी ने अपने दासों और कामगारों को आदेश दिया, तो वह उस स्थान पर गया जहाँ अनाथ पिंडिका गृहस्थ था, और उससे शिष्टाचारपूर्वक अभिवादन किया और एक तरफ बैठ गया। जब वह बैठ गया, तो अनाथ पिंडिका ने उसे अपने मन के विचार बताए।

'हे गृहस्थ, मैं न तो विवाह ले रहा हूँ और न ही विवाह दे रहा हूँ,' (यह उत्तर था), 'और न ही मैंने मगध सेनिया बिम्बिसार को कल के भोज में आमंत्रित किया है। परन्तु मैंने एक महान यज्ञ प्रारंभ किया है, क्योंकि बुद्ध के नेतृत्व में संघ को कल मेरे घर भोज में आमंत्रित किया गया है।'

'क्या आपने, हे गृहस्थ, "बुद्ध" कहा?'

'हां, मैंने "बुद्ध" ही कहा था।'

[और वही प्रश्न तीन बार पूछा गया, और वही उत्तर दिया गया।]

'हे गृहस्थ, संसार में "बुद्ध, बुद्ध" की खबर मात्र से ही उनका नामोनिशान मिट जाना कितना कठिन है। क्या इस समय हमारे लिए उस भगवान बुद्ध, अरहत, साक्षात बुद्ध के दर्शन करना संभव होगा?'

'हे गृहस्थ, अभी भगवान बुद्ध के दर्शन करने का उचित समय नहीं है; परन्तु कल सुबह जल्दी जाकर उनके दर्शन करो।'

फिर अनाथ पिंडिका, अपनी आगामी यात्रा के बारे में विचार करते हुए, बुद्ध पर इतने केंद्रित विचारों के साथ सोने के लिए लेट गए कि रात में तीन बार वे यह सोचकर उठे कि दिन का उजाला हो गया है।

3. और गृहस्थ अनाथ पिंडिका सीतावन की ओर जाने वाले द्वार तक गए, और देवताओं ने द्वार खोल दिया। जैसे ही वे नगर से बाहर निकले, प्रकाश गायब हो गया और घना अंधकार छा गया, और उनके भीतर भय, कंपकंपी और घबराहट उत्पन्न हो गई, जिससे उनके मन में उस स्थान से वापस लौटने की इच्छा उत्पन्न हुई। परन्तु शिवक यक्ष, जो स्वयं अदृश्य थे, ने एक ध्वनि उत्पन्न की, और कहा:

'सौ हाथी, सौ घोड़े, खच्चरों के साथ सौ रथ,

'एक लाख कुंवारी लड़कियां, जिनके कानों में हीरे जड़े झुमके हैं,--

'हे गृहस्थ, ये एक कदम के सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं।'

'आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हे गृहस्थ! पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना ही तुम्हारे लिए लाभदायी होगा।'

तब गृहस्थ अनाथ पिंडिका के सामने से अंधकार छंट गया और एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई, और उसके भीतर उत्पन्न भय, कंपकंपी और घबराहट शांत हो गई।

[और यही बात दूसरी और तीसरी बार भी घटी, वही शब्द सुनाई दिए, और वही परिणाम निकला।]

4. और अनाथ पिंडिका गृहस्थ सीतावन में पहुँचे; उस समय भगवान बुद्ध, जो भोर होते ही उठ गए थे, खुले में टहल रहे थे (ध्यान कर रहे थे)। दूर से आते हुए भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडिका को देखा; और भगवान बुद्ध जहाँ टहल रहे थे, वहीं से उठकर अपने लिए रखी हुई आसन पर बैठ गए। और जब वे बैठ गए, तो उन्होंने अनाथ पिंडिका को संबोधित करते हुए कहा:

'इधर आओ, सुदत्ता!'

तब अनाथ पिंडिका, भगवान बुद्ध द्वारा उन्हें उनके नाम से पुकारे जाने के विचार से प्रसन्न और प्रसन्न होकर, उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा:

'मुझे विश्वास है कि भगवान बुद्ध शांति से सो रहे होंगे!'

'वह अरहत जो स्वतंत्र है, सदा शांति से सोता है।'

जो वासनाओं से अछूता हो, बल्कि शांत और पाप से मुक्त हो,

उसने (मन की स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को) तोड़ दिया है, उसने अपने हृदय की पीड़ा को शांत कर दिया है।

'उसने अपने मन में शांति स्थापित कर ली है, और वह शांत होकर चैन से सोता है।'

5. तब भगवान बुद्ध ने गृहस्थ अनाथ पिंडिका को विधिवत उपदेश दिए; अर्थात् उन्होंने उन्हें दान, धर्म, स्वर्ग, कामवासनाओं के खतरे, व्यर्थता और अशुद्धता तथा त्याग के लाभों के विषय में बताया। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि गृहस्थ अनाथ पिंडिका तैयार, कोमल, निष्पक्ष और विश्वास से परिपूर्ण हो गए हैं, तब उन्होंने बुद्धों के विशिष्ट उपदेशों की घोषणा की; अर्थात् दुख, उसका उद्गम, उसका निवारण और मार्ग। और जिस प्रकार एक साफ कपड़ा, जिस पर से सारे दाग धुल गए हों, आसानी से रंग सोख लेता है, ठीक उसी प्रकार गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने वहीं बैठे-बैठे ही सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त कर ली; जो कुछ भी आरंभ से है, उसमें उसका अंत भी अंतर्निहित है। इस प्रकार गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने सत्य को देखा, उस पर महारत हासिल की, उसे समझा और उसमें मर्मस्पर्शी हो गए; और उसने अनिश्चितता पर विजय प्राप्त की, सभी शंकाओं को दूर किया और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, और गुरु के सिद्धांत के ज्ञान के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहा। और उसने भगवान बुद्ध को संबोधित करते हुए कहा:

हे प्रभु, आपके मुख से निकले शब्द अत्यंत उत्कृष्ट हैं! जैसे कोई व्यक्ति गिरी हुई वस्तु को उठाता है, या छिपी हुई वस्तु को प्रकट करता है, या भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है, या अंधकार में प्रकाश डालता है ताकि देखने वाले बाहरी रूप देख सकें, ठीक उसी प्रकार, हे प्रभु, भगवान बुद्ध ने अनेक रूपों में मुझे सत्य का ज्ञान कराया है। और मैं स्वयं, हे प्रभु, भगवान बुद्ध की शरण में, सत्य की शरण में और संघ की शरण में जाता हूँ। भगवान बुद्ध मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, उस व्यक्ति के रूप में जिसने आज से जीवन भर उनकी शरण ली है। और भगवान बुद्ध कल का भोजन अपने और अपने भिक्षु संघ के लिए मेरे हाथों से ग्रहण करने की कृपा करें।

तब भगवान बुद्ध ने मौन रहकर अपनी सहमति दे दी। जब गृहस्थ अनाथपिंडिका को यह पता चला कि उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, तो वह अपने आसन से उठकर भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया और उन्हें अपने दाहिनी ओर हाथ रखकर वहाँ से चला गया।

6. अब राजगृह के सेठी ने सुना कि बुद्ध के नेतृत्व वाले भिक्षु संघ को गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने कल के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। राजगृह के सेठी ने गृहस्थ अनाथ पिंडिका से कहा, 'हे गृहस्थ, लोग कहते हैं कि आपने बुद्ध के नेतृत्व वाले भिक्षु संघ को कल के भोजन के लिए आमंत्रित किया है, और आप तो यहाँ अजनबी हैं। हे गृहस्थ, मैं आपके लिए व्यवस्था करूँगा कि आप बुद्ध के नेतृत्व वाले भिक्षु संघ को भोजन उपलब्ध कराएँ।'

'यह आवश्यक नहीं है, हे गृहस्थ; मेरे पास इसके लिए पर्याप्त साधन हैं।'

[और राजगृह के नगरवासी और मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने भी वही प्रस्ताव रखा और उन्हें वही उत्तर मिला।]

7. तब गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने, जब रात काफी बीत चुकी थी, राजगृह के सेठी के घर में कठोर और नरम दोनों प्रकार के मीठे व्यंजन तैयार किए और भगवान बुद्ध को समय की सूचना देते हुए कहा, 'हे प्रभु, समय आ गया है; और भोजन तैयार है।'

और भगवान बुद्ध ने सुबह जल्दी वस्त्र धारण करने के बाद विधिवत रूप से तैयार होकर आगे बढ़े और

अनंत पिंडिका राजगृह के धनी व्यापारी के घर गए और भिक्षुओं के संघ के साथ उनके लिए बिछाई गई चौकी पर बैठ गए। गृहस्थ अनंत पिंडिका ने बुद्ध के नेतृत्व वाले भिक्षुओं के संघ को अपने हाथों से भोजन परोसा और उन्हें हर प्रकार का मीठा भोजन दिया। जब भगवान बुद्ध ने भोजन कर लिया और अपने हाथ और प्याला साफ कर लिया, तो अनंत पिंडिका एक तरफ बैठ गए और बैठे-बैठे भगवान बुद्ध से कहा, 'हे भगवान बुद्ध, क्या वे भिक्षुओं के संघ के साथ श्रावस्ती में वास् की वर्षा ऋतु व्यतीत करने की कृपा करेंगे?'

'हे गृहस्थ, तथागत एकांत में आनंदित होते हैं।'

'मैं समझ गया, हे भगवान बुद्ध; मैं समझ गया, हे सुखी' (यह उत्तर था)।

फिर भगवान बुद्ध ने गृहस्थ अनाथ पिंडिका को धर्म प्रवचन देकर उपदेश दिया, उन्हें प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और प्रसन्न किया, और फिर वे अपने आसन से उठे और वहां से चले गए।

8. उस समय गृहस्थ अनाथ पिंडिका के बहुत से मित्र और व्यापक परिचित थे, और उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता था। जब वह

राजगृह में चल रहे अपने काम को पूरा करने के बाद, वे सावत्थी की ओर चल पड़े; और रास्ते में उन्होंने लोगों को आदेश देते हुए कहा, 'हे मेरे सज्जनों, आवास बनाओ, विश्रामगृह तैयार करो और उपहार तैयार रखो। एक बुद्ध संसार में प्रकट हुए हैं, और भगवान बुद्ध को मैंने आमंत्रित किया है, और वे इसी मार्ग से आएंगे।' और उन लोगों ने [जैसा उन्हें आदेश दिया गया था वैसा ही किया]।

और जब गृहस्थ अनाथ पिंडिका सावत्थी पहुंचे, तो उन्होंने उसके चारों ओर के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा, 'अब मैं भगवान बुद्ध के रहने के लिए कौन सा स्थान चुनूं, जो शहर से न तो बहुत दूर हो और न ही बहुत पास, आने-जाने में सुविधाजनक हो, उनसे मिलने आने वाले सभी लोगों के लिए आसानी से सुलभ हो, दिन में बहुत भीड़भाड़ न हो, रात में बहुत शोर और भय न हो, हवा से सुरक्षित हो, लोगों से छिपा हुआ हो, और एकांत जीवन के लिए उपयुक्त हो?'

9. और गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने देखा कि कुमार जेत (राजकुमार) के बगीचे में ये सभी खूबियाँ थीं। यह देखकर वह कुमार जेत के पास गया और उनसे कहा, 'हे प्रभु, मुझे अपना बगीचा दे दीजिए ताकि मैं उस पर एक आरामगाह बना सकूँ।'

'यह बिक्री के लिए नहीं है, महोदय, भले ही इसकी कीमत इतनी अधिक हो कि यदि सिक्कों को एक साथ रखा जाए तो वे इसे ढकने के लिए पर्याप्त हों।'

'मान लीजिए, मैं इस बगीचे को इस कीमत पर ले लेता हूँ।'

'नहीं, हे गृहस्वामी, ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ था।'

तब उन्होंने न्यायधीशों से पूछा कि क्या बिक्री का सौदा हुआ है या नहीं। और न्यायधीशों ने इस प्रकार निर्णय दिया: 'अराम को आपके द्वारा निर्धारित मूल्य पर ले लिया गया है, महोदय।'

और अनाथ पिंडिका नामक गृहस्थ ने रथों में सोना मंगवाया और जेतवन को सोने के टुकड़ों से ढक दिया, जिन्हें उसने एक के बाद एक करके रखा था।

10. अब जो सोना वह पहली बार लाया था, वह (बाकी बगीचे को ढकने के बाद) द्वार के पास की एक छोटी सी जगह को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए गृहस्वामी अनाथ पिंडिका ने अपने नौकरों को वापस जाकर और सोना लाने को कहा और बताया कि वह उस जगह को भी ढक देगा।

तब कुमार राजकुमार जेत ने सोचा, 'यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती जिसके लिए यह गृहस्थ इतना सोना लुटाने को तैयार है!' और उसने अनाथ पिंडिका गृहस्थ से कहा, 'हे गृहस्थ, बस इतना ही काफी है। आपको उस स्थान को ढकने की आवश्यकता नहीं है। वह स्थान मुझे दे दीजिए, वह मेरी भेंट होगी।'

तब गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने सोचा, 'यह कुमार जेत (राजकुमार) बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रख्यात व्यक्ति हैं। ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा इस सिद्धांत और अनुशासन का पालन करना अत्यंत लाभदायक होगा।' और उन्होंने वह स्थान कुमार जेत को दे दिया। और राजकुमार जेत ने उस स्थान पर एक द्वार और उसके ऊपर एक कमरा बनवाया।

और गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने निवास कक्ष, विश्राम कक्ष, भंडार कक्ष (द्वारों के ऊपर), सेवा कक्ष, चूल्हे वाले कक्ष, भंडारगृह (विहार के बाहर), कोठरी, गलियारे, व्यायाम कक्ष, कुएँ, कुएँ के लिए शेड, स्नानागार, स्नानागार से जुड़े कक्ष, तालाब और खुली छत वाले शेड बनवाए।

<<<< पिछला(6.3) | अगला(6.5) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.4) | अगला(6.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-5.

1. जब भगवान बुद्ध राजगृह में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक ठहर गए, तब वे वैशाली की ओर चल पड़े; और सीधे यात्रा करते हुए वे समय आने पर वहाँ पहुँच गए। वैशाली में भगवान बुद्ध महावन के शिखर छत वाले हॉल में ठहरे।

उस समय लोग (आदेश के उपयोग के लिए) नए भवन बनाने में उत्साहपूर्वक लगे हुए थे, और उतनी ही उत्साहपूर्वक व्यवस्था भी कर रहे थे।

उन सभी भिक्षुओं को आवश्यक वस्त्र, भोजन, आवास और बीमारों के लिए दवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो उनके कार्य की देखरेख करते थे।

अब एक गरीब दर्जी ने सोचा, 'यह कोई रोज़मर्रा का काम नहीं हो सकता जिस पर लोग इतनी लगन से काम कर रहे हैं। चलो मैं भी एक नई इमारत बनाने का काम शुरू करता हूँ।' और उस गरीब दर्जी ने खुद मिट्टी गूँथी, ईंटें लगाईं और दीवारें खड़ी कीं। लेकिन अनुभव की कमी के कारण ईंटें ठीक से नहीं लगीं और दीवार गिर गई। उसने दूसरी और तीसरी बार भी यही कोशिश की, और नतीजा वही रहा।

2. तब वह बेचारा दर्जी बड़बड़ाया, नाराज़ हुआ और क्रोधित होकर बोला, 'ये शाक्यपुत्रीय भिक्षु उन लोगों को उपदेश और शिक्षा देते हैं जो उन्हें आवश्यक वस्त्र, भोजन, आवास और दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और उनके भवनों की देखरेख करते हैं। लेकिन मैं तो गरीब हूँ, और मुझे कोई उपदेश या शिक्षा नहीं देता, न ही मेरे भवन निर्माण में मेरी मदद करता है!'

भिक्षुओं ने उसे इस प्रकार बड़बड़ाते हुए सुना और यह बात भगवान बुद्ध को बताई। तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में धर्म प्रवचन दिया और भिक्षुओं को आदेश देते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें संघ के उपयोग के लिए निर्माणाधीन नए भवनों का प्रभार (किसी ऐसे भिक्षु को सौंपने की) अनुमति देता हूँ जो कार्य की देखरेख करेगा। और वह भिक्षु जो...'

पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करेगा कि विहार का काम शीघ्रता से पूरा हो जाए, और बाद में जहां भी इमारतें क्षतिग्रस्त या जर्जर हो गई हों, उनकी मरम्मत करवाएगा।

3. हे भिक्षुओं, इस प्रकार कार्य सौंपा जाना है। सर्वप्रथम किसी भिक्षु से पूछा जाना चाहिए (कि क्या वह यह कर्तव्य ग्रहण करेगा)। पूछे जाने पर, किसी योग्य और विवेकशील भिक्षु को संघ के समक्ष यह विषय रखते हुए कहना चाहिए, "आदरणीय संघ मेरी बात सुने। यदि

संघ को समय उचित लगे, तो संघ अमुक गृहस्थ के विहार को नवकम्मम के रूप में अमुक भिक्षु को सौंप दे। यही प्रस्ताव (नत्ति) है। आदरणीय संघ मेरी बात सुने। संघ इस प्रकार कार्यभार सौंपता है... (अतः पूर्वोक्त)। आदरणीय भिक्षुओं में से जो भी इसे स्वीकार करे, वह मौन रहे; जो भी इसे स्वीकार न करे, वह बोले। संघ ने कार्यभार सौंप दिया है... (अतः पूर्वोक्त)। अतः मौन है। मेरा यही अर्थ है।"

<<<< पिछला(6.4) | अगला(6.6) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.6

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.5) | अगला(6.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-6.

1. अब जब भगवान बुद्ध वैशाली में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक ठहर चुके थे, तब वे सावत्थी की ओर चल पड़े।

उस समय छब्बागीय भिक्षुओं के शिष्य बुद्ध के नेतृत्व वाले भिक्षु संघ के आगे-आगे चल रहे थे और उन्होंने कमरों और विश्राम स्थलों पर कब्जा कर लिया, यह कहते हुए, 'यह हमारे वरिष्ठों (उपज्जयों) के लिए ठीक है, यह हमारे गुरुओं (आचार्यों) के लिए, और यह हमारे लिए।' और पूज्य सारिपुत्त, जो बुद्ध के नेतृत्व वाले भिक्षु संघ के पीछे चल रहे थे, क्योंकि सभी कमरे और विश्राम स्थल भर चुके थे, उन्हें सोने के लिए कोई जगह नहीं मिली, और वे एक वृक्ष की तलहटी में बैठ गए।

भोर होते ही, भगवान बुद्ध ने उठकर खांसना शुरू किया। पूज्य सारिपुत्त ने भी खांसा।

'यह कौन है?' (भगवान बुद्ध ने कहा।)

'हे प्रभु, मैं ही सारिपुत्त हूँ।'

'सारिपुत्त, तुम यहाँ कैसे बैठे हो?'

तब पूज्य सारिपुत्त ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

2. तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और पूछा, 'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है, जैसा कि मुझे बताया गया है, कि छब्बागीय भिक्षुओं के शिष्यों ने (इस प्रकार कार्य किया है)?'

'यह सच है, प्रभु।'

तब भगवान बुद्ध ने उन्हें फटकारा और कहा (हमेशा की तरह, चुलवग्ग I, 1, 2, 3 देखें), और उन्होंने भिक्षुओं से कहा, 'हे भिक्षुओं, वह कौन है जो सर्वश्रेष्ठ आसन, सर्वश्रेष्ठ जल और सर्वश्रेष्ठ भोजन के योग्य है?'

कुछ भिक्षुओं ने कहा, 'वह जो संघ में प्रवेश करने से पहले क्षत्रिय परिवार से संबंधित था।' अन्य भिक्षुओं ने कहा, 'वह जो संघ में प्रवेश करने से पहले ब्राह्मण परिवार से संबंधित था।' कुछ अन्य ने कहा, 'वह जो संघ में प्रवेश करने से पहले गृहपति परिवार से संबंधित था - सूत्रों में पारंगत - संघ के नियमों में पारंगत - धम्म का व्याख्याता - प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ घान प्राप्त कर चुका - प्रथम, द्वितीय, तृतीय पथ में प्रवेश कर चुका - अरहत - त्रिविध ज्ञान से युक्त - छह शक्तियों से युक्त।'

3. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, 'हे भिक्षुओं, बहुत समय पहले हिमालय पर्वतमाला की निचली ढलानों पर एक विशाल बरगद का वृक्ष था; और उसके पास तीन मित्र रहते थे—एक तीतर, एक बंदर और एक हाथी। वे एक-दूसरे के प्रति आदर, विश्वास और शिष्टाचार के बिना साथ रहते थे। तब, हे भिक्षुओं, उन मित्रों के मन में विचार आया, "चलो, हम पता लगाते हैं कि हममें से कौन जन्म से बड़ा है; और हम उसका आदर, सम्मान और समर्थन करने का निश्चय करते हैं, और उसकी सलाह का पालन करते हैं।" अतः, हे भिक्षुओं, तीतर और बंदर ने हाथी से पूछा,

"दोस्त, तुम्हें कितनी पुरानी बातें याद हैं?"

दोस्तों! जब मैं छोटा था तो मैं पैदल चलकर जाया करता था।

यह बरगद का पेड़, जिसे मैंने अपनी जांघों के बीच दबा रखा था, और इसकी सबसे ऊपरी टहनी मेरे पेट से छू रही थी। दोस्तों, मुझे बहुत पुरानी बातें याद हैं।

'फिर, हे भिक्षुओं, तीतर और हाथी ने बंदर से [वही प्रश्न] पूछा।'

"दोस्तों! जब मैं छोटा था, एक बार जमीन पर बैठा था, तब मैंने इस बरगद की सबसे ऊपरी टहनी को कुतरना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत पहले की बात याद है।"

'फिर, हे भिक्षुओं, बंदर और हाथी ने तीतर से [एक ही प्रश्न] पूछा।'

"मित्रों! उस खुले मैदान में पहले एक विशाल बरगद का पेड़ था। एक दिन उसका एक फल खाने के बाद, मैंने उसका बीज यहाँ गिरा दिया; और उसी से यह बरगद का पेड़ उग आया। इसलिए मैं तुम दोनों से बड़ा होना चाहिए।"

इस पर, हे भिक्षुओं, हाथी और बंदर ने तीतर से कहा, "हे मित्र, तुम हम सब में सबसे बड़े हो। अब से हम तुम्हारा आदर, श्रद्धा, सम्मान और समर्थन करेंगे, और तुम्हारे उपदेशों का पालन करेंगे।"

तब से, हे भिक्षुओं, तीतर ने बंदर और हाथी को पंच नियमों का पालन कराया और स्वयं भी उनका अनुपालन किया। एक दूसरे के प्रति आदर, विश्वास और शिष्टाचार का भाव रखते हुए, शरीर के नष्ट होने पर वे स्वर्ग में एक सुखमय अवस्था में पुनर्जन्म लेकर लौटे। और उनका यह (परिपूर्ण जीवन) "तीतर का शुभ जीवन" कहलाया।

जो लोग बड़ों का आदर करते हैं, वही धर्म को जानते हैं, इस जीवन में प्रशंसा के पात्र हैं और आने वाले जीवन में सुखी होंगे। 4. हे भिक्षुओं, क्योंकि जब पशु भी एक दूसरे के प्रति आदर, विश्वास और शिष्टाचार से एक साथ रह सकते हैं, तो हे भिक्षुओं, आप भी अपने प्रकाश को इस प्रकार चमकाएँ कि आप, जिन्होंने इतने सुशिक्षित सिद्धांत और अनुशासन का पालन करने के लिए संसार को त्याग दिया है, उसी प्रकार एक साथ रहते हुए दिखाई दें। और जब उन्होंने धर्म प्रवचन दिया (जैसा कि 1, 3 में है), तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा:

हे भिक्षुओं, मैं आप सभी को यह आदेश देता हूँ कि आदर करना, प्रणाम करना, अभिवादन करना, उचित सम्मान देना और सर्वोत्तम आसन, जल और भोजन का आवंटन वरिष्ठता के अनुसार होना चाहिए। परन्तु संघ की संपत्ति पर वरिष्ठता के आधार पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्काता का दोषी होगा।

5. 'हे भिक्षुओं, इन दस को प्रणाम नहीं करना चाहिए—वह भिक्षु जिसे पहले से दीक्षित भिक्षु द्वारा उच्च श्रेणी में दीक्षित किया गया हो—वह व्यक्ति जिसे दीक्षित नहीं किया गया हो—वह वरिष्ठ भिक्षु जो किसी अन्य समुदाय का हो और धर्म के अनुसार न बोलता हो—एक स्त्री—एक नपुंसक—वह भिक्षु जिसे परिवीक्षा पर रखा गया हो—वह व्यक्ति जिसे परिवीक्षा पर रखा गया हो,

वह व्यक्ति जिसे उसकी परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ में वापस भेजा जा सकता है—वह व्यक्ति जिस पर प्रायश्चित (मनत्ता) लगाया जा सकता है—वह व्यक्ति जो प्रायश्चित कर रहा है—वह व्यक्ति जो प्रायश्चित करते हुए पुनर्वास के योग्य है।

'और हे भिक्षुओं, इन तीनों को प्रणाम करना चाहिए—एक जो पहले संघ के उच्चतर पद में प्रवेशित हुआ है, उसे बाद में प्रवेशित होने वाले को प्रणाम करना चाहिए—दूसरे समुदाय में वरिष्ठ व्यक्ति को जब वह धम्म के अनुसार बोलता है—और हे भिक्षुओं, मनुष्य और देवता, मार और ब्रह्मा के सभी लोकों में, सभी प्राणियों, समन (भिक्षुओं) और ब्राह्मणों (पुजारियों), देवताओं और मनुष्यों द्वारा, अरहत सम्मसंबुद्ध को प्रणाम करना चाहिए।'

<<<< पिछला(6.5) । अगला(6.7) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.6) । अगला(6.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय 7।

1. उस समय लोगों ने संघ के उपयोग के लिए मंडप, पलंग और कमरे उपलब्ध कराए। छब्बगीय भिक्षुओं के शिष्यों ने कहा, 'भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि जो कुछ भी पूरी तरह से संघ से संबंधित है, उसका उपयोग वरिष्ठता के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि वह जो केवल संघ के अस्थायी उपयोग के लिए दिया गया है।' वे संघ के आगे-आगे चले और मंडपों, पलंगों और कमरों पर कब्जा कर लिया और कहने लगे, 'यह हमारे वरिष्ठों के लिए, यह हमारे गुरुओं के लिए और यह हमारे लिए है।'

और सारिपुत्त (आदि, जैसा कि पिछले अध्याय, अनुच्छेद 1, 2 से आगे तक में है) तब भगवान बुद्ध ने उन्हें फटकारा, इत्यादि, और भिक्षुओं से कहा, 'हे भिक्षुओं, जो वस्तु संघ के अस्थायी उपयोग के लिए ही अलग रखी गई है, उसे भी वरिष्ठता के अनुसार अनन्य उपयोग के लिए आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।'

<<<< पिछला(6.6) । अगला(6.8) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.7) । अगला(6.9) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-8.

1. उस समय लोग अपने घरों के भोजन कक्षों या भीतरी आंगनों में ऊँचे और बड़े पलंग लगाते थे, जैसे [यहाँ महावग्ग V, 10, 4 में निषिद्ध वस्तुओं की सूची दी गई है]। भिक्षु, किसी को नाराज़ करने के डर से, उन पर नहीं बैठते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गृहस्थों द्वारा व्यवस्थित आसनों पर बैठने की अनुमति देता हूँ—तीन को छोड़कर (अर्थात्) बड़े तकिये, दीवान, गद्दे—पर तुम उन पर लेट नहीं सकते।'

उस समय लोग भोजन कक्षों या आंगनों में गद्देदार सोफे और गद्देदार कुर्सियाँ रखते थे। भिक्षु, किसी को नाराज करने के डर से, उन पर नहीं बैठते थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें गृहस्थों द्वारा व्यवस्थित की गई किसी भी वस्तु पर बैठने की अनुमति देता हूँ, परन्तु उन पर लेटने की नहीं।'

<<<< पिछला(6.7) | अगला(6.9) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.9

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.8) | अगला(6.10) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-9.

1. अब भगवान बुद्ध अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए उचित समय पर सावत्थी पहुंचे; और वहां।

श्रावस्ती में, भगवान बुद्ध अनाथपिंडिका के उद्यान, जेतवन में ठहरे। तब गृहस्थ अनाथपिंडिका ने [भगवान बुद्ध को अगले दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया, और भोजन समाप्त होने पर उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा]:

'हे प्रभु, मुझे जेतवन के संबंध में क्या करना चाहिए?'

हे गृहस्थ, आप इसे चारों दिशाओं के संघों के उपयोग हेतु समर्पित कर सकते हैं, चाहे वे अभी यहाँ उपस्थित हों या भविष्य में आएँ।

'जी प्रभु, ऐसा ही हो,' गृहस्थ अनाथ पिंडिका ने भगवान बुद्ध की बात मानते हुए कहा और उन्होंने वैसा ही किया।

2. फिर भगवान बुद्ध ने इन श्लोकों में गृहस्थ अनाथ पिंडिका को धन्यवाद दिया। [यहाँ वही श्लोक दिए गए हैं जो ऊपर छठे, पहले और पाँचवें भाग में जेतवन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रयुक्त किए गए थे।]

<<<< पिछला(6.8) | अगला(6.10) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.10

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.9) | अगला(6.11) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-10.

1. उस समय यह तय हुआ था कि दरबार का एक उच्च अधिकारी, जो आजीवकों का अनुयायी था, संघ के लिए दिन का भोजन उपलब्ध कराएगा। आदरणीय शाक्य उपनंद भिक्षु देर से आए, लेकिन भोजन समाप्त होने से पहले ही उन्होंने अपने से कनिष्ठ भिक्षु से भोजन मंगवाया।

वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ; और भोजन कक्ष में अफरा-तफरी मच गई।

तब वह मंत्री क्रोधित हो गया, बड़बड़ाया और नाराज़ होकर बोला, 'शाक्यपुत्रीय समना ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं! क्या फिर किसी के लिए, बैठे बिना, अपनी इच्छानुसार भोजन करना वैध नहीं है?'

भिक्षुओं ने उसे बड़बड़ाते हुए सुना, इत्यादि। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है जैसा कि वे कहते हैं, इत्यादि?'

'यह सच है, प्रभु।'

तब भगवान बुद्ध ने उसे फटकारा, इत्यादि, और भिक्षुओं से कहा, 'हे भिक्षुओं, भोजन समाप्त होने से पहले किसी भिक्षु को उसके आसन से नहीं उठना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्काता का दोषी होगा। और यदि कोई किसी दूसरे को उठने के लिए मजबूर करे और फिर उसे भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करे, तो उसे पानी लाने का आदेश दिया जाएगा। यदि वह इस प्रकार आसन ग्रहण कर ले, तो अच्छा है; यदि नहीं, तो दूसरा पहले चावल निगलकर अपने वरिष्ठ को आसन दे देगा। परन्तु हे भिक्षुओं, मैं किसी भी स्थिति में यह नहीं कहता कि किसी वरिष्ठ भिक्षु का आसन (कनिष्ठ भिक्षु द्वारा) लिया जाए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्काता का दोषी होगा।'

2. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं ने बीमार भिक्षुओं को (उनकी सीटों से) उठने को कहा। बीमार भिक्षुओं ने कहा, 'हे महोदय, हम उठ नहीं सकते; क्योंकि हम बीमार हैं।'

उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि तुम उठो;' और उन्हें पकड़कर ऊपर खींचते हुए, खड़े-खड़े ही छोड़ दिया। जैसे ही बीमार लोगों को छोड़ा गया, वे गिर पड़े।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, बीमार व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने यह कहते हुए कि 'हम बीमार हैं और हमें निकाला नहीं जा सकता,' सर्वोत्तम विश्राम स्थलों पर कब्जा कर लिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप बीमार भिक्षुओं के लिए उपयुक्त विश्राम स्थल आवंटित करें।'

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने मामूली अस्वस्थता का बहाना बनाकर सोने के स्थानों पर एकाधिकार कर लिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, ऐसा करना उचित नहीं है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला(6.9) । अगला(6.11) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.11

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.10) | अगला (6.12) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-11.

1. उस समय सत्तरसा-वज्जिया भिक्षुओं ने आस-पास के एक बड़े विहार को निवास के लिए तैयार किया। जब छब्बाग्य भिक्षुओं ने उन्हें ऐसा करते देखा, तो उन्होंने कहा, 'ये पूजनीय सत्तरसा-वज्जिया भिक्षु विहार तैयार करवा रहे हैं; आइए, हम इन्हें यहाँ से निकाल दें।' उनमें से कुछ ने कहा, 'जब तक वे विहार तैयार न कर लें, हम यहीं ठहरेंगे और विहार तैयार होते ही इन्हें निकाल देंगे।' तब छब्बाग्य भिक्षुओं ने सत्तरसा-वज्जिया भिक्षुओं से कहा, 'आप जाइए; यह विहार हमें मिल गया है।'

'आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा, महोदय; हम कोई दूसरा तैयार करवा लेते?'

तो क्या यह विहार संघ की साझा संपत्ति नहीं है?

जी हाँ, महोदय; यह सच है।

'तो फिर आप लोग प्रस्थान करें; क्योंकि विहार हमारे कब्जे में आ गया है।'

यह विहार बहुत बड़ा है, महोदय। आप भी इसमें रह सकते हैं और हम भी।

फिर क्रोध और नाराजगी से भरे हुए उन्होंने दोहराया, 'महोदय, यहाँ से चले जाइए; यह विहार हमारे हाथ लग गया है।' और उन्हें गला पकड़कर बाहर निकाल दिया। और बाकी लोग निकाले जाने पर रोने लगे।

भिक्षुओं ने पूछा, 'हे सज्जनों, आप क्यों रो रहे हैं?'

तब उन्होंने उन्हें बताया; और संयमी भिक्षुओं ने कुछ बुदबुदाया, इत्यादि, और यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'क्या यह सच है, जैसा कि वे कहते हैं, इत्यादि?'

'यह सच है, प्रभु।'

फिर उन्होंने उन्हें फटकारा; और जब उन्होंने धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा:

हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु को संघ की साझा संपत्ति, विहार से क्रोधित होकर या नाराज़ होकर नहीं निकाला जाना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें संघ के साझा आवासों को (जरूरतमंदों को) आवंटित करने की अनुमति देता हूँ।

2. अब भिक्षुओं ने सोचा, 'फिर रहने की जगहें कैसे आवंटित की जाएँगी?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आवास स्थान आवंटित करने के लिए ऐसे भिक्षु को नियुक्त करने की अनुमति देता हूँ जो इन पाँच गुणों से युक्त हो—जो पक्षपात न करता हो, जो द्वेष न रखता हो, जो मूर्खता न करता हो, जो भय न रखता हो (और इसी प्रकार, जैसा कि खंडक चतुर्थ अध्याय-10 में कम्मवक के अंत तक वर्णित है)।'

3. अब आवास आवंटित करने वालों ने सोचा, 'तो फिर आवासों का आवंटन कैसे किया जाना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें सर्वप्रथम भिक्षुओं की गिनती करने, फिर विश्राम स्थलों की गिनती करने और फिर तदनुसार आवंटन करने की अनुमति देता हूँ।'

सोने की जगहों की संख्या के अनुसार आवंटन करते समय, कुछ जगहें बिना आवंटित रह गईं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें विहारों की संख्या के अनुसार विभाजन करने की अनुमति देता हूँ।'

इस प्रकार आवंटन करते समय, कुछ विहार (अपार्टमेंट) बिना आवंटित रह गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें भवनों (परिवेनों) की संख्या के अनुसार भाग-दौड़ करने की अनुमति देता हूँ।'

इस प्रकार आवंटन करते समय, कुछ भवन (परिवेना) बिना आवंटित रह गए।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें प्रत्येक भिक्षु को पूरक हिस्सा देने की अनुमति देता हूँ।'

जब एक से अधिक हिस्से आवंटित किए जा चुके थे, तब एक और भिक्षु आ गया।

'उस स्थिति में, यदि भिक्षु ऐसा नहीं चाहते हैं तो उन्हें हिस्सा आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है।'

उस समय उन्होंने उस भिक्षु को सोने की जगह आवंटित की जो उस समय (जिस जिले में वह इमारत स्थित थी) की सीमा के बाहर रह रहा था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, ऐसा करना उचित नहीं है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने आवास स्थान आवंटित होने के बाद, उन्हें हमेशा के लिए दूसरों से अलग रखते हुए अपने पास ही रखा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, ऐसा करना उचित नहीं है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। मैं तुम्हें वर्षा ऋतु के तीन महीनों तक इन्हें धारण करने की अनुमति देता हूँ, लेकिन शुष्क ऋतु में नहीं।'

4. तब भिक्षुओं ने सोचा, 'अब (वह क्या है जो) आवास स्थानों के आवंटन का आधार बनता है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, तीन प्रकार के आवास आवंटित किए गए हैं—प्रारंभिक, परवर्ती और मध्यवर्ती। प्रथम आवास आषाढ़ (जून-जुलाई) की पूर्णिमा के अगले दिन आयोजित किया जाता है; परवर्ती आवास उस पूर्णिमा के एक महीने बाद आयोजित किया जाता है; मध्यवर्ती आवास (जिसमें बीच के समय में त्याग करना पड़ता है) पवाराना समारोह के अगले दिन, अगले वर्ष के वर्षा ऋतु के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। हे भिक्षुओं, ये तीन प्रकार के आवास आवंटित किए गए हैं।

यहां पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला (6.10) | अगला (6.12) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.12

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.11) । अगला (6.13) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-12.

1. अब आदरणीय शाक्य उपनंद को एक आवास आवंटित किए जाने के बाद,

सावत्थी एक ऐसे ग्रामीण इलाके में गए जहाँ संघ का एक समुदाय निवास करता था, और वहाँ उनके लिए एक आवास भी आवंटित किया गया। तब वहाँ के भिक्षुओं ने सोचा, 'यह भाई, शाक्य उपनंद, कलह पैदा करने वाला, झगड़ालू, विवाद करने वाला, व्यर्थ की बातें करने वाला और संघ में कानूनी प्रश्न उठाने वाला है। यदि वह वर्षा ऋतु यहाँ बिताएगा, तो हम सभी को असुविधा होगी। चलो, हम उससे प्रश्न करें।' और उन्होंने पूज्य शाक्य उपनंद से पूछा:

'क्या आपको, मित्र उपनंद, सावत्थी में रहने के लिए कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है?'

जी हाँ, महोदय।

'तो फिर तुम, मित्र उपानंद, एक होते हुए भी दो (आवास स्थलों) पर अनन्य अधिकार क्यों जताते हो?'

'ठीक है, महोदय, अब मैं कर लेता हूँ, यहाँ का कमरा खाली कर दीजिए और वहाँ वाला कमरा ले लीजिए।'

जो भिक्षु संयमी थे, उन्होंने कुछ बुदबुदाया, इत्यादि, और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में भिक्षु संघ की एक सभा बुलाई और पूज्य शाक्य उपनंद से पूछा:

'क्या यह सच है, उपानंद, कि तुम एक होते हुए भी दो स्थानों पर अधिकार कर चुके हो?'

'यह सच है, प्रभु।'

तब भगवान बुद्ध ने उसे फटकारते हुए कहा, 'हे मूर्ख, तू ऐसा कैसे कर सकता है? हे मूर्ख, तूने जो वहाँ से लिया, वह यहाँ खो गया; तूने जो यहाँ से लिया, वह वहाँ खो गया। अतः हे मूर्ख, तू दोनों से वंचित हो गया है।' और जब उन्होंने धर्म प्रवचन दिया, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा:

'हे भिक्षुओं, एक व्यक्ति को दो स्थानों पर नहीं ठहरना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (6.11) । अगला (6.13) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.12) । अगला (6.14) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-13.

1. उस समय भगवान बुद्ध ने विनय के विषय में अनेक दृष्टांतों का प्रयोग किया, विनय की स्तुति की, विनय सीखने की प्रशंसा की, और बार-बार पूज्य उपली की प्रशंसा की। तब भिक्षुओं ने कहा, 'भगवान बुद्ध उपली से बात कर रहे हैं। आओ, हम पूज्य उपली से विनय सीखें।' और अनेक भिक्षु, वरिष्ठ और कनिष्ठ, तथा मध्यम स्तर के, पूज्य उपली से विनय सीखने गए। पूज्य उपली ने वरिष्ठ भिक्षुओं के प्रति आदर के कारण खड़े होकर उन्हें शिक्षा दी, और वरिष्ठ भिक्षुओं ने धर्म के प्रति आदर के कारण खड़े होकर उनकी शिक्षा सुनी; इससे वरिष्ठ भिक्षु और पूज्य उपली दोनों ही ऊब गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं कनिष्ठ भिक्षु को उपदेश देते समय विधि के प्रति आदर के कारण समान ऊँचाई या उससे ऊँची आसन पर बैठने की अनुमति देता हूँ; और वरिष्ठ भिक्षु को उपदेश ग्रहण करते समय आसन पर बैठने की अनुमति देता हूँ।

कानून के प्रति आदर के कारण, समान ऊंचाई या उससे कम ऊंचाई के।

2. उस समय कई भिक्षु उपाली के चारों ओर खड़े होकर बैठने की जगह की प्रतीक्षा कर रहे थे; और वे थक गए थे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन भाइयों के साथ बैठने की अनुमति देता हूँ जो समान ऊँचाई के आसनों पर बैठने के पात्र हैं।'

तब भिक्षुओं ने सोचा, 'हममें से कितने लोग समान ऊंचाई वाली सीटों पर बैठने के हकदार हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन भिक्षुओं के साथ एक ही आसन पर बैठने की अनुमति देता हूँ जो वरिष्ठता में एक दूसरे से तीन वर्ष के भीतर हैं।'

उस समय कई भिक्षु, जिन्हें एक ही आसन पर बैठने का अधिकार था, एक पलंग पर बैठ गए और पलंग को तोड़ दिया; या एक कुर्सी पर बैठ गए और कुर्सी को तोड़ दिया।

'हे भिक्षुओं, मैं तीन व्यक्तियों के लिए पलंग या कुर्सी के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

यहां तक कि जब तीन लोग सोफे या कुर्सी पर बैठते थे, तब भी यह टूट जाता था।

'हे भिक्षुओं, मैं दो लोगों को पलंग या कुर्सी पर बैठने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय, समान ऊँचाई वाली सीटों पर बैठने के योग्य न होने के कारण, भिक्षुओं को डर था कि यदि वे एक लंबी सीट पर एक साथ बैठेंगे तो कहीं वे किसी को नाराज न कर दें। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन लोगों के साथ एक लंबी चौकी पर बैठने की अनुमति देता हूँ जो समान ऊँचाई की सीटों पर बैठने के योग्य नहीं हैं, सिवाय उन लोगों के जो स्त्रियाँ हों, या हिजड़े हों, या उभयलिंगी हों।'

तब भिक्षुओं ने सोचा, 'लंबी आसन' शब्द के अंतर्गत लंबाई की सीमा क्या है?'

'हे भिक्षुओं, मैं तीन व्यक्तियों के बैठने के लिए पर्याप्त लंबी किसी भी आसन के लिए "लंबी आसन" शब्द के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.14

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.13) | अगला (6.15) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-14.

1. उस समय मिगारा की माता विशाखा संघ के उपयोग के लिए हाथी के सिर के शीर्ष वाले स्तंभों पर टिकी एक बहुमंजिला इमारत (पासदा) बनवाना चाहती थीं, जिसमें एक बरामदा (अलिंडा) भी हो। तब भिक्षुओं ने सोचा, 'बहुमंजिला इमारत से संबंधित किन चीजों की अनुमति भगवान बुद्ध ने दी है और किनकी नहीं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं बहुमंजिला इमारत के सभी सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

अब उस समय कोसला के पासेनादी की दादी का निधन हो गया था, और संघ के हाथों में कई अनधिकृत चीजें आ गई थीं, जैसे कि पलंग, दीवान (आदि, जैसा कि ऊपर अध्याय-8 और महावग्ग V, 10, 4 में है)।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम गद्दीदार पलंगों (असंदी) के पैर तोड़कर उनका उपयोग करो, और दीवानों (पल्लंका) से बाल हटा दो, और गद्दों के रुई को कंघी करके उससे तकिए बना लो, और शेष सभी को फर्श पर बिछाने के लिए उपयोग करो।'

<<<< पिछला (6.13) | अगला (6.15) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.15

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.14) | अगला(6.16) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-15.

1. उस समय, सावत्थी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक ग्रामीण निवास में रहने वाले भिक्षु, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए लगातार आवास की व्यवस्था करने से चिंतित थे। उन भिक्षुओं ने सोचा, 'यदि ऐसा हो, तो हम संघ की सारी आवास-व्यवस्था अपने में से किसी एक को सौंप दें और उसका उपयोग उसी के स्वामित्व में करें।' और उन्होंने ऐसा ही किया।

तब आने वाले भिक्षुओं ने उनसे कहा: 'महोदय, हमारे लिए सोने की व्यवस्था कीजिए।'

'महोदय, संघ के पास कोई बिस्तर नहीं है। हमने वे सभी अपने ही एक सदस्य को दे दिए हैं।'

'क्या, महोदय? क्या आपने संघ की संपत्ति हड़प ली है?'

'जी हां, महोदय।'

मध्यम भिक्षुओं ने कुछ बुदबुदाते हुए यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है जैसा कि कहा जाता है कि भिक्षु संघ की संपत्ति हड़प लेते हैं?'

'यह सच है, प्रभु।'

2. तब भगवान बुद्ध ने उन्हें फटकारा, इत्यादि, और भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, ये पाँच वस्तुएँ हस्तांतरणीय नहीं हैं; और इनका निपटान न तो संघ द्वारा, न दो या तीन भिक्षुओं के समूह (गण) द्वारा, और न ही किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। और वे पाँच वस्तुएँ क्या हैं? एक उद्यान (आराम), या उद्यान के लिए भूमि—यह पहली हस्तांतरणीय वस्तु है, जिसका निपटान न तो संघ द्वारा, न किसी गण द्वारा, और न ही किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यदि इसका निपटान किया जाता है, तो ऐसा निपटान व्यर्थ है; और जिसने भी इसका निपटान किया है, वह थुलकाय (गंभीर अपराध) का दोषी है। एक विहार, या विहार के लिए भूमि—यह दूसरी वस्तु है, इत्यादि (जैसा कि पहले बताया गया है)। एक पलंग, या कुर्सी, या तकिया, या तकिया—यह तीसरी वस्तु है, इत्यादि।' पीतल का बर्तन, या पीतल का घड़ा, या पीतल का प्याला, या पीतल का फूलदान, या उस्तरा, या कुल्हाड़ी, या हथौड़ा, या कुदाल, या फावड़ा—यह चौथा है, इत्यादि। लताएँ, या बाँस, या मूंगा, या बब्बागा घास, या सामान्य घास, या मिट्टी, या लकड़ी की बनी वस्तुएँ, या मिट्टी के बर्तन—यह पाँचवाँ है, इत्यादि। (पहले की तरह, थुलकाया (बड़ा/गंभीर अपराध) तक।

<<<< पिछला(6.14) | अगला(6.16) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.16
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.15) | अगला (6.17) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-16.

1. अब जब भगवान बुद्ध ने सावत्थी में अपनी इच्छानुसार समय व्यतीत कर लिया, तो वे भिक्षुओं की एक बड़ी भीड़ के साथ—अर्थात् लगभग पाँच सौ भिक्षुओं के साथ, सारिपुत्त और मोग्गलाना के अतिरिक्त—किता पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े।

और असाजी और पुनाबस्सु के अनुयायी भिक्षुओं ने यह खबर सुनकर आपस में कहा, 'हे सज्जनों, आइए हम संघ के सभी विश्राम स्थलों को आपस में बाँट लें। सारिपुत्त और मोग्गलाना पापी इच्छाओं से ग्रस्त हैं और उनके प्रभाव में हैं। हम उनके लिए विश्राम स्थल उपलब्ध नहीं कराएँगे।' और उन्होंने ऐसा ही किया।

अब भगवान बुद्ध अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए किता पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने कई भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, "हे भिक्षुओं, आप असाजी और पुनाबस्सु के अनुयायियों के पास जाकर उनसे कहें: 'हे भिक्षुओं, भगवान बुद्ध बड़ी संख्या में भिक्षुओं के साथ आए हैं—अर्थात लगभग पाँच सौ भिक्षुओं के साथ, सारिपुत्त और मोग्गलाना भी हैं। हे भिक्षुओं, भगवान बुद्ध, भिक्षु संघ, सारिपुत्त और मोग्गलाना के लिए विश्राम स्थल तैयार कर दीजिए।'"

'जी प्रभु, ऐसा ही हो,' उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की बात से सहमति जताते हुए कहा और उन्होंने वैसा ही किया।

'संघ के लिए कोई सोने की जगह नहीं है। हमने सब कुछ आपस में बाँट लिया है' (यह उत्तर मिला)। 'भगवान बुद्ध का स्वागत है, महोदय, और वे जिस भी विहार में चाहें ठहर सकते हैं। लेकिन सारिपुत्त और मोग्गलाना पापी इच्छाओं से ग्रस्त हैं और उनके प्रभाव में हैं; उनके लिए हम सोने की कोई जगह नहीं देंगे।'

2. 'तो फिर क्या हुआ, महोदय? क्या आपने संघ की संपत्ति वाले सोने के आवास को आपस में बाँट लिया है?'

'जी हां, महोदय।'

संयमी भिक्षुओं ने धीरे-धीरे कहा, इत्यादि। (अंत में) भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा:

'हे भिक्षुओं, ये पाँच बातें अविभाज्य हैं और इन्हें न तो संघ, न ही गण, न ही किसी व्यक्ति द्वारा विभाजित किया जा सकता है। यदि इन्हें विभाजित किया जाए, तो विभाजन व्यर्थ है; और जो कोई भी ऐसा करेगा, वह थुलकाय (गंभीर अपराध) का दोषी होगा। और वे पाँच बातें क्या हैं (आदि, जैसा कि छठे, पंद्रहवें, दोवें भाग में है)?'

<<<< पिछला (6.15) | अगला (6.17) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.17

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.16) | अगला(6.18) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-17.

1. अब जब भगवान बुद्ध किता पहाड़ी पर अपनी इच्छानुसार समय बिता चुके थे, तब वे अलावी की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े; और उचित समय पर वे अलावी पहुँचे, और वहाँ अलावी में भगवान बुद्ध अग्गलावा मंदिर में ठहरे।

उस समय अलावी के भिक्षु नए भवन निर्माण कार्यों का प्रभार (अपने किसी एक साथी को) सौंपते थे, जैसे कि जब मिट्टी के ढेर लगाने हों, दीवार पर दोबारा प्लास्टर करना हो, दरवाजा बनाना हो, कुंडी के लिए सॉकेट बनाना हो, खिड़की पर कुछ बढ़ई का काम करना हो, सफेदी करनी हो, काला रंग चढ़ाना हो, या लाल रंग लगाना हो, छत का काम करना हो, बढ़ई का काम करना हो, या दरवाजे पर छड़ लगानी हो, दरारें या जीर्णता ठीक करनी हो, या फर्श पर दोबारा प्लास्टर करना हो; और वे यह कार्यभार एक-दूसरे को बीस या तीस वर्षों के लिए, या जीवन भर के लिए सौंपते थे; या वे पूरी तरह से तैयार विहार का प्रभार किसी भिक्षु को तब तक के लिए सौंपते थे जब तक कि (उस चिता से धुआं न उठने लगे जिस पर उसके शरीर को जलाया जाना था)।

संयमी भिक्षुओं ने धीरे-धीरे फुसफुसाया, इत्यादि। (हमेशा की तरह, अंत तक) भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा:

हे भिक्षुओं, जब मिट्टी को केवल ढेर में अलग रखना हो, तब भवन निर्माण निरीक्षक का पद किसी को न सौंपें... (जैसा कि पहले बताया गया है, अंत में) शरीर को जलाया जाएगा। जो कोई भी ऐसा पद सौंपेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको किसी ऐसे विहार का कार्यभार सौंपने की अनुमति देता हूँ जिसका निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है या जो अभी पूरा नहीं हुआ है, मानो वह नया भवन हो। और छोटे विहार के निर्माण कार्य के संदर्भ में, उसे नवकम्म के रूप में पाँच या छह वर्ष की अवधि के लिए, अद्धयोग के रूप में सात या आठ वर्ष की अवधि के लिए, और बड़े विहार या पसद के रूप में दस या बारह वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार सौंपा जा सकता है।

2. उस समय भिक्षु एक विहार को नवकम्मा (एक भिक्षु को देखरेख के लिए) दे देते थे—या दो विहार एक भिक्षु को—या कार्यभार संभालने वाले भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को वहाँ रहने और कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त कर लेते थे—या कार्यभार संभालने वाले भिक्षु...

संघ से संबंधित भवन पर विशेष अधिकार बनाए रखा जाता था - या भिक्षुओं द्वारा कार्य का प्रभार उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता था जो उस समय सीमा के भीतर नहीं होता था - या जिन भिक्षुओं ने एक बार कार्यभार संभाल लिया था, वे उस पर हमेशा के लिए विशेष अधिकार बनाए रखते थे।

उन्होंने ये सारी बातें भगवान बुद्ध को बताईं।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें इनमें से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। और प्रभारी भिक्षु वर्षा ऋतु के तीन महीनों के लिए एक उत्तम विश्राम स्थल अपने एकाधिकार में ले सकता है, लेकिन शुष्क ऋतु के दौरान नहीं।'

3. अब उस समय भवन निर्माण कार्यों का कार्यभार संभालने वाले भिक्षुओं ने वह स्थान छोड़ दिया [या अन्यथा अगले अनुच्छेद 2 में वर्णित तेईस तरीकों में से किसी एक या दूसरे तरीके से अक्षम हो गए]।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि ऐसा हो जाए, तो जैसे ही वह पदभार ग्रहण कर ले, या भवन के पूर्ण होने से पहले, यह पद किसी अन्य को सौंप दिया जाए, अन्यथा संघ को हानि होगी। हे भिक्षुओं, यदि भवन पूर्ण हो जाए, और फिर वह स्थान छोड़ दे, तो भी यह (पद और इसके विशेषाधिकार) उसका ही रहेगा—यदि वह संसार में लौट जाए, या मर जाए, या स्वीकार करे कि वह समनेर है, या उसने नियमों का त्याग कर दिया है, या वह किसी घोर अपराध का दोषी हो गया है, तो संघ...

यदि वह यह स्वीकार करता है कि वह पागल है, या उसका दिमाग खराब है, या वह शारीरिक पीड़ा से पीड़ित है, या उसे किसी अपराध को स्वीकार करने से इनकार करने, या किसी अपराध का प्रायश्चित करने से इनकार करने, या किसी पापी सिद्धांत का त्याग करने से इनकार करने के कारण निलंबित कर दिया गया है, तब भी वह (पद और उसके विशेषाधिकार) उसका ही रहता है। यदि वह यह स्वीकार करता है कि वह नपुंसक है, या उसने गुप्त रूप से संघ में प्रवेश किया है, या वह तित्थिय संप्रदाय में शामिल हो गया है, या वह पशुवत है, या उसने अपनी माता, या अपने पिता, या किसी अरहत की हत्या की है, या उसने किसी भिक्षुणी का अपमान किया है, या उसने संघ में फूट डाली है, या उसने (किसी बुद्ध का) रक्त बहाया है, या वह नपुंसक है, तो संघ उसका स्वामी बन जाता है।

<<<< पिछला(6.16) | अगला(6.18) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.18
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.17) | अगला (6.19) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-18.

1. उस समय भिक्षुओं ने एक गृहस्थ शिष्य (उपासक) के विहार से जुड़े पलंगों का उपयोग अन्यत्र किया।

तब वह उपासक बड़बड़ाया, और सी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, एक स्थान से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग दूसरे स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षु उपोसथ हॉल या सभा स्थल में भी बैठने की वस्तुएँ ले जाने पर आपत्ति जताने के डर से जमीन पर बैठ गए; और उनके पैर और वस्त्र गंदे हो गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें केवल एक निश्चित समय के लिए ही वस्तुएँ ले जाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय संघ का एक बड़ा विहार जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच गया। भिक्षुओं ने किसी को नाराज करने के डर से उसमें रखे बिस्तर नहीं हटाए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें विनाश से बचाने के लिए वस्तुओं को हटाने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (6.17) | अगला (6.19) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> छठा खंडका >> 6.19
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.18) | अगला (6.20) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-19.

1. उस समय संघ के बिस्तर के सामान में एक बहुत ही कीमती कालीन और एक बहुत ही कीमती कपड़ा था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इनमें से किसी भी वस्तु का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता हूँ ताकि विधिवत रूप से अनुमत फर्नीचर का भंडार बढ़ाया जा सके।'

उस समय संघ को एक

भालू की खाल, एक कक्काली गलीचा और एक कोलाका कपड़ा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इन्हें अपने पैर पोंछने के लिए चटाई के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (6.18) | अगला (6.20) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (6.19) | अगला (6.21) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-20.

1. उस समय भिक्षु सोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चटाइयों पर बिना धोए या गीले पैरों से या चप्पल पहने चलते थे; और चटाई गंदी हो जाती थी।

उन्होंने ये बातें भगवान बुद्ध को बताईं।

'हे भिक्षुओं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय भिक्षुओं ने नवनिर्मित फर्श पर थूका, जिससे उसका रंग बिगड़ गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, ऐसा करना मना है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं थूकदान के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय पलंगों और कुर्सियों के पैरों से नए तैयार किए गए फर्श पर खरोंचें पड़ रही थीं। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इसे फर्श के कपड़े से ढकने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु नवनिर्मित दीवारों से टिककर खड़े हो गए, जिससे दीवारों का रंग खराब हो गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, ऐसा करना मना है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं आपको सहारा लेने के लिए एक तख्ते का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

तख्ते ने नीचे की तरफ फर्श को खरोंच दिया और ऊपर की दीवार को खराब कर दिया।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें इसे ऊपर और नीचे से कपड़े से ढकने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय, वे किसी को नाराज करने के डर से, उन स्थानों पर नहीं लेटते थे जिन पर धुले हुए पैरों से चलना जायज था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेटने की अनुमति देता हूँ जहाँ तुमने कुछ बिछा दिया हो।'

<<<< पिछला (6.19) | अगला (6.21) >>>>

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.20) | अगला(7.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

छठा खंडक (आवास और साज-सज्जा पर)

अध्याय-21.

1. जब भगवान बुद्ध अलावी में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे राजगृह की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सीधे आगे बढ़ते हुए वे उचित समय पर राजगृह पहुँचे। वहाँ राजगृह में, भगवान बुद्ध वेलुवन में कलंदक निवापा में ठहरे।

उस समय राजगृह में भोजन की कमी थी। लोग पूरे संघ के लिए भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ थे और वे विहार में भेजे जाने वाले भोजन की व्यवस्था करना चाहते थे, जो दानदाता द्वारा नामित किसी विशेष भिक्षु, दानदाता द्वारा अपने घर में आमंत्रित विशेष भिक्षुओं, संघ द्वारा जारी टिकट द्वारा नियुक्त एकल भिक्षुओं के लिए हो, या पखवाड़े भर के लिए, या उपोसथ पर्व पर उपलब्ध कराया जा सके।

दिनों (अर्थात, प्रत्येक पखवाड़े के अंतिम दिनों में) या प्रत्येक पखवाड़े के पहले दिनों में।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें भोजन प्राप्त करने के तीनों तरीके अपनाने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने अपने लिए अच्छा भोजन प्राप्त कर लिया और फिर भी जो भोजन उन्हें मिला था, वह खराब था, जिसे उन्होंने अन्य भिक्षुओं को दे दिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें राशन के बंटवारे के लिए ऐसे भिक्षु को नियुक्त करने की अनुमति देता हूँ जो निम्नलिखित पाँच योग्यताओं से युक्त हो--(आदि, जैसा कि IV, 9 में कम्मवक के अंत तक है)।

अब राशन बांटने वाले भिक्षुओं ने सोचा, 'तो फिर राशन कैसे बांटा जाए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, कि तुम भोजन को छोटे-छोटे ढेरों में व्यवस्थित करके और उन पर टिकट या चिह्न लगाकर उन्हें बाँट लो।'

2. उस समय संघ का कोई वितरक नहीं था।

आवास स्थलों का कोई निरीक्षक नहीं था—भंडारों का कोई निरीक्षक नहीं था—वस्त्रों का कोई प्राप्तकर्ता नहीं था—वस्त्रों, दलिया या फलों का कोई वितरक नहीं था—और सूखे खाद्य पदार्थों का कोई वितरक नहीं था, और वितरण न होने के कारण वह खराब हो गया।

उन्होंने ये सारी बातें भगवान बुद्ध को बताईं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आवास-स्थानों आदि के वितरक के रूप में ऐसे भिक्षु (भिक्षु) को नियुक्त करने की अनुमति देता हूँ, जिसके पास (आदि, जैसा कि ६-1 में कम्मवक के अंत तक है, पाँचवीं योग्यता में उपयुक्त भिन्नताओं को शामिल करते हुए)।

3. उस समय संघ के भंडारगृह में तुच्छ मूल्य की वस्तुएँ जमा हो गई थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें यह अनुमति देता हूँ कि तुम तुच्छ वस्तुओं के निपटान के लिए ऐसे भिक्षु को नियुक्त करो जिसके पास (अतः पहले की तरह, कम्मवक के अंत तक) ये सभी वस्तुएँ हों। प्रत्येक सुई, कैंची, चप्पल, कमरबंद, ब्रेसेस, छानने वाला कपड़ा, छलनी, चोटी, आधी चोटी, गसेट, आधा गसेट, बाँटने वाला कपड़ा और बुनाई की वस्तुएँ दान कर दी जाएँ। यदि संघ के पास घी, तेल, शहद या गुड़ हो, तो वह उसे केवल अपने उपयोग के लिए ही दान करे, और यदि उसकी आवश्यकता हो, तो वह उसे दूसरी और तीसरी बार भी दान करे।

उस समय संघ में न तो अंतर्वस्त्रों का कोई प्राप्तकर्ता था, न ही कटोरे का, न ही मैदानों की देखरेख करने वालों (अरमिकों) का कोई अधीक्षक था, और अरमिकों की देखरेख न होने के कारण आवश्यक कार्य नहीं किए जाते थे, न ही समनेरों का कोई अधीक्षक था, और समनेरों की देखरेख न होने के कारण वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे।

उन्होंने ये सारी बातें भगवान बुद्ध को बताईं।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अंतर्वस्त्र आदि के प्राप्तकर्ता के रूप में ऐसे भिक्षु को नियुक्त करने की अनुमति देता हूँ जिसके पास (पहले की तरह, कम्मवक के अंत तक) हो।'

=========
छठे खंडक का समापन, सोने की व्यवस्था आदि पर।

<<<< पिछला(6.20) । अगला(7.1) >>>>

सातवां खंडक (विवाद)
(विधानसभा में मतभेद)

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> सातवाँ खंडका >> 7.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(6.21) । अगला(7.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

सातवां खंडक (संप्रदाय में मतभेद)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध अनुपिया में ठहरे हुए थे। अनुपिया मल्ल वंश का एक नगर था। उस समय शाक्य वंश के सबसे प्रतिष्ठित युवकों ने भगवान बुद्ध का अनुकरण करते हुए संसार का त्याग कर दिया था।

अब दो भाई थे, महानामा शाक्य और अनुरुद्ध शाक्य। अनुरुद्ध शाक्य का पालन-पोषण बहुत ही नाजुक तरीके से हुआ था; उनके पास तीन मंजिला आवास थे, एक शीत ऋतु के लिए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। चार महीने जो वे बिताते थे,

बरसात के मौसम में अपने निवास पर रहते हुए, संगीत बजाने वाली महिलाएं उनकी सेवा करती थीं, और वे अपने निवास की ऊपरी मंजिल से नीचे नहीं आते थे।

तब शाक्य वंश के महानामा ने सोचा, 'शाक्य वंश के सबसे प्रतिष्ठित युवकों ने भगवान बुद्ध का अनुकरण करते हुए संसार त्याग दिया है, परन्तु हमारे परिवार में से कोई भी गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यासी नहीं बना है। अतः या तो मैं, या अनुराद्ध, संसार त्याग दें।' और वे शाक्य वंश के अनुराद्ध के पास गए और उनसे कहा, 'या तो आप संसार त्याग दें, या मैं त्याग दूंगा।'

'मैं नाजुक हूं। मेरे लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर गृहस्थ अवस्था (अर्थात भिक्षु जीवन) में जाना असंभव है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?'

2. "हे प्रिय अनुरुद्ध, अब मैं तुम्हें गृहस्थ जीवन के नियम बताता हूँ। सर्वप्रथम तुम्हें अपने खेतों की जुताई करनी होगी। जब यह हो जाए, तब तुम्हें उनमें बीज बोने होंगे। जब यह हो जाए, तब तुम्हें उनमें पानी डालना होगा। जब यह हो जाए, तब तुम्हें पानी निकालना होगा। जब यह हो जाए, तब तुम्हें खरपतवार उखाड़ने होंगे। जब यह हो जाए, तब तुम्हें फसल काटनी होगी। जब यह हो जाए, तब तुम्हें फसल को ले जाना होगा। जब यह हो जाए, तब तुम्हें उसे व्यवस्थित करना होगा।"

गट्ठों में बांधें। जब यह हो जाए, तो उसे रौंदना होगा। जब यह हो जाए, तो भूसा अलग करना होगा। जब यह हो जाए, तो भूसी निकालनी होगी। जब यह हो जाए, तो उसे फटकना होगा। जब यह हो जाए, तो फसल को इकट्ठा करना होगा। जब यह हो जाए, तो अगले साल भी यही प्रक्रिया दोहरानी होगी, और उसके अगले साल भी यही सब फिर से करना होगा।

'काम कभी खत्म नहीं होता: परिश्रम का अंत कभी नहीं दिखता। हे! हमारा काम कब खत्म होगा? हम अपने परिश्रम का अंत कब देखेंगे? हम कब अपनी पांचों इंद्रियों के सुखों को धारण करते हुए भी शांति से निवास करेंगे? जी हाँ! हे प्रिय अनुराद्ध, काम कभी खत्म नहीं होता; हमारे परिश्रम का कोई अंत नहीं दिखता। यहाँ तक कि जब हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन पूरा कर लिया था, तब भी उनका काम अधूरा ही रहा था।'

'तो तुम गृहस्थी कर्तव्यों के बारे में सोचो। मैं गृहस्थ जीवन छोड़कर घर-बार त्याग कर संन्यासी बन जाऊंगा।'

तब शाक्य पुरुष अनुरुद्ध अपनी माता के पास गए और उनसे कहा, 'हे माता, मैं गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यासी बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी अनुमति दें।'

और जब उसने ऐसा कहा, तो उसकी माँ ने उत्तर दिया

अनुरुद्ध शाक्य से कहा, 'हे प्रिय अनुरुद्ध, तुम दोनों मेरे इकलौते पुत्र हो, मुझे अत्यंत प्रिय हो, और मुझे तुममें कोई दोष नहीं दिखता। मृत्यु के कारण एक दिन, मेरी इच्छा के विरुद्ध, मुझे तुमसे वियोग करना पड़ेगा; परन्तु जब तक तुम जीवित हो, मैं कैसे यह स्वीकार कर सकती हूँ कि तुम गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यासी बन जाओ?'

[और दूसरी बार शाक्य पुरुष अनुरुद्ध ने वही निवेदन किया और वही उत्तर प्राप्त किया। और तीसरी बार शाक्य पुरुष अनुरुद्ध ने अपनी माता से वही निवेदन किया।]

3. उस समय शाक्यों के राजा भद्दिया का शासन था; और वे शाक्य अनुरुद्ध के मित्र थे। अनुरुद्ध शाक्य की माता ने यह सोचकर कि ऐसा होने पर राजा संसार का त्याग नहीं कर पाएंगे, अपने पुत्र से कहा: 'हे प्रिय अनुरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्दिया संसार का त्याग कर दें, तो तुम भी गृहस्थी त्याग कर सकते हो।'

तब शाक्य वंश के अनुरुद्ध ने शाक्य राजा भद्दिया के पास जाकर उनसे कहा, 'हे मित्र, मेरे संसार त्याग में आप बाधक बन रहे हैं।'

'तो हे मेरे मित्र, उस बाधा को दूर कर दो। मैं भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार संसार का त्याग कर दूंगा।'

'आओ, प्रिय मित्र, हम दोनों मिलकर संसार का त्याग कर दें!'

'प्रिय मित्र, मैं गृहस्थ जीवन त्यागने में सक्षम नहीं हूँ। आप मुझसे जो कुछ भी करने को कहें, मैं वह करूँगा। आप अकेले जाइए।'

'मेरे प्रिय मित्र, मेरी माता ने मुझसे कहा है कि यदि तुम ऐसा करोगे, तो मैं भी कर सकूँगी। और तुमने अभी-अभी कहा है, "यदि मेरे कारण तुम्हारा त्याग बाधित हो, तो उस बाधा को दूर कर दिया जाए। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छा के अनुसार संसार का त्याग कर दूँगी।" तो आओ, प्रिय मित्र, हम दोनों संसार का त्याग कर दें।'

उस समय लोग सत्य की बात करते थे और अपने वचन के पालनशील थे। शाक्य राजा भद्दिया ने शाक्य अनुरुद्ध से कहा, 'हे मित्र, सात वर्ष प्रतीक्षा करो। सात वर्ष पूरे होने पर हम दोनों मिलकर संसार का त्याग करेंगे।'

'सात साल बहुत लंबा समय है, प्रिय मित्र। मैं सात साल तक इंतजार नहीं कर सकता।'

[और यही प्रस्ताव लगातार छह साल से लेकर एक साल तक, सात महीने से लेकर एक महीने तक, और यहाँ तक कि पखवाड़े भर तक भी दिया गया, और फिर भी हर बार वही जवाब मिला। अंत में राजा ने कहा,]

'मेरे मित्र, सात दिन तक प्रतीक्षा करो, इस दौरान मैं राज्य को अपने पुत्रों और भाइयों को सौंप दूंगा।'

'सात दिन ज्यादा लंबा समय नहीं है। मैं अभी तक इंतजार कर लूंगा' (यह जवाब मिला)।

4. अतः शाक्य राजा भद्दिया, अनुरुद्ध, आनंद, भागु, किंबिला और देवदत्त—ठीक वैसे ही जैसे वे पहले भी कई बार गए थे।

वे चारों वस्त्रों के साथ आनंद-स्थल की ओर निकले—ठीक वैसे ही वे अब भी चारों वस्त्रों के साथ निकले, और नाई उपाली भी उनके साथ गया, इस प्रकार कुल सात लोग हो गए।

कुछ दूर जाने के बाद, उन्होंने अपने दल को वापस भेज दिया और पड़ोसी जिले में चले गए। उन्होंने अपने कीमती वस्त्र उतारकर उन्हें अपने वस्त्रों में लपेटकर एक गठरी बनाई और नाई उपाली से कहा, "हे उपाली, अब वापस लौट आओ। ये वस्त्र तुम्हारे जीवनयापन के लिए पर्याप्त होंगे।"

लेकिन लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, 'शाक्यों बहुत क्रूर होते हैं। वे सोचेंगे कि मैंने इन युवकों को विनाश की ओर धकेल दिया है, और वे मुझे मार डालेंगे। लेकिन अब जब शाक्यों वंश के ये युवक गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यासी बन सकते हैं, तो मैं क्यों न बनूँ?' और उसने अपनी पीठ से गठरी नीचे उतारी और उसे एक पेड़ पर टांग दिया, और कहा, 'जो भी इसे पाए, इसे उपहार के रूप में ले ले,' और उस स्थान पर लौट आया जहाँ शाक्यों युवक ठहरे हुए थे।

और शाक्य युवकों ने उसे दूर से आते देखा, और देखकर उससे कहा: 'हे भले उपाली, तुम किसलिए वापस आए हो?'

फिर उसने उन्हें बताया [कि उसने क्या सोचा था, उसने बंडल के साथ क्या किया था, और उसे वापस क्यों भेजा गया था]।

'तुमने अच्छा किया, हे उपली (यह उत्तर मिला), कि तुम वापस नहीं लौटे; क्योंकि शाक्यों क्रूर होते हैं, और वे तुम्हें मार सकते थे।'

और वे अपने साथ नाई उपाली को उस स्थान पर ले गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया, और

वे एक तरफ बैठ गए। और इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे प्रभु, हम शाक्य अहंकारी हैं। और यह उपली नाई, हे प्रभु, लंबे समय से हमारा सेवक रहा है। भगवान बुद्ध कृपया उसे हमसे पहले संघ में शामिल करें, ताकि हम उसका आदर और श्रद्धा करें, और उसके सामने (अपने वरिष्ठ के रूप में) हाथ फैलाकर प्रणाम करें, और इस प्रकार हम शाक्यों का अहंकार चूर हो जाए।'

तब भगवान बुद्ध ने पहले उपली नाई को और बाद में शाक्य वंश के उन युवकों को संघ में शामिल किया। और उस वर्षा ऋतु के समाप्त होने से पहले ही पूज्य भद्दिया ने त्रिविध ज्ञान में महारत हासिल कर ली, पूज्य अनुराधा ने दिव्य दर्शन प्राप्त किया, पूज्य आनंद ने धारा में प्रवेश करने का फल अनुभव किया और देवदत्त ने उस प्रकार की इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) प्राप्त की जो उन लोगों को भी प्राप्त होती है जिन्होंने उत्तम मार्ग पर प्रवेश नहीं किया है।

5. उस समय, पूज्य भद्दिया, जो वन में एक वृक्ष की तलहटी में एकांतवास में थे, बार-बार इस आनंदमय उद्घोषणा को दोहरा रहे थे: 'हे सुख! हे सुख!' अनेक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए और उनके समक्ष प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने [भगवान बुद्ध को यह बात बताई] और आगे कहा, 'हे प्रभु, पूज्य भद्दिया अपने पवित्र जीवन से संतुष्ट नहीं हैं; बल्कि अपने पूर्व प्रभुत्व के सुख को याद करते हुए वे यह उद्घोषणा करते हैं।'

तब भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु को संबोधित करते हुए कहा: "हे भिक्षु, मेरे नाम से भद्दिया भिक्षु को पुकारो और कहो, 'आदरणीय गुरु भद्दिया तुम्हें बुला रहे हैं।'"

"जी प्रभु," उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध की बात मानते हुए कहा। फिर वह भद्दिया के पास गया और उसे [इन्हीं शब्दों में] पुकारा।

6. 'बहुत अच्छा,' आदरणीय भद्दिया ने कहा।

उस भिक्षु ने सहमति दी; और वह भगवान बुद्ध के पास आया, उनके सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। जब वह इस प्रकार बैठा, तो भगवान बुद्ध ने आदरणीय भद्दिया से कहा:

'क्या यह सच है, जैसा कि लोग कहते हैं, कि तुम भद्दिया, जब जंगल में एक वृक्ष की गोद में एकांत में एकांतवास करते थे, तो बार-बार इस आनंदमय उद्घोषणा को दोहराते थे, "हे खुशी! हे खुशी!" हे भद्दिया, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण तुमने ऐसा किया?'

'हे प्रभु, पहले जब मैं राजा था, तब मेरे निजी कक्षों के अंदर और बाहर, नगर के अंदर और बाहर, तथा मेरे देश की सीमाओं के भीतर, हर जगह मेरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। फिर भी, हे प्रभु, इतनी सुरक्षा और संरक्षण के बावजूद, मैं भयभीत, चिंतित, अविश्वासी और डरा हुआ रहता था। परन्तु अब, हे प्रभु, यहाँ तक कि जब मैं जंगल में, वृक्ष की तलहटी में, एकांत में होता हूँ, तब भी मैं भय या चिंता से मुक्त, आश्वस्त और निडर रहता हूँ; मैं शांत, संयमित और सुरक्षित रहता हूँ, मेरा मन हिरण के समान शांत होता है। हे प्रभु, इसी तथ्य को याद करते हुए, मैंने बार-बार यही पुकारा, "हे सुख! हे सुख!"'

तब भगवान बुद्ध ने यह सुनकर उस समय यह गीत गाया:

'जिस व्यक्ति के मन में कोई कठोर विचार नहीं होते, जो इस बात की परवाह नहीं करता कि चीजें कैसी हैं, उसकी आनंदमयी अवस्था, दु:ख और चिंता से मुक्ति की अवस्था को तो देवता भी नहीं देख पाते!'

<<<< पिछला(6.21) । अगला(7.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> सातवाँ खंडक >> 7.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.1) । अगला(7.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

सातवां खंडक (संप्रदाय में मतभेद)

अध्याय दो।

1. जब भगवान बुद्ध अनुपिया में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक ठहर गए, तब वे कोसंबी की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सीधे यात्रा करते हुए वे उचित समय पर कोसंबी पहुँचे और वहाँ उन्होंने घोषिता विश्राम (मठ) में विश्राम किया। जब देवदत्त एकांत में ध्यानमग्न हुए, तब उनके मन में यह विचार आया: 'अब मैं किसे अपने वश में करूँ, जिससे वह प्रसन्न होकर मुझे बहुत लाभ और सम्मान प्राप्त हो?' उनके मन में यह विचार आया, 'अब यह राजकुमार अजातसत्तु युवा है और उसका भविष्य उज्ज्वल है। तो मैं उसे अपने वश में कर लूँ; वह प्रसन्न होकर मुझे बहुत लाभ और सम्मान प्राप्त कराएगा।'

तब देवदत्त ने अपनी चटाई समेटी और पूरी तरह सजे-धजे वस्त्रों के साथ राजगृह के लिए प्रस्थान किया; और उचित समय पर वे राजगृह पहुँच गए। तब उन्होंने अपना रूप त्याग दिया और नागों की कमरबंद पहने एक बालक का रूप धारण कर लिया और राजकुमार अजातसत्तु की गोद में विलीन हो गए। तब

राजकुमार अजातसत्तु भयभीत, चौंक गया, चिंतित और घबरा गया।

और देवदत्त ने राजकुमार अजातसत्तु से कहा, 'क्या तुम मुझसे डरते हो, हे राजकुमार?'

'हां, मैं ही हूं। तुम कौन हो?'

'मैं देवदत्त हूं।'

'यदि आप, महोदय, वास्तव में योग्य देवदत्त हैं, तो कृपया अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों।'

तब देवदत्त ने बालक का रूप त्यागकर, अपने भीतरी और बाह्य वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में पान का पात्र लिए राजकुमार अजातसत्तु के समक्ष प्रकट हुए। देवदत्त की इस आध्यात्मिक शक्ति से राजकुमार अजातसत्तु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सुबह-शाम पाँच सौ रथों में उनकी सेवा करने जाते थे, तथा पाँच सौ थालियों में भोजन लाकर उनके समक्ष परोसा जाता था।

तब, धन, आतिथ्य और प्रसिद्धि के लालच में डूबे देवदत्त के मन में यह विचार आया: 'भिक्षु संघ का नेतृत्व मुझे ही करना चाहिए।' और जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उसी क्षण देवदत्त अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वंचित हो गए।

2. उस समय, काकुधा नामक एक कोलियन, जो मोग्गलाना का सेवक (भिक्षु के रूप में) था, का अभी-अभी निधन हुआ था और वह एक विशेष आध्यात्मिक शरीर में पुनर्जन्म लेकर प्रकट हुआ था। उसका व्यक्तित्व मगध के किसी गाँव के दो-तीन सामान्य धान के खेतों के बराबर विशाल था, फिर भी वह ऐसा था कि न तो स्वयं और न ही दूसरों के मार्ग में बाधा था। यह दिव्य प्राणी, काकुधा, पूज्य मोग्गलाना के पास गया और उनके समक्ष प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने पूज्य मोग्गलाना को [देवदत्त के मन में उत्पन्न विचार और उसके परिणाम के बारे में] बताया। और यह बताने के बाद, उसने पूज्य मोग्गलाना के समक्ष प्रणाम किया और उन्हें अपने दाहिनी ओर रखते हुए उनके पास से गुजरकर अंतर्धान हो गया।

और पूज्य मोग्गलाना भगवान बुद्ध के पास गए और उन्हें [पूरी बात] बताई।

'तो फिर, मोग्गलाना, तुमने उस दिव्य प्राणी ककुधा के मन में इस प्रकार प्रवेश कैसे कर लिया है कि तुम जानते हो कि वह जो कुछ भी बोलेगा, वह उसी के अनुरूप होगा, अन्यथा नहीं?'

'जी प्रभु, मैंने कर लिया है।'

'मोग्गलाना, उस बात को गुप्त रखो; उस बात को गुप्त रखो। अभी भी वह मूर्ख व्यक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाएगा।'

3. 'मोग्गलाना, इस दुनिया में पाँच प्रकार के शिक्षक मौजूद हैं। वे पाँच कौन से हैं?'

'सबसे पहले, मोग्गलाना, एक प्रकार का शिक्षक होता है जिसका आचरण शुद्ध न होते हुए भी, वह

वह यह प्रकट करते हैं कि उनका आचरण शुद्ध, निर्दोष और बेदाग है। उनके शिष्य यह जानते हैं, लेकिन वे सोचते हैं, "यदि हम यह बात आम लोगों को बता दें, तो उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। और हम उनके प्रति ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं जो उन्हें अप्रिय लगे? इसके अलावा, उन्हें आवश्यक वस्त्र, भोजन, आवास और बीमारों के लिए दवाइयों का उपहार देकर सम्मानित किया गया है। वे अपने कर्मों से ही जाने जाएंगे।" ऐसे गुरु, मोग्गलाना, के आचरण के संबंध में उनके शिष्य उनकी रक्षा करते हैं। और अपने स्वभाव के कारण, वे अपने आचरण के संबंध में अपने शिष्यों से भी यही अपेक्षा रखते हैं।

4. 'फिर, मोग्गलाना,' इत्यादि [पहले की तरह, क्रमशः 'आजीविका', 'धम्म का प्रचार', 'व्याख्या प्रणाली', 'ज्ञान से उत्पन्न अंतर्दृष्टि', 'आचरण' के लिए]। 'ये, मोग्गलाना, संसार में विद्यमान पाँच प्रकार के शिक्षक हैं। परन्तु मैं आचरण, आजीविका, धम्म के प्रचार, व्याख्या प्रणाली और ज्ञान से उत्पन्न अंतर्दृष्टि में शुद्ध होते हुए भी यह प्रकट करता हूँ कि मैं इन सब में शुद्ध, निर्दोष और बेदाग हूँ। न तो मेरे शिष्य मेरे आचरण के संबंध में मेरी रक्षा करते हैं, न ही मैं उनसे ऐसा करने की अपेक्षा करता हूँ।'

5. जब भगवान बुद्ध कोसंबी में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक रहे, तब वे राजगृह की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सीधे चलते हुए वे उचित समय पर राजगृह पहुँचे; और वहाँ राजगृह में वे वेलुवन में कालंदक निवापा में ठहरे।

कई भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए, उनके सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, 'राजकुमार अजातसत्तु सुबह-शाम पांच सौ रथों के साथ देवदत्त की सेवा करने जाते हैं और उनके लिए पांच सौ थालियों में भोजन लाते और परोसते हैं।'

हे भिक्षुओं, देवदत्त के लाभ, आतिथ्य सत्कार और प्रसिद्धि से ईर्ष्या न करो। हे भिक्षुओं, जिस प्रकार अजातसत्तु उसकी सेवा करता है और उसे भिक्षा देता है, उसी प्रकार देवदत्त की समृद्धि न होकर उसके सद्गुणों में गिरावट आती रहेगी। हे भिक्षुओं, ठीक उसी प्रकार जैसे यदि तुम किसी हिंसक कुत्ते की नाक के सामने पित्ताशय फोड़ दो, तो कुत्ता और भी हिंसक हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार (जैसा पहले बताया गया है)। हे भिक्षुओं, यह लाभ, आतिथ्य सत्कार और प्रसिद्धि देवदत्त को अपने ही नुकसान और विनाश के लिए प्राप्त हुई है। हे

भिक्षुओं, जिस प्रकार केला, बांस या नरकट अपने ही नुकसान और विनाश के लिए फल देता है, ठीक उसी प्रकार देवदत्त को भी नुकसान होगा (जैसा पहले बताया गया है)। जैसे एक जवान खच्चर अपने ही नुकसान और विनाश के लिए गर्भ धारण करती है, ठीक वैसे ही, हे भिक्षुओं, देवदत्त को अपने ही नुकसान के लिए यह लाभ मिला है, इत्यादि।

'इसका फल केले के पेड़ को नष्ट कर देता है; इसका फल बांस और नरकट को भी नष्ट कर देता है।'

'ईमानदारी बुरे आदमी का नाश कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसका बच्चा जवान खच्चर का नाश कर देता है।'

यहां पाठ का पहला भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला(7.1) । अगला(7.3) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> सातवाँ खंडका >> 7.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.2) । अगला(7.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

सातवां खंडक (संप्रदाय में मतभेद)

अध्याय-3.

1. उस समय भगवान बुद्ध धर्म का उपदेश देते हुए बैठे थे और उनके चारों ओर राजा और उनके दल सहित एक विशाल जनसमूह था। देवदत्त अपने आसन से उठे और अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर व्यवस्थित करते हुए, अपने जुड़े हुए हाथों को भगवान बुद्ध की ओर फैलाकर उनसे कहा:

'हे प्रभु, भगवान बुद्ध अब वृद्ध हो गए हैं, वे उम्रदराज और पीड़ित हैं, उन्होंने एक लंबी यात्रा पूरी की है, और उनका जीवन काल लगभग समाप्त हो चुका है। अब भगवान बुद्ध इस संसार में भी प्राप्त सुख का आनंद लेते हुए विश्राम करें। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ मुझे सौंप दें, मैं इसका नेता बनूंगा।'

'देवदत्त, तुमने बहुत कुछ कह दिया है। भिक्षु संघ का नेता बनने की इच्छा मत रखो।'

[और दूसरी बार देवदत्त ने वही अनुरोध किया, और उसे वही उत्तर मिला। और तीसरी बार देवदत्त ने वही अनुरोध किया।]

'देवदत्त, मैं भिक्षु संघ को सारिपुत्त और मोग्गलाना को भी नहीं सौंपूंगा, तो फिर तुम्हारे जैसे नीच और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं।'

तब देवदत्त ने सोचा, 'राजा और उनके दल के सामने भगवान बुद्ध मेरा अपमान करते हुए मुझे "दुष्ट" कहते हैं और सारिपुत्त और मोग्गलाना की प्रशंसा करते हैं।' क्रोधित और असंतुष्ट होकर उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया और उन्हें अपने दाहिने हाथ पर रखते हुए वहां से चले गए।

यह पहली बार था जब देवदत्त ने भगवान बुद्ध के प्रति द्वेष भाव रखा।

2. और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, 'हे भिक्षुओं, संघ देवदत्त के विरुद्ध राजगृह में उद्घोषणा करे, कि देवदत्त का स्वभाव पहले एक प्रकार का था, अब वह दूसरे प्रकार का हो गया है, और वह शारीरिक या मौखिक रूप से जो कुछ भी करे, उसमें न तो बुद्ध की पहचान होगी, न धम्म की, न संघ की, बल्कि केवल देवदत्त की ही।'

और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, अधिनियम का पालन किया जाएगा। कोई विवेकशील और योग्य भिक्षु (आदि)

(उसी रूप में जैसा कि I, I, 4 में कम्मवक के अंत तक है)।

और भगवान बुद्ध ने पूज्य सारिपुत्त से कहा, 'तो हे सारिपुत्त, राजगृह में देवदत्त की घोषणा करो।'

'हे प्रभु, पुराने समय में मैंने राजगृह में देवदत्त की स्तुति गाई थी, यह कहते हुए, "गोधी के पुत्र की शक्ति (इद्धि) महान है! गोधी के पुत्र की सामर्थ्य महान है!" अब मैं राजगृह में उनकी स्तुति कैसे करूँ?'

'क्या तुमने सच नहीं कहा, सारिपुत्त, जब तुमने उसकी इतनी प्रशंसा की?'

'जी प्रभु!'

'फिर भी, सारिपुत्त, अब तुम सत्य बोलते हुए, राजगृह में देवदत्त का प्रचार करो।'

'जी प्रभु, ऐसा ही हो,' सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध की बात से सहमति जताते हुए कहा।

3. और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा:

तो संघ, सारिपुत्त को राजगृह में देवदत्त की घोषणा करने का कार्य सौंपे, इस प्रकार (आदि, जैसा कि पहले, अनुच्छेद 2 में है)। और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। सर्वप्रथम, सारिपुत्त से पूछा जाना चाहिए, आदि (जैसा कि आधिकारिक नियुक्तियों में सामान्यतः होता है, कम्मवक के अंत तक)।

तब सारिपुत्त को जब यह आदेश दिया गया, तो वे अनेक भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश कर गए और देवदत्त की घोषणा कर दी। इस पर अविश्वासी, भक्तिहीन और अंतर्दृष्टिहीन लोगों ने कहा, 'ये शाक्यपुत्र भिक्षु ईर्ष्यालु हैं! ये देवदत्त को मिलने वाले लाभ और आतिथ्य सत्कार से ईर्ष्या करते हैं!' परन्तु जो विश्वासी, भक्तिमय, योग्य और अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण थे, उन्होंने कहा...

दृष्टि ने इस प्रकार कहा: 'यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने राजगृह में देवदत्त की घोषणा करवाई है!'

4. देवदत्त राजकुमार अजातसत्तु के पास गया और उससे कहा, 'हे राजकुमार, पुराने समय में लोग दीर्घायु होते थे, परन्तु अब उनका जीवनकाल अल्प है। अतः यह संभव है कि आप राजकुमार रहते हुए ही अपना जीवनकाल पूरा कर लें। इसलिए, हे राजकुमार, आप अपने पिता को मार डालें और राजा बन जाएँ; और मैं भगवान बुद्ध को मार डालूँगा और बुद्ध बन जाऊँगा।'

और राजकुमार अजातसत्तु ने सोचा, 'इस योग्य देवदत्त के पास महान शक्ति और सामर्थ्य है; वह (सही) जानता होगा।' और अपनी जांघ पर कटार बांधकर, वह भयभीत, चिंतित, उत्तेजित और घबराया हुआ होते हुए भी, असामान्य समय पर और हिंसक रूप से राजकक्ष में प्रवेश कर गया। जब निजी कक्ष में उपस्थित मंत्रियों ने यह देखा, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। और जब उसकी तलाशी ली गई और उन्हें उसकी जांघ पर कटार बंधी मिली, तो उन्होंने उससे पूछा:

'हे राजकुमार, आप क्या करने वाले थे?'

'मैं अपने पिता को मारना चाहता था।'

'आपको ऐसा करने के लिए किसने उकसाया?'

'योग्य देवदत्त।'

तब कुछ मंत्रियों ने सलाह दी, 'राजकुमार, देवदत्त और सभी भिक्षुओं को मार डालना चाहिए।' उनमें से अन्य ने सलाह दी, 'भिक्षुओं को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है;

लेकिन केवल राजकुमार और देवदत्त।' उनमें से अन्य लोगों ने फिर कहा, 'न तो राजकुमार को मारा जाना चाहिए, न देवदत्त को, न भिक्षुओं को। लेकिन राजा को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, और हम राजा के आदेशानुसार कार्य करेंगे।'

5. इसलिए ये मंत्री राजकुमार को अपने साथ लेकर मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई।

'मेरे दोस्तों, मंत्रियों ने क्या सलाह दी?'

[जब उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया (जैसा कि पहले बताया गया था) तो उसने कहा]: 'मेरे मित्रों, बुद्ध, संघ या धम्म का इससे क्या लेना-देना है? क्या भगवान बुद्ध ने राजगृह में देवदत्त के विषय में यह घोषणा नहीं करवाई है कि जहाँ उसका स्वभाव पहले एक प्रकार का था, वहीं अब दूसरे प्रकार का है; और वह शारीरिक या मौखिक रूप से जो कुछ भी करेगा, उसके लिए न तो बुद्ध, न धम्म, न संघ की आवश्यकता होगी, बल्कि केवल देवदत्त की ही आवश्यकता होगी?'

फिर उन मंत्रियों को, जिन्होंने राजकुमार, देवदत्त और सभी भिक्षुओं को मारने की सलाह दी थी, उसने पद से हटा दिया। और उन मंत्रियों को, जिन्होंने राजकुमार और देवदत्त को मारने की सलाह दी थी, उसने निचले पदों पर पदावनत कर दिया। लेकिन उन मंत्रियों को, जिन्होंने सलाह दी थी कि न तो राजकुमार, न देवदत्त और न ही भिक्षुओं को मारा जाए, बल्कि राजा को इसकी सूचना दी जाए और उसके आदेश का पालन किया जाए, उसने उच्च पदों पर पदोन्नत कर दिया।

और मगध के राजा सेनिया बिम्बिसार ने राजकुमार अजातसत्तु से कहा: 'हे राजकुमार, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे?'

'हे राजा, मुझे एक राज्य चाहिए था!'

'यदि तुम फिर भी कोई राज्य चाहते हो, हे राजकुमार, तो यही राज्य तुम्हारा हो!' और उसने वह राज्य राजकुमार अजातसत्तु को सौंप दिया।

6. तब देवदत्त राजकुमार अजातसत्तु के पास गया और बोला, 'हे महाराज, अपने सैनिकों को ऐसा आदेश दीजिए कि मैं समना गौतम (बुद्ध) का प्राण छीन लूँ।' तब राजकुमार अजातसत्तु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया: 'देवदत्त जो भी कहे, वही करो!'

फिर देवदत्त ने एक व्यक्ति को आदेश दिया: 'जाओ, मेरे मित्र, समर गौतम फलाँ स्थान पर ठहरे हुए हैं। उन्हें मार डालो और इस रास्ते से वापस आ जाओ।' फिर उन्होंने उस रास्ते पर दो और व्यक्तियों को तैनात किया और उनसे कहा, 'जो भी व्यक्ति इस रास्ते से अकेला आता हुआ दिखाई दे, उसे मार डालो और उसी रास्ते से लौट जाओ।' फिर उन्होंने उस रास्ते पर चार और व्यक्तियों को तैनात किया [और इसी प्रकार सोलह व्यक्तियों तक]।

7. और उस व्यक्ति ने अपनी तलवार और ढाल ली, और अपना धनुष और तरकश अपनी पीठ पर लटका लिया, और उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध थे, और जब वह भगवान बुद्ध से कुछ दूरी पर था,

भयभीत, चिंतित, उत्साहित और घबराया हुआ, वह एकदम स्थिर और अकड़ा हुआ खड़ा था।

जब भगवान बुद्ध ने उसे इस हालत में देखा, तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा: 'यहाँ आओ, मित्र, डरो मत।'

तब उस व्यक्ति ने अपनी तलवार और ढाल एक तरफ रख दी, अपना धनुष और तरकश उतार दिया और भगवान बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर उनसे कहा, "हे प्रभु, मेरे पाप ने मुझे मेरी मूर्खता, मेरी नादानी और मेरे अधर्म के अनुसार ही पराजित कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ दुष्टता और हत्या के इरादे से आया हूँ। भगवान बुद्ध मेरे पाप की गंभीरता को स्वीकार करें, ताकि भविष्य में मैं उससे विमुख हो सकूँ!"

"सचमुच, मेरे मित्र, पाप ने तुम्हें इरादे तक पर काबू पा लिया है। लेकिन चूंकि, मेरे मित्र, तुम अपने पाप को पाप मानते हो और उसका प्रायश्चित करते हो, इसलिए हम तुम्हारी स्वीकारोक्ति को स्वीकार करते हैं। क्योंकि, हे मित्र, यही परमपिता के मार्गदर्शन में प्रगति है कि जिसने अपने पाप को पाप के रूप में पहचान लिया है, वह उसका उचित प्रायश्चित करे और भविष्य में उससे बचने में सक्षम हो जाए।"

तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को विधिवत रूप से प्रवचन दिया, अर्थात् (जैसा कि धर्मांतरण में सामान्यतः होता है) भगवान बुद्ध मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, उस व्यक्ति के रूप में जिसने आज से जीवन भर उनकी शरण ली है।

और भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, 'मेरे मित्र, उस रास्ते से मुझे छोड़कर मत जाओ। इस रास्ते से जाओ।' और इस प्रकार उसे दूसरे रास्ते से विदा कर दिया।

8. परन्तु उन दोनों पुरुषों ने सोचा, 'वह व्यक्ति जो अकेले आने वाला था, अब कहाँ है? वह बहुत देर कर रहा है।' और जब वे उससे मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर वे उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें भी प्रवचन दिया, [और वे भी उस दूसरे व्यक्ति की तरह परिवर्तित हो गए, और उन्होंने उन्हें दूसरे मार्ग से वापस भेज दिया। और वही हुआ जो उन चार, आठ और सोलह पुरुषों के साथ हुआ था।]

9. तब वह व्यक्ति देवदत्त के पास लौटकर उनसे बोला, 'हे प्रभु, मैं भगवान बुद्ध को जीवन से वंचित नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध की शक्ति (इद्धि) और सामर्थ्य महान है।'

'बस इतना ही काफी है, मित्र। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं भगवान बुद्ध का वध कर दूंगा।'

उस समय भगवान बुद्ध गिद्ध शिखर नामक पर्वत की छाया में ध्यान कर रहे थे। देवदत्त गिद्ध शिखर पर चढ़ गया और भगवान बुद्ध को जान से मारने के इरादे से एक विशाल चट्टान नीचे फेंकी। लेकिन दो पर्वत शिखर आपस में टकरा गए और उस चट्टान को रोक दिया, जिससे केवल एक छोटा सा टुकड़ा गिरकर भगवान बुद्ध के पैर से खून बहा।

तब भगवान बुद्ध ने ऊपर की ओर देखते हुए देवदत्त से कहा: 'हे मूर्ख, तूने अपने ऊपर बहुत बड़ा पाप उत्पन्न किया है, क्योंकि तूने दुष्ट और हत्या के इरादे से तथागत का रक्त बहाया है।'

और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा: 'यह पहली बार है कि देवदत्त ने अपने ऊपर ऐसा कर्म सृजित किया है जिसका फल उसे निकट भविष्य में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने दुष्ट और हत्यारी मंशा से तथागत का रक्त बहाया है।'

10. जब भिक्षुओं ने सुना कि देवदत्त भगवान बुद्ध की हत्या की योजना बना रहा है, तो वे भगवान बुद्ध की रक्षा और सुरक्षा के लिए विहार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ऊँची और ऊँची आवाज़ में मंत्रोच्चार करने लगे। यह आवाज़ सुनकर भगवान बुद्ध ने पूज्य आनंद से पूछा कि यह क्या है। जब आनंद ने उन्हें बताया, तो भगवान बुद्ध ने कहा: 'आनंद, मेरे पास भिक्षुओं को बुलाओ।'

नाम लेकर कहा, "गुरुजी आदरणीय लोगों को बुलाते हैं।"

और उन्होंने ऐसा ही किया, और वे आए, और भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, और एक तरफ बैठ गए। जब वे इस प्रकार बैठ गए, तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, यह असंभव है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तथागत को हिंसा द्वारा मृत्यु दे। हे भिक्षुओं, तथागत स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं।'

हे भिक्षुओं, संसार में पाँच प्रकार के गुरु विद्यमान हैं (आदि, जैसा कि अध्याय 7, 2, 3, 4 और अंत तक दिया गया है)। हे भिक्षुओं, यह असंभव है, और ऐसा होना असंभव है कि तथागत (बुद्ध) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य से मारे जाएँ। हे भिक्षुओं, तथागत प्रकृति के नियमानुसार मृत्यु में निःसंदेह हो जाते हैं। अतः हे भिक्षुओं, आप सभी अपने-अपने विहार में जाइए, क्योंकि तथागतों को किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

11. उस समय राजगृह में नलगिरी नाम का एक हाथी था, जो भयंकर और हत्यारा था। देवदत्त राजगृह में हाथी के अस्तबल में गया और हाथी पालकों से कहा, "हे मेरे मित्रों, मैं राजा का रिश्तेदार हूँ और निम्न पद पर आसीन व्यक्ति को उच्च्य पद पर पदोन्नत कर सकता हूँ, और उसके राशन या वेतन में वृद्धि का आदेश दे सकता हूँ। इसलिए, हे मेरे मित्रों, जब समना गौतम (बुद्ध) इस मार्ग पर पहुँचें, तो नलगिरी हाथी को खोलकर उसे इस मार्ग पर जाने दें।"

'फिर भी, महाराज,' देवदत्ता की बात से सहमत होते हुए उन हाथी पालकों ने कहा।

और जब भगवान बुद्ध ने सुबह सवेरे वस्त्र धारण कर लिए, तो वे विधिवत वस्त्र पहने हुए, कई भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने के लिए राजगृह में प्रवेश कर गए; और उस मार्ग पर चल पड़े। उन्हें देखकर हाथी पालकों ने नलगिरि हाथी को खोल दिया और उसे उस मार्ग पर छोड़ दिया। हाथी ने दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा; और देखते ही वह अपनी सूंड ऊपर उठाकर और पूंछ और कान सीधे करके भगवान बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा।

जब उन भिक्षुओं ने दूर से नलगिरि हाथी को आते देखा, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे भगवान, नलगिरि हाथी बहुत भयंकर और घातक है, और यह इस रास्ते पर आ गया है। हे भगवान, भगवान बुद्ध वापस लौट जाएं: हे सुखी बुद्ध वापस लौट जाएं।'

'आओ, हे भिक्षुओं। घबराओ मत। हे भिक्षुओं, ऐसी कोई संभावना नहीं है [आदि, जैसा कि पिछले खंड में अंत तक है]।'

[और भिक्षुओं ने दूसरी और तीसरी बार भी वही अपील की, और उन्हें वही उत्तर मिला।]

12. तब उस समय लोग घरों की ऊपरी मंजिलों, बालकनियों और छतों पर चढ़ गए। और उनमें से जो अविश्वासी और आस्थाहीन थे, उन्होंने कहा, 'सचमुच महान समना (बुद्ध) का चेहरा सुंदर है; लेकिन हाथी उन्हें चोट पहुँचाएगा।' परन्तु जो विश्वासी थे, वे पूर्ण रूप से

भक्ति, योग्यता और अंतर्दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ने कहा, 'हाथी के लिए मनुष्य रूपी हाथी से लड़ना बहुत लंबा समय होगा!'

और भगवान बुद्ध ने अपने प्रेम का भाव नलगिरि हाथी में प्रवाहित किया; और उनके प्रेम से द्रवित होकर हाथी ने अपनी सूंड नीचे रख दी और भगवान बुद्ध के पास जाकर उनके सामने स्थिर हो गया। और भगवान बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ से हाथी के माथे को सहलाते हुए उससे इन श्लोकों में बात की:

'हे हाथी, मनुष्यों के हाथी को मत छुओ; क्योंकि हे हाथी, ऐसा प्रहार दुखद है। हे हाथी, जो मनुष्य के हाथी को मारता है, उसके लिए यहाँ से चले जाने पर कोई आनंद नहीं रहता। इसलिए क्रोधित मत हो, और न ही लापरवाह बनो, क्योंकि लापरवाह आनंद की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। बल्कि तुम स्वयं ऐसा कर्म करो जिससे तुम आनंद की अवस्था में पहुँच सको।' तब नलगिरि हाथी ने अपनी सूंड से भगवान बुद्ध के चरणों की धूल उठाई और उसे अपने सिर पर छिड़का, और भगवान बुद्ध को निहारते हुए पीछे की ओर झुककर चला गया।

और नलगिरी नामक हाथी हाथी के अस्तबल में लौट आया और अपने नियत स्थान पर खड़ा हो गया, और

वह एक बार फिर शांत नालगिरि बन गया। और उस समय लोगों ने ये छंद गाए:

'इन्हें लाठी, अंकुश और चाबुक से वश में किया जा सकता है, परन्तु महान ऋषि ने इस हाथी को बिना किसी हथियार या लाठी के वश में कर लिया।' 13. लोग क्रोधित हुए, बड़बड़ाए और आक्रोशित होकर कहने लगे, 'यह देवदत्त कितना दुष्ट और नीच है कि वह इतने बलवान और शक्तिशाली समना गौतम का वध करने का प्रयास कर रहा है।' और देवदत्त का लाभ और मान-सम्मान घट गया, जबकि भगवान बुद्ध का मान-सम्मान बढ़ता गया।

उस समय जब देवदत्त का लाभ और सम्मान समाप्त हो गया था, तब वह भिक्षुओं से घिरे हुए लोगों के घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे।

लोग क्रोधित हो गए, आपस में बड़बड़ाने लगे और नाराज़ होकर कहने लगे, 'शाक्यपुत्रीय समनाएँ दूसरों के घरों से माँगे हुए भोजन पर कैसे जीवित रह सकते हैं? भला किसे अच्छी तरह पका हुआ भोजन पसंद नहीं होता? किसे मीठी चीज़ें पसंद नहीं होतीं?'

भिक्षुओं ने सुना (और इसी प्रकार आगे भी) कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, 'इसलिए, हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं के लिए यह नियम बनाता हूँ कि तीन से अधिक भिक्षु एक साथ लोगों के घरों में भिक्षा ग्रहण न करें—और इसके तीन कारण हैं; पहला, दुष्टों को रोकने के लिए, और दूसरा, भले भिक्षुओं की सुविधा के लिए, ताकि बुरे इरादों वाले भिक्षु किसी विशेष समूह पर भरोसा करके संघ को भंग न कर दें, और तीसरा, गृहस्थों के प्रति करुणा के कारण। जो भिक्षु तीन से अधिक के समूह में भिक्षा ग्रहण करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।'

14. अब देवदत्त उस स्थान पर गया जहाँ कोकालिका, कटामोरक-तिस्सका, खंड-देवी का पुत्र और समुद्दा-दत्त थे, और उनसे कहा, 'आओ, महोदय, हम समना गौतम के संघ और उनके अनुयायियों के समूह में फूट डालें।'

जब उसने ऐसा कहा, तो कोकालिका ने देवदत्त से कहा, 'महोदय, समना गौतम (बुद्ध) महान और शक्तिशाली हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?'

''हे महोदय, आइए हम समना गौतम के पास चलें और उनसे निम्नलिखित पाँच माँगें करें, यह कहते हुए, 'हे प्रभु, भगवान बुद्ध ने अनेक उदाहरणों में उस व्यक्ति के लाभों का वर्णन किया है जो कम इच्छा रखता है, जो जीविका और पोषण के मामले में सहज है, जिसने अपने

मन से बुराई को दूर कर दिया है, अपनी वासनाओं को शांत कर दिया है, और जो आस्था, श्रद्धा और उत्साह से परिपूर्ण है। हे प्रभु, निम्नलिखित पाँच बातें ऐसी स्थिति में सहायक होती हैं। हे प्रभु, यदि भिक्षु जीवन भर वनों में निवास करें तो यह अच्छा होगा - जो कोई भी गाँव के आसपास जाता है वह अपराध करता है। यदि वे जीवन भर भिक्षा माँगते रहें तो यह अच्छा होगा - जो कोई भी निमंत्रण स्वीकार करता है वह अपराध करता है। यदि वे जीवन भर पुराने वस्त्र धारण करें तो यह अच्छा होगा - जो कोई भी गृहस्थ से वस्त्रों का उपहार स्वीकार करता है वह अपराध करता है। अपराध। यह अच्छा होगा यदि वे जीवन भर वृक्षों के नीचे रहें—यदि कोई छत के नीचे सोए तो वह अपराध करेगा। यह अच्छा होगा यदि वे जीवन भर मछली से परहेज करें—यदि कोई

मछली खाना, ऐसा करने से अपराध होगा। समना गौतम इन चीजों की अनुमति नहीं देंगे। तब हम इसके द्वारा लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे।

'हां; ऐसा करना संघ में और समना गौतम के दल में फूट डालने के लिए संभव हो सकता है। क्योंकि लोग कठोर उपायों में विश्वास करते हैं।'

15. और देवदत्त अपने मित्रों से घिरे हुए भगवान बुद्ध के पास गया और उसने ये मांगें रखीं [जैसा कि अभी बताया गया है]।

नहीं, देवदत्त। जो चाहे, वह जंगलों में रह सकता है; जो चाहे, वह गाँव के आस-पास रह सकता है। जो चाहे, वह भिक्षा मांग सकता है; जो चाहे, वह गृहस्थों के निमंत्रण स्वीकार कर सकता है। जो चाहे, वह फटे-पुराने कपड़े पहन सकता है; जो चाहे, वह गृहस्थों से वस्त्र भेंट स्वीकार कर सकता है। देवदत्त, मैंने वर्ष के आठ महीने पेड़ों के नीचे सोने की अनुमति दी है; और ऐसी मछली खाने की भी अनुमति है जो तीनों तरह से शुद्ध हो—अर्थात्, जिसे खाने वाले ने न तो देखा हो, न सुना हो, और न ही उसे संदेह हो कि उसे इस उद्देश्य से पकड़ा गया है।

देवदत्त, भगवान बुद्ध द्वारा पाँचों माँगों को अस्वीकार किए जाने से प्रसन्न और प्रसन्न होकर, अपने आसन से उठे और उन्हें अपने दाहिनी ओर रखते हुए अपने मित्रों के साथ वहाँ से चले गए। वे राजगृह में प्रवेश कर गए और वहाँ से लोगों को अपना विचार समझाते हुए कहा, 'हे महोदय, हमने समना गौतम (बुद्ध) से ऐसी-ऐसी बातें माँगी थीं। उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, परन्तु हम उन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं।'

16. तब अविश्वासी और अविचलित लोगों ने कहा, 'इन शाक्यपुत्रीय समनों ने बुराई का नाश कर दिया है।'

उन्होंने अपने मन से विलाप को दूर कर लिया है और अपनी भावनाओं को शांत कर लिया है, जबकि दूसरी ओर समना गौतम विलासी हैं और उनका मन समृद्धि में डूबा रहता है। लेकिन जो लोग विश्वासी थे और श्रद्धा एवं अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण थे, वे क्रोधित हो गए, परेशान हो गए और बड़बड़ाने लगे, 'देवदत्त भगवान बुद्ध के संघ और अपने अधीन दल में फूट डालने का प्रयास कैसे कर सकता है?'

भिक्षुओं ने उनकी इस प्रकार की बड़बड़ाहट सुनकर यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे देवदत्त, क्या यह सच है जैसा कि लोग कहते हैं कि तुम संघ में और मेरे अनुयायियों के समूह में फूट डालने का प्रयास कर रहे हो?'

'यह सच है, प्रभु।'

हे देवदत्त, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। संघ में विभाजन को अपने लिए अच्छा मत समझो; ऐसा विभाजन अत्यंत कष्टदायी है। हे देवदत्त, जो कोई भी संघ को तब भंग करता है जब वह शांति में हो, वह एक कल्प तक रहने वाले दोष को जन्म देता है और एक कल्प तक निरय (नरक) में जलता है। परन्तु हे देवदत्त, जो कोई भी संघ में विभाजन होने पर शांति स्थापित करता है, वह सर्वोच्च पुण्य को जन्म देता है और एक कल्प तक स्वर्ग में सुखी रहता है। हे देवदत्त, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। हे देवदत्त, संघ में विभाजन को अपने लिए अच्छा मत समझो। हे देवदत्त, ऐसा विभाजन अत्यंत कष्टदायी है।

17. अब पूज्य आनंद ने सुबह जल्दी वस्त्र धारण करके विधिवत वस्त्र धारण कर राजगृह में भिक्षा मांगने के लिए प्रवेश किया। देवदत्त ने पूज्य आनंद को राजगृह से भिक्षा मांगने जाते हुए देखा। यह देखकर वह पूज्य आनंद के पास गया और उनसे कहा: 'हे मित्र आनंद, मैं आज से उपोसथ व्रत धारण करने और भिक्षु संघ या भगवान बुद्ध के बिना ही संघ की औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करने का निश्चय करता हूँ।'

और जब पूज्य आनंद राजगृह में भिक्षा मांगने के बाद लौट आए और भोजन कर लिया, तो वे भगवान बुद्ध के पास गए और उनके सामने प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध को देवदत्त की कही बातें बताईं और आगे कहा, 'हे प्रभु, आज ही के दिन देवदत्त संघ को तोड़ देगा।'

तब भगवान बुद्ध ने यह सुनकर तीव्र भाव व्यक्त करते हुए कहा:

'नेक लोगों के लिए अच्छा काम आसान होता है, दुष्टों के लिए अच्छा काम कठिन होता है।'

'बुराई करने वालों के लिए बुराई करना आसान है, लेकिन नेक लोगों के लिए बुराई करना कठिन है।'

यहां पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला(7.2) | अगला(7.4) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> सातवाँ खंडका >> 7.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.3) | अगला(7.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

सातवां खंडक (संप्रदाय में मतभेद)

अध्याय-4.

1. उस दिन, जो उपोसथ दिवस था, देवदत्त अपने आसन से उठे और मतदान टिकट बाँटते हुए बोले, 'महोदय, हम समना गौतम (बुद्ध) के पास गए और उनसे पंच सूत्र मांगे, यह कहते हुए (जैसा कि ऊपर 7, 3, 14 और 15 में वर्णित है)। समना गौतम इन्हें स्वीकार नहीं करते; परन्तु हम इनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी पूजनीय व्यक्ति इन पंच सूत्रों को स्वीकार करे, वह एक टिकट ले ले।'

उस समय देवदत्त संघ में पाँच सौ भिक्षु थे, जो वैशालियन और वज्जियन वंश के थे और हाल ही में संघ में शामिल हुए थे तथा देवदत्त के विचारों से अनभिज्ञ थे। इन सभी ने धर्म, विनय और गुरु के उपदेशों के अनुसार पंचसूत्रों को सही मानते हुए मतदान किया। इस प्रकार संघ में विभाजन करके देवदत्त उन पाँच सौ भिक्षुओं को अपने साथ लेकर गया-सिसा पर्वत पर चले गए।

तब सारिपुत्त और मोग्गलाना भगवान बुद्ध के पास गए, उनके सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। जब वे बैठ गए, तब सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, देवदत्त पाँच सौ भिक्षुओं को साथ लेकर गया-सिसा गए हैं।'

'सचमुच, सारिपुत्त और मोग्गलाना, आप दोनों में से उन युवा भिक्षुओं के प्रति दया भाव होना चाहिए। इसलिए, आप दोनों वहां से चले जाएं, इससे पहले कि वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएं।'

'हे प्रभु, ऐसा ही हो,' सारिपुत्त और मोग्गलाना ने भगवान बुद्ध की बात मानते हुए कहा। वे अपने आसनों से उठकर उनके सामने प्रणाम किया और उन्हें अपने दाहिनी ओर रखते हुए गयासिस के लिए चल पड़े।

फिर उसी समय भगवान बुद्ध से कुछ दूरी पर खड़े एक भिक्षु रोने लगे। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, 'हे भिक्षु, तुम क्यों रो रहे हो?'

'हे प्रभु, जो भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य हैं, सारिपुत्त और मोग्गलाना, वे भी देवदत्त के धर्म का समर्थन करते हुए देवदत्त के पक्ष में चले गए हैं।'

हे भिक्षु, यह असंभव होगा कि सारिपुत्त और मोग्गलाना उनकी शिक्षा को स्वीकार करें। वे तो केवल उन भिक्षुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए ही गए हैं।

2. उस समय देवदत्त, बहुत से अनुयायियों से घिरे हुए, धम्म का उपदेश देते हुए बैठे थे। जब उन्होंने दूर से सारिपुत्त और मोग्गलाना को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, देखो, मेरा उपदेश कितना प्रभावी होगा, क्योंकि समना गौतम (बुद्ध) के दो प्रमुख शिष्य—सारिपुत्त—भी मेरा उपदेश देते हैं।'

और मोग्गलाना—मेरे धर्म से प्रसन्न होकर मुझसे जुड़ने आ रहे हैं।'

जब कोकालिका ने ऐसा कहा, तो उसने देवदत्त से कहा: 'हे पूज्य देवदत्त, सारिपुत्त और मोग्गलाना पर भरोसा मत करो, क्योंकि वे बुराई की ओर प्रवृत्त हैं और बुरी इच्छाओं के प्रभाव में हैं।'

'नहीं, मेरे मित्र, आइए हम उनका स्वागत करें क्योंकि वे मेरे उपदेश (धम्म) में आनंद लेते हैं।'

और देवदत्त ने सारिपुत्त को अपने आसन पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, 'आओ, मित्र सारिपुत्त। यहाँ बैठो!'

'नहीं (इसकी कोई आवश्यकता नहीं है),' सारिपुत्त ने कहा; और दूसरी कुर्सी लेकर एक तरफ बैठ गए। देवदत्त ने रात भर भिक्षुओं को धर्म प्रवचन देकर उपदेश दिया, प्रेरित किया, उत्साहित किया और प्रसन्न किया; फिर सारिपुत्त से निवेदन करते हुए कहा, 'हे मित्र सारिपुत्त, सभा अभी भी जागृत और अचेत है। क्या आप कृपया भिक्षुओं को संबोधित करने के लिए किसी धर्म प्रवचन का विचार करेंगे? मेरी कमर थक गई है, और मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ।'

'फिर भी, मित्र,' आदरणीय सारिपुत्त ने देवदत्त की बात से सहमति जताते हुए कहा। देवदत्त ने अपनी कमर की चार तहों में बाँधी हुई धोती ज़मीन पर बिछाई और दाहिनी ओर करवट लेकर लेट गए। पल भर में ही उन्हें, जो थके हुए थे और अपनी चेतना और होश खो चुके थे, नींद आ गई।

3. तब पूज्य सारिपुत्त ने भिक्षुओं को उपदेश के चमत्कारों पर धर्म प्रवचन दिया और उनका अभिनंदन किया, और पूज्य मोग्गलाना ने भिक्षुओं को इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) के चमत्कारों पर धर्म प्रवचन दिया और उनका अभिनंदन किया। जब वे इस प्रकार उपदेश और अभिनंदन प्राप्त कर रहे थे, तब उन भिक्षुओं को सत्य की शुद्ध और निर्मल दृष्टि (दिव्य अंतर्दृष्टि) प्राप्त हुई, जिसका कोई आरंभ नहीं है, उसमें भी निष्फल होने की अनिवार्यता निहित है। तब पूज्य सारिपुत्त ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे मेरे मित्रों, आइए हम भगवान बुद्ध के पास चलें। जो कोई भी उनके धर्म (धार्म) को स्वीकार करता है, वह आए।'

और सारिपुत्त और मोग्गलाना उन पाँच सौ भिक्षुओं को अपने साथ लेकर वेलुवन लौट गए। परन्तु कोकालिका ने देवदत्त को जगाया और कहा: 'उठो, मित्र देवदत्त! तुम्हारे भिक्षुओं को सारिपुत्त और मोग्गलाना ले गए हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, देवदत्त, कि सारिपुत्त और मोग्गलाना पर भरोसा मत करो, क्योंकि वे बुराई की ओर झुके हुए हैं और बुरी इच्छाओं के प्रभाव में हैं?'

फिर देवदत्त के मुख से गर्म रक्त निकला।

4. लेकिन सारिपुत्त और मोग्गलाना उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, और उनके सामने प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। जब वे इस प्रकार बैठ गए, तब सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध से कहा:

'हे प्रभु, यह अच्छा होगा कि जो भिक्षु फूट डाल चुके हैं, उन्हें संघ के उच्चतर स्तर में पुनः ग्रहण कर लिया जाए।'

नहीं, सारिपुत्त, विद्रोही भिक्षुओं का पुन:दीक्षा करना तुम्हें अच्छा न लगे। बल्कि ऐसे भिक्षुओं से यह स्वीकार करवाओ कि उन्होंने तुलकाय (बड़ा/गंभीर अपराध) किया है। और, सारिपुत्त, देवदत्त ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया?

जब देवदत्त, भगवान, ने रात के काफी देर तक धर्म प्रवचन देकर भिक्षुओं को उपदेश दिया, प्रेरित किया, उत्साहित किया और प्रसन्न किया, तब उन्होंने मुझसे निवेदन करते हुए कहा, "हे मित्र सारिपुत्त, सभा अभी भी जागृत और नींदहीन है। क्या आप, मित्र सारिपुत्त,

भिक्षुओं को संबोधित करने के लिए किसी धर्म प्रवचन के बारे में सोच सकते हैं? मेरी कमर थक गई है, और मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ।" हे भगवान, देवदत्त ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया।

5. तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'एक समय की बात है, हे भिक्षुओं, एक वन क्षेत्र में एक बड़ा तालाब था। उसके किनारे कुछ हाथी रहते थे; वे तालाब में डुबकी लगाकर अपनी सूंड से कमल के पौधों की खाने योग्य डंठलें तोड़ते, उन्हें पूरी तरह साफ होने तक धोते, बिना किसी गंदगी के चबाते और खा जाते थे। इससे उनमें सुंदरता और शक्ति दोनों उत्पन्न हुईं, और इसी कारण वे न तो मृत्यु के शिकार हुए और न ही मृत्यु के समान किसी दुःख में पड़े। अब, हे भिक्षुओं, उन बड़े हाथियों के बीच हाथी के बच्चे भी थे, जिन्होंने भी दूसरों की नकल करते हुए उस तालाब में डुबकी लगाई और अपनी सूंड से कमल के पौधों की खाने योग्य डंठलें तोड़ीं; लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी तरह साफ होने तक नहीं धोया, बल्कि गंदगी सहित चबाकर खा लिया। इससे उनमें सुंदरता और शक्ति दोनों उत्पन्न हुईं।

न तो सौंदर्य, न ही बल; और इसी कारण वे मृत्यु के सान्निध्य में, और मृत्यु के समान दुःखों में लीन हो गए। हे भिक्षुओं, ठीक इसी प्रकार देवदत्त का भी यही हाल होगा, जो हे बेचारा मेरा अनुकरण कर रहा है।

'जैसे हाथी का बच्चा उस विशालकाय जानवर की नकल करते हुए मिट्टी खाता है।'

जो धरती को हिला देता है, कमल के पौधे को खा जाता है, और रात भर जल के बीच पहरा देता है—

तो बेचारा, जो मेरी नकल करेगा, वही मरेगा।

6. हे भिक्षुओं, आठ गुणों से युक्त भिक्षु दूत का कार्य करने के योग्य है। वे आठ गुण क्या हैं? हे भिक्षुओं, भिक्षु को सुनने और दूसरों को सुनाने में सक्षम होना चाहिए, सीखने में सक्षम होना चाहिए, ध्यान रखने में सक्षम होना चाहिए, विवेक करने और दूसरों को विवेक कराने में सक्षम होना चाहिए, मित्रों और शत्रुओं से व्यवहार करने में कुशल होना चाहिए और झगड़ा न करने वाला होना चाहिए। ये आठ गुण हैं जिनसे युक्त होने पर भिक्षु, हे भिक्षुओं, दूत का कार्य करने के योग्य होता है।

'हे भिक्षुओं, सारिपुत्त आठ गुणों से युक्त होने के कारण दूत का कार्य करने के योग्य है। वे आठ गुण क्या हैं (आदि, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में है)?'

जो भिक्षु उग्र वाणी वाले समूह में प्रवेश करते समय भयभीत नहीं होता, एक भी शब्द नहीं छोड़ता, अपने संदेश को छुपाता नहीं, अपनी बात में स्पष्ट रहता है और प्रश्न पूछे जाने पर क्रोधित नहीं होता, वही भिक्षु निश्चय ही मिशन पर जाने के योग्य है।

7. हे भिक्षुओं, देवदत्त आठ बुरी स्थितियों से ग्रस्त होकर एक कल्प तक दुख और पीड़ा में रहने के लिए अप्रतिबंधित है। वे आठ स्थितियाँ क्या हैं? वह लाभ, लाभ की अरुचि, यश, यश की अरुचि, मान, मान की अरुचि, बुरी इच्छाओं और बुरे मित्रों से ग्रस्त है। हे भिक्षुओं, ये आठ बुरी स्थितियाँ हैं जिनसे देवदत्त ग्रस्त होकर एक कल्प तक दुख और पीड़ा में रहने के लिए अप्रतिबंधित है।

हे भिक्षुओं, यह अच्छा है कि भिक्षु किसी भी लाभ या हानि, यश या अपयश, मान या अपमान, बुरी इच्छा या बुरी मित्रता पर पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखें। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हे भिक्षुओं, जो इन आठों चीजों पर पूर्ण प्रभुत्व बनाए नहीं रखता, उस पर कष्ट और पीड़ा से भरे बुरे प्रभाव (आसव) उत्पन्न होते हैं, परन्तु जो ऐसा करता है, उस पर ऐसे प्रभाव उत्पन्न नहीं होते। यही कारण है, हे भिक्षुओं, कि यह अच्छा है (आदि, जैसा पहले बताया गया है)। इसलिए, हे भिक्षुओं, हमें किसी भी लाभ या हानि, यश या अपयश, मान या अपमान, बुरी इच्छा या बुरी मित्रता पर पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखना चाहिए। और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, आपको स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए।

हे भिक्षुओं, तीन बुरी स्थितियाँ हैं जिनसे देवदत्त पराजित होकर और उसका मन उनमें लीन होकर एक कल्प तक दुख और पीड़ा की अवस्था में रहने के लिए अप्रतिरोध्य हो जाता है। वे तीन स्थितियाँ क्या हैं? उसकी बुरी इच्छाएँ, उसके बुरे मित्र और किसी छोटी चीज़ को प्राप्त कर लेने के कारण (निर्वाण या अरहत्त्व के मार्ग में) उसका रुक जाना। ये तीन स्थितियाँ हैं (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है)।

8. "सचमुच! अपने भीतर किसी भी प्रकार की बुरी इच्छा न उठने दो! बल्कि इससे उसका परिणाम जानो। वह बुद्धिमान और सुशिक्षित माने जाते थे; देवदत्त यश से प्रज्वलित खड़े थे (मैंने ऐसा सुना है)। उन्होंने अपने आप को अहंकार में लिप्त कर लिया, तथागत (बुद्ध) पर आक्रमण किया: वे अविकि नरक में गिर पड़े, जो चौगुनी सुरक्षा से घिरा हुआ और भयानक है। जो भले ही अच्छे का नाश करे, जो निर्दोष है, उसे पाप व्याप्त कर लेता है, वह क्रूर हृदय वाला और प्रेमहीन व्यक्ति है। यदि कोई सोचे कि एक विषपात्र से सागर दूषित हो सकता है, तो भी वह उसे दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि सागर भयानक और विशाल है; ठीक उसी प्रकार यदि कोई शब्दों से तथागत (बुद्ध) को चोट पहुँचाए, तो भी..."

वह परिपूर्ण, वह शांत हृदय वाला—उसके सामने शब्द व्यर्थ होंगे। बुद्धिमान भिक्षु को उसका मित्र बनाना चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए, जिसके मार्ग का अनुसरण करके वह दु:खों से मुक्ति पाएगा!

<<<< पिछला(7.3) | अगला(7.5) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> सातवाँ खंडका >> 7.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.4) | अगला(8.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

सातवां खंडक (संप्रदाय में मतभेद)

अध्याय-5.

1. अब पूज्य उपली भगवान बुद्ध के पास गए, उनके सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। बैठने के बाद पूज्य उपली ने भगवान बुद्ध से कहा, "हे प्रभु, 'संघ में फूट' और 'संघ में विभाजन' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हे प्रभु, संघ में कितनी फूट फूटने में सहायक होती है और कितनी फूट संघ में फूट और विभाजन दोनों उत्पन्न करने में सहायक होती है?"

'यदि एक व्यक्ति एक पक्ष में हो, उपाली, दो अन्य पक्ष में हों, और चौथा व्यक्ति औपचारिक प्रस्ताव रखे और उन्हें मतदान पत्र देते हुए कहे, "यह धम्म के अनुसार है, विनय के अनुसार है, और गुरु के उपदेशों के अनुसार है। यह (पत्र) लें और इस (राय) का समर्थन करें"—तो, उपाली, यह संघ में फूट है, विभाजन नहीं।'

उपाली, यदि दो एक तरफ हैं, और अन्य दो दूसरी तरफ हैं, और पाँचवाँ... (और इसी तरह आगे भी) और आठवाँ उन्हें कुछ बताते हैं (आदि, जैसा कि पहले बताया गया है) - तो, उपाली, यह संघ में फूट है, विभाजन नहीं।

'यदि, उपाली, चार एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ चार'

दूसरी तरफ हैं, और नौवां उन्हें बताता है (आदि, जैसा कि पहले) - तो, उपली, यह संघ में फूट भी है और विभाजन भी है।

नौ उपालि का या नौ से अधिक का पृथक्करण संघ में फूट और विभाजन दोनों है।

'एक भिक्षुणी, उपली, विभाजन उत्पन्न नहीं कर सकती, यद्यपि वह विभाजन उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है—न ही कोई महिला नवोदित भिक्षुणी, न कोई समनेर (पुरुष या स्त्री), न कोई गृहस्थ पुरुष, न कोई गृहस्थ स्त्री। केवल वही भिक्षु विभाजन उत्पन्न कर सकता है जो अपने सभी विशेषाधिकारों का पूर्ण अधिकार रखता हो, एक ही समुदाय का सदस्य हो और एक ही जिले में निवास करता हो।'

2. 'हे प्रभु, "संघ में फूट" की अभिव्यक्ति है। हे प्रभु, संघ में फूट उत्पन्न करने के लिए कितना कुछ आवश्यक है?'

'वे, उपली, जो धम्म नहीं है उसे धम्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं, या जो धम्म है उसे धम्म नहीं बताते, या जो विनय नहीं है उसे विनय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, या जो विनय है उसे विनय नहीं बताते, या जो तथागत (बुद्ध) द्वारा सिखाया और कहा नहीं गया है उसे उनके द्वारा सिखाया और कहा गया बताते हैं, या जो तथागत द्वारा सिखाया और कहा गया है उसे नहीं सिखाया गया बताते हैं।

और उनके द्वारा कही गई बात, या जो तथागत (बुद्ध) द्वारा अभ्यास नहीं किया गया है उसे उनके द्वारा अभ्यास किया हुआ मानना, या जो तथागत द्वारा अभ्यास किया गया है उसे उनके द्वारा अभ्यास नहीं किया हुआ मानना, या जो तथागत द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है उसे उनके द्वारा निर्धारित किया हुआ मानना, या जो तथागत द्वारा निर्धारित किया गया है उसे उनके द्वारा निर्धारित नहीं किया हुआ मानना, या जो अपराध नहीं है उसे अपराध मानना, या जो अपराध है उसे अपराध नहीं मानना, या जो मामूली अपराध है उसे गंभीर अपराध मानना, या जो गंभीर अपराध है उसे मामूली अपराध मानना, या जो (नियम के संबंध में) किसी ऐसे अपराध को जिसके लिए प्रायश्चित है उसे

प्रायश्चित रहित मानना, या जो (नियम के संबंध में) किसी ऐसे अपराध को जिसके लिए प्रायश्चित नहीं है उसे प्रायश्चित योग्य मानना, या जो गंभीर अपराध है उसे गंभीर अपराध नहीं मानना, या जो गंभीर अपराध नहीं है उसे गंभीर अपराध मानना। इन अठारह बिंदुओं में वे अपने अनुयायियों को बाधा और गुमराह करते हैं, और स्वयं उपोसथा, पवाराना और संघ के (आधिकारिक) कार्यों का स्वतंत्र रूप से निष्पादन करते हैं। उपाली, संघ में फूट डालने के लिए इतना ही पर्याप्त है।

3. 'हे प्रभु, एक अभिव्यक्ति है, "संघ में सामंजस्य।" हे प्रभु, संघ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है?'

'उन्होंने, उपली, जो धम्म नहीं है उसे धम्म नहीं माना (और इसी तरह अठारह बिंदुओं के माध्यम से अंत तक)।'

24. हे प्रभु, इससे (कर्म का) क्या फल होता है?

वह कौन सा व्यक्ति है जो संघ में एकता की स्थिति में फूट उत्पन्न करता है?

'उपली, वह एक ऐसे दोष को जन्म देता है (जिसका परिणाम) एक कल्प तक रहता है, और एक कल्प तक वह निरय (नरक) में उबलता रहता है।'

"जो संघ को तोड़ता है, वह एक कल्प तक दुख और पीड़ा की अवस्था में रहने के लिए अभिशप्त है।"

जो गुटबाजी (झगड़े) में आनंद लेता है और धम्म का पालन नहीं करता, वह अरहतत्व से वंचित हो जाता है।

संघ को तब भंग करने के कारण जब वह शांति में था, उसे निरय (नरक) में एक कल्प के लिए उबाला गया।

'हे प्रभु, वह व्यक्ति किस कर्म फल को जन्म देता है जो संघ के विखंडित होने पर उसमें सुलह कराता है?'

'हे उपली, वह सर्वोच्च पुण्य उत्पन्न करता है, और एक कल्प के लिए वह स्वर्ग में सुखी है।'

संघ में सामंजस्य और शांति में रहने वालों का समर्थन करना लाभकारी है! जो शांति में प्रसन्न रहता है और धम्म का पालन करता है, वह अर्हतत्व से वंचित नहीं होता: जब संघ में कलह थी, तब उसका मेल-मिलाप कराने पर वह एक कल्प तक स्वर्ग में सुख पाता है। 5. 'हे प्रभु, क्या यह संभव है कि संघ को भंग करने वाला एक कल्प तक दुख और पीड़ा की अवस्था में रहने के लिए अप्रतिबंधित हो जाए?'

'हां, उपाली, ऐसा हो सकता है।'

'हे प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है कि संघ को भंग करने वाला व्यक्ति दुख या पीड़ा की अवस्थाओं में पुनर्जन्म लेने के लिए अभिशप्त न हो; कि वह एक कल्प तक ऐसी अवस्थाओं में रहने के लिए अभिशप्त न हो; और कि उसकी (उसकी स्थिति) अपरिवर्तनीय न हो?'

'हां, उपाली, ऐसा हो सकता है।'

'तो फिर, हे प्रभु, [पहले शीर्ष के अंतर्गत कौन आता है?]'

'हे उपाली, यदि कोई भिक्षु अधर्म को धर्म बताकर प्रचारित करे, अपने मत, अनुमोदन, प्रसन्नता और अभिलाषा को अपने कथन और कर्म में प्रकट करे; और यह विश्वास करते हुए कि उसका प्रतिपादन धर्म के विरुद्ध है, और उससे उत्पन्न विभाजन भी धर्म के विरुद्ध होगा; और उसका प्रचार करे, टिकट बाँटे और कहे, "यह (मतदान टिकट) लो: इस (मत) का अनुमोदन करो। यही धर्म है; यही विनय है; यही गुरु का उपदेश है,"—हे उपाली, जो इस प्रकार संघ को विभाजित करता है, वह एक कल्प तक दुख और पीड़ा की अवस्था में रहने के लिए अपूरणीय रूप से अभिशप्त होगा।'

[उपरोक्त अनुच्छेद को फिर पूर्णतः दोहराया जाता है, और 'इस विश्वास में कि (वह जो सिद्धांत प्रतिपादित करता है) वह धम्म के विरुद्ध है, और उससे उत्पन्न होने वाला विभाजन धम्म के विरुद्ध होगा' के स्थान पर निम्नलिखित प्रत्येक खंड को क्रमानुसार पढ़ा जाता है:--]

(ख) ... इस विश्वास में कि यह सिद्धांत धम्म के विरुद्ध है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप होने वाला विभाजन धम्म के अनुरूप होगा...

(ग) . . . इस विश्वास में कि यह सिद्धांत धम्म के विरुद्ध है, लेकिन इस अनिश्चितता में कि इससे उत्पन्न होने वाला विभाजन धम्म के विरुद्ध होगा या नहीं . . .

(घ) . . . इस विश्वास में कि सिद्धांत धम्म के अनुरूप है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला विभाजन धम्म के विरुद्ध होगा . . .

(ई) ... इस विश्वास में कि सिद्धांत धम्म के अनुरूप है, लेकिन इस अनिश्चितता में कि उससे उत्पन्न होने वाला विभाजन धम्म के विरुद्ध होगा या नहीं...

(f) . . . इस अनिश्चितता में कि सिद्धांत धम्म के विरुद्ध है या नहीं, परन्तु इस विश्वास में कि उससे उत्पन्न होने वाला विभाजन धम्म के विरुद्ध होगा . . .

(जी) ... इस अनिश्चितता में कि सिद्धांत धम्म के विरुद्ध है या नहीं, और इस विश्वास में कि उससे उत्पन्न होने वाला विभाजन धम्म के विरुद्ध होगा...

(h) ... इस अनिश्चितता में कि क्या यह सिद्धांत धम्म के विरुद्ध होगा, और इस अनिश्चितता में कि क्या इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला विभाजन धम्म के विरुद्ध होगा या नहीं...]

[फिर पूरे अनुच्छेद को दोहराया जाता है, और 'जो धम्म नहीं है उसे धम्म के रूप में प्रकट करता है' के स्थान पर, VII, 5, 2 में पूर्ण रूप से दिए गए अठारह बिंदुओं में से प्रत्येक को क्रमानुसार पढ़ा जाता है।]

6. 'हे प्रभु, वह कौन है जो संघ को भंग करता है, और फिर भी दुख या पीड़ा की अवस्थाओं में पुनर्जन्म लेने के लिए अभिशप्त नहीं है; जो एक कल्प तक ऐसी अवस्थाओं में रहने के लिए अभिशप्त नहीं है; और जो इस प्रकार अभिशप्त नहीं है कि उसकी स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाए?'

'यदि उपाली, कोई भिक्षु बिना अपनी राय, स्वीकृति, प्रसन्नता और इरादे को उस ओर निर्देशित किए, और यह मानते हुए कि वह जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है वह धम्म के अनुरूप है, तो उससे उत्पन्न होने वाला मतभेद भी धम्म के अनुरूप होगा।'

यहां पाठ का तीसरा भाग समाप्त होता है।

=========
संघ में विभाजन पर आधारित सातवां खंडक यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(7.4) | अगला(8.1) >>>>

आठवां खंडक (एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)
(भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(7.5) | अगला(8.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध सावत्थी में, अनाथपिंडिका के विश्राम (पार्क/मठ) में ठहरे हुए थे।

उस समय नए भिक्षु अपने पदचिन्ह पहने हुए, या अपने ऊपर धूप से बचने के लिए छाता लगाए हुए, या अपने सिर को मथनी से ढके हुए, या अपने ऊपरी वस्त्र को सिर पर गट्ठे हुए आराम (मठ) में प्रवेश करते थे; और वे पीने के पानी में अपने पैर धोते थे; और वे अपने से वरिष्ठ निवासी भिक्षुओं को प्रणाम नहीं करते थे, न ही उनसे पूछते थे कि उन्हें (नए आने वालों को) कहाँ सोना चाहिए।

और एक आने वाले भिक्षु ने एक खाली कमरे (विहार) की कुंडी खोलकर दरवाजा खोल दिया और जबरदस्ती अंदर घुस गया; और एक सांप गिर पड़ा

वह ऊपर की चौखट से पीठ के बल गिर पड़ा, और वह भयभीत हो गया और चीखने लगा।

भिक्षु दौड़कर आए और उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने उन्हें वह बात बताई। तब वे भिक्षु जो अपनी इच्छाओं में संयमी थे, व्यथित और क्रोधित हो गए और बड़बड़ाते हुए बोले, 'नए भिक्षु आराम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं...? (और इसी तरह, पहले की तरह, नीचे तक)... जहाँ उन्हें सोना चाहिए।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई (आदि, हमेशा की तरह, 1, 2, 3, नीचे तक) उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा, 'इसलिए, हे भिक्षुओं, मैं आने वाले भिक्षुओं के लिए आचरण का एक नियम स्थापित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें व्यवहार करना चाहिए।

2. हे भिक्षुओं, जब कोई नया भिक्षु यह जान ले कि वह विश्राम में प्रवेश करने वाला है, तो उसे अपनी चप्पलें उतारकर उन्हें उल्टा करके, धूल झाड़ने के लिए उन्हें पीटना चाहिए और फिर उन्हें अपने हाथों में उठा लेना चाहिए।

उसने अपना हाथ रखा, अपनी धूप से बचने वाली टोपी नीचे रखी, अपना सिर ढका, अपनी ऊपरी पोशाक को अपनी पीठ पर व्यवस्थित किया, और फिर सावधानीपूर्वक और धीरे-धीरे अरमा में प्रवेश किया।

'जब वह विश्राम में प्रवेश करे तो उसे ध्यान देना चाहिए कि वहां रहने वाले भिक्षु कहां गए हैं; और वे जहां कहीं भी गए हों—चाहे सेवा कक्ष में हों, या मंडप में हों, या किसी वृक्ष की तलहटी में हों—उसे वहीं जाना चाहिए, और अपना भिक्षापात्र एक तरफ और अपना वस्त्र एक तरफ रखकर, उसे उपयुक्त स्थान पर बैठना चाहिए।'

उसे यह पूछना चाहिए कि पीने का पानी और धोने का पानी किसके लिए है और किसके लिए। यदि उसे पीने के पानी की आवश्यकता हो, तो उसे लाकर पीना चाहिए। यदि उसे धोने के पानी की आवश्यकता हो, तो उसे लाकर अपने पैर धोने चाहिए। पैर धोते समय उसे एक हाथ से पानी डालकर दूसरे हाथ से धोना चाहिए; उसे एक ही हाथ से पानी डालकर पैर नहीं धोने चाहिए।

उसे चप्पलों को साफ करने वाले कपड़े मांगकर अपनी चप्पलें साफ करनी चाहिए। चप्पलें साफ करते समय उसे पहले सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से पोंछना चाहिए; फिर उन कपड़ों को धोकर एक तरफ रख देना चाहिए।

यदि निवासी भिक्षु वरिष्ठ हो, तो उसे प्रणाम करना चाहिए; यदि कनिष्ठ हो, तो उसे (नए भिक्षु को) प्रणाम करने के लिए कहना चाहिए। नए भिक्षु को अपने हिस्से में आए आवास के बारे में और वह खाली है या भरा हुआ है, इसके बारे में पूछना चाहिए। उसे वैध और अवैध आवासों के बारे में और यह भी पूछना चाहिए कि किन परिवारों को आधिकारिक तौर पर जरूरतमंद घोषित किया गया है।

उसे विश्राम स्थलों के बारे में, (वे कहाँ स्थित हैं) और पीने के पानी के बारे में, धोने के पानी के बारे में, चलने के लिए लाठियों के बारे में, संघ की बैठकों के स्थान के बारे में, (और) उस समय के बारे में पूछना चाहिए जब उसे (उसमें) प्रवेश करना चाहिए और जब उसे उसे छोड़ना चाहिए।

3. 'यदि विहार खाली हो, तो उसे दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, फिर एक मिनट इंतजार करना चाहिए, फिर कुंडी खोलकर दरवाजा खोलना चाहिए, और फिर भी बाहर खड़े रहकर अंदर देखना चाहिए।

यदि वह विहार धूल से ढका हो, या पलंग या कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर ढेर लगी हों, और बिस्तर का सामान उनके ऊपर ढेर लगा हो, तो यदि

यदि वह ऐसा कर सकता है, तो उसे विहार की सफाई करनी चाहिए। विहार की सफाई करते समय, उसे फर्श पर बिछी चटाई, पलंग के सहारे, तकिए और बैठने वाली चटाई को एक तरफ रख देना चाहिए। पलंग और कुर्सियों को जमीन पर रखकर, फर्श पर खरोंच लगने या दरवाजे के चौखटों से टकराने से सावधानीपूर्वक बचाते हुए, उन्हें दरवाजे के बाहर ले जाकर एक तरफ रख देना चाहिए। थूकदान और सहारा लेने के लिए रखी तख्ती को भी बाहर निकालकर एक तरफ रख देना चाहिए।

यदि विहार मकड़ी के जालों से ढका हो, तो पहले उन्हें कपड़े से साफ कर देना चाहिए। खिड़कियों और खिड़कियों की धूल साफ कर देनी चाहिए, विशेषकर कोनों और जोड़ों की।

यदि प्लास्टर और लाली से पुती हुई दीवार या मिट्टी से बना काला रंगा हुआ फर्श कोनों से गंदा हो गया हो, तो उसे पहले गीले और निचोड़े हुए कपड़े से पोंछना चाहिए। यदि फर्श इस प्रकार तैयार नहीं किया गया हो, तो उस पर पानी छिड़ककर झाड़ू लगानी चाहिए, ताकि धूल से विहार अपवित्र न हो जाए। झाड़ू से निकले कचरे को इकट्ठा करके एक तरफ फेंक देना चाहिए।

4. फर्श पर बिछाई गई चादरों को धूप में सुखाकर, साफ करके, झाड़-झाड़ कर धूल झाड़ देनी चाहिए, फिर वापस ले जाकर उनके मूल स्थान पर बिछा देना चाहिए। पलंग के सहारे को धूप में सुखाकर, झाड़-झाड़ कर, वापस ले जाकर उनके मूल स्थान पर रख देना चाहिए। पलंग (मनका) और कुर्सियों (पीठा) को धूप में सुखाकर, साफ करके, झाड़-झाड़ कर धूल झाड़ देनी चाहिए, फिर उल्टा करके, सावधानी से फर्श पर खरोंच लगने या दरवाजे के चौखटों से टकराने से बचाते हुए, वापस ले जाकर उनके मूल स्थान पर रख देना चाहिए। तकिए और गद्दे, और

बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चटाइयों को धूप में सुखाकर, साफ करके, झाड़कर धूल झाड़ दें, वापस ले जाकर उनके मूल स्थान पर रख दें। इसी प्रकार, थूकदान और सहारा देने वाले तख्ते को भी धूप में सुखाकर, झाड़कर, वापस ले जाकर उनके मूल स्थान पर रख दें।

15. (तब नए भिक्षु को) अपना कुंड और वस्त्र रखना चाहिए। कुंड रखते समय, उसे एक हाथ में पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से पलंग या कुर्सी के नीचे टटोलना चाहिए, फिर उसे रखना चाहिए; और उसे फर्श के उस हिस्से पर नहीं रखना चाहिए जो खाली छोड़ा गया हो। कुंड रखते समय, उसे एक हाथ में पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से वस्त्र टांगने के लिए इस्तेमाल होने वाले बांस या रस्सी को टटोलना चाहिए; फिर उसे इस तरह टांगना चाहिए कि किनारा उससे दूर हो और तह उसकी ओर हो।

यदि धूल उड़ाती हुई हवाएँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा से चलें, तो उस दिशा की खिड़कियों को (शटर या जाली से) बंद कर देना चाहिए। यदि सर्दी का मौसम हो, तो दिन में जाली खोल देनी चाहिए और शाम को बंद कर देनी चाहिए।

रात: यदि मौसम गर्म हो, तो इन्हें दिन में बंद और रात में खोल देना चाहिए। यदि कोठरी, भंडारगृह, भोजन कक्ष, चूल्हा जलाने का कमरा या शौचालय धूल से ढका हो, तो उसे साफ कर देना चाहिए। यदि पीने का पानी या धोने का पानी न हो, तो उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। यदि धोने के बर्तन में पानी न हो, तो उसमें पानी डाल देना चाहिए।

'हे भिक्षुओं, यह नए भिक्षुओं के लिए आचरण का नियम है, जिसके अनुसार उन्हें व्यवहार करना चाहिए।'

<<<< पिछला(7.5) | अगला(8.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.1) | अगला(8.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय दो।

1. उस समय निवासी भिक्षु, आने वाले भिक्षुओं को देखकर, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं करते थे, न ही उनके लिए पानी, पादने की चौकी और पैर धोने के लिए तौलिये उपलब्ध कराते थे, न ही उनसे मिलने जाते थे और उनके कटोरे और वस्त्रों की जिम्मेदारी लेते थे, न ही उनसे पूछते थे कि क्या उन्हें पीने का पानी चाहिए, न ही आने वाले भिक्षुओं में से अपने वरिष्ठों को प्रणाम करते थे, और न ही उनके लिए बिस्तर तैयार करते थे।

संयमी भिक्षुओं ने आपस में कुछ बुदबुदाया, इत्यादि, और यह बात भगवान बुद्ध को बताई, इत्यादि, (अंत में) उन्होंने भिक्षुओं से कहा: 'अत:, हे भिक्षुओं,

क्या मैं निवासी भिक्षुओं के लिए आचरण का कोई नियम स्थापित करूं, जिसके अनुसार उन्हें व्यवहार करना चाहिए?

2. किसी वरिष्ठ भिक्षु को देखकर, जो वहीं रहता हो, उसे उसके लिए आसन तैयार करना चाहिए, जल, पाँव रखने की चौकी और पैर धोने के लिए तौलिया देना चाहिए; उससे मिलने जाना चाहिए, उसके वस्त्र और जलपात्र को अपने पास रखना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि क्या वह पानी पीना चाहता है, और यदि वह (इच्छा से) ऐसा कर सके, तो उसे उसकी पाँव की चप्पलें पोंछनी चाहिए। चप्पलें पोंछते समय, पहले उन्हें सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से पोंछना चाहिए, और फिर कपड़ों को धोकर अलग रख देना चाहिए।

नए भिक्षु का अभिवादन करना चाहिए। उनके लिए पलंग बिछाकर कहना चाहिए, "यह पलंग आपके लिए है।" उन्हें यह बताना चाहिए कि (शय्या) में कोई है या नहीं, कौन से स्थान वैध हैं और कौन से अवैध, और किन परिवारों को आधिकारिक तौर पर जरूरतमंद घोषित किया गया है। उन्हें विश्राम स्थल, पीने और धोने का पानी, लाठी, संघ की सभाओं का स्थान, और उनके प्रवेश और प्रस्थान का समय बताना चाहिए।

3. यदि (आगंतुक भिक्षु) उससे कनिष्ठ हो, तो (स्थायी भिक्षु) अपनी सीट पर बैठे-बैठे उसे बताए कि उसे अपना कुंड और वस्त्र कहाँ रखना है और किस चटाई पर बैठना है। नए भिक्षु को पीने और धोने का पानी और चप्पल साफ करने के कपड़े कहाँ हैं, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए; उसे निवासी भिक्षु को प्रणाम करने की अनुमति दी जानी चाहिए; और उसे बताया जाना चाहिए

जहां उसका बिस्तर है, वहां यह कहते हुए कि, "वह बिस्तर आपके लिए है।" उसे यह सूचित किया जाना चाहिए कि (वह कमरा) खाली है या नहीं (और इसी तरह, पिछले पैराग्राफ की तरह, अंत तक)।

'हे भिक्षुओं, यह निवास करने वाले भिक्षुओं के लिए आचरण का नियम है, जिसके अनुसार उन्हें व्यवहार करना चाहिए।'

<<<< पिछला(8.1) । अगला(8.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.2) । अगला(8.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय-3.

1. उस समय भिक्षु जाने की तैयारी में लकड़ी के सामान और बर्तनों को व्यवस्थित किए बिना, दरवाज़े और जाली खुले छोड़कर और सोने की जगहें किसी को सौंपे बिना ही चल पड़े। लकड़ी के सामान और बर्तन नष्ट हो गए और सोने की जगहें असुरक्षित रह गईं।

संयमी भिक्षुओं ने बड़बड़ाते हुए कहा, इत्यादि... भगवान बुद्ध से कहा, इत्यादि... (अंत में) उन्होंने भिक्षुओं से कहा: 'अत:, हे भिक्षुओं, मैं प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं के लिए आचरण का एक नियम स्थापित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें व्यवहार करना चाहिए।'

2. हे भिक्षुओं, प्रस्थान करने वाले भिक्षु को लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों को व्यवस्थित करना चाहिए, द्वार और जाली बंद कर देनी चाहिए, सोने के स्थानों की जिम्मेदारी (किसी एक को) सौंप देनी चाहिए, तभी प्रस्थान करना चाहिए। यदि कोई भिक्षु शेष न हो, तो किसी समनेर को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। यदि कोई समनेर शेष न हो, तो परिसर की देखरेख करने वाले परिचारक को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए।

वहाँ न तो भिक्षु हों, न समनेरा हों, न अरमिका हों; पलंग को चार पत्थरों पर रखना चाहिए, बाकी पलंगों को उसके ऊपर रखना चाहिए, कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखना चाहिए, बिस्तर को एक गठरी में ऊपर रखना चाहिए, लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों को क्रम से रखना चाहिए, और दरवाजों और जाली को बंद कर देना चाहिए, और फिर उसे व्यवस्थित करना चाहिए।

3. यदि विहार में रिसाव हो रहा हो, तो यदि संभव हो तो उसकी मरम्मत करा लें, या विहार की छत बनवाने का प्रयास करें। यदि इसमें सफलता मिल जाए तो अच्छा है। यदि न मिले, तो विहार के उस भाग में, जहाँ रिसाव न हो रहा हो, पलंग को चार पत्थरों पर रखें, और फिर दूसरा पलंग रखें (आदि, पिछले अनुच्छेद के अनुसार, अंत तक)। यदि पूरे विहार में रिसाव हो रहा हो, तो यदि संभव हो तो सारा बिस्तर गाँव ले जाएँ, या उसे वहाँ पहुँचाने का प्रयास करें। यदि सफलता मिल जाए, तो अच्छा है। यदि न मिले, तो खुले में चार पत्थरों पर एक पलंग रखें, उसके ऊपर बाकी पलंग रखें, कुर्सियाँ एक के ऊपर एक रखें, बिस्तर का ढेर लगा दें, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन उनके पास क्रम से रखें, और पूरे को घास या पत्तों से ढक दें, ताकि कम से कम मुख्य फर्नीचर सुरक्षित रहे; और (केवल) तभी जाएँ।

हे भिक्षुओं, यही आचरण का नियम है।

भिक्षु जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

<<<< पिछला(8.2) । अगला(8.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.3) । अगला(8.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय-4.

1. उस समय भिक्षुओं ने भोजन के स्थान पर धन्यवाद नहीं दिया। लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, इत्यादि; भिक्षुओं ने सुना, इत्यादि; उस अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं धन्यवाद देने की अनुमति देता हूँ।'

तब भिक्षुओं ने सोचा, 'धन्यवाद किसे देना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं उपस्थित वरिष्ठ भिक्षु को भोजन परोसे जाने वाले स्थान पर धन्यवाद देने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय संघ को भोजन कराने की बारी एक विशेष समूह की थी; और उस समूह में पूज्य सारिपुत्त वरिष्ठ भिक्षु थे। भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने वरिष्ठ भिक्षु को भोजन स्थल पर धन्यवाद देने की अनुमति दी है,' और वे पूज्य सारिपुत्त को वहीं छोड़कर चले गए। पूज्य सारिपुत्त ने उन लोगों को धन्यवाद दिया और फिर अकेले ही चले गए।

भगवान बुद्ध ने दूर से पूज्य सारिपुत्त को आते देखा; और उन्हें देखकर उन्होंने उनसे कहा: 'तो, सारिपुत्त, भोजन तो ठीक से संपन्न हुआ?'

'हे प्रभु, भोजन तो अच्छे से संपन्न हुआ। लेकिन भिक्षु चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया।'

तब भगवान बुद्ध ने इस विषय पर धर्म प्रवचन देते हुए उनसे कहा:

'हे भिक्षुओं, मैं अपने से वरिष्ठ या वरिष्ठों के बाद के चार या पाँच भिक्षुओं को प्रतीक्षा करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भोजन कक्ष में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था, हालांकि वह जाना चाहता था, लेकिन खुद को रोकने के चक्कर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, यदि आवश्यकता उत्पन्न हो जाए तो मैं तुम्हें (जाने की इच्छा रखने वाले भिक्षु के ठीक बगल में बैठे भिक्षु को) सूचित करने के बाद हॉल छोड़ने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय छब्बाग्य भिक्षु भोजन के स्थान पर अनुचित ढंग से अंतर्वस्त्र या वस्त्र पहने हुए, और शालीनता से वस्त्र न पहने हुए गए; और वरिष्ठ भिक्षुओं के आगे धक्का देकर, उनके बैठने के स्थान पर अतिक्रमण कर लिया; और कनिष्ठ भिक्षुओं को अपनी सीटें छोड़ने के लिए विवश किया; और अपने ऊपरी वस्त्रों को चटाई की तरह बिछाकर वे घरों के बीच की जगह में बैठ गए।

संयमी भिक्षुओं ने बड़बड़ाते हुए कहा, इत्यादि... उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, इत्यादि... उन्होंने भिक्षुओं से कहा:

अतः, हे भिक्षुओं, मैं भोजन के समय भिक्षुओं के लिए आचरण का एक नियम स्थापित करता हूँ, जिसका उन्हें पालन करना चाहिए।

33. जब विश्राम का समय हो जाए, तो भिक्षु को अपनी कमरबंद इस प्रकार पहननी चाहिए कि वह नाभि के ऊपर से घुटनों के नीचे तक चारों ओर से ढकी रहे, कमर पर बेल्ट बांधनी चाहिए, ऊपरी वस्त्रों को मोड़कर पहनना चाहिए, गद्दी लगानी चाहिए, हाथ धोने चाहिए, भिक्षापात्र लेना चाहिए, और फिर धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक गाँव की ओर बढ़ना चाहिए। उसे (सीधे मार्ग से) हटकर वरिष्ठ भिक्षुओं के आगे नहीं जाना चाहिए। उसे घरों के बीच से उचित वस्त्र पहनकर, अपने अंगों को नियंत्रित रखते हुए, दृष्टि एकाग्र रखते हुए, अपने वस्त्रों को ऊपर उठाए बिना, हँसते या ज़ोर से बोलते हुए नहीं, अपने शरीर, बाहों या सिर को हिलाते हुए नहीं, बाहों को कमर पर रखे बिना, या अपने वस्त्र को सिर पर डाले बिना, और एड़ियों पर चलते हुए नहीं जाना चाहिए। और उसे अपना

घरों के बीच में उचित वस्त्र पहने हुए बैठें (आदि, सब कुछ पहले जैसा ही), न तो अपनी बाहों को कमर पर रखे हुए, न ही अपने वस्त्रों को अपने सिर पर खींचे हुए, और न ही सुस्त होकर, और न ही वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए निर्धारित स्थान पर अतिक्रमण करते हुए, न ही कनिष्ठ भिक्षुओं को सीटों से बेदखल करते हुए, और न ही अपने ऊपरी वस्त्र को चटाई की तरह फैलाते हुए।

4. भोजन से पहले जब जल दिया जा रहा हो, तो भिक्षु को अपने कटोरे को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, उसमें जल ग्रहण करना चाहिए, कटोरे को सावधानीपूर्वक जमीन पर रखना चाहिए ताकि फर्श पर खरोंच न लगे, और फिर उसे धोना चाहिए। यदि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कर्तव्य प्रयुक्त जल को ले जाना हो, तो भिक्षु को अपने कटोरे को जमीन पर रखकर जल को अपशिष्ट पात्र में डालना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उस व्यक्ति, आस-पास के भिक्षुओं या अपने वस्त्रों पर छींटे न पड़ें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो, तो भिक्षु को अपने कटोरे को जमीन पर रखकर जल को बहा देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आस-पास के भिक्षुओं या अपने वस्त्रों पर छींटे न पड़ें।

जब उबले हुए चावल बांटे जा रहे हों, तो भिक्षु को अपने कटोरे को दोनों हाथों से पकड़कर उसमें चावल ग्रहण करना चाहिए। करी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। यदि घी, तेल या कोई अन्य व्यंजन हो, तो वरिष्ठ भिक्षु को कहना चाहिए, "सभी के लिए बराबर मात्रा में लाओ।" दान को सचेत मन से, कटोरे पर ध्यान देते हुए, बराबर करी के साथ और बराबर मात्रा में भरकर ग्रहण करना चाहिए। और वरिष्ठ भिक्षु को तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक कि सभी को उबले हुए चावल न परोस दिए जाएं।

15. दान में प्राप्त भोजन को सजग मन से, कटोरे पर ध्यान देते हुए, बराबर मात्रा में करी और बराबर मात्रा में भरकर खाना चाहिए; ऊपर से दबाना नहीं चाहिए; चावल को स्वादिष्ट बनाने की इच्छा से करी या मसाले को चावल से ढकना नहीं चाहिए; और भिक्षु को अपने निजी उपयोग के लिए चावल या करी नहीं मांगनी चाहिए, सिवाय तब जब वह बीमार हो। दूसरों के कटोरे को ईर्ष्या भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। भोजन को उंगलियों से गोल-गोल गोला बनाकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि छोटे-छोटे निवाले लेने चाहिए। जब तक गोला मुंह के पास न लाया जाए, तब तक मुंह का द्वार नहीं खोलना चाहिए। भोजन करते समय पूरा हाथ मुंह में नहीं डालना चाहिए। उसे मुंह भरकर बात नहीं करनी चाहिए, न ही खाते समय भोजन को मुंह में उछालना चाहिए, न ही भोजन के गोलों को कुतरना चाहिए, न ही खाते समय गाल फुलाना चाहिए, न ही हाथों से भोजन के कण झाड़ने चाहिए, न ही चावल के टुकड़ों को इधर-उधर बिखेरना चाहिए, न ही जीभ बाहर निकालनी चाहिए, न ही होंठों को चटकाना चाहिए, न ही खाते समय फुफकारने की आवाज निकालनी चाहिए, न ही उंगलियों, कटोरे या होंठों को चाटना चाहिए। और पीने के पानी के घड़े को भोजन से सने हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए।

6. वरिष्ठ भिक्षु को तब तक पानी नहीं लेना चाहिए (अपने बर्तन को धोने के लिए) जब तक कि सभी भिक्षु भोजन समाप्त न कर लें। जब भोजन के बाद पानी दिया जा रहा हो (जैसा कि अनुच्छेद 4 के पहले पैराग्राफ से अंत तक बताया गया है), तो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी, उसमें मौजूद अवशेषों के साथ, भीतरी प्रांगण में नहीं फेंकना चाहिए।

लौटते समय, कनिष्ठ भिक्षुओं को पहले लौटना है, और उनके बाद वरिष्ठ भिक्षुओं को। प्रत्येक भिक्षु को घरों के बीच से उचित वस्त्र पहनकर गुजरना है... (आदि, जैसा कि ऊपर, अनुच्छेद 3 में बताया गया है) अपनी एड़ियों पर नहीं चलना है।

'हे भिक्षुओं, यह वह आचरण नियम है जो मैं भिक्षुओं के लिए भोजन के समय स्थापित करता हूँ, जिसका उन्हें वहाँ पालन करना है।'

यहां पाठ का पहला भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला(8.3) | अगला(8.5) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.4) | अगला(8.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय-5.

1. उस समय भिक्षु जो भिक्षा मांगने के लिए चक्कर लगा रहे थे, वे अपने अंतर्वस्त्र या वस्त्र ठीक से नहीं पहने हुए थे, और शालीनता से कपड़े नहीं पहने हुए थे; वे बिना सोचे-समझे घरों में प्रवेश करते थे और बिना सोचे-समझे ही उन्हें छोड़ देते थे; वे घरों में बेरुखी से प्रवेश करते थे और बेरुखी से ही उन्हें छोड़ देते थे; वे बहुत अधिक दूरी पर या बहुत पास खड़े रहते थे; वे बहुत देर तक खड़े रहते थे या बहुत जल्दी वापस मुड़ जाते थे।

एक भिक्षु भिक्षा मांगने के दौरान अनजाने में एक घर में प्रवेश कर गया। उसने एक द्वार को घर का मुख्य द्वार समझकर अंदर के कमरे में प्रवेश किया। उस कमरे में एक स्त्री नग्न अवस्था में पीठ के बल सो रही थी। जब भिक्षु ने उसे देखा, तो वह यह जानकर बाहर आ गया कि वह घर का मुख्य द्वार नहीं, बल्कि एक कमरा था। उस स्त्री के पति ने अपनी पत्नी को उस अवस्था में देखकर सोचा, 'मेरी पत्नी को उस भिक्षु ने अपवित्र कर दिया है।' और उसने भिक्षु को पकड़कर उसकी पिटाई की।

लेकिन शोर सुनकर जाग उठी महिला ने उस आदमी से कहा, 'हे महोदय, आप इस भिक्षु को क्यों पीट रहे हैं?'

'इस भिक्षु ने तुम्हें अपवित्र कर दिया है।'

'ऐसा नहीं है, श्रीमान। इस भिक्षु ने कुछ नहीं किया है' (उसने कहा), और भिक्षु को मुक्त करवा दिया।

तब भिक्षु आराम में जाकर भिक्षुओं को यह बात बताई... कुछ बुदबुदाया... भगवान बुद्ध को बताया... उन्होंने भिक्षुओं से कहा:

अतः, हे भिक्षुओं, मैं भिक्षा मांगने के लिए यात्रा करने वाले भिक्षुओं के लिए आचरण का एक नियम स्थापित करता हूँ, जिसका उन्हें पालन करना चाहिए।

2. 'हे भिक्षुओं, जो भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए परिक्रमा करने का इरादा रखता है, उसे अपनी कमरबंद पहननी चाहिए (आदि, जैसा कि अध्याय-4, §-3, वाक्य 1 और 3 से अंत तक में है)।

जब वह किसी घर में प्रवेश करे, तो उसे ध्यान देना चाहिए (कि वह कहाँ जा रहा है, मन ही मन सोचते हुए), "मैं इस रास्ते से अंदर जाऊँगा और इस रास्ते से बाहर आऊँगा।" उसे जल्दबाजी में अंदर या बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे बहुत दूर, बहुत पास या बहुत देर तक नहीं खड़ा रहना चाहिए; और उसे आसानी से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए।

जब वह स्थिर खड़ा हो, तो उसे ध्यान देना चाहिए कि घर के लोग उसे भोजन देने के लिए इच्छुक हैं या नहीं। यदि वह अपना काम छोड़ दे, या अपनी सीट से उठ जाए, या चम्मच पोंछ दे, या कोई व्यंजन साफ करे या तैयार करे, तो उसे स्थिर खड़ा रहना चाहिए, यह समझते हुए कि वह भोजन देने के लिए इच्छुक प्रतीत होती है।

जब उसे भोजन दिया जा रहा हो, तो उसे अपने बाएं हाथ से अपना वस्त्र (संगहति) ऊपर उठाना चाहिए ताकि उसका कटोरा दिखाई दे, और कटोरे को अपने दोनों हाथों में लेना चाहिए।

और उसमें भोजन ग्रहण करो। और भोजन देने वाली स्त्री के चेहरे की ओर मत देखो।

उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या वह करी देने के लिए इच्छुक प्रतीत होती है या नहीं। यदि वह चम्मच पोंछती है, या कोई बर्तन पोंछती है या एक तरफ रखती है, तो उसे वहीं खड़े रहना चाहिए, यह समझते हुए कि वह देने के लिए इच्छुक प्रतीत होती है।

भोजन परोसे जाने के बाद, उसे कटोरे को अपने वस्त्र से ढक देना चाहिए और धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक वापस लौटना चाहिए। उसे (वापसी के रास्ते) घरों से उचित वस्त्र पहनकर गुजरना चाहिए... (आदि, जैसा कि अनुच्छेद 3, वाक्य 3 से अंत तक है)।

3. 'जो व्यक्ति गाँव से भिक्षा मांगने के बाद सबसे पहले लौटता है, उसे बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, और पानी, पायदान और तौलिए तैयार रखने चाहिए ताकि लोग पैर धो सकें, और कूड़ेदान को साफ करके तैयार रखना चाहिए, और पीने का पानी और धोने का पानी तैयार रखना चाहिए।

जो भिक्षु भिक्षा मांगने के बाद गांव से सबसे अंत में लौटता है, वह चाहे तो अन्य भिक्षुओं के भोजन में से बचा हुआ भोजन खा सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करना चाहता, तो वह बचे हुए भोजन को घास रहित स्थान पर फेंक दे या ऐसे जल में बहा दे जिसमें कोई जीव-जंतु न हों। उसे पानी, पाँव रखने की चौकी और पैर धोने के लिए इस्तेमाल किए गए तौलिये को हटा देना चाहिए, कूड़ेदान को साफ करके हटा देना चाहिए, पीने का पानी और अन्य पानी को भी हटा देना चाहिए।

धोने के लिए, और उस कमरे में झाड़ू लगाओ जहाँ भोजन किया गया था।

जो कोई भी पीने या धोने के पानी का बर्तन या सफाई का कोई बर्तन खाली देखे, उसे उसे उसके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि वह अकेले ऐसा करने में असमर्थ हो, तो उसे किसी और को बुलाना चाहिए और वे मिलकर उसे सही जगह पर रख दें, और इस कारण चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए।

'हे भिक्षुओं, यह आचरण का वह नियम है जो मैं भिक्षा मांगने वाले भिक्षुओं के लिए स्थापित करता हूँ, जिसका उन्हें पालन करना है।'

<<<< पिछला(8.4) | अगला(8.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.5) | अगला(8.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय-6.

1: उस समय बहुत से भिक्षु जंगल में रहते थे; और उनके पास न तो पीने का पानी था, न धोने का पानी, न आग जलाने के लिए लकड़ी, न आग जलाने के लिए ईंधन; न ही वे नक्षत्रों की स्थिति जानते थे, न ही आकाश की (दस) दिशाओं का विभाजन।

चोर वहां गए और भिक्षुओं से कहा, 'क्या आपके पास पीने का पानी है, महोदय?'

'नहीं दोस्तों, हमने ऐसा नहीं किया है।'

'क्या आपके पास धोने के लिए पानी है, महोदय?'

'नहीं दोस्तों, हमने ऐसा नहीं किया है।'

'क्या आपके पास आग जलाने के लिए कुछ है, महोदय?'

'नहीं दोस्तों, हमने ऐसा नहीं किया है।'

'क्या आपके पास आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और सूखी बारूद हैं, महोदय?'

'नहीं दोस्तों, हमने ऐसा नहीं किया है।'

'चंद्रमा इस समय किस नक्षत्र के साथ युति में है?'

'दोस्तों, हमें यह नहीं पता।'

'यह किस दिशा में है?'

'दोस्तों, हमें यह नहीं पता।'

ये जवाब सुनकर चोरों ने कहा, 'ये तो चोर हैं। ये भिक्षु नहीं हैं।' और उन्होंने उन्हें पीटा और चले गए।

भिक्षुओं ने यह बात भिक्षुओं को बताई। भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई। तब भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर और उस संदर्भ में, धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं से कहा...

अतः, हे भिक्षुओं, मैं वनों में निवास करने वाले भिक्षुओं के लिए आचरण का एक नियम स्थापित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें वहाँ व्यवहार करना चाहिए।

2. हे भिक्षुओं, जो भिक्षु वन में निवास करता है, उसे सुबह जल्दी उठकर अपना कुंड थैली में रखकर कंधे पर लटका लेना चाहिए, फिर अपना ऊपरी वस्त्र पीठ पर (दोनों कंधों पर) डालकर वस्त्र धारण कर लेना चाहिए।

उसने अपनी चप्पलें उतारीं, लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों को व्यवस्थित किया, दरवाजा और जाली बंद की, और फिर अपने रहने की जगह से निकल गया।

जब उसे यह आभास हो कि वह किसी गाँव में प्रवेश करने वाला है, तो उसे अपनी चप्पलें उतार देनी चाहिए, उन्हें उल्टा करके पीटकर धूल झाड़ देनी चाहिए, उन्हें एक थैली में डालकर अपने कंधे पर लटका लेना चाहिए और अपनी कमरबंद पहन लेनी चाहिए [और इसी प्रकार जैसा कि ऊपर भिक्षा के लिए गाँव में प्रवेश करने वाले भिक्षु के लिए निर्धारित किया गया है, VIII, 5, 2, अनुच्छेद 1, अंत तक]।

3. 'गांव छोड़ते समय उसे कटोरे को उसके थैले में रखना चाहिए, उसे अपने कंधे पर लटकाना चाहिए, अपने वस्त्रों को लपेटकर अपने सिर पर रखना चाहिए, अपनी चप्पलें पहननी चाहिए और फिर जाना चाहिए।

वनों में रहने वाले भिक्षु को, हे भिक्षुओं, पीने का पानी, धोने का पानी, आग, लकड़ी, ज्वलनशील पदार्थ और लाठी तैयार रखनी चाहिए। उसे नक्षत्रों में चंद्रमा की स्थिति, चाहे पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से, जाननी चाहिए और आकाश की दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए।

'हे भिक्षुओं, यह वह आचरण नियम है जो मैं वनों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए निर्धारित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें वहाँ आचरण करना चाहिए।'

<<<< पिछला(8.5) । अगला(8.7) >>>>
टिपिटका >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.6) । अगला(8.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय 7।

1. उस समय कई भिक्षु खुले में वस्त्र बनाने का काम कर रहे थे। छब्बागिया भिक्षु अपने बिस्तरों को पीट-पीटकर सुखा रहे थे।

उनके सामने हवा की दिशा में खुले मैदान में धूल उड़ी और उसने (काम कर रहे) भिक्षुओं को धूल से ढक दिया।

संयमी भिक्षुओं ने बड़बड़ाते हुए कहा, इत्यादि... उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, इत्यादि... और उन्होंने भिक्षुओं से कहा:

अतः, हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं के लिए आवास स्थलों के संबंध में आचरण का एक नियम स्थापित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें उस संबंध में व्यवहार करना चाहिए।

2. वह जिस भी विहार में रह रहा हो, यदि वह विहार गंदा हो, तो उसे यथासंभव उसे साफ करना चाहिए। विहार की सफाई करते समय, उसे सबसे पहले अपना कटोरा, अपना वस्त्र, बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चटाई, तकिया और गद्दे निकालकर एक तरफ रख देने चाहिए। पलंग को उसके स्टैंड से उतारकर बाहर ले जाना चाहिए [और इसी प्रकार, अध्याय VIII, 1, 2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अंत तक]।

उसे भिक्षुओं के पास, विहार के पास, पीने के पानी के पास, धोने के पानी के पास, या विहार के सामने खुले स्थान पर, हवा की दिशा में या भिक्षुओं के पास बिस्तर को पीटकर धूल नहीं झाड़नी चाहिए, बल्कि हवा के विपरीत दिशा में पीटना चाहिए।

3. 'फर्श के आवरण को धूप में सुखाया जाना चाहिए [और इसी तरह VIII I, 4, और 5 में अंत तक, "जिस स्थान से यह संबंधित है" के स्थान पर "जिस स्थान पर यह खड़ा था (या पड़ा था)" पढ़ा जाएगा]।

4. यदि वह किसी वरिष्ठ (भिक्षु) के साथ एक ही विहार में रह रहा हो, तो वरिष्ठ की अनुमति के बिना न तो पाठ करना चाहिए, न परीक्षा लेनी चाहिए, न उपदेश देना चाहिए, न ही धर्मोपदेश देना चाहिए। न ही उनकी अनुमति के बिना दीपक जलाना या बुझाना चाहिए, न ही खिड़कियों को खोलना या बंद करना चाहिए।

यदि वह किसी बड़े (भिक्षु) के साथ उसी मार्ग पर चल रहा हो, तो उसे उसी स्थान पर वापस मुड़ जाना चाहिए जहाँ उसका वरिष्ठ वापस मुड़ता है; और उसे अपने वस्त्र के कोने से भी अपने वरिष्ठ को स्पर्श नहीं करना चाहिए।

'हे भिक्षुओं, यह आचरण का नियम है, जो मैं भिक्षुओं के लिए आवास स्थलों के संबंध में निर्धारित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें वहाँ व्यवहार करना चाहिए।'

<<<< पिछला(8.6) | अगला(8.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.8

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.7) | अगला (8.9-8.14) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय-8.

1. उस समय छब्बागीय भिक्षुओं को वरिष्ठ भिक्षुओं द्वारा गर्म स्नानागार के उपयोग में बाधा डालने पर, क्रोधवश उन्होंने चूल्हे में बहुत सी लकड़ियाँ जमा कीं, उनमें आग लगा दी, द्वार बंद कर दिया और द्वार पर ही बैठ गए। गर्मी से झुलसे और बाहर निकलने का रास्ता न मिलने पर भिक्षु बेहोश होकर गिर पड़े।

शांत भिक्षुओं ने धीरे से कहा, इत्यादि... उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, इत्यादि... उन्होंने भिक्षुओं से कहा,

'हे भिक्षुओं, ऐसा कोई भी न करे। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. 'अतः, हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं के लिए गर्म स्नानागार के संबंध में आचरण का एक नियम स्थापित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें वहाँ व्यवहार करना चाहिए।'

जो भी व्यक्ति सबसे पहले स्नानघर में प्रवेश करे, यदि चूल्हे में राख जमा हो तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए। यदि गर्म स्नानघर, या उसका तैयार फर्श, या कोठरी, या स्नानघर का अग्रकक्ष, या शीतलन कक्ष, या हॉल गंदा हो तो उसे साफ कर देना चाहिए। चूने को कूटकर, मिट्टी को पानी से गीला करके, पानी को पानी के बर्तन में डाल देना चाहिए।

गर्म स्नानागार में प्रवेश करते समय चेहरे पर मिट्टी मलनी चाहिए और प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को आगे और पीछे से अच्छी तरह ढक लेना चाहिए। वरिष्ठ भिक्षुओं को परेशान करने के लिए आसन नहीं ग्रहण करना चाहिए और कनिष्ठ भिक्षुओं को उनके आसन से नहीं हटाना चाहिए। यदि संभव हो तो वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए गर्म स्नानागार में शैंपू करना चाहिए।

गर्म स्नानागार से निकलते समय, (अग्नि के सामने बैठने के लिए इस्तेमाल की गई) कुर्सी को हटा देना चाहिए, और निकलने से पहले व्यक्ति को आगे और पीछे से अच्छी तरह ढक लेना चाहिए। यदि संभव हो, तो वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए पानी में ही शैंपू करना चाहिए।

वरिष्ठ भिक्षुओं के सामने या उनसे ऊपर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने वाला व्यक्ति...

और (पानी से) बाहर निकलना, पानी में उतरने वाले व्यक्ति के लिए रास्ता बनाना है।

जो कोई भी गर्म स्नानागार से सबसे अंत में बाहर आता है, उसे यदि वह गंदा हो तो उसे धोना चाहिए; जिस बर्तन में मिट्टी रखी है उसे धोना चाहिए, गर्म स्नानागार में इस्तेमाल की गई कुर्सियों को व्यवस्थित करना चाहिए, आग बुझानी चाहिए, दरवाजे को बंद करना चाहिए और फिर बाहर आना चाहिए।

'हे भिक्षुओं, यह वह आचरण नियम है जो मैं भिक्षुओं के लिए गर्म स्नानागार के संबंध में निर्धारित करता हूँ, जिसके अनुसार उन्हें वहाँ व्यवहार करना चाहिए।'

<<<< पिछला (8.7) । अगला (8.9-8.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> आठवां खंडका >> 8.9-8.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(8.8) । अगला(9.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

आठवां खंडक (भिक्षुओं के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य)

अध्याय 9 और 10।

[ये अध्याय शौचालयों के उपयोग के तरीके और वी, 35 में वर्णित अन्य स्वच्छता व्यवस्थाओं से संबंधित हैं]

अध्याय 11, 12, 13 और 14।

[ये अध्याय महावग्ग प्रथम, 25, 14-24; प्रथम, 26, 1-11; प्रथम, 32, 3; और प्रथम, 33 को शब्दशः दोहराते हैं।]

=========
आचरण के नियमों को समेटे हुए आठवें खंडक का यहीं समापन होता है।

<<<< पिछला(8.8) । अगला(9.1) >>>>

नौवां खंडका (पतिमोक्खा विधानसभा से बहिष्कार)
(पतिमोक्खा समारोह से बहिष्कार के संबंध में)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> नौवां खंडका >> 9.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (8.9-8.14) । अगला (9.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

नौवां खंडका (पतिमोक्खा समारोह से बहिष्कार पर)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध पूर्वी आराम में स्थित श्रावस्ती में, मिगर की माता के निवास स्थान पर ठहरे हुए थे। उस समय उपोसथ दिवस था और भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के बीच में विराजमान थे। जब रात्रि काफी बीत चुकी थी और पहला पहर समाप्त हो रहा था, तब पूज्य आनंद अपने आसन से उठे, अपना वस्त्र एक कंधे पर डाला और भगवान बुद्ध की ओर हाथ फैलाकर उनसे कहा:

'हे प्रभु, रात्रि ढल चुकी है। पहला पहर बीत रहा है। भिक्षु संघ यहाँ बहुत समय से विराजमान है। हे प्रभु, भगवान बुद्ध भिक्षुओं को पतिमोक्खा का पाठ करें।'

जब उन्होंने ऐसा कहा, तो भगवान बुद्ध मौन रहे। फिर दूसरी बार, जब दूसरा पहर बीत रहा था, तब उन्होंने वही निवेदन किया और परिणाम वही रहा। फिर तीसरी बार, जब तीसरा पहर शुरू हो गया और भोर हो रही थी, तब उन्होंने वही निवेदन किया।

आनंद, यह सभा पवित्र नहीं है।

2. तब पूज्य महा मोग्गलाना ने सोचा, 'भगवान बुद्ध किस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं जब वे कहते हैं, "आनंद, यह सभा शुद्ध नहीं है।"' पूज्य महा मोग्गलाना ने संपूर्ण भिक्षु संघ का चिंतन किया और उनके मन में अंतर्मन किया। तब पूज्य महा मोग्गलाना ने उस व्यक्ति को पहचाना - जो आचरण में दुष्ट, चरित्र में पापी, अपवित्र और संदिग्ध व्यवहार वाला, ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला (अर्थात यौन रूप से सक्रिय), संन्यासी (भिक्षु) न होने के बावजूद संन्यासी, धर्म विद्यार्थी न होने के बावजूद धर्म विद्यार्थी, भीतर से दूषित, व्यथाओं से भरा हुआ, एक निकम्मा प्राणी - जिसने भिक्षु संघ में स्थान ग्रहण किया था। यह जानकर कि वह कौन है, वे उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहा, 'उठो, महोदय! भगवान बुद्ध ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारे और भिक्षुओं के बीच कोई संगति नहीं हो सकती!'

जब उन्होंने ऐसा कहा, तो वह व्यक्ति चुप रहा। और पूज्य महा मोग्गलाना ने दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही शब्द कहे [और परिणाम वही रहा]। तब पूज्य महा मोग्गलाना ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे बरामदे के बाहर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया।

और मैं भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, 'हे प्रभु, मैंने उस व्यक्ति को बाहर भेज दिया है। अब सभा पवित्र हो गई है। हे प्रभु, भगवान बुद्ध भिक्षुओं को पतिमोक्खा का पाठ करें।'

'यह कितनी आश्चर्यजनक और विचित्र बात है, मोग्गलाना, कि वह मूर्ख व्यक्ति ठीक उस समय तक इंतजार करता रहा जब उसे बांह पकड़कर ले जाना पड़ा।'

3. भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा: 'हे भिक्षुओं, विशाल सागर में आठ आश्चर्यजनक और अनोखे गुण हैं, जिनके निरंतर अवलोकन से महाशक्तिशाली प्राणी सागर में आनंदित होते हैं। वे आठ गुण क्या हैं?'

'हे भिक्षुओं, विशाल सागर धीरे-धीरे गहरा होता जाता है, ढलान के बाद ढलान, खोखले के बाद खोखला, और गिरावट अचानक नहीं होती। यह [ऐसे गुणों में से] पहला है।'

'हे भिक्षुओं, फिर भी विशाल सागर का स्वरूप वही रहता है और वह तट से आगे नहीं बढ़ता। यह दूसरा गुण है।'

हे भिक्षुओं, फिर भी, विशाल सागर किसी मृत शरीर के साथ संगति सहन नहीं करता। सागर में जो भी मृत शरीर होता है, वह उसे शीघ्रता से किनारे पर खींच लाता है और सूखी भूमि पर फेंक देता है। यह तीसरा गुण है।

हे भिक्षुओं, समस्त महान नदियाँ—अर्थात् गंगा, यमुना, अचिरावती, सरभू और माही—जब वे महा सागर में गिरती हैं, तो अपने नाम और वंश का त्याग कर देती हैं, और तब से उन्हें महा सागर के रूप में गिना जाता है। यह चौथा गुण है।

हे भिक्षुओं, यद्यपि संसार की समस्त धाराएँ बहते हुए विशाल सागर तक पहुँचती हैं और आकाश का समस्त जल उसमें समा जाता है, तो भी क्या इससे सागर अधिक खाली या अधिक भरा हुआ प्रतीत नहीं होता? यह पाँचवाँ गुण है।

'हे भिक्षुओं, फिर से कहिए कि विशाल सागर का केवल एक ही स्वाद है, नमक का स्वाद। यह छठा [गुण] है।'

हे भिक्षुओं, यह विशाल सागर अनेक प्रकार के रत्नों से भरा है; जिनमें ये रत्न भी शामिल हैं—अर्थात् मोती, हीरा, सीप, शंख, चट्टान, मूंगा, चांदी, सोना, माणिक और कार्नेलियन। यह सातवां गुण है।

हे भिक्षुओं, फिर से, विशाल सागर शक्तिशाली प्राणियों का निवास स्थान है, जिनमें ये शामिल हैं—अर्थात् तिमि, तिमिंगला, तिमितिमिंगला, असुर, नाग और गंधर्व। विशाल सागर में ऐसे प्राणी हैं जो एक से पाँच सौ मील तक फैले हुए हैं। यह इन गुणों में से आठवाँ गुण है।

4. हे भिक्षुओं, ठीक इसी प्रकार, इस सिद्धांत और अनुशासन में निरंतर अवलोकन से आठ अद्भुत और चमत्कारी गुण निहित हैं।

भिक्षु इस सिद्धांत और अनुशासन में आनंदित होते हैं। वे आठ कौन से हैं?

हे भिक्षुओं, जिस प्रकार विशाल सागर धीरे-धीरे गहरा होता जाता है, एक के बाद एक ढलानें और एक के बाद एक खोखले स्थान आते जाते हैं, और अंत में गिरावट अचानक नहीं होती, ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, इस सिद्धांत और अनुशासन में प्रशिक्षण क्रमिक है, एक के बाद एक कर्म और एक के बाद एक कदम; और (अरहतत्व की) अंतर्दृष्टि की प्राप्ति अचानक नहीं होती। यह (इन गुणों में) पहला गुण है।

हे भिक्षुओं, जिस प्रकार विशाल सागर अपने स्वरूप में स्थिर रहता है और तट से आगे नहीं बढ़ता, ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, मैंने अपने वचन के श्रोताओं के लिए जो उपदेश स्थापित किए हैं, वे अपने जीवनकाल में भी उनसे आगे नहीं बढ़ते। यह दूसरा गुण है।

हे भिक्षुओं, जिस प्रकार विशाल सागर किसी मृत शरीर के साथ संगति नहीं रखता, परन्तु सागर में जो भी मृत शरीर हो, वह उसे शीघ्र ही किनारे पर खींचकर सूखी भूमि पर फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति आचरण में दुष्ट, चरित्र में भ्रष्ट, अपवित्र और संदिग्ध व्यवहार वाला हो, चाहे उसने व्रत लिए हों या न लिए हों, चाहे उसने धर्म का विद्यार्थी ही क्यों न लिया हो, भीतर से दूषित हो, व्यथाओं से भरा हो, निकम्मा हो; तो संघ उससे संगति नहीं रखेगा, परन्तु अपने मिलन के समय उसे शीघ्र ही बाहर निकाल देगा। और यद्यपि वह व्यक्ति स्वयं भिक्षु-संघ के बीच में बैठा हो, निश्चय ही वह संघ से दूर है।

और संघ उनसे प्राप्त होता है। यह तीसरा गुण है।

हे भिक्षुओं, जिस प्रकार महान नदियाँ—अर्थात गंगा, यमुना, अकिरावती, सरभू और माही—जब सागर में गिरती हैं, तो अपना नाम और वंश त्याग देती हैं और तब से सागर के समान गिनी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, ये चार जातियाँ—क्षत्रिय (योद्धा), ब्राह्मण (पुजारी), वेस्स (व्यापारी) और शुद्ध (मजदूर)—जब तथागत (बुद्ध) द्वारा प्रचारित सिद्धांत और अनुशासन के तहत संसार से विदा होती हैं, तो अपना नाम और वंश त्याग देती हैं और शाक्यपुत्रीय समनों में प्रवेश करती हैं। यह चौथा गुण है।

हे भिक्षुओं, मान लीजिए कि संसार की सभी धाराएँ बहते हुए विशाल सागर तक पहुँचती हैं और आकाश का सारा जल उसमें समा जाता है, तो भी क्या इससे संघ अधिक खाली या अधिक भरा हुआ प्रतीत नहीं होता? ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, यद्यपि अनेक भिक्षु उस प्रकार के परलोक में पूर्णतः देह त्याग देते हैं जो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, तो भी क्या इससे संघ अधिक खाली या अधिक भरा हुआ प्रतीत नहीं होता? यह पाँचवाँ गुण है।

हे भिक्षुओं, जिस प्रकार विशाल सागर का केवल एक ही स्वाद होता है, नमक का स्वाद, ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, इस सिद्धांत और अनुशासन का भी केवल एक ही स्वाद है, मुक्ति का स्वाद। यह छठा गुण है।

हे भिक्षुओं, जिस प्रकार विशाल सागर अनेक प्रकार के रत्नों से भरा है—अर्थात् मोती, हीरा, खसखस, शंख, चट्टान, मूंगा, चांदी, सोना, माणिक और कार्नेलियन—ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, यह सिद्धांत और अनुशासन अनेक प्रकार के रत्नों से भरा है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

ये रत्न—अर्थात् चार गंभीर ध्यान, चार प्रकार का महा संघर्ष, इद्धि (आध्यात्मिक शक्ति) के चार मार्ग, पाँच नैतिक शक्तियाँ, पाँच नैतिक इंद्रियाँ, सात प्रकार की बुद्धि और श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग। यह इन गुणों में सातवाँ है।

हे भिक्षुओं, जिस प्रकार विशाल सागर शक्तिशाली प्राणियों का निवास स्थान है, जिनमें तिमि, तिमिंगला, तिमितिमिंगला, असुर, नाग और गंधर्व हैं; जिस प्रकार विशाल सागर में एक से पाँच सौ मील तक फैले हुए जीव हैं—ठीक उसी प्रकार, हे भिक्षुओं, यह सिद्धांत और अनुशासन शक्तिशाली प्राणियों का आश्रय स्थल है, जिनमें प्रथम मार्ग में प्रवेश करने वाला (परिवर्तित व्यक्ति, सोतापन्नो) और उसका फल प्राप्त करने वाला, द्वितीय मार्ग में प्रवेश करने वाला (सकादगामिन) और उसका फल प्राप्त करने वाला, तृतीय मार्ग में प्रवेश करने

वाला (अनगामिन) और उसका फल प्राप्त करने वाला, अरहत और अरहतत्व का फल प्राप्त करने वाला शामिल हैं। यह आठवाँ गुण है।

'हे भिक्षुओं, इस सिद्धांत और अनुशासन में ये आठ अद्भुत और चमत्कारी गुण हैं, जिनका निरंतर अवलोकन करने से भिक्षुओं को आनंद मिलता है।'

और भगवान बुद्ध ने उस पदार्थ को देखकर उस समय यह भावपूर्ण वाणी प्रकट की:

'जो ढका हुआ है उस पर भारी बारिश होती है, जो खुला हुआ है उस पर नहीं।'

इसलिए, जो तुमने छिपा रखा है, उसे प्रकट करो, और बारिश तुम्हें छू भी नहीं पाएगी।

<<<< पिछला (8.9-8.14) | अगला (9.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> नौवाँ खंडका >> 9.2

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (9.1) | अगला (9.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

नौवां खंडका (पतिमोक्खा समारोह से बहिष्कार पर)

अध्याय दो।

1. अब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, अब से मैं उपोसथ धारण नहीं करूँगा और न ही पतिमोक्खा का पाठ करूँगा; हे भिक्षुओं, तुम भी अब से उपोसथ धारण न करो और पतिमोक्खा का पाठ करो। हे भिक्षुओं, यह असंभव और अनुचित है कि तथागत (बुद्ध) किसी अपवित्र सभा के समक्ष उपोसथ धारण करें और पतिमोक्खा का पाठ करें। और हे भिक्षुओं, पतिमोक्खा का पाठ उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसने कोई अपराध किया हो। जो कोई भी इसका पाठ करेगा, वह दुक्कत का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें यह अनुमति देता हूँ कि जो कोई भी दोषी अवस्था में पतिमोक्खा का पाठ करे, उसके लिए पतिमोक्खा का पाठ वर्जित कर दो।'

और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, इसका निषेध किया जाता है। उपोसथ के दिन, माह के चौदहवें या पंद्रहवें दिन, और उस समय जब वह व्यक्ति उपस्थित हो, संघ के बीच में इस प्रकार इसका प्रस्ताव रखा जाना चाहिए:

"आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। फलां व्यक्ति ने अपराध किया है। उसके लिए

क्या मैं पतिमोक्खा के पाठ पर यह प्रतिबंध लगाता हूँ कि उसके उपस्थित रहने पर इसका पाठ न किया जाए? तदनुसार पतिमोक्खा का पाठ प्रतिबंधित है।

<<<< पिछला (9.1) | अगला (9.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> नौवां खंडक >> 9.3

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.2) | अगला(9.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

नौवां खंडका (पतिमोक्खा समारोह से बहिष्कार पर)

अध्याय-3.

1. उस समय छब्बाग्य भिक्षु यह सोचकर कि 'किसी को नहीं पता कि हम दोषी हैं' पतिमोक्खा की बातें सुन रहे थे। अन्य भिक्षुओं के विचारों को समझने वाले थेरा भिक्षुओं ने भिक्षुओं से कहा, 'हे महोदय, फलां-फलां भिक्षु और फलां-फलां छब्बाग्य भिक्षु यह सोचकर कि "किसी को नहीं पता कि हम दोषी हैं," पतिमोक्खा की बातें सुन रहे हैं।'

जब छब्बागिया भिक्षुओं ने यह सुना, तो उन्होंने यह सोचकर कि 'अच्छे भिक्षु (अन्यथा) पहले हमें पतिमोक्खा से मना करेंगे,' शुद्ध और निर्दोष भिक्षुओं को पहले ही पतिमोक्खा से मना कर दिया (जब तक उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था), और यह बिना किसी आधार और बिना किसी कारण के किया गया।

जो भिक्षु संयमी थे, उन्होंने (हमेशा की तरह) धीरे-धीरे बड़बड़ाते हुए यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, क्या यह सच है कि छब्बागीय भिक्षुओं ने [ऐसा किया है]?'

'यह सच है, प्रभु!'

फिर उन्होंने उन्हें फटकारा, और धर्म प्रवचन देने के बाद कहा: 'हे भिक्षुओं, बिना किसी आधार या कारण के शुद्ध और निर्दोष भिक्षुओं को पतिमोक्खा करने से मना नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. 'हे भिक्षुओं, पतिमोक्खा पर एक प्रकार का प्रतिबंध है जो अवैध है, और एक

जो वैध है। पतिमोक्खा के निषेध के दो..., तीन..., चार (आदि, तक) दस प्रकार हैं जो अवैध हैं, और एक, दो (आदि, तक) दस प्रकार हैं जो वैध हैं।

3. 'पतिमोक्खा पर किस प्रकार का प्रतिबंध अवैध है? जब कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के नैतिकता के उल्लंघन के लिए पतिमोक्खा पर प्रतिबंध लगाता है। यही वह प्रकार है, इत्यादि।'

और पतिमोक्खा पर किस प्रकार का प्रतिबंध वैध है? जब कोई व्यक्ति उचित कारण से नैतिकता के उल्लंघन के लिए पतिमोक्खा पर प्रतिबंध लगाता है। यही वह प्रकार है, इत्यादि।

और पतिमोक्खा पर प्रतिबंध लगाने के वे दो प्रकार कौन से हैं जो अवैध हैं? जब कोई नैतिकता के उल्लंघन या आचरण के विरुद्ध अपराध के लिए पतिमोक्खा पर प्रतिबंध लगाता है, और वे दोनों ही निराधार हैं। ये दो प्रकार हैं, इत्यादि।

और पतिमोक्खा पर प्रतिबंध लगाने के वे दो प्रकार कौन से हैं जो वैध हैं? जब कोई नैतिकता के उल्लंघन और आचरण के विरुद्ध अपराध के लिए पतिमोक्खा पर प्रतिबंध लगाता है, और दोनों के लिए उचित कारण हो। ये दो प्रकार हैं, इत्यादि।

और वे तीन प्रकार कौन से हैं, इत्यादि? [पिछले दो के समान, "सिद्धांत के विरुद्ध अपराध" जोड़ते हुए।]

और वे चार प्रकार कौन से हैं, इत्यादि? [जैसा कि अंत में जोड़ा गया है, "आजीविका के सही तरीके के विरुद्ध अपराध।"]

और पतिमोक्खा के निषेध के वे पाँच प्रकार कौन से हैं जो अवैध हैं? जब कोई व्यक्ति पराजिका, संघदिशेष, पचित्तिया, पतिदेशानिया या दुक्कत के लिए पतिमोक्खा का निषेध करता है, और वह भी बिना किसी आधार के। ये पाँच प्रकार हैं, इत्यादि।

और पतिमोक्खा के वे पाँच प्रकार कौन से हैं जो वैध हैं? [पिछले प्रश्न के समान, "उचित आधार के साथ।"]

और पतिमोक्खा पर किस प्रकार के छह निषेध अवैध हैं? जब कोई व्यक्ति नैतिकता, आचरण, सिद्धांत आदि के विरुद्ध अपराध के लिए बिना किसी आधार के पतिमोक्खा पर निषेध करता है, और वह अपराध चूक का होता है—जब कोई व्यक्ति नैतिकता, आचरण, सिद्धांत आदि के विरुद्ध अपराध के लिए बिना किसी आधार के पतिमोक्खा पर निषेध करता है, और वह अपराध जानबूझकर किया गया होता है। ये छह प्रकार के निषेध हैं, इत्यादि।

और पतिमोक्खा के वे छह प्रकार कौन से निषेध वैध हैं? [पिछले प्रश्न के समान, "उचित आधार के साथ।"]

और पतिमोक्खा के निषेध के वे सात प्रकार कौन से हैं जो अवैध हैं? जब कोई व्यक्ति पराजिका, संघदिशेष, तुलकाय (गंभीर अपराध), पचितीय, पतिदेशीय, दुक्कत या दुभसित अपराध के लिए पतिमोक्खा का निषेध करता है, और इनमें से प्रत्येक का कोई आधार नहीं होता। ये सात प्रकार हैं, इत्यादि।

और पतिमोक्खा के वे सात प्रकार कौन से निषेध वैध हैं? [पिछले प्रश्न के समान, "उचित आधार के साथ।"]

और पतिमोक्खा के वे आठ प्रकार कौन से निषेध हैं जो अवैध हैं? [वे छह प्रकार के ही हैं, साथ ही "आजीविका के सही साधनों के विरुद्ध अपराध" भी शामिल है।]

और पतिमोक्खा के नौ प्रकार के निषेध कौन से हैं जो अवैध हैं... कानूनी हैं? [छह प्रकार के समान, प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए यह जोड़ते हुए कि "अपराध चूक और कर्म दोनों का है।"]

और पतिमोक्खा के वे दस प्रकार कौन से निषेध हैं जो अवैध हैं? जब (कोई भिक्षु) जो पराजिका अपराध का दोषी है, उस सभा में नहीं बैठा हो, जब सभा में पराजिका अपराध (जो उस समय उपस्थित किसी भिक्षु द्वारा किया गया माना जाता है) के संबंध में कोई चर्चा नहीं चल रही हो, जब (कोई भिक्षु) जिसने नियमों का त्याग कर दिया है, उस सभा में नहीं बैठा हो, जब सभा में नियमों के त्याग के संबंध में कोई चर्चा नहीं चल रही हो, जब (आरोपित व्यक्ति) सभा के विधिवत निर्धारित सामंजस्य का पालन करता है, जब (आरोपित व्यक्ति) सभा के विधिवत निर्धारित सामंजस्य की अपनी स्वीकृति वापस नहीं लेता है, जब सभा में (किसी सदस्य द्वारा) सभा के विधिवत (निर्धारित) सामंजस्य की स्वीकृति वापस लेने के संबंध में कोई चर्चा नहीं चल रही हो, जब (आरोपित भिक्षु) पर नैतिकता के विरुद्ध अपराध का संदेह नहीं है, न ही उसे (ऐसा करते हुए) देखा गया है, और न ही (किसी अपराध को करने के बारे में) सुना है--. . . . आचरण के विरुद्ध अपराध का--. . . .

सिद्धांत के विरुद्ध अपराध। ये दस प्रकार के अपराध हैं, इत्यादि।

और पतिमोक्खा के दस प्रकार के निषेध कौन से हैं जो वैध हैं? [पिछले प्रश्न के समान, नकारात्मक के स्थान पर सकारात्मक।]

4. 'और यह कैसे (कानूनी रूप से कहा जा सकता है कि) एक भिक्षु (साधु) जो पराजिका अपराध का दोषी है, सभा में बैठा है?'

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु देखे कि कोई दूसरा भिक्षु उन साधनों, चिह्नों और संकेतों द्वारा पराजिका अपराध कर रहा है जिनसे पराजिका अपराध होता है, या यदि कोई भिक्षु स्वयं यह न देखे कि कोई दूसरा भिक्षु पराजिका अपराध कर रहा है, परन्तु कोई दूसरा भिक्षु पहले भिक्षु को सूचित करे, यह कहते हुए कि, "अमुक भिक्षु ने पराजिका अपराध किया है।" या यदि कोई भिक्षु स्वयं यह न देखे कि कोई दूसरा भिक्षु पराजिका अपराध कर रहा है, परन्तु वह स्वयं पहले भिक्षु को सूचित करे, यह कहते हुए कि, "मैंने पराजिका अपराध किया है।"

(इन दोनों ही मामलों में), हे भिक्षुओं, यदि वह ऐसा करता हुआ प्रतीत हो, तो भिक्षु अपने देखे, सुने और संदेह के आधार पर उपोसथ दिवस पर, माह के चौदहवें या पंद्रहवें दिन, उस समय जब वह व्यक्ति संघ के बीच में उपस्थित हो, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कर सकता है: "आदरणीय संघ मेरी बात सुने। फलां व्यक्ति ने पराजिका अपराध किया है। मैं उसके लिए पतिमोक्खा का पाठ वर्जित करता हूँ, इस आशय से कि जब वह उपस्थित हो तब पतिमोक्खा का पाठ न किया जाए।" यह पतिमोक्खा का कानूनी निषेध है।

'यदि, जब पतिमोक्खा को बाधित किया गया हो

यदि भिक्षु दस खतरों में से किसी एक के कारण सभा में उपस्थित हों—चाहे वह राजा से, चोरों से, आग से, पानी से, मनुष्यों से, परजीवियों से, शिकारी जानवरों से, रेंगने वाले जीवों से, जीवन के खतरे से, या पवित्रता के विरुद्ध खतरे से उत्पन्न हो—तो भिक्षु, यदि चाहें, तो अपने निवास स्थान के समूह में या किसी अन्य निवास स्थान के समूह में, जब वे सभा के बीच में उपस्थित हों, निम्नलिखित प्रस्ताव रख सकते हैं: "आदरणीय संघ मेरी बात सुनें। फलां व्यक्ति के पराजिका अपराध के संबंध में चर्चा प्रारंभ हुई थी, परन्तु उस मामले का निर्णय नहीं हो सका। यदि संघ को समय उचित लगे, तो संघ उस मामले का निर्णय करे।" यदि वे इस प्रकार सफल होते हैं, तो

यह अच्छा है। यदि ऐसा न हो, तो उपोसथ दिवस पर, माह के चौदहवें या पंद्रहवें दिन, जब वह व्यक्ति संघ के बीच उपस्थित हो, तो वह निम्नलिखित प्रस्ताव रखे: "आदरणीय संघ मेरी बात सुने। फलां व्यक्ति के पराजिका अपराध के संबंध में चर्चा प्रारंभ हुई थी, परन्तु उस मामले का निर्णय नहीं हुआ। मैं उसके लिए पतिमोक्खा के पाठ पर प्रतिबंध लगाता हूँ कि जब वह उपस्थित हो तब पतिमोक्खा का पाठ न किया जाए।" यह पतिमोक्खा के पाठ पर कानूनी प्रतिबंध है।

5. 'और यह कैसे (कानूनी रूप से कहा जा सकता है कि) एक भिक्षु जिसने नियमों का त्याग कर दिया है, सभा में बैठा है?'

[पिछली बार की तरह ही, 'परजिका अपराध' आदि के स्थान पर 'उपदेशों का त्याग कर दिया' आदि पढ़ा गया है।]

6. और (कानूनी तौर पर यह कैसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति)

आरोपित व्यक्ति (सभा की) कानूनी रूप से निर्धारित सहमति का पालन नहीं करता?

[पिछली बार की तरह ही, 'उपदेशों का त्याग करना' आदि के स्थान पर 'सभा की कानूनी रूप से (निर्धारित) सहमति के अधीन न होना' आदि पढ़ा गया है।]

7. 'और (कानूनी तौर पर यह कैसे कहा जा सकता है कि आरोपित व्यक्ति) सभा की कानूनी रूप से स्थापित सहमति को वापस ले लेता है?'

[पिछली बार की तरह ही, 'स्वीकृति वापस लेता है,' आदि के स्थान पर 'प्रस्तुत नहीं करता,' आदि पढ़ा जा रहा है।]

8. 'और यह कानूनी रूप से कैसे कहा जा सकता है कि आरोपित व्यक्ति को नैतिकता के विरुद्ध अपराध . . . . आचरण के विरुद्ध अपराध . . . . सिद्धांत के विरुद्ध अपराध करते हुए देखा गया है, सुना गया है या उस पर संदेह है?'

[संख्या 4 के समान, 'पराजिका अपराध' के स्थान पर 'नैतिकता के विरुद्ध अपराध' आदि पढ़ा गया है।]

ये दस प्रकार के पतिमोक्खा निषेध हैं जो कानूनी हैं।

यहां पाठ का पहला भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला(9.2) | अगला(9.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> नौवां खंडका >> 9.4

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.3) | अगला(9.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

नौवां खंडका (पतिमोक्खा समारोह से बहिष्कार पर)

अध्याय-4.

1. तब पूज्य उपली भगवान बुद्ध के पास गए और उनके सामने प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। इस प्रकार बैठने के बाद पूज्य उपली ने भगवान बुद्ध से कहा:

'हे प्रभु, जब कोई भिक्षु किसी मामले के निपटारे का दायित्व स्वयं लेने का इरादा रखता है, तो उसे किन परिस्थितियों में उस मामले का निपटारा स्वयं लेना चाहिए?'

'एक भिक्षु, उपली, जो किसी भी मामले के संचालन का दायित्व अपने ऊपर लेने का इरादा रखता है, उसे पांच शर्तों के तहत ऐसा संचालन अपने ऊपर लेना चाहिए।'

(सर्वोत्तम) उपली, जो भिक्षु किसी भी मामले का संचालन स्वयं अपने ऊपर लेने का इरादा रखता है, उसे इस प्रकार विचार करना चाहिए: "जिस मामले का संचालन मैं स्वयं अपने ऊपर लेने का इरादा रखता हूँ, क्या अब उसका संचालन अपने ऊपर लेने का सही समय है या नहीं?" यदि उपली, ऐसा विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह सही समय नहीं है, तो उपली, उसे उसका संचालन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए।

(दूसरा) यदि वह भिक्षु, उपली, ऐसा विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह सही समय है, तो उसे आगे इस प्रकार विचार करना चाहिए: "जिस मामले का दायित्व मैं स्वयं लेने जा रहा हूँ, उसका संचालन न्यायसंगत है या नहीं?" यदि वह भिक्षु, उपली, ऐसा विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह न्यायसंगत नहीं होगा, तो उसे इसका दायित्व नहीं लेना चाहिए।

(तीसरा) यदि वह भिक्षु, उपली, इस प्रकार विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह उचित होगा, तो उपली, उसे आगे इस प्रकार विचार करना चाहिए: "जिस मामले को मैं अपने ऊपर लेने का इरादा रखता हूँ, उसका संचालन लाभप्रद होगा या नहीं?" यदि वह भिक्षु, उपली, इस प्रकार विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह लाभप्रद नहीं होगा, तो उपली, उसे इसका दायित्व नहीं लेना चाहिए।

(चौथा) यदि वह भिक्षु उपली, ऐसा विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इससे यह प्रवृत्ति होगी कि

लाभ की चिंता में, उपाली, उसे आगे इस प्रकार विचार करना चाहिए: "जब मैं इस मामले का संचालन स्वयं अपने हाथ में ले रहा हूँ, तो क्या मुझे यह पता चलेगा कि मेरे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी भिक्षु धम्म और विनय के अनुसार मेरे पक्ष में हैं या नहीं?" यदि वह भिक्षु, उपाली, इस प्रकार विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह मेरे पक्ष में नहीं है, तो उपाली, उसे इस मामले का दायित्व नहीं लेना चाहिए।

(पांचवां) यदि वह भिक्षु, उपाली, इस प्रकार विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा होगा, तो उसे आगे इस प्रकार विचार करना चाहिए: "जब मैं इस मामले का संचालन अपने ऊपर ले रहा हूँ, तो क्या इसके परिणामस्वरूप संघ में कलह, झगड़ा, विवाद या मतभेद उत्पन्न होगा, या संघ में फूट, संघ में विखंडन, संघ में विभिन्न पदों पर मतभेद, संघ में विभिन्न कर्मों का विभाजन होगा?" यदि वह भिक्षु, उपाली, इस प्रकार विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा होगा, तो उसे इसका कार्यभार नहीं लेना चाहिए। परन्तु यदि वह भिक्षु, उपाली, इस प्रकार विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा नहीं होगा, तो उसे इसका कार्यभार लेना चाहिए। उपाली, इन पांच शर्तों के अधीन किसी मामले का कार्यभार लेने से बाद में पश्चाताप का कारण नहीं बनेगा।

<<<< पिछला(9.3) | अगला(9.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> नौवां खंडका >> 9.5

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(9.4) | अगला(10.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

नौवां खंडका (पतिमोक्खा समारोह से बहिष्कार पर)

अध्याय-5.

1. 'हे प्रभु, जब कोई भिक्षु किसी दूसरे को चेतावनी देने का दायित्व ग्रहण करता है और ऐसा करने वाला होता है, तो उसे ऐसा करने से पहले अपने भीतर मौजूद कितने गुणों पर विचार करना चाहिए?'

(क) 'एक भिक्षु जो दूसरे को चेतावनी देता है, उसे उपली करना चाहिए,

जब वह ऐसा करने वाला हो, तो इस प्रकार विचार करो: "क्या मैं अपने शरीर के आचरण में शुद्ध हूँ; क्या मैं दोषरहित, कलंकरहित हूँ? क्या यह गुण मुझमें है या नहीं?" हे उपाली, यदि भिक्षु ऐसा नहीं है, तो कुछ लोग उससे कहेंगे: "अब आओ, अपने आदर को शरीर से संबंधित मामलों में स्वयं को प्रशिक्षित करते रहने दो!"—वे ऐसा कहेंगे।

(ख) 'और आगे, हे उपली, जो भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को चेतावनी देता है, उसे ऐसा करने से पहले इस प्रकार विचार करना चाहिए: "क्या मैं अपने वाणी के आचरण में शुद्ध हूँ; क्या मैं दोषरहित, कलंकरहित हूँ? क्या यह गुण मुझमें है या नहीं?" हे उपली, यदि भिक्षु ऐसा नहीं है, तो कुछ लोग उससे कहेंगे: "हे उपली, अब भी अपने आदरणीय वाणी संबंधी विषयों में स्वयं को प्रशिक्षित करते रहो!"—वे ऐसा कहेंगे।

(ग) 'और आगे, उपाली, जो भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को चेतावनी देता है, उसे इस प्रकार विचार करना चाहिए: "क्या मुझमें सदा दयालु मन रहता है, ऐसा मन जो धम्म जीवन में मेरे साथियों के प्रति क्रोध रहित हो? क्या यह गुण मुझमें है या नहीं?" उपाली, यदि उस भिक्षु में ऐसा मन नहीं है, तो कुछ लोग उससे कहेंगे: "अब, अपने धम्म जीवन में अपने साथियों के प्रति मित्रता भाव विकसित करने के लिए श्रद्धा बनाए रखें!"—वे ऐसा कहेंगे।

(घ) 'और आगे, एक भिक्षु जो दूसरे भिक्षु को चेतावनी देता है, उसे उपली, इस प्रकार विचार करना चाहिए: "क्या मैं परंपरा में पारंगत व्यक्ति हूँ, परंपरा का संरक्षक हूँ, परंपरा का भंडार हूँ? जो भी सत्य, अपनी उत्पत्ति में सुंदर, अपनी प्रगति में सुंदर, अपनी पूर्णता में सुंदर, उच्च जीवन को, आत्मा और अक्षर दोनों में, और उसके सभी पहलुओं में, महिमा मंडित करते हैं,

क्या मैं इन सभी परिपूर्ण सत्यों में पारंगत हूँ, क्या मैं इनसे परिपूर्ण हूँ, क्या ये मेरे शब्दों में समाहित हैं, क्या ये मेरे हृदय में निवास करते हैं, क्या ये सही अंतर्दृष्टि से मेरे भीतर समाहित हैं? क्या यह गुण मुझमें पाया जाता है या नहीं? यदि वह भिक्षु, उपाली, ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो कुछ लोग उससे कहेंगे: "आइए, अब भी आप धर्म का अध्ययन जारी रखें!"—वे ऐसा कहेंगे।

(ई) 'और आगे, एक भिक्षु जो दूसरे भिक्षु को चेतावनी देता है, उसे उपाली, इस प्रकार विचार करना चाहिए: "क्या दोनों पतिमोक्ख मुझे पूर्ण रूप से सौंपे गए हैं; क्या मैंने उन्हें अच्छी तरह से विभाजित किया है, अच्छी तरह से स्थापित किया है, नियम दर नियम और प्रत्येक विवरण में अच्छी तरह से जांच की है? क्या यह गुण मुझमें पाया जाता है, या नहीं?" यदि, उपाली, ऐसा नहीं है, तो जब उससे पूछा जाएगा, "हे महोदय, भगवान बुद्ध ने यह कहाँ कहा है?" तो वह व्याख्या करने में सक्षम नहीं होगा, और कुछ लोग उससे कहेंगे: "आइए, अब आप विनय का अध्ययन जारी रखें!" - वे ऐसा कहेंगे।

उपली, ये पाँच गुण हैं जिनका विचार किसी भिक्षु को दूसरे भिक्षु को चेतावनी देने से पहले करना चाहिए, चाहे वे गुण स्वयं भिक्षु में हों या नहीं।

2. 'हे प्रभु, जब कोई भिक्षु किसी दूसरे को चेतावनी देने का दायित्व ग्रहण करता है और ऐसा करने वाला होता है, तो उसे ऐसा करने से पहले अपने भीतर कितने गुणों का आह्वान (स्थापना) करना चाहिए?'

उपली भिक्षु, जब किसी दूसरे को चेतावनी देने वाला हो, तो उसे ऐसा करने से पहले अपने भीतर पाँच गुणों का आह्वान करना चाहिए (मन में यह कहते हुए): "मैं उचित समय पर बोलूंगा, अनुचित समय पर नहीं। मैं सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं। मैं सौम्यता से बोलूंगा, कठोरता से नहीं। मैं लाभ के लिए बोलूंगा, निरर्थक नहीं। मैं दयालु भाव से बोलूंगा, क्रोध से नहीं।"

'ये पांच हैं, उपली,' इत्यादि।

3. 'हे प्रभु, किसी भिक्षु को गलत तरीके से दूसरे भिक्षु को चेतावनी देने पर पश्चाताप कैसे समझाया जा सकता है?'

'हे उपली, पाँच तरीकों से उस भिक्षु को पश्चाताप का अनुभव कराया जा सकता है जिसने दूसरे भिक्षु को गलत तरीके से चेतावनी दी हो (अर्थात् उससे यह कहकर): "हे महोदय, आपने उसे गलत समय पर चेतावनी दी, सही समय पर नहीं: पश्चाताप की आवश्यकता है। हे महोदय, आपने उसे असत्य से चेतावनी दी, तथ्यों के अनुसार नहीं: पश्चाताप की आवश्यकता है। हे महोदय, आपने उसे कठोरता से

चेतावनी दी, कोमलता से नहीं: पश्चाताप की आवश्यकता है। हे महोदय, आपने उसे अविवेकी रूप से चेतावनी दी, लाभप्रद तरीके से नहीं: पश्चाताप की आवश्यकता है। हे महोदय, आपने उसे क्रोध में चेतावनी दी, दयालुता से नहीं: पश्चाताप की आवश्यकता है।"

'हे उपाली, इन पाँच तरीकों से उस भिक्षु को पश्चाताप का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए जिसने किसी दूसरे भिक्षु को गलत तरीके से चेतावनी दी हो। और क्यों? ताकि कोई दूसरा भिक्षु यह न सोचे कि चेतावनी तथ्यों के अनुसार नहीं दी जानी चाहिए।'

4. 'हे प्रभु, इसे कितने तरीकों से लाया जा सकता है?'

क्या उस भिक्षु को पश्चाताप का भाव नहीं दिलाया जा सकता जिसे गलत तरीके से चेतावनी दी गई हो?

'पांच तरीकों से, उपाली, (अर्थात्, उससे यह कहकर): "श्रीमान, आपको गलत समय पर चेतावनी दी गई थी, सही समय पर नहीं: पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं है," [आदि, जैसा कि अनुच्छेद 2 में है, समान परिवर्तनों के साथ।]

5. 'हे प्रभु, पश्चाताप के विपरीत अर्थ को उन भिक्षुओं को कितनी तरह समझाया जा सकता है जिन्होंने दूसरे भिक्षु को सही चेतावनी दी है?'

[इसका उत्तर धारा 3 के ठीक विपरीत है।]

6. [यह खंड धारा 5 के विपरीत है।]

7. 'हे प्रभु, जब कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को चेतावनी देने वाला हो, तो उसे ऐसा करने से पहले कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए?'

'उपली, ये पाँच बातें हैं—अर्थात् दया, दूसरों का भला चाहना, करुणा, अपराधों का त्याग और विनय के प्रति आदर। ये पाँच बातें हैं,' इत्यादि।

'हे प्रभु, जिस भिक्षु को चेतावनी दी गई हो, उसे कितने गुणों में दृढ़ रहना चाहिए?'

'उपली, दो बातों में—अर्थात् सत्य में और क्रोध से मुक्ति में।'

=========
पतिमोक्खा के निषेध पर नौवां खंडक यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(9.4) | अगला(10.1) >>>>

दसवां खंडका (भिक्षुणियों के कर्तव्य)
(भिक्खुनियों के कर्तव्य)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (9.5) | अगला (10.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय 1।

1. उस समय भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में शाक्यों के बीच निग्रोधरम में ठहरे हुए थे। महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की मौसी/पालक माता) उस स्थान पर गईं जहाँ भगवान बुद्ध थे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम किया और एक तरफ खड़ी रहीं। खड़े-खड़े उन्होंने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा:

'हे प्रभु, यह अच्छा होगा यदि महिलाओं को तथागत (बुद्ध) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और अनुशासन के तहत अपने घर त्यागने और बेघर अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए।'

'बस करो, हे गौतमी! तुम्हें यह अच्छा नहीं लगेगा कि महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति दी जाए।'

[और दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने उन्हीं शब्दों में वही निवेदन किया और वही उत्तर प्राप्त किया।]

तब महाप्रजापति गौतमी, इस बात से दुखी और शोकाकुल होकर कि भगवान बुद्ध महिलाओं को बेघर अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे, भगवान बुद्ध के सामने झुक गईं और उन्हें अपने दाहिने हाथ पर रखकर उनके पास से गुजरते हुए रोती-आँखों में आँसू लिए वहाँ से चली गईं।

2. जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक ठहर गए, तब वे वैशाली की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े; और यात्रा करते हुए

वे उचित समय पर वहाँ पहुँच गए। और वहाँ वेशाली में, भगवान बुद्ध महावन में, कुटागारा हॉल में ठहरे।

और महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की मौसी/पालक माता) ने अपने बाल कटवाए, नारंगी रंग के वस्त्र धारण किए और शाक्य वंश की कई स्त्रियों के साथ वैशाली की ओर चल पड़ीं; और उचित समय पर वे वैशाली में महावन, कुटागारा हॉल में पहुँचीं। और महाप्रजापति गौतमी, सूजे हुए पैरों और धूल से ढकी हुई, दुखी और शोकाकुल होकर, रोती-बिलखती हुई प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी हो गईं।

और पूज्य आनंद ने उसे वहाँ इस प्रकार खड़े देखा, और उसे इस प्रकार देखकर उन्होंने महाप्रजापति से कहा: 'तुम वहाँ बरामदे के बाहर, सूजे हुए पैरों और धूल से ढकी हुई, दुखी और शोकाकुल होकर, रोती-बिलखती क्यों खड़ी हो?'

'हे आनंद, क्योंकि भगवान बुद्ध तथागत (बुद्ध) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और अनुशासन के तहत महिलाओं को अपने घर त्यागकर बेघर होने की अनुमति नहीं देते हैं।'

3. तब पूज्य आनंद भगवान बुद्ध के पास गए और उनके सामने प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए पूज्य आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा:

'हे प्रभु, देखिए, महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की माता/चाची) प्रवेश द्वार के बाहर, सूजे हुए पैरों और धूल से सनी हुई, दुखी और शोकाकुल होकर, रोती हुई खड़ी हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने उपदेशों और नियमों के अनुसार महिलाओं को गृह त्याग कर बेघर होने की अनुमति नहीं देते। हे प्रभु, यदि महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाए तो अच्छा होगा।'

बस करो, आनंद! तुम्हें यह अच्छा नहीं लगेगा कि महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति दी जाए।'

[और आनंद ने दूसरी और तीसरी बार भी वही अनुरोध किया, उन्हीं शब्दों में, और उसे वही उत्तर मिला।]

तब पूज्य आनंद ने सोचा, 'यदि भगवान बुद्ध अनुमति न दें, तो मैं किसी और आधार पर भगवान बुद्ध से विनती करूँ।' और पूज्य आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा:

'हे प्रभु, क्या स्त्रीयां - जब वे गृहस्थ जीवन से निकलकर भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और अनुशासन के अधीन होकर गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करती हैं - क्या वे धर्म परिवर्तन, द्वितीय मार्ग, तृतीय मार्ग या अरहतत्व के फल को प्राप्त करने में सक्षम होती हैं?'

'वे सक्षम हैं, आनंदा।'

'हे प्रभु, यदि वे ऐसा करने में सक्षम हैं, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की मौसी/पालक माता) ने स्वयं को भगवान बुद्ध की महान सेवा में सिद्ध किया है, जब उन्होंने मौसी और दाई के रूप में उनका पालन-पोषण किया और उन्हें दूध पिलाया, और उनकी माता के निधन पर

उन्हें अपने स्तन से दूध पिलाया, तो हे प्रभु, यह उचित होगा कि महिलाओं को तथागत (बुद्ध) द्वारा घोषित सिद्धांत और अनुशासन के तहत गृहस्थ जीवन से बाहर निकलने और गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए।'

4. 'यदि हे आनंद, महाप्रजापति गौतमी अष्टम नियमों का पालन करें, तो उसे ही उनका दीक्षा संस्कार माना जाए।'

[वे ये हैं]: (1) 'एक भिक्षुणी, चाहे वह सौ वर्ष की ही क्यों न हो, नवदीक्षित भिक्षु को प्रणाम करेगी, उसके समक्ष खड़ी होगी, उसके सामने नतमस्तक होगी और उसके प्रति सभी उचित कर्तव्यों का पालन करेगी। यह एक ऐसा नियम है जिसका आदर और सम्मान किया जाना चाहिए, जिसका आदर और पालन किया जाना चाहिए, और जीवन भर इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

(2) 'भिक्खुनी (भिक्षुणी) को वर्षा ऋतु (वस) ऐसे जिले में नहीं बितानी चाहिए जहाँ कोई भिक्षु न हो। यह एक नियम है... जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

(3) 'प्रत्येक छह महीने में एक भिक्षुणी को भिक्षु-संघ से दो बातों की प्रतीक्षा करनी चाहिए: उपोसथा समारोह की तिथि के बारे में पूछना और भिक्षु द्वारा उपदेश देने का समय। यह एक नियम है... जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

(4) वर्षा ऋतु (वस) के बाद, भिक्षुणी (भिक्षुणी) को दोनों संघों—भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ—के समक्ष तीन बातों के संबंध में पवाराना (यह पता लगाने के लिए कि क्या उस पर कोई दोष लगाया जा सकता है) करना चाहिए, अर्थात् जो देखा गया है, जो सुना गया है और जो संदेह है। यह एक नियम है... जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

(5) 'एक भिक्षुणी जो किसी गंभीर अपराध की दोषी पाई जाती है, उसे संघों (भिक्षुओं और भिक्षुणियों) दोनों के प्रति मनत्ता अनुशासन का पालन करना होता है। यह एक नियम है... जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

(6) 'जब कोई भिक्षुणी, नौसिखिया के रूप में, छह नियमों में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती है, तो उसे उपसम्पदा दीक्षा के लिए दोनों संघों (भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों के संघ) से अनुमति लेनी चाहिए। यह एक नियम है... जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) 'भिक्खुनी (भिक्षुणी) किसी भी बहाने से भिक्षु को अपशब्द या गाली नहीं दे सकती। यह एक नियम है... जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

(8) 'अब से भिक्षुणियों द्वारा भिक्षुओं को आधिकारिक उपदेश देना निषिद्ध है, जबकि भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों को आधिकारिक उपदेश देना निषिद्ध नहीं है। यह एक नियम है... जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।'

'यदि हे आनंद, महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की मौसी/पालक माता) इन आठ प्रमुख नियमों को ग्रहण कर लें, तो इसे ही उनका दीक्षा संस्कार माना जाए।'

5. तब पूज्य आनंद ने जब भगवान बुद्ध से इन आठ मुख्य नियमों को सीखा, तो वे महाप्रजापति गौतमी के पास गए और [उन्हें भगवान बुद्ध द्वारा कही गई सभी बातें बताईं]।

'हे आनंद, जिस प्रकार कोई पुरुष या स्त्री, जब युवा और नन्हे-मुन्ने होते हैं और स्वयं को सजाने-संवारने के आदी होते हैं, तो सिर धोने के बाद दोनों हाथों से कमल, चमेली या अतिमुत्तक के फूलों की माला ग्रहण करके अपने सिर पर रखते हैं; उसी प्रकार, हे आनंद, मैं भी इन आठ प्रमुख नियमों को जीवन भर कभी न तोड़ने का संकल्प लेता हूँ।'

6. तब पूज्य आनंद भगवान बुद्ध के पास लौट आए, उनके सामने प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए पूज्य आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा: 'हे भगवान, महाप्रजापति गौतमी ने अष्टम नियमों का पालन किया है, भगवान बुद्ध की चाची ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की है।'

हे आनंद, यदि तथागत (बुद्ध) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और अनुशासन के अनुसार स्त्रियों को गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर बेघर होने की अनुमति न मिली होती, तो हे आनंद, शुद्ध धर्म इतने लंबे समय तक कायम रहता, और यह धर्म हज़ार वर्षों तक स्थिर रहता। परन्तु हे आनंद, अब स्त्रियों को यह अनुमति मिल जाने के कारण, हे आनंद, शुद्ध धर्म इतने लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा, और यह धर्म केवल पाँच सौ वर्षों तक ही स्थिर रहेगा। हे आनंद, जिस प्रकार जिन घरों में स्त्रियाँ अधिक और पुरुष कम होते हैं, उनमें चोर आसानी से सेंध लगा लेते हैं; ठीक उसी प्रकार, हे आनंद,

हे आनंद, चाहे किसी भी सिद्धांत और अनुशासन के तहत महिलाओं को गृहस्थ जीवन छोड़कर बेघर होने की अनुमति दी जाए, वह धर्म अधिक समय तक नहीं टिकेगा। और हे आनंद, जैसे जब अच्छी स्थिति में धान के खेत पर फफूंद लग जाती है, तो वह खेत अधिक समय तक नहीं टिकता; ठीक वैसे ही, हे आनंद, चाहे किसी भी सिद्धांत और अनुशासन के तहत महिलाओं को गृहस्थ जीवन छोड़कर बेघर होने की अनुमति दी जाए, वह धर्म अधिक समय तक नहीं टिकेगा। और हे आनंद, जैसे जब अच्छी स्थिति में गन्ने के खेत पर झुलसा रोग लग जाता है, तो वह खेत अधिक समय तक नहीं टिकता; ठीक वैसे ही, हे आनंद, चाहे किसी भी सिद्धांत और अनुशासन के तहत महिलाओं को गृहस्थ जीवन छोड़कर बेघर होने की अनुमति दी जाए, वह धर्म अधिक समय तक नहीं टिकेगा। और हे आनंद, जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही एक बड़े जलाशय के लिए तटबंध बनाता है, जिसके आगे पानी न बहे; फिर भी, हे आनंद, मैंने भिक्षुणियों के लिए ये आठ मुख्य नियम पूर्वधारणा के आधार पर ही निर्धारित किए हैं, जिनका पालन उनके जीवनकाल से अधिक नहीं होना चाहिए।

यहां भिक्षुणियों के लिए आठ प्रमुख नियम समाप्त होते हैं।

<<<< पिछला (9.5) | अगला (10.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.1) | अगला (10.3) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय दो।

1. अब महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की मौसी/पालक माता) उस स्थान पर गईं जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, और उनके सामने प्रणाम करके एक तरफ आदरपूर्वक खड़ी हो गईं। इस प्रकार खड़े होकर महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार कहा: 'हे प्रभु, क्या उपाय है?'

क्या मुझे शाक्य वंश की इन महिलाओं की ओर रुख करना चाहिए?'

तब भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को शिक्षा दी, उन्हें प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और धर्म प्रवचन से प्रसन्न किया; और इस प्रकार शिक्षा प्राप्त, प्रोत्साहित, प्रेरित और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान बुद्ध के समक्ष प्रणाम किया और उन्हें अपने दाहिने हाथ पर रखते हुए वहां से प्रस्थान किया।

तब भगवान बुद्ध ने उस संदर्भ में धर्म प्रवचन दिया और भिक्षुओं से कहा, 'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को भिक्षुओं से उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता हूँ।'

2. तब उन भिक्षुणियों ने गौतमी महाप्रजापति से कहा: 'न तो आपने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त की है, न ही हमने; क्योंकि भगवान बुद्ध ने यही नियम बनाया है: "भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों को दीक्षा दी जानी चाहिए।"'

तब गौतमी महाप्रजापति पूज्य आनंद के पास गईं और उन्होंने [उनकी बातें उन्हें दोहराईं]। पूज्य आनंद भगवान बुद्ध के पास गए और [उनकी बातें उन्हें दोहराईं]।

'आनंद, उस क्षण जब महाप्रजापति गौतमी ने अष्टम नियमों को अपने ऊपर ग्रहण किया, तो वह उनके लिए उपसम्पदा दीक्षा के समान था।'

<<<< पिछला (10.1) | अगला (10.3) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.3
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.2) | अगला (10.4) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-3.

1. अब महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की चाची/पालक माता) उस स्थान पर गईं जहाँ पूज्य आनंद विराजमान थे, और उनके सामने झुककर आदरपूर्वक एक तरफ खड़ी हो गईं।

और इस प्रकार खड़े होकर, गौतमी महाप्रजापति ने पूज्य आनंद से कहा: 'आनंद, मैं भगवान बुद्ध से एक बात पूछना चाहता हूँ। हे महोदय, यदि भगवान बुद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के बीच वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से अभिवादन करने, दूसरे के समक्ष उठने, आदर करने और उचित कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दें तो यह अच्छा होगा।'

और पूज्य आनंदा भगवान बुद्ध के पास गईं [और उन्होंने उनके शब्दों को दोहराया]।

'आनंद, यह असंभव और अस्वीकार्य है कि मैं ऐसा आदेश दूं। आनंद, यहां तक कि वे अन्य शिक्षक भी, जो कुरीतिशास्त्र के अनुयायी हैं, स्त्रियों के प्रति ऐसे आचरण की अनुमति नहीं देते; तो तथागत (बुद्ध) इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं?'

उस अवसर पर भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन देते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा: 'हे भिक्षुओं, तुम स्त्रियों के समक्ष न तो प्रणाम करो, न ही उनके समक्ष उठ खड़े हो, न ही उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रणाम करो, और न ही उनके प्रति वे कर्तव्य निभाओ जो (निम्न से श्रेष्ठ के प्रति) उचित हैं। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (10.2) | अगला (10.4) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.4
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.3) | अगला (10.5) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-4.

1. अब महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की मौसी/पालक माता) उस स्थान पर गईं जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, और उनके सामने प्रणाम करके एक तरफ आदरपूर्वक खड़ी हो गईं। इस प्रकार खड़े होकर महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध से कहा, 'हे प्रभु, भिक्षुणियों के लिए जो उपदेश हैं, वे भिक्षुओं पर भी लागू होते हैं, इसलिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए?'

'गौतमी, तुम भी भिक्षुओं की तरह ही इस विषय में प्रशिक्षण लो।'

'हे प्रभु, भिक्षुणियों के लिए उन नियमों के संबंध में हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए जो भिक्षुओं पर लागू नहीं होते?'

'हे गौतमी, तुम उसमें निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रशिक्षण लो।'

<<<< पिछला (10.3) | अगला (10.5) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.5
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.4) | अगला (10.6) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-5.

1. अब महाप्रजापति गौतमी (बुद्ध की मौसी/पालक माता) भगवान बुद्ध के पास गईं [जैसा कि पहले बताया गया है], और बोलीं: 'भगवान बुद्ध मुझे धम्म (सत्य, सिद्धांत) का सार रूप में उपदेश दें; ताकि भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर मैं एकांत में, एकांत में, गंभीर, उत्साही और दृढ़ संकल्पित रह सकूँ।'

'हे गौतमी, तुम जिन भी सिद्धांतों के प्रति सचेत रहो, जो तुम्हें शांति के बजाय वासना, श्रद्धा के बजाय अहंकार, थोड़ी सी इच्छा के बजाय अधिक पाने की लालसा, एकांतवास के बजाय समाजप्रेम, परिश्रम के बजाय आलस्य, और संतोष के बजाय असंतोषजनक स्वभाव की ओर ले जाते हैं, तो हे गौतमी, तुम उन्हें अवश्य ध्यान में रखो।'

वह धम्म नहीं है, वह विनय नहीं है, वह गुरु की शिक्षा नहीं है। परन्तु हे गौतमी, तुम जिन सिद्धांतों के प्रति सचेत रहो, जो शांति की ओर ले जाते हैं, न कि वासना की ओर, आदर की ओर ले जाते हैं, न कि अहंकार की ओर, अल्प इच्छा की ओर ले जाते हैं, न कि अधिक इच्छा की ओर, एकांत की ओर ले जाते हैं, न कि समाजप्रेम की ओर, उत्साह के अभ्यास की ओर ले जाते हैं, न कि आलस्य की ओर, संतोष की ओर ले जाते हैं, न कि संशय की ओर—तब तुम यह ध्यान रखना कि वही धम्म है, वही विनय है, और वही गुरु की शिक्षा है।

<<<< पिछला (10.4) | अगला (10.6) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दसवाँ खंडक >> 10.6
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.5) | अगला (10.7) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-6.

1. उस समय भिक्षुणियों को पतिमोक्खा नहीं सुनाया जाता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को पतिमोक्खा का पाठ करने की अनुमति देता हूँ।'

अब भिक्षुणियों के मन में यह विचार आया: 'भिक्षुओं को पतिमोक्खा का पाठ किसके द्वारा कराया जाना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओ, मैं भिक्खुओं द्वारा भिक्खुनिस को पतिमोक्ख सुनाने की अनुमति देता हूं।'

उस समय भिक्षु भिक्षुणियों के निवास पर गए और वहाँ की भिक्षुणियों को पतिमोक्खा का पाठ सुनाया। लोगों ने बड़बड़ाते हुए और आक्रोश जताते हुए कहा, 'यहाँ उनकी पत्नियाँ हैं, वहाँ उनकी रखैलें हैं; अब क्या वे आपस में भोग-विलास करेंगे?'

भिक्षुओं ने यह सुना और उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणियों के निवास पर उन्हें पतिमोक्खा का पाठ न करने दें। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को पतिमोक्खा का पाठ करने की अनुमति देता हूँ।'

भिक्षुणियों को पतिमोक्खा का पाठ करना नहीं आता था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्खुओं को अनुमति देता हूं कि वे भिक्खुनिस को बताएं कि पतिमोक्खा का पाठ कैसे किया जाता है।'

2. उस समय भिक्षुणियों ने अपने किए हुए दोषों को स्वीकार नहीं किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को अपने दोष को स्वीकार किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

भिक्षुणियों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने का तरीका नहीं पता था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को यह अनुमति देता हूँ कि वे उन्हें बताएँ कि उन्हें अपने दोषों को कैसे स्वीकार करना चाहिए।'

तब भिक्षुओं के मन में यह विचार आया: 'भिक्षुणियों से दोष स्वीकारोक्ति किसके द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए?' उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों से किसी दोष की स्वीकारोक्ति स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षुणियाँ, सड़क पर, या एक छोर से बंद गली में, या जहाँ चार चौराहे मिलते थे, किसी भिक्षु को देखकर अपना कुंड ज़मीन पर रख देतीं, और अपने वस्त्रों को एक कंधे पर समेटकर एड़ियों के बल बैठ जातीं, और अपने हाथ जोड़कर अपने किसी पाप का प्रायश्चित करतीं। लोग बड़बड़ाते, नाराज़ होते और शिकायत करते हुए कहते, 'यहाँ उनकी पत्नियाँ हैं, वहाँ उनकी रखैलें हैं; वे उनसे पूछ रहे हैं।'

रात भर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने के बाद अब उन्हें क्षमा कर दीजिए।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणियों से किसी दोष का स्वीकारोक्ति स्वीकारना भिक्षुओं को उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को भिक्षुणियों से किसी दोष का स्वीकारोक्ति स्वीकारने की अनुमति देता हूँ।'

भिक्षुणियों को यह नहीं पता था कि किसी गलती की स्वीकारोक्ति कैसे स्वीकार की जाए। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को यह अनुमति देता हूँ कि वे भिक्षुणियों को यह बताएँ कि किसी गलती की स्वीकारोक्ति कैसे स्वीकार की जाए।'

3. उस समय भिक्षुणियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही (कम्मा) नहीं की जाती थी। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुमति देता हूँ।'

तब भिक्षुओं ने सोचा, 'भिक्षुणियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किसके द्वारा की जानी चाहिए?' उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय अनुशासनात्मक कार्यवाही से गुज़र चुकी भिक्षुणियाँ, सड़क पर, या एक छोर से बंद गली में, या चारों चौराहों के संगम पर किसी भिक्षु को देखकर, अपने कुंड ज़मीन पर रख देतीं, और अपने वस्त्रों को एक कंधे पर समेटकर एड़ियों के बल बैठ जातीं, और अपने हाथ जोड़कर क्षमा माँगतीं, यह सोचकर कि यही क्षमा माँगने का उचित समय है। लोग आपस में फुसफुसाते रहे [आदि, जैसा पहले बताया गया है]।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणियों के विरुद्ध भिक्षुणियां करना उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।' हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को भिक्षुणियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुमति देता हूँ।'

भिक्षुणियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का तरीका नहीं पता था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को यह अनुमति देता हूँ कि वे भिक्षुणियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का तरीका बताएँ।'

<<<< पिछला (10.5) | अगला (10.7) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.7
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.6) | अगला (10.8) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय 7।

1. उस समय संघ में एकत्रित भिक्षुणियाँ आपस में कलह, कलह और विवाद में पड़ गईं, और आपस में हाथापाई करने लगीं, तथा विवाद का हल निकालने में असमर्थ रहीं। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को किसी विवादित मुद्दे पर भिक्षुणियों के साथ समझौता करने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भिक्षु भिक्षुणियों के लिए एक विवादित मुद्दे का निपटारा कर रहे थे, और जब विवादित मुद्दे की जाँच की जा रही थी, तो यह पाया गया कि दोनों भिक्षुणियाँ, जो किसी आधिकारिक कार्य में भाग लेने के लिए सक्षम थीं, और वे भिक्षुणियाँ जो किसी अपराध की दोषी थीं (उन्होंने उस आधिकारिक कार्य (कर्म) के दौरान संघ में भाग लिया था जिसमें विवादित मुद्दा उठा था)।

भिक्षुणियों ने कहा: 'यह अच्छा होगा यदि आप, महोदय, दोषी भिक्षुणियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें या उनके अपराध को क्षमा कर दें: क्योंकि

भगवान बुद्ध ने यही नियम निर्धारित किया है: "भिक्षुओं को भिक्षुणियों के लिए किसी विवाद के मुद्दे का समाधान करना चाहिए।"

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को भिक्षुणियों के लिए आधिकारिक कार्रवाई शुरू करने और फिर भिक्षुणियों को भिक्षुणियों के विरुद्ध उस आधिकारिक कार्रवाई को अंजाम देने का दायित्व सौंपने की अनुमति देता हूँ। और मैं भिक्षुओं को भिक्षुणियों के लिए किसी अपराध से निपटने की अनुमति देता हूँ और फिर भिक्षुणियों को उस अपराध की स्वीकारोक्ति स्वीकार करने का दायित्व सौंपता हूँ।'

<<<< पिछला (10.6) | अगला (10.8) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.8
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.7) | अगला (10.9) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-8.

1. उस समय एक भिक्षुणी, जो भिक्षुणी उप्पलावन्ना की शिष्या थी, सात वर्षों तक भगवान बुद्ध के साथ रहकर विनय का अध्ययन करती रही; परन्तु वह भूलने की प्रवृत्ति के कारण जितनी जल्दी सीखती थी उतनी ही जल्दी भूल भी जाती थी। तभी उस भिक्षुणी ने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती जाने वाले हैं। तब उसने सोचा, 'सात वर्षों तक मैंने भगवान बुद्ध के साथ रहकर विनय का अध्ययन किया; और भूलने की प्रवृत्ति के कारण जितनी जल्दी सीखती थी उतनी ही जल्दी भूल भी जाती थी। जीवन भर भगवान बुद्ध का अनुसरण करना एक स्त्री के लिए कितना कठिन है। अब मैं क्या करूँ?'

और उस भिक्षुणी ने यह बात अन्य भिक्षुणियों को बताई, और उन्होंने यह बात भिक्षुओं को बताई, और भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को भिक्षुणियों को विनय सिखाने की अनुमति देता हूँ।'

यहां पाठ का पहला भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला (10.7) | अगला (10.9) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.9
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.8) | अगला (10.10) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-9.

1. जब भगवान बुद्ध वैशाली में अपनी इच्छानुसार कुछ समय तक ठहर गए, तब वे सावत्थी की ओर चल पड़े; और सीधे चलते हुए वे समय आने पर वहाँ पहुँच गए। वहाँ सावत्थी में, भगवान बुद्ध जेतवन, अनाथपिंडिका उद्यान में रहे।

उस समय छब्बागिया भिक्षुओं ने भिक्षुणियों पर गंदा पानी फेंका, शायद यह सोचकर कि वे उनसे प्रेम करने लगेंगी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु को किसी भिक्षुणी पर गंदा जल नहीं फेंकना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कत का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं उस भिक्षु पर दंड लगाने की अनुमति देता हूँ।

तब भिक्षुओं ने सोचा, 'उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए?' उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'उस भिक्षु को भिक्षुणी संघ द्वारा प्रणाम न किए जाने योग्य घोषित किया जाना चाहिए।'

उस समय छब्बागिया भिक्षु अपने शरीर, या अपनी जांघों, या अपने गुप्तांगों को नंगा करके भिक्षुणियों को दिखाते थे, या भिक्षुणियों को अपशब्द कहते थे, या भिक्षुणियों के साथ संगति करते थे, शायद यह सोचकर कि वे उनसे प्रेम करने लगेंगे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु को [इनमें से कोई भी कार्य] नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं उस भिक्षु पर दंड लगाने की अनुमति देता हूँ।'

तब भिक्षुओं ने सोचा, 'उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए?' उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'उस भिक्षु को भिक्षुणी संघ द्वारा प्रणाम न किए जाने योग्य घोषित किया जाना चाहिए।'

2. [चब्बागिया भिक्षुणियों के अंतिम खंड को दोहराया गया है, निर्णय वही है]

तब भिक्षुओं ने सोचा, 'उस पर क्या दंड लगाया जाना चाहिए?' उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उसे (विहार में प्रवेश करने से) रोकने की अनुमति देता हूँ।'

जब उन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उन्हें उपदेश देने से रोकने की अनुमति देता हूँ।'

3. तब भिक्षुओं ने सोचा: 'क्या उपदेश से विवश की गई भिक्षुणी (भिक्षुणी) के साथ उपोसथा करना वैध है या नहीं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जब तक उसका मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक उस भिक्षुणी के साथ उपोसथा मत करो जिसे उपदेश से वंचित रखा गया हो।'

उस समय पूज्य उदयि ने (एक या अधिक भिक्षुणियों को) उपदेश देने के बाद यात्रा पर प्रस्थान किया। भिक्षुणियाँ

वे आपस में बड़बड़ाए, नाराज हुए और शिकायत करते हुए बोले: 'आदरणीय उदयि ऐसा कैसे कर सकते हैं?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, उपदेश का पालन किए बिना यात्रा पर न जाएं। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय मूर्ख और अयोग्य भिक्षुओं ने उपदेश में बाधा डाली।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, इस उपदेश का पालन किसी मूर्ख, अयोग्य भिक्षु द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई ऐसा करता है, तो वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं ने बिना किसी आधार या कारण के उपदेश देना बंद कर दिया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, बिना किसी आधार या कारण के उपदेश को रोकना उचित नहीं है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय, जिन भिक्षुओं ने उपदेश पर रोक लगाई थी, वे उस मामले पर कोई निर्णय नहीं देते थे जिसके कारण यह रोक लगी थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जब आप उपदेश देने से हिचकते हैं, तो उस विषय पर निर्णय देने से पीछे न हटें जिसके कारण यह हिचक उत्पन्न हुई। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति दुक्कत का दोषी होगा।'

4. उस समय भिक्षुणियाँ प्रवचन में नहीं गईं। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को प्रवचन में भाग लेने से नहीं चूकना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, उसके साथ नियमानुसार व्यवहार किया जाएगा।'

उस समय समस्त भिक्षुणी संघ एक साथ प्रवचन में गया। लोग बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हुए और शिकायत करने लगे, कहने लगे, 'यहाँ उनकी पत्नियाँ हैं, वहाँ उनकी रखैलें हैं; अब क्या वे एक साथ आनंद लेंगे?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, संपूर्ण भिक्षुणी संघ को प्रवचन में एक साथ नहीं जाना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाए तो वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं चार या पाँच भिक्षुणियों को एक साथ जाने की अनुमति देता हूँ।'

[जब चार या पांच ने निर्णय समाप्त किया तब भी यही स्थिति थी,]

हे भिक्षुओं, मैं दो या तीन भिक्षुणियों को उपदेश सत्र में एक साथ जाने की अनुमति देता हूँ; वे किसी एक भिक्षु के पास जाकर अपने वस्त्रों को एक कंधे पर रखकर, एड़ियों के बल बैठकर, अपने जुड़े हुए हाथों को फैलाकर उनसे इस प्रकार कहें: "भिक्षुणी संघ भिक्षु संघ के चरणों को प्रणाम करता है और उपदेश सत्र में आने की अनुमति मांगता है; कृपया भिक्षुणी संघ को अनुमति दी जाए।"

तब जिसे पतिमोक्खा के पाठ का दायित्व सौंपा गया है, उसे पूछना चाहिए: "क्या कोई ऐसा भिक्षु है जिसे भिक्षुणियों के उपदेश देने के लिए नियुक्त किया गया है?"

यदि किसी भिक्षु को इसके लिए नियुक्त किया गया है, तो पतिमोक्खा का पाठ करने वाला कहेगा: "अमुक भिक्षु को भिक्षुणियों को उपदेश देने के लिए नियुक्त किया गया है। भिक्षुणी संघ तदनुसार उनके पास आए।"

यदि उस कार्य के लिए कोई भिक्षु नियुक्त नहीं किया गया है, तो पतिमोक्खा का पाठ करने वाला यह कहेगा: "आदरणीय भिक्षुओं में से कौन उपदेश देने में सक्षम है?"

भिक्षुणियों के लिए? यदि कोई ऐसा करने में सक्षम हो और उसमें आठों योग्यताएँ हों, तो उसे उस पद पर नियुक्त किया जाए और कहा जाए: "अमुक भिक्षु को भिक्षुणियों को उपदेश देने के लिए नियुक्त किया जाता है। भिक्षुणी संघ उनके पास आए।"

यदि कोई ऐसा करने में सक्षम न हो, तो पतिमोक्खा का पाठ करने वाला यह कहे: "भिक्षुणियों को उपदेश देने के लिए कोई भिक्षु नियुक्त नहीं है। भिक्षुणी संघ शांतिपूर्वक अपनी मनोकामना पूरी करे।"

5. उस समय भिक्षुओं ने उपदेश देने का पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, इस उपदेश को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षु मूर्ख था। भिक्षुणियाँ उसके पास गईं और बोलीं: 'हे प्रभु, कृपया उपदेश देने का कर्तव्य स्वीकार करें।'

'बहन, मैं मूर्ख हूँ। मैं इस उपदेश को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ?'

'आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, महोदय; क्योंकि भगवान बुद्ध ने यही कहा है: "भिक्षुओं को भिक्षुणियों को उपदेश देने का कर्तव्य निभाना चाहिए।"'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मूर्खों को छोड़कर बाकी सभी को मैं उपदेश स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ।'

[एक बीमार भिक्षु और यात्रा पर निकले भिक्षु का यही मामला दोहराया गया। जंगल में रहने वाले भिक्षु का भी यही मामला है। निर्णय यह है कि,]

'हे भिक्षुओं, मैं जंगल में रहने वाले भिक्षु को उपदेश स्वीकार करने और बैठक के लिए समय और स्थान निर्धारित करने की अनुमति देता हूँ, यह कहते हुए: "मैं वहाँ इसे संपन्न करूँगा।"'

उस समय भिक्षुओं ने उपदेश स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसका पालन नहीं किया। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, इस उपदेश की उपेक्षा न करें। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कत का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुणियां निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं थीं। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को निर्धारित स्थान पर उपस्थित होने में चूक नहीं करनी चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (10.8) | अगला (10.10) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.10
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.9) | अगला (10.11) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-10.

1. उस समय भिक्षुणियाँ लंबी कमरबंद पहनती थीं और उसमें से झालरें निकालती थीं। लोग बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हुए और शिकायत करने लगे, कहने लगे, 'ये तो वैसी ही हैं जैसी संसार के सुखों में लिप्त रहने वाली स्त्रियाँ करती हैं!'

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को लंबी कमरबंद नहीं पहननी चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणी को ऐसी कमरबंद पहनने की अनुमति देता हूँ जो शरीर के चारों ओर एक बार लपेटी जा सके, और उसमें झालर नहीं लगानी चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुणियाँ बाँस के रेशे, चमड़े, सफेद सूती कपड़े, बुने हुए सूती कपड़े, झालरदार सूती कपड़े, सफेद बुने हुए या झालरदार कोला कपड़े, या धागे से बनी झालरों में झालरें सजाती थीं। लोग बड़बड़ाते, नाराज़ होते और शिकायत करते हुए कहते, 'जैसे संसार के सुखों का आनंद लेने वाली स्त्रियाँ करती हैं!'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को इनमें से कोई भी वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

2. उस समय भिक्षुणियाँ बैल की हड्डी से अपनी पीठ रगड़वाती थीं, या बैल के जबड़े की हड्डी से थप्पड़ खाती थीं; और अपनी भुजाओं को भी रगड़वाती थीं।

और उनके हाथों के पिछले हिस्से, पिंडलियों, पैरों के ऊपरी भाग, जांघों, चेहरों और मसूड़ों पर ज़ोर से थप्पड़ मारे गए। लोग बड़बड़ाए, नाराज़ हुए और शिकायत करते हुए बोले, 'जैसे वे औरतें करती हैं जो अभी भी दुनिया के सुखों का आनंद ले रही हैं!'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को इनमें से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

3. उस समय छब्बागिया भिक्षुणियाँ [आदि, नीचे तक]

हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को अपने चेहरे पर तेल नहीं लगाना चाहिए, न ही मलहम लगाना चाहिए, न ही चूर्ण लगाना चाहिए, न ही लाल आर्सेनिक लगाना चाहिए, न ही शरीर पर रंग लगाना चाहिए, न ही चेहरे पर रंग लगाना चाहिए, न ही शरीर और चेहरे दोनों पर रंग लगाना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।

4. [इसी तरह का पैराग्राफ समाप्त करते हुए,]

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को अपनी आँखों के कोनों पर या अपने गालों पर टैटू नहीं बनवाने चाहिए, न ही खिड़की से बाहर झाँकना चाहिए, न ही (आधे खुले दरवाजे की) रोशनी में खड़ा होना चाहिए, न ही नृत्य करवाना चाहिए, न ही वेश्याओं को रखना चाहिए, न ही शराबखाना चलाना चाहिए, न ही कसाईखाना चलाना चाहिए, न ही दुकान खोलनी चाहिए, न ही सूदखोरी करनी चाहिए, न ही पुरुष दासों या स्त्री दासों या पुरुष नौकरों या महिला नौकरानियों या जानवरों की आपूर्ति करनी चाहिए, न ही फूलवाले और बीजवाले का व्यवसाय करना चाहिए, न ही उस्तरे का डिब्बा लेकर चलना चाहिए।'

[इसी तरह का पैराग्राफ समाप्त करते हुए,]

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को नीले, हल्के पीले, गहरे लाल, काले, भूरे-पीले या गहरे पीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, न ही ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जिनकी स्कर्ट फटे हुए कपड़ों से न बनी हो, या लंबी हो, या जिस पर फूल या नाग का फन बना हो; न ही तिरितक पौधे के रेशों से बनी जैकेट या पोशाक पहननी चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (10.9) । अगला (10.11) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.11-10.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.10) । अगला (10.12) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-11.

1. उस समय एक भिक्षुणी अपनी मृत्युशय्या पर पड़ी हुई थी, उसने कहा, 'मेरे जाने के बाद, मेरी आवश्यक वस्तुएँ संघ की हो जाएँ।' तब भिक्षुओं और भिक्षुणियों में इस बात को लेकर विवाद हुआ, और वे कहने लगे, 'यह हमारा है; यह हमारा है।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षुणी या भिक्षु बनने का प्रशिक्षण ले रही कोई नवोदित भिक्षुणी (सिक्खमान) अपनी मृत्यु शैय्या पर लेटी हुई कहे, "मेरे जाने के बाद मेरी आवश्यक वस्तुएँ संघ की हो जाएँ," तो वे भिक्षुणी संघ की ही होंगी; भिक्षु संघ उनका स्वामी नहीं है। हे भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु या भिक्षु बनने का प्रशिक्षण ले रहा कोई नवोदित भिक्षु (सामनेर) अपनी मृत्यु शैय्या पर लेटा हुआ कहे, "मेरे जाने के बाद मेरी आवश्यक वस्तुएँ संघ की हो जाएँ," तो वे भिक्षु संघ की ही होंगी; भिक्षुणी संघ उनका स्वामी नहीं है।

अध्याय-12.

1. उस समय मल्ल वंश की एक स्त्री भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर चुकी थी। उसने सड़क पर एक दुर्बल भिक्षु को देखकर अपने कंधे से उस पर प्रहार किया और उसे गिरा दिया। भिक्षु आपस में बड़बड़ाने लगे, क्रोधित हुए और शिकायत करते हुए बोले, 'एक भिक्षुणी किसी भिक्षु पर हमला कैसे कर सकती है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को किसी पर हमला नहीं करना चाहिए।

भिक्षु। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। मैं यह नियम बनाता हूँ कि, हे भिक्षुओं, एक भिक्षुणी किसी भिक्षु को देखकर दूर रहते हुए ही एक तरफ हट जाए और उसके लिए रास्ता बना दे।

अध्याय-13.

1. उस समय एक स्त्री अपने पति के यात्रा पर जाने के दौरान अपने प्रेमी से गर्भवती हो गई। उसका प्रसव समय से पहले हो गया, और उसने अपनी एक सहेली भिक्षुणी से गर्भ को अपने पात्र में ले जाने का अनुरोध किया। उस भिक्षुणी ने गर्भ को उसके पात्र में रखा और उसे अपने ऊपरी वस्त्र से ढककर चली गई।

उस समय एक भिक्षु, जो भिक्षायात्रा पर था, ने व्रत रखा था कि उसे जो पहला भोजन दिया जाएगा, वह उसे तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उसे किसी भिक्षु या भिक्षुणी को न दे दे। भिक्षुणी को देखकर उस भिक्षु ने कहा, 'आओ, बहन! थोड़ा भोजन कर लो।'

'नहीं, धन्यवाद महोदय।'

[भिक्षु ने दूसरी और तीसरी बार भी वही निवेदन किया और उन्हें वही उत्तर मिला। तब उन्होंने कहा,]

'बहन! मैंने प्रतिज्ञा की है कि मुझे जो पहला भोजन दिया जाएगा, मैं उसे तब तक स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा जब तक कि मैं उसे किसी भिक्षु या भिक्षुणी को दान न कर दूँ। आओ, बहन! भोजन ग्रहण करो।'

तब भिक्षुणी ने भिक्षु के अत्यधिक आग्रह से अपना कुंड निकालकर उसमें रखी वस्तुएँ उसे दिखाईं। भिक्षु क्रोधित और नाराज़ होकर बोला, 'तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?' उसने अन्य भिक्षुओं को यह बात बताई, वे भी क्रोधित हुए, इत्यादि, और उन्होंने भगवान बुद्ध को भी सूचित किया।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को अपने प्याले में भ्रूण ले जाना उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणी को किसी भिक्षु को देखकर अपना प्याला निकालकर उसे दिखाने की अनुमति देता हूँ।'

अध्याय-14.

निम्नलिखित संक्षिप्त अंश का आधुनिक अंग्रेजी में अनुवाद करना शायद ही संभव हो।

अध्याय-15.

1. उस समय लोग भिक्षुओं को भोजन देते थे और भिक्षु भिक्षुणियों को भोजन देते थे। लोग बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हुए और शिकायत करने लगे, "ये आदरणीय लोग दूसरों को वह चीज़ कैसे दे सकते हैं जो उन्हें दी गई थी—जैसे कि हमें दान देना नहीं आता?"

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षु को वह वस्तु दूसरों को नहीं देनी चाहिए जो स्वयं उनके लिए दी गई हो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं को कुछ भोजन प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, इसे संघ को देने की।'

उनके कब्जे में बहुत कुछ आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम वह सब कुछ दान कर दो जो विशेष व्यक्तियों को दिया गया था (और वह सब कुछ अपने पास रखो जो संपूर्ण संघ के अधिकार में आया था)।'

उस समय भिक्षुओं के लिए संचित भोजन उनके अधिकार में आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं भिक्षुणियों को संचित भोजन का आनंद लेने की अनुमति देता हूँ, जिसे भिक्षुओं द्वारा उन्हें सौंप दिए जाने के बाद ही ग्रहण किया जाता है।'

2. [यही दोहराया गया है, भिक्खु के स्थान पर भिक्खुनी और इसके विपरीत।]

<<<< पिछला (10.10) | अगला (10.12) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.12
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.11) | अगला (10.13) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-12: भिक्षुणी को भिक्षु पर हमला नहीं करना चाहिए

1. उस समय मल्ल वंश की एक स्त्री भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर चुकी थी। उसने सड़क पर एक दुर्बल भिक्षु को देखकर अपने कंधे से उस पर प्रहार किया और उसे गिरा दिया। भिक्षु आपस में बड़बड़ाने लगे, क्रोधित हुए और शिकायत करते हुए बोले, 'एक भिक्षुणी किसी भिक्षु पर हमला कैसे कर सकती है?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को किसी भिक्षु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। मैं यह नियम बनाता हूँ कि हे भिक्षुओं, किसी भिक्षु को देखकर भिक्षुणी को कुछ दूरी पर ही एक तरफ हट जाना चाहिए और उसके लिए रास्ता बना देना चाहिए।'

<<<< पिछला (10.11) | अगला (10.13) >>>>

टिपिटका >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> तीसरा खन्धक >> 10.13
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.12) | अगला (10.14) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-13: एक नन द्वारा महिला के भ्रूण को गर्भ में धारण करना अस्वीकृत

1. उस समय एक स्त्री अपने पति के यात्रा पर जाने के दौरान अपने प्रेमी से गर्भवती हो गई। उसका प्रसव समय से पहले हो गया, और उसने अपनी एक सहेली भिक्षुणी से गर्भ को अपने पात्र में ले जाने का अनुरोध किया। उस भिक्षुणी ने गर्भ को उसके पात्र में रखा और उसे अपने ऊपरी वस्त्र से ढककर चली गई।

उस समय एक भिक्षु, जो भिक्षायात्रा पर था, ने व्रत रखा था कि उसे जो पहला भोजन दिया जाएगा, वह उसे तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उसे किसी भिक्षु या भिक्षुणी को न दे दे। भिक्षुणी को देखकर उस भिक्षु ने कहा, 'आओ, बहन! थोड़ा भोजन कर लो।'

'नहीं, धन्यवाद महोदय।'

[भिक्षु ने दूसरी और तीसरी बार भी वही निवेदन किया और उन्हें वही उत्तर मिला। तब उन्होंने कहा,]

'बहन! मैंने प्रतिज्ञा की है कि मुझे जो पहला भोजन दिया जाएगा, मैं उसे तब तक स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा जब तक कि मैं उसे किसी भिक्षु या भिक्षुणी को दान न कर दूँ। आओ, बहन! भोजन ग्रहण करो।'

तब भिक्षुणी ने भिक्षु के अत्यधिक आग्रह से अपना कुंड निकालकर उसमें रखी वस्तुएँ उसे दिखाईं। भिक्षु क्रोधित और नाराज़ होकर बोला, 'तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?' उसने अन्य भिक्षुओं को यह बात बताई, वे भी क्रोधित हुए, इत्यादि, और उन्होंने भगवान बुद्ध को भी सूचित किया।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को अपने प्याले में भ्रूण ले जाना उचित नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणी को किसी भिक्षु को देखकर अपना प्याला निकालकर उसे दिखाने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (10.12) | अगला (10.14) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.14
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.13) | अगला (10.15) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-14.

निम्नलिखित संक्षिप्त अंश का आधुनिक अंग्रेजी में अनुवाद करना शायद ही संभव हो।

<<<< पिछला (10.13) | अगला (10.15) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दसवाँ खंडक >> 10.15
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.14) | अगला (10.16) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-15: भोजन का बंटवारा

1. उस समय लोग भिक्षुओं को भोजन देते थे और भिक्षु भिक्षुणियों को भोजन देते थे। लोग बड़बड़ाने लगे, नाराज़ हुए और शिकायत करने लगे, "ये आदरणीय लोग दूसरों को वह चीज़ कैसे दे सकते हैं जो उन्हें दी गई थी—जैसे कि हमें दान देना नहीं आता?"

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षु को वह वस्तु दूसरों को नहीं देनी चाहिए जो स्वयं उनके लिए दी गई हो। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कटा का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुओं को कुछ भोजन प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, इसे संघ को देने की।'

उनके कब्जे में बहुत कुछ आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम वह सब कुछ दान कर दो जो विशेष व्यक्तियों को दिया गया था (और वह सब कुछ अपने पास रखो जो संपूर्ण संघ के अधिकार में आया था)।'

उस समय भिक्षुओं के लिए संचित भोजन उनके अधिकार में आ गया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं भिक्षुणियों को संचित भोजन का आनंद लेने की अनुमति देता हूँ, जिसे भिक्षुओं द्वारा उन्हें सौंप दिए जाने के बाद ही ग्रहण किया जाता है।'

2. [यही दोहराया गया है, भिक्खु के स्थान पर भिक्खुनी और इसके विपरीत।]

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-16.

1. उस समय भिक्षुओं के पास कुछ बिस्तर आ गए थे, जबकि भिक्षुणियों के पास कुछ भी नहीं था। भिक्षुणियों ने भिक्षुओं के पास एक दूत भेजा और कहा: 'यदि परम पूज्य भिक्षु हमें कुछ बिस्तर उधार दे दें तो अच्छा होगा।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें भिक्षुणियों को बिस्तर उधार देने की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय भिक्षुणियाँ अपने साधनाकाल में गद्देदार पलंगों और कुर्सियों पर बैठती या लेटती थीं, और वह गद्दा खून से सना हुआ था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को गद्देदार पलंग या कुर्सी पर बैठना या लेटना नहीं चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं घर के भीतर रहने वाले भिक्षु के वस्त्र के उपयोग की अनुमति देता हूँ।

अंदर रहने वाले व्यक्ति का वस्त्र गंदा हो गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं जांघों तक पहुंचने वाले वस्त्र (घुटने तक पहुंचने वाला वस्त्र) के उपयोग की अनुमति देता हूं।'

जांघों पर लिपटा कपड़ा नीचे सरक गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं इसे जांघ के चारों ओर बांधने के लिए धागे से बांधने की अनुमति देता हूँ।'

धागा टूट गया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं कमर पर लंगोटी और उसे ऊपर रखने के लिए कमर के चारों ओर एक डोरी बांधने की अनुमति देता हूँ।'

उस समय छब्बागीय भिक्षुणियाँ कमरबंद हमेशा पहनती थीं। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहते थे, "ये तो उन स्त्रियों की तरह हैं जो संसार के सुखों का आनंद लेती हैं!" उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को कमरबंद निरंतर धारण करने की अनुमति नहीं है। मैं इसका उपयोग केवल उन्हीं को करने की अनुमति देता हूँ जो उनके साधना-पाठ में संलग्न हों।'

<<<< पिछला (10.15) | अगला (10.17) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> दसवाँ खन्धक >> 10.17
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.16) | अगला (10.18) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-17.

1. उस समय भिक्षुणियों में से कुछ ऐसी पाई गईं जो [ग्यारह प्रकार से विकृत थीं]।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह नियम निर्धारित करता हूँ कि जिस स्त्री को उपसम्पदा दीक्षा दी जा रही हो, उससे चौबीस अपात्त्वों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ। और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, उससे प्रश्न पूछे जाने चाहिए:

(1-11) "क्या आपमें ग्यारह विकृतियों में से कोई एक है [प्रत्येक को ऊपर बताए अनुसार दोहराया गया है]?"

(12-16) "क्या आपको निम्नलिखित में से कोई बीमारी है—कुष्ठ रोग, फोड़े, शुष्क कुष्ठ रोग, क्षय रोग, या दौरे?"

(17) "क्या तुम इंसान हो?"

(18) "क्या आप महिला हैं?"

(.19) "क्या तुम एक स्वतंत्र महिला हो?"

(20) "क्या आप ऋणों से मुक्त हैं?"

(21) "क्या तुम राजा की सेवा में नहीं हो?"

(22) "क्या आपके पिता और माता ने अपनी सहमति दे दी है?"

(23) "क्या आपकी आयु बीस वर्ष पूरी हो चुकी है?"

(24) "क्या आपको वस्त्र और भिक्षापात्र विधिवत उपलब्ध कराए गए हैं?"

"आपका क्या नाम है?"

"आपके प्रस्तावक का नाम क्या है?"

2. उस समय भिक्षुओं ने भिक्षुणियों से अपाप्यताओं के विषय में प्रश्न पूछे, और जो उपसम्पदा दीक्षा की तलाश में थीं, वे विचलित और भ्रमित हो गईं और उत्तर देने में असमर्थ रहीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम निर्धारित करता हूँ कि भिक्षु संघ में दीक्षा उस भिक्षुणी (भिक्षुणी) को दी जानी चाहिए जिसने एक ओर से भिक्षुणी संघ में दीक्षा प्राप्त कर ली हो और वहाँ स्वयं को (अयोग्यताओं से) मुक्त कर लिया हो।'

उस समय भिक्षुणियों ने उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से अपाप्यताओं के बारे में प्रश्न पूछे, जबकि उन्हें पहले से उत्तर देने का तरीका नहीं बताया गया था। दीक्षा लेने के इच्छुक व्यक्ति व्याकुल और भ्रमित हो गए और उत्तर देने में असमर्थ रहे।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि आप पहले दीक्षा लेने वाली महिलाओं को (उत्तर देने का तरीका) सिखाएँ, और फिर उनसे अपात्रताओं के बारे में प्रश्न करें।'

फिर उन्होंने सभा के बीच में ही उम्मीदवारों को निर्देश दिए, लेकिन वे फिर भी विचलित हो गए और जवाब नहीं दे सके।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह नियम बनाता हूँ, हे भिक्षुओं, कि उन्हें अलग से उपदेश दिया जाए, और फिर सभा के बीच में उनसे प्रश्न पूछे जाएँ।'

और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए:-- सर्वप्रथम उन्हें एक गुरु चुनने के लिए कहा जाना चाहिए; गुरु का चयन करने के बाद उन्हें उनके वस्त्र और भिक्षापात्र दिखाए जाने चाहिए: "यह तुम्हारा भिक्षापात्र है, यह तुम्हारी कमरबंद है, यह तुम्हारा ऊपरी वस्त्र है, यह तुम्हारा अंतर्वस्त्र है, यह तुम्हारी बनियान है, यह तुम्हारा स्नान वस्त्र है। जाओ और फलाँ स्थान पर खड़े हो जाओ।"

3. अज्ञानी और अयोग्य (भिक्खुनी) ने उन्हें उपदेश दिया, और वे विचलित, भ्रमित और उत्तर देने में असमर्थ हो गए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, इन्हें अज्ञानी और अयोग्य भिक्षुणियों द्वारा शिक्षा न दी जाए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कत का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं यह निर्देश देता हूँ कि इन्हें विद्वान और योग्य भिक्षुणियों द्वारा शिक्षा दी जाए।'

4. जिन भिक्षुणियों को (ऐसा करने के पद पर) नियुक्त नहीं किया गया था, उन्होंने उन्हें निर्देश दिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, उन्हें बिना किसी को उपदेश दिए शिक्षा न दें।

उस पद पर नियुक्त होने के बाद, जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि उस पद पर नियुक्त भिक्षुणी उन्हें शिक्षा दे।

हे भिक्षुओं, इस प्रकार, उनका नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए—कोई स्वयं को नियुक्त कर सकती है, या किसी अन्य द्वारा नियुक्त की जा सकती है। और एक भिक्षुणी स्वयं को कैसे नियुक्त कर सकती है? एक विद्वान, योग्य भिक्षुणी संघ के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव (नत्ती) रखे: "हे संघ, आदरणीय देवियों, मेरी बात सुनिए। NN आदरणीय देवी MM से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहती है। यदि संघ को उचित लगे, तो मैं NN को दीक्षा दूंगी।" इस प्रकार एक भिक्षुणी स्वयं को नियुक्त कर सकती है।

और एक भिक्षुणी की नियुक्ति दूसरी भिक्षुणी द्वारा कैसे की जा सकती है? एक विद्वान, योग्य भिक्षुणी (भिक्षुणी) संघ के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखे: "हे आदरणीय देवियों, संघ, मेरी बात सुनिए। मैं आदरणीय भिक्षुणी (भिक्षुणी) से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि संघ को उचित लगे, तो मैं (भिक्षुणी) मुझे निर्देश दें।" इस प्रकार एक भिक्षुणी की नियुक्ति दूसरी भिक्षुणी द्वारा की जा सकती है।

5. 'फिर नियुक्त भिक्षुणी दीक्षा लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास जाकर उससे इस प्रकार कहे: "मेरी बात सुनो, भिक्षुणी। यह समय है सत्य बोलने का, जो है उसे बताने का। जब तुमसे संघ के समक्ष घटी घटनाओं के बारे में पूछा जाए, तो यदि वह घटित हुई हो, तो उत्तर दो: "यही है;" यदि वह घटित न हुई हो, तो उत्तर दो: "यही नहीं है।" विचलित मत हो, विचलित मत हो। मैं तुमसे इस प्रकार पूछूँगी: "क्या तुम विकृत हो (आदि, अनुच्छेद 1 में दिए गए छब्बीस प्रश्नों के अंत तक)?"'

(निर्देश समाप्त होने के बाद, प्रशिक्षक और उम्मीदवार) एक साथ सभा में लौट आए।

उन्हें एक साथ नहीं लौटना है। प्रशिक्षक पहले लौटें और संघ के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखें: "हे आदरणीय देवियों, संघ से निवेदन है कि मेरी बात सुनें। एनएन आदरणीय महिला एमएमएम से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहती हैं; और मैंने उन्हें दीक्षा दी है। यदि संघ को उचित लगे, तो एनएन आगे आएं।" फिर उन्हें आगे आने के लिए कहा जाए। फिर उन्हें अपने ऊपरी वस्त्र को केवल एक कंधे पर समेटने, भिक्षुणियों के समक्ष प्रणाम करने, एड़ियों पर बैठने और अपने जुड़े हुए हाथों को फैलाकर उपसंपदा दीक्षा का अनुरोध करते हुए कहने के लिए कहा जाए: "हे आदरणीय देवियों, मैं संघ से दीक्षा मांगती हूं। हे आदरणीय देवियों, संघ मुझ पर दया करके मुझे (सांसारिक जीवन से) ऊपर उठाएं।" और उन्हें यह अनुरोध दूसरी और तीसरी बार दोहराना है।

6. फिर एक विद्वान और योग्य भिक्षुणी संघ के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखें: "हे संघ, आदरणीय देवियों, मेरी बात सुनिए। यह व्यक्ति, एनएन, एमएमएम से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहती हैं; और मैंने उन्हें निर्देश दिए हैं। यदि संघ को उचित लगे, तो मैं एनएन से अयोग्यता के विषय में प्रश्न पूछूँ। एनएन, मेरी बात ध्यान से सुनिए [पहले की तरह, प्रश्नों के अंत तक]।"

7. फिर एक विद्वान और योग्य भिक्षुणी संघ के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखे: "हे संघ, आदरणीय देवियों, मेरी बात सुनिए। यह व्यक्ति, एनएन, आदरणीय देवी एम.एम. से उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। वह अपात्त्वों से मुक्त है और उसे भिक्षापात्र और वस्त्र प्रदान किए गए हैं। यह व्यक्ति, एनएन, संघ से उपसंपदा दीक्षा का अनुरोध करता है, आदरणीय

यदि संघ को उचित लगे तो आदरणीय महिला एमएम एनएन को उनकी प्रस्तावक के रूप में स्वीकार किया जाए। यही प्रस्ताव है।

"हे आदरणीय देवियों, संघ के सभी सदस्यों से निवेदन है कि मेरी बात सुनें। एनएन उपसंपदा ग्रहण करना चाहती हैं, और एम.एम. उनकी प्रस्तावक हैं। संघ एनएन को उपसंपदा प्रदान करता है, और एम.एम. उनकी प्रस्तावक हैं। आदरणीय देवियों में से जो भी इससे सहमत हों, वे मौन रहें; जो असहमत हों, वे बोलें। मैं यही बात दोबारा कहता हूँ।" [इस पूरे अनुच्छेद को दोहराया गया है।] और मैं यही बात तीसरी बार दोहराता हूँ। [अनुच्छेद दोहराया गया है।]

संघ ने उपसंपदा एनएन को प्रदान की है, और एमएमएम उनकी प्रस्तावक हैं। संघ इससे सहमत है। इसलिए संघ मौन है। मैं यही समझता हूँ।

8. फिर, उसे भिक्षु संघ के समक्ष ले जाया जाए और वहाँ उसे अपने वस्त्र को केवल एक कंधे पर रखने, भिक्षुओं के समक्ष प्रणाम करने और एड़ियों पर बैठकर, अपने जुड़े हुए हाथों को फैलाकर यह कहने को कहा जाए: "हे महोदय, एनएन, जो एमएमएम से उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखती थी और संघ के एक पक्ष (भिक्षुओं से) से इसे प्राप्त कर चुकी हूँ और वहाँ (अयोग्यताओं से) मुक्त घोषित की गई हूँ, मैं इस प्रकार संघ से उपसम्पदा की प्रार्थना करती हूँ।" [शेष प्रक्रिया भिक्षुणी संघ के समक्ष की ही है।] "हे आदरणीय महोदय, संघ मुझ पर दया करके मुझे (सांसारिक जीवन से) ऊपर उठाएँ।" और दूसरी बार मैं इस प्रकार प्रार्थना करती हूँ [आदि, दोहराया गया]। और तीसरी बार मैं इस प्रकार प्रार्थना करती हूँ [वही दोहराया गया]।

[बाकी की कार्यवाही पिछले खंड 6 और 7 के समान ही है, बस 'भिक्खुनी' के स्थान पर 'भिक्खु' और 'आदरणीय देवियों' के स्थान पर 'आदरणीय महोदय' का प्रयोग किया गया है।]

फिर, भिक्षुओं को छाया नापने को कहें, (नई दीक्षित भिक्षुणी को) बताएं कि कौन सा मौसम है और कौन सी तिथि है, दिन का कौन सा समय है, पूरा नियम बताएं, और भिक्षुणियों से कहें: "तुम्हें उसे तीन अनुमत और आठ निषिद्ध बातें सिखानी हैं।"

<<<< पिछला (10.16) | अगला (10.18) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.18

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.17) | अगला (10.19) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-18.

उस समय भिक्षुणियां भोजन कक्ष में समय बर्बाद कर रही थीं, इस बात को लेकर दुविधा में थीं कि किसे कौन सी सीट पर बैठना चाहिए।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बनाता हूँ कि शीर्ष आठ भिक्षुणियाँ वरिष्ठता के अनुसार अपने-अपने स्थान ग्रहण करें, और शेष भिक्षुणियाँ जैसे-जैसे आती रहें, वैसे-वैसे ग्रहण करें।'

उस समय भिक्षुणियों ने, भगवान बुद्ध के आदेशानुसार, अन्य सभी स्थानों पर आठ वरिष्ठ भिक्षुणियों को कार्यभार संभालने के लिए कहा।

पहली आठ सीटों पर विशेष अधिकार था, और बाकी सीटें आने-जाने वालों ने खुद ही व्यवस्थित कर लीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं ऊपर बताए गए नियम को केवल भोजन कक्ष के लिए ही लागू करता हूँ। अन्य सभी स्थानों पर वरिष्ठता के आधार पर सीटों पर कोई अनन्य अधिकार नहीं होना चाहिए।'

[<<<< पिछला (10.17)] | [अगला (10.19) >>>>]

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

[<<<< पिछला (10.18)] | [अगला (10.20) >>>>]

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-19.

1. उस समय भिक्षुणियाँ पवाराना नहीं करती थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को पवाराना धारण करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।'

उस समय भिक्षुणियां स्वयं ही पवाराना करती थीं, न कि भिक्षु संघ में।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को पवारना को अलग नहीं रखना चाहिए, और न ही भिक्षु संघ में शामिल होना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।'

उस समय, भिक्षुणियों ने, जो केवल भिक्षुओं के साथ ही पवाराना कर रही थीं और स्वयं अलग से नहीं, भिक्षु संघ की सभा में खलल डाला।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को केवल भिक्षु संघ के साथ ही पवाराना नहीं चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कत का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुणियां अपना सारा समय व्यतीत करती थीं।

दोपहर से पहले पवाराना को पकड़े रहने के कारण [और इसलिए सुबह के भोजन के लिए समय नहीं बचा था]।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं यह नियम बताता हूँ कि वे दोपहर में पवाराना करें।'

दोपहर में पवाराना आयोजित करते समय, उनके पास [उस दिन अपना स्वयं का समारोह समाप्त करने और भिक्षुओं के समारोह में भाग लेने के लिए] पर्याप्त समय नहीं था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं उन्हें एक दिन अपना पवाराना करने की अनुमति देता हूँ, और अगले दिन वह पवाराना अन्य भिक्षुओं के साथ कर सकते हैं।'

2. उस समय, भिक्खुनी संघ की सभी सदस्यों ने, प्रत्येक ने स्वयं-अपने लिए, भिक्खुनी संघ के समक्ष अपना पवाराना घोषित करके (कार्यवाही) में बाधा उत्पन्न की।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं यह विधान करता हूँ कि भिक्षु संघ की ओर से किसी विद्वान और योग्य भिक्षुणी को भिक्षु संघ के समक्ष पवाराना निमंत्रण देने के लिए नियुक्त किया जाए। हे भिक्षुओं, इस प्रकार उसे नियुक्त किया जाना चाहिए:

सर्वप्रथम, भिक्षुणी से पूछा जाना चाहिए (कि क्या वह सेवा करने के लिए इच्छुक हैं)। जब यह हो जाए, तो एक विद्वान और विवेकशील भिक्षुणी संघ के समक्ष यह प्रस्ताव रखे: हे आदरणीय देवियों, संघ, मेरी बात सुनिए। यदि संघ को उचित लगे, तो संघ भिक्षुणी संघ की ओर से भिक्षु संघ के समक्ष पवाराना निमंत्रण देने के लिए NN को नियुक्त करे। यही प्रस्ताव है।

"हे आदरणीय देवियों, संघ मेरी बात सुनिए। संघ भिक्षुणी संघ की ओर से भिक्षु संघ के समक्ष पवाराना निमंत्रण देने के लिए एनएन को नियुक्त करता है। आदरणीय देवियों में से जो भी मेरी बात सुनना चाहे, कृपया मेरी प्रार्थना सुनें।

जो लोग इससे सहमत हैं, उन्हें चुप रहना चाहिए। जो लोग इससे असहमत हैं, उन्हें बोलने की छूट है।

"एनएन को संघ द्वारा भिक्षुणी संघ की ओर से भिक्षु संघ के समक्ष पवाराना निमंत्रण देने के लिए नियुक्त किया गया है। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए यह मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

3. 'जब उस भिक्षुणी को नियुक्त किया जाता है, तो वह भिक्षुणी संघ के साथ भिक्षु संघ के सामने जाती है, अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखती है, भिक्षुओं के सामने प्रणाम करती है, और अपनी एड़ियों पर बैठकर अपने जुड़े हुए हाथों को फैलाकर कहती है: "भिक्खुनी संघ भिक्षु संघ को आमंत्रित करता है (कि वे उन्हें उनके द्वारा किए गए किसी भी दोष को बताएं) जो उन्होंने सुना हो, देखा हो या संदेह किया हो। भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ से करुणापूर्वक बात करें (यदि उन्होंने किसी बात में अपराध किया हो)। तब वे, यदि वे अपराध को पहचान लें, तो उसे स्वीकार करेंगे। और दूसरी बार भिक्षुणी संघ... [पूरी बात दोहराई जाती है]। और तीसरी बार... [पूरी बात दोहराई जाती है]।"

<<<< पिछला (10.18) | अगला (10.20) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.20

टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.19) | अगला (10.21) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-20.

उस समय भिक्षुणियाँ भिक्षुओं को उपोसथ, पवारना या उपदेश देने से रोकती थीं, या उन्हें आदेश जारी करती थीं, या उनसे उन्हें फटकारने की अनुमति मांगती थीं, या उन्हें किसी ऐसे अपराध के बारे में चेतावनी देती थीं जो उन्हें लगता था कि वे कर रहे हैं, या उनसे यह याद करने के लिए कहती थीं कि उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को किसी भिक्षु के प्रति इनमें से कोई भी औपचारिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है, तो वह कार्य स्वयं ही अमान्य हो जाता है, और वह दुक्कता की दोषी होती है।'

उस समय भिक्षुओं ने भिक्षुणियों को रोका [और इसी तरह, पहले की तरह, विपरीत निर्णय देते हुए]।

<<<< पिछला (10.19) | अगला (10.21) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.21
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.20) | अगला (10.22) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-21.

उस समय छब्बागिया भिक्षुणियों ने स्वयं ऐसे वाहनों में यात्रा की जिनमें गायों के बीच बैल जुते हुए थे, या बैलों के बीच गाय जुते हुए थे। लोग नाराज़ हुए, बड़बड़ाए और आक्रोशित होकर कहने लगे, 'यह तो गंगा और माली के पर्वों में किया जाता है।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को वाहन में नहीं ले जाना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।'

उस समय एक भिक्षुणी बीमार थी और पैदल चलने में असमर्थ थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं एक बीमार (भिक्षुणी) को रथ का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ।'

अब भिक्षुणियों ने सोचा, 'क्या गाड़ियों को गायों से जोता जाए या बैलों से?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं गायों या बैलों से जुती हुई गाड़ी या हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी की अनुमति देता हूँ।'

उस समय एक भिक्षुणी गाड़ी के हिलने-डुलने से बहुत परेशान थी।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं पालकी या पालकी के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (10.20) | अगला (10.22) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.22
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.21) । अगला (10.23) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-22.

1. उस समय अद्धकसी नाम की एक वेश्या ने भिक्षुणियों के मार्गदर्शन में धम्म जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था और वह स्वयं भगवान बुद्ध से संघ की पूर्ण सदस्य बनने (उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करने) के लिए सावत्थी जाना चाहती थी। इस बात का बोध त्यागे हुए भिक्षुओं ने किया और वे मार्ग में जमा हो गए। जब अद्धकसी नामक वेश्या ने यह सुना, तो उसने भगवान बुद्ध के पास एक दूत भेजा और कहा, 'मैं उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ: मुझे क्या मार्ग अपनाना चाहिए?'

तब भगवान बुद्ध ने इस संदर्भ में धर्म प्रवचन देने के बाद भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें दूत के माध्यम से भी (भिक्षुओं को) उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करने की अनुमति देता हूँ।'

2. उन्होंने एक भिक्षु को दूत बनाकर यह कार्य संपन्न कराया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, किसी भिक्षुणी को उपसम्पदा दीक्षा देने के लिए किसी भिक्षु को दूत बनाकर भेजना उचित नहीं है। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उन्होंने एक महिला छात्रा, एक पुरुष नौसिखिया, एक महिला नौसिखिया और एक अज्ञानी, अयोग्य भिक्षुणी को दूत बनाकर यह उपाधि प्रदान की।

[प्रत्येक मामले में समान निर्णय।]

'हे भिक्षुओं, मैं आपको एक विद्वान, योग्य भिक्षुणी को दूत के रूप में भेजकर उपसम्पदा दीक्षा प्रदान करने की अनुमति देता हूँ।'

3. वह भिक्षुणी दूत संघ के आगे जाकर, अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर संघ के समक्ष प्रणाम करे, और एड़ियों पर बैठकर अपने जुड़े हुए हाथों को फैलाकर कहे, "एन.एन., जो महिला एम.एम. (अपनी प्रस्तावक) से उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त करने की इच्छुक थीं, उन्होंने एक ओर भिक्षुणी संघ से दीक्षा प्राप्त कर ली है और वहाँ उन्हें (अपराधियों से) मुक्त घोषित किया गया है। परन्तु किसी कारणवश वे संघ के समक्ष (अपनी दीक्षा की पुष्टि कराने के लिए) उपस्थित नहीं हो पा रही हैं। एन.एन. संघ से दीक्षा का अनुरोध करती हैं। संघ उन पर दया करके उन्हें (सांसारिक जीवन से) ऊपर उठाए।" [तीन बार कहना है।]

तो फिर एक विद्वान, योग्य भिक्षु संघ के समक्ष यह प्रस्ताव रखें। "हे आदरणीय महोदय, संघ से निवेदन है कि NN, जो कि . . . . . [पहले की तरह तथ्य का विवरण] इच्छुक रही हैं, यदि संघ को उचित लगे तो NN को उपसंपदा दीक्षा प्रदान करें, MM उनकी प्रस्तावक हैं। यही प्रस्ताव है।"

"हे आदरणीय महोदय, संघ मेरी बात सुनिए। एनएन, ... [पहले की तरह तथ्य का कथन]। संघ इसके द्वारा एनएन को उपसंपदा दीक्षा प्रदान करता है, एम.एम. उनके प्रस्तावक हैं। आदरणीय महोदयों में से जो भी इसे स्वीकार करते हैं, वे मौन रहें। जो भी इसे स्वीकार नहीं करते, वे बोलें। और मैं दूसरी बार यही बात कहता हूँ। एनएन, ... (आदि, नीचे तक) वे बोलें। और मैं तीसरी बार यही बात कहता हूँ। एनएन, ... (आदि, नीचे तक) वे बोलें।"

"संघ ने इसके द्वारा एनएन को उपसंपदा दीक्षा प्रदान की है, एम.एम. उनकी प्रस्तावक हैं। संघ इसे स्वीकार करता है। इसलिए इस पर मौन है। मैं यही समझता हूँ।"

फिर, भिक्षुओं को छाया नापने को कहें, (संदेशवाहक को बताएं ताकि वह नवदीक्षित भिक्षुणी को बता सके) कि कौन सा मौसम और कौन सी तिथि है, दिन का कौन सा भाग है, पूरा नियम बताएं; और भिक्षुणियों को कहें कि वे उसे तीन अनुमत और आठ निषिद्ध बातों का ज्ञान कराएं।

<<<< पिछला (10.21) | अगला (10.23) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.23
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.22) | अगला (10.24) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-23.

उस समय भिक्षुणियां वन में निवास करती थीं, और व्यभिचारी पुरुषों द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को वनवास नहीं अपनाना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

<<<< पिछला (10.22) | अगला (10.24) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.24
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.23) | अगला (10.25) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-24.

1. उस समय एक गृहस्थ शिष्य ने भिक्षुणी संघ को रहने के लिए एक नौकरों का घर दान में दिया था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं अस्तबल के उपयोग की अनुमति देता हूँ।'

इससे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुईं। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों के लिए एक अलग निवास की अनुमति देता हूँ।'

इससे उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों के लाभ के लिए भवन निर्माण कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता हूँ।'

इससे उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को संघ के अलग-अलग सदस्यों के लिए रहने के लिए कुछ स्थान आवंटित करने की अनुमति देता हूँ।'

<<<< पिछला (10.23) | अगला (10.25) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.25
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.24) | अगला (10.26) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-25.

1. उस समय एक स्त्री, जो पहले से ही गर्भवती थी, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था, भिक्षुणियों के बीच संघ में शामिल हो गई। बाद में उसके गर्भ में हलचल हुई। तब उस भिक्षुणी ने सोचा: 'अब मैं इस बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार करूँ?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं उसे अनुमति देता हूँ, हे भिक्षुओं, कि वह इसे तब तक पाले जब तक यह विवेकशील आयु प्राप्त न कर ले।'

तब भिक्षुणी ने सोचा: 'मेरे लिए अकेले रहना उचित नहीं है, और न ही किसी अन्य भिक्षुणी के लिए किसी पुरुष बच्चे के साथ रहना उचित है। मुझे क्या मार्ग अपनाना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को यह अनुमति देता हूँ कि वे किसी भी भिक्षुणी को नियुक्त करें और उसे उस (प्रथम उल्लेखित) भिक्षुणी की सहेली के रूप में दें।'

और इस प्रकार, हे भिक्षुओं, उसकी नियुक्ति इस प्रकार की जानी चाहिए: सर्वप्रथम उस भिक्षुणी से पूछा जाना चाहिए (कि क्या वह इस कर्तव्य को निभाने के लिए इच्छुक है)। पूछे जाने के बाद, एक विद्वान और योग्य भिक्षुणी को संघ के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहिए, और कहना चाहिए:

"हे आदरणीय देवियों, संघ मेरी बात सुनिए। यदि संघ को उचित लगे, तो संघ एनएन को एमएमएम के सहचर के रूप में नियुक्त करे। यही प्रस्ताव है।"

"संघ को आगे बढ़ने दो," [और इसी प्रकार, हमेशा की तरह, कम्मवक के अंत तक।]

2. तब उस सहचरी भिक्षुणी ने सोचा: 'अब मुझे इस बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं यह निर्देश देता हूँ कि हे भिक्षुओं, भिक्षुणियाँ उस बच्चे के साथ ठीक उसी प्रकार व्यवहार करें जैसे वे अन्य पुरुषों के साथ करती हैं, सिवाय इसके कि वे एक ही छत के नीचे नहीं सोतीं।'

3. उस समय एक भिक्षुणी, जिसने एक गंभीर अपराध किया था, मनत्ता तपस्या कर रही थी। तब उस भिक्षुणी ने सोचा, 'मेरे लिए अकेले रहना उचित नहीं है, और किसी अन्य भिक्षुणी का मेरे साथ रहना भी उचित नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए?'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को यह अनुमति देता हूँ कि वे किसी भी भिक्षुणी को नियुक्त करें और उसे उस भिक्षुणी की सहेली बनाएँ। और इस प्रकार, हे भिक्षुओं,

उसे प्रतिनियुक्त किया जाना है [आदि, जैसा कि पिछले खंड से पहले वाले खंड में कम्मावक के अंत तक बताया गया है]।

<<<< पिछला (10.24) । अगला (10.26) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.26
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (10.25) । अगला (10.27) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-26.

1. उस समय एक भिक्षुणी ने पहले नियमों का त्याग किया और फिर वस्त्र उतार फेंके। बाद में वह वापस लौटी और भिक्षुणियों से उसे पुनः संघ में शामिल करने का अनुरोध किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को नियमों का त्याग नहीं करना चाहिए। परन्तु वस्त्र त्याग देने से वह स्वतः ही भिक्षुणी होने के योग्य नहीं रह जाती।'

2. उस समय एक भिक्षुणी, यद्यपि वह अब भी नारंगी रंग का वस्त्र धारण किए हुए थी, तित्तिया संप्रदाय में शामिल हो गई। बाद में वह वापस आई और भिक्षुणियों से उसे पुनः संघ में शामिल करने का अनुरोध किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, जो भिक्षुणी नारंगी रंग का वस्त्र पहने हुए ही तित्तियों के पास चली जाती है, उसे पुनः स्वीकार नहीं किया जाता।'

<<<< पिछला (10.25) । अगला (10.27) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> दसवां खंडका >> 10.27
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(10.26) | अगला(11.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु खंड)

दसवां खण्डका (भिक्खुनियों/भिक्षुणियों के कर्तव्यों पर)

अध्याय-27.

1. उस समय भिक्षुणियाँ, किसी को नाराज करने के डर से, पुरुषों को उन्हें प्रणाम करने, उनके बाल या नाखून काटने, या उनके घावों पर पट्टी बांधने नहीं देती थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'मैं उन्हें, हे भिक्षुओं, उन चीजों की अनुमति देता हूँ।'

2. उस समय भिक्षुणियाँ, जब दीवान पर बैठी होती थीं, तो वे (उस पर बैठे अन्य लोगों को) अपनी एड़ियों से उन्हें छूने की अनुमति देती थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को दीवान पर नहीं बैठना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय एक भिक्षुणी बीमार थी, और दीवान का उपयोग किए बिना उसे चैन नहीं मिल रहा था।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, मैं भिक्षुणियों को आधा दीवान इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूँ।'

3. [शौचालयों के निर्माण संबंधी नियम।]

4. उस समय भिक्षुणियां स्नान करते समय चूने का प्रयोग करती थीं।

लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, 'जैसा कि दुनिया भर की औरतें करती हैं!'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को स्नान करते समय चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं मिट्टी और चावल के छिलकों के लाल चूर्ण के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

[इसी तरह का पैराग्राफ, अंत]

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को स्नान के समय सुगंधित मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा। हे भिक्षुओं, मैं साधारण मिट्टी के प्रयोग की अनुमति देता हूँ।'

उस समय भाप स्नान कक्ष में एक साथ स्नान कर रही भिक्षुणियों ने हंगामा मचा दिया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणियों को भाप स्नान नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय धारा के विपरीत दिशा में स्नान करने वाली भिक्षुणियां पानी के तेज बहाव को अपने ऊपर पड़ने देती थीं।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को धारा के विपरीत स्नान नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुणियां एक ऐसे स्थान पर स्नान करती थीं जो सामान्य स्नान स्थल नहीं था, और व्यभिचारी पुरुषों ने उनका यौन उत्पीड़न किया।

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को सामान्य स्नानस्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्नान नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा करेगा, वह दुक्कता का दोषी होगा।'

उस समय भिक्षुणियां पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्नानागार में स्नान करती थीं। लोग बड़बड़ाते, नाराज होते और शिकायत करते हुए कहते, 'जैसे वे स्त्रियां करती हैं जो अभी भी संसार के सुखों में लिप्त हैं।'

उन्होंने यह बात भगवान बुद्ध को बताई।

'हे भिक्षुओं, भिक्षुणी को ऐसे स्नानस्थान में स्नान नहीं करना चाहिए जहाँ पुरुष भी स्नान करते हों। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति दुक्कत का दोषी होगा। हे भिक्षुणियों, मैं महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्नानस्थान में स्नान करने की अनुमति देता हूँ।'

पाठ के तीसरे भाग का समापन।

=========
दसवें खंडका, भिक्खुनी-खंडका का अंत।

<<<< पिछला(10.26) | अगला(11.1) >>>>

ग्यारहवाँ खंडका (बुद्ध के बाद राजगृह परिषद)
(राजगृह परिषद पर)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खन्धक >> चुलवग्गा >> ग्यारहवाँ खंडक >> 11.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(10.27) | अगला(12.1) >>>>

चुलवग्गा (लघु भाग)

ग्यारहवाँ खंडका (राजगृह परिषद पर)

अध्याय 1।

1. अब पूज्य महा कस्सपा ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा: 'एक बार मैं लगभग पाँच सौ भिक्षुओं के एक बड़े समूह के साथ पावा से कुसिनारा जाने वाले मार्ग पर यात्रा कर रहा था। और मैंने मुख्य मार्ग छोड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।

ठीक उसी समय कुसिनारा में मंदारवा का फूल लेकर एक नग्न तपस्वी (जीवक) पावा की ओर जाने वाले रास्ते पर आ रहा था। मैंने उसे दूर से आते देखा और देखते ही उससे कहा:

"ओह, मित्र! तुम हमारे गुरु को अवश्य जानते हो?"

"हाँ, मित्र, मैं उसे जानता हूँ। आज समना गौतम (बुद्ध) के निधन को एक सप्ताह हो गया है। इसी कारण मुझे यह मंदारवा फूल प्राप्त हुआ।"

'तो, हे सज्जनों, उन भिक्षुओं में से जो अभी तक अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हुए थे, उनमें से कुछ ने अपने पैर फैला लिए।'

वे अपनी बाहों में हाथ डालकर रोने लगे; कुछ जमीन पर सिर के बल गिर पड़े; और कुछ इस विचार से व्यथित होकर इधर-उधर डगमगाने लगे: "भगवान बुद्ध का निधन बहुत जल्दी हो गया! सुखी व्यक्ति का देहांत बहुत जल्दी हो गया! संसार से प्रकाश बहुत जल्दी बुझ गया!"

लेकिन जो भिक्षु वासनाओं से मुक्त थे (अरहत), उन्होंने अपने दुःख को इस विचार से संयमित और स्थिर होकर सहन किया: "सभी घटक वस्तुएँ अनित्य हैं। यह कैसे संभव है [कि वे विलीन न हों]?"

तब मैंने भिक्षुओं से कहा, “बस करो, सज्जनों! रोओ मत, विलाप मत करो! क्या भगवान बुद्ध ने हमें पहले ही यह नहीं बताया है कि हमारे प्रिय सभी वस्तुओं का यही स्वभाव है कि हमें उनसे अलग होना, उन्हें छोड़ना, उनसे विमुख होना पड़ता है? तो फिर, सज्जनों, यह कैसे संभव है कि जब कोई भी वस्तु, चाहे वह जन्म ले, अस्तित्व में आए और संगठित हो, उसमें विघटन की अंतर्निहित आवश्यकता होती है, तो फिर यह कैसे संभव है कि ऐसी वस्तु का विघटन न हो? ऐसी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती!”

'उस समय, हे महोदय, वृद्धावस्था में संसार से विदा हो चुके सुभद्दा भिक्षुओं के साथ वहाँ बैठे थे। और सुभद्दा, जो अभी-अभी दीक्षा प्राप्त कर चुके थे, ने भिक्षुओं से कहा, "बस करो, हे महोदय! रोओ मत, विलाप मत करो! हम महान समना (बुद्ध) से छुटकारा पाकर प्रसन्न हुए। हमें यह सुनकर बहुत कष्ट होता था कि 'यह तुम्हें शोभा देता है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता।' परन्तु अब हम जो चाहें कर सकेंगे; और जो हमें पसंद नहीं, वह हमें नहीं करना पड़ेगा।"

'आओ, सज्जनों, हम सब मिलकर धम्म और विनय का जप करें, इससे पहले कि जो धम्म नहीं है वह फैल जाए और जो धम्म है उसे दरकिनार कर दिया जाए; इससे पहले कि जो विनय नहीं है वह फैल जाए और जो विनय है उसे दरकिनार कर दिया जाए; इससे पहले कि धम्म के विरुद्ध तर्क करने वाले शक्तिशाली हो जाएं और जो धम्म को मानते हैं वे कमजोर हो जाएं; इससे पहले कि विनय के विरुद्ध तर्क करने वाले शक्तिशाली हो जाएं और जो विनय को मानते हैं वे कमजोर हो जाएं!'

2. 'तो आदरणीय थेरा भिक्षुओं का चयन करें।'

तब पूज्य महा कस्सपा ने पाँच सौ अरहतों में से एक को छोड़कर बाकी को चुना। भिक्षुओं ने पूज्य महा कस्सपा से कहा, 'हे प्रभु, यह पूज्य आनंद, यद्यपि अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाए हैं, फिर भी वे पक्षपात, द्वेष, मूर्खता या भय के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि में नहीं पड़ सकते, और उन्होंने स्वयं भगवान बुद्ध से धम्म और विनय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतः प्रभु, पूज्य आनंद को चुनें।' और पूज्य महा कस्सपा ने भी पूज्य आनंद को ही चुना।

3. तब थेरा भिक्षुओं के मन में यह विचार आया: 'अब हम किस स्थान पर एक साथ धम्म और विनय का जप करें?' और फिर थेरा भिक्षुओं के मन में यह विचार आया: 'राजगृह में भिक्षा प्रचुर मात्रा में है और रहने के लिए पर्याप्त स्थान हैं। अब क्या होगा यदि हम वर्षा ऋतु राजगृह में व्यतीत करें और वहाँ एक साथ धम्म और विनय का जप करें: और यदि वर्षा ऋतु के लिए कोई अन्य भिक्षु राजगृह न जाए?'

4. तब पूज्य महा कस्सपा ने रखा

संघ के समक्ष प्रस्ताव: 'आदरणीय संघ मेरी प्रार्थना सुनिए। यदि संघ को समय उचित लगे, तो संघ यह आदेश दे कि ये पाँच सौ भिक्षु वर्षा ऋतु में राजगृह में निवास करें, जहाँ वे मिलकर धम्म और विनय का पाठ करें, और वर्षा ऋतु में कोई अन्य भिक्षु राजगृह न जाएँ। यही प्रस्ताव है। आदरणीय संघ इसे सुनिए। संघ तदनुसार निर्णय लेता है। जो भी आदरणीय भिक्षु इससे सहमत हों, वे मौन रहें। जो असहमत हों, वे बोलें। संघ ने तदनुसार निर्णय लिया है। अतः यह मौन है। मेरा यही अर्थ है।'

5. अतः थेरा भिक्षु राजगृह गए और साथ मिलकर धम्म और विनय का पाठ करने लगे। थेरा भिक्षुओं ने सोचा, 'भगवान बुद्ध ने जीर्ण-शीर्ण भवनों के जीर्णोद्धार की प्रशंसा की है। इसलिए वर्षा ऋतु के पहले महीने में हम जीर्ण-शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार करें और मध्य माह में साथ मिलकर धम्म और विनय का पाठ करें।' और उन्होंने पहले माह में जीर्ण-शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार किया।

6. और पूज्य आनंद—यह सोचते हुए कि 'कल सभा है, अभी तो मुझे सभा में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं अभी केवल अरहतत्व की राह पर ही हूँ'—पूरी रात सचेत मन से बिताई। और रात ढलते ही, भोर में लेटने के इरादे से, उन्होंने अपना शरीर झुकाया, लेकिन सिर तकिए तक पहुँचने से पहले ही, और पैर अभी ज़मीन से दूर ही थे कि उसी अंतराल में वे सो गए।

वह संसार से आसक्ति से मुक्त हो गया था, और उसका हृदय आसवों (अर्थात् कामुकता, वैयक्तिकता, भ्रम और अज्ञान) से मुक्त हो गया था।

7. और पूज्य महा कस्सपा ने संघ के समक्ष यह संकल्प रखा: 'यदि संघ को उचित समय लगे, तो मैं उपाली से विनय के विषय में प्रश्न करूँगा।' और पूज्य उपाली ने संघ के समक्ष यह संकल्प रखा: 'पूज्य संघ मेरी बात सुने। यदि संघ को उचित समय लगे, तो पूज्य महा कस्सपा द्वारा पूछे जाने पर मैं उत्तर दूँगा।'

तब पूज्य महा कस्सपा ने पूज्य उपली से कहा: 'पूज्य उपली, प्रथम पराजिका कहाँ प्रकाशित हुई थी?'

'वेशाली में, महोदय।'

'यह किसके बारे में कहा गया था?'

'कलंदा के पुत्र सुदिन्ना के विषय में।'

'किस मामले के संबंध में?'

'संभोग।'

इस प्रकार पूज्य महा कस्सपा ने पूज्य उपली से प्रथम पराजिका के विषय, अवसर, संबंधित व्यक्ति, (प्रधान) नियम, उप-नियम, कौन दोषी होगा और कौन निर्दोष होगा, के बारे में प्रश्न किया।

'हे आदरणीय उपाली, दूसरी पराजिका कहाँ प्रकाशित हुई थी?'

'राजगृह में, महोदय।'

'यह किसके बारे में कहा गया था?'

'धनिया, कुम्हार का पुत्र।'

'किस मामले के संबंध में?'

'वह चीज लेना जो दी नहीं गई थी।'

इस प्रकार पूज्य महा कस्सपा ने पूज्य उपली से इस विषय, इस अवसर, संबंधित व्यक्ति, (प्रधान) नियम, उप-नियम, और इस बात पर प्रश्न किया कि दूसरे पराजिका के लिए कौन दोषी होगा और कौन निर्दोष होगा।

'हे आदरणीय उपाली, तीसरी पराजिका कहाँ प्रकाशित हुई थी?'

'वेशाली में, महोदय।'

'यह किसके बारे में कहा गया था?'

'कई भिक्षु।'

'किस मामले के संबंध में?'

'मनुष्य।'

इस प्रकार पूज्य महा कस्सपा ने पूज्य उपली से तीसरे पराजिका के बारे में [पहले की तरह सभी विवरण] पूछे।

'हे आदरणीय उपाली, चौथी पराजिका कहाँ प्रकाशित हुई थी?'

'वेशाली में, महोदय।'

'यह किसके बारे में कहा गया था?'

'वाग्गुमुदा नदी के किनारे निवास करने वाले भिक्षु।'

'किस मामले के संबंध में?'

'असाधारण परिस्थितियाँ।'

इस प्रकार पूज्य महा कस्सपा ने पूज्य उपली से चौथे पराजिका के सभी विवरणों के बारे में प्रश्न पूछे। उन्होंने दोनों विनय विधियों के माध्यम से भी प्रश्न पूछे; और जैसे-जैसे उनसे प्रश्न पूछे गए, उपली ने उत्तर दिए।

8. तब पूज्य महा कस्सपा ने संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा: 'पूज्य संघ मेरी बात सुने। यदि संघ को समय उपयुक्त लगे, तो मैं आनंद से धम्म के विषय में प्रश्न पूछूंगा।'

और पूज्य आनंद ने संघ के समक्ष एक संकल्प रखा: 'पूज्य संघ मेरी बात सुने। यदि संघ को समय उचित लगे, तो मैं, पूज्य महा कस्सपा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दूंगा।'

और पूज्य महा कस्सपा ने पूज्य आनंद से कहा: 'हे पूज्य आनंद, ब्रह्मगल की बात कहाँ हुई थी?'

'राजगृह और नालंदा के बीच रास्ते में, अंबलथिका स्थित राजमहल में।'

'यह किसके बारे में कहा गया था?'

'सुप्पिया, घुमंतू तपस्वी, और ब्रह्मदत्त, युवा ब्राह्मण।'

इस प्रकार पूज्य महा कस्सपा ने प्रश्न किया

आदरणीय आनंद से ब्रह्मगल के अवसर और उन व्यक्तियों के बारे में पूछें जिनके बारे में यह कहा गया था।

'और फिर से, आदरणीय आनंद, समन्ना-फल की बात कहाँ हुई थी?'

'राजगृह में, महोदय; जीवक के आम के बाग में।'

और यह बात किससे कही गई थी?

'वेदेही के पुत्र अजातसत्तु के साथ।'

इस प्रकार पूज्य महा कस्सपा ने पूज्य आनंद से समन्ना-फल के अवसर और संबंधित व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछे। उन्होंने पाँचों निकायों के माध्यम से भी उनसे प्रश्न पूछे, और जैसे-जैसे उनसे प्रश्न पूछे गए, आनंद ने उत्तर दिए।

9. तब पूज्य आनंद ने थेरा भिक्षुओं से इस प्रकार कहा: 'हे सज्जनों, भगवान बुद्ध ने अपने परलोक जाते समय मुझसे कहा था, "मेरे जाने के बाद, हे आनंद, यदि संघ चाहे तो सभी छोटे-छोटे नियमों को निरस्त कर सकता है।"'

'तो क्या आपने, आदरणीय आनंद, भगवान बुद्ध से पूछा था कि लघु और गौण उपदेश कौन से हैं?'

'जी नहीं, महोदय।'

कुछ थेरों ने कहा कि चार पराजिकों को छोड़कर सभी नियम गौण और गौण हैं; कुछ ने कहा कि उन सभी नियमों के साथ-साथ तेरह संघदिशेष भी हैं; कुछ ने कहा कि उन सभी नियमों के साथ-साथ दो अनिय्यात भी हैं; कुछ ने कहा कि उन सभी नियमों के साथ-साथ तीस निस्साग्य भी हैं; कुछ ने कहा कि उन सभी नियमों के साथ-साथ बानवे पचित्तिय भी हैं; कुछ ने कहा कि उन सभी नियमों के साथ-साथ चार पतिदेशनीय भी हैं।

तब पूज्य महा कस्सपा ने संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा: 'पूज्य संघ, कृपया मेरी बात सुनें। हमारे कुछ नियम गृहस्थों से संबंधित हैं। गृहस्थ हमारे बारे में जानते हैं कि "ऐसी बातें शाक्यपुत्र भिक्षुओं के लिए उचित हैं और ऐसी बातें उचित नहीं हैं।" यदि हम इन छोटे-मोटे नियमों को निरस्त कर दें, तो हमसे कहा जाएगा: "शमन गौतम (बुद्ध) ने अपने शिष्यों के लिए नियमों का एक समूह निर्धारित किया था, जो उनकी चिता से धुआँ उठने तक कायम रहना था। जब तक उनके गुरु उनके साथ रहे, तब तक उन्होंने इन नियमों का अभ्यास किया। चूंकि उनके गुरु का देहांत हो गया है, इसलिए अब वे इन नियमों का अभ्यास नहीं करते हैं।"

यदि संघ को समय उचित लगे, तो वह किसी अनपेक्षित बात की घोषणा न करे और जो आदेश दिए गए हैं उन्हें निरस्त न करे, बल्कि निर्धारित नियमों के अनुसार स्वयं को उनके मार्ग पर चलाए। यही संकल्प है।

'आदरणीय संघ मेरी बात सुने। [इन बातों के कारण] संघ निर्धारित नियमों का पालन करता है। आदरणीयों में से जो भी इससे सहमत हो, वह मौन रहे। जो असहमत हो, वह बोले। संघ ने निर्धारित नियमों का पालन किया है, इसलिए वह मौन रहता है। मेरा यही अर्थ है।'

10. तब थेरा भिक्षुओं ने पूज्य आनंद से कहा: 'हे मित्र आनंद, तुमने यह पाप किया कि भगवान बुद्ध से लघु और गौण उपदेशों के बारे में नहीं पूछा। अपनी गलती स्वीकार करो।'

'महोदय, यह मेरी भूल थी कि मैंने भगवान बुद्ध से वह प्रश्न नहीं पूछा। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। फिर भी, आप पर अपनी आस्था के कारण, मैं इसे एक दोष मानता हूँ।'

'हे मित्र आनंद, यह भी तुमने गलत किया है, क्योंकि तुमने भगवान बुद्ध के वर्षा ऋतु के वस्त्र को सिलते समय उस पर पैर रख दिया। अपनी गलती स्वीकार करो।'

'महोदय, मैंने ऐसा भगवान बुद्ध के प्रति अनादर के कारण नहीं किया। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। फिर भी, आप पर अपनी आस्था के कारण, मैं इसे एक दोष के रूप में स्वीकार करता हूँ।'

'हे मित्र आनंद, यह भी तुमने गलत किया है, क्योंकि तुमने भगवान बुद्ध के शरीर को पहले स्त्रियों से प्रणाम करवाया, जिससे उनके रोने के कारण भगवान बुद्ध का शरीर आंसुओं से अपवित्र हो गया। इस गलती को स्वीकार करो।'

'महोदय, मैंने ऐसा इस इरादे से किया था कि उन्हें निर्धारित समय से अधिक समय तक न रखा जाए। मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखती। फिर भी, आप पर अपने विश्वास के कारण, मैं इसे एक गलती के रूप में स्वीकार करता हूँ।'

हे मित्र आनंद, यह भी तुमने अनुचित किया, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने तुम्हें इतना स्पष्ट सुझाव और इतना स्पष्ट संकेत दिया, तब भी तुमने उनसे यह विनती नहीं की, "भगवान बुद्ध एक कल्प तक जीवित रहें! हे सुखी बुद्ध, समस्त मानव जाति के कल्याण और सुख के लिए एक कल्प तक जीवित रहें।"

"दुनिया पर दया करके, देवताओं और मनुष्यों के भले, लाभ और कल्याण के लिए, बड़ी संख्या में लोग! उस गलती को स्वीकार करो।"

'हे मित्रों, जब मैंने उससे प्रार्थना करने से परहेज किया, तब मैं (शैतान के वश में) था। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। फिर भी, आप पर अपने विश्वास के कारण, मैं इसे एक दोष मानता हूँ।'

'हे मित्र आनंद, तुमने यह भी अनुचित कार्य किया है कि तुम तथागत (बुद्ध) द्वारा प्रतिपादित धम्म और विनय में महिलाओं को प्रवेश दिलाने का प्रयास करते हो। इस गलती को स्वीकार करो।'

'मैंने ऐसा इसलिए किया, मित्रों, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की माता की बहन महा प्रजापति गौतमी के बारे में सोच रहा था; उनकी धाय और दिलासा देने वाली, जिन्होंने उन्हें दूध पिलाया; कैसे उनकी माता के निधन के बाद उन्होंने स्वयं उन्हें माँ के दूध की तरह पिलाया। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। फिर भी, आप पर अपनी आस्था के कारण, मैं इसे एक दोष मानता हूँ।'

11. उस समय पूज्य पुराण, पाँच सौ भिक्षुओं के एक बड़े समूह के साथ दक्षिणी पहाड़ियों में विचरण कर रहे थे। जब थेरा भिक्षुओं ने धम्म और विनय का एक साथ जप पूर्ण कर लिया, तो वे दक्षिणी पहाड़ियों में अपनी इच्छानुसार कुछ समय ठहरकर राजगृह के वेलुवन स्थित कालंदक निवास गए, जहाँ थेरा भिक्षु विराजमान थे। उन्होंने थेरा भिक्षुओं को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए।

जब वे इस प्रकार बैठ गए, तो थेरा भिक्षुओं ने उनसे कहा:

'हे मित्र पुराण, धम्म और विनय का पाठ थेरा भिक्षुओं द्वारा एक साथ किया गया है। इसलिए, आप भी उनके द्वारा पूर्वाभ्यास किए गए इस ग्रंथ को ध्यानपूर्वक ग्रहण करें और इसका अध्ययन करें।'

'हे सज्जनों, धम्म और विनय का तेरों द्वारा बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। फिर भी, जिस रूप में मैंने इसे सुना है और स्वयं भगवान बुद्ध के मुख से ग्रहण किया है, उसी रूप में मैं इसे अपने स्मरण में धारण रखूंगा।'

12. अब पूज्य आनंद ने थेरा भिक्षुओं से कहा: 'हे महोदय, भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय मुझसे कहा था: "हे आनंद, मेरे मरने के बाद संघ, भिक्षु चन्ना पर उच्चतर दंड लगाए।"

'तो क्या तुमने, मेरे मित्र आनंद, भगवान बुद्ध से पूछा था कि सबसे बड़ा दंड क्या है?'

'मैंने ऐसा किया, महोदय, (और उत्तर यह था): 'आनंद, भिक्षु चन्ना जो चाहे कह सकता है; लेकिन भिक्षुओं को न तो उससे बात करनी चाहिए, न ही उसे उपदेश देना चाहिए, न ही उसे चेतावनी देनी चाहिए।'

'तो फिर, हे मित्र आनंद, क्या तुम भिक्षु चन्ना को बता सकते हो कि उस पर कड़ी सजा लगाई गई है?'

'महोदय, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वह भिक्षु बहुत भावुक और कठोर है।'

'तो जाओ, मित्र आनंद, अन्य भिक्षुओं के साथ।'

'जी हां, महोदय,' आनंद ने थेरा भिक्षुओं की बात से सहमति जताते हुए कहा। और वह अपने साथ कई भिक्षुओं को ले गया।

पांच सौ भिक्षुओं का समूह एक नाव पर सवार होकर नदी के विपरीत दिशा में आगे बढ़ा और कोसंबी में उतरा, और राजा उदेना के उद्यान से कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।

13. उस समय राजा उदेना अपने महल की स्त्रियों के साथ उद्यान में आनंद मना रहे थे। स्त्रियों ने सुना कि उनके गुरु, पूज्य आनंद, उद्यान से कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उन्होंने राजा उदेना से कहा:

'लोग कहते हैं कि हमारे गुरु, पूज्य आनंद, पार्क से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की तलहटी में बैठे हैं। हे प्रभु, हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं।'

'तो जाओ, समना आनंद के दर्शन करो।' वे गए और पूज्य आनंद को प्रणाम किया, और एक तरफ बैठ गए। उन्होंने उन्हें धर्म प्रवचन से उपदेश दिया, प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और प्रसन्न किया। प्रवचन समाप्त होने पर, उन्होंने पूज्य आनंद को पाँच सौ वस्त्र भेंट किए, उनके प्रवचन के लिए उनकी प्रशंसा और धन्यवाद किया, और अपनी सीटों से उठकर उन्हें प्रणाम किया, और उनके दाहिनी ओर चलते हुए वहाँ से चले गए।

14. और राजा उदेना ने दूर से आती हुई स्त्रियों को देखा। उन्हें देखकर उसने उनसे कहा:

'तो क्या आप समना आनंद के दर्शन करने में सफल रहे?'

'हमने उसे देखा, महाराज।'

'क्या आपने समना आनंद को कोई उपहार भेंट किया?'

'हे महाराज, हमने आदरणीय आनंद को पाँच सौ वस्त्र भेंट किए।'

तब राजा उदेना क्रोधित और परेशान हो गया, और गुस्से में आकर बोला:

'समान आनंद इतने सारे वस्त्र कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या वे कपड़े बेचने का धंधा शुरू करेंगे, या कोई दुकान खोलेंगे?'

और राजा उदेना पूज्य आनंद के पास गए और उनसे मित्रता और शिष्टाचार का अभिवादन और शुभकामनाएँ करने के बाद उनके पास बैठ गए। और जब वे बैठ गए, तो उन्होंने उनसे कहा:

'क्या हमारी महिलाएं यहां आई थीं, आनंदा?'

'जी हां, महान राजा।'

'क्या उन्होंने आपके आदरणीय व्यक्ति को कुछ दिया?'

'उन्होंने मुझे, महान राजा, पाँच सौ वस्त्र दिए।'

'और आप उन पांच सौ वस्त्रों का क्या करने का इरादा रखते हैं?'

'हे महाराज, मैं इन्हें उन भिक्षुओं में बाँट दूँगा जिनके वस्त्र पुराने हो चुके हैं।'

'और हे आनंद, तुम इन पुराने वस्त्रों का क्या करोगे?'

'हे महाराज, हम इनसे चादरें बनाएंगे।'

'और तुम उन पुराने छज्जों का क्या करने का इरादा रखते हो, आनंदा?'

'हे महाराज, हम उनसे समर्थन के लिए आधार तैयार करेंगे।'

'और आनंद, तुम उन पुराने तकिए के कवरों का क्या करने का इरादा रखते हो?'

'हे महाराज, हम इनसे कालीन बनाएंगे।'

'और तुम इन पुराने कालीनों का क्या करने का इरादा रखते हो, आनंदा?'

'हे महाराज, हम इनसे पैर धोने के लिए तौलिए बनाएंगे।'

'और तुम इन पुराने तौलियों का क्या करने का इरादा रखते हो, आनंदा?'

'हे महाराज, हम इनसे धूल झाड़ेंगे।'

'और तुम उन पुराने डस्टरों का क्या करने का इरादा रखते हो, आनंदा?'

'हे महाराज, हम इन्हें टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, मिट्टी से पीट-पीट कर मिट्टी का फर्श बनाने में इस्तेमाल करेंगे।'

तब राजा उदेना ने सोचा, 'ये शाक्यपुत्रीय सामन प्रत्येक वस्तु का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं और किसी भी वस्तु को अपना निजी स्वामित्व नहीं मानते।' और उन्होंने पूज्य आनंद को पाँच सौ और वस्त्र भेंट किए।

15. लेकिन आनंद घोसिता विश्राम (मठ) में गए और वहाँ उनके लिए बिछाई गई चौकी पर बैठ गए। पूज्य चन्ना उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनके बगल में बैठ गए। जब वे बैठ गए, तो आनंद ने उनसे कहा, "

'मित्र चन्ना, संघ ने तुम पर उच्चतर दंड लगाया है।'

'तो फिर, मेरे मित्र आनंद, सबसे बड़ा दंड क्या है?'

'हे मित्र चन्ना, तुम भिक्षुओं से जो चाहो कह सकते हो; परन्तु भिक्षुओं को न तो तुमसे बात करनी चाहिए, न तुम्हें उपदेश देना चाहिए, न ही तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए।'

'क्या मैं एक मृत व्यक्ति नहीं बन जाऊंगा, मित्र आनंद, जब तक भिक्षु मुझसे बात नहीं करते, मुझे उपदेश नहीं देते, न ही मुझे सलाह देते हैं?' चन्ना ने कहा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा।

तब पूज्य चन्ना, व्यथित, दुखी और पश्चाताप से ग्रस्त होकर, एकांत में रहे, गंभीर, उत्साही और दृढ़ निश्चयी होकर। शीघ्र ही उन्होंने उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए अच्छे परिवार के लोग भी घर-बार छोड़कर बेघर होकर जीवन व्यतीत करते हैं—जी हाँ, उन्होंने स्वयं ही, इस दृश्य संसार में रहते हुए, उस सर्वोच्च लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त किया, उसे निरंतर अनुभव किया और उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया! और उन्हें यह अहसास हुआ कि उनका पुनर्जन्म समाप्त हो गया है, कि उन्होंने अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है, कि जो कुछ करना था वह पूरा हो चुका है, और इस जीवन के बाद कोई परलोक नहीं होगा!

इस प्रकार पूज्य चन्ना अरहतों में से एक बन गए। अरहत पद प्राप्त करने के बाद, पूज्य चन्ना पूज्य आनंद के पास गए और बोले:

'मेरे मित्र आनंद, अब मुझसे यह उच्चतर दंड हटा दो।'

'हे मित्र चन्ना, जिस क्षण तुमने अरहतत्व का अहसास किया, उसी क्षण से तुम पर से उच्चतर दंड हटा दिया गया।'

16. अब चूंकि पांच सौ भिक्षुओं ने बिना किसी चूक के, बिना किसी अतिरिक्त के, विनय के इस पाठ में भाग लिया, इसलिए विनय के उस पाठ को 'पांच सौ भिक्षुओं का पाठ' कहा जाता है।

=========
यहां पांच सौ लोगों द्वारा पाठ किए गए ग्यारहवें खंडक का समापन होता है।

<<<< पिछला(10.27) । अगला(12.1) >>>>

बारहवाँ खंडका (बुद्ध के बाद वेशालि परिषद)
(वैशाली की परिषद पर)

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> बारहवाँ खंडका >> 12.1
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला (11.1) । अगला (12.2) >>>>

चुलवग्गा (लघु भाग)

बारहवाँ खंडका (वेशाली की परिषद पर)

अध्याय 1।

1. उस समय, भगवान बुद्ध की मृत्यु के एक शताब्दी बाद, वैशाली के भिक्षुओं, वज्जीवादियों ने वैशाली में दस सिद्धांतों का प्रचार किया:--(1) कि नमक को सींग के बर्तन में रखना अनुमेय था; (2) कि दोपहर के बाद सूर्य की छाया दो उंगली की चौड़ाई तक दिखने पर दोपहर का भोजन किया जा सकता था; (3) कि जो व्यक्ति गाँव जाने का इरादा रखता है, वह एक बार भोजन छोड़ने के बाद फिर से शुरू कर सकता है; (4) कि एक ही सीमा के भीतर रहने वाले कई भिक्षु उपोसथ को अलग-अलग आयोजित कर सकते थे; (5) कि एक संघ जो स्वयं में एकता में नहीं है, वह भिक्षुओं को सूचित करने का वचन देते हुए कोई आधिकारिक कार्य कर सकता है; (6) कि भिक्षु के लिए अपने उपज्झय द्वारा अपनाई गई किसी भी प्रथा का पालन करना अनुमेय था; (7) कि दोपहर का भोजन समाप्त कर चुके व्यक्ति द्वारा दही खाया जा सकता था; (8) कि बिना किण्वित ताड़ी पीना अनुमेय था। (9) कि गलीचा या चटाई निर्धारित सीमित आकार की नहीं होनी चाहिए यदि उसमें झालर न हो; (10) कि सोना और चांदी प्राप्त करना अनुमेय था।

उस समय वज्जीय देश में विचरण करते हुए काकंदक के पुत्र पूज्य यासा वैशाली पहुंचे; और वहां पूज्य यासा महावन में कुटगारा हॉल में ठहरे।

उस समय वैशाली के वज्जीयन भिक्षुओं ने उपोसथ दिवस पर एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर भिक्षु संघ के बीच में रख दिया और वहाँ आए वैशाली के अपने गृहस्थ शिष्यों से कहा: 'हे सज्जनों, संघ को एक कहपना, आधा कहपना, एक पद या एक मसक दान कीजिए। संघ को विभिन्न बर्तनों के लिए इसकी आवश्यकता होगी।'

जब उन्होंने ऐसा कहा, तब आदरणीय यासा, जो काकंदक के पुत्र थे, ने गृहस्थ शिष्यों से कहा, 'हे सज्जनों, ऐसा कुछ न करें। शाक्यपुत्रीय सामनों को सोने और चांदी का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। शाक्यपुत्रीय सामन न तो इन्हें अपने पास लेने देते हैं और न ही इनका संरक्षण करते हैं। शाक्यपुत्रीय सामन वे पुरुष हैं जिन्होंने अपने रत्न और आभूषण त्याग दिए हैं, और जिनके पास चांदी और सोना नहीं है।'

यद्यपि वैशाली के गृहस्थ शिष्यों को काकंदक के पुत्र पूज्य यासा ने इस प्रकार संबोधित किया था, फिर भी उन्होंने संघ को धन दान दिया। और वैशाली के वज्जियन भिक्षुओं ने रात्रि के अंत में, एक भाग अलग रखकर, उस धन को भिक्षुओं की संख्या के अनुसार बाँट लिया। और उन्होंने काकंदक के पुत्र पूज्य यासा से कहा:

'यासा, मेरे दोस्त, यह तुम्हारा हिस्सा है।'

'उस धन में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैं किसी को भी मुझे कोई धन देने की अनुमति नहीं देता।'

2. तब वैशाली के वज्जीय भिक्षुओं ने आपस में कहा, "यह भाई, काकंदक का पुत्र यासा, निंदा और अपशब्दों का प्रयोग करता है और विश्वासी एवं निष्ठावान अनुयायियों को असंतुष्ट करता है। आओ, हम इसके विरुद्ध सुलह का कार्य करें।" और उन्होंने ऐसा ही किया।

तब आदरणीय काकंदक के पुत्र यासा ने उनसे कहा, 'हे महोदय, भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया है कि जिस भिक्षु के विरुद्ध सुलह का कार्य संपन्न हुआ हो, उसके साथ एक सहचर दूत नियुक्त किया जाए। हे महोदय, मेरे लिए एक भिक्षु को सहचर दूत नियुक्त कीजिए।' वैशाली के वज्जीय भिक्षुओं ने एक भिक्षु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और उसे आदरणीय यासा का सहचर दूत बना दिया।

और पूज्य यासा अपने साथी भिक्षु को साथ लेकर वैशाली में प्रवेश किया और वहाँ के विश्वासी गृहस्थों से कहा:

'महोदय, मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं निंदा और अपमान कर रहा हूँ और विश्वासी एवं निष्ठावान अनुयायियों को असंतुष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि जो धम्म के विरुद्ध है वह धम्म के विरुद्ध है, और जो धम्म है वह धम्म है, और जो विनय के विरुद्ध है वह विनय के विरुद्ध है, और जो विनय है वह विनय है।'

3. हे महोदय, एक बार भगवान बुद्ध अनाथपिंडिका के आनंद-स्थल जेतवन में स्थित सावत्थी में ठहरे हुए थे। वहाँ, हे महोदय, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा:

हे भिक्षुओं, सूर्य और चंद्रमा के चार अवरोध हैं, जिनसे प्रभावित होने पर सूर्य और चंद्रमा न तो ऊष्मा देते हैं, न प्रकाश देते हैं और न ही उनकी महिमा समाप्त हो जाती है। वे चार क्या हैं? वे हैं बादल, कोहरा, धूल भरा धुआँ और राहु, जिनसे प्रभावित होने पर सूर्य और चंद्रमा न तो ऊष्मा देते हैं, न प्रकाश देते हैं और न ही चमकते हैं। ठीक इसी प्रकार, हे भिक्षुओं, चार दोष हैं जिनसे प्रभावित होने पर भिक्षु और ब्राह्मण न तो ऊष्मा देते हैं, न प्रकाश देते हैं और न ही चमकते हैं। वे चार क्या हैं? कुछ भिक्षु और ब्राह्मण मादक पेय और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और उनसे परहेज नहीं करते। यह पहला दोष है। हे भिक्षुओं, कुछ भिक्षु और ब्राह्मण यौन संबंध बनाते हैं, और उससे परहेज नहीं करते। यह दूसरा दोष है। हे भिक्षुओं, कुछ भिक्षु और ब्राह्मण चांदी और सोना ग्रहण करते हैं, और उनसे परहेज नहीं करते। उसका उपयोग। यह इस प्रकार के तीसरे दोष है। और अंत में, हे भिक्षुओं, कुछ समन और ब्राह्मण ऐसे हैं जो निम्न कलाओं से जीविका कमाते हैं, ऐसे साधनों से परहेज नहीं करते। यह इस प्रकार के चौथे दोष है।

"हे सज्जनों, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा: और जब भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, तो गुरु ने आगे कहा:

"कामवासना और द्वेष से दूषित, कुछ समना (भिक्षु) और ब्राह्मण (पुजारी)..."

अज्ञान से अंधे हुए लोग उन चीजों की प्रशंसा करते हैं जो आनंददायक प्रतीत होती हैं।

वे तेज शराब पीते हैं और उग्र स्वभाव के होते हैं, कामुक कृत्यों में लिप्त रहते हैं।

बुद्धिहीन होकर वे चांदी और सोना ले जाते हैं।

और कुछ समन और ब्राह्मण निम्न कलाओं के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं।

सूर्यवंशी बुद्ध द्वारा दाग कहे जाने वाले ऐसे कर्म हैं।

वे दाग—जिनसे कुछ समन और ब्राह्मण अपवित्र हो गए,

अशुद्ध और अपवित्र जानवर न तो गर्मी देते हैं और न ही प्रकाश।

अंधकार से घिरा हुआ, अंधा, लालसा और वासनाओं का गुलाम,

वे मृत्यु के दायरे को बढ़ाते हैं, और पुनर्जन्म से भयभीत हो जाते हैं।

'इस मत का समर्थन करने के कारण ही, महोदय, मुझ पर विश्वास करने वाले और निष्ठावान अनुयायियों को फटकारने, निंदा करने और असंतुष्ट करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि मैंने कहा है कि जो धम्म के विरुद्ध है वह धम्म के विरुद्ध है और जो धम्म है वह धम्म है; जो विनय के विरुद्ध है वह विनय के विरुद्ध है और जो विनय है वह विनय है।'

4. 'एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में, वेलुवन में, कालंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय महल में महिलाओं के कक्ष में बैठी शाही परिचारिकाओं के बीच यह बात सुनी गई: "शाक्यपुत्र भिक्षुओं को चांदी और सोना रखने की अनुमति है।"

शाक्यपुत्रीय समना इसे स्वीकार करते हैं और इसे अपने अधिकार में लेते हैं। उस समय ग्राम प्रधान मणिकुलक वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा, "ऐसा मत कहिए, महोदय। शाक्यपुत्रीय समनाओं को न तो चाँदी और सोना रखने की अनुमति है, न वे इसे स्वीकार करते हैं और न ही इसे अपने अधिकार में लेते हैं। शाक्यपुत्रीय समना वे लोग हैं जिन्होंने रत्न और आभूषण त्याग दिए हैं, और उनके पास चाँदी और सोना नहीं है।" इस प्रकार ग्राम प्रधान मणिकुलक उन्हें समझाने में सफल रहे।

तब मुखिया मणिकुलका उस स्थान पर गया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे और उन्हें प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। उसने भगवान बुद्ध को सारी बात बताई और कहा:

"हे प्रभु, क्या मैं अपने आचरण के अनुसार भगवान बुद्ध के वचनों के अनुसार बोलने वाला, भगवान बुद्ध का झूठा प्रतिरूपण न करने वाला, सच्चे धम्म के स्थान पर तुच्छ बातों को न रखने वाला व्यक्ति हूँ? और क्या इस प्रकार की चर्चा में, चाहे इधर-उधर की हो, संघ के नियमों के पालन के संबंध में कोई निंदा का कारण है?"

"निश्चित रूप से, मणिकुलक, इस प्रकार बोलने में आप मेरे वचन के अनुरूप हैं, और आप मेरा झूठा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, न ही छोटी-मोटी बातों को सच्चा धर्म बता रहे हैं। ऐसी चर्चाओं में निंदा का कोई कारण नहीं है। क्योंकि मणिकुलक, शाक्यपुत्रीय समनों के लिए सोना और चांदी वर्जित है, न ही उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, न ही इसे अपने पास रखना चाहिए। जिन पुरुषों ने रत्न और आभूषण त्याग दिए हैं, वे ही शाक्यपुत्रीय समन हैं।"

जिन पुरुषों के पास चांदी और सोना नहीं है। क्योंकि, मणिकुलक, जिसे सोना और चांदी की अनुमति है, उसे पांच प्रकार के इंद्रिय सुखों की भी अनुमति है। और जिसे इन पांच प्रकार के सुखों की अनुमति है, उसे आप निश्चित रूप से जान लें कि वह न तो सामनों के नियम का पालन कर रहा है और न ही शाक्य वंश के नियम का। यद्यपि, मणिकुलक, मैंने कहा है कि जिसे घास की आवश्यकता है वह घास की तलाश करे, जिसे लकड़ी की आवश्यकता है वह लकड़ी की तलाश करे, जिसे वाहन की आवश्यकता है वह वाहन की तलाश करे, और जिसे नौकर की आवश्यकता है वह नौकर की तलाश करे; फिर भी मैंने कभी भी किसी भी तरह से यह नहीं कहा है कि सोने या चांदी की तलाश की जाए या उसे स्वीकार किया जाए।

'इस मत को कायम रखने के कारण ही, महोदय, मुझ पर विश्वास करने वाले और निष्ठावान अनुयायियों को फटकारने, निंदा करने और असंतुष्ट करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि मैंने कहा है कि जो धम्म के विरुद्ध है वह धम्म के विरुद्ध है, और जो धम्म है वह धम्म है; जो विनय के विरुद्ध है वह विनय के विरुद्ध है, और जो विनय है वह विनय है।'

5. 'और एक बार, महोदय, भगवान बुद्ध ने उसी स्थान पर, राजगृह में, शाक्य उपनंद के मामले के अवसर पर, स्पष्ट रूप से एक उपदेश दिया था जिसके द्वारा सोने और चांदी को निषिद्ध किया गया था।

महोदय, इसी मत को बनाए रखने के कारण मुझ पर विश्वास करने वाले और निष्ठावान अनुयायियों को फटकारने, निंदा करने और असंतुष्ट करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि मैंने वह कहा है जो इसके विरुद्ध है।

धम्म, धम्म के विरुद्ध है, और जो धम्म है वह धम्म है; जो विनय के विरुद्ध है वह विनय के विरुद्ध है, और जो विनय है वह विनय है।

6. जब उन्होंने ऐसा कहा, तो गृहस्थ भाइयों ने काकंदक के पुत्र यासा से कहा, "हे महाराज, केवल एक ही शाक्यपुत्र समण हैं, हमारे गुरु यासा, जो काकंदक के पुत्र हैं। बाकी सभी न तो समण हैं और न ही शाक्यपुत्र। आदरणीय यासा, जो काकंदक के पुत्र हैं, हमारे बीच निवास करें। हम उन्हें वस्त्र, भोजन, औषधि और बीमारों के लिए आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करेंगे।"

तब आदरणीय यासा, जो काकंदक के पुत्र थे, ने गृहस्थ भाइयों को अपने पक्ष में कर लिया और अपने साथी भिक्षु (भिक्षु) के साथ आराम लौट आए।

7. और वैशाली के वज्जीय भिक्षुओं ने साथी भिक्षु से पूछा: 'क्या काकंदक के पुत्र यासा ने गृहस्थ भाइयों से क्षमा प्राप्त की, महोदय?'

'महोदय, हम पर विपत्ति आई है। काकंदक के पुत्र यासा को ही शाक्यपुत्र समना घोषित किया गया है, और हम सब न तो समना हैं और न ही शाक्यपुत्र।'

तब वैशाली के वज्जियन भिक्षुओं ने कहा: 'आदरणीय यासा, काकंदक के पुत्र, ने हमारी ओर से नियुक्त किए बिना ही गृहस्थों के बीच (एक झूठा सिद्धांत) प्रचारित किया है। आओ, हम उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करें।' और

वे ऐसा करने के इरादे से एकत्रित हुए थे।

लेकिन आदरणीय यासा, काकंदक के पुत्र, आकाश में उठे और कोसंबी में अवतरित हुए। उन्होंने पश्चिमी, अवंती और दक्षिणी देश के भिक्षुओं के पास दूत भेजे और कहा, 'हे आदरणीय! हमें इस विधिक प्रश्न को अपने हाथ में लेना चाहिए, इससे पहले कि अधार्मिक बातें फैल जाएँ और धर्म को त्याग दिया जाए; इससे पहले कि विनय के विरुद्ध तर्क देने वाले शक्तिशाली हो जाएँ और विनय के पक्ष में तर्क देने वाले कमजोर हो जाएँ; इससे पहले कि विनय के विरुद्ध तर्क देने वाले शक्तिशाली हो जाएँ और विनय के पक्ष में तर्क देने वाले कमजोर हो जाएँ।'

8. उस समय पूज्य संभूता सनवासी अहोगंगा पर्वत पर निवास कर रहे थे। वहाँ काकंदक के पुत्र पूज्य यासा गए; और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूज्य संभूता सनवासी को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए; और इस प्रकार बैठकर उन्होंने उनसे कहा:

'भगवान्, ये वेशाली के वज्जियन भिक्षु हैं

'दस सिद्धांत प्रस्तुत करो।' और उन्होंने उन्हें बताया कि वे क्या थे, और आगे कहा: 'हे प्रभु, आइए अब हम इस अंतिम प्रश्न का समाधान कर लें, इससे पहले कि जो धम्म नहीं है वह फैल जाए और जो धम्म है उसे दरकिनार कर दिया जाए; इससे पहले कि जो विनय नहीं है वह फैल जाए और जो विनय है उसे दरकिनार कर दिया जाए; इससे पहले कि धम्म के विरुद्ध तर्क करने वाले शक्तिशाली हो जाएं और जो धम्म के पक्ष में तर्क करने वाले कमजोर हो जाएं; इससे पहले कि विनय के विरुद्ध तर्क करने वाले शक्तिशाली हो जाएं और जो विनय के पक्ष में तर्क करने वाले कमजोर हो जाएं।'

'फिर भी, भगवान,' आदरणीय संभूता सनवासी ने, आदरणीय यासा काकंदका-पुत्त की सहमति में कहा।

फिर पश्चिमी देश से लगभग साठ भिक्षु, जो सभी संन्यासी थे, सभी भिक्षा पर जीवन यापन करते थे, सभी त्यागे हुए वस्त्र पहनते थे, केवल तीन वस्त्र धारण करते थे और सभी अरहत थे, अहोगंगा पर्वत पर एकत्रित हुए। और अवंती और दक्षिणी देश से लगभग अस्सी-आठ भिक्षु, जिनमें से कुछ संन्यासी थे, कुछ भिक्षा पर जीवन यापन करते थे, कुछ त्यागे हुए वस्त्र पहनते थे और कुछ केवल तीन वस्त्र धारण करते थे, लेकिन सभी अरहत थे, अहोगंगा पर्वत पर उनसे मिले।

9. और थेरा भिक्षुओं ने आपस में विचार-विमर्श करके यह निष्कर्ष निकाला: 'यह विधिक प्रश्न कठिन और पेचीदा है। हम ऐसा समर्थन कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे निर्णय लेते समय हमें अधिक शक्ति प्राप्त हो?'

उस समय पूज्य रेवता सोरेय्या में निवास कर रहे थे। वे परंपराओं के ज्ञाता थे, आगमों (चारों निकायों) के ज्ञाता थे, और धम्म, विनय और मतिकाओं के ज्ञाता थे; बुद्धिमान, विवेकशील, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मोपदेशकों के प्रति समर्पित थे। थेरा भिक्षुओं ने सोचा कि यदि वे उन्हें अपने पक्ष में कर लें, तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

और पूज्य रेवता ने, मनुष्यो की श्रेष्ठ और स्पष्ट दैवीय श्रवण शक्ति से, थेरा भिक्षुओं को आपस में परामर्श करते हुए सुना; और उन्होंने सोचा: 'यह विधि संबंधी प्रश्न कठिन और सूक्ष्म दोनों है, इससे पीछे हटना मेरे लिए उचित नहीं होगा। परन्तु अभी भी वे भिक्षु (वज्जी) आ रहे हैं। उनके साथ चलना मेरे लिए असुविधाजनक होगा। मुझे उनसे पहले ही चलना चाहिए।'

अतः पूज्य रेवता सोरेय्या से समकस्सा चले गए। जब थेरा भिक्षु सोरेय्या गए और पूछा, 'पूज्य रेवता कहाँ हैं?' तो उन्होंने कहा, 'वे समकस्सा गए हैं।'

अब पूज्य रेवता समकस्सा से कन्नकुज्जा चले गए थे। जब थेरा भिक्षु समकस्सा आए और पूछा, 'पूज्य रेवता कहाँ हैं?' तो उन्होंने कहा, 'वे कन्नकुज्जा चले गए हैं।' और वे उनके पीछे-पीछे वहाँ गए, फिर उदंबरा, फिर अग्गलपुरा, फिर सहगति, और वहाँ उनकी मुलाकात पूज्य रेवता से हुई।

10. तब पूज्य संभूता सनवासी ने काकंदक के पुत्र पूज्य यासा से कहा:

'मित्र, रेवता भाई परंपराओं में पारंगत हैं, उन्होंने आगमों का ज्ञान प्राप्त किया है, उन्हें धम्म, विनय और मतिकाएँ सर्वमान्य हैं, वे बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी हैं, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और उपदेशों के प्रति समर्पित हैं। यदि हम पूज्य रेवता से कोई पेचीदा प्रश्न पूछें, तो वे उस एक प्रश्न पर पूरी रात विचार कर सकते हैं। और अभी भी पूज्य रेवता अपने एक शिष्य, जो एक उपदेशक हैं, से मिलने आते हैं। इसलिए, जब भिक्षु अपना प्रवचन समाप्त कर लें, तो आप पूज्य रेवता के पास जाकर उनसे इन दस सिद्धांतों (बिंदुओं) के बारे में पूछें।'

'जी हां, महाराज,' आदरणीय संभूता सनवासी की बात से सहमत होते हुए आदरणीय काकंदक के पुत्र यासा ने कहा।

और पूज्य रेवता ने अपने शिष्य, मंत्रोच्चार करने वाले भिक्षु को बुलाया। जब भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर लिया, तो काकंदक के पुत्र पूज्य यासा, पूज्य रेवता के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके बगल में बैठ गए। और इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने पूज्य रेवता से कहा:

'क्या हे प्रभु, सींग-नमक-लाइसेंस स्वीकार्य है?'

'महोदय, यह सींग-नमक-लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह जायज़ है कि किसी सींग में नमक भरकर इस इरादे से ले जाया जाए कि उसे बिना नमक वाले भोजन में डाला जाएगा?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'क्या दो इंच की छूट, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'सर, यह दो इंच का लाइसेंस क्या है?'

हे प्रभु, क्या दोपहर का भोजन करना जायज़ है?

क्या उचित समय के बाद भी, केवल इस शर्त पर कि परछाई अभी दो इंच न बढ़ी हो?

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'क्या ग्राम भ्रमण का लाइसेंस, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'यह ग्राम-यात्रा लाइसेंस क्या है, महोदय?'

'हे प्रभु, क्या यह उचित है कि जो व्यक्ति अपना भोजन समाप्त कर चुका है और आगे कुछ भी खाने से इनकार कर चुका है, वह बचे हुए भोजन को इस आधार पर खा ले कि वह गांव की ओर जाने वाला है?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'क्या सर्किट लाइसेंस, लॉर्ड, स्वीकार्य है?'

'सर, यह सर्किट लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह उचित है कि एक ही परिसर में, एक ही सीमा के भीतर रहने वाले कई भिक्षु अलग-अलग उपोसथ आयोजित करें?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'क्या क्षतिपूर्ति लाइसेंस, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'महोदय, यह क्षतिपूर्ति लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह उचित है कि कोई संघ, जो विधिवत गठित नहीं है, इस आधार पर कोई आधिकारिक कार्य करे कि वे बाद में आने वाले भिक्षुओं की स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'क्या पूर्व उदाहरण के आधार पर दी गई छूट, हे प्रभु, स्वीकार्य है?'

'महोदय, यह पूर्व-अनुमानित लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह जायज़ है कि मैं किसी काम को इस आधार पर करूँ कि "मेरे गुरु (उपाज्जया) ने यह किया है; या मेरे शिक्षक (आचार्य (शिक्षक)) ने वह किया है?"'

'कुछ मामलों में, महोदय, यह स्वीकार्य है, और कुछ में नहीं।'

'क्या मंथन का लाइसेंस, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'महोदय, यह मंथन लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह जायज़ है कि जो व्यक्ति अपना भोजन समाप्त कर चुका है और आगे कुछ भी खाने से इनकार कर चुका है, वह भोजन के बाद बचा हुआ दूध न पिए, इस आधार पर कि वह दूध की अवस्था से निकल चुका है और अभी तक दही की अवस्था तक नहीं पहुँचा है?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'हे प्रभु, क्या ताड़ी पीना जायज़ है?'

'यह ताड़ी क्या है, महोदय?'

'हे प्रभु, क्या उन शराबों का सेवन करना जायज़ है जो शराब न होने की अवस्था से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनमें मादक गुण नहीं आ पाए हैं?'

'नहीं, महोदय, यह स्वीकार्य नहीं है?'

'हे प्रभु, क्या बिना झालर वाली चटाई या गलीचा (जब वह निर्धारित आकार से बड़ा हो) वैध है?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'हे प्रभु, क्या सोना और चांदी स्वीकार्य हैं?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

हे प्रभु, ये वे दस प्रस्ताव हैं जो वैशाली के इन वज्जी भिक्षुओं ने रखे हैं। हे प्रभु, आइए, हम इस विधिक प्रश्न पर विचार करें, इससे पहले कि अधार्मिक बातें फैल जाएँ और धर्म का त्याग हो जाए; इससे पहले कि विनयहीन बातें फैल जाएँ और विनय का त्याग हो जाए; इससे पहले कि धर्म के विरुद्ध तर्क करने वाले शक्तिशाली हो जाएँ और

धम्म के पक्ष में तर्क देने वाले कमजोर हो जाते हैं; विनय के विरुद्ध तर्क देने वाले शक्तिशाली हो जाते हैं, और विनय के पक्ष में तर्क देने वाले कमजोर हो जाते हैं।

'जी हां, महाराज,' आदरणीय रेवता ने काकंदक के पुत्र आदरणीय यासा की बात से सहमति जताते हुए कहा।

यहां पाठ का पहला भाग समाप्त होता है।

<<<< पिछला (11.1) | अगला (12.2) >>>>

टिपिटक >> विनय पिटक >> खंडका >> चुलवग्गा >> बारहवाँ खंडका >> 12.2
टी.डब्ल्यू. राइस डेविड्स और हरमन ओल्डेनबर्ग के अनुवाद से रूपांतरित।

<<<< पिछला(12.1)

चुलवग्गा (लघु भाग)

बारहवाँ खंडका (वेशाली की परिषद पर)

अध्याय दो।

1. वैशाली के वज्जीय भिक्षुओं ने यह अफवाह सुनी: 'ककांडक के पुत्र यासा, इस विधिक प्रश्न को अपने हाथ में लेने की इच्छा से समर्थन की तलाश कर रहे हैं, और कहा जाता है कि उन्हें समर्थन मिल भी रहा है।' और उन्होंने सोचा: 'यह विधिक प्रश्न तो कठिन और पेचीदा है। हम ऐसा समर्थन कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे इस मामले के निर्णय में हमें अधिक शक्ति प्राप्त हो?'

और उन्होंने सोचा: 'पूजनीय यासा, जो सोरय्या में निवास करते हैं, परंपराओं में पारंगत हैं, आगमों के ज्ञाता हैं, धम्म, विनय और मतिकाओं के ज्ञाता हैं, बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानवान हैं, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और उपदेशों के प्रति समर्पित हैं। यदि हम उन्हें अपने पक्ष में कर लें, तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।'

तब वैशाली के वज्जियन भिक्षुओं ने बहुत सी संपत्ति, आवश्यक वस्तुएँ और समनाओं (भिक्षुओं) के जीवन की अनेक वस्तुएँ एकत्र कीं—अर्थात् कटोरे, वस्त्र, कालीन, सुई के डिब्बे, कमरबंद, छलनी और मापन पात्र। और इस संपत्ति को लेकर

फिर वे नाव से नदी के विपरीत दिशा में सहगति तक गए और वहाँ उतरकर एक विशेष वृक्ष के नीचे भोजन किया।

2. अब पूज्य सलहा, जो एकांत में ध्यानमग्न थे, उनके मन में यह शंकालु प्रश्न उठा: 'क्या पूर्वी भिक्षु या पश्चिमी भिक्षु अपने मत के अनुसार धम्म के अधिक अनुरूप हैं?' धम्म और विनय का मनन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'पूर्वी भिक्षु धम्म के अनुरूप नहीं हैं, जबकि पश्चिमी भिक्षु अपने मत के अनुसार धम्म के अनुरूप हैं।'

और पवित्र धाम में विराजमान देवताओं में से एक ने देखा कि पूज्य सलहा के मन में यह शंकालु प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ है, और जिस शीघ्रता से एक बलवान व्यक्ति अपनी मुड़ी हुई भुजा को फैला सकता है या फैलाकर वापस समेट सकता है, उसी शीघ्रता से वह देवता पवित्र धाम से लुप्त हो गए और पूज्य सलहा के समक्ष प्रकट हुए; उनसे कहा: 'सलहा, आप बिल्कुल सही हैं; पूर्वी भिक्षुओं के मत धम्म के विरुद्ध हैं, और पश्चिमी भिक्षुओं के मत धम्म के अनुरूप हैं। इसलिए, हे सलहा, जैसा धम्म है, वैसा ही अपना मत धारण करो!'

'हे देवता, पहले भी और अब भी, मैं धर्म के अनुरूप ही अपना रुख अपनाता हूँ। फिर भी, जब तक संघ मुझे इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए नियुक्त नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी राय प्रकट नहीं करूँगा।'

3. अब वैशाली के वज्जीय भिक्षु उपर्युक्त संपत्ति लेकर उस स्थान पर गए।

जहां पूज्य रेवता उपस्थित थे, वहां जाकर उन्होंने उनसे कहा: 'पूज्य थेरा को हमारे हाथों से समना के जीवन की ये आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने दें।'

लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, 'ऐसा नहीं है, मेरे दोस्तों। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूं।'

उस समय, उत्तरा नाम का एक भिक्षु, जिसे संघ में प्रवेश किए हुए बीस वर्ष हो चुके थे, पूज्य रेवता का सेवक था। वैशाली के वज्जियन भिक्षु उसके पास गए और बोले: 'हे पूज्य, कृपया हमारे हाथों से समन जीवन की ये आवश्यक वस्तुएँ ग्रहण करें।'

लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया।

फिर उन्होंने कहा: 'लोग भगवान बुद्ध को ऐसी वस्तुएँ अर्पित करते थे। यदि वे उन्हें ग्रहण कर लेते थे, तो वे प्रसन्न होते थे। यदि वे उन्हें ग्रहण नहीं करते थे, तो वे उन्हें पूज्य आनंद को अर्पित करते हुए कहते थे, "पूज्य थेरा को ये समना के जीवन की आवश्यक वस्तुएँ ग्रहण करने दीजिए: यह ऐसा ही होगा जैसे भगवान बुद्ध ने इन्हें ग्रहण किया हो। पूज्य उत्तरा को ये वस्तुएँ ग्रहण करने दीजिए: यह ऐसा ही होगा जैसे थेरा ने इन्हें ग्रहण किया हो।'

तब आदरणीय उत्तरा, वैशाली के वज्जीय भिक्षुओं द्वारा इस प्रकार आग्रह किए जाने पर, एक वस्त्र स्वीकार करते हुए बोले, 'मित्रों, आप जो चाहें बता सकते हैं।'

आदरणीय उत्तरा, थेरा से हमारे लिए इतना कहें: "आदरणीय थेरा संघ की सभा में इतना कहें—'पूर्व के क्षेत्रों में ही बुद्ध, भगवान बुद्ध, जन्म लेते हैं। पूर्व के भिक्षु ही धम्म के अनुरूप मत रखते हैं, जबकि पश्चिम के भिक्षु ऐसा नहीं करते।'"

'जी हां, महाराज,' आदरणीय उत्तरा ने वैशाली के वज्जियन भिक्षुओं की बात से सहमति जताते हुए कहा। फिर वे रेवता के पास गए और उन्हें उनकी कही हुई बातें बताईं।

'हे भिक्षु, तुम मुझे धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उकसा रहे हो,' थेरा ने कहा और आदरणीय उत्तरा को विदा कर दिया।

और वैशाली के वज्जियन भिक्षुओं ने पूज्य उत्तरा से कहा: 'हे राक्षस उत्तरा, थेरा ने क्या कहा?'

'यह एक ऐसा पाप है जो आपने मुझ पर थोपा है, महोदय। थेरा ने मुझे यह कहकर विदा कर दिया है, "हे भिक्षु, तुम मुझे धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हो।"'

'क्या आप, श्रीमान, बीस वर्ष (उपसम्पदा के बाद से) पूर्ण वयस्क नहीं हो गए हैं?'

'जी हां, महोदय, मैं हूं।'

'तो फिर हम आपके शिष्य बनकर आपके अधीन निस्सया ग्रहण करते हैं।'

4. अब संघ विधिक प्रश्न का निर्णय करने के उद्देश्य से एकत्रित हुआ। और पूज्य रेवता ने संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हुए कहा,

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। यदि हम इस प्रश्न का समाधान करें, तो हो सकता है कि जिन भिक्षुओं ने पहले इस मामले को अपने हाथ में लिया था, वे इसे फिर से उठा लें। यदि संघ को उचित लगे, तो संघ इस प्रश्न का समाधान उसी स्थान पर करे जहाँ यह उत्पन्न हुआ था।'

तब थेरा भिक्षु इस मामले को सुलझाने के इरादे से वैशाली गए।

उस समय विश्व के सबसे वरिष्ठ थेरा, सब्बकामी नाम के व्यक्ति, जो उपसम्पदा की तिथि से एक सौ बीस वर्ष के थे और पूज्य आनंद के शिष्य थे, वैशाली में निवास कर रहे थे। पूज्य रेवता ने पूज्य संभूता सनवासी से कहा:

मैं उस विहार में जाऊँगा जहाँ थेरा सब्बकामी निवास करते हैं। आप भी आदरणीय सब्बकामी के पास शीघ्र जाइए और उनसे इन दस बिंदुओं के बारे में प्रश्न कीजिए।

'हे प्रभु, ऐसा ही हो,' आदरणीय संभूता सनवासी ने आदरणीय रेवता की बात से सहमति जताते हुए कहा।

और पूज्य रेवता उस विहार में आए जहाँ पूज्य सब्बकामी निवास करते थे; भीतरी कक्ष में रेवता के लिए और उसके सामने सब्बकामी के लिए सोने की व्यवस्था की गई। पूज्य रेवता ने यह सोचकर कि 'यह थेरा इतने वृद्ध होते हुए भी सोना नहीं चाहते,' विश्राम नहीं किया। और पूज्य सब्बकामी ने यह सोचकर कि 'यह भिक्षु यात्री और थका हुआ होते हुए भी सोना नहीं चाहते,' विश्राम नहीं किया।

5. फिर जब रात काफी बीत गई, तो पूज्य सब्बकामी ने पूज्य रेवता से कहा:

'प्रियजन, तुमने इन वर्षों में किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया है?'

'प्रिय मित्र, प्रेम की भावना से प्रेरित होकर ही मैं इतने वर्षों तक निरंतर चलता रहा हूँ।'

'वे कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने जीवन की सहजता से इस प्रकार निरंतरता बनाए रखी है: और वास्तव में, हे प्रिय, यही सहज जीवन है, (मेरा अर्थ है) प्रेम में निरंतर बने रहना।'

'बहुत समय पहले, महोदय, जब मैं एक साधारण व्यक्ति था, तब भी मेरे ह्रदय में बहुत प्रेम समाहित था, इसीलिए अब भी मैं प्रेम भाव से ही लीन रहता हूँ, और वास्तव में बहुत समय से अरहतत्व प्राप्त कर चुका हूँ। और आपने इन वर्षों में किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया है?'

'प्रियतम, सांसारिक वस्तुओं के अभाव की भावना में बने रहकर ही मैंने इतने वर्ष व्यतीत किए हैं।'

'लोग कहते हैं कि आप, आदरणीय मित्र, महानता के लिए जन्मे व्यक्ति होने की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार आगे बढ़ते रहे हैं; और वास्तव में, आदरणीय मित्र, यह वही भावना है, (मेरा मतलब है) चीजों की शून्यता की भावना।'

'बहुत समय पहले, प्रियतम, जब मैं एक गृहस्थ था, तब भी मुझे चीजों की शून्यता का गहरा बोध था, इसलिए अब भी मैं उसी बोध में लीन रहता हूँ, और वास्तव में बहुत समय से मैंने अरहतत्व प्राप्त कर लिया है।'

6. थेरा भिक्षुओं के बीच यह बातचीत अभी समाप्त ही हुई थी कि पूज्य संभूता सनवासी वहाँ आ पहुँचे। वे पूज्य सब्बकामी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके बगल में बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने पूज्य सब्बकामी से कहा:

'वैशाली के इन वज्जियन भिक्षुओं ने वैशाली में ये दस बिंदु प्रतिपादित किए हैं;' और उन्होंने उन सभी से कहा, 'हे थेरा, अब आपने अपने गुरु के चरणों में धम्म और विनय में बहुत महारत हासिल कर ली है।'

तो फिर, हे थेरा, जब आप धम्म और विनय का चिंतन करते हैं, तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं?—धर्म के अनुरूप किसका मत है, पूर्व के भिक्षुओं का या पश्चिम के भिक्षुओं का?

'हे महोदय, आपने भी अपने गुरु के चरणों में धम्म और विनय का बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। तो फिर, हे महोदय, जब आप अपने मन में धम्म और विनय का चिंतन करते हैं, तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं;—धर्म के अनुरूप किसका मत है, पूर्व के भिक्षुओं का या पश्चिम के भिक्षुओं का?'

हे प्रभु, धम्म और विनय का गहन अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पूर्वी भिक्षुओं का मत धम्म के अनुरूप नहीं है, जबकि पश्चिमी भिक्षुओं का मत धम्म के अनुरूप है। फिर भी, जब तक संघ मुझे इस विषय पर निर्णायक नियुक्त नहीं कर देता, तब तक मैं अपना मत प्रकट नहीं करना चाहता।

'हे महोदय, धम्म और विनय का गहन अध्ययन करने के बाद मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पूर्वी भिक्षुओं का मत धम्म के अनुरूप नहीं है, जबकि पश्चिमी भिक्षुओं का मत धम्म के अनुरूप है। फिर भी, जब तक संघ मुझे इस विषय पर निर्णायक नियुक्त नहीं कर देता, तब तक मैं अपना मत प्रकट नहीं करना चाहता।'

7. तब संघ इस विधिक प्रश्न की जांच करने के उद्देश्य से एकत्रित हुआ। परन्तु जब वे इसकी जांच कर रहे थे, तब बहुत सी निरर्थक बातें हुईं और साथ ही यह भी पता चला कि

किसी भी भाषण में बात स्पष्ट नहीं थी। तब पूज्य रेवता ने संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा:

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। इस कानूनी प्रश्न पर चर्चा करते समय, बहुत सी बातें निरर्थक हैं और किसी भी बात का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। यदि संघ को उचित लगे, तो संघ इस कानूनी प्रश्न को (न्यायालय को) सौंपकर इसका निपटारा करे।'

और उन्होंने पूर्व के चार भिक्षुओं और पश्चिम के चार भिक्षुओं को चुना—पूर्व के भिक्षुओं में से पूज्य सब्बकामी, पूज्य साल्हा, पूज्य खुग्गा-शोभिता और पूज्य वासभा-गामिका—और पश्चिम के भिक्षुओं में से पूज्य रेवता, पूज्य संभूता सनवासी, पूज्य काकंदक के पुत्र यासा और पूज्य सुमन। तब पूज्य रेवता ने संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा:

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। इस मामले की जांच के दौरान हमारे बीच बहुत सी व्यर्थ की बातें हुईं, और किसी भी बात का सार स्पष्ट नहीं है। यदि संघ को उचित लगे, तो संघ पूर्व के चार भिक्षुओं और पश्चिम के चार भिक्षुओं को इस प्रश्न का समाधान करने के लिए नियुक्त करे। यही संकल्प है।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुन ले। इस मामले की जांच के दौरान हमारे बीच बहुत सी व्यर्थ की बातें हुई हैं, और किसी भी बात का अर्थ स्पष्ट नहीं है। संघ पूर्व के चार भिक्षुओं और पश्चिम के चार भिक्षुओं को इस प्रश्न का समाधान करने के लिए नियुक्त करता है। जो कोई भी...'

यदि पूजनीय व्यक्तियों में से कोई इसे स्वीकार करता है, तो वह मौन रहे। जो इसे स्वीकार नहीं करता, वह बोले। प्रतिनिधिमंडल तदनुसार गठित किया जाता है। संघ इसे स्वीकार करता है, इसलिए यह मौन है। मैं इसे इसी प्रकार समझता हूँ।'

उस समय अजित नामक एक भिक्षु, जिन्हें दस वर्षों का अनुभव था, संघ को पतिमोक्खा सुनाते थे। संघ ने उन्हें थेरा भिक्षुओं के आसन नियामक के रूप में नियुक्त किया।

तब थेरा भिक्षुओं ने सोचा, 'अब हमें इस विधिक प्रश्न का निपटारा कहाँ करना चाहिए?' तभी उन्हें यह विचार आया: 'यह वालिका विश्राम एक सुखद, शांत और एकांत स्थान है। चलो इस मामले का निपटारा यहीं करते हैं।' और वहीं थेरा भिक्षुओं ने इस प्रश्न की छानबीन शुरू की।

8. तब पूज्य रेवता ने संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा: 'पूज्य संघ मेरी बात सुनिए। यदि संघ को उचित लगे, तो मैं पूज्य सब्बकामी से विनय के विषय में प्रश्न पूछूंगा।' और पूज्य सब्बकामी ने संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा: 'यदि संघ को उचित लगे, तो रेवता द्वारा विनय के विषय में पूछे जाने पर मैं उत्तर दूंगा।'

और पूज्य रेवता ने पूज्य सब्बकामी से कहा: 'हे प्रभु, क्या सींग-नमक-लाभ की अनुमति दी जा सकती है?'

'महोदय, यह सींग-नमक-लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह जायज़ है कि किसी सींग में नमक भरकर इस इरादे से ले जाया जाए कि उसे बिना नमक वाले भोजन में डाला जाएगा?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'ऐसा दावा कहाँ खारिज किया गया था?'

'सावत्थी में, सुत्त विभंग में।'

'ऐसा करने वाला व्यक्ति किस अपराध का दोषी है?'

'पचित्त्य में, रखे हुए भोजन को खाने का चलन।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस प्रथम बिंदु की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं प्रथम मत देता हूँ।'

'क्या दो इंच की छूट, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'सर, यह दो इंच का लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या दोपहर का भोजन उचित समय से आगे करना जायज़ है, बशर्ते कि सूर्य की छाया अभी दो इंच भी न बढ़ी हो?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'ऐसा दावा कहां खारिज किया गया है?'

'राजगृह में, सुत्त विभंग में।'

'ऐसा करने वाला व्यक्ति किस अपराध का दोषी है?'

'पचित्त्य के अनुसार, गलत समय पर भोजन करना।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस दूसरे बिंदु की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं दूसरा मत देता हूँ।'

'क्या ग्राम भ्रमण का लाइसेंस, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'यह ग्राम-यात्रा लाइसेंस क्या है, महोदय?'

'क्या यह जायज़ है कि जो व्यक्ति अपना भोजन समाप्त कर चुका है और आगे खाने से इनकार कर चुका है, वह बचे हुए भोजन को इस आधार पर खा ले कि वह गांव की ओर जाने वाला है?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'ऐसा दावा कहाँ खारिज किया गया था?'

'सावत्थी में, सुत्त विभंग में।'

'ऐसा करने वाला व्यक्ति किस अपराध का दोषी है?'

'पचित्तिया का अर्थ है, बचा हुआ भोजन न खाने का अभ्यास करना।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस तीसरे बिंदु की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं तीसरा मत देता हूँ।'

'क्या सर्किट लाइसेंस, लॉर्ड, स्वीकार्य है?'

'सर, यह सर्किट लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह उचित है कि एक ही परिसर में, एक ही सीमा के भीतर रहने वाले कई भिक्षु अलग-अलग उपोसथ आयोजित करें?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'ऐसा दावा कहाँ खारिज किया गया था?'

'राजगृह में, उपोसथ संयुत्त में'

'ऐसा करने वाला किस अपराध का दोषी है?' 'विनय का उल्लंघन करने का, दुक्कटा का।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा जांच किए जाने पर यह चौथा बिंदु झूठा धम्म और झूठा विनय पाया गया है, और यह गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं चौथा मत डालता हूँ।'

'क्या क्षतिपूर्ति लाइसेंस, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'महोदय, यह क्षतिपूर्ति लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह उचित है कि कोई संघ, जो विधिवत रूप से गठित नहीं है, इस आधार पर कोई आधिकारिक कार्य करे कि वे बाद में आने वाले भिक्षुओं की स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'ऐसा दावा कहाँ खारिज किया गया था?'

'कम्पेय्यक खंड में, विनय ग्रंथ के मुख्य भाग में।'

'ऐसा करने वाला व्यक्ति किस अपराध का दोषी है?'

'दुक्कटा द्वारा विनय की उपेक्षा करने के कारण।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस पाँचवें बिंदु की जाँच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं अपना यह पाँचवाँ मत देता हूँ।'

'क्या पूर्व उदाहरण के आधार पर दी गई छूट, हे प्रभु, स्वीकार्य है?'

'महोदय, यह पूर्व-अनुमानित लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह जायज़ है कि मैं किसी काम को इस आधार पर करूँ कि "मेरे गुरु (उपाज्जया) ने यह किया है," या "मेरे शिक्षक (आचार्य (शिक्षक)) ने वह किया है?"'

'कुछ मामलों में, महोदय, यह स्वीकार्य है, और कुछ में नहीं।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस छठे बिंदु की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं अपना छठा मत देता हूँ।'

'क्या मंथन का लाइसेंस, प्रभु, स्वीकार्य है?'

'महोदय, यह मंथन लाइसेंस क्या है?'

'हे प्रभु, क्या यह जायज़ है कि जो व्यक्ति अपना भोजन समाप्त कर चुका है और आगे कुछ भी खाने से इनकार कर चुका है, वह भोजन के बाद बचा हुआ दूध न पिए, इस आधार पर कि वह दूध की अवस्था से निकल चुका है और अभी तक दही की अवस्था तक नहीं पहुँचा है?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'ऐसा दावा कहाँ खारिज किया गया था?'

'सावत्थी में, सुत्त विभंग में।'

'ऐसा करने वाला व्यक्ति किस अपराध का दोषी है?'

'पचित्तिया का अर्थ है, बचा हुआ भोजन न खाने का अभ्यास करना।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस सातवें बिंदु की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं अपना यह सातवां मत देता हूं।'

'हे प्रभु, क्या ताड़ी पीना जायज़ है?'

'यह ताड़ी क्या है, महोदय?'

'हे प्रभु, क्या उन शराबों का सेवन करना जायज़ है जो अभी तक शराब नहीं बनी हैं और जिनमें अभी तक मादक गुण नहीं आए हैं?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'इसे कहाँ अस्वीकार किया गया था?'

'कोसंबी में, सुत्त विभंग में:

'ऐसा करने वाला व्यक्ति किस अपराध का दोषी है?'

'पचित्त्य में, किण्वित मादक पेय और मादक पेय का सेवन करना।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुन ले। संघ द्वारा जांच किए जाने पर पाया गया है कि आठवां बिंदु झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं अपना आठवां मत देता हूँ।'

'हे प्रभु, क्या बिना झालर वाला आसन स्वीकार्य है?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'इसे कहाँ अस्वीकार किया गया है?'

'सावत्थी में, सुत्त विभंग में।'

'जो व्यक्ति इस प्रकार की सीट का उपयोग करता है, वह किस अपराध का दोषी है?'

'पचित्त्य के संदर्भ में, किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करना जिसे उचित आकार में काटा जाना चाहिए।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस नौवें बिंदु की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं अपना नौवां मत देता हूं।'

'हे प्रभु, क्या सोना और चांदी स्वीकार्य हैं?'

'नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।'

'यह कहाँ प्रतिबंधित था?'

'राजगृह में, सुत्त विभंग में।'

'जो इसे लेता है, वह किस अपराध का दोषी है?'

'पचित्त्यियों द्वारा सोना और चांदी स्वीकार करने के कारण।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इस दसवें बिंदु की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह झूठा धम्म और झूठा विनय है, और गुरु के उपदेशों में निहित नहीं है। अतः मैं अपना दसवां मत देता हूँ।'

'आदरणीय संघ मेरी बात सुनिए। संघ द्वारा इन दस बिंदुओं की जांच करने पर यह पाया गया है कि ये झूठे धम्म और झूठे विनय हैं, और गुरु की शिक्षाओं में निहित नहीं हैं।'

'यह कानूनी प्रश्न, महोदय, समाप्त हो चुका है; और इसका निपटारा हो जाने के बाद, यह हमेशा के लिए तय हो गया है। फिर भी, महोदय, क्या आप इन दस बिंदुओं पर संघ के बीच में भी मुझसे प्रश्न करेंगे, ताकि उन भिक्षुओं को समझाया जा सके?'

अतः पूज्य रेवता ने संघ के बीच में ही पूज्य सब्बकामी से दस बिंदुओं पर प्रश्न पूछे, और जब उनसे एक-एक करके प्रश्न पूछे गए, तो पूज्य सब्बकामी ने उत्तर दिए।

9. अब चूंकि विनय के इस पाठ में सात सौ भिक्षुओं ने बिना किसी अतिरिक्त भिक्षु की अनुपस्थिति के भाग लिया, इसलिए विनय के इस पाठ को 'सात सौ भिक्षुओं का पाठ' कहा जाता है।

=========
सात सौ शिष्यों द्वारा पाठ पर आधारित बारहवां खंडक यहीं समाप्त होता है।

<<<< पिछला(12.1)